PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

16th March, 1964

Vol. I—No. 18

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

bha Secretariat, Chandigarh

ERRATA

To

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 18,
Dated the 16th March, 1964.

Read	*For*	*Page*	*Line*
3rd Five Year Plan	3rd Five-Y	(18)5	20
stated in	stated	(18)6	13
for	fo	(18)7	2 from below
CONSTRUC-TION	CANSTRUC-TION	(18)10	Heading
Sanitary	Senitary	(18)10	6 from below
	Sanitoary	(18)12	7 from below
Comrade	Commrade	(18)17	2
the	th	(18)18	13 from below
Gharaunda	G raunda	(18)26	7 from below
Ditto	itto	(18)26	4 from below
Raja Singh Kohli	aja Singh Kohli	(18)29	Last
Delete 'उन को'	*before* 'हाईकोर्ट'	(18)30	3
enclosed	nclosed	(18)30	Last
referred	refferred	(18)33	20
November	Novemqer	(18)33	8 from below
October	Oetober	(18)35	8
Kharkhauda	Kharkhsauda	(18)36	20, column 3
Comrade Makhan Singh Tarsikka	Comrade Makhan Singh Tarsikha	(18)37	20-21
ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ	ਕਾਮ ੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿਘ ਤ੍ਰਸਿਕਾ	(18)38	2 from below
ਜਨਾਬ	ਜਨ	(18)38	2 from below
immediately	immed ately	(18)39	15
चौधरी	चौदरी	(18)41	4
ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ	ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ	(18)45	9 from below

Read	*For*	*Page*	*Line*
received	receive	(18)48	1
Hous:	H use	(18)48	12
suffering	sufferng	(18)49	8
epidemics	epidemies	(18)49	8 from below
सम्भर वाल	सम्भरबाल	(18)62	6 from below
हमारे	हमार	(18)64	15
Add the word 'पर' *before* the word 'माईल'		(18)64	32
स्पेशल	स्पशल	(18)69	33
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ	(18)73	10
ਸਾਰਿਆਂ	ਸਾਰਿਅ	(18)75	13
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ	ਟਾਂਸਪੋਰਟ	(18)75	25
ਸਾੜੇ	ਮਾੜੇ	(18)90	2
ਜਲੰਧਰ	ਜਲੰਧਚ	(18)91	3
ਸਰਕਾਰ	ਸਰਕਾਹ	(18)91	4
ਬੰਦਿਆਂ	ਬੰਦੀਆਂ	(18)91	14 from below
ਕੋਈ	ਕੇਈ	(18)91	12 from below
ਤੁਹਾਨੂੰ	ਤੁਹਾਨੂੰ	(18)93	10
ਮਦਦ	ਮਮਦ	(18)93	10
ਤੁਹਾਡੇ	ਤੁਹਾਡ	(18)94	5
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ	(18)97	14
17th afte: the word		(18)99	7
Shri	hri	xvii	S. No. 37
Ditto	Dltto	xxi	4
13-9-63	3-9-63	xxi	5
24-1-58	2-1-58	xxii	8
Shri Rassi	Shri Kassi	xxiv	15
Shri Mohan Lal	Shri Mohrn Lal	xxviii	23
Recruitment	Recruitments	xxix	29

———

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 16th March, 1964.

The Vidhan Sabha met in the Legislature Building, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra)in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to Starred Question No. 4517*

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਮੋਸਟ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਿਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ?

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ।

कामरेड राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि अगर किसी डीज़-विंग आदमी को भट्ठा न मिला हो तो नोटिस में लाएं । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वह डीज़र्विंग की डैफीनीशन बता सकते हैं ताकि उसको समझने के बाद उनके नोटिस में ला सकें ?

श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो लिस्ट दी गई है इस के मुताबिक एक कमिश्नर साहिब के भाई को एक भट्ठा अलाट किया हुआ है । मैं पूछना चाहता हूँ कि वह किस क्राइटेरियन के मातहत अलाट किया हुआ है ?

मंत्री : मैं इस वक्त आफ हैंड नहीं बता सकता । आप इस के मुताल्लिक सैपेरेट सवाल पूछ लें । हम पता करके बता देंगे ।

Mr. Speaker : It has been stated in part (b) of the answer that the brick kiln licences have been sanctioned to political persons, goldsmiths, and other deserving persons, etc. He does not fall under any of these categories. What are, therefore, the reasons that he has been allotted a brick-kiln ?

मंत्री : जनरली जो क्राइटेरिया हैं वह बता दिए हैं । अगर किसी इन्डीविजुअल केस के बारे मेम्बर साहिब जानना चाहते हैं तो सैपेरेट सवाल कर दें पता करके बता दिया जाएगा । इन्डीविजुअल फाइल्ज़ मेरे पास नहीं आती हैं जो लिस्ट आई है वह आप को दे दी हैं । (विघन)

**Note*.—Starred Question No. 4517 and reply thereto appears in Punjab Vidhan [Sa]bha Debats; Vol. I, No. 17 dated the 13th March, 1964.

मंत्री : जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि किसी इन्डीविजुअल केस के बारे जानना चाहते हैं तो मैम्बर साहिब नोटिस दे दें पता करके बता देंगे। जो इत्तलाह इस वक्त मेरे पास थी वह मैंने दे दी है।

Sardar Gurnam Singh : The hon. Home Minister has been pleased to state that these licences have been given to a particular category of persons. If any of these persons does not fall within these categories, will the Government withdraw his licence ?

Minister : If there is any case in which a licence has been granted to an undeserving person, we will certainly look into it and see what action is needed.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਭੱਠਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਜਾ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਭੱਠਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਥੇ ਇਕ ਭੱਠਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਫ ਹੈਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਗਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ?

Mr. Speaker : Please bring such cases to the notice of the hon. Minister.

श्री बलरामजी दास टंडन : वज़ीर साहिब ने तीन चार कराइटेरिया बताए हैं जिन में एक यह भी कहा है कि other deserving persons. मैं पूछना चाहता हूँ कि other deserving persons से उनका क्या मतलब है ?

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि other deserving persons में सिर्फ सिफारिश वाले आते हैं या कोई और भी उनकी कोई कुआलीफिकेशन होती है ?

GOPAL PAPER MILL KARAMCHARI UNION, YAMUNA NAGAR DISTRICT AMBALA

***4451. Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Home Minister be pleased to state whether Government has recently received any charter of demands from the Gopal Paper Mill Karamchari Union, Yamuna Nagar, district Ambala; if so, the details thereof and the action, if any taken or proposed to be taken thereon ?

Shri Mohan Lal : Yes, three charters of demands dated 30th August, 1963, 23rd October, 1963 and 2nd January, 1964 were served by Shri Gopal Paper Mill Karamchari Union, Yamuna Nagar on M/S Shri Gopal Papers Mills Limited, Yamuna Nagar, and copies thereof were

received in the Labour Department of the Punjab Government. The Union, however, failed to furnish proper letter of authority in support of their demands notices as required under Rule 26 of the Industrial Disputes (Punjab) Rules. The dispute as such could not be termed as an Industrial Dispute and demands contained in these demand notices could not be referred for adjudication.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यूनियन वालों को सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वह अपना फ्रेश डीमांड नोटिस दें।

मंत्री : मेरा ख्याल है कि लास्ट जो उन्हों ने डीमांड नोटिस दिया था उसके बेसिज पर उनको कहा है कि चूंकि उनका असली पहला डीमांड नोटिस रिजैक्ट हो गया है इस लिये अगर वह फ्रेश नोटिस देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कर्मचारी यूनियन के जो तीन डीमांड नोटिस 31 जुलाई 1963, 23 अगस्त 1963 और 2 जनवरी 1964 को आए उन में एक जैसी डीमांड्ज़ हैं या मुख्तलिफ डीमांड्ज़ हैं ?

मंत्री : पहले जो उन की डीमांडज़ आईं वह अगस्त में आईं उसके बाद उन की दो दफा सप्लीमैंट्री डीमांड्ज़ आई हैं जो कि पहले वाली को सप्लीमैंट करती हैं।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : उन्हों ने बताया है कि इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट की सैकशन 26 के तहत उनको वर्कर्ज़ की रिपोर्ट हासिल नहीं थी इस लिये उनको डीमाँड नोटिस ऐडजूडीकेशन के लिये नहीं दिया गया। क्या वह बताएंगे कि यह बात सरकार के ज़ेरे गौर है कि डिसमिसल और डिस्चार्ज के सवाल पर वर्कर्ज़ की रिपोर्ट की शर्त को उड़ा दिया जाए ?

मन्त्री : सवाल कर दें पता करके बता दें गे।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

LABOUR COURT, ROHTAK

***4868. Comrade Didar Singh :** Will the Home Minister be pleased to state whether Government have recently received any complaints from various Labour Organisations in the State including the I. N. T. U. C against the Presiding Officer of the Labour Court, Rohtak; if so, the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : No complaint from any Labour Organisation including I. N. T. U. C. has recently been received against the Presiding Officer, Labour Court, Rohtak. Two complaints dated 30th July, 1963 and 9th September, 1963 were received from the General Secretary, Hissar District Transport Workers Union, Hissar, against the Presiding Officer, Labour Court, Rohtak. Both the complaints being vague were rejected and the complainant informed accordingly.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह ठीक है कि इन शिकायतों के मिलने के बाद लेबर कोर्ट रोहतक की मियाद एक साल के लिये ऐकसटैंड की गई है ?

मन्त्री : एक साल और उनकी मियाद ऐक्स्टैंड हुई है लेकिन मैं डैफिनिटली यह नहीं बता सकता कि शिकायत आने के बाद हुई है या पहले हुई है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि क्या इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल और लेबर कोर्ट्स की कोई रिटायरमेंट एज मुकर्रर है या नहीं ?

मन्त्री : जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है । हो सकता है कि प्रिजाइडिंग अफ़सरों की हो लेकिन इस वक्त आफ हैंड मैं डैफिनिटली कह नहीं सकता ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यह बात सरकार के ज़ेरे गौर है कि लेबर कोर्ट्स में रिटायर्ड आदमियों को लेने की बजाए जो रैगूलर इंडस्ट्रियल सर्विस में हैं उनको लिया जाए ।

मंत्री : जहां तक लेबर ट्रिब्यूनल का सम्बन्ध है, हम ने ऐसी कोशिश की कि इस के बारे में हाई कोर्ट का जज हो, या सिटिंग जज आफ हाई कोर्ट हो । इस के बारे में चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट से बात भी की लेकिन उस ने मजबूरी शो की कि ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि लेबर कोर्ट रोहतक के बर्खिलाफ एम्पलायर से रिश्वत लेने की कोई कम्पलेंट सरकार के पास आई है या कि नहीं ?

मंत्री : मेरे पास कोई ऐसी इतलाह नहीं आई ।

APPLICATION OF MINIMUM WAGES ACT TO CERTAIN INDUSTRIES IN THE STATE

***4869 Comrade Didar Singh :** Will the Home Minister be pleased to state whether the provisions of the Minimum Wages Act, are applicable at present to the Steel re-rolling Mills, Chemicals, Glass and Potteries Industries in the State, if not, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : The requisite information is given below :

(1) Steel-re-rolling mills. The matter is under consideration.

(2) Chemicals.

(3) Glass and Potteries Industries : Since the number of employees engaged in these industries is less than the minimum limit of one thousand, stipulated under section 3(1-A) of the Minimum Wages Act, 1948, the question of its application to them does not arise.

Chaudhri Darshan Singh : May I know since when the matter is under the consideration of the Government ?

Minister : I am sorry, I am not in a position to give the exact date but the matter is being considered and the data is being collected.

Chaudhri Darshan Singh : May I know the probable time by which it is likely to be completed ?

Minister : I believe all possible delay will be avoided in coming to the final conclusion.

BRIDGE ON BEIN ON NAKODAR-KAPURTHALA ROAD

*4260. **Chaudhri Darshan Singh** : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a bridge on Bein on the Nakodar-Kapurthala Road; if so, the time by which the construction thereof is likely to be started and completed;

(b) whether any amount has been sanctioned for the construction of the said bridge; if so, how much;

(c) whether any tenders for the construction of the said bridge have been invited, if so, the latest position in this respect?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes, the work will be completed by 1965-66 depending upon availability of funds.

(b) Provision made in the last wo years of the 3rd Five-Y is as under :—

	1964/65	1965/66
Bridge on Nakodar—Kapurthala.	Rs. 1.74 Lacs	Rs. 1. 42 Lacs

(c) Tender has been accepted and work started.

Chaudhri Darshan Singh : Is the Government aware that if this work is not completed before the advent of rains, the entire expenditure will go waste ?

Minister : The reply is very much clear. We are making all possible efforts to complete it as soon as possible.

PHAGWARA-NAKODAR ROAD

*4261 **Chaudhri Darshan Singh** : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct the Phagwara-Nakodar road, if so, the time by which the construction work thereon is likely to be started and completed ?

Sardar Darbara Singh : Yes, Nakodar to Phagwara road has been metalled excepting section Darweshpind to Shankar, which has been included in the III Five Year Plan. The work thereon will be started next year and will be completed in the IV Plan subject to the availability of funds.

Chaudhri Darshan Singh : May I know the year in which the construction of this road was started?

मंत्री : मुझे एग्जैक्ट डेट तो इस वक्त याद नहीं है लेकिन काफी साल हो गए हैं।

Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, Sir, I have asked only the year in which the work on this road was started.

मंत्री : मैं ग्राफ हैंड कुछ नहीं कह सकता ।

Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, the construction of this road was started in 1957 and hardly 2-3 miles have been completed. Is it a fact that Sardar Niranjan Singh Talib, the then Public Works Minister performed the opening ceremony of this road when the 3/4 of the road is still to be built ?

Mr. Speaker : How can the hon. Minister give this information off-hand ?

Minister : Sir, I can not remember this. The construction of this road will be completed as has been stated the reply.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : May I know the procedure if a particular road is not completed within the scheduled time ?

मंत्री : यह कोई ऐसी बात नहीं है । क्या माननीय सदस्य इस रोड के बारे में पता करना चाहते हैं या जनरल इन्फार्मेशन चाहते हैं ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : There is, Sir, a road in my constituency which has not been completed for the last so many years. I am, therefore, asking the procedure in the general terms.

I would like the hon. Minister for Planning and Public Works at least to give some idea where there is some lapse on the part of the Government Department ?

Minister : I would request the hon. Member to repeat his question.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Supposing a certain road is to be constructed and it will take two years or three years or say one Plan period. I would like to know the procedure if it is not completed within the stipulated period ?

मंत्री : अगर टाइम पर काम खत्म न हो सके तो ऐक्सटैंशन लेते हैं । एमर्जैंसी के कारण हमारे पास फंड्ज़ नहीं थे, इस लिये चालू नहीं रख सके । अगर माननीय सदस्य हमारे नोटिस में लाएंगे तो एग्ज़ामिन करेंगें।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਮੀਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪਲੈਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।

(ਹਾਸਾ)

Minister: If the hon. Member will bring to my notice that road, I will look into the matter.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जो सड़कों की प्लैन के लिए बजट में रुपया रखा जाता है, वह प्रापरली एडहीयर क्यों नहीं किया जाता है ?

मंत्री : एडहीयर तो किया जाता है लेकिन एमर्जेंसी की वजह से ऐसा हो गया हो, इस के बारे में पता नहीं है ।

श्री राम किशन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि सरकार ने डिपार्टमैंट को इस बारे में इंस्ट्रक्शन्ज़ जारी की हैं कि काम प्रैस्क्राइब्ड वक्त में खत्म कर दिया जाए । अगर हिदायात दी हुई हैं तो क्या इम्पलीमैंट हो रही हैं ?

मंत्री : वैसे माननीय सदस्य ने जनरल सवाल किया है । वैसे नार्मल हालात में शैड्यूल्ड टाइम के अन्दर काम खत्म किया जाता है और इस के बारे में हिदायतें भी जारी हुई हैं ।

Chaudhri Darshan Singh: Is it a fact that constitution of metalled roads in the constituencies of the Members sitting on this side of the House are delayed ?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question. The hon. Minister need not reply to this question.

CONSTRUCTION OF LINK ROAD CONNECTING SULTANPUR LODHI—LOHIAN-DALLA ON FEROZEPORE-JULLUNDUR ROAD.

***4285. Sardar Kulbir Singh**: Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state—

(a) whether Government had originally taken any decision to construct a link road connecting Sultanpur-Lodhi-Lohian-Dalla on the Ferozepore-Jullundur road ;

(b) whether it is a fact that the decision referred to in part (a) above has been revised and now the said road is to run through Jahowal, Giddarpindi, Sultanpur Lodhi; if so, the reasons therefor, the additional road mileage that will have to be constructed and the estimated additional expenditure on this account ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) No.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਕੂਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

BUNGALOW FOR DEPUTY COMMISSIONER, HOSHIARPUR AT BHARWAIN

***4327. Pandit Mohan Lal Datta**: Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is a bungalow at Bharwain fo the residence of the Deputy Commissioner, Hoshiarpur;

(b) whether it is also a fact that there are also two Rest houses at Bharwain, if so, the reasons for keeping a separate Bungalow for the Deputy Commissioner ;

(c) the details of expenditure incurred annually on the up keep of the bungalow referred to in para (a) above ?

Sardar Darbara Singh: (a) Yes.

(b) The one is Civil Rest house and another Zila Parishad Rest-house. The Deputy Commissioner's residence is being maintained since British Rule as a Summer residence of Deputy Commissioner.

(c) The annual expenditure for the upkeep of Deputy Commissioner's residence at Bharwain is Rs 893 during the year 1962-63 and Rs 135 during 1963-64 up to December, 1963.

पंडित मोहन लाल दत : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे । उन्हों ने अपने आराम के लिए बंगला तैयार किया था । अब हमारी अपनी हकूमत है और अब भी वह रैस्ट हाउस डिप्टी कमिश्नर के लिए रिजर्व हैं जबकि इस के साथ २ और रैस्ट हाउस मौजूद हैं तो क्या वजह है कि यह उस के लिए रिजर्व किया हुआ है और इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है जबकि हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है ?

मन्त्री : इस डिपार्टमेंट का काम तो बिल्डिंग को मेन्टेन करना होता है । रैस्ट हाउस से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा डिपार्टमेंट है । जो रैस्ट हाउस बना हुआ है, सरकार उस को मिसमार करने के लिये तैयार नहीं है । अगर माननीय सदस्य इस बारे में रीप्रीजेंट करेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

CONSTRUCTION OF ROADS IN MOHINDERGARH DISTRICT

***4538 Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state the names of roads at present under construction in district Mohindergarh as a famine relief measure and the time by which the same are likely to be completed ?

Sardar Darbara Singh : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Part I

1. Nasibpur to Kanina Ateli road *via* Seema Ateli, Dongra Ahir, Mohammadpur etc., in Mohindergarh District
2. Narnaul to Kultazpur road in Mohindergarh District
3. Nasibpur to Darson road (in Mohindergarh District)
4. Nizampur to Chowdhry Ka Nangal in Mohindergarh District

5. Dalot to Jatwas road in Mohindergarh District
6. Dadri to Chirya road in Mohindergarh District
7. Achina to Sanjarwas road in Mohindergarh District
8. Nimriwals to Rupgarh road in Mohindergarh District
9. Chappar to Ateli Kalan road up to Dadri Loharu in Mohindergarh District.
10. Bhadhara—Berla Road in Mohindergarh District.
11. Mohindergarh-Modhogarh-Satneli-Bhadara-Jui Road in Mohindergarh District.
12. Satnali—Loharu Road in Mohindergarh District.

Part II.

The earth work and part collection of material will be completed during the current financial year. Metalling will be taken up and completed subject to the availability of funds.

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट इन्हों ने 12 सड़कों की दी है इन में से कौन कौन सी बननी शुरू हो गई हैं और कौन कौन सी अभी तक नहीं बननी शुरू हुई हैं ?

विकास मन्त्री : इन में से कई एक पर अर्थ वर्क कम्पलीट हो चुका है कई एक पर कम्पलीट किया जा रहा है ।

श्री बनवारी लाल : जो आनसर मिनिस्टर साहिब ने दिया है वह क्लियर नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस सड़क पर काम आरम्भ हो चुका है और किस किस सड़क पर अभी तक आरम्भ नहीं हुआ ?

मन्त्री : जो सड़कें एमर्जेंसी में ली गई थीं उन में काफी पर काम शुरू हो चुका है कई एक का अर्थ वर्क कम्पलीट हो चुका है और जहां जहां रा मैटीरियल एवेलेबल था मैटलिंग भी हो गई है । बाकी की फंड के मिलने पर स्टार्ट की जाएंगी ।

श्री बनवारी लाल : मैं क्लियरली पूछना चाहता हूं कि कौन कौन सी सड़क शुरू हो गई है और कौन कौन सी अभी तक नहीं हुई ?

मन्त्री : अगर मैंबर साहिब चाहेंगे तो इस बात का अलग जवाब दे दिया जाएगा कि कौन कौन सी कम्पलीट हो चुकी है और कौन कौन सी को अब तक टेक अप नहीं किया गया ।

श्री जगन्नाथ : फैमिन रीलीफ के मातहत जो काम महेन्द्रगढ़ में शुरू हुआ था वहां पर अर्थ वर्क तो कम्पलीट हो चुका है क्या उन सड़कों को पक्का बनाया जाएगा या नहीं ?

मन्त्री : फ़ैमिन रीलीफ देने के लिये महेन्द्रगढ़ में कुछ काम शुरु किया गया था उस के इलावा भी वहां पर लम्बी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं । मेम्बर साहिबान को कोई मौका शिकायात का नहीं रहेगा ।

CANSTRUCTION OF ROADS IN MOHINDERGARH DISTRICT

*4539. **Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state :—

(a) the total amount allocated to Mahindergarh District for the construction of roads as a famine relief measure.

(b) whether amount allotted has since been released ?

Sardar Darbara Singh : (a) Rs 12 lacs (approximately)

(b) Provision for necessary funds has been made in the Supplementary Estimates for 1963-64 (2nd Instalment)

श्री बनवारी लाल : क्या मिनिस्टर साहिब बताने का कष्ट करेंगे कि 12 लाख रुपया जो इन सड़कों को बनाने के लिए रखा गया है इस के लिये पहले कोई एस्टीमेट बनवाया गया था कि इतने रुपये में यह काम कम्पलीट हो जाएगा ?

मन्त्री : 12 लाख रुपया इस काम के लिये रखा गया है । अगर काम पूरा नहीं होगा तो और देखेंगे ।

श्री निहाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फैमिन रीलीफ के तहत जो सड़कों का काम शुरू किया गया है क्या इस के लिये अगले साल के लिये बजट में प्रोवीज़न रखी गई है ?

मन्त्री : अगले साल सितम्बर तक काफी माईलेज कम्पलीट करेंगे ।

श्री निहाल सिंह : क्या इस के लिये बजट में कुछ एलोकेशन की गई है ?

मन्त्री : हां जी, की गई है ?

श्री बनवारी लाल : कितनी रखी गई है ।

———

DRINKING-WATER SCHEMES FOR TEHSIL UNA

*4326. **Pandit Mohan Lal Datta** · Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state whether Government have under investigation any drinking water supply schemes for tehsil Una, if so, the details thereof and the approximate time by which these are likely to be executed ?

Sardar Darbara Singh : (1) The rural water supply schemes relating to tehsil Una, district Hoshiarpur, as detailed in statement were prepared by the Public Health Engineering Department and forwarded to the Panchayat Department for obtaining administrative approval of the Senitary Board, Punjab and allocation of funds.

(2) These schemes can be completed within about two years from the date on which full funds are made available. The execution, therefore depends upon the availability of funds.

Statement showing rural water supply-schemes relating to Tehsil Una, district Hoshiarpur, prepared by the Public Health Engineering

Department and forwarded to the Panchayat Department.

S. No.	Name of Scheme		Estimated amount
			Rs.
1.	Providing water supply in village Basali, tehsil Una, district Hoshiarpur	..	56,000/-
2.	Providing water supply in villages Manwal, Nangal Kalan, Nangal Khurd and Leheri in tehsil Una, district Hoshiarpur. (This scheme has been administratively approved by the Sanitary Board, Punjab)	..	2,22,080/-
3.	Providing Extension of intake at Durehra Water-supply Scheme, district Hoshiarpur	..	51,438/-
4.	Providing potable water supply for villages Pandgoha, Bassi, Ispur, Badsoli and Saloh, tehsil Una, district Hoshiarpur	..	9,69,902/-
5.	Providing potable water-supply scheme for villages Badhera, Kangra, Dhumpur, Sahnarowal, Sambola and Haroli, tehsil Una, District Hoshiarpur	..	804,968/-

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या वज़ीर साहिब यह बताएंगे कि जो एस्टीमेट प्रीपेयर होता है उन में डीपार्टमैंटल चार्जिज़ भी शामिल होते हैं ? अगर होते हैं तो यह बोझ लोगों पर क्यों डाला जाता है ? क्या इस को सरकार हटाने के लिये तैयार है ?

मन्त्री : जो रूल्ज़ पहले बने हुए हैं उन के मुताबिक कुछ हिस्सा ज़रूर पंचायतों को देना पड़ता है । रीसेंटली जो फैसला सरकार ने किया है उस के अनुसार मेंटीनेंस का खर्च सरकार ने अपने जिमे ले लिया है।

पंडित मोहन लाल दत्त : गांव वालों को कितना हिस्सा देना पड़ता है ? मैं ने यह भी पूछा है कि डीपार्टमेंटल चार्जिज़ उस से क्यों लिये जाते हैं ?

मन्त्री : इस चीज़ को देख लेंगे ।

श्री राम किशन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से रूरल वाटर सप्लाई के मुताल्लिक और खास तौर पर हिली एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ के बारे में कुछ हिदायात आई हैं ? अगर आई हैं, तो वे क्या हैं ?

मन्त्री : इस के लिये सपेरेट नोटिस दें।

श्री राम किशन : जो हिदायात गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से आई हैं क्या उन में क्लियर कट नहीं लिखा हुआ कि न तो उन से मेन्टीनेंस चार्जिज़ लिये जाएं. और न ही उस के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल की ज़रूरत है ?

मन्त्री : इस वक्त मेरे पास यह इनफर्मेशन नहीं है।

श्री बलरामजी दास टन्डन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इतने हैवी डीपार्टमेंटल चार्जिज़ जो पंचायतों से लिये जाते हैं इन को बंद करने के लिये सरकार गौर कर रही है?

मन्त्री : पहले तो कंसिडर नहीं कर रहे, अब आप ने ध्यान दिलाया है ज़रूर कंसिडर करेंगे।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह सच है कि पहले जो परसेंटेज कन्ट्रीबूशन की गांव वालों से ली जाती थी अब वह बढ़ा दी गई है?

मन्त्री : पहले मेनटीनेंस चार्जिज उन को देने पड़ते थे अब सरकार ने अपने जिमे ले लिये हैं। कंट्रीब्यूशन उतनी ही है।

LOANS GRANTED FOR CONSTRUCTION OF SEWERAGE AND WATER WORKS IN GURDASPUR DISTRICT.

***4965 Sardar Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state :

(a) whether any loans have been sanctioned by Government for constructing Sewerage and Water works for flush lavatories in houses in various towns in Gurdaspur District with a view to relieve Harijans from carrying human refuse in baskets on their heads, if so, the names of such towns and the amount sanctioned in each case ;

(b) whether any loan has been sanctioned for Gurdaspur town, if not, the reasons therefor and the approximate time by which it is likely to be sanctioned ;

(c) the criteria kept in view while sanctioning such loans ?

Sardar Gurbanta Singh (a) Yes; loan of Rs. 4-50 lakhs has been sanctioned for Water supply and Sewerage Schemes at Dalhousie and Dinanagar falling in Gurdaspur District under National Watersupply and Sanitation Programme during 3rd Five year Plan. The name of Schemes and the amount sanctioned for each is given below :—

(1) Water Supply Scheme Dalhousie : Rs. 1.50 lacs.
(2) Sewerage Scheme Dinanagar : Rs. 3.00 lacs.

(b) No; because the estimate for Sewerage Scheme, Gurdaspur, had not been got approved administratively by the local body from the Sanitoary Board, Punjab, till May, 1963. The demand of Municipal Committee, Gurdaspur for loan will be considered when received.

(c) The loan is sanctioned by the Local Government Department on the recommendations of the Public Health Branch. The loan is generally recommended for those Muncipal Committees whose Water supply or Sewerage Schemes are in progress or likely to be executed during the course of the year.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ

(At this stage, Shri Jagan Nath rose in his seat)

Mr. Speakar : You cannot rise up just like a baloon. Let the Hon.ble Member first complete his supplementary.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਨਾਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ । ਜਦ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

श्री जगन नाथ : ग्रान ए प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर, सर। जो जवाब मास्टर जी ने पढ़ा है मेरी समझ में नहीं ग्राया कि उन्होंने क्या ग्रंग्रेज़ी बोली है । किसी ग्रौर से पढ़वा देते । जब समझ ही नहीं ग्राया तो सप्लीमेंटरी क्या करेंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : No, no. यह ठीक नहीं, क्या ग्राप को ग्रंग्रेज़ी ग्राती है ? (No, no. It is not desirable. Does the hon'ble Member know English ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਕੀਮ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਬਟਾਲੇ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। (Masterji, both the hon. Member and myself know the reasons for that.)

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गुरदासपुर के हलके से ग्रसैंबली के कौन मैंबर हैं ?

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਚਾਰ ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਨੇ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਲੋਨ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਇਟੀਰੀਆ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਖਿਸਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Please, please. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ (Please, please. It dose not behove the hon. Minister to make such remarks).

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਵੀ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ....ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਗਰ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੰਸਿਡਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਭਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,, ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

(ਹਾਸਾ)

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ (ਹਾਸਾ)

कामरेड राम किशन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अर्बन वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम के तहत लाईफ इंशोरैंस कार्पोरेशन से आप को जो लोन मिलता है उस को किस तरह से तकसीम किया जाता है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਉ, ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब लाईफ इशोरैंस कार्पोरेशन के पास लोन देने के लिए सफिशैंट फंड्ज़ हैं तो क्या गवर्नमैंट इस बात के लिए अरेंजमैंट कर रही है कि सैनेटरी प्वायंट आफ व्यू और वाटर सप्लाई के प्वायंट आफ व्यू लोकल बाडीज़ अपने पांव पर खड़ी हो सकें ?

मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया है कि इस के लिये क्या प्रोसीजर है । जब किसी म्यूनिसिपल कमेटी को लोन की ज़रूरत होती है तो वह एक रैज़ोल्यूशन पास करती है। वह रैज़ोल्यूशन सैनेटरी बोर्ड में पेश होता है और जैसा कि आप को मालूम है सैनेटरी बोर्ड में मेरे दोस्त एम. एल. एज़. भी शामिल हैं। जब वह सैनेटरी बोर्ड में पास हो जाता है तो फिर हम उस को कंसिडर करते हैं। जब तक पहिले वाली सारी फारमैलिटीज़ को पूरा न कर लिया जाए हम नहीं कर सकते । कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा म्यूनिसिपल कमेटियों को कर्ज़ा दिया जाए ताकि वह अपने हालात ठीक कर सकें।

श्री बलरामजी दास टण्डन : मेरा सवाल कुछ और था और मनिस्टर साहिब ने जवाब कुछ और ही दे दिया है। या तो मैं अपनी बात को क्लियर नहीं कर सका या वह मेरी बात को समझ नहीं पाए।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें ठीक हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा सवाल यह था कि जब एल. आई. सी. के पास सफिशैंट फंड्ज़ हैं तो क्या गवर्नमैंट इस स्टेट के अन्दर यह हिदायात करेगी कि उन को इस मकसद के लिये पूरी तरह से अवेल किया जाए। क्या इस सिलसिले में गवर्नमैंट उन की मदद करेगी ?

मन्त्री : उन्होंने हमें कोई फंड्ज़ नहीं दिए और न ही हमारे पास हैं। जितने फंड्ज़ हैं वह लिमिटिड हैं।

WATER WORKS IN CERTAIN VILLAGES IN HISSAR DISTRICT.

*4825. **Shri Amar Singh**: Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state —

(a) whether Government is aware of the fact that the Water Works provided at villages Data, Ugulan, Mirzapur and Kharakara Bhatol, tehsil Hansi, district Hissar, are not functioning at present, if so, the steps, if any, proposed to be taken in this connection ;

(b) the total cost incurred on each of the said water-works separately ?

Sardar Darbara Singh : (a) Water-Supply Scheme for village Data in Hissar District has been completed and put into commission. There is no scheme for any village named Mirzapur. The Water-Supply Schemes for villages Ugulan and Kharakara Bhatol will be completed by the 15th April, 1964.

(b) The total cost incurred on each of the above schemes is given below :—

Name of the Work	*Up to date expenditure*
Water-Supply Scheme for village Data in District Hissar ..	Rs 91,984.00
Water-Supply Schemes for group of villages Ugulan, Bakluna and Rangran in District Hissar ..	Rs 1,41,230.00
Water-Supply Scheme for group of villages Bhatol Jattan, Bhatol Rangran, Jitpur and Kharakara Bhatol in district Hissar ..	Rs 1,47,362.00

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ : ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਨ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। **ਕੀ** ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪਰੈਲ, 1964 ਤਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

Mr Speaker This is a matter of policy. It does not arise out of the main question.

REMOVAL OF MUNICIPAL COMMISSIONERS

***4557 Commrade Shamsher Singh Josh** (*put by* **Comrade Makhan Singh Tarsika) :** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state :—

(a) the number of Municipal Commissioners removed by the Government in the State during the years, 1960, 1961, 1962 and 1963 respectively ;

(b) the number of Municipal Commissioners referred to in part (a) above who filed writ petitions before the High Court ;

(c) the number of cases in which the petitions were accepted by the High Court and orders of the Government were set aside ;

(d) whether in any of the cases referred to in part (a) above the Government reversed its orders on its own, if so, their number ?

Sardar Gurbanta Singh :

(a) Year 1960 .. 20

Year 1961 .. 19

Year 1962 .. 17

Year 1963 .. 34

(b) 46

(c) 10

(d) Yes, in 11 cases

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन मैम्बरान को म्युनिसिपल कमेटियों से हटाया गया है उन से ऐसे कितने मेम्बरान हैं जिन को बगैर वजह बताए या उन का एक्सपलेनेशन काल किए हटा दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਅਲਗ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਉ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह तो ठीक है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार हासिल है कि वह किसी मेम्बर कमेटी को रिमूव कर सकती है लेकिन इस का क्या कारण है कि पहले तो उस को हटा दिया और फिर रीइनस्टेट कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : यह कहते हैं कि गवर्नमेंट को जब एहसास हो जाए कि किसी मेम्बर को गलती से हटाया गया है तो उसे यह रीइन्स्टेट कर देती है। (The hon. Minister means to state that when the Government feels that the removal of some member was wrong, he is reinstated.)

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहब, यह बात नहीं है। असल बात और है। अम्बाला शहर में एक मेम्बर इलेक्ट हो गया था लेकिन उस को पहले गजट नोटीफिकेशन यह करने को तैयार नहीं हुए लेकिन जब उस ने अपने आप को कांग्रेसी डिक्लेयर किया तो उस की इलैक्शन नोटीफाई कर दी गई।

Mr. Speaker : It is an insinuation.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : This is a fact, Sir.

श्री अध्यक्ष : क्यों, मास्टर जी, क्या यह ठीक है ? (Is it correct, Master ji ?)

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ?

Mr. Speaker : The hon. Minister cannot go into the details of each case.

Sardar Gurcharan Singh : Sir, it is a fact that the Government received a contempt of court notice in that case. He should state th exact position.

Mr. Speaker : Does the hon. Member mean that the Minister is an encyclopedia ? He has to go through the case before giving the information to the House.

Sardar Gurnam Singh : Far from that. He cannot be.

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ? ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (There is no doubt that the standard of public life is falling.)

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਲਗਿਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ । (The hon. Member wants to know whether any member belonging to the Government party has also been removed. The hon. Minister should give reply to this question.)

श्री फतेह चन्द विज : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह जो मैम्बर रिमूव किए गए हैं क्या इन में वह मेम्बर भी हैं जो इलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन इन की इलेक्शन की गजेट नोटीफिकेशन जारी नहीं की गई ?

मंत्री : इस के लिए आप नोटिस दे दें।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਢਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਕਢਿਆ ਹੈ ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੁਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਆਦਮੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਕੇ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਸ਼ਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

Sardar Gurdial Singh Dhillon : This is highly unsatisfactory reply.

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या यह हकीक्त है कि विरोधी दल के सदस्य श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री को एम. एल. ए. बनने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी की मेम्बरी से सरकार ने अलग कर दिया था लेकिन इस बारे में हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया कि यह फैसला अल्टरा वायर्ज़ है।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਕੇਸ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਿਊਂਨਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀ-ਹੋਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੁਡਿਸ ਕੇਸ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੀਤੀ ਹੈ ।

MUNICIPALITIES

***4558. Comrade Shamsher Singh Josh** (Put by Comrade Makhan Singh Tarsika)**:** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state :—

(a) the number and names of Municipalities in the State at present ;

(b) the number of Municipalities which stand superseded and which are being administered by the Government appointed Administrators at present ?

Sardar Gurbanta Singh :

(a) A statement is as follows.

(b) 12.

STATEMENT

Number and Names of Municipalities in the State at present.

Total No. 169

Serial No.	Names	Serial No.	Names
1.	Hissar	13.	Jhajjar
2.	Bhiwani	14.	Beri
3.	Sirsa	15.	Bahadurgarh
4.	Dabwali	16.	Sonepat
5.	Hansi	17.	Mehm
6.	Tohana	18.	Gohana
7.	Jakhal	19.	Gurgaon
8.	Uklana Mandi	20.	Rewari
9.	Loharu	21.	Palwal
10.	Kalann wali	22.	Hodal
11.	Fatehabad	23.	Ferozepur Jhirka
12.	Rohtak	24.	Ballabgarh

Serial No.	Names	Serial No.	Names
25.	Faridabad	88.	Muktsar
26.	Sohna	89.	Zira
27.	Farrukh Nagar	90.	Moga
28.	Hailey Mandi	91.	Malaut
29.	Patandi	92.	Tankanwali
30.	Bawal	93.	Talwandi Bhai
31.	Nuh	94.	Gidderbaha
32.	Karnal	95.	Guru Har Saha
33.	Panipat	96.	Dharamkot
34.	Kaithal	97.	Jalalabad
35.	Thanesar	98.	Gurdaspur
36.	Shahabad	99.	Dina Nagar
37.	Gharaunda	100.	Batala
38.	Pundri	101.	Qadian
39.	Pehowa	102.	Pathahkot
40.	Ladwa	103.	Dalhousie
41.	Radaur	104.	Dhariwa'
42.	Ambala City	105.	Siri Har Gobindpur
43.	Jagadhri	106.	Fatehpur Churian
44.	Yamunanagar	107.	Dehra Baba Nanak
45.	Rupar	108.	Sujanpur
46.	Kalka	109.	Narot Jaimal Singh
47.	Chhachhrauli	110.	Amritsar
48.	Buria	111.	Jandiala
49.	Morinda	112.	Chheharata
50.	Kharar	113.	Patti
51.	Kurali	114.	Khem Karan
52.	Sadhaura	115.	Taran Taran
53.	Nalagarh	116.	Majitha
54.	Simla	117.	Ram Dass
55.	Dharamsala	118.	Patiala
56.	Kangra	119.	Nabha
57.	Palampur	120.	Rajpura
58.	Nurpur	121.	Dera Basi
59.	Sultanpur (Kulu)	122.	Sanaur
60.	Hoshiarpur	123.	Banur
61.	Urmar Tanda	124.	Bassi
62.	Sham Chaurasi	125.	Samana
63.	Garhdiwala	126.	Sirhind
64.	Hariana	127.	Payal
65.	Dasuya	128.	Doraha
66.	Mukerian	129.	Amloh
67.	Una	130.	Gobindgarh
68.	Anandpur Sahib	131.	Sangrur
69.	Garhshankar	132.	Jind
70.	Jul undur	133.	Safidon
71.	Kartarpur	134.	Malerkotla
72.	Nakodar	135.	Ahmedgarh
73.	Phillaur	136.	Barnala
74.	Nurmahal	137.	Sunam
75.	Nawan Shahar Doaba	138.	Longowal
76.	Banga	139.	Bhawanigarh
77.	Alwalpur	140.	Julana
78.	Adampur	141.	Bhadaur
79.	Rahon	142.	Tapa
80.	Ludhiana	143.	Dhanaula
81.	Jagraon	144.	Narwana
82.	Raikot	145.	Uchana
83.	Khanna	146.	Lehragaga
84.	Samrala	147.	Dhuri
85.	Ferozepore	148.	Bhatinda
86.	Fazilka	149.	Faridkot
87.	Abohar	150.	Kotkapura

[Local Government and Welfare Minister]

Serial No.	Names	Serial No.	Names
151.	Rampura Phul	161.	Bhuchu Mandi
152.	Mansa	162.	Kapurthala
153.	Raman	163.	Phagwara
154.	Kot Fatta	164.	Sultanpur
155.	Sangat	165.	Mahendergarh
156.	Maur	166.	Charkhi Dadri
157.	Goniana	167.	Narnaul
158.	Jaitu	168.	Ateli
159.	Budhlada	169.	Kanina
160.	Baretta		

ANNEXURE 'B'

List of Municipal Committees which stand superseded up to January, 1964.

1.	Talwandi Bhai	7.	Samrala
2.	Narnaul	8.	Pataudi
3.	Pundri	9.	Majitha
4.	Tankanwali	10.	Kapurthala
5.	Malerkotla	11.	Ahmedgarh
6.	Hansi	12.	Ludhiana

ELECTION TO MUNICIPAL COMMITTEES, AMRITSAR

***4559. Comrade Shamsher Singh Josh** (Put by Comrade Makhan Singh Tarsika) : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state —

(a) the date when elections to the Amritsar Municipal Committee were held last ;

(b) the time by which Government propose to hold fresh elections to the said Committee ?

Sardar Gurbanta Singh :

(a) 27th May, 1953.

(b) Government intend to set up a Municipal Corporation in Amritsar Elections will be held for this purpose as soon as the Punjab Municipal Corporations Bill, 1963 becomes law. The Bill was introduced in Vidhan Sabha on the 9th September, 1963 and referred to the Regional Committees for report by 31st October, 1964.

श्री बलरामजी दास टन्डन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जैसा इस सवाल के पहले हिस्सा में पूछा गया है कि सरकार कब चुनाव कराएगी, सरकार कोई टाइम निश्चित कर दे कि फलां तारीख तक यह वहां के इलेक्शन करा देगी चाहे बिल पास हो या न हो यह उस तारीख तक वहां के इलेक्शन करा देगी ? इस तरह से अनलिमिटिड टाइम लेने की बजाए कोई तारीख बतला दें ;

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਲਗਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : यह तो आप दस साल से कहते आ रहे हैं कि जब बिल पास होगा तब इलेक्शन कराएंगे। इस तरह से सरकार टालमटोल करती आ रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि यह बात ठीक है कि पिछली असैम्बली के वक्त से यह यही बात करती आ रही है और इलेक्शन नहीं करा रही। 1957 से जब से मैं इस हाउस का मेम्बर बना हूँ यह यही कहते आ रहे हैं कि कार्पोरेशन बनाएंगे फिर इलेक्शन कराएंगे। इस दौरान में दो बार असैम्बली के इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन उस कमेटी का 1953 के बाद एक बार भी नहीं हुआ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ। (He has stated that the Bill is with the Regional Committees.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਪੀਰਿਅਡ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪੈਲਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਲ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਏਰੀਆ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ। (ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਉਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। (That day the hon. Member had enquired whether the Government was going to hold elections in a part of that area which would form part of the Amritsar Co-operation and if so, the reasons therefor.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਛੇਹਰਟੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਛਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker: Then why not in Amritsar ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦ ਕਿਥੇ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Sardar Gurnam Singh : What is the approximate date when the Government expect to hold elections under the Corporation Act for that place ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ।

Sardar Gurnam Singh: What are the reasons for the Government for not holding elections to that local body under the present Municipal Act?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਬਿਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਰਟਨਲੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

(*At this stage some hon. Members rose to ask more supplementaries to this question*).

Mr. Speaker ; I think we have enough of supplementaries to this question.

Sardar Gurdial Singh Dhillon: Mr. Speaker, elections which are normally held after about three or five years are due in Amritsar for the last eleven years. Everybody knows the demarcation of the proposed Corporation for Amritsar, and everybody knows that Chheharata and Sultanwind falls within that area. But the Minister is mentioning or putting very strange and incongruous position before the House.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : मिनिस्टर साहिब, रिजनल कमेटियों को बुलाना सरकार के अपने हाथ में हैं और सब-कमेटी को प्रिजाइड भी खुद वज़ीर साहिब ही करते हैं, असैम्बली की मीटिंग भी सरकार ही बुलाती है और यह भी इस ने ही तय करना है कि कब बिल पास करना है आर्डीनैंस भी सरकार की सिफारिशात के मुताबिक ही बनती हैं। तो क्या वह इस बिल को पास करने के लिये कोई टाइम लिमिट तय करेगी ?

मन्त्री : मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यह सहयोग दें (हंसी) उस के बाद असैम्बली में लाकर पास करवा लेंगे। मगर जब तक यह पास नहीं होता तब तक यही बात रहेगी। (रैव्न्यू मिनिस्टर की तरफ से विघ्न)

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। सरकार जो भी आर्डीनैंस इशू करती है वह हमारे सहयोग से ही इशू करती है, जो बिल बनाती है वह भी हमारे सहयोग से ही करती है, पास भी हमारे सहयोग से ही कराती है, उस के बिना कुछ नहीं करती। न कोई चीज़ पेश करती है और न ही पास करती है। क्या ऐसी ही पोजीशन है? क्या उस के बिना इन्होंने कोई काम नहीं किया?

मन्त्री : यह अपने आप से पूछ लें।

PRESIDENTS, VICE PRESIDENTS AND MUNICIPAL COMMISSIONERS REMOVED FROM THEIR OFFICES

***4717. Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of Municipal Commissioners, Presidents, and Vice Presidents of Municipal Committees in the State removed from their offices during the period from January, 1962 to December, 1963 and the names of the Municipal Committee concerned;

(b) the total number of Municipal Commissioners disqualified during the said period for contesting the Municipal elections and the period for which each of them was disqualified together with the reasons therefor;

(c) the number of Municipal Commissioners referred to above whose writs or appeals were accepted by High Court and the names of the Municipal Committees to which they belonged; alongwith the details of the action taken thereafter by Government in each such case?

SARDAR GURBANTA SINGH :

(a) 55
(b) 49
(c) 9

For detailed information, a statement is laid on the Table of the House.

Serial No.	Name of the Member	Name of the M. C.	Designation	Removed from Presidentship, Vice Presidentship or membership or both	Period of qualification, if any	Reasons for removal	Cases where writ petitions were accepted by the High Court	Further action taken by Government
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Shri Siri Krishan	Kharar	President	Both	3 years	Abuse of power	..	..
2.	Shri Raj Kanwar	Rewari	Vice President	Do	2 years	Ditto	Accepted	..
3.	Shri Ram Singh	Do	Member	Membership	Do	Ditto	Do	..
4.	Shri Om Parkash Agnihotri	Phagwara	Do	Do	3 years	Ditto	Do	Govt. have decided to file L.P.A.
5.	Shri Bhagat Ram Palanga	Do	Do	Do	Ditto	Ditto	Do	Ditto
6.	Shri Mahabir Sarup	Jind	President	Both	Ditto	Ditto	..	..
7.	Shri Kastur Chand	Barnala	Member	Membership	Ditto	Ditto	..	..
8.	Shri Hans Raj Bhandari	Gharaunda	Do	Do	2 years	Ditto	Accepted	Govt. have decided to file L.P.A.
9.	Shri Sohan Lal	Bhuchomandi	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
10.	Shri Kartar Singh	Maur	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
11.	Shri Sadhu Singh	Do	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
12.	Shri Dalip Singh	Do	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..

13.	Shri Basant Singh	Maur	President	Both	2 years	Abuse of power	..	..
14.	Shri Rameshwar Dass	Talwandi Bhai	Member	Membership	1 year	Absence from the meeting of the Committee for more than 3 consecutive months	..	..
15.	Shri Dalip Singh	Ditto	Do	Do	Ditto	Abuse of power	..	..
16.	Shri Narsingh Dass Chhabra	Rohtak	Do	Do	3 years	In public interest	..	..
17.	Shri Sadhu Ram	Nurmahal	Vice President	Both	Ditto	Abuse of power & absence from the meetings of the Committee for more than 3 consecutive months	..	..
18.	Shri Mehar Chand	Mahandragarh.	Member	Membership	1 year	In public interests	..	..
19.	Shri Parma Nath Tuli	Rohtak	Do	Do	3 years	Ditto	..	..
20.	Shri Hit Abhiashi	Budhladda	President	Both	..	Ditto	Accepted	..
21.	Shri Karam Chand	Mansa	Member	Membership	1 year	Absence from the meeting of the Committee for more than three consecutive months	..	..
22.	Shri Mool Chand	Bawal	President	Both	..	In public interest	..	..
23.	Shri Gopi Chand	Faridkot	Do	Do	2 years	Abuse of power	..	..
24.	Shri Daulat Ram	Gharaunda	Member	Membership	2 months	Ditto	..	..
25.	Shri Mukh Ram	Hissar	Do	Do	2 years	Ditto	..	..
26.	Shri Balwant Raj Uppal	Nurpur	Do	Do	2 years	blic interests	..	..
27.	Shri Ram Lal	Kurali	Do	Do	1 year	Ditto	..	..

Serial No.	Name of the Member	Name of the M.C.	Designation	Removed from Presidentship/ Vice Presidentship or membership or both	Period of qualification, if any	Reason for removal	Cases where writ petitions were accepted by the High Court	Further action taken by Government
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Shri Harish Chander	Kurali	Member	Membership	1 year	In public interest	..	..
29.	Shri Udmi Ram	Ambala	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
30.	Shri Chet Ram, s/o Sheoji	Bawal	Do	Do	1 year	Absence from the meetings of the M.C. for more than three consecutive months	..	..
31.	Shri Karan Singh	Fridabad	Do	Do	2 years	Convicted by the Civil Court (defect of character)	..	..
32.	Shri Dalip Singh	Beri	Do	Do	Ditto	Abuse of power	..	..
33.	Shri Bachan Singh, Jandoo	Barnala	President	Both	Ditto	Ditto	..	..
34.	Shri Tej Ram	Do	Member	Membership	Ditto	Ditto	..	..
35.	Shri Inder Parkash	Hariana	Do	Do	1 year	Absence from the meeting of the Committee for more than three consecutive months	..	..
36.	Shri Ram Kishan	Sham Chaurasi	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
37.	Shri Bannu Ram	Karnal	Do	Do	Ditto	In public interests	..	..
38.	Shri Narauta Ram	Budhladda	Do	Do	Ditto	Abuse of power	Accepted	Government have decided to file L. P. As.

39.	Shri Sugne Ram	Budhladda	Member	Membership	one year	Abuse of power	Accepted	Government have decided to file L.P.As.
40.	Shri Nidhan Singh	Talwandi Bhai	President	Both	Ditto	Ditto	..	..
41.	Shri Kanshi Ram	Ditto	Vice President	Do	Ditto	Ditto	..	..
42.	Shri Chanan Singh	Ditto	Member	Membership	Ditto	Ditto	..	..
43.	Shri Mehar Chand	Ditto	Vice President	Both	Ditto	Ditto	..	..
44.	Shri Siri Chand	Charkhi Dadri	Member	Membership	Ditto	Ditto	..	..
45.	Shri Sardar Singh	Ditto	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
46.	Shri Chattar Bhuj	Ditto	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
47.	Shri Bhagwan Dass	Ditto	Do	Do	Ditto	Ditto	..	..
48.	Shri Satya Dev	Meham	Do	Do	2 years	Ditto	Accepted	Government have decided to move the High Court for grant of leave of appeal in Supreme Court
49.	Shri Kirpal Singh	Patiala	Do	Do	1 year	Ditto	..	..
50.	Shri Rameshwar Dass	Do	Do	Do	Ditto	Absence from the meeting of the Committee for more than three months	..	..
51.	Shri Piara Singh	Sanaur	Do	Do	Ditto	Abuse of power	..	..
52.	Shri Khushi Ram	Kurali	President	Presidentship	..	No confidence	..	..
53.	Shri Sain Ditta	Meham	Do	Do	..	Do	..	..
54.	Shri Devki Nandan	Mahendragarh	Do	Do	..	Do	..	..
	hri Raja Singh Kohli	Shahabad	Do	Do	..	Do	...	..

श्री राम किशन : जो स्टेटमेंट दी गई है उस में दर्ज है कि 55 ऐसे प्रेज़ीडेंट, वाइस प्रेज़ीडेंट वगैरह रिमूव किये गए हैं और 9 ऐसे हैं जिन की अपीलें मन्ज़ूर हुई हैं। क्या मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जब उन को हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने उन को रीइन्स्टेट कर दिया है तो क्या उन को बहाल कर दिया गया है, अगर नहीं किया गया तो इस के क्या कारण हैं?

मन्त्री : कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें हुई हैं इस लिये इन के मुताल्लिक कुछ कहना मुनासब नहीं है।

श्री राम किशन : जिन केसों में अपीलें हुईं और एक्सैप्ट हो गईं उन के मुताल्लिक सरकार की क्या पोज़ीशन है?

गृह मन्त्री : नार्मली अगर हाई कोर्ट का फैसला उन के हक में हो जाए तो रैस्टोरेशन उसी डेट से हो जाती है। इस लिए जब तक हाई कोर्ट का आर्डर सामने नहीं आता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट का आर्डर अलट्रावायर्ज़ न हो तो it means restoration of the membership from the date of removal.

श्री राम किशन : वज़ीर साहिब ने इस जवाब में कहा है कि इन 55 आदमियों में से जो 10 रिमूव किये गए हैं वह इन दी पब्लिक इन्टरैस्ट किये गए हैं। क्या वह बताएंगे कि यह पब्लिक इन्टरैस्ट क्या है?

Home Minister : Sir, it will depend upon an individual case. The position varies from case to case. If the hon. Member is interested to know about any individual case, a separate notice will be required to supply detailed information.

Mr. Speaker : Question hour is over. Supplementaries to this question will continue tomorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT AND ITS SUBORDINATE OFFICES

1364. **Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Home Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in class I, II, III and IV posts separately in the Legislative Department and its subordinate offices together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category.

Shri Mohan Lal : A statement giving the requisite information is nclosed.

STATEMENT

Classs of the Post	Total number of posts	No. of Scheduled Castes and Backward Classes with names and their dates of appointments	Percentage	Percentage of the posts reserved for Scheduled Castes and Backward Classes
Class I	3	Nil	Nil	20 % for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 2% for Backward Classes for each class of Government Servants.
Class II	34	Nil	Nil	
Class III	66	8 (1) Shri Kundan Lal (4th December, 1963)	12 %	...
		(2) Shri Swaran Singh (15th August, 1957)		...
		(3) Shri Nachhatar Singh (6th September, 1962)		...
		(4) Shri Bachan Singh (20th June, 1962)		...
		(5) Shri Harnek Singh (5th September, 1952)		...
		(6) Shri Chanan Singh (28th March, 1961)		...
		(7) Shri Bachan Singh (19th October, 1951)		...
		(8) Shri Karnail Dass (29th November, 1944)		...
Class IV	41	10 (1) Shri Changa Ram (23rd October, 1953)	24 %	...
		(2) Shri Khushi Mohammad (27th April, 1950)		...
		(3) Shri Jai Singh (12th January, 1954)		...
		(4) Shri Beg Raj (1st February, 1959)		...
		(5) Shri Munsha Singh (4th May, 1962)		...
		(6) Shri Atma Singh (14th December, 1960)		...
		(7) Shri Ram Sarup (178 2004 BK./1947 A.D.)		...
		(8) Shri Ram Pher (23rd December, 1960)		...
		(9) Shri Karam Chand, (11th January, 1961)		...
		(10) Shri Umrao Singh, (11th December, 1961)		...

* * * *

DEGREE COLLEGE WITH M. A. CLASSES IN HINDI/PUNJABI REGIONS IN THE STATE

1481. Pandit Charanji Lal Sharma : Will the Home Minister, be pleased to state the names of the places in the State Regionwise where Government Colleges are running M. A. classes together with the reasons, for the difference, if any, between the number of such colleges in the Hindi and Punjabi Regions.

Shri Mohan Lal : The regionwise position is as under ;—

Punjabi Region.

(i) Mahendra College, Patiala.

(ii) Government College, Ludhiana.

(iii) Government College, Hoshiarpur.

Hindi Region.

(i) Government College, Rohtak.

Bilingual.

(i) Government College for Women, Chandigarh.

The disparity is mainly due to historical reasons and can be ascribed to the early educational development of the Punjabi Region, which had well-established Colleges, with adequate accommodation and library facilities.

ALLOTMENT OF SURPLUS LAND TO EJECTED TENANTS

1483. Shri Chandi Ram Verma : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the total number of tenants ejected in the State, tehsilwise during the period from 15th August, 1947 to 31st January, 1964.

(b) the total area of land declared as surplus in each tehsil in the State during the said period together with the the number of tenants allotted land out of the said surplus area and the area of land so allotted to each ;

(c) the total number of ejected tenants, tehsilwise, who have not been allotted any land so for during the period mentioned in part (a) above ?

Sardar Ajmer Singh : (a), (b) and (c) The time and labour involved in collecting and compiling the information would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

---

*Note :—Unstarred Questions No. 1365, 1375, 1376 and 1486 along with there replies are printed in the Appendix to this debate.

ARMS LICENCES

1487. Sardar Tej Singh : Will the Home Minister be pleased to State :—

(a) The total number of arms licences granted in the State, between January, 1962 to December, 1963 ;

(b) the number of licences mentioned above granted for pistols double barrelled guns and single barrelled guns, separately ;

(c) the names and addresses of persons, district-wise, who were given the said licences ?

Shri Mohan Lal : It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be dully looked into.

TOURS BY THE SETTLEMENT OFFICERS (CONSOLIDATION), ROHTAK

1490. Chaudhri Inder Singh Malik : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the names of places visited on official business by the Settlement Officer (Consolidation) Rohtak from September, 1963 to date, datewise, and the amount of T. A. drawn or yet to be drawn by him for each such visit ;

(b) whether the visits refferred to in part (a) were in accordance with the approved tour programmes, if not, the reasons therefore in each case, separately ?

Sardar Ajmer Singh : (a) A statement showing the names of places visited on official business by the Settlement Officer (Consolidation) Rohtak from September, 1963 to date (February, 1964), datewise, is placed on the Table of the House. The amount of T. A. drawn by him for each month during this period is as follows :—

		Rs. n.P.
1.	September, 1963	128.69
2.	October, 1963	75.00
3.	Novemqer, 1963	95.00
4.	December, 1963	69.00
5.	January, 1964	117.37
6.	February, 1964	87.50 (yet to be prepared)

According to instructions T. A. Bills are prepared on monthwise basis and not for each tour/visit separately.

(b) The tours were undertaken in accordance with the approved Tour Programmes.

STATEMENT

[Revenue Minister]

Date	From	To
	September, 1963	
1st September, 1963	Rohtak	Nagar (Gohana)
2nd September, 1963	Nagar	Bidhal, Juali, Lath and back Nagar
3rd September, 1963	Nagar	Bidhal, Bhainswal-Kalan Bewela, Bhainswal Kalan Mithan and back Nagar
3rd September, 1963	Nagar	Rohtak
6th September, 1963	Rohtak	Rithal, Gewana, Jasrana and back Rithal
7th September, 1963	Rithal	Rewara, Anwali, Billbilan
7th September, 1963	Rithal	Rohtak
9th September, 1963	Rohtak	Rithal, Katwal and back Rithal
10th September, 1963	Rithal	Bali and back Rithal
10th September, 1963	Rithal	Rohtak
13th September, 1963	Rohtak	Ghillaur Kalan, Khurd Rukhi and back Rohtak
14th September, 1963	Rohtak	Puthi and back
17th September, 1963	Rohtak	Nagar, Rabra, Kalena Dhadri and back Nagar
18th September, 1963	Nagar	Kheri-Damkan, Mahra, Puthi and back Nagar
19th September, 1963	Nagar	Bhadhothi, Mahmoodpur and back Rohtak
20th September, 1963	Rohtak	Bahadurgarh
21st September, 1963	Bahadurgarh	Rohtak
22nd September, 1963	Rohtak	Rithal and back
23rd September, 1963	Rohtak	Rithal and back
23rd September, 1963	Rohtak	Smalkha
24th September, 1963	Smalkha	Balana, Shera and back Smalkha
25th September, 1963	Smalkha	Panipat and back Rohtak
26th September, 1963	Rohtak	Puthi, Nagar Anayat and back Nagar
27th September, 1963	Nagar	Rohtak
27th September, 1963	Rohtak	Matanhail and back
28th September, 1963	Rohtak	Anayat and back
30th September, 1963	Rohtak	Chandigarh
	October, 1963	
1st October, 1963	Chandigarh	Panipat. (2nd October, 1963)
2nd October, 1963	Halt at Panipat	Puthar, Rishpur and back
3rd October, 1963	Panipat	Panipat and then Rohtak
4th October, 1963	Rohtak	Bahadurgarh
5th October, 1963	Bahadurgarh	Rohtak
8th October, 1963	Leave	
9th October, 1963	Joint at Panipat from leave.	
10th October, 1963	Halt at Panipat	
11th October, 1963	Panipat	Shahpur and back Rohtak
12th October, 1963	Rohtak	Ajaib and Behlba and back Rohtak

Date	From	To
	October, 1963—concld.	
13th October, 1963	Rohtak	Behlba and back
15th October, 1963	Rohtak	Kahni and back
16th October, 1963	Rohtak	Kahni and Nagar
17th October, 1963	Halt at Nagar	
18th October, 1963	Nagar	Sonepat and Rohtak
19th October, 1963	Rohtak	Jhajjar and back
21st Oetober, 1963	Rohtak	Mohem
22nd October, 1963	Halt at Mohem.	
23rd October, 1963	Mehem	Rohtak
24th October, 1963	Rohtak	Mohem
25th October, 1963	Mohem	Rohtak
	November, 1963	
6th November, 1963	Rohtak	Nagar
7th November, 1963	Nagar	Mundlana Nagar, Balana and Nagar
8th November, 1963	Nagar	Kasanda and back
9th November, 1963	Nagar	Chathera etc. and then Rohtak
11th November, 1963	Rohtak	Samalkha
12th November, 1963	Smalkha	Karad and back Samalkha
13th November, 1963	Halt at Samalkha	
14th November, 1963	Samalkha	Rohtak
18th November, 1963	Rohtak	Jhajjar
19th November, 1963	Halt at Jhajjar	
20th November, 1963	Halt at Jhajjar	
21st November, 1963	Jhajjar	Rohtak
22nd November, 1963	Rohtak	Rukhi, Chirana and back Rohtak
23rd November, 1963	Rohtak	Mohem
24th November, 1963	Mohem	Rohtak
26th November, 1963	Rohtak	Nidana and back
27th November, 1963	Rohtak	Chiri and back
28th November, 1963	Rohtak	Shahpur and Nagar
29th November, 1963	Nagar	Mahmoodpur and back
30th November, 1963	Nagar (Gohana)	Rohtak
	December, 1963	
5th December, 1963	Rohtak	Panipat
6th December, 1963	Panipat	Karnal and back.
7th December, 1963	Panipat	Rohtak
9th December, 1963	Rohtak	Rithal
10th December, 1963	Rithal	Gewana and Nagar
11th December, 1963	Nagar	Rohtak
12th December, 1963	Rohtak	Jhajjar
13th December, 1963	Jhajjar	Gudyani and back
14th December, 1963	Jhajjar	Rohtak
22nd December, 1963	Rohtak	Israna and back
26th December, 1963	Rohtak	Nagar-Bhawar and back Nagar

[Revenue Minister]

Date	From	To
	December, 1963—concld.	
27th December, 1963	Nagar	Bachhpari, Rana Kheri and back Rohtak
30th December, 1963	Rohtak	Jhajjar
31st December, 1963	Halt at Jhajjar	
	January, 1964	
1st January, 1964	Jhajjar	Rohtak
3rd January, 1964	Rohtak	Nagar, Khanpur and back Rohtak
11th Junuary 1964	Rohtak	Nagar, Rabra, Anwli and Nagar
12th January, 1964	Nagar	Rohtak
13th January, 1964	Rohtak	Chandi and back
15th January, 1964	Rohtak	Chandigarh
16th January, 1964	Halt at Chandigarh.	
17th January, 1964	Chandigarh	Panipat
18th January, 1964	Panipat	Babail and back Rohtak
21st January, 1964	Rohtak	Samri Buran, Isapur Kheri and Naga
22nd January, 1964	Nagar	Anwali, Nagar, Kurana and back Rohtak
23rd January, 1964	Rohtak	Madina
24th January, 1964	Madina	Rohtak then Bahadurgarh
25th January, 1964	Halt at Bahadurgarh.	
26th January, 1964	Bahadurgarh	Rohtak
27th January, 1964	Rohtak	Samalkha
28th January, 1964	Halt at Samalkha.	
29th January, 1964	Samalkha	Bilaspur and back
30th January, 1964	Halt at Samalkha.	
31st January, 1964	Samalkha	Rohtak via Kharkhsauda
	February, 1964	
5th February, 1964	Rohtak	Jhajjar Shalhowas
6th February, 1964	Jhajjar	Rohtak
8th February, 1964	Rohtak	Rewara, Saragthal
9th February, 1964	Sarangthal	Rohtak
10th February, 1964	Rohtak	Kathura and Nagar
11th February, 1964	Nagar	Khanpur and Rohtak
13th February, 1964	Rohtak	Israna, Chamrara and Israna
14th February, 1964	Israna	Karad, Atta and Israna.
15th February, 1964	Israna	Rohtak
17th February, 1964	Rohtak	Jhajjar
18th February, 1964	Jhajjar	Jharli and back
19th February, 1964	Jhajjar	Rohtak
20th February, 1964	Rohtak	Nagar
21st February, 1964	Nagar	Kheri-Damkan, Saragthal and back
22nd February, 1964	Nagar	Buana-Lakhu, Butana Khetlan and back Rohtak
24th February, 1964	Rohtak	Bainsi and back.
25th February, 1964	Rohtak	Nagar, Barota and Nagar
26th February, 1964	Nagar	Mundlana and Rohtak

*

*Note :— Unstarred Question No. 1491 along with its reply is printed in the Appendix in this debate.

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Speaker : There are a number of adjournment motions. The first one is from Comrade Shamsher Singh Josh ragarding hunger strike by Shri Man Singh etc.

Hunger strike cannot be the subject matter of an adjournment motion. I, therefore, disallow it.

The other motion is from Comrade Gurbakhsh Singh and Shri Bhan Singh Bhaura regarding panic created in the State with the decision of the Punjab Foodgrain Dealers Association etc.

The hon.Members can say about it in their speeches on the Appropriation Bill etc. I disallow the motion.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ! ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁਲ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਅਠ ਆਨੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ 12 ਆਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : The hon Member can say about it in his speech on the Appropriation Bill. The next motion is from Comrade Makhan Singh Tarsikha. It is about Certain papers of Matriculation Examinaion.

It is out of order as it is a matter that concerns the University and atonomous body.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਸਿਕਾ : ਜਨਾਬ, ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ 5 ਲਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਨੰਬਰ ਵਧ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ । ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ (ਏ) ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਏ) ਇਹ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

MR. Speaker : I have disallowed it.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There were a number of *Privilege Motions by Dr. Baldev Parkash, Shri Balramji Dass Tandon, Comrade Ram Chandra and others. I had promised to give my ruling today. I, however, wanted to avoid it. If the House permits, these may be kept pending till some body else......

---

*Note : For previous reference please see P.V.S. debates Vol 1 No. 17, dated 13th March, 1964.

Shri Balramji Dass Tandon : Mr. Speaker, this is your right and so far you are in the Chair, you have to exercise that right.

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker : So far as the breach of privilege of the House is concerned, I am absolutely clear that there is no breach of privilege of the House. If at all there is any breach, it is with regard to the Das Commission. I have gone through the relevant record of the proceedings of the House and all I can say is that it would have been better if the Chief Minister had not used those words.

I, therefore, refuse to give consent to the motions. Consequently the adjournment motions given notice of by Comrades Babu Singh, Gurbakhsh Singh and Shamsher Singh Josh on 13th March, 1964, on this subject Stand disposed of. They are also disallowed.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ । ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੁਰੈਕਟਿਡ ਕਾਪੀ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ । ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਜਣ ਪਾਸੋਂ . . (ਵਿਘਨ)

(ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ: ਅਛਾ ਇਹ ਸਜਨ ਕਹਾਂ ਕੇ ਹੈਂ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਜ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਟੈਗੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

चौधरी देवी लाल : यह मामला स्पीकर साहिब, दास कमीशन के पास भी गया है और दास कमीशन के बारे में इन्हों ने कहा है कि पट्टी की तरह वहां पर भी चपत लगेगी । अगर यहां पर जो इन्हों ने कहा है सही है तो यह प्रिविलेज इशु है । यह तो हाउस की प्रोसीडिंग्ज भी बदला सकते हैं ।

Mr. Speaker: The hon. Member is going beyond limits. He should not bring in my staff.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿਘ ਤ੍ਰਸਿਕਾ: ਜਨ , ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲਖ ਮਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ) (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब यह प्रोसीडिंग्ज भी बदल सकते हैं (विघन)

: No, please. The Chief Minister has no control over my office.

चौधरी देवी लाल : यह तो हमारे सामने कहा है और हमने सुना है ।

Mr. Speaker : I can read out the relevant proceedings,

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

Mr. Speaker : I had asked my office to supply it to the Leader of the Opposition.

Sardar Gurbakhsh : Sir, the Leader the Opposition says that he has not received it.

Mr. Speaker : I had immediately issued ord s that it should be supplied to him.

(interruptions)

Mr. Speaker : This is an important matter and I would request th hon. Members not to lose temper. The Chief Minister has no control over the Reporters here. They are under my charge.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁਸਿਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

Mr. Speaker : The Secretary does not record the proceedings. These are recorded by the Reporters. The hon. Member may please withdraw these remarks.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁਸਿਕਾ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : The Chief Minister should not have used the word "munh par lage ga" because these prejudge the verdict of the Commission.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: "ਮੂੰਹ ਪਰ ਲਗੇਗਾ" ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਲਗੇਗਾ ।

Mr. Speaker, I again submit that neither it was my intention nor these words were used. Sir, you may say so but I beg to differ with your remarks.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जैसा कि आपने फरमाया है कि यह वर्डिक्ट को प्रीजज करता है तो इस से साफ जाहिर है कि इस हाउस के फोरम को मिसयूज़ किया गया है और यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है और यह रिमार्क्स एक्सपंज होने चाहिएं।

Mr Speaker : There has been no breach of privilege of the House.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जनाब, यह तो बहुत सीरियस बात है और यह अल्फाज़ एक्सपंज होने चाहिये।

Voices from Treasury Benches : No, No, (*interruption*) (*Noise*)

Mr. Speaker: It would have been better if these words had not been used by the Chief Minister. I do not agree with what the Leader of the House has said. I will accept what my Reporters have recorded and not what the Leader of the House has said. I have got the relevant record of the proceedings with me.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ......(ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Would you please.........

मुख्य मन्त्री : इन्हों ने यह कहा था कि न्यू इंडिया स्पिन्निग मिल के केस में से दास कमिशन से नहीं निकलेंगे। (*interruptions*) (*Noise*)

चौधरी देवी लाल : मैं ने नहीं कहा, आप रिकार्ड देख लीजिए। (*Interruption*) मिसस्टेटमेंट कर रहे हैं।

Mr Speaker : I have got the hon. Member's speech also with me.

मुख्य मन्त्री : मैं ने कहा था कि मेरा ख्याल है कि न्यू इंडिया मिल के बारे में जो फैसला दास कमीशन देगा वह भी आपके मुंह पर लगेगा। यह मुहावरा था। (*interruptions*)(*Noise*)

This was the correct answer to what the hon. Member had said in his speech. It was not meant for the Commission.

चौधरी देवी लाल : इन्हों ने यह कहा था कि पट्टी के मामले पर चपत लगी है और दास कमिशन के मामले में भी लगेगी। (*interruptions*)

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : चौधरी देवी लाल ने और जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है यह सब आपके सामने है। हम चाहते हैं कि इस के मुताल्लिक जो भी आप अपना रूलिंग देना चाहते हैं वह दें।

Mr. Speaker : I have given my ruling that there is no breach of privilege of the House.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

Mr. Speaker : I am not concerned with what Chaudhri Devi Lal has said, "ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣਾ" ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, that is the interpretation which I can put on these words.

चौधरी देवी लाल : लीडर आफ दी हाउस ने कहा है, कि देवी लाल ने यह कहा है 'कि न्यू इंडिया स्पिन्निंग मिल्ज़ के मामले में आप निकल नहीं पाएंगे" । दरअसल यह बात बढ़ी उस वक्त थी जब इंडस्ट्री की डीमांड पर स्पीच हो रही थी और मैं ने सी. एम. से पूछा था कि न्यू इंडिया स्पिन्निंग मिल्ज़ के मामले में आपकी क्या राय है। इस पर उन्हों ने जवाब दिया था कि पट्टी के मामले में तुम्हारे जो चपत लगी है वह दास कमिशन में भी लगेगी।

Chief Minister : No, No.

Mr. Speaker : The word "ਚਪਤ" has not been used.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : अगर किसी कोर्ट के विरुद्ध कोई बात कही जाये, और वह हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में आ जाये तो आज तक यह कनवैनशन रही है कि यह प्रोसीडिंग्ज़ से एक्सपंज कर दी जाती है। जहां तक आपके रूलिंग का ताल्लुक है, यह कमिशन के अगेन्स्ट जाये या फेवर में जाये इस का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है, यहां तो अपकी फ्री जजमैंट का सवाल है। मगर यह तो सभी जानते हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो स्पीकर उस को ऐक्सपंज करवा दिया करता है। मैं जनाब आपकी इस मामले पर रूलिंग चाहता हूँ कि आप अल्फाज़ एक्सपंज करायेंगे या कि नहीं।

Mr. Speaker : I have already said that it would have been better if the Chief Minister had not used these word. But if he can explain these, I do not see any reason for expunging these.

Chief Minister ; No, Sir. I have already explained. वह तो, स्पीकर साहिब "मुंह की खानी" के अल्फाज़ बतौर मुहावरे के इस्तेमाल किये थे । I never meant that. (*interruption*)

श्री बलरामजी दास टंडन : मुहावरे का मतलब यह नहीं है कि उस का कोई अर्थ ही ना निकले आप ने मुहावरा यह इस्तेमाल किया है कि आप के मुंह पर चपत लगेगी । ऐसा तो कोई मुहावरा हो नहीं सकता जो बे मतलब हो।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

Mr. Speaker : Yes, there is no breach of privilege of the House.

Minister for Revenue : Mr. Speaker, in courts we hear every body saying that it is my conviction that the case will go in my favour. So far as Das Commission is concerned it will not be proper to say anything here. So far as this House is concerned you have been pleased to observe that there is no breach of privilege of the House. The matter should end here.

Chaudhri Hardawari Lal : Mr. Speaker, I also gave notice of a Privilege *motion with regard to this episode. It will be as good if you consider it along with these motions and give your ruling.

Mr. Speaker : I have not admitted those motions.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, my motion is entirely different and I would like to say something about it.

Mr. Speaker : I have already given my ruling.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, my motion is different from those.

Mr. Speaker : Your motion also states—"........the findings of the Das Commission will be a slap on the face of the Opposition......".

But these words have not been used in the actual reporting.

चौधरी हरद्वारी लाल : सपीकर साहिब, जैसा भी उन्हों ने कहा है चाहे वह मुख्तलिफ लहजों में कहा हो मैं मानता हूँ कि यह हाउस की तौहीन नहीं है और मैं यह भी कहता हूँ कि यह दास कमिशन की तौहीन नहीं है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुये हैं वह हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में रिकार्डिड हैं। हम तो यह पूछते हैं कि आखिर जो सी. एम. साहिब कहते हैं वह गलत है या चौधरी देवी लाल कहते हैं वह गलत है या इस हाउस का रिकार्ड ही गलत है।

Mr. Speaker : He said that the press reports cannot be accepted as true.

चौधरी हरद्वारी लाल : आखिर प्रैस रिपोर्ट जो हुई है उस को भी जो हाउस में रिकार्ड हुआ है उस के आधार पर ही छापा गया है।

Mr. Speaker : There is no breach of privilege now.

चौधरी देवी लाल : मैं स्पीकर साहिब, यह चाहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है, इस के मुताल्लिक जो मेरे रिमार्कस हैं वह ज़रा पढ़ कर सुना दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : जहां आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वहां हाउस के रिकार्ड में (विघ्न) लिखा है। (The word 'interruption' occurs in the record where the hon. member says that the Chief Minister has said so.)

चौधरी देवी लाल : मैं ने तो यही कहा था कि आप न्यू इंडिया मिल्ज़ की बाबत कुछ कह दें ....(विघ्न)

Mr. Speaker : I have seen your speech.

---

*Note:—Regarding the statement made by Counsel for the Chief Minister before the Das Commisiion that the report in the Press regarding what Mr. Kairon had said was incorrect.

Mr. Speaker : Leave it now. I have already said that there is no breach of privilege of the House.

There is another privilege motion by Chaudhri Devi Lal.

Chaudhri Devi Lal : My motion reads ".... I beg to submit that while replying to the debate on motion of no-confidence against the Chief Minister on 18th September, 1963, Sardar Partap Singh Kairon, Chief Ministar has committed a serious contempt of this House by mis-statement that neither he nor his son is owner of 'Elite', Cinema Hissar. Also replying to the personal explanation, he again categorically denied that his son is owner of the Cinema on 24th September, 1963.

On 18th January, 1963, S. Surinder Singh son of Chief Minister while applying for a loan of Rs. 1,50,000/- to a Bank of Faridabad has mentioned himself the main partner of the 'Elite' Cinema, Hissar amongst his assets........

स्पीकर साहिब, मेरी प्रिविलेज मोशन यह है कि पिछले सैशन में 18 सितंबर को चीफ मिनिस्टर साहिब ने इलाइट सिनेमा के मुताल्लिक हाउस में कहा था कि इस सिनेमा में मेरा और मेरे लड़के का कोई हिस्सा नहीं है। मगर मैं साबत करता हूँ कि यह सिनेमा उनका है। इस के मुताल्लिक मेरे पास एक लैटर है जो कि मैं इस हाउस में पढ़ देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : You give the documents to me. और मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब की स्पीच से इसे कम्पेयर कर लूंगा। (You give the documents to me and I shall compare it with the Chief Minister's speech.)

चौधरी देवी लाल : यह दो लाइन्ज़ हैं जो मैं पढ़ देना चाहता हूँ.......

Mr. Speaker : Please give it to me you may not read it.

चौधरी देवी लाल : मैं आपको इस के पोर्शन में से पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ जिस में चीफ़ मिनिस्टर के लड़के ने डेढ़ लाख रुपये का हिस्सा डाला है ....

Mr. Speaker : The hon. Member may give it to me. I shall consult his speech and see if there is any contradiction.

There is no other way of censuring a person who, even according to you, is guilty of mis-statement. I do not say there is any mis-statement. But even if there is, the only remedy available to the Opposition is to move a censure motion which you have already done.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, यह फोटो स्टेट कापी है, मैं आपको टाइप्ड कापी दे सकता हूँ।

इस में लिखा है और सरदार सुरेन्द्र सिंह कैरों ने लिखा है कि इस में 16वां हिस्सा गुरदीप सिंह का है। बाकी हिस्से मेरे और ....(विघन)

Mr. Speaker : You please send that letter to me I will compare it. The hon. Member should please give me some time to go through the privilege motion and other relevant records. He should hand over the document to me.

Chaudhri Devi Lal : It has been stated in this letter.

(Interruptions and noise)

> "One cinema at Hissar known as 'Elite' valued at Rs 6 lakhs in the joint names of myself, my wife and Gurdip Singh who is relation and whose share is only 1/16th."

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat.

कामरेड राम प्यारा : जनाब स्पीकर साहिब, इस लैटर को यह यहां पढ़ दें ताकि हाऊस को यह पता लग जाए कि इन्होंने जो लैटर ग्राप को ग्रभी दिया है उस से इन का लैटर मिलता है या नहीं (हंसी) ।

चौधरी देवी लाल : मेरा तो मतलब यह है कि सुरेन्दर सिंह कैरों जो उसका मालिक है, वह खुद मानता है कि यह सिनेमा मेरा है, ग्रौर इस में 16वां हिस्सा गुरदीप सिंह का है।

Mr. Speaker : The hon. Member cannot make this House a forum for propaganda. I have requested him ten times to resume his seat. I would like to go through all these documents.

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। जब कोई हम इल्ज़ाम लगाते हैं तो ग्राप कहते हैं कि डाकुमेंट दो ग्रौर जब यहां कोई डाकुमेंट पढ़ता है तो ग्राप इल्लाग्रो नहीं करते। ग्राप ही बताइए कि कौन सा तरीका है कि जिस के ज़रिए यहां पर यह बातें की जा सकें ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री टेकराम ने एक प्रिविलेज मोशन* दी थी ग्रबाउट सम यंगमेन। उस की दो-तीन ग्रादमी जो वहां थे उन्होंने ताईद की है। I feel, there is some basis in what he has said, and I am referring this matter to the committee of privlleges. This is not the place to make their propaganda.

(There is another privilege motion about some youngman from Shri Tek Ram. About two or three persons who were present there have corroborated this fact I feel there is some basis in what he has said and I am referring this matter to the Committee of Privileges this is not the place to make this propaganda.)

---

*" To move a motion that the attempts being made by and on behalf of the Chief Minister to frighten the members into joining the Congress Party constitute a breach of privilege of the House. Last night, Shri Surinder Kairon, a son of the Chief Minister went to the old M.L.A.'s Hostel under intoxication, sent for Ch. Tek Ram, M.L.A., from his room on some pretext and wanted him to join the Congress Party. He went to the length of threatening him that unless he (Ch. Tek Ram) joined Congress, a part of his land would be declared surplus area and the decision on his election petition would go against him. So much so, he used hot words and wanted to force Ch. Tek Ram into his car in which another man with a gun was sitting on the back seat. All this constitutes a serious breach of the freedom of action of members and breach of the privilege of the House".

Comrade Ram Piara : Sir, we have sent a copy of this letter to you.

Mr. Speaker : I have got it just now.

Comrade Ram Piara : Sir, let this letter be read out so that the hon. Members of this House and the public may know that the Chief Minister has made a mis-statement.

Mr. Speaker : The hon. Member will get opportunity during the course of discussion on the No-Confidence Motion against the Ministry. He should please resume his seat.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : There are certain notices of Call-Attention Motions.

The first Call Attention Motion has been given notice of by Comrade Hardit Singh Bhathal. It is regarding the serious crisis faced by the small scale wollen manufacturers due to export of woollen yarn.

The hon. Member could have raised this matter during the course of discussion on the Demand for Grant in respect of Industry. I disallow it.

The second Call attention Motion has been given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh. It is regarding the grant of extension of 5 years to the Director, Medical Research and Education. It is an ordinary administrative matter and I rule it out of order.

The third motion has been given notice of by SarvShri Bhan Singh Bhaura and Babu Singh. This motion is regarding the failure of the Sugar Mills in the State to pay cane price to the growers within the stipulated period. Other remedies are available and I disallow it.

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਂਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਇਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ?

Mr. Speaker : The hon Member will get time for that. I am sorry, I could not get time to go into the matter. I cannot deal with it now.

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE OF THE PUNJAB VIDHAN SABHA

Mr. Speaker : I have to present the Second Report of the Business Advisory Committee containing discussion regarding the allotment of time on the No-Confidence Motion against the Ministery as a whole. It reads.

[Mr. Speaker]

"The Committee met on the 13th March, 1964 at 12.00 noon. Beside the speaker, the following attended the meeting :—

1. Shrimati Shanno Devi, Deputy Speaker.
2. Dr. Gopi Chand Bhargava, Finance Minister.
3. Chaudhri Ranbir Singh, Minister for Irrigation and Power
4. Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary.
5. Chaudhri Devi Lal.
6. Sardar Gurnam Singh.
7. Chaudhri Hardwari Lal.
8. Sardar Lachhman Singh Gill.
9. Comrade Ram Chandra.
10. Comrade Shamsher Singh Josh.

DISCUSSION REGARDING ALLOTMENT OF TIME FOR THE NO-CONFIDENCE MOTIO

It was represented on behalf of the Government that since the members have had sufficient opportunity of criticising the Government during the course of discussion on the Budget and would also get such opportunities during the discussion on the Appropriation Bill etc., there was hardly any necessity of discussing the No-Confidence Motion. It was also pointed out that the purpose of the No-Confidence Motion could be served if a cut-motion to any of the Demands being brought before the House was passed. If, however, the Opposition still wanted time for the discussion of the motion in question, two sittings on one day might be held for the purpose.

The representatives of the Opposition observed that the points which could be raised during the discussion of the No-Confidence Motion could not be touched upon during the course of discussion of the Demands etc. They, therefore, desired that atleast six days be allotted for the discussion of the motion in question. They also stated that since it was obligatory to take up the motion on such day, not being more than ten days from the day on which the leave was asked and the Government was not prepared to disturb the other days alloted for the discussion of Budget Demands etc.,they had no objection to Thursday, the 19th March, 1964 (non-official day) being utilised for the purpose in addition to other days that may be alloted.

The Committee could not, therefore, come to any agreed solution and left the matter to be decided by the Speaker as provided in the Assembly Rules."

I see there is weight in what the Government and Opposition have said. If the No-Confidence Motion had not been moved, the things would have been quite diffierent. But I could not debar them of their right to table a No-Confidence Motion. I do not think there is any weight in what the Opposition has said that six sittings be allotted for the dicussion of this Motion. The Government wanted that two sittings be allotted for this. I feel that three sittings for the discussion of this motion are more than enough and I, therefore, allct Thursday, the 19th March, 1964, and two subsequent days.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, इस मोशन को डिसकस करने के लिए कम से कम चार दिन चाहिएं । क्योंकि कहने वाली इतनी बातें हैं कि एस० आर० दास की कोर्ट में 10 दिन आर्गुमैंटस होते हुए हो गए हैं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुए । तो फिर यहां तीन दिन में क्या बनेगा । आप चार दिन फिक्स करने की मेहरबानी करें ।

Mr Speaker: I have already given my decision.

कामरेड राम प्यारा : जनाब स्पीकर साहब, 17 सालों में दूसरी मर्तबा यह नो-कानफिडेंस मोशन आ रहा है तो इसके मानी यह हैं कि कोई ना कोई भारी बात है और उसके लिए इतना मैटीरियल है कि कम से कम चार दिन तो रखिए । अगर मैं अकेला ही बोलने लगूं तो इतना मसाला है कि छः दिन तक खत्म न हो ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आपने कल अस्तीफा दे देना है और आप भी यहां आ जाएंगे फिर आपको भी बहुत कुछ कहना होगा इसलिए एक दिन अपने लिए भी रख लीजिए --- (हंसी)

श्री अध्यक्ष : मैं आपका टाइम नहीं लूंगा । (I shall not take your time.)

Sardar Gurnam Singh : Sir, you have said that the No-Confidence Motion against the Ministry will be discussed on this Thursday, the 19th March, 1964 and on two subsequent days. May I know what are those two subsequent days ?

Mr Speaker: The Government is not prepared to disturb the other days allotted for discussion of Budget Demands. These two days will be after the Appropriation Bill on the Budget for the year 1964-65 had been passed.

POINT OF ORDER *re* REPLIES TO QUESTIONS

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ, ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੇ ਇਕ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸੀ. ਐਮ. ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ।

(*Deputy Speaker in the Chair*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਹੁਣ ਅਗੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ । (In future he will furnish the information.)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਟਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ 20/25 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (*Interruptions*)

Deputy Speaker : I shall see that satisfactory replies are receive from the Government to all the questions.

STATEMENT BY THE REVENUE MINISTER RE THE SITUATION CREATED BY FLOODS, DROUGHTS, COLD WAVE AND FROST, ETC.

Minister for Revenue: Madam, I rise to make a statement *on the three adversities which had visited the State. I promised to make this statement.

Deputy Speaker : The hon. Minister may please place his statement on the Table of the House as it is a lengthy one.

Revenue Minister : All right madam, I lay it on the Table of the H use.

STATEMENT

Floods have become almost an annual recurring feature in the State. Every year heavy damage is caused to crops and houses as a result of these floods. The figures of damage as given below will clearly show the enormous loss caused by the floods in the State beginning from the year 1955 onwards :—

Year 1	Damage caused to Crops (in Rs) 2	Damage caused to houses (in Rs) 3	Total of colmns 2 and 3 (in Rs) 4
1955 ..	18,93,21,982	17,33,37,757	36,26,59,739
1956 ..	1,70,84,521	24,43,041	1,95,27,562
1957 ..	2,04,10,869	32,72,877	2,36,83,746
1958 ..	30,81,69,849	5,08,23,228	35,89,93,077
1959 ..	2,26,56,242	6,82,084	2,33,38,326
1960 ..	17,10,85,024	4,43,88,001	21,54,73,025
1961 ..	9,15,45,582	55,15,293	9,70,60,875
1962 ..	30,50,37,222	8,84,50,598	39,34,87,820
GRAND TOTAL	1,12,53,11,291	36,89,12,879	1,49,42,24,170

2. This State was visited by floods as usual during the year 1963. There were heavy rains in some parts of the State in the month of August, 1963, which brought floods in their wake.

3. The Districts of Rohtak, Karnal, Sangrur and Gurgaon were seriously affected, Rohtak being the worst.

Details of the total damage caused to crops, houses, cattle-head, human lives, etc., in the State during the year 1963, are given below :—

1. Number of villages affected .. 1,563
2. Total area affected .. 1,628 Sq. Miles
3. Population affected .. 1,141,866
4. Human lives lost .. 26
5. Loss to cattle head
   (i) Number .. 301
   (ii) Value .. Rs 44,480

Note.—Kept in the Library.

6. Loss to houses
   (i) Number of houses damaged .. 28,237
   (ii) Value .. 47,68,641
7. Loss to Crops
   (i) Area affected .. 4,51,735
   (ii) Value .. 5,49,58,524

GRAND TOTAL of loss (in Rs) 5,97,71,645

Relief measures taken by the Government to alleviate the sufferng of the flood affected people. The Government was fully alive of the situation created by the floods and the following relief measures were taken —

Gratutious relief sanctioned as immediate relief. Immediately on receipt of flood news the Council of Ministers at a meeting held on 22nd August, 1963 decided to sanction gratuitous relief for construction of temporary accommodation. purchase of food and for the purchase of milk for the children of Harijans. It was also decided to grant taccavi loans for the purchase of fodder. The following amounts were placed at the disposal of the Deputy Commissioners of affected districts, for distribution as gratuitous relief and taccavi loans :—

Sr. No.	Name of District		Gratuitous Relief	Taccavi Loans
			Rs	Rs
1.	Rohtak	..	11,02,000	26,00,000
2.	Karnal	..	2,00,000	3,50,000
3.	Guagaon	..	2,50,000	3,50,000
4.	Hissar	..	15,000	—
5.	Ambala	..	25,000	—
6.	Sangrur	..	1,00,000	1,00,000
7.	Hoshiarpur	..	20,000	—
	Total		17,12,000	34,00,000

In addition, a sum of Rs 2,70,000 was placed at the disposal of the Director, Animal Husbandry, Punjab, for the treatment and prevention of cattle diseases and epidemies in the flooded areas.

2. In order to afford further relief to people in the affected villages, the following decisions were taken by the Council of Ministers.

Remission of land revenue and abiana. (a) For areas where the damage to crops is between 25% to 50% the remission of land revenue and abiana shall be 75%.

(b) For the areas where the damage exceeded 50% there shall be total remission of land revenue and abiana.

[Revenue Minister]

Suspension of recovery of Government dues. Where the loss to crops has been 25% and above as calculated on the revenue estate basis, the recovery of taccavis should be postponed for one year.

Remission of Electricity charges due from owners o tub wells. It was decided to give remission of electricity charges for the months of July, August and September, 1963.

Cash grants for food and other necessities of life. This relief has been sanctioned to the following classes of people living in the following categories of villages :—

(i) Landowners,

(ii) Tenants,

(iii) Siris,

(iv) Harijans, and

(v) Landless Agricultural labourers and other dependent on agriculture.

Category	*Description*	*Grant allowed*
I-A	Last three kharif crops including the present, damaged by floods, the extent of damage being 50 p. c. or more for the three kharifs taken as a whole, and Rabi sowing not possible.	Subject to a maximum of Rs 25 per week per family, a cash grant for 3 months at the rate of Re. 1 per day per member of a family, provided that no member who is otherwise gainfully employed shall be eligible for this grant.
I-B	As above, but Rabi showing is possible.	As above, but payable for 1-1/2 months only.
II-A	Last three kharif crops, including present kharif, damaged by floods, the extent of damage being over 25% but less than 50% for the three kharifs taken as a whole, and Rabi sowing not possible.	As above for 3 months at the reduced rate of 50 nP. per day per member, subject to a maximum of Rs 15 per week per family.
II-B	As above but Rabi sowing is possible.	As above for 1-1/2 months only.
III-A	Damage to present kharif is 25% and more and Rabi sowing not possible.	As above for 3 months at the rate of 25 nP. per day per member, subject to a maximum of Rs 8 per week per family.
III-B	Damage to present kharif is 50% and sowing is Rabi possible.	As above, but for 1½ months only.

The decision regarding cash grants has been modified and according to the modified decision payments of subsistence grants are to be continued to be made weekly but as prices have risen and people are in distress and in need of money quickly weekly payments should be made at double the rates originally sanctioned above. A total amount of Rs 1,08,65,396 has been placed at the disposal of Deputy Commissioners the cash grants for food and other necessities of life.

Grants for repair of Houses damaged by floods. These grants will be given as below :—

	Kacha	Pacca
For each house destroyed	up to Rs. 100	up to Rs. 200

Harijans, Backward Classes and other deserving persons in rural as well as urban areas will be entitled to this relief provided that, in no case, will a family with one habitable kotha left get it. An amount of Rs 17,13,075 has been placed at the disposal of the Deputy Commissioners for this purpose.

Special grant to families who have lost their bread-winners. A family which has lost its bread-winners will be given a cash grant of Rs 200. An amount of Rs 1,000 has been placed at the disposal of Deputy Commissioners for this purpose.

Pumping out of standing waters from fields and abadis. The Irrigation Department was allowed to purchase additional pumping-sets worth Rs 2,13,371 in order to enable that department to drain out the flood waters.

Relief Test works. A sum of Rs 26,00,000 has been placed at the disposal of the Deputy Commissioners for the execution of Relief Test Works, in the flood affected areas.

Chief Minister's Relief Fund.— A sum of Rs 50,000 has been placed at the disposal of the Deputy Commissioner, Rohtak/Karnal/ Gurgaon/Sangrur out of the Chief Minister's Relief Fund for distribution in cash to deserving Harijans and members of backward classes, for the purchase of bedding and clothes.

Indian People Famine Trust.—A sum of Rs. 20,000 received from the Indian People Famine Trust, New Delhi was placed at the disposal of the Deputy Commissioners for utilization.

2. DROUGHT

Unfortunately some parts of the State have been visited by another calamity, i.e. drought this year. Scarcity conditions developed in certain parts of Hissar, Gurgaon, Mohindergarh and Rohtak Districts first in the months of June and July, 1963. The situation eased to some extent later on, on account of Monsoon rains in August and September, 1963. The scarcity conditions re-occurred in these areas due to failure of winter rains. The area affected by drought constitutes a compact region of these four districts. Number of affected

[Revenue Minister]

villages in which more than 25% crops had failed to mature is about 624. The districtwise details of these villages are as below :—

Sr. No.	Name of district	Name of Tehsil & Sub-Tehsil together with Number of total villages in the Tehsil.	Number of villages in which more than 25% crops had failed to mature
1.	Mohindergarh	1. Dadri (181)	136
		2. Mohindergarh (156)	154
		3. Narnaul (202)	53
			343
2.	Hissar	Bhiwani (208)	175
3.	Gurgaon	Rewari (426)	41
4.	Rohtak	1. Nahar Sub-Tehsil 2. Some Villages of Jhajjar Tehsil	65

In order to have first-hand knowledge of the situation in the scarcity-affected areas, Financial Commissioner, Revenue toured the affected areas of Mohindergarh District, Bhiwani Tehsil of Hissar District and Rewari Tehsil ofGurgaon District in the second week of January, 1964.

Despite drought conditions the general health of the people is satisfactory and there are no reports of epidemic or any special diseases among cattle. There have been no migration of people from the affected areas. 777 cattle died in the State due to drought conditions. Out of this 473 cattle died in the months of July and August, 1963 while 304 cattle died recently. These were mostly stray cattle.

The Government has taken all necessary measures for alleviating the sufferings of the people. Relief works such as construction of roads, construction and deepening of village ponds, tanks and kunds have been sanctioned to provide gainful employment to people in the affected areas. The amounts so far sanctioned for this purpose and other relief measures taken are given below :—

1. Construction of Roads

(a) Mohindergarh District

	Rs.
(i) Mohindergarh-Madhogarh-Satnali Badhara-Jitpura Road	..3,00,000
(ii) Satnali-Laharu Road	..2,00,000
(iii) Village link roads (Rs 1 lakh per Block for 8 Blocks)	..8,00,000
(b) Hissar District.	
(i) Kairu-Bahal-Jhompa Road	..1,50,000
(ii) Tosham-Siwani Road	..1,50,000
(iii) Bahl-Tosham Road	..4,00,000
(c) Gurgaon District	
(i) Nangal Mandi to Gobindpuri Road	..2,00,000
(ii) Village link roads in Khol and Rewari Blocks (Rs 1 lakh per Block)	...2,00,000
Total	...24,00,000

3. The Chief Engineer, P.W.D., B. & R., has been requested to take up earth work on the following roads in Rohtak District during the current financial year (1963-64) and spend Rs. 50,000 or even more out of the savings with him :—

(a) Nangawa-Kailawas .. 6 miles.
(b) Kosli-Guriana .. 4½ miles.
(c) Khanpur-Salawas .. 7½ miles.
(d) Nahar-Bahu .. 6 miles.

In order to provide employment to the drought-affected people in Bhiwani Tehsil, Deputy Commissioner, Hissar, has been asked to undertake earth work on the Sangani-Rodhan-Siwani Road (34 miles).

4. Construction of kunds in Bhiwani Tehsil, district Hissar ..Rs 2,00,000

5. Deepening and improvement of existing village tanks in Gurgaon District ..Rs 5,00,000

6. Deepening of village ponds in Nahar Sub-Tehsil of Rohtak District ..Rs 50,000

7. Soil Conservation Works (Contour Bunding) in Gurgaon, Hissar and Mohindergarh Districts ..Rs 75,000

8. Grant for the supply of fodder @ Rs 10 per cattle in Hissar District (Fodder worth Rs. 20, 330 was distributed in the month of June-August, 1963. Fodder worth Rs 27,000 was distributed on reappearance of scarcity conditions. Out of the remaining amount fodder is being supplied at subsidised rate of Rs 3 per maund) ..Rs 3,00,000

9. For subsidising cost of transportation of fodder in Mohindergarh District. ..Rs 3,00,000

10. Subsidy for fodder
Mohindergarh ..Rs 2 lac
Gurgaon ..Rs 1 lac
Rohtak ..Rs 1 lac

(At the rate of 50% of the price of the fodder at the distributing centre subject to a maximum of Rs 3 per maund)

Further demands of the Deputy Commissioners for the next financial year are under consideration of the Government.

11. Taccavi loan for the purchase of fodder ..Rs 47,50,000
12. Remission of Land Revenue as follows :—

(a) Where damage is more than 50%. .. Total Remission.

(b) Where damage is below 50% but more than 25% .. 75% remission

13. Additional works to provide employment in drought areas of following categories :—

(i) Village tanks
(ii) Village water works
(iii) Contour bunding and Soil Conservation Schemes
(iv) Tree plantations

[Revenue Minister]

Proposals for funds for these works have been received from the Deputy Commissioners and are under consideration of Government.

14. Priority to be given to rural electrification in these areas.

15. Division of blocks into Relief Circles and the opening of Fair Price shops and Fodder Depots in each circle so that villagers do not have to travel much to get fodder and other essential necessities.

16. Each such circle is also to have a programme of relief works. Formation of Relief Committees at block and District levels with non-official and official members to ensure better co-ordination between official and non-official agencies, to raise funds for relief and to enable non-official agencies to undertake relief measures.

17. An amount of Rs 25,000 has been sanctioned by the Chief Minister, Punjab, out of his Relief Fund for distribution amongst the destitute families of the drought-affected areas of Hissar District.

18. The Government of India, Ministry of Food and Agriculture has arranged for free supply of 1,000 maunds of hay from Himachal Pradesh, one wagon load dockage from Bombay to the Deputy Commissioner of Mohindergarh and 100 tons of hay from Army stock at Alwar to the Deputy Commsisioner, Gurgaon, for distribution in the drought-affected areas of these districts. In this connection, the Chairman, Indian People's Famine Trust has sanctioned a grant of Rs 61,000 from the Trust Fund to reimburse the expenditure initially incurred by the State Government in connection with the fodder so supplied by the Covernment of India.

COLD WAVE AND FROST

It is third calamity that has visited this State during this year. Government have already addressed all the Deputy Commissioners in the State to send us the figures of damage caused to crops by cold and frost and to send proposals for relief. An exact damage to crops can be assessed only after Girdawari from field to field which will take some time. However, instructions have been issued to all the Deputy Commissioners to suspend recoveries of taccavi loan in deserving cases in all such areas. Decision regarding remission of land revenue and abiana or other relief will be taken as and when Deputy Commissioners are able to assess the damage after proper girdawari.

DEMANDS FOR GRANTS

57—ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Madam, I beg tomove

> That a sum not exceeding Rs. 4,38,69,530 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head "57—Road and Water Transport Schemes".

Deputy Speaker : Motion moved—

> That a sum not exceeding Rs 4,38,69.530 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head "57-Road and Water Transport Schemes".

I have received notices of cut-motions from various hon. Members. They will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main Motion.

1. **Comrade Gurbakhsh Singh** : That the demand be reduced by Rs. 100.

2. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : That the demand be reduced by Rs. 100.

3. **Shri Rup Singh Phul** : That the demand be reduced by Re. 1.

4. **Captain Rattan Singh** : That the demand be reduced by Re. 1.

5. **Chaudhri Ran Singh** :
6. **Sardar Pritam Singh Sahoke** :

That the demand be reduced by Rs 100.

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर,पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज ट्रांस्पोर्ट विभाग के लिये मुख्य मंत्री साहिब ने 4 करोड़ और 38 लाख रुपए की मांग की है। ट्रांस्पोर्ट के बारे में इस हाउस के अन्दर सवालों के ज़रिए और उस के इलावा मोशन्ज़ के ज़रिए भी सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाने की कोशिश की गई है कि इसे ठीक ढंग से चलाने की कोशिश की जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले चंद सालों में ट्रांस्पोर्ट विभाग में काफी सुधार और तरक्की हुई है लेकिन जिस तरीके से पंजाब सरकार इस महकमें को चला रही है, इस के अन्दर जो डिफेक्ट्स हैं अगर उन को ठीक न किया गया तो इस में काफी डिटीरियोरेशन होगी। आज इस महक्में के बारे में पंजाब के अन्दर जो सब से ज़्यादा बहस तलब बात चल रही है, जिस में हर आदमी हिस्सा ले रहा है वह यह है कि दिन बदिन महंगाई बढ़ रही है। इस का कई पहलू से इनसान की रोज़ाना जिंदगी के साथ ताल्लुक है। यहां पर होम मिनिस्टर साहिब ने जो कि फूड एंड सप्लाईज़ के भी मिनिस्टर हैं स्टेटमेंट दी थी कि सरकार बहुत से ऐसे मैयर्ज़ ले रही है जिस से आम आदमियों की शिकायात को दूर किया जा सकेगा। लेकिन जहां तक अमल करने का ताल्लुक है उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर लोगों की तरफ से सरकार को कोई प्रार्थना की जाए तो उस का कोई असर नहीं होता। हमारी सरकार ने आर्डर निकाले हैं कि व्यापारी हर चीज़ की प्राइस लिस्ट लगाएं। लेकिन इन बातों का तब असर हो सकता है अगर सरकार खुद मुनाफे की मनोवृत्ति को छोड़े। जब सरकार खुद ही मुनाफेखोर है तो दूसरों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह प्राइसिज़ को कम करने की कोशिश करें। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह इन सब बातों को देखे और सब से पहले अपने आप को ठीक करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सालों में ट्रांस्पोर्ट डीपार्टमेंट के हाउस में जो आँकड़े बताए जाते रहे हैं वह यह बताते हैं कि लगभग 15 से 20 प्रतिशत के करीब पंजाब रोडवेज़ वाले मुनाफा निकालते रहे हैं। जिस वक्त से सरकार ने ट्रांस्पोर्ट को अपने हाथ में लिया है उस वक्त से ले कर अब तक अगर देखा जाए तो पता लगता है कि हर साल इन का मुनाफा बढ़ा है और

[श्री बलरामजी दास टंडन]

माइलेज का रकबा भी बढ़ता रहा है और आज यह 18 प्रति शत और 20 प्रति शत के करीब प्राफिट निकाल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मानी हुई बात है कि सरकार जितने काम करती है उस के पीछे यह स्पिरिट होती है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इस बात को मुख्य रखते हुए यह होना चाहिए कि जो भी सरकारी या सैमी गवर्नमेंट अदारे लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिये रन किए जाते हैं वह नो-प्राफिट नो-लॉस बेसिज़ पर हों। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं सोचती। मैं समझता हूँ कि एक मुनाफेखोर व्यापारी भी शायद उतना ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए नहीं सोचता होगा जितनी कि पंजाब सरकार मुनाफाखोरी करने पर तुली हुई है। पहले लुधियाना से चण्डीगढ़ तक आने के लिये 2 रुपए 3 आने देने पड़ते थे लेकिन अब उसे 3 रुपए 1 आना देना पड़ता है। यानी एक रुपए के लग भग उस का किराया बढ़ा दिया है। जब सरकार की खुद ऐसी पालिसी है तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा मारल पहलू रह जाता है जिस की बिना पर यह लोगों को कहें कि तुम मुनाफा कम लो। इसी तरह बिजली जो है इस पर सरकार के दो नए पैसे पर यूनिट खर्च आते हैं। सरकार को कहना चाहिए था कि हम आज तक इतना चार्ज करते रहे हैं अब कम करेंगे, but this Government has no such consideration इसके बाद अगर सरकार व्यापारियों के पास पहुँचती है और उनको कहती है कि वह कीमतें कम करें तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास ऐसा कहने के लिए मारल ग्राउंड नहीं है। अगर मैं यह करूं कि मुझे तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लोगों को यह कहता फिरूं और उपदेश करूं कि उनको मुनाफा कम लेना चाहिए और कीमतें कम करनी चाहिएं तो मेरे इस कहने का कोई असर नहीं हो सकता। यही हालात आज पंजाब में सरकार कर रही है कि खुद तो अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं, बसों के किराए बढ़ा दिए हैं जिस के खिलाफ आज सारे पंजाब में आवाज़ उठ रही है लेकिन दूसरों को उपदेश देते हैं कि अपनी कीमतें कम करो। यह निहायत अफसोसनाक बात है जो सरकार कर रही है। जिस बात का सरकार दूसरों को उपदेश देती है उस बात को पहले खुद करना चाहिए ताकि उसका लोगों पर अच्छा असर पड़े। यह तो इस बात का एक पहलू है अब मैं दूसरा भी अर्ज़ करता हूं। एक तरफ तो सरकार की बसें चलती हैं और दूसरी प्राइवेट ट्रांस्पोर्टेज़ हैं जिन के बारे में सरकार को पूरे अख्तियारात हैं कि जिनको चाहें ट्रकों और बसों के रूट परमिट्स दें। इसी हाउस के अन्दर यह बात कई दफा आ चुकी है कि इन अख्तियारात का सरकार ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए इतना मिसयूज़ किया है कि शायद ही किसी और महक्में में ऐसा हुआ हो। इन रूट परमिट्स के देने के लिए सरकार ने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किए हैं कि किस को बसों और ट्रकों के परमिट्स देने हैं। सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जिनको सरकारी गद्दियां कायम रखने के लिए खरीदना होता है। आपको पता है और इस हाउस में यह बात कई दफा आ चुकी है कि इस हाउस के मैम्बरान को परमिट्स दिए जाते हैं जिन के पास न कोई बस है और न कोई ट्रक है और न वह यह काम

करते हैं सिवाए इस के कि वह इन परमिट्स को आगे पांच सौ सात सौ या हज़ार रुपए माहवार पर बेच देते हैं। उन मैम्बरान को दिए जाते जो किसी क्राइटेरिया के मातहत भी यह परमिट्स लेने के हकदार नहीं हैं उनको और उनके रिश्तेदारों को सिर्फ इस लिए यह परमिट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी लायलटी को खरीद सकें और उनके सिर के ऊपर यह तलवार लटकती रहे कि चूंकि उनको चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने पांच या सात हज़ार रुपए की आमदनी का साधन दिया है इस लिए उनको उनके अंगूठे के नीचे रहना है वरना उन से यह आमदनी का साधन छिन जाएगा। ऐसे हालात आज पंजाब में हो रहे हैं कि moral values of life जो हैं उनको गिराया जा रहा है और इस गिरावट को लाने के लिए इस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके सरकार अपनी पावर्ज़ का मिसयूज़ कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सरकारी बैंचों पर बैठने वाले किस मुंह से लोगों को मौरैलिटी का उपदेश दे सकते हैं जब यह खुद मौरल गिरा रहे हैं और लोगों की मजबूरी, गरीबी, भूख और कमज़ोरी का नाजायज़ फायदा उठा कर उनको इस तरह एक रस्से से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार सच्चे दिल से इस धांधली को रोकना चाहती है तो सरकार कोई क्राइटेरिया बना कर यह परमिट्स दे और एक मैम्बर तो क्या अगर गवर्नमैंट भी चली जाती है तो भी उन क्राइटेरियन की उल्लंघना न करे। अगर सरकार ने ऐसा न किया, वैल्यूज़ आफ लाइफ को सामने न रखा, और अपनी पावर्ज़ का मिसयूज़ न रोका तो इस से सारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी और सारे मौरल स्टैंडर्ड्ज़ खत्म हो जाएंगे जिन के नतायज बहुत हानिकारक निकलेंगे। इस चीज़ का दूसरा पहलू है वह यह कि जब भी इस सरकार को ज़रूरत पड़ती है चाहे इलैक्शन आ जाए या इन पर कोई और भीड़ पड़ जाए तो यह फौरन प्राइवेट आप्रेटर्ज़ के पास चले जाते हैं कि इतने लाख इकट्ठा करके दो। हर एक परमिट के पीछे सौ या दो सौ मुकर्रर कर देते हैं कि फी परमिट इतना इतना रुपया दो.....................................

उपाध्यक्षा : किसी सबूत के बगैर कोई बात न करें। (Please do not say anything without any proof for that.)

श्री बलराम जी दास टंडन : मैं सबूत भी दे सकता हूँ कि जब भी इस रूलिंग पार्टी पर कोई भीड़ आती है, चाहे कोई इलैकशन आ जाए या कोई और बात हो तो सब से पहले प्राइवेट आप्रेटर्ज़ विकटम बनते हैं और उन से फी परमिट एक मुकर्ररा रक्म वसूल की जाती है क्योंकि उनको उबलाइज किया होता है और कई आदमियों को पेंडंग रूटस दिए होते हैं। मिसाल के तौर पर शिमला का रूट है, कशमीर का रूट है जिस से हज़ार रुपया से भी ज़्यादा आमदनी फी माह उसे बेच कर ली जा सकती है। उन लोगों से फिर यह चन्दे वसूल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस कुरप्शन को दूर करना चाहती है तो इस मिसयूज़ आफ पावर को रोके और इन परमिट्स को देने के लिए क्राइटेरिया बनाए या कुआप्रेटिव सोसाइटीज़ को यह काम दे। मैं तो यह कहता हूँ कि इन सब बुराइयों को दूर करने के लिये या सरकार फिर यह करे कि ट्रांसपोर्ट को नैश्नेलाइज़ किया जाए वरना पंजाब के

[श्री बलरामजी दास टंडन]

माथे पर यह हमेशा के लिये स्टिगमा बना रहेगा। फिर ट्रांसपोर्ट में एक और बात चलती है कि जो बड़ी-बड़ी जगहें हैं या जो मेन रूट्स हैं उन पर तो अच्छी बसें चलती हैं लेकिन जो छोटे रूट्स हैं उन पर ऐसी बसें चलती हैं जिन को लोगों को धक्का लगाना पड़ता है। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि जो मेन रूट्स हैं जिन पर ज़्यादा मुनाफा होता है उन पर तो अच्छी बसें चलाते हैं लेकिन जो छोटे रूट्स हैं जहां भी इसी स्टेट के लोग और टैक्स-पेयर बसते हैं जो पूरा किराया देते हैं जिनको ज़रूरी कामों के लिये आना जाना पड़ता है वहां धक्का लगाने वाली बसें चलाई जाती हैं। यह लोगों के साथ बड़ी भारी बेइन्साफी है जिसे जल्द दूर किया जाए इस के अलावा जो बस स्टैंड हैं वह बड़े-बड़े शहरों में ऐसी जगहों में बने हुए हैं जो बड़े कन्जैस्टिड एरियाज़ हैं और जहां से हो कर छोटे-छोटे बच्चे सकूलों को जाने के लिए गुज़रते हैं। इस से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। लुध्याना और दूसरे बड़े बड़े शहरों में बस स्टैंड मेन रोडज़ पर ही बने हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो वहां पर बाई पासिज़ बने हैं उनके पास बस सटैंड बनाने चाहिएं ताकि नारमल ट्रैफिक डिस्टर्ब न हो और एक्सीडैंट्स भी न हों। इस के अलावा रेलवे क्रासिंगज़ पर बड़ी दिक्कत है और हर साल एक एक क्रासिंग पर लाखों नहीं करोड़ों मैन अवर्ज वेसट होते हैं क्योंकि वहां पर बसें काफी अर्सा तक रुकी खड़ी रहती हैं। एक रेलवे क्रासिंग पर अगर एक बस 15 मिनट रुकती है और उस में 52 सवारियां हैं तो उस से 13 मैन अवर्ज वेसट हो जाते हैं। आप अन्दाज़ा लगाएं कि कितनी बसें चलती हैं और कितने रेलवे क्रासिंग और कितना समय वेसट होता है। मैं अर्ज़ करूंगा कि ऐसे क्रासिंगज़ पर ओवरबरिजज़ बनाए जाएं ताकि लोगों का भी और देश का भी इतना वक्त वेसट न हो (घंटी) मैं सिर्फ दो चार मिन्ट में खत्म करता हूं। इस के अलावा मैं अर्ज़ करता हूँ कि जहां तक पंजाब रोडवेज़ के कर्मचारियों का संबन्ध है उनका बीहेवियर टोन अप करने की बहुत ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनियां के जो मुलाज़म हैं उनका बीहेवियर उन से काफी अच्छा है और उस की वजह यह है कि उनको डर रहता है कि अगर उनकी शिकायत हुई तो कंपनी वाले उनको निकाल देंगे। लेकिन पंजाब रोडवेज़ के कर्मचारी मिसबीहेव करते हैं और ऐसी बहुत शिकायतें हमारे नोटिस में आई हैं कि वह सवारियों की बिल्कुल परवाह नहीं करते और बड़े रूड तरीके से पेश आते हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर इस तरफ ध्यान देंगे। जिन कर्मचारियों का बीहेवियर अच्छा हो तो उन्हें सरकार इनाम दे कर प्रोत्साहन दे, उन को एप्रीसिएशन सर्टीफिकेट देना चाहिए और जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें हों उन के विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। अगर सरकार ने इस ओर कदम न उठाया तो मैं समझता हूं कि हमारा बीहेवियर का स्टेंडर्ड गिरता जाएगा और हम सम्भल नहीं सकेंगे। मैं मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरफ टाप प्रायर्टी देने की जरूरत है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई जगहों पर बस स्टैंड बने हुए हैं जहां पर चार, पांच बसें खड़ी नहीं हो सकतीं। वहां पर लोगों को खड़े होने की बहुत मुश्किल है। लोगों को इस बारे में सहूलियत देनी चाहिए। बस स्टैंडों को एनलार्ज करना चाहिए। लोगों को सहूलतें दी जानी चाहिएं। कई बस स्टैंडों पर पानी, लैटरिन और बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है। यह चीज़ सफर करते वक्त 50 जगहों में नज़र आई है। कहीं पर इलैक्ट्रिसिटी नहीं है कहीं पर पानी का प्रबन्ध नहीं और अगर कहीं पर है तो उस को ठीक तरह से मेनटेन नहीं किया जाता है। जब भी यह चीज़ पी० डब्लयू० डी० के नोटिस में लाई जाती है तो वह कहते हैं कि हमारा काम नहीं है और जब इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया जाता है तो वह कहते हैं कि हमारा यह काम नहीं है। नतीजा यह होता है कि वह चीज़ें प्रापरली मेनटेन नहीं की जातीं और मुसाफिरों को दिक्कतें पेश आती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार शीघ्र कदम उठाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पेप्सू रोडवेज़ की बसों पर जो सामान छतों पर रखा जाता है उस के लिये टिकट इशू किए जाते हैं। यह इन्तज़ाम पैप्सू रोडवेज़ वाले करते हैं ताकि लोगों का माल कहीं भी बांट न सके। क्योंकि जो टिकट मुसाफिर को दिया जाता है वही टिकट मुसाफिर के सामान पर नत्थी कर दिया जाता है। लेकिन पंजाब रोडवेज़ में यह सिस्टम अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस का नतीजा यह होता है कि आए दिन लोगों का माल दूसरे उठा कर ले जाते हैं। वह शिकायत करते हैं लेकिन कुछ बनता बनाता नहीं है। अगर यह सिस्टम पंजाब रोडवेज़ में लागू कर दिया जाए, इस से न सिर्फ जनता को ही लाभ होगा बल्कि सरकार की भी कई दिक्कतें दूर हो जाएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह छोटी छोटी ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां यह सिस्टम एडाप्ट कर सकती हैं तो क्या यह सिस्टम पंजाब रोडवेज़ में लागू नहीं किया जा सकता? इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को पंजाब रोडवेज़ में टाप प्रायर्टी बेसिज़ पर लागू किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार रोज़ रोज़ किरायों में बढ़ौतरी करती रहती है लेकिन उन की टिकटें उन के मुताबिक नहीं होतीं उन पर स्टैम्प लगी नहीं होती। इस के बारे में एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक मुसाफिर को तीन रुपये 25 नए पैसे का टिकट दिया जाता है लेकिन टिक्ट पर 2.65 की स्टैम्प होती है। इस में कंडक्टर हेराफेरी करके ज़्यादा और कम कीमत पर बेच सकता है लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुसाफिर के पास कोई ऐसा साधन नहीं होता जिस से यह देख सके कि वाकई उस ने ठीक किराया लिया है। वह किसी से 3–50 पैसे भी लिए जा सकते हैं। अगर इस के बारे में कोई चैक करने के लिए मुसाफिर के पास साधन हो तो वह चैक कर सकता है (घंटी) इस चीज को चैक अप करने के लिये सरकार को चाहिए कि हर एक बस जिस रूट में जा रही हो उस के अन्दर एक मोटे अक्षरों में टाइम टेबल तथा कीमतों की लिस्ट होनी चाहिए ताकि लोग उस लिस्ट से चैक कर सकें। मिसाल के तौर पर एक बस अमृतसर से जालन्धर को जाती है और दूसरी बस अमृतसर से रैया जाती है तो बीच में जितने स्टेशन आते हों उस के किराये की

[श्री बलरामजी दास टंडन]

लिस्ट वहां पर लगी होनी चाहिए ताकि लोग अपनी टिकट का किराया चैक अप कर सकें। इस तरह से कंडक्टर कोई भी वेरीएशन नहीं कर सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर जो तरक्की हुई है अगर हम उस को मैनटेन नहीं कर सके तो काम खराब हो जाएगा। (घंटी) अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि छोटी रोड्ज़ पर जो बसें चलती हैं, उन के कर्मचारियों का बीहेवियर ठीक होना चाहिए। महंगाई के बारे में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिन कर्मचारियों का बीहेवियर अच्छा हो उन को इनाम देना चाहिए। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया तो मैं समझता हूं कि पंजाब की इज्जत और शान और बढ़ेगी। इतना कह कर अपनी सीट रिज्यूम करता हूँ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा (बरसर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस हाउस के अन्दर ट्रांस्पोर्ट की डिमांड पर डिस्कश्न हो रही है और सरकार ने इस डिमांड पर चार करोड़ और कुछ लाख रुपए प्रोवाइड किए हैं। सब से पहले मैं पंजाब सरकार को इस बात की बधाई देती हूं कि पंजाब के अन्दर जितनी तरक्की हुई है, मेरे विचार में उतनी भारत के किसी अन्य स्टेट में नहीं हुई। मैं ने यू० पी० में देखा है, मद्रास में भी देखा, बम्बई के अन्दर भी जा कर देखा मैं ने हिन्दुस्तान की सब जगहों पर जा कर देखा लेकिन पंजाब जैसा ट्रांस्पोर्ट का सिस्टम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इस लिए मैं पंजाब सरकार को बधाई देना चाहती हूँ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी सरकार ने इस तरफ काफी कदम उठाए हैं। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्ज़ पर बड़े-बड़े बस स्टैंड बनवाए हैं, मुसाफरों को भी कई प्रकार की सहूलतें दी हैं और दी जा रही हैं लेकिन इस के साथ मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। जहां पर मुसाफिरों को सहूलतें दी जा रही हैं और बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं वहां पर ड्राइवरों के लिए रिटायरिंग रूम ज़रूर होना चाहिए ताकि सारी दिन मेहनत करने के बाद आराम तो कर सकें। उन को बसों की छतों पर ही आराम करना पड़ता है और सुबह उठ कर वह चल देते हैं...........

उपाध्यक्षा : आप कंडक्टरों को भी साथ कहें (The hon. Lady Member may also include conductors in it,)

श्रीमती सरला देवी : मेरा कहने का भाव दोनों के बारे में ही है। ड्राइवरों और कंडक्टरों को कोई सहूलतें नहीं दी जाती हैं। अगर सरकार ने लोगों की भलाई के लिये इतने काम किए हैं लेकिन इन के लिये कोई काम नहीं किया है। इस से ऐसा लगता है कि उन के लिये कोई अच्छा काम नहीं किया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा इस हाउस में एक मिसाल देना चाहती हूँ। आप नंगल जा कर देखें सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों के रहने के लिए कोई क्वाटर्ज़ नहीं बनाए हैं। मैं ने श्री पल्टा साहिब के नोटिस में यह बात लाई थी और एक अफसर जिस का नाम भूल गई हूँ, वह अम्बाला में लगा हुआ है, जा कर यह बात नोटिस में लाई थी कि

नंगल से जो ड्राइवर देहली जाते हैं और देहली से नंगल चलते हैं उन्हें रात बसों की छतों पर ही काटनी पड़ती है और सुबह फिर चल पड़ते हैं। उन के रहने के लिये क्वाटर्ज़ होने चाहिएं। यह इन्तज़ाम बस स्टैंड पर ही होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे एक माननीय सदस्य, श्री बलरामजी दास टण्डन साहिब ने अपनी स्पीच में कहा है कि सरकार अपने आदमियों को रूट देकर आपोज़ीशन के लोगों को अपने साथ मिला रही है। और इस तरफ कुरप्शन बढ़ रही है। मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब सरकार ने शिमला से कालका तक और काश्मीर और जम्मू के पर्मिट को छोड कर खुले कर दिए हैं। किसी व्यक्ति के पास ट्रक हो तो वह जा कर रूट ले सकता है।

बाबू बचन सिंह : श्री बलरामजी दास टण्डन ने भी शिमला और काश्मीर की बात की है।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : श्री बलारामजी दास टण्डन ने जनरल बात कही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि पंजाब रोडवेज़ को 2 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ है। इस से ज़्यादा भी मुनाफा हो सकता है देश में इस वक्त बैंक नैश्नेलाइज़ करने की आवाज उठी हुई है। अगर बैंक नैश्नेलाइज़ हो जाएं तो समाजवाद की तरफ हमारा कदम होगा। इसी तरह से अगर ट्रांस्पोर्ट नैश्नेलाइज़ हो जाए तो मैं समझती हूँ कि हमें न सिर्फ मुनाफा ही होगा बल्कि लोगों के ऊपर टैक्स भी नहीं लगाना पड़ेगा (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, कांगड़ा ज़िले का एक चपड़ासी यहां पर काम करता है। उस की औरत बीमार थी। मैं उस को देखने के लिये उस के घर गई। मैं ने उसे पूछा कि आप को तनखाह कितनी मिलती है। उस ने जवाब दिया कि 75 रुपये मिलती है। उस में से 30 रुपये मन गंदम का आटा मिलता है और उस के पांच बच्चे हैं। मुझे पता नहीं कि वह किस तरह से गुज़ारा करता है। इस के साथ में अर्ज करना चाहती हूं कि टैक्सों के कारण ही कीमतें बढ़ी हैं। अगर ट्रांस्पोर्ट को नैश्नेलाइज़ कर दिया जाए तो सरकार को काफी मुनाफा होगा। इस से लोगों को टेक्स कम देना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि नैश्नेलाइज़ के बारे में बहुत प्रगतिशील कदम उठाया है। सरकार ने अभी तक 50 : 50 प्रतिशत बसें नैशनेलाइज़ की हैं। इस का मतलब यह है कि 50 प्रतिशत सरकार की बसें चलती हैं और 50 प्रतिशत प्राइवेट बसें चलती हैं। मैं समझती हूँ कि यह सिस्टम सब जगह पर नहीं लागू किया है। अगर आप फिरोजपुर तक जाएं। वहां पर आप को पता चलेगा कि वहां पर पंजाब रोडवेज़ की बसें कम चलती हैं और प्राइवेट बसें ज्यादा चलती हैं। (विघ्न)

4-00 p.m. | यह तो मेम्बर साहिब को पता होगा, उन्हों ने दलाली की होगी। मुझे तो पैसे लेने देने का पता नहीं है............................मैं यह प्रार्थना कर रही थी कि पंजाब रोडवेज़ ने जो 50 : 50 बेसिज़ पर किया है यह बहुत बड़ा कदम है। इस से पंजाब रोडवेज़ को ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन इस में कुछ त्रुटियां हैं जो मैं आप

[श्रीमती सरला देवी]

के ज़रिये सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूँ। कि आज कल छोटे-छोटे पुर्जे टूट जाने से बसों में बीस-बीस लिटर डीज़ल ज़्यादा जल जाता है और इस से भारी नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि एक बस रोपड़ से चलती है उस ने अम्बाले जाना होता है। उस में केवल एक छोटा सा रिंग डाला जाना चाहिये जो कि नहीं डाला जाता और उस कारण से उस में हर रोज़ बीस लिटर डीज़ल कंज्यूम हो जाता है जो कि चालीस रुपये का होता है। गवर्नमेंट ने नये नये नौजवान वर्कशापों में भरती किये हुए हैं जो कि फिटिंग अच्छी तरह नहीं कर सकते और उन का किया हुआ काम दो घंटे के बाद फिर खराब हो जाता है। पुराने तजरुबाकार मिस्तरी जो हैं वे पैसे ज़्यादा मांगते हैं इस लिये सरकार उन को नहीं रखती। इस लिये मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि नए आदमियों के साथ साथ पुराने तजरुबाकार मिस्तरियों को भी रखना चाहिये जो कि नए आदमियों को अच्छी तरह से ट्रेन कर दें।

इस से अगली बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि बस स्टैंड से बस चलती है। ड्राईवर वर्कशाप में जा कर कहता है कि इस की ब्रेक ठीक नहीं है। इस को ठीक कर दो लेकिन वर्कशाप वाले ब्रेक ठीक नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूं कि एक दिन मैं नंगल से चंडीगढ़ आ रही थी। ड्राईवर ने नंगल वर्कशाप में अड्डा इन्चार्ज से जा कर कहा कि इस बस की ब्रेक काम नहीं करती इस को ठीक करवा दो लेकिन अड्डा इन्चार्ज कहने लगा कि चलो जब आओगे तो ठीक करवा लेना। बदकिस्मती से उसी दिन रास्ते में पुलिस चैकिंग के लिये खड़ी थी। पुलिस ने उस से ब्रेक लगाने के लिये कहा चूंकि ब्रेक ठीक नहीं थी वह 20 फर्लांग पर जा कर लगी। पुलिस वालों ने उस का जीप पर पीछा किया और चालान कर दिया। वह बेचारा मुझ से कहने लगा कि बहन जी मैं ने आप के सामने वर्कशाप वालों को कहा था कि ब्रेक ठीक कर दो लेकिन उन्हों ने नहीं की। इस में मेरा क्या कसूर है। चालान होने से जो जुरमाना उस गरीब को होगा वह तो वही देगा। पंजाब रोडवेज़ वालों ने तो वह देना नहीं है। इस तरह से उन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती होती है।

रेलवे में जितने एक्सीडेंट होते हैं उन के बारे में एक बोर्ड या कमीशन बना हुआ है। वह बोर्ड उन लोगों को मुआविज़ा देता है जो कि ज़ख्मी होते हैं या हस्पताल में जाते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट डीपार्टमैंट ने कोई ऐसा बोर्ड नहीं बनाया हुआ जो कि ऐसे आदमियों को मुआवज़ा दे। मैं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगी कि जिस तरह से सम्भरबाल साहिब को चालीस हज़ार रुपया मुआविज़े का दिया गया है इसी तरह से जो भी आदमी मोटर एक्सीडैंट में इनवाल्व हो जाता है उस को मुआविज़ा मिलना चाहिये। न सिर्फ पंजाब रोडवेज़ अपने एम्लाईज़ को ही मुआविज़ा दे बल्कि जो भी पैसैंजर उस में इनवाल्व हो जाता है उस को मुआविज़ा मिलना चाहिये। क्योंकि उस में उन का तो कुछ दोष नहीं होता। यह भी पंजाब सरकार की तरफ से एक श्लाघायोग कदम होगा, ज़रूर उठाया जाना चाहिये।

मुख्य मन्त्री : ट्रिब्यूनल बना हुआ है और पैसे भी दिये जाते हैं आप को पता नहीं है ।

श्रीमती सरला देवी : अगर ऐसी बात है तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे पता नहीं होगा मैं मानती हूँ । ऐसा ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो कि लोगों को पैसे देता है तो बड़ी खुशी की बात है।

ड्राईवर लोग साढ़े पांच बजे घर से चलते हैं और छः बजे बस अम्बाले से ले कर वाया चंडीगढ़ खरड़, रोपड़, और नवांशहर होते हुए जालन्धर पहुँचते हैं। इतना लम्बा सफर कर के वे लोग सवा बजे के करीब जालंधर पहुँचते हैं लेकिन सवा दो बजे फिर उन को वापस भेजा जाता है। ट्रेजडी यह है कि रास्ते में बस जो पन्द्रह मिनट या आधा घंटा ठहरती है वह वक्त उन लोगों की ड्यूटी में से काट लिया जाता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । उन को उस वक्त भी ड्यूटी पर ही मानना चाहिये क्योंकि उस वक्त भी उन से पैसेंजर कुछ न कुछ पूछताछ करते ही रहते हैं। उन के उस काम की भी गिनती होनी चाहिये और उन की बोनस और तनखाह में बढ़ावा होना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को बस द्वारा पंजाब में सब स्टेशनों से मिलाया हुआ है। सिर्फ दो बदनसीब ऐसे स्टेशन हैं जिन को नहीं मिलाया गया, एक तो ज़िला फिरोज़पुर में मुक्तसर है और दूसरा कांगड़ा ज़िला है जिस को डायरेक्ट चंडीगढ़ से नहीं मिलाया गया। मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि हमारे कांगड़े ज़िला को भी, मसलन हमीरपुर सब-डिवीज़न को डायरैक्ट चंडीगढ़ से मिलाया जाना चाहिये। मनाली और चंडीगढ़ का बस के द्वारा डायरैक्ट कनटेक्ट होना चाहिये। मैं ने सुना है कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब का कुछ झगड़ा चल रहा है। वे कहते हैं कि सारे रूट हमारे होने चाहियें लेकिन पंजाब सरकार कहती है कि 50 : 50 हिस्सा होना चाहिये। आपस में फैसला कर के इस रूट को ज़रूर चलाया जाना चाहिये। सरकार ने पंचायतों और ब्लाक समितियों को उत्साह देने के लिये यह विश्वास दिलाया हुआ है कि जितनी भी सड़कें बनाई जाएंगी उन पर बसें ज़रूर चलाई जाएंगी। हमीरपुर सब-डिवीज़न में चीफ मिनिस्टर साहिब खुद जा कर देख आए हैं कि लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पत्थरों को तोड़ कर बड़ी सुन्दर सड़कें बनाई हुई हैं। मैदानों में जो सड़क दो दिन में बनाई जा सकती है वह वहां पर पन्द्रह दिन में भी बनानी बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी लोगों ने मेहनत कर के सड़कें बनाई हैं। हम ने कई बार लिख कर दिया है कि वह सड़कें बरसात में तबाह हो जाती हैं और रुपया गवर्नमैंट का लगता है। इस लिये उन पर बसें ज़रूर चलनी चाहियें। पिछले पी० टी० सी० ने मुझे और फूल साहिब को बुलाया था और उन्हों ने पूछा था कि हमें बताओ कि कहां कहां पर मोटर चलनी चाहिये। मैं यह महसूस करती हूं कि पहले भी कई दफा यही बात पूछी गई लेकिन अमल कुछ नहीं किया गया। अब शायद कुछ अमल इस

[श्रीमती सरला देवी]

बात पर हो जाए क्योंकि अब पी० टी० सी० साहिब दिलचस्पी लेने लगे हैं । मैं अर्ज़ करनी चाहती हूँ कि बिज्जड़ से होशियारपुर को बस चलती है। ढड़वाल का मिल्टरी एरिया है। बदकिस्मती से सड़कें कच्ची हैं। जब वर्षा होती है तो सड़कों के टूटने से बसें बंद हो जाती हैं। पिछले दिनों जब बारिश हो रही थीं सड़कें खराब हो रही थीं । फौज के सिपाहियों को वापस अपनी यूनिट में जाना था लेकिन बस बंद होने के कारण नहीं जा सकते थे। लाचार उन्हों ने हम से लिखवाया कि यह चिट्ठी हमारी यूनिट में लिख दो कि बारिश होने की वजह से और बसें बंद होने के कारण हम हाज़िर नहीं हो सके। वे डरते थे कि कहीं उन का कोर्ट मार्शल न हो जाए। बस बिज्जढ़ से तीस मील होश्यिारपुर तक आती है और तीस मील आगे नंगल जाती है। फिर उसी रास्ते से वापस तीस मील होश्यिारपुर आती है और तीस मील महारल से बिज्जढ़ पहुँचती है। होश्यिारपुर से सुजानपुर की तरफ सड़क बिल्कुल बनी हुई है। इस लिये मैं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करूंगी कि वह ज़िला कांगड़ा की तरफ खास तौर पर ध्यान दें।

इस के साथ ही साथ एक और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ । हमार लिए जो राशन पानी है वह भी दूसरे जिलों से आता है। उस के लिए हमें दो रुपया फी मन के हिसाब से ट्रक का खर्चा देना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि जो हिल्ली एरियाज़ हैं और खास तौर पर ज़िला कांगड़ा यहां पर ज़रूर कुछ न कुछ कन्सैशन होना चाहिए क्योंकि यहां पर न नहरें चल सकतीं हैं, बिजली वहां नहीं है जो बिजली पैदा होती है वह हम दूसरों को ही देते हैं। इस लिये इन सभी चीज़ों की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। (घंटी) आखिर में मैं अपने ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्हों ने पंजाब में ट्रांस्पोर्ट को एक बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और पंजाब इस सम्बन्ध में खूब तरक्की कर रहा है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री (फगवाड़ा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब से पहिले मैं ट्रांस्पोर्ट के कमर्शल विंग की बाबत कुछ कहना चाहता हूँ । आज पंजाब के अन्दर पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, गुढ़गांव, अम्बाला से जो बसें चल रही हैं वह मुख्तलिफ किस्म की चल रही हैं। तीन किस्म की वह बसें हैं....लेलैंड, मरसिडीज़ और डाज । डिपार्टमैंट ने जो नतीजा निकाला है वह यह है कि लेलैंड और मरसिडीज़ की बसें हैं उन पर माईल खर्चा 74 नए पैसे आता है लेकिन डाज की बसों पर 93 नए पैसे पर माईल खर्चा आता है। अब मैं आप के द्वारा ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि जब लेलैंड और मरसिडीज़ की बसों पर माईल खर्च बहुत कम आता है तो क्या वजह है कि सरकार ने डाज की बसों को खरीदा है और पठानकोट और गुड़गांव के डिपुओं से वह आज भी चल रही हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि इन बसों की एजंसी चीफ मनिस्टर साहिब के साहिबज़ादे के पास है इस लिए यह नुक्सान वाली बात भी की जा रही है?

उपाध्यक्षा : आप तो बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। इस लिए आपस की बातों में न उलझिए। आप सुझाव दीजिए कि ट्रांस्पोर्ट के महकमे में क्या क्या नुक्स हैं और उन को कैसे दूर किया जा सकता है। ज़ाती बातों में न पड़िए। (The hon. Member is a good speaker. He should not enter into personal controversies. He should point out the draw-backs in the Transport Department and give suggestions to remove them. He should not be personal.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा।

इस के बाद दूसरी बात यह है कि डाज की बसों की उम्र इस सरकार ने छः साल मुकर्रर की हुई है लेकिन इस के मुकाबिले में लेलैंड और मरसिडीज़ की उम्र आठ साल की है। इसलिये मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट इस तरह की लिहाज़न कार्यवाहियों को छोड़ दे और जो मुनाफे की बात है, जिस पर खर्च भी पर माईल कम आता है और जिस की उम्र भी ज़्यादा है उस तरह की बसों को मार्किट में लाए।

इस के अलावा मैं आप के द्वारा ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि बसों पर और बस स्टैंड और शैड्स पर एडवर्टिज़मैंट्स वगैरा के लिए डिपार्टमैंट ने वक्त पर ठेका नहीं दिया था और वक्त पर ठेका न देने की वजह से सरकार को कोई 50,000 रुपए का नुक्सान हुआ है और यह नुक्सान मार्च, 1961 से लेकर अप्रैल, 1962 तक हुआ है। अगर डिपार्टमैंट के कर्मचारी चाहते तो वक्त पर यह ठेका दिया जा सकता था और इस तरह से सरकार लोगों के हित के लिए वह रुपया इस्तेमाल कर सकती थी। पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी में अपनी रिपोर्ट के पैरा 48 में सफा 54 पर लिखा है:

> "It was pointed out in para 46 of the Audit Report, 1961 that Government suffered a loss as a result of delay in finalising the contract for the display of advertisements on Government transport buses, sheds, bus stands, etc. for the period up to 8th March, 1961. Similar delays in the issue of tenders and acceptance of contractsfor this advertisement contract were noticed in 1961 also resulting in further loss of more than half a lakh of rupees (with reference to the offer of Rs 0. 50 lakh received in January, 1961) as indicated below.."

It is stated further in this Report of the Public Accounts Committee.—

> "The Committee had made their recommendation in para 12 of the Fifteenth Report in regard to delay in the execution of the contract as pointed out in the Audit Report, 1961...
> ....The Committee recommend that in future it should be ensured that decisions on matters requiring immediate action should not be delayed."

मैं इस मिसाल के ज़रिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमैंट की कोताही की वजह से, गफलत की वजह से सरकार को इस सिलसिले में काफी नुक्सान उठाना पड़ा जो कि एवायड किया जा सकता था।

[श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री]

इस के साथ ही थोड़े लफ्ज़ों में मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमैंट में प्रोमोशंज़ कैसे होती हैं। जब हमारे ट्रैफिक मैनेजर बनने थे तो पब्लिक सर्विस कमिशन ने कुछ आदमियों का इन्टरव्यू लिया था इस में सरदार महेन्द्र सिंह बी. ए. एल. एल. बी. नम्बर वन पर था, रामसरन दास नम्बर दो पर था और गुरबचन सिंह माहिया तीसरे नम्बर पर था। माहिया साहिब की इस डिपार्टमैंट के मिनिस्टर साहिब के पास बड़ी भारी एप्रोच थी। उन्होंने किसी समय, किसी वक्त किसी जेल में उन के साथ जेल काटी होगी। इस लिये पब्लिक सर्विस कमिशन की रिकमेंडेशन को नज़र अन्दाज़ करके उन्हें इस तरह से नम्बर दे दिए गए कि सरदार महेन्द्र सिंह को रिज़ाईन करना पड़ा जो कि पहिले नम्बर पर था। उस ने अपने लैटर में, जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब को ऐड्रैस किया, साफ तौर पर लिखा है कि आप ने पब्लिक सर्विस कमिशन की सिफारिशात को जो नज़र अन्दाज़ किया है यह पक्षपातपूर्ण है इस लिए मैं अपने इस ओहदे से अस्तीफा देता हूं – इसी तरह से वर्क्स मैनेजर की बाबत हुआ। उस के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन ने लिखा कि फलां सब से काबिल आदमी है लेकिन उस को नज़र अन्दाज़ किया गया। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा न कहता हुआ यहीं पर इस बात को खत्म करता हूँ। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

रिसोर्सिज़ एंड रिट्रैंचमैंट कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक इन्होंने बड़े–बड़े शहरों में, ठीक है कि बस स्टैंडज़ पर रैस्ट रूम भी बना दिए, होटल भी बना दिए ताकि पब्लिक को आराम रहे। लेकिन पिछले दिनों यहां पर चंडीगढ़ के लावर्स होटल की चर्चा चली थी। मैं आप के द्वारा सरकार की सेवा में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार का यह कोई घरेलू मामला नहीं है, यह पब्लिक की चीज़ है, पब्लिक की प्रापर्टी है। इस लिये इस मामला में ठीक तरह से आक्शन होनी चाहिए। जो हायर बिड हो उसी को इस तरह से ठेके देने चाहिएं और इस तरह से जो अपने आदमियों को पालने की स्पिरिट है उसे नजर अन्दाज़ कर देना चाहिए।

अब चीफ़ मनिस्टर साहिब हाऊस से चले गए हैं मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता था कि 17 तारीख को कामरेड बाबू सिंह के सवाल 4475 का जवाब देते हुए बताया था कि ट्रांस्पोर्ट वर्करज़ एक्ट के मातहत ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट के रनिंग स्टाफ को वह डबल ओवर टाईम दे रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नमैंट के लीगल रीमेंबरैंसर ने जो एक चिट्ठी लिखी थी उस की कापी मेरे पास मौजूद है। उस में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है ....

"As the Motor Transport Workers Act, 1962, is not applicable to Government undertaking, S. O. No. 67 can be retained as it is."

मैं समझता हूँ कि जो बात चीफ मिनिस्टर साहिब ने कही थी वह इस लैटर की मौजूदगी में बिल्कुल गलत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले दिनों जब मैं जालन्धर

गया तो ट्रांस्पोर्ट ग्राफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुग्रा पढ़ा। वहां पर नैशनल ट्रांस्पोर्ट यूनियन के जेनरल सैक्रेटरी समराह साहिब की तरफ से लिखा हुग्रा था कि ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट पहिले हमें जो ग्रोवरटाईम देता था वह देना बन्द कर दिया है। मैं ग्राप के द्वारा ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि जब ट्रांस्पोर्ट ग्रापरेटर्ज़ एक्ट में भी ग्राठ घंटे की डयूटी लिखी हुई है ग्रौर 48 घंटों की भी है ग्रौर वह एक्ट सन् 1961 से सैंट्ल गवर्नमट ने लागू किया हुग्रा है तो जरूरी है कि वर्करज़ के जो ग्रोवरटाईम के पुराने ड्यूज़ हैं वह उन्हें जरूर मिलने चाहिएं। इस के ग्रलावा ट्रांस्पोर्ट वर्करज़ ऐक्ट के मुताबिक ग्राए दिन वर्करज़ हज़ारों शिकायात करते हैं खास तौर पर लेबर डिपार्टमैंट के मुताल्लिक करते हैं कि उन को छुट्टी नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता, तन्खाहें नहीं मिलतीं। इन कारणों से डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं ग्रौर जब इन झगड़ों का ग्रापस में फैसला हो जाता है, ऐग्रीमैंट हो जाता है.................... मैनेजमेंट ग्रौर ऐम्पलाईज़ के दरम्यान...............हो जाता है तो उस रीकवरीज़ के सम्बन्ध में लेबर डिपार्टमैंट की तरफ से जल्दी सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाते। इस सिलसिले में मैं ग्राप के द्वारा दो मिसालें यहां पेश करना चाहता हूं कि छः छः महीनों से सर्टिफिकेटस लटक रहे हैं। ग्राज से दो साल पहिले लेबर डिपार्टमैंट को लेबर सैक्रेटरी से वह सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे। उस वक्त लेबर कमिश्नर का दफ्तर ग्रम्बाला में होता था। उस वक्त भी एक मास से ज़्यादा ग्रर्सा नहीं लगता था लेकिन ग्रब मेरी हैरानी की हद नहीं रही ग्राज जब कि यहां चण्डीगढ़ में ही लेबर कमिशनर का दफ्तर है तो उस में क्यों छः छ महीने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने में लग जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं ग्राप के द्वारा एक दो मिसालें सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक निर्मल सिंह कन्डक्टर ग्रौर एक दिविन्दर सिंह पटियाला ट्रांस्पोर्ट एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, राम पुरा फूल के बुकिंग कर्ल्क ने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट की दफा 33 के तहत 1563, 1563 रुपए के रिकवरी सर्टीफिकेट जारी करने के लिये 24 सितम्बर, 1963 को लिखा था लेकिन ग्राज तक उन को डिपार्टमैंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देरी हो रही है। फिर इसी तरह से रोहतक में लेबर कोर्ट ने एवार्ड दिया कि 250 रुपया का सुरजीत सिंह कन्डक्टर को जल्दी लेबर डिपार्टमैंट रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करे लेकिन उस को वह ग्रभी तक जारी नहीं किया गया। इस लिए में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिब का ध्यान ग्राप के द्वारा दिलाना चाहता हूँ कि उन के महकमें के वरकरों के साथ लेबर डिपार्टमैंट की तरफ से बड़ी बे इनसाफी हो रही है। उस डिपार्टमैंट ने पिछले कुछ ग्रर्सा से धांधली मचा रखी है ग्रौर वह वर्करज़ के भले की बात सोचने के लिए तैयार भी नहीं है।

थोड़े दिनों की बात है मेरे हल्का में चहेडू के पास एक बस का हादसा हुग्रा था ग्रौर इसी तरह से ग्रभी बहन सरला जी ने बताया है कि डल्हौज़ी के रास्ता में बनी खेत के पास भी एक हादसा हुग्रा है जिस में कई ग्रादमी मर गए हैं। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी ग्रादमी हादसों की वजह से ज़ख्मी हों उन सब को

[श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री]

ही कम्पैंसेशन देनी चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ एक आध को ही दी जाए। इन हादसों की ज़िम्मेवारी केवल ड्राइवर की ही नहीं होती इन के ज़िम्मेदार और ऐलीमेंट भी होते हैं। एक तो जो इन्सपैक्टोरेट स्टाफ होता है वह गाड़ियों की देखभाल ठीक तरह से नहीं करते। उन को अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए आने जाने के लिये फ्री पास मिल जाते हैं और वह गाड़ियां ठीक तरह से इन्सपेक्ट नहीं करते, इस कर के भी हादसे हो जाते हैं। इस के अलावा कई सड़कें कई गावों के बीच में से होकर जाती हैं और जब बसें वहां से गुज़रती हैं तो सड़कों के दोनों किनारों पर से माल मवेशी होते हैं और वहां बच्चे भी खेलते होते हैं जिस करके वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस लिए ऐसे गावों के पास बसों के आने जाने के लिये बाई-पास बनाए जाने चाहिएं। फिर मैं प्रावीडेंट का ज़िक्र करना चाहता हूँ। वर्करों का प्रावीडेंट वक्त से जमा नहीं कराया जाता।

उपाध्यक्षा : आप के अब 11 मिनट हो चुके हैं इस लिए आप जल्दी खत्म करें। दो मिनिट और आप बोल लें। (The hon. Member has taken 11 minutes. He may take another two minutes and wind up please.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं क्योंकि लेबर कलास को रिप्रीज़ेंट करता हूँ इस लिए मुझे थोड़ी देर के लिये उन की तकालीफ की बाबत कह लेने दीजिए।

उपाध्यक्षा : आप दो मिनट में खत्म करें। (Please wind up in two minutes.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नमैंट ने एक ट्राईपार्टी कमेटी बनाई थी। यह कमेटी 28 मई, 1960 को बनी थी और इस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदमी भी थे, ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज़ के नुमायंदे भी थे और कुछ सरकार के नुमायंदे भी शामिल हुए थे। उस कमेटी ने 29 जून, 1962 को इन चीज़ों के बारे में कुछ डिसीयन्ज़ लिए थे। बोनिस के बारे में उस ने फैसला किया था कि वर्कर्ज़ को एक महीने की तनखाह बोनस के रूप में मिलनी चाहिये। ग्रेडज़ बढ़ाने के बारे में भी उन्होंने सिफारिश की थी और रिटायरिंग एज के लिए उन्हों ने कहा था कि रिटायरिंग एज 60 साल होनी चाहिये। लेकिन मैं आप के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमैंट ने अभी तक उन को बोनस नहीं दिया। बल्कि डिपार्टमैंट की तरफ से कहा गया है कि वह बोनस नहीं देंगे बल्कि उस की जगह 70 फीसदी वर्करों को एफीशेन्सी रिवार्ड दिया है। इस से मैं समझता हूँ कि जब सरकार हमारी बनाई हुई कमेटी की सिफारिशात पर अमल नहीं कर रही तो प्राइवेट कम्पनियों वाले उस की सिफारिशात पर कब अमल करेंगे। इस बारे में मैं तो इस के लिए यही कहूँगा कि औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत।

फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि पैप्सू रोडवेज़ का एक बुकिंग कर्लक 6 महीने से अण्डर सस्पैन्शन है लेकिन उसे आज तक चार्जशीट नहीं किया गया। सरकार को किसी भी सरकारी कर्मचारी को सात दिन से ज़्यादा वक्त के लिये सस्पेण्ड नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर के लिये सस्पेंड करना ज़रूरी हो तो उसे सस्पेन्शन के पीरियड में पूरी तन्खाह दी जाए और अगर वह सस्पेन्शन के बाद बहाल हो जाए तो उस से तन्खाह वापस न ली जाए और अगर वह वहाल न हो तो उस से उस की आधी तन्खाह वापस ले ली जाए। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि आज इस महंगाई के ज़माने में एक वर्कर का घरेलू खर्च जिस की एवरेज चार आदमियों की फैमिली हो इस प्रकार है:—

		रुपए
आटा	...	28.50
दाल सब्ज़ी	...	20
घी वनस्पति	...	6
नमक मिर्च	...	3
किराया मकान	...	12.50
घर की सफाई का खर्चा	...	2
बिजली का खर्च	...	5
साबन का खर्च	...	5
तेल	...	2.50
दूध	...	16
चीनी	...	6
मुतफर्क	...	15
बच्चों की फीस	...	3—4

इन इखराजात में मैं ने बीमारी का खर्च और महमान आदि का खर्च शामल नहीं किया। इस तरह से एक वर्कर का एक महीने का खर्च 120 या 130 रुपए बनता है लेकिन आप उसे देते है कुल 100 या 125 रुपए। तो आप बताएं कि वह किस तरह से गुज़ारा कर सकता है। यह चीज़ उस सरकार के एहद में हो रही है जो सोशलिस्ट समाज लाने का नारा देती है। मैं कहता हूँ कि अगर इस ने यहां समाज-वाद लाना है तो इसे अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, जगीरदार और मुज़ारे और मालिक और मज़दूर की तमीज़ को दूर करना होगा बल्कि इसे बिलकुल मिटा देना चाहिए। मैं इन वज़ीर साहिबान और इन की मण्डली झुण्डली से पूछता हूँ इन में से कितनों ने अपने टूअर प्रोग्राम्ज़ में वर्कर के घर पर खाना खाया है। इन में से किसी ने नहीं खाया होगा क्योंकि यह जानते हैं कि इन्हें वहां उस के घर पर न कीमा मिल सकता है, न मुरग़े पके हुए मिल सकते हैं, न स्पशल दाल सबज़ी मिल सकती है और न ही इलेकशन के लिये फण्ड मिल सकता है। इस लिए यह हमेशा कारखानेदारों और पूंजी पतियों के खाना

[श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री]

खाते हैं जहां इन को इलेक्शन फण्ड मिलता है और उस के बदले में यह उन्हें कोटे और परमिट और खामी माल के लाइसेंस देते हैं। इस लिए मैं इन्हें चेतावनी देता हूँ कि अगर इन्हों ने वर्किंग कलास की बेहतरी और बहबूदी की तरफ कदम न उठाए तो मज़दूर हो कर कोई और रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे।

श्री अमर नाथ शर्मा (कांगड़ा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब ने इस सदन में ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट की डिमाण्ड पास कराने के लिये जो रेज़ोल्यूशन पेश किया है.........

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वायंट आव आर्डर, मेडम। मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां सदन के सामने जितनी भी डिमाण्डज़ आई हैं उन सब पर यह कहा जाता रहा है कि हरिजनों की भलाई के लिये बहुत कुछ किया गया है लेकिन हमें यह अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम उन पर कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो हमें टाइम नहीं दिया जाता।

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाएं मैं हरिजनों को सब से ज़्यादा समय देती हूँ। (The hon. Member may please resume his seat. I give the maximum time to Harijans.)

सरदार लछमन सिंह गिल : आन ए प्वायंट आव आर्डर मैडम।

उपाध्यक्षा : आप और किसी वक्त बोल लेना। क्यों वक्त ज़ाया करते हैं। (The hon. Member may speak on some other item. Why is he wasting the time?)

सरदार लछमन सिंह गिल : आप ने तो हमारी कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी। मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि आप ने अभी यह जो फरमाइया है कि आप हरिजनों को सब से ज़्यादा वक्त देती हैं क्या इस हाउस में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट्री ट्रीटमेंट किया जा सकता है?

श्री अमर नाथ शर्मा : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस डिमाण्ड के ज़रिये जो रकम मन्जूर कराने के लिये मिनिस्टर साहब ने यह मोशन पेश की है इस पर बहस करते समय माननीय सदस्यों को देखना होगा कि आया इस महकमा ने कोई अच्छे काम भी किए हैं या नहीं किए। अगर अच्छे काम किये हैं तो इन्हें इस को पास कर देना चाहिए। हो सकता है कि काम करने में कोई त्रुटि रह जाए और कोई कमी रह जाए। अब देखना यह है कि पंजाब में दो किस्म की बातें चल रही हैं.............। और पंजाब सरकार ने अभी यह किया है कि वह अभी दस साल तक सरकार के साथ 50 : 50 बेसिज़ पर बसें चलाएं। उन लोगों और वर्कर्ज़ से हमदर्दी कर के सरकार ने उन के साथ यह पैक्ट किया है कि वह पचास फी सदी बसें चलाएं। दस साल के

बाद सारी बसें सरकार की होंगी। (विघ्न) प्राइवेट बस वालों को यह हक इस लिये दिया गया है.................(चौधरी नेत राम की तरफ से विघ्न) चौधरी नेत राम जी सुनने का भी गुरदा रखिये।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम जी मैं आप के समय से समय निकाल लूंगी। (I will deduct this time out of the time to be allotted to the hon. Member.)

श्री **अमर नाथ शर्मा** : जो निंदक है वह निन्दा ही करेगा, प्रशंसा सुन नहीं पाएगा। अच्छी बात को अच्छा कहना ही उचित होता है। । बुरी बात को बेशक बुरा कहें । मैं अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब में 1949 में 3,239 मीलों पर बसें चला करती थीं। (विघ्न) अब जबकि सरकार ने यह काम कुछ अपने हाथ में लिया है तो आप 6,284 मील का सफर बसों के ज़रिये कर सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं उस रुपए की करना चाहता हूँ जो कि इन बसों पर सरकार ने लगा रखा है । आया यह रुपया कुछ प्राफिट दे रहा है? क्या यह अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सवारियां बढ़ी हैं उन को ज़्यादा आराम दिया जाता है? आप यह सुन कर खुश होंगे कि जितना पैसा सरकार ने रोडवेज़ की अपनी बसों पर लगाया है वह सारे का सारा खज़ाना में वापस कर दिया है। सिर्फ 152 लाख रुपया जो कि डिपरीसियेशन, इनशोरैंस और इम्पलीमैंटस वगैरह पर लगा हुआ है वह पड़ा है। 1962 में इस सर्विस ने 140 लाख रुपए का प्राफिट निकाला। जब इस तरह से काम चल रहा है तो मतलब यह है कि वह महकमा काबले तारीफ काम कर रहा है। उस की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। हो सकता है कि इस महकमें में कुछ कमियां भी हों। इतना बड़ा महकमा है, इतने ड्राइवर, इतने कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क, मिस्त्री, या दूसरे जो वर्कर हैं तो उन में कमी हो सकती है मगर यह कहना गलत है कि जो इस में रुपया लगा हुआ है उस को अच्छी तरह से सम्भाला नहीं जा रहा है। आप देखें जब 1956 में पैप्सू में अवामी हुकूमत बनी तो नैशने-लाइज़ेशन के सवाल पर यह किया गया कि 80 फीसदी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का रखा गया और 20 फीसदी हिस्सा रेलवे का रखा गया। वहां भी प्राफिट हो रहा है। सवारी अच्छी है, बसें भी अच्छी हैं । सरकार ने दस साल के लिये उन लोगों को और काम करने की इजाज़त इस लिये दी है कि इस काम में करीब 12 हज़ार ड्राइवर, इतने ही कन्डक्टर और दूसरा अमला यानी कुल मिला कर 30 हज़ार के करीब लगे हुए थे उन की रोजी बनी रहे । सरकारी खज़ाने से पैसा लगाया और आहिस्ता आहिस्ता नैशनेलाइज़ करने का प्रोग्राम बनाया और उन कम्पनियों से 50: 50 बेसिज़ वाला कन्ट्रैक्ट बनाया । यह दस साल तक रहेगा। इस के अलावा एक तीसरी बस सर्विस है जिस में पंजाब सरकार के 40 फीसदी, हिमाचल प्रदेश के 40 फीसदी और रेलवे के 20 फीसदी हिस्से हैं। यह सर्विस पठानकोट से मनाली तक चलती है। उस में

पठानकोट से बैजनाथ तक पंजाब का एरिया है। तो जब और जगह पर 50: 50 बेसिज़ पर बसें चलती हैं तो वहां पर भी ऐसे ही चलें। दूसरी बात इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार का महकमा उस विभाग को इस सर्विस को नैशनेलाइज़ करने की सोच रहा है। सब से पहले कांगड़े ज़िले की सर्विस को नैशने-लाइज़ करने की सोच रहा है। मैं नैशनेलाइज़ेशन के हक में हूँ क्योंकि यह अच्छी चीज़ें हैं। मगर एक अच्छी सरकार अपने वादों को पूरा करती है। साथ ही मैं सरकार से यह भी कहता हूँ कि जब आप सारे पंजाब के रूट्स को नैशनेलाइज़ करें उसी वक्त इस रूट को भी कर लें। तब कांगड़ा के लोगों को कोई गिला न होगा। वहां पर भी सैंकड़ों वर्कर्ज़ ड्राइवर्ज़, कंडक्टर्ज़ और दूसरे लोग काम में लगे हुए हैं और रोज़ी कमा रहे हैं और उस में कम से कम दो सौ शेयरहोल्डर्ज़ हैं। मैं समझता हूँ कि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा, उस इलाके के साथ अन्याय होगा अगर दूसरे हिस्सों की ट्रांस्पोर्ट को तो दस साल तक नैशनेलाइज़ न किया जाए और कांगड़ा की इस सर्विस को नैशनेलाइज़ अभी से कर लिया जाए।

दूसरी बात मैं कच्चे रूट्स के बारे में करना चाहता हूँ। यह प्राइवेट बसों को दिये जाते हैं मगर चूंकि वहां पर सवारी कम मिलती है इस लिये, प्राइवेट बसें वहां पर नहीं चलतीं। उन को आमदनी नहीं होती खास तौर पर पहाड़ी ज़िलों में। मगर खुशकिस्मती से कांगड़ा एक फौजी जिला है। हमें इस बात का गर्व है कि हम ने इस ऐमरजैंसी के दिनों में भी सब से बढ़कर फौजी भर्ती दी है। हमारे इन नौजवान फौजियों को वहां पर 10,15 और 20 मील तक बिसतरे उठा कर बस वगैरह पकड़ने के लिये पैदल चलना पड़ता है। जब हम यह बातें देखते हैं तो शर्म आती है कि हम कहते तो यह हैं कि हम अपने फौजियों को हर, प्रकार की सहूलतें देंगे मगर इस तरफ ध्यान नहीं देते। उन लोगों को सहूलियात देनी चाहिएं। और जहां पर प्राइवेट कम्पनियों वाले बसें नहीं चलाते वहां पर सरकार को अपनी बसें चलानी चाहिए ताकि देश के लिये कुरबानी करने वालों को सहूलियत मिल सके। मैं और अधिक न कहता हुआ ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूँ कि यह बड़ा तरक्की का बजट है इस को और आगे बढ़ाना चाहिए। यह जो डिमांड है इस को पास किया जाना चाहिए। आप का धन्यवाद ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕਢਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਜ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਜਰਾ । (The hon. Member may speak in good strain today).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮਾੜਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਟ੍ਰੈਯਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦੇ (ਵਿਘਨ) ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀ....... .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । This was meant for Sardar Gurcharan Singh and not for the hon Member.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂ । ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਇਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 50 ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਾਲਵਾ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਟ ਲਏ ਤੇ ਜੋ ਬਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਇਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬੁਕਿੰਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਕ ਰੂਟ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ ਛਡ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਰੂਟ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹਿਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 250-300 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਰੂਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਮਾਇਲੈਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲਦੇ ਹਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਨਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਪਾਸ ਜਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਵਰਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ -ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ- ਮਲੋਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨਾਪਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਢਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਿਸਾਰ-ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅੰਬਾਲਾਂ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹ ਰੂਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲੇਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟੁਟੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ

ਅਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਉ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਖਦਰ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਖਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਦਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਅ ਦੀ ਖਦਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਤਾ ਚਾਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲਾਨ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੋ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਡੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਖਿੜਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੀਟਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 80% ਗਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਇਹ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਵੀ ਅਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਵੇਰੀ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਵੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਬਾਹਲਾ ਦੁਧ ਕਢ ਲਉ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਵੇਰੀ ਹੀ ਹੈ । ਅਜ ਚੰਦਾ ਦਿਉ ਤੇ ਕਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਚਾਹੋ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਉ 300 ਮੀਲ ਦਾ 400 ਮੀਲ ਦਾ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿ-ਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਲੋਕ ਬਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ । ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੇ ਬਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਇਹ ਬਿਲਡੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਫਲੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੋ ਮੀਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਮੀਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਕਫੀਅਤ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ

ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਪਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । (It is their right.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਆਇੰਦਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । (yes positively.)

श्री सुरिंदर नाथ गौतम (ऊना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा यह जो 5 करोड़ रुपये की डिमांड सदन में ट्रांस्पोर्ट मंत्री ने रखी है मैं इस के लिये सरकार का बड़ा ही धन्यवादी हूँ कि सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाया है और ट्रांस्पोर्ट के महकमा नें बड़ी ही तरक्की की है। आज हम इस ट्रांस्पोर्ट के जरिए से एक ही दिन में धर्मशाला पहुँच जाते हैं और वापस लुधिआना या चंडीगढ़ आ जाते हैं, इस से पहले इस तरह के सफर के लिये हमें कई कई दिन गुज़ारने पड़ते थे।

ट्रांस्पोर्ट ने रेलवे के मुकाबला में काफी तरक्की की है। मगर अब भी बहुत खामियां इस में हैं। मैं आप के द्वारा चीफ़ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि ट्रांस्पोर्ट के महिकमा में जो वर्कर्ज़ काम करने वाले हैं उन्हों ने जो डीमांड्ज़ महंगाई की, बोनस वगैरह की, की हैं वह सरकार को जल्दी से जल्दी मान कर इनकी मांगें पूरी करनी चाहियें जैसा कि कमीशन ने भी इन के लिये सिफारिश की है। आज सरकार उन को तरह तरह के फंडज़, वगैरह जमा कराने के लिये मजबूर करती है, मगर आज तक यह वरकर्ज़ बदस्तूर काम करते चले आ रहें हैं इन्हों ने बाकायदा अपना डिसिपलन कायम रखा है। इन लोगों पर जो महिंगाई का असर हो रहा है सरकार को खास ध्यान रखना चाहिये । (*Shri Chiranji Lal Sharma in the Chair*) चयरमैंन साहिब, मेरे से पहले मेरी बहन सरला देवी जी ने भी बताया है कि नगंल ऐसे मुकाम हैं जहां पर रात को ड्राईवर पहुंचता है तो उनके रहने के लिये भी जगह नहीं है । मैं अपने चीफ़ मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह इस तरफ दिलानी ज़रूरी समझता हूँ कि आज रोड–वेज़ के बड़े बड़े बस सटैंड बनाये गये है मगर जो वर्कर्ज़ हैं, मोटर

[श्री सुरिंद्र नाथ गौतम]

डराईवर्ज़ हैं और कंडक्टर्ज हैं इनकी रिहायश का कोई प्रबन्ध नहीं। मैं अर्ज़ करूंगा कि इन लोगों की रिहायश के लिये इस सरकार को ज़रूर क्वार्टर्ज तैयार करने चाहियें। जब सब ज़िलों में रोडवेज़ के बस स्टैंड बन चुके हैं तो नंगल जोकि खास जगह है और जिस के लिये जगह भी मखसूस की जा चुकी है, अभी तक बिल्डिंग बनाने का ध्यान नहीं दिया गया है।

एक और जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वह यह है कि कुछ लोगों ने रोडवेज़ के मनेजर से मिलकर जो लोकल बस $3\frac{1}{2}$ बजे ऊना से नंगल चलती थी वह आगे ऊना से दौलतपुर को चला दी है। बजाये इस के कोई नई बस ऊना से दौलतपुर चलाई जाती, अब लोगों को इस के बंद होने से इन्तज़ार में घंटों तक खड़े होना पड़ता है। मैं इस तरफ अपने ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिब की तवज्जुह दिलाना चाहता हूँ कि इस लोकल रूट के मुताल्लिक गौर फरमाया जाये। इसी तरह सड़कें जो कि कच्ची है अगर रोडवेज़ को चलाने के लिये पर्मिट देते हैं और 50 प्रतिशत सरकार का शेयर उस पर हो जाता है प्राईवेट ओनर्ज़ ने शुरू शुरू में ट्रांसपोर्ट को कामयाब करने में बड़ी कुरबानियां की हैं और अगर रोडवेज़ को जब पक्की सड़कों के रूट्स दिये जाते हैं जोकि 55 प्रतिशत सरकार ने किया है। जिस का नतीजा यह हुआ है कि रोडवेज़ कच्ची सड़कों पर गाड़ियां चलाने को तैयार नहीं होती, सरकार रोडवेज़ की गाड़ियां जब खुद नहीं चलाने को तैयार जिस का नतीजा यह होता है कि दिहातियों को इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर किसी और ने गाड़ी चलानी हो तो उसे 60,000 के करीब उस पर खर्च करना पड़ता है। इतना खर्च करने के बावजूद भी उसे यह यकीन होता है कि दो-एक साल सड़क पक्की .ने के बाद यह सारा पैसा जाया जायेगा क्योंकि इस पर सरकारी रोडवेज़ की गाड़ियां चलाई जायेगी इस लिये कोई भी इस तरह के कच्चे रूट्स पर गाड़ियां चलाने को तैयार नहीं होता है। इस लिये मैं अपने वज़ीर साहिब से कहूंगा कि वह इस तरफ ज़रूर ध्यान दें और देखें कि किन किन रूटस पर रोडवेज़ ने अभी तक गाड़ियां नहीं चलाई हैं।

वर्कर्ज़ की डीमांड भी पूरी होनी चाहिये। जैसे प्राईवेट ओनर्ज़ के लिये यह पाबंदी है कि ड्राइवर्ज़ कंडक्टर्ज को वर्दियां टाइम पर मिलनी चाहिये इसी तरह की पाबंदी अपने के लिये भी लगानी ज़रूरी है। मैं एक ही बात और करना चाहता हूँ।

5 p.m.

और वह यह है कि जो ड्राइवर्ज़ और कंडक्टर्ज़ के चलान होते हैं और उन को जुर्माने होते हैं। क्योंकि गाड़ी की देखभाल करके उनके सुपुर्द करना वर्कमिस्त्री का काम है इसलिये वह कसूरवार नहीं होते हैं। इस प्रोसीजर को सरकार को बदलना चाहिए। और उनके जुरमाने सरकार अदा करे?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Nihalsinghwala) : ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ 4,38;29;530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ

ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ । ਕੇਵਲ ਸਾਲ 62-63 ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 62-63 ਵਿਚ 22 ਲਖ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਉ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਲਾਭ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਤਾ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਨਾ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਨਕਰੀਟ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3 ਰੁਪਏ 72 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਡੂਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੰਜਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਮੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ, ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਟੈਕਸ ਕਰਾਇਆ ਘਟਾਉ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਪਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗੇ ਹੀ 300 ਜਾਂ 400 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ 1961 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਪਲ, ਬਰਸਾਤੀ, ਕਪੜੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਧੁਲਾਈ ਆਦਿ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ ਅਤੇ ਕਨਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦਿਲੀ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ $5\frac{1}{4}$ ਬਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ $11\frac{1}{4}$ ਬਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਥੋਂ $4\frac{1}{2}$ ਬਜੇ ਸ਼ਾਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ $10\frac{1}{2}$ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.. ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਅਡੇ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ rest room ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਦੂਰਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Deputy Speaker in the Chair

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ S. S. S. ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ

ਡਾਇਟ ਅਲਾਉਂਸ ਡੇਢ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾਂ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਉ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਹਨ ਹੁਣ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਕਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ **England returned** ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ. ਐਨ. ਟੀ 5490 ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੀ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਲ ਬਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਵਰਕਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੀਅਰਬਕਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਏਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦੀ ਭੱਠੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਬਸ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੱਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਟੁਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਰੀਅ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕਰਿਸ਼ਨ ਬਹਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾਂ ਹਾਂ। ਇਕ ਬਸ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ੩ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਸ ਰੂਟ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਲੁਧਿਆਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ੩ ਵਾਲੀ ਬਸ ਦਾ ਦੋ ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਸੀ ਪਰ 16 ਨੰਬਰ ਰੂਟ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਾਇਆ ਜ ਤਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਗਿਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਪਰੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕ ਰੁਪਿਆ 95 ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋ ਰੁਪਏ 2 ਨਵੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਲ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਉਰੇ ਹੈ । ਘੱਟ ਪੈਂਡੇ ਲਈ ਵਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । 20 ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ 90 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 70 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 77 ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਤੋਂ 7 ਪੈਸੇ ਵਧ ਹੈ । ਅਜਿਹਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਛਡਦਾ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਵਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਡੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਐਕਸੀਡੰਟ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਥਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 250 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਰਲਾ ਮਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 125 ਰੁਪਏ ਤਕ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार गुलाब सिंह जी गवर्नमैंट का व्यू पेश करेंगे इस लिए मुझे एक मिनट दिया जाए ताकि मैं उन से एक बात पूछ सकूं ।

Deputy Speaker: Yes, you can speak for a minute.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौड़) : यह सवाल असेंबली में भी उठाया और एडजर्नमैंट मोशन भी दी कि हमारे हां जो पंजाब रोडवेज़ की खास तौर गुड़गांव रोडवेज़ की बसें चलती हैं वह निहायत घटिया किस्म की हैं और हमारा रोज़ाना तलख तजरुबा होता है। रोहतक की जो बसें चलती हैं वह न तो कभी टाईम पर चलती हैं और उनकी हालत ठीक है वह ऐसी हैं जैसे पीपे पहियों पर खड़े कर दिए है मेरा उनके बारे अपना जाती तलख तजरुबा है कि जब मैनेजर साहिब से शिकायत

टैलीफोन पर की तो उस ने ironically कहा कि क्या करें पंजाब रोडवेज़ की बसें हैं यह पण्डित जी । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि इस तरफ खास तौर से ध्यान दें। देहली से जो बसें आती हैं और जो दूसरी जगहों से आती जाती हैं उनकी हालत तो अच्छी है लेकिन गुड़गाँव वाली बसों की इतनी खसता हालत है कि ब्यान नहीं की जा सकती। रद्दी से रद्दी बसें वहां चलती हैं और एक दिन भी टाइम पर नहीं चलती हैं । मैं उमीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिब इस तरफ ध्यान देंगे ।

Deputy Speaker: I call upon Sardar Gulab Singh to speak.

श्री रूप लाल मेहता : मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमें ज़रूर बोलने का मौका दिया जाए । हमारे ज़िला में जो बसें चलती हैं उनकी हालत बहुत खराब है हम सरकार के नोटिस में वहां की सारी हालत लाना चाहते हैं कि इस लिए ....

उपाध्यक्षा: मैं इस तरह बोलने की इजाज़त नहीं दे सकती आप बैठ जाएं । (I cannot allow you to speak like that. Please resume your seat)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ । ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਸ਼ੋਰ ।

उपाध्यक्षा: मैं ने आपकी पार्टी को समय देने की कोशिश की लेकिन आपका एक भी मैम्बर यहां पर मौजूद नहीं था। (I tried to give time to your party but not a single member of your party was present in the House.

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी (सरदार गुलाब सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस डीमांड के ज़रिए जो रुपया मांगा गया है इस से गाए खरीदी जाएगी जो दूध देगी और मुनाफा देगी । हम जितना रुपया मांगते हैं उसका आधा मुनाफा निकालते हैं इस लिए यह डीमांड हाउस को बगैर नुकताचीनी किए पास कर देनी चाहिए (शोर) इस में शक नहीं पंजाब की बसें सारे देश में बढ़िया, कम खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह हैं ....

बाबू बचन सिंह : किराए के मुताल्लिक भी बताएं ।

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : वह भी बता देता हूँ कि हमारी बसों का किराया सारे देश में सब से कम है (Cheers) अगर आप आंकड़े देखें तो आपको पता

[चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी]

लगेगा कि हमारी बसों का किराया कम से कम 6 पाई और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पाई फी मील फी मुसाफर है लेकिन आप देखें कि यू.पी. में यह 10 पाई है। बाकी सारी स्टट्स में यू. पी., हैदराबाद, बम्बई, देहली, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह सब स्टेट्स में किराया 10 पाई फी मील फी मुसाफर है । इस से साफ ज़ाहर है कि हमारा किराया ज़्यादा नहीं है। अब मैं यह भी हाउस की इत्तलाह के लिए बता देना चाहता कि आखिर क्यों किराया बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी । ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पिछले साल मुतालबा किया चूंकि अप्रेशनल कास्टस बढ़ गईं हैं और हर मैटीरियल की कीमतें बढ़ गई हैं इस लिए किराया ज़्यादा करना चाहिए ताकि वह अपना खर्च मीट कर सकें। यह ठीक है कि गवर्नमेंट को मुनाफा हो रहा है और इस की वजह यह है कि हमारा इन्तज़ाम बहुत अच्छा है लंबे लंबे रूट्स हैं और दूसरे सारे साधन हैं लेकिन उन छोटी छोटी कम्पनियों का इतना अच्छा इन्तज़ाम नहीं है। उन के पास छोटे छोटे 40/50 मील के रूटस हैं इस लिए उनकी तकलीफ को महसूस करते हुए यह किराया बढ़ाया गया । आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि चीज़ों की कितनी कीमतें बढ़ी हैं। मोबल आयल की 35 फी सदी, टायरज़ की 25 फी सदी, डीज़ल की 50 फी सदी, गाड़ियों की 50 फी सदी और बाकी स्पेयर पार्टस की 100 फी सदी कीमतें बढ़ी हैं ....

बाबू बचन सिंह : मुलाज़मों का महंगाई अलाउंस कितना बढ़ा है वह भी बता द। (शोर)

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी : इन कीमतों के बढ़ जाने से 11.2 नए पैसे फी मील खर्च बढ़ा है । इन वजूहात की बिना पर किराया बढ़ाया गया है वैसे ही नहीं बढ़ाया गया है । उस के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि 50 : 50 बेसिज़ पर नैशनलाइ-ज़ेशन हो जाने के वावजूद भी अब सारी स्टेट में 60 फी सदी के करीब प्राइवेट आप्रेटर्ज़ इस ट्रेड में काम कर रहे हैं जिन में बहुत सारे ऐस हैं जिनको बसें छोटी हैं रूटस छोटे हैं और अगर उन को नुकसान पहुचता है तो सरकार को भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए उनकी जायज़ तकलीफ को देखना ही चाहिये । बाकी बाबू जी अलाउंस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के जो मुलाज़म हैं वह बाकी पंजाब सरकार के मुलाज़मों की तरह हैं जितना बाकियों को अलाउंस मिलता है उतना उनको भी मिलता हैं उनके लिए कोई जुदा नहीं होगा (शोर)। टण्डन साहिब ने कहा कि परमिट्स जो दिए जाते हैं वह बड़ी लिहाज़ के साथ दिए जाते हैं । फिर उन्हों ने कहा कि कई ऐसे रूट परमिटस हैं जिन की बहुत कीमत है और उन से पैसे लेत हैं वगैरह वगैरह। मैं उनकी वाकफियत के लिये अर्ज़ करता हूँ कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि परमिटों की कीमत न रहे और वह सब को आसानी से मिल सकें ।

इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम ने यह किया है कि पंजाब के इलाके में जो भी गाड़ी खरीद कर लाता है उसी दिन उस को परमिट मिल जाता है।

बाबू बचन सिंह : शिमला और कश्मीर के परमिट्स की बाबत भी बता दें।

चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी : सब कुछ बताऊंगा ज़रा सबर से सुनें । पंजाब के परमिटस के अलावा बाहर के परमिटस भी होते हैं जो काउंटर साइन होते हैं दूसरी स्टेटस के अन्दर । इन में भी कोई दिक्कत नहीं । जो बाबू जी ने कही है वह भी अर्ज़ करता हूँ कि पहले पंजाब में देहली के परमिटों की कीमत होती थी क्योंकि इन की बड़ी मांग थी लेकिन अब हम ने कोशिश करके देहली सरकार से बात चीत करके इतने ज़्यादा परमिटस ले लिए कि अब कोई दिक्कत नहीं रही है। अब हर ट्रक देहली में काउंटर साइन हो जाता है इसी तरह यू. पी. के बहुत हिस्सों में जितने ट्रक जाते हैं वह काउंटर साइन हो जाते हैं। इसी तरह राजस्थान में है और मैं समझता हूँ कि वहां के कुछ परमिटस पड़े हैं उनको लेने के लिये कोई नहीं आ रहा है। इस के साथ कालका के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम हिमाचल प्रदेश के साथ बात चीत कर रहे हैं । इस रूट पर भी काफी तरक्की की है। किसी वक्त 1947 में 7 ट्रक इस लाइन पर चलते थे। हम ने इस तरफ कोशिश की और कोशिश आगे भी जारी है। अब वहां पर 22 ट्रक चलते हैं। यह कोशिश इस लिए करनी पड़ी है कि वहां पर लोगों को सामान मंगवाने के लिये ज़्यादा किराया देना पड़ता है और काफी दिक्कतें उन के सामने आती हैं। पहले हिमाचल सरकार से इस बारे में बातचीत करनी पड़ती है और कर भी रहे हैं । हमारी कोशिश है कि वहां पर 72 ट्रकों से ज़्यादा ट्रक चलाएं। (विघ्न)

कुछ आवाज़ें : आप पठानकोट के बारे में भी बताएं।

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पठानकोट में भी पहले से कई गुना ट्रक चल रहे हैं और उन की तादाद बढ़ाने का सरकार प्रयत्न कर रही है। अगर जम्मू सरकार इस बारे में सहमत हो जायगी तो मैं समझता हूँ कि वहां पर भी ट्रक के परमिट की किसी को भी भूख नहीं रहेगी ताकि ट्रक जम्मू तक आ जा सकें।

श्री फतेह चन्द विज : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, चीफ पार्लियामेंट्री साहिब नें कहा है कि शिमला-कालका के लिए ट्रकों की संख्या को बढ़ाने के लिये हिमाचल सरकार से बातचीत करनी होगी। (विघ्न)

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : माननीय सदस्य को पता है कि शिमला और कालका जाते हुए हिमाचल प्रदेश का इलाका बीच में आता है। मेरे विचार में यह बात किसी

[चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी]

से छुपी हुई नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री बलरामजी दास टण्डन ने इस सदन में कहा है कि बस स्टैंड बड़े होने चाहिएं, अच्छे होने चाहिएं, आराम देह होने चाहिएं और लैटरीनज़ फुलश सिस्टम की होनी चाहिएं। कई तरह की सहूलतों की मांग की गई। उस के बारे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो नए बस स्टैंड हैं, जैसा कि चंडीगढ़ और बहुत सी जगहों पर बस स्टैंड तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर बड़े-बड़े बस स्टैंड तैयार किए जा रहे हैं। वहां पर फलश सिस्टम को अपनाया जा रहा है। मुसा-फिरों को बैठने के लिये अच्छा इन्तज़ाम किया जा रहा है। (विघ्न)

(कुछ आवाजें : पठानकोट के बारे में भी कुछ कहें।)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पठानकोट में भी बस स्टैंड बनाने के लिये जमीन खरीद ली है और उम्मीद करता हूँ कि वहां पर भी अच्छा बस स्टैंड बनेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री बलरामजी दास टण्डन ने अपनी स्पीच में कहा है कि सामान के लिये टिकट इशू किए जाएं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ने 21 रूटों पर यह सिस्टम लागू कर दिया है और मुसाफिरों का सामान इसी तरह से रखते हैं ताकि लोगों को सहूलतें मिल सकें। श्री बलरामजी दास टण्डन जी ने कहा है कि पुरानी टिक्टें दी जाती हैं। उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कन्डक्टर ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं। इस के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आयी है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। श्रीमती सरला देवी ने ड्राइवरों के लिए रिटायरिंग रूम के बारे में सुझाव दिया है। मैं समझता हूँ कि यह बात उस ने सरकार के नोटिस में लायी है। बहुत अच्छी बात है। जो आदमी 8, 10 घंटे लगातार काम करता है उस को आराम मिलना चाहिए। उस के लिये आराम करने के लिये रिटा-यरिंग रूम होना चाहिए। आगे के लिए जो बस स्टैंड बनेंगे वहां पर इस चीज़ पर गौर किया जाएगा। बर्कशापों के बारे में भी कहा गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार पहले ही वर्कशापों के बारे में कंशीयश है। सरकार वर्कशापस बनाने के लिए कोशिश कर रही है। सरकार सब स्टेशनों पर वर्कशाप बनाने पर सोच रही है ताकि जो बसें रास्तें में खराब हो जाती हैं उन की दिक्कतों को दूर किया जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर मकैनिकस के बारे में कहा गया है कि उन की तनखाहें कम हैं। इतनी थोड़ी तंखाह पर अच्छे मकैनिकस नहीं मिल पाते हैं। इस के अलावा इतनी थोड़ी तंखाह पर वर्क मैनेजर भी नहीं मिल पाते हैं। सरकार इस बारे में सोच रही है कि अच्छे मकैनिकस और वर्क मैनेजर प्राप्त करने के लिये उन के तंखाह के ग्रेडज रिवाइज़ किए जाएं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्रीमती सरला देवी ने कम्पेनसेशन के बारे में ज़िक्र किया था कि कम्पेनसेशन नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं कि उन्हों ने कैसे कहा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डलहोजी में जो बस एक्सीडैंट हुआ था उन में जो इनवाल्वड हुए थे, सरकार ने उन का केस ट्रिब्यूनल को

जाने से पहले ही 5, 5 हज़ार रुपया देने का एलान कर दिया था। इसी तरह से चहेड़ में भी जो बस एक्सीडैंट हुआ था वहां पर सरकार ने कमपेंसेशन दिया था। श्रीमती सरला देवी ने चंडीगड़ से हमीरपुर को बस चलाने के लिए मांग की है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह मांग थोड़े दिनों में पूरी हो जाएगी। उन्हों ने कहा है कि हमीरपुर में सड़क बन गई है लेकिन वहां पर अभी बस नहीं चलती है। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य ने कैसे कह दिया है। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। उस में लिखा हुआ है कि वहां पर काफी नई बसें चल रही हैं और काफी नए रूट मंजूर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पढ़ कर सुना दूं।

होशियारपुर से जाहू, होशियारपुर से सुजानपुर और होशियारपुर से हमीरपुर बस चल रही हैं। (विघ्न) मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहां पर और भी बसें चल रही हैं जिन की तादाद 25 के करीब है। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप इस को साइकलोस्टाइल करके मेम्बरों की जानकारी के लिए सरकुलेट कर दें। (The hon. Member may get it cyclostyled and circulate for the information of the Members.)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री ने कहा है कि डौज का खर्च ज़्यादा होता है और इस की निस्बत मर्सीडीज़ और ले लैंड का खर्च कम होता है। मैं उन की जानकारी के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ बस स्टैंड पर डौज की बसें चलती हैं और अमृतसर के बस स्टैंड पर मर्सीडीज़ और ले लैंड की बसें चलती हैं। चंडीगढ़ में 1 पैसा फी मील कम है।

(**कुछ आवाजें** : आप गुड़गांव के बारे में बताएं।)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चंडीगढ़ की फिगर्ज़ बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में ज़्यादा खर्च आता है। इस की वजह यह है कि वह इलाका बहुत लम्बा चौड़ा है और एक साइड पर है। वहां पर बसों की पूरी मुरम्मत नहीं हो सकती। इस लिए वहां पर ज़्यादा खर्च आता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहां पर वर्कशाप पूरी और ठीक ढंग से काम करती नहीं है। सब-स्टेशनों पर भी पूरा काम नहीं चल रहा है। इस के बारे में 3 अफसर भेजे गए थे और उन्हों ने रिपोर्ट दी है। इस पर सरकार ग़ौर कर रही है। (शोर) (विघ्न)

Deputy Speaker : Kindly wind up.

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस लिए मैं डिटेल्ज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एक माननीय सदस्य ने सदन में कहा है कि माइया को ट्रैफिक मेनेजर रख लिया गया है और श्री महेन्द्र सिंह ने रिज़ाइन कर दिया है। यह इन्फार्मेशन गलत है। श्री माइया पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रखा गया है। उस

[चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी]

का नाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्मेंड किया था। वह बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन से मन्जूरी ले कर रखा गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ओवर टाइम के मुताल्लिक कहा गया है कि ओवरटाइम बन्द कर दिया गया है। यह बिलकुल गलत इन्फर्मेशन है। उन को ओवरटाइम डब्बल दिया गया है। सरकार ने, जिन कर्मचारियों का कांडक्ट अच्छा है, उन को रिवार्ड दिया है। यह 80 प्रतिशत वर्करों को इनाम दिया जाता है। यह रिवार्ड हर साल दिया जाता है।

(**कुछ आवाजें**: आप यह रिवार्ड शतप्रतिशत दें।)

यह रिवार्ड शतप्रतिश्त नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह रिवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन का बिहेवीयर अच्छा होगा अगर सब को दिया गया तो यह इनसैंटिव नहीं रह सकता है। मालवा बस के बारे में कहा गया कि उन को बहुत लम्बे-चौड़े रूट दिये गए हैं और उन के साथ बड़ा फेवरिटिज़्म हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 50:50 बेसिज़ पर जो एग्रीमेंट हुआ है उस के मुताबिक हम यूनियन को आधे रूट दे देते हैं। बाद में पंजाब प्राईवेट ओप्रेटर्ज़ की जो यूनियन है वह खुद आपस में बांटती है। वे चाहे मालवा बस वालों को दे दें या किसी और को देदें। उस में हमारा हाथ बिलकुल नहीं होता। गवर्नमैंट बीच में नहीं आती। किसी को खुश करना हमारे हाथ में नहीं है। मैम्बर साहिब खुद प्राईवेट ओप्रेटर रहे हैं उन को इस बात का पता है। समुन्द्री ट्रांसपोर्ट के बारे में भी नुक्ताचीनी की गई। मेरा जवाब वही है कि जो नए रूट निकलते हैं हम उन को यूनियन के साथ 50:50 बेसिज़ पर बांट लेते हैं। फिर वह आपस में बांटते हैं। इस लिये मेम्बर साहिब ने जो कुछ कहा है या तो वह गलतफहमी पर मबनी है या वह जान बूझ कर ऐसा कह रहे हैं।

वर्कर्ज़ की शिकायात तो आई हैं लेकिन उन्हों ने यह शिकायात की है कि उन को जो वर्दी खद्दर की दी जाती है उस की लाईफ कम होती है। गवर्नमैंट ने सोच विचार के बाद यही फैसला किया है कि वर्दी तो उन को खद्दर की ही दी जाए लेकिन जल्दी दी जाए। इस के लिये उन के पैसे बढ़ा दिये जाएं।

इस के इलावा हाउस में यह कहा गया कि हमारी बसें रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। उन की यह इनफर्मेशन ठीक नहीं है। *(Interruption)*

कामरेड राम प्यारा: यह गलत बात है। He is a responsible man. He should speak something with responsibility.

चीफ पार्लियामैंटरी सेक्रेटरी: आप मेरी बात तो सुन लें (विघ्न)

सरदार मक्खन सिंह तरसिक्का : आन ए प्वायंट आफ आर्डर..........

Deputy Speaker : Will you please take your seat?

(विघ्न)

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : मैं कह रहा था कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने कुछ नार्मज़ मुकर्रर किये हुए हैं। वह नार्म यह है कि अगर बस दस हज़ार मील चल कर खराब होती है तो वह नार्मल गिनी जाती है। पंजाब की बसों का रीकार्ड है कि 0.3 ब्रेक डाउन होती है। (विघ्न) मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप बाकी सूबों की बसों की ब्रेक डाउन से कम्पेयर करेंगे तो आप को मालूम होगा कि पंजाब की बसों का ब्रेक डाउन सब से कम है:—

महाराष्ट्र	...	1.31	कलकत्ता	...	6.0
बिहार	...	1.96	गुजरात	...	1.95
बम्बई	...	8.70	राजस्थान	...	1.2
अहमदाबाद	...	5.09	डी.टी.यू.	...	21.8
मद्रास	...	3.8	मध्यप्रदेश	...	1.65
हिमाचल प्रदेश	...	1.65	मैसूर	...	0.92
आन्ध्रा प्रदेश	...	12.17	पंजाब	...	0.28
यू.पी.	...	0.26			

एक हज़ार बस से ज़्यादा बसें पंजाब रोडवेज़ की चल रही हैं। अगर एक-आध खराब हो जाए तो यह नहीं समझना चाहिये कि सारी बसें ही खराब हो कर खड़ी हो जाती हैं। मैं ज़्यादा वकत न लेता हुआ आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। (इस समय चौधरी नेत राम और सरदार कुलबीर सिंह बोलना चाहते थे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा ने उन को समय नहीं दिया।)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी पांच बज कर बीस मिनट पर शुरू हुए थे और अब उन्हों ने खत्म किया है आप ने किसी डीमांड पर इतना समय नहीं दिया। मैम्बरों का बोलने का हक कहां गया ?

उपाध्यक्षा : आप चेयर को हिदायत कर रहे हैं। आप की हिदायत मंजूर है। (The hon. Member is instructing the Chair. It is accepted.)

कामरेड राम प्यारा : मेरी सबमिशन है, हिदायत नहीं।

उपाध्यक्षा : मैं ने सुन लिया है। आप बैठ जाएं। (I have listened to it. Please resume your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : On a point of order, Madam. ਮੇਰਾ ਪਵਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

Deputy Speaker : This is no Point of Order. Please sit down.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਅਸੀਂ ਅਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਾਇਜ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ —।

चौधरी राम सरूप : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चार बार उठा हूँ आप ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, क्या हम गलत बात कहते हैं ? (विघ्न) मैं ने सब से पहले प्वायंट आफ आर्डर किया आप ने सुना नहीं है मैं पूछता हूँ कि क्या मैं कभी गलत बात कहता हूँ ? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप का प्वायंट आफ आर्डर क्या है ? (What is your Point of Order ?)

चौधरी राम सरूप : अगर सरदार साहिब वक्त दें तो मैं कुछ कहूँ ?

उपाध्यक्षा : आप का प्वायंट आफ आर्डर क्या है ? (What is your point of order ?)

चौधरी राम सरूप : मेरा कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। मैं बोलने के लिये तैयार हूँ। पांच मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा।

Deputy Speaker : No, please. I have already called upon the Chief Minister.

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਰ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਸੇਕ੍ਰਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਗਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸਾਂ ਉਹੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਜਿੰਨਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ

ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਨਟੇਜੀਅਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਨਟੇਜ਼ੀਅਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਕੂੰ ਮਲਾਈ ਮਲਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਟਸ ਹਨ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਲ ਮਨਾਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਮੀਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 60/60 ਮੀਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਥੇ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 60 ਮੀਲ ਚਲੇ ਤੇ ਕਿਥੇ 130 ਮੀਲ ਚਲੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਂ ਪ੍ਰਾਫਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਿਆ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਈ ਫੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਮੁਕਾਬਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ਚਲਵਾਈਆ, ਅਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 25 ਬਸ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ । ਐਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਮਾਈਲ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਖਿਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ । ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਜਨੈਸ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਐਫੀਸੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

50. 50 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਸਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕਲਖਤ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ?

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਸ਼ਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗਲ ਆਖੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੀ । ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਕੈਨਿਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੀਕੈਨਿਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਕ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਜ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਭਣੇ। ਅਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਏ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ? ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਡਆਲੋਜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਗਾ ਟ੍ਰਾਂਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕੁਆਸੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ।

Sardar Gurnam Singh : The transporters contribute money to your party.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਡੀਮੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਗੈਰ ਕਰਾਏ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਐਨੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਔਰ ਟਰੱਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ? ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ – ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰਘਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿਓ। ਅਜ ਵੀ ਜ਼ਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਰੇਟਰ ਟ੍ਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾੜ੍ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਬੈਠਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਰੁਖਕੇ ਅਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 60 ਮੀਲ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ .....

श्री फतेह चंद विज : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर मैडम

उपाध्यक्षा : इस तरह स्पीच को इंट्रप्ट करना अच्छा नहीं लगता आप बैठ जाइए। (It is not desirable to interrupt the speech like that. The hon. Member should resume his seat.)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਗਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Sardar Gurnam Singh: How many are owner drivers ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ—ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਨਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ 10,000 ਆਦਮੀ ਓਨਰ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਮੁਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ, 4,900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਰੀਆਂ ਨੇ—ਵਿਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵਿਚੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 600 ਜੀਪਸ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ 900 ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪੀਟਾਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। 1,100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਪੁਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਰਤੀ ਵਧ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ?

6-00 P.M.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿਤਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਰਖੀ ਹੈ; ਉਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਵਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਕੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਲਕਤੇ, ਬੰਬਈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ.........

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਜ਼ੰਟ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ । ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਈਸੰਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਟਰਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ । ਜਿਥੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਾਰੀਆਂ ਨੋ-ਲਾਸ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਵਧ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟਏਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪਰਾਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਤੇ ਚਲਾਉ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਕੀ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ । ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਘਟ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਉਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਸ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘੁਮ ਘੁਮਾ ਕੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਬਲ ਵੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਇਕ ਅਵਾਜ਼—ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ—ਮਿਲਦਾ ਹੈ) । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ

ਹੋਨ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਗੇ ਵੀ ਦੋ ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਯਾਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੋਵਿਨਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਜ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਐਂਵੇ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਫਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਫਟ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਵਰਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਪੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣੇ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਿਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਖਦਰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਰਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਖਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਦਰ ਦਾ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ । ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਕ ਵਟਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪਕੜਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰਾਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਪੜੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਖਦਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈ ਜਾਈਏ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਥੇ 70 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਦਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀ $1\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਦਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]

ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤ ਕਤਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਧ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਇਕ ਬੋਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ..........

Deputy Speaker : Order, please. Do not interrupt the Chief-Minister like this.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੇਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

श्री श्रोमप्रकाश अग्निहोत्री : मेरी रिक्वेस्ट है कि....

Deputy Speaker : I would request the hon. Member to please resume his seat.

श्री श्रोमप्रकाश अग्निहोत्री : मेरी अर्ज़ यह है कि पंजाब गवर्नमैंट ने खुद एक कमेटी मुकर्रर की थी जिस ने वर्करज़ को उन की एक माह की तनखाह बोनस की शक्ल में देने का फैसला किया था........................

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़, आप इस तरह से इनट्राट करेंगे तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। (Order please, if the hon. Member continues interrupting him like this, I will have to think of some other method to stop them from doing so.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (There is a time to do so. The hon. Member's right to raise a point of order will not be taken away. He may continue to do so but this should not be raised in the midest of a speech)

(Interruption by Chaudhri Net Ram) about Dearness Allowance.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਤੁਸੀਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ................ (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : क्या आप यहां आना पसन्द करेंगे ? (Would the hon. Member like to step into my place ?)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜਿਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ? ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਜੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। (ਹਾਸਾ) ਅਛੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਸਰ ਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਰ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਵਧ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗਵਾਏਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਤਰਫੋਂ ਵਿਘਨ) ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। (ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਨਕਵਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਨਾ ਗੰਦ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੁਰਪਟ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ।

Deputy Speaker I would request the hon. Chief Minister to address the Chair.

(ਵਿਘਨ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਲਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਤਾਲੀਆਂ) ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਏਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁਪ ਰਹਾਂਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੱਕ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਜੀਪਾਂ, ਟੈਕਸੀਜ਼ ਮੋਟਰ ਰਿਕਸ਼ੇ; ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇਥੇ ਆਉਂਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ! ਸਪੀਡ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀਂ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ

[ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ]

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 : 50 ਬੇਸਿਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਢ ਲਈ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਛਣ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਠੀਕ ਰਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਮੀਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਘਟ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਘਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਤਾੜੀਆਂ)

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Rs. 1,000

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the motion be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Cut-motion at Serial No. 3 stands in the name of Shri Rup Singh Phul.

Shri Rup Singh Phul : Madam, I beg to withdraw my cut-motion.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

Deputy Speaker : The next cut-motion is in the name of Capt. Rattan Singh.

Captain Rattan Singh : Madam, I beg to withdraw my cut-motion.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn

Deputy Speaker : Cut-motions at serial Nos. 5 and 6 stand in the names of Chaudhri Ran Singh and Sardar Pritam Singh Sahoke.

Chaudhri Ran Singh Madam, I beg to withdraw my cut-motion.

Sardar Pritam Singh Sahoke : Madam, I also, beg to withdraw my cut-motion.

Deputy Speaker : Have the hon. Members the leave of the House to withdraw their cut-motion ?

Voices : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,38,69,530 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head '57-Road and Water Transport Schemes.

6. 22 p. m. — *The motion was carried.*

(The Sabha then adjourned till 9.00 A. M. on Tuesday, the March, 1964).

1146 PVS—6-5-64—386 copies—C., P.& S. Pb., Patiala.

APPENDIX

to

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

Vol. I—No. 18, Dated the 16th March, 1964.

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE DIRECTORATE OF INDUSTRIAL TRAINING

1365. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts, separately, in Directorate of Industrial Training (including subordinate offices) together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement giving the requisite information is as follows :—

STATEMENT

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/ Backward Class	Percentage of posts in each Category		Percentage of posts resereved for them	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
Office of Inspector of Industrial Schools, Punjab.							
1.	Shri Ram Nath Nahar, Asstt. Inspector of Industrial Schools, Punjab	6-6-62	Scheduled Caste	50%	—	20%	—
	Special Trade Institutes						
1.	Shri Bharat Bhushan, Principal ..	22-3-61 (A. N.)	Backward Class				
	Industrial Training Institutes						
1.	Shri Prabhu Ram, Principal ..	4-8-43	Ditto	—	9·1%	—	2%
	CLASS III EMPLOYEES						
	Head Office						
1.	Shri K. R. Kundal, Head Assistant ..	15-10-55	Backward Class	10%	6%	20%	2%
2.	Shri Pritam Dass Kalsi, Assistant ..	21-6-62	Scheduled Caste				
3.	Shri Prem Singh Kainth, Assistant ..	21-6-62	Backward Class				
4.	Shri Narinder Singh, Technical Officer	19-6-63	Ditto				

5.	Shri Chaman Lal, Assistant	19-3-63	Scheduled Caste				
6.	Shri Sanwal Ram, Assistant	28-3-63	Ditto				
7.	Shri Munshi Ram, Assistant	28-3-63	Ditto				
8.	Shri Mohan Lal, Clerk	29-4-63	Backward Class				
9.	Shri Nagar Singh, Clerk	13-7-63	Scheduled Caste				
10-	Shri Harbans Singh, Technical Asstt.	8-5-62	Backward Class				
11.	Shri Ram Asra Singh, Clerk	9-7-62	Ditto				
12.	Shri Om Parkash, Restorer	2-12-63	Scheduled Caste				
13.	Shri Surat Ram, Restorer	2-12-63	Ditto				
14.	Shri Mangal Dass, Restorer	17-8-63	Ditto				
15.	Shri Dhian Singh, Clerk	2-7-62	Ditto				
16.	Shri Jasmer Singh, Clerk	24-9-63	Ditto				
17.	Shri Inder Sain, Head Assistant	1-1-64	Backward Class				
	Office of tbe Deputy Directress of Industrial Training for Women, Punjab						
1.	Shri G. S. Giani, Accountant	8-8-51	Backward Class	—	100%	20%	2%
2.	Shri Lachhman Dass, Steno-typist	3-4-61	Ditto	—	33%	20%	2%
3.	Shri Ranjit Singh, Clerk	25-4-60	Ditto	4%	8%	20%	2%
4.	Shri Hari Ram, Clerk	19-8-63	Scheduled Caste				
5.	Shri Saloh Dev, Clerk	21-10-63	Backward Class				
6.	Shri Surjit Singh, Clerk	5-5-60	Ditto				
7.	Shri Ram Lal, Clerk	18-11-60	Ditto				
8.	Shri Pritam Chand, Clerk	29-4-60	Scheduled Caste				
9.	Shrimati Nirmal Kumari, Junior Mistress	6-2-52	Ditto	2%	—	20%	2%

S. No.	Name of the officil with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/ Backward Class	Percentage of posts in each Category		Percentage of posts reserved for them	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
		Class III Employees—*contd.*					
10.	Shrimati Saraswati Devi, Junior Mistress	13-1-52	Scheduled Caste				
11.	Shrimati Kartar Kaur, Jun icr Mistress ..	31-10-60	Ditto				
	Office of Inspector of Industrial Schools, Punjab						
1.	Shri Saran Singh, Accountant ..	27-3-43	Scheduled Caste	9%	3%	20%	2%
2.	Shri Jai Ram ..	7-2-55	Ditto				
3.	Shri Saroop Singh ..	15-9-50	Ditto				
4.	Shri Jisukh Rai, Headmaster ..	19-5-42	Ditto				
5.	Shri Ram Parshad Bottomer ..	22-4-43	Ditto				
6.	Shri Mam Chand ..	17-5-48	Ditto				
7.	Shri Mohan ..	4-12-48	Ditto				
8.	Shri Bachan Lal ..	17-1-55	Ditto				
9.	Shri Sant Lal ..	18-9-62	Ditto				
10.	Shri Mouji Ram ..	9-5-63	Ditto				
11.	Shri Mangal Dass ..	8-11-52	Ditto				
12.	Shri Karam Chand ..	1-8-51	Ditto				
13.	Shri Chander Bhan ..	18-3-63	Ditto				
14.	Shri Balwant Singh ..	1-1-64	Ditto				

15. Shri Raghubir Singh ..	4-5-59	Backward Class					
16. Shri Charan Singh ..	18-4-41	Ditto					
17. Shri Harinder Singh ..	3-2-60	Ditto					
18. Shri Narain Dutt ..	1-2-28	Ditto					
Special Trade Institutes							
1. [illegible] ...ning & Weaving Mast[illegible]	1-4-52	Scheduled Caste					
2. Shri Charan Singh, Jobber ..	1-7-57	Backward Class					
3. Shri Dharam Chand, Laboratory Asstt. ..	12-9-59	Ditto					
4. Shri Puran Chand, Clerk ..	14-7-59	Ditto					
5. Shri Sarwan Singh, Mechanic ..	15-12-49 (A. N.)	Ditto					
6. Shri Dial Singh, Clerk ..	4-12-58	Scheduled Caste					
7. Shri Jogeshwar Raj, Time and Ledger Keeper ..	23-1-60	Ditto					
8. Shri Harbhajan Singh, Bleaching Assistant	28-9-60	Backward Class					
9. Shri Rajinder Singh ..	12-12-63	Ditto					
Industrial Training Institutes							
1. Shri Rur Singh, Assistant ..	20-9-60	Scheduled Caste	$4\frac{1}{4}$%	$7\frac{1}{8}$%	20%	2%	
2. Shri Parman Nand, Clerk (P) ..	2-8-63	Ditto					
3. Shri Bhup Singh, Assistant ..	7-2-59	Ditto					
4. Shri Om Parkash, Clerk ..	27-12-63	Ditto					
5. Shri Ram Nath, Clerk ..	22-3-63	Backward Class					
6. Shri Sulekh Chand, Clerk ..	16-1-58	Ditto					

S. No.	Name of the official with designation		Date of appointment	Whether belong to Scheduled Caste/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
					Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2		3	4	5	6	7	8
			Class III Employees—*contd.*					
7.	Shri Gian Chand, Clerk	..	24-1-64	Backward Class				
8.	Shri Gopal Singh, Head Clerk	..	27-4-43	Ditto				
9.	Shri Chandji Ram, Clerk (P)	..	6-8-62	Scheduled Caste				
10.	Shri Madan Singh, Clerk	..	1-11-62	Ditto				
11.	Shri Dharam Singh, Hostel Clerk	..	15-1-64	Ditto				
12.	Shri Prithi Chand, Accountant	..	10-2-61	Backward Class				
13.	Shri Ajit Singh, Accountant	..	8-10-63	Scheduled Caste				
14.	Shri Nikka Ram, Clerk	..	14-6-63	Ditto				
15.	Shri Rajinder Singh, Clerk	..	14-5-63	Ditto				
16.	Shri Sardari Lal, Assistant	..	15-12-57	Backward Class				
17.	Shri Suraj Bhan, Assistant	..	13-1-60	Scheduled Caste				
18.	Shri Mehar Chand, Accountant	..	11-11-63	Ditto				
19.	Shri Inder Singh, Clerk	..	14-5-63	Backward Class				
20.	Shri Bhagwana Ram, Assistant	..	6-12-57	Scheduled Caste				
21.	Shri Ram Krishan, Hostel Clerk	..	1-1-64	Backward Class				
22.	Shri Balbir Singh, Storekeeper	..	11-4-63	Ditto				
23.	Shri Gurdev Singh, Clerk	..	17-10-63	Scheduled Caste				

24.	Shri Gurdit Singh, Clerk ..	7-11-63	Backward Class
25.	Shri Tirlok Singh, Accountant ..	14-10-63	Ditto
26.	Shri Harbans Lal, Clerk ..	25-9-63	Ditto
27.	Shri Kirpal Singh, Hostel Clerk ..	4-1-64	Ditto
28.	Shri Jagdish Chander, Supervisor ..	17-6-55	Scheduled Caste
29.	Shri Harjit Singh, Fitter ..	1-8-63	Backward Class
30.	Shri D. K. Lal, Foreman ..	1-4-49	Ditto
31.	Shri Jaswant Singh, Supervisor ..	1-4-49	Ditto
32.	Shri Mangal Singh, Stenography Instructor	24-9-63	Ditto
33.	Shri Bharpur Singh, Pattern Maker ..	1-8-63	Ditto
34.	Shri Bhagat Ram, Supervisor ..	19-1-48	Ditto
35.	Shri Raj Kumar, Draftsman Instructor ..	28-12-62	Ditto
36.	Shri Didar Singh, Draftsman, Mechanical	30-5-60	Ditto
37.	Shri Ganpat Rai, Supervisor ..	1-6-55	Ditto
38.	Shri Ram Kanwar, Fitter Instructor ..	2-8-63	Ditto
39.	Shri Kuldip Singh, Foreman ..	20-3-48	Scheduled Caste
40.	Shri Sarwan Kumar, Supervisor ..	28-1-58	Ditto
41.	Shri Mewa Singh, Supervisor ..	23-1-63	Ditto
42.	Shri Teja Singh, Moulder Instructor ..	16-8-60	Ditto
43.	Shri Tarlok Singh, Radio Mechanic Instructor ..	8-9-62	Backward Class
44.	Shri Karnail Singh, Mechanist ..	9-2-63	Ditto
45.	Shri Gurbux Singh, Fitter Instructor ..	6-7-62	Ditto
46.	Shri S.R. Gupta, Foreman ..	24-1-64	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				; cheduled Castes	Backward Classes	heduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
		Class III Employees—*contd.*					
47.	Shri Rattan Lal ..	2-8-63	Backward Class				
48.	Shri Darbari Lal, Fitter ..	3-1-63	Scheduled Caste				
49.	Shri Kanwal Neter, Fitter Instructor ..	9-1-63	Backward Class				
50.	Shri Kaur Chand, Pattern Maker ...	12-10-63	Ditto				
51.	Shri Gian Singh, Blacksmith ..	11-10-63	Ditto				
52.	Shri Harjit Singh, Fitter Instructor ..	3-8-63	Scheduled Caste				
53.	Shri Gojinder Dass, Fitter Instructor ..	2-8-63	Ditto				
54.	Shri Jarnail Singh, Sheet Metal Instructor	9-1-63	Backward Class				
55.	Shri Amir Chand, Pattern Maker ..	2-8-63	Ditto				
56.	Shri Jang Singh, Fitter Instructor ..	2-8-63	Ditto				
57.	Shri Naginder Singh, Allied Trade ..	21-1-58	Ditto				
58.	Shri Shiv Narain, Turner ..	4-3-63	Ditto				
59.	Shri Achhar Ram, Supervisor ..	14-8-52	Ditto				
60.	Shri Amar Nath, Supervisor ..	8-1-49	Ditto				
61.	Shri Dalip Singh, Allied Trade Instructor	8-8-63	Ditto				
62.	Shri Gurcharan Singh, Carpenter Master	1-8-63	Ditto				
63.	Shri Resham Dass, Allied Trade Instructor	9-6-62	Scheduled Caste				

64.	Shri Zila Singh, Draftsman Mechanic ..	9-6-58	Backward Class
65.	Shri Karnail Singh, Drawing Instructor ..	12-8-62	Ditto
66.	Shri Sian Dass, Cutting and Tailoring ..	2-8-63	Ditto
67.	Shri Hari Ram Bhagat, Cutting and Tailoring ..	4-3-48	Scheduled Caste
68.	Shri Karar Singh, Supervisor ..	10-12-46	Backward Class
69.	Shri Sukhdev Verma, Welder Instructor ..	9-1-63	Ditto
70.	Shri Harbans Singh, Printing Machine Operator ..	16-3-49	Ditto
71.	Shri Mukhtiar Singh, Drawing Instructor	29-6-63	Scheduled Caste
72.	Shri Surrender Singh, Carpenter Instructor	4-1-63	Backward Class
73.	Shri Surjit Singh, Fitter Instructor ..	1-1-63	Ditto
74.	Shri Dilawar Singh, Instructor ..	1-8-63	Scheduled Caste
75.	Shri Pak Ram, Instructor ..	9-1-63	Ditto
76.	Shri Jarnail Singh, Carpenter Instructor ..	17-7-61	Ditto
77.	Shri Karnail Singh, Fitter Instructor ..	3-8-63	Ditto
78.	Shri Gurcharan Singh, Electrician ..	1-8-63	Backward Class
79.	Shri Sadhu Singh, Carpenter ..	2-8-63	Ditto
80.	Shri Jasbir Singh, Blacksmith Instructor ..	10-8-62	Ditto
81.	Shri Darshan Singh, Pattern Maker Instructer	2-8-63	Scheduled Caste
82.	Shri Hardev Singh, Fitter Instructor ..	9-8-64	Ditto
83.	Shri Jaswant Rai, Blacksmith Instructor ..	2-8-63	Ditto
84.	Shri Milkhi Ram, Supervisor ..	4-8-49	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
	CLASS III EMPLOYEES—*concld.*						
85.	Shri Hans Raj, Supervisor ..	25-9-48	Scheduled Caste				
86.	Shri Dev Raj, Supervisor ..	20-9-59	Ditto				
87.	Shri Jagat Ram, Sports Leather Instructor	25-5-49	Ditto				
88.	Shri Lal Chand, Cutting and Tailoring Instructor	11-7-50	Backward Class				
89.	Shri Mehr Chand, Foot wear Instructor ..	18-11-48	Scheduled Caste				
90.	Shri Jai Parkash, Blacksmith Instructor ..	23-4-63	Ditto				
91.	Shri Hari Singh, Carpenter Instructor ..	28-8-63	Backward Class				
92.	Shri Gurcharan Singh, Fitter Instructor ..	3-8-63	Ditto				
93.	Shri Man Singh, Allied Trade Instructor	1-8-63	Ditto				
94.	Shri Sunder Singh, Pattern Maker ..	15-1-63	Ditto				
95.	Shri Joginder Singh, Foreman ..	4-4-47	Scheduled Caste				
96.	Shri Charan Dass, Pattern Maker ..	1-8-63	Ditto				
97.	Shri Sansar Chand, Turner Instructor ..	1-8-63	Ditto				
98.	Shri Gurdial Singh, Watch Repair Instructor	29-1-63	Backward Class				
99.	Shri Harbans Singh, Supervisor ..	14-1-58	Ditto				
100.	Shri Santokh Singh, Drftsman Civil Instructor	22-5-63	Ditto				

101. Shri Tarsem Singh, Carpenter Instructor ..	25-1-60	Ditto				
102. Shri Baldev Singh, Drawing Instructor ..	6-6-63	Ditto				
103. Shri Rattan Singh, Draftsman Mach. Instructor	15-4-59	Ditto				
104. Shri Sohan Lal, Foreman ..	17-7-48	Scheduled Caste				
105. Shri Jasbir Singh, Fitter Instructor ..	16-4-63	Backward Class				
Head Office		CLASS IV EMPLOYEES				
1. Shri Amar Das, Peon ..	4-9-62	Scheduled Caste	23%	—	20%	2%
2. Shri Gurmukh Singh, Peon ..	13-3-62	Ditto				
3. Shri Kaka Singh, Peon ..	16-2-62	Ditto				
4. Shri Ram Parkash, Peon ..	5-7-62	Ditto				
5. Shri Sardara Singh, Peon ..	26-11-62	Ditto				
6. Shri Gurdas, Peon ..	30-4-63	Ditto				
7. Shri Mewa Singh, Peon ..	7-10-63	Ditto				
8. Shri Krora Singh, Peon ..	10-12-63	Ditto				
Office of the Deputy Directress, Industrial Training for Women, Punjab						
1. Shri Ram Phal, Sweeper ..	13-12-61	Scheduled Caste	14%	—	20%	2%
2. Shri Prithvi Raj, Sweeper ..	19-11-42	Ditto				
3. Shri Prem Chand, Sweeper ..	1-4-53	Ditto				
4. Shrimati Savitri Devi, Sweeper ..	1-4-54	Ditto				
5. Shri Man Phool, Sweeper ..	1-6-62	Ditto				
6. Shri Hari Ram, Sweeper ..	1-4-53	Ditto				
7. Shri Bhola Ram, Sweeper ..	1-4-53	Ditto				

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/Backward Class	Percentage of posts in each category		Percentage of posts reserved for them	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
	CLASS IV EMPLOYEES—*contd.*						
8.	Shri Gurbaxa, Mali ..	11-11-53	Scheduled Caste				
9.	Shri Bhagwani, Sweeper ..	1-4-53	Ditto				
10.	Shrimati Naroti, Sweeper ..	8-8-63	Ditto				
11.	Shrimati Lila Devi, Sweeper ..	1-7-57	Ditto				
12.	Shri Bhagat Ram, Sweeper ..	24-2-59	Ditto				
13.	Shrimati Ram Piari, Sweeper ..	20-4-60	Ditto				
14.	Shri Piara Lal, Sweeper ..	1-10-59	Ditto				
15.	Shrimati Ram Devi, Sweeper ..	1-4-63	Ditto				
16.	Shrimati Oma Devi, Sweeper ..	24-4-50	Ditto				
17.	Shri Mangat Ram, Sweeper ..	1-10-59	Ditto				
18.	Shrimati Bimla Devi, Sweeper ..	1-4-63	Ditto				
19.	Shrimati Vidhya Devi, Sweeper ..	13-6-60	Ditto				
20.	Shrimati Parkasho, Sweeper ..	9-9-60	Ditto				
21.	Shri Piara Lal, Peon ..	10-4-59	Ditto				
22.	Shrimati Paro Devi, Sweeper ..	20-2-62	Ditto				
23	Shrimati Nihalo, Sweeper ..	11-9-63	Ditto				
24.	Shri Jagdish, Sweeper ..	20-5-63	itto				

25.	Shrimati Lachho, Sweeper	10-10-63	Ditto				
26.	Shrimati Krishna, Sweeper	11-10-62	Ditto				
27.	Shrimati Parmeshwari, Sweeper	May, 63	Ditto				
	Office of the Inspector of Industrial School, Punjab						
1.	Shri Mohan	21-4-61	Ditto	21%	—	20%	2%
2.	Shri Mehar Singh	1-7-53	Ditto				
3.	Shri Biru Ram	1-4-53	Ditto				
4.	Shri Manohar Lal	1-4-53	Ditto				
5.	Shri Hari Dev	10-3-61	Ditto				
6.	Shri Om Parkash	1-10-60	Ditto				
7.	Shri Bali Ram	1-4-52	Ditto				
8.	Shri Sham Lal	11-7-52	Ditto				
9.	Shri Lachman Ram	23-10-62	Ditto				
10.	Shri Baldeva	1-4-53	Ditto				
11.	Shri Bhikha	5-11-53	Ditto				
12.	Shri Lal Chand	1-4-53	Ditto				
13.	Shri Manohar Lal	1-2-62	Ditto				
14.	Shri Bhagwana	22-5-55	Ditto				
15.	Shri Naurata Ram	1-4-53	Ditto				
16.	Shri Malava Ram	16-11-63	Ditto				
17.	Shri Ram Paul	1-8-53	Ditto				
18.	Shri Tika Ram	1-4-53	Backward Class				
	Special Trade Institutes						
19.	Shri Nanu Ram	1-4-53	Scheduled Caste				

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Caste/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
	Class IV Employees—*contd.*						
2.	Shri Pala Ram ..	29-4-53	Scheduled Caste				
3.	Shri Bhai Ram ..	1-6-56	Ditto				
4.	Shri Banwari Lal ..	25-7-63	Ditto				
5.	Shri Sohan Lal Sweeper ..	18-9-50	Ditto				
6.	Shri Malkiat Singh, Peon ..	1-10-63	Ditto				
7.	Shri Sant Ram, Sweeper ..	16-5-53	Ditto				
8.	Shri Sunder Dass ..	17-2-61	Ditto				
9.	Shri Sarwan Singh, Chowkidar ..	17-7-63	Ditto				
10.	Shri Mukand Lal, Peon ..	25-3-50	Backward Class				
11.	Shri Amir Chand, Peon ..	5-9-50	Ditto				
12.	Shri Sardari Lal, Waterman ..	1-12-53	Ditto				
13.	Shri Man Bahadur, Chowkidar ..	1-4-53	Ditto				
14.	Shri Ragunath, Mali ..	1-6-58	Ditto				
15.	Shri Jia Lal, Mali ..	1-8-56	Ditto				
16.	Shri Tika Ram, Chowkidar ..	1-4-53	Ditto				
17.	Shri Chuni Ram, Waterman ..	1-4-53	Ditto				
18.	Shri Jai Ram, Store-attendant ..	1-3-57	Ditto				
19.	Shri Shiv Dayal, Boiler Attendant ..	1-3-57	Ditto				

20.	Shri Puran Chand, Laboratory Bearer ..	1-6-54	Ditto				
21.	Shri Prem Chand, Cleaner ..	1-4-53	Ditto				
22.	Shri Channu Ram ..	14-11-51	Scheduled Caste				
23.	Shri Chandi Ram ..	1-4-53	Ditto				
24.	Shri Tidda Ram ..	1-h-55	Ditto				
Industrial Training Institutes							
1.	Shri Bagga Singh, Peon ..	18-9-63	Backward Class	26½%	7⅓%	20%	2%
2.	Shri Balwant Singh, Chowkidar ..	21-9-63	Ditto				
3.	Shri Lachman Dass, Sweeper ..	1-10-63	Scheduled Caste				
4.	Shri Saroup Singh, Chowkidar ..	28-10-63	Ditto				
5.	Shri Sant Lal, Peon ..	2-8-63	Backward Class				
6.	Shri Nanak Chand, Chowkidar ..	2-8-63	Ditto				
7.	Shri Kanwal Kishore, Workshop Attendant ..	12-12-59	Ditto				
8.	Shri Bhagat Singh, Sweeper ..	3-8-62	Scheduled Caste				
9.	Shrimati Kamla ..	16-9-63	Ditto				
10.	Shri Puran Chand, Peon ..	22-12-62	Ditto				
11.	Shri Munshi Ram, Workshop Attendant ..	7-8-63	Ditto				
12.	Shri Sanji Ram, Peon ..	7-8-63	Ditto				
13.	Shri Piara Lal, Sweeper ..	7-8-63	Ditto				
14.	Shri Chaman Lal, Sweeper ..	28-6-62	Ditto				
15.	Shri Phula, Sweeper ..	5-10-62	Ditto				
16.	Shri Jogi Ram, Workshop Attendant ..	17-10-63	Backward Class				

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Castes/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Class	Scheduled Castes	Backward Class
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Shri Siri Chand ..	11-9-63	Backward Class				
18	Shri Naginder Singh, Peon ..	19-2-64	Scheduled Caste				
19.	Shri Dass Ram, Sweeper ..	26-9-63	Ditto				
20.	Shri Nand Lal, Sweeper ..	1-2-64	Ditto				
21.	Shri Chaman Singh, Peon ..	9-9-63	Backward Class				
22.	Shri Jagdat, Mali ..	1-2-64	Ditto				
23.	Shri Gurdas, Sweeper ..	11-9-62	Scheduled Caste				
24.	Shri Balkrishan, Sweeper ..	14-9-63	Ditto				
25.	Shri Mangat Ram, Peon ..	22-11-63	Ditto				
26.	Shri Jagir Singh, Chowkidar ..	23-9-63	Ditto				
27.	Shri Mohal Lal, Sweeper ..	29-8-63	Ditto				
28.	Shri Atma Singh, Workshop Attendant ..	19-9-63	Ditto				
29	Shri Basakha Singh, Workshop Attendant ...	21-11-63	Ditto				
30.	Shri Tara Chand, Sweeper ..	11-12-63	Ditto				
31.	Shri Dayal Singh, Chowkidar ..	10-9-63	Ditto				
32.	Shri Ram Chander, Peon ..	1-11-63	Ditto				

33.	Shri Buni Ram, Sweeper	..	30-8-61	Ditto
34.	Shri Rissal Sweeper	..	14-4-59	Ditto
35.	Shri Dan Singh	..	1-2-63	Ditto
36.	Shri Badhu Ram	..	1-4-63	Ditto
37.	hri Mani	..	11-5-59	Ditto
38.	Shri Udhey Singh, Peon	..	21-6-55	Ditto
39.	Shri Pokhar Ram	..	15-9-48	Ditto
40.	Shri Sher Singh, Waterman	..	13-9-63	Backward Class
41.	Shri Ram Kishan, Sweeper	..	13-9-63	Scheduled Caste
42.	Shri Ram Mehr, Peon	..	5-12-63	Ditto
43.	Shri Shish Ram, Chowkidar	..	21-12-63	Ditto
44.	Shri Tara Chand, Sweeper	..	2-9-63	Ditto
45.	Shri Pritam Singh, Chowkidar	..	1-2-64	Ditto
46.	Shri Ram Pal, Peon	..	1-2-64	Ditto
47.	Shri Balu Ram, Peon	..	1-9-63	Ditto
48.	Shri Amar Nath, Sweeper	..	9-9-63	Backward Class
49.	Shri Prem Singh, Workshop Attendant	..	10-9-63	Scheduled Caste
50.	Shri Nirmal Dass, Workshop Attendant	..	18-4-48	Ditto
51.	Shri Nazar Singh, Workshop Attendant	..	1-1-48	Ditto
52.	Shri Lakha Ram, Chowkidar	..	27-6-50	Ditto
53.	Shri Jivan Maseh, Chowkidar	..	31-1-5o	Ditto
54.	Shri Ghasita Ram, Chowkidar	..	12-7-48	Ditto
55.	Shri Natha Singh, Chowkidar	..	27-1-57	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Castes/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	Shri Mehr, Sweeper ..	1-9-59	Scheduled Caste				
57.	Shri Mhera, Sweeper ..	25-12-50	Ditto				
58.	Shri Dulla, Sweeper ..	25-12-50	Ditto				
59.	Shri Quadar, Sweeper ..	1-10-52	Ditto				
60.	Shri Moju Ram, Peon ..	3-10-53	Ditto				
61.	Shri Salamat Masih, Chowkidar ..	15-3-62	Ditto				
62.	Shri Tarni Masih, Workshop Attendant ..	30-9-57	Ditto				
63.	Shri Gurbachna, Peon ..	1-3-62	Ditto				
64.	Shri Amar Nath, Sweeper ..	1-9-61	Ditto				
65.	Shri Sansari Lal, Sweeper ..	17-9-61	Ditto				
66.	Shri Gian Chand, Sweeper ..	2-5-63	Ditto				
67.	Shri Bawa Ram, Workshop Attendant ..	1-4-53	Ditto				
68.	Shri Ranji, Sweeper ..	3-12-63	Ditto				
69.	Shri Sheo Ram, Sweeper ..	1-4-64	Ditto				
70.	Shri Manglu Ram, Workshop Attendant	11-11-51	Ditto				
71.	Shri Baru Ram, Workshop Attendant ..	25-12-53	Ditto				
72.	Shri Munsha Singh, Workshop Attendant	22-10-59	Ditto				

73.	Shri Pritam Singh, Chowkidar ..	27-5-57	Ditto
74.	Shri Pala Ram, Sweeper ..	16-4-58	Ditto
75.	Shri Sangaru Ram, Sweeper ..	6-9-60	Ditto
76.	Shri Kalu Ram, Sweeper ..	17-9-61	Ditto
77.	Shri Nathu Ram ..	10-11-55	Ditto
78.	Shri Ram Singh, Workshop Attendant ..	11-11-48	Backward Class
79.	Shri Ram Sharan, Peon ..	24-11-61	Ditto
80.	Shri Gurbax Singh, Peon ..	1-3-47	Ditto
81.	Shri Smai Ram, Mali ..	20-11-59	Ditto
82.	Shri Ram Saran, Sweeper ..	16-9-63	Scheduled Caste
83.	Shri Munshi Ram ..	4-8-62	Ditto
84.	Shri Sangti ..	1-8-64	Ditto
85.	Shri Palitu Ram, Workshop Attendant ..	8-5-55	Backward Class
86.	Shri Pannu Ram, Workshop Attendant ..	14-5-51	Ditto
87.	Shri Didar Singh, Workshop Attendant ..	1-11-51	Ditto
88.	Shri Waryam Singh, Chowkidar ..	8-12-61	Ditto
89.	Shri Fauja Singh, Mali ..	4-9-61	Ditto
90.	Shri Chand Lal, Sweeper ..	27-7-63	Scheduled Caste
91.	Shri Jaimal, Sweeper ..	1-5-63	Ditto
92.	Shri Gian Chand, Sweeper ...	15-10-63	Ditto
93.	Shri Ujagar Singh, Peon ..	21-12-63	Ditto
94.	Shri Madho Ram, Sweeper ..	21-12-63	Ditto
95.	Shri Raj, Sweeper ..	2-9-63	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Castes/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classess
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	Shri Ram Samar ..	21-4-62	Backward Class				
97.	Shri Kachru, Sweeper ..	9-12-59	Scheduled Caste				
98.	Shri Sham Singh, Sweeper ..	14-11-61	Ditto				
99.	Shri Hukam Chand, Workshop Attendant	1-1-60	Ditto				
100.	Shri Hari Chand, Chowkidar ..	9-12-59	Ditto				
101.	Shri Budhau, Chowkidar ..	1-2-64	Ditto				
102.	Shri Ajit Singh ..	11-9-63	Ditto				
103.	Shri Surjan Singh ..	1-7-63	Ditto				
104.	Shri Jita ..	11-9-63	Ditto				
105.	Shri Naranjan Singh ..	11-9-63	Ditto				
106.	Shri Amrik Singh ..	11-9-63	Ditto				
107.	Shri Bhullan ..	9-11-63	Backward Classes				
108.	Shri Chobbi Ram ..	13-2-50	Ditto				
109.	Shri Jai Singh ..	11-1-64	Ditto				
110.	Shri Nanda Sarup ..	18-7-63	Scheduled Caste				
111.	Shri Swaran ..	2-9-63	Ditto				
112.	Shri Jai Chand, Peon ..	22-8-63	Backward Class				
113.	Shri Kura Ram, Sweeper ..	22-8-63	Scheduled Caste				

114.	Shri Mittan Lal, Chowkidar ..	10-2-64	Ditto
115.	Shri Darshan Lal, Workshop Attendant ..	5-10-63	Ditto
116.	Shri Dewa Singh, Peon ..	12-10-63	Ditto
117.	Shri Jagat Ram, Chowkidar ..	11-9-63	Ditto
118.	Shri Dass Ram, Sweeper ..	3-9-63	Ditto
119.	Shri Sohan, Sweeper ..	7-12-63	Ditto
120.	Shri Krishan Lal. Peon ..	7-2-64	Backward Class
121.	Shri Ram Dass, Peon ..	26-11-62	Scheduled Caste
122.	Shri Madan Lal, Sweeper ..	22-5-62	Ditto
123.	Shri Sunpat, Sweeper ..	9-9-63	Ditto
124.	Shri Budhu Ram, Chowkidar ..	3-9-63	Ditto
125.	Shri Madho Ram, Sweeper ..	1-10-63	Ditto
126.	Shri Tiru Ram, Workshop Attendant ...	3-9-63	Backward Class
127.	Shri Chaman Lal, Sweeper ...	15-2-63	Scheduled Caste
128.	Shri Ram Dhar, Mali ...	1-2-59	Backward Class
129.	Shri Babu Singh, Workshop Attendant ...	20-8-55	Do
130.	Shri Jangir Singh, Peon ..	22-1-63	Scheduled Caste
131.	Shri Bachan Singh, Chaukidar ..	18-11-52	Backward Class
132.	Shri Hiru, Water Carrier ...	30-10-60	Scheduled Caste
133.	Shri Kishori Lal, Workshop Attendant ..	1-8-55	Ditto
134.	Shri Miru, Sweeper ..	20-12-58	Ditto
135.	Shri Bhagat Singh, Chowkidar ...	3-2-61	Backward Class
136.	Shri Sat Paul, Sweeper ..	27-12-63	Scheduled Caste

S. No.	Name of the official with designation	Date of appoint ment	Whether belongs to Scheduled Caste/Backward Class	*Percentage of posts in each category*		*percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2		4	5	6	7	8
137.	Shri Teja Singh ..	15-8-58	Backward Class				
138.	Shri Chitru, Sweeper ..	17-5-60	Scheduled Caste				
139.	Shri Kishori Lal, Sweeper	2-1-58	Ditto				
140 .	Shri Nahma, Sweeper ..	12-12-58	Ditto				
141.	Shri Dalipa, Sweeper ..	3-2-61	Ditto				
142.	Shri Lala Ram, Sweeper ..	14-9-63	Ditto				
143.	Shri Ram Chand, Workshop Attendant..	1-2-63	Ditto				
144.	Shri Santa Singh, Chowkidar ..	5-4-63	Ditto				
145.	Shri Kundan Singh, Chowkidar ..	8-8-63	Ditto				
146.	Shri Bansi Lal, Sweeper ..	14-9-62	Ditto				
147.	Shri Joginder Pal ..	10-8-63	Ditto				
148.	Shri Baldev Singh ..	15-10-63	Ditto				
149.	Shri Madho Ram, Workshop Attendant	5-11-62	Ditto				
150.	Shri Kirpa Ram, Workshop Attendant..	7-3-62	Ditto				
151.	Shri Med Ram, Chowkidar ..	14-5-62	Ditto				
152.	Shri Ram Sarup, Sweeper ..	26-8-63	Ditto				
153.	Shri Budhi Singh, Sweeper ...	27-8-63	Ditto				

154.	Shri Om Parkash ..	7-3-62	Ditto
155.	Shri Kartar Singh ..	22-11-62	Ditto
156.	Shri Bhagwana, Workshop Attendant ..	24-9-51	Ditto
157.	Shri Genda Ram, Sweeper ..	2-4-50	Ditto
158.	Shri Fateh Ram, Sweeper ..	25-12-50	Ditto
159.	Shri Siri Chand, Peon ..	1-4-53	Ditto
160.	Shri Harja, Sweeper ..	1-1-56	Ditto
161.	Shri Sanmi Singh, Sweeper ..	3-5-58	Ditto
162.	Shri Beni Singh, Sweeper ..	22-8-60	Ditto
163.	Shri Daryo Singh, Sweeper ..	27-5-63	Ditto
164.	Shri Badal, Peon ..	17-5-62	Ditto
165.	Shri Sobe, Chowkidar ..	16-12-63	Ditto
166.	Shri Ram Phal, Dresser ..	1-9-60	Backward Class
167.	Shri Bhikha Ram, Chowkidar ..	12-12-63	Ditto
168.	Shri Banta Singh, Chowkidar ..	1-12-62	Scheduled Caste
169.	Shri Lal Chand, Sweeper ..	18-6-62	Ditto
170.	Shri Sarwan Singh, Sweeper ..	2-2-56	Ditto
171.	Shri Kartaria, Sweeper ..	19-4-61	Ditto
172.	Shri Sardara, Sweeper ..	2-9-57	Ditto
173.	Shri Ram Saran, Sweeper ..	1-4-53	Ditto
174.	Shri Ishar Singh, Chowkidar ..	15-11-50	Backward Class
175.	Shri Roshan Lal, Peon ..	5-7-51	Ditto
176.	Shri Mool Raj, Water Carrier ..	29-11-50	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Castes/Backward Classes	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
177.	Shri Amin Chand, Peon ..	6-11-61	Scheduled Caste				
178.	Shri Mukhtiar Singh, Peon ..	13-12-62	Ditto				
179.	Shri Shadi Lal, Peon ..	19-9-63	Ditto				
180.	Shri Sher Singh, Peon ..	10-10-48	Ditto				
181.	Shri Panna Lal, Workshop Attendant ..	8-10-48	Ditto				
182.	Shri Darshan Singh, Workshop Attendant ..	15-12-55	Ditto				
183.	Shri Ajit, Sweeper ..	6-5-55	Ditto				
184.	Shri Rama, Sweeper ..	1-4-61	Ditto				
185.	Shri Kassi, Sweeper ..	20-4-55	Ditto				
186.	Shri Muni Lal, Sweeper ..	1-4-53	Ditto				
187.	Shri Maghar Singh, Chowkidar ..	22-1-63	Ditto				
188.	Shri Joginder Singh, Peon ..	2-12-63	Ditto				
189.	Shri Ramjit Lal, Sweeper ..	2-3-63	Ditto				
190.	Shri Kailash, Sweeper ..	2-12-63	Ditto				
191.	Shri Basakha Singh, Chowkidar ..	1-1-63	Backward Class				
192.	Shri Chaman Singh, Chowkidar ..	1-4-63	Ditto				

193.	Shri Dhan Singh, Peon	..	20-9-63	Scheduled Caste
194.	Shri Khanda Singh, Chowkidar	..	9-9-63	Ditto
195.	Shri Phola Ram, Sweeper	..	14-11-63	Ditto
196.	Shri Ram Kishan	..	2-7-63	Ditto
197.	Shri Sita Ram	..	23-6-57	Backward Class
198.	Shri Sube Singh	..	14-6-60	Scheduled Caste
199.	Shri Chander Ram	..	12-3-59	Ditto
200.	Shri Sukhdev	...	17-4-62	Ditto
201.	Shri Zile Singh	..	10-12-62	Ditto
202.	Shri Manohar Lal	..	23-2-63	Ditto
203.	Shri Jai Narain	..	8-11-63	Ditto
204.	Shri Faqir Chand, Sweeper	..	10-6-52	Ditto
205.	Shri Lachman Singh, Peon	..	4-9-62	Ditto
206.	Shri Dhian Singh, Peon	..	2-3-63	Ditto
207.	Shri Ram Singh, Chowkidar	..	14-3-63	Backward Class
208.	Shri Telu Ram, Sweeper	..	27-8-63	Scheduied Caste
209.	Shri Kali Charan, Sweeper	..	16-8-63	Ditto
210.	Shri Baldev Singh, Peon	..	26-8-63	Ditto
211.	Shri Kulwant Singh, Workshop Attendant	..	21-1-64	Backward Class
212.	Shri Uttam Singh, Chowkidar	..	1-5-50	Ditto
213.	Shri Arjan Dass, Sweeper	..	1-5-50	Scheduled Caste
214.	Shri Joginder Chand, Peon	..	1-9-62	Ditto

S. No.	Name of the official with designation	Date of appointment	Whether belongs to Scheduled Castes/Backward Classes	*Percentage of posts in each category*		*Percentage of posts reserved for them*	
				Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
215.	Shri Ram Chand, Chowkidar ..	9-3-63	Scheduled Caste				
216.	Shri Mansa Ram, Sweeper ..	8-10-63	Ditto				
217.	Shri Chet Singh, Chowkidar ..	13-9-63	Ditto				
218.	Shri Chhote Lal, Sweeper ..	15-1-64	Ditto				
219.	Shri Shanker Singh, Chowkidar ..	2-9-63	Ditto				
220.	Shri Bir Chand, Workshop Attendant ..	17-10-58	Ditto				
221.	Shri Mohinder Singh, Peon ..	18-2-64	Ditto				
222.	Shri Tarsem Lal, Sweeper ...	2-9-63	Ditto				
223.	Shri Saran Singh, Workshop Attendant..	25-10-51	Ditto				
224.	Shri Niranjan Singh, Workshop Attendant ..	1-1-49	Backward Class				
225.	Shri Som Dass, Sweeper ..	24-10-61	Scheduled Caste				
226.	Shri Bhagat Ram, Sweeper ..	29-5-62	Ditto				
227.	Shri Jagjit Singh, Dresser ..	2-12-62	Backward Class				
228.	Shri Karam Singh, Workshop Attendant ..	22-2-62	Scheduled Caste				
229.	Shri Hari Dass, Peon ..	1-10-59	Ditto				
230.	Shri Khushi Ram, Sweeper ..	1-2-47	Ditto				

231.	Shri Nam Dev, Sweeper	..	3-11-56	Ditto
232.	Shri Chavan Ram, Sweeper	..	1-5-58	Ditto
233.	Shri Mohan Lal, Sweeper	..	20-8-63	Ditto
234.	Shri Tara Chand, Peon	..	9-9-63	Ditto

REGISTERED TRANSPORT COMPANIES IN THE STATE

1475. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of transport companies (registered) in the State at present:

(b) the number of vehicles owned by the companies mentioned in part (a) above together with the total mileage on which they operate?

Partap Singh Kairon :
(a) 558
(b) 1,864 vehicles
(c) 1,41,859 daily mileage.

EMPLOYEES IN REGISTERED FACTORIES/ESTABLISHMENTS IN THE STATE

1476. Chaudhri Net Ram : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of labourers and other employees working in the registered factories in the State, as on 31st December, 1963;

(b) the total number of employees of commercial establishments and other establishments registered in the State under the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958 as on 31st December, 1963?

Shri Mohrn Lal :

A statement containing the requisite information is enclosed.

STATEMENT

(a) total number of labourers and other employees working in the registered factories in the State on 31st December, 1963 ..	150,492
(b) total number of employees of commercial establishments and other establishments registered in the State under the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958, as on 31st December, 1963 ..	117,879

SCHEDULED CASTE EMPLOYEES RECRUITED IN POLICE DEPARTMENT DURING JANUARY, 1962/DECEMBER, 1963

1486. Sardar Teja Singh : Will the Home Minister be pleased to state the total number of employees recruited in the Police Department in the State during the period from January, 1962 to December, 1963, together with the number, names, addresses and designations of Scheduled Castes amongst them, districtwise.

Pandit Mohan Lal : A statement containing all the information asked for, except as regards the names and addresses of the members of the Scheduled Castes recruited in the Police Department, is placed on the table of the House. The labour and time involved in collecting information regarding names and addresses of the members of Scheduled Castes recruited in the Police is not commensurate with the advantage to be derived from the information sought.

Statement showing total number of employees recruited rankwise and districtwise during the period from 1st January, 1962 to 31st December, 1963 and Scheduled Castes among them.

District	A. S. P.		D. S. P.		INSPR.		P. S. I.		A. S. I.		CONSTABLE	
	Total recruited	Schd. Caste	Total recruited	Schd. Caste	Total recruited	Schd. Caste	Total recruited	Schd. Caste	Total recruited	Schd. Caste	Total recruited	Schd. Caste
Hissar	..	..	..	..	..	..	6	..	..	..	699	113
Rohtak	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	619	169
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	47	4
Ambala	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	542	58
Karnal	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	625	68
Simla	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	63	10
Jullundur	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	480	132
Ludhiana	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..	560	109
Hoshiarpur	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	445	133
Kangra	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	313	33
Kapurthala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	44	6
Amritsar	..	..	..	..	..	..	4	..	3	..	600	82
Ferozepore	..	..	..	..	..	..	4	..	2	..	688	100
Gurdaspur	..	..	..	..	..	..	3	..	1	..	485	52
Patiala	..	..	..	..	..	..	7	..	1	..	539	112
Bhatinda	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	707	147
Sangrur	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	888	105
Mohindargarh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	239	29
G. R. P.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	89	10
P. A. P.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4643	1905
Wireless	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	552	46
Lahaul & Spiti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..
E. P. B.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1
Recruitments made on State basis	9	3	8	2	8	2	..	..	..	..	..	..
Total	9	3	8	2	8	2	42	1	18	2	13883	3424

COMPLAINTS AGAINST THE SETTLEMENT OFFICER (CONSOLIDATION) ROHTAK.

1491. **Chaudhri Inder Singh Malik:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government have received any complaints against the Settlement Officer (Consolidation) Rohtak, from September, 1963, to date, if so, the details thereof and the action taken thereon ?

Sardar Ajmer Singh: Yes. Two complaints were received against the Settlement Officer (Consolidation), Rohtak, from September, 1963, to date.

One complaint was received from Shri Ram Sarup s/o Daya Ram, of Village Bhaini Mehrajpur, Tehsil Gohana, District Rohtak for unnecessarily dragging him (complaint) in a case of contempt of court. The complaint is under enquiry with the Additional District Magistrate, Rohtak, another complaint against the Settlement Officer and his staff was received from Shri Diwana and other rightholders of some villages of Rohtak District, alleging therein that the Consolidation work in the village has been done illegally and dishonestly. The complaint is under enquiry with the Director, Consolidation of Holdings, Punjab.

——o——

IS · 1146—6-5-64—386 Copies—C., P. & S., Pb., Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

17th March, 1964

Vol. I—No. 19

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 17th March, 1964

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, N .19, DATED THE 17TH MARCH, 1964.

Read	*For*	*Page*	*Line*
if so, whether the	if so, the	(19)1	5 from below
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼	(19)3	7 from below
सैक्रेटरी	सैक्रेंरी	(19)5	18
विंग	विग	(19)6	17
basis	beasis	(19)8	22
Delete the word 'लो'		(19)11	4 from below
वर्दियों	ज़रदियों	(19)11	2 from below
Dignitaries	Digiataries	(19)13	19 from below
Chief Minister	Ch:ef Ministers	(19)14	5
1963	1964	(19)17	7 from below
ਗਿਆ	ਕਿਆ	(19)17	6 from below
वसूल	बसूस	(19)28	8
सामने	सामन	(19)34	3 from below
बनगी	बनगा	(19)34	3 from below
पड़ेगा	पड़गा	(19)34	2 from below
ਖਿਲਾਫ਼	ਖਿਆਫ	(19)35	17
ਦੇ	ਤੇ	(19)36	22
ਇਮਤਿਆਜ਼	ਇਮਤਿਹਾਜ਼	(19)37	25
ਮਿਲੀ ਭਗਤ	ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ	(19)38	8
ਕਿਹੜੇ	ਜਿਹੜੇ	(19)39	3
ਬੰਦੇ	ਬਦੇ	(19)41	15
चेंज	चेंच	(19)48	24
इन्स्पैक्टर	इलसपैक्टर	(19)51	5 from below

मोटर साइकल	मोटर बाईकल	(19)54	10
ड्रग्ज़	ड्राज़	(19)54	16
करते	कर `	(19)54	19
मैंने	मैं	(19)54	23
पंजाब	˙जाब	(19)54	25
है, यह	, यह	(19)54	2 from below
उनकी	अपनी	(19)56	8
Delete 'ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ'		(19)58	19
पंडित भागीरथ लाल	पंडित भाजीरथ लाल	(19)61	16
जैसे	जैमे	(19)63	6 from below
अरण्यरोदन	आरण्यरोदन	(19)64	11 from below
देनी	देना	(19)65	6 from below
शूगर	शगर	(19)68	6
एशोरैंस	एशुरैंस	(19)68	11, 13
हेरा-फेरी	`रा फेरी	(19)69	9 from below
रेलवे	`लवे	(19)70	2
को	के	(19)70	3
फ्रौस्ट	फौस्ट	(19)70	10 from below
एमरजैंसी	एमजैंसी	(19)71	7
देखते	खते	(19)71	9
pending in	pending	i	6 from below
versus	versu	v	4
288	228	vii	S. No. 78, Col. 5
Ditto	Ditt	xviii	S. No. 277, Col. 8
Gyani	Grani	xxxi	S. No. 495, Col. 6
Gordhan	Gotdhan	xxxi	S. No. 496, Col. 6
Assistant Fitters	Asisstant Fitters	xliii	S. No. 8, Col. 2

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday the 17th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Legislature Building, Sector-1, Chandigarh, at 9.00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Nationalization of Banks and Trade in the State

***4771. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether Government have made any recommendation to the Union Government regarding the nationalisation of Banks etc., in the State, if so, the details thereof ;

(b) a copy of the reply, if any, received from the Union Government in respect of the said recommendation be laid on the Table of the House ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਫਾਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ।

Mr. Speaker : No, please. This question does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿ ਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary. It is a suggestion for some action.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਘਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, but not to the Government.

Expenditure on Punjab Raksha Dal/Home Guards

***4848. Chaudhri Devi Lal :** Will the Home Minister be pleased to state whether it is a fact that the Budgets for the Punjab Raksha Dal and the Punjab Home Guards are prepared and maintained separately, if so, the amount budgeted for and spent on the Punjab Raksha Dal and the Punjab Home Guards are prepared and maintained separately, if so, the amount budgeted for and spent on the Punjab Raksha Dal and the Punjab Home Guards during the year 1963-64, separately ?

Shri Mohan Lal : Yes. The requisite information is as below :—

		Amount budgeted for the year 1963-64	Amount spent
Punjab Raksha Dal	..	54,26,000	The whole amount is to be spent during the financial year 1963-64
Punjab Home Guards	..	38,11,993	Ditto

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि होम गार्ड्ज़, जो परमानेंट अदारा है और जिसकी हैल्प के लिये Gram Raksha Dal बनाया गया है तो इस पर Basic Home Guards के खर्च से ज़्यादा खर्च करने की क्या वजूहात हैं ?

Mr. Speaker : There are two wings of the Home Guards. One of them is Raksha Dal.

श्री बलरामजी दास टंडन: मेरा सवाल यह था कि होम गार्ड्ज़ पर 38 लाख रुपये और जो इस को हैल्प करने के लिये रखा है Gram Raksha Dal उस पर 54 लाख खर्च हो रहा है इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि पेरेंट बाडी के मुकाबले में हैल्पिंग बाडी का ज़्यादा खर्च होने की क्या वजह है ?

गृह मंत्री : मैं ने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि Government of India ने स्टेट्स के लिए एक खास स्ट्रेंग्थ मुकर्रर की है और खर्च के सिलसिले में वह कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे बार्डर स्टेट को सामने रखते हुए इस स्ट्रेंग्थ को नकाफी समझा गया इस लिए रक्षा दल जो पहले चल रही थी इसे होम गार्ड्ज़ के एक विंग की शक्ल में जारी रखने की ज़रूरत समझी गई।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात को सोचा कि यह एक बार्डर स्टेट है इस लिये दूसरे विंग पर खर्च होना चाहिए ? क्या गवर्नमेंट ने कोई representation Government of India को की है कि होम गार्ड्ज़ की एलोकेशन को बढ़ाया जाए ?

मंत्री : मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि कोई रिटन रिप्रेजेंटशन की गई या नहीं। जो हमारे व्यूज़ थे वह उन्हें बताए गए और ज़बानी बातें भी हुईं कि पंजाब के लिए जो स्ट्रेंग्थ है यह काफी नहीं है।

Chaudhri Hardwari Lal : The Home Minister concedes that budgets are being maintained separately. Will he kindly intimate the exact manner in which the two units of the Home Guards have been amalgamated ?

Minister : Both the units are governed under one Order and the same Rules. But, there are two different Heads of the Departments who administer differently the budgets of both of them. Ultimately, however, they are governed under the same Rules and the same Law.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 38 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 54 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ੰਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਮਿਸ਼ੰਡ ਅਫਸਰ ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲਖ ਵਿਲੇਜਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲੀਮੈਨਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਸ ਹਦ ਤਕ ਹੈ।

Mr. Speaker : The question is whether the Officers in the Raksha Dal are being paid more than those in the Home Guards.

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਥੇ ਅਮਾਲੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਟਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ?

Mr. Speaker : There is a limit up to which the Minister can give replies. There are 154 Members in the House and he is not expected to know as to what is in the mind of each of them. He is, however, prepared for all probable replies.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या गृह मन्त्री बताएंगे कि ग्राम रक्षा दल को अगर होम गार्ड में एमलगेमेट कर दिया गया है तो अलग युनिफार्म क्यों रखी गई है ?

मंत्री : रक्षा दल की युनिफार्म पहले अलहदा थी। जिस वक्त इंटेग्रेशन हुई थी तो कमेटी बना कर प्रेस्क्राइब की गई थी और ग्राम रक्षा दल वालों की वही युनिफार्म रखना मुनासिब समझा गया।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਗੇ ਕਿ ਅਮਲਗੇਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਮਲਗੇਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਇਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਵੀ ਅਲਗ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾ, ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : अमैलगामेशन क्या हुई है, आप जरा इस के मुताल्लिक तो कुछ बता दें ।

श्री अध्यक्ष: यह एक ऐसी बात है कि आप, टंडन साहिब, कांग्रेस में भर्ती हो जायें । इस के बाद जब पार्टी छोड़ें तो यकदम आप की जितनी खद्दर की वरदियां हैं वह खत्म तो नहीं हो जातीं ? Do you want the Government to throw away all these uniforms ? (Suppose the hon. Member Shri Balramji Dass Tandon joins the Congress and after that when he leaves the party his Khadi clothes are not worn out immediately. Does he want the Government to throw away all the uniforms ?)

श्री बलरामजी दास टंडन : यह, स्पीकर साहिब, किस तरह की अमैलगामेशन है ? जब सारी बातें अलग अलग हैं, दोनों की स्कीम्ज़ अलग अलग हैं, उन के खर्च के फंड्ज़ अलग अलग हैं, उनकी वर्दियां अलग अलग हैं । कहते हैं कि इस की अमैलगामेशन हो गई है । What sort of amalgamation is this ?

Home Minister : There is no question of arguments. The question is of supplying information and I have supplied it.

अगर उनको इसकी बनावट पर एतराज़ है तो जब वह एतराज़ करेंगे तो इसका उन को जवाब दे दिया जायेगा । अब तो जो फैक्चुअल इनफर्मेशन मांगी है उस के आधार पर जवाब दिया जा रहा है ।

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know whether it is a fact that one of the units of the Home Guards is under the charge of General Mohan Singh and the other under the control of General Kulwant Singh ?

Home Minister : The overall charge of the organisation vests in the Home Secretary. The immediate control of Raksha Dal (Unit No. 2) is with General Mohan Singh, whereas the Home Guards (Unit No. 1) is under the charge of General Kulwant Singh as Commandant General. General Kulwant Singh has also control over certain matters in regard to Raksha Dal.

Chaudhri Hardwari Lal : The other day also, when this question was asked, the Home Minister had stated that one individual, General Kulwant Singh, is in overall charge of the two Units. The same day, he subsequently stated that the Government were in overall charge of the two Units. The same question has come up today. We should like to be sure in what way General Kulwant Singh controls the whole organisation ?

Minister : The overall charge of the organisation vests in the Home Secretary. It has two different wings. Unit No. 1 is under the control of General Kulwant Singh as Commandant General, whereas Unit No. 2 (Gram Raksha Dal) is under General Mohan Singh of the I. N. A. General Kulwant Singh, who is also an adviser for national defence to the Punjab Government, exercises the following powers in addition :

(i) To plan and organise rifle training for all able-bodied persons in the State, including the Raksha Dal Scheme ;

(ii) To advise Government on all matters relating to National Defence Measures in the Punjab ;

(iii) He has a right to examine *suo motu* any items, plans or schemes concerning such defence in which there is scope for useful advice to the Government.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : What are the functions of General Mohan Singh ?

Minister : General Mohan Singh is in charge of the Gram Raksha Dal. He is, of course, under the general control of the Home Secretary.

Sardar Gurnam Singh : May I know whether General Kulwant Singh and General Mohan Singh hold equal status in the organisation or one of them is superior to the other ?

Minister : There is no question of any superiority or inferiority. The immediate control of the two wings vests separately in them. General Kulwant Singh, however, exercises certain powers in addition which I have already stated.

चौधरी नेत राम : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह होम गार्ड और रक्षा दल कागज़ों पर तो इकट्ठे हैं और वैसे अलग अलग काम करते हैं, वर्दियां भी अलग हैं?

मंत्री : मैं इस का पहले ही जवाब दे चुका हूं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि होम गार्ड का इंतज़ाम भी रक्षा दल के हैड आफ दी डिपार्टमैंट के पास ही है । If he is incharge of both these departments ? किसी भी आफिशियल के पास जुदा जुदा हैड आफ दी डिपार्टमैंट हो सकते हैं मगर इस का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक आफीसर के पास जाने की वजह से सारे डिपार्टमैंट भी एमैलगामेट ही हो गये हों । होम डीपार्टमैंट के अलग अलग डीपार्टमैंट्स हैं सैक्रेटरी एक हो सकता है । इस तरह सारे महकमे अमैलगामेट नहीं होते ।

My question is very specific. I want to know who is the Head of the Department. Should we assume that General Kulwant Singh is the Head of the Punjab Home Guards which also includes Gram Raksha Dal ?

Minister : As already explained, the overall control of the organisation vests in the Home Secretary. There are two different wings of the organisation. Their budgets are prepared and administered separately. For this purpose, there are two Heads of the Department. General Kulwant Singh administers the budget etc., of Unit No. 1. Similarly, Col. Dilsukhman administers the budget etc., of Gram Raksha Dal (Unit No. 2).

Sardar Gurnam Singh : It means that there are two Heads of Departments for one Department.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या ऐसा कोई महकमा पंजाब गवर्नमैंट बतायेगी जो अमैलगामेट भी हुआ हो और उस के हैड आफ दी डीपार्टमैंट दो हों ।

Mr. Speaker : It is an example of its own type. After all one must be a pioneer in so many things.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਿਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇੰਮਪਲਾਈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਗ੍ਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਜੀ. ਐਂਡ ਚੀਫ਼ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Chaudhri Hardwari Lal : I am afraid, Sir, the position has got more con fused, the more we have talked about it.

Mr. Speaker : The more supplementaries you put, the more confusion there will be, because when we talk more we are likely to be contradictory.

Chaudhri Hardwari Lal : Is it open to General Kulwant Singh to issue instructions in regard to Raksha Dal about technical, administrative or financial matters and is it open to him to ask for any reports from the Chief of the Raksha Dal ?

Minister : Mr. Speaker, I have already read in *extenso* the functions of General Kulwant Singh in regard to Gram Raksha Dal. In addition, he is also a Member of the Selection Committee for gazetted staff of the Raksha Dal, as I have just now mentioned.

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, यह जानना चाहते हैं कि आया ग्राम रक्षा दल होम गार्ड का विग है? **(The hon. Member wants to know from the hon. Home Minister whether the Gram Raksha Dal is a wing of the Home Guards.)**

Minister : I have already explained the position in detail. However, I will again explain it.

Now the overall control of the Home Guards is that of the Home Secretary, who represents the Government. There are two wings of this Home Guard; one is under the control of General Kulwant Singh as Commandant General of the Home Guards and the other is under the Control of Sardar Mohan Singh.

श्री बलरामजी दास टंडन : जब यह रक्षा दल 1962 में बना था और इस की बाद में होमगार्ड के साथ मर्जर हुई तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मर्जर से पहले यह किस कानून के अन्दर फंक्शन कर रहा था।

Minister : As I have already stated, General Kulwant Singh is also an adviser for National Defence to the Punjab Government. He, in addition thereto, exercises the following powers:—

(1) To plan and organise rifle training for all able-bodied persons in the State, including Raksha Dal scheme;

(2) To advise the Government on all matters relating to National Defence measures in the State ; and

(3) He has a right to examine *suo-motu* any items, plan, or schemes concerning such defence in which there is scope for useful advice to the Government.

राव निहाल सिंह : क्या गवर्नमैंट ने यह सरकुलर किया हुआ है कि ग्राम रक्षा दल वाले क्लीन शेव्ड ही हों ? या....

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The position as explained by the Home Minister comes to that though both the wings form part of one organisation viz., Home Guards, still their identity is kept separate because the Raksha Dal Organisation was already in existence. May I take it that the name of the

organization, viz., Raksha Dal was not changed to Home Guards, because it was not acceptable to the Chief of the Raksha Dal Organization, viz., General Mohan Singh ?

Minister: No, Sir. There was a Committee appointed for the purpose of integration, which included General Kulwant Singh, Sardar Mohan Singh, Inspector-General of Police and others. The Committee which was set up for the purpose of working out details of integration of these two organisations considered all aspects and this pattern was adopted in accordance with their recommendations.

श्रीमती सरला देवी : होम मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि इस के दो विंग अलग अलग हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इन के फंक्शंज भी अलग अलग हैं ?

मंत्री : रक्षा दल का प्रोग्राम बहुत ऐक्सटेंसिव स्टेज पर है, यानी दूर दूर गांवों में जा कर राइफल ट्रेनिंग दी जाती है और होम गार्ड का फंक्शन लिमिटिड है।

Mr. Speaker : Is Raksha Dal not a wing of the Home Guards ? The Government had made a categorical statement that this is the rural wing of the Home Guards.

Minister : Sir, this is unit No. 2 of the Home Guards. I do not know where the confusion lies.

श्री रूप लाल मेहता : क्या होम गार्ड और रक्षा दल को एक नहीं किया जा सकता ? What is the difficulty ?

Minister : Sir, this is a question of opinion.

Mr. Speaker : I think, I will be guilty of breach of privilege of the House, if I allow more supplementaries on this question.

Officers and Non-Commissioned Ranks in Punjab Raksha Dal and Home Guards

***4847. Chaudhri Devi Lal :** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Punjab Raksha Dal was required to be integrated with the Punjab Home Guards ;

(b) whether it is also a fact that the Raksha Dal and the Home Guards continue as separate organisations under separate Heads ;

(c) if the answer to part (b) above is in affirmative, the total number of non-commissioned ranks and the number of Gazetted Officers in each of the two organisations at present separately.

Shri Mohan Lal (a) Yes.

(b) They are two units of the Punjab Home Guards, each Unit having its own head under the overall charge of Government.

[Home Minister]

(c) Answer to part (b) is not in the affirmative, however, information as asked for is :—

		Non-commissioned Ranks	Gazetted Officers
Home Guards, Unit -1	..	845 (including part-time instructors)	34
Home Guards, Unit -II (Gram Raksha Dal)	..	1,989	41

श्री मंगल सैन : क्या होम मिनिस्टर साहिब इस बात के लिए तैयार हैं कि ग्राम रक्षा दल का नाम खत्म कर के होम गार्ड का नाम दे दिया जाए ?

मन्त्री : नहीं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

Chaudhri Hardwari Lal : Will the Home Minister kindly state if this Gram Raksha Dal or the Punjab Raksha Dal, as it was originally called, was an illegal organization when it was established in the first instance?

Minister : There was nothing illegal in that. It was on the beasis of the decision of the State Government that this organisation was in the first instance established. But with a view to give it a regular constitutional form under some Rules, Regulations, etc., decision about the integration of the Home Guards and the Raksha Dal was taken.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡੀਫੈਂਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ III Division ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

Home Minister : This is not a supplementary question, Sir.

कामरेड राम चन्द्र : होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि ग्राम रक्षा दल को रेगुलर और कांस्टीट्यूशनल फार्म देने के लिए यह चीज़ की गई है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस से पहले वह इर्रेगुलर और अनकांस्टीट्यूशनल था ?

मंत्री : वह सारी चीज स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक हुई थी इस लिए वह इर्रैगुलर नहीं था। मगर केन्द्रीय सरकार की मदद लेने के लिए उसे बकायदा फार्म देने के लिए इंटेग्रेट कर लिया गया था।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 21% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

Minister : I will require notice to answer this question.

Chaudhri Hardwari Lal : Mr. Speaker, in answer to my question whether the Raksha Dal Organisation in the first instance was illegal, the Home Minister has stated that there was nothing illegal in that but subsequently it was discovered that it was not very constitutional organisation and all that. Therefore, may I know if any instructions were received by the State Government from the Union Government in this connection ? If so, is the Home Minister prepared to lay a copy of those instructions on the Table of the House ?

Home Minister : We had received communication from the Government of India in this regard. But I have not got that with me here. If the hon. Member wants to know about them, he should please give separate notice.

Mr. Speaker : Even if they were with the Minister, I think they cannot be laid on the Table of the House because they are confidential.

Minister : If the hon. Member gives notice of a separate question in regard to those instructions, I will examine whether or not they can be disclosed and a copy thereof can be laid on the Table of the House.

चौधरी देवी लाल : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो रक्षा दल में गज़ेटिड अफसर हैं उन में से कुछ सजा याफता और बहुत से 65 साल की उम्र से ज्यादा वाले आदमी भी हैं ?

Mr. Speaker : How does the hon. Member expect the Minister to go into all these details ?

Minister : Sir, there was an indication about this information being asked, the other day and I called for a written report, which is that there is none who can be called a bad character' in the organisation. So far as any person in the organization with conviction to his credit is concerned, I cannot say anything off hand. If the hon. Member is interested to know about any individual, he should give a separate notice for that.

Sardar Gurnam Singh : May I know from the Home Minister the name of the enactment under which this Raksha Dal is working ?

Minister : The hon. Member may kindly refer to the notification dated the 4th September, 1963, wherein it is stated that "In exercise of the powers vested in him under section 9 of the Punjab Home Guards Act, 1947 and all powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following Rules". So, this Raksha Dal is constituted under the Punjab Home Guards Act, 1947.

Shri Balramji Das Tandon : Mr. Speaker, the notification to which the hon. Home Minister has made a reference is dated the 4th September-1963, whereas the Raksha Dal was organised immediately after the declaration of Emergency in the Country in November, 1962. Therefore, may I know under what authority or enactment was it functioning before the notification of September, 1963 ?

Minister : I have already explained that before that it was constituted by the executive decision of the Punjab Government.

श्री बलरामजी दास टंडन : होम मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि नोटिफीकेशन 1963 का है जिस के मुताबिक वह काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उस को 1962 में स्टार्ट किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस रूल के तहत गवर्नमेंट ने इसे एक साल पहले शुरू किया था ?

Minister : This notification of September, 1963, relates to the integration of the Home Guards and the Punjab Raksha Dal. Earlier than that the Punjab Raksha Dal was functioning as decided by the Government in exercise of its executive authority.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, If I remember it correctly, last time the Home Minister was pleased to inform the House that the Raksha Dal was working under a General enactment. Now he has stated that it is constituted or functioning under the Punjab Home Guards Act, 1947. Therefore, I would like to know it definitely if the Organisation is functioning under the Central Home Guards Act or the Punjab Home Guards Act ?

Minister : I have already stated that it is functioning under the Punjab Home Guards Act, 1947.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 45 ਗਜ਼ੇਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਜ਼ੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ।

Mr. Speaker : I think the hon. Home Minister will find it out and take the House into confidence because no officer of the Government can be permitted to supply wrong information to them (Government). When there is a categorical statement by the hon. Member, would you, Pandit Ji, kindly check up the position ?

Minister : I would like the hon. Member to pass on that statement to me in writing, I will get an enquiry made and let you know about it.

Mr. Speaker : When a statement is made in the House, the Government has to take notice of it.

Minister : A copy of the statement should be passed on to me. I cannot be expected to know all the details off hand.

Mr. Speaker : The hon. Member may please tell him the name.

Minister : Sir, it should come to me either from the Vidhan Sabha Secretariat or from the Member himself. I will then get the matter investigated.

ਸਰਦਾਰ ਮਖੱਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ।

Mr. Speaker : No please. Send him everything in writing.

कामरेड राम चन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। गुज़शता रोज जब इसी सवाल पर बहस हो रही थी तो यहां कहा गया था कि वज़ीर साहिब अच्छी तरह सारी

इत्तलाह लेकर आएं कि इस आर्गेनाईज़ेशन में डेक्वायटी, मरडर या और ऐसे क्राइमज़ के सज़ायाफ़ता काम कर रहे हैं। तो आज फिर क्यों वह यह सारी इत्तलाह लेकर नहीं आए हैं?

Mr. Speaker : He has said that according to the information supplied to him there is no such person in this organisation.

चौधरी नेत राम : क्या गृह मन्त्री जी बताएंगे कि जो आदमी ग्राम रक्षा दल में लिए जाते हैं उन के लिए डाक्टरी पास होना ज़रूरी है या नहीं और क्या उन के लेने के लिए कोई उमर है कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी हो?

Mr. Speaker : Next question.

Chaudhri Hardwari Lal : I have to put a supplementary question on the last question, Sir.

Mr. Speaker : We have not been able to finish four questions today. Whatever the hon. Member wants to say, he can say during the course of discussion on the no-confidence motion.

Chaudhri Hardwari Lal : It is not a question of no-confidence motion. It is a question of administrative propriety and all that. Let us find out all the information that the Home Minister is able to give.

Mr. Speaker : There are 154 Members. For me everybody is alike.

Chaudhri Hardwari Lal : But, Sir, it depends upon this as to who puts a question. I want to know something very important. Is the Home Minister aware that the Chief of the Raksha Dal is the person who tried to organise a kind of army known as Desh Sewak Saina in 1948 and that was discountenanced by the Government at that time.

Mr. Speaker : What has it to do now ?

Chaudhri Hardwari Lal : Very much, Sir.

Mr. Speaker : People change their loyalties. They change their views and ideas.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, there was a lengthy notification by the Government discussing the various aspects and all that. Let, Sir, the Home Minister say something about it.

Mr. Speaker : He is a Member of the Parliament and I do not want him to be discussed in the House now.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, it was a matter of policy and nothing else.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਡ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ ।

Minister : Captain Rattan Singh is the Honorary Chief Organiser of the Raksha Dal.

Mr. Speaker : Captain Rattan Singh of the I. N. A. This should not be mixed up.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : अभी २ बताया गया है कि ग्राम रक्षा दल जो है वह होम गार्ड्ज़ एक्ट के अण्डर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो होम गार्ड्ज़ के लिए जो यूनीफार्म उस एक्ट में प्रैसक्राइब की गई है वह ग्राम रक्षा दल पर क्यों लागू नहीं की गई है और वरदियों में क्यों यह फर्क रखा जा रहा है जब कि वह एक ही ऐक्ट के अंडर काम कर रहे हैं ?

Minister : I have already replied to it.

Dr. Baldev Parkash : I want to know whether there is any prescribed uniform under the Punjab Home Guard Act or not ? My question is very specific.

जब ग्राम रक्षा दल होम गार्ड्ज़ ऐक्ट के अंडर काम कर रहा है तो उस ऐक्ट में जो यूनीफार्म प्रैस्क्राइब की गई है वह इस दल पर क्यों लागू नहीं की गई है और उन को यूनीफार्म अलग क्यों है ?

Minister : I have already replied to it.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: इसका जवाब नहीं दिया गया है (शोर)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा था कि उनकी जो पहली वर्दी थी वही चलने दी है।

(The hon. Minister had stated earlier that their original uniform had been allowed to continue.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरा सवाल तो इतना है कि जब एक्ट में स्ट्रिक्टली एक यूनीफार्म प्रैस्क्राइब है तो एक्ट को अमैंड किए बगैर दूसरी यूनीफार्म कैसे अलाऊ कर सकते हैं ? क्या इन्होंने एक्ट को अमैंड किया है ?

Mr. Speaker : Next question please.

श्री बलरामजी दास टंडन : इस का जवाब अभी नहीं आया है (शोर)

Mr. Speaker : What can I do ?

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, वह गलतब्यानी कर रहे हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर उन्होंने कोई जवाब दिया है तो रिपीट कर दें (शोर)

Mr. Speaker : Next question.

WALK OUT

Captain Rattan Singh of I. N. A. : On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : Nothing has been said against the hon. Member.

Captain Rattan Singh of I.N.A. : It is my proud privilege to be a Captain of the I.N.A. I was a Commissioned Officer in the British Army and I left that and joined the Indian National Army. If anybody calls me Captain of the I.N.A. I consider it my proud privilege. (*Cheers*)

Mr. Speaker : I have not taken away the pride of the hon. Member. Rather I have given him an opportunity to feel proud. But he should not be very touchy on these things.

Captain Rattan Singh of I.N.A. : I left the British Army and joined the Indian National Army... (*Noise*)

Mr. Speaker : I think the hon. Member will not be able to retort if anybody asks him "Why had you joined the Army under the British rule ?"

Captain Rattan Singh of I.N.A. : Members can retort on any point. (*Interruptions and noise*).

Mr. Speaker : Would the hon. Member please resume his seat ?

Captain Rattan Singh of I.N.A. : I am already sitting....(*Noise*)

Mr. Speaker : The hon. Member is shouting as if he is making a speech in the 'Chowk'.

Captain Rattan Singh of I.N.A : Sir, I stage a walk out.

(At this stage Captain Rattan Singh of I.N.A. staged a *Walk out*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (CONTD.)

Foundation laying ceremonies of Government Buildings at Chandigarh

*4272. **Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) the number of functions so far held in connection with the foundation laying/opening ceremonies in respect of various Government buildings at Chandigarh together with the dates on which each such function was held ;

(b) the names and designations of the persons who were invited to perform the said ceremonies together with the expenditure incurred on each ceremony ?

Shri Ram Saran Chand Mital : (a) and (b) A statement giving the desired information is laid down on the table of the House.

Statement showing the number of functions so far held in connection with the foundation laying/opening ceremonies in respect of various Government buildings at Chandigarh together with the dates on which each such function was held, the names and designations of the persons who were invited to perform the said ceremonies and the expenditure incurred on each ceremony.

Seral No.	Particulars of functions	Designation of the Digiataries presiding the function	Date of Function	Expenditure incurred
				Rs nP.
1	Laying foundation stone of Punjab High Court	Governor of Punjab	· 9-52	Nil
2	Inauguration for the move down of Punjab Government to Chandigarh	Home Minister of India	28-9-53	2,250.00
3	Inauguration of Capital Project, Chandigarh	President of India	7-10-53	33,100.00
4	Laying foundation-stone of Secretariat Building	Prime Minister of India	7-11-53	8,207.81
5	Opening Ceremony of Health Centre at Chandigarh	Union Health Minister of India	13-3-54	1,550.00
6	Opening Ceremony of High Court Building	Prime Minister of India	19-3-55	19,444.90
7	Laying foundation-stone of Assembly Building	Ditto	3-4-58	595.83
8	Opening Ceremony of Community Centre, Sector-18	Chief Minister of Punjab	26-11-61	Nil

[Minister for Excise, Taxation and Capital]

Serial No.	Particulars of function	Designation of the Dignatories presiding the function	Date of Function	Expenditure incurred
9	Laying foundation stone of Panchayat Bhawan	Chief Ministers of Punjab	17-12-61	2,337.00
10	Opening Ceremony of Gandhi Samarak Nidhi	Prime Minister of India	1-12-62	Nil
11	Inauguration Ceremony of Punjab, Government Cottage Industries Emporium, Sector-17, Chandigarh	Chief Minister, Punjab	17-6-63	213.00
12	Inauguration of Post-Graduate Institute and Panchayat Bhawan	Prime Minister of Indian	7-7-63	21,735.93

श्री टेक राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या हाउस के अन्दर कोई जानवर आ सकता है ? (शोर)

Mr. Speaker : The hon. Member should keep some decorum in the House.

Home Minister : Mr. Speaker, we take strong exception to the remarks which have just been made by an hon. Member on the other side. Would you kindly take notice of it ?

Mr. Speaker : What did he say ?

गृह मंत्री: उन्होंने कहा है कि क्या यहां कोई जानवर आ सकता है (शोर)

Mr. Speaker : I stopped him there.

Home Minister : He should be asked to withdraw those remarks.

Mr. Speaker : Chaudhri Tek Ram ji, it is very unfair.

श्री टेक राम : मैंने तो यह कहा है कि क्या कोई जानदार आ सकता है ? (शोर)

कामरेड राम चन्द्र : मुझे जो लिस्ट दी गई है उस में बताया गया है कि चंडीगढ़ में पिछले आठ दस साल में अमारतों के 12 दफा उद्घाटन हुए हैं और उस में से पांच प्राइम मिनिस्टर साहिब ने किए, तीन चीफ मिनिस्टर साहिब ने और एक एक गवर्नर साहिब, प्रैज़ीडैंट साहिब, और सैंटर के हैल्थ मिनिस्टर ने किए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उद्घाटन करने के लिए क्वालीफिकेशन मुकर्रर की हुई है जिस की बिना पर एक आदमी को बार २ पांच दफा बुलाया और बाकी ....

Mr. Speaker : This is not fair. No body can ever take the place of the Prime Minister. It is our privilege to have the Prime Minister amongst ourselves.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि लिस्ट के 4 नम्बर पर 8,207 रुपए 81 नए पैसे उद्घाटन पर खर्च हुए....

श्री अध्यक्ष : आप इस पर सप्लीमेंटरी न करें। (The hon. Member should not put supplementaries to this.)

कामरेड राम चन्द्र : मैं सवाल में पंडित जी, प्रधान मन्त्री का जिक्र नहीं करूंगा । मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा था कि पहली मरतबा 8,207 रुपए 71 नए पैसे खर्च हुए फिर 19,444 रुपए 90 नए पैसे और आखीर में 21,735 रुपए 93 नए पैसे खर्च हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह खर्च क्यों बढ़ता गया ?

श्री अध्यक्ष : जब 10 सालों में भाव बढ़ गए तो नैचरली खर्च बढ़ना था । (The expenditure had naturally to rise with the rise in prices during the last ten years.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि उद्घाटनों का काम बढ़ गया है, इस बिना पर क्या सरकार एक उद्घाटन मंत्री मुकर्रर करने पर विचार कर रही है ?

एक्साइज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : इस के लिए आप का नाम रखा जाएगा ? (हंसी)

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 4717

श्री राम किशन : इस के बारे में मुझे जो लिस्ट दी गई है कल मैं ने इस के बारे में एक सप्लीमेंटरी भी किया था । उस लिस्ट में 55 आदमी रिमूव किये गए हैं जिन में 10 आदमी पब्लिक इंट्रैस्ट की बिना पर रिमूव किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस की क्या वजह है ?

मंत्री : यह आदमी पब्लिक इंट्रैस्ट की बिना पर निकाले गए हैं। अगर माननीय सदस्य किसी इंडीविजुअल केस के बारे में पता करना चाहते हों तो सैपेरेट नोटिस दें।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेज़ की हकूमत में पब्लिक इंट्रैस्ट की बात कही जाती थी। अब यह बात छोड़ देनी चाहिए । (The ground of 'public interest' was prevalent during the British regime. Now it should be discarded.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मिनिस्टर साहिब ने पब्लिक इंट्रैस्ट के लफ्ज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या उन का मतलब अपनी पार्टी से है और सरकार अपनी पार्टी के लोगों का ही ख्याल रखती है ?

(नो रिप्लाई)

श्री राम किशन : इस लिस्ट में 28 आदमी एब्यूज आफ पावर्ज़ के बिना पर रिमूव किए हैं ।

Would the hon. Minister kindly define the word "mis use of power" ?

Home Minister : Powers are defined in the Punjab Municipal Act and anybody who goes beyond those powers, misuses them.

श्री राम किशन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जिन्होंने 3 साल, 2 साल, एक साल और 2 महीने के लिए निकाला है, उन को निकालने का क्या क्राइटीरिया सरकार ने एडाप्ट किया है ? एब्यूज आफ पावर के क्या बेसिज हैं ?

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

Note.—Starred Question No. 4717 along with its reply appears in P.V.S. Debates, Vol. I, No. 18, dated the 16th March, 1964.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5,6 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Meeting held by State Harijan Welfare Advisory Committee

***4884. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) the date when meetings of the State Harijan Welfare Advisory Committee were held since January, 1963 to date together with the venue of each meetings ;

(b) the names of persons along with their designations who attended each of the said meetings ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Only one meeting was held on the 27th November, 1963, at Chandigarh in the office room of the Local Government and Welfare Minister, Punjab.

(b) The names of persons who attended the meeting are given in the statement laid on the table of the House.

STATEMENT

1.	Shri Gurbanta Singh, Local Government and Welfare Minister	Chairman
2.	Shri H. S. Achreja, I.A.S., Secretary to Government, Punjab, Scheduled Castes and Backward Classes Departments, Chandigarh ..	Official Member
3.	Shri D. N. Dhir, Deputy Secretary to Government, Punjab, Scheduled Tribes Department ..	Member
4.	Shri C. B. Tripathi, Assistant Commissioner, Scheduled Castes/Tribes, Northern Region, Chandigarh ...	Co-opted Member
5.	Shri Prithvi Singh Azad, M.L.C., Kharar ..	Member
6.	Shri Chand Ram, M.L.A., Rohtak ..	Member
7.	Shri Harchand Singh, M.L.A., Patiala ...	Member
8.	Shri Guran Dass Hans, M.L.A., Hoshiarpur ..	Member
9.	Shri Rup Singh Phool, M.L.A., Kangra ..	Member
10.	Shri Buta Ram Azad, President, Vimukat Jatis, Punjab, V. & P.O. Talwandi Kalan, District Ludhiana ...	Member
11.	Shri Ran Singh, M.L.A., Karnal ..	Member
12.	Shri Avtar Singh Sandhu, P.C.S., Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, Punjab, Chandigarh	Secretary

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ 376 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਅਤੇ

ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Master ji, there is good deal of contradiction in what you have said.

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹਰੀਜਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

What are the reasons for allowing a person who was charged with these offences to attend the meeting ?

(There is a good deal of contradiction in what the hon. Minister has said . It was stated during the last Session that this man would be removed from the membership . But after the last Session he was called to attend the meeting of the State Harijan Welfare Advisory Committee held on the 27th November, 1963. What are the reasons for allowing a person who was charged with these offences to attend the meeting ?)

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਸ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। He attended the meeting on (27th November, 1963)

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ, 1964 ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ, 1964 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ. ਏ. ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 376 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਉਸ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਏ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Sardar Gurnam Singh : On a point of Order, Sir. Mr. Speaker, the question of Raksha Dal is agitating our minds. I, therefore, wanted to know the name of the Act under which this organisation is functioning. The Home Minister said that it is functioning under the Punjab Home Guards Act, 1947. But I have not been able to find out this Act. The only Act that I have been able to locate is the East Punjab Volunteer Corps Act, 1947. The Act mentioned by the Home Minister is not available in the Library. I, therefore, want that he should give the number of the Act so that we may be able to find out the relevant Act and be able to know whether this organisation is functioning legally or not.

श्री अध्यक्ष : आप को इन्फर्मेशन दे देंगे । (They will supply the necessary information.)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in Office of the Subordinate Services Selection Board.

1367. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointments of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, Class II, Class III and Class IV posts separately in the office of the Subordinate Services Selection Board together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is as follows.

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in office of Subordinate Services Selection Board

Name of Class	No. of employees/names	Percentage out of total strength	Date of appointment	Percentage of reservation
Class I	Nil	Nil	Nil	Nil
Class II	One— 1. Shri M.L. Trighatia' S.C.	100 per cent (Scheduled Caste)	17-5-63	Not fixed

Name of Class	No. of employees/names	Percentage out of total strength	Date of appointment	Percentage of reservation
Class III	Six—			
	1. Shri Harnek Singh, S.C.	12½ per cent (Scheduled Castes)	4-12-58	
	2. Mange Ram, S.C.		1-3-60	
	3. Kasturi Lal, S.C.		11-4-60	
	4. Bagga Ram, S.C.		12-12-60	
	5. Kallam Singh, B.C.	6¼ per cent (Scheduled Castes)	27-1-62	The staff in the office of the Subordinate Services Selection Board, Punjab, forms part and parcel of the Punjab Civil Secretariat Cadre. Therefore, no separate reservation of posts has been made for the Scheduled Castes/Backward Classes employees working in the office of the Board. The Policy instructions regarding the reservation of posts for the Scheduled Castes/ Backward Classes employees are, however, being strictly observed in the Punjab Civil Secretariat.
	6. Hakam Singh, B.C.		31-1-62	
Class IV	Two—			
	1. Shri Chet Ram, S.C.	15 per cent (Scheduled Castes)	13-6-56	
	2. Shri Gurnam Singh, S.C.		7-4-61	

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Directorate of Land Records

1404. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Revenue be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III, IV posts separately in the Directorate of Land Records together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Ajmer Singh :

Class I	Nil			
Class II	Nil			
Class III	1. Shri Ranjit Singh	5-9-29	Backward Class	Percentage 19.5
	2. Shri Gurdip Singh	21-7-52		
	3. Shri Dev Raj	29-8-56		

	4. Shri Amar Nath	20-6-60	Scheduled Castes	Percentage of posts reserved 21 per cent
	5. Shri Gurmit Kainth	27-6-60		
	6. Shri Piara Singh	27-6-60		
	7. Shri Piara Lal	27-6-60		
	8. Shri Ravi Ram	10-7-52	Backward Class	
Class IV	1. Shri Gurcharan Singh	1-3-39	Backward Class	Percentage 44.4
	2. Shri Dalip Singh	12-2-44		
	3. Shri Johri ..	1-9-55	Scheduled Caste	Percentage of posts reserved 21 per cent
	4. Shri Kishna ..	18-12-56		
	5. Shri Anatoo ..	1-6-60		
	6. Shri Brij Lal ..	12-5-61	Backward Class	
	7. Shri Rulia Ram	1-3-56		
	8. Shri Harbajan ..	24-12-63	Scheduled Caste	

Lands given to Harijans

1489. Sardar Tej Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total surplus area of land in the State, district-wise ;

(b) the names and addresses of Harijan cultivators who have been settled on the surplus area referred to in para (a) above, district-wise ?

Sardar Ajmer Singh : (a) A statement furnishing the information as it stood on the end of January, 1964, is as follows .

(b) The time and labour involved in collecting and compiling the information would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply. The surplus area is allotted to eligible tenants irrespective of the fact whether they are Harijans or non-Harijans. A district-wise statement showing the surplus area allotted to eligible tenants and number of tenants resettled thereon is, however, enclosed.

STATEMENT

Serial No.	Name of the District		Area declared Surplus (in Std. acres)	Area declared surplus and against which no appeal is pending (in Std. acres)	Area allotted to eligible tenants (in Std. acres)	Eligible tenants resettled on surplus area
1	2		3	4	5	6
1	Hissar	..	83,828	78,796	22,696	10,159
2	Rohtak	..	18,941	15,595	5,849	4,144
3	Gurgaon	..	12,488	8,000	7,997	5,730
4	Karnal	..	17,808	34,822	8,861	6,197
5	Ambala	..	11,255	8,626	2,594	1,316
6	Simla	..	..	..	..	..
7	Kangra	..	8,682	6,169	176	360
8	Hoshiarpur	..	4,754	4,656	2,828	2,830
9	Jullundur	..	7,632	4,223	4,124	1,711
10	Ludhiana	..	6,506	4,485	773	302
11	Ferozepur	..	115,216	54,527	14,445	5,001
12	Amritsar	..	28,176	14,574	13,155	6,170
13	Gurdaspur	..	13,843	13,843	10,847	5,081
14	Lahaul and Spiti		36	..	..	..
15	Nathana Sub-Tehsil		1,309	1,282	514	293
16	Patiala	..	10,852	8,948	2,275	1,059
17	Sangrur	..	21,855	13,972	2,650	1,224
18	Bhatinda	..	16,329	13,363	7,565	2,442
19	Mohindergarh	..	976	652	652	496
20	Kapurthala	..	1,575 †106 ord. acres	1,178	566	258
	Total	..	412,061 †106 ord. acres	287,711	108,567	54,862

Cases pending in the Court of the Settlement Officer (Consolidation) Rohtak

@1492. **Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of cases pending in the Court of the Settlement Officer (Consolidation), Rohtak, at present together with the details of the cases instituted in his Court from September, 1963, todate with the date of disposal of each case ?

The answer to the Assembly Question No. 1492 appearing in the list of unstarred questions on the 17th March, 1964, in the name of Chaudhri Inder Singh Malik, M.L.A., is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd). Ajmer Singh,
Minister-in-charge.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.
U. O. No. 3244-CHI(III)-64/2762, dated 16th March, 1964.

Adjournment Motions

Mr. Speaker : There are three notices of *Adjournment Motions.

10.00 a. m.

The first adjournment motion has been given notice of by Sarvshri Om Parkash Agnihotri and Mohan Lal Datta. I disallow it.

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, वहां पर बड़ी रीजेंटमेंट हुई, जल्से हुए, यह बड़ा संगीन मामला है (विघ्न) इस की जरूर इनक्वायरी होनी चाहिए। (विघ्न) रिक्शा पुल्लर के साथ पुलिस अफसर ए. एस. आई. पुलिस स्टेशन, फगवाड़ा ने अननैचरल आफैंस किया है........

Mr. Speaker : Please, please.

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, मैंने अर्ज किया है कि यह बड़ा संगीन मामला है यह जरूर डिस्कस होना चाहिये ।

Mr. Speaker : The hon. Member can refer to the matter while speaking on the no-Confidence Motion. I will not permit it as an adjournment motion.

The second adjournment motion has been given notice of by Comrade Makhan Singh Tarsikka. It deals with the situation created by the State Government by privately selling buildings of the Government Girls Higher Secondary School, Nawankot, Amritsar, and Government Girls Higher Secondary School, Diamganj, Amritsar. I disallow it. The hon. Member can discuss the matter during the course of discussion on the Appropriation Bill on the Budget.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਣ ਡਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੀਲਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

**Note*.—"It was regarding the complaint against A.S.I., Police Station Phagwara...."

@*Note*.—Unstarred Question Nos. 1492 and 1493 along with the final replies thereto appear in Appendix to this Debate.

Mr. Speaker : The Appropriation Bill on the Budget is coming up before the House. I will permit the hon. Member to speak when this Bill comes before the House.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस मामले पर एजुकेशन मिनिस्टर साहिब को रोशनी डालनी चाहिए। पहले ही कई स्कूल प्रापर बिल्डिंग्ज़ में हाउस्ड नहीं हैं। अगर इसी तरह से बच्चों को बाहर निकाल कर सड़कों पर बैठा दिया गया तो उन के साथ बड़ी हार्डशिप होगी। मिनिस्टर साहिब को इस के बारे में स्टेटमैंट देनी चाहिये। So that the facts become available and appropriate action can be taken.

Mr. Speaker : The hon. Member has drawn the attention of the Government.

श्री बलरामजी दास टंडन : गवर्नमेंट के पास पावर्ज़ हैं कि अगर बिल्डिंग औक्शन भी हो जाए तो भी पब्लिक इंटरैस्ट में अपने पास रख सकती है। मेरी गुज़ारिश है कि एजुकेशन मिनिस्टर साहिब को इस मामले की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हज़ारों बच्चे सड़कों पर बैठा दिये जायेंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁਰਸਿਕਾ : ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਹਿਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, गांव कहानौर, तहसील और ज़िला रोहतक, के श्री राम निवास, सुपुत्र सुरजा धानिक, हरिजन कम्युनिटी के आदमी को पुलिस चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले गई। थाने में ले जा कर उस को इतना मारा कि उस बेचारे के प्राण निकल गए। मैं होम मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह इन्क्वायरी करवाएं कि किस आदमी ने उस को मारा है। आए दिन थानों में लोगों को मार दिया जाता है और बाद में कहानियां घड़ ली जाती हैं कि उस ने ज़हर खा लिया। अगर ऐसी बातें होती रहें तो ठीक नहीं है इस लिए हाउस की कार्यवाही को बन्द करके इस मामले को डिस्कस किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप को मौका मिलेगा। आप बैठिये। (The hon. Member will get an opportunity to discuss this matter. He should now resume his seat.)

श्री मंगल सैन : ट्रैज़री बैंचों पर बैठ कर कोई हरिजन बात नहीं कर सकता। अगर आपोज़ीशन के मैम्बर भी बात न करें तो और कौन करेगा (विघ्न)

Mr. Speaker : Would you please sit down ?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, उस को इतना मारा कि जान से मार दिया...... मेरी एडजर्नमैंट मोशन एडमिट होनी चाहिये। यह बात ठीक है कि बजट सेशन चल रहा है लेकिन यह एक खास मामला है, और ज़रूर डिस्कस होना चाहिये।

Mr. Speaker : I would request the hon. Home Minister to take note of it. I disallow the motion but would request the hon. Home Minister to look into the matter.

श्री मंगल सैन : मिनिस्टर साहिब को खड़े हो कर हाउस में कुछ न कुछ बतलाना तो चाहिये कि क्यों आये दिन थानों में इतने लोग मारे जाते हैं।

Mr. Speaker : I have already requested the hon. Home Minister to look into the matter.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, जब हाउस के सामने कोई मोशन वगैरह आती है और मेम्बर साहिब उस पर बोलते भी हैं तो हमें उस चीज़ का पता नहीं होता। इस लिये यह होना चाहिये कि जो मेम्बर साहिबान ऐसी मोशन का नोटिस देते हैं और जब वह एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उस मोशन को भी पढ़ दिया करें। हमें तो यह भी पता नहीं लगा कि किस स्कूल के बारे में यह मोशन आई है। अगर मोशन पढ़ दी जाती तो हमें पूरी वाकफियत हो जाती।

श्री मंगल सैन : मैं पढ़ देता हूं। (यह कह कर माननीय सदस्य ने मोशन पढ़नी शुरू कर दी)।

Mr. Speaker : No please.

Question of Privilege sought to be raised by Chaudhri Devi Lal on the 16th March, 1964

Mr. Speaker : Yesterday, a very serious matter was raised in the House regarding the misstatement made by the Chief Minister while replying to the debate on the No-Confidence Motion on the 18th September, 1963. It is regarding 'Elite' Cinema at Hissar. From the material that was shown to me the other day I was convinced that there was no contradiction between what has been stated by the Chief Minister and some hon. Members of the Opposition Benches. But now I have seen a copy of the letter from Sardar Surinder Singh Kairon, son of Sardar Partap Singh Kairon, which he has written to the Bank and in which he has made a statement of his assets. It has been stated in this letter--

> "One Cinema at Hissar known as 'Elite' valued at 6 lacs in the joint names of myself, my wife and Gurdip Singh who is relation and whose share is only 1/16th."

So, there is contradiction in what the Chief Minister has said and what has been stated in this letter. I, therefore, pass on these papers to the Chief Minister and request him to give me further clarification.

चौधरी देवी लाल : यह सारा लैटर पढ़ कर सुना दीजिये क्योंकि......

श्री अध्यक्ष : मुझे जितना कहना चाहिये था उस से ज्यादा कह दिया है। रैलेवेंट पोर्शन मैंने पढ़ दिया है। (I have told the House more than I ought to have and have read out the relevant portion of the letter.)

चौधरी देवी लाल : आप ने मुझे पहले भी लैटर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। आप पढ़ दें तो सारा पता लग जाएगा।

Mr. Speaker : The House is aware that the Chief Minister had made this statement:

> "Then, Sir, the Member from Hissar bewailed that Partap Singh has intruded into Hissar also. I do not know where from he got the idea. The cinema belongs to some other persons. My son is doing the business of exhibiting the films there. In that too he is a partner and not the owner. In view of this, it is not desirable to say such things as are not verified."

There is a letter from Sardar Surinder Singh Kairon in which it has been stated that the Elite Cinema at Hissar is valued at 6 lakhs of rupees and is in the joint names of S. Surinder Singh Kairon, his wife and S. Gurdip

Singh whose share is only 1/16. I feel that there is contradiction in what the Chief Minister had said and what has been stated in the document. I pass on these documents to the Chief Minister.

(At this stage, some papers were handed over to the hon. Chief Minister.)

चौधरी देवी लाल : उस में यह लिखा है कि डेढ़ लाख रुपया कर्ज मांगा था.....

श्री अध्यक्ष : इस बात का इस मामला से क्या ताल्लुक है ? मैं ने पहले कहा है कि इस में कन्ट्रेडिक्शन है । (How is it relevant to this matter ? I have already held that there is a contradiction.)

Comrade Shamsher Singh Josh : On a point of Order, Sir. You have been pleased to read certain portions of a document. When certain portions from a document are read, the entire document becomes the property of the House and should, therefore, be placed before the House.

Mr. Speaker : I am not supposed to read all the letter and documents that are given to me. I have read out the relevant portion.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : It has been stated that there is contradiction in the two documents. I would like to know whether some action can be taken and also whether this House is competent to take action ?

Mr. Speaker : I seek the guidance of the hon. Member.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, It seek your guidance. You are more mature than myself.

Call Attention Notices

Mr. Speaker : There is one call attention motion given notice of by Comrade Makhan Singh Tarsikka. It is regarding the policy of the State Government regarding the distribution of Gur imported from U. P. I disallow it.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I have disallowed it. (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁੜ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 75 ਟਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ 37 ਟਨ ਗੁੜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। (I may tell the hon. Member Comrade Makhan Singh Tarsikka, that there is no question of dying. He has improved his health even in the jail .)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਉਥੇ, ਜੀ, ਗੁੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। (ਹਾਸਾ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਫਿਰ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਉ (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

(The hon. Member may go there again) (laughter)

(*interruption*)

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ की काल अटैनशन मोशन यह है कि जो पुराने पंच, सरपंच हैं उन्होंने नए पंच, सरपंचो को हिसाब-किताब का चार्ज नहीं दिया। (In the Call Attention Motion given notice of by Shri Jagan Nath it is stated that the outgoing panches/sarpanches have not handed over charge of accounts to the new panches/sarpanches.)

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, ऐसा इसलिए करते हैं कि कई सरपंच मिनिस्टर साहिबान के वाकिफ होते हैं। इसलिए पुराने सरपंच नए सरपंचों को चार्ज नहीं देना चाहते क्योंकि उन पर किसी ऐम.ऐल.ए., मनिस्टर या अफसरों का हाथ होता है।

श्री अध्यक्ष . उन्होंने कह दिया है कि एक हफ्ते के अन्दर अन्दर चार्ज दिला देंगे। I disallow it. (The hon. Minister has stated that the Government would see that the charge is handed over within a week. I disallow it.)

BUDGET FOR THE YEAR 1964-65
DEMANDS FOR GRANTS
10—State Excise Duties
12—Sales Tax
13—Other Taxes and Duties

Mr. Speaker : If the House has no objection, all the three Demands for Grants in respect of Excise and Taxation will be moved by the Minister concerned and will be discussed together. I will, however, put these separately to the vote of the House.

Voices : No objection.

Minister for Excise, Taxation and Capital (Shri Ram Saran Chand Mittal) : Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 12,77,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "10—State Excise Duties".

That a sum not exceeding Rs 28,77,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "12—Sales Tax".

That a sum not exceeding Rs 33,96,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "13—Other Taxes and Duties".

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 12,77,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "10—State Excise Duties".

That a sum not exceeding Rs 28,77,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "12—Sales Tax".

That a sum not exceeding Rs 33,96,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head "13—Other Taxes and Duties".

I have received notices of cut-motions to these Demands from the various hon. Members. They will be deemed to have been read and moved and can

be discussed along with the main motions. The hon. Members will, however, indicate the Demand No. during the course of their speeches.

10—State Excise Duties

1. **Comrade Shamsher Singh Josh :**
That the demand be reduced by Rs 1,000.

2. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**
That the demand be reduced by Re 1.

3. **Shri Rup Singh Phul :**
That the demand be reduced by Re 1.

12—Sales Tax

1. **Comrade Shamsher Singh Josh :**
That the demand be reduced by Rs 1,000.

13—Other Taxes and Duties

1. **Comrade Shamsher Singh Josh :**
That the demand be reduced by Rs 1,000.

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : स्पीकर साहिब, आज यह जो सदन में महकमा ऐक्साईज़ एंड टैक्सेशन की डीमांड मंजूरी के लिए पेश की जा रही है उसे देखकर मुझे तो बड़ी मायूसी होती है ।

(Pandit Chiranji Lal Sharma, a member of the Panel of Chairmen, in the Chair)

वह क्यों ? रूलिंग पार्टी की तरफ से, पार्टीशन से पहिले और पार्टीशन के बाद, शराब बन्दी के सम्बन्ध में जो नारे बलन्द किए जाते रहे हैं और उन पर जो अमल होता आ रहा है वह देख कर आप भी मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि हर साल शराब के ठेके ज्यादा से ज्यादा कीमत पर नीलाम हो रहे हैं । एक साल अगर बीस हज़ार रुपए का नीलाम हुआ तो अगले साल तीस हज़ार का और फिर अगले साल पचास हज़ार का । इस तरह से बढ़ते बढ़ते दस पंद्रह हजार से वह ठेका दो दो लाख तक पहुंच गया है । तो शराब बन्दी की तरफ जो सरकार के कदम उठ रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि परमात्मा करें इन की यह जो खाहिश है वह पूरी न ही हो । इसलिए मैं एक तो यह अर्ज़ करूंगा कि यह जो शराब बन्दी का नारा लगाते जा रहे हैं, कृपा करके मुल्क की हालत पर रहम करके वह नारा न लगाएं कि यहां पर शराब बन्दी हो रही है क्योंकि जब से इन्होंने यह नारा लगाना शुरू किया है सिवाय तबाही के कुछ और नज़र नहीं आ रहा ।

श्री मंगल सैन : बहुत अच्छे ।

श्री फतेह चन्द विज : चेयरमैन साहिब, ऐक्साईज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अन्दर जो धान्धली मची हुई है, वह इन भोले भाले मनिस्टर साहिब से रुकी नहीं है । इस धान्धली की तरफ मैं ने भी इन का ध्यान व्यापार मंडल पानीपत की तरफ से रीप्रिज़ेंटेशन देकर भी

[श्री फतेह चन्द विज]
दिलाया था। मैं ने उन को बताया था कि आप के महकमा के अन्दर इस कदर धान्धली मच रही है कि कोई हद नही और मुतालबा किया था, चैलेंज किया था कि जो भी शिकायत इस रीप्रिजेंटेशन के अन्दर लिखी हुई हैं अगर आप पानीपत में फलाइंग स्क्वैड भेजकर जांच कराएं तो आप को पता लगेगा कि टैक्स की कितनी चोरी हो रही है। एक एक मुहल्ले में पानीपत के अन्दर पचास पचास, साठ साठ मकान छोड़ दिए गए हैं और फिर साल बसाल बजट में घाटा दिखा कर उन लोगों से, जिनकी कमर आगे ही टैक्सों के बोझ से टूटी पड़ी है, और टैक्स वसूल किए जाते हैं बजाए इस के कि यह जो टैक्सों की इवेज़न हो रही है इसको बन्द करके जनता पर मज़ीद टैक्स न लगाए जाएं।

चेयरमैन साहिब, इस महकमे की धान्धली के मुताल्लिक पिछले दिनों मैं ने काल अटैनशन मोशन के ज़रिए इस हाउस में मिनिस्टर साहिब का ध्यान दिलाया था। आज फिर उसी बात को दुहरा रहा हूं कि पिछले दिनों जी.टी. रोड पर, जो सेल्ज़ टैक्स की चैकिंग के बैरियर्ज़ लगे हुए हैं उन पर तीस घंटे के करीब स्ट्राइक रही और शाम को जब आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिब देहली से आते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने उस वक्त जो देखा तो वहां खड़ी पुलिस को उन ट्रक वालों पर लाठियां बरसाने का हुक्म दे दिया। उन ट्रक वालों से यह नहीं पूछा कि आप तीस घंटे से क्यों वहां पर खड़े हैं, उन को क्या तक्लीफ थी। उन पर लाठयां बरसाई गईं। कई ट्रकों के शीशे टूट गए, ड्राइवरों को चोटें आईं और फिर उन में से सत्तर अस्सी ट्रक ड्राइवरों को गिरफतार करके हवालात में डाल दिया गया। चीफ़ मिनिस्टर साहिब चंडीगढ़ पहुंच गए। दो तीन दिन के बाद इन की ज़मीर ने इन को झकझोरा। पहिले उन मजलूमों की तरफ ध्यान नहीं आया बल्कि उन को गिरफतार करक हवालात में बन्द कर दिया। दो तीन दिन के बाद हुक्म भेजा कि उन को छोड़ दिया जाए। अगर उन्होंने कोई बेकायदगी की थी और बैरियर वालों को नाजायज़ तौर पर तंग किया था तो क्यों नहीं उन पर मुकद्दमा चलाया गया, क्यों नहीं उन को सज़ा दी गई?

Mr. Chairman : The hon. Member should be grateful to the Government that the cases have been withdrawn.

श्री फतेह चन्द विज : मैं भी तो यही कह रहा हूं कि वे केस विदड्रा कर लिया, उन को छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन पर क्यों इस कदर ज्यादती की गई?

चेयरमैन साहिब, पिछले साल कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि बार्डर पर जो चेकिंग के बैरियर्ज़ लगे हुए हैं इन्होंने टैक्स की इवेज़न को क्या रोकना है, टैक्स की चोरी को क्या रोकना है, उलटे भ्रष्टाचार के अड्डे कायम किए हुए हैं, इसलिए इन को बन्द कर दिया जाए। इन को बन्द करने का कैबिनेट ने हुक्म दे दिया था। आठ दस महीने यह बैरियर्ज़ बन्द रहे। फिर पता नहीं, कैबिनेट में तो वह सवाल आया नहीं और वहां पर तो फैसला नहीं किया गया कि इन को दुबारा लागू कर दिया

जाए मगर एक्साइज कमिश्नर, पटियाला, ने अपने हुक्म से.......कैबिनेट के हुक्म के न होते हुए........इन भ्रष्टाचार के अड्डों को फिर से चालू कर दिया और जिस वक्त ट्रक वाले हजार मील, पंद्रह सौ मील का सफर तय करके मद्रास, बम्बई या कलकत्ता से वहां बैरियर पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्हें कहते हैं कि आप के सेल्ज़ टैक्स के कागज़ात ठीक नहीं हैं मद्रास, बम्बई वगैरा वापिस जाकर ठीक कराके लाओ। अब बेचारा ट्रक वाला क्या करे? ट्रक वहां पर खड़ा करके बम्बई या मद्रास वापिस जाता है तो पांच-छः दिन आने और जाने में लग जाते हैं। इतने अरसे में ट्रक वहां पर खड़ा रहे और फिर उन की तसल्ली करके पंद्रहवें या सोलहवें दिन माल अपनी जगह पर पहुंचाए तो एक तो जो नुक्सान हो वह दे और फिर ऊपर से मालिक की बातें सुने। इस पर वहां बैरियर पर जो कर्मचारी होता है वह उस से पूछता है कि अगर तुमने वापिस बम्बई नहीं जाना तो बताओ कि आगे आने के लिए मुझे कितना रुपया दे सकते हो। इस तरह से ट्रक वालों को पचास पचास रुपए देकर ही अपना सफर आगे जारी रखना पडता है। जब ट्रक वाला उस से पूछता है कि इतना रुपया, इतनी रकम क्या करनी है तो वह कहता है कि क्या इसे मैं कोई अकेला खाता हूं। यह शुरू से लेकर आखिर तक, पता नहीं किस किस को बांटी जाती है। तो, चेयरमैन साहिब, इसी वजह से वह तीस घंटे की स्ट्राइक रही थी लेकिन यहां पर होम मिनिस्टर साहिब ने खड़े होकर उसी महकमा की तरफ से सप्लाई की हुई स्टेटमैंट को पढ़ दिया फिर वगैर किसी इन्क्वारी के यहां हाऊस में कह दिया कि उन को छोड़ दिया गया है।

इस के साथ ही, चेयरमैन साहिब, मैं प्रापर्टी टैक्स के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं। यह टैक्स शहरी प्रापर्टी से विदड्रा होना चाहिए। आगे ही शहरी जायदाद पर मरला टैक्स है, हाऊस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स और उसकी आमदन पर इनकम टैक्स है और तरह तरह के टैक्स लगे हुए हैं। अगर इस टैक्स को लगाकर भी चोरी को रोकना नहीं तो फिर इस टैक्स को विदड्रा ही कर लेना चाहिए खास तौर पर उस वक्त जब कि सारे एक अरब बारह करोड़ रुपए के बजट में इस से जो आमदन होती है वह एक परसैंट से भी कम ही होती है। पिछले साल 70 या 80 लाख की आमदनी का अंदाजा था और अब एक करोड़ का है और अगर 112 करोड़ रुपए के सारे बजट में से एक करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी, इस टैक्स के विदड्रा करने से तो यह कोई बड़ी कमी नहीं होगी जो पूरी नहीं की जा सकेगी। अगर यह टैक्स विदड्रा कर लिया जाए और इस महकमा में जो रिश्वत चल रही है इस को ही रोक लिया जाए तो भी यह कमी पूरी हो जाएगी।

अब, चेयरमैन साहिब, मैं आप की विसातित से हाउस का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि नाजायज़ शराब की कशीद में बहुत इज़ाफा हो रहा है और इस बात की तरफ कई बार पहले भी सरकार का ध्यान दिलाया जाता रहा है। आम तौर पर यह देखा गया है कि ठेकों पर नाजायज़ कशीद की हुई दूसरी शराब रखी होती है और जब इन के इन्सपैक्टर चैकिंग करने जाते हैं तो वह इस का नोटिस तक

[श्री फतह चन्द विज]
नहीं लेते और उन का चालान नहीं करते। इस तरह से स्पिरिट से तैयार की हुई नाजायज़ शराब से लोगों की ज़िन्दगी के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर आप हर ठेकेदार के इण्डेंट को देखें तो आप को पता चलेगा कि दो तीन महीने का जो इण्डेंट बनता है उतनी शराब की तो उन की एक रोज़ की सेल हो जाती है। इस से साफ पता चल जाता है कि कितनी नाजायज़ शराब आजकल ठेकों पर बेची जा रही है और इस तरह से लोगों की ज़िन्दगी के साथ खेला जा रहा है।

चेयरमैन साहिब, सेल्ज़ टेक्स के मुतालिक मेरी अर्ज़ है कि यह प्रचेज़र्ज की बजाए माल तैयार करने वाले से ही वसूल करना चाहिए। इस से एक तो महकमा वालों को इन की वसूली में आसानी होगी, दूसरा इस से टैक्स का इवेयन नहीं होगा क्योंकि यह माल के तैयार करने वालों पर आसानी से लगाया जा सकेगा। इस बारे में मैं इन महकमा के वज़ीर साहब से अर्ज़ करूंगा कि अगर यह इस महकमा को कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो यह किसी दूसरे मिनिस्टर के सुपुर्द कर दें या इस महकमा में जो धांधली चल रही है उस को रोकें। मैं समझता हूं कि यह इन के बस की बात नहीं क्योंकि इन की मासूमियत को देखते हुए अफसर इन की परवाह नहीं करते और यही वजह है कि एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन कमिशनर, पटयाला ने कैबिनिट के फैसले को परवाह न करते हुए अपने आर्डर से दोबारा बैरियर पोस्टें बैठा दीं हैं और ऐसा कर के भ्रष्टाचार के अड्डे जारी कर दिए हैं।

श्री मती ओम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय चेयरमैन साहिब, आज जो डिमाण्ड हाउस में डिस्कस हो रही है मैं समझती हूं कि यह बड़ी अहम है। पहले कई सालों में भी बजट डिसकस होता रहा है लेकिन कभी भी इस बात का मौका नहीं मिला कि हाउस टैक्सेशन जैसे ज़रूरी मसले पर अपनी राए का इज़हार कर सके। मैं इस के लिए बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी का शुक्रिया अदा करती हूं जो उन्होंने इस डिमाण्ड पर अपने विचार रखने का हमें मौका दिया है। इस के बाद मैं सब से पहले एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर और उन के डिपार्टमैंट के काम की सराहना करती हूं जो उन्होंने रेड्ज़ डाले और उन से तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख रुपए का फायदा हुआ है। यह रकम कोई छोटी रकम नहीं है। मैं समझती हूं कि अगर ऐसे ही एफर्ट्स जारी रहे तो बाकी के जो लूपहोल्ज़ हैं वह भी प्लग हो सकेंगे। एक बात और भी खुशी की है और अगर बजट को अच्छी तरह से देखा जाए, प्री-इण्डीपेंडेंस पीरियड के बजट्स को देखें, उस के बाद के पीरियड को देखें तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो टेक्सिज़ की परसेंटेज है वह कम होती जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले पांच सालों की जो टोटल रिसीट्स हैं उन की निसबत जो टैक्सिज़ हैं उन की परसेंटेज में कमी होती रही है। पहले जब यह परसेंटेज 55 थी तो इस साल यह 50 से भी कम रह गई है। इस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपने दूसरे रिसोर्सिज़ से और एन्टरप्राइज़ि से अपनी आमदनी बढ़ा रही है। मैं कुछ फिगर्ज़ दे कर इस बात को सिद्ध करूंगी। 1962-63 में जहां टोटल रिसीट्स 91

करोड़ 30 लाख थीं वहां इस के मकाबला में जो टैक्स वसूल किये गए वह 47 करोड़ और 19 लाख थे। इसी तरह से 1963-64 में टोटल रिसीहस एक अरब 11 करोड़ थी और इस के एगेंस्ट टैक्स कोलेक्शन 56 करोड़ 93 लाख थी और 1964-65 में टोटल रिसीट्स एक अरब 12 करोड़ के मुकाबला में टैक्स प्रोपोजल्ज़ 56 करोड़ 64 लाख की है। तो इस सब का मतलब यह है कि हमारा tax percentage is in proportion to the total receipts यह दिन बदिन कम हो रही है और इस के लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं।

चेयरमैन साहिब, हर सूबे में सरकार के पास टैक्स वसूल करने के दो तीन किस्म के साधन हुआ करते हैं। एक तो टेक्स से उन को आमदनी होती है, दूसरा स्माल सेविंग्ज़ या पब्लीकेशन्ज़ से और तीसरा पब्लिक ऐन्ट्रप्राईज़िज़ और मल्टी परपज़ स्कीमों से होती है। आज जो टैक्सिज़ की वसूली की परसैंटेज में कमी हो रही है तो इस से यह बात जाहर होती है कि गवर्नमैंट अपनी ऐन्ट्रप्राइज़िज़ से और मल्टी परपज़ स्कीमों से रुपया लेकर खर्च करना चाहती है। इस सिलसिले में मैं खासतौर से एक बात की तरफ पंजाब गवर्नमैंट की तवज्जुह दिलाना चाहती हूं और मैं उन से यह बात कहूंगी कि वह केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए तैयार करें कि हमारी जो तीसरी पांच-साला योजना है, जो कि 231 करोड़ रुपए का टोटल प्लैन है और जिस में से पंजाब सरकार ने 100 करोड़ खर्च करना है, यह वह कम करे क्योंकि अगर हम इस बारे में दूसरे सूबों से अपना कम्पेरिज़न करें तो पता चलता है कि पापुलेशन के लिहाज़ से पंजाब सरकार को, तीन स्टेट्स को छोड़ कर यानी महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर को छोड़ कर बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब से ज्यादा बोझा बरदाश्त करना पड़ रहा है। जहां हमारे सूबे का प्रोपोरशन 47 पर सैंट बैठता है वहां दूसरी स्टेट्स में से किसी का 38 पर सैंट और किसी का 29 पर सैंट बैठता है। इन फिगर्ज़ को देखने से पता चलता है कि पंजाब सरकार पर इस प्लैन का बोझा दूसरी स्टेट्स से कहीं ज्यादा है और मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजाब को अपने टैक्सिज़ से जो 40 करोड़ रुपया इस प्लैन पीरियड में इकट्ठा करना है उस में से यह अभी तक के टैक्सिज़ के हिसाब से इस प्लैन में केवल 30 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकेंगे। तो इस का मतलब यह हुआ कि अगले दो सालों में इसे 10 करोड़ रुपए के और टैक्स लगाने होंगे क्योंकि इस साल तो कोई नया टैक्स लगाया नहीं गया। इस लिए सारे का सारा बोझा अगले साल पर ही पड़ गया है। इस बारे में मैं पंजाब सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आलरेडी पंजाब की जनता पर टैक्सों का बड़ा बोझ है इस लिए वह गवर्नमैंट आफ इण्डिया से कहे कि वह इस बर्डन को रिडियूस करे और यह पंजाब को 10 करोड़ का और हिस्सा देने के लिए मजबूर न करे। इस वक्त पहले ही पंजाब के लोगों पर पैसैंजर टैक्स, सेल्ज़ टैक्स और ऐन्टरटेनमेंट टैक्स के रेट बढ़ा कर बोझ बढ़ा दिया गया है। अगर पंजाब गवर्नमेंट को अपनी कमिटमेंट को मजबूर होकर पूरा करना ही

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

पड़े तो मैं इस से यह अर्ज़ करती हूं कि बजाए यह टैक्स पेयरज़ पर और बोझ डाले बेहतर होगा अगर यह कोई हैवी इण्डस्टरी नेशनलाईज़ कर के अपनी आमदनी बढ़ा ले या बजाए लो इन्कम मैन पर बोझ डालने के इस को कोई ऐसा टैक्स लगाना चाहिए जिस का बर्डन बड़े बड़े सरमायेदारों पर पड़े।

चेयरमैन साहिब, अब मैं इन जनरल बातों को छोड़ कर कुछ बातें सेल्ज़ टैक्स के बारे में कहना चाहती हूं। सेल्ज़ टैक्स गवर्नमैंट की आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और 1954-55 में पैप्सू और पंजाब को मिला कर 2 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल हुए थे लेकिन अब 1964-65 में 14 करोड़ 67 लाख रुपए वसूल होने का अनुमान है। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस से गवर्नमैंट की आमदनी बढ़ी है। इस बात के बावजूद कि सेल्ज़ टैक्स में काफी बढ़ौती हुई है लेकिन जो पहले इसकी इवेज़न होती थी और जो इस में लूप होल्ज़ थे वह कम हुए हैं, लेकिन अब भी इस में कुछ लूप होल्ज़ हैं और इस का बड़ा कारण यह है कि जो इस बारे में कानून है वह बड़ा कम्पलीकेटिड है। यह इतना कम्पलीकेटिड है कि जो अफसर इस डिपार्टमैंट में काम करते हैं उन को भी कई बार क्लैरीफिकेशन के लिए ला डिपार्टमैंट को रेफरेन्सिज़ करने पड़ते हैं। इस लिए सरकार को चाहिए कि इस को ईज़ी बनाए ताकि इस को आम लोग भी समझ सकें। जो इन्टरप्रेटेशन डिपार्टमैंट की तरफ से हो या ला डिपार्टमैंट की तरफ से हो उस की अच्छी तरह से ट्रेडर्ज़ में पब्लिसिटी की जानी चाहिए ताकि इन बातों को मद्देनज़र रख कर वे अपने एकाउंट्स तैयार करें और रिटर्नज़ भेज सकें। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देना चाहती हूं। आयल सीडज़ पर दो पर सैंट परचेज़ टैक्स है। फिर जो आयल केक्स तैयार होंगे उन पर 6 पर सैंट सेल्ज़ टैक्स लगा हुआ है। इस तरह से एक ही चीज़ पर दो टैक्स लगे हुए हैं। और भी मिसालें हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो कम्पलीकेशन्ज़ हैं उन को दूर किया जाना चाहिए और सेल्ज़ टैक्स को जितना आसान बनाया जा सकता हो बनाया जाना चाहिए।

एक और बात जो कि मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि कई भाइयों ने यही बात कही है और उन की बात में वज़न भी है कि सेल्ज़ टैक्स सोर्स पर लिया जाए। इस का मतलब यह है कि जो चीज़ यहां से आती है, जहां बनती है वहां पर ही यह टैक्स लगाया जाए या जो चीज़ें बाहर से आती हैं उन पर टैक्स हमारे बैरियर्ज़ पर लगाया जाए। ज़ाहर है कि अगर हम ऐसा करें तो हमें इस महकमा को बहुत टाइट करना होगा ताकि इवेयन न हो सके और सरकार को पूरा टैक्स मिले। इस बारे में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वह इस तरीके के हक में नहीं है। उन का कहना है कि सेल्ज़ टैक्स सेल्ज़ पर ही लगाना चाहिए वरना इस में दो एक कमज़ोरियां आ जाती हैं। एक तो यह कि टैक्स सोर्स पर ही किसी चीज़ के बिकने से पहले ही लग जायगा। हो सकता है कि बाद में उस चीज़ के भाव गिर जाएं या बढ़ जाएं तो

प्रोडयूसर्ज़ को उसी के मुताबिक फायदा या नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर यह टैक्स सोर्स पर लगा दिया जाए तो नतीजा यह होगा कि यह टैक्स उन चीज़ों पर भी लग जायगा जो कि आम आदमी के रोज़ाना इस्तेमाल की हैं और जो उनकी by-product luxury की शकल की चीज़ें हैं उन पर भी उतना ही लगेगा यानी डिग्री आफ टैक्सेशन दोनों हालतों में एक ही होगी। डिफरेंट क्लासिज़ के जुदा-जुदा स्टैंडर्ड आफ लिविंग को देखते हुए उन पर यूनिफार्म टैक्स लगाना ठीक नहीं होगा। तो यह जो कमज़ोरियां हैं इन को दूर करने का इन्तज़ाम किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो सेल्ज़ टैक्स सोर्स पर ही लगना चाहिए।

एक बात मैं हाउस टैक्स के बारे में कहना चाहती हूं। पंजाब में काफी दिनों से इस बात की रीजैंटमैंट है कि हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स जो कि काफी मिलते हुए टैक्स हैं यहां पर urban properties पर लगाए जाते हैं। एक को म्यूनिसिपैलिटी और दूसरे को स्टेट गवर्नमैंट वसूल करती है। मेरी इस सम्बन्ध में यह राय है कि इन दोनों टैक्सों को मिला कर एक ही प्रापर्टी टैक्स रख लिया जाए और उस की कलैक्शन भी स्टेट गवर्नमैंट ही करे। यह अच्छा रहेगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ को उस का एक-तिहाई हिस्सा रीइम्बर्स किया जा सकता है क्योंकि सरकार ने क्लैक्शन चार्जिज़ भी बेयर करने हैं। मैं समझती हूं कि अगर स्टेट गवर्नमैंट क्लैक्शन करेगी तो इवेयन नहीं होगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास तो ताकतें नहीं हैं कि वह मजबूती से हाउस टैक्स वसूल कर सकें। यूनिफार्म रूल्ज़ बनाए नहीं गए हैं। न ही उन के किसी अफसर को असिस्टैंट कमिश्नर की पावर्ज़ हैं। इस लिए उन को दिक्कत होती है इस काम में। तो अगर यह काम स्टेट गवर्नमैंट करेगी तो यह ठीक होगा और म्यूनिसिपैलिटीज़ की बादरेशन बच जायगी।

एक बात यह सुनी गई है कि सरकार ई.टी.ओ. की जगह पर पी.सी.ऐस. अफसरों को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ पर लगाने का इरादा रखती है। मैं नहीं जानती कि पंजाब सरकार ने ऐसा फैसला किन बातों को सामने रख कर किया है, मगर मैं यह महसूस करती हूं कि जिन लोगों ने पहले बहुत दिनों तक इस महकमे में काम किया है और जिन को इस के रूल्ज़, ऐक्ट वगैरह की अच्छी वाकफियत है और जो कि ठीक तरह से इन की इन्टरप्रटेशन दे सकते हैं उन के साथ ज्यादती होगी। बाकी जिन इ.टी.ओज. के खिलाफ शिकायतें हों और जो कोरप्ट मालूम हों उन के खिलाफ ज़ोर से एक्शन लिया जाए, मगर यह बात मुनासब नहीं होगी कि उन को ऐज़ ए क्लास ही खत्म कर दिया जाए। गवर्नमैंट का ट्रैंड आइ.ए.ऐस. और पी.सी.ऐस. अफसरों को हर जगह पर लगाने और उन की भरमार करने का है। जो प्रोफैशनल आदमी हैं उन की डिस्करेजमैंट की जा रही है। मैं कहती हूं कि महकमे पर पूरी तरह से कन्ट्रोल किया जाए और जो कुरप्ट आफसर हैं उन को सज़ा दी जाए मगर यह ठीक नहीं कि उन को ऐज़ ए क्लास ही खत्म कर दिया जाए।

Mr. Chairman : How do you anticipate that he has no control over his officers ?

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : इन का यह कहना है कि यह पी.सी.ऐस. अफसरों को इस लिए लगा रहे हैं कि इस से ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बन जायेगी।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि कुछ दिन हुए मेरे नोटिस में आई है। हालांकि वह ज़िला परिषद की जुरिसडिक्शन की बात है तो भी कुछ ज़िला परिषद प्रोफैशनल टैक्स लगा रहीं हैं और इस की ऐग्ज़ैम्पशन सिर्फ 400 रुपए साल तक की इनकम पर दी गई है, जिस का मतलब है कि जिस आदमी की आमदनी सिर्फ 50 बल्कि 40 रुपए महीना है उसपर यह टैक्स लगेगा। कुछ दिन हुए मेरे पास कुछ बेलदार आए जो सड़क पर काम करते हैं और जिन की तनखाह केवल 60 रुपए महीना होती है उन्होंने बताया कि उन पर भी 60 रुपए सालाना प्रोफैशन टैक्स लगता है। पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही टैक्स लगाया हुआ है और उस ने मुनासब एग्ज़ैम्पशन दी हुई है। मगर यह जो ज़िला परिषद लगा रही है यह तो ग़रीबों पर पड़ता है और वह देने के लिए मजबूर हैं। सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिए और छोटे छोटे आदमियों पर से इसे हटाया जाना चाहिए। सरकार जिला परिषदों को ऐसे टैक्स न लगाने की हिदायत कर सकती है।

चेयरमैन साहिब, अब मैं एक बात और कह कर बैठ जाऊंगी। टैक्सेशन, फाइनैंस और प्लैनिंग यह तीनों चीज़ें हमारी प्लैनिंग के लिये बहुत इम्पार्टैंट हैं मगर बदकिसमती से इन में कोआर्डीनेशन नहीं है। नतीजा यह होता है कि प्लैनिंग कहीं जाती है और टैक्सेशन प्रोपोज़ल्ज़ कुछ और ही बनती हैं और अफसर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि टैक्सेशन की जो इन्सीडैंस है वह कामन मैन पर पड़ती है या जो प्लैन बनाई जा रही है इस से मुल्क को क्या फायदा है। वही हाल फाइनैंस का है। अफसर जो इस में आते हैं वह ऐक्सपर्ट नहीं होते। वह कभी किसी महकमें में तबदील कर दिये जाते हैं और कभी किसी में। उन की अच्छी स्टडी या रिसर्च नहीं होती और वह नहीं जानते कि कैसे टैक्स लगाया जाए या बजट बनाया जाए, या प्लैनिंग की जाए। अगर इन तीनों महकमों में ही इन्टर ट्रांस्फर्ज़ हों, उन में कोआर्डीनेशन हो, तो उन की स्टडी हो सकती है, उन को नौलेज हो सकता है। अब तो जो अफसर टैक्सेशन की तरफ लगाए जाते हैं अगर उन को पूछें कि दूसरे राज्यों में कैसे टैक्स लगाए गए हैं या फौरेन कन्ट्रीज़ में इस बारे क्या पालिसी है तो वह कुछ नहीं बता पाते। यह उन की एक कमज़ोरी है। यह स्पैशल सबजैक्ट है, इस के लिये ऐक्सपर्ट and specialized नालिज की ज़रूरत है। अगर इन तीनों महकमों की कोआर्डीनेशन हो कर आपसी डिसकशन के बाद प्लैन बनाए जाएं या टैक्सेशन की प्रोपोज़ल्ज़ आएं तो सारी चीज़ ठीक तरह से सामन आयगी। प्लैन अच्छी बनगी, कामन मैन पर टैक्सों का ज्यादा बोझ नहीं पड़गा। इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आप का धन्यवाद।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.): ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸਾ ਰੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਲਈ ਸਾਊ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਵਜ਼ੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 12, 13 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਬਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਮ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"1. Shri Hazoor Singh Taxation Inspector of Sangrur who is under suspension and a criminal case is still pending against him in the court of A. D. M. Sangrur has been confirmed by Sardar Daljit Singh Excise and Taxation Commissioner.

2. Shri Ajit Singh Malhotra, Taxation Sub.Inspector Bhatinda, who was suspended five times in connection with the corruption charges, has been confirmed by Sardar Daljit Singh, E. T. Commissioner.

   In Bhatinda in 1960 he was raided by D. S. P. Malerkotla and caught red handed. His wife burnt the currency notes seeing the police raid.

3. Shri Harjit Singh has been promoted as Taxation Inspector in spite of the fact that Sardar Daljit Singh gave him two entries of "Integrity doubtful".

4. Shri Puran Singh Bhatia, Taxation Inspector who was only awarded last punishment when corruption charges in respect of a refund case of a contractor of Patiala in 1959/60 were proved".

ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Mr. Chairman : I wonder if the quorum in the House is complete. Mittal ji, this shows the interest that the Members are taking in the discussion on the Demand for Excise Duties.

(*At this stage there was quorum in the House*).

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 12-9-63 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਲਾਸ ਵਨ ਵਿਚ, ਕਲਾਸ ਟੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਥਰੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। (ਘੰਟੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿਨਮੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਿੜਕੀ ਅਗੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲਿਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਦਬ ਦਬਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬਦਲ ਦਿਉ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਉ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਧਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਖਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਊਨ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਾਊਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਰਾਹੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਛੇ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਵੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਫਿਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 6½ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਉ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਬਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਾਂ 6½ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਘਟੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਏਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇ-ਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਚ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈ ਨਹੀਂ,

ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Minister for Excise, Taxation and Capital : Mr. Chairman, through you I would request the hon. Members not to drag in the names of the officers who are not able to defend themselves here. I would welcome the criticism of the working of the Department to any extent. The cases of corruption can be brought to my notice. But so far as individual officers are concerned, their names should be avoided because they are not able to defend themselves.

Mr. Chairman : I agree with the hon. Minister and would request the hon. Members to avoid naming the individual officers.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਡਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਤਨੇ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1962, ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੁਕਦਮਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਸੂਰਜ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਏਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਐਡੀਬਲ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾਂ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਅਪੀਲ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $3\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

[ਚੌਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਹੈ :

Follow the truth wherever it may lead you,
Carry your ideas to the utmost logical conclusion,
Be not coward and hypocritical,
You shall surely succeed.

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ [illegible] ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

11-00 A.M.

ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹੀ-ਤਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਹਾਈ-ਅਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੈਟੀਰਿਅਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ **India was rich in spiritualism and not in materialism.** ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ । ਸਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਮਤ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ-ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੈਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਗੀ ਰਹੀ । ਜੇ ਹਰੀਜਨ

ਸਾਥ ਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਤੁਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਤੁਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਔਰ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮਿਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਥੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ—

'ਸ਼ਹਿਰੀਂ ਵੱਸਣ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਗਰੀਂ ਵੱਸਣ ਮਨੁੱਖ।
ਪਿੰਡੀ ਵੱਸਣ ਭੂਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਰੁੱਖ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮਿਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ-ਤਹੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1952-53 ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4, 4, ਜਾਂ 5, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4, 4, 5, 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ । (ਘੰਟੀ) ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ।

श्री सभापति : मित्तल साहिब जो वार्निंग चौधरी सुंदर सिंह ने दी है, you should take note of it. (The hon. Minister for Excise, Taxation and Capital should take note of the warning given by the hon. Member Chaudhri Sunder Singh.)

(*Interruption*)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ: ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ । ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਥੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ । ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਅਨਿਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਸੀਮ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਹੋਈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 1947 ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ । ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ 2 ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

1952 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ।

ਖਿਜ਼ਾਉਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਕੁਛ ਫੂਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਥੇ ।
ਬਹਾਰੋਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਮਨ ਫੂੰਕ ਡਾਲੇ ।
ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਨ ਕੋ ਖ਼ਾਰੋ ਗੁਲ ਕੀ ।
ਚਮਨ ਆਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ।

ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਤਨਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ.ਪੀ., ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ		ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ
ਬੰਬਈ	...	ਨਿਲ
ਦਿੱਲੀ	...	1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ	...	1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਹਿਮਾਚਲ	...	ਨਿਲ
ਯੂ. ਪੀ.	...	1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਪੰਜਾਬ	...	6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟ—		
ਦਿੱਲੀ	...	1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ	...	6 ਫੀ ਸਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁੱਤੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ.	...	2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ	...	2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ	...	6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡੇਢ ਪਰਸੈਂਟ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਔਰ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਕਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਏਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਲਾਕ ਹੋਈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਆਫ਼ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਕ-ਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਥੋਂ ਮਾਲ ਚੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਰੀਟੇਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਰੀਟੇਲਰਜ਼ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਈਵੇਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਜ਼ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕੱਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਜਿਹੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਟਰੱਕ ਗੁੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਮਗਲਿਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰੈਲੇਵੈਂਟ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ :

"Introduction of uniform rate of sales tax in all the constituent States of the North Zone has been recommended by the Standing Committee of the Northern Zonal Council. The Committee was appointed to examine the issue of uniformity in the rates of Sales tax in different States adjoining Punjab. The Committee has suggested that variation in rate of sales tax should in no case be more than 2 per cent. Besides, a common list of commodities should be prepared on which no sales tax should be charged in any of the North Zone States. The Punjab Government has also initiated action for the extension of the scheme of substitution of sales tax by additional excise duty to some more commodities......

Meanwhile, the Punjab Government have decided to appoint a Taxation Inquiry Committee which will among others, ascertain the incidence and range of taxation vis-a-vis other States and suggest improvements in the machinery for collection of existing taxes".

Not a single meeting of this committee has been held according to my knowledge. No report has been placed either before the Public or before the Government. ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਈਵੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਡਿਊ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦਿਤੀ:

"The Centre is understood to have again emphasized that the replacement of sales tax by additional excise duties which are levied at the point of production would reduce the scope for evasion."

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਐਂਫੇਸਿਜ਼ ਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡੀਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ।

ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ 500 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਈਵੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਟੇਲਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 10 ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਈਵੇਜ਼ਨ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ । ਜੇਕਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ । ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ 1962 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਡਿਊ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਲਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ :

"We cannot disclose the assessment of the Sales-tax. We seek protection".

How does the question of protection arise ? The matter is now before the Das Commission and the public.

Mr. Chairman : How does the Das Commission come into the picture ?

Chaudhri Darshan Singh : It was for reference only. I cannot say whether it is right or wrong, but the facts are facts. It is published in the Papers and is now before the public. ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਖਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਵਰਵ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ—

ਹਰ ਕਿ ਦਰ ਕਾਨੇ ਨਮਕ ਰਫ਼ਤ ਨਮਕ ਸ਼ੁਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1958-59 ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਬਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । But, where is the sales-tax pertaining to years 1959-60 to 1963-64, which has neither been assessed nor paid ? Why has the Excise Minister taken no action on it ? How does he explain it now ? In the month of October, when the matter came before the Das Commission , the firm's Accountant Surinder P. Singh, went to the bank and deposited Rs. four lakhs.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਉਹ ਚੈਕ ਔਨਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਔਨਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

[*Sardar Gurnam Singh; a Member of the Panel of Chairmen in the Chair.*]

ਚਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਔਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਏ ? Is it not a slur on the fair name of the Congress ; is it not a slur on socialism ; is it not a slur on the Government headed by Sardar Partap Singh Kairon, who has spent forty years of his life in public ? He is, I think, the oldest Member in the Vidhan Sabha. Is it also not a slur on the Excise Minister who has spent so many years of his life in jail ? Is this the type of socialism that you are going to bring ? I am not speaking from this side merely to oppose you, but only to set you right. I do not want that Congress should die. I want it to live, because it has got past history. Please set it on the right path. Look towards your officers. They are demoralised ; they have no initiative ; juniors dictate to the seniors, because they are favourites, because they are in the good books of certain persons. Even condemned officers are promoted. Complaints brought to the notice of the Ministers by the Opposition are not heeded to.

Mr. Chairman : Please continue in one language. That would be easier for the Reporters to record the proceedings.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਇਥੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਫੀਅਟ ਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਓ ਤਾਕਿ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਰਮੀ ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਰਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਖ ਲਉ ਇਹ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਰੌ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। The responsibility would be on the Central Government. You will get your share. Then, where lies the harm ? What is the hitch then ? With these words, I thank you, Sir.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : चेयरमैन साहिब, जो डिमांड हाउस के सामने पेश है वह एक सबजैक्ट नहीं है जिस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है। लेकिन जिस वक्त मैं आपकी जगह बैठा था तो चौधरी सुन्दर सिंह जी ने एक बात कही और उसके सिलसिले में गवर्नमैन्ट को और कांग्रेस को वार्निंग दी और कुछ हरिजनों के बारे में और कुछ दिहाती शहरी सवाल पैदा किया है कि टैक्सों का बोझ शहरों पर इतने करोड़ है और दिहातों पर इतने करोड़ है। मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। चेयरमैन साहिब, जब आज के मौजूदा हालात में देहातों की हालत बहुत ही खराब है। अभी 4, 5 महीने हुए हैं, देहातों में फ्लड्ज़ आए, आपत्ति आई। उस से बहुत संख्या में तबाही हुई। मकानात गिरे। वह सब तबाही देहातों में हुई। गरीब आदमियों की हालत पहले से बदतर हो गई। लेकिन एक सदस्य 4 साल से वजीर की कुर्सी पर बैठा रहा और उस ने देहातियों और शहरियों का झगड़ा इस हाउस में पैदा कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है। फैक्ट्स और फिगर्ज़ को एनेलाइज़ किया जाए तो पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में ज्यादातर जनता देहातों में रहती है। उन की हालत काबिले रहम है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले फसलें फ्लड्ज़ से तबाह हुईं और अब फ्रोस्ट से नुक्सान हुआ है और कई किस्म की आपत्तियां ज़मींदारों को 5, 6 महीनों के अन्दर आती हैं। उन को साल भर में 6, 7 महीने कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है और इसी बीच में कोई आपत्ति आ जए तो उन का बहुत नुक्सान होता है। जब तक वह फसल को इक्ट्ठी करके घर पर नहीं ले जाते उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मिर्च की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है और जब टैक्सों की बारी आती है तो शहरों की निस्बत देहातियों पर ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। विघ्न (शोर)

चौधरी सुन्दर सिंह : घर की बात है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अगर एक आनरेबल मैम्बर कुछ अर्से के लिये वज़ीर रहा हो और उस ने ऐसा टैक्स लगाने की छूट दे रखी हो, तो यह ठीक बात नहीं है।

चेयरमैन साहिब, मैं प्रोहिबिशन के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन हुए, मिनिस्टर साहिब ने असैम्बली के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हम शराब की फ्री सेल कर रहे हैं, शराब की कीमत घटा रहे हैं, जगह जगह पर दुकानें खोल रहे हैं, और एजंट भी

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

रख रहे हैं। मेरी समझ में नहीं ग्राया कि सरकार एक तरफ तो महात्मा गांधी का नाम लेकर प्रोहिबिशन की दुहाई देती है ग्रौर दूसरी तरफ शराब की फ्री सेल कर रही है। यह कहते हैं कि शराब मिक्सड मिलती है इस लिये यह कदम उठा रहे हैं। शराब की बोतल सवा छः या साढ़े छः रुपये कर देने से प्योर शराब मिल जायेगी। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि शराब को तो छोड़िए, प्योर दूध, घी, मिर्च ग्रौर ग्राटा नहीं मिल रहा है तो इस का कहना ही क्या है। ग्रगर इसी बिना पर सरकार ग्रपनी पालिसी चेंज कर रही है तो ठीक बात नहीं है। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि 1948 में इल्लिसिट डिस्टीलेशन ग्रंडर दी एक्साइज़ एक्ट हुई थी। उसका बहुत ग्रच्छा ग्रसर हुग्रा था। मैं ग्रपने जिले की बात कह सकता हूं। जो गरीब ग्रौर मज़दूर ग्रादमी शाम को दो रुपये कमा कर एक रुपये या डेढ़ रुपये शराब पर खर्च कर देगा तो उसका बुरा हाल होगा। मैं सोनीपत ग्रौर रोहतक के बारे में ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि ग्रगर वहां पर यह प्रोहिबिशन न की जाती तो उन की हालत बहुत खराब होती। हमारे सामने महात्मा गांधी की तसवीर लटकी हुई है जिन के ऊपर सारे देश वासियों की श्रद्धा है। उस का नाम लेकर हकूमत ग्रगर प्रोहिबिशन लागू करे तो ग्रच्छी बात है। ग्रगर सरकार ने शराब की फ्री सेल कर दी तो इतना भयानक मसला बन जायेगा जिस का कोई ठिकाना नहीं है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार कदम उठाने से पहले फुल डिटेल्ज़ में सोचे। (विघ्न) (बाबू बचन सिंह द्वारा विघ्न) मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को ग्रपनी पालिसी बदलनी नहीं चाहिये। इन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। ग्रगर सरकार इस बारे में सहमत नहीं है तो इन को सुखना झील में डूब मरना चाहिये। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन पालिसी को लागू करना चाहिये। इस से लोगों का मौरल बढ़ेगा। The Government will have to discourage this policy that they are adopting. चेयरमैन साहिब, सरकार कहती है कि शराब में एलकोहल 80 से 60 डिग्री कर देंगे। इस को घटा देंगे। मैं ग्रपने जिले के बेसिज़ पर कह सकता हूं कि प्रोहिबिशन होनी चाहिये। ग्रगर सरकार ने ग्रपनी पालिसी चेंच कर दी तो मैं समझता हूं कि मौरल का भट्ठा बैठ जायेगा। मैं चाहता हूं कि प्रोहिबिशन सारी स्टेट में होनी चाहिये। लेकिन सरकार कहती है कि ग्रभी टेक चन्द रिपोर्ट का इन्तजार करना है। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं भी प्रोहिबिशन एडवाइज़री कमेटी का मैम्बर हूं। कमेटियों में कुछ नहीं होता है लेकिन Facts are facts and they must be squarely faced. मैं फैक्ट्स के ग्राधार पर कह सकता हूं कि प्रोहिबिशन को प्रोत्साहन दिया जाए। इस से लोगों का मौरल बढ़ेगा।

चेयरमैन साहिब, मैं टैक्सों के बारे में ग्रर्ज़ करना चाहता हूं। लोगों के ऊपर हाउस टैक्स ग्रौर प्रापर्टी टैक्स लगे हुए हैं; डबल टैक्स लगे हुए हैं। इस के इलावा मरला टैक्स, ज़मीनों पर टैक्स, मकानों पर टैक्स, जीने पर टैक्स ग्रौर मरने पर टैक्स ग्रादि लगे हुए हैं जिन की संख्या काफी है। प्रापर्टी टैक्स जो लागू हुग्रा है वह स्टेट लेती है। हाउस टैक्स म्यूनिसिपल

कमेटी लेती है। लोगों के जज़बात पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि सरकार भी टैक्स लेती है। कमेटियां भी टैक्स लगाती हैं और ज़िला परिषदें भी टैक्स लेती हैं। लोगों का यह एतराज सरकार को रिमूव करना चाहिये। कुछ दिन पहले मेरी कांस्टीच्यूऐंसी के लोगों ने मेरे से इस बारे में कहा था कि आप इस बात को वहां पर रेज़ करें कि कई किस्म के टैक्स दे रहे हैं, प्रापर्टी टैक्स दे रहे हैं, मरला टैक्स दे रहे हैं, मकानों के टैक्स दे रहे हैं। The Government should abolish the Sales tax and the Marla tax.

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में लोगों को मायूसी क्यों न हो। आप को मालूम है कि दो साल हुए यहां पर टैम्परेरी टैक्सेशन बिल पेश हुआ था और यहां पर पास भी हुआ। देहातों में ज़िला परिषद् और ब्लाक समितियां प्रोफैशनल टैक्स वसूल करती हैं। सब-इंस्पैक्टर्ज़ को दफा 30 के इख्तियार दिए गए हैं। मैं गनोर मन्डी की एक मिसाल इस सदन में रखना चाहता हूं। वहां पर श्री दुनी चन्द सब-इंस्पैक्टर या इंस्पैक्टर इस के लिये मुकर्रर हुआ। उस ने 1963-64 में लोगों के ऊपर प्रोफैशनल टैक्स लगाया। किसी पर 20 रुपये लगाये और किसी पर 18 या 16 रुपये लगाये। लेकिन बाद में पंचायत को कान्फीडैन्स में लेकर वह लिस्ट रात में ही गुम कर दी गई। वह लिस्ट एक भले आदमी के हाथ लगी। मैं ने वह लिस्ट देखी है। लेकिन रात ही रात में जिस को 28 रुपये टैक्स लगा था उस को 200 रुपये टैक्स लगाया गया और दूसरों को 100 रुपये लगाया गया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस लिस्ट से दुगना, पांच गुना और छः गुना बढ़ा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर या ऐस० डी० ओ० के नोटिस में यह बात लाई गई लेकिन कुछ न बना। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह रैगूलर अपील किस को लाई करती है ? क्या यह ब्लाक समिति के चेयरमैन को लाई करती है ? इस के बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बी० डी० ओ० या छोटे अधिकारी भी उन के कहने पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। जहां पर 28 रुपये टैक्स लगा था उस के ऊपर बाद में 200 रुपए टैक्स लगा रहे हैं और वसूल भी किया जा रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गनोर के निवासी बहुत परेशान हैं। उन्हों ने बड़ी मेहनत से कमाया है और अधिकारी उन पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के लोग यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन के दिलों में बहुत बेचैनी फैली हुई है। एक सब-इन्स्पैक्टर बुरा काम करता है लेकिन उस की बदनामी सरकार को झेलनी पड़ती है ; सारे लैजिस्लेटर्ज़ को बुरा सर्टीफिकेट मिलता है। मैं कहता हूं कि ऐसे आदमियों के खिलाफ कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना चाहिये। उन को ससपैंड करो ; मैं पाज़ेटिव सबूत दूंगा।

Minister for Excise, Taxation and Capital : Is it the State tax that is being collected ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अब मुश्किल यह है कि हमें यह पता ही नहीं है कि यह कौनसा टैक्स है। टैक्सों की इतनी भरमार है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि स्टेट टैक्स कौनसा है और सैंटरल टैक्स कौनसा है। सरकार ने टैक्सों का कुछ ठिकाना ही नहीं छोड़ा। शायद वह टैक्स ज़िला परिषद् का प्रोफैशनल टैक्स होगा। लेकिन हाथी के पांव में सब का

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

पांव। हम तो स्टेट गवर्नमैन्ट को ही ज़िम्मेदार जानते हैं। टैम्परेरी टैकसेशन बिल इस हकूमत ने ही पास किया है वसूल वह करते हैं। सरकार ने लामहदूद अख्तियार ले रखे हैं। अभी सुबह यहां पर डिस्कस हो रहा था कि पचास म्यूनिसिपल कमिश्नरों को कानसे पकड़ कर निकाल दिया गया। यह मिसयूज़ आफ पावर है जो कि कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप का धन्यवाद करता हूं और अपनी जगह लेता हूं।

श्री राम किशन (जालंधर शहर उत्तर-पूर्व) : चेयरमैन साहिब, यह जो 75,52,200 रुपये की डिमांड एक्साइज़ टैक्सेशन के सम्बन्ध में पेश हो रही है इस के बारे में मैं पांच सात बात हाउस में रखना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं है कि किसी भी राज्य की उन्नति के लिये उस की तमाम योजनाओं को पायाएतकमील तक पहुंचाने के लिये पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा प्राप्त करने के लिये टैक्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आज हम टैक्सेशन की ओवर-आल पिक्चर को देखें तो मालूम होगा कि हम 25 रुपये 66 नये पैसे पर कैपिटा के हिसाब से डायरैक्ट और इनडायरैक्ट टैक्स लगाने जा रहे हैं। अगर हम 13 साल के प्लानिंग प्रोग्राम को देखें तो हम ने तीन अरब 70 करोड़ रुपया पंजाब के अंदर इन्वैस्ट किया है और पांच करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से एडीशनल टैक्स पिछले 13 सालों में वसूल किये हैं। लेकिन आज हम कहां तक पहुंचे हैं, जब कि हम थर्ड फाइव यीअर प्लान के चौथे साल में दाखिल हो रहे हैं हमारी पर्चेज़िंग पावर कम हो गई है, प्राइसिज़ बहुत ज्यादा राइज़ हो गई हैं और रुपये की कीमत बहुत गिर गई है। कहने का मतलब यह है हमें टैक्सेशन की ओवर आल पिक्चर को रिव्यू करना होगा। मैं डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता लेकिन जहां तक हाई टैक्सेशन का सम्बन्ध है इसने कभी किसी कन्टरी को पे नहीं किया क्योंकि इस से इनवैस्टमैंट के अन्दर कमी हो जाती है और सेविंग के अन्दर कमी हो जाती है। जिस प्रकार के राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं और जो सामाजिक ढांचा हम कायम करने जा रहे हैं उस की राह में यह रोड़े अटकाता है। वैस्टरन कंट्रीज़ भी जो कि नान-सोशलिस्ट हैं उन्हों ने भी इस बात को माना है कि हाई टैक्सेशन में जितनी भी कमी हो सके करनी चाहिये ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिलें और गरीबों को ज्यादा रीलीफ मिले। हमारे प्लानिंग कमिशन ने इस सम्बन्ध में एक रीसर्च कौंसिल कायम की थी उस की रिपोर्ट पर कमिशन ने गवर्नमैन्ट आफ इंडिया को और दूसरी स्टेट्स को बड़े ज़ोर से रिकमैन्ड किया है कि अब वक्त आ गया है कि सारी टैक्सेशन की पालिसी को रिव्यू किया जाना चाहिये। संसार के सभी देशों ने इस फंडेमैन्टल असूल को माना है कि टैक्सेशन के अन्दर कमी की जानी चाहिये ताकि ज्यादा रुपया इन्वैस्ट हो। सात आठ प्रकार के टैक्स हैं जिन की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहले मैं सेल्ज़ टैक्स को लेता हूं। अगर आप सेल्ज़ टैक्स की फिगर्ज़ पर नजर मारें तो मालूम होगा कि पंजाब राज्य में दूसरे सब राज्यों से सेल्ज़ टैक्स की दर पर कैपिटा ज्यादा है। अगर हम नार्दर्न ज़ोन के प्रदेशों, अर्थात् जम्मू काशमीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू सेल्ज़ टैक्स को भी देखें तो भी पंजाब में सेल्ज़ टैक्स पर कैपिटा सब से ज्यादा है। इसी परह से यदि हम स्टेट एकसाइज़ ड्यूटी को देखें तो वह भी पंजाब के अन्दर दूसरे सूबों से हायर है। अदर टैक्सेज़ ऐन्ड ड्यूटीज़ पर नजर मारने से पता चलता है कि पंजाब कंटरी में दूसरे दर्जे पर है। अगर

टोटल टैक्सिज़, जो यहां पर लगे हुए हैं, पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो पंजाब तमाम स्टेट्स में से चौथे दर्जे पर आता है। महाराष्ट्र, गुजरात और वैस्ट बंगाल को छोड़ कर बाकी सब स्टेट्स में से पंजाब में पर कैपिटा टैक्सेशन ज्यादा है। एक तरफ तो हम पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुला रहे हैं और समाल सेविंग्ज़ के अंदर भी लोगों को इनवाइट करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम टैक्सेशन को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हमारी पर्चेज़िंग पावर कम हो रही है। आज सरकार को इस तरफ तवज्जुह देनी चाहिये। 1948 से ले कर अगर हम पिछले सोलह साल के अरसे में जैनरल सेल्ज़ टैक्स पर नजर मारें तो पता चलेगा कि हम ने तकरीबन आठ दस बार इस की अमैन्डमैन्ट की हैं। और जब जब हम ने अमैंडमैंट की तब तब ज्यादा से ज्यादा कम्पलीकेशन्ज़ इस में पैदा हुई। टैक्स में ज्यादा इवेजन होता रहा है। यह दुरुस्त है कि टैक्स की रकम ज्यादा वसूल हुई है लेकिन अगर इस बात की छान बीन की जाये तो अब भी 40 परसैंट के करीब इवेजन हो रही है। अगर चालीस परसैंट की इवेजन मान ली जाये तो भी पांच करोड़ रुपये की इवेजन होती है क्योंकि higher the rate of taxation, higher the corruption and evasion इस सारी चीज़ को रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे देश में एक टैक्सेशन इन्कवायरी कमेटी बिठाई थी। उस की रिपोर्ट में सेल्ज़ टैक्स के बारे में लिखा हुआ है :

> "Sales Tax.
> Among the taxes imposed by State Governments, land revenue and sales tax are the most important. "If few taxes raise so much revenue, "writes the Taxation Enquiry Commission, "few too have raised so many problems as the sales tax".

न केवल यह बल्कि फाइनैंस मिनिस्टर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और श्री देशमुख ने चैम्बर आफ कामर्स को एड्रैस करते समय जो कुछ कहा उस का निचोड़ यही निकलता है कि जहां तक सेल्ज़ टैक्स का ताल्लुक है,जो कि हर एक राज्य के लिये रैविन्यू की सब से पहली और बड़ी आईटम है, इस के बारे में देश में यूनीफार्म पालिसी होनी चाहिये और इस को सिम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। उन्हों ने कहा कि टैक्सेशन स्टरक्चर को बदलने की ज़रूरत है। आज सेल्ज़ टैक्स की यह हालत है कि जो इवेजन होता है उस के सम्बन्ध में अगर कोई मिनिस्टर उठता है तो वह कहता है कि व्यापारी चोरी करता है या कोई और उठता है तो वह भी यही बात कहता है कि व्यापारी चोरी करता है, हालांकि व्यापारी चोर नहीं है। जहां तक सारे टैक्सेशन का ताल्लुक है बीस परसैंट व्यापारी की तरफ से आता है। मैं मानता हूं कि बुरे आदमी भी होते हैं लेकिन सब को यह बात कह देना अच्छा नहीं लगता। आज हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि सेल्ज़ टैक्स के स्टरक्चर को क्यों और किस लिये बदलने की ज़रूरत है। जहां तक सेल्ज़ टैक्स के मोड आफ रिएलाईज़ेशन का सम्बन्ध है, इस में भी थारो चेंज की ज़रूरत है। अगर यह समस्या हल हो जाये तो जो 75 परसैंट सेल्ज़ टैक्स की रिएलाईज़ेशन के सम्बन्ध में व्यापारियों को तकालीफ हैं वह दूर हो सकती हैं। यह इस वक्त इन्स्पैक्टर राज बना हुआ है। एक के बाद एक कई तरह से इन्स्पैक्टर आते हैं। कहीं सेल्ज़ टैक्स इन्स्पैक्टर है, कहीं शाप इन्स्पैक्टर है, कहीं प्योर फूड इन्स्पैकटर है, कहीं मार्किंग इन्स्पैक्टर है, कहीं प्रोफैशनल टैक्स का इन्स्पैक्टर है, कहीं प्रापर्टी टैक्स का इन्स्पैक्टर, पता नहीं किस किस ढंग से उन पर लगे हुए हैं। कई ढंग से व्यापारियों को उन के साथ बात करनी पड़ती है। कभी हिसाब किताब के सिलसिले में, कभी टैक्स की वसूली के सिलसिले में, फार्म भरते

[श्री राम किशन]

के सम्बन्ध में और इसी तरह से कई एक कामों के सम्बन्ध में एक आदमी तो उनको इन की ड्यटी पर लगाना पड़ता है कि रजिस्टर भरे, कचहरी में जाए और हिसाब किताब दिखाए कि कितना रुपया जमा किया है, कभी फार्म लगाए, कभी कुछ, कभी कुछ, यह सारा सिस्टम ही इतना काम्लीकेटिड हो गया है कि हर एक आदमी से किसी न किसी वक्त कोई न कोई गल्ती हो ही जाती है। अगर किसी ने सौ रुपया टैक्स का अदा करना होता है और किसी वजह से एक दो दिन की देरी हो जाती है तो पैनलटी के साथ उसे डेढ़ सौ रुपया अदा करना पड़ता है। न सिर्फ यह बल्कि अगर रीटर्न में दो दिन की देरी हो जाती है तो उस के मुताबिक उस पर पैनलटी लग जाती है। इतना ही नहीं, चेयरमैन साहिब, आप की मार्फत मैं मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि चार पांच साल हुए जिन लोगों ने सेल्ज़ टैक्स का हिसाब किताब दे दिया था, असैसमैन्ट हो गई थी, पैसे जमा करा दिये थे आज उन की बाबत जब आडिट आब्जैक्शन हुआ है तो उन को नोटिस आ गए हैं कि आप लोग उन आडिट आब्जैक्शनज़ के जबाब दो। यह काम अफसरों का है, इन्स्पैक्टरों और ऐक्साइज़ एंड टैक्सेशन अफसरों का है कि उनका जवाब दें। दुकानदारों ने तो चार पांच साल हुए पैसे जमा करा दिए थे। जितनी असैसमैन्ट हुई उसके मुताबिक उन्हों ने पैसे जमा भी करा दिये थे तो अब जब कि आडिट आब्जैक्शन हुए हैं तो क्यों उन्हें बीच में घसीटा जा रहा है? मैं कह नहीं सकता कि किस हद तक यह ठीक है लेकिन इस बात पर भी मिनिस्टर साहिब की तरफ से तवज्जुह दिए जाने की ज़रूरत है।

इतना ही नहीं, चेयरमैन साहिब, जहां तक फार्मों के सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन्ज़ हैं, एक फार्म I है। उस के मुताबिक यह इन्स्ट्रक्शन्ज़ हैं कि किसी अफसर ने एक साल के अन्दर कितने व्यापारियों को अरैस्ट करवाया। जितनी ज्यादा बार और जितने ज्यादा आदमियों को उन्होंने अरैस्ट करवाया हो उस के मुताबिक उन को क्रैडिट दिया जाता है, उस के मुताबिक प्रोमोशन्ज़ होती हैं। यह इतना बदनुमा धब्बा है, पंजाब के नाम पर, पंजाब की गवर्नमैन्ट के नाम पर कि जो फार्म इस सम्बन्ध में है, उस में यह लिखा जाये कि जितनी ज्यादा अरैस्ट करवाएगा उतनी प्रोमोशन इन्स्पैक्टर और ई० टी० ओ० को मिलेगी। इस तरह से इस सम्बन्ध में उन को अरैस्ट करवाया जाता है, ज़लील किया जता है। चेयरमैन साहिब, जितनी व्यापारियों की ज़लालत इन वर्षों में इस महकमा के जरिये हुई है यह आगे कभी नहीं हुई थी। मैं कहता हूं कि दुनिया के अन्दर किसी मुल्क में, किसी राज्य के अन्दर इतनी बेइज्ज़ती ट्रेडर्ज़ की नहीं की जाती जितनी कि पंजाब राज्य के अन्दर की जाती है और मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहिब इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जुह दें। मैं इस सम्बन्ध में जापान की मिसाल देता हूं। जहां तक टैक्स को रिएलाईज़ेशन का सम्बन्ध है, वहां पर इस तरह के आर्डर्ज़ जारी किए हुए हैं कि जब कभी दफतर में कोई व्यापारी या टैक्स देने वाला जाता है तो वहां पर सब से पहिले उस के लिए उनकी तरफ से चाये का इन्तजाम किया हुआ है। वहां पर बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की हुई है कि उन लोगों के साथ ह्यूमेन ट्रीटमैन्ट किया जाये। वहां पर assessed persons की इस तरह से इज्ज़त की जाती है और मान रखा जाता है। इसी तरह से यू० के० गवर्नमैन्ट की इन्स्ट्रक्शन्ज़ हैं। इस लिये आप के द्वारा मैं गवर्नमैन्ट से

यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मौजूदा स्टील फ्रेम है इस को फौरन बदलने की ज़रूरत है। इस को ह्यूमेन लैवल पर ले जाने की ज़रूरत है। आखिर व्यापारियों का भी समाज के अन्दर कोई दर्जा है। वह भी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और वह राज्य के अन्दर एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्कम का कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए मौजूदा हालात में इस सारे तरीके को बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं ने फार्म की बाबत ज़िक्र किया और दूसरी जो रुकावटें हैं, बन्दशें हैं, इन को दूर किया जाए तो न सिर्फ रैविन्यू ज्यादा होगा बल्कि सूबे में इस सम्बन्ध में खुशगवार ताल्लुकात पैदा होंगे। वक्त आ गया है कि इस सारे टैक्स स्टरक्चर को सिम्पलीफाई किया जाए और आप की मार्फत पूरे जोर के साथ मिनिस्टर साहिब को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सेल्ज़ टैक्स के सम्बन्ध में एक बड़ी इम्पार्टैंट ऐक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाए जो कि इन सभी चीज़ों को तरफ गौर करे और ध्यान दे कर इस को सिम्पलीफाई करने की बाबत मुनासिब सुझाव गवर्नमैन्ट के सामने रखे।

खुशी की बात है कि सेल्ज़ टैक्स के सिलसिले में सारे मुल्क के अन्दर एक यूनीफार्म पालिसी बनाने के सम्बन्ध में नार्दर्न ज़ोनल कौंसिल की मीटिंग में एक सुझाव रखा गया था। मैं कहूंगा कि उस को फिर जोर से पुट कीजिए, पूरे जोर के साथ वहां पर ले जाइए ताकि इसमें जो रुकावटें हैं, जो दिक्कतें हैं वह दूर हों और व्यापारियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वह दूर हों। इस वक्त हालत क्या है? आप ड्रग्ज़ यानी दवाइयों को ही ले लें। जहां हमारे पंजाब राज्य में इन पर 7 परसैन्ट सेल्ज़ टैक्स लगता है वहां देहली, यू० पी० और राजस्थान के अन्दर एक से ले कर चार परसैंट तक लगता है। इतना ही नहीं, हर एक चीज़ पर, हर नैसेसेटी आफ लाईफ पर यहां पंजाब के अन्दर सेल्ज टैक्स लिया जाता है और दूसरी स्टेट्स के मुकाबिले में बहुत ज्यादा लिया जाता है। फूडग्रेन्ज़ पर सेल्ज़ टैक्स लिया जाता है; दूसरी चीज़ों पर लिया जाता है। आज के हालात के मुताबिक सरकार को काफी से ज्यादा रैविन्यू सेल्ज़ टैक्स से मिलता है। इस लिये इस सम्बन्ध में कुछ ज़रूरी सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर आज सारे मोड आफ एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने की ज़रूरत है, जहां फार्मों को बदलने की ज़रूरत है वहां मैं तीन चार आल्टरनेटिब आप की मार्फत गवर्नमैन्ट को बताना चाहता हूं। उन में से किसी एक को वह अपना लें तो काफी हद तक हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। जहां पर मैं ने टैक्सेशन स्टरक्चर को बदलने के लिये रिफार्म कमेटी बनाने का सुझाव दिया है वहां साथ ही जहां तक सेल्ज़ टैक्स का सम्बन्ध है, तीन चार सुझाव देता हूं।

(1) मुनासिब होगा कि सेल्ज़ टैक्स के सिलसिले में कोई लिमिट मुकर्रर कर दी जाए . . .हायर और लोअर। जिसकी इन्कम ज्यादा हो उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाये और कम आमदन वाले पर कम ; लाईसैंस फी लम्पसम की शक्ल में मुकर्रर कर देनी चाहिये जैसा कि साउथ की स्टेट्स के अन्दर है।

(2) अगर ऐसा नहीं करना तो सारी स्टेजिज़ पर लगा दीजिए। तीन चार स्टेजिज़ पर जो इस वक्त छः परसैंट के हिसाब से लिया जाता है उसको कम करके एक परसैंट लगाया जाए।

[श्री राम किशन]

(3) अगर यह भी नहीं करना चाहते तो सब से अच्छा तरीका यह है कि सोर्स पर ही सेल्ज़ टैक्स वसूल कर लिया जाये जैसा कि कपड़े की मैनूफैक्चरिंग के सम्बन्ध में किया हुआ है।

मैं समझता हूं कि इन तरीकों में से किसी को भी अपनाने में गवर्नमैंट को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आ सकती। मैं समझता हूं कि गवर्नमैन्ट किसी भी तरीके से गवर्नमैन्ट आफ इंडिया से बातचीत करके इस बात का फैसला कर सकती है। इस सम्बन्ध में तेरह चौदह चीज़ें तो सीधे तौर पर ली जा सकती हैं जिन पर ऐट सोर्स सेल्ज़ टैक्स लगाया जा सकता है जैसे बनस्पति घी है, सीमिंट है, कोयला और साफट कोक है आयरन एंड स्टील की सभी प्रोडक्ट्स हैं, बरतन हैं, पेपर न्यूज़प्रिंट और कार्डबोर्ड है, मोटर कारें, स्कूटर, ट्रक मोटर बाईक्ल और बाई-सिकल है, टिम्बर है, ऐलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयां हैं, घड़ियां हैं, स्पोर्टस मैटिरियल है, कराकरी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चाय है। इस तरह की सभी चीज़ों को इस में कवर किया जा सकता है। वरना आज हालात क्या हैं? कहने की ज़रूरत नहीं है, चेयरमैन साहिब, कि जहां पहिले पंजाब स्टेट के अन्दर ड्राई फ्रूट के ज़रिये चार करोड़ रुपये सालाना की तजारत होती थी इस सेल्ज़ टैक्स की वजह से आज यहां की 80 परसैंट तजारत देहली में चली गई है। इस तरह से पंजाब इस से महरूम रह गया है। यही नहीं, ड्राज़ और मोटर पार्ट्स वगैरा की भी काफी से ज्यादा ट्रेड यहां से उठकर देहली में चली गई है क्योंकि वहां पर पंजाब की निस्बत कम सेल्ज़ टैक्स है। इस लिये मैं आप की मार्फत गवर्नमैन्ट पर इस बात के लिये जोर देना चाहता हूं कि इन सभी चीज़ों पर पूरी संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है ताकि उन पर विचार करते हुए किसी न किसी तरह से ठीक नतीजों पर पहुंचा जा सके।

इस के अलावा पंजाब के अन्दर एक और टैक्स है और वह है प्रोफैशनल टैक्स। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं जाना चाहता; लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूंगा कि मैं ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है, मैं डाक्टर कालादार और प्रोफैसर बी०के०वी० राओ के विचारों को पढ़ा है। दुनिया के अन्दर जितने भी मुल्क हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर पंजाब राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रोफैशनल टैक्स Gross Income पर लगाया गया है जिस में अखराजात यानी ऐक्सपैंडीचर को भी मुबरा नहीं किया गया... ग्रास इन्कम पर यह टैक्स लगाया गया है जब कि कोई भी टैक्स इस किस्म का हो वह नैट इन्कम पर ही लगाया जाता है। दुनिया के अन्दर किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। हिन्दुस्तान की किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर मिनिस्टर साहिब हिन्दुस्तान की किसी स्टेट की, दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल दे सकें जहां पर इस तरह का यह प्रोफैशनल टैक्स लगाया गया हो। वैसे तो प्रोफैशनल टैक्स की ज़रूरत ही नहीं रहती लेकिन अगर किसी न किसी तरह से रखना ही है तो इसे ग्रास इन्कम पर नहीं नैट इन्कम पर लिया जाना चाहिये।

इस के बाद मैं प्रापर्टी टैक्स की तरफ आता हूं। जहां तक प्रापर्टी टैक्स का सम्बन्ध है यह सन् 1940 में, जब कि अनडिवाइडिड पंजाब में सर सिकन्दर हियात की हकूमत थी तब से लागू हुआ था। उस वक्त जो लिमिट मुकर्रर की गई थी वह 276 रुपये सालाना थी

ग्रौर रिपेयर के लिये 10 परसैंट ऐग्ज़ेम्पशन थी। पिछले 24 साल के अन्दर, ग्रगर ग्राप देखें तो ग्राप को पता लगता है कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। लेबर की कीमत कितनी बढ़ गई है। सीमिंट, टिम्बर ग्रौर ग्रायरन एंड स्टील की कीमत कितनी चढ़ गई है। खास तौर से ब्रिक्स की कीमतों में किस कदर इज़ाफ़ा हुग्रा है। इस लिये जहां तक प्रापर्टी टैक्स का सम्बन्ध है यह जो लिमिट है इसे कम से कम दुगना कर देना चाहिये ग्रौर रिपेयर की ऐग्ज़ैम्पशन को तीन गुना कर दिया जाये। इसी तरह से विडोज़ के सम्बन्ध में जो लिमिट इस ऐग्ज़ेम्पशन की रखी हुई है उसको भी कम से कम तीन गुना बढ़ा देना चाहिये, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इस टैक्स की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सरकार को बदले हुए हालात में जनता को हाऊसिंग के सिलसिले में इन्सेन्टिव देने की ज़रूरत है। जो सोशल्ज़िम के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया था उसके चौथे पैरे में लिखा गया है कि चौथी ग्रौर पांचवीं प्लैन के ग्राखिर तक इस हाऊसिंग की शार्टेज को दूर करना है। इस लिये मैं ग्रर्ज़ करूंगा कि वक्त ग्रा गया है कि ग्रगर पंजाब सोशलिस्ट स्टेट के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में बाकी सूबों के मुकाबिला में लीड लेना चाहता है

12.00 noon

तो रैज़ीडैंशल हाऊसिंग को प्रापर्टी टैक्स से मुस्तसना करार दिया जाए। इस से हाऊसिंग को इंसैन्टिव मिलेगा ग्रौर गरीब ग्रादमियों को लीड मिलेगी। ग्रौर सारा सिलसिला ग्रच्छी तरह से चल सकेगा।

चेयरमैन साहिब, जहां तक लिकर का सम्बन्ध है या एकसाइज़ ड्यूटी का सम्बन्ध है मैं इस संबंध में ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमैन्ट इस बारे में ग्रपनी पालिसी बदलने जा रही है। हिन्दुस्तान की जो इस बारे में नैशनल पालिसी थी वह यह थी कि हम प्रोहिबिशन करेंगे लेकिन कुछ हालात बदले ग्रौर इन की वजह से गवर्नमैन्ट ने इस बारे में टेक चन्द कमेटी बैठाई ग्रौर ग्रभी टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट ग्राई नहीं। इस लिये मेरी गवर्नमैन्ट से दरखास्त है कि जब तक टेक चन्द कमेटी बैठी है ग्रौर इस की रिपोर्ट नहीं ग्रा जाती उस वक्त तक गवर्नमैन्ट को ग्रपनी पालिसी को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में मैं ग्राप की मारफत गवर्नमैन्ट से कहना चाहता हूं कि जहां तक ऐक्साइज़ ड्यूटी का संबंध है इस डिमांड के पीछे जो एक्सप्लैनेटरी नोट दिया हुग्रा है उस के ग्रन्दर यह लिखा हुग्रा है—

"....Country spirit, due to more consumption of country liquor....".

इस के मायने यह हैं कि गवर्नमैन्ट ने ग्रब समझ लिया है कि कन्टरी के ग्रन्दर ग्रौर पंजाब के ग्रन्दर इस के मुताबिक ग्रब लिकर की कंज़म्पशन होगी ग्रौर जो कोटा होल्डर्ज़ हैं उन के कोटे ग्रब डबल कर दिए गए हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह वह चीज़ है जिस के लिए हमारी हज़ारों बहनों को जेल में जाना पड़ा था ग्रौर इस को रोकने के लिये हमारे देश के हजारों वालन्-टीयर्ज़ ने शराब की दुकानों पर पिकिटिंग की थी ग्रौर ऐसा करते हुए लाठियां खाई थीं। इसी चीज़ को रोकने के लिये गोलियों की बोछाड़ में उन्होंने पिक्टिंग की थी। इस के पीछे हमारा इतिहास है, इस के पीछे हमारी कहानी भरी पड़ी है। इस लिये मैं इन को कहना चाहता हूं कि इस तरह करके हमारे देश के इतिहास को बर्बाद न किया जाए। हम इस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रगर ग्राप इस तरह से प्रोहिबिशन को स्करैप करते हैं हमारी ग्रांखों के सामने ग्रौर हमारे सामने एक नई फेवरिट क्लास पैदा कर रहे हैं यह हम किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही गवर्नमैन्ट जो पहले प्रोहिबिशन लगाने का दावा करती थी ग्रब शराब को

[श्री राम किशन]

नई दुकानें अपनी फेवरिट क्लास को देगी। मैं मानता हूं कि इस में एक्साईज़ मिनिस्टर के बस की बात नहीं है। देखने की बात तो यह है कि यह गांधी जी की गवर्नमैन्ट है और यह हमारे जैसे हजारों वालन्टीयरों की कुर्बानियों की वजह से बरसरे इक्तदार आई है और यह अब अपनी फेवरिट क्लास को शराब की दुकानें दे रही है। यह चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। [*Deputy Speaker in the Chair*] इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मारफत गवर्नमैन्ट से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से पहले कि यह इस पालिसी को बदले यह सैंट्रल गवर्नमैन्ट से अपनी राये ले ले और जब तक टेक चन्द कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती यह इस बारे में कोई तबदीली अपनी पुरानी पालिसी में न लाएं। अगर यह इस ने बदल दी तो यह हमारे जज़बात के साथ खेलने वाली बात होगी और यह हमारे इतिहास को बर्बाद करने वाली बात होगी। इस को पुराने कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे इन के पास हिम्मत है यह जो चाहें कर दें लेकिन मैं इन से यही प्रार्थना करता हूं कि यह ऐसा करके हमारे ज़खमखुर्दा जज़बात पर नमक न छिड़कें। हम इस को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

इस के बाद मैं स्टैम्प ड्यूटी ऐक्ट के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं जो 12 मिन्टों के अन्दर यहां पंजाब असैम्बली में से पास करवा लिया गया था और जिस के तहत स्टैम्प ड्यूटी 2 से बढ़ा कर 12 परसैंट कर दी गई थी और म्यूनिसिपल कमेटियों के अन्दर की जायदाद के लिए 3 से बढ़ा कर 13% कर दी गई थी। पिछले तीन चार सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि इस ड्यूटी के बढ़ जाने से सिर्फ एक या डेढ़ लाख का गवर्नमैन्ट की आमदनी में इज़ाफा हुआ है लेकिन आप इस बात का अन्दाज़ा लगाएं कि इस से बदनामी कितनी हुई है, इस से इखलाक के अन्दर कितनी गिरावट आई है क्योंकि लोग इस बारे में झूठ बोलने लगे हैं। किसी आदमी की सौ रुपये की जायदाद होती है तो वह 30 या 40 रुपये लिखवा कर रजिस्टरी करवाता है। वह झूठ बोलता है, लम्बरदार झूठ बोलता है और विटनैसिज़ को झूठ बोलना पड़ता है। अगर सरकार इस स्टैम्प ड्यूटी में फिर कमी कर दे तो इस से उस के रैविन्यूज़ में कमी होने वाली नहीं। इस लिये मैं इसे कहूंगा कि यह इस को कम अज़ कम आधा कर दे। मैं कहता हूं कि गवर्नमैन्ट के रैविन्यूज़ में इस से कमी नहीं होगी बल्कि यह बढ़ेगा। फिर इस से लोगों को मकान बनाने के लिये इन्सैंटिव मिलेगा और गरीबों को रिलीफ मिलेगा और जो लोग छोटी इन्डस्ट्री चलाना चाहते हैं उन्हें ज़मीन लेने के अन्दर दिक्कत नहीं आयेगी।

इस के बाद फूडग्रेन्ज़ पर जो टैक्स है जो पहले 12 आने लगा था और उसके बाद यह डेढ़ रुपया कर दिया गया था, यह हटा देना चाहिये। यह टैक्स उस वक्त लगाया गया था जिस वक्त हम प्राइमरी ऐजूकेशन फ्री करने लगे थे। यह ठीक है कि प्रायमरी ऐजूकेशन ज़रूर फ्री होनी चाहिए लेकिन जहां पक प्राइवेट स्कूलों का संबंध है उन की मैनेजमैन्टस माली मुश्किलात के कारण यह फ्री नहीं कर पा रहीं। इस बारे में भी गवर्नमैन्ट को देखना चाहिये। लेकिन इस के साथ ही मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है जब कि फूडग्रेन्ज़ की प्राइसिज़ इतनी बढ़ गई हैं कि यह लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। गवर्नमैन्ट को लोगों को रीज़नेबल रेट्स पर फूडग्रेन्ज़ और दूसरी नैसेसेटीज़ आफ लाईफ देनी चाहिएं। इस लिए पंजाब राज्य के अन्दर गवर्नमैन्ट को यह टैक्स लगा कर लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए।

दूसरी चीज़ मैं आपकी मारफत, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहना चाहता हूं कि सारे टैक्सों को रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ टैक्सिज़ ऐसे हैं जो एक ही आदमी को मुख्तलिफ शक्लों में देने पड़ते हैं, जैसे एक ही मकान पर हाउस टैक्स देना पड़ता है, प्रापर्टी टैक्स देना पड़ता है और उसी मकान पर मरला टैक्स भी देना पड़ता है। अब वक्त आ गया है जब सारे टैक्सों को मिला कर एक ही टैक्स कर देना चाहिये। अब इस तरह से चार पांच टैक्सों को लागू रखने से कोई फायदा नहीं होगा। यह ठीक है कि पंजाब राज्य के अन्दर आने वाले सालों के अन्दर पैसे की ज़रूरत है और सरकार की इन्कम बढ़ाने की ज़रूरत है। इस के साथ ही लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत है और लोगों को साथ लेने की ज़रूरत है। इस लिए मैं यह चाहता हूं कि पंजाब सरकार यह देखें कि खाह अरबन टैक्सेशन है खाह रूरल टैक्सेशन है इन सब पर गौर करें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंचें। इस के लिए मैं सुजैस्ट करता हूं कि एक टैक्सेशन रिफार्म कमेटी बैठाई जाये जो ओवरआल पोज़ीशन को देखे। आज इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने अपनी गवर्नमैंन्ट को कहा है और दुनिया के इकानोमिस्ट्स का भी कहना है कि जब कोई टैक्सेशन लगानी हो तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि जिन लोगों पर उसका असर पड़ना है उन की कितनी आमदनी है और उनकी प्रचेज़िंग पावर कैसी है। इस लिए वह कमिशन देखे कि पंजाब राज्य में हालात कैसे हैं। आज पंजाब के अन्दर न वह हालात रूरल एरियाज़ में रहे हैं और न ही अरबन एरियाज़ में रहे हैं। रूरल एरियाज के अन्दर ज़मीन से फी कस आमदनी 184 रुपए हुई है तो उस पर 664 रुपये कर्ज़ा हो गया है। जहां तक अरबन एरियाज़ का संबंध है गवर्नमैंन्ट आफ इंडिया के फाइनांस डिपार्टमैंन्ट ने एक टैक्स रिफार्मज़ कमेटी बनाई हुई है और हाल ही में उसकी रिपोर्ट शाया की गई है जिस में उन्हों ने बताया है कि जहाँ तक अरबन एरियाज़ का ताल्लुक है वहां एक रुपये की कीमत घट कर 54 पैसे रह गई है। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। जब आप एक सोशलिस्टिक स्टेट बनाने जा रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि गरीब आदमियों को टैक्सों में रिलीफ दिया जाये और जो बड़े बड़े आदमी हैं और जो टैक्सों का जितना बोझ और बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर उतना बोझ डाला जाए। लेकिन अब तक हम ने जितनी टैक्सेशन लगाई है उस से छोटे आदमियों पर ज्यादा बोझ पड़ा है और जो बड़े आदमी हैं उन्हें उस से फायदा हुआ है।

इस के साथ ही इवेयन को रोकने की ज़रूरत है और इवेयन रोकने वाली मशीनरी बनाने की ज़रूरत है। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस मशीनरी में जो आदमी काम कर रहे हैं उन में भले आदमी भी हैं और बुरे भी हैं लेकिन इस बात को हमें नज़र अन्दाज़ नहीं करना चाहिये कि आज हालत यह है कि इवेयन को रोकने के लिए टैक्सेशन डिपार्टमैंन्ट के आदमियों के अलावा डिस्ट्रिक्ट एथारेटीज़ को भी अख्तियार हासल है। और उन के अलावा तमाम ज़िलों में 15 फ्लाइंग स्क्वैड्ज़ भी काम कर रहे हैं और इस के साथ ही कई पी. सी० एस० अफसरों को भी इस में ले जाने की कोशिश की जा रही है। यह सारे टैक्सिज़ के इवेयन को रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी यह रुकने में नहीं आ रहा। इस का मतलब यह है कि इस मशीनरी में कहीं कमज़ोरी आ गई है। इस लिए मैं गवर्नमैंन्ट से कहूंगा कि यह इसे ह्यूमेन वे में ढालने की कोशिश करें और इसे ज़रूर एफीशेंट बनाना चाहिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा

[श्री राम किशन]
टैक्स वसूल कर सकें और यह सारी मशीनरी सोशलिस्टिक आर्डर के मुताबिक होनी चाहिए। इस सारी मशीनरी को इस तरीका से बदलने की जरूरत है। उन्हें इन्स्ट्रक्शन्ज़ जारी की जायें कि वह जनता से अपना व्यवहार बदलें और ह्यूमेन तरीका से उन के साथ बर्ताव करें।

मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों की तरफ तवज्जुह दे जिन की तरफ मैं ने इन का ध्यान दिलाया है और आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ हमदर्दाना गौर कर के लोगों को रिलीफ दिया जायगा। (तालियां)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫੀਮ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਜ ਪਿੰਡ ੨, ਸ਼ਹਿਰ ੨ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਫੀਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲਬੂਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿਕਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਟੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਕਸਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵੱਯਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੋ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ 1946 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 4 ਆਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਗਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 17 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ । ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹਨ । ਪੈਸੰਜਰ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਥੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੀ ਤੀਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰੋਡ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਮਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ । ਉਥੇ 2,200 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ । ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ; ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 1,700 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇਵੇ । ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ 15 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਸਨ । ਸਿਪਿਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ । ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 6½ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚੇ । ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਮ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚ ਜਾਵਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? (Did the hon. Member bring the carpet or not?)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਭਗੀਰਥ ਲਾਲ : ਫਿਰ ਇਥੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਫੀਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਰ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲੇ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫੀਮ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री रूप लाल मेहता : On a point of order, Madam. इस डिमांड को पास तो करना ही है लेकिन जो टैक्सेशन की पालिसी है उसे डिस्कस करने की जरूरत है। ठेका सिस्टम जो पहले था, बन्द किया जा रहा है। इस पर काफी आदमी बोलना चाहते हैं। इस पर सोच विचार के लिये समय होना चाहिए। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि टाईम आज आधे घंटे के लिये एक्सटेंड करने की मेहरबानी करें।

पंडित भागीरथ लाल : On a point of order, Madam मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि टाईम बढ़ाना चाहिए जैसा कि मेहता जी ने कहा है। पालिसी क्या है, यह तो गवर्नमेंट का काम है। यहां पर तो रकम पास करनी है। फिर भी पालिसी पर विचार करने के लिए मौका मिलना चाहिए और वक्त बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्षा : Leader of the Opposition सरदार गुरनाम सिंह की क्या राए है ? (What is the opinion of the Leader of the Opposition, Sardar Gurnam Singh ?)

Sardar Gurnam Singh : I feel that the Leader of the House is not prepared to extend the time of the sitting of the House. It is, therefore, useless for me to say anything in this connection.

उपाध्यक्षा : मेरे पास जो टाईम शैड्यूल आया है उस के अनुसार 79 मिन्ट आपोजीशन वाले और 54 मिन्ट कांग्रेस बैंचों वाले बोले हैं। अभी बहुत से मेम्बरों ने बोलना है। मैं Leader of the House से दरखास्त करूंगी कि अगर वह एग्री करें तो हाउस का टाईम आधा घंटा एक्सटेंड कर दूं। (The schedule of time, put up to me, indicates that the Opposition and the Congress Benches have spoken for 79 and 54 minutes, respectively. Still a large number of Members wish to participate in the discussion. I would, therefore, request the Leader of the House to tell me if he is agreeable to the extension of the sitting of the House by half an hour.)

Chief Minister : Most humbly, I say, Madam, that it is not possible to extend the time of the sitting of the House. We have already fixed our

[Chief Minister]

programme for the Session. A Cabinet meeting is taking place at 3.00 p.m. There is also work to be done in between this period.

सरदार निरंजन सिंह तालिब : आज पंजाबी रिजनल कमेटी की भी तीन बजे मीटिंग है।

उपाध्यक्षा : आप पांच-पांच मिनट बोल लीजिए। मैं मित्तल साहिब से रिक्वेस्ट कर देती हूं कि वह अपने बोलने का वक्त कम कर लें। (The hon. Members may please speak for five minutes each. I would request the hon. Minister for Excise, Taxation and Capital to reduce his time for reply.)

श्री रूप लाल मेहता (पलवल) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हम ने इस मांग को स्वीकार करना है और इस में लम्बी-चौड़ी रिडक्शन की ज़रूरत नहीं। सब से ज़रूरी है टैक्सेशन की पालिसी जिसके बारे में हम सोच-विचार कर रहे हैं। इसी पर काफी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि सरकार को काम चलाने के लिये टैक्सिज़ की ज़रूरत है और इस डिपार्टमेंट ने 31-12-63 तक 20 करोड़ से ज्यादा रुपए की फराहमी की है। पांच करोड़ से ज्यादा एक्साइज़ रैविन्यू हासल किया है, सेल्ज़ टैक्स की सरकार को भारी आमदनी है। सरकार की आमदन मैं मानता हूं कि डिवेल्पमैंट के कामों पर लगती है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक इस तरीकाकार का ताल्लुक है जो सेल्ज़ टैक्स का सिस्टम है इस में आम तबदीली की जरूरत है। आस-पास की रियास्तों से सेल्ज टैक्स की दर मालूम करके इस ढंग से टैक्स लगाने चाहिएं कि यूनिफार्मिटी रहे। आज हरेक इस टैक्स के बरखिलाफ है। इस सूबे में टैक्स की दर 4 आने से 6 रुपये सैंकड़े तक बढ़ गई है और इससे 25 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आज इतनी दिक्कत हमारी सरकार को टैक्सों की वसूली में हो रही है, मैं यह बात इमानदारी से कहता हूं, कि जिस का कोई ठिकाना नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है जिस के मुताल्लिक मैं अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टैक्सिज़ की वसूली का तरीका जो है वह निहायत ही नुकसदार है। अफसरान, जिन की ड्यूटी है टैक्सिज़ को लगाना, जैसे कि इन्स्पैक्टर्ज़ वगैरा यह लोगों से निहायत ही बुरी तरह से पेश आते हैं। बेशक हम इन को बड़ी बड़ी तनखाहें भी देते हैं मगर एक इन्स्पैक्टर से ले कर एक कमिश्नर तक जो लोगों से वसूली के मामले में व्यवहार किया जाता है वह निहायत ही भद्दा है। यह तरीका कार ठीक नहीं है। जब भी कभी टैक्सिज की वसूली के सिलसिले में अपीलें होती हैं, तो एक दुकानदार को जहां कहीं भी अपनी जवाबदेही के लिये जाना होता है, टैक्सेशन कमिश्नर के जहां भी जब उस की अपील सुनी जाती है, तो यह सब आफसरान बहुत बदसलूकी से पेश आते हैं जो कि एक आज़ाद हिन्दुस्तान में नहीं होना चाहिए। सरकार को इस तरीका कार को सुधारना चाहिए। इस के साथ ही सरकार की जो टैक्सिज़ के मुताल्लिक पालिसी है इस को भी रीवाइज़ करना चाहिये। यह बात भी माननी पड़ती है कि जो शख्स आज टैक्स की चोरी करता है वह सही मायनों में देश का दुश्मन है। लेकिन जो तनखाहदार मुलाज़िम इस महकमे में टैक्स की वसूली के लिये लगाये जाते हैं वह जिस तरीका से इन लोगों से पेश आते हैं उस से न सिर्फ टैक्सिज़ का ही नुकसान होता है बल्कि और भी कई बातों के लिये हमारी सरकार को शर्मसार होना पड़ता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे और देवियों ने पुलिस की लाठियां दिल्ली, अमृतसर और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में इस लिये ही खाई थीं कि ठेका जात बन्द करो, शराबबंदी करो। वह दिन हम अभी तक भूले नहीं, वह अब भी हमारे याद हैं; मगर कितने अफसोस की बात है कि इतना कष्ट बर्दाश्त करने के बावजूद हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। आज फिर हम लोगों को सस्ती शराब और ठेके देने लगे हैं। हमारा ऐक्साईज़ रैविन्यू 5,09,90,000 रुपए के करीब है। अगर महज़ रैविन्यू की वसूली के मकसद को देखते हुए हम ऐसा करते हैं तो दूसरी तरफ जो इस का नुक्सान होता है उस को भी देखना होगा। इस से लोगों में शराब पीने की आदत बढ़ेगी। जिस उद्देश्य को सामने रखकर हम ने इस मुलक को आज़ाद कराने में बड़ी-बड़ी मूवमैंट्स चलाई, और शराब की बन्दी पर पिकिटिंग किया, हज़ारों आदमी जेलों में गए, उसी बात के खिलाफ आज हम जा रहे हैं। मैं कहता हूं ग़रीब तो शराब क्या पियेंगे? उन को तो रोटी तक नहीं मिलती। यह तो बड़े-बड़े अफसरान ज़्यादा शराब पीने लगे, जहां लोगों को पहले मेवा की डालियां दी जाती थीं आज उन लोगों को फ्रूट्स की बजाये दुनिया भर की, कीमती शराब की बोतलें रिश्वत के तौर पर पेश की जाती हैं, उन को अपनी बुराइयों को छुपाने के लिये भेंट की जाती हैं।

अब एक बात है कि इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह ऐजेन्ट मुकर्रर किए जाएंगे जिन्हें सरकार में बड़ा भारी रसूख होगा। हमने शराब बन्दी के खिलाफ वहां आंदोलन किया। ये 5 करोड़ रुपए आमदन बढ़ी, हम छोड़ दें और शराब बन्द कर दें तो यह रकम किसी और ढंग से वसूल हो जाए तो कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी। मेरे अपने हलके में एक बहुत बड़ा बारसूख ठेकेदार है। उस ने बड़े-बड़े अफसरों को इन्डयूस किया हुआ है, जिसकी पलवल से लेकर अमृतसर तक ठेकों की चेन है, जिसका नतीजा यह होगा कि उसकी बात बड़े-बड़े अफसरों को माननी होगी और वह उसे इनकार नहीं कर सकेंगे। और जो ठेके इस के पिछले साल के थे वह सभी कायम रहे। बारसूख आदमी, मैं कहता हूं, हर जगह बच जाते हैं मगर यह कानून हमेशा गरीब आदमियों पर ही काम आते हैं। अभी थोड़े दिनों का वाकया है कि ऐसी अफीम पकड़ी गई है जिस का वालीवारस कोई नहीं। बारसूख आदमी इस तरह से पैसे का लालच देकर निकल जाते हैं। मैं कहता हूं कि अफीम पकड़ी गई और थाने में चली गई। इस से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि पुलिस इस बात का क्यों पता नहीं लगाती कि यह आई कहां से और इस को लाने वाला कौन था। यह ढंग था जो पुलिस को या मुकामी अफसरान को धारण करना चाहिये था मगर लावारस लिखकर असल मकसद ही खत्म हो जाता है। मैं शराब को बन्द करने पर ज़ोर इस लिये दे रहा हूं क्योंकि इसका मेरे जैसे आदमी से ताल्लुक है। मुझ जैसे आदमियों को आज से 30—32 साल पहिले पुलिस का तशद्दद बरदाश्त करना पड़ा था, तरह तरह के कष्ट सहे हैं। मैं अब ऐक्साईज़ मंत्री जी से कहूंगा कि वह अब इस को बढ़ावा देने की बजाये अगर इस काम को हमेशा के लिये बन्द हो कर दें तो बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा कि इस में सरकारी खज़ाने पर कोई असर नहीं पड़ता। आप को ज़रा सी अपनी टैक्सेशन की जो पालिसी है यह ठीक करनी होगी। आज हमारे इतने टैक्सिज़ हैं जो अफसरान से मिल कर चोरी हो जाते हैं और इन से ही

[श्री रूप लाल मेहता]

इस एक्साइज़ के घाटे को पूरा किया जाता है। हाउस टैक्स, मरला टैक्स और तरह तरह के टैक्सिज़ हैं जिन की वसूली के लिये सरकारी अफसरान को मेहनत करने की और ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है। मगर हम देखते हैं कि आज इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता तथा रहने के मकान का प्रापर्टी टैक्स मुकर्रर करना चाहिए जबकि नगरपालिकाएं हाउस टैक्स भी लेती हैं, ऐसी सूरत में रहने लायक मकान को टैक्स से मुक्त करना चाहिए और सेल्ज़ टैक्स पैदावार के साधनों पर लगाकर टैक्स की युनिवर्सल पालिसी बननी चाहिए जिससे टैक्स का बोझ सीधा आम जनता पर न पड़े।

पंडित भागीरथ लाल (पठानकोट) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, टैक्सों के सम्बन्ध में आज 2-3 मांगें हैं। इस में कोई शक की बात नहीं है कि सरकार का काम टैक्सिज़ के बग़ैर नहीं चलता और न ही कोई सरकार इस के बग़ैर रह ही सकती है। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि अफसरान को महंगाई भत्ता मिले, देश के ग़रीबों को रोटी-कपड़ा मिले और उनकी जरूरियात पूरी हों। यह बात भी हर आदमी चाहता है कि सरकार की तरफ से उस को मैडिकल में, तालीम में और इधर-उधर की सहूलतें जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं मिलें, मगर यह सब मिलेंगी कहां से ? जब तक कोई पैसा हम नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो यह सब आयेंगी कहां से ? इस के मुताल्लिक मैं 2, 3 बातें सूत्र रूप से अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूं। मैं इस की व्याख्या में नहीं जाना चाहता, मगर इतना मैं ज़रूर कहूंगा कि जिस पालिसी को लेकर हम आगे बढ़े थे आज ज्यों के त्यों हम वहीं पर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़े। मैं आप की मारफत, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि यह आठवां बजट है जो आज हमारे सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक हम टैक्स ही लगाते चले आ रहे हैं और आज यह हालत है कि एक अरब से ऊपर हमारे टैक्सिज़ चले गये हैं। आप देखें कि असल पोज़ीशन है क्या। जहां पर हम ने किसी को 12 आने रिलीफ दिया तो महंगाई की वजह से भाव 1 रुपया 8 आने यानी दुगना हो गया। टैक्सिज़ बढ़ाकर हम रिलीफ देते हैं मगर चीज़ों के भाव बढ़ते जाते हैं, बात वहीं की वहीं है।

अब मैं आपके सामने एक बात प्रापर्टी टैक्स की लेता हूं। आज प्रापर्टी टैक्स उन विधवाओं से भी लिया जा रहा है जो छोटे-छोटे मकानों में रहती हैं, उन को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। यहां पर इस बात पर कामरेड राम किशन जी बोल रहे थे, मगर मैं तो उन के भाषण को आरण्यरोदन ही कहूंगा। जिस बात के लिये हमारे बड़े बड़े नेता पुकारते रहे और जिस शराब को पीने से मनाही के ऐजीटेशन में हमारे बड़े बड़े भक्त शहीद हुए आज उन्हीं कामों के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं। नशाबन्दी को उत्साहित कर रहे हैं। आज उसी बात के लिये हमारे कांग्रेसी नेता हमें सुझाव देते हैं जिस के लिये हमें बड़ी बड़ी ऐजीटेशनें लड़नी पड़ी थीं। हम सरकार के शुकरगुज़ार होंगे कि वह अफीम पर पाबन्दी लगाये, चरस पर लगाये और सुलफे, भंग पर लगाए। लेकिन इस तरह ठेके दे कर उन को उत्साहित करना मुनासिब नहीं होगा। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्मगलर हैं और चीज़ें चोरी बेचते हैं, यह धीरे धीरे रोके जा सकते हैं और इस तरह से शराबबन्दी की तरफ हम चले जा सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्रैडिट मिलेगा। गवर्नमैंट को शोभा मिलेगी। एक बात और मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि इस वक्त सचमुच गवर्नमैंट का राज नहीं इंस्पैक्टरों का राज है। मैं एक सुझाव देता हूं कि जब आप इंस्पैक्टर रखें तो, मित्तल साहिब, पहले यह देख लें कि उनकी

पोज़ीशन उस वक्त क्या है और फिर पांच साल के बाद देखें कि उनकी पोज़ीशन क्या है। इन इंस्पैक्टरों का बहुत बड़ा हाथ होता है और जो ग़बन होता है, वह खासतौर पर इंस्पैक्टरों के ज़रिए होता है। एक बार सी. एम. साहिब ने खुद माना था कि ग़बन होता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस ग़बन की जड़ में इंस्पैक्टर होते हैं। व्यापारी नहीं जानता कि किस तरह से ग़बन होता है लेकिन इंस्पैक्टर उन्हें सिखाता है। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसके कुछ मानी हैं। यह न समझा जाए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह ऐसे ही है। इसका निश्चित अर्थ है। बस, इन शब्दों के साथ मैं अपनी सीट ग्रहण करता हूं।

चौधरी बालू राम (आनन्दपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज़्यादा न कहता हुआ चंद बातें महकमें के वज़ीर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं। जनरल सेल्ज़ टैक्स काटन के ऊपर लगाया गया, फिर उस में एक अमैंडमैंट हुई और परचेज़ टैक्स भी लगा। चूंकि सैंटर ने काटन को डिक्लेयर्ड गुड्स की लिस्ट में शामिल कर लिया था जिसका नतीजा यह हुआ कि इस पर डबल टैक्स लगाया गया। फिर जब पंजाब से बाहर माल गया तो बाहर जाने पर भी इस पर टैक्स लग गया। जब इस तरह से दो तीन स्टेजिज़ पर टैक्स लगा तो उस के बाद व्यापारियों ने हाई कोर्ट में रिप्रजेंट किया और हज़ारों रुपए खर्च हुए। और नतीजा यह हुआ कि इस टैक्स के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यह टैक्स ग़लत तरीके से लगाया गया था। यह टैक्स लगा था 1959 में लेकिन सारा टैक्स अभी तक वसूल नहीं हुआ।

जो एसैसिंग अथारिटीज़ हैं, उन को एसेस करने का तजुर्बा नहीं है। काटन को डिफाइन किया है विद और विदाउट सीड लेकिन जो आदमी या व्यापारी इसकी नालिज रखते हैं उन्हें इस बात का पता होता है कि काटन, कपास और सीड में क्या अंतर होता है। चूंकि काटन की एसेसिंग ठीक ढंग से नहीं हुई इसलिए काटन और रूई के व्यापारियों ने हाई कोर्ट में रिप्रजेंट किया और उस का नतीजा हुआ कि गवर्नमेंट का लाखों रुपया रुका पड़ा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिब काटन के व्यापारियों को बुला कर और महकमें के अफसरों को बुला कर एक मीटिंग करें जिसमें असैसिंग अथारिटी भी शामिल हो तो यह वंस फार आल डिसाइड हो सकता है कि फाइनल असैसमैंट यह होती है। (घंटी) मैं एक बात और इसी के साथ कहना चाहता हूं कि ट्रांस्फर आफ लैंड पर स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा लगी हुई है। अगर एक ज़मीन 7 दफा ट्रांस्फर हो जाए तो वह गवर्नमैंट की हो जाती है। यह हाल है। और आजकल लड़कियों के हिस्सा वगैरह हो जाने से हालात ऐसे हैं कि ट्रांस्फर होती ही रहती है। एक और तरह से ट्रांस्फर होती है। कुछ लोग आपस में कंसालीडेट करने के लिए ज़मीन ट्रांस्फर करना चाहते हैं ताकि वह बिखरी न रहे और मैनेज हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि स्टैम्प ड्यूटी कम करनी चाहिए। क्योंकि वह लोग अपनी ज़मीन को खुद इकट्ठा करना चाहते हैं। (घंटी) मैं इन शब्दों के साथ कि जो ज़मीन कंसोलिडेशन परपज के लिए ट्रांस्फर की जाए उस पर ड्यूटी ऐक्जेम्पट ही कर देना चाहिए।

एक्साइज़, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल) : आज एक्साइज़ और सेल्ज़ टैक्स की मांग पर जो सदन के मैंबर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उन्हें सुनकर, डिप्टी स्पीकर साहबा, मुझे खुशी है कि उन्होंने संजीदगी से अपने विचार प्रकट किए। यह मजमून बहुत महत्व का है क्योंकि स्टेट का जो बजट है उसमें इन टैक्सों का कंट्रीब्यूशन काफी है। इससे स्टेट की डिवेलपमैंट स्कीम्ज़ वगैरह में काफी मदद मिलती है। खास तौर से जो एक्साइज़

[एक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मंत्री]
और सेल्ज़ टैक्स का महकमा जो मेरे पास है अगर इसमें खर्चा और आमदनी का मुकाबिला किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा खर्चा न के बराबर है और आमदनी उसके मुकाबिले में बहुत ज्यादा है। और अगर ठीक ठीक बतलाया जाए तो मालूम होगा आप को कि 11 महीने की आमदन 26 करोड़ 18 लाख 9 हज़ार के करीब आती है। इसके मुकाबिले में खर्च सिर्फ दो परसेंट आता है। इस तरह से इस का स्टेट की इकानोमी पर और बजट पर काफी असर है।

कुछ मेंबर साहिबान ने एक्साइज़ की पालिसी पर क्रिटीसिज़्म आफर करते हुए कहा कि हमने अपनी पालिसी चेंज कर ली है लेकिन अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो मालूम होगा कि चेंज नहीं हुई है। और मैं तो यही कहूंगा कि इसी पालिसी से देश का भला हो सकता है।

जहां तक प्रोहिबशन का सम्बंध है, यह हमारे कांस्टीचयूशन का एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है। हम मानते हैं कि बहुत अर्से से हमारे लीडर्स और लीडर आफ दी हाउस और दीगर साहिबान जिनके पास यह महकमा रहा है, कहते रहे हैं कि हमारा गोल प्रोहिबशन है बल्कि 1962 में तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने और पंजाब गवर्नमेंट ने इस स्टैप के लेने का फैसला ही कर लिया था कि तमाम पंजाब के लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर वे फौरन प्रोहिबशन चाहते हैं, और पब्लिक जवाब दे कि वह बाई स्टेजिज़ नहीं बल्कि फौरन ही प्राहिबशन चाहती है तो फिर चाहे रैवेन्यू का कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए हम फौरन ही प्राहिबशन इनफोर्स करेंगे।

Chief Minister : Hear, hear.

एक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : लेकिन इस के बाद यह कहना कि जिस प्राहिबशन के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐजीटेशन किया और हमारे नौजवान पिकटिंग करते रहे और लाठियां खाते रहे उस को हम एकदम उड़ा रहे हैं ऐसा कतई कोई इरादा नहीं किया हम प्रोहिबशन की पालिसी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेट्स ने पहले प्राहिबशन की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन बाद में फिर वापिस हट रहे हैं। मगर हम इस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। (विघ्न) सरदार गुरनाम सिंह जी, आप तो प्रोहिबशन के मुताल्लिक मेरे साथ इत्तिफाक राए रखते हैं। आप जानते हैं कि पहले यह आम शिकायत थी कि नाजायज़ शराब बहुत बनती है और बिकती है। जब मैं ज़िलों में दौरे पर जाता था तो वहां मेरे पास शिकायतें आती थीं कि इतनी शराब बनती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। मैं यह चीज़ यहां पर वाज़ा कर देना चाहता हूं कि जिन साहिबान ने हाउस में क्रिटिसाईज़ किया है वह अगर गवर्नमेंट को इस बात का यकीन दिला दें कि सूबे में किसी जगह पर भी नाजायज़ शराब नहीं बनेगी तो हम आज ही प्रोहिबशन का एलान कर देंगे। देखना हम ने यह है कि अगर हम आज आर्डर कर दें कि शराब बिल्कुल बन्द कर दी गई है तो क्या आप इत्तमिनान कर सकते हैं कि लोग नाजायज़ शराब बनाने से बन्द हो जाएंगे। इस वक्त मैं समझता हूं कि वह स्टेज नहीं आई है मगर हम उस ओर जाने के लिये आगे बढ़ रहे हैं। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाजायज़ शराब को बन्द करने में जब हम कामयाब हो जाएंगे और उस के बादप्रोहिबशनकरेंगे तो फिर

हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अब सवाल यह रहा कि किस तरह से नाजायज़ शराब को बन्द किया जाए। उस के दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि जायज़ शराब माकूल तादाद में बाजिब कीमत पर मिले ताकि लोगों को घर में शराब बनाने की टेम्पटेशन न हो। दूसरा तरीका यह है कि नाजायज शराब बनाने वालों के साथ सख्ती हो। तो हम यह दोनों स्टेप्स ही ले रहे हैं और यह बड़े साइंटिफिक लाईन्ज़ पर हैं। ऐसा हम इस लिये नहीं कर रहे कि हम लोगों की शराब पीने की आदत बढ़ाएं बल्कि हमारा मकसद यह है कि लोग नाजायज शराब न पिएं और अगर पीना चाहें तो जायज़ शराब पिएं। पहले जब आक्शन में ठेके नीलाम किये जाते थे तो यह शिकायत होती थी कि ठेकों की बिड में बोली इतनी बढ़ा दी जाती है कि अगर उन की शराब की एक्चुअल सेल का और जो अमाऊंट उन्होंने सरकार को लाइसेंस फी की दी उस का हिसाब लगाया जाए तो वह कुछ भी मुनाफा नहीं उठा सकते थे। इस से साफ मतलब निकलता है कि ठेकेदार अपने हाई बिड को पूरा करने के लिये नाजायज़ और एडल्ट्रेटिड शराब बेचते थे। इस लिये उस ईविल को दूर करने के लिये यह फैसला किया गया है कि नीलामी करने की बजाए हम ने शराब की कीमत मुकर्रर कर दी है जिस से बेचने वाले को भी गुज़ारे के लिये पैसे मिल जाएं और सरकार के रेवेन्यू में भी फर्क न पड़े। हम ने शराब की डिग्री कम करने का भी फैसला किया है ताकि लोगों की नशे की हैबिट कम हो जाए। हम आहिस्ता २ शराब की डिग्री को कम करते जाएंगे और उम्मीद है कि अगर आप साहिबान ने हमारी मदद की तो इसे ज़ीरो पर लाने में कामयाब हो सकेंगे। मुकम्मल प्राहिबशन तब हो सकती है जब सरकार को यकीन हो जाए कि लोग नाजायज़ शराब नहीं पियेंगे जैसा मैं ने पहले बताया है हम ने इस हिसाब से शराब की कीमतें मुकर्रर की हैं कि होलसेलर्ज़ और रिटेलर्ज़ को उन के गुज़ारे के लिये पैसे मिल जाएं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ठीक रहे। बाकी अगर इस के बावजूद भी कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उस के लिये हमारे पास कानून की ताकत है। बाकी जिन साहिबान ने इधर-उधर की बातें करके कहा है कि गवर्नमेंट नशाबन्दी की पालिसी के खिलाफ काम कर रही है यह गलत बात है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो मालूम होगा कि हम जो पालिसी अख्तियार कर रहे हैं उस से प्राहिबशन इंट्रोड्यूस करने में आसानी होगी। पिछले साल जो एक्साईज़ के केसिज़ हुए उन का नम्बर 22,396 है। जिस वक्त पुलिस और एक्साईज़ स्टाफ ने रेड्ज़ का काम तेजी से किया तो उसी वक्त हमारी ठेकों की शराब की बिक्री बढ़ने लगी। इस का मतलब यह है कि नाजायज़ शराब की जगह जायज़ शराब आने लगी। कामरेड राम किशन जी ने कहा था कि देखिए साहिब कंट्री लिकर की सेल बढ़ गई है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि इस का यह मतलब है कि नाजायज़ शराब का इस्तेमाल कम हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल बन्द हो गई है लेकिन कम हो गई है। मैं समझता हूं कि जितने भी प्वायंट्स मेम्बर साहिबान ने शराब के मुताल्लिक उठाए थे उन सब का जवाब दिया जा चुका है।

अब इस के बाद मैं सेल्ज़ टैक्स की इवेज़न का प्वायंट टेक अप करता हूं। सेल्ज़ टैक्स की इवेज़न के बारे में और एडमनिस्ट्रेशन में जो खामियां हैं उन के बारे में बड़ा भारी

[एक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मंत्री]

एतराज़ उठाया गया है और हर तरफ से यह मांग की गई है कि सेल्ज़ टेक्स को हटा कर **additional excise duty** लगा दी जाएं । हमारी गवर्नमैंट उन की इस बात से 16 आने मुतफिक है। (विघ्न और शोर) पता नहीं उन के ऊपर एक्साईज़ के नाम से ही कुछ असर हो गया है। मुझे आप सुन तो लें। हम यह बात सोलह आने मानते हैं कि जैसे शगर, तम्बाकू, टैक्सटाइल्ज वगैरह पर सैंट्रल सरकार सोर्स के ऊपर ही ऐडीशनल

1.00 p.m.

एक्साइज़ डयूटी वसूल करती है उसी तरह बाकी चीज़ों में भी किया जाए। क्योंकि इस से लोगों को भी और व्यापारियों को भी बड़ा आराम है। डेढ़ पौने दो साल हुए जब कि हमारे पास लोगों के रिप्रैज़ेंटेशन आने पर इस सवाल पर विचार करना शुरू किया और जो २ डैपूटेशन इस सम्बन्ध में मेरे पास आए मैंने उन को पंजाब सरकार की तरफ से एशुरैंस दी कि हम उन से इत्तफाक करते हैं और जिन २ चीज़ों पर यह डयूटी लग सकती है उन पर लगाने के लिए हम उन से मुतफिक हैं। अब आप पूछते हैं कि उस पर अमल क्या हुआ है जिस की आपने एशुरैंस दी थी । मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर पंजाब सरकार के हाथ में ही यह बात हो तो यह कल ही हो सकती है लेकिन एक्साइज़ डयूटी मरकज़ी सरकार असैस करती है और उन का कहना है कि अगर सारी स्टेट्स इस बात से ऐग्री करें तभी वह ऐसा करेंगे । मैं ने पंजाब सरकार की तरफ से इस बारे में मरकज़ी सरकार को बड़ी ज़ोरदार रिप्रैज़ेंटेशन भेजी कि इस चीज़ को जल्दी कर दो ताकि यह रोज़ २ की बात खत्म हो जाए । हम नहीं चाहते कि व्यापारियों को तकलीफ हो, **इवेज़न हो,** ऐडमनिस्ट्रेशन की बदनामी हो और लोगों को भी यह कहने का मौका मिले कि यह खा गया, वह खा गया। यही नहीं, मैंने अपने पंजाब के ज़्यादातर ऐम.पीज़. को भी खत लिखे कि वह सैंट्रल सरकार पर ज़ोर दें कि वह इस बात को जल्दी मान लें और हमारी यह कोशिशें जारी हैं । लेकिन यहां पर मैंबरान ने इस नुक्ता से नुक्ताचीनी की कि जैसे यह बात हमारे हाथ में हो और हम कर न रहे हों। हमारा काम कोशिश करना है और लगातार कोशिश कर रहे हैं, निराश नहीं हुए हैं। हम ने यह भी कहा कि अगर कुछ स्टेट्स नहीं मानतीं तो जो मानती हैं उन के बारे में ही यह बात कर दें। इसी लिये हम ने यह सवाल अपनी नार्थ ज़ोनल कौंसल में उठाया और हमारी पंजाब सरकार की तरफ से वहां यह प्रोपोज़ल दी गई कि या तो सारी स्टेट्स में इस टैक्स को एक लैवल पर ले आओ, नहीं तो कम से कम यह करो कि हमारी नार्थ ज़ोन की जो स्टेट्स पंजाब, देहली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड काशमीर हैं उन में यह बात मान लो और एक रेट कर दो ताकि हमारे और वहां के व्यापारियों को शिकायत न हो; उन को भी आराम हो, हमें भी आराम हो और इवेज़न भी रुक जाए। आज कई चीज़ें ऐसी हैं जिन के ऊपर हमारे हां रेट और हैं और साथ वाली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश वगैरह में उन के ऊपर रेट्स कम हैं, जिस से हमारी ट्रेड को नुकसान होता है, व्यापारियों को तकलीफ होती है और सरकार के टैक्स में भी इवेज़न होने के चांस बढ़ते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो । यह हमारी प्रोपोज़ल ज़ोनल कौंसल ने मान ली। उस के बाद हमारे अफसरों की एक मीटिंग उदेपुर में हुई और इस पर विचार हुआ । हम इन्तज़ार कर रहे हैं कि अगर वह यूनीफार्म रेट्स दूसरी स्टेट्स में कर दें तो हम भी कर दें। हम चाहते हैं कि

कम से कम हमारी इन नार्थ ज़ोन की स्टेट्स में ही एक रेट हो जाए और अगर थोड़ा बहुत फर्क भी हो तो इतना कम हो कि जिस से हमारी ट्रेड पर ऐडवर्स असर न पड़े। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि जितनी कोशिश हो सकती थी वह की जा रही है और हमें इस चीज़ का पूरा २ ध्यान है।

अब यहां पर यह सवाल भी उठाया गया है कि दूसरे जो टैक्स हैं वह बहुत ज़्यादा हैं। श्री यश जी ने इस सवाल को उठाया था कि कोई कमेटी या कमीशन मुकर्रर किया जाए जो इस सारे टैक्स स्ट्रक्चर के अन्दर जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी इस बात को मन्ज़ूर कर लिया कि हम एक कमीशन मुकर्रर करेंगे जो इस सारी चीज़ के अन्दर जाएगा और उन की जो रिक्मैंडेशन्ज़ होंगी उन पर विचार करेंगे। लेकिन आप की नुक्ताचीनी से ऐसे मालूम होता है कि आप चाहते हैं कि हम अभी से. आज ही उन रिकमैंडेशन को जो उन्होंने करनी हैं ऐन्टिसीपेट कर के इम्पलीमेंट करना शुरू कर दें। यह कैसे हो सकता है। माइनर चेंजिज़ के लिये तो हम सोच-विचार करते ही रहते हैं और जब ज़रूरत होती है करते रहते हैं। इस वक्त कोशिश यह है कि हम टैक्सों की वसूली में जो इवेज़न होती है उसे कैसे रोकें। इस के बन्द करने से बहुत फायदे होते हैं। अगर सारे टैक्स पूरे वसूल हो जाते हैं तो और टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर नुक्ताचीनी की गई कि साहिब रेडिंग पार्टीज़ लगा दीं। एक तरफ तो यह नुक्ताचीनी होती है कि इवेज़न होती है और जब उसे बन्द करने के लिये कदम उठाते हैं तो कहते हैं कि सख्ती कर दी रेडिंग पार्टियां मुकर्रर कर के। अब दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि सख्ती भी न हो और इवेज़न भी न हो। यहां पर बहादरगढ़ के इन्सीडैंट का ज़िक्र किया गया कि वहां यह होता है और ड्राइवरों से ऐसा किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इवेज़न बन्द हो तो यह बैरियर्ज़ तो लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बैरियर्ज़ हटा दिये जाएं तो इस का मतलब है कि आप इवेज़न को कायम रखना चाहते हैं। यह इस लिये लगाए गए हैं कि जो माल बाहर से आता है उसे चैक करें कि वह कहां से आया है, कहां जा रहा है और जायज़ तौर पर आया है या नाजायज़ तौर पर। जोगा साहिब ने बताया कि वह दरी खरीदने गए तो उन से दुकानदार ने पूछा कि सेल्ज़ टैक्स दोगे या बग़ैर सेल टैक्स के लोगे। यह जो बग़ैर टैक्स लिए माल देने का मौका बनता है उसे पकड़ने और रोकने के लिये ही तो हम बैरियर्ज़ पर उस सारे माल की, जो बाहर से आता है, तफसील मालूम करते रहते हैं कि कहां से आया है और कहां जा रहा है ताकि हम पकड़ सकें कि कौन ेरा-फेरी करता है। यह ठीक है कि जब नए कानून बनते हैं तो उन से तकलीफ होती है लेकिन यह तकलीफ सिर्फ उन को होती है जो इवेज़न करने के आदी होते हैं। इस लिये यह कहना कि बैरियर्ज़ से सख्ती होती हैं ग़लत बात है। आम और नेक आदमी से सख्ती नहीं होती, हां, जिसे हेरा-फेरी करने की आदत है उसे ज़रूर तकलीफ होती होगी। कहा गया कि साहिब कमिश्नर ने सरकार के फैसले के खिलाफ जा कर यह बैरियर्ज़ लगा दिये। यह ग़लत बात है। उन्होंने सरकार की मन्ज़ूरी के साथ ऐसा किया है। हम ने पंजाब के दूसरी स्टेट्स के साथ लगने वाले बार्डर पर हर जगह चैक बैरियर्ज़ लगाए हैं ताकि मालूम होता रहे कि कहां से कौन सा माल कहां जाता है और इस तरह इवेज़न को रोक सकें। यह इन्तज़ाम तो

[एक्साईज, टैक्सेशन तथा राजधानी मन्त्री]

हम ने रेलवे स्टेशनों पर भी किया है ताकि जो इमानदार व्यापारी हैं, जो बाकायदा टैक्स लेकर माल बेचते हैं उन की ट्रेड के जो बग़ैर टैक्स लिए सस्ता माल बेच कर नुकसान पहुंचाते हैं और न सिर्फ उन को बल्कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन को पकड़ सकें। आखिर यह जो टैक्स हैं चाहे सेल्ज़ टैक्स है, ऐंटरटेनमैंट है या पैसिंजर टैक्स है, इन को व्यापारी अपने घर से तो देते नहीं। दूसरों से लेते हैं और हमारी तरफ से बतौर ट्रस्टीज़ अपने पास रखते हैं और वक्त मुकर्ररा पर हमें देते हैं। वह तो हमारे टैक्स कुलैक्टर्ज़ हैं.......

बाबू बचन सिंह : क्या किसी टैक्स कुलैक्टर को आप बग़ैर कमीशन दिये इस्तेमाल कर सकते हैं ?

ऐक्साइज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : बतौर मैम्बर आप को भी हम वसूली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। (हंसी) (घंटी) बस अब चन्द एक प्वायंट हैं जिनका मैं जल्दी २ जवाब देकर बैठ जाता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री फतेह चन्द विज ने कुछ शिकायतों के बारे में लिखा था; उन को दूर किया जाएगा और मुझे भरोसा है कि ठीक हो गई हैं।

यहां पर मरला टैक्स, हाउस टैक्स, प्रापर्टी टैक्स और इन्कम-टैक्स के बारे में बातें हुई हैं। इंकम-टैक्स तो हमारा सबजैक्ट नहीं है। यह तो केन्द्र का सबजैक्ट है। मैं समझता हूं कि टैक्स पाकेट में से आसानी से निकाले नहीं जा सकते हैं और टैक्स वसूल करने वाले को कहीं पर भी वैलकम नहीं किया जाता है। हर एक को उस के बारे में शिकायत होती है। जब भी कोई टैक्स वसूल करने के लिये जाता है तो लोग उस को माथे पर तियूड़ियां डाल कर ही देखते हैं। उस को बुरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन नेशनल एमरजैंसी के कारण, पंजाब में फ्लड्ज़ से नुक्सान हुआ है, नैशनल डिफैंस के लिये रुपये की जरूरत है, फौस्ट से फसलें तबाह हो गई हैं और पंजाब के कई हिस्सों में फैमिन फैल गया है। फिर भी माननीय सदस्य कहें कि फलां टैक्स को खत्म कर दो, और दूसरे टैक्स को खत्म कर दो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि सरकार तीसरा टैक्स कौनसा लगाए और कहां से रुपया प्रोवाइड करे। आपोजीशन हमें इस के लिए कोई सुझाव दे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हमें नैशनल एमर्जेंसी में रुपए की बहुत जरूरत है तो हम टैक्सों की पालिसी में रैडीकल चेंज नहीं कर सकते हैं। (विघ्न) अगर किसी डिवेल्पमेंट में रुकावट पड़ती हो तो हम टैक्स घटा नहीं सकते हैं।

कुछ आवाजें : फूड ग्रेन्ज पर टैक्स कम करें।

ऐक्साईज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर्ज पर कोई टैक्स नहीं है। (विघ्न)

चौधरी वर्याम सिंह : इस का असर कंज़्यूमर्ज पर तो पड़ता है।

उपाध्यक्षा : आप मिनिस्टर साहिब के पास जाएं और एक घंटा तक इस बारे में बातचीत करें । *No interruption please*. (**The hon. Member may see the hon. Minister outside the House and may have a talk with him even for an hour, but he should make no interruptions here.**)

एक्साईज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : इस के साथ फूडग्रेन्ज का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं ने अर्ज किया है कि नैशनल एमर्जेंसी के कारण, फलड्ज़ को कंट्रोल करना है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिन हो गया है जहां पर फ्रौस्ट से फसलें तबाह हो गई हैं। इन हालात को देखते हुए सरकार टैक्स किसी हालत में घटा नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि टैक्स कम करने का नारा लगाने से कम से कम इस साल टैक्स नहीं लगे हैं। यह जरूर फायदा हो गया है। (तालियां) अगर इसी तरह से टैक्सों के कम करने के बारे में कहते रहे तो नए टैक्स नहीं लगेंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने यह पालिसी इख्तियार की है। (विघ्न)

(चौधरी दर्शन सिंह द्वारा विघ्न)

उपाध्यक्षा : नो इंट्रप्शन प्लीज़। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कांग्रेस बैंचों पर आ जाएं और सब कुछ दरियाफ्त कर लें। (हंसी) ऐसे बीच में इंट्रप्ट न करें। काईंडली वाइंड अप (**No interruption please. If the hon. Member wants to get some information, he may come to the Congress Benches and get all the information.** (*Laughter*) **He should not interrupt like this. The hon. Minister may kindly wind up.**)

एक्साईज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : डिप्टी स्पीकर सहिबा, मैं तो किसी को बीच में इंट्रप्ट नहीं करता हूं लेकिन इन की बीच में इंट्रप्ट करने की आदत बन गई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के बारे में जितनी भी डिमांड्ज़ हाउस में पेश हुई हैं उन को पास किया जाए ।

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Rs 1,000.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the Demand be reduced by Re 1.

Shri Rup Singh Phul : Madam, I beg to withdraw my cut-motion.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his cut-motion ?

Voices : Yes.

The motion was, by leave, withdrawn.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 12,77,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head "10—State Excise Duties".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 1,000.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 28,77,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head "12—Sales Tax".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs 1000,

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 33,96,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65 in respect of charges under head 13—Other Taxes and Duties'.

The motion was carried.

(*The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Wednesday, the 18th March, 1964.*)

240P.V.S.—386—24-10-64—C., P. & S., Pb., Chandihagh

APPENDIX

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I—No. 19, DATED THE 17TH MARCH, 1964

CASES PENDING IN THE COURT OF THE SETTLEMENT OFFICER (CONSOLIDATION) ROHTAK.

1492. **Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of cases pending in the Court of the Settlement Officer (Consolidation), Rohtak at present together with the details of the cases instituted in his Court from September, 1963, to-date with the date of disposal of each case ?

Sardar Ajmer Singh : There were 317 cases pending the Court of the Settlement Officer (Consolidation) Rohtak at the end of February, 1964.

2. A statement showing the details of cases instituted in the Court of the Settlement Officer (Consolidation), Rohtak, from September, 1963 to February, 1964, together with the date of disposal of each case is placed on the table of the House.

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF CASES INSTITUTED FROM SEPTEMBER, 1963 TO FEBRUARY, 1964 IN THE COURT OF THE SETTLEMENT OFFICER (CONSOLIDATION), ROHTAK.

Sr. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2nd September, 1963	Dahar ..	Panipat	548	Risala *versus* Jogi ..	6th December, 1963	
2	Ditto	Bhaproda ..	Jhajjar	3367	Kanhaya *versus* Khema ..	31st December, 1963	
3	5th September, 1963	Khark jatan	Gohana	257	Maman *versus* Pirthi ..	30th October, 1963	
4	Ditto	Do	Do	258	Bhartu *versus* Gugan ..	Ditto	
5	Ditto	Do	Do	259	..	..	Transferred to S.O.C./H (A) Ludhiana on 28th January, 1964
6	6th September, 1963	Patti Kalyana	Panipat	549	Baru Singh *versus* Jai Kishan ..	..	
7	Ditto	Urlana Kalan	Do	550	Sant Lal *versus* Dhansham ..	5th December, 1963	
8	Ditto	Shamri ..	Gohana	260	Ram Sarup *versus* Jage Ram ..	3rd January, 1964	
9	10th September, 1963	Do	Do	261	Ditto	30th December, 1963	
10	Ditto	Guga Heri ..	Do	262	Bhagwan Singh *versus* Jage Ram	23rd November, 1963	
11	Ditto	Machhroli ..	Jhajjar	3368	Ram Kumar *versus* Raghbir Singh	4th October, 1963	
12	Ditto	Sutana ..	Panipat	551	Hari Singh *versus* Sunder Singh	5th December, 1963	
13	Ditto	Urlana Kalan	Do	552	Thambu *versus* Badlu ..	5th December, 1963	

14	11th September, 1963	Urlana Kalan	Panipat	553	Mohri Ram *versus* Ganda Ram	..	Transferred to S.O.C/ H. (A) Ludhiana on 28th January, 1964
15	Ditto	Samri ..	Gohana	263	Duli Chand *versus* Pirthi ..	30th November, 1963	
16	Ditto	Do	Do	264	Sher Singh *versus* Lal Chand		Pending
17	Ditto	Dharana ..	Do	265	Smt. Sukh Devi *versus* Ram Sarup	30th November, 1963	
18	12th September 1963	Nuna Majra	Jhajjar	3369	Ude Singh *versus* Anti Ram ..	14th December, 1963	
19	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	554	Kalu Ram *versus* Faqir Chand	..	Transferred to S.O.C./H (A) Ludhiana
20	13th September, 1963	Do	Do	555	Jai Gopal *versus* Kishan Singh		Pending
21	15th September, 1963	Do	Do	556	Chaman Lal *versus* Sita Ram	..	Do
22	16th September, 1963	Nanagal Kheri	Panipat	557	Chhaju *versus* Chandgi ..	30th January, 1964	
23	Ditto	Urlana Kalan	Do	558	Smt. Bhagwani Devi *versus* Mohri Singh	..	Pending
24	Ditto	Kawali ..	Sonepat	336	Om Parkash *versus* Tek Chand	..	Do
25	Ditto	Do	Do	357	Chandgi Ram *versus* Suba ..	..	Do
26	Ditto	Do	Do	358	Nand Ram *versus* Jot Ram ..	18th October, 1963	
27	17th September, 1963	Do	Do	359	Teka *versus* Manphool ..	..	Pending
28	Ditto	Do	Do	360	Kewal *versus* Rati Ram ..	29th November, 1963	
29	Ditto	Do	Do	361	Bhatru *versus* Nand Ram ..	Ditto	
30	Ditto	Do	Do	362	Hukam Chand *versus* Chandan	..	Pending
31	Ditto	Do	Do	363	Raghu Nath *versus* Tek Chand	29th November, 1963	
32	Ditto	Gugaheri ..	Gohana	267	Ganesh Dasss *versus* Ladha Ram	28th December, 1963	
33	18th September, 1963	Samri Lochak	Do	266	Mahru *versus* Chandgi ..	30th November 1963	

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of Parties	Date of decision	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
34	18th September, 1963	Kanwali ..	Sonepat	364	Ran Singh *versus* Sube ..	..	Pending
35	Ditto	Do	Do	365	Nand Lal *versus* Jagan Nath ..	..	Ditto
36	Ditto	Ahmadpur Majra	Gohana	268	Jagdish Chand *versus* Ram Chand	11th December, 1963	
37	Ditto	Chhapra ..	Do	269	Parbhu *versus* Ram Chander ..	..	Pending
38	Ditto	Samri Lochab	Do	270	Rupla *versus* Tara ..	3rd January, 1964	
39	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	559	Manohar Lal *versus* Bhagwan Dass	..	Transferred to S.O.C./H (A) Ludhiana
40	20th September, 1963	Do	Do	560	Smt. Jamna Bai *versus* Amir Chand	11th December, 963	
41	Ditto	Do	Do	561	Jamna Bai *versus* Kundan Singh	..	Transferred to S.O.C./H Ludhiana
42	Ditto	Madina Gidhran	Gohana	271	Arya Mitar *versus* Suraj Bhan	4th November, 1963	
43	Ditto	Kanwali ..	Sonepat	366	Moola *versus* Nand Ram	8th October, 1963	
44	Ditto	Karhans ..	Panipat	144 RCH	Dalip Singh *versus* Chandgi Ram	..	Transferred to S. O. A./H Ludhiana
45	21st September, 1963	Nagar ..	Gohana	272	Har Kishan *versus* Bit Bhan ..	11th December, 1963	
46	Ditto	Guga Heri	Ditto	273	Mollar *versus* Maha Singh ..	28th December, 1963	
47	25th September, 1963	Nidana ..	Ditto	274	Teka *versus* Tara Chand ..	31st October, 1963	

48	25th September, 1963	Chhapra ..	Gohana	275	Sher Singh *versus* Subhdhan ..	31st October, 1963	
49	Ditto	Samri ..	Do	276	Hansu *versus* Ram Dhan ..	11th December, 1963	
50	Ditto	Madina ..	Do	277	Daya Nand *versus* Ganesh ..	19th February, 1964	
51	Ditto	Dharana ..	Do	278	Tula *versu* Ram Singh ..	30th November, 1963	
52	Ditto	Madina Gindhran	Do	279	Dyal Chand *versus* Piare Lal ..	4th November, 1963	
53	Ditto	Dikadla ..	Panipat	562	Deep Chand *versus* Badlu ..	..	Transferred to S. O.C/H Ludhiana
54	Ditto	Kheri Nangal	Do	563	Nanu Ram *versus* Mam Chand	30th January, 1964	
55	Ditto	Urlana Kalan	Do	564	Hukam Chand *versus* Gobind Ram	11th December, 1963	
56	Ditto	Ditto	Ditto	565	Matu *versus* Udmi Ram	11th December, 1963	
57	26th September 1963.	Ditto	Ditto	566	Jagan Nath *versus* Smt. Bhagwani Devi	..	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
58	Ditto	Madina Korsah	Gohana	280	Jagdish Chand *versus* Om Parkash	5th November, 1963	
59	Ditto	Samri Lochhab	Do	281	Mansa Ram *versus* Risala ..	3rd January, 1963	
60	Ditto	Madina Gindhran	Do	282	Neki Ram *versus* Jagar ..	31st January, 1964	
61	27th September 1963	Urlana Kalan	Panipat	567	Ram Parkash *versus* Dev Raj	..	Transferred to S.O,C/H Ludhiana
62	Ditto	Ditto	Ditto	568	Behari Lal *versus* Sant Lal ..	..	Ditto
63	Ditto	Ditto	Ditto	569	Udmi *versus* Lalu ..	..	Ditto

Sr. No.	Name of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
64	28th September, 1963	Bahand ..	Panipat	570	Mugla Singh *versus* Chhaju ..	6th December, 1963	
65	Ditto	Lohari	Do	571	Gurdhan Dass *versus* Gopi ..	..	Transferred to Settlement Officer C.H.(A) Ludhiana
66	Ditto	Do	Do	572	Risala *versus* Panchayat Deh	..	Ditto
67	Ditto	Madina Korsan	Gohana	283	Smt. Manbhari *versus* Ram Dhan	..	Pending
68	Ditto	Madina Gindhran	Do	284	Manak Chand *versus* Ganga Dat	17th February, 1964	
69	Ditto	Guga Heri	Do	285	Amir Singh *versus* Teka ..	28th December, 1963	
70	30th September 1963	Do	Do	286	Sukhi Ram *versus* Richhpal Singh	Ditto	
71	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	573	Dhanwatri *versus* Dhani Ram	13th November, 1963	
72	1st October, 1963 ..	Do	Do	574	Sham Dass *versus* Gian Chand	..	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
73	Ditto	Bandh ..	Do	575	Sat Bir *versus* Darya ..	6th December, 1963	
74	Ditto	Urlana Kalan	Do	576	Ram Chand *versus* Jiwan Dass	..	Ditto
75	Ditto	Do	Do	577	Manohar Lal *versus* Jhandu ..	..	Ditto
76	Ditto	Do	Do	578	Ladha Ram *versus* Attar Chand	..	Ditto

77	1st October, 1963	Nidana	Gohana	287	Girdhari *versus* Smt. Sajaya	23rd November, 1963	
78	Ditto	Do	Do	228	Rugha *versus* Darya	Ditto	
79	Ditto	Madina Gindhran	Do	289	Manohar *versus* Amar Singh	4th November, 1963	
80	Ditto	Do	Do	290	Nihal Singh *versus* Amar Singh	31st October, 1963	
81	4th October, 1963	Nidana	Do	291	Pahlad *versus* Lahri	Ditto	
82	Ditto	Madina Gindhran	Do	292	Rohtas *versus* State	4th November, 1963	
83	Ditto	Nidana	Do	293	Sukhi Ram *versus* Dhana	31st October, 1963	
84	Ditto	Sarsad	Do	294	Sahaj Ram *versus* Ratnu	30th November, 1963	
85	Ditto	Dekadla	Panipat	579	Jaimal *versus* Saria	..	Ditto
86	Ditto	Do	Do	580	Ram Sarup *versus* Sarup	..	Ditto
87	Ditto	Urlana Kalan	Do	581	Manohar Lal *versus* Sat Dev	..	Ditto
88	Ditto	Do	Do	582	Jiwan Dass *versus* State	15th February, 1964	Ditto
89	Ditto	Do	Do	583	Dehi Ram *versus* State	15th February, 1964	
90	Ditto	Bandh	Do	584	Teka *versus* Daya Chand	15h February 1964	
91	Ditto	Urlana Kalan	Do	585	Bhagwan Dass *versus* Behari Lal	..	Ditto
92	Ditto	Dhakla	Jhajjar	3370	Degh Ram *versus* Badle	..	Ditto
93	Ditto	Kanonda	Do	3371	Sis Ram *versus* Pirthi	..	Ditto
94	Ditto	Kasni	Do	3372	Deep Chand *versus* Ram Singh	..	Ditto
95	5th October, 1963	Madina Gindhran	Gohana	295	Jagar *versus* Shiv Dyal	19th February, 1964	
96	Ditto	Bandh	Panipat	586	Chandan *versus* Tek Ram	21st February, 1964	

Sr. No.	Name of Institution	Name of village	Name of tehsil	Name of Appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
97	15th October, 1963	Urlana Kalan	Punjab	587	Jagan *versus* Behari Lal	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
98	7th October, 1963	Udeshi Pur	Sonepat	115 RCH	Baldev *versus* Puran	..	Pendin
99	Ditto	Begam Pur-tarpur	Panipat	588	Maya Chand *versus* Bhuli	..	Transferred to S.O.C/H., Ludhiana
100	Ditto	Urlana Kalan	Do	389	Basti Ram *versus* Jai Dev	..	Ditto (appeal)
101	Ditto	Nangal Kheri	Do	590	Chandgi *versus* Bhartu	30th January, 1964	
102	Ditto	Luhari	Do	591	Munshi *versus* Daya	..	Pending
103	Ditto	Urlana Kalan	Do	592	Pirtu *versus* Megha	..	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
104	7th October, 1963	Madina Gindhran	Gohana	296	Smt. Phula *versus* Gokal	31st October, 1963	
105	Ditto	Do	Do	297	Risala *versus* Sudha	Ditto	
106	Ditto	Guga Heri	Do	298	Kashi Ram *versus* Bhagwan Dass	28th December, 1963	
107	Ditto	Do	Do	299	Ladha Ram *versus* State	Ditto	
108	Ditto	Madina Gindhran	Do	300	Suba *versus* Chandgi	5th November, 1963	
109	Ditto	Barkata Bad	Jhajjar	3373	Sub. Raghbir Singh *versus* State	19th January, 1964	

110	8th October, 1963	Madina Gindhran	Gohana	301	Shiv Dyal *versus* Gagar	5th November, 1963	
111	Ditto	Ganga sharlan	Panipat	302	Ladha Ram *versus* Moghu Ram	27th February, 1963	
112	9th October, 1963	Urlana Kalan	Do	593	Hira Nand *versus* Godhu	15th February, 1964	
113	Ditto	Bhandh	Do	594	Charan Singh *versus* Rangi	6th December, 1963	
114	Ditto	Samri Lochap	Gohana	303	Maya Ram *versus* Balbir	30th November, 1963	
115	Dtto	Gangeshar	Do	304	Jitu *versus* Ramji Dass	27th December, 1963	
116	Ditto	Madna Gindhran	Do	305	Mehu Ram *versus* Des Raj	19th February, 1964	
117	Ditto	Do	Do	306	Siri Ram *versus* Kora	...	Pending
118	Ditto	Kanwali	Sonepat	367	Sube Singh *versus* Shiba	...	Ditto
119	10th October, 1963	Nidana	Gohana	307	Karam Chand *versus* Akhe Ram	28th December, 1963	
120	Ditto	Guga Heri	Do	308	Mohan Lal *versus* Sohan Lal	26th December, 1963	
121	Ditto	Gurawthi	Do	309	Chhatar Singh *versus* Raghbir	23rd November, 1963	
122	Ditto	Madina Gindhran	Do	310	Matu Ram *versus* Bhalle	...	Pending
123	Ditto	Lohari	Panipat	595	Siri Ram *versus* Hari Ram	...	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
124	Dttto	Do	Do	596	Smt. Bhaga *versus* Bhara	22nd February, 1964	
125	Ditto	Do	Do	597	Rama *versus* Kishana	...	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
126	Ditto	Sutana	Do	598	Chatru *versus* Mange	5th December, 1963	
127	Ditto	Luhari	Do	599	Telu *versus* State	•	Transferr ed to S.O.C/H Ludhiana

Sr. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
128	10th October, 1963	Bhakli	Jhajjar	3374	Mangal *versus* Ram Nath	30th December, 1963	
129	11th October, 1963	Goria	Do	3375	Jewani *versus* Surja	...	Transferred to S.O.C(H) Ludhiana
130	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	600	Pohkar Dass *versus* State	...	Ditto
131	Ditto	Nidana	Gohana	311	Lehri *versus* Gram Sabha	31st October, 1963	
132	14th October 1963	Guga Heri	Do	312	Chuni Lal *versus* Nale	28th December, 1963	
133	Ditto	Madina Gindhran	Do	313	Manphul *versus* Rameshwar	21st February, 1964	
134	Ditto	Do	Do	314	Lal Singh *versus* Devi Ram	Ditto	
135	Ditto	Ahmudpur Majra	Do	315	Gita Ram *versus* Ant Ram	...	Pending
136	Ditto	Midana Gindhran	Do	316	Parma *versus* Chandan Ram	21st February, 1964	
137	Ditto	Kanonda	Jhajjar	3376	Deep Chand *versus* Nand Ram	...	Transferred to S.O.C/H. Ludhiana (appeals)
138	Ditto	Do	Do	3377	Rampat *versus* Har Nand	...	Ditto
139	15th October, 1963	Do	Do	3378	Nand Ram *versus* Ram Sarup	...	Ditto
140	Ditto	Dhakla	Do	3379	Mange Ram *versus* Omkar	...	Ditto
141	Ditto	Negar	Gohana	317	Ratti Ram Raj Pal	11th December, 1963	
142	Ditto	Nandal	Do	318	Chandan *versus* Piare	...	Pending

143	15th October, 1963	Urlana Kalan	Panipat	601	Bansi Lal *versus* Hari Chand	15th February, 1964	
144	16th October, 1963	Josht	Do	116 R.C.H.	Chhaju *versus* Pirthvi ...		Pending
145	Ditto	Gangeshar	Gohana	319	Narain Dass *versus* Sunder Lal	27th December, 1963	
146	Ditto	Madina Gindhran	Ditto	320	Hari Singh *versus* Khudan ...	...	Pending
147	Ditto	Do	Do	321	Hoshiar Singh *versus* Giani ...	...	Transferred to S.O.C(H Ludhiana (Appeals)
148	17th October, 1963	Urlana Kalan	Panipat	602	Jaswant Ram *versus* Kishan Singh	..	Do
149	Ditto	Dhiklola	Do	603	Neki *versus* Hari Singh	..	Transferred to S. O.C/H. Ludhiana (Appeals)
150	Ditto	Wazirpur	Jhajjar	3380	Des Ram *versus* Manphool	6th February, 1964	
151	Ditto	Kanonda	Do	3381	Shiv Lal *versus* Pirthi	...	Transferred to S.O.C(H Ludhiana (Appeals)
152	18th October, 1963	Dhakla	Do	3382	Bhagwan Singh *versus* Dhala ..	...	Ditto
153	Ditto	Madina Gindhran	Gohana	322	Todar *versus* Devi Ram	17th February, 1964	
154	Ditto	Ahmadpur Majra	Do	323	Suraj Bhan *versus* Rameshwar	...	Pending
155	19th Octobers 1963	Kanonda	Jhajjar	3383	Bhagwan Singh *versus* Jail Dyal	...	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
156	Ditto	Nangal Kheri	Panipat	605	Hari Chand *versus* Partap	21st February, 1964	
157	Ditto	Bandh	Do	604	Bhollar *versus* Munshi	6th December, 1963	
158	21st October, 1963	Gorawathi	Gohana	324	Parbhu *versus* Mangu	23rd November, 1963	
159	Ditto	Samri Lockab	Do	325	Chander Singh *versus* Rupla	11th December, 1963	
160	Ditto	Sarsad	Do	326	Bhartu *versus* Katubu		Pending

Serial No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
161	21st October, 1964	Madina Gindhran	Gohana	327	Jage *versus* State	...	Pending
162	Ditto	Lohari	Panipat	606	Jhanda Ram *versus* State	...	Transferred to S.O.C./H Ludhiana (Appeals)
163	Ditto	Dekadla	Do	607	Prabhu *versus* State	...	Transferred to S.O.C./H Ludhiana (Appeal)
164	Ditto	Luhari	Do	608	Chandan *versus* Smt. Bhaga	11th February, 1964	
165	Ditto	Urlana Kalan	Do	609	Ladha Ram *versus* Bansi Lal	..	Pending
166	22nd October, 1963	Kanwali	Sonepat	368	Tek Chand *versus* Ram Singh	..	Do
167	23rd October, 1963	Kanonda	Jhajjar	3384	Sarupa *versus* Daryao Singh	..	Transferred to S.O.C/H. (A) Ludhiana
168	Ditto	Dhakla	Do	3385	Amar Singh *versus* Umrao	..	Ditto
169	Ditto	Nangal Kheri	Panipat	610	Sheo Chand *versus* State	20th February, 1964	
170	Ditto	Dekadla	Do	611	Nand Ram *versus* Ramji Lal	..	Transferred to S.O.C/H Ludhiana (Appeals)
171	Ditto	Do	Do	612	Ram Sarup *versus* State	..	Ditto
172	Ditto	Do	Do	613	Ishwar Singh *versus* Pirthvi	..	Ditto
173	Ditto	Do	Do	614	Risal Singh *versus* State	..	Ditto
174	Ditto	Madina Gindhran	Gohana	328	Har Nand *versus* Smt. Chhotu	26th February, 1964	

1	2	3	4	5	6	7	8
175	23rd October, 1963	Gurothi	Gohana	329	Dhale Ram *versus* Pirthu	23rd November, 1963	
176	24th October, 1963	Madina Gindhran	Do	330	Gopi Ram *versus* Manphool	29th February, 1964	
177	Ditto	Do	Do	331	Lehri *versus* Manphool	Ditto	
178	Ditto	Tumba Heri	Do	3386	Ghadmach *versus* Rup Chand	30th December, 1963	
179	Ditto	Kanonda	Do	3387	Rup Chand Kishan Lal	..	Transferred to S.O.C./H (Appeals), Ludhiana
180	Ditto	Dhakla	Do	3388	Geena *versus* Partap	..	Ditto
181	25th October, 1963	Do ..	Jhajjar	3389	Nathu *versus* Sher Singh ..	..	Ditto
182	28th October, 1963	Dujana ..	Do	3390	Sujjan Kumar *versus* Remal Dass	..	Pending
183	Ditto	Dekadla ..	Panipat	615	Pirthi *versus* Chandan ..	..	Transferred to S. O.C/H, Ludhiana
184	Ditto	Do	Do	616	Bhalle Ram *versus* Chand Singh	..	Ditto
185	Ditto	Patti Kalyana	Do	617	Raghbir Singh *versus* State ..	6th December, 1963	
186	Ditto	Dekadla ..	Do	618	Ram Sarup *versus* Pirthi ..	..	Transferred to S.O.C/H (Appeals), Ludhiana
187	Ditto	Do	Do	619	Ram Sarup *versus* Maha Singh	..	Ditto
188	Ditto	Jorisi Sarf	Do	6020	Todar *versus* State ..	31st January, 1963	
189	Ditto	Ditto	Do	621	Surja *versus* Chandgi ..	6th December, 1963	
190	Ditto	Ditto	Do	622	Devi Singh *versus* Din Dyal ..	31st January, 1964	
191	Ditto	Dekadla	Do	623	Bhartu *versus* Chhaju ..	..	Transferred to S.O.C/H (Appeals), Ludhiana
192	Ditto	Do	Do	624	Jai Lal *versus* Ami Lal ..	..	Ditto
193	29th October, 1963	Bakli ..	Jhajjar	3391	Ganeshi *versus* Amar Singh ..	14th December, 1963	

Sr. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
194	29th October, 1963	Bakli	Jhajjar	3392	Ganeshi *versus* Ram Nath ...	30th December, 1963	
195	30th October, 1963	Kanuda ..	Do	3393	Shiv Narain *versus* Ajit Singh	..	Transferred to S.O.C/H (Appeals) 'Ludhiana
196	Ditto	Dekadla ..	Panipat	625	Giani *versus* Daria ..	..	Ditto
197	Ditto	Naultha ..	Do	626	Ratna *versus* Ram Narain ...	5th December, 1963	
198	Ditto	Urlana Kalan	Do	627	Attar Chand *versus* State ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
199	Ditto	Naultha ..	Do	628	Bharat Singh *versus* Bhartu ...	5th December, 1963	
200	Ditto	Do	Do	629	Hari Singh *versus* Rattan ..	3rd December, 1963	
201	31st October, 1963	Do	Do	631	Chandan *versus* Gordhan ..	5th December, 1963	
202	Ditto	Dekadla ..	Do	630	Ram Daya *versus* Hukam Chand	...	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
203	Ditto	Madina Gindhran	Gohana	332	Piare Lal *versus* Mai Dhan ..	...	Pending
204	Ditto	Do	Ditto	333	Mussama Chhotu *versus* Tika ..	29th February, 1964	
205	Ditto	Do	Ditto	334	Mussama Chhotu *versus* Bhola	Ditto	
206	Ditto	Nidana ..	Do	335	Rachhpal *versus* Dhanpat ..	14th January, 1964	
207	Ditto	Madina Gindhran	Do	336	Bhalle Ram *versus* Amrit ..	17th February, 1964	
208	Ditto	Bhakli ...	Jhajjar	3394	Joki *versus* Ratti Ram ..	..	Transferred to S. O. C/H, Ludhiana

209	31st October, 1963	Bhakli	Jhajjar	3395	Shiv Lal *versus* Lala	...	Transferred to S.O.C/H Ludhiana
210	Ditto	Dhanirwas ..	Do	3396	Hati Pat *versus* Lal Chand	..	Ditto
211	2nd November, 1963	Kanonda ..	Do	3397	Ajit Singh *versus* Shiv Narain	...	Ditto
212	Ditto	Do	Do	3398	Hari Singh *versus* Gulabu	...	Ditto
213	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	632	Kashi Ram *versus* Bhagwan Dass	...	Ditto
214	Ditto	Naultha ..	Do	633	Chandgi *versus* Tara Chand	...	Ditto
215	Ditto	Bandh ..	Do	634	Chander Bhan *versus* Bhalle	...	Ditto
216	Ditto	Urlana Kalan	Do	635	Minshi *versus* Thambu	15th February, 1964	
217	4th November, 1963	Biswa ..	Jhajjar	3399	Raghu Nath *versus* Hari Singh	..	Transferred to S.O.C H (Appeals) Ludhiana
218	Ditto	Kanonda ..	Do	3400	Bharat Singh *versus* Chet Ram	..	Ditto
219	Ditto	Midhana Gindhran	Gohana	337	Des Ram *versus* Mange	...	Pending
220	5th November 1963	Pasina Khurd	Panipat	636	Baru *versus* Krishan Gopal	...	
221	Ditto	Bandh ..	Ditto	637	Daya Chand *versus* Tek Ram	..	Tansferred to S.O.C/H Ludhiana
222	Ditto	Naultha ..	Do	638	Bhalle Ram *versus* Kehari	..	Ditto
223	Ditto	Sutana ..	Do	639	Jhandu *versus* Churia	...	Ditto
224	Ditto	Bhakli ..	Jhajjar	3401	Ram Parshad *versus* Chuni Lal	...	Ditto
225	Ditto	Dhakfa ..	Do	3402	Amar Singh *versus* Chandrup	...	Ditto
226	Ditto	Thumba Heri	Do	3403	Sis Ram *versus* Man Singh	6th February, 1964	
227	Ditto	Dujana ...	Do	3404	Lal Chand *versus* Sham Singh	29th February, 1964	
228	6th November, 1963	Ladrawa ...	Do	3405	Bharam Singh *versus* Kanwal Singh	...	Transferred to S.O.C./H (Appeal) Ludhiana

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of Decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
229	6th November, 1963	Mandothi ...	Jhajjar	3406	Surta *versus* Balak Ram ...	...	Transferred to S.O.C./H. (Appeal) Ludhiana
230	Ditto	Nidana ..	Gohana	338	Har Nand *versus* Lal Chand ...	...	Pending
231	7th November, 1963	Madina Gindhran	Do	339	Ahi Pal *versus* Shiv Lal ...	26th February, 1964	
232	8th November, 1963	Naultha ...	Panipat	640	Ram Sarup *versus* State ..	..	Transferred to S. O.C./H Ludhiana
233	Ditto	Bhadar ...	Do	641	Chhattar Singh *versus* Awa Bai	...	Pending
234	Ditto	Barkata Bad	Jhajjar	3407	Zille Singh *versus* Munshi ...	...	Transferred to S. O.C/H Ludhiana
235	Ditto	Ditto	Do	3408	Balle *versus* Rattan ...	...	Ditto
236	Dttto	Bhakali ..	Do	3409	Charanji *versus* Fateh Singh ...	...	Dttto
237	Ditto	Do	Do	3410	Maya Devi *versus* State ...	...	Ditto
238	Ditto	Dhakla ...	Do	3411	Mange Ram *versus* Sukh Dev ...	...	Ditto
239	Ditto	Do	Do	3412	Gopal Singh *versus* State ...	...	Ditto
240	Ditto	Thumba Heri	Do	3413	Garamach *versus* Chander Bhan	6th February, 1964	
241	11th November, 1963	Kanwali ...	Sonepat	369	Jot Ram *versus* Dhakha ...	...	Pending
242	Ditto	Kanonda ..	Jhajjar	3414	Ratti Ram *versus* Banwari ...	...	Transferred to S. O. C/H (A), Ludhiana

243	Ditto	Do	Do	3415	Prabhu *versus* Shiv Narain ..	..	Ditto
244	Ditto	Bhakali ..	Do	3416	Sampat *versus* Chandgi ..	..	Ditto
245	Ditto	Naultha ..	Panipat	642	Chandan *versus* State ..	..	Ditto
246	Ditto	Do	Do	643	Giani Ram *versus* Chander ..	..	Ditto
247	Dito	Bandh ..	Do	644	Rangi Ram *versus* State ..	..	Ditto
248	Ditto	Do	Do	645	Maha Singh *versus* Sura Singh	..	Ditto
249	Ditto	Kharak Jatan	Gohana	340	Arjan *versus* Teka ..	28th December, 1963	..
250	12th November, 1963	Kanonda ..	Jhajjar	3417	Suraj Singh *versus* Hira ..	..	Transferred to S.O.C./H(A) Ludhiana
251	Ditto	Surahali ..	Do	3418	Mange Ram *versus* State ..	..	Ditto
252	14th November, 1963	Barkata Bad	Do	3419	Siri Ram *versus* Jugti ..	..	Ditto
253	Ditto	Kanonda ..	Do	3420	Jai Ram *versus* Het Ram ..	..	Ditto
254	Ditto	Luhari ..	Panipat	646	Mam Raj *versus* State ..	..	Ditto
255	Ditto	Naultha ..	Do	647	Abhe *versus* Hari Singh ..	..	Ditto
256	Ditto	Do	Do	648	Chandgi *versus* Bhartu ..	..	Ditto
257	Ditto	Do	Do	649	Ram Sarup *versus* State ..	..	Ditto
258	Ditto	Do	Do	650	Bhalle Ram *versus* State ..	..	Ditto
259	Ditto	Do	Do	651	Dhaja Ram *versus* Ishwar ..	..	Ditto
260	18th November, 1963	Mandi ..	Panipat	652	Sarup Singh *versus* State ..	..	Pending
261	Ditto	Do	Do	653	Giani *versus* State ..	..	Do
262	Ditto	Kanunda ..	Jhajjar	3421	Jag Ram *versus* Daya Ram ..	..	Transferred to S. O. C/H Ludhiana
263	Ditto	Sham Nagar	Do	3422	Smt. Chhota *versus* Ramji Lal	..	Ditto

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
264	18th November, 1963	Bhakali ..	Jhajjar	3423	Hari Janan *versus* Chhaju Ram	..	Transferred to S.O.C./H Ludhiana
265	19th Novembet, 1963	Thumba Heri	Do	3424	Gharmach *versus* Smt. Bhuri ..	18th February, 1964	
266	Ditto	Madina	Gohana	341	Ram Singh *versus* Birkha ..	..	Pending
267	20th November 1963	Bhani Gurjan	Do	342	Tek Chand *versus* State ..	..	Do
268	Ditto	Jahaj Garh	Jhajjar	3425	Ram Sarup *versus* Raghbir ..	..	Do
269	Ditto	Barkata Bad	Do	3426	Ram Sarup *versus* Niadar ..	..	Transferred to S. O. C/H Ludhiana
270	Ditto	Dhakla ..	Do	3427	Dalip Singh, Subha Chand ...	..	Ditto
271	21st November, 1963	Thumba Heri	Do	3428	Chander Bhan *versus* Ram Chander	19th February, 1964	
272	Ditto	Barkata Bad	Do	3429	Bhartu *versus* Surta ..	...	Ditto
273	Ditto	Ditto	Do	3430	Ram Kala *versus* State ..	..	Ditto
274	23rd November, 1963	Dekadla ..	Panipat	654	Badlu *versus* Ram Daya ..	..	Ditto
275	Ditto	Urlana Kalan	Do	655	Attar Singh *versus* State ...	..	Ditto
276	Ditto	Sutana ..	Do	656	Puran *versus* Bhartu ..	..	Ditto
277	Ditto	Do	Do	657	Mushadi *versus* Dharam Singh	...	Ditt
278	25th November, 1963	Mandi ..	Do	658	Malu *versus* Sarup Singh ..	20th February, 1964	
279	Ditto	Sink ..	Do	659	Moji Ram *versus* Sardara ..	..	Ditto

230	Ditto	Jahaj Garh	Jhajjar	3431	Thana Ram *versus* Partap Singh	2nd January, 1964	
281	26th November, 1963	Do	Do	3432	Ram Parshad *versus* Chander Bhan	18th February, 1964	
282	Ditto	Kanonda ..	Do	3433	Nathu *versus* Shiv Narain ..	..	Do
283	Ditto	Thumba Heri	Do	3434	Amrao Singh *versus* Jai Gopal	..	Pending
284	Ditto	Barkata Bad	Do	3435	Jai Ram *versus* Dhuli ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
285	Ditto	Urlana Kalan	Panipat	660	Nand Lal *versus* Shanker Dass	..	Ditto
286	Ditto	Bandh ..	Do	661	Maha Singh *versus* Dalipa ..	..	Ditto
287	Ditto	Naultha ..	Do	662	Kashi *versus* Krishna ..	..	Ditto
288	Ditto	Bandh ..	Do	663	Chhaju *versus* Daya Chand ..	..	Ditto
289	Ditto	Do	Do	664	Chhaju *versus* Jit Singh ..	..	Ditto
290	Ditto	Do	Do	665	Lal Chand *versus* Ishwar ..	..	Ditto
291	Ditto	Do	Do	666	Chattara *versus* Neki ..	..	Ditto
292	27th November, 1963	Bhakli ..	Jhajjar	3436	Har Dat *versus* Mangtu ..	..	Ditto
293	Ditto	Do	Do	3437	Har Dat *versus* Ranjit ..	..	Ditto
294	Ditto	Do	Do	3438	Ram Parshad *versus* Ram Dyal	..	Ditto
295	Ditto	Do	Do	3439	Bishamber *versus* Ranjit ..	..	Ditto
296	28th November, 1963	Dhakla ..	Do	3440	Chhote Bal *versus* Karan Singh	..	Ditto
297	Ditto	Jahaz Garh	Do	3441	Mir Chand *versus* Dev Datt ..	2nd January, 1964..	
298	Ditto	Noultha	Panipat	667	Minshi Ram *versus* Hari Singh	..	Transferred to S.O.C.H, Ludhiana
299	29th November, 1963	Manana Surjan	Gohana	117	RCH Ram Daya *versus* Bhartu ..	..	Ditto

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tahsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
300	29th November, 1963	Bhani Surjan	Gohana	343	Balak Ram *versus* Ujala ..	..	Pending
301	Ditto	Kanunda ..	Jhajjar	3442	Munshi Ram *versus* Giani ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
302	30th November, 1963	Thumba Heri	Jhajjar	3443	Bhojan *versus* Man Singh ..	6th February, 1964	
303	29th November, 1963	Sinkh ..	Panipat	668	Banwari *versus* Faquira ..	..	Pending
304	30th November, 1963	Naultha ..	Do	669	Bhim Raj *versus* Mam Raj ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
305	Ditto	Do	Do	670	Birbal *versus* Ram Chand ..	..	Ditto
306	Ditto	Do	Do	671	Net Ram *versus* Sardara ..	..	Pending
307	Ditto	Do	Do	672	Bharat Singh *versus* Kashi Ram	..	Transferred to S. O. C/H, Ludhiana
308	Ditto	Do	Do	673	Bhartu *versus* Bharti ..	..	Ditto
309	Ditto	Do	Do	674	Hari Ram *versus* State ..	..	Ditto
310	2nd December, 1963	Jahaz Garh	Jhajjar	3444	Sultan Singh *versus* Jagdish ..	..	Ditto
311	Ditto	Do	Do	3445	Kure *versus* Harphool ..	..	Ditto
312	Ditto	Thumba Heri	Do	3446	Jamna Dass *versus* Shmt. Suraj Kaur	6th February, 1964	
313	Ditto	Jahaz Garh	Do	3447	Jagdish Parshad *versus* Pirdhan	..	Transferred to S. O. C/H, Ludhiana

314	Ditto	Do	Do	3448	Net Ram *versus* Pir Dhan ..	..	Ditto
315	Ditto	Kharak Jatan	Gohana	344	Thambu *versus* Hazari ..	20th January, 1964	
316	3rd December, 1963	Jahaz Garh	Jhajjar	3449	Harphool Singh *versus* Kanhaya	18th February, 1964	
317	Ditto	Machhroli ..	Do	3450	Mange *versus* Hazari ..	Ditto	
318	4th December, 1963	Jahangirpur	Do	3451	Bhim Singh *versus* Jug Lal ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
319	5th December, 1963	Naultha ..	Panipat	675	Hari Singh *versus* Premashewari	..	Ditto
320	Ditto	Sutana ..	Do	676	Chandan *versus* Jai Singh ..	..	Ditto
321	Ditto	Naultha ..	Do	677	Jai Narain *versus* Hari Singh ..	..	Ditto
322	Ditto	Bandh ..	Do	678	Amar Singh *versus* Sat Vir ..	..	Ditto
323	Ditto	Naultha ..	Do	679	Chandgi *versus* Bhartu ..	..	Ditto
324	Ditto	Do	Do	680	Bhagwana *versus* State ..	..	Ditto
325	6th December, 1963	Barkatabad	Jhajjar	3452	Jai Lal *versus* Baljit Singh ..	..	Ditto
326	Ditto	Matan Hail	Do	3453	Ran Singh *versus* Subh Ram ..	..	Ditto
327	Ditto	Bhakali ..	Do	3454	Shankar *versus* Tota ..	..	Ditto
328	Ditto	Nait ..	Gohana	345	Ujala *versus* Kundan ..	13th January, 1964	
329	Ditto	Madina Gindhran	Do	346	Smt. Nanu *versus* Shibba ..	29th February, 1964	
330	Ditto	Do	Do	347	Dalip Singh *versus* Jai Karan	..	Pending
331	7th December, 1963	Nait ..	Do	348	Radhe *versus* Baman ..	13th January, 1964	
332	Ditto	Madina Gindhran	Do	349	Rup Chand *versus* Teka ..	..	Pending

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
333	7th December, 1963	Nat	Gohana	350	Ujala *versus* Ujala ..	13th January, 1964	
334	Ditto	Do	Do	351	Smt. Chhotu *versus* Narain Singh	Ditto	
335	Ditto	Kanonda ..	Jhajjar	3455	Siri Ram *versus* Ram Singh ..	..	Transferred to S. O. C/H. Ludhiana
336	Ditto	Jahaz Garh	Do	3456	Raghbir Singh *versus* Shevo Karan ..	..	Ditto
337	Ditto	Dhakadla ..	Panipat	681	Sarupa *versus* State ..	..	Ditto
338	Ditto	Naultha ..	Do	682	Balwant *versus* Baru ..	..	Ditto
339	9th December, 1963	Nandi ..	Do	683	Badlu *versus* Ratu ..	..	Pending
340	Ditto	Sewai ..	Panipat	684	Sheo Chand *versus* Badlu ..	..	Transferred to S. O. C/H, Ludhiana
341	Ditto	Naultha ..	Do	685	Jage *versus* Chandgi ..	..	Ditto
342	Ditto	Mandi ..	Do	686	Chandgi *versus* Chandgi Ram	3rd November, 1964	
343	Ditto	Sinkh ..	Do	687	Lalu Chand *versus* State ..	..	Ditto
344	Ditto	Kanonda ..	Jhajjar	3457	Suraj Bhan *versus* Balwant ..	..	Ditto
345	Ditto	Do ..	Do	3458	Rissala *versus* Sarupa ..	..	Ditto
346	10th December, 1963	Matan Hail	Do	3459	Phul Singh *versus* Ram Parshad	..	Ditto

347	Ditto	Kanonda ..	Do	3460	Ude Singh *versus* Chand Ram	..	Ditto
348	Ditto	Do	Do	3461	Bakhsha *versus* Jit Ram ..	..	Ditto
349	Ditto	Do	Do	3462	Hamita *versus* Moji ..	..	Ditto
350	Ditto	Patti Kalyana	Panipat	688	Jagat Narain *versus* Raghbir ..	..	Ditto
351	Ditto	Mandi ..	Do	689	Chandgi Ram *versus* State ..	31st January, 1964	
352	Ditto	Naultha ..	Do	690	Ratti Ram *versus* Dhaja ..	..	Transferred to S.O.C/H, Ludhiana
353	Ditto	Nayat ..	Gohana	352	Bhagtu *versus* Rameshar ..	15th February, 1964	
354	Ditto	Madina Gindhran	Do	353	Kidara *versus* Sis Ram ..	..	Pending
355	Ditto	Nayat ..	Do	354	Takul *versus* Baharisri ..	..	Do
356	11th December, 1963	Gharak Jatun	Do	355	Jug Lal *versus* Hazari ..	23rd December, 1963	
357	Ditto	Madina Gindhran	Do	356	Karia *versus* Gulab Singh ..	..	Pending
358	Ditto	Nayat ..	Do	357	Gurdhan *versus* Ujala ..	13th January, 1964	
359	Ditto	Jahaz Garh	Jhajjar	3464	Amrit *versus* Vir Bhan ..	..	Transferred to S. O. C/H, Ludhiana
360	Ditto	Jahagir pur..	Do	3464	Naida *versus* Sundu ..	..	Ditto
361	Ditto	Matan Hail	Do	3465	Mani Lal *versus* Fateh Singh ..	..	Ditto
362	Ditto	Sham Nagar	Do	3466	Ramji Lal *versus* Budha ..	..	Ditto
363	Ditto	Kanonda ..	Do	3467	Giani *versus* Sobhat ..	..	Ditto
364	12th December, 1963	Matain Hail	Do	3468	Balbir Singh *versus* Amar Singh	..	Ditto
365	Ditto	Haiata	Gohana	358	Inder Singh *versus* Ram Chander	15th February, 1964	
366	13th December, 1963	Do	Do	359	Sadhu Ram *versus* Hukam Ram	Ditto	

Sl. No.	Date of Institution	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
367	13th December, 1963	Madina Gindhran	Gohana	360	Kundan *versus* Rup Chand ..	..	Pending
368	16th December, 1963	Do	Do	361	Harphul *versus* Nathu ..	..	Do
369	Ditto	Do	Do	362	Harkesh *versus* Pirthvi ..	..	Do
370	Ditto	Gangeshar ..	Do	363	Shri Chand *versus* Daya Kishan	..	Do
371	Ditto	Madina Gindhran	Do	364	Maya Chand *versus* Balbir Singh	..	Do
372	Ditto	Naultha ..	Panipat	691	Hari Singh *versus* Purana ..	..	Transferred to S. O. C/H, (Appeals), Ludhiana
373	Ditto	Jahaz Garh	Jhajjar	3469	Tara Chand *versus* Rai Singh	..	Ditto
374	Ditto	Kanonda ..	Do	3470	Dungar *versus* Balak Ram ..	..	Ditto
375	Ditto	Nila Heri ..	Do	3471	Tara Chand *versus* Mangli ..	..	Ditto
376	Ditto	Matain Hail	Do	3472	Sukh Chain *versus* Jai Lal ..	..	Ditto
377	Ditto	Do	Do	3473	Ishwar Singh *versus* Datta Lal	..	Ditto
378	17th December, 1963	Naiat ..	Gohana	365	Dalpat Singh *versus* Bhuri ..	..	Pending
379	Ditto	Do	Do	366	Kishan Chand *versus* Sukh Lal	29th February, 1964	
380	18th December, 1963	Girdharpur	Jhajjar	3474	Audhaya *versus* Diwan Singh	..	Transferred to S.O.C./H. Ludhiana

381	Ditto	Do	Do	3475	Mange Ram *versus* Risala	Ditto
382	19th December, 1963	Bhani Surjan	Gohana	367	Bhola *versus* Jai Karan	Ditto
383	Ditto	Do	Do	368	Shmt. Surja *versus* Jai Karan	Pending
384	20th December, 1963	Do	Do	369	Rati Ram *versus* Nihghia	Do
385	Ditto	Nayat ..	Do	370	Duli Chand *versus* Bhartu ..	29th February, 1964
386	Ditto	Do	Do	371	Sube Singh *versus* Data Ram	Ditto
387	21st December, 1963	Madina Gindhran	Do	372	Bhagwana *versus* Pirthvi	Pending
388	20th December, 1963	Kanwali ..	Sonepat	370	Manphul Singh *versus* Tek Chand ..	Do
389	21st December, 1963	Do	Do	371	Sube Singh *versus* Bhai Raj	Do
390	Ditto	Sewah	Panipat	692	Surta *versus* Gaisu	Tranferred to SO.,C./H., Ludhiana
391	Ditto	Mandi ..	Do	693	Mollar *versus* Dahaya ..	Pending
392	Ditto	Sewah ..	Do	694	Badlu *versu* Nihala	Transferred to S.O.C/H., Ludhiana
393	Ditto	Dhadola ..	Do	695	Manglu *versus* Kalu	Ditto
394	Ditto	Sewah ..	Do	696	Surat Singh *versus* State	Ditto
395	Ditto	Do	Do	697	Bhagla *versus* Nefe Singh	Ditto
396	Ditto	Do	Do	698	Kehri *versus* Dani	Ditto
397	Ditto	Dhadola ..	Do	699	Kebul *versus* Paltu	Ditto
398	Ditto	Sewah ..	Do	700	Jug Lal *versus* Har Phool	Ditto
399	Ditto	Naultha ..	Do	701	Ram Chander *versus* Ram Singh ..	Pending

Serial No.	Date of Institute	Name of village	Name of tahsil	Number of appeal	Names of Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
400	20th December, 1963	Jahaz Garh	Jhajjar	3476	Nehalu *versus* Harduwari ..	..	Transferred to S. O., C/H., Ludhiana
401	Ditto	Kanoda ..	Do	3477	Ishwar Singh *versus* Surta ..	..	Ditto
402	Ditto	Matan Hail	Do	3478	Ram Nand *versus* Deva ..	..	Ditto
403	21st December, 1963	Kanoda ..	Do	3479	Ratti Ram *versus* Prabhu ..	..	Ditto
404	Ditto	Jahaz Garh	Do	3480	Tara Chand *versus* State ..	..	Ditto
405	Ditto	Do	Do	3481	Harphul *versus* Harphul ..	..	Transferred to S. O. C/H., (Appeals), Ludhiana
406	Ditto	Tumba Heri	Do	3482	Bujan *versus* Man Singh ..	6th February, 1964	Ditto
407	Ditto	Jahaz ..	Do	3483	Chander Bhan *versus* Vir Bhan	..	Transferred S. O., C /H., Ludhiana
408	24th December, 1963	Matan Hail	Do	3484	Birkha Ram *versus* Maman ..	..	Ditto
409	Ditto	Do	Do	3485	Ishwar Singh *versus* Sukh Chain	..	Ditto
410	Ditto	Kanenda ..	Do	3486	Het Ram *versus* Hira ..	..	Ditto
411	Ditto	Matan Hail	Do	3487	Mohan Lal *versus* Nandrup ..	..	Ditto
412	Ditto	Nayat ..	Gohana	373	Dharma *versus* Birkha ..	29th February, 1964	
413	Ditto	Gangeshar ..	Do	374	Ram Tikaya *versus* Siri Chand	..	Pending
414	26th December, 1963	Bhani Surjan	Do	375	Baru *versus* Pehlad ..	..	Do

415	Ditto	Madian Korsan	Do	376	Bhim Singh *versus* Matu ..	..	Do
416	Ditto	Chhatera ..	Do	377	Minshi *versus* Ram Dhari ..	21st February, 1964	
417	27th December, 1963	Madina Gindhran	Do	378	Ram Dhan *versus* Jai Karan ..	..	Pending
418	Ditto	Naultha ..	Panipat	702	Ram Sarup *versus* Bhagwana ..	..	Transferred to S. O. C/H., Ludhiana
419	Ditto	Biswa ..	Jhijjar ..	3488	Jit Ram *versus* Har Lal ..	..	Ditto
420	28th December, 1963	Sawanka ..	Gohana	389	Banwari *versus* Risala ..	21st February, 1964	
421	29th December, 1963	Tumba Heri	Jhajjar	3489	Khushi Ram *versus* Jot Ram ..	6th February, 1964	
422	30th December, 1963	Jahaz Garh	Do	3490	Hari Chand *versus* Bhup Lal ..	..	Transferred to S. O. C/H., Ludhiana
423	Ditto	Madina Gindhran	Gohana	380	Ganga Dutt *versus* Khem Chand	..	Pending
424	Ditto	Dadola ..	Panipat	703	Chhaju *versus* Kirpa ..	..	Transferred to S. O. C/H., Ludhiana
425	Ditto	Naultha ..	Do	704	Ram Sarup *versus* Ram Singh	..	Ditto
426	31st December, 1963	Bhani Gurjan	Gohana	381	Teka *versus* Divana ..	..	Pending
427	Ditto	Do	Do	382	Dass Ram *versus* Surta ..	..	Do
728	Ditto	Barktabad	Jhajjar ..	3491	Bhagwan Datt *versus* State ..	..	Transferred to S. O., C/H., Ludhiana
429	1st January, 1964 ..	Bhaini Sujan	Gohana	1	Ram Parshad *versus* parto ..	..	Pending
430	Ditto	Mandi ..	Panipat	2	Maman *versus* Darya ..	20th February, 1964	

Serial No.	Date of Institute	Name of village	Name of tehsil	Number of appeal	Names of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
431	10 January, 1964	Sewah ..	Panipat	3	Nihala *versus* Sarupa ..	..	Transferred to S. O.C/H Ludhiana on 28th January, 1964
432	Ditto	Do	Do	4	Rati Ram *versus* Oma ..	..	Ditto
433	Ditto	Gochhi ..	Jhajjar	5	Maha Ram *versus* Ganu ..	..	Ditto
434	2nd January, 1964..	Madina Gindhran	Gohana	6	Ram Singh *versus* Risala ..	..	Pending
435	Ditto	Niat ..	Do	7	Devi Chand *versus* Joga ..	..	Do
436	Ditto	Do	Do	8	Gopi *versus* Murari ..	..	Do
437	Ditto	Kahni ..	Do	9	Sardar Singh *versus* State ..	..	Do
438	Ditto	Bhaini Surjan	Do	10	Chotu Ram *versus* State ..	..	Do
439	Ditto	Kanonda ..	Jhajjar	22	Chandgi *versus* Suraj Bhan ..	..	Transferred to S. O. C/H Ludhiana
440	Ditto	Mandi ..	Panipat	12	Mange Ram *versus* Mohlu ..	20th February, 1964	
441	3rd January, 1964	Kanonda ..	Jhajjar ..	13	Ganga Ram *versus* Bharat Singh	..	Ditto
442	Ditto	Do	Do	14	Nahna *versus* Sarupa ..	..	Ditto
443	4th January, 1964 ..	Seenk ..	Panipat	15	Harphul *versus* Ragha ..	..	Ditto
444	6th January, 1964	Bhaini Surjan	Gohana	16	Dharma *versus* Prabhu ..	..	Pending

445	Ditto	Anayat ..	Do	17	Ram Chander *versus* Narain Singh	21st February, 1964	
446	Ditto	Seewah ..	Panipat	18	Giasu *versus* Ram Kanwar ..	..	Transferred to S.O.,C/H., Ludhiana
447	Ditto	Do	Do	19	Amar Singh *versus* Chanding	..	Ditto
448	7th January, 1964	Mandothi ..	Jhajjar	20	Ume Ram *versus* Hazari ..	..	Ditto
449	Ditto	Naultha ..	Panipat	21	Suba Singh *versus* State ..	..	Ditto
450	Ditto	Do	Do	22	Chandgi *versus* Ram Sarup ..	..	Ditto
451	8th January, 1964	Madina Gindhran	Gohana	23	Hardeva *versus* Gokal ..	..	Pending
452	Ditto	Subana ..	Jhajjar	24	Hira *versus* Piare ..	..	Transferred to S.O.C.,H. Ludhiana
453	Ditto	Do	Do	25	Mange Ram *versus* Net Ram ..	..	Ditto
454	Ditto	Samri ..	Gohana	26	Mange *versus* Piare Lal ..	..	Pending
455	Ditto	Sewanka ..	Do	27	Dewkia *versus* Chandan ..	21st February, 1964	
456	Ditto	Do	Do	28	Chandgi *versus* Kalu ..	Ditto	
457	9th January, 1964	Do	Do	29	Shmt. Phulan *versus* Smt. Godawari	Ditto	
458	Ditto	Matan Hail	Jhajjar	30	Mohan Lal *versus* Sultan ..	..	Transferred to S.O.C,.H. Ludhiana
459	Ditto	Mandi ..	Panipat	31	Gyani *versus* Ome ..	..	Pending
460	10th January, 1964	Kanwali ..	Sonepat	32	Bhup Singh *versus* Harke ..	29th February, 1964	
461	Ditto	Sewah ..	Panipat	33	Harphul *versus* K. Bakshi ..	..	Pending
462	Ditto	Barkatabad	Jhajjar	34	Jage Ram *versus* Ram Sarup ..	..	Transferred to S.O.C./H., Ludhiana

Sl. No.	Date of Institute	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Names of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	6	8
463	10th January, 1964	Kanonda	Jhajjar	35	Sis Ram *versus* Shib Lal	..	Transferred to S.O.C/H., Ludhiana
464	13th January, 1964	Mandi	Panipat	36	Kidara *versus* Dharma	..	Ditto
465	Ditto	Swanka	Gohana	37	Rattan *versus* Raghbir	21st February, 1964	
466	Ditto	Matan	Do	38	Shrimati Badamo *versus* Jai Lal	Ditto	
467	Ditto	Nait	Do	39	Dharma *versus* Sher Singh	29th February, 1964	
468	Ditto	Mandi	Panipat	40	Chandgi Ram *versus* State	26th February, 1964	
469	13th January, 1964	Mandi	Panipat	41	Bhular *versus* Randhir	..	Pending
470	Ditto	Do	Do	42	Ratia *versus* Gordhan Singh	26th February, 1964	
471	Ditto	Sewah	Do	43	Teeka *versus* Mauji	..	Transferred to S.O.C/H., Ludhiana
472	14th January, 1964	Gangesar	Gohana	44	Ranju Ram *versus* Gurdial	..	Pending
473	Ditto	Mandi	Panipat	45	Tek Chand *versus* Kabul	20th February, 1964	
474	Ditto	Do	Do	46	Maha Singh *versus* Shmt. Maya Kaur	Ditto	
475	Ditto	Naultha	Do	47	Pritu *versus* State	..	Transferred to S.O., Ludhiana
476	Ditto	Do	Do.	48	Rati Ram *versus* Ram Singh	..	Ditto
477	Ditto	Do	Do	49	Joti Ram *versus* State	..	Ditto

478	15th January, 1964	Jahangirpur	Jhajjar	50	Jug Lal *versus* Gulzari ..	..	Transferred to S.O. Ludhiana
479	Ditto	Sewah ..	Panipat	51	Chatra *versus* Smt. Ashraphi	..	Ditto
480	16th January, 1964	Subana ..	Jhajjar	52	Bakhtawar Singh *versus* State	..	Ditto
481	Ditto	Mathan Hail	Do	53	Amir Singh *versus* Man Singh	..	Ditto
482	17th January, 1964	Subana ..	Jhajjar	54	Raj Karan *versus* Gyani ..	..	Ditto
483	Ditto	Do	Do	55	Ram Sarup *versus* Shib Lal ..	..	Ditto
484	Ditto	Kanonda ..	Do	56	Kawal Singh *versus* Mange ..	..	Ditto
485	Ditto	Mandi ..	Panipat	57	Om Parkash *versus* Ram Dia ..	..	Pending
486	Ditto	Do	Do	58	Om Parkash *versus* State ..	..	Ditto
487	18th January, 1964	Subana ..	Jhajjar	59	Shib Lal *versus* Sukhdev ..	..	Transferred to S. O., Ludhiana
488	Ditto	Kanwali ..	Sonepat	60	Chandan Singh *versus* Rati Ram	..	Pending
489	Ditto	Naultha ..	Panipat	61	Prabhu Dyal *versus* Kabula ..	..	Ditto
490	Ditto	Sewah ..	Do	62	Shmt. Bhgwani *versus* Bhartu	..	S.O.C/H., Ludhiana
491	20th February, 1964	Kanonda ..	Jhajjar	63	Mange Ram *versus* Dungar ..	..	Transferred to S.O.C.H., Ludhiana
492	Ditto	Subana ..	Do	64	Sukh Dev *versus* Gyani ..	..	Ditto
493	Ditto	Do	Do	65	Jugti *versus* Phul Singh ..	..	Ditto
494	Ditto	Mathan Hail	Do	66	Balbir Singh *versus* Surja		Ditto
495	Ditto	Naultha ..	Panipat	67	Hari Singh *versus* Grani ..	..	Pending
496	Ditto	Do	Do	68	Ram Sarup *versus* Gotdhan ..	..	Transferred to S.O.C.H., Ludhiana
497	Ditto	Do	Do	69	Jiwani *versus* Bhalla ..	..	Pending

Serial No.	Date of Institute	Name of village		Name of Tehsil	Number of appeal	Names of the Parties		Date of decision	REMARKS
498	20th January, 1964	Sewah	..	Panipat	70	Amir Singh *versus* Dharma	..	..	Transferred to S.O.C.H. Ludhiana
499	Ditto	Do		Do	71	Surta *versus* Dewna	..	21st February, 1964	
500	Ditto	Do		Do	72	Sarupa *versus* Satru	..	..	Ditto
501	Ditto	Do		Do	73	Jailu *versus* Rup Chand	..	..	Ditto
502	21st January, 1964	Naultha	..	Panipat	74	Hira *versus* Baljit	..	..	Pending
503	Ditto	Do		Do	75	Gordhan *versus* State	..	..	Ditto
504	22nd January, 1964	Kanonda	..	Jhajjar	76	Bhim Singh *versus* Richhpal	..	..	Transferred to S.O.C.H., Ludhiana
505	Ditto	Thaska	..	Gohana	77	Rameshwar *versus* Bhagwanal		7th February, 1964	
506	Ditto	Naultha	..	Panipat	78	Zille Singh *versus* Haria	..	..	Pending
507	Ditto	Bhaini Surjan		Gohana	79	Chotu Ram *versus* Ram Kishan		..	Do
508	24th January, 1964	Sewah	..	Panipat	80	Maya Chand *versus* Dhaman	..	..	Transferred to S. O., Ludhiana
509	25th January, 1964	Mandi	..	Do	81	Kidara *versus* Darya	..	..	Pending
510	25th January, 1964	Ganesar	..	Gohana	82	Lada Ram *versus* Gurdial	..	..	Pending
511	Ditto	Matan Hail		Jhajjar	83	Surat Singh *versus* Ram Singh		..	Transferred to S.O.C./H Ludhiana

512	27th January, 1964	Subana	Do	84	Nanta *versus* Hawa Singh	...	Pending
513	Ditto	Sewanka	Gohana	85	Ram Kishan *versus* Chand Ram	...	Ditto
514	Ditto	Naultha	Panipat	86	Lakhi *versus* Badlu	...	Returned to the applicant for completion
515	Ditto	Sewah	Do	87	Mange *versus* Lakhi	...	Pending
516	Ditto	Do	Do	88	Hari Ram *versus* State	...	Do
517	29th January, 1964	Sewanka	Gohana	89	Harnam *versus* Lakhu	...	Do
518	Ditto	Bhaini Surjan	Do	90	Hazari *versus* Pala	...	Do
519	Ditto	Subana	Jhajjar	91	Sheo Baksh *vesus* Dalip	...	Do
520	30th January, 1964	Kohla	Gohana	92	Rajla *versus* Chandan	...	Do
521	Ditto	Niat	Do	93	Rup Chand *versus* Kishan Chand	...	Do
522	31st January, 1964	Sewah	Panipat	94	Lakhi Ram *versus* Niadar	...	Do
523	Ditto	Niat	Gohana	95	Bhura *versus* Shmt. Bhagwani	...	Do
524	Ditto	Girdharpur	Jhajjar	96	Bhup Singh *versus* Mangtu	17th February, 1964	
525	Ditto	Kahni	Gohana	97	Lakhi Ram *versus* Chander Bhan	...	Pending
526	1st February, 1964	Ganesar	Do	98	Darya Singh *versus* Shiv Bhan	...	Do
527	Ditto	Bhaini Surjan	Do	99	Tokha *versus* Bholar	...	Do
528	Ditto	Kanwali	Sonepat	100	Ram Sarup *versus* Dulia	...	Do
529	3rd February, 1964	Kahni	Gohana	101	Ghansham Das *versus* Sube Singh	...	Do
530	Ditto	Madina	Do	102	Duli Chand *versus* Shibu	...	Do
531	Ditto	Khani	Do	103	Desu *versus* Bakhtawar	...	Do

Sl. No	Date of Insitute	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
532	3rd February, 1964	Farmana Khas	Gohana	104	Shmt. Konda *versus* Hukam Chand	...	Pending
533	Ditto	Mahmudpur	Do	105	Teku *versus* Bhima ..	...	Do
534	Ditto	Nita ..	Do	106	Jage Ram *versus* Badam ..	...	Do
535	Ditto	Farmana Khas	Do	107	Bhagwana *versus* Sahib Ram ..	...	Do
536	Ditto	Niat ..	Do	108	Chatar Singh *versus* Badlu ..	..	Do
537	4th February, 1964	Bhaini Surjan	Do	109	Darya *versus* Ran Singh ..	...	Do
538	Ditto	Chiri ..	Do	110	Suba Chand *versus* Patan ..	17th February, 1964	
539	Ditto	Kanonda ..	Jhajjar	111	Gulabo *versus* Bharat Singh	...	Pending
540	Ditto	Bawa ..	Do	112	Rohtan *versus* Ramji Lal ..	17th February 1964	
541	Ditto	Nita ..	Gohana	113	Dewan Singh *versus* Narain Singh	...	Pending
542	Ditto	Rohla ..	Do	114	Daryao Singh *versus* Rati Ram	...	Do
543	Ditto	Do	Do	115	Banwari *versus* Maman Chand	...	Do
544	Ditto	Do	Do	116	Ranpat *versus* Nihana ...	...	Do
545	5th February 1964	Farmana Khas	Do	117	Bhagwana *versus* Ram Sarup ...	...	Do
546	Ditto	Do	Do	118	Zille Singh *versus* Mange ...	...	Do

547	Ditto	Mandi ..	Panipat	119	Bharat Singh *versus* Sarupa ..	..	Pending
548	Ditto	Do	Do	120	Ramdia *versus* Dalip ..	..	Do
549	Ditto	Bandh ..	Do	121	Gangaman *versus* Daya Chand	..	Do
550	Ditto	Nautha ..	Do	122	Hari Ram *versus* Chotu ..	..	Do
551	6th February, 1964	Bhaini Surjan	Gohana	123	Hazari *versus* Bani Singh ..	..	Do
552	Ditto	Farmana Khas	Do	124	Shiv Lal *versus* Dhunda Widow Lajai	..	Do
553	Ditto	Do	Do	125	Kidara *versus* Harkishan ..	..	Do
554	7th February, 1964	Do	Do	126	Chandgi *versus* Dalip ..	..	Do
555	Ditto	Subana ..	Jhajjar	127	Kawal Singh *versus* Net Ram	..	Do
556	Ditto	Ganesar ..	Gohana	128	Ran Singh *versus* Tikaya ..	..	Do
557	Ditto	Do	Do	129	Dalip Singh *versus* Ram Kishan	..	Do
558	Ditto	Farmana Khas	Do	130	Ravi Dutt *versus* Bholu ..	..	Do
559	8th February, 1964	Do	Do	131	Daryao *versus* Jai Lal ..	..	Do
560	Ditto	Chiri ..	Do	132	Mange *versus* Dharma ..	..	Do
561	Ditto	Surehli ..	Jhajjar	133	Ganeshi *versus* Chaiu ..	..	Do
562	Ditto	Grdharpur ..	Do	134	Hira Sngh *verus* Bhujan ..	..	Do
563	Ditto	Koha ..	Gohana	135	Ram Sarup *versus* Shambu ..	..	Do
564	Ditto	FarmanaKhas	Do	136	Mange Ram *versus* Abhey ..	..	Do
565	10th February, 1964	Subana ..	Jhajjar	137	Hem Raj *versus* Sat Narain ..	..	Do
566	Ditto	Bhaini Surjan	Gohana	138	Risala *versus* Thambu ..	..	Do
567	Ditto	Bhaua ..	Jhajjar	139	Mata Din *versus* Umrao ..	..	Do

Sl. No.	Date of Institute	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
568	10th February, 1964	Kahni ..	Gohana	140	Jage *versus* Umra ..	..	Pending
569	Ditto	Farmana khas	Do	141	Sham Sarup *versus* Maya Ram	...	Do
570	Ditto	Sewanka ..	Do	142	Surja *versus* Shiba ..	..	Do
571	Ditto	Do	Do	143	Dharam Singh *versus* Gyani	..	Do
572	Ditto	Madina Gindhra gi	Do	144	Sant Lal *versus* Tek Chand ..	..	Do
573	Ditto	Chiri ..	Do	145	Ganga Ram *versus* Surat Singh	..	Do
574	Ditto	Do	Do	146	Rattan Singh *versus* Bir Singh	..	Do
575	Ditto	Do	Do	147	Ranjit Singh *versus* Vir Singh	..	Do
576	Ditto	Do	Do	148	Mohan Lal *versus* Vir Singh	..	Do
577	Dtto	Do	Do	149	Ram Sarup *versus* Bir Singh ..	..	Do
578	Ditto	Subana ..	Do	150	Sardara *versus* Sudhan Singh ..	...	Do
579	11th February, 1964	Farmana Khas	Gohana	151	Jhunda *versus* Ram Karan ..	...	Do
580	Ditto	Dawla ..	Jhajjar	152	Ramji Lal *versus* Sher Singh ..	..	Do
581	Ditto	Farmana ..	Gohana	153	Jai Lal *versus* Chander ..	...	Do
582	Ditto	Kohla ..	Do	154	Hari Singh *versus* Kidara ..		Do
583	Ditto	Naultha ..	Panipat	155	Rati Ram *versus* Maha Singh	...	Do

584	Ditto	Kakroli ..	Do	156	Bhagwana *versus* State	...	Pending
585	Ditto	Naultha ..	Do	157	Hari Singh *versus* Bir Bal ..	...	Do
586	Ditto	Do	Do	158	Mai Dhan *versus* State ..	...	Do
587	Ditto	Sutana ..	Do	159	Ranjit *versus* State ..	...	Do
588	Ditto	Sewah ..	Do	160	Prabhu *versus* Bhartu ..	...	Do
589	12th February, 1964	Kahni ..	Gohana	161	Raja Ram *versus* Ram Lal ..	...	Do
590	Ditto	Seenk ..	Panipat	162	Viraj Das *versus* Bakshi ..	...	Do
591	Ditto	Chiri ..	Gohana	163	Tek Ram *versus* Nathu ..	...	Do
592	Ditto	Mahmudpur	Do	164	Badlu *versus* Mam Chand ..	...	Do
593	Ditto	Farmana Khas	Do	165	Girdhala *versus* Dharma ..	...	Do
594	13th February, 1964	Chiri ..	Do	166	Kehru *versus* Tek Ram ..	...	Do
595	Ditto	Bhaini Surjan	Do	167	Daya Singh *versus* Banwari ..	...	Do
596	14th February, 1964	Farmana Khas	Do	168	Man Singh *versus* Daya Ram	...	Do
597	Ditto	Mandi ...	Panipat	169	Lachman *versus* Tek Chand ..	...	Do
598	Ditto	Do	Do	170	Amar Singh *versus* Tek Chand	...	Do
599	Ditto	Kohla ..	Gohana	171	Ram Dhari *versus* Sohan ..	...	Do
600	Ditto	Naultha ..	Panipat	172	Badlu *versus* Manga ..	...	Do
601	Ditto	Do	Do	173	Gordhan *versus* Badlu ..	...	Do
602	Ditto	Jorasi Saraj Khas	Do	174	Darya Singh *versus* Lachman	...	Do
603	17th February, 1964	Kohla ...	Gohana	175	Ramdhari *versus* State ...	...	Do
604	Ditto	Kasanda ..	Do	176	Sarup Chand *versus* Ramdia ..	..	Do

Sl. No.	Date of Institute	Name of village	Name of tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
605	17th February, 1964	Khani ..	Gohana	177	Risala *versus* Nand Lal ..	..	Pending
606	Ditto	Do	Do	178	Chandan *versus* State ..	...	Do
607	Ditto	Mahmudpur	Do	179	Raghbir Singh *versus* Tale ..	...	Do
608	Ditto	Gangesar ...	Do	180	Munshi *versus* Shiv Dhan ..	...	Do
609	Ditto	Mandi ...	Panipat	181	Saria *versus* Bhular ..	...	Do
610	Ditto	Kohla ..	Gohana	182	Fateh Singh *versus* Bega ..	...	Do
611	18th February, 1964	Do	Do	183	Indraj *vetsus* Darayo Singh ..	...	Do
612	Ditto	Mandi ..	Panipat	184	Dalip Singh *versus* Jai Chand	...	Do
613	20th February, 1964	Farmana Khas	Gohana	185	Abhey Ram *versus* Gokal ..	...	Do
614	Ditto	Bhaini Surjan	Do	186	Pehlada *versus* Ad Ram ..	...	Do
615	Ditto	Farmana Khas	Do	187	Hukam Chand *versus* Shmt. Gyanu	...	Do
616	Ditto	Kohla ..	Do	188	Bhagwana *versus* Ganga Ram	...	Do
617	Ditto	Mahmudpur	Do	189	Badlu *versus* Shmt. Godhri ..	...	Do
618	Ditto	Sewah ..	Panipat	190	Smt. Asarfi *versus* Chitra ..	..	Do
619	Ditto	Silana ..	Jhajjar	191	Bhai Ram *versus* Gordhan ..	..	Do
620	Ditto	Daboda ..	Do	192	Jai Lal *versus* Dalip ..	..	Do

621	Ditto	Silana	Do	193	Prabhu *versus* Dalip	..	...	Pending
622	Ditto	Do	Do	194	Kuriia *versus* Bagru	...	...	Do
623	Ditto	Mahmudpur	Gohana	195	Sardar Singh *versus* Tek Ram		...	Do
624	Ditto	Do	Do	196	Kundan *versus* Darya	...	...	Do
625	Ditto	Do	Do	197	Shiv Dhan *versus* Matu	...	...	Do
626	Ditto	Do	Do	198	Neki *versus* Hardwari	...	...	Do
627	Ditto	Madina Gindhran	Do	199	Kundan *versus* Gulab	...	...	Do
628	Ditto	Do	Do	200	Sis Ram *versus* Mande Ram	...	...	Do
629	Ditto	Kohla ..	Do	201	Karan Singh *versus* Rattan Singh		...	Do
630	Ditto	Kasonda ..	Do	202	Jit Singh *versus* Ram Rattan	..	...	Do
631	Ditto	Mandi ..	Panipat	203	Tek Chand *versus* Net Ram	..	...	Do
632	20th February, 1964	Ditto ..	Do	204	Puran *versus* Mange	..	...	Do
633	Ditto	Mahmudpur	Gohana	205	Maman Ram *versus* Nek	...	...	Do
634	Ditto	Naultha ..	Panipat	206	Mir Singh *versus* Khema	...	...	Do
635	21st February, 1964	Kasanda ..	Gohana	207	Duli Chand *versus* Deep Chand		...	Do
636	Ditto	Dhania ...	Jhajjar	208	Ram Singh *versus* Kawal Singh		...	Do
637	Ditto	Madina Gindharan	Gohana	909	Bhalle Ram *versus* Ram Sarup			
638	Ditto	Mahmudpur	Do	210	Rati Ram *versus* Harphul	...	...	Do
639	Ditto	Do	Do	211	Darbari Lal *versus* Kanhia	...	...	Do
640	Ditto	Farmana Khas	Do	212	Puran *versus* Sher Singh	...	...	Do

Sl. No.	Date of Institute	Name of Village	Name of Tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
641	21st February, 1964	Farmana Khas	Gohana	213	Rattan Singh *versus* Dharma ..	..	Pending
642	Ditto	Chiri ..	Do	214	Sher Singh *versus* Gram Panchayat	..	Do
643	Ditto	Mahmudpur	Do	215	Rati Ram *versus* Teka ...	..	Do
644	Ditto	Kasanda ...	Do	216	Umed Singh *versus* Madu ...	..	Do
645	Ditto	Do ..	Do	217	Balwant Singh *versus* Khiali ...	..	Do
646	22nd February, 1964	Do	Do	218	Partap Singh *versus* Shmt. Umed Kaur	..	Do
647	Ditto	Kahni ..	Do	219	Daryao Singh *versus* Ramdhari	..	Do
648	24th February, 1964	Madina Gindhran	Do	220	Daya Chand *versus* State ...	..	Do
649	Ditto	Mandi ..	Panipat	221	Lakhi *versus* Sarup ...	..	Do
650	Ditto	Do	Do	222	Gyani *versus* Nathu Ram ...	..	Do
651	Ditto	Do	Do	223	Jai Chand *versus* Ram Sarup ...	..	Do
652	Ditto	Matan Hail	Jhajjar	224	Ganpat *versus* Dewal ...	..	Do
653	Ditto	Do	Do	225	Ram Sarup *versus* Darya Singh	..	Do
654	Ditto	Mandi ..	Panipat	226	Smt. Maya Kaur *versus* Mam Chand	..	Do

655	25th February, 1964	Do	Do	227	Hari Singh *versus* Om Parkash ..	Pending
656	Ditto	Bhadoti Khas	Gohana	228	Shanti Lal *versus* Gram Panchayat ..	Do
657	Ditto	Gangtan ..	Jhajjar	229	Bhartu *versus* Bhagwana	Do
658	Ditto	[illegible]	Gohana	230	Shiv Dhan *versus* Radhe	Do
659	Ditto	Mahmudpur	Do	231	Ishwar *versus* Badlu	Do
660	Ditto	Madina Gindhra	Do	232	Shiva *versus* Rattan	Do
661	Ditto	Matan Hail	Jhajjar	233	Rama Nand *versus* Sher Singh ..	Do
662	Ditto	Sewanka ..	Gohana	234	Rama Nath *versus* Dharam Singh ..	Do
663	Ditto	Mahmudpur	Do	235	Rup Chand *versus* Ran Singh ..	Do
664	26th February, 1964	Do	Do	236	Bharta *versus* Rati Ram	Do
665	Ditto	Mandi ..	Panipat	237	Dalipa *versus* Chandgi	Do
666	Ditto	Thaska ..	Gohana	238	Gopi Ram *versus* Ram Singh	Do
667	Ditto	Kohla ..	Do	239	Tek Ram *versus* Ram Sarup ..	Do
668	27th February, 1964	Chiri ..	Do	240	Ganga Man *versus* Munshi	Do
669	Ditto	Sewha ..	Panipat	241	Bakshni *versus* Chandgi	Do
670	Ditto	Mandi ..	Do	242	Om Parkash *versus* Jai Chand ..	Do
671	Ditto	Jorasi Saraf khas	Do	243	Mauji Ram *versus* Pala	Do
672	Ditto	Thaska ..	Gohana	244	Ram Chander *versus* Mange	Do
673	Ditto	Jorasi Khals	Panipat	245	Amar Singh *versus* Mai Lal	Do
674	Ditto	Kahni ..	Gohana	246	Kanshi Ram *versus* Nand Lal.. ..	Do

Sl. No.	Date of Institute	Name of Village	Name of Tehsil	No. of appeal	Name of the Parties	Date of decision	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
675	29th February, 1964	Matan Hail	Jhajjar	247	Umed Singh *versus* Ram Singh	..	Pending
676	Ditto	Sewanka ..	Gohana	248	Hari Singh *versus* State ..	..	Do
677	Ditto	Mandi ..	Panipat	249	Chander *versus* Jai Narain ..	..	Do
678	Ditto	Matan Hail	Jhajjar	250	Subh Ram *versus* Meda ..	..	Do
679	Ditto	Mahmudpur	Gohana	251	Ram Sarup *versus* Brahma ..	..	Do

EMPLOYEES OF PUNJAB ROADWAYS

1493. Sardar Tej Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of employees in the Punjab Roadways in the State at present and the number of those belonging to the Scheduled Castes amongst them together with the designations of the posts they hold?

Sardar Partap Singh Kairon :

(i) 5,361.

(ii) 467.

(iii) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Designations		Number of posts held by Scheduled Castes
1	Inspectors	..	5
2	Assistant, Accounts	..	1
3	Mechanics	..	6
4	Fitters	..	4
5	Electricians	..	3
6	Painters	..	2
7	Tyreman	..	2
8	Asisstant Fitters	..	17
9	Assistant Carpenter	..	1
10	Assistant Tyremen	..	3
11	Helpers	..	11
12	Cleaners	..	32
13	Chowkidars	..	10
14	Conductors/Adda Conductors	..	149
15	Drivers/Yard Masters	..	85
16	Typists	..	1
17	Store Boys	..	3
18	Assistant Painters	..	4
19	Borer	..	1

Serial No.	Designation		Number of posts held by Scheduled Castes
20	Head Electrician	..	1
21	Radiator Repairers	..	2
22	Carpenters	..	3
23	Upholsterers	..	4
24	Booking Clerk	..	1
25	Assistant	..	1
26	Ledger Keeper	..	1
27	Clerks	..	8
28	Head Mechanic	..	1
29	Black smiths	..	3
30	Assistant Blacksmiths	..	3
31	Peons	..	4
32	Sweepers	..	87
33	Tachograph Clerk	..	1
34	Diesel Pump Attendant	..	1
35	Washing Boy	..	2
36	Chief Inspector	..	1
37	Mali	..	1
38	Welder	..	1
39	Assistant Radiator Repairer	..	1
	Total	..	467

240/PVS—386—20-11-64—C., P. and S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

18th March, 1964

Vol. I—No. 20

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 18th March, 1964

Price Rs. 7.95 Paise

ERRATA

10

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I—NO. 20, DATED THE 18TH MARCH, 1964

Read	For	Page	Line
enquiry	euquiry	(20)3	4
सैम्पल	सैम्पल	(20)3	11
हूं	हैं	(20)9	19
कॅटी	कैंटी	(20)11	8
समर्थिंग	समर्थिग	(20)17	9
स्पेशल रेड्ज़	स्पैशल रेडज़ज़	(20)17	5 from below
expenditure	expondiiure	(20)39	15 from below
designations	designation	(20)40	18
ceremony	ce emon y	(20)40	15 from below
this	tnis	(20)41	20
appointed	appoin ed	(20)50	11
चौधरी देवी लाल	चौधरी देवी दयाल	(20)61	9
can	c n	(20)62	9 from below
जो	जी	(20)64	6 from below
that	tat	(20)64	last but one
के	फे	(20)69	6
इस्तीफा	इष्तीफा	(20)70	9
है	हूं	(20)71	5
एडजर्न	एडजन	(20)73	4 from below
लीडर आफ	लीडर का	(20)74	24
इन्होंने	इ होने	(20)74	26
गुरदयाल सिंह	गुरमाल सिंह	(20)76	11 from below

Read	*For*	*Page*	*Line*
कैप्टन रतन सिंह	कैप्टन रतन हिंह	(20)78	7
ਦੋਸਤ	ਦਸਤ	(20)88	11
ਹਾਊਸ	ਹਾਓਸ	(20)89	9 from below
ਲੈਣਾ	ਲਣਾ	(20)89	9 from below
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ	ਮੁੱਖ ਮ੍ਰੰਤੀ	(20)100	2
ਵਿਘਨ	ਚਿਘਨ	(20)100	11
गुज़रती	गुज़ररती	(20)108	15
ਟਿਊਬਵੈਲ	ਟਿਬਊਵੈਲ	(20)109	18
अपौन	अपीन	(20)111	last but one
schemes	Sehemes	(20)112	5 from below
महोदया	महोदवा	(20)122	27
मलिक	मल्कि	(20)123	18
checked	chceked	(20)124	20
भी	थी	(20)125	12
पर	जर	(20)125	12 from below
Irrigation	Irrigtiation	(20)126	20
respect	respeet	(20)127	26

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 18th March, 1964

The Vidhan Sabha met In the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 9.00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Prabodh Chandra) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to *Starred Question No. 4884.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਸੋਰੈਂਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27-11-63 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ?

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਗਏ ।

Mr. Speaker : It is a very sad state of affairs. ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ । (It is a very sad state of affairs. This information should have been sought from the police station.)

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡੇਟਾਂ ਹਨ । ਉਹ ਮੈਂਬਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਰੀਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ।

Mr. Speaker : Has the Government taken any action against the officer who is instrumental in concocting that case against him ?

---

*Starred Question No. 4884 and reply thereto appear in the Punjab Debates Vol. I, No. 19, dated the 17th March, 1964.

ਮੰਤਰੀ : ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This appeared in the Paper. He was arrested and he saw me also. When was the officer concerned addressed enquiring from him whether such and such person has been arrested or not ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇੰਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਫਾ 182 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ? (Keeping in view that such a serious allegation had been levelled against a person, did the Government ask the police officer concerned to prosecute the person under section 182 who made a false complaint ?)

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

(*At this stage, some hon. Members rose to put supplementary questions.*)

Mr. Speaker : I think that should satisfy the hon. Members.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈ । ਤਾਂ ਕੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰੀਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਫਰਵਰੀ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्राईर सर। जब भी कोई ग्रादमी गवर्नमेंट या सेमी-गवर्नमैंट या ग्रटानोमस या नान-ग्रटानोमस बाडी से सस्पैंड किया जाता है तो he is not to attend the office during the

pendency of the enquiry. If at all he is to do anything, he has to mark his presence. If he was suspended, was there no rule to debar him from attending the meeting? How is it that during the pendency of the euquiry, he was allowed to attend the meeting ?

Mr. Speaker : Neither I nor the Secretary knows whether the hon. Minister said that he was suspended or that the enquiry will be made against him and if found guilty, he would be suspended.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅੱਜ ਅਤੇ ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਫੀਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੈਂ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

Mr. Speaker : That is what the hon. Chief Minister has tried to explain. The suspension in the case of an official has different meaning than in the case of a non-official.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ 376 ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੁਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

Mr. Speaker : How. can he tell you off hand ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

Chaudhri Darshan Singh : I has been stated here that the procedure in the case of a non-official is different. Is it a fact that a Member of the Marketing Committee, Nawanshehr, who was neither under suspension nor removed, nor any case was registered against him and he was by a written order debarred from attending the meeting of the Committee?

Mr. Speaker : The hon. Member should not please mix up two things. The hon. Minister cannot give this information off hand.

Chaudhri Darshan Singh : Sir, it is within the personal knowledge of the hon. Minister for Local Government and Welfare.

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬ-ਜੁਡਿਸ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਵਲੋਂ ਆਰਡਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। (I may tell the hon. Minister that the hon. Member is not asking about the merits and demerits of the case. He simply wants to know whether the orders were issued by the executive before the report had been made.)

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਫਜ਼ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : I have sent for the relevant record.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : You need not worry. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। (The hon. Member need not worry. I will get the reply from the hon. Minister for him.)

Scheme for allotment of two acres of land to each Harijan family in the State

***4886. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Chief Minister recently announced that he would allot two acres of land to each Harijan family in the State; if so, the details of the scheme, if formulated in this connection, be laid on the Table of the House;

(b) the time by which all the Harijan families are likely to get land under the proposed Scheme?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes, the scheme is being considered. (b) Does not arise yet.

Chief Minister : I never said that 2 acres of land will be given to each Harijan family.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਜ਼ੇਰ-ਗੌਰ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Mr. Speaker : Then the reply is badly drafted. The question is—

> "whether it is a fact that the Chief Minister recently announced that he would allot two acres of land to each Harijan family in the State. . . . ."

The reply given by the hon. Minister is 'Yes.'

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। There is contradiction. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵੋ । (The hon. Minister has stated that this matter has yet to be considered. There is contradiction in what the hon. Chief Minister and the hon. Minister say. I would request him to get it clarified first.)

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ 10 ਲਖ ਹਰੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਡੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੈਡਲੀ ਡਰਾਫਟਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਨੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਦੋ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਏਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜਿਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੱਝ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ) : ਪੋਲਟਰੀ ਨੇ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬਹਾ ਦਿਤਾ।

Mr. Speaker : Please. The hon. Member should show some courtesy to the Chief Minister.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵੈਲਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕ ਮੱਝ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਨੈਪੀਅਰ ਗਰਾਸ, ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 4-4 ਕਟਿੰਗਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ 1200 ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਖਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੱਝ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। And when this improvement will be brought about one acre of land will be sufficient for the Harijan family for dairying and poultry. ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਏਕੜ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : 1962 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਟੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਵਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ . . . .

Mr. Speaker : The hon. Chief Minister cannot recollect all this as perhaps he attends 101 meetings in a month.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਏਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 100 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਏਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

Mr. Speaker : There should be no insinuation.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 ਏਕੜ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?

Mr. Speaker : No, no please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਟਰਿਕਟਵਾਈਜ਼ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਯਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, यह तो मुझे पता है और विश्वास है कि इन्हों ने हरिजनों को जमीन नहीं देनी ....

Mr. Speaker : Will the hon. Member please put a supplimentary question ? He always starts with the preamble.

श्री जगन्नाथ : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या हरिजनो के लिये श्मशान भूमि के लिये जमीन दी जायेगी ?

Chaudhri Darshan Singh : May I know whether the State Government is prepared to allot to the Harijans the evacuee land purchased from the Government of India ?

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਅਲਾਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 15, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਂ; ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 3,3 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੀਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਔਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

श्री रूप लाल मेहता : जिन हरिजनों ने 25 प्रतिशत बयाना दे कर जमीन खरीद ली है, उन को यह प्रेस किया जा रहा है कि बकाया रूपया जल्दी जमा कराओ वरना तुम्हारा वह 25 प्रति शत भी जब्त हो जाएगा ।

(Sardar Gurbanta Singh, Local Government and Welfare Minister, rose in his seat)

Mr. Speaker : Before I permit you to speak, you must please express regrets to the House for making a wrong statement in the House.

[Mr. Speaker]

मैंने प्रोसीडिंगज़ मंगा कर देख ली है, उस में लिखा है कि "ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" यह लास्ट सैशन में आपने स्टेटमेंट दिया था। The hon. Minister must feel sorry for the mistake. (I have gone through the proceedings. It is written therein that "ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।" The hon. Minister made this statement in the last Session. The hon. Minister must feel sorry for the mistake.)

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ।

Mr. Speaker : That is the more than enough. I am quite satisfied.

श्री रूप लाल मेहता : क्या मिनिस्टर साहिब यह फरमाएंगे कि जब महकमे वाले उन हरिजनों को जिन्होंने 25 परसेंट रुपया जमा करा के ज़मीन खरीदी है, मजबूर कर रहे हैं कि बकाया रुपया डिपाज़िट कराओ वरना वह पहले वाला भी रुपया ज़बत हो जाएगा, तो सरकार क्या कदम उठा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

Minister for Revenue : Instructions have been issued to the Department that they should wait for the deposit of the money from the Harijans which they had obtained as loan from the Government.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यहां इस हाउस में कोई वह पहली बात नहीं है कि गलत बयानी की गई है। यह तो अकसर होता है। इनको कई बार और कई मैम्बरान असैंबली ने यह कहा कि इन्होंने कहा है लेकिन यह मानते ही नहीं थे। यह तो अब जब कि आप ने प्रोसीडिंग्ज़ देख ली हैं तब इन्होंने ऐसा कहा है वरना अभी तक तो यह डिनाई ही करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि this is a matter which concerns and affects the privileges of the Members of the House.

Mr. Speaker : I say that it is the privilege of the Members of the House to know the truth from the Government. There is no ambiguity about it. The Honourable Minister has been very sportsman like, and I am quite satisfied with his reply. यह सारी चीज़ें आप नो कानफिडेंस मोशन में कह सकते हैं। जहां तक सत्य बोलने का सम्बन्ध है, मैंने आगे भी कहा है कि डैमोक्रेटिक सैट अप में यह हाउस एक गिरजा है, मंदिर है, गुरद्वारा है। बाहर कुछ भी कहे लेकिन जब वह असैम्बली चैम्बर में आता है तो वह चाहे मेम्बर हो, चाहे मिनिस्टर हो उसे सत्य ही बोलना

चाहिए। और Every Honourable member, belonging to this side or that side, when he enters the precincts of the Assembly, is expected to tell the truth, the whole truth and not the half truth. (I say that it is the privilege of the Members of the House to know the truth from the Government. There is no ambiguity about it. The Honourable Minister has been very sportsmanlike, and I am quite satisfied with his reply. The honourable Member can say all these things during the discussion on the No-confidence motion. So far as the question of telling the truth is concerned, I have already stated that in the democratic set up this House is like a church, a temple or a gurdwara. A person may say anything outside but when he is in the Assembly Chamber, whether he is a Member or a Minister, he must tell the truth. And every hon. Member, belonging to this side or that side, when he enters the precincts of the Assembly, is expected to tell the truth, the whole truth and not the half truth.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं जनाब यह कहना चाहता हैं कि यह एक दफा नहीं . . . . .

Mr. Speaker : No arguments please. I am quite satisfied with what the Minister has stated. He has acted like a sportsman.

POULTRY FARMS

***4301, Sardar Gurdial Singh Dhillon** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) the number of Government Poultry Farms in the State at present and the places of their location, together with the criteria followed in selecting places for the establishment of such Farms ;

(b) the total amount of profit so far earned by each Farm ?

Sardar Partap Singh Kairon : (Chief Minister)

(a) Five. At Jullundur, Ambala, Patiala, Gurdaspur, and Malerkotla. The first three Farms were located at these places being Divisional Head quarters. The Farm at Gurdaspur was started before the partition and that at Malerkotla before the merger of the erstwhile Pepsu with Punjab and that being so the criteria followed is not readily available.

(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of the farm	Profit during the year			Loss during the year		
		1960-61	1961-62	1962-63	1960-61	1961-62	1962-63
1.	Govt. Poultry Farm, Gurdaspur	Not available	31,797.02	59,668.63	—	—	—
2.	Govt. Poultry Farm, Jullundur	947.09	3,006.70	9,093.81	—	—	—
*3.	Govt. Poultry Farm, Ambala	6,457.98	13,055.27	36,181.35	—	—	—
4.	Govt. Poultry Farm, Malerkotla	1,450.69	5,094.24	5,656.22	—	—	—
*5.	Govt. Poultry Farm, Patiala.	—	—	—	—	—	1,630.96

**Note*. Statement printed as supplied by the Government.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 1960-61 ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, 1961-62 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ 1630 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ * × × × × × × * ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ।

Mr. Speaker : The word "Dhokha" is unparliamentary and will be expunged from the proceedings of the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸੈਟਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਦੋ ਮਿਨਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ : ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ।

LOANS GRANTED TO POULTRY FARMS

*4302. **Sardar Gurdial Singh Dhillon** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) whether any subsidies and loans were advanced to private and co-operative poultry farms in the State during the years 1961-62 and 1962-63 ; if so, the total amount so advanced, category-wise, district-wise and farm-wise;

(b) the names of the persons and co-operative societies to whom subsidies and loans referred to in part (a) above were given and the terms and conditions on which these were given ;

(c) the amount of loans referred to in part (b) above which have so far been recovered in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon (Chief Minister) :

(a) Yes. Rs. 3, 99, 602. 50 NP. Its break-up, except farm-wise, is given in Annexure 'A'. It is not in public interest to supply farm-wise information as it adversely affects the business of the parties concerned.

(b) It is not in public interest to disclose names of the parties concerned, as it will adversely affect their business. Information regarding the terms and conditions of the financial assistance in question is given in annexure 'B'.

(c) Rs. 11,853. 13 NP. and Rs. 4,115. 58 nP were recovered out of the loan amounts advanced during the year 1961-62 and 1962-63, respectively. Its break-up district-wise is given in Annexure 'C'. The question of recovery of subsidy does not arise as it is non-refundable.

ANNEXURE A

Statement showing loans and subsidies advanced to private and co-operative Poultry Farms during the years 1961-62 and 1962-63 category-wise, distrsct-wise and Farm-wise.

Serial No.	Name of District	Amount of loans advanced to Co-openative Poultry farms.	Amount of loans advanced to Private parties	Amount of subsidy under State Aid to Industries, Act. 1935.	Amount of subsidy under Poultry schemes.
1	2	3	4	5	6
			1961-62		
		Rs	Rs	Rs.	Rs
1	Simla	..	2,750	..	100
2	Rohtak	..	2,500	..	150
3	Karnal	..	4,150	..	2,000

1	2	3	4	5	6
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
4	Ambala	..	4,500	..	2,900
5	Kapurthala	..	5,000	..	1,100
6	Sangrur	..	6,500	..	800
7	Jullundur	..	1,000	..	2,950
8	Ferozepur	..	3,000	..	800
9	Amritsar	..	3,000	..	1,300
10	Gurdaspur	..	9,900	..	6,450
11	Kangra	..	7,800	500	600
12	Hoshiarpur	..	2,800	..	3,550
13	Ludhiana	..	11,000	1,500	1,850
14	Bhatinda	..	..	..	200
15	Patiala	..	..	..	400
16	Hissar	..	..	..	100
17	Gurgaon	..	..	..	50
	Total	..	63,900	2,000	25,300

1962-63

1	2	3	4	5	6
1	Rohtak	..	2,500	..	50
2	Gurgaon	..	2,01,000	..	50
3	Hissar	..	2,500	..	100
4	Patiala	..	2,000	..	1,050
5	Kapurthala	..	1,000	..	400
6	Jullundur	..	3,500	..	2,749
7	Ferozepur	..	7,000	..	350
8	Amritsar	..	4,000	..	3,180
9	Gurdaspur	..	6,500	..	12,048
10	Kangra	..	13,200	..	950
11	Hoshiarpur	..	13,950	..	2,600
12	Ludhiana	..	4,000	..	4,664.50
13	Ambala	..	5,000	...	5,295
14	Karnal	..	5,000	..	1,066
15	Bhatinda	..	—	..	150
16	Sangrur	..	—	..	1,850
	Total	..	2.71,750	..	36,652.50

[Chief Minister]

ANNEXURE 'B'

Statement showing terms and conditions on which loans/subsidies have been advanced during the years 1961-62 and 1962-63 for the development of Poultry farming.

Loans and subsidies under the State aid to Industries Act, 1935 and Rules framed thereunder.

Loans and subsidies granted under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935 are subject to the terms and conditions laid down in the said Act and the Punjab State Aid to Industries Rules, 1936.

Subsidies granted under the Poultry Scheme

1. *Grant of subsidy for the purchase of Brooders and poultry houses.*—Subsidy at the rate of Rs. 50/- for the purchase of a brooder and Rs. 50/- for the construction of a Poultry house is granted at the initial stage. This is subject to verification of the purchase of brooder/construction of shed by the local Veterinary Assistant Surgeon or any technical hand of the Poultry Section.

2. *Grant of subsidy for the purchase of Incubators.*— This scheme has since been discontinued. Under this Scheme, subsidy at the rate of Rs. 400/-used to be granted at the initial stage to a poultry breeder, who purchased an incubator. This was subject to the production of documentary proof regarding actual purchase and verification by the local Veterinary Assistant Surgeon or any technical hand of the Poultry Section.

3. *Grant of subsidy for the purchase of day old chicks.*—Subsidy at the rate of 50% of the cost of day old chicks is granted to a person subject to a maximum of 500 day old chicks. This grant is subject to production of a certificate from the Manager of the Farm, regarding actual purchase of chicks and verification by the local Veterinary Assistant Surgeon or technical hand of the Poultry Section regarding actual construction of Poultry shed with full diamension and other facilities for rearing chicks.

ANNEXURE 'C'

Statement showing break up of loans recovered (district-wise) during the years 1961-62 and 1962-63.

Serial No.	Name of District	Amount recovered
	1961-62	(Rs)
1.	Simla	430
2.	Rohtak	1,032
3.	Kapurthala	550
4.	Sangrur	595.87
5.	Jullundur	651
6.	Ferozepur	498
7.	Amritsar	920
8.	Gurdaspur	1,616
9.	Kangra	2,278.74
10.	Hoshiarpur	1,201.52
11.	Ludhiana	800
12.	Ambala	1,280
	Total	11,853.13

Serial No.	Name of District	Amount recovered
	1962-63	
1.	Kapurthala	363
2.	Patiala	300
3.	Ferozepur	832
4.	Amritsar	1,110
5.	Hoshiarpur	60
6.	Kangra	1,406.58
	Total	4,115.58

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਔਰ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਸੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬਰੇਕ ਅਪ ਲੋਨ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਣ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੇਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮਗਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਨਜ਼ ਦੇ ਥਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਤਿੰਨ ਲਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 11 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਘਟ ਰੀਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਕਿਤਨਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਿਆ ਕਾਂਗੜੇ ਲਈ ਔਰ 1,500 ਰੁਪਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਹੈ ।

EVASION OF SALES TAX IN THE STATE

*4677. **Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) whether Government has recently taken any steps to check the evasion of Sales Tax in the State; if so, the details thereof;

(b) total amount of Sales Tax realised during the year, 1962-63;

(c) the total number of surprise raids, if any, arranged by the Department for detecting the evasion of sales tax during the year 1963-64 (up-to-date), district-wise, and the amount of tax realised as a result thereof ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) yes; the steps taken are—

(i) creation of a separate enforcement unit in the State ;

(ii) posting of staff at important railway stations and Bus Addas ;

(iii) erection of check-barriers on the roads leading to the State in the border districts.

(iv) insertion of a penalty clause in the Punjab General Sales Tax Act, 1948 whereunder a dealer indulging in maintenance of false or incorrect account can be penalized to a minimum of 10% and maximum of 150 per cent of tax involved.

(b) Rs. 7, 23, 72,268 were realised as sales tax during 1962-63.

(c) the total number of surprise raids arranged by the Department during the year, 1963-64 (up-to-date), district-wise, is as under.

Name of district.	*Number of Raids.*
Hissar	66
Rohtak	43
Gurgaon	64
Karnal	40
Ambala	95
Simla	38
Kangra.	54
Hoshiarpur	30
Jullundur	123
Ferozepore	95
Amritsar	73
Gurdaspur	48
Kapurthala	26
Patiala	150
Bhatinda	53
Sangrur	101
Mohindergarh	17
Ludhiana	105
Total	1221

The amount realised as a result thereof ts Rs. 15, 27, 740. 47 nP.

कामरेड राम चन्द्र : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ़ ग्रारडर, सर। स्पीकर साहिब, इतना लम्बा जवाब जो हो उस की कापी सप्लाई की जानी चाहिए ताकि पूछने वाले को सप्लीमेंटरी करने के लिए ग्रासानी रहे।

Mr. Speaker : Yes, I agree with the hon. Member. There is a convention to supply the copies of lengthy answers to the hon. Members.

श्री बलरामजी दास टण्डन : 1962-63 की जो सेल्ज़ टैक्स की रैवेन्यु रिसीट्स हुई हैं उस की फिग्गर वज़ीर साहिब ने सात करोड़ ग्रौर कुछ रुपए बताई है ग्रौर इस साल 1964-65 के लिए जो प्रोवीजन रखी है वह 14 करोड़ ऐंड समथिंग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सेल्ज़ टैक्स के ग्रन्दर कोई खास तबदीली नहीं हुई तो इन एमांउट्स का इतना डिफरेन्स होने का क्या कारण है।

मंत्री : सवाल भी बड़ा माकूल है ग्रौर इस का जवाब भी बहुत डिटेल्ड हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं मुखतसिर ही बताता हूं। 1962-63 के बाद सेल्ज़ टैक्स के रेटस को कुछ बढ़ाया था ग्रौर दूसरा कारण यह है कि जो इवैयन होती थी उस को भी काफी रोका है। इस के इलावा बिज़नैस ट्रांज़ैक्शन भी ज्यादा बढ़ने से ग्रामदनी बढ़ती है। तो यह जनरल सी बातें हैं जो मैं इस वक्त ग्रर्ज़ कर सकता हूं।

श्री बलरामजी दास टंडन : जब यहाँ पर रिजनल कान्फ्रेंस हुई थी तो उस में पंजाब स्टेट की तरफ से राए दी गई थी कि सोर्स ग्राफ़ प्रोडक्शन पर ही ऐडीशनल ड्यूटी लगा दी जाए। उस पर गवर्नमेंट ने क्या ऐक्शन लिया है?

मंत्री : ग्रगर कल मेंबर साहिब हाउस में मौजूद होते तो उन को सब कुछ पता चल जाता। उस कान्फ्रेन्स में जो डिसीयन हुग्रा था उसे इम्पलीमेंट करने का एक लम्बा चोपड़ा प्रोसीजर है वह हो रहा है। इस सम्बन्ध में उदयपुर में एक ग्राफ़िसर्ज की कान्फ्रेंस हुई थी। वहां जो डिसीयन्ज़ हुए थे उन को परसू किया जा रहा है।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਇਤਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹਨ?

Minister : I have not got this information with me.

बलराम जी दास टण्डन : यह जो स्पैशल रेडज़्ज़ सरकार की तरफ से ग्ररेंज किए गए हैं उनके लिए उन की ग्रसैसमैंट ग्राडिनरी कौर्स में ग्रपनी २ जगह पर होती है या उनके लिए भी सरकार ने कोई स्पेशल कोर्स ग्ररेंज किया है?

मन्त्री : यह हमारे डिपार्टमेंट का तरीका है ग्रौर हमारे ग्रफसर हर जगह ऐसा करने के लिए कम्पीटेंट हैं। जहाँ २ ज़रूरत होती है वहां कर लेते हैं।

Starred Question No. 4393 (Postponed)

Comrade Ram Chandra : Question No. 4393 on his behalf.

Mr. Speaker : Have you not received the files yet Mr. Mittal ?

एक्साइज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री : मैं ने मूव किया हुआ है लेकिन अभी तक फाइलें नहीं आई हैं। फाइलों के आते ही I will put up the answer.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह सवाल बहुत जरूरी है और शुरू सैशन से ही लटकता चला आ रहा है। यह उसका जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। 18 फरवरी का सवाल है लेकिन आज 18 मार्च भी हो गई है . . .

Mr. Speaker : He is helpless, because, he says the files are with the Das Commission.

श्री बलरामजी दास टंडन : नहीं, स्पीकर साहिब, ऐसी बात नहीं है वहां से फाइलें आ गई हैं। यह तो वहां फाइलें दिखाने के लिए ले गए थे और यह कब की दिखाई जा चुकी हैं।

Mr. Speaker : What are the reasons for asking for postponement Mr. Mittal ?

मंत्री : यह फाइलें हमारे पास से वहां गई हैं और हमें यानी मेरे महकमें को वापिस नहीं आई हैं। कुछ टाइम उन्होंने वहां दिखाई हैं और कुछ टाइम उनको केस परसू करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। जब फाइलें हमारे पास आएंगी उसी वक्त जवाब दे दिया जाएगा। There is no intention to avoid the answer.

Comrade Ram Chandra : Is that file with the Das Commission.

Mr. Speaker : What the hon. Minister means to say is that the file has not returned to Chandigarh. Mittal Ji, is it the categorical statement ?

मंत्री : मेरे आफिस में नहीं हैं, यह मैं ने पूरी तसल्ली कर ली है।

श्री बलरामजी दास टंडन : जो इत्तलाह नीचे तहसील या जिला लैवल से आनी होती है और इनके पास यहाँ पर नहीं होती है तो यह वहाँ से मंगाते हैं और सारी चीज़ अरेंज करके यहाँ जवाब देते हैं। उसी तरह अगर यहाँ इनके पास फाइलें नहीं हैं तो देहली, पटियाला जहाँ भी वह हैं वहाँ से इतलाह ली जा सकती है। फाइलें तो इनके कबज़े में ही हैं, चाहे वह कहीं भी हैं।

Mr. Speaker : He has said that the files are not with any of his offices in Punjab and that they are with the Das Commission.

Shri Balramji Das Tandon : This is not a fact. The files are not with the Das Commission.

Mr. Speaker : You can write to the Das Commission and you show me the letter from the Das Commission stating that the files are not with the Commission. If you can prove that the files are not with the Commission in this way then I will take up the matter with the Government.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आप इनको कहें कि साबत करें कि फाइलें इनके पास नहीं हैं । मैं अर्ज करता हूं कि यह फाइलें सिर्फ वहां दिखाने के लिए ले गए थे और वह कब की दिखाई जा चुकी हैं । उनके पास अब कोई फाइल नहीं है, सब इनके पास ही हैं ।

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि मेरे किसी आफिस में यानी मेरे सैक्रेटेरियट में और कैपीटल प्राजैक्ट के किसी आफिस में यह फाइलें नहीं आई हैं । यह फाइलें या तो कमीशन के पास हैं या फिर उन अफसरों के पास होंगी जो इस केस को डील कर रहे हैं । हमारे पास नहीं हैं । मैंने लिखा हुआ है कि फाइलें जल्दी भेजी जायें, उनके आते ही I wil answer it. There is no intention to avoid the answer.

कामरेड राम चन्द्र : फाइलों का बाकायदा सारा रिकार्ड होता है कि कौन सी कहां है और कौन सी कहां है । जब फाइलें दास कमीशन के पास नहीं हैं और इनके किसी मुन्शी के पास हैं तो यह वहां से फाइलें लेकर जवाब क्यों नहीं देते ?

Mr. Speaker He says that the files are not with any of his Departments and that they are with the Das Commission.

Shri Balramji Dass Tandon : I challange this statement of the Minister. The files are not with the Commission. मैं अर्ज़ करता हूं कि इस सवाल को फिर अगले हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए and in the meantime they should bring back the files.

Mr. Speaker This question will be again put in the list of postponed questions for next Tuesday.

मित्तल साहिब, आपकी तरफ से इसी सवाल के सिलसिले में एक चिट्ठी मुझे आई थी कि 15 मार्च के बाद किसी दिन इस सवाल को रख लिया जाए । We will be ready with the reply. (This question will be again put in the list of postponed questions for next Tuesday. I had received a letter from the hon. Minister in connection with this question that this question put on any day's agenda after the 15th March and he will be ready with the reply.)

मन्त्री : ठीक है मैंने लिखा था कि फाइलें आ जाएंगी और मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन फाइलें अभी तक नहीं आई हैं इस लिए ऐसा कहना पड़ा है वरना मुझे कोई एतराज नहीं था ।

Copper Plates Theft Case at Pong Dam

***4795. Principal Rala Ram** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the culprits involved in the Copper Plates Theft Case at the Pong Dam have been brought to book; if so, the nature of punishment awarded to them ?

Chaudhri Ranbir Singh : Yes. The increments, of the officials were stopped for one year with future effect and the loss sustained by Government is being recovered from them. In addition, one non-official has been sentenced to rigorous imprisonment for one year by the Court.

Chaudhri Darshan Singh : The hon. Minister for Irrigation and Power has informed the House that one official was sentenced to one year's rigorous imprisonment and in the case of other officials increments were stopped. May I know the number of the officials who were challaned in the Court.

Minister for Irrigation and Power : Three persons were challaned.

श्री मंगल सैन : वज़ीर साहिब ने बताया है कि दो आफीसर्ज की तो एक साल के लिए इन्क्रीमैण्ट रोक दी गई है लेकिन एक सबार्डिनेट आफिशल को एक साल की सज़ा दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन सबका जुर्म एक जैसा था तो सज़ा में यह फर्क क्यों रखा गया है ।

मन्त्री : मैंने ऐसा जवाब दिया ही नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं ।

Chaudhri Darshan Singh : When two other officials were acquitted by the Court, may I know from the hon. Minister the reasons for taking departmental action against them.

Minister : Well, Sir, I never said that the officials were challaned. Three persons were challaned. Two of them (non-officials) were acquitted by the Court and one of them (non-official) has been sentenced to one year's rigorous imprisonment.

Chaudhri Darshan Singh : Mr. Speaker, Sir, in answer to my question 'how many of the officials were challaned' the hon. Minister stated that three officials were challaned.

Mr. Speaker : No, please. The hon. Minister did not say that three officials were challaned. What he said is that three persons were challaned. Even in the main reply given, he said that one non-officials has been sentenced.

Minister : Mr. Speaker, Sir,.........

Sardar Gurcharan Singh : The Minister is confused.

Minister : The Minister is absolutely clear.

Mr. Speaker : Some one is certainly confused.

Minister : Mr. Speaker, Sir, the case was investigated and three non-officials were challaned. As regards the officials, I may state that some officials were found to be negligent in the performance of their duties and there increments have been stopped.

Mr. Speaker : Next question please.

Rehabilitation of the outstees from the area submerged under Pong Dam

***4646 Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the names of the villages in district Kangra, which are likely to be submerged under the Pong Dam together with the area involved, village-wise and the population of each of those villages ;

(b) whether there is any scheme under the consideration of Government to rehabilitate the residents of the villages mentioned in part (a) ; if so, the details thereof ;

(c) the time by which the rehabilitation of the oustees is likely to be started ?

Chaudhri Ranbir Singh :

(a) Village-wise areas that would submerge in Kangra District and the population that would be affected due to this submergence are not known as yet. This will be known after detailed contour areas marking at the site upto RL. 1430 which is proposed to be acquired. This work of marking the contour is in hand. However, as worked out from the Plans, an area of 65105 acres would submerge on completion of Beas Dam and about 56000 people would be affected, and the expected village-wise details are mentioned in Appendix 'A'.

(b) The land owners will be resettled in Rajasthan in the areas to be commanded by the Rajasthan Canal. The shopkeepers will be formed into co-operative societies and will be allotted shops.

(c) The rehabilitation of the oustees is expected to start next year.

[Minister for Irrigation and Power]

APPENDIX 'A'

Serial No.	Name of the village	Name of Tikka	H. B. No.	Area in acres	Population
1	2	3	4	5	6
1	Bandhol	Bandhol	5	333	89
2	Bari	Bari	6	798	347
3	Bari	Ban Rajeli	6/2	262	Un-habitated
4	Badhal	Badhal	7	1094	187
5	Barnali	Barnali	8	586	161
6	Ghamrur	Ghamrur	9	2484	539
7	Bohala	Bohala	10	374	82
8	Khanpur	Khanpur	11	701	190
9	Ghei	Ghei	12	1584	244
10	Rail	Rail	13	962	114
11	Banuri	Banuri	14	913	56
12	Gatehr	Gatehr	15	236	6
13	Dadhoa	Dadhoa	16	372	92
14	Ditto	Sandah	16/2	602	192
15	Ditto	Ban Dadhoa	16/3	1159	Un-habitated
16	Baslehr	Baslehr	22	269	54
17	Kasba	Kasba	23	524	212
18	Ditto	Duhki	28/2	522	290
19	Ditto	Bhatehr	23/3	544	115
20	Ghandhwal	Ghandhwal	24	280	87
21	Ditto	Kothi	24/2	644	21
22	Ditto	Salyah	24/3	561	189
23	Ditto	Landhyara	24/4	595	111
24	Chatwal	Chatwal	25	197	363
25	Ditto	Ban Chatwal	25/2	465	Un-habitated
26	Balghar	Balghar	26	388	62
27	Kalehr	Kalehr	27	596	144
28	Batwar	Batwar	28	499	197
29	Dada	Dada	29	221	452
30	Ditto	Ban Dada	29/2	875	Un-habitated
31	Ograhla	Ograhla	30	51	Un-habitated
32	Lag	Lag	31	1180	552

1	2	3	4	5	6
33	Gurnwar	Gurnwar	36	1060	591
34	Nangal	Nangal	37	1136	811
35	Bhalwal	Bhalwal	38	1156	504
36	Namal	Jamal	39	1658	720
37	Basi	Basi	40	614	357
38	Ghiari	Ghiari	41	1232	1020
39	Barwara	Barwara	51	351	470
40	Nangal	Nangal	52	1056	621
41	Baruhun	Baruhun	55	471	562
42	Kohasan	Kohasan	56	270	469
43	Bara	Bara	57	588	708
44	Sanhet	Sanhet	58	1814	1868
45	Bharoli 1st	Raur	62/1	19	Un-habitated
46	Ditto	Kaprehr	62/2	56	12
47	Ditto	Bhagaur	62/3	20	Un-habitated
48	Ditto	Balehr	62/4	47	9
49	Ditto	Sasan	62/5	41	45
50	Ditto	Jhakota	62/6	74	40
51	Ditto	Diggar	62/7	133	96
52	Ditto	Bharijal	62/8	57	16
53	Ditto	Ballh	62/9	879	1
54	Ditto	Angrehr	62/10	28	12
55	Ditto	Gohehr	62/11	66	93
56	Ditto	Tundyala	62/12	41	30
57	Ditto	Buhi Jagir	62/13	65	60
58	Ditto	Buhi Khalsa	62/14	138	42
59	Ditto	Jakrehr	62/15	89	16
60	Ditto	Natehr	62/16	39	29
61	Ditto	Daryarur Khals	62/17	23	18
62	Ditto	Ambi	62/18	20	67
63	Ditto	Bongehr	62/19	106	97
64	Ditto	Bag	62/20	55	85
65	Ditto	Panat	62/21	56	46
66	Ditto	Daryarur Jagir	62/22	49	100
67	Ditto	Barli	62/23	116	123
68	Ditto	Ghorkal	62/24	94	105

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
69	Bharoli 1st	Baghassul	62/25	23	Nil
70	Ditto	Pather	62/26	66	5705
71	Ditto	Halehr	62/27	56	120
72	Ditto	Ambott	62/28	65	135
73	Ditto	Chohar	62/28	30	15
74	Ditto	Chadhyal	62/30	33	64
75	Ditto	Charangi	62/31	92	41
76	Bharoli II	Taru Jagir	62/1	62	7
77	Ditto	Taru Khurd	62/2	82	70
78	Ditto	Lakhwal	62/3	45	45
79	Ditto	Taru Kalan	62/4	96	36
80	Ditto	Kajuee	62/5	43	16
81	Ditto	Ramehr	62/6	24	9
82	Ditto	Phakehr	62/7	21	23
83	Ditto	Loharkar	62/8	25	32
84	Ditto	Purtial	62/9	70	10
85	Ditto	Jajal Jajhran	62/10	65	132
86	Ditto	Jajal Marharuan	62/11	74	49
87	Ditto	Jajal Behryan	62/12	75	55
88	Ditto	Dol	62/13	67	66
89	Ditto	Adh Bani	62/14	120	114
90	Ditto	Bagwal	62/15	84	25
91	Ditto	Jathar	62/16	87	89
92	Ditto	Sher	62/17	50	72
93	Changesu	Pokhrehr	68/1	28	14
94	Ghalor 1st	Ban Dodru	73	146	Nil
95	Ditto	Pukharu	73/2	52	17
96	Ditto	Balla Bhawa	73/3	86	108
97	Ditto	Podehr	73/4	87	36
98	Ditto	Balla	73/5	170	12
99	Ditto	Kakwal Lahr	73/6	161	40
100	Ditto	Kathan	73/7	99	14
101	Ditto	Kalru	73/8	95	6
102	Ditto	Gahlian	73/9	84	88
103	Ditto	Bhagaur	73/10	155	86
104	Ditto	Jatman	73/11	162	116

1	2	3	4	5	6
105	Ghalor Ist	Bangehr	73/12	125	86
106	Ditto	Daryara	73/13	47	118
107	Ditto	Nand	73/14	100	30
108	Ditto	Daroli	73/15	32	54
109	Ditto	Bharoli	73/16	93	95
110	Ditto	Dedhan	73/17	31	61
111	Ditto	Gadral	73/18	12	19
112	Ditto	Muns	73/19	16	22
113	Ditto	Rohara	73/20	105	47
114	Ditto	Rajol Palahi	73/21	226	80
115	Ditto	Kawara	73/22	45	5
116	Ditto	Kumhkar	73/23	163	56
117	Ditto	Charuru	73/24	76	30
118	Ditto	Dhangoh	73/25	69	5
119	Ditto	Palahia	73/26	32	19
120	Ditto	Bahan Khurd	73/27	86	108
121	Ghalor II	Baln Kalan	73	186	78
122	Do	Balian	73/2	58	83
123	Do	Sasn	73/3	158	152
124	Do	Kaseti	73/4	148	90
125	Do	Nahlan	73/5	52	26
126	Do	Chanyara	73/6	96	27
127	Do	Chira	73/7	58	86
128	Do	Dangehr	73/8	36	91
129	Do	Kaleshar	73/9	24	Nil
130	Do	Ghalaur Khas	73/10	49	66
131	Do	Gujrehra	73/11	45	Nil
132	Do	Bharrun	73/12	37	4
133	Do	Panjlehr	73/13	27	69
134	Do	Gorehr	73/14	25	30
135	Do	Salehr	73/15	65	92
136	Do	Kalal Lahar	73/16	27	38
137	Do	Pher	73/17	91	56
138	Do	Pokhar	73/18	40	23

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
139	Gahlor II	Jol	73/19	63	29
140	Do	Ghalora II	73/20	171	50
141	Do	Balararu	73/21	84	51
142	Kathohg	Dol	74	76	40
143	Do	Bhati	74/2	43	46
144	Do	Angreh Uperli	74/3	41	42
145	Do	Angreh Dhikli	74/4	67	Nil
146	Do	Fatohry	74/5	158	40
147	Do	Sakaryalu	74/6	79	124
148	Do	Dhanote	74/7	35	35
149	Do	Khaspar	74/8	40	5
150	Do	Chern	74/9	29	39
151	Do	Alet	74/10	31	4
152	Do	Sauht	74/11	48	72
153	Do	Jarkhan Lahr	74/12	17	1
154	Do	Badoli	74/13	83	75
155	Do	Lag	74/14	10	8
156	Do	Karal Lahr	74/15	38	46
157	Do	Darek Lahr	74/16	38	22
158	Do	Ghar Lahr	74/17	87	93
159	Do	Padehr	74/18	35	100
160	Do	Jain	74/19	121	157
161	Do	Bahni	74/20	255	23
162	Do	Gamoh	74/21	73	Unhabitated
163	Do	Kalru Khurd	74/22	33	57
164	Do	Kalru Kalan	74/23	74	60
165	Sihaurpain	Pandehr	72	118	32
166	Do	Jamlehr	72/2	37	26
167	Do	Chamukha	72/3	65	18
168	Do	Ratial Prohitan	72/4	66	19
169	Do	Raital Dadhwalan	72/5	79	39
170	Do	Ratial Maian	72/6	31	47

1	2	3	4	5	6
171	Sihaurpai	Ratial Gosian	72/7	47	33
172	Do	Ratial Mandwarian	72/8	72	75
173	Do	Chamana Machhyana	72/9	100	51
174	Do	Matial	72/10	88	19
175	Do	Motehr	72/11	81	67
176	Do	Kal Dhaun	72/12	31	16
177	Do	Ban Chelian	72/13	211	18
178	Do	Dohag	72/14	96	63
179	Do	Jagjwar	72/15	171	48
180	Do	Kalru Jattan	72/16	10	17
181	Do	Gilkhari	72/17	65	44
182	Do	Nagrota	72/18	109	186
183	Do	Chmyan	72/19	89	13
184	Do	Parsun Jhikli	72/20	51	15
185	Do	Parsun Uperli	72/21	31	3
186	Do	Barlahr	72/22	119	62
187	Do	Ghamarlahar	72/23	9	7
188	Do	Pantehr	72/24	78	121
189	Gumber	Path	75	56	Un-habitated
190	Do	Thana	72/2	168	130
191	Do	Dohg	73/3	135	423
192	Do	Salehr	75/4	107	83
193	Do	Kut	75/5	70	Un-habitated
194	Do	Band	75/6	66	81
195	Do	Gharun	75/7	111	64
196	Do	Jatlehar	75/8	35	10
197	Do	Tharu	75/9	94	45
198	Do	Katyalu	75/10	111	219
199	Do	Sasan	75/11	64	45
200	Do	Buni Barahmanan	75/12	44	25
201	Do	Bhatlah	75/13	86	49
202	Do	Ambi	75/14	79	178
203	Do	Hatlee	75/15	225	273

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
204	Gumber	Ummer	75/16	257	257
205	Do	Buni Gujran	75/17	92	49
206	Do	Kali Dhar	75/18	1358	19
207	Do	Kariara	75/19	382	233
208	Do	Kayari	75/20	78	25
209	Do	Santla	75/21	150	95
210	Do	Dol	75/22	163	89
211	Do	Rajol	75/23	119	117
212	Do	Samletar	75/24	100	83
213	Tatehan Kalan	Jol	87	55	22
214	Do	Seer Loharan	87/2	46	37
215	Do	Bayolaru	87/3	90	92
216	Do	Bhagun	87/4	35	25
217	Do	Sameli	87/5	97	22
218	Do	Lachhum	87/6	114	39
219	Do	Bhati	87/7	94	11
220	Do	Khelta Khurd	87/8	91	15
221	Do	Khelta Kalan	87/9	89	14
222	Do	Seer Brahmanan	87/10	52	23
223	Do	Bhagrot	87/11	171	43
224	Do	Kallar	87/12	67	77
225	Do	Tilu	87/13	325	21
226	Do	Jam Dhar	87/14	157	34
227	Do	Thakar Doara	87/15	37	19
228	Do	Kut	87/16	19	Nil
229	Do	Simal Lahar	87/17	43	9
230	Do	Gojrera	87/18	71	26
231	Do	Chaunki	87/19	40	33
232	Do	Ptyal Lahar	87/20	71	6
233	Do	Chamar Lahri	87/21	25	48
234	Do	Bantili	87/22	1826	Nil
235	Do	Karoh	87/23	121	19

1	2	3	4	5	6
236	Tatehan Kalan	Dhera	87/24	92	54
237	Do	Bhardun	87/25	52	6
238	Do	Madhini	87/26	108	75
239	Do	Karot	87/27	45	Nil
240	Do	Bhamala	87/28	61	117
241	Do	Garnayaru	87/29	89	30
242	Do	Bihilu	87/30	99	55
243	Do	Garh	87/31	107	55
244	Mohal	Mohal	90/1	948	682
245	Dhawala	Thakar Doara	91	38	202
246	Do	Karyara	91/2	439	273
247	Do	Kundli	91/3	245	154
248	Do	Mandheli Kalan	91/4	263	108
249	Do	Mandli-Khurd	91/5	47	71
250	Do	Narwari	91/6	155	127
251	Do	Dhawala Khas	91/7	1052	563
252	Do	Siota	91/8	89	62
253	Sanot	Sanot-Khas	92	115	143
254	Do	Banali	92/2	128	Un-habitated
255	Do	Rera	92/3	130	38
256	Do	Pukkhar	92/4	142	48
257	Dehra	Dehras Khas	93	811	1853
258	Do	Balla	93/2	722	Un-habitated
259	Do	Jari	93/3	342	6
260	Do	Khrhu	93/4	110	43
261	Do	Rara	93/5	226	Un-habitated
262	Bari	Bari Khas	94	94	71
263	Do	Chatra	94/2	104	18
264	Do	Jakhuni	94/3	42	205
265	Do	Fatohru	94/4	202	60
266	Do	Balla	94/5	221	Un-habitated
267	Do	Lahru	94/6	119	235
268	Bangta	Bantili	95	425	Un-habitated
269	Do	Seerh	95/2	776	83
270	Do	Paur	95/3	105	96

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
271	Bangta	Ghaunki	95/4	174	46
272	Do	Haveli	95/5	78	73
273	Do	Basi	95/6	110	110
274	Do	Maleta	95/7	100	102
275	Do	Balla	95/8	663	Nil
276	Kohli Ba ta	Bajur Balla	96	78	Un-habitated
277	Do	Kohli	96/2	378	110
278	Do	Balta	96/3	261	388
279	Do	Bhagur Balla	96/4	481	Un-habitated
280	Do	Banamloh	96/5	293	Do
281	Mohara	Dobanda	97	306	275
282	Do	Barohla	97/2	81	110
283	Do	Baghballa	97/3	470	3
284	Do	Bangoli	97/4	323	243
285	Do	Raud	97/5	208	96
286	Do	Dibbar	97/6	348	38
287	Do	Kathehr	97/7	661	570
288	Do	Mohara Khas	97/8	672	278
289	Dodru	Dodru	98	186	86
290	Do	Amli	98/2	107	34
291	Halehr Anaur	Halehr-Anaur	99	152	141
292	Anaur	Maujhwan	100	98	192
293	Do	Jakhar	100/2	192	85
294	Do	Kohalaru	100/3	70	130
295	Do	Panjabar	100/4	418	259
296	Do	Balla	100/5	123	86
297	Do	Balli	100/6	155	Un-habitated
298	Do	Kohla	100/7	72	Do
299	Do	Anaur-Khas	100/8	377	124
300	Do	Jkhann	100/9	152	107
301	Kheryan	Bangoli	102	105	64
302	Do	Chhabar	102/2	218	21
303	Do	Pansal	102/3	247	109
304	Do	Dhaulu	102/4	89	10
305	Do	Chorr	102/5	132	25

1	2	3	4	5	6
306	Kheryan	Dol	102/6	146	99
307	Do	Amolh	102/7	204	90
308	Do	Kherian Khas	102/8	332	254
309	Do	Amlehr	102/9	309	90
310	Do	Jhanehr	102/10	532	86
311	Do	Bhantill	102/11	615	Nil
312	Do	Rahan	102/12	122	7
313	Do	Dhanota	102/13	161	93
314	Do	Padka	102/14	165	68
315	Do	Mewa	102/15	216	47
316	Do	Harr	102/16	132	40
317	Do	Kahkar	102/17	143	31
318	Do	Sapru	102/18	658	76
319	Bhatoli Phakorian	Bhatoli Pahakorian Khass	101	573	1396
320	Do	But	101/2	147	Un-habitated
321	Do	Teripal	101/3	291	242
322	Do	Mangroli	101/4	128	263
323	Do	Ranbyal	101/5	122	127
324	Do	Banchhabar	101/6	723	Un-habitated
325	Taripal	Bhati	103	83	57
326	Do	Balsun	103/2	133	58
327	Do	Chelian	103/3	184	49
328	Do	Gareru	103/4	191	117
329	Do	Dalipur	103/5	21	95
330	Do	Akhan Balli	103/6	144	30
331	Do	Mat	103/7	64	8
332	Do	Kachnaur	103/8	38	30
333	Do	Gagura	103/9	22	20
334	Do	Bilpar	103/10	314	74
335	Do	Ramka	103/11	67	6
336	Do	Thatar	103/12	254	197

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
337	Taripal	Dhar Panyal	103/13	1083	5
338	Do	Kothar	103/14	238	295
339	Do	Gagehr	103/15	199	81
340	Do	Tripal Khas	103/16	87	32
341	Haripur	Haripur	106	682	1592
342	Guler	Guler	107	850	849
343	Do	Thalla	107/2	204	219
344	Do	Gathuhr	107/3	409	621
345	Balaspur	Octhara	108	180	145
346	Do	Mehn Dhru	108/2	326	34
347	Do	Kapahri	108/3	156	59
348	Do	Garyar	108/4	136	70
349	Do	Dhar Jini	108/5	929	Nil
350	Do	Bhaklehr	108/6	362	62
351	Do	Doli	108/7	54	Nil
352	Do	Jalkh	108/8	523	126
353	Do	Sakri	108/9	889	366
354	Do	Chatra	108/10	98	39
355	Do	Masrur	108/11	310	264
356	Do	Ponal	108/12	524	128
357	Do	Layyal Pur	108/13	551	101
358	Do	Thamba	108/14	255	106
359	Do	Dargeh	108/15	554	286
360	Do	Dhar Garyar	108/16	191	Nil
361	Do	Balaspur Khas	108/17	400	233
362	Do	Bhetehr	108/18	519	265
363	Nandpur Bhatoli	Nandpur Bhatoli Khas	109	745	944
364	Do	Bajwara	109/2	159	292
365	Do	Mahla	109/3	120	130
366	Do	Banghan	109/4	1373	Nil

1	2	3	4	5	6
367	Nandpur Ban Bhatoli	Ghamherpur	109/5	481	Nil
368	Ranyal	Dogaryata	110	274	187
369	Do	Barry	110/2	146	97
370	Do	Ranyal Khas	110/3	266	307
371	Baial	Bhial Khas	111	411	658
372	Do	Barry	111/2	92	47
373	Siota	Siota Khas	112	493	435
374	Do	Barry	112/2	138	116
375	Ludret	Ludret	113	399	868
376	Nagrota	Nagrota Khas	114	294	644
377	Do	Sangrara	114/2	687	251
378	Do	Rauri	114/3	225	138
379	Do	Lohanth	114/4	172	27
380	Do	Katholi	114/5	461	1068
381	Do	Khabal	114/6	407	312
382	Do	Har	114/7	365	Nil
383	Do	Ghar	114/8	298	698
384	Do	Katora	114/9	812	405
385	Do	Ban Tungli	114/10	314	Nil
386	Do	Basa	114/11	1049	525
387	Do	Ban Dhar	114/12	447	Nil
388	Do	Spail	114/13	846	415
389	Amlela	Amlela Khas	115	513	697
390	Do	Halehr	115/2	161	79
391	Do	Ban Amlela	115/3	254	Un-habitated
392	Jarot	Jarpal	116	403	300
393	Do	Bhajera	116/2	405	209
394	Do	Santrol	116/3	766	447
395	Do	Jarot Kh	116/4	1153	791
396	Do	Ghar	116/5	1153	589
397	Do	Baldoa	116/6	2329	152
398	Gadroli	Gadroli Khas	117	227	208

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
399	Gadroli	Santol	117/2	51	112
400	Poth	Poth	118	1142	1059
401	Amb	Amb Khas	119	240	302
402	Do	Bari	119/2	296	318
403	Do	Wand	119/3	41	20
404	Do	Chayota	119/4	23	22
405	Do	Ghagaryal	119/5	109	97
406	Kandhi	Kandhi Khas	120	673	697
407	Do	Maw	120/2	138	267
408	Do	Nari	120/3	483	246
409	Do	Balla	120/4	375	Un-habitated
410	Dugha	Bihari	120/1	29	12
411	Do	Radhka	121/2	36	76
412	Do	Dahmal Kalyal	121/3	66	176
413	Do	Dugha Khas	121/4	189	246
414	Do	Halehr	121/5	255	568
415	Nangal	Nangal Khas	122	115	283
416	Do	Bhamal	122/2	174	301
417	Do	Khet Karu	122/3	98	119
418	Ludiara	Ludiara Khas	123	609	578
419	Do	Maheshra	123/2	145	149
420	Do	Bara	123/3	26	35
421	Padal	Jhumkar Jhikli	124	40	63
422	Do	Jhumkar Upprli	124/2	43	48
423	Do	Laggrayal	124/3	83	155
424	Do	Padal Khas	124/4	461	182
425	Katnaur	Katnaur Khas	125	535	607
426	Do	Kalehr	125/2	171	220
427	Do	Har	125/3	904	1019
428	Badhopal	Korela	126	17	Un-habitated

1	2	3	4	5	6
429	Badhopal	Bhial Wand	126/2	48	117
430	Do	Jhikli Badhopal	126/3	276	602
431	Do	Uprili Badhopal	126/4	190	526
432	Panjral	Kohla	127	473	104
433	Do	Anahal	127/2	194	509
434	Do	Samralian	127/3	262	1169
435	Do	Darcka	127/4	152	148
436	Do	Majhwan	127/5	364	512
437	Do	Sanyalth	127/6	131	320
438	Do	Panjral Khas	127/7	448	746
439	Do	Ajnota	127/8	99	593
440	Do	Nagoi	127/9	135	84
441	Do	Narla	127/10	99	203
442	Bacholar	Bacholar Khas	128	286	313
443	Do	Barri	128/2	118	204
444	Do	Haler Raja Sahib	128/3	79	Un-habitated
445	Do	Mangwal	128/4	303	603
446	Narhana	Balli	129	304	133
447	Do	Korila	129/2	67	Un-habitated
448	Do	Raingan	129/3	182	39
449	Do	Narhana Khas	129/4	694	354
450	Do	Balota	129/5	563	222
451	Do	Duhk	129/6	92	201
452	Do	Ghota	129/7	100	95
453	Do	Bhaohker	129/8	42	33
454	Do	Bhainthal	129/9	180	Un-habitated
455	Do	Charhyana	129/10	833	674
456	Ghorial	Haler	130	185	297
457	Do	Chokath	130/2	29	52
458	Do	Thathri	130/3	26	57
459	Do	Ghorial Khas	130/4	229	358

[Minister for Irrigation and Power]

1	2	3	4	5	6
460	Sarkapra	Upprla Sarkapra	131	176	460
461	Do	Jhikla Sarkapra	131/2	342	359
462	Duhk	Duhk	132	587	449
463	Sothal	Nangal	133	273	168
464	Do	Pandtial	133/2	38	134
465	Do	Sawhara	133/3	191	434
466	Do	Mann	133/4	344	345
467	Do	Chatrmba	133/5	532	60
468	Do	Bihari	133/6	411	68
469	Do	Hawani	133/7	1071	829
470	Do	Tendoli	133/8	176	608
471	Katrah	Katrah Khas	134	2234	390
472	Do	Kathyar	134/2	1096	765
473	Do	Pong	134/3	672	82
474	Do	Siholi	134/4	114	108
475	Do	Ban Samblian	134/5	1128	Un-habitated
476	Barla	Kothehra	135	434	171
477	Do	Kayahran	135/2	1028	289
478	Do	Seth	135/3	392	87
479	Do	Dayal	135/4	531	80
480	Do	Barla Khas	135/5	620	212
481	Do	Ban Charahti	135/6	261	Un-habitated
482	Do	Chandrehr	135/7	158	65
483	Do	Bharal	135/8	243	38
484	Do	Anoh	135/9	205	78
485	Do	Behghurian	135/10	313	50
486	Bari	Bari Khas	136	554	738
487	Do	Barla Bhatoli	136/2	126	172
488	Do	Ban Garh	136/3	103	Un-habitated
489	Do	Ban Bambota	136/4	162	Do

1	2	3	4	5	6
490	Dhameta	Bhewara	137	165	148
491	Do	Bhateki	137/2	194	104
492	Do	Anoh	137/3	448	145
493	Do	Harwal	137/4	307	317
494	Do	Dhameta Khas	137/5	229	1477
495	Do	Samkar	137/6	456	346
496	Do	Bharyarian	137/7	1127	703
497	Do	Kandhal	137/8	155	16
498	Bathu	Bathu	138	395	224
499	Anur	Anur	139	538	198
500	Thehr	Thapraur	140	264	158
501	Do	Thehr Khas	140/2	800	892
502	Do	Ghoti	140/3	254	101
503	Do	Dainju	140/4	16	44
504	Do	Rajpura	140/5	416	226
505	Do	Chabwan	140/6	816	178
506	Do	Banahra	140/7	177	105
507	Jhonkartial	Jhonkartial	141	472	399

कामरेड राम चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि आउसटीज़ को रीहैबिलिटेट करने की जो स्कीम है, उस के बारे में पंजाब और राजस्थान सरकारें दोनों मुतफिक़ हो गई हैं ? यह अपनी राय बताते हैं और राजस्थान सरकार ने इन्कार कर दिया है । इस के बारे में बताएं कि कौन सी बात ठीक है ।

मन्त्री : यह मसला ब्यास कंट्रोल बोर्ड का है । ब्यास कंट्रोल बोर्ड के अन्दर राजस्थान सरकार के रिप्रिज़ैंटेटिवज़ और पंजाब सरकार के रिप्रिज़ैंटेटिवज़ भी हैं । मैं ने ब्यास कंट्रोल बोर्ड का जो फैसला हुआ है, उस का ज़िक्र किया है ।

Shri Ram Kishan : Will the hon. Minister be pleased to state if under the instructions of the Beas Control Board any Committee for the rehabilitation of displaced persons has been constituted ? If so, what are the details thereof and what is the scheme for the rehabilitation of those displaced persons ?

Minister : The Committee has been constituted. As regards its various details, I would request the hon. Member to give a separate question.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the hon. Minister be pleased to state if the oustees are willing to go to Rajasthan ? If not, what are the alternative schemes to settle them ?

Minister : Mr. Speaker, it is a question of supposition.

Mr. Speaker : Let the hon. Minister perform me my duty.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Speaker, is it for the Minister to decide whether or not the question is proper ?

Minister : Mr. Speaker, I can certainly make a submission or draw your attention and I have only drawn the attention of the Chair.

Mr. Speaker : The hon. Minister may not and need not reply to this question. But he should not say, it is a question of supposition or anything like that.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : I am putting a definite question. The Minister's supposition is almost trying to nullify it, which I think was not his function. He should answer 'yes' or 'no'.

श्री राम किशन : इस स्कीम के अन्दर 56 हज़ार आदमी डिस्पलेसड होने जा रहे हैं । मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इस के बारे में इस वक्त इन्फरमेशन नहीं है, अगर सूचना चाहते हैं तो शार्ट नोटिस क्वैस्चन किया जाए । इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सरकार का इस बारे में कोई फैसला हुआ है कि कितनी पापुलेशन को बसाने के लिए मदद करेंगे और गवर्नमैंट आफ़ इंडिया इस बारे में क्या मदद कर रही है ?

मन्त्री : इस के बारे में फैसला तो हो गया है। दोनों की इख्तिलाफ राय होती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। फैसला तो मिल जुल कर तय हुआ है ।

श्री राम किशन : मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या फैसला हुआ है ?

Minister : Mr. Speaker, Sir, every oustee owning agriculture land will be allotted 31.25 acres of land in Rajasthan minus the land he has left within the reservoir area. Besides, every oustee family will get the following benefits :—

(i) Rehabilitation grant of Rs. 250/-.

(ii) Free use of malba of houses inspite of payment of full compensation of houses by the Government.

(iii) Preference for employment facilities at the Pong Dam and the Beas Sutlej Link.

(iv) Technical training in different trades. During the period of training, every oustee will get a stipend of Rs. 100/- per month.

A Rehabilitation Committee for resettlement of oustees has been constituted and two meetings of the Rehabilitation Committee have been held. It is hoped that the rehabilitation of the oustees would start by next year.

Mr. Speaker : Next question please.

Dedication Ceremony of Bhakra Dam

*4283. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount spent by the Government in connection with the dedication ceremony of the Bhakra Dam, held in 1963?

Chaudhri Ranbir Singh : The total expenditure incurred on the "Dedication Ceremony of Bhakra Dam", was about Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਮਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ?

Mr. Speaker : No. please. These are matters of detail.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, आखिर फंकशनों पर हज़ारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है क्या इस में पुलिस का भी टी० ए० शामिल है अगर नहीं तो इस का खंच 70 हज़ार से ऊपर होगा।

श्री अध्यक्ष : यह खर्च फालतू नहीं है, यह डैडीकेशन आफ भाखड़ा डैम के ऊपर है। (This is not an additional expenditure, it has been incurred on the Dedication of Bhakra Dam.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : हर एक फंक्शन पर दस बीस हज़ार रुपए खर्च हुए हैं। गवर्नमैण्ट का रूपया जाया हो रहा है। वहां पर सिम्पल अरेंजमेण्ट हो जाए।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ. ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

मन्त्री : मेरे पास इसकी इन्फमेंशन नहीं है। सैपरेट नोटिस दें, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इरीगेशन के अधिकारियों को हिदायत जारी हुई है कि इस अवसर पर कोई टी. ए. क्लेम न करे।

श्री अध्यक्ष : क्या यह इंस्ट्रक्शनज चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों और स्पीकर पर भी लागू होती है ? At least I drew my T. A. in this connection. (Do these instructions apply to Chief Minister, Ministers and the Speaker also. At least I drew my T. A. in this connection.)

मन्त्री : मेरा इखतियार आप के ऊपर है नहीं ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि उन्होंने बीस हजार रूपए खर्च बताया है । क्या इसकी डिटेल मिनिस्टर साहिब बता देंगे ?

Mr. Speaker : The hon. Minister cannot give all these details off hand.

Minister . Yes, Mr. Speaker, I cannot give every detail off hand. But I can tell the hon. Member that 550 persons were given austerity State lunch. This is the only detail that I have got with me here.

Mr. Speaker : Next question please.

Foundation laying/inauguration ceremonies of Dams and Canals constructed under the Bhakra Nangal Project

***4273. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of functions so far held in connection with the foundation laying/inauguration ceremonies in respect of Dams and Canals constructed under the Bhakra Nangal Project together with the names and designation of the persons who performed these ceremonies and the total expenditure incurred by Government on each such function ?

Chaudhri Ranbir Singh : The details of the functions held in connection with the foundation laying/inauguration ceremonies in respect of Bhakra Dam/Nangal Dam are given below :—

Serial No.	Name of ceremony	By whom performed	Total expenditure
			Rs
1.	Commemorative stone laying ceremony of Bhakra Dam on 29th April 1951 (start of Gobindsagar)	Dr. Gopi Chand Bhargava, former Chief Minister, Punjab	17,341.00
2.	Opening ceremoney of Road Bridge of Nangal Dam during 9/51.	Shri C. M. Trivedi, former Governor of Punjab	9,381.00
3.	Opening ceremony of Nangal Hydel Channel on 8th July, 1954	Shri Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India	40,096.00

Serial No.	Name of ceremony	By whom performed	Total expenditures
4.	Opening ceremony of Coffer Dam on 10th July, 1955.	Shri Bhim Sain Sachar, former C. M. Punjab	2,000.00
5.	Concrete placing ceremony of Bhakra Dam on 17th November, 1955.	Shri Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India	96,721.95
6.	Dedication ceremony of Bhakra Dam on 22nd October, 1963.	Ditto	30,000.00

2. The information in respect of Canals constructed under the Bhakra Nangal Project is being collected and will be supplied later on.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि उदघाटनों के फंक्शन पर जो रुपया खर्च हुआ है, उसकी क्या डिटेलज़ हैं ?

Mr. Speaker : The hon. Minister cannot give details off hand.

श्री बलरामजी दास टण्डन : जब हमारे प्रधान मन्त्री ने भाखड़ा डैम की कंक्रीट प्लेसिंग सैरेमनी परफार्म की तो उस के ऊपर हजार रुपए 96 खर्च किए हैं। What is tnis nonsense ?

Minister : Awards worth Rs. 25,750/- were awarded and other arrangements including the distribution of sweets and lunch cost Rs. 70,972/-.

Mr. Speaker : Question hour is over now. Supplementaries will be allowed temorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Directorate of Public Relations and Tourism Punjab.

1405. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Directorate of Public Relations and Tourism, Punjab together with their Percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : The requisite information is as follows.

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS AND TOURISM, PUNJAB

ANNEXURE

Class of Post	Total strength	Details of officials belonging to Scheduled Castes			Percentage	Details of officials belonging to Backward Classes			Percentage
		No.	Names	Date of Appointment		No.	Names	Date of Appointment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	1	—	—	—	—	—	—	—	—
II	47	1	As per annexure II		2%	1	As per annexure II		2%
III	663	44		Ditto	7%	55		Ditto	8%
IV	176	32		Ditto	18%	27		Ditto	15%

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS AND TOURISM PUNJAB

ANNEXURE II

List of officials belonging to Scheduled Castes/Backward Classes with their dates of appointment

Belonging to Scheduled Cestes			Belonging to Backward Classes		
Serial No.	Names	Date of appointment	Serial No.	Names	Date of appointment
1	2	3	4	5	6
		Class I			
		Class II			
1	Shri Lakshman Dass	18-10-1960	1	Shri Devi Shankar	15-7-1959
		Class III			
1	Shri Jagjit Ram Pawar	12-2-57	1	Shri Jaswant Singh	19-10-47
2	Shri Shiv Ram Mann	20-3-56	2	Shri Surjit Singh	24-4-61
3	Shri Sukhdev Singh	23-5-56	3	Shri Jaswant Singh Bhatt	16-12-55
4	Shri Jagat Ram	11-2-59	4	Shri Karam Singh	4-10-59
5	Shri Hardeep Singh	3-2-60	5	Shri Sohan Singh	19-8-49
6	Shri Mina Ram	1-3-60	6	Shri Ram Parkash	26-4-61
7	Shri Roshan Lal Arvind	28-12-56	7	Shri Madan Lal Condal	20-4-61
8	Shri Harparkash Singh	22-6-63	8	Shri Chattar Singh	2-1-57
9	Shri Dharam Chand	25-6-63	9	Shri Brij Mohan	4-9-63
10	Shri Kishan Singh	19-4-61	10	Shri Ramesh Chand	7-11-63

1	2	3	4	5	6
11	Shri Kuldip Rai	9-4-62	11	Shri Gopal Singh	24-4-48
12	Shri Gurmukh Singh	2-2-53	12	Shri Ravinder Nath	14-8-61
13	Shri Chuni Lal	14-8-51	13	Shri J. L. Dhami	22-6-48
14	Shri Gurdev Singh Mastana	4-9-58	14	Shri Babu Ram	26-4-55
15	Shrimati Shakuntala Kaler	25-3-63	15	Shri Pat Ram Verma	11-12-56
16	Shri Hari Singh	6-1-64	16	Miss Abnash Kaur	14-12-61
17	Shri Babu Singh	8-1-62	17	Shri Charan Singh	1-8-60
18	Shri Tulsi Ram	19-7-63	18	Shri Manphul Singh	4-7-59
19	Shri Nachhatar Singh	21-5-59	19	Shri Sawaran Dass	3-2 64
20	Shri Mahabir Parshad	1-2-63	20	Shri Kewal Raj	2-2-63
21	Shri Darshan Singh	22-12-61	21	Shri Tersam Lal	26-7-60
22	Shri Munshi Ram	22-9-60	22	Shri Ram Ditta Mal	14-11-61
23	Shri Bhagat Ram	4-7-61	23	Shri Parkash Chand	5-12-63
24	Shri Baru Ram	26-11-63	24	Shri Gurbachan Singh	2-12-63
25	Shri Jagdish Chand	5-4-61	25	Shri Niku Ram	4-6-62
26	Shri Ram Lal	26-7-60	26	Shri Gurdev Singh	15-2-62
27	Shri Baldev Singh	6-7-61	27	Shri Khushi Ram	7-7-61
28	Shri Ram Lal	7-11-62	28	Shri Faqir Chand	23-1-64
29	Shri Umdha Ram	2-7-62	29	Shri Vir Singh	3-7-62
30	Shri Gurcharan Singh	10-4-61	30	Shri Sher Singh	3-11-61
31	Shri Sant Ram	26-7-61	31	Shri Abhey Ram	1-7-62

32	Shri Lachhman Dass	25-2-64
33	Shri Joginder Singh	25-2-64
34	Shri Sat Paul	5-4-62
35	Shri Tirath Ram	3-7-61
36	Shri Parkash Chand	21-6-62
37	Shri Ramesh Lal	1-8-63
38	Shri Aishi Ram	15-6-62
39	Shri Laxmi Chand	15-6-60
40	Shri Surjan Singh	9-10-61
41	Shri Piara Lal	28-2-56
42	Shri Sohan Lal	9-6-51
43	Shri Ujjagar Singh	2-7-63
44	Shri Boota Singh	1-9-53

32	Shri Sadhu Ram	8-7-61
33	Shri Harbhajan Lal	28-7-61
34	Shri Amar Chand	2-10-63
35	Shri Mohinder Singh	25-7-60
36	Shri Diwan Chand	13-11-57
37	Shri Chaman Lal	25-7-60
38	Shri Surinder Kumar	4-7-61
39	Shri Vir Chand	24-4-61
40	Shri Ranjit Singh	27-12-63
41	Shri Sardari Lal	3-7-61
42	Shri Som Dev	21-12-63
43	Shri Sunder Paul	1-7-61
44	Shri Hans Raj	13-8-55
45	Shri Mohd. Afzull	11-6-63
46	Shri Santu Ram	3-4-61
47	Shri Panna Lal	3-4-61
48	Shri Darshan Lal	3-4-61
49	Shri Gurbachan Singh	16-11-62
50	Shri Lajpat Rai	5-2-64
51	Shri Hira Singh	14-7-56
52	Shri Hari Ram	29-8-57
53	Shri Kumar Chand	25-3-56
54	Shri Partap Singh	10-2-40
55	Shri Partap Singh	1-9-47

1	2	3	4	5	6
		Class IV			
1	Shri Lauka Ram	24-7-48	1	Shri Kudan Lal	18-9-61
2	Shri Sardar Singh	19-11-63	2	Shri Thakur Dass	23-7-63
3	Shri Nanak Chand	5-6-54	3	Shri Sadhi Ram	22-5-62
4	Shri Mast Ram	27-7-51	4	Shri Bachan Singh	4-10-61
5	Shri Rattan Singh	1-1-51	5	Shri Santokh Singh	12-2-62
6	Shri Bhulan	4-2-49	6	Shri Ghisa Ram	21-2-52
7	Shri Som Nath	24-5-62	7	Shri Chand Parkash	6-2-62
8	Shri Jit Ram	2-2-54	8	Shri Man Singh	14-9-62
9	Shri Japu Ram	1-11-53	9	Shri Lal Chand	10-8-54
10	Shri Piara Singh	1-5-63	10	Shri Niranjan Singh	13-2-62
11	Shri Milkhi Ram	1-4-53	11	Shri Joginder Singh	29-10-56
12	Shri Partap Singh	6-2-64	12	Shri Rattan Chand	6-3-62
13	Shri Mawasi Ram	12-10-51	13	Shri Ram Parkash	26-9-62
14	Shri Puran Chand	11-8-54	14	Shri Puran Singh	2-6-48
15	Shri Rasila Ram	18-4-62	15	Shri Bhagwan Singh	1-12-56
16	Shri Piara Singh	13-12-61	16	Shri Charan Singh	29-11-56
17	Shri Ram Sarup	22-10-62	17	Shri Hari Singh	16-12-61
18	Shri Laja Ram	7-5-62	18	Shri Jagat Ram	7-1-44
19	Shri Attarsu Ram	25-7-51	19	Shri Lachhman Dass	30-1-54

20	Shri Alam Chand	27-11-51
21	Shri Mehnga Ram	1-7-63
22	Shri Amar Singh	4-8-46
23	Shri Dara Singh	13-8-60
24	Shri Sant Ram	20-1-52
25	Shri Piara Lal	14-3-52
26	Shri Parkash Chand	15-12-62
27	Shri Hazari Lal	19-7-62
28	Shri Om Parkash	22-3-52
29	Shri Nasib Singh	11-12-62
30	Shri Hari Singh	28-4-61
31	Shri Sankar Singh	1-8-53
32	Shrimati Phulan Devi	1-4-61

20	Shri Bishamber Dass	9-8-51
21	Shri Durga Parshad	9-9-47
22	Shri Santokhi Ram	1-4-63
23	Shri Chandu Lal	16-4-53
24	Shri Chander Kant	25-2-64
25	Shri Puran Singh	23-6-51
26	Shri Katha Singh	27-12-62
27	Shri Nathu Ram	4-7-51

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Office of the Chief Electoral Officer, Punjab

1406. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Home Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Classes I, II, III and IV posts, separately, in the office of the Chief Electoral Officer, Punjab, together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Shri Mohan Lal : A statement containing the required information given in the followings annexure :—

Annexure

Name of the official	Date of appointment
Class III	
1. Shri Amar Nath, Clerk	11-4-53
2. Shri Bhagat Ram, Clerk	6-4-53
3. Shri Kartar Chand, Clerk	10-10-51
4. Shri Brij Lal, Officiating Assistant	20-7-56
5. Shri Krishan Lal, Clerk	7-1-60
6. Shri Harbans Lal, Clerk	4-8-60
7. Shri Gurmit Ram, Clerk	3-4-61
8. Shri Bhagwant Singh, Clerk	3-4-61
9. Shri Balbir Singh I, Clerk	3-4-61
10. Shri Hari Singh, Clerk	3-4-61
11. Shri Swarn Singh, Clerk	3-4-61
12. Shri Manjit Singh, Clerk	3-4-61
13. Shri Bakhshish Singh, Clerk	3-4-61
14. Shri Dalip Singh, Clerk	4-4-61
15. Shri Balbir Singh II, Clerk	1-10-63
16. Shri Sat Paul, Clerk	1 8-1163
17. Shri Deep Chand, Clerk	18-11-63
18. Shri Som Nath, Clerk	18 11-63
19. Shri Bhagat Ram, Clerk	1-10-63
20. Shri Kulwant Singh, Clerk	4-1-64
21. Shri Gian Singh, Clerk	18-2-64
22. Shri Raj Nath, Clerk	18-2-64
23. Shri Lal Chand, Moharrir	1-8-52
Class IV	
1. Shri Hira Lal, Daftri	22-1-51
2. Shri Jagat Ram I, Peon	24-1-55
3. Shri Joginder Singh, Peon	14-12-54
4. Shri Hardial Singh, Peon	11-6-59
5. Shri Makhauli Ram, Peon	23-1-56
6. Shri Rattan Chand, Chaukidar	

Teachers

1494. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of teachers/teachresses appointed in the State Cadre district-wise and year-wise since 1st October, 1957 ;

(b) the number of new J. B. T. and S. V. posts sanctioned district-wise and year-wise since 1st October, 1957 ;

(c) the total number of permanent S. V. and J. V/J. B. T. posts as on 31st December, 1963, district-wise on the State Cadre ;

(d) the total number of permanent incumbents of the posts mentioned in part (c) above, district-wise ;

(e) the total number of unconfirmed teachers working against permanent and temporary posts under plan or other schemes together with the reasons for not confirming persons working against permanent posts and the steps, if any, proposed to be taken to confirm them ;

(f) the time by which all the teachers appointed by Government upto 31st December, 1962, against permanent posts are likely to be confirmed.

Shri Mohan Lal : (a), (b), (c), (d) and first part of (e)—
The time and labour involved in collecting this information will not be commensurate with the benefits desired to be achieved.

(e) Reasons for not confirming teachers:—

The work relating to the confirmation of Teachers/ Masters could not be taken up earlier on account of Writ petitions filed by the teachers etc. of Provincialized Schools in the High Court against the creation of two separate Cadres by the Government. The matter was eventually decided by the Supreme Court on 16th November, 1962. This delayed the finalization of the relevant Seniority lists. Besides, some essential data in respect of certain personnel was not available.

The following steps have been taken in the matter of their confirmation:—

(i) Service books, personal files and character rolls are being completed.

(ii) Antecedents of the teachers are being verified and medical fitness certificates are being obtained, but in the case of teachers of provincialised schools both these formalities have been relaxed.

[Home Minister]

(iii) Special parties have been organised to visit the field for collecting the essential data and completing the requisite record for finalizing the confirmation cases.

(f) It is hoped that eligible teachers will be confirmed against available permanent posts by the end of March, 1964.

Officers appointed/Promoted to P.E.S. Class (I) and (II) Cadres.

1495. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state :

(a) the number of officers appointed or promoted to P. E. S. Class I and Class II, separately during the period from 1st January, 1958 to 31st December, 1962 ;

(b) the number of officers referred to in part (a) above confirmed cadre-wise and the reasons for not confirming the others together with the time by which the confirmation of those due which are due will be made ;

(c) a copy each of the present seniority lists of P. E. S. Class I and Class II in the State be laid on the Table of the House ?

Shri Mohan Lal : The information is given below :—

(a) (i) P.E.S. I .. 44

(ii) P.E.S. II .. 150

(b) (i) P.E.S. I .. 159

(ii) P.E.S. II .. 17

The reasons for not confirming these officers are the delay in the decision of the Government of India on the seniority appeals of the erstwhile States of Punjab and Pepsu employees and non-availability of permanent posts.

It is not possible to specify any time limit in which confirmation cases will be finalized.

(c) A copy each of the tentative seniority lists of P. E. S. Class I and Class II as on 1st April, 1963 in the State is enclosed.

Seniority List of PES-I, Officers (Men's Branch) as on 1st April, 1963

S. No.	Name and designation
1	Shri Balwant Singh, Deputy Director (Schools)
2	Dr. Jaswant Singh, Deputy Director (Colleges)
3	Shri K. N. Dutt, Principal, Government College, Ludhiana
4	Sh. Dev Inder Lal, Deputy Director, Primary. (Education)
5	Shri Sita Ram Mahindaroo, Principal, Government College of Physical Education, Patiala
6	Shri M. L. Khosla, Principal, Mahendra College, Patiala
7	Dr. Goverdhan Lal, Deputy Director, Planning
8	Sh. Nand Kishore, Aggarwal, Principal, Government College, Sangrur
9	Sh. Krishan Singh Thapar, principal Government College, Chandigarh
10	Sh. V. S. Mathur, Principal, Government Post-Graduate Basic Training College, Chandigarh
11	Sh. Arjan Singh Shante, Principal, Brijindra College, Faridkot
12	Sh. Sarv Parkash Shiv Nath, Chawla, Professor of English, Government College, Hoshiarpur
13	Sh. D. P. Gupta Principal, Government College, Rohtak
14	Sh. Kewal Ram, Chowdhry, Professor of Mathematics, Government College, Ludhiana
15	Dr. Om Parkash Bhardwaj, Professor of Geography, Government College, Ludhiana
16	Sh. Uday Shankar, Principal, Government Training College, Faridkot
17	Sh. Harbans Singh Uppal, M. A., Principal, Government College, Muktsar
18	Harkishan Singh, Professor of Physics, Government College, Hoshiarpur
19	Sh. Inder Singh, Principal, Government College, Hoshiarpur
20	Sh. R. S. Chaudhry, Assistant Director (under suspension)
21	Dr. Kesar Singh, Principal, Government College, Malerkotla
22	Sh. Jagdish Raj Ichhoponiani, Deputy Director (Primary Education)
23	Dr. Tara Singh, Principal, Government College, Bhatinda
24	Dr. P. C. Joshi, Principal, Government College, Rupar
25	Dr. S. S. Gupta, Principal, Government College, Hissar
26	Sh. Mohan Singh, Principal, Ripudaman College, Nabha
27	Sh. V. R. Taneja, Principal, Govrenment Training College, Jullundur
28	Dr. J. D. Verma, Principal, Ranbir College, for Boys, Sangrur
29	Sh. H. V. Barpute, Principal, Government College, Muktsar
30	Sh. B. L. Sharma, Principal, Government College, Narnaul
31	Sh. H. K. Nijhawan, Assistant Director (Examinations)
32	Dr. N. L. Dosajh, Principal, Government Basic Training College, Dharamsala
33	Sh. Apparapar Singh, Inspector of Schools, Patiala Division
34	Dr. V. B. Tareja, Principal, College of Education, Kurukshetra
35	Sh. B. S. Verma, Inspector of Schools, Ambala Division
36	Sh. S. Padamnabhan, Principal, Government College, Gurdaspur
37	Dr. A. C. Kapur, Principal, Randhir College, Kapurthala

S. No.	Name and designation	S. No.	Name and designation
38	Sh. Jagdish Ram, Assistant Director Schools Admn. I.	44	Sh. D. D. Loomba, Inspector of Schools, Jullundur
39	Sh. R. G. Bajpai, Principal, Government College, Tanda Urmar	45	Assistant Director (Teachers Training)
40	Sh. L. D. Gupta, Assistant Director Primary Education	46	Assistant Director (Books)
41	Sh. R. N. Safaya, Professor of Education Government Training College, Jullundur	47	Professor
		48	Professor
		49	Professor
42	Dr. S. N. Rao, Principal, Government College, Jind	50	Professor
		51	Professor
43	Sh. Rulia Ram Sharma, State College of Education, Patiala	52	Professor, P. Education, State College of Education, Patiala

Seniority List of P.E.S. I Officers (Women Branch)

S. No.	Name and Designation	S. No.	Name and designation
1	Mrs. C. Parampal Singh, Deputy Director, Secondary Education	6	Miss A. Nathan Principal, Government College for Women, Amritsar
2	Mrs. E. N. Shahni, Principal, Government College, for Women Ludhiana	7	Miss B. K. Dhillon, Principal, Government College for Women, Chandigarh
3	Mrs. H. M. Dhillon, Circle Education Officer, Ambala	8	Miss S. Seoni, Distt. Education Officer, Bhatinda, Division
		9	Miss V. Bhandari, Distt, Education Officer, Simla
4	Miss K. Pasricha, Principal, Government Training College for Women, Gurgaon, Simla	10	Mrs. S. Anand, Principal, Government College for Women, Patiala
		11	Miss S. Malhotra, Principal, Government College, (W), Sangrur
5	Miss A. Dass, Gupta, Principal, Government College for Women, Rohtak	12	Miss Sherie Doongaji, Principal, Home Science College, Chandigarh
		13	Miss Jaswant Kaur

Senority List of Senior Lecturers P.U.E.S.I. (Women Branch) College Cadre Grade Rs. 300/800.

S. No.	Name	S. No.	Name
1	Miss B. Kaku Singh, M.A., B.T.	4	G. K. Grewal, M. A. (Eco.) LL.B.
2	Mrs. G. Lal Singh, M.A., B.T.	5	Mrs. K Atma Ram, M.A.
3	Mrs. P. Dutt, M.E. Med. (Diploma in English London)	6	Mrs. I. K. Sandhu, M.A.,B.T.

Gradation List of Senior Lecturers P.E.S. II (Women Branch) College Cadre, Grade Rs. 350/800

S. No.	Name	S. No.	Name
1	Miss S. Ichhopaniani, M.A., B.T. (Social Studies)	10	Mrs. Shyama Sharma, M.A. (Sanskrit), B.T.
2	Mrs. M. Satinder Singh (Miss Alfred) M.A., B.T.	11	Mrs. Lalita Tandon, M.A., Mathematics
3	Miss Shante Malhotra, M A.,B.T.	12	Mrs. Balwant Daljit Bhatia, M.A. (History), B.T.
4	Mrs. G. K. Banawar, M.A.,B.T. (Punjabi)	13	Miss Jaswant Kaur, M.A. (History), B.T.
5	Miss Sheela Rai, M.Sc. (Botany)	14	Mrs. Champa Mangat Raj, M.A. (English), B.T.
6	Mrs. Brij Mohan Rai, M.A. (Sanskrit)	15	Mrs. D. Amarjit Singh, M.A. (Psy)
7	Miss Swaran Atish, M.A. (English)	16	Mrs. G. Inder Singh,
8	Mrs. Sanyogta Chadha, M.A. Sanskrit	17	Mrs. Raj Kumari Nahan, M.A. (Chemistry)
9	Mrs. Vimla Kichlu	18	Miss Bimla Budhiraja, M.A.
		19	Miss K. K. Malhotra, M.A. (Physics)
		20	Mrs. Gurpdesh Singh, M.A. (Phy.)

Tentative Seniority List of P.E.S. II (Men's Branch) School and Inspection Cadre, as on 1-4-1963

Sr. No.	Name and designation	Sr. No.	Name and Designation
1	Sh. B. S. Verma, Inspector of Schools, Ambala Division	12	Sh. D. R. Rathaur, Headmaster, Government Higher Secondary School, Ferozepore
2	Sh. R. S. Chaudhry, Assistant Director (under suspension)	13	Sh. Uttam Singh, Assistant Director (Books)
3	Sh. Jagdish Raj, Deputy Director (Primary Education)	14	Sh. Bhola Singh, Assistant Director (Scholarships)
4	Sh. V. R. Taneja, Principal, Government Post-Graduate Basic Training College, Jullundur	15	Sh. Iqbal Chand, Assistant Director (School Admn. II)
5	Sh. H. K. Nijhawan, Assistant Director (Examinations)	16	Sh. Prem Sagar Khera, Deputy Inspector of Schools, Patiala, Division
6	Sh. Apparpar Singh, Inspector of Schools, Patiala Division	17	Sh. H. L. Dhingra, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division
7	Sh. Jagdish Ram, Assistant Director (School Administration)	18	Sh. Bipen Bihari Lal, Deputy Inspector of Schools, Patiala Division
8	Sh. L. D. Gupta, Assistant Director (Primary Education)	19	Sh. Inder Singh, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division
9	Sh. D. D. Loomba, Inspector of Schools, Jullundur Division	20	Sh. Gurpal Singh, Assistant Director (Secondary Education)
10	Sh. R. S. Palta, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division	21	Sh. Hari Singh, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division
11	Sh. Mohan Lal, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division		

[Home Minister]

S. No.	Name and designation
22	Sh. Kapur Singh, Deputy Inspector of Schools, Ambala Division
23	Shri Dhyan Singh, Deputy Inspector of Schools, Ambala Division.
24	Shri Gurbachan Singh, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division.
25	Shri Baldev Singh, District Inspector of Schools, Mohindergarh.
26	Shri K.R. Kaushal, Deputy Inspector of Schools, Ambala Division.
27	Shri Sukhminder Singh, District Inspector of Schools, Karnal.
28	Shri Harnam Singh Brar, District Inspector of Schools, Hissar.
29	Shri Dara Singh, Headmaster Government Higher Secondary Schools, Ludhiana.
30	Shri P.N. Paul, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division.
31	Shri Sohan Singh, Deputy Inspector of Schools, Ambala Division.
32	Shri Dharam Dev Chaudhary, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division
33	Shri D.R.Sharma, Headmaster, Government Higher Secondary School, Patiala.
34	Shri Prem Parkash, District Inspector of Schools, Ludhiana.
35	Shri Mohinder Singh, Headmaster, Government Basic Training School, Sarhali.
36	Shri Ujjal Dedar Singh, District Inspector of Schools, Gurdaspur.
37	Shri K. L. Zakir, Circle Education (Social) Officer, Rohtak
38	Shri Peary Lal, Circle Social Education Officer, Jullundur
39	Shri Teja Singh Baweja, Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division
40	F. J. Hamid, District Inspector of Schools, Hoshiarpur (on leave).
41	Shri Ghulam Janbaz Gill, Headmaster (Under Suspension)
42	Sh. Gurmukh Singh, Headmaster Government Higher Secondary School, Tanda Urmur.
43	Shri Kulwant Singh Gill, Headmaster, Government Basic Training School, Chandigarh.
44.	Shri J. M. Dhand, Headmaster, Normal School, Karnal.
45	Shri P. N. Sahai, Deputy Inspector of Schools for J.B.T. Unit.
46	Shri Raghu Nath Sahai Bansal Deputy Inspector of Schools, Patiala Division.
47	Shri Harnam Singh, Headmaster, Government Higher Secondary School, Bhiwani.
48	Shri K.N. Agnihotri, District Inspector of Schools, Ferozepur.
49.	Shri Rup Dayal, District Inspector of Schools, Rohtak.
50	Shri Bhagwan Sinah.
51	Shri S. S. Kishanpuri, Headmaster, Government Higher Secondary School, Chandigarh.
52	Shri Sunder Lal, District Inspector of Schools, Sangrur.
53	Shri Ram Behari Lal, District Inspector of Schools, Gurgaon.
54	Shri V. R. Jagpal, Headmaster, Government Higher Secondary and Basic Training School, Kulu (Kangra)
55	Shri Karan Singh, District Inspector of Schools, Ambala
56	Shri Manmohan Singh, Deputy Inspecter of Schools for Agriculture, Punjab
57	Shri Tara Singh Hundal, Headmaster, Government Higher Secondary School, Dharamsala.
58	Shri Balbir Singh Assi, Headmaster, Govt. Higher Secondary School, Gurgaon.
59	Shri Durga Dutta, Headmaster, Government Basic Training School, Naraingarh (Ambala)
60	Shri Dewan Singh, Headmaster, Government Basic Training School, Nabha.
61	Shri T. R. Sharma, Superintendent, Senior Model School, Chandigarh.
62	Shri J. P. Sunder Lal, Assistant Director Planning and Works.
63	Shri Manmohan Singh, Headmaster, Govt. Basic Training School, Pabra.
64	Shri Dev Raj, Circle Educaation Officer, Bhathida.

SENIORITY LIST CORRECTED UPTO 1ST APRIL, 1963

Women Branch (School and Inspection Cadre)

Serial No.	Name	Serial No.	Name
1	Miss S. Seoni	21	Mrs. N. Ambera
2	Miss Vidya Bhandari	22	Mrs. A. Dass Gupta
3	Miss S. Samson	23	Miss K. Dutta
4	Mrs. Mohinderwant Kaur	24	Miss S. Singh
5	Smt.C. Ishar Singh	25	Smt. Raj Dulari
6	Mrs. H. B. Singh	26	Miss D. Nathneniel
7	Mrs. Raminder Kaur Grewal	27	Mrs. G. D. Chandra
8	Smt. T. Udhe Singh	28	Miss S. Dutta
9	Smt, Kartar Kaur	29	Mrs. Shakuntla Nayyar
10	Smt. Manjit Kaur	30	Mrs. P. Passy
11	Smt. Shanta Razdon	31	Miss S. Sethi
12	Smt. C. T. Chouhan	32	Mrs. N. Gaind
13	Mrs. S. Nair	33	Mrs. Shanti Mehta
14	Mrs. M. Kapur	34	Miss Prithpaul
15	Smt. K. V. Ghosh	35	Miss Sushila Bhatia
16	Mrs. D. Pikk	36	Mrs. Vidya Khanna
17	Miss V. Prabha Dayal	37	Miss J. Mehtab Singh
18	Mrs. S. Madhok	38	Miss H. K. Monga
19	Mrs. P. J. R. D. Ahuja	39	Miss K. Sehgal
20	Miss Lakhbir Kaur	40	Mrs. N. J. Gyan Singh
		41	Mrs. H. L. Deol

TENTATIVE SENIORITY LIST UPTO 1ST APRIL, 1963 IN RESPECT OF PUES I PROFESSORS/SENIOR LECTURERS

PUES I Professors (Isolated Category Rs. 350—950 Scale)

Serial No.	Name	Serial No.	Name
1.	Shri A. C. Kapur	9	Dr K. C. Sharma.
2	Shri R. G. Rajapai	10	Dr. Parma Nand.
3	Dr. Bhagat Singh	11	Shri Rama Nand.
4	Shri Kartar Singh, Shergill.	12	Shri Kuldip Singh
5	Shri Som Nath	13	Shri O. P. Sharma
6	Shri Raj Narain.	14	Shri Sarwan Singh
7	Shri Gursewak Singh	15	Shri B. K. Kapur
8	Shri Pritam Singh	16	Shri J. R. Puri
		17	Shri S, K. Malhotra

[Home Minister]

Serial No.	Name	Serial No.	Name
18	Shri Padam Swarup	52	Sh. Vidya Sagar Sethi
19	Shri A. P. Sharma	53	Sh. Dipak Nath
20	Shri R. G. Verma	54	Sh. H. D. Bhagat
	Senior Lecturers (Rs. 250—25—550/25—750)	55	Sh. Ved Parkash Bansal
21	Shri Inder Singh	56	Sh. Jewan Rishi
22	Dr. Kessar Singh	57	Sh. Gurbux Singh
23	Dr. Tara Singh	58	Sh. Gurwant Singh
24	Dr. Parkash Chand Joshi	59	Sh. Anand Kumar Malik
25	Dr. Shanti Sarup Gupta	60	Sh. Kunj Lal Gupta
26	Shri Mohan Singh	61	Sh. Prabhu Dutt
27	Shri Jai Dev Verma	62	Sh. K. S. Jolly
28	Shri H. V. Barputa	63	Sh. Mohan Lal Sharma
29	Dr. Nand Lal Dosajh	64	Sh. Satya Prakash
30	Shri S. Padamanabhan	65	Shri Harjint Singh Chowdhury
31	Shri D. C. Sharma	66	Sh. H. S. Man
32	Shri R. D. Sharma	67	Sh. Vidya Bhushan
33	Shri Hans Raj Gupta	68	Sh. D. P. Gupta
34	Dr. Krishan Chander Sachdev	69	Sh. S. D. Khorana
35	Shri Brij Lal Goswami,	70	Sh. Multani Chand
36	Shri Banwari Lal Sharma	71	Sh. S. K. Sharma
37	Shri Gurcharan Singh	72	Sh. B. D. Sharma
38	Shri Munshi Ram Verma	73	Sh. B. K. Dewan
39	Shri Jewan Tiwari	74	Sh. Harbaksh Singh
40	Shri B. J. Hasrat	75	Sh. Hardyal Singh
41	Shri Umrao Singh	76	Sh. Sucha Singh
42	Shri Aridaman Singh	77	Sh. O. P. Pandeve
43	Sh. Bhagat Singh	78	Sh. Surjit Singh
44	Dr. S. N. Rao	79	Sh. Vishwa Nath Aggarwal
45	Sh. K. S. Beri	80	Sh. S.S.†
46	B. N. Bhalla	81	Sh. Bishan Swarup
47	Dr. Surjit Singh	82	Sh. S. S. Bakhshi
48	Dr. J. M. Katyal	83	Sh. R. S. Pathak
49	Sh. R. N. Safaya	84	Sh. R. K. Bahal
50	Sh. Radha Ram Sharma		
51	Sh. Hans Raj Bhatia		

†Printed as in the list supplied by the Govt.

Serial No.	Name	Serial No.	Name
85	Sh. A. S. Puri	115	Dr. Joginder Singh
86	Sh. Sarat Chander	116.	Sh. Rajinder Verma
87	Sh. T. N. Syangal	117	Sh. S. R. Sethi
88	Dr. Y. P. Parti	118	Sh. R. S. Ahluwalia
89	Sh. S. S. Kashyap	119	Sh. M. K. Kaul
90	Sh. B. M. Issar	120	Sh. J. N. Bakhshi
91	Sh. B. S. Syal	121	Sh. Mehta Vashishta
92	Sh. Amir Singh	122	Sh. Rajindra Nath Sarin
93	Sh. Prem Sagar	123	Sh. B. S. Khanna
94	Sh. Thakar Dutt	124	Sh. Nawin Chander Thakar
95	Sh. S. S. Sodhi	125	Sh. Roshan Lal Bhatia
96	Sh. G. S. Ahluwalia	126	Sh. Ajit Singh
97	Sh. R. S. Sud	127	Sh. Kailash Chander Anand
98	Sh. Lal Chand Gupta	128	Sh. Rattan Chand Sharma
99	Sh. B. M. Ragdan	129	Sh. K. S. Bhalla
100	Sh. O. P. S. Singh Kanwar	130	Sh. Amar Singh Bhatia
101	Sh. Sarup Chand	131	Sh. J. D. Minocha
102	Sh. O. P. Garg	132	Sh. Mohinder Singh
103	Sh. Jaswant Singh Jawanda	133	Sh. Viapak Krishan
104	Sh. Brahmjit Singh Gill	134	Sh. K. C. Palta
105	Sh. Kewal Krishan Verma	135	Sh. Dulara Singh
106	Sh. R. N. Sadhni	136	Sh. Harcharan Singh
107	Sh. R. L. Saihgai	137	Sh. Sohan Singh
108	Sh. S. N. Bhardwaj	138	Sh. H. C. Batra
109	Sh. D. R. Ahluwalia	139	Sh. S. N. Batra
110	Sh. N. K. Gupta	140	Sh. S. N. Kesri
111	Sh. Sohan Lal	141	Sh. Sohan Lal
112	Sh. Gurbux Singh Baweja	142	Sh. H. L. Luthra
113	Sh. J. R. Verma	143	Sh. Balraj Sharma
114	Dr. Darshan Singh Maini	144	Dr. D. D. Jyoti

[Home Minister]

Serial No.	Name	Serial No.	Name
145	Sh. C. L. Kapur	176	Sh. Hitwant Singh Sidhu
146	K. L. Soni	177	Sh. Gurmel Singh Kooner
147	Sh. Hukam Chand	178	Sh. J. S. Gandhi
148	Sh. Kartar Singh	179	Sh. Suraj Narain Sachar
149	Sh. Khushi Ram	180	Sh. J. N. Johri
150	Sh. H. R. Bhasin	181	Sh. B. N. Dewan
151	Dr. D. R. Vij	182	Sh. H. C. Mittal
152	Sh. S. S. Bhatia	183	Sh. C. D. Sharma
153	Sh. P. S. Chauhan	184	Sh. N. S. Madan
154	Sh. S. S. Sodhi	185	Sh. C. L. Bhatia
155	Sh. D.R. Sachdev	186	Sh. Inder Mohan Singh
156	Sh. Hukam Singh	187	Sh. J. P. Aggarwal
157	Sh. M. R. Puri	188	Sh. S. M. S. Bedi
158	Sh. Bela Ram	189	Sh. Surinder Kumar
159	Sh. R. S. Bawa	190	Sh. K. C. Jain
160	Sh. Rajinder Singh	191	Sh. I. D. Dharni
161	Dr. Gopal Singh Deol	192	Sh. Inder Jeet Kapur
162	Dr. Gajinder Singh	193	Sh. P. C. Vashista
163	Sh. Jagjit Singh	194	Sh. M. L. Gupta
164	Sh. J. M. Chopra	195	Sh. Bachittar Singh
165	Dr. G. B. S. Salaria	196	Sh. Shanti Nath Gupta
166	Sh. Piara Singh	197	Sh. Onkar Chand Mathur
167	Sh. H. R. Dhir	198	Sh. Vidya Bhushan
168	Sh. P. L. Vohra	199	Sh. Brij Mohan Lal
169	Sh. H. K. L. Gupta	200	Sh. R. P. Katyal
170	Sh. M. S. Grewal	201	Sh. Sarwan Singh
171	Sh. P. P. Mehta	202	Sh. Harbhajan Singh
172	Sh. Kishori Lal	203	Sh. Pritam Singh
173	Sh. D. R. Khanuja	204	Sh. Roshan Singh
174	Sh. S. B. Kakar		
175	Sh. Bhag Singh, Sidhu		

Science Consultant

Sr. No.	Name
1	Sh. Harinder Kumar
	Coaches
1	Sh. Nand Lal Yas
2	Sh. Bhupinder Singh
3	Sh. Manmohan Singh
4	Sh. Nazir Singh
5	Sh. C. R. Maulik
6.	Sh. Ram Kishan

Statement by the Speaker Re. his resignation

Mr. Speaker : Friends, I am happy to inform the House that the period of suspense for every one of us is over now. I have decided to submit my resignation from this exalted office. But before I submit the resignation I would say a few words of thanks to the hon. Members of the House who have shown me indulgence on more than one occasion.

10.00 a. m.

I am happy today because by resigning the office of this House I am helping to establish a tradition, yet more firmly, that the paramount characteristic of the office of the Speaker is impartiality. Not only must he be impartial, his impartiality must be acknowledged beyond doubt. Doubts have been expressed, and I hasten to add unjustly, about my impartiality. Even charges of partiality were made against me in the resolutions which sought my removal. Though they are withdrawn they have left behind them a trail which it is not easy to obliterate. That was an unkind cut because from the very day that I occupied this august Chair, I foreswore all political bias and discharged the most onerous duty of keeping the balance even between the contending political parties and groups. Not only that but I was often complimented by even those who have now chosen to describe me as a partisan Speaker.

I have discharged my duties, unpleasant though at times they seemed, conscientiously. And I am proud to be able to say today that my prolonged trial of two years brought its own rewards, namely, that all sections of this House, including the party that put me in this Chair, regarded me as a successful Speaker. Would it surprise you to know that this House has been regarded as the most orderly in the country. Walk-outs were rare and the naming of members non-existent the dignity of its proceedings and the decorum of its behaviour examplary.

I am, however, unhappy that the opportunity that this House had given to me to further the cause of democracy by presiding over its

[Mr. Speaker]

deliberations, I am from now on denying to myself voluntarily. Remaining as the Speaker now would not be in keeping with my faith in the future of democracy or the dignity of this great office. I feel almost as a religion that this Chair must remain sacred, even though there may be all kinds of turmoils in our political life. It is to keep the sanctity of this Chair that I am stepping down so that the House may have an opportunity of placing someone in it whom it may consider worthier than me.

I have just now said that I am vacating this Chair voluntarily and not because I have been advised to do so though the whispering campaign that is going on would have some believe so.

I am vacating this Chair as part of my own political morality, which is that as soon as a person in an office of trust or responsibility ceases to enjoy the completest possible confidence he must vacate such office.

I hope and pray that democracy in our State and in our country may flourish in spite of us and that this House may bequeath traditions which the future generations may proudly accept as their heritage. (*Cheers*)

Sardar Gurnam Singh : Nobody can be worthier than the Deputy Speaker to occupy that Chair.

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.)

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक स्पीकर साहिब के इस्तीफे का ताल्लुक है इनका यह एक्शन आने वाली जैनरेशन्ज़ के लिए हमेशा के लिए एक यादगार बना रहेगा । जहां तक डैमोक्रेटिक ट्रैडीशन्ज़ का सवाल है स्पीकर साहिब ने इस्तीफा देने में मौरल वैल्यू के लिहाज से ठीक कदम उठाया है । इसको आने वाली जैनरेशन्ज़ हमेशा के लिए याद रखेंगी । (आपोज़ीशन की तरफ से थंपिंग) लेकिन जहां तक उन हालात का ताल्लुक है जिन्होंने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है मैं समझता हूं कि वह न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अंदर अपनी किस्म का मोस्ट हीनस पुलिटीकल मर्डर है जिसने डैमोक्रेसी को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है, और अगर मैं यह कह दूं कि डैमोक्रेसी की आत्मा को स्टैब किया है तो अनुचित नहीं होगा । इसको भी आने वाली जैनरेशन्ज़ याद रखेंगी । (विघ्न) वे याद रखेंगी कि इस स्टेट के अन्दर ऐसे हालात के मातहत स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा था.......

चौधरी रिज़क राम : प्वांयट आफ आर्डर........

डा० बलदेव प्रकाश : मैं एक मिनट में बैठ जाऊंगा ।

Chaudhri Rizaq Ram : On a point of order......

Deputy Speaker : I have not yet permitted the hon. Member. I am consulting the rules.

डा० बलदेव प्रकाश : मैं यही कह रहा था कि जहां तक डैमोक्रेटिक ट्रैडीशन्ज़ का सम्बन्ध है जो हालात इस हाउस के अन्दर बन गए वह ऐसे थे कि स्पीकर साहिब

को इस लिए रिजाइन करना पड़ा क्यों कि यह इम्पार्शल थे, ग्रानेस्ट थे ग्रौर मैन ग्राफ इंटैग्रिटी थे। जो लोग डैमोक्रेसी का दावा करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि डैमोक्रेसी का विकास हो, तरक्की हो, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डैमोक्रेसी की तरक्की ग्रौर रक्षा केवल लफ्ज़ों से ही नहीं होगी, डैमोक्रेटिक स्पिरिट से होगी। यह कोई मामूली बात नहीं है। ग्राज का दिन पंजाब के इतिहास में बड़ा ग्रहम दिन है कि किन हालात के वश में होकर स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा। डैमोक्रेसी को स्टैब किया गया है।

चौधरी रिज़क राम : मेरा प्वाँयट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि......

चौधरी देवी दयाल : प्वायंट ग्राफ स्पीकरशिप कहो....

चौधरी रिज़क राम : जरा शान्ति से सुन लो। थोड़ी सी तमीज़ सीख लो कुछ हर्ज नहीं है......(विघ्न) मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि स्पीकर साहिब ने खुद एक स्टेटमैंट दी है......

श्री बलरामजी दास टण्डन : ग्रान ए प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम। तमीज सीखो, प्रापर वर्ड नहीं है। यह एक्सपंज होना चाहिए। This is unparliamentary.

उपाध्यक्षा : मैं ग्रानरेबल हाउस के मेम्बरों से यह दरखास्त करना चाहती हूं कि वाकई ग्राज का दिन बड़ा सीरियस है। हमें भी सीरियस होना चाहिए। ग्रगर ग्राप ने मुझे हाउस की कार्यवाही सरग्रंजाम देने के लिए भेजा है तो मैं ग्रापका तग्रावुन चाहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इधर उधर से इस मौके पर कुछ कहा जाए। चौधरी रिज़क राम जी से ग्रगर गलती से या तेज़ी में कोई ग्रपशब्द निकल गया हो तो वे वापस ले लें। (I would like to request the Members of this august House that this is really a very serious day and therefore, we should also be serious. Since the hon. Members have chosen me to perform the duties of conducting the business of the House I would seek their cooperation in doing so. I would like the hon. Members not to indulge in side remarks. I would request Chaudhri Rizaq Ram to withdraw any improper word which might have escaped his lips in the heat of the moment.)

चौधरी रिज़क राम : मैंने वह लफ्ज़ जान बूझ कर कहा था गलती से नहीं निकला।

बाबू अजीत कुमार : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके इशारे के बावजूद कि अगर कोई लफज गलती से कहा गया हो तो उसको वापिस ले लिया जाए वह कहते हैं कि मैंने वह लफज जान बूझ कर कहा है गलती से नहीं निकला यह हालत उस आदमी की है जो इस कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा है। He must withdraw that word. (विघ्न)

Deputy Speaker : Sardar Gurnam Singh ji, I seek your help. (Interruption)

डा० बलदेव प्रकाश : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि चौधरी रिज़क राम ने कहा है कि आपको तमीज सीखनी चाहिए। यह अनपार्लियामेंटरी है। उन्होंने जान बूझ कर यह शब्द कहा है गलती से नहीं कहा। जान बूझ कर कहने की बात भी समझ में आ सकती है। क्योंकि आज उनका नाम अखबारों में आया है कि वह बुड बी स्पीकर हैं, स्पीकर बनने वाले हैं और उस जोश के अन्दर उन्होंने एक प्वायंट स्कोर करने के लिए यह बात कही है। (शोर)

उपाध्यक्षा : मैं हाउस से बड़ी संजीदगी के साथ दरखास्त करना चाहती हूं कि आखिर आपके मुल्क में कुछ रवायात हैं। आपने अपने यहां अपनी बहिनों और माताओं की इज़्ज़त करनी भी सीखी हुई है। जैसा कि स्पीकर साहिब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, हाउस के चारों तरफ के मेम्बर साहिबान की यह ड्यूटी होती है कि वह हाउस की डिगनिटी को कायम करने में पूरा सहयोग दें। उन्होंने इस हाउस को मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के साथ उपमा दी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप मुझे पूरा पूरा तआवन नहीं देंगे तो हाउस की डिगनिटी और डैकोरम को कैसे बरक़रार रखा जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। (I would, very earnestly, like to submit to the House that, after all, there are certain traditions of our country. We have learnt to give respect to our mothers and sisters. Just as it has been stated by the Speaker in his statement it is the duty of the hon. Members from all sides of the House to extend their co-operation in maintaining its dignity. He has rightly compared this House with temple, mosque and gurdwara. In view of this all, how can the dignity and decorum of the House be maintained and enhanced if they do not extend me their full co-operation ?)

डा० बलदेव प्रकाश (ट्रैज़री बैंचों की तरफ इशारा करते हुए) : यह तो इस मन्दिर को मकबरा बना रहे हैं। (शोर)

उपाध्यक्षा : चौधरी रिज़क राम जी आप ने जो कुछ कहा है .... (Whatever Chaudhri Rizaq Ram has said......)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। उन के बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : चौधरी देवी लाल जी, आप पहले मुझे चौधरी रिज़क राम जी से बात कर लेने दीजिए । उसके बाद अगर आप उचित समझेंगे तो जो कुछ कहना हो कह लेना । (I may request Chaudhri Devi Lal ji to let me first talk to Chaudhri Rizaq Ram. Thereafter he will be permitted to have his say, if he so desired.)

चौधरी देवी लाल : पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं । (शोर)

उपाध्यक्षा : चौधरी रिजक राम जी, जो शब्द आप ने कहे वह मेहरबानी करके वापिस ले लें । यह अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज का यूज़ मैं नहीं करने दूंगी । (I would request Chaudhri Rizaq Ram to please withdraw his words. I will not permit the use of unparliamentary language.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ......

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, पहले डा० बलदेव प्रकाश वाले प्वायंट आफ आर्डर की बात तो पूरी हो लेने दो । अगर फिर कोई कसर रह गई तो आप बात कर लेना । चौधरी रिजक राम जी, आप अपने अल्फाज़ वापिस लीजिए । (I would request Chaudhri Devi Lal to let the point of order raised by Dr. Baldev Parkash be disposed of first. If he is not satisfied, he may have his say thereafter. Chaudhri Rizaq Ram should withdraw his words).

चौधरी रिजक राम : इस में एतराज वाली बात तो कोई हो नहीं सकती ।

Deputy Speaker : Will the hon. member, Chaudhri Rizaq Ram withdraw these words ?

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपोजीशन के एक मेम्बर की तरफ से कोई बात, जो बिल्कुल नावाजिब थी, कही गई और मैंने कह दिया कि ज़रा तमीज से बात करनी चाहिए । अगर इसमें कोई गुस्ताखी है तो मैं वह लफज वापिस लेता हूं लेकिन वह तमीज़ से बात करें तो अच्छी बात है ।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि इन्होंने फिर उसी बात को दोहराया है कि ज़रा तमीज़ से बात करनी सीखनी चाहिए । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चौधरी रिज़क राम ने सिर्फ अपने राज़िक से रिजक लेने के लिए कोशिश की है और मुझे तमीज सीखने के लिए कहता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह स्पीकरशिप के लिए उम्मीद-वार बेशक हो लेकिन इस हाउस में ऐसा बदतमीज़ स्पीकर कभी भी नहीं होना चाहिए । क्या ऐसा बदतमीज स्पीकरशिप के लिए मौज़ूं हो सकता है, इस के लिए मैं आप की रूलिंग चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : यह तो आप किबल अज वक्त बातें कर रहे हैं । कौन स्पीकर होगा, कौन नहीं होगा यह आप कैसे कह सकते हैं । (The hon. Member is just presuming things. How can he anticipate as to who will be chosen as Speaker ?)

चौधरी देवी लाल : वह अपने राज़िक से रिज़क लेने की कोशिश कर रहा है । हम तो आप को चाहते हैं । (शोर)

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, मैं पांच साल मसलसल रोहतक में रही हूं । मुझे हरियाना की बोली भी कुछ कुछ मालूम है । इधर की और उधर की बोलियों में कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है । जब उन्होंने कहा है कि मैं अपने लफज़ वापिस लेता हूं तो अब मैं आप से तआवन की पूरी आशा करती हूं । (I may inform Chaudhri Sahib that I have remained at Rohtak continuously for five years. I understand, to some extent, the dialect of Hariana. There is some difference between the expressions of this part and the other part of the state. When he (Chaudhri Rizaq Ram) has withdrawn his words, I would expect full co-operation from the hon. Member.)

चौधरी देवी लाल : उन्होंने ये लफज़ फिर दोहराए हैं । यह बदतमीज़ी देहात में तो बरदाश्त की जा सकती है, इसका जवाब वहां पर दूसरी तरह से दिया जा सकता है लेकिन इस हाउस में इसे बरदाश्त नहीं किया जा सकता । यह तो बदतमीज़ी की इन्तहा कर दी है ।

उपाध्यक्षा : जब आप इस तरह से बोल रहे हैं तो आप को भी अपने लफज़ वापिस लेने होंगे । (When the hon. Member is also talking in such a tone, he will also have to withdraw his remarks.)

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो लफज़ उन्होंने वापिस लिए वह तो पहिला जुर्म था । अब उस से भी ज़्यादा जुर्म किया है । अपने लफज़ वापिस लेते हुए उन्होंने कहा है कि "मैं वापिस लेता हूं लेकिन उन को तमीज़ सीखनी चाहिए" । यह उन्हों ने कहा । इसका मतलब यह है कि आज जब कि आप ने भी कहा है कि हाउस के अन्दर बड़ा सीरियस मामला है, हाउस में बड़ा सीरियस माहौल बनाना चाहिए, उन के अन्दर इतनी भी फराखदिली नहीं है कि जब वह स्पीकरशिप के ख्वाब ले रहे हैं तो मुंह से जो गलत बात निकल गई उसको ग्रेसफुली वापिस लें । बल्कि फिर उसे रिपीट कर रहे हैं खास तौर पर उस वक्त जब कि वह इस कुर्सी पर बैठने के ख्वाब ले रहे हैं । (शोर)

उपाध्यक्षा : आप ने कैसे कह दिया कि चौधरी रिज़क राम इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं । (How has the hon. Member anticipated tat Chaudhri Rizaq Ram is going to be the Speaker ?)

चौधरी नेत राम : हम ऐसे आदमी को कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे । (शोर) (प्वायंट आफ आर्डर की आवाजें)

उपाध्यक्षा : मिस्टर रूप लाल मेहता, आप का क्या प्वायंट आफ आर्डर है ? (What is the point of order which Shri Roop Lal Mehta wants to raise ?)

चौधरी नेत राम : प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ।

उपाध्यक्षा : मैं ने मेहता रूप लाल को काल अपौन कर लिया है । उन का प्वायंट आफ आर्डर हो लेने दें । आप अपना प्वायंट आफ आर्डर फिर रेज़ कर लेना । (शोर) जब मैंने एक मैम्बर को अपना प्वायंट आफ आर्डर कहने के लिए काल अपौन कर लिया है तो जब तक उन का प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो जाता, आप को प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने का अधिकार नहीं है । (I have already called upon Shri Rup Lal Mahta. Let him raise his point of order first. The hon. Member can raise his point of order thereafter. (Noise) He has no right to raise another point of order until the hon. Member whom I have already called upon completes his point of order.)

श्री रूप लाल मेहता : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि इस वक्त कोई ऐसा मसला ज़ेरे बहस नहीं । इस लिए आप मेहरबानी करके इस सारी बहस को बन्द कराइए और हाउस की कार्यवाही शुरू करवाइए । (शोर)

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : आन ए प्यायंट आफ आर्डर, मैडम . . . . (शोर)

उपाध्यक्षा : आर्डर, प्लीज़ । यह हिस्टरी में जाने वाली बात है । जो इस वक्त हाउस में हो रहा है उसको बाहिर के लोग अखबारों में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे ? यह बड़ा सीरियस मामला है और इसे सीरियसली लेने की कोशिश करें । हाउस का डैकोरम मेनटेन करने के लिए मैं आप से दरखास्त करती हूं कि इस प्वायंट आफ आर्डर्ज़ के सिलसिले को खत्म करें और हाउस की कार्यवाही को आगे चलने दें । (Order, please. It is a matter of historical importance. What impression will the people outside carry of what is now happening in the House when they read about it in the newspapers ? It is a very serious matter and the hon. Members should also try to view it with equal seriousness. In order to maintain the decorum of the House I would request the hon. Members to please stop this sequence of points of order and let us proceed with the business of the House.) (Noise)

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : हम ऐसे आदमी को स्पीकर नहीं बनने देंगे । (शोर)

श्री बलरामजी दास टंडन : आगे स्पीकर की पोस्ट प्रोमोट होती रही है, डिप्टी स्पीकर से स्पीकर बनते रहे हैं । हम यह नहीं होने देंगे कि इस हाउस के अन्दर कोई दूसरा स्पीकर बन जाए ।

Sardar Gurnam Singh : Madam, before you start the other business, I have to point out one thing. Yesterday certain questions were asked by the hon. Members about Raksha Dal and its commanders and we were informed by the Home Minister.....

Chief Minister : Madam, I would request the hon. Member to raise this point when the Home Minister is here.

Sardar Gurnam Singh : I have no objection. I will raise this point when he is present.

Comrade Ram Chandra : Madam, we desire that we be allowed to make some observations on the historic resignation of our worthy Speaker.

Shri Balramji Dass Tandon : Dignity demands that the Leader of the House should also make some observations.

उपाध्यक्षा : हाउस ने कुछ रूल्ज़ बनाए हुए हैं और चेयर का यह फर्ज़ होता है कि उसके पास जो रूल्ज़ आफ प्रोसीजर की किताब है उस के मुताबिक चलने की कोशिश करे और हाउस की कार्यवाही को चलाए । कोई रूल मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इस मामले पर आप को स्पीचिज करने की इजाजत दूं । इस लिए मैं फिर आप से दरखास्त करूंगी कि आप सब मुझे हाउस की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने में तआवन दीजिए । आज की डिमांड बहुत जरूरी डिमांड है । इस के अलावा कुछ एडजर्नमैंट मोशन्ज़ और काल अटैन्शन मोशन्ज़ भी आई हुई हैं । इस लिए मैं आप से बड़ी संजीदगी के साथ हाउस की कार्यवाही को चलाने की दरखास्त करूंगी ।

(While conducting the business of the House the Chair is guided by the Rules of Procedure which the House has adopted. No rule permits me to allow speeches on this occasion. I would, therefore, once again request all the hon. Members kindly to co-operate with me in conducting the business of the House smoothly. A very important demand has been placed on today's agenda. Besides, there are notices of some adjournment and call attention motions. Therefore, I would very earnestly request the hon. Members to proceed with the business of the House.)

Sardar Gurnam Singh : Do the rules bar reference to the Speaker after his voluntary resignation ? I do not find any such rule. There are certain rules regarding statement by Minister, etc. But I do not know if there is any rule which bars references to the Speaker if he voluntarily retires ?

उपाध्यक्षा : कान्स्टीच्यूशन तो यह इजाजत देती है कि जब स्पीकर रिज़ाईन करे तो वह अपना रैज़िगनेशन डिप्टी स्पीकर को हैंड ओवर करे और अगर डिप्टी स्पीकर रिज़ाईन करे तो वह अपना रैज़िगनेशन स्पीकर को हैंड ओवर करे । रूल्ज़ में न इस मोके पर किसी स्टेटमैंट का जिक्र है और न ही स्पीचिज़ का जिक्र है । (The Constitution provides that when the Speaker resigns he hands over his resignation to the Deputy Speaker and when the Deputy Speaker tenders resignation, he hands it over to the Speaker. Rules are silent about any statement or speeches to be made on such an occasion.)

Sardar Gurnam Singh : Therefore, I submit, Madam, that there is no bar to making references to the Speaker on his voluntary retirement. We feel that he had been discharging his duties fearlessly, impartially and with dignity. We, therefore, want that some references be allowed to be made to him. The rules do not bar us in doing so.

Before I start, with your permission, I would expect the Leader of the House to enjoy the privilege of making observations to the retiring Speaker.

Deputy Speaker : I wou'd like to inform this hon. House that अभी जब स्पीकर साहिब कुर्सी पर बिराजमान थे तो उन्होंने अपने रैज़िगनेशन के मुतअल्लिक अपनी स्टेटमैंट पढ़ी और रैज़िगनेशन के सम्बंध में कहा कि जब वह यहां आ जाएगा तो वह रिटायर हो जाएंगे । (I would like to inform this hon. House that just now when the hon. Speaker was in the Chair he read out his statement and informed the House that as soon as his resignation was delivered, he would retire.)

कामरेड राम चन्द्र : यह तो एनाउन्स कर गए हैं कि उन्हों नें इस्तीफ़ा दे दिया है ।

उपाध्यक्षा : इस वक्त तक मेरे पास उन का इस्तीफा नहीं आया । जब आ जाएगा तब मैं हाउस को इनफार्म कर दूंगी । (Till now I have not received his resignation. As soon as I receive it I shall inform the House about it.)

Sardar Gurnam Singh : Madam, his resignation is irrevocable.

Shri Balramji Dass Tandon : Madam, he has announced in the House and your goodself was also present. It is now a question of formality.

उपाध्यक्षा : कानस्टीच्यूशन में यह दिया हुआ है कि जिस वक्त मेरे पास इस्तीफा, आए उसी वक्त में हाउस को इनफार्म कर दूं । (It has been laid down in the Constitution that the Deputy Speaker should inform the House as soon as the resignation is received from the Speaker.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, I have to make a submission. You have been pleased to inform the House that the resignation of the Speaker has not been received by you so far. May I know if you will permit us to say a few words when his resignation is received by you ?

उपाध्यक्षा : जब मेरे पास आएगा तो उस वक्त मैं इसका जवाब दूंगी बिना उस के आए मैं अभी कैसे जवाब दे सकती हूं। (I will give my ruling after I have received the resignation. How can I say anything at this stage when I have not yet received it ?)

सरदार गुरनाम सिंह : वह तो आ ही जाएगा ।

कामरेड राम चन्द्र : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह न सिर्फ अपना रैजिगनेशन ही अनाउन्स कर गये हैं बल्कि उन्होंने अपना पार्टिंग मैसेज भी एनाउन्स किया है । वह तो अब कुर्सी को खाली करके चले गए हैं और अब इस कुर्सी पर वापस नहीं आ रहे । इसलिए हमारी यह ख्वाहिश है कि हम इस मौके पर अपने जजबात का अजहार करें ।

उपाध्यक्षा : जिस तरह वह पहले एक घंटा यहां बैठकर जाते रहे हैं उसी तरह हसब दसतूर वह आज गए हैं । अभी उन का इस्तीफा मेरे पास नहीं आया, जिस वक्त आएगा मैं उसी वक्त हाउस को इनफार्म करूंगी । (The hon. Speaker has not yet vacated the chair permanently. He has gone out after remaining here for an hour or so as usual. I have not yet received his resignation. I shall inform the House as soon as it is received by me.)

Sardar Gurnam Singh : Madam, he has not gone in an ordinary routine or as हसबे दसतूर. He has declared in the House that he is stepping down from the exalted office.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । आप ने आज कुर्सी पर बैठते ही यह कहा था कि आज का दिन बहुत सीरियस है और मैं भी यह मानता हूं कि आज का दिन बहुत सीरियस है क्योंकि आज डैमोक्रेसी पर लात मारी गई है और डैमोक्रेसी का कत्ल किया गया है । जब हाउस के अन्दर आनरेबल स्पीकर साहिब के बिरुद्ध नो-कानफीडेंस का प्रस्ताव पेश किया गया था तो उस वक्त ....

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाएं मैं खड़ी हूं। इस तरह आप प्वायंट आफ आर्डर पर तकरीर करनी शुरू न करें। (I am on my legs, therefore, the hon. Member should resume his seat. He should not start making a speech while rising on a point of order.)

चौधरी नेत राम : मैं तो सिर्फ यह अर्ज़ कर रहा हूं कि जब स्पीकर साहिब के खिलाफ नो कानफीडेंस का प्रस्ताव लाया गया था और हाउस में उस पर वोट हुए थे तो उस वक्त 85 मेंबर उस के हक में खड़े हुए थे लेकिन लीडर आफ दी हाउस बैठे रहे थे, तो उसका मतलब यह हुआ कि वह उस प्रस्ताव के हक में नहीं थे। इसलिए वह प्रस्ताव जहां स्पीकर साहिब के खिलाफ था उसी तरह से वह चीफ मिनिस्टर के खिलाफ था। आज क्योंकि स्पीकर साहिब ने इस्तीफा दे दिया है इस लिए आज चीफ मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने यह अभी कहा था कि आज का दिन पंजाब में बड़ा अहम है और बहुत सीरियस मैटर है जो हाउस में है और इसको नॉनसीरियसली और लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की हिस्टरी में एक लैण्डमार्क है और यह बहुत ही इम्पार्टेंट दिन है। एक तरफ तो आप ने यह कहा है लेकिन दूसरी तरफ आप यह कह रही हैं कि हाउस के अन्दर इस मामले पर आब्ज़रवेशनज़ नहीं हो सकतीं और इस बारे में हाउस में विचार नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह दोनों कन्टरा-डिक्टरी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर हाउस में विचार किया जाना चाहिए ताकि पंजाब की जनता को पता लग जाए कि पंजाब के अन्दर क्या हो रहा है। (इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिब हाउस से उठकर बाहर चले गए) (कुछ आवाज़ें : चीफ मिनिसटर भागा जा रहा है।)

श्री बलरामजी दास टंडन : बुज़दिल आदमी है, मैदान छोड़ गया है। ही इज़ रनिंग अवे।

(*At this stage there was complete disorder in the House and nothing was audible.*)

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप सरदार जय इन्दर सिंह को कहें कि वह अपनी सीट पर जाए। (बड़ा शोर)

उपाध्यक्षा : हाउस का क्या इरादा है। क्या आगे काम चलेगा ? (Does the house intend to proceed further with the business before it ?)

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त हाउस के सेंटीमेंट्स बड़े भड़के हुए हैं, इस लिए आप को चाहिए कि थोड़ा टाईम दे दें कि तमाम हाउस अपने सेंटीमेंट्स का इज़हार कर लें। जब से सब सदस्य अपने-२ विचार हाउस के

[डा० बलदेव प्रकाश]

सामने रख लेंगे तो शान्ति हो जाएगी । इसलिए यह जरूरी है कि आप इस बारे में हमें कुछ आबज़रवेशन्ज़ करने का मौका दें । अगर चीफ मिनिस्टर साहिब भाग गए हैं तो कोई चिन्ता की बात नहीं, हमें अपने विचार सदन के सामने रखने दें ।

चौधरी नेत राम : चीफ मिनिस्टर जो चला गया है तो यही समझा जाए कि वह भी इस्तीफा दे गया है......। (बड़ा शोर)

उपाध्यक्षा : मैं ने अपने सारे जीवन में इतनी प्रार्थनाएं नहीं की थीं जितनी मुझे आज करनी पड़ रही है । मैं ने जब आपसे कह दिया है कि जब बाकायदा तौर पर उन का इस्तीफा मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसी वक्त आप को बता दूंगी कि क्या करना है । उस को आ जाने दें । (Throughout my life I had never made so many requests as I have been making today. I have already told the hon. Members that when I duly receive his resignation I shall at once inform the House about my ruling. Let me receive it first.)

चौधरी नेत राम : कितनी शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर चोरों की तरह यहां से भाग गया है ।

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Madam, Deputy Speaker, the episode about the resignation of the Speaker is rather very unfortunate. Madam, you have taken the shelter under the plea that he has not actually submitted his resignation and hence there is no occasion for the hon. Members of this House to make observations. I may submit that the Speaker has categorically stated in this House that he has already submitted his resignation and vacated the Chair. I think that the occasion demands that you may permit the hon. Members to ventilate their feelings on this question. I don't think this can be checked on any technical grounds.

Sardar Gurnam Singh : Quite right.

(*Noise and Interruptions*)

Deputy Speaker : There are certain Call Attention Motions and Adjournment Motions. Let me take up these now. I have sent for the resignation.

(Noise and Interruptions.)

I would seek the help of Sardar Gurnam Singh. There should be decorum in the House.

सरदार गुरनाम सिंह : मैं इस में क्या कर सकता हूं ? मैं हैल्पलैस हूं क्योंकि इस वक्त मेम्बर साहिबान बड़े ऐजिटेटिड हैं ।

श्री बलराम जी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम, आप ने यह कहा था कि उन का इस्तीफा आप के पास नहीं आया इसलिए जब आएगा

तब आप इजाज़त दे देंगी । आप ने इस चेयर से एक बार नहीं, कई बार यह रूलिंग दी है कि इस हाउस में जो बात एक मेम्बर कहे वह ठीक समझ लेनी चाहिए जब तक कि दूसरा कोई मेम्बर उस की तरदीद न करे, तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि जब स्पीकर साहिब ने यहां पर स्टेटमेंट दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वह कुर्सी को छोड़ रहे हैं और इन्होंने यहां अपना स्टेटमेंट भी पढ़कर सुनाया तो उस को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाए कि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया ? (शोर)

चौधरी नेत राम : हमें बड़ा दुःख है कि जम्हूरियत को कत्ल किया गया है । चीफ मिनिस्टर ने जम्हूरियत को कत्ल कर दिया है । आप ने माना है कि यह बड़ा सीरियस मामला है .....

उपाध्यक्षा : आप एक ही बात को बार बार न दोहराएं । (विघ्न) अभी थोड़ी देर में इस्तीफा आने वाला है तो फिर सिर्फ ग्रुप लीडर्ज़ को मौका दूंगी कि जो कुछ कहना है तो वह कह लें । If the hon. Members are agreeable to this, I will allow otherwise not. (The hon. Member should not go on raising the same thing time and again. (*Interruptions.*) The resignation will reach me shortly and then I will allow only the Group Leaders to have their say. If the hon. Members are agreeable to this, I will allow otherwise not.)

(Noise and interruptions in the House. There was so much noise that absolutely nothing was audible.)

उपाध्यक्षा : देखिए, मैं ने दो दफा अपने पी० ए० को भेजा, गो यह मेरी ड्यूटी नहीं है, मगर मैं ने उन से मांगा है । जब यह आ जाए तो आप ऐग्री करेंगे कि मैं 50 मेम्बर्ज़ को नहीं बुला सकती । सिर्फ ग्रुप लीडर्ज़ को ही बुलाऊंगी । (Please listen, although it is not my duty, I sent my P. A. twice to obtain the resignation. You will agree with me that on receiving it I will not be able to allow 50 Members to express their views. I will allow only the Group Leaders to do so.) (*Thumping from Opposition benches.*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਉਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । (*Interruptions by chaudhri Net Ram.*)

उपाध्यक्षा : क्या आप ने लाईसैंस ले रखा है जब चाहें खड़े होकर चिल्लाना शुरू करदें । (Has the hon. Member got the licence to rise whenever he pleases and start shouting ?)

Sardar Gurnam Singh : We are grateful to you, Madam, for your permitting us to make references at the proper time. I would, therefore, request the hon. Members to leave the matter here as the Deputy Speaker has permitted references. (*Noise*)

श्री यशपाल : क्या आप ने यह पहले ही प्लैन कर रखा था ? (*Noise*)

Sardar Gurnam Singh : The hon. Member should please keep quiet. He is interrupting because there is chance for him. One vacancy has fallen vacant for the Ex-Minister of State.

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूं । सरदार जयइंद्र सिंह ने कहा है कि श्री प्रबोध चन्द्र जी के इस्तीफा दे देने से आपोजीशन की मां मर गई है । (आपोजीशन की तरफ से शेम, शेम की आवाजें) मैं कहता हूं उन के इस्तीफा देने से आपोजीशन की मां का सवाल नहीं है बल्कि जम्हूरियत की मां मर गई है और यह इस के कफन में आखरी पिन होगा । (शोर)

उपाध्यक्षा : जो पुरानी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उन के सामने मां बैठी है वह तो लिहाज करें । (The people who believe in the ancient culture of the land at least they should show deference to the mother sitting before them.)

श्री मंगल सैन : आप तो मेरी मां के बराबर हैं मगर इन्होंने तो मजाक बना रखा है । (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ । ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ)

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सपलेनेशन ।

उपाध्यक्षा : आप की संस्कृति क्या कहती है ? (What does the hon. Member's culture say ?)

श्री मंगल सैन : यही कि ईंट का जवाब पत्थर से दो ।

उपाध्यक्षा : क्या आप का यह इरादा है कि मुझे परेशान किया जाए ? (Does the hon. Member intend to embarrass me ?)

श्री मंगल सैन : आप को तो हम ऊपर उठाना चाहते है । मुझे परसनल एक्सपलेनेशन देने का हक है । सरदार जय इन्द्र सिंह ने झूठ बोला है, उन्होंने खुद कहा . . . (शोर)

उपाध्यक्षा : आप यह 'झूठ' का लफज वापस लें । (The hon. Member should withdraw the word "Jhooth".)

श्री मँगल सैन : बहुत अच्छा जी, मैं यह शब्द वापिस लेता हूं मगर यह कहूंगा कि यह इन्होंने गलत कहा है । (शोर)

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । जय इन्द्र सिंह जी ने कहा है कि स्पीकर साहिब चल गए तो आपोजीशन की मां मर गई । कोई बात नहीं अगर यह ऐसा ही मानते है । मगर इस से तो कैरोंशाही का जनाज़ा निकल गया है । (आपोजीशन की तरफ से तालियां) (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੁਭਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਗਰਮ ਹਨ । ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ—ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਸਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ।

Deputy Speaker : I will allow only the group leaders and not all the Members of the House. This is my request and the House should accede to it.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਜੋ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਆਪ ਦੇ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (ਵਿਘਨ) ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आप कहती हैं कि मेरे पास इस्तीफा नहीं आया है और (विघ्न) प्रबोध चन्द्र जी कह रहे है कि यह उन की मौरल डयूटी है और वह इस से पीछे नहीं हट सकते । यह सरदार प्रताप सिंह हैं जो मौरल डयूटी को कुछ नहीं समझते । तो इस्तीफा की बात क्या है आप बोलने की इजाज़त दें ।

उपाध्यक्षा : आप जब मेरी जगह आ जाएंगे और मैं आप की जगह आ जाऊंगी तब आप की बात जरूर मानूंगी अभी तो चेयर के लिए आप की बात मानना मुश्किल है । (I will obey the hon. Member when he has exchanged places with me. For the moment it is difficult for the Chair to obey him.)

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : आध घंटे के लिये हाउस ऐडजन कर दिया जाए । (शोर)

उपाध्यक्षा : आप किसी बात के पाबन्द नहीं रहते । सरदार शमशेर सिंह जोश की तरफ से एक ऐडजर्नमेंट मोशन का नोटिस आया है.. (The hon. member

[उपाध्यक्षा]

does not stick to any decision. Sardar Shamsher Singh Josh has given notice of an adjournment motion. ....) (Interruptions.)

Chaudhri Devi Lal : On a point of Order, Madam.

(*Interruptions and noise*)

Deputy Speaker ; There should be no noise and interruptions in the House. It is very difficult....(Noise)

I would request Sardar Gurnam Singh that there must be some limit to everything. Let the House now transact its business. I resent this.

(*Noise and interruptions in the House. Some hon. Members rose on points of Order.*)

डा० बलदेव प्रकाश : हाउस आधे घंटे के लिए ऐडजर्न कर दिया जाए । (शोर) (विघ्न)

उपाध्यक्षा : मुनासिब ढंग से आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं । मैं आनरेबल मेम्बरान से प्रार्थना करती हूं कि आप हाउस का काम चलने दें । अगर आपका इरादा यह हो कि इस तरह शोर डालने से मैं हार जाऊंगी या थक जाऊंगी तो यह नहीं होने वाला । (I am prepared to agree to every proposal which is made in a proper manner. I may, however, request the hon. Members to let the business of the House be transacted, because if they think that I will be cowed down by such like noise, they may rest assured that this is not going to happen.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । लीडर आफ दी आपोजीशन ने हमें रीक्वैस्ट की थी कि चेयर के आर्डर को मानना चाहिए तो इन्होंने कहा कि क्या यह प्री-प्लैंड था । यह ऐसे लोग बात करते हैं जो अपने राज़क से रिज़क लेने के मुतलाशी हैं या फिर यैसमैन्न या यशमैन्न हैं । आप से इस बात की रूलिंग चाहता हूं कि किस तरह इन आदमियों को यहां पर स्पीकर बनने की इजाज़त दी जा सकती है । यह तो सुपने ले रहे हैं ।

Sardar Gurnam Singh : I could not expect better than this from the gentlemen who are called yesmen.

(*interruptions*) (*noise.*)

चौधरी देवी लाल : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि लीडर आफ़ दी आपोजीशन ने रीक्वैस्ट की थी ......(विघ्न तथा शोर) ।

Deputy Speaker : Does the hon. Member want that I should leave this Chair (*interruptions*). I would seek the help of the Leader of the Opposition.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਣ ਪਰ . . . . . (ਵਿਘਨ)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, मैडम। मैं आप की रुलिंग चाहता हूं कि लीडर आफ दी आपोज़ीशन पर इन्होंने इलजाम लगाया है कि यह प्री-प्लैंड था। हम चेयर को एशोरेंस दिलाते हैं कि आप को तआवुन देंगे लेकिन यह कुछ येसमैन हैं और रिजक के मतलाशी हैं जो लीडर आफ दी आपोज़ीशन पर इलज़ाम लगाते हैं। (विघ्न)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी देवी लाल जी ने कुछ कहा है रिज़क के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप मौजूद हैं तो रिज़क का सवाल ही पैदा नहीं होता। (विघ्न) (शोर)

Deputy Speaker : I seek the co-operation of the Leader of the Opposition.

सरदार गुरनाम सिंह : जनाब, आप इनको स्पीकर साहिब के रैज़िगनेशन पर आबज़र्वेशन्ज़ करने की इजाज़त दे दें तो यह सब ठीक हो जाए।

उपाध्यक्षा : आप दस मिनट में यह मोशन्ज़ और काल अटैन्शन निकलने दें, जब रैज़िगनेशन आएगा तो देख लेंगे। (विघ्न) (Let us finish with these motions and call attention notice within ten minutes. We will look into the question of observations as and when the resignation is received.) (interruptions)

डा० बलदेव प्रकाश : आपने तो कहा है कि रैज़िगनेशन आपके पास आ गया है। (विघ्न)

चौधरी नेत राम : हम हाउस की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। (विघ्न) (शोर)

Captain Rattan Singh : On a point of order, Madam. Can an hon. Member threaten the Chair ? (*interruptions*) (*noise*).

उपाध्यक्षा : (Addressing Dr. Baldev Parkash) : आपको कैसे पता है कि रैज़िगनेशन आ गया है ? (How does the hon. Member know that the resignation has been received by me.)

डा० बलदेव प्रकाश : आपने ही कहा था कि रेज़िगनेशन आ गया है। आप 10 मिन्ट में ऐडजर्नमेंट मोशन्ज़ और काल अटेन्शन कर लीजिए। फिर इसे टेक अप करेंगे (विघ्न)

कैप्टन रत्न सिंह : क्या कोई मेम्बर चेयर को थ्रैटन कर सकता है ? मैं इस बात पर आपकी रुलिंग चाहता हूं।

(Voices from Opposition : No, no.

चौधरी देवी लाल : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि आप इस बात पर रूलिंग दें कि क्या कोई यैसमैन जो कभी भी न्यूटरल न हो वह स्पीकर बनाया जा सकता है ? (विघ्न) (शोर)

Deputy Speaker : No personal reflection please. इस बात को बार बार कहना ठीक नहीं । कौन होता है कौन नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं । (No personal reflection please. It is not proper to repeat this thing again and again. We should not say as to who will or who will not become the Speaker.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

डा० बलदेव प्रकाश : जनाब, मुझे टोक दिया गया था । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास रेज़िगनेशन पहुंच गया है ।

उपाध्यक्षा : मेरे पास यही इन्फर्मेशन है कि अभी मेरे पास नहीं पहुंचा । (My information is that I have not received it so far.)

डा० बलदेव प्रकाश : अभी स्पीकर साहिब के पी० ए० ले कर आए थे । You have received the resignation, Madam.

Captain Rattan Singh : On a point of order, Madam. Can any Member threaten the Chair?

उपाध्यक्षा : आप कैसे कह सकते हैं कि यह रेज़िगनेशन था । वह कोई और पेपर भी हो सकता है । (विघ्न) (शोर) सरदार गुरदयाल सिंह जी, आप भी इतनी देर तक स्पीकर रहे हैं (विघ्न) मैं आप से तवक्को करती हूं कि आप गाईड करें । There is no such rule under which I can allow the hon. Members to speak. अगर हाउस की कार्यवाही को सीरियसली चलाना है तो पांच दस मिनट में मुझे यह काल अटेन्शन और प्रिविलेज मोशन्ज़ कर लेने दें । (How can the hon. Member say that it was the resignation. It could be some other paper. (*Interruptions*) (*noise*.) Sardar Gurdial Singh Dhillon had been a Speaker for a long time. (*Interruptions.*) I, therefore, expect guidance from him. There is no such rule under which I can allow the hon. Members to speak. If they want the proceedings

of the House to be conducted in a serious manner, they should let me deal with the Call Attention and Privilege Motions within five or ten minutes.)

Chaudhri Inder Singh Malik : On a point of order, Madam.

Captain Rattan Singh : On a point of Order, Madam.

Chaudhri Inder Singh Malik : I am on my legs. मेरा प्वायंट आफ आर्डर पहले होना चाहिये ।

उपाध्यक्षा : मलिक इंद्र सिंह, आपको लाईसेंस तो नहीं कि आप ही प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर सकते हैं और कोई नहीं । मैं अपनी बात पर कायम हूँ । मैं ने कहा है कि थोड़ा काम चलने दें । (विघ्न तथा शोर) मैं सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों से भी कहूंगी कि वह मेरी मदद करें । आप भी स्पीकर रहे हैं । (The hon. Member, Chaudhri Inder Singh Malik has not got the monopoly in the matter of raising points of order. Anyhow, I reiterate that we should conduct some business. (Interruptions and noise) I would request Sardar Gurdial Singh Dhillon that since he had been a Speaker, he may help me in conducting the business of the House.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ । (I was a Member of this House, when the hon. Member had been functioning as Speaker here.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਪਾਸ ਇਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗੇ ਚਲਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ ? (In the meantime, instead of proceeding with the business of the House, does the hon. Member want me to suspend work and do nothing?)

डा० बलदेव प्रकाश : आप थोड़ी देर के लिए हाउस को मुलतवी कर दें । (विघन)

Captain Rattan Singh : On a point of order, Madam.

Voices from Opposition : Order, order.

उपाध्यक्षा : हरेक मेम्बर को प्वायंट आफ़ आर्डर रेज करने का हक है। अगर 'ए' हक रखता है तो 'बी' को भी प्वायंट आफ़ आर्डर रेज करने का हक है। (Every Member has a right to raise a point of order here. If 'A' has a right to raise a point of order, 'B' has also got a right to do so.)

कैप्टन रतन सिंह : मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर यह है कि चेयर की इंटैग्रिटी को यह डाउट करते हैं। यह बहुत खतरनाक बात है। आप ने कहा है इस्तीफा नहीं आया और यह कहते हैं आ गया है।

उपाध्यक्षा : दरअसल बात तो यह है कि यह चेयर तो अब खतरे में ही है। मुझे यह बात बड़े ही अफसोस से कहनी पड़ती है कि इस हाउस में चेयर की डिगनिटी बिल्कुल भी रखी नहीं जा रही। (The fact is that the Chair is in danger now. I am sorry to observe that the dignity of the Chair is not being maintained in this House.)

(*Interruptions*)

डा० बलदेव प्रकाश : डिगनिटी का सवाल और है, खतरे का सवाल और है। हम यह जानना चाहते हैं कि अगर आप को खतरा है तो किस तरफ से है, यह ज़रा हमें बता दें।

उपाध्यक्षा : मुझे अपने खतरे की कोई परवाह नहीं। हां, अगर आप इस हाउस में डिगनिटी कायम रख सकते है तो कहें। (I am not afraid of any danger to myself. However, it will be better if they maintain the dignity of this House).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਮਕਾਣ ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕ-ਡਾਊਨ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਗਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੈ।

(*At this stage Comrade Shamsher Singh Josh rose to speak*)
(noise)

उपाध्यक्षा : Let him speak please. अगर आप कहते हैं कि शोरो गुल से मैं भाग जाऊंगी तो मैं भागने वाली नहीं हूँ ।(Let him speak please. If any body thinks that I will be cowed down by this sort of noise, he is under a wrong impression.)

Comrade Shamsher Singh Josh : I think the matter before the House is very important and urgent, created by the resignation of our hon. Speaker. In view of the importance of the issue before the House, all other issues recede to the background. I, therefore, submit that the consideration of matters like the Adjournment Motions, Call Attention Notices, etc., may be deferred till tomorrow, or till the issue created by the resignation has been discussed in this House. We are thankful to you for your allowing various Group Leaders in the House to express their view point on the crisis created in the Parliamentary history of our State. I, therefore, request that we may be allowed to express our feelings on the issue before the House.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ .... (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਚੁਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਲ ਕਰਨਗੇ then, I will have to take some other measures about it.

Voices from the Opposition : Do the worst.

Comrade Ram Chandra : Can the Chief Minister threaten the Members of the House like this ?

Voices from the Opposition : We will not submit to these threats.

(*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : इस को टैकल करने के लिए आप क्या मैयर्ज़ इख्तियार करेंगे मैं यह जानना चाहता हूं ।

Deputy Speaker : Chaudhri Devi Lal, please.........)

Shri Dev Raj Anand : Sir, the Chief Minister has no right to say like that.

उपाध्यक्षा ; मैं आप लोगों की फीलिंग्ज़ बड़ी अच्छी तरह से जानती हूं । मुझे भी इस स्फीयर में रहने का लगातार 25-26 साल से मौका मिलता चला आ रहा है । मैं चाहती हूं कि हाउस की कार्रवाई बिल्कुल ठीक ढंग से चले । आप जो चाहें बेशक कहें मगर इस तरह की बातें मुझे हरगिज़ पसंद नहीं हैं । (I quite understand the feelings of the hon. Members. I have also been in this sphere for the last 25 or 26 years. I am of the view that the business in this House should be carried on properly. The hon. Members may say anything but I do not approve of such things.)

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या आप पसंद कर रही हैं जो उन्हों ने कहा है ?

उपाध्यक्षा : आप बेफिक्र रहें, अगर कोई शब्द उन्हों ने कहे हैं तो मैं इतनी भी जुरअत रखती हूं कि मैं उन से कहूं कि वह उन्हें वापिस ले लें । (If the hon. Chief Minister has used any improper words, I can say with confidence that even he will be asked to withdraw them. The hon. Members need not worry about it.)

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख लें कि उन्हों ने क्या कहा है । (*Interruptions*)

उपाध्यक्षा : आप पहले मुझे उनकी बात तो पूरी सुन लेने दें । (Let me listen to the Chief Minister first.)

Comrade Ram Chandra : Madam, I rise on a point of order. (*Interruptions*)

उपाध्यक्षा : जो सरदार प्रताप सिंह जी कह रहे हैं पहले मुझे यह सुनने दें । इस के बाद जो मर्ज़ी आप कहें । (Let me listen to the hon. Chief Minister first. The hon. Member may thereafter have his say.)

Comrade Ram Chandra : On a point of order. Madam. The Chief Minister has said that he will take other measures. Can he threaten the Members like this ?

(Interruptions by Comrade Makhan Singh Tarsikka)

Chief Minister: It does not look nice to disturb the proceedings of the House. I will bring a resolution.

(Again interruptions by Comrade Makhan Singh Tarsikka)

Deputy Speaker : The hon. Member should not shout. Let the hon. Chief Minister speak first. देखिये कामरेड राम चन्द्र जी, मैं आपकी बात भी सुन लूंगी। पहले मुझे लीडर आफ दी हाऊस को सुन लेने दिया जाये। (The hon. Member should not shout. Let the hon. Chief Minister speak first. I will listen to Comrade Ram Chandra too. Let me first listen to what the hon. Chief Minister has to say.)

कामरेड राम चंद्र : मेरी अर्ज़ यह है कि जो रिपोर्टर साहिबान ने लिखा है पहले वह सुन लिया जाये।

Deputy Speaker: Let the Chief Minister speak first.

(*Interruptions*)

Chief Minister: I would request the hon. Members to listen to me. As a Leader of the House, I will not permit anybody to disgrace the House in this way.

(*Interruptions by Chaudhri Devi Lal*)

I beg to move, Madam,......

(*Interruptions*)

Deputy Speaker: Order, order, please.

Chief Minister: I beg to move, madam, that Chaudhri Devi Lal be expelled from the House for the remaining period of the session.

(*Interruptions*)

उपाध्यक्षा : मैं यह कहूंगी कि आप पहले जो मोशन मूव हुई उसको पहले सुन लें। (I would request the hon. Members to first listen to the motion moved.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।

चौधरी देवी लाल : उन्होंने जो धमकी दी है वह हम सुनना चाहते हैं।

उपाध्यक्षा : मुझे सुनने दें तभी मैं कोई राये दे सकती हूं। I do not want to be dictated by any body. (I can give my ruling only after hearing the whole thing. I do not want to be dictated by any body.)

Chief Minister: Madam, I, as a Leader of the House, will not permit anyone to disgrace......

Voices from the Opposition Benches: On a point of Order. (Noise)

Chief Minister: Madam, I beg to move......

Voices from the Opposition Benches: On a point of Order......

Chief Minister: I rise to move under Rule......

Voices from the Opposition Benches: On a point of Order.

चौधरी देवी लाल : यहां हम कोई चपड़ासी नहीं बैठे हैं जिन्हें अफसरों

11.00 a.m.

की तरह धमकी दे सकते हैं........

उपाध्यक्षा : चौधरी देवी लाल (शोर) मुझे सुनने दीजिए तब मैं अपनी राय दे सकूंगी। (Ch. Devi Lal please, (noise) let me first listen. Then I can give my ruling.) (At this stage all Members from the Opposition rose on a point of order and there was grave disorder in the House.)

SUSPENSION OF THE SITTING

Deputy Speaker: I adjourn the House for half-an-hour.

(The Assembly then adjourned for half an hour and re-assembled at 11-30 A.M. of the Clock).

उपाध्यक्षा : मैं इस आनरेबल हाउस की इन्फर्मेशन के लिए बताना चाहती हूं कि मेरे पास कुछ ऐसी मोशन्ज़ आई हैं जो मैं नहीं चाहती कि मूव करने की इजाज़त हो। हाउस में पहले काफी गर्मा गर्मी हो चुकी है। मगर अब मैं हाउस का डैकोरम रखने के लिए और बिज़नेस को चलाने के लिए आप सब का सहयोग चाहती हूं। मैं सब पार्टीज़ के मेम्बरान से रीक्वैस्ट करती हूं कि वह हाउस के डैकोरम को रखें। I would request the hon. Members with folded hands to help me in conducting the business of the House. (I would like to tell for the information of this hon. House that certain motions have been received by me and I do not want them to be permitted to be moved in the House. Atmosphere remained very tense in the House before. But now I would request you all to co-operate with me so as to keep the decorum in the House and also to carry on the business smoothly. I would request Members of all the parties to maintain decorum in the House. I would request the hon. Members with folded hands to help me in conducting the business of the House).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ

ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਰਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਸਨ ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ।

Sardar Gurnam Singh: Madam, the normal business of the House be transacted. We will offer you complete co-operation in maintaining the decorum, etc.

MOTION UNDNR RULE 30

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon): Madam, I beg to move —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and 'No confidence Motion against the Ministry as a whole' be discussed on Thursday, the 19th March, 1964.

Deputy Speaker: Motion moved —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and 'No confidence Motion against the Ministry as a whole' be discussed on Thursday, the 19th March, 1964.

Deputy Speaker: Question is —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and 'No confidence Motion against the Ministry as a whole' be discussed on Thursday, the 19th March, 1964.

The motion was carried

DEMAND FOR GRANT (Demand No. 28)

43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (non-Commercial)

Minister for Irrigation and Power (Chaudhri Ranbir Singh): Madam, I beg to move —

That a sum not exceeding Rs. 4,77,55,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65, in respect of charges under head 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने हाउस को एडजर्न करने से पहले रूलिंग दिया था कि जिस वक्त आप के पास स्पीकर साहिब का रेजिगनेशन आ जाएगा तो आप मेम्बर्ज़ को कुछ कहने के लिए बहुत जल्दी टाइम देंगी । तो अब हमें टाइम दिया जाए ।

Deputy Speaker : Just now you have given me an assurance that you will co-operate with me to maintain the decorum of the House. Kindly have a little patience. I shall definitely give you time to speak.

Comrade Shamsher Singh Josh : Should I presume......

Deputy Speaker: I would request the Members of the House that they should avoid to interrupt when any Hon. Minister is on his legs.

Comrade Shamsher Singh Josh: Madam, I rose even before the Hon. Minister rose to move the demand.

Deputy Speaker: I had called upon the Hon. Minister and he was on his legs.

Comrade Shamsher Singh Josh: Then, Madam, would you allow me to raise a point of order ?

Deputy Speaker: I will allow, but not now.

(*Interruption by Dr. Mangal Sein*)

Minister for Irrigation and Power: Madam, I have already moved the demand and it be put now by the Chair.

श्री बलरामजी दास टण्डन : प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा आप ने कहा था कि हमें स्पीकर साहिब के बारे में अपने खयालात का इज़हार करने का टाइम देंगे । इस लिए आप बता दें कि दो घण्टे के बाद देंगे या आध घंटे के बाद देंगे ।

Deputy Speaker : I am sorry to say that every hon. Member wants to dictate me. It will be very difficult to proceed in this way. If the hon. Member so likes I can vacate the chair in his favour.

Comrade Shamsher Singh Josh : Should I presume....

Deputy Speaker : How can the hon. Member raise a point of order when the demand is being put in the house ? I do not want that any unpleasant things should happen in the House so long as I am in the chair.

Motion moved—

That a sum not exceeding Rs. 4,77,55,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65, in respect of charges under head 43—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).

44-IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (NON-COMMERCIAL).

I have received notices of cut motions from various hon. Members on this demand. These will be deemed to have been read and moved and can be discussed alongwith the main motion.

Cut motions to demand No. 28

1. **Comrade Bhan Singh Bhaura** :

That the part of the demand on account of 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commerciel) be reduced by Rs. 1000/.

2. **Comrade Bhan Singh Bhaura :**

That the part of the demand on account of 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non Commercial) be reduced by Rs. 1,000/

3. **Sardar Gurcharan Singh :**

That the part of the demand on account of 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced by Rs. 100/-

4. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-.

5. **Principal Rala Ram :**

That the demand be reduced by Re. 1/-.

6. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

7. **Chaudhri Ran Singh :**

8. **Sardar Pritam Singh Sahoke :**

That the demand be reduced by Re. 1/- .

9. **Chaudhri Har kishan :**

That the demand be reduced by Re. 1/.

RESIGNATION OF THE SPEAKER

उपाध्यक्षा : मेरे पास स्पीकर साहिब का इस्तीफा आ गया है । जैसा कि मैंने पहले भी हाउस से अर्ज किया था कि सिर्फ ग्रुप लीडर्ज ही इस पर बोलें और चन्द मिन्ट के लिए बड़े डिगनीफाइड तरीके से बोल लें । Now I call upon Sardar Gurnam Singh to speak. (I have received the resignation of the hon. Speaker. As I have already stated I submit to the House that only Group Leaders may speak on this matter for a few minutes in a very dignified manner. Now I call upon Sardar Gurnam Singh to speak.)

आवाजें : पहले लीडर आफ दी हाउस के विचार तो सुन लें ।

Deputy Speaker; All right, he may speak first.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਰੇਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਅਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਕੇਈਅਨ ਨੂੰ ਗਰੇਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਕਈ ਦਫਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਕੇਈਅਨ ਨੂੰ ਡਿਸਗਰੇਸਫੁਲ ਵਜੂਹਾਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰੇਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੀਅਰਜ਼) ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਸੇਕੇਰਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਜਿਸਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਚੁਪ ਗੁਪ ਇਕ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਲੇਕਨ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਖਿਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਚ ਕੇ ਥਲੇ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੰਸਪਿਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਥਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ)। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿਚ ਕੇ ਥਲੇ ਸੁਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਰਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ

ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਥਲੇ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਕਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੁਆਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਅਸੂਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਅਕਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਲਾ ਖੌਫ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੜੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੀਅਰਜ਼) ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ੨ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੇ, ਲੇਕਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਬਰੂਟ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਮਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੋ-ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਰੀਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਲੇਕਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਣ ਪਰ ਕੁਝ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚ। (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੀਅਰਜ਼) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਣ (ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੀਅਰਜ਼) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਸਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਐਫਿਲੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਛਡਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਲੇਕਨ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6, 7 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਤਾਰਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Who could speak to the King and to the House and who could speak to the public about the decisions of the House or representatives of the people. ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਨਹਾਨਸਡ ਸੀ, ਆਟੋਕਰੇਸੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ; ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ। ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਿਰ

ਕਟਿਆ ਗਿਆ । ਹਾਊਸ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਪੀਕਰ ਮੌਰੀਸਨ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੀਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਕਰਿਡ ਇਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਰਨਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਬਿਊਟ ਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ....ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਵੈਪਟ ਅਤੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੋ (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਿਜ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬੱਵ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਚਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰ-ਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਅਬੱਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਹਾਓਸ ਨਿਪਟਾ ਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਬੈਕ-ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚਲੀ, ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰ-ਖਲਾਫ 85 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗੀਯ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ]

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਵਲੈਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪਸ ਵਿਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅਬੱਵ ਹੋਕੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈ ਕਰਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਥੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

12-00 noon

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ They must forget the past once for all. ਪਾਸਟ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰਮ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ 85 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀ ਵੇਖੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਰੁਸਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਖਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਨ, ਮੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ

ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

चौधरी देवी लाल (फतेहबाद) : मुहतरिम डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री प्रबोध चन्द्र के इस्तीफा देने की वजह से हाउस में बड़ी बेचैनी है । इस का एक कारण है कि रूलिंग पार्टी पंजाब में से डैमोक्रेसी को खत्म करने की कांसपिरेसी किये हुए है । यह बात साफ जाहिर है । जब उन के खिलाफ मोशन हुई तो हाई कमांड ने उस को विदड्रा करने का आर्डर दिया लेकिन फिर भी हाउस में रूलिंग पार्टी की तरफ से वही चीज़ चलाई जाती रही है । मैं समझता हूं कि स्पीकर साहिब ने जो कुछ डैमोक्रेसी को बचाने के लिये किया है हमें उस के लिए उन का मश्कूर होना चाहिए। उन्हों ने पंजाब में खुददारी को कायम रखने के लिये एक मिसाल कायम की है क्योंकि रूलिंग पार्टी यह चाहती है कि किसी तरह से इम्पार्शल स्पीकर जाए और उस के बाद हाउस में मन मानी कर के हाउस को डीमौरेलाईज़ किया जाए । इस बात का सबूत आप ने अपनी मौजूदगी में देख लिया है । लीडर आफ दी हाउस ने मोशन मूव की थी.......

Deputy Speaker ; Please do not make a mention of that Motion.

चौधरी देवी लाल : मैं समझता हूं कि वह एक कांसपिरेसी थी । उनका मकसद यह था कि आँईदा के लिये कोई भी खड़ा हो कर मुखालिफत करने की हिम्मत न करे । मैं इस बिना पर भी स्पीकर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं । मैं यह भी वाज़ह करना चाहता हूं कि जब तक कोई इम्पार्शल स्पीकर नहीं आएगा डैमोक्रेसी कायम नहीं रह सकेगी । एक तरह से हम भी गुनाह कर रहे हैं जो कि आप की तारीफ कर रहे हैं । जो पहली चोट आपोज़ीशन पर वह करना चाहते थे आप ने उस की राह में रोड़ा अटकाया । यह भी उन की एक कांसपिरेसी है किसी और आदमी को स्पीकर बनाने के लिए । जब सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों डिप्टी स्पीकर थे तो हरयाणा की तरफ से डिमांड की गई थी कि स्पीकर हमारी तरफ का होना चाहिए तो उन दिनों कैरों साहिब ने कहा था कि भाई रवायत यही है कि डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर बनना चाहिए । लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वे उसी रवायत को कायम रखने की कोशिश नहीं करेंगे । अगर करेंगे तो हमें पूरी तसल्ली है कि जिस तरह से श्री प्रबोध चन्द्र ने पंजाब को चलाने की कोशिश की है उसी तरह से आप भी कोशिश करेंगी । आप भी उसी तरह से इम्पार्शैलिटी को कायम रखेंगी ।

उपाध्यक्षा : चौधरी देवी लाल जी, इस वक्त श्री प्रबोध चन्द्र का इसतीफा ज़ेरे बहस है । मैंने कभी किसी को फालो नहीं किया । मेरी जो कुछ आत्मा की आवाज़ होती है वही करती हूं । (I may tell Chaudhri Devi Lal that it is the resignation of Shri Prabodh Chandra which is under

[Deputy Speaker]

discussion at this time. I never follow others. I do whatever my conscience dictates.)

चौधरी देवी लाल : प्रबोध चन्द्र के इस्तीफे के ऊपर जिस बेचैनी का मैं ने जिक्र किया है वह किसी से छुपी हुई नहीं है । मैं उन को इस बात पर मुबारिकबाद देता हूं । उन्होंने एक अच्छी रवायत कायम की है ताकि डैमोक्रेसी की आड़ में जो डिक्टेटरशिप कायम होती जा रही है वह खत्म हो जाए । मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी जो स्पीकर आएगा वह इस को कायम रखेगा ।

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : श्री प्रबोध चन्द्र के इस्तीफे पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उन को जिस बुरे तरीके से आउस्ट किया गया है उस की पूरी ज़िम्मेदारी लीडर आफ दी हाउस सरदार प्रताप सिंह कैरों के सिर पर है । यह जानते हुए कि स्पीकर एक न्यूटरल शखस की हैसियत से उस कुर्सी पर बैठता है, न इधर का रहता न उधर का रहता है, जितनी देर तक वह स्पीकर की कुर्सी पर रहता है वह किसी पार्टी का मैंबर नहीं होता और यह समझते हुए भी कि एक डैमोक्रैटिक स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है डैमोक्रेसी को डिवेल्प करने की ज़िम्मेदारी उस के सिर पर होती है उन्होंने अपने एफीडैविट में यह लिखा कि उस के खिलाफ जो लोग हैं स्पीकर उन का लीडर है और लीडर एक लीडर की हैसियत से उन की कार्यवाही में शामिल होता है । (आपोजीशन की ओर से शेम शेम की आवाजें) इस से बढ़ कर स्पीकर पर कोई क्या लांछन लगा सकता है । आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई साधारण मैम्बर भी कुछ कह देता है जो स्पीकर की शान के खिलाफ हो तो वह फौरन उठ कर विदड्रा कर लेता है । लेकन लीडर आफ दी हाउस ने स्पीकर के खिलाफ अदालत में जा कर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और उन में इतनी भी विशालता नहीं है, इतनी भी ब्राडमाईंडिडनेस नहीं है कि जब यह मामला हाउस में आया तो उठ कर यह कह दें मेरा मतलब यह कहने से था कि वह थे हैं नहीं । 'हैं' की जगह पर 'थे' कहना था 'इज़' की जगह पर 'वाज़' कहना था । जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर के अंदर इतनी एरोगेंस हो आप अंदाजा लगाएं कि वह चीफ मिनिस्टर उस सूबे में डैमोक्रैसी को किस तरह से आगे ले जा सकता है वह डैमोक्रैसी नहीं बदतरीं किस्म की डिक्टेटरशिप है । जब वह स्पीकर साहिब बने थे और कुर्सी पर बैठे थे तो उस समय हम ने यह कहा था कि यहां पर कोई ट्रेडिशन नहीं मानी जाती । जब ढिल्लों साहिब रिटायर हुए तो इस हाउस के अंदर उनको सेंड आफ देते हुए, हाउस की तरफ से विदाई देते हुए, आपोज़ीशन के मैम्बरों ने उस समय पर बोलते हुए कहा था कि हम इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि स्पीकर की सीट से इलैक्शन के वक्त उस के खिलाफ कोई कैंडीडेट खड़ा नहीं करेंगे । हम ने उस ज़िम्मेदारी को निभाया इस लिए कि अगर हम ने डैमोक्रेसी को कुछ बढ़ावा देना है तो हमें कुछ परम्पराओं का निर्माण करना

होगा लेकिन हुआ क्या कि चीफ मिमिस्टर ने कन्नाईवैंस कर के किसी दूसरे आदमी को उन के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि ढिल्लों साहिब हार जाएं । वह आदमी कांग्रेस की एग्जैक्टिव का मैम्बर था । उस को खड़ा करने की जिम्मेदारी और किस पर हो सकती है ? मैं इस मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता । सूबे के सब लोगों को इस बात का इल्म है । जब प्रबोध चन्द्र स्पीकर बने तो हम ने उसी समय कहा था कि अगर आप आनैस्ट रहेंगे, इम्पार्शल रहेंगे, आप इंटैग्रिटी पर कायम रहेंगे तो इस का नतीजा यह होगा कि आप ज्यादा देर तक इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे । हम ने यह बात उन के स्पीकर बनने के वक्त हाउस में कही थी । आज वक्त ने बता दिया है कि स्पीकर आनेस्ट रहे, इम्पार्शल रहे, इंटैग्रिटी पर कायम रहे, सब कुछ रहे लेकिन स्पीकर नहीं रह सकता । आज इस सूबे के अन्दर आनेस्ट होने का भी कुछ रिवार्ड है, इम्पार्शल होने का भी कुछ रिवार्ड है, कुछ इनाम मिलता है और वह चाहे कुछ छिन जाने का ही इनाम हो, वह इनाम हमारे स्पीकर साहिब को मिला। किसी ने मजबूर नहीं किया कि इस्तीफ़ा दो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन को (ट्रैयरी बैंचों की तरफ संकेत करते हुए) मुंह की खानी पड़ी जब कि हाई कमांड ने कहा कि नो-कान्फीडैंस मोशन वापिस लो । लेकिन बड़ी खुशी की बात है, श्री प्रबोध चन्द्र ने बता दिया है, उस ने एक बात को साबित कर दिया है कि पंजाब के अन्दर भी ऐसे इन्सान हैं जो मौरल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरबानी कर सकते हैं । (आपोज़ीशन की तरफ से प्रशंसा)

उस वक्त पंजाब के लिए सब से बड़ी बदकिस्मती का वक्त था जब कि हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध फैसला दिया और पंजाब उस वक्त तवक्को करता था, उन से आशा करता था कि हमारे चीफ मिनिस्टर ओकैयन के मुताबिक खड़े होंगे और वह ट्रेडीशन कायम करेंगे जो कि एक आज़ाद मुल्क में होनी चाहिए यानी जब हाईएस्ट कोर्ट ने उन के विरुद्ध फैसला दिया तो मौरल वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड को अपहोलड करते हुए इस कुर्सी से हट जाएंगे । आखिर देश की सेवा करने के अनेकों रास्ते हैं । यह एक कुर्सी ही नहीं है कि जब तक इस से चिपके रहो तब तक ही देश की सेवा हो सकती है । कौन कहता है, किस डाक्टर ने इन को यह नुस्खा लिख कर दिया है.........

Deputy Speaker : The Honourable Member should confine his speech to the resignation of the Speaker.

डा० बलदेव प्रकाश : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्पीकर की बाबत ही कह रहा हूं । मैं यही बताने जा रहा था कि पंजाब में पिछले दिनों जो कुछ चीफ मिनिस्टर की तरफ से हुआ उस को देखते हुए पंजाब के अंदर लोगों को विश्वास हो गया था कि पंजाब की लीडरशिप के अन्दर, देश के अन्दर डैमाक्रेसी और मौरल वैल्यूज़ को

[डा० बलदेव प्रकाश]
अपहोलड करने के लिए कोई इन्सान नहीं रहा। लेकिन प्रबोध चन्द्र के आज के इस्तीफे ने यह साबित कर दिया है कि पंजाब के अंदर आज भी वह इन्सान है जो कि मौरल वैल्यूज़ को ऊंचा उठाने के लिए, डैमाक्रेसी को खड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी कुरबानी के लिए भी तैयार है, बड़े से बड़ा ओहदा भी छोड़ सकता है। आज पंजाब के लिए यह एक निहायत खुशी की बात है। जो लीड आज प्रबोध चन्द्र ने दी है उस के लिए हम उन को बधाई देते हैं। इन्हों-ने रास्ता दिखाया है, हमेशा के लिए रास्ता दिखाया है, आने वाले स्पीकर के लिए भी रास्ता दिखाया है क्योंकि हमें पता है कि आज के बाद आप को ही यह कुर्सी मिलेगी। इस हाउस की यह ट्रेडीशन रही है कि जब कभी ऐसा मौका होता है तो डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर प्रोमोट हुआ करता है। (तालीयां)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਹਾਸਾ)। (The hon. Members by resorting to thumping like this will create more and more difficulties for me). (*Laughter*)

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम ने डैमोक्रेसी को ऊंचा उठाना है, अगर हमने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो सिर्फ डैमाक्रेसी डैमाक्रेसी कहने से ही काम नहीं बनेगा। सिर्फ असूल बना लेने से, कागजों पर लिख लेने से और केवल कान्स्टीच्यूशन की किताब को सामने रख लेने से काम नहीं चलेगा। डैमोक्रैसी को फैलाने के लिए जरूरी है कि डैमोक्रैसी की स्पिरिट देश के लोगों के अन्दर, नेताओं के अन्दर आनी चाहिए। और वह स्पिरिट क्या है? हमें अपनी ही राए, अपनी ही मर्जी लोगों के ऊपर नहीं ठोंसनी चाहिए, फिर चाहे लीडर आफ दी हाउस हों, दूसरे मेम्बर हों, इधर के हों, उधर के हों। निहायत जरूरी है कि इस तरह की डैमोक्रेटिक ट्रेडीशन्ज, इस तरह की डेमोक्रेटिक स्पिरिट सूबे के अन्दर आए और उसके लिए सब से बड़ी बात यह है कि यह जो लेग पुलिंग के तरीके हैं, नो कान्फीडन्स मूव्ज लाने के तरीके हैं, आउस्ट करने के तरीके हैं, बैक डोर के तरीके हैं यह हमेशा के लिए खत्म होने चाहिएं। न तो इन चीजों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और न ही इस तरह से आपोजीशन को कोई फायदा पहुंचने वाला है। किसी को इन बातों से फायदा नहीं पहुचने वाला। बल्कि नुक्सान ही नुक्सान होगा, लोगों को नुक्सान होगा, सूबे को नुक्सान होगा, देश को नुक्सान होगा। जब बात खत्म हो गई, नो कान्फीडेन्स मोशन वापिस ले ली गई थी तो फिर इनको चाहिए था कि ब्राडमाइण्डिडनेस दिखाते, हृदय की विशालता दिखाते। जब हाई कमाण्ड ने कह दिया कि गलत बात है तो दोबारा, दूसरे ढंग से, बैकडोर से, नए तरीके से एक दूसरी नो-कान्फीडैंस मोशन ले आए कि स्पीकर की रूलिंग के अन्दर जो रिमार्क्स हैं उनको ऐक्सपंज कर दिया जाए। उनको चाहिए था कि हाई कमांड के फैसले के बाद उस मोशन को हाउस के

अन्दर लाया ही न जाता । आप बताएं कि उसको लाने की क्या जस्टीफिकेशन थी। सरदार प्रताप सिंह कैरों जो लीडर आफ दी हाउस भी हैं, आनरेबल चीफ मिनिस्टर भी है क्या वे अपनी पार्टी के मेम्बरों के दिमाग के अन्दर यह बात नहीं ला सकते थे ? अगर उनके दिल के अन्दर डैमोक्रेसी के लिए दर्द है, अगर उनके दिल के अन्दर स्पीकर की कुर्सी के लिए कोई इज्जत है, रेस्पेक्ट है, मान है, मर्यादा है, ट्रेडीशनज़ कायम रखना चाहते हैं, तो क्या वह अपने साथियों को नहीं समझा सकते थे कि अब इस बात को रिपीट न किया जाए, इसको यहीं पर खत्म किया जाए ? हम सिर्फ यही बात आपके द्वारा हाउस में लाना चाहते हैं कि यह सब कुछ जान बूझ कर किया गया । यह सिर्फ स्पीकर को निकालने की बात नहीं थी, प्रबोध चन्द्र को निकालने की बात नहीं थी । एक स्पीकर जाए तो दूसरा आ जाएगा । दूसरा ज़ाएगा तो तीसरा आ जाएगा । यह तो आते जाते रहेंगे और यहां पर कोई इनडिस्पंसेबल नहीं है । दुनिया के अन्दर से एक आदमी के हट जाने से कोई संसार चक्कर समाप्त नहीं हो जाएगा, बन्द नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा । काम चलता है, वह चलता रहेगा । जैसे काम पहले चलता रहा है वैसे ही चलता रहेगा, शायद उससे भी अच्छा होगा । लेकिन जिस ढंग से यह कार्रवाही की गई है उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा निन्दा की जा सकती है, उसे जितना ज्यादा से ज़्यादा कन्डेंम किया जा सकता है वह हमारी स्टेट के अन्दर होगा, सारे देश के अन्दर होगा और विदेशों के अन्दर भी होगा । इस स्टेट के अन्दर प्रताप सिंह कैरों की हकूमत ने डैमोक्रेसी की आत्मा को स्टैब किया है । यह जो जम्हूरियत का मर्डर हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी, बदकिस्मती से, पंजाब के माथे पड़ी है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹੋ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ। (I would request the hon. Member to confine his remarks to the resignation tendered by Shri Prabodh Chandra. The Chief Minister is not under discussion.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਗਰ ਇਹ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਨ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ । ਇਹ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਂਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼—ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਖਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਸ਼ਖਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਛੋਕੜ ਸਾਫ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ । ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਉਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । 85 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਹਾਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਮੋੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਮੋੜਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਸੁਚਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਰਾਈਸਿਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਪੀਕਰੀ ਦੇ ਚੇਕ ਵਿਚ ਬੜੇ ਆਹਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ

ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚੱਾ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੱਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਉਸ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉਚੱਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਚੱਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਪਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਰਾਜਣਗੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਗੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਗੇ ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਗੋਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਂਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਿਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਥਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡੀਮੌਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਂ ।

Shri Prabodh Chandra has been the greatest casualty of democracy in this House. As such, I condemn the present Government, the Ruling Party for this. With these words, I pay my compliments to Shri Prabodh Chandra for the stand which he has taken. I hope this controversy will now end, and we will concentrate ourselves to the problems facing the people of this State. Let us hope that we discharge our duties towards the people without any fear, threats or dictatorial attitude. With these words, I thank you, Madam, for the time you have given to me.

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज श्री प्रबोध चन्द्र ने अपना अस्तीफा दे कर के ऐसा सबूत दिया है कि अगर हाउस के आनरेबल मेम्बरान की मेजारिटी ने यह सेन्स ज़ाहिर की हो या किसी ढंग से उनका विरोध

• [चौधरी नेत राम]

किया हो तो स्पीकर साहिब का बना रहना ठीक नहीं । उन्होंने इस बात का सबूत दिया है । वैसे तो इस हाउस के अन्दर पंजाब की जनता ने इस सरकार को जिस दिन से चुन कर भेजा हुआ है तब से पंजाब की जनता यह आवाज़ उठा रही है, चाहे लोग रेलगाड़ी में सफर कर रहे हों, चाहे बस में सफर कर रहे हों; चाहे चबूतरे पर बैठे हों या पैदल जा रहे हों, हमें तो पंजाब के 90 फीसदी लोग यही कहते हैं कि पंजाब के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है या कुरप्शन फैली हुई है वह पंजाब के मुख्य मन्त्री ने फैलाई है ।

उपाध्यक्षा : आपने श्री प्रबोध चन्द के बारे में जो कुछ कहना है वही कहें, मुख्य मंत्री के बारे में कुछ न कहें। (The hon. Member should not make any reference about the Chief Minister. He should confine his remarks to the resignation of Shri Prabodh Chandra.)

चौधरी नेत राम : मैं जम्हूरियत पर ही कहूंगा और स्पीकर साहिब के सम्बन्ध में ही कहूंगा और इधर-उधर नहीं जाऊंगा ।

मैं अपने विचार के अनुसार यह बात सदन के सामने रक्खूंगा कि स्पीकर जम्हूरियत के अन्दर चुनाव से मुकर्रर किया जाता है और इसी लिए वह स्पीकर माना जाता है और वह डिक्टेटर या मार्शल वगैरा नहीं कहलाता जैसा कि कई दूसरी स्टेट्स में होता है । स्पीकर साहिब इस लिए चुने जाते हैं ताकि जम्हूरियत कायम रहे क्योंकि हाउस के अन्दर जनता के चुने हुए नुमायंदे बैठते हैं और यह उनका प्रधान होता है और वह प्रधान सबको यकसां नज़र से देखे । जनरल चुनावों के बाद स्पीकर का चुनाव हुआ और उस चुनाव के अन्दर श्री प्रबोध चन्द्र जी स्पीकर चुने गए । उसके बाद उनका फर्ज़ हो गया कि वह सब को एक सी नज़र से देखें और उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि वह सबको एक सी नजर से देखते रहे हैं और वह सदा सचाई की तरफ चलते रहे हैं । जहां सचाई ने आवाज़ उठाई उन्होंने उसका साथ दिया । मुझे इस बात के कहने में खुशी है कि उन्होंने असल में डैमोक्रेसी को इनसाफ के साथ चलाया और यहां पर दिखा दिया है कि जब स्पीकर के खिलाफ मैजारटी हो तो उसे नहीं रहना चाहिए । आज यह कहना गलत है कि हाउस में स्पीकर के प्रति मैजारटी विश्वास न रखती हो और उससे इख्तलाफ रखती हो तो वह उसके खिलाफ अदम एतमाद का प्रस्ताव ला सकती है । जिस तरह से उन पर चीफ मिनिस्टर की तरफ से दबाव डाला जाता रहा है वह उससे नहीं डरे। चीफ मिनिस्टर चाहता था कि वह लीडर आफ दी हाउस के कंट्रोल में रहें लेकिन वह उनका दुमछल्ला बन कर नहीं रहना चाहते थे । वह समझते थे कि इस तरह से यहां इस कुर्सी पर रहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वह स्पीकर की कुर्सी को चैलेंज था क्योंकि चीफ मिनिस्टर उनसे दबाव डालकर

काम लेना चाहते थे और उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराना चाहते थे । यह चाहते थे कि जिसे वह कहें उसे बोलने दें और जिसे वह न कहें उसे न बोलने दें । लेकिन स्पीकर साहिब यह पसन्द नहीं करते थे । यह उन रवायात को कायम रखना चाहते थे जिनको गांधी जी के सच्चे भक्तों को रखनी चाहिएं । उन्हीं रवायात को कायम रखने का सबूत श्री प्रबोध चन्द्र जी ने दिया है ।

Deputy Speaker : Wind up please.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिबा....

उपाध्यक्षा : मैं स्पीकर साहिबा नहीं हूं मैं तो डिप्टी स्पीकर हूं (I am not the Speaker. I am only a Deputy Speaker.)

चौधरी नेत राम : जब स्पीकर साहिब ने इस्तीफा दे दिया है और आप उस कुर्सी पर बैठी हैं तो आप ही स्पीकर हो गई हैं और गांधी जी ने भी तो कहा था कि स्त्री, हरिजन, किसान और मजदूर को तरक्की दी जाएगी और उन्हीं में से मुख्य मन्त्री और मन्त्री बनाए जाएंगे और स्पीकर बनाए जायेंगे । तो मैं उनकी बात कहता हूं । इसलिए आप स्पीकर साहिबा हो ही गई हैं, और मैं तो सुबह से यही बात कह रहा हूं । सरदार गुरनाम सिंह ने कहा है कि पंजाब के अन्दर कोई गलत रवायात को बनने नहीं दिया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर भी स्त्री हो, मुख्य मन्त्री इस्तीफा दे दें और फिर मुख्य मंत्री भी स्त्री हो या हरिजन या मुसलमान हो जो अकलियत में हैं । इस तरीके से डैमोक्रेसी चलेगी और गरीबों का कल्याण होगा ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, when Shri Prabodh Chandra was elevated to this Chair, I said a few words. So, if you permit me to say something now as well, I will take only two minutes.

उपाध्यक्षा : जो फैसला हो चुका हो उस पर रहना चाहिए । मेरा ख्याल था कि यह बहस आध घंटे में खत्म हो जाएगी मगर 54 मिनट लग गए हैं । तो अगर अब मैं आप को इजाजत दूं तो मोहन लाल जी को क्यों न दूं और अगर मोहन लाल जी को वक्त दूं तो श्री जगन्नाथ जी को क्यों न दूं ? (विघ्न) यह अच्छी बात न होगी । इस लिये मैं ने हाउस से दरखास्त की है कि हमारे पास एक बड़ा जरूरी मामला बहस के लिये है इस को शुरू किया जाए और इसी लिये हाउस का टाइम आधा घंटा ऐक्सटैंड भी कर दिया है । (We should stick to the decisions already taken. I thought that the House will be able to finish the present discussion in half an hour but it has taken 54 minutes. Now if I allow some time to the hon. Member I will have to give time to other Members as well. (*Interruptions*) It will not be proper. So I have requested the hon. Members to attend to the next very important item on the agenda. For this very reason I have extended the sitting by half an hour.)

PERSONAL EXPLANATION.

ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੇਲਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । (ਵਿਘਨ)

कामरेड राम चन्द्र : क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो उम्मीदवार श्री ढिल्लों साहिब के खिलाफ खड़ा हुआ था वह सरदार नरायण सिंह शाहबाजपुरी का कुड़म था और पंजाब कांग्रेस का डैलीगेट था ?

चौधरी देवी लाल : इस में क्या शक है । (शोर)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਕਰੜੇ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ । (ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)

————

Resumption of Discussion on the Demand for Grant.

उपाध्यक्षा : कामरेड राम चन्द्र जी, आप एक पुराने पार्लिमैंटेरियन हैं । कम से कम बोलने से पहले चेयर से इजाज़त ज़रूर ले लिया करें । यह बड़ी ज़रूरी डिमांड है इस लिये आधा घंटा टाईम ऐक्सटैंड कर दिया है । Now I call upon Sardar Lachhman Singh Gill. (Comrade Ram Chandra is a seasoned parliamentarian. At least he must get the Chair's permission to speak. This is a very important demand, so I have extended the sitting by half an hour.) Now I call upon Sardar Lachhman Singh Gill to speak.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । इन लीडरों की स्पीचिज़ सुनने के बाद मैं इस कनकलूइयन पर पहुंचा हूँ कि श्री प्रबोध चन्द जी की जीत और चीफ मिनिस्टर साहिब की हार हुई है । आप का क्या ख्याल है ? (हंसी)

Deputy Speaker : It is not a point of order.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, Deputy Speaker, there has been....

Deputy Speaker : Will the hon. Member kindly resume his seat?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Would you, Madam, kindly give me two minutes to speak about the resignation of Shri Prabodh Chandra from Speakership. I am a member of the Panel of Chairman and as such you may please give me only two minutes to express my views. I shall highly appreciate that.

उपाध्यक्षा : मेरा ख्याल है कि जितना मैं पैनल आफ चेयरमैन का ख्याल रखती हूं उस का आप को एहसास होगा । But once a decision always a decision. I am sorry. आप फिर कभी बोल लें । (I think the hon. Member realises the extent to which I keep in mind the Panel of Chairmen. But once a decision always a decision. I am sorry. He may have his say at some other time.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, I am not g ing to flout the decision of the Chair. But I would request you to kindly permit me to say something on this matter because you yourself were pleased to remark in the very beginning that this is a very serious matter in the history of Punjab.

Deputy Speaker : But, Pandit Jee, I have always been getting help from you and to-day again I request you to come forward and help me.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਂ ਇਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਕਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ । (I would be glad if the House sits for double the scheduled time, but since the Business Advisory Committee has already taken a decision in the matter, I am helpless.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ । (Every one knew it.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮਦ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਇਥੇ ਦੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਲਡਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ । ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭੈੜੀ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੱਡਜ਼ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇਥੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਢੰਗਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ । ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਨਾਲੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਰੈਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫਿ ਦੀ ਲੈਂਡ । ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਲੱਡਜ਼ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆਫਤ ਹੋ ਗਏ ! ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਇਕੋ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਡਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਡਜ਼ ਆਏ ਤਾ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਥੇ 10,15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਨਾਲੇਜ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲੱਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੇਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਾਕ ਅਉਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਾਂ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੀਲ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ . . . . (ਵਿਘਨ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕ-ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਅਰਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੋਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਦ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਡਰੇਨਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿਨ ਡਰੇਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਡਜ਼

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨੈਚੂਰਲ ਫਲੋ ਵੇਖਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਇਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜੇਕਰ ਦੇਣ-ਗੇ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਛੇ ਰੀਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ । ਇਨਾਂ ਮੌਨਸੂਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਫ ਡਨ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਟੇਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੈਂਟਰ-ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ 120 ਫੁਟ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੁਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਬਰਿਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕੜਾ ਜਾਂ ਗੱਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਘਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਿਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਪੁਲ ਥੋੜੇ ਖਰਚ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ ।

ਇਕ ਅਰਜ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਹਨ ਵੈਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਾਹ ਲਗਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸੀਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨੌਮੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦਸਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰੋਵੀਯਨ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਆਫੀਸਲਜ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ 15,15 ਮੀਲ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਐਸੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ।

Sitting of the Sabha

उपाध्यक्षा : बहुत से मेम्बरान ने अभी बोलना है। मैं चाहती हूं कि यह हाऊस की सिटिंग एक घंटे तक बढ़ा दी जाये। तो क्या मैं इस को हाऊस

[उपाध्यक्षा]

की सैन्स समझूं । (A number of hon. Members have yet to speak, therefore, I want to extend the sitting of the House by an hour. May I consider it to be the sense of the House ?)

Voices : Yes, Yes.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE DEMAND FOR GRANT

कंवर राम पाल सिंह (पुंडरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट इस हाउस के सामने पेश है । चाहिये तो यह था कि यह डिमांड बगैर किसी क्रिटिसिज़्म के पास हो जाती । सब से पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि गवर्नमैंट इस मसले की तरफ काफी ध्यान दे रही है । मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस स्टेट में इरीगेशन का मसला सब से अहम और ज़रूरी है । हमारी पंजाब स्टेट एक एग्रिकल्चरल स्टेट है और ऐसी स्टेट में सब से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इरीगेशन की पूरी पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहियें । मगर दूसरे महकमों की तरफ जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यह रकम दूसरे महकमों की निसबत बहुत कम है । आज इस महकमे के सामने इतने अहम मसले हैं जिन की ओर इस सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान करना चाहिये । इन तमाम बातों को देखते हुए हमारी सरकार को सब से ज़्यादा रकम इस हैड को ही देनी चाहिये थी । आज हमारे चीफ मिनिस्टिर साहिब बार बार यही एलान करते हैं कि मैं ने ऐग्रिकलचर की प्रोडकशन को बढ़ा देना है, लेकिन जब तक पानी की पूरी पूरी फैसिलिटीज़ न होंगी तो प्रोडकशन बढ़ कैसे सकती है ? लेकिन ऐसी बात कोई इस बजट में दिखाई नहीं पड़ती ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : देखिये, 37,73,00,000 से ज़्यादा रुपया इस साल हम खर्च करने जा रहे हैं ।

कंवर रामपाल सिंह : खैर, जो भी दिया है वह अच्छा है । मगर मैं इरीगेशन मिनिस्टिर का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर इरीगेशन मिनिस्टर की तरफ से पूरी सहूलतें मिलें तो ज़मींदारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुज़र सकती है । लेकिन यह बात देखने में आई है कि जितनी भी इरीगेशन की फैसिलिटीज़ उन को मिलनी चाहियें उतनी मिल नहीं रहीं । इस के बारे में यह मसला पिछले सैशन में भी आया है, हमारे हां हर साल फसलें तबाह होती हैं, इस दफा तो लोगों को इतनी भी उम्मीद नहीं है कि 20% फसलें उन को मिलेंगी । इसके अलावा टाईम की कमी की वजह से इस मसले की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता । मैं मंत्री साहिब का ध्यान अपने इलाके की ड्रेन्ज़ा की तरफ दिलाना

चाहता हूं । इस मामले पर पिछले बजट सैशन में बड़ी जबरदस्त बहस हुई थी और यह बात बिलकुल अच्छी तरह से बाजेह कर दी गई थी कि हमारा इलाका फलड एरीया है, ड्रेन्ज़ का काम जो भी शुरू किया था वह अच्छी तरह से तै नहीं हुआ । मैं ने यह भी कहा था कि सरकार को ड्रेन्ज़ का काम जल्द अज़ जल्द करना चाहिये मगर कोई परवाह नहीं की गई । फ्लडज़ के ज़माने में जो उन की हालत थी आज भी वह वहीं की वहीं है । मैं मिसाल के लिये दो ड्रेन्ज़ का नाम लेता हूं, वह एक है पूंडरी ड्रेन और दूसरी है सालवान ड्रेन । आज तक यह रेत से अटी पड़ी है । सरकार ने इन को दरुस्त करवाने की कोई तजवीज़ नहीं की ।

एक बात मैं वज़ीर साहिब से यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि हमारा इलाका फ्लडज़ की मेहरबानी से बिलकुल तबाह होता जा रहा है । पिछली दफा जब 1962 में चौधरी साहिब करनाल रैस्ट हाउस में थे तो इन्हों ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में लोगों को एशोरैंसिज़ दी थीं और कहा था कि हमारे इलाके में शैलो ट्यूबवैल्ज़ लगाये जाएंगे ताकि पैदावार बढ़ सके, मगर आज तक सरकार ने ट्यूबवैल्ज़ लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया । हमारी ज़मीन दिन बदिन खराब होती जा रही है, बहुत सी दरखास्तें भी दी गईं मगर कोई ख्याल नहीं किया गया । इस के मुताल्लिक अगर आप कहें तो मैं प्रूफ दे सकता हूं, मगर इस वक्त टाईम नहीं है ।

एक बात मैं लैंड रैक्लेमेशन के महकमे की करना चाहता हूं वह यह कि यहां एक मुलाज़िम को चेंज करके रोड रैक्लेमेशन के महकमे में भेज दिया, उसे वहां पर 100—110 रुपये महीना की तनखाह मिलती थी, मगर अब इस नये महकमे में उसकी तनखाह 80/- रह गई है । इस गरीब का खाह मखाह में नुकसान हुआ है । या तो इसे वापिस भेज दिया जाये या जो तनखाह इसे पहले मिलती थी वह मिलनी चाहिये । इन अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

लाला हलिरा राम (घरौंडा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज की जो डिमांड है वह बहुत ज़रूरी डिमांड है क्योंकि जहां तक फलड का ताल्लुक है, उससे रोहतक

1.00 p.m.

और करनाल का एरिया तबाह हो जाता है । हमारे यहां खादर का एरिया बहुत ज्यादा है जिस को वजह से बाढ़ के दिनों में चार-चार पांच-पांच मील तक पानी इस कदर जमा हो जाता है कि लोगों का आना जाना बिल्कुल ही बन्द हो जाता है । मैंने चौधरी साहिब को एक सुझाव दिया था कि अगर जमुना पर एक बांध बना दिया जाए तो पानी छोटी जमुना में जा सकता है और वह एरिया बच सकता है । लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

एक बात मैं ने यह भी कही थी कि वह इलाका बहुत गरीब है इस लिये उस को उठाने के लिये सरकार कुछ करे । मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर बिजली के कुछ ही खम्भे वहां पर लगा दिये जाएं तो बिजली आसानी से वहां पहुंच सकती है ।

[लाला रुलिया राम]

जब पिछले दिनों बाढ़ आई तो मैंने रोहतक जा कर देखा कि आइ. पी. एस. साहिब, फलैचर साहिब, एस. ई. साहिब, पानी के अन्दर किश्तियों में 8-8 मील का दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां के चीफ इंजीनियर साहिब जिन्हें हम सिघू साहिब कहते हैं, वह कुछ नहीं करते और उन की सुस्ती की वजह से पंजाब गवर्नमेंट का इतना नुकसान होता है जिसका ठिकाना नहीं है। मैं नहीं समझता कि क्या पंजाब की गवर्नमेंट के पास इनके अलावा और कोई आदमी ही नहीं है जो इस महकमें के काम को वहां पर संभाल सके। वह चंडीगढ़ के अन्दर टांगों पर टांगें रख कर सोते रहते हैं और उधर दुनिया मरती रहती है, इलाका तबाह होता रहता है और पंजाब का बहुत नुकसान होता है। इस लिये मेरी पंजाब गवर्नमेंट से यह दरखास्त है कि वहां पर कोई काबल आदमी लगाया जाए। तभी वहां के लोगों का भला हो सकता है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक गांव मुलाक है जहां की एक चौथाई ज़मीन सैलाब की वजह से खराब हो गई है। इस लिये जो रेह का महकमा है उसे इस तरफ लगाया जाए ताकि वह ज़मीनों पर जो रेह आ जाती है उसे खत्म कर सके। (घंटी) एक इन्द्री ड्रेन है जो करनाल से गुज़रती है और वह ब्योंत के पास से निकलती है। तो क्या होता है इसका, डिप्टी स्पीकर साहिबा वह मैं आप को बताना चाहता हूं कि एक मित्रा साहिब कर्नल वहां पर बैठे हुए हैं, वह उस इन्द्री को तोड़ देते हैं और उस की वजह से उनका गांव तो बच जाता है लेकिन और तमाम देहात तबाह हो जाते हैं। और यही नहीं कि वह गांव बचा लेते हैं बल्कि यह कह कर कि उनकी तबाही हो गई 5-4 हज़ार रुपया भी मिनिस्टर साहिब से मिल कर ले जाते हैं (घंटी) और डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे यहां के इलाके का बेड़ा गर्क हो जाता है।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਹਰਿਆਨਾ 'ਐਸ. ਸੀ.') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲਡਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੀਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੋਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਇਕ ਤੀਰਥ ਹੈ —ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੋਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੋਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 80, 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਢੋਲਬਾਹ ਜਨੌੜੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਹਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਖਸੂਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਟਿਊਬ ਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਲ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸਰਾਲੇ ਚੋ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗ਼ੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ. ਈ. ਐਨ. ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸ. ਈ. ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हाउस के सामने इतना अहम मसला पेश हुआ है जिस का ताल्लुक पंजाब की बेशतर आबादी से है। लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है इस लिये मुझे समझ नहीं आती कि कौन से प्वायंट का कान पकड़ूं और कौन से प्वायंट की दुम पकड़ूं, क्या करें और क्या न करें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस डिमांड की तरफ हम देखते हैं जो हमारे मंत्री महोदय ने पेश की है और कागजात की तरफ देखते हैं जिन पर वह हर साल स्कीम्ज छाप कर लाते हैं तो दिल चाहता है कि वज़ीर साहिब को बधाई पेश करूं लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ देखते हैं और हर साल जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं उन की तरफ देखते हैं और जो इस वक्त नागहानी मुसीबत हमारे ऊपर नाजिल हुई है पानी की कमी की वजह से उस का ख्याल करते हैं तो उस वक्त यह फीलिंग होती है कि अपनी तरफ से बधाई देनी तो एक तरफ रही बल्कि वह दोस्त जो बधाई पेश कर रहे हैं वह भी वापिस ले लूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो मुसीबत है यह मेरे ऊपर नहीं और पंजाब के किसान के ऊपर नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि पंजाब की मुसीबत सारे हिन्दुस्तान की मुसीबत है। इस डिमांड का दो चीजों के साथ ताल्लुक है। एक तो यह कि पंजाब की जो हर साल हढ़ों से तबाही होती है उस से कैसे बचाया जाए और दूसरी तरफ जो स्लोगन डबल प्रोडक्शन का मुख्य मन्त्री साहिब ने दिया है उस से इस का बहुत ताल्लुक है क्योंकि मेरे ख्याल में अगर किसान

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

को फसल के लिये पानी नहीं मिलता तो इन का स्लोगन इन के पास ही रह जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज्यों, ज्यों रेनी सीज़न पास आता जा रहा है और फलड्ज़ का जिक्र आता है तो हमारे मंत्री महोदय का ब्लड बायल करने लग जाता है। हर बार यहां पर एलान किया जाता है कि अगले साल पंजाब में फलड किसी जगह पर भी नहीं आने देंगे लेकिन मुसीबतें हर साल आती हैं और उन का कोई इलाज नहीं होता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसा क्यों होता है। इस की दो तीन वजूहात हैं। मैं तो यह समझता हूं कि हमारी जो ड्रेनेज की प्लैनिंग है वह डिफैक्टिव है और हमारी हकूमत इस प्राब्लम को हैंडल करने में बिल्कुल फेल हुई है क्योंकि जो प्लैनिंग होती है उस के अंदर बहुत पार्टी पालिटिक्स चलती है और कई किस्म की लोकल पालिटिक्स आ कर खड़ी हो जाती हैं। जिस का नतीजा यह होता है कि जो इंजीनियरिंग के तरीके से ड्रनेज़ का सिस्टम होना चाहिए वह नहीं रहता। इस लिये जो ड्रेन्ज़ बनाई जाती हैं वह नाकाम साबत होती हैं। एक दिन किसी साहिब ने कहा कि plans of drainage are defective तो वहां एक इंजीनियर साहिब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि यह तो हकूमत चलाने वालों के ब्रेन्ज़ डिफैक्टिव हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात समझ में नहीं आती कि यह गवर्नमेंट क्यों बरबादी करने पर तुली हुई है। अगर इस मसले को प्रापरली हैंडल किया जाए, अगर इंजीनियरिंग प्वायंट आफ व्यू से प्लैन्ज़ बनाए जाएं तो हर साल करोड़ों रुपए की फसल तबाह न हो। इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम ने देखा है कि जब फसल का मौसम आता है उस वक्त अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हमारे मंत्री महोदय खड़े हो कर अपनी मजबूरी और लाचारी ज़ाहिर कर देते हैं और कह देते हैं कि मैं पानी कहां से लाऊं, जमना का लैवल नीचे चला गया है। मैं कहता हूं कि जब पंजाब के किसान को अनाज पैदा करने के लिये पानी नहीं मिलता तो देहली के बागात को पानी क्यों दिया जाए। वह पानी पंजाब के किसान को क्यों नहीं दिया जाता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन चीज़ों में कुरप्शन भी इतनी ज़बरदस्त है कि उस ने लोगों के कान पकड़वा दिये हैं। पंजाब के अंदर बगैर रिश्वत के किसी को भी पानी नहीं मिल सकता। अगर कोई मेम्बर यह बात कन्फीडैन्स के साथ कह दे कि पंजाब के किसान महकमा इरीगेशन से बगैर रिश्वत दिये पानी ले सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि कुरप्शन नहीं है। अगर मैं ने अपनी लिंक ड्रेन तैयार करनी है तो उसके अन्दर कुरप्शन चलती है। लाबी के अन्दर एक दोस्त ने एक सवाल करके हमें हैरान कर दिया कि what is wrong with corruption? It is very well going on, very well with every member of the ruling party. इसके साथ उन्होंने मिसाल भी दी कि आज अगर पंजाब में एलान किया जाए कि कुरप्शन वाले आदमी को चौराहे पर ऐग्ज़ीक्यूट किया जाएगा तो उस ने बताया कि रूलिंग पार्टी के हर कुम्बे में से कम से कम एक राजपूत और मरहट्टा ज़रूर निकलेगा इस मामला में। (हंसी) मैं अर्ज करता हूं कि जितने एलान यह कुरप्शन को दूर करने के करते हैं उतनी ज्यादा यह कुरप्शन दिन बदिन बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह इस हकूमत ने कुरप्शन दूर करनी है तो भगवान ही जानता है कि इस देश का क्या हश्र होगा और यह जम्हूरियत कितने दिन तक जिन्दा रहेगी। लोगों को यह कहते हैं कि माइनर इरीगेशन करो और

ट्यूबवैल्ज़ लगाओ लेकिन इन ट्यूबवैल्ज़ का भी अगर आप हाल देखें तो किसान रोते फिरते हैं। जहां पर बिजली है वहां उन को इन्हें चलाने के लिये बिजली वक्त पर नहीं मिलती है अगर बिजली 24 घंटे आती है तो 72 घंटे बन्द रहती है और उस के बाद आती है कभी आ जाती है कभी फेल हो जाती है और ट्यूबवैल्ज़ चलते नहीं हैं। आप इस महकमे को कभी अटोनोमस कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वह तो जो मर्जी आप कहें लेकिन गरीब किसानों की हालत पर तो तरस खा कर इस तरफ ध्यान दें और उन की यह तकलीफ दूर करें। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करता हूं कि इस महकमा में खास तौर पर हायर लैवल पर कोई को-आर्डीनेशन नहीं है, और वह हो भी कैसे सकती है? इस के बारे में मैं आप को एक मिसाल देता हूं कि इन का सबडिवीज़न गुड़गांव में है, डिवीज़न बराड़ा में है और जो सरकल आफिस है वह रोपड़ में है। यानी पंजाब के एक सिरे पर तो सबडिवीज़न है और दूसरे सिरे पर सरकल आफिस है। अगर कोई ऐमरजैंसी आ जाती है तो इनका ऐस. डी. ओ. पहले बराड़ा को दौड़ेगा और फिर रोपड़ की तरफ भागेगा और इस भाग दौड़ के दौरान लोगों का बेड़ा ग़र्क हो जाएगा। फिर आप जमना बांध को ले लें। पिछली दफा जब वह टूटने लगा तो हमारे कहने पर वहां ऐस. डी. एम., आर. एम., ऐस. डी. ओ. नहर और ऐस. ई. गए। मैं ने उन को कहा कि यह बांध टूटने वाला है इस का इन्तज़ाम करो लेकिन ऐस. ई. साहिब कहने लगे कि मैं ज़िम्मेदार हूं यह नहीं टूटेगा। हम ने तीन दफा उन को बुलाया कि यह टूटने वाला है लेकिन कोई प्रोटैक्टिव मैयर्ज़ नहीं किए गए और नतीजा यह हुआ कि रसूलपुर तहसील सोनीपत के पास उसमें 300 फुट का शिगाफ हुआ और वह अभी तक उसी तरह टूटा पड़ा है। अब पता चला है कि उस डिवीज़न को ही खत्म किया जा रहा है। पता नहीं काम कैसे चलेगा? उस के टूटने से हज़ारों एकड़ ज़मीन लोगों की बरबाद हो गई है लेकिन उनको कोई मुआवज़ा देने का नाम नहीं लेते। (घंटी) इसी तरह पानीपत में महमूदपुर गांव के पास ड्रेन नं. 2 पर एक साइफन तैयार किया गया है। बरसात में जब पानी आया तो वह साइफन दो घंटे भी स्टैंड नहीं कर सका और वाश आफ़ हो गया और एक बेचारा लालू हरिजन उसमें भर गया। जब उस साइफन की पड़ताल की तो पता चला कि उस में सीमेंट का तो नाम भी नहीं था, कोरा रेत ही उस में से लगाया हुआ निकला। एक्स. ई. ऐन. ने अपने किसी आदमी को ठेका देकर उसे खटा दिया और गरीब लोग खाहमखाह बरबाद हो गए और एक गरीब हरिजन भी उस में बलि चढ़ गया।

उपाध्यक्षा : दिल तो नहीं चाहता कि आपको रोकूं लेकिन घड़ी नहीं मानती। (I do not want to stop the hon. Member but my watch says that his time is over.) (*laughter*)

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : वैसे तो मैंने अभी अपनी स्पीच शुरू भी नहीं की है लेकिन अगर आप का हुकम है तो मैं अभी बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्षा : पेश्तर इसके कि मैं किसी मैम्बर साहिब को काल अपोन करूं, मैं एक बात आई. पी. एम. साहिब से कहना चाहती हूं। मुझे बताया गया है कि मेरे पी. ए.

[उपाध्यक्षा]

साहिब उन की मोटर के नीचे आ चले थे क्योंकि असेम्बली से लेकर होस्टल तक लाइट का कोई इन्तजाम नहीं है और वहां घुप अंधेरा रहता है। मेहरबानी करके वह वहां लाईट का इन्तज़ाम करें।(Before I call upon any other Member to speak I want to say one thing to the hon. I. P. M. I have been told that my P. A. had a narrow escape from being run over by his Motor Car because the part of the road from Assembly Secretariat to the Hostel is without light and there is always pitch-dark at night. I would request him that he may kindly make arrangements of light on that part of the road.)

श्री ज्ञान चन्द (शिमला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बहुत जरूरी मद है और मुझे खुशी होती अगर मैं पंजाब सरकार को इस पर विधाई पेश कर सकता, लेकिन जहां तक पहाड़ी इलाकों का ताल्लुक है अपनी पड़ोसी स्टेट हिमाचल प्रदेश को देखने से ऐसा मालूम होता है कि पंजाब सरकार का, जहां तक इस मद का ताल्लुक है, इन इलाकों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज स्टेट में फ्लड कंट्रोल किया जा रहा है और उस के लिए तरह तरह के साधन सोचे जा रहे हैं लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जब तक आप पानी को सोर्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे चैकडैम बगैरा बना कर, दरख्त लगा कर उस वक्त तक चाहे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते जाएं फ्लड कंट्रोल नहीं होगा। फ्लड कंट्रोल का सही तरीका यह है कि आप वहां के नदी नालों पर चैक डैम बनाएं और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे चैक डैम्ज लगाने के लिए और मेजर और माइनर इरीगेशन के सिलसिले में पिछले कुछ सालों में क्या कुछ किया गया है। दूसरे प्लान में इस मद के तहत 13 करोड़ 16 लाख रुपया खर्च होना था लेकिन इस रकम में से शायद 20 लाख रुपया पहाड़ी इलाकों पर खर्च नहीं हुआ है। पहाड़ी इलाकों की आबादी सारे पंजाब की आबादी का दसवां हिस्सा है और अगर एरिया के लिहाज़ से देखा जाए तो यह पंजाब का पांचवां हिस्सा है। वैसे तो पंजाब सरकार बार-बार ऐलान करती है कि पहाड़ी इलाकों की उसे बड़ी चिन्ता है लेकिन जो आंकड़े आप को मैं ने बताए हैं और बताने लगा हूं उन से यह बात कतई जाहिर नहीं होती है। मैं ने 'पंजाब ऑन दी मार्च, 1964' में देखने की कोशिश की कि इस मद के नीचे सरकार वहां क्या खर्च कर रही है। तीसरे प्लान में पंजाब सरकार ने इस मद के तहत सारा 31 करोड़ 51 लाख रुपया खर्च करना है और अब तक प्लान के तीन साल गुजर चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस रकम में से कम से कम पंजाब सरकार ने अब तक 15 करोड़ तो खर्च किया होगा। इस में से मैंने यह देखने की कोशिश की है कि पहाड़ी इलाकों पर कितना खर्च किया है। तो यह कहते हैं :—

> "Under this Programme, various lift Irrigation sehemes in hilly and semi-hilly areas and various tanks and bunds in Mohindergarh and Gurgaon Districts were proposed to be taken up. By the end of 1963-64 a sum of Rs. 44.21 lakhs is anticipated to be incurred on these schemes."

यह कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर और महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव के ज़िलों पर तीन साल खत्म होने के बाद भी 44 लाख रुपए के करीब रकम खर्च करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस में से 20 लाख ही पहाड़ी इलाकों के हिस्सा में आएगा। इस रफ्तार से अगर देखें तो इस तीसरे प्लान के दौरान पहाड़ी इलाकों पर इस मद के नीचे 30 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करेंगे। जब इस प्लान में इस मद के नीचे 31 करोड़ रुपया रखा है तो सरकार उसका सिर्फ एक फीसदी उन पहाड़ी इलाकों पर खर्च कर रही है जिन की आबादी सारे पंजाब की आबादी का 10 फीसदी और एरिया 20 फीसदी है। मैं पंजाब सरकार से और खास तौर पर मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि जो पहाड़ी इलाका पंजाब में है, उस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे इलाके के साथ हिमाचल प्रदेश का इलाका मिलता है। उस प्रदेश के जराए भी बहुत कम हैं। उस की तरफ ध्यान करें तो पता चलता है कि वहां पर काफी तरक्की हुई है। मैं मानता हूं कि पंजाब में तरक्की हुई है जिस का नाम सारे हिन्दुस्तान में रोशन है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाके को इग्नोर न किया जाए। कम से कम इस का हिस्सा तो इस इलाके को मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो साल हुए, चौधरी रणबीर सिंह मेरे इलाके में गए। उन्होंने वहां के हालात को देखा। उन्होंने कहा था कि घग्गर पर बांध तैयार किया जाएगा, इस से इलाके को पानी मिल सकेगा, बिजली भी मिल सकेगी। पंजाब सरकार ने शायद एलान भी किया था। मैं ने यह बात आल इंडिया रेडियो पर भी सुनी थी कि वहां पर डैम तैयार किया जाएगा। इस के लिये 3-4 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया गया है। लेकिन 2 साल के अर्से में 2 हज़ार रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं कि इस के बारे में सरकार क्या सोच रही है, (घंटी) वैसे हमारी सरकार हमेशा दावा करती है कि हम हिल्ली एरिया के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं और लोगों को उम्मीदें बंधवा रहे हैं लेकिन इस की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम वहां पर जितना इन का हिस्सा बनता है उतनी डिवैल्पमेंट तो करें। ज़्यादा की हम बात नहीं करते। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक पहाड़ी इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक फ्लडज़ पर कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा।

(इस समय उपाध्यक्षा ने चौधरी इन्द्र सिंह मलिक को बोलने के लिये कहा।)

Shri Sagar Ram Gupta: On a point of order, Madam.

उपाध्यक्षा : क्या आप का प्वायंट आफ आर्डर कट मोशन के बारे में है। अगर यह है तो यह कट मोशन एक दिन पहले आनी चाहिए। (Does the hon. Member want to raise a point of order in connection with the cut motion; if so, this cut motion should have been received here one day earlier.)

श्री सागर राम गुप्ता : मेरा इस बारे में प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या उस इलाके के लोगों को जहां पर कि फैमिन फैला हुआ है, उस इलाके के हालात बताने के लिये वक्त नहीं दिया जाएगा और जो बैकवर्ड इलाके को रिप्रिज़ेंट करते हैं क्या उन को टाइम नहीं दिया जाएगा ? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : सबसे पहले मैं कोशिश करती हूं कि जिन को अभी तक अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिये मौका नहीं मिला, उन को काल अपौन करती हूं। उस के बाद मैं हर एक ग्रुप के एक मेम्बर को काल अपौन करती हूं। जिस तरह से माननीय सदस्य ने बोलने का तरीका अपनाया है वह मुनासिब नहीं है। सरदार दरबारा सिंह जी, आप माननीय सदस्य को बिठाने की कोशिश करें ताकि सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल सके। (I try to call upon those Members to speak first who have not got an opportunity to express their view so far. Thereafter I call upon one Member from each group. The hon. Member has not adopted a proper methed of speaking. I would request Sardar Darbara Singh Ji to try to make the hon. Member resume his seat, so that the business of the House is carried on smoothly.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इरीगेशन डिमांड पर आज बहस जारी है। यह बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि इस पर 85 प्रतिशत ज़मींदारों का इनहसार है। अगर ज़मींदार खुशहाल होंगे तो सारा पंजाब खुशहाल होगा। लेकिन बदकिस्मती हमारे पंजाब के सूबे की है। हर साल 1955 से 1963 तक फ्लडज़ नुकसान करते रहे हैं। उस से जो नुकसान हुआ है, मैं पेश करता हूं। 1955 में 36 करोड़ रुपए; 1956 में 2 करोड़ के लगभग, 1957 में 2 करोड़ 36 लाख रुपए; 1958 में 35 करोड़ 85 लाख रुपए, 1959 में 2 करोड़ 33 लाख रुपए, 1960 में 21 करोड़ 54 लाख रुपए, 1961 में 9 करोड़ 70 लाख रुपए, 1962 में 39 करोड़ 34 लाख रुपए और 1963 में 5 करोड़ 97 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सफीदों का इलाका खासकर, हर साल फ्लडज़ की जद में आता रहा है। करनाल की तरफ से इंद्री ड्रेन आती है, उस को काट दिया जाता है। इस से हमारा इलाका बर्बाद किया जाता है। इन्द्री ड्रेन का पानी, नाई नाला ड्रेन, पवाना ड्रेन से गुज़र कर एनटा साइफन से गुज़रता हुआ रोहतक की तरफ जाता है लेकिन इस ड्रेन को कभी साफ नहीं किया गया है। जिस की वजह से हर साल यह ड्रेन ओवर फलो करती है। साईफन भी जो हैं उन की कैपेसिटी थोड़ी है और उन में पानी भी हर साल ज्यादा आता है। मैं सुझाव देता हूं कि साइफन और ड्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। मिमनाबाद से मुआने तक ड्रेन बना कर हांसी ब्रांच में पानी डाला जा सकता है जिस से सफीदों का इलाका बच सके। जब हर साल पानी ज्यादा आता है तो हांसी ब्रांच में 3 कट किये जाते हैं। यह कट डिफरेंट आर. डीज़. पर किये जाते हैं। यह अन्दाज़न 60, 65 और 74 हज़ार आर. डी. पर काटे जाते हैं। इन कटस पर हर साल बहुत रुपया खर्च किया जाता है। इस में पर्मानेंट इन्लैटस लग जाएं ताकि फ्लडज़ का पानी शीघ्र निकल जाए। उसी वक्त उन को खोल दिया जाए और हांसी ब्रांच से पानी का निकास हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, माइनर इरीगेशन स्कीम के बारे में हमारे इलाके में जींद डिस्ट्रीब्यूटरीज़ की रीमौडलिंग के लिए इस साल 8 लाख रुपए रखे हैं। इस लिये मैं सरकार

को बधाई देता हूं लेकिन जरूरत इस बात की है कि निडानी माइनर, सफीबाद माइनर, रोज़ला माइनर, हार्ट माइनर, इन की ऐक्सटैंशन का काम है वह इस साल में मुकम्मल किया जाए ताकि इस इलाके के देहातों की जो बारानी ज़मीन है उस को पानी मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने काल एटैंशन और एडजर्नमैंट मोशन के ज़रिये सरकार का ध्यान इस तरफ कई बार दिलाया है कि इस साल हरियाना की नहरों में पानी की क्राप्स और शूगरकेन की क्राप्स को बहुत भारी नुक्सान हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर पानी की सप्लाई बहाल की जाए। अगर पानी कम है तो किसी एक नहर को मुकम्मल तौर पर चालू कर दिया जाए। उस के बाद दूसरी नहर को चलाया जाए ताकि उस नहर पर बसने वाले ज़मींदारों को पूरा फायदा पहुंच सके। आधी सप्लाई से किसी नहर के माइनर में या उन के मोघाजात में पानी की पूरी सप्लाई नहीं मिलती और इरीगेशन के लिये पानी न मिलने से उस इलाके की फसलों को बहुत नुक्सान होता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे इलाके में सेम की वजह से जमीन बर्बाद हो रही है। उस ज़मीन की रीकलेमेशन करने की ज़रूरत है। हांसी की तरह सफीदों में रीक्लेमेशन के लिए स्टाफ भेज कर काम शुरू कराया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस साल तालाबों के लिये मवेशियों को पीने के लिए पानी देने के लिये स्पेशल मोघे नहीं दिये गए। यह काम पहले स्पैशल आउटलैट्स से किया जाता रहा है लेकिन इस साल मौजूदा मोघों से ही पानी दिया गया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की यह तक्लीफ दूर हो सके। मवेशियों को पानी पीने के लिये स्पेशल आउटलैट्स से पानी दिया जावे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, शिफ्टिंग आफ आउटलैट्स और वाराबन्दी की दरखास्तें एक्स. ई. एन. के पास आती थी। इस के लिए सरकार की तरफ से एक सरकुलर भी जारी हुआ था कि एक्स. ई. एन. इन केसिज़ को डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यह केसिज़ अब भी एस. ई. के पास जाते हैं। इस तरह से बहुत डीले होती है और लोगों को काफी देर सस्पैंस में रहना पड़ता है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में दोबारा सर्कुलर जारी करे। इस में हिदायत होनी चाहिए कि इन केसिज को एक्स. ई. एन. डिसाइड करे। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक मिनट में ही अपनी स्पीच खतम कर दूंगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस महकमे के चौधरी लहरी सिंह, उस के बाद प्रोफैसर शेर सिंह वज़ीर रहे हैं। उन्होंने लोगों की काफी तक्लीफें दूर कीं। लोग उन की काफी प्रशंसा करते हैं। मैं चौधरी रणबीर सिंह, जो कि आज कल इस महकमा के इन्चार्ज हैं, से प्रार्थना करना चाहता हुं कि वह लोगों की तक्लीफों को दूर करें ताकि लोग भी उन की प्रशंसा करें। मैं इतना कह कर अपनी सीट रीज्यूम करता हूं।

श्री प्रताप सिंह बख्शी (पालमपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज आबपाशी की मद जो इस सदन के सामने पेश हुई है मैं उस सिलसिले में अमूमन तमाम पहाड़ी इलाकाजात

[श्री प्रताप सिंह बख्शी]
और खसूसन जिला कांगड़ा के अन्दर जो खामियां हैं उन के मुतअल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त तक इस मद के बारे में बहुत सारे मेम्बरान ने यह बताया है कि उन के खेतों को पानी तो मिलता है बल्कि खेत पानी में डूब जाते हैं। परन्तु पहाड़ी इलाकाजात, जहां से पानी की रवानगी होती है, वहां पर पंजाब सरकार ने आबपाशी की तरफ जरा भी तवज्जोह नहीं दी। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जिला कांगड़ा में तहसील नुरपुर में सिधारता और डेरा गोपीपुर में सब्बाहार कूल्हों की तामीर शुरु हुई और लाखों रुपया उन की तामीर पर खर्च किया गया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ सिंचाई मन्त्री साहिब के नोटिस में यह बात लानी पड़ती है कि बावजूद लाखों रुपया खर्च करने के उन कूल्हों में पानी की ज़रा भी रवानी नहीं हुई। वह सारे का सारा रुपया बरबाद और ज़ाया हुआ। जिला कांगड़ा में राजाओं महाराजाओं के वक्त की पुरानी कूल्हें हैं। मैं आप की विसातत से सरकार की तवज्जोह इस अमर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस को इन कूल्हों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन में पानी की रवानी बाकायदा जारी रहनी चाहिये ताकि लोग खेती के लिये पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इस के साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे हलका नुमायंदगी के अंदर पालमपुर में बैजनाथ कूल्ह की तामीर में बहुत हद तक कामयाबी हुई है। पानी भी रवां हुआ है लेकिन वह पानी लोगों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। जितना पानी लोगों को मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा। सिंचाई मन्त्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और यत्न कर के इस कूल्ह में भी पानी की ज़्यादती करनी चाहिए क्योंकि जो देहात उस की टेल की ज़द में आते हैं वे पानी से महरूम रह जाते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, देश आजाद होने के पश्चात कांगड़ा जिला के बहुत से देहात में बिजली मुहैया की गई है। बिजली के ज़रिये वाटर लिफटिंग स्कीम से लोगों के खेतों में पानी डाला जा सकता है। इस की तरफ खास तवज्जोह देने की आवश्यकता है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बाकायदा उस इलाके का सरवे करवाया जाना चाहिये और जहां पर आसानी से नई कूल्हें तामीर की जा सकती हैं वहां पर वह तामीर की जानी चाहिये, जहां पर कूल्हें तामीर नहीं हो सकतीं वहां पर वाटर लिफटिंग और चैक डैम के द्वारा लोगों के खेतों में पानी डाला जाना चाहिये। जबकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब अन्न की पैदावार को दुगना करना चाहते हैं यह समय है कि सिंचाई मन्त्री जी इस ओर खास तवज्जोह दें।

मेरे इलाके में एक कूल्ह कृपाल चंद नाम की है। उस की एक्सटेंशन का नकशा भी बन चुका है और एस्टीमेट भी बन चुका है। सरवे भी हो गया है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस की तामीर को अमली जामा नहीं पहनाया गया। मैं आप की विसातत से सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस कूल्ह से सैंकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होने वाली है जिस से पैदावार बढ़ेगी, इस लिये इस की एक्सटेंशन की तरफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये। वाटर लिफटिंग स्कीम के ज़रिये से पहाड़ी इलाकाजात के खेतों में पानी आसानी से दिया जा सकता है। इस तरफ कोशिश करने में किसी तरह की कसर नहीं उठा रखनी चाहिये। कूल्हों के हैड को नये सिर से बनाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च किया जाना चाहिये। राजाओं, महाराजाओं के वक्त की जो पुराने कूल्हें हैं उन के हैड ज़्यादा मज़बूत बनाए जाने चाहिएं ताकि लोग अगर अपनी ज़रूरत

के मुताबिक अनाज के सिलसिले में खुद कफील न बन सकें तो कम से कम अपनी ज़रूरियात अनाज को किसी हद तक तो पूरा कर सकें। इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ, ਐਸ. ਸੀ.): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਜਿਹੜੀ 470 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਾਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰੀਟੀਜ਼ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡ੍ਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ, ਮਾਮਲਾ ਉਹੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਬ ਵੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਅਪਰੇਟਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਚੇ ਦਾਰ ਕਿਵੇਂ 55 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਐਕਸ. ਈ. ਐਨ. ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧ ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦਿਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਰ ਟਿਊਬ ਵੈੱਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਘਟ ਵਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਧਰ ਉਧਰ ਨਸਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ 1955 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਢਾ ਡੇਢ੍ਹ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਐਨੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਐਧਰ ਉਧਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। (It would be your last point.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਇਕ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰਾ, ਕਟੂ, ਭੈਣੀ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੀ।

(इस समय उपाध्यक्षा ने सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को बोलने के लिये कहा।)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज़िला हिसार में कहत पड़ा हुआ है। हमें मौका नहीं मिला। दो चार मिनट ही बोल लेने दें।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਜ, ਪੰਜ ਮਿਨਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ । ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ ।

(इस समय ट्रैज़री बैन्चों के कुछ मैम्बर एक साथ उठे और उन्हों ने बोलने के लिये वक्त की मांग की)

उपाध्यक्षा : आप अपनी पार्टी मीटिंग में बात कर लिया करें । हालांकि मैं टाइम को बढ़ाने के हक में नहीं हूं फिर भी मैं ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले कर एक घंटा इस सिटिंग को बढ़ाया है । अब मैं ने मिनिस्टर साहिब को काल अपान कर लिया है । उन्हों ने सारी बहस का जवाब देना है । उनको अगर आधे घंटे का वक्त भी न मिले तो यह बड़ी नावाजिब बात होगी । मैं टाईम और नहीं बढ़ा सकती । (The hon. Members should decide the matter in their party meeting. Although I am not in favour of extending the time limit of the sitting, yet I have extended today's sitting by an hour on my own responsibility. Now I have called upon the Minister incharge to speak. He has to reply to the whole debate. It will be unfair to him if he is not given at least half an hour for it. I cannot extend the sitting any more.) (Noise)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह) :उपाध्यक्ष महोदया, जिन मान-योग सदस्यों ने अपने विचार हाउस में रखे हैं, (विघ्न) , जिन मानयोग सदस्यों ने बिजली तथा सिंचाई विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट किये उन सब की तादाद 31 है ।

चौधरी नेत राम : हिसार के सम्बन्ध में आप हमें दो चार मिनट बोलने का मौका दे दें । डिप्टी स्पीकर साहिबा . . . .

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, मेहरबानी करके बैठ जाइए । (Chaudhri Net Ram may kindly resume his seat.)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बता रहा था कि जिन मानयोग सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया और इस के अलावा बजट की जनरल डिस्कशन्, गवर्नर ऐड्रैस के मौके पर या और मौकों पर जिन्होंने बिजली और सिंचाई विभाग पर अपने विचार प्रकट किए उन की कुल संख्या 31 है । उन में से चार मैम्बर ऐसे थे जिनको दोबारा मौका मिला और इस तरह से 27 मानयोग सदस्यों ने इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमैन्ट के बारे में अपने अपने विचार हाउस के सामने रखे । सभी साथियों ने अपने अपने इलाकों के सम्बन्ध में शिकायतें ब्यान कीं और किस ढंग से उन शिकायतों को दूर किया जा सकता है, अपने विचार पेश किये । हर एक के विचारों का पूरे तौर पर मेरे दोनों महकमों में गौर किया जायेगा और जितना ज़्यादा हम उन सुझावों को मान कर महकमा को आगे चला सकते हैं, उसकी कोशिश की जाएगी । (तालियां)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

उपाध्यक्ष महोदया इस से पहले कि मैं दूसरी बातों की तरफ़ जाऊं आप की मार्फत मैं पिछले साल में जो अहम काम इस डिपार्टमन्ट ने किए, उन की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानती हैं कि चौधरी मुख्तियार सिंह, इन्द्र सिंह और दूसरे साथियों ने यमुना के इलाके के बारे में पानी की कमी का जिक्र किया। पानी की कमी को दूर किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके, उस सिलसिला में कसाऊ डैम की योजना बनाने के ऊपर सहमति प्रकट की गई है। सात नवम्बर, 1963 को उत्तर प्रदेश की सरकार, पंजाब की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, देहली और राजस्थान की सरकारों ने सैन्टर के मानयोग मन्त्री डा० के. ऐल. राओ की सदारत में बैठकर फैसला किया कि कसाऊ डैम जल्दी से जल्दी बनाना है ताकि इस इलाके के पानी की कमी को दूर किया जा सके। चूंकि उस में सात आठ साल लग जायेंगे इस लिये इस बीच इस इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिये वैस्टर्न यमुना कैनाल फीडर की एक योजना है जिस के ऊपर इस साल के आखिर तक 50,00,000 रुपया खर्च किया जायेगा। और 25,00,000 के करीब रुपया पहले खर्च हो चुका है। इस तरह से इस साल के आखिर तक उस योजना पर कुल 75,00,000 रुपया खर्च किया जायेगा। इसके इलावा अगले साल के अन्दर कोई 90,00,000 के करीब खर्चा करने की योजना है। उपाध्यक्ष महोदया, यहां यह एक बहुत बड़ा काम है उसी तरह से आप जानती हैं कि पंजाब के अन्दर पंजाब के बासियों का चार दरियाओं से वास्ता है। एक दरियाए सतलुज है जिस के ऊपर दुनिया का सब से ऊंचा डैम भाखड़ा डैम बनाया गया है। उस भाखड़ा डैम को नेशन को, कौम को, हिन्दुस्तान के लोगों को समर्पण करने की सैरेमनी हुई और उसको हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दुस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को समर्पित किया। वह भी एक बहुत बड़ा काम था जो 22 अक्तूबर, 1963 को हुआ। उस काम में जो कामयाबी हुई और ऐसे डैम को बनाने की जो शक्ति है उसको मानते हुए पंजाब की सरकार ने राजस्थान की सरकार से मिलजुलकर ब्यास नदी के ऊपर दो बान्ध बनाने का काम शुरू किया है और उसके ऊपर आने वाले साल के अन्दर बत्तीस करोड़ रूपया खर्च होने जा रहा है। इस के अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, रावी दरिया है। रावी दरिया के ऊपर हम एक डैम बना सकें, इस प्राजैक्ट की रिपोर्ट तैयार की गई और उसको हिन्दुस्तान की सरकार को भेज दिया गया। इस के अलावा रूस से जो इंजीनियर आए थे उनको दिखाया है, रूस की सरकार के तिजारत के नुमाइन्दों से बात चीत की जा रही है। ताकि उसके ऊपर डैम बनाने के सिलसिले में जो हमें सामान चाहिये या दूसरे विदेशी विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जा सके। तीन दरियाओं की बाबत तो मैंने बता दिया। चौथा दरिया यमुना है जिस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरी सरकारों ने मिल कर के योजना बनाई है कि वह डैम बने। इस तरह से पंजाब में जो बड़े बड़े चार दरिया हैं जिस वक्त यह काम पूरा होगा तो एक तरह से एक बहुत बड़ा काम पंजाब के अन्दर पंजाब की सरकार और पंजाब के लोग कर सकेंगे। (तालियां)

इस के अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, जैसा की भाई ज्ञान चन्द टूटू ने जिक्र किया गम्भर नदी और जो दूसरी छोटी छोटी नदियां हैं उन के ऊपर बान्ध बान्धने की योजनाएं बनाई

जा रही हैं । आप के चन्डीगढ़ के नज़दीक दरियाए घग्घर बहता है । घग्घर के एक एक चुल्लू पानी को हम लोगों को खेती पैदा करने के लिये दे सकें, इस के लिए बीस करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है ताकि एक चुल्लू पानी भी, जो कि राजस्थान के इलाके के अन्दर तबाही करता है, वह उधर न जाए और एक एक ड्राप पानी से पंजाब की आमदनी बढ़ाई जा सके । उसके लिये घग्घर डैम बनाने की योजना तैयार की जा रही है । इसी तरह से आप ने देखा है कि मारकंडा बरसात के मौसम में कितनी खराबियां करता है । मारकंडे के ऊपर भी एक बान्ध बनाने की योजना पर गौर किया जा रहा है । जिस से मारकंडे का पानी जो पंजाब में तबाही करता है वह यमुना में बाटा, जो कि जमुना नदी की शाखा (ट्रिब्यूटरी) है, उसमें डाला जाए । उस स्कीम पर गौर किया जा रहा है ।

उपाध्यक्षा महोदया, आप जानती हैं कि इसी तरह से भाखड़ा का जो बड़ा डैम है और

1.00 p.m.

ब्यास का जो बड़ा डैम बन रहा है और रावी का जो बड़ा डैम बनेगा उन डैम्ज़ के बनने से जिन लोगों को नुक्सान हुआ है या होना है वह या तो ज़िला कांगड़ा के हैं या कुछ ज़िला होशियारपुर के हैं, उनके लिए जितना काम पंजाब सरकार करना चाहती थी उतना यह कर नहीं पाई है यह मैं मानता हूं । इसी तरह से शिमला के पहाड़ी इलाका के लिए भी हम नहीं कर पाए हैं । लेकिन पंजाब सरकार का इरादा है कि पहाड़ी इलाको के लोगों को पानी पहुंचाने की जितनी स्कीमें बनाई जा सकती हैं उतनी बनाई जायें । जैसा कि बख्शी प्रताप सिंह ने कहा कि वहां लिफट इरीगेशन से पानी सप्लाई किया जाये या कुछ कूल्हों से पानी सप्लाई किया जा सकता है । तो मैं निवेदन करता हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से पहाड़ी इलाकों से आए हुए भाइयों को छूट है कि वह अपने इलाके के लिये हमें स्कीमें भेजें और जितना रुपया इन पहाड़ी इलाकों के अन्दर ऐसे नालों पर चैक डैम बनाने के लिये या दूसरे छोटे मोटे काम करने के लिये ज़रूरत होगा सरकार उन्हें देगी । मैं सब माननीय सदस्यों से जो पहाड़ी इलाकों से हैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने २ इलाकों में जा कर योजनाएं तैयार कराएं, पंजाब सरकार की जितनी शक्ति होगी उस के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां लगाने की कोशिश करेगी । इसी तरह से उन इलाकों में मैं बिजली देना बहुत ज़रूरी समझता हूं और इस बारे में पंजाब सरकार ने हिमाचल सरकार के नुमायंदों से बात चीत की है और यह फैसला भी कर लिया है कि जहां हिमाचल के इलाके में हमारी तरफ से आसानी से बिजली दी जा सकती हो वहां हम दें और जहां हमारे पंजाब के इलाके में हिमाचल से बिजली आसानी से दी जा सकती हो वहां वह दें । वह इस भाव से किया गया है कि हिन्दुस्तान एक देश है और इस के हर बाशिन्दे का भला हम ने सोचना है । इस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो बिजली देने की मुश्किल थी वह दूर की गई है ।

इस के अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैस्टर्न यमुना कैनाल हाइडल स्कीम तैयार कर के हिंद सरकार के पास भेज दी गई है और उसकी वहां से मन्जूरी भी आ गई है । इसी तरह से यू. बी. डी. सी. हाइडल योजना भी वहां भेजी गई थी उस की भी मंज़ूरी मिल गई है और इस के ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे क्योंकि तीसरी पांच साला योजना के अन्दर इस के लिए पैसे भी रखे हुए थे । इस सिलसिले में रूसी विशेषज्ञों से भी बात चीत की गई और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वह हमें ज़रूरी सामान उस के

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

लिए देंगे। इस बारे में अभी उन से बात चीत चल भी रही है। इसी तरह से आप जानते हैं, इस वक्त मेरी बहन सुमित्रा देवी यहां पर नहीं हैं, वह शायद चली गई हैं और श्री रूप लाल जी मेहता को भी शायद इस डिमांड पर बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन जितने गुड़गांव के भाई हैं उन की इस बारे में यह शिकायत रही है कि उन के ज़िला के साथ न्याय नहीं हो सका है। मैं इस चीज़ को मानता हूं। वहां एक ही नहर है आगरा कैनाल जो उत्तर प्रदेश सरकार की है। उस नहर से जो पानी हमारे पंजाब के भाईयों को मिलता है उस का आब्याना उन्हें उन नहरों के पानी के आब्याने के रेट से जो पंजाब के दूसरे लोगों को पंजाब की नहरों के पानी पर देना पड़ता है, दुगना है। हम ने गुड़गांव कैनाल की एक और योजना तैयार की है कि गुड़गांव कैनाल आगरा कैनाल से निकले लेकिन इस बात का फैसला पहले नहीं हो सका था कि वह कैनाल कहां से निकाली जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे से सहमत नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे यह बताने में खुशी है और मैं आप की मार्फत सदन को सूचना देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश की सरकार से अब फैसला हो गया है और आने वाले साल के अन्दर इस नहर की योजना पर खर्च करने के लिए लगभग 86 लाख रुपया हम ने रखा है और सवा करोड़ रुपया इस योजना पर पहले खर्च किया जा चुका है और उस के अन्दर राजस्थान का भी कुछ हिस्सा होगा और राजस्थान के साथ इस बारे में फैसला करने के लिए मैं थोड़े दिनों तक भरतपुर जा रहा हूं और श्री के० एल० राम्रो भी वहां पर जा रहे हैं।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, अम्बाला ज़िला भी पंजाब में है उसका भी ज़रा ज़िक्र कर दें कि उस के लिये आप ने क्या किया है। इस के साथ ही इस बारे में भी बता दें कि जब हम यहां चण्डीगढ़ आते हैं तो बाहर अन्धेरा होता है इस का क्या किया गया है। (I want to remind the hon. Minister that Ambala district is also a part of this State. He may inform the House as to what has been done in this district also in this regard as well as with regard to what is being done for providing street lights at Chandigarh.)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि आप के ऊपर कुछ पाबन्दी है कि आप अपनी कांस्टीचुएंसी, जगाधरी, जो कि ज़िला अम्बाला में है, के बारे में कुछ यहां कह नहीं सकी हैं।

उपाध्यक्षा : आप ने तो चेयर पर रिफलैक्शन्ज़ डालनी शुरू कर दी हैं। आप यह लफ्ज़ वापिस लें (The hon. Minister has started casting reflections on the Chair. He should withdraw these words.)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैं अपने लफ्ज़ विदड्रा करता हूं। मैं तो वैसे ज़िक्र करने लगा था। मैं तो अर्ज़ करना चाहता था कि आप जो हमें सलाह देती हैं वह हमारे लिये हुक्म होता है और मैं इस के बारे में आप को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक दिन

यहां डाक्टर मंगल सेन ने करोंथा गांव में बिजली देने का सवाल रखा था तो आप ने उसकी प्रोढ़ता की थी और आप ने कहा था कि उस के लिए मैं वक्त मुकर्रर करूं । मैं इस के लिये आप से माफी चाहता हूं कि आप ने तीन महीने का वक्त दिया था कि इस समय के अन्दर अन्दर आप उस गांव को बिजली दे दें, लेकिन हम उस गांव को तीन महीनों में तो नहीं दे सके थे । बिजली दे दी गई है लेकिन इस में चार या पांच महीने लग गए हैं । वहां अब बिजली के लट्टू जलते हैं । मैं यह इस लिये कह रहा हूं क्योंकि आप ने यह अब सलाह दी है कि यहां भी बिजली के लट्टू जलने चाहियें तो हम यह भी लगायेंगे । (विघ्न)

Deputy Speaker : No interruptions please.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूं कि बल्ब को हिन्दुस्तानी में इसे लट्टू ही कहते हैं।

मैं अब सदन को यह बताना चाहता हूं कि हम ने सरदार दरबारा सिंह की सदारत में एक कमेटी बनाई थी जिस ने सरकार को इस बारे में यह सिफारिश करनी थी कि भाखड़ा पर जितना खर्चा हुआ है उसका कितना हिस्सा पानी पर डाला जाए और कितना बिजली पर डाला जाए । मुझे खुशी है सदन को यह बताने में कि तीन करोड़ रुपया पानी की बजाए अब बिजली पर डाल दिया गया है और बिजली बोर्ड ने भी उसे कबूल कर लिया है । इस तरह से पहले जितना पानी पर चार्ज था वह अब इस हद तक घट गया है ।

इसी तरह से फ्लड्ज़ के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने कहा है, गिल साहिब ने कहा था और मलिक इन्द्र सिंह जी ने कहा था कि इन से आए साल बहुत तबाही होती है । इस बारे में मुझे बता कर खुशी होती है कि इन को रोकने के लिए जितना रुपया दूसरी पांच साला प्लान में इस काम के लिए रखा गया था उस से भी ज़्यादा इस अकेले साल के लिए रखा गया है । इतना रुपया इस काम पर पहले कभी भी किसी साल में खर्च नहीं किया गया जितना कि अब किया जा रहा है । इस आने वाले साल में 8 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च हो जाएगा और इन दो सालों में जब से मुझे इस पद से लोगों की सेवा करने का मौका मिला है 14 करोड़ रुपये बाढ़ों को रोकने के लिये इन्तज़ाम पर खर्च किए गए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बटवारे के समय पंजाब के हिस्से में जो नहरें आई उन पर जो खर्च था वह 11 करोड़ था । इस के मुकाबले में नहरों को बढ़ाने पर जो रुपया 1962-63 तक खर्च किया गया वह 185 करोड़ रुपया हैं । अगर पहला 11 करोड़ रुपया इस में से निकाल भी दें तो भी साढ़े सोलह सालों में 174 करोड़ रुपया खर्च किया गया । मैं मानता हूं कि बिजली को खेत की पैदाबार बढ़ाने में बड़ा स्थान प्राप्त है । इसी बात को सामने रखते हुए आप ने बजट स्पीच में देखा होगा कि वित्त मन्त्री ने कहा है कि पंजाब सरकार इस साल के अन्दर दस हज़ार कुओं को बिजली देना चाहती है और अब तक जो दिए गए हैं वह 19 हजार हैं, यानी एक ही साल में उस से आधी तादाद को बिजली देने का इरादा है जितनी को कि पिछले 15-16 सालों में दी गई है, यह बहुत बड़ा काम है । (विघ्न) इस के अलावा हम पांच साल के अन्दर हर पंचायत में किसी न किसी गांव को बिजली दे देना चाहते हैं । इस तरह से हम सारे 22 हजार गांवों को तो शायद बिजली न दे सकें तो भी 17-18 हजार गांवों को बिजली

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]
देने का इरादा रखते हैं। (तालियां) इस के अलावा आप की मार्फत मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि 1962-63 में जिन लोगों को बाढ़ों से नुक्सान हुआ है उन को 83 लाख रूपये की माफी दी गई है नहरी महकमे ने। फिर श्री राम किशन जी ने ज़िक्र किया था इस बात को देखने के लिए कि आया जो कर्ज़ लिया गया है उसको ठीक तरह से इस्तेमाल किया गया है या कि नहीं, अदा करने की शक्ति है या नहीं, इत्यादि। इस के लिये उन्होंने एक कमेटी बैठाने के लिए कहा था। उपाध्यक्ष महोदया, स्टेट पर जो कर्ज़ है उस में से बिजली और पानी की स्कीमों पर जो खर्च हुआ है वह रक्म 212 करोड़ रुपये है। इस बारे में जो भाखड़ा के बनने से फायदा हुआ है वह मैं आप को बताना चाहता हूं। बिजली को बेचने से जो आमदनी हुई है उसका अन्दाज़ा है 15 करोड़ रुपये, अगले साल में, पौने तीन करोड़ रुपया स्टेट को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी से आमदनी का अन्दाज़ा है। लगभग आठ करोड़ रुपया आब्याना से आमदनी का अन्दाज़ा है। इस के साथ साथ भाखड़ा नंगल की नहरों के पूरा होने से पहले जो सामान इन की मन्डियों में आता था और जो सामान अब आता है, उस से मिलने वाले सेल्ज़ टैक्स में फर्क, मार्किट कमेटियों को अब होने वाली आमदनी के फर्क को भी अगर इस में शामिल कर लिया जाए तो पता चलता है कि नहर के मामले में बड़ी होशियारी से काम किया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं खत्म करने से पहले आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में माननीय सदस्य श्री रुलिया राम जी ने एक चीफ इंजीनियर का नाम लेकर बात कही। वह पार्लियामैन्ट्री प्रथा के खिलाफ है....

उपाध्यक्षा : आप ने सुना नहीं मैं ने कहा थो कि इसे वह डिस्कस न करें और वापस लें। (Perhaps the hon. Minister did not hear what I said. I had chceked the hon. Member from discussing it and asked him to withdraw his words.)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : हां जी, आप ने ठीक किया। मैं आप की मार्फत **इन** से कहना चाहता हूं कि यह मुझे बेशक बुरा भला कह लें मगर किसी अफसर को नाम लेकर इस तरह से कहना ठीक नहीं। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : यह न कहिये.... (Kindly do not say....)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मुझे बेशक गाली दे लें। मैं इन की जानकारी के लिये यह अर्ज़ कर रहा था कि जिस बात के लिये उनको गिला था वहां तो उस अफसर का चार्ज ही नहीं है। जमुना दरिया पर जितना काम हम कर रहे हैं वह तो डा० उप्पल के चार्ज में है। इस तरह गिले वाली कोई बात नहीं थी। बहर हाल मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी जो भावना है उसका मुझे भी पूरा आदर है और अफसरों को भी है। मैं जानता हूं कि बिजली और पानी के बगैर पैदावार नहीं बढ़ सकती, खेत की भी और कारखाने की भी। विघ्न)। उपाध्यक्ष महोदया मेरे दोस्त हिसार ज़िले की बाबत पूछते हैं। उस ज़िले में

दो साल के अन्दर कम से कम डेढ़ लाख एकड़ ज़्यादा भूमि को पानी दिया गया है और भी ज़्यादा पानी देने की हमारी कोशिश है। मुझे मालूम है कि हिसार ज़िले में कई कई हज़ार आबादी वाले गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है। इसी तरीके से जींद, गोहाना और करनाल ज़िले में भी है। मैं आशा करता हूं कि उन की तरफ जल्दी ही ध्यान दिया जायेगा। मैं निवेदन करूं कि 1961-62 में भाखड़ा नंगल योजना और दूसरी योजनाओं से ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख 37 हजार किलोवाट बिजली पैदा हुई। इस साल के अन्दर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 78 हजार किलोवाट बिजली पैदा कर सके। इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि तरक्की की रफ़्तार क्या है। (विघ्न) जहां तक भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार ज़िले के टिब्बे वाले इलाके का ताल्लुक है सरकार की यह कोशिश है कि अगर बिजली से मदद की जा सकती है तो उस के तार बिछाने की कोशिश की जाए और अगर पानी से मदद की जा सकती है तो वहां के लिए वह किया जा रहा है। मेरे भाई चौधरी अमर सिंह हांसी का ज़िक्र करते हैं। ठीक है वहां पर वाटर-लौगिंग की तकलीफ थी और अब थी कुछ इलाके में है मगर वह एक बात मानेंगे कि जो साल बीता है जितनी बारिश उस साल में हुई है उतनी पहले कभी नही हुई है और हो सकता है कि वहां थोड़े से इलाके में खरीफ की फसल न हुई हो या रबी की बिजाई न की जा सकी हो। उन को मानना चाहिये कि हांसी के इलाके में काफी काम हुआ है, और भी काम होना चाहिये। इस से इनकार नहीं करता और उस के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस के अलावा जहां जहां पर हम नहर का पानी पहुंचा सकेंगे या बिजली के तार बिछा सकेंगे उस की कोशिश की जायेगी। (भगत गुरां दास हंस की ओर से विघ्न) मैं माफी चाहता हुं। मैं इन की बात को भूल गया। होशियारपुर में जैसा कि उन्हों ने कहा है जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, पंजाब में जो बिजली पैदा की जाती है वह जाब की तरक्की के लिए है। आपको यकीन रखना चाहिये कि हम इन के इलाके में लोगों की इस संबंध में पूरी इमदाद करेंगे। चोओं का भी हमने काफी हद तक इन्तज़ाम किया है। नसराला चो का ज़िक्र किया गया जो तबाही लाता था हमने उस का भी इन्तज़ाम किया है। (प्रशंसा)

ब्रिजिज़ के मुतअल्लिक भी यहां जर बहुत सी बातें हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम रोड्ज़ के महकमे का है। वह पुल बनायेंगे। बाकी गिल साहिब ने सस्ते पुल के बनाने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। इस पर गौर हो रहा है। जब कोई फाईनल फैसला हो जायेगा तो इस पर तेज़ो से काम शुरू हो जायेगा।

(*Interruption by Shri Surinder Nath Gautam.*)

Deputy Speaker : Now I will put the cut motions before the House.

Question is :

> That the part of the demand on account of 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced by Rs. 1000/-

The motion was lost.

Shri Surinder Nath Gautam : I rise on a point of order-
(*Interruption*)

डिप्टी स्पीकर : जब डिमांड पुट हो रही हो तो आप कैसे बोल सकते हैं। (How can the hon. Member speak when the demand is being put to the vote of the House.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : हमारे ऊना की सवां मुतअल्लिक वज़ीर साहिब ने कुछ नहीं बताया और न ही मुझे बोलने का वक्त दिया गया है। और मुझे मेरे हक से महरूम किया जा रहा है।

उपाध्यक्षा : आप आपोज़ीशन का पार्ट क्यों प्ले करना चाहते हैं। आप ने जो कुछ कहना है वजीर साहिब से मिल कर कह लें। (Why is the hon. Member playing the part of the Opposition ? He should better contact the hon. Minister concerned and discuss the matter with him.)

Shri Surinder Nath Gautam : On a point of order.

(*Interruptions*)

उपाध्यक्षा : मुझे आपको हाउस से बाहिर निकालना पड़ेगा। Would you please keep quiet ? (I will have to ask you to withdraw from the House. Would you please keep quiet ?)

Deputy Speaker : Question is—

That the part of the demand on account of 44-Irrigatiation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be **reduced** by Rs. 1000/

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the part of the demand on account of 43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced **by** Rs. 100/-

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100/.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Now I will put the cut motion of Principal Rala Ram.

Principal Rala Ram : Madam, I withdraw my cut motion.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the pleasure of the House to withdraw his cut motion ?

Voices : No.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Deputy Speaker : The next cut motion stands in the name of Chaudhri Ran Singh and Saraar Pritam Singh Sahoke.

Sardar Pritam Singh Sahoke
Chaudhri Ran Singh : } Madam, we withdraw our cut motion.

Deputy Speaker Have the hon. Members the pleasure of the House to withdraw the cut motion ?

Voice : No.

Deputy Speaker : Question is—

Tuat the demand be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 4,77,55,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65, in respeet of charges under head 43-IRRIGATION, NAVIGATION, AMENDMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).

———

44-IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (NON.COMMERCIAL).

The motion was carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9 a. m. tomorrow the 19th March 1964,

2.25 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9.00 a. m. on Thursday, the 19th March, 1964.)

842PVS— 386—15-9-64—C.P. & S., Pb., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

19th March, 1964

Vol. I No. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 19th March, 1964

Price Rs. [illegible]

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 21, DATED THE 19TH MARCH, 1964.

Read	*For*	*Page*	*Line*
At	All	(21)1	6
told	itold	(21)23	22
beyond	byond	(21)24	26
Privilege	Previlege	(21)27	Heading
Privilege	Previlege	(21)28	3 and 4 from below
कश्मीर	कक्ष्मीर	(21)37	20
स्पीकर	स्पीरकर	(21)47	18
इन	ईन	(21)55	Last
Mohammad	Mohanmmad	(21)59	17
ਵਾਲੀ	ਵਾਲ	(21)60	16
ਲੈਂਦਾ	ਲਂਦਾ	(21)62	5
बन न	बनन	(21)62	Last
PERSONAL	PERSNOL	(21)65	Heading
ਆਈ. ਐਨ. ਏ. ਫੌਜ	ਆਈ. ਐਨ. ੲਜ਼. ਫੌਚ	(21)66	Last
ਐਕਸੈਪਟਿਡ	ਐਕਸਪੇਕਟਿਡ	(21)76	6 from below
ਹੋਇਆਂ	ਹੋਇਆ	(21)77	I
ਹੈ । ਕੌਮ	ਹੈ ਕੌਮ ।	(21)79	13
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ	ਕੁਰਬਾਨੀਆ	(21)79	14
ਬੈਠੇ	ਬਠੇ	(21)81	20
LIGH	LIGHT	ix and xi	12 and 9
Kartar Singh	Ksrtar Singh	xix	Serial No. 92

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 19th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector-1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary. : I have to inform the House that Mr. Speaker having resigned, the Deputy Speaker will occupy the Chair from now onwards.

(All this stage, the Deputy Speaker occupied the Chair amidst thumping of the Table from the Opposition.)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to Starred Question No. *4273

Chaudhri Darshan Singh : The total expenditure incurred on these functions exceeds Rupees two lakhs. May I know whether the amount includes T.A., D.A., etc., paid to Ministers and their staff ?

Irrigation and Power Minister : I need a separate notice for that.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रकम बताई गई है क्या जो सिक्योरिटी मैयर्ज़ के लिये सटाफ इस्तेमाल हुआ उसके आने जाने का खर्च भी इस में शामिल है ?

Minister : Obviously not.

Comrade Shamsher Singh Josh : There is difference in expenditure incurred on various functions. For instance, a sum of Rs 2,000 only was incurred, when Shri Bhim Sain Sachar, former Chief Minister , Punjab, performed the opening ceremony of Coffer Dam. What are the reasons therefor ?

Irrigation and Power Minister : Reasons can be well imagined. This Dam was not to survive. It was to be removed later on.

उपाध्यक्षा : मौके मौके के मुताबिक ही खर्च किया जाता है । कहीं थोड़ा हो सकता है कहीं ज्यादा । (The amount of expenditure depends upon the nature of each occasion, and as such it can vary-some time more and some time less.)

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि आया जो सैरेमनीज़ होती हैं यह किन बातों का ख्याल करके इनके लिए पैसा रखा जाता है ?

Minister : The incurring of expenditure mainly depends upon the importance of the ceremony.

Note—Starred Question No. 4273 alongwith its reply appears in P. V. S. Debate, Vol. 1, No. 20, dated the 18th March, 1964.

Channelization of River Sutlej from Rupar to Harike Pattan

*4300. **Sardar Gurdial Singh Dhillon** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to channelize the river Sutlej from Rupar to Harike Pattan by constructing bunds on the banks of the river; if so, the total estimated cost of the construction of such bunds ;

(b) the total area of land estimated to be reclaimed by the said channelisation ;

(c) the total amount of compensation that is likely to be paid for the lands which are proposed to be acquired for the implementation of the above proposal ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes. The estimated cost is about Rs 1,79,13,000.

(b) About 1.55 lac acres.

(c) The amount of compensation likely to be paid for the lands proposed to be acquired cannot be estimated at this stage as the rates of land have to be verified by the Deputy Commissioners concerned before these are announced by the Land Acquisition Officer.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मैं वजीर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि आया चैनेलाईज़ेशन के लिए जमीन के रेट को वैरीफाई किया जा चुका है या अभी तक वैरीफाई करने का प्रॉसैस जारी है या अभी यह शुरू करना है ?

मन्त्री : इस के मुताल्लिक लैंड ऐक्वीज़ीशन डिपार्टमैंट बता सकता है ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : यह सवाल तो आपके महकमे का है और मैं आप ही से पूछ रहा हूं ।

मन्त्री : इस के मुताल्लिक आप रेविन्यू मिनिस्टर से दरयाफत करें।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : On a point of information, Sir. मैं पूछना चाहता हूं कि आया इरीगेशन मिनिस्टर मुझे किसी दूसरे मिनिस्टर के सुपुर्द कर सकते है ? (हंसी)

मन्त्री : मैं ने इस का पहले जवाब दे दिया है ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know whether the work of channelising the river is being done by the Government or through private agencies ?

Minister : By the Government, please.

Chaudhri Darshan Singh : Will the area reclaimed be allotted to the Harijans ?

Minister : The whole thing is under examination. The Government propose to start some Government controlled Farms there.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ $1\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : उन को जल्दी से जल्दी मुआवज़ा दे दिया जाएगा ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : वजीर साहिब ने बताया है कि 1.55 लाख एकड़ लैंड रिक्लेम की जाएगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया वजीर साहिब बतायेंगे कि

एक्वायर शुदा ज़मीन का मालिया पहले ओनर्ज़ को देना होगा या कोई और तरीका इस के लिये इख्तियार किया गया है ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਮਾਊਂਟ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। We will pay it at once ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। We have to deposit it in the Revenue Account and it remains there lying for months together. The landowners do not come to have it.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਵਰ ਬੈਡਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਣ ਰੈਵਿਨਿਊ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇ ਆਵੇਗਾ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। The work of channelizing the river has been started. Government have taken over the land. May I know whether the Government are considering to award the compensation at the earliest ?

Revenue Minister : Certainly, that will be done.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆਂ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know as to what happened to the case in which the land was acquired for some specific purpose, i.e., for Drain No. 8 ? This land was denotified. Is that land being returned to the landowners ?

Irrigation and Power Minister : The cultivators requested that their land should be returned to them. This is being done.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: I assure you, ਅਸੀਂ ਰੇਵਿਨਿਊ ਦਾ ਗੌਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ।

Revenue Minister : From the date of taking over possession of land, his revenue is remitted.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि रोपड़ से नंगल तक स्कीम का हिस्सा क्यों छोड़ दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : अभी वह स्कीम के तहित नहीं है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the land be returned to the landowners after it has been levelled up by the Government ?

Minister : Yes, please.

चौधरी राम सिंह : चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि फ़ौरन ही कम्पेनसेशन दिया जाता है तो मैं इरीगेशन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को जिनकी ज़मीनों पर एक हैल्थ सैंटर सन् 1953 में जुलाना में बना था उनको कम्पेनसेशन अब तक क्यों नहीं दिया गया और लैंड रैवेन्यू उनसे लिया जा रहा है ?

Revenue Minister : There must be something, but it can only be known after the enquiry.

चौधरी राम सिंह : लैंड रैवेन्यू भी नहीं छोड़ा और कम्पेनसेशन तो दिया क्या जाएगा । अभी तक 11 साल हो गए हैं । यहां जो कुछ कहा जाता है कि कम्पेनसेशन देते हैं वह सही नहीं है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं मिनिस्टर साहब से यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जब से ज़मीन एक्वायर की और जब तक लोगों को वापस नहीं की क्या उस पीरियड का कम्पेनसेशन उन लोगों को दिया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : ज़मीन लेकर वापस करना भी कानून के तहित ही होता है । ज़मीन को नीलाम करना होगा और यह ज़रूरी नहीं कि जो ज़मीन के असली मालिक हैं वही ले सकें और कोई ले ही न सके । यह एक पेचीदगी लोगों के सामने आई इस लिए काश्तकारों ने दरखास्त दी कि जिस हालत में ज़मीन उनसे ली गई थी उसी हालत में उन्हें दी जाए । तो वैसी ही हालत में दी जा रही है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : It has just been stated that the land will be returned to the landowners. May I know whether this will be done by auction or otherwise in routine by the Government ?

Minister : There is a certain procedure in this connection. Under that procedure, the land will have to be auctioned. But, in order to avoid auctioning of the land, it will be returned under certain conditions.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मालकान को उस पीरियड के लिए हर्जाना दिया जाएगा ?

Revenue Minister : I may submit that there are rules on the subject according to which some percentage of the amount is deducted from the price of the land, such as acquisition charges etc.

श्री फतेह चन्द विज : लैंड एक्वायर करने के बाद जब 6 महीने के अन्दर कम्पेनसेशन देने का रूल है तो 10, 10, 12, 12 साल से कम्पेनसेशन क्यों नहीं दिया गया ?

माल मन्त्री : बहुत सी जगहों पर फाइल्ज़ मरत्तब नहीं हुई इसलिए वह केस पड़े रहे । ज़मीन वालों ने भी फालो नहीं किया । अगर आप नोटिस में लाएंगे तो गौर किया जाएगा । वैसे आर्डर किया जा चुका है कि जहां पर पेमेंट नहीं हुई वहां पर पेमेंट की जाए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि नंगल और रोपड़ के दरम्यान का हिस्सा स्कीम में नहीं रखा गया । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यह हिस्सा छोड़ा गया क्या उसका सर्वे कराया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : अभी तक नहीं कराया गया ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : It is within the knowledge of the Minister for Irrigation that, in the first instance, the land for the diversion of Drain No. 8 was acquired near village Kundri, and later on the alignment was changed, with the result that that land remained in the possession of the Government for 3 or 4 years, and is not now required for public purpose. May I know if the Government will pay compensation to the landowners for the crops which were standing at the time the land was taken over by the Government, and also for the period during which the owners could not cultivate their land.

Minister : If there were any crops at the time when the land was taken over, compensation will be paid. As regards the intervening period, I have already suggested that ultimately it will have to be recovered from those very people. If, however, the hon. Member insists that compensation should be paid to them, while we return the land that amount will be added to the price of the land?

(At this stage Shri Prabodh Chandra entered the House and there was continuous and repeated thumping by the Opposition.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਰਵਿਨਿਊ ਨਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ?

Revenue Minister : This is always done. Whenever any land is acquired and taken possession of, the land revenue in respect thereof is suspended by the Deputy Commissioner at that very stage. If, however, there is any case where this has not been done, the hon. Member may please bring that to my notice and I will look into that.

Pandit Chiranji Lal Sharma : It has been brought to the notice of the Government that there is usually inordinate delay in paying compensation for the land acquired and in certain cases even period of 11 years has elapsed but the payment has not been made. What steps do the Government propose to take to avoid all this delay ?

Revenue Minister : The only precaution that can be taken is that we ask the Colonization Officers and the Land Acquisition Officers that they should meet every alternate month. We also enquire from them about the cases whether the payment has been made. We can in this way impress upon them that they should pay compensation as quickly as possible.

Baboo Bachan Singh : What about the past ?

Revenue Minister : The past is also being looked into.

Chaudhri Darshan Singh : Is the hon. Minister for Revenue prepared to issue the instructions that no land revenue should be charged for the land acquired by the Government.

Revenue Minister : The instructions are already there. I will repeat those instructions.

Deputy Speaker : Next question please.

Canal Advisory Committee of Bhakra Main Line Division, Patiala

*4885. **Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the Canal Advisory Committee of the Bhakra Main Line Division, Patiala, was constituted in 1962 ;

(b) the names of the members of the said Committee together with their designations and addresses ;

(c) the number of meetings so far held by the said Committee and the details of the business transacted at each of the meetings ; if no meetings have so far been held, the reasons therefor ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The Committee was constituted on 7th December, 1961, and not in 1962.

(b) A list of members of the Committee, together with their designations and addresses, is placed on the Table of the House.

(c) No meeting could be held so far due to the misunderstanding in regard to the constitution of the Committee.

List of members of the Committee together with their addresses and designations

1. Captain Bhag Singh, now M.L.A., post office Payal, district Patiala.
2. Shri Ajaib Singh, Advocate, now M.L.A. Ambala.
3. Sardar Kapur Singh, now Member, Parliament.
4. Shri Gian Singh Rarewala, M.L.A., village Rara, district Patiala.
5. Shri Bahadur Singh, M.P. (then), village and post office Mohi, tehsil Jagraon, district Ludhiana.
6. Shri Kapur Singh, M.L.C., Chairman, Punjab Legislative Council, Chandigarh.
7. Shri Jagir Singh Dard, M.L.A., village and post office Sahnewal, district Ludhiana.
8. Shri Ajmer Singh, M.L.A., now Revenue Minister, Punjab.
9. Revenue Assistant, Patiala/Ambala/Rupar, Co-opted Member.
10. S.D.O., Civil, Rupar/Samrala/Bassi (Sirhind), Co-opted Member.
11. District Agricultural Officer, Ludhiana.
12. Revenue Assistant, Ludhiana.
13. Block Development and Panchayat Officer, Samrala, district Ludhiana.
14. S.D.O., Samrala Canal Sub-Division, Morinda (Secretary).
15. Assistant Land Reclamation Officer (South), Model Town, Karnal.

16. Shri Gurbachan Singh, Sarpanch, Kotla Nihang, tehsil Rupar, district Ambala.

17. Shri Jashmer Singh, son of Shri Durlabh Singh, of village Samrala, district Ludhiana.

18. Shri Sewa Singh Gill of village Rohnon near Khanna, tehsil Samrala, district Ludhiana.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੂਲਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?

Minister : I will invite the attention of the hon. Member to answer given to part (c) of the question.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ part (c) ਦੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 1961 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ?

Minister : I have already stated, Madam, that there was a controversy in regard to the constitution of the Committee as to whether it was constituted according to the instructions issued and this point is being examined.

Chaudhri Darshan Singh : Will the hon. Minister let the House know the misunderstanding or controversy in regard to the constitution of this Committee ?

Minister : As regards the non- official Members, the position is—

> "Non-official members of Canal Advisory Committee will consist of all the M.L.A.s, M.L.C.s and M.P.s of the Division. In addition to these five other agriculturist members will be nominated by the Government out of which two will represent Kisan Section."

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ?

मंत्री : जल्दी ही की जाएगी ।

Comrade Shamsher Singh Josh : It has been stated by the hon. Minister that the meetings could not be held because of certain misunderstanding in regard to the constitution of the Committee. May I know if that misunderstanding has since been removed so that the meetings could be held in future ?

Minister : Proper constitution of the Committee will be expedited as early as possible.

Chaudhri Darshan Singh : On a point of Order, Madam. May I know from the hon. Chief Minister if he is satisfied with the performance of his Minister.

Deputy Speaker : Is this a supplementary ?

Chaudhri Darshan Singh : Madam, I rose on a point of Order. Let the hon. Chief Minister reply to my query.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister state if the Government will consider the advisability of reconstituting this Committee ?

Minister : I have already stated that this will be done.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या मिनिस्टर पत्नी सिंह बताएंगे कि.... (हंसी)

Deputy Speaker : What do you mean by 'पत्नी सिंह' ?

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : यह मेरी घर वाली का नाम है । इस लिए मैं इनको पत्नी सिंह कह देता हूं । (हंसी)

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। (ਹਾਸਾ)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ bigamy ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਾਈਵੇਟਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। (The hon. Member may address him as Patni Singh while having private talks with him.)

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ) ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ? (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਪਰ ਜਾ ਬੈਠਣ। (ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ)। (ਹਾਸਾ)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਲੇਟ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। (ਹਾਸਾ)

सिचाई तथा विद्युत मंत्री : मुझे तो फिकर नहीं, आप न करना ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰੀਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਰੀਕੰਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਲਈ ਰੂਲਜ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि पहले जो कमेटी बनाई गई थी वह जिस तरीके से बननी चाहिए थी नहीं बनी । अब उसे तरीका के मुताबिक बना दिया जाएगा ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या बज़ीर साहिब बताएंगे कि इस वक्त जो कमेटी स्टैंड करती है उसको जिस अफ़सर ने गलत तरीके से बनाया क्या उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है ?

मन्त्री : देखा जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ?

मंत्री : और किसी जगह बनी ही नहीं हैं ।

Chaudhri Darshan Singh : Has the Government taken any action against the Officer who had been responsible for the formation of this illegal Committee ?

Minister : I have already replied to this question.

Chaudhri Darshan Singh : Madam, the Committee was constituted in the year 1961 and today it is 1964 going on. The hon. Minister has stated that it will be seen if any action is to be taken against the officer concerned. Should the House presume that no action has been taken by the Government so far against that officer ?

Minister : Not as yet.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इसके अन्दर कोई एम.एल.ए. भी लिया गया है या नहीं ?

मन्त्री : कमेटी के मैम्बरों की लिस्ट दे दी गई है उसमें देख लें । वैसे यह कमेटी अब डिफंक्ट है इसलिए इसकी जानकारी लेने का क्या फायदा ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : नई कमेटी कब बना दी जाएगी ?

मन्त्री : जल्दी से जल्दी ।

Foundation-laying ceremonies of Power Houses constructed under the Bhakra-Nangal Project

***4274. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of functions so far held in connection with foundation-laying ceremonies and inauguration of Power Houses constructed under the Bhakra-Nangal Project, together with the names and designations of the persons who performed the said ceremonies and the total expenses incurred by Government on each function ?

Chaudhri Ranbir Singh : Five functions have so far been held in connection with foundation-laying ceremonies and inauguration of power houses constructed under the Bhakra-Nangal Project. The requisite information in regard to each of these functions is as under :—

Serial No.	Name of Power House	Inauguration ceremony performed by	Date on which function held	Expenditure
				Rs
1	Ganguwal Power House ..	Late Dr. Rajindra Prasad, former President of India	2-1-55	85,878
2	Kotla Power House ..	Late Pt. G.B. Pant, former Union Home Minister	9-6-56	10,741
3	Switching on ceremony of Unit No. I in the Bhakra Power Plant	Shri N. V. Gadgil, former Governor of Punjab	14-11-60	3,441
4	Switching on ceremony of Bhakra Plant Unit No. 3	Shri Gian Singh Rarewala, former, I.P.M.	21-7-61	Nil
5	Bhakra Left Bank Power House	Shri Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India	10-12-61	44,271
			Total ..	1,44,331

Chaudhri Darshan Singh : In the case of inauguration of Ganguwal Power House by the late Dr. Rajindra Prasad, former President of India, an expenditure of Rs 85,878 was incurred while in the case of inauguration of Bhakra Left Bank Power House by the Prime Minister only a sum of Rs 44,271 was spent. What are the reasons for this great difference in expenditure on these two occasions ?

Minister : At the time of inauguration of the Ganguwal Power House prizes worth Rs 16,844 were awarded.

Sardar Gurnam Singh : In view of the facts given by the hon. Minister, may I know if it is under the consideration of the Government to appoint a Minister for Ceremonies with a view to conserving the energy of other Leaders whom they invite from outside ?

Minister : Personalities who can inspire the people are invited to inaugurate these power houses and it is not possible for any body to create personalities.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि लेट प्रैज़ीडैंट और प्रधान मन्त्री साहिब के उद्‌घाटनों पर जो खर्च हुआ है उसकी तफसील क्या है ?

Minister : Due publicity was made when late Dr. Rajendra Prasad, the then President of India, inaugurated the Ganguwal Power House and a sum of Rs 10,789 was spent on this publicity. A sum of Rs 16,844 was spent on the giving of Prizes and Awards ; Rs 23,235 were spent on Refreshment, etc.; hiring of furniture, etc., cost the Government Rs 23,812 and the miscellaneous expenditure incurred on that occasion was Rs 11,198. These are the details of the expenditure incurred in connection with the inauguration of the Ganguwal Power House by the then President of India.

When the Prime Minister of India inaugurated the Bhakra Left Bank Power House, the details of expenditure incurred on that occasion, are—

			Rs
1.	Entertainment, lunch, tea, etc., of invitees	..	11,445.40
2.	Hiring of furniture	..	7,636.84
3.	Transportation of material and Guests	..	5,939.08
4.	Illuminations and decoration	..	2,138.18
5.	Printing and Publication	..	477.69
6.	Miscellaneous	..	1,633.86
7.	Awards	..	12,000.00
	etc. etc.		

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ-ਆਗਰੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਦੇ ਉਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟੀ੦ ਏ੦ ਅਤੇ ਡੀ੦ ਏ੦ ਦਿਤਾ ਹੈ ?

Minister : I do not have the information at present.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ-ਮੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

Deputy Speaker : It does not arise.

पंडित मोहन लाल दत : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि इन आलीशान फंक्शन्ज पर बहुत अमीर आदमी बुलाए जाते हैं और पब्लिक का बहुत सा रुपया ज़ाया किया जा रहा है जब कि हमारा देश गरीब है और डिवेल्पमेंट के लिए काफी रुपए की ज़रूरत है ? क्या सरकार एमर्जेंसी के वक्त इन खर्चों को कम करने के लिए सोचेगी ताकि वह रुपया लोगों की भलाई के लिए खर्च हो सके ?

मन्त्री : आलीशान काम था और आलीशान काम के लिए आलीशान तरीके अपनाने पड़ते हैं । (विघ्न) (बहुत शोर)

(इस वक्त श्री मंगल सेन कुछ बोलने के लिए खड़े हुए ।)

Pandit Chiranjit Lal Sharma : May I ask the hon. Minister to let me know the number of persons who joined the feast on which about Rs 23,000 have been spent ?

Minister : I require notice for it.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जो इस आलीशान फंक्शन पर रुपया खर्च किया जा रहा है उस में ट्रकों का किराया या खर्च भी शामिल है जो कि लोगों को वहां ढो कर लाते हैं ?

मन्त्री : जहां तक मैं समझता हूं लोग नेताओं के प्रति प्यार होने के कारण उनको देखने और उनके विचार सुनने के लिए आते हैं । श्री बलरामजी दास टंडन को नेताओं से प्यार है या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि गंगूवाल में जितने अवार्ड दिए गए हैं उन में क्या मजदूरों को भी कोई अवार्ड दिया गया है या अफ़सरों को ही इनाम दिए गए हैं ?

मन्त्री : इस वक्त मेरे पास डिटेल नहीं है । इस लिए अलैहदा नोटिस दें और उसका जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि आलोशान काम के लिए आलोशान प्रबन्ध जरूरी है मैं जानना चाहता हूं कि क्या शानदार काम के लिए शानदार वजीर होना भी ज़रूरी है या नालायक बज़ीर से काम चल सकता है ?

उपाध्यक्षा : It is not supplementary question. आप 'नालायक' लफ़ज़ वापिस लें । (It is not supplementary question. The hon. Member should withdraw the word 'नालायक'.)

श्री मंगल सैन : आप का हुकम तो मानना है । मैं आप की तरक्की चाहता हूं । (हंसी) मैं यह लफ़ज वापिस लेता हूं । इस की जगह मैं कम अकल वाला बज़ीर कह देता हूं ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि इन आलीशान फंक्शनों पर राग नाच का भी प्रबन्ध किया जाता है और उस पर कितना खर्च किया जाता है ?

मन्त्री : जहां तक इन फंक्शन्ज़ का ताल्लुक है, मेरे पास इसके इलावा कोई जानकारी नहीं है । उसके लिए तो सैपेरेट नोटिस चाहिए । जहां तक गाने बजाने का सम्बन्ध है यह हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता है। इस के लिए एक वेद लिखा गया है । (हंसी)

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि वह भी इन फंक्शन्ज में गाने बजाने में हिस्सा लेते हैं। (हंसी)

मन्त्री : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इसके लिए बहुत फिट रहेंगे ।

श्री सागर राम गुप्ता : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि इस के लिए 16 हज़ार रुपए और 20 हज़ार रुपए अवार्ड दिए गए हैं । श्री सुरेन्द्र नाथ गोतम ने सप्लीमैंटरी सवाल पूछा था कि मज़दूरों को भी अवार्ड दिया गया है या कि नहीं। उसका जवाब मिनिस्टर साहिब ने नहीं दिया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डिटेल्ज़ में बता दिया जाए कि किस किस को अवार्ड दिया गया और कितना दिया गया ?

मन्त्री : मैं मानता हूं कि मज़दूरों को भी अवार्ड दिया गया होगा, किसको दिया गया और कितना कितना दिया गया है यह इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है । इस के लिए सैपेरेट नोटिस दिया जाए और जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री सागर राम गुप्ता : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ब्रोडली कैटेगरीज़ ही बता दें कि किन किन को दिया गया है ।

मन्त्री : जितने वहां पर काम करते हैं, चाहे वह अफ़सर हों या मज़दूर हों, जिसने अच्छा काम किया, सब को अवार्ड दिया गया होगा । मैं यह मानता हूं, लेकिन इस प्रश्न का 6, 7 साल पहिले से ताल्लुक है, इस के लिए माननीय सदस्य कोई सैपेरेट प्रश्न देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री सागर राम गुप्ता : इस जवाब से सप्लीमैंटरी सवाल अराइज़ होता है कि जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने जवाब में बताया है कि 20 हज़ार, 16 हज़ार रुपए अवार्ड के रूप में दिए गए हैं, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह अवार्ड किन किन को दिए गए हैं । क्या इन में मिनिस्टरों, अफ़सरों या मज़दूरों के नाम भी शामल हैं ? (विघ्न) (शोर)

मन्त्री : श्री सागर राम गुप्ता का नाम इन में नहीं है ।

श्री सागर राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे पता नहीं लगता कि मिनिस्टर साहिब मेरे छोटे से सवाल का जवाब क्यों नहीं देते ।

उपाध्यक्षा : अगर आप में हिम्मत और दम होगा तो वह जवाब देंगे । (The hon. Minister will give a reply if the hon. Member has strength to listen through.)

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मिनिस्टर साहिब को इस बारे में कोई जानकारी है कि इन आलीशान उद्घाटनों में बढ़िया शराब भी पिलायी जाती है ?

मन्त्री : हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिन्दुस्तान की तमाम स्टेट्स में किसी भी सरकारी पार्टी में शराब नहीं दी जाती है । पंजाब में तो सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उपाध्यक्षा : अगर आप के पास कोई स्पैसेफिक बात है तो आप इन के नोटिस में ले आएं ताकि आगे के लिए ऐसी बात न हो । (If the hon. Member has some specific information with him then he may supply it to the hon. Minister so that such things may not happen in future.)

मन्त्री : यहां पर ऐसी कोई मिसाल नहीं है ।

उपाध्यक्षा : पंडित जी, आप मुझे बता दें । मैं पता कर लूंगी । (The hon. Member may supply this information to me. I will look into it.)

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं आप को तो सैटिस्फाई कर सकता हूं, लेकिन मिनिस्टर साहिब को नहीं ।

कामरेड शमशेर सिंह जोश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । क्या माननीय मिनिस्टर गवर्नमैंट आफ इंडिया के बीहाफ पर इस हाउस को कुछ इन्फार्मेशन दे सकते हैं या पंजाब सरकार के बारे में ही कह सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : वह पंजाब गवर्नमैंट के बारे में ही कह सकते हैं । चौधरी रणवीर सिंह जी, आप अपने लफज़ वापिस लें। (The hon. Minister can give the information in respect of the Punjab Government only. The hon. Irrigation and Power Minister should withdraw his words.)

मन्त्री : मैंने जो कुछ कहा है वह इस लिए कहा है क्योंकि मैं लोक सभा का सदस्य रहा हूं । जो सूचना मिली वह इन्फार्मेशन दी है । अगर आप कोई इस में एतराज समझते हैं तो मैं अपने लफज़ वापिस ले लेता हूं ।

Electrification of villages Durgapur and Fazalpur of Tehsil Palwal

***4687. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that 1100 K.V. electric line is passing through Durgapur and Fazalpur villages in tehsil Palwal; if so, the reasons, if any, for not electrifying those villages ?

Chaudhri Ranbir Singh : (1) *Village Durgapur.*—11 K.V. line is passing about one furlong from Durgapur but the village could not be electrified because this village is not covered under any sanctioned sub-project estimate. Instructions have now been issued to electrify villages. The work of connecting of loads to applicants in this village, who have deposited securities is in hand.

(2) *Village Fazalpur.*—11 K.V. line is passing about one mile from the village. It could not be electrified for paucity of the funds during the current financial year. However, the feasibility of electrifying this village will be considered during the year 1964-65.

श्री रूप लाल मेहता : मिनिस्टर साहिब ने जो सवाल के जवाब में इन्फार्मेशन दी है वह गलत है । वह उस गांव से एक मील की दूरी से जाती है । वहां पर एक साल से बिजली भी नहीं दी गई है । इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, जो सूचना बोर्ड से हमें मिली है वह मैंने माननीय सदस्य को दे दी है । जो उन्होंने पूछा है उस के बारे में बता दिया गया है कि वह एस्टीमेट में शामिल नहीं था ।

Shri Ram Kishan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state if any of such villages has been included in the coming year's programme for rural electrification ?

Minister : No programme for the year 1964-65 has yet been finalised. I have, however, assured that efforts will be made to include these villages.

श्री रूप लाल मेहता : वजीर साहिब ने पिछले साल खुद ही कहा था कि जिन गांव से आधे मील के फासले पर 11 के० वी० लाईन गुज़रती है सरकार ने हिदायात जारी कर दी है कि उन को बिजली सप्लाई कर दी जाए । लेकिन मेरे इलाके में बिजली नहीं दी गई, इस का क्या कारण है ?

मन्त्री : हिदायात भी जारी की गई थीं और ऐसे गांव को बिजली भी दी गई है । जब हिदायात जारी की गई थीं उस समय पंजाब में ऐसे गांव की तादाद 1,300 थी ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि सरकार ने बोर्ड को और बोर्ड ने अपने दफतरों को यह हिदायात जारी कर दी हैं कि जो गांव 11 के० वी० लाईन से आधे मील के फासले पर हैं उन को बिजली जल्दी से जल्दी दे दी जाए ।

Shri Ram Kishan : Will the hon. Minister be pleased to state if any date has been fixed for chalking out a programme for rural electrification for the next year ?

Minister : No particular date has yet been fixed.

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या मैम्बर साहिब जो कि मिनिस्टर साहिब के पीछे खड़े हैं ठूंगे से इशारा करके सवाल कर सकते हैं ?

Shri Ram Kishan : Will the hon. Minister be pleased to state if any instructions have been issued to State Electricity Board to prepare and chalk out a programme for rural electrification for the next year ?

Minister : Madam, I don't think it is necessary. It is their duty and they are expected to do so.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि क्या यह हकीकत है कि जो रुपया रूरल इलाके को बिजली मुहैया करने के लिये रखा गया था उसको डाईवर्ट करके और कामों पर लगा दिया गया ?

मन्त्री : मैं मैम्बर साहिब को आप के द्वारा अर्ज़ करता हूं कि यह सवाल तो गुड़गावां जिले के दो गांव के बारे में हैं । अगर इस सिलसिले में अलग प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे दिया जाए गा । However, if I remember aright, this has not been done during the last two years since I am holding this office.

श्री रूप लाल मेहता : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि इन दो गांव के इलावा भी कई गांव को बिजली नहीं दी गई हालांकि लोगों की सैंकड़ों दरखास्तें आई हुई हैं ?

मन्त्री : माननीय सदस्य जिन गांव के बारे में बताएंगे उनके बारे में बोर्ड से दरखास्त की जाएगी कि उनको जल्दी बिजली दे दी जाए ।

श्री रूप लाल मेहता : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांव के पास 11 के० वी० लाईन जा चुकी है बिजली देने में उन को प्रायरेटी दी जाएगी कि नहीं ?

मन्त्री : उनको बिजली भी दी जाएगी, प्रायरेटी ही नहीं दी जाएगी ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि लोहारू तहसील में बिजली की लाईन गई है, खम्बे भी वहां पर लगे हुए हैं लेकिन उनमें करंट नहीं दिया गया, इस का क्या कारण है ?

मन्त्री : लेडी मैम्बर साहिबा जिन गांव की बात करती हैं उनके बारे में लिख कर भेज दें, उनके बारे में जानकारी कर ली जाएगी । जहां जहां से 11 के० वी० लाईन गुज़रती है उन को जल्दी से जल्दी बिजली दे दी जाएगी । लेकिन वहां से तो 33 हज़ार के० वी० लाईन गुज़रती होगी ।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं वज़ीर साहिब की इतलाह के लिये बता दूं कि वहां से 11 के० वी० लाईन गुज़रती है । हम जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी की क्या डैफीनीशन है ?

उपाध्यक्षा : इस हाउस के आनरेबल लेडी मैम्बरान बिल्कुल क्वायट हैं । कभी गलती से कोई सवाल पूछ लें तो उसका जवाब डैफीनेट आना चाहिए । जब वह कहती हैं कि वहां पर खम्बे लगे हुए हैं तो बताएं कि कब तक बिजली लग जाएगी ? (The hon. Lady Members of this House generally remain quiet. If, however, by chance they ask any supplementary, they should be given a definite reply. When she says that electric poles have been provided there the hon. Minister should tell her as to when the electric current will be supplied.)

मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत उन से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे उन गांव का नाम दें दें तो मैं पता करके बता सकता हूं । वैसे नहीं बता सकता । मैंने पहले ही उनसे निवेदन किया था कि मुझे लिख दें मैं पता करके बता दूंगा ।

श्रीमती चन्द्रा वती : उन गांव वालों की कई बार दरखास्तें आ चुकी हैं ।

उपाध्यक्षा : आप उनको मिल कर पर्सनली दे दें । (The hon. Lady Member may hand over the papers to the hon. Minister personally.)

श्री जगन्नाथ : मेरे हल्के में चौधरी रणवीर सिंह कह आए थे कि जब तक जगन्नाथ कांग्रेस में नहीं आ जाता तब तक मैं इसके इलाके को बिजली नहीं दूंगा । इन्होंने यह फैसला किया हुआ है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो रेगस्तानी इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, जहां पर बिजली नहीं है क्या उन इलाकों को बिजली देने में प्रायरेटी देने की कृपा करेंगे ?

मन्त्री : माननीय सदस्य के दिमाग में जो बुखार है उसको तो मैं नहीं निकाल सकता लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा । जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसने हिदायात जारी की हुई हैं कि जितने भी ऐसे इलाके हैं जैसे भिवानी तहसील, महेन्द्रगढ़ का इलाका है, रोहतक ज़िले में भज्जर का इलाका है या रेवाड़ी का इलाका है जहां पर नहर का पानी नहीं लगता ज़मीन से पानी मीठा है वहां बिजली जल्दी से जल्दी दे दी जाए । उनको टाप प्रायरेटी दी जाए ।

Deputy Speaker : The hon. Minister should not cause provocation by using the words like "Bukhar".

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बिजली मुहैया करते वक्त अपने मुनाफा को ही दृष्टिकोण में रखती है कि लोगों का नफा नुक्सान भी अपने सामने रखती है ? क्या उस स्थान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बिजली सप्लाई करेंगे या नहीं ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, दोनों ही ख्यालात को सामने रखा जाता है ।

Deputy Speaker : Question hour is over. Supplementaries will continue tomorrow.

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके अहदे हकूमत में मैं सप्लीमैंटरी पूछने के लिए पहली दफा खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम जी, आप अपना सप्लीमैंटरी कल कर लेना । (The hon. Member, Chaudhri Net Ram, may put his supplementary question tomorrow.)

चौधरी नेत राम : कल आप ने मुझे बिजली के महकमा पर बोलने भी नहीं दिया था ।

उपाध्यक्षा : कल आप को सप्लीमैंटरी के लिए सब से पहिले इजाज़त दूंगी । (Tomorrow I will give precedence to the hon. Member for asking a supplementary over others.)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Office of the Aviation Adviser, Punjab

1407. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Home Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present, in Class I, II, III and IV posts, separately, in the office of the Aviation Adviser, Punjab, together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

[Sardar Partap Singh Kairon]

Sr. No.	Class of Employees	Total No. of posts sanctioned in the office of Adviser, Civil Aviation	Present Position	Names and dates of appointments of the present incumbents, belonging to Scheduled/ Backward classes.	Present percentage of the members of Scheduled castes/Backward classes	Reservation
1	2	3	4	5	6	7
1.	Class I	1	1	Nil	Nil	Nil
2.	Class II	1	1	Nil	Nil	Nil
3.	Class III	11	9 (Two posts to be filled by clerks belonging to scheduled Castes and Backward Classes).	Nil	Nil	21%
4.		7	4 (Besides part-time sweeper)	1. Shri Dev Singh Peon appointed on 30-5-63 (Scheduled Caste) 2. Shri. Ram Dhani, Mali/ Chowkidar, was appointed on 16-6-63 (Backward Classes)	50%	21%

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Directorate of Languages

1408. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Finance be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts, separately, in the Directorate of Languages, together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The requisite information is detailed here below :—

Name of Class of Service	No. of officer/ officials belonging to Scheduled Castes and Backward Classes	Name of officer/ official	Date of appointment	Percentage in each category	Percentage of posts reserved in each category
				Per cent	
Class I ..	Nil	Nil	..	Nil	Twenty per cent for the Scheduled Castes and 2 per cent for the Backward Classes
Class II ..	2	(1) Shri Rajanish Kumar ..	21-7-56	13	Ditto
		(2) Shri Joginder Singh ..	5-9-48		
Class III	19	(1) Miss Laxmi Chowdry (B.C.)	15-9-60	8.5	Ditto
		(2) Shri Piara Singh (B.C.)	17-4-50		
		(3) Shri Khazan Singh (B.C.)	15-12-49		
		(4) Shri Tarlok Singh (B.C.)	6-6-48		
		(5) Shri Mohinder Singh (B.C.)	12-1-61		
		(6) Miss Upinderjit (B.C.)	28-8-61		
		(7) Shri Tarloki Nath (B.C.)	10-1-61		
		(8) Shri Sukhdev Singh (B.C.)	11-1-61		
		(9) Shri Gurbax Singh (S.C.)	4-1-50		
		(10) Shri Pritam Singh (B.C.)	23-7-62		
		(11) Shri Gurdev Singh (S.C.)	18-11-60		
		(12) Shri Arjan Dass (S.C.)	14-11-60		
		(13) Shri Sarwan Singh (S.C.)	14-11-60		
		(14) Shri Jai Ram (B.C.)	22-11-60		
		(15) Shri Nirmal Singh (S.C.)	28-12-60		
		(16) Shri Narinderjet Singh (B.C.)	14-6-61		
		(17) Shri Mukhtiar Singh (B.C.)	30-4-63		
		(18) Shri Mohinder Singh (B.C.)	13-1-61		
		(19) Shri Devinder Singh (B.C.)	24-11-61		

Name of Class of Service	No of officer/ officials belonging to Scheduled Castes and Backward Classes	Name of officer/ official	Date of appointment	Percentage in each category	Percentage of posts reserved in each category
Class IV	24	(1) Shri Santa Singh (B.C.)	22-8-88 (B.K.)	27	Twenty per cent for the Scheduled Castes and 2 per cent for the Backward classes
		(2) Shri Surjan Singh I (B.C.)	9-11-49		
		(3) Shri Surjan Singh II (B.C.)	20-1-50		
		(4) Shri Gurdev Singh (S.C.)	7-4-61		
		(5) Shri Ram Singh (B.C.)	8-6-59		
		(6) Shri Inder Singh (B.C.)	1-3-61		
		(7) Shri Gainda Ram (S.C.)	5-1-63		
		(8) Shri Pritam Singh (B.C.)	2-8-61		
		(9) Shri Sant Ram, (S.C.)	13-11-62		
		(10) Shri Mansa Ram (B.C.)	1-4-57		
		(11) Shri Om Parkash (B.C.)	3-11-60		
		(12) Shri Charan Dass, (S.C.)	1-5-59		
		(13) Shri Jati Singh, (S.C.)	25-4-60		
		(14) Shri Ram Parshad (S.C.)	1-3-61		
		(15) Shri Amar Nath (S.C.)	7-2-62		
		(16) Shri Baru Singh (S.C.)	10-4-58		
		(17) Shri Santu, (S.C.)	13-10-60		
		(18) Shri Dalip Singh (B.C.)	19-7-50		
		(19) Snri Parkash Singh (S.C.)	13-10-60		
		(20) Shri Hardev Singh (S.C.)	13-4-50		
		(21) Shri Faqir Chand (S.C.)	10-2-61		
		(22) Shri Dharam Singh (S.C.)	19-5-62		
		(23) Shri Atma Singh (S.C.)	14-3-53		
		(24) Shri Jangiri Ram (S.C.)	11-12-62		

M.A. Teachers working in the Middle and High Schools

1497. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a number of M.A. teachers are working at present in the Middle and High Schools, if so, the number thereof, district-wise ;

Note : Unstarred Question No. 1496 and reply there to appear in Appendix to this Debate.

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(b) whether Government is considering any proposal to utilise their services in the Higher Secondary Schools; if so, the details thereof ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. A statement showing the number of M.A. teachers working at present in the Middle and High Schools district-wise is as follows :—

(b) Yes ; either in High or Higher Secondary Schools. The Field Officers have been instructed to transfer all M.As. from the Middle Schools to High or Higher Secondary Schools during the next general transfers in April, 1964.

List showing the number of M.A. teachers working in Middle and High Schools districtwise

District		Number
Jullundur	..	36
Ludhiana	..	16
Ferozepore	..	43
Amritsar	..	33
Kapurthala	..	16
Hoshiarpur	..	32
Kangra	..	40
Gurdaspur	..	33
Ambala	..	47
Karnal	..	89
Rohtak	..	51
Simla	..	5
Hissar	..	46
Gurgaon	..	38
Patiala	..	47
Bhatinda	..	34
Sangrur	..	28
Mohindergarh	..	21
Total	..	655

Ejectment of Tenants in Sirsa Sub-Division

1503. Shri Kesra Ram : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of tenants ejected in Sirsa Sub-Division, district Hissar, during the year 1962-63 ;

(b) the number of tenants out of those referred to in part (a) above who have been allotted surplus land together with the number of those who actually have got possession of such lands ;

(c) the number of the ejected tenants referred to in part (a) above who have not been allotted surplus lands so far ?

Sardar Ajmer Singh : (a) 1,004.

(b) (i) 426.

(b) (ii) 426.

(c) 578. These tenants either did not fulfil the requisite conditions for resettlement on surplus land, i.e. they were already in possession of 5 standard acres or were not willing to be resettled outside their own villages.

Setting up big Factories in Jind Sub-Division

1504. Shri Fakiria : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government for setting up big factories in towns like Narwana, Jind or Safidon of Sub-Division Jind with a view to provide opportunities of employment to the people of that area, if so, the stage at which it is at present and the manner in which it is proposed to be implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : Not at present, Sir.

Central Government Ayurvedic Pharmacy, Patiala

1506. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the annual expenditure being incurred on the staff of the Central Government Ayurvedic Pharmacy, Patiala ;

(b) the value of the medicines being manufactured per year at the said Pharmacy ;

(c) the cost of Ayurvedic medicines, if any, purchased by the Government from the market during the year 1963-64 ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) About Rs 65,000.

(b) About Rs 1 lac.

(c) Nil so far. However, an order was placed after 1st February, 1964, by the Principal, Government Ayurvedic College, Patiala, with the Controller of Stores, Punjab, to arrange supply of medicines at a total cost of Rs 1,70,000.

Request by Engineering Workers Union for opening of Consumers Stores by Certain Firms in Patiala District

1507. Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal: Will the Home Minister be pleased to state whether the Labour Commissioner, Punjab, has received any request from the Engineering Workers Unions, Patiala, to get a Consumer Store opened by M/s Goteze (I) Ltd., and Escorts Ltd., Bahadurgarh (Patiala), and Beege Group of Industries, Patiala; if so, the action taken in the matter ?

Shri Mohan Lal: Yes. The application was filed under intimation to the said Union, as all these establishments were found to be employing less than 300 workers and could not be required to open such stores/shops.

Note: Unstarred Question No. 1505 and reply there to appear in Appendix to this Debate.

Relief given in Flood-affected Villages in Hissar District

@1509. **Shri Amar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of the villages in Hissar District where the loss to the crops was more than 25 per cent during the floods last year alongwith the details of the relief, if any, so far provided to the aforesaid villages in any form ?

Subject.—Assembly question No. 1509 (unstarred) asked by Shri Amar Singh, M.L.A., regarding relief given in flood-affected villages in Hissar District.

The answer to Assembly question No. 1509 (unstarred) appearing in the list of unstarred questions on the 19th March, 1964 in the name of Shri Amar Singh, M.L.A., is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd.) AJMER SINGH,
Revenue Minister.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 2237-ER-II-64/1939, Chandigarh, dated the 18th March, 1964.

Loans given under Housing Scheme in district Hissar

@1510. **Shri Amar Singh** : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state—

(a) the number and names of persons in Hissar District to whom loans were granted under the Housing Scheme during the period from 1957-58 to date ;
(b) whether any applications for such loans are pending at present in the said district; if so, their number together with the dates of receipt of each such application ;
(c) the total amount so far given under the scheme mentioned in part (a) above ?

The answer to Assembly question No. 1510 appearing in the list of unstarred questions for the 19th March, 1964 in the name of Shri Amar Singh, M.L.A., is not ready. The reply will be sent as soon as the relevant information has been collected.

(Sd.) DARBARA SINGH,
Minister for Planning and Public Works, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 2010-IHG-64, dated Chandigarh, the 17th March, 1964

Qualification for the posts of Head Clerks in Block Samitis

1511. **Comrade Bhan Singh Bhaura:** Will the Chief Minister be Pleased to state—

(a) the qualifications, if any, prescribed for the post of Head Clerk in the Block Samitis in the State ;

@Note: For final replies to Unstarred Questions Nos. 1509 and 1510 please see Appendix to this Debate.

(b) whether the Head Clerk of Barnala Block Samiti in district Sangrur fulfils the prescribed qualifications ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Graduate of the recognised University ; or

(ii) Intermediate with 2 years' experience in Government office or Matric with 4 years' clerical experience in Government or District Board's office.

(iii) B.Com or graduate with Mathematics to be preferred.

(iv) Experience in Accounts work will be another desirable qualification.

(b) Yes.

POINT OF ORDER/PRIVILEGE MOTION REGARDING REPLIES TO QUESTIONS ON PUNJAB RAKSHA DAL/HOME GUARDS

Sardar Gurnam Singh : Madam, I raised a question about the Raksha Dal yesterday, but the hon. Leader of the House asked me to postpone it till to-day when the hon. Home Minister would be here. I want to bring to your notice that in answer to supplementary questions by various hon. Members, the hon. Home Minister told us that Raksha Dal was a unit of the Home Guards and there were two Units and two Commanders of equal status. Neither of them is inferior to the other. Their overall incharge is the Home Secretary. Last time, the hon. Home Minister told us that the Home Guard was under the Central Government but this time we are definitely itold that the Home Guard and the Raksha Dal are under the Punjab Home Guards Act, 1947. I have seen the Act. I would like to point out to the hon. Home Minister that the Act neither permits two Commanders nor it permits different conditions of service for two units. I will read out the provisions of the Act before you for this purpose. In 1947, the East Punjab Volunteer Corps Act was in existence. In 1960, this Act was amended by the State Legislature and the only change made was that the words 'Volunteer Corps' were substituted by the words 'Home Guards'.

The hon. Home Minister told us that under Section 9 of the Act, they had issued a notification regularising certain Acts which were first passed by the Executive Order of the Government. Under Section 3, the Government have power to take people on the list of the Home Guards and out of those persons, the Government has the power to appoint any such person as the Commander. Then, Madam, Section 8 gives to the Government power to delegate their powers and functions under Sections 2, 3 or 4 to any person or body of persons. The State Government is empowered under Section 9 to make Rules. The Government can, however, frame rules for the purposes of the Act within the scope of the Act and not beyond its scope.

(At this stage, Sardar Gurnam Singh consulted the relevant Sections of the Act and craved the indulgence of the Chair for a minute).

Madam, Section 3 of the Act reads—

> "The State Government may appoint as members of the Punjab Home Guards so many persons who are fit and willing to serve as such, as the State Government may see fit to appoint and may appoint any such member to any office of command in the Home Guards."

So, the Section is quite clear that any person who is enlisted as Home Guard can be appointed a Commander of the Home Guards, But here

Note: Unstarred Questions Nos. 1512 and 1513 along with the replies thereto appear in Appendix to this Debate.

[Sardar Gurnam Singh]

we are told that they have appointed two Commanders, namely, Lt. General Kulwant Singh and General Mohan Singh of INA and they have equal status. Then we come to Section 8 of the Act, wherein it has been stated—

> "The State Government may by notification and subject to any conditions which may be specified delegate its functions under sections 2, 3 or 4 to any person or body of persons."

It does not mean that they can appoint more than one Commander. They can delegate this power to more than one person for the purposes of the Act. So they could delegate the authority to appoint a Commander of the Home Guards and not to appoint Commanders of Home Guards.

Then, Madam, we come to Section 9, under which notification was issued as stated by the hon. Home Minister. This Section says—

> "The State Government may make rules consistent with this Act.........."

It means that the Rules cannot go beyond the scope of the Act. Rules consistent with the Act can be framed for regulating the organisation, appointment, conditions of service, duties, discipline, arms, accoutrements and clothing of members of the Punjab Home Guards and the manner in which they can be called out for service. So, it is clear that there cannot be two conditions of service for two Units of Home Guards, namely, Home Guards and Raksha Dal ; and two different names. Home Guards must have one condition of service, one type of clothing, one type of T.A. Rules, etc.

Madam, the statement made by the hon. Home Minister while replying the supplementary questions by the various hon. Members of the House goes byond the scope of the Act. I would like him to make it clear. How has he made Raksha Dal a legal organisation under the Home Guards Act which he was pleased to quote before this hon. House ?

(*At this stage the Home Minister rose to speak.*)

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके ऊपर मैंने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया हुआ है ।

उपाध्यक्षा : हां, डाक्टर बलदेव प्रकाश का इस सिलसिले में एक प्रिविलेज मोशन भी है । बेहतर यह होगा कि पहले वह कुछ कह लें । उसके बाद पंडित जी अपनी बात करें । (Yes, there is a Privilege Motion given notice of by Dr. Baldev Parkash on this subject. It will be advisable if he is allowed to speak first. Thereafter the hon. Home Minister may have his say.)

डा० बलदेव प्रकाश : मेरी प्रिविलेज मोशन यह है कि एक सवाल के ऊपर सप्लीमैंटरीज़ का जवाब देते हुए आनरेबल होम मिनिस्टर साहिब ने यह कहा था कि जो ग्राम रक्षा दल है वह पंजाब होम गार्ड ऐक्ट, 1947, के अंदर ही गवर्न होता है ।

कुछ माननीय सदस्य : सैक्शन 9 ।

डा० बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि जो ऐक्ट है वह बिल्कुल क्लियर है ।

उस ऐक्ट के मुताबिक एक कमाण्डर हो सकता है, एक ही युनीफार्म हो सकती है और डैफीनिट एक पे स्केल हो सकते हैं वालन्टीयर्ज़ के और आफीसर्ज़ के । इसके बाद होम मिनिस्टर साहिब ने यह भी बताया था कि ग्राम रक्षा दल की यूनीफार्म अलग है और होम गार्डज़ की अलग है जो ऐक्ट की प्रोवीज़न के बिल्कुल कन्ट्राडिक्टरी है । फिर न यह कोई इस किस्म की ऐक्ट में अमेण्डमेंट लाए हैं जिसके मुताबिक यह किया गया हो कि उन की यूनीफार्मज़ अलग अलग हो सकती हो । ऐसी कोई प्रोवीज़न इस ऐक्ट में नहीं की गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और होम गार्डज़ ऐक्ट के मुताबिक नहीं है। इन्होंने हाउस को बिल्कुल गलत इनफर्मेशन दी है। इस लिए यह हाउस के प्रिविलिज का क्लीयर ब्रीच किया है और इसको ब्रीच आफ प्रिविलिज ट्रीट किया जाना चाहिए ।

The hon. Home Minister gave wrong information to the House. He mis-informed the House. It is a clear breach of privilege of the House and should, therefore, be referred to the Privileges Committee of the House.

(इस समय कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : नहीं; तरसिक्का साहिब आप बैठ जाइए । मैंने पहले होम मिनिस्टर साहिब को काल अपौन कर लिया है । इस तरह बुरा लगता है कि एक आनरेबरल मेम्बर को या मिनिस्टर को जब काल अपौन कर लिया गया हो तो उस को न बोलने दिया जाए और उसकी जगह किसी दूसरे मेम्बर को बोलने दिया जाए । (I would request Comrade Makhan Singh Tarsikka to resume his seat. I have already called upon the hon. Home Minister to speak and it does not look nice not to allow an hon. Member or an hon. Minister, who has already been called upon to speak and instead some one else is allowed to speak).

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी अभी जन संघ पार्टी के मेम्बर साहब जो बोले, मुझे ऐसा अन्दाज़ा है कि मैंने उस दिन जो 4 सितम्बर, 1963, की नोटीफिकेशन पढ़ी थी और जिस का मैंने हवाला भी दिया था कि जो रूल्ज़ हमने बनाए हैं, उनकी तरफ इन्होंने कतई तौर पर ध्यान नहीं दिया । इसी लिए उन्होंने सिर्फ ऐक्ट का ही हवाला दिया है । वह रूल्ज़ जो बाकायदा तौर पर बने हैं और नोटीफाई भी हुए हैं ...... (विघ्न) उसमें उसका हवाला दिया हुआ है । पंजाब होम गार्डज़ ऐक्ट, 1947, के सेक्शन 9 के मातहत इन रूल्ज़ को नोटीफाई किया गया है । पेश्तर इसके कि जो कुछ लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने एतराज़ उठाया है कि यह रूल्ज़ ठीक हैं या नहीं हैं, लीगल हैं या नहीं हैं और कान्स्टीच्यूशनल हैं या नहीं इनका जवाब दूं मैं यह चाहता हूं कि जो एतराज़ दूसरे मेम्बर साहब ने उठाया है मैं उसका जवाब दूं । मैं उस मेम्बर साहब के एतराज़ का जवाब देने के लिए उन रूल्ज़ में से पढ़ूंगा। इन रूल्ज के नम्बर दो पर डेफीनीशन्ज़ दी गई है और क्लाज़ सी में गज़िटिड अफ़सरों की डेफीनीशन्ज़ दी गई हैं । उस की क्लाज़ दो में कमाण्डैंट जनरल का ज़िक्र किया गया है और कमाण्डर्ज़ और चीफ आरगेनाइज़र ग्राम रक्षा दल वगैरह का ज़िक्र किया गया है । इस में

[गृह मन्त्री]

तमाम डेफीनीशनज़ दी गई हैं । आगे रूलज़ में साफ तौर पर प्रोवाईड किया गया है । यह दो यूनिटस हैं होमगार्डज़ की ।

> " 'Gazetted Officer' means an officer of the status specified in column (1) below in the case of Home Guards Unit I and in column (2) in the case of Home Guards Unit II, and includes an officer of the status notified as Gazetted by the Government—

Column (1)	*Column* (2)
(i) Commandant-General	(i) Gram Raksha Dal Chief
(ii) Deputy Commandant-General	(ii) Chief Organizer, Gram Raksha Dal."

> "There shall be the following two units of the Home Guards, namely:—
>
> (i) Home Guards Unit I ;
>
> (ii) Home Guards Unit II.
>
> The control of Home Guards Unit I shall vest in the Commandant-General and that of Home Guards Unit II in the Gram Raksha Dal Chief. The overall control of both the units of Home Guards shall vest in the Government."

I have explained earlier in the House that the overall control vests in the Home Secretary.

Sub-rule (3) of Rule 3 reads—

> "The Government may appoint such number of officers as it may think fit for the purpose of assisting the Commandant-General and the Gram Raksha Dal Chief and may assign to them such ranks and such duties as it may think fit."

Sub-rule (4) says—

> "Home Guards Unit I and Home Guards Unit II shall be organized in such manner as the Commandant-General or the Gram Raksha Dal Chief, as the case may be, with the prior approval of the Government, decide by an order in writing."

मेरी अर्ज़ करने का . . . (विघ्न)

श्री बलरामजी दास टंडन : अगर आप यूनीफार्म्ज़ के बारे में भी पढ़ दें तो बेहतर होगा ।

गृह मन्त्री : अगर आप हौसला से इन्तज़ार करें तो मैं सब पढ़ दूंगा ।

सरदार गुरनाम सिंह : आप फिकर न करें, हम बड़े आराम से सुनेंगे ।

Chaudhri Hardwari Lal : Madam, I rise on a point of order. This day has been allotted for the discussion of No-Confidence Motion against the Ministry as a whole. 15 minutes of the House have already been taken by something which cannot be described as anything excepting an irregular debate. I do not know, under what rule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly , this discussion has been permitted. This discussion cannot take place now. If you want this discussion , you may fix some other time. If you permit irregular debates, then we cannot transact any business.

Deputy Speaker : I have followed the point of order raised by the hon. Member.

The Leader of the Opposition has raised this question with his arguments. Now, the hon. Home Minister is explaining his case.

This would not take much time. Therefore, I request the hon. Member to let it continue.

Sardar Gurnam Singh : Madam, I only pointed out that the answer given by the hon. Home Minister to supplementary questions of the various hon. Members was not correct. I have a right to do so immediately after the Question Hour.

Home Minister: Madam, it is also my right to explain away the misconceptions of the Leader of the Opposition as well as of the other hon. Members of the House.

इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि जो कुछ मैंने उस दिन कहा था वह मैंने फिर पढ़ दिया है और यही बात कहता हूं कि इस बारे में रूल्ज़ बने हुए हैं और उनमें दिया हुआ है कि इस महकमा के दो डिफरेंट युनिट्स हैं एक होम गार्ड्ज़ और दूसरा रक्षा-दल । यह गज़िटिड नोटीफाइड रूल्ज़ हैं जिन का मैंने अभी अभी ज़िक्र किया है । अब लीडर आफ दी आपोज़ीशन फरमा रहे थे कि यह रूल्ज़ ऐक्ट के मुताबिक नहीं हैं और यह ऐक्ट के स्कोप से बाहर जाते हैं इस लिए लीगल नहीं हैं। इन के मुताल्लिक इन की अपनी राए हो सकती है। यह पुराने कानूनदान हैं और काफी देर तक कानून एडमिनिस्टर करते रहे हैं इस लिए इनको अपनी राए रखने का हक हासिल है; लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि हमने इनकी इन्टेग्रेशन के लिए एक हाई पावर्ड सब कमेटी बनाई थी जिस में होम सैक्रेटरी थे, आई० जी० पुलिस थे और जनरल कुलवंत सिंह थे। उस हाई पावर्ड सब कमेटी में सारी चीज़ों पर सोच विचार हुआ और उसने यह रूल्ज़ बनाए जिन की गज़ट नोटीफीकेशन भी हुई। इसलिए गवर्नमैंट की यह राए है कि इस हाई पावर्ड सब-कमेटी की सिफारिशात एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमैंट ने जो यह रूल्ज़ बनाए हैं, यह कान्स्टीच्यूशनल हैं और ऐक्ट के मुताबिक हैं और बिल्कुल लीगल हैं और होम गार्ड्ज़ ऐक्ट के मुताबिक हैं और जो कान्स्टीच्यूशन आफ होम गार्ड्ज़ एण्ड रक्षादल है वह कानून के मुताबिक है और अगर लीडर आफ दी आपोज़ीशन कोई मुख्तलिफ राये रखते हैं तो उनको ऐसा करने का हक हासल है और अगर वह हमारी राय को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो भी कानूनी तरीका ठीक समझते हैं उस तरीके से चैलेंज कर लें । हाउस में यह सिर्फ एतराज़ उठा सकते हैं लेकिन इस हाउस को किसी चीज़ को लीगल या इल्लीगल डिटरमिन करने का हक नहीं हो सकता । इस बारे में यह फैसला करना कि यह लीगल है या नहीं है यह हाउस का काम नहीं है। इस के लिए मुख्तलिफ फोरम है और इनको हक हासल है कि यह वहां जा कर इस को चैलेंज कर लें । (एक आवाज़ : वर्दियों के मुताल्लिक भी बता दें) जहां तक रक्षादल की वर्दियों का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करता हूं कि हम उनको वर्दियां सप्लाई नहीं करते बल्कि हम उनको वर्दी अलाऊंस देते हैं जिस से वह अपनी वर्दियां बनवा लेते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वर्दियों में युनीफार्मिटी लाई जाए ।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । अभी अभी होम मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि इन्टेग्रेशन के बाद हम वर्दी अलाउँस देते हैं। पहले की वर्दी भी

[श्री बलरामजी दास टंडन]

चलती है । जब रूल्ज़ और ऐक्ट में कोई प्रोवियन नहीं है कि दो वर्दियां रहें और एक ही वर्दी हो सकती है तो क्या सरकार का वर्दी अलाउंस देने का यह मतलब है कि जो मर्जी जैसी जी चाहे वर्दी रख ले ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਐਪਰੂਵ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ?

गृह मन्त्री : इस बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, अलग पूछिये ।

डा० बल्देव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो प्रिविलेज मोशन है वह आप ने देख ली है, आर्गुमैंट्स सुन लिए हैं और मन्त्री महोदय का जवाब भी आ गया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसका रूलिंग आप कल देंगी या आज ही देंगी ?

उपाध्यक्षा : लीडर आफ दी आपोजीशन ने मामला पेश किया, होम मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया, अगर तो आप की तसल्ली हो गई है तब तो ठीक है वरना फिर आप सारी बात नो-कन्फीडेंस की मोशन पर बहस के वक्त कर लें । मैं हाउस से कहूंगी कि मेरे पास काल अटैन्शन मोशन्ज़ और प्रिविलेज मोशन्ज़ का बन्डल आया पड़ा है । मुझे इन को पेश करना चाहिए मगर आप जानते हैं कि हर एक पर दो चार मिनट लग जाते हैं (विघ्न) । मैं बीच में इन्टरप्शन नहीं चाहती । तो इस बारे में हाउस की क्या राय है ? (The hon. Leader of the Opposition raised the question and the hon. Home Minister has given his reply. Now if the hon. Member is satisfied then it is all right otherwise he may refer to the matter during the discussion on the No-Confidence Motion. I would like to say to the House that I have with me a bundle of call Attention Motions and Privilege Motions. I should take these up now but each of them is likely to take about 4 minutes to dispose of. (Interruption) I do not like interruptions. Then what is the sense of the House with regard to these motions ?)

Sardar Gurnam Singh : I do not want to carry on with the arguments. I am completely dissatisfied with the answer given. I have no doubt about it. There is a privilege Motion before you on the subject. Now, it is for you to take a decision on that.

ADJOURNMENT MOTIONS/CALL ATTENTION NOTICES

श्री बलरामजी दास टंडन : तो क्या आप प्रिविलेज मोशन पर रूलिंग आज देंगी या आप ने फैसला रिज़र्व रखा है ?

उपाध्यक्षा : आप की प्रिविलेज मोशन पर कल रूलिंग दूंगी । तो क्या अब काल अटैनशन मोशन्ज़ वग़ैरह पर टाइम लिया जाए ? (I will deal with the Privilege Motion given notice by the hon. Member tomorrow. Now does the House want to deal with the Call Attention Motions etc. just now ?)

आवाजें : नहीं जी, आज नहीं ।

उपाध्यक्षा : अच्छी बात है । यह कल टेक अप करेंगे। (All right, then these will be taken up tomorrow.)

POINTS OF ORDER

सरदार कुलबीर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । अभी अभी थोड़ी देर हुई हमारे स्पीकर साहिब, श्री प्रबोध चन्द्र जी यहां पर आ कर बैठे थे । (विघ्न) मैं उन को अब भी स्पीकर ही मानता हूं । बात यह है कि हमारे रूल्ज़ आफ प्रोसीजर के चैप्टर दो की दफा चार के तहत हाउस ने उनको इलैक्ट किया था । अभी तक न तो उनके खिलाफ कोई नो-कानफीडैंस मोशन ही आई है और न ही हाउस ने उन का अस्तीफा मन्जूर किया है । कल उनके अस्तीफे के बारे में यहां पर रायज़नी होती रही ; इधर से हमने कमैंट्स भी दिये और उनके बाद लीडर आफ दी हाउस भी बोले लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिस से यह साबत होता हो कि उनको उन के ऊपर कान्फीडैंस नहीं है । यह ठीक है कि उन्होंने अस्तीफा दिया है मगर जिस पेरैंट बौडी ने उनको उस कुर्सी पर बैठाया था और जिसका हक सिर्फ इसे ही है उस ने उनका अस्तीफा मन्जूर नहीं किया । और जब तक उनको हटाया नहीं जाता तब तक किसी तरह से उनके रीज़ाइन करने से कानस्टीटयूशनल पोजीशन बदल नहीं जाती है । ठीक है, उन्होंने अपना अस्तीफा डिप्टी स्पीकर साहिबा को दे दिया है । मगर क्या इस का यह मतलब है कि वह मन्जूर भी हो गया है ? उसको ऐक्सैप्ट करने का हक अगर किसी को है तो वह इस हाउस के मैम्बरान को है जिन्होंने उनको इलैक्ट किया था ।

उपाध्यक्षा : था तो आप का प्वायंट आफ आर्डर ही मगर आप कह कई कुछ गए । अगर आप कान्स्टीट्यूशन का आर्टीकल 179 पढ़ेंगे तो आप की तसल्ली हो जायगी । इस में लिखा है कि अगर स्पीकर साहिब रीजाइन करे तो वह अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे और अगर डिप्टी स्पीकर रीजाइन करे तो वह स्पीकर को दे । न इस में हाउस आता है, न चीफ मिनिस्टिर आता है और न ही गवर्नर । जब रेज़िग्नेशन दे दिया तो एक्सैप्ट समझा जाता है । अब मैं चाहूंगी कि हाउस इस पर और वक्त न लगाए । (The hon. Member rose on a point of order but brought in many other points. He will be satisfied if he goes through Article 179 of the Constitution. It is laid therein that while resigning the Speaker will hand over his resignation to the Deputy Speaker and vice versa. There is no mention of the House, the Chief Minister or the Governor. The resignation, on receipt, is treated as accepted. Now I would like the House to leave this matter.)

Dr. Baldev Parkash : Madam, Article 179 (c)of the Constitution says:

> 'May be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then Members of the Assembly.'

Sardar Gurnam Singh : It relates to his removal and not resignation.

Deputy Speaker: The Speaker has resigned ; he has not been removed.

(*Interruptions*)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਇਤਨੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੀ ਗੰਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ । (ਵਿਘਨ) (If the hon. Members were to be so forgetful, they would lose the State. The register will remain at its present place as otherwise it causes disturbance to the Members. They should be careful in marking themselves present.) (*Interruption*)

(*At this stage Comrade Ram Chandra was called upon to move his motion*)

STATEMENTS BY THE HOME MINISTER

गृह मन्त्री : इस से पहले कि आप उनको काल अपान करें मैंने दो स्टेटमैंट्स पढ़नी हैं। उन का सम्बन्ध इन्हीं बातों से है । इस लिये अगर आप की इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूं ।

Deputy Speaker : I am sorry, I called upon Comrade Ram Chandra to speak. Will he please wait so that the hon. Home Minister may make the two statements.

एक आवाज़ : टेबल पर ले कर दो ।

उपाध्यक्षा : मुनासब तो यही होगा । (That would be proper.)

गृह मन्त्री : मुझे एतराज़ नहीं होगा । मगर आप जानती हैं कि जब मेम्बर साहिबान यहां पर ऐडजर्नमैंट मोशन या काल अटैनशन मोशन का नोटिस देते हैं और इस बात पर बार बार इनसिस्ट करते हैं कि मैं यहां पर स्टेटमेंट दूं तो आज मैं यह तैयार करके लाया हूं। बाकी आप का हुक्म हो तो मुझे एतराज़ नहीं हो सकता । मगर इस बात पर यहां पर इनसिस्ट न किया जाए जैसा कि किया जाता रहा है । यहां पर दो तीन बार सवाल उठाया गया कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे । और वैसे भी एक तो इन में से रियास्ती जी के बारे है जो बड़ा इम्पारटैंट मामला है । हो सकता है कि उसी बात को फिर से बहस में दोहराया जाए । तो अगर मैं पढ़ देता तो पोज़ीशन आप के सामने आ जाती बाकी मुझे अगर आप हुक्म करेंगे तो मुझे टेबल पर ले करने में एतराज़ न होगा । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : नो इन्टरप्शन पलीज़ । यहां पर इनसिस्ट किया जाता है कि वज़ीर साहिब यहां पर स्टेटमैंट दें । एक आनरेबल मैम्बर के बारे काफी ऐजीटेशन हुई, शायद ऐजीटेटिड माइंड थे । (No interruptions please. It is insisted that the hon. Minister should make a statement. There was a lot of agitation about an hon. Member probably due to agitated minds.)

Sardar Gurnam Singh : Let him distribute the statement.

गृह मन्त्री : मुझे एतराज़ नहीं है, अगर हुक्म करें तो कापियां दे दूंगा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा दें ।

उपाध्यक्षा : ठीक है, आप टेबल पर ले कर दें । (Yes, he may lay these statements on the Table of the House.)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : यह ज़रूर पढ़ी जानी चाहियें ताकि सबको पता चले कि असलियत क्या है ।

Home Minister: Then Madam, I lay on the Table of the House the following two statements :

(i) Re: Adjournment Motion Notice of Sardar Gurcharan Singh, M.L.A., in regard to the death of Shri Bhan Singh in Police custody ;

(ii) Re : Call Attention Notice of Sardar Trilochan Singh Riasti, M.L.A., alleging that one Jarnail Singh, a bad character, was after his life and that he had attempted murderous assault on two of his supporters.

STATEMENT I

PUNJAB VIDHAN SABHA

ADJOURNMENT MOTION NOTICE

Sardar Gurcharan Singh, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, death of Shri Bhan Singh, Jat of village Bugipur, tehsil Moga, district Ferozepore, in Police custody due to heavy torture by the C.I.A. staff.

CHANDIGARH :
March 11, 1964.

KULDIP CHAND BEDI,
Secretary.

The facts of the incident are that on 29th February, 1964, A.S.I. Pritam Singh, Incharge C.I.A. Staff, Moga (district Ferozepore), on receipt of information that one Bant Singh, son of Kapoori, caste Mehra, of village Bughipur, police station Mehna, who was a habitual distiller, was in possession of some illicit liquor, organised a raiding party and raided his house the same day. Bant Singh on seeing the police party split the liquor from 2 bottles and managed to escape leaving behind pair of his shoes and two bottles containing 1,100 mililittres illicit liquor. A case FIR No. 12, dated 29th February, 1964, under section 61/1/14, Excise Act, was registered at police statino Mehna. Since Bant Singh was evading the Police, warrant of his arrest was applied for from the court. On 8th March, 1964 H.C. Punjab Singh along with two Constables was able to arrest Bant Singh from his house in the evening. He was taken into custody as he could not furnish any surety. On interrogation he led to the recovery of one drum containing 30 Kilograms of lahan, burried in his residential Kotha. A case FIR No. 16, dated 8th March, 1964, under section 61/1/14, Excise Act, was registered at police station Mehna in this connection. The investigation of the case, however, continued till 9.30 P.M. During this interval he showed signs of nervousness and restlessness indicating sign of epilepsy or of some poisonous drug taken before arrest. H.C. Punjab Singh took him on bicycle to Moga for medical treatment. On the way Bant Singh swooned and suffered stiffening of the body occasionally and had to be given rest several places. On reaching near Octroi Post near Guru Nanak Nagri, Moga, a rickshaw driven by Ved Parkash and occupied by Kulwant Singh, Lambardar, and Boota Singh Jat, was seen and got vacated to carry Bant Singh to hospital under the escort of Constable Gurdial Singh. Bant Singh fell from it 2/3 times not withstanding efforts to control him. Bant Singh reached hospital at about 1.00 A.M. on 9th March, 1964 and despite medical treatment he died at 4.30 A.M. The Doctor informed about his death to the Police Post City Moga. H.C. Gurbax Singh held an inquest into his death under section 174, Cr.P.C. The post-mortem was conducted by Dr. J. P. Soni, P.C.M.S., Moga, who noticed 5 injuries simple in nature and caused

[Home Minister]

by blunt weapon, on the person of Bant Singh. He reserved his opinion about the cause of death till a report from the Chemical Examiner is received in respect of the viscera sent to him.

On the request of the Police, Shri R. M. Bassi, M.I.C., Moga, has started magisterial inquest into his death which is still in progress.

STATEMENT II

PUNJAB VIDHAN SABHA

CALL ATTENTION NOTICE

Sardar Trilochan Singh Riasti, M.L.A., to draw the attention of the Minister concerned to the fact that he lodged F.I.R. on 13th August, 1963 in Police Station Jaitu against one bad character Jarnail Singh *alias* Jaila of village Chand Bhan of the said Police Station alleging that the said Jaila is in possession of illicit revolver and other arms and he is after his life. Further he sent copies of that information to Prime Minister, Home Minister, Government of India and Home Minister, Punjab, but regrets that no action was taken. Now that said Jaila has attempted murderous assault on 2 persons of village Chand Bhan who are his supporters. You may kindly allow half an hour discussion on it.

CHANDIGARH :
The 12th March, 1964

KULDIP CHAND BEDI,
Secretary.

1. On 13th August, 1963 at 7.00 p.m. Shri Trilochan Singh Riasti, M.L.A., lodged a report at Police Station Jaitu in the daily diary in which he alleged that Jarnail Singh *alias* Zaila of village Chand Bhan and some others had laid in ambush against him in Mandi Jaitu. He had further alleged that this ambush had been laid against him on account of his differences with Giani Zail Singh, M.L.A. It was further alleged that Jarnail Singh *alias* Zaila was a partyman of Giani Zail Singh and that Zaila was in possession of illicit fire-arms.

2. After recording the report, the Station House Officer, Sub-Inspector Mal Singh, proceeded immediately to the Mandi and searched for Zail Singh *alias* Zaila and his companions but could not find them there at that time. The Station House Officer thereupon lodged a report in the Police Station daily diary of his having not found Zail Singh *alias* Zaila and his companions in the Mandi in accordance with the information laid by Shri Trilochan Singh Riasti.

3. On a similar complaint by Shri Trilochan Singh Riasti to the Superintendent of Police, the Assistant Superintendent of Police, Faridkot, was deputed to personally make enquiries into the allegation made by Shri Trilochan Singh Riasti, M.L.A. A thorough enquiry was conducted by the Assistant Superintendent of Police, Faridkot, but the allegations made by Shri Trilochan Singh Riasti were not substantiated

4. As a result of the information laid by Shri Trilochan Singh Riasti that Zail Singh *alias* Zaila was in illicit possession of fire-arms, the house of Zaila was raided, but no arms could be recovered from his possession.

5. Zail Singh *alias* Zaila who is a bad character and of truculant disposition, was sent up by the Local Police under security proceedings and was bound down to furnish interim security under section 117(3), Cr.P.C

6. On 1st March, 1964 Shri Gurbachan Singh, son of Arjan Singh, village Chand Bhan, reported at Police Station Jaitu that Mohinder Singh and his brother Jarnail Singh *alias* Zaila and Mohan Singh, Sarpanch of village Aklia, came to his house and started abusing him. Thereafter Jarnail Singh fired a pistol shot at Bhajan Singh Granthi, who belonged to Gurbachan Singh's party, hitting Bhajan Singh in the region of his stomatch. At that time Mohar Singh, Sarpanch also fired a shot with his licensed gun which hit Zora Singh a relative of Gurbachan Singh, on his face. Case F.I.R. 20, dated 1st March, 1964, under section 307, IPC, police station Jaitu, was registered in this connection.

7. The motive behind this crime as alleged by the complainant was that he had given evidence against Mohinder Singh in a murder case in which Mohinder Singh had been awarded life imprisonment. Mohinder Singh had recently come out of jail on his furnishing a security bound for Rs. 20,000. It was to seek revenge for the evidence given by Gurbachan Singh against Mohinder Singh that the firing was resorted to on 1st March, 1964 and it was not alleged that it had any connection with the differences which Shri Trilochan Singh Riasti, M.L.A., may have with his opponents. All the accused in this case have been arrested and the investigation will be finalised shortly.

8. Shri Trilochan Singh Raisati, M.L.A., submitted an application to higher authorities which was got enquired into by the Assistant Superintendent of Police, Faridkot, who reported after enquiries that the apprehensions of Shri Trilochan Singh Riasti, M.L.A., were unfounded. Shri Jaswant Rai Kochhar one of his supp orters had given to him a distorted version and had related an exaggerated story of what he had observed in the Dharamsala in Jaitu on 13th August, 1963 where Mandal Congress elections were briskly on. There were tens of scores of people collected in the Dharamsala to cast their votes and Shri Riasti was accompanied by his supporters. Besides, there were as many as four constables armed with rifles stationed there for security measures. There was, therefore, no immediate apprehension of the breach of peace.

PRESENTATION OF REPORTS

THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Chairman Public Accounts Committee (Comrade Ram Chandra) : Sir, I beg to present the Twentieth Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1961-62 and Audit Report, 1963.

(ii) THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1964

ਸਭਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ) : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

[I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill.]

सभापति हिंदी प्रादेशिक समिति (श्री अमर नाथ शर्मा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हिन्दी प्रादेशिक समिति की, पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक पर, रिपोर्ट पेश करता हूं ।

[Madam, I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill.]

(iii) THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) BILL, 1964

ਸਭਾਪਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ) : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

[I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.]

सभापति हिंदी प्रादेशिक समिति (श्री अमर नाथ शर्मा) : मैं पंजाब पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों (संशोधन) विधेयक पर हिन्दी प्रादेशिक समिति की रिपोर्ट पेश करता हूं ।

[श्री अमर नाथ शर्मा]

[I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.]

No Confidence Motion

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन सारे मन्त्री मंडल में अविश्वास प्रकट करता है:—

(Madam, I beg to move—
That this House expresses its want of confidence in the Ministry as a whole.)

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मन्त्री मण्डल anti-social, anti-socialistic और anti-democratic है ।

Anti-social इस लिए कहा है कि इनके अहदेहकूमत में सूबे में लालेसनेस का दौर दौरा है । कहा जाता था कि पंजाब में एक खूबसूरत औरत गहनों से लदी हुई जहां चाहे अकेली जा सकती थी लेकिन आज यह हालत है कि औरतों की जान और इज्ज़त महफूज़ नहीं है । ट्रेन में हैडमिस्ट्रेसिज़ का कतल हुआ और अब तक कुछ पता मुजरम का न लगा । इतने पर ही बस नहीं, लड़कियों पर बेतहाशा मोलेस्टेशन करने के वाक्यात हुए और होते हैं और रोक थाम के लिए कोई खास कार्रवाई नहीं होती । फिर लालेस एलीमेंट ज़ोरों पर है । आप अगर पिछले तीन साल के अदादो शुमार देखें तो पता चलता है कि औरतों पर हमले और मोलेस्टेशन के केसों की तादाद 121 की बजाए 300 से बढ़ गई है । इसलिए मैंने कहा है कि यह हकूमत ऐंटी-सोशल है जहां पर anti-social element पलते हैं, और उन का दौर दौरा है ।

यह सोशलिज़म का दावा करते हैं और इनका नारा है कि यह सोशलिज़्म में विश्वास रखते हैं लेकिन अमल में सरमाएदारों, जागीरदारों और लैंडलार्डज़ को मज़बूत करने में यह सरकार लगी रहती है । और दूसरी तरफ सूबे में मज़दूरों की यह हालत है कि गरीब लोग पिस रहे हैं मंहगाई के नीचे । आज सूबे में महगाई इस कदर फैली हुई है कि जिसका अंदाज़ा नहीं । इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है ? मिनिस्टर या हकूमत ? मैं तो यह कहूंगा कि पंजाब, जो अनाज की ग्रेनरी था, आज वहां पर लोगों के अपने खाने के लिए अनाज नहीं है । और देश भर में अनाज की कमी तथा महंगाई के लिए मैं यह समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ज़िम्मेवार है । राशन के डिपो पर कतारें खड़ी होती हैं । और जो आटा मिलता है उसमें सुंडियां और दूसरे कीड़े पड़े हुए मिलते हैं । अगर पंजाब में यह हालत है तो दूसरी जगहों पर क्या हो सकता है ।

मैं महंगाई के मुतअल्लिक अर्ज़ कर रहा था । इसके बारे में मेरे पास अदादो शुमार आपके सामने रखने को हैं : Tribune dated 14 जुलाई, 1964 में 11 मार्च, 1964 की खबर है ; इसमें स्टेट किया गया है कि—

> "The unweighted index number of wholesale prices in Punjab (base October-December, 1949-50) stood at 138.6 on February 14 against 135.8 recorded a week earlier."

It is further stated :

"Compared with the corresponding weeks of the last month and last year, the index number marked a rise of 4.4 and 16.1 points, respectively. The weighted index number of primary wholesale prices of 21 important agricultural commodities (base: 1952-53-100) grown in Punjab stood at 161.5 as against 152.4, recorded a week earlier."

यानी 1952 में जिन वस्तुओं की कीमत 100 थी आज 161 हो गई है । और जैसा कि ट्रिब्यून में लिखा है ।

"Compared with the corresponding weeks of the last month and last year the index number marked a rise of 17.2 and 50.3 points, respectively."

तो, मैडम, मैं यह कहता हूं कि यह हकूमत सूबे को रोटी कपड़ा नहीं दे सकी । अनाज का ज़खीरा इस सूबे में होने के बावजूद भी महेन्द्रगढ़ और दूसरे इलाकों में कहत पड़ा हुआ है ।

यही हाल खांड का है । आज आप जितनी चाहें खांड ब्लैक मार्किट में मिल सकती है लेकिन कीमतन आसानी से डिपो से खांड नहीं मिल सकती । डिपुओं पर क्यूज़ लगे होते हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमें 14 हज़ार टन खांड मिलती है और पहले भी 14,000 टन माहवार का कोटा था । फिर क्या वजह है कि आज 14 हज़ार टन माहवार कोटा मिलने पर भी राशनिंग की ज़रूरत पड़ी, कंट्रोल की ज़रूरत पड़ी और चीनी नहीं मिल रही, और तो और गुड़ भी नहीं मिल रहा । इन हालात में क्लास IV के मलाज़मों की हालत ना काबले ब्यान है । 60 या 70 रुपए माहवार लेने वाले दो चार या छः आदमियों के कुम्बे की परवरिश कैसे कर सकते हैं ? इसी लिए यह कहना ठीक है कि गवर्नमेंट एंटी सोशलिस्टिक है । इस राज का नतीजा यह निकल रहा है कि सूबा कंगाल हो गया है ।

तीसरी बात एंटी-डैमोक्रेटिक की है । मैं एंटी डैमोक्रेटिक इसलिए कहता हूं कि हर तरीके से इस सूबे में हकूमत की ताकत एक हाथ में मरकूज़ हो कर रही है । ताकत एक आदमी के हाथ में आ रही है । एक बड़ी फॉरेन स्यासी शख्सियत के मुतअल्लिक यह कहा गया है कि वह अपनी इच्छा के मुताबिक जब चाहती जुलम की टूटियां खोल और बन्द कर देती थी वह व्यक्ति हुकम देता था कि जुलम के दरों को खोल दो । उस का नतीजा यह होता था कि हज़ारों को जेलों में डाल दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था और गोलियों का शिकार बना दिया जाता था । आज हमारे सूबा में भी यही हाल है । चीफ मिनिस्टर का इशारा हो जाए कि इससे इन्तकाम लेना है तो ला की सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है, जुडीशियल मशीनरी हरकत में आती है और झूठे मुकद्दमे बनाए जाते हैं । बिना वजह के उन्हें ऐसे केसिज़ में फांसा जाता है और फिर जब मुकद्दमे में जान न हो तो वापस ले लिया जाता है । पुलिस गज़ब ढाती है । नादर शाही फरमान हो जाता है कि फलां को जेल में भेज दो बस फिर सब कुछ बना लिया जाता है । It is an anti-democratic Government एक ही शख्स के लिए ही सब कुछ किया जाता है ;

[कामरेड राम चन्द्र]

रूलिंग पार्टी और तमाम मिनिस्टर उस शख्स के सबसर्वीएंट हो गये हैं। एक ही शख्स अपने अगराज़ के लिए सारे सूबे की ताकत और मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करूंगा कि यह सरकार anti-social, anti-socialistic और anti-democratic है। इन चीज़ों के लिए क्या ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, मैं अब उनकी तरफ आना चाहता हूं।

पहली चीज़ जो मैं कहनी चाहता हूं वह यह है कि इस सरकार ने कंटरोल्ड तजारत का इस्तेमाल ग्रुप हितों के लिए किया, जोकि निहायत नाजायज़ और नामुनासिब ढंग है। अपने धड़े के लिए कोटाजात और परमिट्स का इस्तेमाल किया गया। अपने परिवार के लोगों को और पार्टी के स्पोर्टर्ज़ को पहले एक कोटा दिया जाता है फिर दूसरा दिया जाता है, इसके बाद तीसरा दिया जाता है। एक एक शख्श को कई तरह के कोटे देकर मालामाल किया। मैं और क्या कहूं मिनिस्टर साहिबान के रिश्तेदारों को, जो आज तक खांड की तजारत नहीं करते थे, चीनी की सिंडीकेट का मैम्बर बनाया गया, और उसी कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया जहां उनकी 1,000 रुपया महीना की आमदनी है। (आवाज़ें : कौन मनिस्टर हैं वह ?) यहां पर होम मनिस्टर साहिब बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि वह खुद ही बताएं कि आया यह बात सही नहीं है कि सिंडीकेट का चेयरमैन मनिस्टर साहिब के रिश्तेदारों में से है ? इस तरीका से इस सरकार ने तजारत को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसका फायदा महज़ अपने रिश्तेदारों को ही पहुंचाया गया।

दूसरी चीज़ जो इस सिलसिले में मैंने कहनी है वह यह है कि मुलाज़मों को डीमारेलाईज़ करने में भी इस सरकार का हाथ है। आज सर्विसिज़ को इतना डीमारेलाईज़ किया गया है कि जिसकी मर्ज़ी हो इज़्ज़त उतार दो, जिसको चाहो बना दो, कोई बोलने तक की भी जुरअत नहीं रखता। मैं इसके मुतअल्लिक ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक दो मिसालें ही नमूने के तौर पर दूंगा। सरविसिज़ में सिनीआरेटी और जुनीआरेटी का कोई सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस से बेहतर हालत तो अंग्रेज़ी हकूमत की ही थी। मगर आज उन लोगों को तरक्कियां ही दी जाती हैं जो इनके खास और चाहेते हैं। खास तौर पर उनको सज़ायें दी जाती हैं जो इनके इशारों पर नहीं नाचते। तरक्कियां वह पाते हैं जो इनके कहने पर नाजायज़ काम करते हैं, मुल्क के लोगों से गद्दारी करते हैं। सरकार अपनी मन मानियों को करने और रखने के लिए जुडीशरी को भी अपने हाथ में रखे हुए है ; इसको ऐग्ज़ैक्टिव से अलहदा करने का नाम तक नहीं लेती। अगर इनके दिल में कानस्टीच्यूशन का ज़रा भी खौफ होता तो क्या वजह थी कि जुडीशरी को ऐग्ज़ैक्टिव से अलग न किया जाता, जबकि इसके मुतअल्लिक हमारे विधान में डायरैक्टिव प्रिंसिपल मौजूद हैं। मगर यह आज तक बार बार कहने के बावजूद भी जुडीशरी को अलग नहीं कर पाए। यह लफज़ों के तो पाबंद हैं मगर अमल करने के पाबंद नहीं। यह बात इस तरह ज़ाहिर होती है कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, वे इनके खिलाफ होते हैं। उनके सम्बन्ध में सरकार की यह राय है कि हम इन फैसलों की क्या परवाह करते हैं जबकि इस हाउस में हमारी ठोस मेजारिटी है ; हम इन फैसलों को नहीं मान सकते। लेकिन यह बात शायद यह भूल ही

गये हैं कि जब इस सूबा की और गवर्नमेंट बनेगी तो यह बात हिसटरी में आयेगी कि यहां की सरकार कितनी करप्ट थी, कितनी गलत बातों पर चलने वाली थी, क्या इनके असूल थे। आज कोई एक नहीं दरजनों की शक्ल में हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं। श्री कपूर के फैसले को देखें, गरेवाल का फैसला हमारे सामने है, डाक्टर प्रताप सिंह के फैसले को आप लें, कामरेड मक्खन सिंह तरसिका के फैसले को लें। एक नहीं, कई मुकदमात हैं जो एक दूसरे से बढ़कर हैं। अगर इन का मकसद जुडीशरी पर दबाव डालने का न होता तो आज जो केस पंजाब से बदल कर सहारनपुर या यू०पी० की तरफ ले जाये जा रहे हैं यह न ले जाये जाते। मैं पूछता हूं कि ऐसे हालात जब किसी सरकार के हों तो क्या वह राज्य सिंहासन पर, हकूमत की मसन्दों पर बैठने के हकदार हैं। आज इनकी बदइन्तज़ामी के नतीजा के तौर पर मेरे बहुत से दोस्तों को जेल में जाना पड़ा। यह खुद गलत काम करते हैं और हमायत भी ऐसे लोगों की हो करते हैं। नाजायज़ बातों के लिए हमारे मुल्क का कान्स्टीच्यूशन हमें इजाज़त नहीं देता। मगर इन्होंने अपनी गद्दियों को मज़बूत करने के लिये क्या कुछ नहीं किया। ग्राम रक्षा दल बनाया गया एक प्राईवेट फौज इन्होंने तैयार की, महज़ अपने लोगों को पालने की गर्ज़ से। आप हैरान होंगे कि जब मैं ने एक सवाल किया कि आया केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के अनुसार रक्षा दल और होम-गार्ड्ज़ को इकट्ठा कर दिया जायेगा, तो इसके जवाब में कहा गया था कि हां इनको एक कर दिया जाएगा मगर अब कहा गया है कि यह दोनों महकमे एक सैक्रेटरी के मातहत हो गये हैं इसलिए इंटैग्रेट हो गये हैं। क्या दो चार महिकमों को एक सैक्रटरी के सपुर्द कर देने से कभी इंटैग्रेशन हुआ करती है ? मगर डैमोक्रेसी को बालाये ताक रखते हुए यह अपनी मन-मानियां किये जा रहे हैं। मैं यह बात यहां पर याद दिला देनी चाहता हूं कि जब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में हकूमत पर कबज़ा करने के लिये इसी प्रकार के यत्न किये तो इससे सैंटर को भी खतरा पैदा हो गया था, कि वह वहां का नवाब बनना चाहता था। आज इस स्टेट में भी ऐसी ही बातें हो रही हैं। रक्षा दल की शक्ल में जो प्राईवेट फौज बनाई गई है वह बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे कोई मुगल स्लतनत का बादशाह कमज़ोर हो जाता था तो सूबेदार ऐसे मौका पर जो उनकी मर्ज़ी में आये करते थे। ऐसी हालत यहां पैदा हो चुकी है कि सरदार प्रताप सिंह महाराजा प्रताप सिंह बनने के खवाब ले रहा है और अपनी फौज तैयार कर रहा है।

इस मुद्दा को हासल करने के लिए एक और चीज़ यह की गई है कि अगर कोई आफीश्यल चीफ मिनिस्टर के निजी हित में गलत कार्रवाई करने से इन्कार करता है तो उसका मुलाज़मत में रहना दुशवार हो जाता है। आज इस बात को कौन नहीं जानता कि स्पीकर जैसी एक जिम्मेवार हस्ती को अगर इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की मर्ज़ी के खिलाफ रूलिंग देने पर यहां इस तरह के हालात हो सकते हैं तो आप बताएं इस स्टेट के दूसरे लोग कहां महफूज़ कहे जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि स्पीकर की बलैक मेलिंग को तो आप छोड़ें, यहां पंडित जवाहर लाल और इंदरा गांधी को ब्लैक मेल करने की कोशिश की जाती है। 51,000 रुपए का चैक जन हित निधी के लिये दिया गया था। मगर एफीडेविट में इस चैक के साथ इन्द्रा जी का नाम इसलिए घसीटा गया ताकि पंडित जी और इन्द्रा गांधी पर दबाव पड़े और वह बदनामी के डर से मजबूर होकर सरदार प्रताप सिंह की रक्षा को आयें। (Shame, shame.) सवाल तो इतना ही है कि

[कामरेड राम चन्द्र]

एक आदमी चाहता है कि उस के हाथ में ताकत हो और इसको जैसे भी चाहे वह इस्तेमाल करे । चीफ मिनिस्टर का जब भी इलेकशन होता है तो उसके खिलाफ हर दफा पैटीशनज़ होती हैं जिन में बड़ी बड़ी कारगुज़ारियां की जाती हैं । 1957 में जो पैटीशन हुई थी उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं । यह पैटीशन गुरमेज सिंह ने की । उसने अपनी हार की वजह यह बताई कि अगर संता सिंह हरिजन खड़ा रहता तो हालात और होने थे मगर इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसके कागजात मैजिस्ट्रेट को कहकर नामुनासिब तौर पर रद्द करवा दिये । इस पैटीशन की जो अमूर तनकीह बनाई गई उनमें से ज़रूरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

प्रथम--संता सिंह की उमर नोमिनेशन फार्म दाखिल करने के समय 25 साल थी या नहीं । 2--नोमिनेशन फार्म संता सिंह ने खुद दिया या नहीं दिया । 3--क्या इस मरहला पर सवाल उठाया जा सकता है कि संता सिंह के कागज़ात नामज़दगी नामुनासिब तौर पर रद्द किए गए थे । 14 अक्तूबर, 1958 को ट्रिब्यूनल के सामने स० प्रताप सिंह और गुरमेज़ सिंह के वकीलों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तनकीह नं० 3 यानी इस बात का फैसला पहले कर दिया जाए कि आया इस मरहला पर संता सिंह की नामज़दगी की नामंज़ूरी का सवाल उठाया जा सकता है या नहीं । संता सिंह की उमर का सवाल बाद के ग़ौर के लिए छोड़ा गया । इस का मतलब यह था कि सरदार प्रताप सिंह इस समय तक मानते रहे कि संता सिंह ऐगजिस्ट करता था । मगर जून, 1959 में सरदार प्रताप सिंह ने, जो चीफ मिनिस्टर थे, संता सिंह को गुम कर दिया और कहा कि वोटरों की फैहरिस्त में जिस संता सिंह का जिक्र है वह और है । इस पर ट्रिब्यूनल ने अपने फैसला में लिखा --

> "The issues in the case were framed on 23-7-57. Neither at that time nor later did the respondent amend the pleadings. It is significant that in the written statement there is no denial of the allegation that Santa Singh is the son of Hazara Singh."

जब उसने कहा कि संता सिंह का नाम वोटरों में मौजूद नहीं है तो ट्रिब्यूनल को सुनकर बड़ी हैरानी हुई । जब उस आदमी ने फार्म दाखिल किया, उसकी उजरदारी हुई और फार्म की नामंज़ूरी भी की गई, उस वक्त तो मान लिया कि संता सिंह है लेकिन बाद में यह कहा गया कि संता सिंह है ही नहीं । जो कुछ ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में दिया गया है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं--

> "Santa Singh hismelf was not produced before the Tribunal by either party. The respondent contended that the petitioner had kept him out of the witness box while the petitioner stated that after the criminal complaint which will be referred to in detail presently Santa Singh was under the control and custody of the respondent. The question is which of the versions is true................"

सरदार प्रताप सिंह के आदमियों ने कहा कि दूसरी पार्टी वालों ने संता सिंह को गुम किया और दूसरे कहते हैं कि सरदार प्रताप सिंह के आदमियों ने गुम किया । इस सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने लिखा है --

> ".......Up to the 9th February, 1959, Santa Singh was supporting the one of the petitioner. He swore two affidavits,—one on the 10th February, 1958, which was attested by P.W. 20. tehsildar and another on the 9th

February, 1959, which was attested by another tehsildar, P.W. 19. Both these affidavits were also attested by P.W. 8. Along with this latter affidavit, he handed over certain documents (which were later filed in the Tribunal but not exhibited). The tehsildars, P.W· 20 and P.W. 19, gave evidence admitting their attestation and signatures but they showed great hesitation in giving evidence, perhaps, on account of the fear that the respondent is occupying a responsible position in the Government of the State."

यह इस चीज को साबित करता है कि --

There is terror in the State and even the Officers are not free to state facts in the Courts.

उसके बाद उन्होंने कहा कि सन्ता सिंह तो है ही नहीं । मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ मुख्तसिर तौर पर बताना चाहता हूं । चीफ मिनिस्टर ने स्टेट के छोटे से छोटे आदमी को, डराईवर तक को झूठी गवाही देने के लिए भेजा । मैं यहां पर ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में से कोट करना चाहता हूं कि कुन्दन सिंह ने क्या कहा—

"Kundan Singh was examined on the 18th July, 1959, as P.W. 17 and in his evidence (Q.10) when he was asked where Santa Singh was at the time of deposition he said that he was at Bharowal, still living in his house and that he had seen him at Fatehabad in Taxi No. P.N.F. 5054 along with Mohinder Singh, Private Secretary (Political), to the respondent."

यानी जो चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी है वह उस आदमी को टैक्सी में लिए फ़िरता है जो गुम बताया जाता है । यह ठीक है । डराईवर ने बाद में यह कहा कि मेरी टैक्सी नहीं गई लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वाकयात यह हैं कि चीफ मिनिस्टर ने इस गवर्नमैंट के डराईवर्ज़, चपड़ासियों और सैक्रेटरियों से शर्मनाक काम लिए हैं जो कानून के बिलकुल खिलाफ हैं । आगे जा कर जज ने लिखा है--

"........It seems to me that after having heard the entire evidence on behalf of both the sides there is secret hand working behind the scenes, influencing the witnesses who came to give evidence and keeping Santa Singh from the witness box with a view to keep the Tribunal in the dark as to the identity of this Santa Singh. The cumulative effect of all the circumstances is that Santa Singh is withheld from the Tribunal by the influence of the respondent's men who are very zealous to safeguard the interests of the respondent..........."

जो आदमी इस तरह के काम करता रहा हो और जानबूझ कर गवाह को छिपाया हो तो क्या ऐसे काम करने वाला इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह सकता है ? क्या वह इस ओहदे के काबिल है ?

मैं संता सिंह की बात कर रहा था । ट्रिब्यूनल ने आगे चल कर लिखा कि उसका सेविंग अकाउंट मौजूद है, रेडियो लाइसेंस मौजूद है, उसके नाम पर बिजली का कनैक्शन मौजूद है, लेकिन इस सब के बावजूद जब तक संता सिंह न हो और उसकी गवाही के जरिए उम्र साबित न हो तब तक ट्रिब्यूनल सरदार प्रताप सिंह के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता ।

"This is a fit case in which the successful party should be deprived of his costs..........."

[कामरेड राम चन्द्र]

"......Some untenable issues have been raised in the case by the respondent and the scope of the issues was enlarged by raising new contentions, which resulted in the protraction of the trial of the case.........."

इन्होंने ऐसे एतराज़ात उठाए जिनकी वजह से मुकद्दमा लम्बा हो गया।

"......I have also held that the respondent was responsible for not making the evidence of Santa Singh available before the Tribunal. For these reasons, I think, it is but just that the respondent should be deprived of his costs notwithstanding his success........."

He says that Sardar Partap Singh was responsible for not making that witness available before the Tribunal.
जो चीफ मिनिस्टर ऐसे हीनियस क्राइम कर सकता है उसको क्या हक है कि वह इस ओहदे पर रहे ?

श्री यशपाल : यह गज़ट किस डेट का है।

कामरेड राम चन्द्र : यह 4 दिसम्बर, 1959 का है। एक रुपया 10 पैसे खर्च कर के लिया है। ज़रूरत पड़े तो तुम भी ले आ सकते हो। (हंसी) मैं आपको यह बताना भूल गया, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि मशहूर इंजीनियर मिस्टर क्लेयर और डिप्टी सुपिरिन्टेंडेंट पुलिस श्री छबील दास दोनों ने खुदकशी करके अपनी जान गँवा दी और उन मौतों का बोझ चीफ मिनिस्टर पर है। दोनों दयानतदार अफसर थे।

उपाध्यक्षा : आप कितना टाइम और लेंगे ? (How much more time will the hon. Member take ?)

कामरेड राम चन्द्र : बस जी कोई 10 मिनट लूंगा। मैं कह रहा था कि इनके रिजीम में उन्हें खुदकशी करनी पड़ी। मैं डिटेल में न जा कर यह बतलाना चाहता हूं कि कुछ सच्चे अफसरों को तो यहां खुदकशी करनी पड़ती है, मगर कुछ खुशामदी अफसरों को नाजायज़ तौर पर तरक्की दी जाती है। मैं लेबर कमिश्नर का ज़िक्र करना चाहता हूं। उसका ग्रेड 650 से 1,250 होता था, लेकिन मार्च 1962 में 800—1,800 कर दिया गया और साथ ही 100 रुपया माहवार का पर्सनल अलाऊंस भी दिया और एक साल के बाद यह कहा गया कि 100 रुपया और दिया जाएगा। यह सब सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए किया गया और यही नहीं उसके साथ यह कंडीशन लगाई गई कि यह ग्रेड जब तक यह अफसर रहेगा तब तक रहेगा। अगर दूसरा अफसर आएगा तो ग्रेड वही पहले वाला होगा। एक स्टेट प्रैस लायज़ां अफसर दिल्ली में इन्होंने लगाया। जब उसको लगाया गया तो सारे कानून और पाबन्दियों को तोड़ दिया गया। उम्र की भी माफी हो गई और मैडीकल मुआयना की भी ज़रूरत नहीं रही और उसे 500 से 800 के ग्रेड में लगा दिया गया। उसके बाद उसे तरक्की दी गई और उसके बाद 200 रुपए माहवार उसे कनवेंस और एंटरटेनमेंट एलाऊंस दिया गया और अगले साल यह एलाऊंस 400 रुपया कर दिया गया। फिर सात आठ महीने के लिए उस आदमी को प्राईवेट नौकरी करने की

11.00 A.M.

इजाज़त दे दी गई और दोबारा जब वह फिर आया तो कहा गया कि उसे *ex post facto* छुट्टी पर ट्रीट किया जाए और उस को पिछली सर्विस का बैनिफिट दिया गया।

Not I, Madam, but the Audit Department is responsible for bringing out these facts before us.

तीसरी सब से ज़्यादा जो बेईमानी की चीज़ है वह यह बात है कि इलैक्शन कमिश्नर का दफ्तर ज़ाती मुफाद उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, Deputy Chief Electoral Officer का ग्रेड पहले 300–850 था। इन्होंने नए आदमी का ग्रेड 800–1,000 कर दिया ताकि अपना नाजायज़ काम निकाल सकें। फिर कहा गया कि this is a personal grade for him. उस के बाद नवम्बर, 1959 में फिर उस स्केल को बदला गया और 300–1,000 कर दिया और उसी में उसे फिक्स कर दिया। फिर 1960 में 1,000—1,500 का उस का स्केल कर दिया। उस वक्त वह 880 रुपया ड्रा कर रहा था। लेकिन नए स्केल के मुताबिक उस को 1,250 रुपए माहवार दिए गए। इसी लिए तो इलैक्शन में 34 वोटों पर जीतते हैं। जब आडिट वालों ने पूछा कि यह ग्रेड इस तरह से इतनी बार क्यों बदला गया तो कहने लगे कि यह उस का पर्सनल ग्रेड है, जब नया आदमी एप्वाइंट किया जाएगा तो उसे वही पुराना ओरिजनल स्केल दिया जाएगा। 18 मई, 1961 को फिर उस के ग्रेड को चेंज करके 800–1,000 कर दिया तो फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि गवर्नमैंट मशीनरी को अपने ज़ाती अगराज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हेरा फेरियां की जाती हैं।

अब इस के बाद मैं ट्रांस्पोर्ट की तरफ आता हूं। सच्चर वज़ारत में लाला जगत नारायण ने गवर्नमैंट की यह पालिसी बनाई थी कि ट्रांस्पोर्ट को नैशनलाईज़ करना है। मगर इन्हों ने ट्रांस्पोर्टरज़ से यह वायदा किया कि हम नैशनलाइज़ेशन नहीं करेंगे अगर सब प्राईवेट ट्रांस्पोर्टरज़ फी परमिट कुछ रुपया चीफ मिनिस्टर साहिब के लिए रख दें।

आज चीफ मिनिस्टर के धड़े की तरफ से चारों तरफ से यह नारे लगाए जा रहे हैं कि बैंक्स को नैशनेलाईज़ किया जाए और फूडग्रेनज़ की ट्रेड को नैशनेलाइज़ किया जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, चूंकि इनके पास ट्रांस्पोर्टरज़ से पैसे आते हैं इस लिए इन्होंने ट्रांस्पोर्ट को अब तक नैशनालाइज़ नहीं किया। पैसेंजर ट्रांस्पोर्ट को तो इन्होंने नैशनालाइज़ नहीं किया मगर कांगड़े की गुडज़ ट्रांस्पोर्ट को नैशनेलाइज़ कर रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने दोस्तों को परमिट देना और उन के नाजायज़ इस्तेमाल की बातें तो थीं लेकिन इस के अलावा एक और नाजायज़ ढंग से पैसा कमाने का तरीका मुख्य मंत्री साहिब ने सोचा। वह यह है कि मुख्य मंत्री साहिब के लड़के ने एक मोटर और ट्रक्स की एजेंसी ले ली और तमाम सूबे के ट्रांस्पोर्टर्ज़ को मजबूर किया कि वह ट्रक और बसें उस एजेंसी की मारफत लें। इस तरह से इन्होंने लाखों रुपया कमाया। इस के अलावा पंजाब सरकार ने डिपो बना दिए हैं जहां तमाम बसें उसी मेक की थीं जो चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़के फिरोखत करते थे। इस से भी कई लाख रुपए इन्होंने बनाए। इस लिए I say that there can be no Government which is more anti-national and anti-socialist. This Government is making money for its relatives,

[कामरेड राम चन्द्र]

supporters, etc. This Government stands in the way of nationalization of industries.

मैं कहता हूं कि यह गवर्नमैंट डिसग्रानेस्ट है, एंटी-सोशलिस्ट है, ग्रौर blood sucking capitalists की सपोर्ट करने वालों की गवर्नमैंट है।

इस के साथ ही यह एक एडवेंचरस गवर्नमैंट है जो रक्षा दल को बना कर उस रोज़ की इन्तज़ार कर रही है कि अगर इंडिया में कोई ऐसी गड़बड़ का मौका आये तो यहां पर महाराज प्रताप सिंह का राज हो जाए। जब रूलिंग पार्टी के मेम्बरान मुझे बाहिर मिलते हैं तो कहते हैं कि कामरेड साहिब आप सच कहते हैं लेकिन क्या किया जाए कल ही एक सदस्य ने कहा था कि हमारी बातों की तरफ ध्यान इस लिए नहीं दिया जाता कि हम जोर से कुछ नहीं कहते। इस समय मुझे एक शेर याद आ गया है :—

खूब कहा शाहे जरमनी ने यह पोप से

वाज़ हम भी कहते हैं लेकिन दहाने तोप से।"

मैं उन दोस्तों से कहता हूं कि आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ तो फिर आप की सब शिकायतें और डर दूर हो जाएंगे। बस इतना कह कर मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

(At this stage Comrade Makhan Singh Tarsikka rose to speak)

Deputy Speaker : Motion moved—

That this House expresses its want of confidence in the Ministry as a whole.

कामरेड राम चंद्र : मैडम, मैं जानना चाहता हूं whether any resolution needs to be seconded or not.

Deputy Speaker : There is no such rule with me.

I seek the help and co-operation of the hon. Member Comrade Ram Chandra.

Comrade Ram Chandra : Madam, I am prepared to give you my utmost co-operation. But my only question is whether the motion of No-Confidence that I have moved needs to be seconded by some other hon. Member of the House.

श्री यशपाल (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज कामरेड राम चन्द्र ने जो मोशन हाउस में पेश की है बिलकुल इसी तरह की एक मोशन आज से छः महीने पहले इसी हाउस में पेश की गई थी। लगातार तीन दिन तक उस पर बहस होती रही, आपोज़ीशन के मैम्बर्ज़ ने अपनी बातें कहीं, कांग्रेस पार्टी वालों ने अपनी बातें कहीं और गवर्नमैंट ने अपनी सफाई पेश की और जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन आपोज़ीशन वाले हाउस छोड़ कर भाग गए। खैर, यह उन की अपनी इच्छा है। कोई बैठना चाहे तो बैठा रहे। न बैठना चाहे तो उन पर कोई पाबन्दी नहीं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि छः महीने के बाद फिर उसी तरह की आज जो यह मोशन मूव की गई है उस की ज़रूरत क्या थी ?

यह ठीक है कि आपोज़ीशन को हक होता है कि वह मोशन लाए और यह ज़ाबते की बात है कि जब नियत तादाद में मैम्बर खड़े हो जाएं तो मोशन एडमिट हो जाती है, दिन मुकर्रर

हो जाते हैं और बहस हो जाती है मगर मैं ज़ाबते की बात नहीं करता, मैं तो व्यवाहारिक बात करता हूं। कामरेड राम चन्द्र ने मोशन मूव करते हुए भाषण दिया, उसमें इस मोशन के मूव करने की जो बजूहात पेश कीं उनमें मुझे कोई भी नई बात मालूम नहीं हुई, जो इन दिनों में हुई हो। सब से ज्यादा ज़ोर उन्हों ने इस बात पर दिया कि चीफ मिनिस्टर साहिब के खिलाफ 1957 में कोई पिटीशन हुई थी और उसके बारे में ट्रिब्यूनल ने कोई बात लिख दी थी, मैं सोच रहा था कि शायद ट्रिब्यूनल ने अब 1963 में या 1964 में कोई ऐसी बात लिख दी हो इसी लिए मैंने उनको टोका कि मेहरबानी करके यह तो बता दें कि यह गज़ट जो आप कोट कर रहे हैं किस तारीख का है। उन्होंने बताया कि यह फैसला 1959 का है और उसके साथ ही उन्होंने भोलेपन से व्यंग करते हुए यह भी कह दिया कि यह 10 पैसे में हर कहीं मिल सकता है। मैं उन से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह 4 साल पहले 10 पैसे नहीं खर्च कर सकते थे जो आज 1959 की कबरें खोद रहे हैं। वह पहले 10 पैसे नहीं खर्च सकते थे, या इसको पढ़ नहीं सके या वह ए. बी. सी. ही भूल गए थे जो उन्हें आज 4 साल बाद ख्याल आया ? 1959 के बाद 1962 में उन्होंने इसी कांग्रेस के नाम पर इलैक्शन लड़ा और कांग्रेस टिकट पर ही कामयाब हो कर आए हैं। (शोर) इसमें कांग्रेस का ही सवाल नहीं बल्कि 1959 के बाद 1962 में इन्हीं कामरेड साहिब ने सरदार प्रताप सिंह कैरों को अपना लीडर तसलीम किया और दो बरस तक उनकी लीडरशिप के नीचे काम करते रहे हैं। उस वक्त उनको क्या 10 पैसे खर्च करने का ख्याल नहीं आया ? नहीं, उस वक्त तो चुनावो लड़ने और किसी तरह मैम्बर बनने का सवाल था। (शोर) आज से 6 महीने पहले जब यहां पर इस पिंगलवाड़ा अपोज़ीशन की तरफ से नो कन्फीडैंस मोशन पेश की गई...... (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਗਲ-ਵਾੜਾ ਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ)

उपाध्यक्षा : मैं कई दफा कह चुकी हूं कि मैम्बर साहिबान कोई ऐसी बात न करें जिस से तलखी पैदा हो। Please help me to maintain the dignity of this House. (I have requested the hon. Members several times that they should not say such things as would create bitterness in the House.) Please help me to maintain the dignity of this House.

श्री यशपाल : मैं यह वापिस लेता हूं अगर आप कहती हैं। (शोर)

चौधरी देवी लाल : आपने तो कहना ही है, दो लाख के इश्तहार जो मिलते हैं अखबार के लिए। (शोर)

आवाजें : वापिस लो, वापिस लो। (शोर)

श्री यशपाल : मैंने डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए यह लफ्ज़ वापिस ले लिया है लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कभी इनकी तरह स्मगलिंग नहीं करता रहा हूं। (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਮੈਨੂੰ ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਏਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਆਉਣ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

श्री यशपाल : अगर शोभा की बात है तो पता नहीं अशोभनीय बात कौनसी है। क्या स्मगलिंग करने वालों से मिल कर चुनाव लड़ना या उन्हें सपोर्ट देना शोभा की बात है? वैसे पिंगलवाड़ा लफ़्ज़ खालिस स्यासी लफ़ज़ है। यह अनपार्लियामैंट्री नहीं है।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इनका किस से मकसद है स्मगलिंग की बातें करने का ? कौन किस की इमदाद करता है और वह किधर बैठा है ? (शोर)

श्री यशपाल : मैं आपकी सेवा भी करूंगा, अभी बैठिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पिछले सितम्बर में जब नो–कन्फीडेंस मोशन यहां पेश हुई थी तब इन कामरेड साहिब ने इस मोशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ही साथ दिया था और इसी लीडर में विश्वास किया था। इतने साल तक तो उनको यह बात समझ नहीं आई लेकिन आज अचानक पता नहीं कैसे आ गई है। यह कहते हैं कि अब यह पार्टी dishonest anti-socialistic, anti-democratic वगैरा 2 न जाने क्या क्या है। मैं समझता हूं कि उस शख्स से बढ़ कर एंटी डेमोक्रेटिक और कोई नहीं हो सकता जिस ने यह लिख कर दिया हो कि वह कांग्रेस का वफादार रहेगा और अगर कांग्रेस छोड़ेगा तो मैम्बरी भी छोड़ेगा लेकिन कांग्रेस तो छोड़ दी मगर मैम्बरी से बराबर चिपटा रहे। यह कांग्रेस को एंटी-डेमोक्रेटिक होने का ताना कैसे दे सकते हैं? (शोर) मैं कामरेड जी की बड़ी इज्ज़त करता हूं, वह मेरे भाई हैं और इन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया है। उनको एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आया कि 6 महीने के बाद नो–कन्फीडैंस मोशन कैसे और क्यों मूव कर दी जब कि .....

बाबू बचन सिंह : महंगाई बहुत बढ़ गई है, यह क्या कम है ?

श्री यशपाल : बाबू जी कहते हैं कि मंहगाई बहुत बढ़ गई है इस लिए यह मोशन लाए हैं। इस बात से कौन इन्कार करता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है लेकिन कामरेड जी ने तो महंगाई का ज़िक्र इस तरह सरसरी तौर पर किया जैसे रात को मामूली मच्छर काट जाता है। (हंसी) ठीक है, मैं इन्कार नहीं करता कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्या इस सारी महंगाई की कुल ज़िम्मेदारी पंजाब सरकार पर ही है ? मैं अर्ज़ करता हूं कि यह महंगाई का मसला अकेले पंजाब का या सिर्फ हिन्दुस्तान का ही नहीं है बल्कि यह अंतराष्ट्रीय समस्या है। सारी दुनियां में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब सरकार ने इस महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं या नहीं। पिछले दिनों जब महंगाई के मसले पर इस हाउस में बहस हो रही थी उस दिन आपोज़ीशन के सारे के सारे मैम्बर गैर हाज़िर थे, सिर्फ दो चार बिखरे बैठे थे, अगर इनको इस बात से कोई दिलचस्पी होती तो उस बहस में पूरा हिस्सा लेते। उस दिन होम मिनिस्टर साहिब ने 20/22 कदम बताए जो महंगाई को रोकने के लिए उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आप भी बताएं कि कौनसे और कदम उठाए जा सकते हैं, हम उठाएंगे, लेकिन आपोज़ीशन की तरफ से कोई भी ठोस तजवीज़ पेश नहीं की गई। आज कहते हैं कि नो-कान्फीडैंस मोशन इसलिए पेश की है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो 6 महीने पहले भी थी। (शोर) इस बात

पर जब गौर हो रहा था तो इन्होंने कोई ठोस तजवीज़ पेश नहीं की। आप देखें बजट पर बहस होती रही है, और भी अभी कई मदों पर बहस होगी लेकिन इनकी तरफ से इस बारे में एक भी तजवीज़ नहीं दी गई है और न दी जाएगी कि किस तरीके से महंगाई रोकी जा सकती है। मैं तो कहता हूं कि यह सारी की सारी आपोज़ीशन एंटी-डेमोक्रेटिक है और बगैर किसी असूल की है। Opposition means which opposes the least आपोज़ीशन डैमोक्रेसी का ज़रूरी अंग है और यह जमहूरी गाड़ी का दूसरा पहिया होता है और बगैर दो पहियों के गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन आपोज़ीशन वाले हमारे दोस्त समझते हैं कि आपोज़ीशन करने के उनका दूसरा कोई काम नहीं है। आपोज़ीशन का काम अपोज करना नहीं, सलाह मशविरा देना होता है, जैसे दो भाई हैं—एक बड़ा और दूसरा छोटा। उन्होंने अगर मकान बनाना हो तो बड़ा भाई उसका नक्शा बना लेता है और फिर दोनों भाई मिल कर उसे इम्प्रूव करने के लिए सोच विचार करते हैं कि कौनसी लकड़ी लगे कैसा रंग करें ईंटें कहाँ से आएं, बाकी मसाला कहां से आए और कैसे आए। जब सारी बात सलाह मशविरा के बाद तै हो जाती है तो फिर इकट्ठे हो कर उसका निर्माण करते हैं। सरकार में कांग्रेस की पोज़ीशन बड़े भाई की है और जो वह सूबे के निर्माण का नक्शा तैयार करते हैं वह इस सदन में इन छोटे भाइयों के सामने पेश कर देते हैं कि बताओ किस तरीके से देश की बेहतरी हो सकती है, सजैशनज़ दो। बजाए इस के कि यह सरकार को इन निर्माण के कामों में मदद दें यह सारे के सारे रुकावटें पैदा करते हैं। बजाए इसके कि यह कहें कि लो हम ईंटें ला देते हैं, मसाला ला देते हैं और अगर पैसे नहीं तो मज़दूरी कर देते हैं यह उलटा ईंटें ही मारनी शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि इस एंटी डेमोक्रैसी आपोज़ीशन की वजह से ही तो पंजाब उतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी कि हम करना चाहते हैं। जब यह सरकार कोई निर्माण का काम करती है और स्टेट की भलाई का काम करती है तो इनको रंज होता है कि हमारा आपोज़ीशन का काम ही खत्म हो चला.... (शोर)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : यह आप बोल रहे हैं या दो लाख रुपए के इशितहार बोल रहे हैं ? (शोर)

श्री यशपाल : मैं आप की तरह ठेकेदार नहीं हूं ; जिस का साथ देता हूं खुल्लम खुल्ला देता हूं चोरी छुपे नहीं..... (शोर)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मैं भी आपकी तरह (* * * *) नहीं हूं (शोर)......

श्री यशपाल : इस शोरोगुल को नज़र अंदाज करके मैं अपनी बात पर आता हूं आखिर पिछले छः महीने के बाद कौनसी ऐसी नई बात हो गई है जिसकी वजह से यह परेशान होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। कामरेड साहिब ने एक बात और कही कि अगर कांग्रेस वाले इनकी यह आवाज़ नहीं सुनेंगे और बगावत नहीं करेंगे तो लोग बगावत कर देंगे। मैं सोच रहा था कि आया पिछले 6 महीने के बाद कोई ऐसा वाक्या हुआ है जिस से मालूम हो कि लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बग़ावत शुरू कर दी है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को याद होगा कि जब आपोज़ीशन वाले यहां आए तो उन में कुछ नए भी आए थे। उन्हें बात करने का मौका मिल गया है। वह कहते थे कि सारे का सारा

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री यशपाल]

पंजाब कांग्रेस के खिलाफ हो गया है। वह चैलेंज करते थे। बार बार चैलेंज करते थे किसी भी जगह पर इस्तीफा देकर हमारे साथ चुनाव लड़ लें। उनका दावा था कि कांग्रेस हारेगी। इस्तीफा तो किसी ने क्या देना था लेकिन एक उप-चुनाव आ गया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस सीट पर अभी इलैक्शन हुई है वहां पहले अकाली जीतकर असेम्बली में आया था। उस ने कांग्रेस को हराया। वह साढ़े सात हज़ार वोटों से जीता था। उन के लिए वह अच्छा मौका था। वह जगह 2 पर, चिल्ला कर शोर मचाते रहे कि कांग्रेस लोगों के दिलों से निकल चुकी है। लोगों का कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस गैर मकबूल हो गई है। और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। यह बात सब जानते हैं कि जब इलैक्शन हुए तो उस वक्त एक यूनाइटिड फ्रंट बना ताकि इकट्ठे हो कर कांग्रेस को शिक्सत दे सकें। वह कहते थे कि इक्ट्ठे न होने के कारण ही कांग्रस को वोटें चली जाती हैं और हमारी वोटें बंट जाती हैं। इस लिए हमें शिक्सत होती है; हमें इकट्ठा होना चाहिए। अगर इकट्ठे होंगे तो कांग्रेस को हरा सकेंगे। इस बिना पर यूनाइटिड फ्रंट बना। उस यूनाइटिड फ्रंट में आधी दर्जन पार्टीज़ थीं और इस में दो दर्जन से ज़्यादा लीडर शामिल हुए। यह सारी पार्टीज़ इक्ट्ठी हुई और मिल कर कांग्रेस को हराने के लिए यत्न करने लगे ताकि कांग्रेस को शिकस्त हो जाए। आखिर यह पार्टीज़ इकट्ठी कैसे हो सकती थीं? किस बिना पर इकट्ठी हो सकती थीं। अगर इन का कोई सिद्धांत होता तो लोग इन को पसन्द करते। बहरहाल यूनाइटिग फ्रंट बनाया गया है, ताकि कांग्रेस को शिकस्त दे सकें। लेकिन कुछ ही दिनों में दो फ्रंट बन गए। इस फ्रंट ने दोनों को काफी समझाया कि एक ही कैंडीडेट कांग्रेस के बखिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन दरअसल यूनाइटिड फ्रंट एक यूनाइटिड फ्राड है, फ्राड बहुत जल्द बेनकाव हो गया। गिल साहिब को मनाने लगे, मास्टर तारा सिंह को मनाने लगे। इस फ्रंट में फिरकापरस्त अकाली, फिरकापरस्त जन संघी और कामरेड राम चन्द्र जो कि कांग्रेसी असूलों पर डटे रहने का दावा करते हैं, वह सब इस में शामिल हुए ताकि वह कांग्रेस को हरा सकें। लेकिन वह फ्राड ज़्यादा देर तक टिक न सका। वह दीवार खड़ी न रह सकी और सारा ढांचा गिर पड़ा। कामरेड राम चन्द्र जो कि अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे वह भी कांग्रेस को छोड़ कर इनके साथ ढेर हो गए। क्या यह डेमोक्रेसी है? अगर वह डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो उन्हें विधान सभा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्हें उस कसम का पास होना चाहिए था जो उन्होंने ली थी। वह आपोज़ीशन में जा कर बैठ गए और बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस फ्रंट ने मास्टर तारा सिंह और गिल साहिब को मनाने की कोशिश की। यह भी कहा कि दीदार सिंह को और कहीं दीदार करा देंगे। यह बातें किसी से छुपी हुई नहीं हैं। लेकिन आखिरकार जिसके कोई असूल होते हैं, वह ही जीतता है। असूलों से टकराने वाला बेअसूल गठजोड़ ज़रूर टूट जाता है। टूटता ही नहीं वह पाश 2 हो जाता है। सारे पंजाब में इस बात की चर्चा थी कि यह फ्रंट कांग्रेस का मुकाबला करेगा लेकिन कांग्रेस की पहली ही टक्कर में ऐसा नतीजा निकला कि इनकी उमीदें पर पानी फिर गया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हों ने दो कैंडीडेट्स खड़े किए। वहां पर इन्होंने काफी कोशिश की लेकिन पट्टी में लोगों ने इन का साथ नहीं दिया। यह कहते थे कि लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं लेकिन जनता ने इतना क्लीयर कट फैसला दिया है। वहां पर आधी दर्जन पार्टियां इक्ट्ठी हुई और दो दर्जन से ज्यादा इन के लीडर इक्ट्ठे हुए। इन्होंने 5 लाख रुपए दास कमीशन में खर्च करने के लिए इक्ट्ठा किया था, वह भी वहां खर्च कर दिया। इलैक्शन हुई और कांग्रेस को 52 प्रतिशत वोटें मिलीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि लोगों का कांग्रेस के ऊपर पूरा एहतमाद है। आपोज़ीशन के दोनों उम्मीदवारों को मिला कर भी 48 प्रतिशत से अधिक वोटें नहीं मिलीं। यहां पर जनता ने क्लीयर फैसला दिया है। इलैक्शन होते हैं, कैंडीडेटस खड़े होते हैं और इलैक्शन में जीतते भी हैं और हारते भी हैं लेकिन इस तरह क्लीयर मैजारिटी रेटो कहीं ही मिलती है। (विघ्न) (शोर)

कुछ आवाजें : कोई 34 वोटों से जीता और जाली वोटें भी निकली थीं।

श्री यशपाल : यह देखने का अपना अपना नज़रिया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पट्टी में जनता ने फैसला दिया है कि कौन सी पार्टी ठीक है। फिर कौन सी ऐसी बात हो गई है, कौन सी ऐसी नई तबदीली आ गई है, कौन से नए वाक्यात हो गए हैं जिस की बिना पर वोट आफ नो-कान्फीडैंस मूव करने की ज़रूरत पड़ी। (विघ्न) इतनी बात ज़रूर हो गई है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ मैम्बर उधर चले गए हैं और उन्हों ने एक पार्टी बनाई है। यह नई पार्टी बन कर आई है। उन्होंने एलान किया था कि बजट सैशन के अन्दर कांग्रेस सरकार को उल्टा देंगे। डिप्टी स्पीरकर साहिबा, वह प्रजातन्त्र पार्टी बनी। इस पार्टी में पहले 15, 16 मैम्बर आए। उस के बाद ऐलान किया गया कि 20 दिसम्बर, 1963 को 20 और मम्बर प्रजातन्त्र पार्टी में शामिल हो जाएंगे। फिर कहा 2 जनवरी, 1964 को 4 मैम्बर आ जाएंगे। वह कहते थे कि बजट सैशन तक सरदार प्रताप सिंह कैरों अकेले रह जाएंगे और बाकी इधर आ जाएँगे। वह ऐसी बातें सोचते थे। (विघ्न) (शोर)

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब इस मोशन के मूवर साहिब बोल रहे थे तो कांग्रेस बैंचों की तरफ से कोई इंट्रप्शन नहीं हुई। लेकिन अब बार २ इंट्रप्शन हो रही है। यह मुनासिब बात नहीं है। हमारी बात तो यह मानेंगे नहीं। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हाउस के माहौल को ठीक रखने के लिए आप इन को इंट्रप्शन करने से रोकें।

उपाध्यक्षा : मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि श्री यशपाल को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। यह मुनासिब बात नहीं है। मैं ने पहले शुरू में ही कहा था कि कोई प्रोवोक करने वाली बात न करें। (I am sorry to point out that Shri Yash Paul should not provoke. It is not proper. I said in the beginning that nothing should be said which may provoke others.)

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन की तरफ से पर्सनल हमले हों और हम चुप रहें। हमें भी उन का जवाब देना होगा। मैं मानता हूं कि कांस्टीच्यूशन में फ्रीडम आफ स्पीच की इजाज़त है; उन की मर्ज़ी है जिस तरह से कहें। हमें एतराज़ नहीं है।

[गृह मन्त्री]

लेकिन हमें हक हासिल है कि हम उस का जवाब दें। इस में किसी को प्रोवोक करने की कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्षा : मैं हाउस के समस्त मैम्बरों से अपील करती हूं कि कोई ऐसी बात न करें जो कि किसी की फीलिंग्ज़ को दुख दे। (I appeal to all the hon. Members of the House that nobody should say anything which injures the feelings of others.)

श्री यशपाल : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं किसी को भी प्रोवोक नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ सच्ची बात कहता हूं। और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरा किसी को प्रोवोक करने का इरादा नहीं है। अगर मैं सच्चाई की बात कहता हूं तो नैचुरली उन को बुरी लगेगी।

सरदार गुरनाम सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मूवर साहिब ने बहुत अच्छी ज़बान में कहा। उस ने बड़ी संजीदगी से अपनी स्पीच दी। श्री यशपाल मिनिस्टर रह चुके ह। हम उन को कुछ भी नहीं कह सकते। वह जिन लफ्ज़ों में चाहें कह लें। अगर पंडित मोहन लाल उन से इस तरह से कहने की बात करें तो उन की भी मर्ज़ी है। एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हम इस तरह से बातें करेंगे तो यह महसूस न करें।

श्री यशपाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरा किसी को प्रोवोक करने का कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता मैंने सच्ची बात तो करनी ही है। अगर उस पर कोई नाराज़ होता है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बजट सैशन के अन्दर कांग्रेस की मिनिस्ट्री को उखाड़ने के खवाब ले रहे थे। इन्होंने सारा ढांचा तैयार कर रखा था। इन्होंने तो मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली थी। इन्होंने शैडो कैबिनेट तैयार कर ली थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर के बारे में ही फैसला रह गया था। चीफ मिनिस्टर बनने पर झगड़ा हो भी सकता था क्योंकि उस के लिए ज़्यादा कैंडीडेट्स थे। (विघ्न) लेकिन इन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह यहां चंडीगढ़ में अपनी मिनिस्टरी बनाने के लिए अरमानों की बारात ले कर आए और अब अपनी तमन्नाओं का जनाज़ा लेकर वापिस जा रहे हैं। अब उन की तमन्नाओं का जनाज़ा निकल रहा है तो उन का परेशान होना ज़रूरी था।

उपाध्यक्षा : पंडित मोहन लाल जी, आपका क्या ख्याल है, क्या तमन्नाओं का जनाज़ा लफ्ज़ कहने की इजाज़त होनी चाहिए। [What does the hon. Home Minister Shri Mohan Lal think? Should the hon. Member be allowed to use the words 'Tammanaon Ka Janaza' (dead body of sentiments?)

श्री यशपाल : क्या यह लफ्ज़ अनपार्लियामैंटरी हैं ?

उपाध्यक्षा : मैं समझती हूं कि यह अनपार्लियामैंटरी नहीं है लेकिन ऐसे लफज कहने शोभा नहीं देते । (I think that although these words are not unparliamentary yet it does not appear to be desirable to use them.)

श्री यशपाल : मैंने कौनसी ग़ल्ती की है? मैं पूछता हूं (विघ्न) मैं ने कौनसी गलत बात कही है?

उपाध्यक्षा : मैं ने कहा है कि यह शोभा नहीं देता। (I have held that it does not look nice.)

श्री यश पाल: मैं ने कहा है कि इन की तमन्नाओं का जनाज़ा निकला है। अगर यह गलत बात है तो बता दीजिये। (*Interruptions*)

(*Repeated interruptions*)

Deputy Speaker : I will not tolerate any interruptions.

श्री यशपाल: कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो ग्राउंड दी गई है, अब मैं उस की तरफ आता हूं। उस में उन्होंने तीन बातें लिखी हैं जो कि नई हैं। बाकी बातें वही हैं। आखिर में जो इन्होंने 13, 14 और 15 नम्बर पर तीन बातें लिखी हैं। मैं उनका ज़िक्र करता हूं :

"(13) The Ministry failed to check smuggling, black marketing and maintain law and order in the State ;

(14) The Ministry failed to curb the forces of right reaction which are opposed to the National accepted policies and failed to curb the commun al forces ;

(15) The Ministry has lost the confidence of the majority population and every class of inhabitants of the State. The replacement of such an anti-people Ministry is most urged demand of the day. Hence this motion is moved."

अब मैं इन तीन बातों का निहायत नर्म लहजे और सुलझी हुई भाषा में जवाब दूंगा। (विघ्न)

एक आवाज़ : पन्द्रहवीं भी पढ़ दो। (विघ्न)

श्री यशपाल : वह भी पढ़ दी है। इन्हों ने यह लिखा है कि इस मिनिस्टरी में लोगों का कानफीडैंस नहीं रहा। लोगों का कानफीडैंस कितना है वह तो पट्टी की इलैक्शन में साबत कर दिया है। इस लिये इन का यह इल्ज़ाम निहायत बेहंगम मालूम देता है। (विघ्न) कम्युनिस्टों ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह मिनिस्टरी सूबे में स्मगलिंग को रोकने में नाकाम रही है, कम्युनल फोरसिज़ का साथ देती है और ब्लैक मार्किट को नहीं रोक सकी। इस सम्बन्ध में मैं इन का ध्यान इन के अपने ही अखबार की तरफ दिलाता हूं और किसी की तरफ नहीं। आप यह जानते हैं कि पट्टी के चुनाव में कम्यूनिस्ट पार्टी ने संत फतह सिंह ग्रुप के कैंडीडेट की सपोर्ट की थी। मैं इस सम्बन्ध में आप के सामने मोटे मोटे शब्दों में छपे 'नवां ज़माना' अख़बार का हवाला देना चाहता हूं। यह अखबार 1964 का है, पुराना नहीं है। इन्होंने कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टी पट्टी चुनाव में सन्त फतह सिंह ग्रुप के कडीडेट की हिमायत करेगी, क्यों करेगी यह बात मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[श्री यशपाल]

"ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਕਈ ਵਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਜੱਥੇਬਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ...."

यह मेरे अल्फाज़ नहीं हैं। यह कम्यूनिस्ट पार्टी के ओफिशियल आरगन के अल्फाज़ हैं। उस रेज़ोल्यूशन के अल्फाज़ हैं जो कि इन की कौंसिल ने पास किया। अब यह खुद मानते हैं कि संत फतह सिंह का ग्रुप कम्यूनल है, फिरकाप्रस्त है, जमहूरी नहीं है (विघ्न)

(कामरेड शमशेर सिंह जोश प्वायंट आफ आर्डर पर उठना चाहते थे। हाउस में बहुत शोर था और डिप्टी स्पीकर ने सरदार जय इन्द्र सिंह को श्री यश पाल के पास से उठा कर दूसरी जगह पर भेज दिया।)

Comrade Shamsher Singh Josh : On a point of order, Madam. The hon. Member, Shri Yash, should not be allowed to mis-quote the decisions of any political party. Either he should quote in full or he should not mis-inform the House. I categorically say that he is mis-quoting the Communist Party.

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, जो कुछ अखबार में लिखा वह वहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप को यह शिकायत है कि लिखा कुछ और है और वह पढ़ कुछ और रहे हैं तो दोनों चीज़ें मुझे भेज दीजिये मैं देख लूंगी।

(Shri Yash Pal is reading what is printed in the Newspaper. If, however, Comrade Shamsher Singh Josh feels that he is not correctly reading it he may send both the papers to me and I will look into the matter.)

Comrade Shamsher Singh Josh : The hon. Member is not reading the sentence in full. I, therefore, seek your protection.

उपाध्यक्षा : सारा पढ़ दो : (The hon. Member should read out the whole of it). (*Interruptions*).

श्री यशपाल : मैं सारा ही पढ़ दूंगा लेकिन ज़िम्मेदारी इन की है। इन का अपना अखबार है। मैं ने अपने पास से कुछ नहीं कहा। अगर आप कहेंगे तो सारा ही पढ़ दूंगा। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप इस को हाउस की टेबल पर ले कर दें। (The hon. Member may place this paper on the Table of the House.)

श्री यशपाल : मैं ले कर दूंगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने रेज़ोल्यूशन में खुद माना है कि संत फतह सिंह ग्रुप कम्यूनल है और एंटी नैशनल है, फिरकू है और उस को स्पोर्ट करते हैं। उस ग्रुप के कैंडीडेट का साथ देते हैं जिस को अपने अखबार में कंडेम करते हैं। और इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस पर, कि यह कम्यूनल है और एंटी डैमोक्रेटिक है। (कांग्रेस पार्टी की तरफ से थंपिंग) (विघ्न) अब और देखिए। यह अखबार अकाली पार्टी का है। "प्रभात" में खुद मास्टर तारा

सिंह जी लिखते हैं (विघ्न) आप ज़रा इतमीनान रखिये। मास्टर तारा सिंह जी लिखते हैं..........यह अखबार भी 1964 का है, 1959 का नहीं है।

"कांग्रेसी तो आप जनता को काफी तरीकों से लूट रहे हैं और तुम्हारा उम्मीदवार गुरदवारे को सीधा लूट रहा है। दरबार साहिब की जगहों और मकान पर कब्ज़ा, वहां भैंसें रखना और भैंसों के लिए रखे नौकरों को लंगर से रोटी खिलवाना और दूध फरोख्त कर के रकम इक्ट्ठी करना। इस जैसी नंगी कुरप्शन तो यह सरकार या कांग्रेस भी नहीं कर रही। आप लोगों का चोर बुरा कि गुरु का चोर?"

मास्टर जी ने लिखा है कि इस किस्म की नंगी कुरप्शन तो यह सरकार या कांग्रेस भी नहीं कर सकती। और उस कैंडीडेट को कम्यूनिस्ट पार्टी स्पोर्ट करती है? (विघ्न) (आवाज़ें)

Deputy Speaker: Please wind up.

श्री यशपाल: मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। आगे उन्हों ने लिखा है:

"अगर आग लगे तो पानी डाल कर बुझाओ। अगर किश्ती में आग लग जाए तो क्या बने? पानी डालने से तो किश्ती डूब जाएगी। अगर पापों से मन मैला हो तो गुरद्वारा में जा कर गुरु के शब्द से मन पवित्र करो। लेकिन जो गुरद्वारा में बैठ कर चोरी करें वह किस जगह जा कर मन पवित्र करें?"

यह मास्टर तारा सिंह जी का विचार उस कैंडीडेट के बारे में है जिस को हमारे कामरेड भाई स्पोर्ट करते हैं। (विघ्न) यह कहते हैं कि कांग्रेस वाले स्मगलिंग को रोकने में नाकाम रहे हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन बड़ीदिलचस्प बात है इस लिये सुनाना ज़रूर चाहता हूं। यह भी मास्टर तारा सिंह जी के अपने कलम से है:

"मुझ से एक साहिब ने कहा कि अब तो आप संत ग्रुप के उम्मीदवार सरदार दीदार सिंह पर एतराज़ करते हैं कि वह स्मगलिंग करता है पिछली बार जब सरदार हज़ारा सिंह खड़ा हुआ था तो आप ने क्यों यह एतराज़ न किया था?"

(विघ्न)

यानी जब वह स्मगलिंग करता था तो उस वक्त भी उस को स्पोर्ट करते थे आगे लिखते हैं:

"मैं ने जवाब दिया कि आप बड़े गुनाहागार हैं कि आपको उस वक्त मालूम था कि सरदार हज़ारा सिंह स्मगलिंग करता तो आप ने क्यों मुझे नहीं बताया? उस वक्त तो मुझे बताया गया था कि सरदार हज़ारा सिंह स्मगलिंग छोड़ चुका है।"

यानी जो छोड़ देता है उस को माफ कर दिया जाता है। (विघ्न) जो बात मैं खास तौर पर ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है। वे लिखते हैं:

"अब तो स्मगलिन्ग से भी बात ऊपर चली गई है। यह स्मगलिंग श्री अकाल तख्त के इहाता के अंदर उस मकान में हो रहा है जिस में श्री अकाल तख्त के ग्रंथियों का लंगर तैयार होता था और गुरद्वारा की हतक की जा रही है इस जगह स्मगलिंग इस वास्ते की जा रही है कि वहां पुलिस नहीं जाती। पुलिस को तो इतना कुछ गुरद्वारे का एहतराम है लेकिन इन स्मगलरों

[श्री यशपाल]

को इतना भी नहीं है कि यहां बठ कर तो स्मगलिंग न करें। मुझे मालूम है कि इस ज़िला में बहुत लोगों ने स्मगलिंग को अपना व्यापार बना रखा है । लेकिन वे गुरद्वारे की बेहुरमती तो नहीं करते।" (विघ्न)

यह है तारीफ इन के अपने कैंडोडेट को और इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस पर, और मिनिस्टरी पर (विघ्न) आगे लिखा है :

"वैसे तो लोग शराब पीते हैं। लेकिन अगर कोई गुरद्वारे के अंदर शराब पी कर भी जाए तो वही शराब पीने वाले उस की बुरी तरह दुरगत बनाते हैं। इन लोगों ने तो गुरद्वारे को स्मगलिंग का अड्डा बना रखा है, जैसे कोई गुरद्वारे के अन्दर शराब की भट्टी लगा ले।"

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह है मास्टर तारा सिंह जी के विचार उस कैंडीडेट के बारे में जिस को इन्होंने स्पोर्ट किया।

(*Interruption*) (*Noise*) (*Voices of points of order*)

उपाध्यक्षा : श्री जै इन्द्र सिंह, आप का क्या प्वायंट आफ आर्डर है ? (What is the point of order of Shri Jai Inder Singh?)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

उपाध्यक्षा : बदकिस्मती से मैं ने पहले आप को नहीं देखा था इस लिए सरदार जै इन्द्र सिंह को काल अपान कर लिया था। उसके बाद आप के प्वायंट आफ आर्डर को सुन लूंगी। (Unluckily I did not see Sardar Tara Singh Layallpuri first. Therefore I called upon Sardar Jai Inder Singh. I will listen to the point of order of the former after the latter has finished.)

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ।

उपाध्यक्षा : सरदार जै इंदर सिंह, इस का जवाब किस ने देना है, किसने नहीं देना यह देखना आप की ज़िम्मेदारी नहीं है। (It is not the responsibility of the hon. Member Sardar Jai Inder Singh to see as to who has to reply to it or not to reply to it.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : On a point of order, Madam, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Madam ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ...........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਉ । (Let me first reply to the point of order raised by Sardar Tara Singh Layallpuri.)

ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜ, ਸੱਤ, ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੁਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਲਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਧਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਇਤਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਲਚਲਨ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੱਤਲਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਤਅਲਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(*At this stage Chaudhri Darshan Singh was found talking to some other hon. Member.*)

उपाध्यक्षा : चौधरी दर्शन सिंह जी, आप थोड़ी देर के लिए लाबीज़ में चले जाइए। (I would like Chaudhri Darshan Singh to move to the lobbies for while.) (Thumping of Tables.)

[*At this stage Chaudhri Darshan Singh left the House.*]

उपाध्यक्षा : जो कुछ पार्टियों की अखबारें लिखती हैं उनको यहां पर पढ़ कर न सुनाया जाए तो अच्छा होगा। इस तरह अखबारों की लिखा पढ़ी में पड़ गए तो हाउस की डिगनिटी बिगड़ जाएगी। हाउस की डिगनिटी मेम्बर साहिबान की डिगनिटी है। इसलिये मैं आप से दरखास्त करूंगी कि न तो कोई इस तरह की बातें कहें और न ही इन्टरप्शंज इन्वाईट करें। श्री यश अब आप वाईंड अप करें। (It would be better if extracts from the newspapers, owned by certain parties, are not read out here. Introduction of press comments in the debates will mar the dignity of the House. The dignity of the House is the dignity of the hon. Members. I would, therefore, request the Members not to indulge in such provocations or invite interruptions. Shri Yash should now wind up please).

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam. ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਰਾਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਯਸ਼ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਧਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਯਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ।
(It is not binding on either side of the House to subscribe to what Shri Yash has quoted from Master Tara Singh's writings. One subscribes to what suits him. I would, therefore, urge upon the hon. Members not to waste the time of the House because a number of Members are anxious to speak. Shri Yash should wind up now).

श्री यशपाल : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं ने मास्टर तारा सिंह के सम्बन्ध में एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा, जिसपर किसी को एतराज़ हो सकता हो।

उपाध्यक्षा : इस बात को अब यहीं पर छोड़ दीजिए। (The hon. Member should please leave this point here.)

श्री यशपाल : मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। मैं ने वही कुछ कहा है जो कि इन की अखबारों में छपा है।

उपाध्यक्षा : अब आप मेहरवानी करके किसी अखबार का हवाला न दें। (The hon. Member should not please quote from any newspaper now.)

श्री यशपाल : बहुत अच्छा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अब अखबारों का हवाला नहीं दूंगा हालांकि मेरे पास अभी कई ऐसी अखबारें हैं। सिर्फ यही अर्ज़ करूंगा कि हमेशा आपोजीशन की तरफ से यह अल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस वाले समगलिन्ग को नहीं रोक सके। लेकिन असल बात यह है कि यह अल्ज़ाम इन्हीं पर आता है। जितने अल्ज़ाम आपोजीशन वाले कांग्रेस बैंचिज़ पर बैठने वाले साथियों पर लगाते हैं दरअसल वह अल्ज़ाम खुद इन्हीं पर लागू होते हैं और वह मुल्ज़मों के कटहरे के अन्दर खड़े हैं। मैं विशवास के साथ कह सकता हूं कि अगर आज पार्टी टू पार्टी के लिहाज़ से देखा जाए तो कांग्रेस इज़ दी बैस्ट पार्टी और अगर मैन टू मैन देखा जाए तो कांग्रेसमैन इज़ दी बैस्ट मैन। लेकिन ये लोग तो आपस में कुछ न कुछ खिचड़ी ही पकाते रहते हैं। इन्होंने क्या किया है क्या इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ पढ़ कर सुनाऊं ? जिस उम्मीदवार को पट्टी में खड़ा किया, किसे मालूम नहीं कि उस उम्मीदवार की मदद कामरेड राम चन्द्र भी करते रहे, सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी करते रहे, चौधरी देवी लाल भी करते रहे, जन संघ वाले भी करते रहे और दूसरे भी करते रहे। आप कहेंगी, इन्होंने तो अलग उम्मीदवार खड़ा किया था। अगर यह बात मान ली जाए तो फिर पूछता हूं कि आधी दर्जन पार्टियां और दो दर्जन लीडर मिलकर

सत्तर हज़ार वोटों में से जब सिर्फ सत्ताईस सौ वोटें हासिल कर सके और उस कैंडीडेट की ज़मानत भी ज़ब्त करा दी क्या इनकी औकात इतनी ही है ?

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । आनरेबल मेम्बर को सिवाए पट्टी के सूझता ही कुछ नहीं । यह गलत फहमी भी दूर करवा देंगे । मैं समझता हूं कि अगर अढ़ाई हज़ार भी शरीफ आदमी निकले हैं तो अच्छे ही निकले हैं ।

उपाध्यक्षा : श्री यश, अब आप वाइंड अप करें । (Shri Yash should please wind up now.)

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब कोई आनरेबल मेम्बर बोल रहे हों तो क्या इस के दरम्यान सप्लीमैंटरीज़ हो सकती हैं ? : (हंसी) :

उपाध्यक्षा : यह सप्लीमैंटरी नहीं है । वह प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए थे । मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल नामुनासिब बात है कि बार बार प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किए जाएं । मैं देख रही हूं कि मेरे बार बार दरखास्त करने पर भी दोनों साईड्ज़ में से कोई भी नहीं मानता । मैं फिर दरखास्त करूंगी कि मुनासिब बात यही है कि जो बोल रहा है उसे बोलने दो और जब आप की बारी आए तो जो कुछ कहना हो कह लें । हाऊस का वक्त इस तरह से ज़ाया न करें । मिस्टर यश, अब आप एक मिनट में खत्म कर दें । (It is not a supplementary. The hon. Member rose on a point of order. It is, I think, most undesirable to raise points of order again and again. I am observing that the hon. Members of both the sides are not paying heed to my repeated requests. I would again submit that it is in the fitnəss of things that the hon. Member in the possession of the House should have his say and the other hon. Members may give expression to their views on their own turn. They should not waste the time of the House like this. 1 would now like Mr. Yash to conclude his speech within a minute.)

[**श्री यश पाल** : मैं समझता हूं कि कोई नई बात, काई नई वजह या कोई नई ग्राऊंड नहीं दी गई जो कि आज से छ: महीने पहिले न दी गई हो । यह मोशन मूव करते हुए इन्होंने यह बात नहीं सोची कि इस तरह की मोशन मूव होती है तो कितना रुपया खर्च होता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, असेम्बली की एक दिन की मीटिंग पर, मैंने अन्दाज़ा लगाया है जो कि बिल्कुल आर्थेंटिक तो नहीं, पर मेरा अन्दाज़ा है कि करीब करीब दस हज़ार रुपया खर्च आता है और इस मोशन पर असेम्बली की तीन सिटिंग्ज़ होने जा रही हैं । इस के बावजूद आपोजीशन के मेम्बरों के कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला । सिवाए इसके कि वह अपनी तमन्नाओं का जनाज़ा लेकर वापिस जाएं और कोई बात नहीं होगी । तीस हज़ार रुपया स्टेट ऐक्सचेकर का ईन बातों पर ज़ाया होगा । यह सारी की सारी नोकानफीडेंस मोशन्ज़

(श्री यशपाल)

नहीं है । This is a voice of desperation, dejection and frustration. This is a reaction of defeat and disappointment. यह बड़े बे आबरू हो कर और निराश हो कर जा रहे हैं। भगवान इन की आत्मा को शांति दे । आमीन (हंसी) ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : अब यह हमें मरहूम समझने लगे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਆਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਖਲਾਕ ਨਾ ਛਡਣ। ਇਹ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ he is a corrupt Chief Minister.

ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ. . . .

उपाध्यक्षा : सरदार गुरचरण सिंह जी, यह आप न कहें कि उन की कुछ हस्ती नहीं । He is the Chief Minister of the Province. (Addressing Sardar Gurcharn Singh) (I would request the hon. Member not to say that Sardar Partap Singh has no importance. He is the Chief Minister of the Province.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਬੇ-ਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੱਪਟ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਕਤ ਹਥ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਹਰ ਜਾਇਜ਼, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ-ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ he is a corrupt Chief Minister. ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਬੇਟ ਨੰਬਰ 6, ਜਿਹੜੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੋਬਾਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਕ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਸ. ਸੋਢੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰੁਪਿਆ ਡਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੁਰੱਪਟ ਨਹੀਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ $2\frac{1}{2}$ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਪਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਓਪਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ—

Sardar Partap Singh Kairon was a force behind his sons. He was a force behind Sardar Surinder and Sardar Gurinder. But, unfortunately, now Surinder and Gurinder smugglers, are a force behind Sardar Partap Singh Kairon. ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਔਰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ)

उपाध्यक्षा : यह मोशन आफ नो कानफीडेंस मिनिस्टरी के खिलाफ है और सुरेन्द्र सिंह और गुरेंद्र सिंह के खिलाफ नहीं है । इस लिए आप मोशन पर बोलें । (This motion of no-confidence is against the Ministry and not against S. Surinder Singh and Gurinder Singh. Therefore, the hon. Members should speak on the motion.)

Sardar Gurcharan Singh: I will obey you, Madam.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਦਮੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । सुरेंद्र तो मेरा नाम है; यह बार बार मेरा नाम ले कर **क्यों बातें** कर रहे हैं ?

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाएं। और भी सुरेन्दर हो सकते हैं। मैं तमाम मेम्बर साहिबान से यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि वे किसी अफसर या किसी दूसरे ऐसे आदमी का नाम लेकर यहां कोई बात न करें जो यहां हाज़र हो कर अपने आप को डिफेंड न कर सकता हो (The hon. Member should resume his seat. There can be many Surinders. I would request the hon. Members to refrain from discussing the conduct of officers or other individuals by giving their names, who cannot come here to defend themselves.)

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। सरदार गुरचरण सिंह ने कहा है कि गुरेन्दर और सुरेन्द्र जो सरदार प्रताप सिंह कैरों के लड़के हैं, अगर यह सरदार साहिब के लड़के हैं तो यह बात साफ हो जानी चाहिये। हम तो इन्हें किसी और के लड़के समझते थे। (हंसी) (विघ्न)

12.00 noon

Sardar Jai Inder Singh : On a point of information.

Sardar Gurcharan Singh : I do not give way. He is not on a point of Order.

Sardar Jai Inder Singh : On a point of information, Madam.

Deputy Speaker : Will the hon. Member, Sardar Jai Inder Singh, kindly resume his seat ?

आप प्वायंट आफ आर्डर पर तो बोल सकते हैं मगर प्वायंट आफ इनफर्मेशन पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते । (The hon. Member can rise on a point of order but cannot disturb the proceedings on a point of information.)

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਟੰਡਨ ਜੀ ਸਹੀ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਹਨੀ ਇਨਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜ ਇਤਨੇ ਭੈੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਫੈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਰੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਢਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੇ ਐਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 2700 ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 'ਚੈਰੇਟੀ ਬੀਗਿਨਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। Mohanmmed Tughlaq was known as a fool and a philosopher but they are only fools and not philosophers. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : 'ਫੂਲ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ? (Is the word 'fool' parliamentary ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਡੀਓਮੈਟਿਕ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰਫੀਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ,

ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਫੀਏ ਦਾ ਇਕ ਟੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਲਏ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੈਲੇਸਿਜ਼ ਕਰਾਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਉਥੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : 'ਤੂੰ' ਨਾ ਕਹੋ । (Please address the Chief Minister respectfully.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: I am sorry. ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਬੀਗਿਨਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਫਿਰ ਕਾਕੇ ਵਲ ਹੀ ਆ ਗਏ । (The hon. Member has again reverted to attacking the son of the Chief Minister.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: I am not naming anybody. ਕੈਰੋਂ ਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਸਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਵੜਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾ ਠੀਕ ਰਖਣ ਵਿਚ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ, ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫਸਰ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਮਸਾਲਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਥਰਾਜ ਹੈ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸ਼ਲ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੇਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰਖਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। I do not allow this. (I wanted to point out even then when Comrade Sahib was speaking but hesitated to do so due to myself being a lady. Ladies should not be dragged into such matters. I do not allow this.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਾਸ ਇਕ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਈ (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ he is on bail. ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜਿੱਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰੋਬ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। He is on bail, Madam. ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਸਤੌਲ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, (ਵਿਘਨ) (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਲੰਬਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ (ਵਿਘਨ) (The hon. Member makes such a lengthy speech that he takes the time of other hon. Members.) (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਯਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਉ। (ਵਿਘਨ)

Home Minister : I also support the hon. Member that the time for the speeches should be fixed.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। (The hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill should not always try to guide the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ? (Does the hon. Member challenge the ruling of the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (There is sufficient time at our disposal.) (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੌਰਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅਜ ਇਸ ਸੂਬੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜ ਕਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਪਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)।

ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ.... (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਉ। (I cannot allow to discuss any officer here. If the hon. Member has got any information with him he may send the same to me.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਰੀਵਾਲਵਰ ਲਈ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਰੀਵਾਲਵਰ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਲਕਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਬਿਡ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਬਿਡ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 459 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ) ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਘੰਟੀ)। **It is the most corrupt and dirty Government. It should be removed at once.**

ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ):

मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमां की हरारत वालों ने
दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाज़ी बन न सका।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਥੇ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁਪ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ (ਵਿਘਨ) ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਤੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ (ਵਿਘਨ)

श्री जगन्नाथ : On a point of order, Madam. (विघ्न) मेरा point of order यह है कि पट्टी का यहां पर बार बार जिक्र आता है। यह तो मामूली सी बात है। शायद इन्हें हिस्ट्री याद न हो कि जब कोई मरने लगता है तो उसको पूछा जाता है कि तेरी आखरी इच्छा क्या है इसी तरह पट्टी के लोगों ने कहा कि सरदार प्रताप सिंह कैरों खत्म हो गया है, इस की आखिरी इच्छा (विघ्न) क्या है तो उस ने कहा कि पट्टी इलेक्शन जिता दो (हंसी)।

Deputy Speaker: This is no point of order.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਵਿਘਨ)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੱਟੀ ਹੀ ਮੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਸੋਸ਼-ਲਿਸਟਿਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਅਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਲ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ you must speak nothing but truth. ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਚਾਈ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਲ੍ਹੀ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ

[ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ]
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : I rise on a point of order, Madam, and it is my right to speak. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਥੇ ਚੌਧਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ........................

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ I have the right to speak (Why does the hon. Member, Sardar Lachhman Singh Gill says 'I have the right to speak' since I never denied him to exercise his right.) (ਵਿਘਨ)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ..... (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : आप लोग इस तरह की बातें करते हैं । आप देखें कि बाहर से भी लोग आए हुए सुनते हैं कि आप क्या कहते हैं । (The hon. Member says things like that. He should bear in mind that people from outside hear him whatever falls from his lips.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam. ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲ ਇਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦੇ ਹਨ, ਬੇਸਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : मैं ने कल भी मेम्बर साहिबान से दरखास्त की थी कि जितना हो सके point of order से बचाव करना चाहिए । हर बात में point of order का रेज़ करना मुनासिब मालूम नहीं देता । आप इस के साथ ही इनसिनुएशन को बंद करके शांति से सुनें । अब मैं सरदार लछमन सिंह गिल से कहूंगी कि किसी की प्रोवोकेशन न की जाये और सारी पुज़ीशन क्लीयर कर दी जाए । (I requested the hon. Members yesterday also that raising of points of order should be avoided as far as possible. It does not look nice to raise a point of order on every matter. There should be no insinuations and the hon. Member should be heard patiently. Now I would ask the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill that there should be no provocation and the whole position should be clarified.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੁਆਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਯਾ ਇਹ ਗਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਕੋਈ ਲਾਫਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਯਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਪੋਕਰੈਟਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਯਾ ਸਚਾਈ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ।

Sardar Lachhman Singh Gill : Madam, I want your ruling on this point.

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : पंडित मोहन लाल जो और सरदार गुरनाम सिंह जी, मैं आप से कहूंगी कि हाउस को कंट्रोल करने में मेरी इमदाद करें । (I would request the leader of the opposition and the Home Minister to help me in conducting the proceedings of the House.)

PERSONAL EXPLANATIONS

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of personal explanation, Madam, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਹੈ ਯਾ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ (*××××) ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ (*××××) ਹੈ।

उपाध्यक्षा : मुझे अफसोस होता है कि यह हाउस की प्रोसीडिंगज़ कितने लो लैवल पर पहुंच गई हैं । (I am sorry that the proceedings of the House have gone down to such a low level.)

(*interruption by Capt. Rattan Singh*)

Deputy Speaker : Will you please keep the dignity of the House?

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Sardar Lachhman Singh Gill: On a Point of Order, Madam. It is a question of the honour and privilege of my party and myself. I cannot tolerate this.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

Deputy Speaker : There is a limit to the raising of points of Order by the Honourable Member.

Sardar Lachhman Singh Gill : There is no such limit. May I know the Rules, according to which only one point of Order can be raised.

(INTERRUPTIONS)

उपाध्यक्षा : मुझे अफसोस से यह बात कहनी पड़ती है कि हाउस की डिगनिटी का कोई ख्याल नहीं किया जाता । हाउस में बैठ कर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं । (It is regretted that the dignity of the House is not being maintained. It does not look nice to say such things in the House.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of personal explanation, Madam. ਇਹ ਗਲ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਾਰੇ ਕਹੀ, ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਏਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ।

NO-CONFIDENCE MOTION (RESUMPTION OF DISCUSSION) (NOT CONCLD.)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਿਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਿਆ 21 ਫੁਟ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ 7 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 21 ਫੁਟ ਹੋਈ ;ਬੋਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 7×3= 21, ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1963 ਵਿਚ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਨਜੀਵੀਆ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀਯ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁੜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਐਨ. ਏਜ. ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। 1942 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਪਰਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਔਰ 5th columnist ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਨਰਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪੈਟਰੀਆਟਿਜ਼ਮ ਅਨਕੁਐਸਚੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਰੀਆਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰਖ ਕੇ ਇਥੇ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ; ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੱਜਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या कोई मेम्बर किसी दूसरे मेम्बर को यह कह सकता है कि वह ट्रेटर है और उसने देश के साथ धोखा किया है।

कैप्टन रतन सिंह : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी आनरेबल मेम्बर को ट्रेटर नहीं कहता।

उपाध्यक्षा : आप अपनी स्पीच बन्द करें (The hon. Member should finish his speech.)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿਘ: ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

सरदार गुरदर्शन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। एक बहादुर आर्गेनाइज़र जो कैप्टन है उसको चौधरी कहा जाना, मैं पूछना चाहता हूं कि यह उसकी प्रोमोशन है या डिमोशन है ?

Deputy Speaker : This is no point of order.

श्री मंगल सेन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1963-64 में 6 महीने के अन्दर यह दूसरी बार नो-कानफिडेंस का प्रस्ताव इस हाउस में पेश हुआ है।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : अगर कोई टाइम पर मौजूद नहीं रहता तो चेयर उसमें क्या कर सकती है। वैसे चेयर पर यह कोई बंधन नहीं कि लिस्ट के मुताबिक ज़रूर बुलाया जाए वैसे आपकी बारी ज़रूर आएगी। आप इंटरप्ट न करें। (विघ्न) (If an hon. Member is not present in the House at his own

[Deputy Speaker]

own turn, then the Chair is helpless. Otherwise also the Chair is not bound to follow the list strictly. However, the hon. Member will get time to speak, he should not interrupt.)

(*Interruptions*)

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी सेवा में अर्ज़ कर रहा था....

उपाध्यक्षा : मक्खन सिंह तरसिक्का, आप बैठ जाइए। आपकी बारी ज़रूर आएगी ! बोलिए डाक्टर मंगल सेन जी। (Comrade Makhan Singh Tarsikka should please resume his seat. He will surely get time to speak. Shri Mangal Sein may continue his speech.)

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी सेवा में अर्ज़ कर रहा था कि यह अविश्वास का प्रस्ताव 1963-64 में 6 महीने के अन्दर दूसरी बार आया है। ट्रैज़री बैंचिज़ की तरफ से एड़ियां उठा उठा कर यह कहा जा सकता है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा करने के लिये यह लोग रेमेडी सीक करते हैं। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर वास्तव में देखा जाए तो गवर्नमेंट के खिलाफ जब अविश्वास हो जाए तो पार्लियामेंट्री फार्म आफ गवर्नमैंट में डिसकंटेंटमेंट शो करने का यही तरीका होता है। हम जब कभी यहां क्वैश्चन करते हैं कि वज़ीरों के लड़कों ने यह किया और कुरप्शन के साथ उनका सीधा सम्बन्ध है तो उन्हें डिफैंड करने के लिये इस हाउस में ग़लत बयानी की जाती है और हमें इस तरह से कहा जाता है कि अगर आपको इनके खिलाफ अविश्वास है, असंतोष है या शिकायत है तो नो-कानफिडेंस मोशन लाइए तब उनके खानदान के बारे में बात कीजिए। तो आज हम इसी मीडियम से बात करना चाहते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तो कार में सफर करते हैं, लेकिन मैं बसों में सफर करता हूं तो लोगों से सुनने को मिलता है कि आज पंजाब की जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया है, ट्रस्ट उठ गया है, भरोसा उठ गया है और हर आदमी यही कहता है कि जब महंगाई का यह हाल हो तो यह सरकार कैसे चलेगी। सब की ज़बान पर एक ही बात है कि यह सरकार कैसे चलेगी जिसने महंगाई से लोगों का बुरा हाल कर रखा है। चुनाव के समय कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, हम तुम को तालीम फ्री देंगे, खाने की चीज़ें सस्ती कर देंगे, सही और सस्ता इन्साफ देंगे और सच्ची हकूमत का बन्दोबस्त कर देंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इन्होंने कोई बात भी पूरी नहीं की। बाज़ार में 30 रुपए मन गेहूं मिलती है। हमारे फूड मिनिस्टर साहिब उठ कर कह देंगे कि हमने छः हज़ार डिपो खोल रखे हैं। लेकिन उन डिपोज़ की हालत क्या है ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पटियाला गया तो वहां मैं ने देखा कि जो आटा यह डिपोज़ पर बेचते हैं वह इतना घटिया है कि उसे जानवर भी खाने को तैयार नहीं हो सकते, उस में से दुर्गन्ध आती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कहा करती हैं कि बहनों और माताओं की भी बात किया करो। इसलिए अब मैं कहता हूं कि उन डिपोज़ पर मेरी बहनें गोद में

बच्चा लिये हुए सुबह से शाम तक लम्बी लम्बी कतारों में खड़ी रहती हैं। गुड़ लेने के लिये भी उन को डिपुग्रों पर जाना पड़ता है, ग्राटा ग्रौर चीनी लेने के लिये भी डिपुग्रों पर जाना पड़ता है। इस का मतलब यह हुग्रा कि यह सरकार जनता को रोटी भी नहीं दे सकती। तो जो सरकार जनता को रोटी न दे सके उस का मारल राईट नहीं बनता कि वह गद्दियों पर बैठ कर शासन करे। इन्होंने लोगों पर टैक्स लगा कर हरिजनों को मकान बना कर देने के बहाने से 3 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वह पता नहीं कहां कोल्ड स्टोर में पड़ा हुग्रा है। उसे ग्रब देने के लिये यह तैयार नहीं है। उस रुपए को कैरों साहिब उस वक्त देंगे जब हरिजनों से वोटें लेने का वक्त ग्राएगा ग्रौर कहेंगे कि मैं हूं प्रताप सिंह कैरों, ग्राज के कलियुग का 'राम', पिछड़े ग्रौर पसमान्दा लोगों को ऊपर उठाने वाला। मैं पूछता हूं कि उस रुपये को क्यों काबू किए बैठे हैं। वह रुपया हरिजनों को दे दिया जाना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार का लोगों की जान माल ग्रौर इज्ज़त की हिफाज़त का ज़िम्मा होता है। लेकिन यहां पर रोज़ ग्रापोज़ीशन ग्रौर ट्रेज़री बैंचिज़ के मैम्बर्ज़ बारम्बार चार्जिज़ लगाते हैं कि इस कांग्रेस सरकार की पुलिस बेगुनाह लोगों को घरों से बुला कर गोली से मार देती है। मैं महम थाने की बात बताता हूं कि वहां के थानेदार ने एक ग्रादमी को मार दिया ग्रौर उस की लाश को बाहिर फैंक दिया। इसी तरह कलानौर के एक गरीब ग्रादमी को मार दिया गया। उस हलके के शहनशाह हमारे चौधरी रणबीर सिंह जी हैं। ऐसी जैनुइन बातों की तरफ ध्यान देने की इस सरकार को कहां फुरसत है। लेकिन जब प्यारा सिंह ग्रौर हज़ारा सिंह मरे थे तो एस० पी० ग्रेवाल पर 302 का मुकद्दमा चलाया गया। लेकिन ग्राज गरीब थानों में हर रोज़ बेरहमी के साथ कतल किए जाते हैं ग्रौर जब होम मिनिस्टर साहिब के नोटिस में बात लाई जाए तो वह कह देते हैं उस का हार्ट फेल हो गया था, उस को कामा हो गया था, उस को फुल-स्टाप हो गया था। इस किस्म के बोदे ग्रौर लंगड़े बहानों की ग्राड़ में ग्राज जनाब ग्रपने पापों को छुपाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, डैमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लीन होना चाहिये। लेकिन हमें कदम कदम पर इस बात की मिसालें मिलती हैं कि यह सरकार जान बूझ कर एफीशेंसी को नहीं रखना चाहती ग्रौर ग्रपने चहेतों को एप्वायंट कर के मन मानियां करवाना चाहती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बरों को एप्वायंट करने की बात को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि सब इस के बारे में ग्रच्छी तरह जानते हैं। इस लिये इस बात पर मैं हाऊस का कीमती टाइम वेस्ट नहीं करता चाहता। पानीपत में एक डाक्टर नन्द लाल जी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे ग्रौर करनाल का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी उनके चार्ज में ही था। उन को वहां से हटाया गया ग्रच्छा हुग्रा क्योंकि उस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई काम नहीं किया था। पहले तो पानीपत ग्रौर करनाल के लिये एक चेयरमैन था लेकिन ग्रब उन्होंने दो ग्रलहदा ग्रलहदा चेयरमैन लगा दिये हैं ग्रौर दोनों को ग्राठ ग्राठ सौ रुपये दे रहे हैं। इस तरह से गरीबों पर टैक्स लगा कर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसे बेरहमी के साथ ज़ाया किया जाता है। इस किस्म की फेवरिटिज़्म ग्राज पंजाब के ग्रन्दर की जा रही है। किस किस बात का ज़िक्र करूं, दास कमिशन की प्रोसीडिंग्ज़ को पढ़ कर शर्म के मारे सिर झुक जाता

[श्री मंगल सेन]

है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस हाऊस में चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब ने एक सवाल के जवाब में बताया कि लार्क्स रेस्टोरेंट चार हज़ार रुपये सालाना किराए पर नेगोशिएशन से दिया गया है और उसी जगह नीचे एक छोटी सी दुकान 24 हज़ार रुपयें माहवार बोली पर दी गई है। तो क्या यह इन्साफ है ? गरीबों के लिए बोली और सरमाएदारों के लिए नेगोशिएशन से बातें होती हैं। मैं नीलम सिनेमे की बात नहीं कहता, मैं ताज़ा बात करता हूं। आज पंजाब में टैक्सों से जनता का बुरा हाल है। मैं ने सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की है, लेकिन यह कानों में सिक्का डाले बैठे हैं क्योंकि यह समझते हैं कि ब्रूट मेजारिटी हमारे साथ है। लाला बनारसी दास जी मज़े से सो रहे हैं, ऐसे मेम्बर इनके साथी हैं (हंसी) वह बेचारे हाउस में आ कर अंगड़ाते रहते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह समझदार नहीं हैं क्योंकि मैं भी इसी हाउस का एक मेम्बर हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस हाउस में चौधरी मुख्तियार सिंह ने चौधरी रणबीर सिंह पर एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया था कि सोनीपत तहसील में एक गांव में डाका पड़ गया था। तो हमारे चौधरी साहिब के पी० ए० वहां डाकू पकड़वाने के लिये गए और पांच हज़ार रुपया रिश्वत लेने का तय किया गया।

Deputy Speaker : Be relevant please

Shri Mangal Sein : I am quite relevant and to the point, Madam, and I can prove that he is a corrupt man.

Deputy Speaker : Can the hon. Member prove this ?

Shri Mangal Sein: Yes. We made a statement in the House also. We wrote to Shri Nanda ji also.

इन्होंने, डिप्टी स्पीकर साहिबा, 2,200 रुपए उन से पहले ले लिए। चौधरी रिज़क राम को जब पता लगा तो उन्होंने इन को कहा कि भाई यह तू ने क्या साका कर दिया है, भले आदमी। तो चौधरी साहिब उन को कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं था कि वज़ीर बनने के बाद ऐसे नोट नहीं लेने चाहिए। आयंदा नहीं लूंगा।

Deputy Speaker : Was the hon. Member present at that occasion ?

श्री मंगल सेन : मैं तो वहां नहीं था लेकिन चौधरी रिज़क राम ने जब इन को कहा कि आप रुपए लौटा दीजिए तो उन की नेक सलाह पर 2,200 रुपए वापिस लौटा दिए गए। फिर यह मामला डी.आई. जी. साहिब तक पहुंचा। और चौधरी लहरी सिंह, जो आज कल एम. पी. हैं उन्होंने यह बात प्वायंट आऊट की। उन्होंने जब यह बात प्वायंट आऊट की तो उनके भानजे ने जो हलका राए में थानेदार लगे थे उनकी मारफत यह सौदा $18\frac{1}{2}$ सौ में तय हुआ ...... (शोर)...... अगर यह बात गलत हो तो जो सज़ा आप देना चाहें मैं कबूल करने को तैयार हूं। अगर यह बात सच है तो कोई जस्टीफिकेशन नहीं है कि चौधरी रणबीर सिंह इस तरह रिश्वत का पैसा खाने के बाद वज़ारत की गद्दी से चिमटे रहें। वैसे सरदार प्रताप सिंह ने तो उसे कहा हुआ है कि "कोई गल्ल नहीं बच्चा, अगर मैं रिश्वत लै लैंदा हां तां तूं भी लै लिया कर"। (हंसी) मैं अर्ज़ करनी चाहता हूं कि पिछली

दफा जब नो-कान्फीडैंस मोशन पेश हुई तो पंडित मोहन लाल जी ने कहा कि मेरी जो प्रापर्टी है वह एक टूटा हुआ मकान और एक टूटी हुई दुकान मेरे हिस्से आई......

आवाजें : एक बोरी भी आई थी. . . . . (शोर, हंसी) ।

श्री मंगल सेन : बोरी तपड़ी की बात इस से अलहदा है........(शोर)

Deputy Speaker: Order please. I will not allow you to say such things here.

श्री मंगल सेन : अच्छा जी, इसे छोड़ता हूं। इनके एक फरज़न्दे अर्जमन्द श्री केवल कृष्ण जी हैं जो सनलाईट बीमा कम्पनी में क्लर्क थे....

उपाध्यक्षा : मैं ने पहले भी कई दफा कहा है कि जो लोग यहां हाउस में मौजूद न हों उनका ज़िक्र न किया करो। (I have already stated several times that those persons who are not present in the House should not be criticised).

श्री मंगल सेन : अगर वह नहीं तो उनके पिता पंडित मोहन लाल जी बकलम खुद यहां मौजूद हैं .. .. (हंसी) । अगर मेरे भाई के बारे में बात होती हो तो क्या उसके बारे तब तक बात नहीं हो सकती जब तक कि वह इस हाउस में मेम्बर बन कर न आए ? यह बात मानने के काबिल नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनके फरज़न्द बीमा कम्पनी में क्लर्क थे और बाद में उनको कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ का इन्सपैक्टर बनाया गया। पंडित जी ने फिर सोचा कि मैं वज़ीर और मेरा लड़का सिर्फ इन्सपैक्टर ? झट उसे नायब तहसीलदार लगा दिया गया और फिर पूरा तहसीलदार भी बना दिया । अब उसे पी. सी. एस. में ले आए हैं। जवाब देते वक्त कह देंगे कि उसको तो पब्लिक सर्विस कमिशन ने मैरिट से लिया है। हम इस कमिशन को खूब जानते हैं। इस कमिशन में कौन लोग अप्वायंट होते हैं ? सिर्फ वह लोग रखे जाते हैं जिन पर इनकी नज़रे अनायत हो, चाहे वह श्री भीम सिंह या कोई और हो और इनका इशारा उनके लिए हुक्म से भी ज्यादा होता है। फरीदाबाद में जापानी फर्म के साथ कुलैबोरेशन करके सिरिंज फैक्ट्री लगी तो उसे 50 हजार रुपया दे दिया और साथ अपना हिस्सा रखवा लिया. . . . . . . (शोर) लुध्याना में एक राज सोनी नाम के सज्जन हैं। उनके साथ मिलकर वूल टाप्स का कारखाना लगाया जा रहा है। उसमें भी इनके साहिबजादे का हिस्सा शुरू हो रहा है . . . . . . (शोर). . (घंटी) फरीदाबाद में एक वीविंग फैक्ट्री लगी है जिसका ज़िक्र दास कमिशन के पास हो रहा है। उसे भी 27 एकड़ ज़मीन ले कर दे दी और उसमें भी इनके फरज़न्द हिस्सेदार हैं। फिर जालन्धर में एक बड़ी मशहूर हस्ती लोहे के बड़े डीलर मैसर्ज़ अमीं चन्द प्यारे लाल हैं। उनके साथ इनके लड़के का हिस्सा है। इसी लिए उनको ऐमरजैंसी के ज़माने में 1,600 टन जी. पी. शीट्स दे दी हालांकि रोहतक में बहुत सारे जैनुइन लोग थे जो इन शीट्स को मांग रहे थे लेकिन उनको जवाब दिया गया कि यह नहीं मिल सकती क्योंकि एमरजैंसी है और इन से नेफा में दीवार खड़ी की जा रही है। वहां तो यह जवाब दिया लेकिन जालन्धर में यह शीट्स दी गईं जो वहां 400 रुपए फी टन के हिसाब ब्लैक में बेची गईं। हम ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तो कहने लगे क्यों न करें, दास कमिशन के सामने केस लड़ने के

[श्री मंगल सेन]

लिए इनको एक लाख रुपए जो दिया है, उसका भी तो घाटा पूरा करना है। आखिर बिज़-नसमैन हैं . . . . (शोर)

उपाध्यक्षा : आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे वह आपको ऐसे मौकों पर पास खड़ा कर लेते हैं। सुनी सुनाई बात न करें। (The hon. Member says in such a strain as if he is present at such occasions. He should not base it on a hearsay.)

श्री मंगल सेन : मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। मुझे सारे सच्ची बातें बता देते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो वैगन जी.पी. शीट्स, जो ओपन मार्किट में नहीं बिक सकती थीं बेची गई हैं। यह महकमा अब पंडित जी के पास से चला गया है और खाने कमाने वाला महकमा मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया है। (घंटी) सरदार सुरेन्दर सिंह कैरों ने दो वैगन शीटस ओपन मार्किट में बेची हैं और उस पर तहकीकात चल रही है। जब के तहकीकात होती है तो सरदार सुरेन्दर सिंह वहां पास जा बैठते हैं। मैं ने उनके कभी दर्शन नहीं किए थे लेकिन पिछले दिनों यहां लांऊज में हो गए और मैं ने महसूस किया कि उनके जो गुण ब्यान किए जाते हैं उनका जितना व्याख्यान किया जाए उतना थोड़ा है। खैर, पंडित जी तो गुरबत में पले हैं और मैं मानता हूं कि वह अपनी काबलियत से दो दो रुपए फीस लेते लेते यहां तक पहुंचे गए हैं (शोर) ....

Deputy Speaker : Order please. Pandit Mohan Lal as a person is not under discussion here. Please wind up now.

गृह मंत्री : आप इन को कह लेने दीजिए जो चाहते हैं।

श्री मंगल सेन : मैं सच्ची बात कहता हूं। इनके एक भतीजा साहिब वहां बटाले में पान सिग्रेट की दुकान करते थे और लोगों को खाना खाने के बाद हाज़मा के लिए पान बना कर देते थे लेकिन अब उनको अपने असर से Imperial Tobacco Co. की एजैंसी ले दी है। यही नहीं, अब वह बटाला के शुगर सिंडीकेट के चेयरमैन भी हैं हालांकि इस ट्रेड में उसको लेते हैं जो चीनी में डील करता हो, लेकिन चूंकि वह वज़ीर साहिब के भतीजे हैं इस लिए उन पर यह शर्त लागू नहीं होती और वह पान तम्बाकू बेचते बेचते पहले शुगर सिंडीकेट के मैम्बर बने, अब चेयरमैन बन गए हैं . . . . (शोर) हमारा यह फर्ज़ है कि अपने हकूक का इस्तेमाल करते हुए इस सरकार को एक्सपोज़ करें जो कायदे कानून को पांव तले रौंदते हुए अपने घर वालों को मालामाल कर रही है। (घंटी) अब उनको विदेशी शराब का ठेका दे दिया गया है, पूरे $1\frac{1}{2}$ लाख रुपए का। अब यह गांधी जी के असूलों पर चलते हुए शराब बेचा करेंगे। इसी तरह अपने भानजे को भट्ठे का लाइसैंस दे दिया। मैं उनसे पूछता हूं कि वह बताएं कि किस तारीख को उनको यह लाइसैंस दिया, कितनी देर तक भट्ठा चला, कितनी गाड़ियां उनको कोयले की दी गईं और कितना रुपया सेल्ज़ टैक्स कोयले का उन्हों ने जमा कराया है। (घंटी)

उपाध्यक्षा : मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई भी मैम्बर घंटी सुनने के लिए तैयार नहीं। इस तरह कैसे काम चलेगा ? अब आप बैठ जाइएं। (I am

very sorry to say that no hon. Member cares the bell. How can the proceedings be conducted smoothly in this way ? The hon. Member should resume his seat now.)

श्री मंगल सेन : बस, अब मैं आखरी बात करने लगा हूं । इनका अपना भतीजा इनकी अपनी तहसील बटाला में इन्डस्ट्रीज़ का इन्सपैक्टर लगा रहा । मैं पूछता हूं कि जब यह कायदा है कि दो तीन साल के बाद एक आफीशल की तबदीली हो जाती है तो क्या वजह है कि वह कई साल तक वहां पर बिराजमान रहे । यह सारे कारण हैं जिनकी वजह से यह मोशन आई है । अभी सरदार प्रताप सिंह ने जमहूरियत का जनाज़ा निकाला है कि श्री प्रबोध चन्द्र को स्पीकर के पद से किस ज़लील तरीके से नीचे घसीटा है और अब तो अखबारों में यह आया है कि अब किसी और मैम्बर को उस कुर्सी पर ला रहे हैं । आपको भी . . . .

उपाध्यक्षा : आपको कहां से अलहाम हुआ कि किसी और मैम्बर को ला रहे हैं । (How does the hon. Member know that some other hon. Member is to occupy this Chair.)

श्री मंगल सेन : भगवान करे आप स्पीकर बनें और आपने अपना केस भी बहुत अच्छा प्लीड किया है । (हंसी) हम आपके साथ हैं । यश जी ने एक बात कही कि यह आपोज़ीशन पिंगलवाड़ा है और सब लंगड़े लूले इक्ट्ठे हो गए हैं । ठीक है, हम मुख्तलिफ ग्रुपों के हैं और सिर जोड़ कर इन की अंधेरगर्दी का हम ने मुकाबिला करना है लेकिन यह भी अपना पिंगलवाड़ा देख लें । मैं पूछता हूं कि 1947 से पहले जंगे आज़ादी में कितनी दफा महारानी पटियाला जेल में गई हैं और हमारी बजुर्ग बहन जो सामने बैठी हैं मालेरकोटला की रानी साहिबा. . . . . . (शोर) बेगम साहिबा. . . . (घंटी)

उपाध्यक्षा : मुझे आपको बिठाने के लिए कितनी दफा घंटी बजानी पड़ेगी । मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे बार बार घंटी बजाने के बावजूद भी आप नहीं बैठ रहे हैं । This is not proper. (How many times am I to ring the bell to make the hon. Member to resume his seat ? I am very sorry to say that in spite of my ringing the bell repeatedly he is not resuming his seat. This is not proper.)

श्री मंगल सेन : बस जी, आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वह लोग जो कल तक अंग्रेज़ों के बूट पालिश करते थे वह आज इन सामने के बैंचों पर बैठे हैं और जिन लोगों ने देश के लिए कुरबानियां दीं, बलिदान दिए और हंसते 2 फांसी के तख्ते पर झूल गए उन शहीदे-आज़म भगत सिंह के भाई सरदार कुलबीर सिंह यहां बैठे हैं । क्या इसी बात पर फखर करते हो ? आखिर में मैं यही बात कह कर खत्म करता हूं कि ठीक है हम पिंगलवाड़ा हैं लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह हरिद्वार में पिगलवाड़ा के लोग करते हैं उसी तरह जब दास कमीशन में इनका जनाज़ा निकलेगा तो हम पिंगलवाड़ा का ही काम करेंगे और इनके जनाज़े के पीछे 2 छैणे बजाएंगे . . . . (हंसी) इतनी बातें कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन को कोई गैरत है, शर्म है अपनी कुछ इज़्ज़त समझते हैं तो रिज़ाइन कर दें । अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि पंजाब की हालत और बदतर हो जाएगी ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : आन ए प्वायंट आफ आडर, मैडम। माननीय सदस्य ने लेडी मैम्बर के प्रति जो अपशब्द कहें हैं उन को वह लफ़ज़ वापिस करने के लिये कहें। (विघ्न) (शोर)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। उस वक्त शोर था और मैं कुछ भी सुन नहीं सकी। आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या कहा है? (Order please. I could not catch the hon. Member's words due to noise at that time. What did he say?)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : जिस तरह उन्होंने लेडी मैम्बर्ज़ की ओर इशारा करते हुए कहा है उस से हाउस का डैकोरम बढ़ता नहीं है बल्कि गिरता है। उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के पिट्ठू थे और उन के बूटों को साफ करते थे और अब कांग्रेस बैंचों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बेगम आफ मलेरकोटला के प्रति अपशब्द कहें हैं। आप उन्हें कहें कि यह लफ्ज़ वापिस लें।

उपाध्यक्षा : क्या आप ने लेडी मैम्बर के विरुद्ध कोई अपशब्द कहें हैं? (Did the hon. Member use any improper words against the hon. lady Member ?)

श्री मंगल सेन : मैं ने लेडी मैम्बर के विरुद्ध कोई लफ़ज़ नहीं कहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूं। मैं लेडीज़ को माता के समान समझता हूं। आप को उन से भी ज़्यादा मानता हूं। मैं ने तो यह कहा था कि जो लोग अंग्रेज के जूते चाटते थे वह आज कांग्रेस बैंचों पर बैठे हुए हैं। (विघ्न) (शोर)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। श्रीमती जी आप मान लीजिए कि उन्होंने लेडीज़ के विरुद्ध कोई लफ्ज नहीं कहे। (Order please. The hon. Lady Member may take it that the hon. Member has not said any words against the lady Member.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : नहीं जी, उन्होंने लेडी मैम्बर के विरुद्ध कहे हैं। आप प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख लें।

उपाध्यक्षा : मैं प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख लूंगी। और इस का कल जवाब दूंगी। (I will consult the proceedings and give my ruling on it to-morrow.)

(*The Deputy Speaker called upon Comrade Makhan Singh Tarsikka to speak.*)

गृह मंत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आप ने ट्रेज़री बैंचों के लिए टाइम मुकर्रर किया है। पहले आपोज़ीशन के मैम्बर ने अपनी स्पीच दी है और अब भी आप ने आपोज़ीशन के सदस्य को काल अपौन कर लिया है। मुझे इस में कोई एतराज़ नहीं है। जैसा मुनासिब समझें वैसा करें। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रेज़री बैंचों के लिए किस तरह से टाइम काउंट किया जाएगा। (विघ्न) (शोर)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। मैं कई बार आप से लिख कर पूछ लेती हूं और आप भी कई बार पूछ लेते हैं। यह मुनासिब होता कि आप प्वायंट आफ आर्डर रेज़ न करते और लिख कर पूछ लेते। आप से पहले मुझे सरदार अजमेर सिंह ने लिख कर पूछा था और मैं ने बताया था कि कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का के बाद आप को काल अपौन करूंगी।

ग्रौर वह ग्रपनी स्पीच जारी रखेंगे। टाइम का मुनासिब ख्याल रखती हूं। (Order please. I consult the hon. Home Minister in writing many times and he too does so. Had he consulted me in writing instead of raising a point of order it would have been proper. Before this the hon. Revenue Minister Sardar Ajmer Singh asked me in writing and I replied him that I could call upon him after Comrade Makhan Singh Tarsikka and the former would continue his speech. I pay proper attention to the time.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ (ਜੰਡਿਆਲਾ):

ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ,
ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਲਲਕਾਰ ਕੋ ਕੌਨ ਰੋਕੇਗਾ।
ਨਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋ,
ਨਏ ਅਵਾਮ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਕੌਨ ਰੋਕੇਗਾ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਪਾਲੀਸੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਪਾਲੀਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼, ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਲੀਸੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲੀਸੀਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਟੈਰੋਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਰੋਂਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇ-ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਖ਼ੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 17 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਰਖਈ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀਜਨ ਘਰਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ। ਹਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ) ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੂਪ-ਹੋਲ ਰਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁੜ੍ਹਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਭੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਥੇ ਭੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਭੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਕੀਕਾ ਫਰੋਗਜ਼ਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਨੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਥੋ ਅੰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ? ਕੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ; ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਝੱਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਫਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭੁਖ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਈ ਤੇ ਇਕ ਭੈਣ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਗੁਦਾਮ ਲੁਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 4,500 ਰੁਪਿਆ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 5,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 80—85 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ, ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨੀਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ।

Deputy Speaker : The hon. Member should refer to the Chief Minister properly. He should not use the word "toon" (ਤੂੰ).

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 17 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਕਾ 170 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰਾਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉ । (Please do not bring his Shrimati under discussion.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

कामरेड राम चन्द्र : ग्रान ए प्वायट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । जब दास कमीशन के सामने कुरप्शन के बारे में सवाल उठाया गया तो उन से पूछा गया कि इन्क्वायरी तो सरदार प्रताप सिंह के विरुद्ध है इस लिये ग्राप के सामने सुरेन्द्र कैरों, गुरेन्द्र कैरों ग्रौर राम कौर का जिक्र रैलेवेंट नहीं । उन्हों ने जवाब दिया मैमोरियलिस्ट्स का पक्ष यह है कि इन सब ने कुरप्शन इस लिये की क्योंकि चीफ मिनिस्टर वाज़ बिहाइंड दैम । इस लिये मेरी ग्रर्ज़ है कि जब हाउस में कुरप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो इजाजत होनी चाहिए कि ग्रगर कुरप्शन करने में चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टरों के रिश्तेदार भी शामिल हैं तो उन का नाम लिया जा सके ।

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, वह एक कोर्ट है, यह कोर्ट नहीं है यह ग्रागस्ट हाउस है। जो लोग यहां न ग्रा सकते हों, मौजूद न हों उन को डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, खास तौर पर लेडीज़ को । यह मेरी दरखास्त है । (That is a Court; while this is an August House and not a Court. The persons who are not present here, specially ladies, should not be brought under discussion. This is my request.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਖੋਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਆਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : Please wind up in two minutes.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ।

ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁਖਾਲਿਫਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। 16 ਮਈ, 1962 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਸ ਉਪਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ । 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ । ਆਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਰਖੇ। ਆਈ. ਜੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਲੂਕ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੋਰੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1932—34 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ ਕੌਮ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਅ ਨੂੰ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਢੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਨੇਕਿਡ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਨੰਬਰ 307 ਕੈਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਕੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਤਾ, ਜਾ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈਂ। ਉਸ ਨੇ ਵਰਦੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਹਰੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ ਬਣਾਕੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਗਲਾਂ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਆਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਗੜਿਆ ਹੈ; ਵਲਟੋਹੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵੀਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਪੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਿਆ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]

ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ (ਘੰਟੀ)। ਬਸ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ, ਇਲਾਕਾ ਇਲਾਕਾ ਕੈਰੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਫੜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁੜਾਵੇ, (ਘੰਟੀ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਖਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਬਾਹਰ ਰਖਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ.............. .(ਘੰਟੀ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਮਿਸਟਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰੋ Mr. Tarsikka should please wind up now. He should wind up within a minute.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹਫਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? 109 ਔਰ 19/11/78 ਦੇ ਝੂਠੇ ਚਾਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 14 ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 506 ਦਫਾ ਲਗਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 30 ਮਾਰਚ, 1962, ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਨੂੰ 19 ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 17 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 13 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ—ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਪਿਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਮੁਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਘੰਟੀ) ਇਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਸਨ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ, ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ

ਮੌਕੇ ਤੇ,ਕਹਿ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ—ਭੁਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ—ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੱਦਰ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ? (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿੰਟ।

Deputy Speaker: No, no please. Wind up your speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ!! ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ—ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ (Voices of Shame, Shame from the Opposition).

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖ ਦਿਉ। (The hon. Member should place it on the Table of the House.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ *ਰਖਦਾ ਹਾਂ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਘੰਟੀ) ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਦਫਾ 193 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਕੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਲਾਈਟ ਸਿਨਮਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ (ਘੰਟੀ)। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਥੇ ਮਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਲ ਡਸਿਪਲਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। But today there is no discipline at all (The hon. Member's party is considered to be a well disciplined one. But today there is no discipline at all)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਸੈਲੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ) ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ

---

*Placed in the library.

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ, ਲਾਈਕਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ—ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਥੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਹਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡੈਮੋ-ਕਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੂਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ-ਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ—ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ...। (The hon. Minister was still in possession of the House.)

उपाध्यक्षा: सदन कल नौ बजे तक स्थगित किया जाता है।

(House stands adjourned till 9.00 a. m. tomorrow.)

(The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Friday, the 20th March, 1964.

362 P.V.S.—29-7-64—C.P. & S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOLUME I NO. 21 DATED THE 19TH MARCH, 1964.

REPORT ON CO- EDUCATION

1496. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state whether Government have received a copy of the report submitted by the Committee on Co-education; if so, a copy thereof and the details of the action, if any, taken thereon by Government be laid on the Table of the House ?

Shri Mohan Lal : Yes. A copy of the report submitted by the Committee on Co-education is *laid on the Table of the House. The recommendations made by the Committee are under consideration.

Atta and Sugar Depots allotted to Harijans

1505. Shri Fakiria : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the names of the towns in the State where Atta and Sugar Depots have been allotted to local Harijans together with their full particulars ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) Statement containing the requisite information is enclosed.

(b) Does not arise.

Statement

Serial No.	District	Town	Name and address of the Depot Holder.
1	Ludhiana	Ludhiana	(i) Shri Mukhtiar Chand Miller Ganj Lahori Mal Koocha, Ludhiana
		Do	(ii) M/s Bali Ram Ram Singh Chawni Mohalla Ludhiana.
		Do	(iii) Shri Ruldu Ram Sahotra, Shahi Mohalla, Ludhiana.
		Jagraon	(iv) Shri Basakha Singh, Anarkali Bazar.
2	Bhatinda	Bhatinda	(i) M/s Lilu Ram Udhmi Ram, Sirki,Bazar
		Faridkot	(ii) Shri Hakim Singh. son of Nath Singh Dogar Basti, Faridkot.
3	Patiala	Patiala	(i) Shri Shiv Ji Ram.
4	Ambala	Ambala City	(i) M/s Harijan Co-operative Society.
		Morinda	(ii) Shri Bachan Singh.
5	Rohtak	Rohtak	(i) The Labour Co-operative & Construction Society.
		Sonepat	(i) Shri Rajaram, President, Haryana Co-operative Consumers Stores.
		Bahadurgarh	(iii) Shri Matu Ram, care of Twyfords Limited.
		Jhajjar	(iv) M/s Lilu Ram-Dhallu Ram.
6	Narnaul	Charkhi Dadri (District, Mohindergarh)	(i) Shri Lal Chand Harijan.

*Placed in the library.

Serial No.	District	Town	Name and address of the Depot Holder
7	Gurgaon	Village Budhera, (District, Gurgaon)	(i)The Budhera Harijan Agriculture Service Co-operative, Society.
		Village Tilki, District Gurgaon)	(i) Harijan Co-operative Agriculture Service Society.
		Village, Piningwan, (District Gurgaon)	(i) The Piningwan Harijan Co-operative Agriculture, Service, Society.
8	Amritsar	Amritsar	(i) Ram Ditta, Bazar Tokrian. (ii) Shri Nand Lal and Co., Katra Sher Singh. (iii) M/s Chaman Lal and Co., Katra Sher Singh. (iv) Shri Sadhu Singh, Makbulpura. (v) M/s Vijay Kumar-Manohar Lal, Bhagtanwala. (vi) M/s Harbhajan Singh Gill, Majitha Road. (vii) M/s Dayala Singh-Ram Saran Dass, Hussain Pura. (viii) Shri Bahal Singh, Ram Tirath Road. (ix) M/s Gopal Dass-Dhanpat Rai, Mahna Singh Road. (x) Shrimati Asha Rani, Bazar Tokerian. (xi) M/s Nanak Singh, Vishwamitra, Dhapai Road. (xii) Shri Gulzari Lal-Walaiti Ram. (xiii) M/s Milkhi Ram and Sons, Meharh-Pura, Amritsar.
		Chhehrata	(i) Shri Shankar Dass.
		Tarntaran	(i) Shrimati Amarjit W/o Ranga Singh, Panchi. (ii) The Phool Thrift Society and (iii) Shri Bhan Singh Ward. No. 5.
		Majitha	(i) Shri Narinjan Singh. (ii) Shri Shingara Singh, village Dadupuri Road.
9	Hissar	Sirsa, (Tehsil)	(i) Harijan Co-operative Society village Kherbala.
		Mirzapur (Tehsil)	(ii) Hariman Co-operative Society, village Kherbala.
10	Karnal	Karnal	(i) M/s Mani Ram-Ram Sarup, Sadar Bazar.
11	Jullundur	Jullundur	(i) Shri Choor Mal-Gandhi Camp. (ii) Shri Hari Mal-Des Raj. Bhargo Camp. (iii) Shri Ujagar Singh, Abadpura. (iv) Shri Bhuta Ram, Bargo Camp. (v) Shri Manohar Lal, Bargo Camp. (vi) Shri Gurmukh Singh, Gandhi Camp.
		Nakodar	(vii) Shri Hukam Chand. (viii) The Harijan Sudhar Sabha, Basti Nao, Jullundur.
		Nakodar	(ix) Shri Manohar Lal, Mohalla Ravidass Pura. (x) Co-operative Society, village Mudha.
12	Gurdaspur	Pathankot	(i) Shri Mela Ram-Om Parkash, Dhaki Road.
		Batala	(i) Shri Pyare Lal Balmik, Refugee Camp.
13	Hoshiarpur	Hoshiarpur	(i) Amar Nath Madan Lal. (ii) Bibi Mangti Devi.

RELIEF GIVEN IN FLOOD AFFECTED VILLAGES IN HISSAR DISTRICT

1509. Shri Amar Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state the names of the villages in Hissar District where the loss to the crops was more than 25 per cent during the floods last year alongwith the details of the relief, if any, so far provided to the aforesaid villages in any form ?

Sardar Ajmer Singh : A list showing the names of the villages is enclosed The details of relief provided in these villages are given below :—

1. House Repair grant and Immediate Relief................ Rs. 28,500.
2. Subsistence grant....................... Rs, 1,43,129.50.
3. Test Relief Works.......................Rs. 74,043.00.

Total Rs. 2,45,672.50.

List showing the name of villages in Hissar district where the loss of crops was more than 25 per cent

Serial No.	*Name of Village.*
1.	Majra.
2.	Madha.
3.	Malikpur.
4.	Kheri Rohj.
5.	Kheri Sheoran.
6.	Thurana.
7.	Khanda Kheri.
8.	Bhani Amerpur.
9.	Narnaund.
10.	Petwar.
11.	Pali.
12.	Sulchani.
13.	Jamni Khera.
14.	Aurangshahpur.

Loans given under Housing Scheme in district Hissar.

1510. Shri Amar Singh : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state :—

(a) the number and names of persons in Hissar District to whom loans were granted under the Housing Scheme during the period from 1957-58 to date ;

(a) whether any applications for such loans are pending at present in the said district, if so, their number with the dates of receipt of each such application ;

(c) the total amounts so far given under the scheme mentioned in para (a) above ?

Sardar Darbara Singh :

Scheme	Number of persons granted loans	Names of persons
(a) Low Income Group Housing Scheme	675	List attached.
Middle Income Group Housing Scheme.	175	List attached.
Village Housing Projects Scheme ..	221	List attached.

(b)

Scheme	No. of pending applications	Dates of applications
Low Income Group ..	580	Received during the period from 1st May, 1962 to 29th February, 1964.
Middle Income Group ..	2	Received in the month of February, 1964.
Village Housing ..	..	..

(c)		Rs.
(i) Low Income Group Housing Scheme	..	23,81,900
(ii) Middle Income Group Housing Scheme	..	19,00,000
(iii) Village Housing Projects Scheme	..	4,10,500

LIGH **Scheme. 1957-58**

List of persons who have been granted loans under the LIGH *Scheme during the year,* 1957-58

1. Shri Gurjit Singh of Hissar.
2. Shri Ram Nath of Hissar.
3. Shri Sudershan Singh Arms dealer, Hissar.
4. Shri Arjan Dev of Hissar.
5. Shri Dewan Chand Khera of Hissar.
6. Shri Dewan Chand Khataria of Hissar.
7. Smt. Bhagwati Devi of Hissar.
8. Smt. Somwati of Hissar.
9. Shri Ravi Shankar Moh. Neemwala, Hissar.
10. Shri Ranbir Bahadur of Hissar.

LIGH **Scheme, 1958-59**

List of persons who have been granted loans under the LIGH *Scheme during the year,* 1958-59

1. Shri Ram Chand of Bhiwani.
2. Shri Molu Ram of Bhiwani.
3. Shri Har Lal, Harijan of Bhiwani.
4. Shri Nathu Ram, Harijan of Bhiwani.
5. Shri Gopi Chand Goyal, Bhiwani.
6. Shri Gopi Ram of Bhiwani.
7. Shri Chatar Singh of village Gujrani.
8. Shri Ramji Lal Harijan of Bhiwani.
9. Shri Ram Kishan of Bhiwani.
10. Shri Bindra, Harijan of Bhiwani.
11. Shri Behari Lal, Rajput of Bhiwani.
12. Shri Ghanesham Dass of Bhiwani.
13. Shri Chander Bhan of Sirsa.
14. Shri Ghumand Singh of village, Neza Dalla Kalan.
15. Shri Mangal Chand of Sirsa.
16. Shri Mohinder Singh, D.C. Office, Hissar.
17. Shri Jagat Singh, Municipal Committee, Bhiwani.
18. Shri Ranbir Singh , D.C. office, Hissar.
19. Shri Kishan Lal of Hissar.
20. Shri Budh Ram of village, Rattia.
21. Shri Chiranji Lal of Rattia.
22. Shri Ran Singh, Hissar.
23. Shri Lalit Kumar, Bhiwani.
24. Shri Ram Chander of Pili Mandori.
25. Shri Manphul Singh of Hissar.
26. Shri Ram Chander of Dabra.
27. Shri Lachhmi Ram of Hissar.
28. Shri Dhan Singh of Ladwa.

29. Shri Ranbir Singh, Election Office, Hissar.
30. Shri Hardayal, Jawahar Nagar, Hissar.
31. Shri Kishan Lal, Stock, Assistant, G.L.F., Hissar.
32. Shri Ram Kumar Mali, Raj Garh, Hissar.
33. Shri Sohan Lal of Harita.
34. Shri Suraj Bhan of Fatehabad.
35. Shri Ram Kumar Shashtri, Hissar.
36. Shri Jagat Singh, Mela Road, Hissar.
37. Shri Kalu Ram, Chowkidar, Hissar.
38. Shri Mahadev Parshad, Government School, Hissar.
39. Shri Chandgi Ram, Peon, Hissar.
40. Shri Amar Singh of Moh, Sanian, Hissar.
41. Shri Sardul Singh, D.C. Office, Hissar.
42. Shri Gurdev Singh, D.C. Office, Hissar.
43. Shri Chander Bhan, Railway Road, Hissar.
44. Shri Bhagat Ram, Election Kanungo, Hissar.
45. Shri Laxami Narain, Teacher, Bhattukalan.
46. Shri Saran Singh, Government Industries School, Hissar.
47. Shri Satya Varat, Government Primary School, Loharu.
48. Shri Kishori Lal of Loharu.
49. Shri Bharat Singh of Loharu.
50. Smt. Sharada Devi, Government Middle School, Loharu.
51. Shri Bhagwan Dass of Sirsa.
52. Shri Shanti Parkash of Sirsa.
53. Smt. Satya Wati of Sirsa.
54. Shri Tikaya Ram of Hansi.
55. Shri Sohan Lal of Sadulpur.
56. Shri Bhagwan Dass of Fatehabad.
57. Shri Ram Parkash of Moh. Rampura, Hansi.
58. Shri Jogi Ram Harijan of Majra.
59. Shri Hardwari Lal of Hansi.
60. Shri Ranjit Singh of Sirsa,
61. Shri Lekh Ram Harijan of Hansi.
62. Shri Jagan Nath of Hansi.
63. Shri Karam Singh, Jind Road, Hansi.
64. Shri Rattan Singh of Hansi.
65. Shri Ram Lal of Hansi.
66. Shri Chatar Singh Harijan of Hansi.
67. Shri Umrao Singh Harijan of Hansi.
68. Shri Ram Sarup, Cloth Merchant, Hansi.
69. Shri Chatar Singh, Government School, Hansi.
70. Shri Bhagwan Dass of Hansi.
71. Shri Nandu Ram, Khetak of Hansi.
72. Shri Banarsi Sweeper of Hansi.
73. Shri Lakhi Ram Harijan of Hansi.
74. Shri Ram Chand of Hansi.
75. Shri Ram Bhaj of Hissar.
76. Shri Sat Nam Singh of Hansi.
77. Shri Ram Lal of Loharu.
78. Shri Pritam Singh of Sirsa.
79. Shri Om Parkash of Hissar.
80. Shri Devi Dayal, Cloth Merchant, Hansi.
81. Shri Dilok Chand Market Committee, Hissar.
82. Shri Amar Chand of Bhiwani.
83. Shri Dewa Singh, Market Committee, Uklana.
84. Shri Sharam Chand, Cloth Merchant, Hissar.
85. Shri Ram Parkash Rampura of Hissar.
86. Shri Sham Dass, Inside Nigori Gate, Hissar.
87. Shri Monohar Lal, Hissar.
88. Shri Jagdish Rai, Fatehabad.
89. Shri Kheta Ram of Village, Rawatkhera.
90. Shri Babu Ram of Hansi.
91. Shri Kumar village, Sanipura.
92. Shri Nanu Ram of village, Sanipura.
93. Shri Giasi Ram Harijan, Hansi.
94. Shri Inder Sain Electric Contractor, Hissar.
95. Shri Harish Chander of Hissar.
96. Shri Shiv Ram, village, Rawalwas Khurd.
97. Shri Om Parkash of Hissar.

98. Shri Des Raj Mandi Dabwali.
99. Shri Munshi Ram of Behabalpur.
100. Shri Jamal of Behabalpur.
101. Shri Charan Dass of village Bahabalpur.
102. Shri Nauda Ram of village Bahabalpur.
103. Shri Bhagwan Dass of village Bahabalpur.
104. Shri Ganesha Ram of village Bahabalpur.
105. Shri Kalu Ram of village Bahabalpur.
107. Shri Kishan Chand of village Bahabalpur.
108. Shri Bir Chand of village Bahabalpur.
109. Shri Mam Chand of village Bahabalpur.
110. Shri Chanda Ram of village Bahabalpur.
111. Shri Ram Parkash of village Bahabalpur.
112. Shri Hari Singh of village Bahabalpur
113. Dhanpat Ram of village Bahabalpur.
114. Shri D'wan Chand of village Bahabalpur.
115. Shri Nana Ram of village Bahabalpur.
116. Shri Daya Ram of village Bahabalpur.
117. Shri Daluat Ram of village Bahabalpur.
118. Shri Gob.nd Ram of village Bahabalpur.
119. Shri Dass Ram of village Bahabalpur.
120. Shri Lakshman Dass of Village Bahabalpur.
121. Shri Sant Lal of village Bahabalpur.
122. Shri Sant Ram of village Bahabalpur.
123. Shri Lal Chand of village Bahabalpur.
124. Shri Devi Chand of village Bahabalpur.
125. Shri Tara Chand f village Bahabalpur.
126. Shri Ram Singh of village Bahabalpur.
127. Shri Prithi Nath Kaul, Hissar.
128. Shri Parswarat Lal of Hansi.
129. Shri Jagdish Chander of Hansi.
130. Shri Prem Chand, Pleader, Sirsa.
131. Shri Misari Lal, Prem Nagar, Hissar.
132. Shri Joge Ram of Narnaund.
133. Shri Behari Lal, Cloth Merchant, Hissar.
134. Smt. Mohni Devi village Khanda Kheri.
135. Shri Dalip Singh village, Khanda Kheri.
136. Shri Surja, village, Ghirai.
137. Shri Din Dayal, Lamba Bazar, Hansi.
138. Shri Desh Bandho, Vaish High School, Bhiwani.
139. Shri Budhi Ram of Bhiwani.
140. Shri Raghbir Munshi of Bhiwani.
141. Shri Piare Ram, Sirsa.
142. Shri Bishmber Singh of Bhiwani.
143. Shri Brij Bhushan Narula, Hissar.
144. Shri Madan Mohan, Government Inaustries School, Hissar.
145. Shri Balkishan of Hissar.
146. Shri Mansa Ram, Uklana Mandi.
147. Shri Sube Lal of village Rohnaut.
148. Shri Lehri Singh of village, Rohnaut.
149. Shri Darya Singh of village Rohnaut.
150. Shri Gaju Singh of village Rohnaut.
151. Shri Tata of village Rohnaut.
152. Shri Gaje Singh of village Rohnaut.
153. Shri Ram Kumar of village Rohnaut.
154. Shri Sarupa Singh of village Rohnaut.
155. Shri Bhale Singh of village Rohnaut.
156. Shri Raja Ram of village Rohnaut.
157. Shri Udmi Ram of village Rohnaut.
158. Shri Parbhu of village Rohnaut.
159. Shri Bhag Chand of village Rohnaut.
160. Shri Chhelu of village Rohnaut.
161. Shri Ram Sarup of village Rahnaut.
162. Shri Mansa of village Rohnaut.
163. Shri Inder of village Rohnaut.
164. Shri Udmi of village Rohnaut.
165. Shri Bharat Singh of village Rohnaut.
166. Shri Rup Chand of village Rohnaut.
167. Shri Maman of village Rohnaut.

168. Shri Phul Singh of village Rohnaut.
169. Shri Maree Ram of village Rohnaut.
170. Shri Ameer Singh of village Rohnaut.
171. Shri Brij Lal of village Rohnaut.
172. Shri Arjun Singh of village Rohnaut.
173. Shri Gurbux Singh of Hissar.
174. Shri Rawat Mal, Anaj Mandi, Hissar.
175. Shri Om Parkash Goel, Sirsa.
176. Shri Jagdish Parshad of Sirsa.
177. Shri Madan Lal Mahajan, Bhiwani.
178. Shri Gopal Ram of village Daulatpur.
179. Shri Fateh Chand of Bhiwani.
180. Shri Lal Chand of Bhiwani.
181. Shri Pahlad Rai of Bhiwani.
182. Shri Kunj Lal of Bhiwani.
183. Shri Dial Singh of Sirsa.
184. Shri Siri Ram of Sirsa.
185. Shri Lakhpat Rai of Sirsa.
186. Shri Wadhawa Ram of Sirsa.
187. Shri Hans Raj, Cloth Merchant, Hissar.
188. Shri Matu Ram Singh of Bhiwani.
189. Shri Kartar Singh of Hissar.
190. Shri Sheo Chand, Dhani Sarogoian.
191. Shri Kailash Chander of Bhiwani.
192. Shri Lala Ram of Bhiwani.
193. Shri Khem Chand of Bamla.
194. Shri Ganga Ram of Kalanwali.
195. Shri Munshi of village Bahbalpur.
196. Shri Laxmi Narain Mandi Dabwali.
197. Shri Gopi Ram of village Sirsa.
198. Shri Bihari Lal of Bhiwani.
199. Shri Abhe Ram, Alipur.
200. Shri Kanhiya of village Deosar.
201. Shri Ram Sarup of village Deosar.
202. Shri Lilu of village Deosar.
203. Shri Krishana of village Deosar.
204. Shri Pokhar of village Deosar.
205. Shri Chander of Bhiwani.
206. Shri Ramji Lal, M.C.S., Sirsa.
207. Shri Hardayal of Hissar.
208. Shri Mata Din, Harijan of Bhiwani.
209. Shri Sagar Ram Gupta of Bhiwani.
210. Shri Partap Singh of Hansi.
211. Shri Budh Ram of village Bagram.
212. Shri Nanu Ram of village Bagram.
213. Shri Kanha Ram of village Bagram.
214. Shri Banwari Lal of village Bagram.
215. Shri Puran Ram of village Bangram.
216. Shri Birbal of village Bangram.
217. Shri Jetu Ram of village Bangram.
218. Shri Puran of village Bangram.
219. Shri Chandu Lal of village Bangram.
220. Shri Ram Jas of village Bangram.
221. Shri Ram Lal of village Bangram.
222. Shri Mauji Ram of village Bangram.
223. Shri Gopal Ram of village Bangram.
224. Shri Mul Chand of village Bangram.
225. Shri Bhagwana Ram of Bhiwani.
226. Shri Matu Ram of Bangram.
227. Shri Megh Raj of Bangram.
228. Shri Dip Sukh of village Bangram.
229. Shri Chiranji Lal of village Bangram.
230. Shri Dalip Singh of village Agroha.
231. Shri Banarsi Dass of Bhiwani.
232. Shri PritPal Singh, Market Committee, Bhiwani.
233. Shri Bansi Lal of Bhiwani.
234. Shri Bishwa Nath of Bhiwani.
235. Shri Chhabil Dass of Bhiwani.
236. Shri Dhan Singh of village Faridpur.

237. Shri Laxmi Chand of village Kulana.
238. Shri Harphul Singh of Lohani.
239. Shri Hari Ram of Hissar.
240. Shri Ram Sarup of village Gola Garh.
241. Shri Mani Ram Harijan of Sirsa.
242. Shri Rup Ram Harijan of Risalia Khera.
243. Shri Nopa Ram, Harijan Cheharwala.
244. Shri Kesare Ram, Harijan, of Cheharwala.
245. Shri Ram Kishan of Hansi.
246. Shri Bhagwan Dass of Hansi.
247. Shri Sohan Dass of Dadli.
248. Shri Hardyal of village Jamal.
249. Shri Matu Ram of village Bhodia.
250. Shri Mange Ram of Pali.
251. Shri Polhar, Harijan of village Balak.
252. Shri Jug Lal, Harijan of village Lagan.
253. Shri Mai Chand, Harijan of Raipur.
254. Shri Mohar Singh, Harijan of village Dhani Saikri.
255. Shri Surja, Harijan of village Pali.
256. Shri Ram Lal, Harijan of Jhumpa.
257. Shri Rati Ram Harijan of Pathi.
258. Shri Lilu Ram of Dabra.
259. Shri Chandgi Ram, Harijan of Satorod.
260. Shri Jawala Parshad of Prem Nagar.
261. Shri Sada Ram village Nigana Kalan.
262. Shri Mala Ram of Bamla.
263. Shri Bhagwan Dass of Bhiwani.
264. Shri Beg Raj of Dhangar.
265. Shri Behari, Harijan of Hansi.
266. Shri Ramji Lal, Harijan of Deosar.
267. Shri Gurdhan Dass of Harijan of Hansi.
268. Shri Sampuran Singh of Bhiwani.
269. Shri Chandan, village Ramasa.
270. Shri Bega Ram, Harijan of Bangaon.
271. Shri Har Lal of Bangaon.
272. Shri Shiv Shanker, D.C's Office, Hissar.
273. Shri Hardyal, Cloth Merchant, Hissar.
274. Shri Joginder Singh, Rajguru Market, Hissar.
275. Shri Mam Raj, village Ravat Khera.
276. Shri Ram Rakha of Hissar.
277. Shri Didar Singh, Rampura Mohalla, Hissar.
278. Shri Dharam Singh, Model Town, Hissar.
279. Shri Kartar Singh, Khalsa Hotel, Hissar.
280. Shri Rulia Ram, Dentist, Hissar.
281. Shri Brij Lal, Advocate, Hissar.
282. Shri Nathu Ram, Pleader, Bhiwani.
283. Shri Jain Narain, village Milakpur.
284. Shri Udmi of village Milakpur.
285. Shri Ranjit, Village, Milkhpur.
286. Shri Rup Ram, village Milkhpur.
287. Shri Ram Lal, of Jatukheri.
288. Shri Kalu Ram, village Milakpur.
289. Shri Som Nath, Model Town, Hissar.
290. Shri Phusa Ram-village Rawalwas Khurd.
291. Shri Prabh Dayal, of Hissar.
292. Shri Dewan Singh, village Kani Kheri.
293. Shri Puran, village Rawalwas Khurd.
294. Shri Inder, of village Majra.
295. Shri Ram Singh, village Majra.
296. Shri Sher Singh village, Majra.
297. Shri Khem Chand, of Hissar.
298. Shri Chandgi Ram of Sheikhpura.
299. Shri Siri Chend, village Ghari.
300. Shri Nanha Ram, village Rohnat.
301. Shri Jai Ram, Harijan of village Rohnat.
302. Shri Nihal Singh, village, Ram Nagar.
303. Shri Risal Singh, of village Prem Nagar.
304. Shri Daya Ram of village Prem Nagar.
305. Shri Hazari of village Prem Nagar.

306. Shri Dial Chand, Model Town, Hissar.
307. Shri Amar Singh of Milakpur.
308. Shri Chander Bhan of Milakpur.
309. Shri Chandu Lal of Milakpur.
310. Shri Makhan Singh, village Moth.
311. Shri Suraj Bhan, Mandi Dabwali.
312. Shri Roshan Lal, Mandi Dabwali.
313. Shri Chaman Lal, Mandi Dabwali.
314. Shri Hazara Singh of Nalewona.
315. Shri Sher Singh of Nalewona.
316. Shri Om Parkash of Sirsa.

Light Scheme, 1959-60

List of persons who have been granted loans under the Light Scheme

1. Shri Madan Mohan of Hissar.
2. Shri Ved Parkash, P.W.D., Hissar.
3. Shri Kanhya Lal Verma, Hissar.
4. Shri Ihansham Dass, Clerk, Hissar.
5. Shri Hari Kishan, Fireman, Hissar.
6. Shri Mohan Chopra, Professor, Hissar.
7. Shri Amar Singh, Khadi Bhandar, Hissar.
8. Shri Keshav Dev, D.C's Office, Hissar.
9. Shri Manpul Singh, D. B., Hissar.
10. Shri Neki Ram, village Rawalwas Khurd.
11. Shri Nathu Ram, Electricity, Hissar.
12. Shri Manohar Lal, Municipal Committee, Bhiwani.
13. Shri Mussadi Singh, village Latani.
14. Shri Ishwar Chander of Hansi.
15. Shri Rattan Singh Harijan, Hissar.
16. Shri Prem Chander of Fatehabad.
17. Shri Gopi Chand of Fatehabad.
18. Shri Khan Chand of Fatehabad.
19. Shri Ram Chand of Fatehaabad.
20. Shri Tek Chand, Government Livestock Farm, Hissar.
21. Shri Chandgi Ram, Peon, Hissar.
22. Shri Dalip Singh, village Bichhpari.
23. Shri Faqir Chand, Peon to B.D.O., Hissar.
24. Shri Ranjit Singh, D.C. Office, Hissar.
25. Shri Chet Ram, Sweeper, Municipal Committee, Hansi.
26. Shri Hem Raj of Hansi.
27. Shri Amar Chand village Balsmand.
28. Shri Jai Lal Shastri, village, Franci.
29. Shri Badlu Ram, Teacher Government High School, Hissar.
30. Shri Satu Ram, Teacher, village Pabra.
31. Shri Mani Ram, Dhani Jai Dev, Hissar.
32. Shri Dev Raj, Municipal Committee, Hissar.
33. Shri Bhajan Singh, village Dhani,Talliwali.
34. Shri Shiv Singh, Dhani Talliwali.
35. Shri Virender Dutt of Uklana.
36. Shri Kishan Singh, Kanungo, Hissar.
37. Shri Laxmi Chand, D.C. Office, Hissar.
38. Shri Mani Ram of village Thuyian.
39. Shri Ramji Lal of village Thuyian.
40. Shri Jug Lal, village Bahbalpur.
41. Shr Sheo Lal, village Bahbalpur.
42. Shri Jug Lal, son of Gangu Ram, village Bahbalpur.
43. Shri Shadi Ram, village, Bahabalpur.
44. Shri Pura village, Bahbalpur.
45. Shri Ladhu Ram, village Bahbalpur.
46. Shri Shanker, village Bahbalpur.
47. Shri Chandu Lal, village Bahbalpur.
48. ShrM Pat Ram, village Bahbalpur.
49. Shri Jethu Ram, village Bahbalpur.
50. Shri Lekh Ram, village Bangram.

51. Shri Lekh Ram, son of Uda Ram, village Bangram.
52. Shri Kesu Ram of village Bangram.
53. Shri Naurang of village Bangram.
54. Shri Ratti Ram of village Bangram.
55. Shri Sita Ram, Kataria village Bahal.
56. Shri Dalip Singh Gora, village Sisai Kalirawan.
57. Shri Budhu Ram, Sweeper, Mela Ground, Hissar.
58. Shri Roshan, Sweeper Mela Ground, Hissar.
59. Shri Basant Lal, Dhani Barwari Hissar.
60. Shri Pholla Ram, village Bhodia Khera
61. Shri Balwant Singh, 130-E, Model Town, Hissar.
62. Shri Dalla Ram, village Bhodia Khera.
63. Shri Kura Ram, village Bhodia Khera.
64. Shri Jodh Ram, village Bhodia Khera.
65. Shri Ballu Ram, village Bhodia Khera.
66. Shri Jagan Nath, Dabwali.
67. Shri Brij Lal, Hansi.
68. Shri Ram Chand, Sirsa.
69. Shri Jhumar Mal, Sirsa.
70. Shri Bhagwant Singh of Sirsa.
71. Shri Nathu Ram of Sirsa.
72. Shri Ram Sarup of village Jamswari.
73. Shri Des Raj Government Primary School, Sirsa.
74. Shri Gharsi Ram of Dhani Piran Hansi.
75. ShrM Ram LaW of Sirsa.
76. Shri Sukh HarM of Hansi.
77. Shri Chatter Singh of Alakhpura.
78. Shri Narina Ram, village Bhodia Khera.
79. Shri Hem Raj of Hansi.
80. Shri Hans Raj Geol of Dabwali.
81. Shri Talu Ram of Mandi Dabwali.
82. Shri Nand Kishore of Mandi Dabwali.
83. Shri Atma Rao of Mandi Dabwali.
84. Shri Parbh Ram, village Badala.
85. Shri Arjan, of village Bhodia Khera.
86. Shri Ram Parshad, village Sheikhupura.
87. Shri Mange Ram of Bhiwani.
88. Shri Phoolu Ram of village Bodana.
89. Shri Chander Bhan, village Sisai.
90. Shri Surajan Singh of Hansi.
91. Shri Surjan Dass of Hansi.
92. Shri Kirori Lal of Hansi.
93. Shri Chandgi Ram Piranwali of Hansi.
94. Shri Jai Kishanof Hansi.
95. Shri Milawa Ram of Hansi.
96. Shri Madan Lal of Hansi.
97. Shri Hari, of village Kheri Gugan.
98. Shri Gholu Ramof village Thurana.
99. Shri Ram Dyal of Sirsa (Rania).
100. Shri Balwant Rai of Mandi Dabwali.
101. Shri Brij Lal of Mandi Dabwali.
102. Shri Shabeg Singh of Hissar.
103. Shri Amar Chand, village Daipal.
104. Shri Sunder Dass of Bhiwani.
105. Shri Tek Chand of Bhiwani.
106. Shri Ramji Dass of Loharu
107. Shri Parma Nand of Jakhal Mandi.
108. Shri Kirpal Singh of Hissar.
109. Shri Seua Ram of Bhiwani.
110. Shri Radha Kishan of Bhiwani.
111. Shri Mukand Singh of Sirsa.
112. Shri Din Dayal of Hissar.
113. Shri Babu Lal of Hansi.
114. Shri Khiali Ram D.C's Offices, Hissar.
115. Shri Arjan Singh of village Uklana.
116. Shri Jagdish Singh, village Uklana.

117. Shri Raje Ram village Siwani.
118. Shri Chuhar Ram of Bhiwani.
119. Shri Galu Ram of Bhiwani.
120. Shri Suraj Ram village, Franci.
121. Shri Asa Nand Clerk State Bank of India, Hissar.
122. Shri Nihal Singh, village Barwas.
123. Shri Dharam Singh, village Sehar.
124. Shri Fateh Singh of Bhiwani.

Light Scheme, 1960—61

List of persons who have been granted loan under the Light Scheme, 1960-61

1. Shri Bhima Ram, village Rajanwali Dhani.
2. Shri Mani Ram, village Chamar Khera.
3. Shri Bhag Singh, village Rawat Khera.
4. Shri Hira Lal, Hissar.
5. Shri Ranjit, village Rupana, Bishnoian.
6. Shri Karam Chand, Hissar.
7. Shri Chandgi Ram, village Nigana Khurd.
8. Shri Hari Singh of Hissar.
9. Shri Vishan Dass of Hissar.
10. Shri Atbari, village Umra.
11. Shri Mamnu, village Pabra.
12. Shri Nand Ram, village Pabra.
13. Shri Diwana Ram, village Pabra.
14. Shri Nihal Singh, village Pabra.
15. Shri Gauri Shanker, village Hissar.
16. Shri Sadhu Ram, Sirsa.
17. Shri Bhim Singh, village Obra.
18. Shri Pardhan Singh, Sirsa.
19. Shri Maman, village Rupawas.
20. Shri Ram Kumar, Mandi Adampur.
21. Shri Partap, village Obra.
22. Shri Kishan Kumar, Dabwali.
23. Shri Prem Kumar, village Dhani Sobhawali.
24. Shri Khan Chand, village Baliali.
25. Shri Gurbux Singh, Sirsa.
26. Shri Niranjan Lal, Bhiwani.
27. Shri Dhan Singh, D.C's Office, Hissar.
28. Shri Mahabir Parshad, Sirsa.
29. Shri Sada Nand, son of Kishan Kumar, of Bhiwani.
30. Shri Sewa Ram of Hissar.
31. Shri Jota Ram of Loharu
32. Shri Bhup Singh, Hansi.
33. Shri Hira Lal, Fatehabad.
34. Shri Baru of Lehrian.
35. Shri Naurang Rai, Sirsa.
36. Shri Ude Ram, Fatehabad.
37. Shri Jagir Singh, Dabwali.
38. Shri Bishamber Nath of Hissar.
39. Shri Balwant Singh, Hansi.
40. Shri Ram Sarup Brahman, village Daulatpur.
41. Shri Sant Lal, Bhiwani.
42. Shri Singhara, Sirsa.
43. Shri Ram Chand Muthraja, Bhiwani.
44. Shri Harbans Lal, Hisar.
45. Shri Lal Ji, village Gihrai.
46. Shri Balbir Singh, Hissar.
47. Shri Babu Ram, village Bhattu.
48. Shri Banwari Lal, village Dhanana.
49. Shri Mohi Ram of Hansi.
50. Shri Ram Singh of Barwala.
51. Shri Bhagwan Dass, Sanian.

52. Shri Mai Bax, village Lehriana.
53. Shri Chattar Pal Singh, village Tigrana.
54. Shri Narain Dass, Bhiwani.
55. Shri Kundan Lal, Kalanwali.
56. Shri Sher Singh, village Palera.
57. Shri Mai Lal, village Palera.
58. Shri Om Parkash, Cloth Merchant, Dabwali.
59. Shri Laxman, village Matarsham.
60. Shri Ram Singh, Harijan, village Chanot.
61. Shri Udmi Ram, village Bhodo Hoshnak.
62. Shri Sadha, Harijan, village Lehrian.
63. Shri Ram Singh, village Sheikhupura.
64. Shri Panna Lal Hansi.
65. Shri Darbar Singh, Motor Stand, Hansi.
66. Shri Hira, Harijan, village Mundhal.
67. Shri Chhota Ram, village Baldala.
68. Shri Budh Ram, Sasai Kalirawan.
69. Shri Ratti Ram, village Moth.
70. Shri Neki Ram, village Badala.
71. Shri Ganga Datta, village Badala.
72. Shri Ram Sarup, village Badala.
73. Shri Om Parkash, village Bas Akbarpur.
74. Shri Ram Saran Dass, Municipal Commissioner, Hansi.
75. Shri Inderjit Singh, Mandi Sanian, Hansi.
76. Shri Dewan Singh, Hansi.
77. Shri Bahadar Chand, Hansi.
78. Shri Gobind Ram of Hansi.
79. Shri Kishan Lal, village Sheikhupura.
80. Shri Mathu Ram, village Sheikhupura.
81. Shri Mussadi Ram, village Sheikhupura.
82. Shri Daryao Singh, Hansi.
83. Shri Risal Singh, village Majra.
84. Shri Ram Sarup, village Majra.
85. Shri Phool Chand, village Majra.
86. Shri Hakim Singh, Hansi.
87. Shri Kanhia Lal, Hansi.
88. Shri Bhagwat Singh, village Madha.
89. Shri Pat Ram, Hansi.
90. Shri Ranjit of village Moth Karnail.
91. Shri Vir Bhan, village Moth Karnail.
92. Shri Devat Ram, Peon, Hissar.
93. Shri Ram Singh, D.B., Hissar.
94. Hissar District Co-operative House Building Society, Hissar.

LIGH SCHEME, 1961-62

Sarvshri—

1. Moti Ram, Faridpur.
2. Mange Ram, village Obra.
3. Akhe Ram, village Obra.
4. Deerja, village Rishalia Khera.
5. Dewan Singh, Prem Nagar, Hissar.
6. Lal Singh, village Khankheri.
7. Hari Singh, village Khandkheri.
8. Kanshi Ram, village Sanipura.
9. Purna, village Rislia Khera.
10. Chandu Lal, village Pabra.
11. Ram Dhan, village Kheri (Pabra).
12. Nathu Singh, village Sheikupura.
13. Ram Kishan, Sirsa.
14. Lal Chand, Sirsa.
15. Ram Singh, Badala.
16. Anand Parkash, Hansi.
17. Dharam Pal, Hissar.
18. Kanshi Ram, Dabwali.

Sarvshri—

19. Ami Lal, Barwala.
20. Siri Chand, village Ladwa.
21. Biru Mal, Hansi.
22. Siri Ram , Hissar.
23. Surjit Singh, Mandi Kalanwali.
24. Duli Chand Harijan, village Badala.
25. Jaswant Sin gh, Sirsa.
26. Badlu, Narnaund
27. Dewan Singh, Ladwa.
28. Bhagwan Dass, Narnaul.
29. Kailash Nath of Hansi.

Ligh Scheme 1962-63

List of persons who have been granted loans under the Ligh Scheme during the year 1962-63

Sarvshri—

1. Babu Ram of Hansi.
2. Lal Chand of Hissar.
3. Chandu Ram of Hansi.
4. Kishan Chand, Bhiwani.
5. Bagrith of Hissar.
6. Walati Ram, Hissar.
7. Kishan Lal, Hissar.
8. Sarwan Kumar, Sirsa.
9. Bhimsain, Hissar.
10. Bhasker Datt of Hissar.
11. Bishamber Dass Harijan, Hissar.
12. Shiv Dayal, N.T. Hissar.
13. Arjan Dass of Hissar.
14. Shanker Dass , village Jamalpur.
15. Lila Kishan, Sirsa.
16. Bishamber Dass of Hissar.
17. Gurdev Singh, Mandi Dabwali.
18. Shrimati Shanti Devi Teacher, Mandi Dabwali.
19. Shri Daya Nand Goal, Hissar.
20. Ram Kanwar of Bhiwani.
21. Chhaju Ram of Loharu.
22. Wazir Chand of Hissar.
23. Murari Lal of Hissar.
24. Madan Lal, Jakhal Mandi.
25. Mohan Lal, Peon, Hissar.
26. Parkash Chander, Hissar.
27. Sukhdev Singh of Hissar.
28. Darya Singh, village Balak.
29. Ji Ram of village Dhingsra.
30. Sohlu, Harijan, village Jandli.
31. Ram Bhagat, village Mehanda.
32. Ranbir Singh, Khanda Kheri.
33. Pahlad Singh, Harijan, village Satrod Kalan.
34. Baru, Harijan, village Sirsa Kalirawan.
35. Mam Chand, village Naipur.
36. Rattan Singh, village Kairu.
37. Mangal Singh, village Amani.
38. Khiali Ram, village Jasvia.
39. Surjit Singh, village Ludas.
40. Basti Ram, Harijan, Balsar.
41. Bhalu, Harijan, village Khawa.
42. Sawan Ram, village Jalupur.
43. Keheon Singh, village Methari.
44. Mam Raj of Hissar.
45. Mam Chand, Harijan, village Rawalwas Khurd.
46. Shri Phul Singh, Harijan, village Talu.
47. Harpat, Harijan, village Pabra.
48. Dharam Paul Singh, village Dinod.
49. Sita Ram, village Jandwala.
50. Het Ram, village Chuli Bagarian.

Sarvshri—

51. Chuni Lal, Harijan, village Sohansra.
52. Deva Ram, Harijan, village Gajuwala.
53. Mai Bakhash, Harijan, village Jeora.
54. Parsa, Harijan, village Balasar.
55. Dhanpat, village Jamal.
56. Husharya, Harijan, village Khawa.
57. Sadhu Ram, Jarijan , Bhiwani Khera.
58. Hira, Harijan, village Dhani Kalwar.
59. Sudna Harijan, village Masudpur.
60. Badlu Ram, Harijan, village Masudpur.
61. Ved Parkash, Jakhal Mandi.
62. Kishori Lal, Jakhal Mandi.
63. Hardev Singh, Jakhal Mandi.
64. Ramji Dass, Jakhal Mandi.
65. Mehar Chand, Jakhal Mandi.
66. Dharam Chand, Jakhal Mandi.
67. Kasturi Lal, Jakhal Mandi.
68. Bhan Singh, Jakhal Mandi.
69. Balwant Singh, Jakhal Mandi.
70. Sarup Chand, Jakhal Mandi.
71. Jagan Nath, Jakhal Mandi.
72. Maghar Singh, Jakhal Mandi.
73. Ranaq Singh, Jakhal Mandi.
74. Badlu Ram, Jakhal Mandi.
75. Gurmekh Singh, Jakhal Mandi.
76. Parkash Chander, Jakhal Mandi.
77. Charan Dass, Jakhal Mandi.
78. Des Raj, Jakhal Mandi.
79. Budh Ram, Jakhal Mandi.
80. Amar Nath, Jakhal Mandi.
81. Kherati Lal, Jakhal Mandi.
82. Prem Nath, Jakhal Mandi.
83. Milkhi Ram, Jakhal Mandi.
84. Kartar Singh, Jakhal Mandi.
85. Chhata Ram. Jakhal Mandi.
86. Shiv Charan Dass, Jakhal Mandi.
87. Deba Ram, Jakhal Mandi.
88. Anand Parkash, Jakhal Mandi.
89. Darbara Singh, Jakhal Mandi.
90. Bhana Ram, Jakhal Mandi.
91. Hari Singh, Jakhal Mandi
92. Moti Ram, Jakhal Mandi.
93. Bhag Mal, Jakhal Mandi.
94. Milkhi Ram, Jakhal Mandi.
95. Yadvindra Sharma, Jakhal Mandi.
96. Jhanda Singh, Jakhal Mandi.
97. Devkinandan, Jakhal Mandi.
98. Kapur Chand, Jakhal Mandi.
99. Sucha Singh, Jakhal Mandi.
100. Sadhu Ram, Jakhal Mandi.
101. Mansa Ram, Jakhal Mandi.
102. Rolla Ram, Jakhal Mandi.

Migh Scheme 1959-60

List of persons who have been granted loan under the Middle Income Group Housing Scheme during the year 1959-60

Serial No. — *Name*

Sarvshri—

1. C.L. Vohra, Hissar.
2. Som Raj Isar, Hissar.
3. Shri Krishan Dhariwal, Bhiwani.
4. Devinder Singh Lamba, Hissar.
5. Randhir Singh Palta, Hissar,
6. Milwa Ram, Bhiwani.

Sarvshri—

7. Sham Dass, Bhiwani.
8. Man Singh Advocate, Hissar.
9. Khan Chand, Mandi Dabwali.
10. Raghbir Chand, Dabwali.
11. Om Parkash, Bhawani.
12. Rajinder Singh, Bhiwani.
13. Mohabat Pal Singh, Uklana.
14. Bharat Singh, Bhiwani.
15. Sohan Singh, Bhiwani.
16. Sukhdev Singh of Ratta Narnaund.
17. Amar Singh, Bhiwani.
18. Suraj Bhan, Sirsa.
19. Sat Narain, Sirsa.
20. Dalip Singh, Hansi Gate, Bhiwani.
21. Balbir Singh, Hissar.
22. Atamjit Singh, Pleader, Hissar.
23. Kok Chand Shastri, Hissar.
24. Lal Chand, Mandi Dabwali.
25. Chetan Dass, Subhash Market, Hissar.
26. Sant Singh, Ganji Bar Bus Service, Hansi.
27. Ishar Singh, Ganji Bar Bus Service, Hansi.
28. Sohan Singh, Haryana Motor Store, Hansi.
29. Bhola Ram, village Majra.
30. Jugal Kishore Bishnoi, Barsi Gate, Hansi.
31. Mul Chand village Paposa.
32. Harphul Singh, village Gorakhpur.
33. Shah Karnail Singh of village Harbuwana.
34. Bir Singh Lamba, Pleader, Hissar.

Migh Scheme, 1960-61

List of persons who have been granted loans under the Migh Scheme during the year 1960-61

Sarvshri—

1. Ratti Ram, Majra.
2. Megh Singh of Hissar.
3. Pat Ram, Kuleri.
4. Mange Ram of Siwana.
5. Sheo Ram, Chamarkhera.
6. Shiv Ram Fency Store, Bhiwani.
7. Murari Lal, Bhiwani.
8. Chattar Singh, Bhiwani.
9. Bakhsis Singh, Hansi.
10. Anguri Lal, Bhiwani.
11. Hari Singh, Bhiwani.
12. Narain Dass of village Parbhuwala.
13. Mukra Ram, village Dhingsara.
14. Rattan Singh, Hissar.
15. Inder Singh, Ganji Bar Bus Service, Hansi.
16. Sohan Lal, Hissar.
17. Niyamat Singh, Hissar.
18. Akhe Ram, Uklana Mandi.
19. Kishan Chand, Sirsa.
20. Sher Singh, Loharu.
21. Babu Ram, Mandi Dabwali.
22. Des Raj Single, Hissar.
23. Barsan Singh, Uklana.
24. Brij Balb, Hissar.
25. Hari Singh, Prem Nagar, Hissar.
26. Basudev Agerala, Hissar.
27. Dewan Singh of village Bhatala.
28. Ram Dhan Dass, Mandi Dabwali.
29. Mohan Lal, Mandi Dabwali.
30. Jagdish Parshad, Mandi Dabwali.
31. Mange Ram, Sirsa.
32. Shiv Dev Singh, Sirsa.

Sarvshri—

33. Ram Singh of Thurana.
34. Shamsher Singh, Mandi Dabwali.
35. Sajjan Singh of Dabwali.
36. Rattan Singh of Mundhal.
37. Sham Dass, Sirsa.
38. Guraya Ram, Sirsa.
39. Atma Ram, Pleader, Hissar.
40. Dalip Singh, Hansi
41. B.D. Parasher, Bhiwani
42. J.O. Manwar Singh, A.S.C., Bhiwani
43. Gansham Dass, Uklana
44. Amar Nath Malhotra, Fatehabad
45. Madanjit Singh, Professor, Sirsa
46. Bansi Lal, Pleader, Bhiwani
47. Ajaib Singh, village Habuwani
48. Chiranji Lal, Bhiwani
49. Parshotam Dass, Hansi
50. Joti Parshad Bhargawa, Bhiwani
51. Gopal Ram Kumbar, Bhiwani
52. Gopal Dass Mehta, Bhiwani
53. Raghu Nath Sahi, Hissar
54. Ram Krishan, Mahajan, Bhiwani
55. Phul Chand , Hansi
56. Sarjit Singh, Fatehbad
57. Narain Dass, Fatehbad
58. Smt. Rukmani Devi, Sirsa
59. Shri Ram Sarup, Hansi
60. Chhota Singh, Jakhal Mandi
61. Inder Singh Lambardar, Bhiwani
62. Daya Nand, Advocate, Hansi
63. Prem Chand, Bhiwani
64. Girdhari Lal, village Jakhod Khera
65. Net Ram, village Jakhod Khera
66. Narain Singh, Hissar
67. Devat Ram Jain, Hissar
68. Mani Ram, village Mangali
69. Jagir Singh of Amani
70. Lachhman Singh of Tahana
71. Sant Lal, Nai Mandi, Sirsa
72. Hem Raj of Durjanpur
73. Bhaghrawat Singh of Tigrawan
74. Rattan Singh of Khande Kheri
75. Rajinder Singh of village Rattan Garh
76. Sham Sunder of Fatehbad
77. Bishan Sngh of Sirsa
78. Het Ram of Dhangara
79. Inderaj of village Chamar Khera
80. Gurjathan Singh of Uklana
81. Ganga Bishan of Hansi
82. Ram Parkash of Hansi
83 Sukhdev Singh of village Satraod Khurd
84. Gurdarshan Singh of Sirsa
85. Nathu Ram of village Badala
86. Dhanwant Singh of village Rattangarh
87. Ude Singh of village Khanda Kheri

Migh Scheme 1961-62

Sarvshri —

1 Jail Singh, village Kharar
2 Harsarup, village Alipur
3. Ram Saran of Sirsa
4. Pirthi Singn of village Sirsana
5. Shou Narain, Bhiwani
6. Jagan Nath, village Mudhal Kalan
7. Amar Singh, village Nahla

Sarvshri—

8. Kishore Lal, Hansi
9. Hamir Singh village Nabla
10. Smt. Kanta Devi, Sirsa
11. Shishu of Faridpur
12. Sat Narain, Bhiwani
13. Mehta Khela Ram, Bhiwani
14. Sher Singh, village Madha
15. Sajjan Singh, village Madha.
16. Divender Singh Jamalapur.
17. Har Mohinder Singh, Hansi.
18. Amin Lal of village Kishangarh.
19. Balu Ram of Hansi.
20. Gurcharan Singh, Uklana.
21. Chela Ram, Dabra.
22. Chamar Singh of village Bichhpari.
23. Kirpa Ram, village Satrod Khas.
24. Giani Ram, village Kinala.
25. Chhelu Ram, village Puthi.
26. Amar Nath, village Gangua.
27. Sukha Singh, village Chanderkalan.
28. Bhagat Singh, village Uklana.
29. Ram Kishan of village Mundhal Khurd.
30. Datta Ram, village Dhanipaul.
31. Verender Singh, village Alkhpura.
32. Ram Sarup , village Mundhalkhurd.
33. Kishan Lal, village Kulari.
34. Amar Singh, village Kulari.
35. Sheo Dayal, village Tarkanwali.
36. Mathura Dass, Sirsa.
37. Shiv Kumar, Fatehabad.
38. Lt. Col. Baldev Singh of Sirsa.
39. Maru Ram of village Samani.
40. Naurang Rai, village Bidha Khera.

Migh, Scheme, 1962-63

Sarvshri.—

1. Din Dayal. Hissar.
2. Parkash Chand, Hansi.
3. Prem Singh, village Balsamand.
4. Babu Ram Jakhal Mandi.
5. Bhagirth Mal of Bhiwani.
6. Gulab Rai , Bhiwani.
7. Sushil Chander, Sirsa.
8. Smt. Daropti Devi Sirsa.
9. Ishwar Chand, Hisar.
10. Verender Singh, Hissar.
11. Jiwan Dass, Hissar.
12. Sajjan Kumar, Loharu.
13. Roshan Singh, village Gujrani.
14. Jaswant Singh, Advocate, Hissar.

List of persons who have been granted loan under village Housing Projects Scheme in District Hissar

Serial No.	Year	Name of loanee	Address
1	1960-61	Inder, son of Maman	Bir Hansi.
2	1960-61	Ram Parkash, son of Manohar Lal	Do
3	1960-61	Bhagwan Dass, son of Shiv Dayal	Do
4	1960-61	Surjita, son of Hira	Do
5	1960-61	Dharama Chand, son of Nobat Ram	Do

Serial No.	Year	Name of Loanee	Address
6	1960-61	Ram Sarup, son of Shingoo	Bir Hansi
7	1960-61	Prabhu Ram, son of Ramji Lal	Do
8	1960-61	Jawahar Singh, son of Asa Ram	Do
9	1960-61	Munsi Ram, son of Manga Ram	Do
10	1960-61	Shambhu, son of Chandu	Do
11	1960-61	Baktura, son of Gauhar	Do
12	1960-61	Munsi Ram, son of Mai Dutt	Do
13	1960-61	Chuni Lal, son of Chandu	Do
14	1960-61	Ramji Lal, son of Birbal	Do
15	1960-61	Ram Rakh, son of Bhalla Ram	Do
16	1960-61	Raghu Nath, son of Mai Dutt	Do
17	1960-61	SinghRam , son of Mai Dutt	Do
18	1960-61	Norang, son of Shishu	Do
19	1960-61	Chandu, son of Rulia	Do
20	1960-61	Dotai , son of Nanak	Do
21	1960-61	Bir Singh, son of Shishu	Do
22	1960-61	Gunti Ram, son of Tohar	Do
23	1960-61	Maru, son of Tohar	Do
24	1960-61	Ram Sarup, son of Chandu	Do
25	1960-61	Lilu, son of Chandu	Do
26	1960-61	Tara, son of Chandu	Do
27	1960-61	Nathu, son of Neta	Do
28	1960-61	Man Singh son of Nathu	Do
29	1960-61	Sampat, son of Siri Ram	Do
30	1960-61	Dhan Singh, son of Nera Singh	Do
31	1960-61	Sammat, son of Tuli	Do
32	1960-61	Raje Ram , son of Kanar Singh	Do
33	1960-61	Puran Ram, son of Mangal	Do
34	1960-61	Ramji Lal, son of Partapa	Do
35	1960-61	Tuli, son of Kania	Do
36	1960-61	Ram Prakash, son of Kula Ram	Do
37	1960-61	Ganpat, son of Mamu	Do
38	1960-61	Dhani Ram, son of Mamu	Do
39	1959-60	Shri Lal Singh, Harijan	Kanheri
40	1959-60	Shri Amin Lal, Harijan	Do
41	1959-60	Shri Sheo Ram, Harijan	Do
42	1959-60	Shri Amin Lal, son of Bisna	Do
43	1959-60	Shri Daya, Harijan	Do
44	1959-60	Shri Lilu, Harijan	Do
45	1960-61	Shri Lal Singh, Harijan	Do
46	1960-61	Shri Sheo Ram, Harijan	Do
47	1960-61	Shri Parma, Harijan	Do
48	1960-61	Shri Narain Das, son of Simla Ram	Bhuna
49	1960-61	Shri Raunak, Harijan	Kanher I
50	1960-61	Shri Harphul, Harijan	Do
51	1960-61	Shri Bir Singh, Harijan	Do
52	1960-61	Lilu, son of Kishna, Harijan	Do
53	1960-61	Mangta, Harijan	Do
54	1960-61	Jagga, Harijan	Do
55	1960-61	Santu, Harijan	Do
56	1960-61	Lalji, Harijan	Do
57	1960-61	Banarsi, Harijan	Do
58	1960-61	Kher Singh, Harijan	Do
59	1960-61	Koka Harijan	Kanheri
60	1960-61	Datta Ram, Harijan	Do
61	1960-61	Chhelu Ram, Harijan	Do
62	1960-61	Kashmiri, Harijan	Do
63	1960-61	Kapura, Harijan	Do
64	1960-61	Chiali Ram, Harijan	Do
65	1960-61	Lila, Harijan	Do
66	1960-61	Chhotu Ram, Harijan	Do
67	1960-61	Ranu, Harijan	Do
68	1960-61	Jiwan Das, son of Ladha Ram	Bahuna
69	1960-61	Ghanisham Dass, son of Jetha Ram	Do

Serial No.	Year	Name of Loancc	Address
70	1960-61	Kishori Lal, son of Jetha Ram	Bahuna
71	1960-61	Bhagwan Dass, son of Jetha Ram	Do
72	1960-61	Ramditta, son of Gehna Ram	Do
73	1960-61	Hardial Singh, son of Hari Singh	Do
74	1960-61	Tirlok Singh, son of Gurdip Singh	Do
75	1960-61	Wazir Chand son of Bahadar Chand	Do
76	1960-61	Ram Lal, son of Ganga Ram	Do
77	1960-61	Bil Lal, son of Ganga Ram	Do
78	1960-61	Mohan Lal, son of Shadi	Do
79	1960-61	Bahadar Chand, son of Nanak Chand	Do
80	1960-61	Rattan Chand, son of Hari Chand	Do
81	1960-61	Sain Dass, son of Nanak Chand	Do
82	1960-61	Jagdish Ram, son of Daya Ram	Do
83	1960-61	Atbari , son of Maman	Do
84	1960-61	Ram Kishan, son of Devi Dass	Do
85	1960-61	Nand Lal, son of Udmi Ram	Do
86	1960-61	Balbir Singh, son of Gurdip Singh	Do
87	1960-61	Harnam Singh, son of Ala Singh	Do
88	1960-61	Mangat Ram, son of Sanu Ram	Do
89	1960-61	Het Ram, son of Boga Ram	Do
90	1960-61	Kapur Singh, son of Hukam	Do
91	1960-61	Harbhja Singh, son of Mangla Ram	Do
92	1960-61	Ksrtar Singh, son of Ganda Singh	Do
93	1960-61	Banwari Lal, son of Ram baru	Jandli Khurd
94	1960-61	Surja Ram, son of Si Ram	Bhuna
95	1960-61	Kundan Ram, son of Shadi Ram	Do
96	1960-61	Lilu Ram, son of Khubi Ram	Do
97	1960-61	Pali Ram, son of Bhagwana	Do
98	1960-61	Chandgi Ram, son of Mangta Ram	Do
99	1960-61	Giani Ram, son of Rati Ram	Do
100	1960-61	Kidar Ram	Do
101	1960-61	Dul Chand, son of Mehtab Ram	Do
102	1960-61	Ram Narain, son of Sant Lal	Do
103	1960-61	Manohar Lal, son of Wazir Chand	Do
104	1960-61	Hari Chand, son of Devi Das	Do
105	1960-61	Diwan Singh, son of Rattan Singh	Do
106	1960-61	Sunder Singh, son of Niamat Ram	Do
107	1960-61	Het Ram, son of Gopal	Do
108	1960-61	Khavali Ram, son of Udmi Ram	Do
109	1960-61	Sita Ram, son of Dhana Ram	Do
110	1960-61	Gulab Ram son of Jetha Ram	Do
111	1960-61	Perma Nand, son of Jetha Ram	Do
112	1960-61	Ram Chand, son of Jetha Ram	Do
113	1960-61	Datu Ram, son of Idu Ram	Do
114	1960-61	Har Gobind, son of Ladha Ram	Do
115	1960-61	Ram Sarup, son of Hari Singh	Do
116	1960-61	Fateh Chand, son of Hari Chand	Do
117	1960-61	Udmi Ram, son of Aru Ram	Do
118	1960-61	Ainshi Ram, son of Nand Lal	Do
119	1960-61	Kaura Ram, son of Mangu Ram	Do
120	1960-61	Nasib Singh, son of Assa Singh	Do
121	1960-61	Ram Sarup, son of Jamma Ram	Do
122	1960-61	Ram Chand, son of Jamma Ram	Do
123	1960-61	Sant Lal, son of Nand Lal	Do
124	1960-61	Wazir Chand, son of Ram Dass	Do
125	1960-61	Bhagwan Singh, son of Rattan Singh	Do
126	1960-61	Manohar Lal, son of Ganga Ram	Do
127	1960-61	Pat Ram, son of Nunu Ram	Do
128	1960-61	Parji Ram, son of Sahi Singh	Do
129	1960-61	Dharam Chand, son of Sohara Ram	Do
130	1960-61	Balbir Singh, son of Kheta Ram	Do
131	1960-61	Nanak Dass, son of Simla Ram	Do
132	1960-61	Balli widow of Ram Jas	Do
133	1960-61	Ram Narain , son of Mam Raj	Do

Serial No.	Year	Name of Loanee	Address
134	1960-61	Hira Ram, son of Ladha Ram	Bhuna
135	1960-61	Mangat Ram, son of Harji Ram	Do
136	1960-61	Bhagwan Dass, son of Aya Ram	Do
137	1960-61	Nanak Chand, son of Aya Ram	Do
138	1960-61	Ram Dhan, son of Aya Ram	Do
139	1960-61	Nand Lal, son of Aya Ram	Do
140	1960-61	Ral Lal, son of Ladha Ram	Do
141	1960-61	Sardhul Singh, son of Udham Singh	Do
142	1960-61	Kishni Ram, son of Lal Chand	Do
143	1960-61	Ram Singh, son of Tuhian	Do
144	1960-61	Hukam Chand, son of Mehtab Ram	Do
145	1960-61	Karam Narain, son of Ganga Ram	Do
146	1960-61	Chota Ram, son of Bhana Ram	Do
147	1960-61	Sanwal Ram, son of Nathu Ram	Do
148	1960-61	Chhelu Ram, son of Gurmukh	Do
149	1960-61	Molu Ram, son of Ganeshi Ram	Do
150	1960-61	Jit son of Khubi	Do
151	1960-61	Munshi Phul, son of Man Chand	Do
152	1960-61	Parma Nand, son of Ram Chand	Do
153	1960-61	Kesar Dass, son of Lal Chand	Do
154	1960-61	Bahadar Chand, son of Jawala Dass	Do
155	1960-61	Ishwar Devi, widow of Kesar Dass	Do
156	1960-61	Chandgi Ram, son of Rulia Ram	Do
157	1960-61	Amar Singh, son of Rurali Ram	Do
158	1960-61	Manohar Lal,son of Rulia Ram	Do
159	1960-61	Dipu, son of Daya Ram	Do
160	1960-61	Chandu,son of Gugan	Do
161	1960-61	Kundan Singh, son of Baga Singh	Do
162	1960-61	Dalip Chand, son of Piare Ram	Do
163	1960-61	Dayal Singh, son of Surjan Singh	Do
164	1960-61	Santa Singh, son of Mangal Singh	Do
165	1960-61	Darbari Ram, son of Uttam Chand	Do
166	1960-61	Kishori Lal, son of Sahi Ramdass	Do
167	1961-62	Molu Ram, son of Raldu	Pabra
168	1961-62	Har Nath, son of Nanak	Do
169	1961-62	Banarsi Dass, son of Paras Ram	Do
170	1961-62	Phul Singh, son of Mohan Lal	Do
171	1961-62	Baru Singh, son of Hira Lal	Do
172	1961-62	Chandgi Ram, son of Matu	Do
173	1961 62	Ganga Ram, son of Ramji	Do
174	1961-62	Rura, son of Girdhari	Do
175	1961-62	Kundan Lal, son of Pala Ram	Do
176	1961-62	Ram Sharan, son of Maman	Do
177	1961-62	Neki, son of Raldu	Do
178	1961-62	Jug Lal, son of Sarjit	Do
179	1961-62	Chandgi , son of Jawahara	Do
180	1961-62	Surja, son of Nanak	Do
181	1961-62	Lachman , son of Ramji Lal	Do
182	1961-62	Banarsi Das, son of Puran Chand	Do
183	1961-62	Rup Singh, son of Puran Singh	Do
184	1961-62	Bir Singh, son of Sohna Ram	Do
185	1961-62	Gola, son of Sadia	Do
186	1961-62	Dalip Singh, son of Latu	Do
187	1961-62	Mamu, son of Ghisu	Do
188	1961-62	Sohan Lal, son of Shankru	Do
189	1961-62	Chandu Ram, son of Gurmukh	Do
190	1961-62	Bar Singh, son of Ram Lal	Do
191	1961-62	Dungar, son of Nanak	Do
192	1961-62	Nathu, son of Kalu	Do
193	1961-62	Dhan Singh, son of Mam Raj	Do
194	1961-62	Surat Singh, son of Datu Ram	Do
195	1961-62	Gunia, son of Baru	Do

Serial No.	Year	Name of Loanee	Address
196	1961-62	Tek Chand, son of Shadi	Pabra
197	1961-62	Chandu, son of Bhonkal	Do
198	1961-62	Maha Singh, son of Dhalu	Do
199	1961-62	Lachhi Ram, son of Shiv Nath	Do
200	1961-62	Mansa Ram, son of Ram Lal	Do
201	1961-62	Sodagar, son of Raja Ram	Do
202	1961-62	Beja Singh, son of Atota	Do
203	1961-62	Ravi Datt, son of Kirpa	Do
204	1961-62	Jai Lal, son of Neki Ram	Do
205	1961-62	Chandan, son of Har Chand	Do
206	1961-62	Bhagwan Singh, son of Neki Ram	Do
207	1961-62	Munshi Ram, son of Alhila Ram	Do
208	1961-62	Gopi Ram, son of Bagu Ram	Do
209	1961-62	Dal Singh, son of Surta	Do
210	1961-62	Sarupa, son of Kanhaya	Do
211	1960-61	Bhagwan Dass, son of Gehna Ram	Bhuna
212	1959-60	Jagmal Singh, son of Gopal Singh	Khera Rangran
213	1959-60	Risal Singh, son of Munshi Ram	Do
214	1959-60	Maha Singh, son of Munshi Ram	Do
215	1959-60	Hari Singh, son of Sudhan	Do
216	1959-60	Jiwan Dass, son of Dharam Chand	Do
217	1959-60	Range Ram, son of Sikhi Ram	Do
218	1959-60	Chandgi, son of Ramji Dass	Do
219	1959-60	Lal Chand, son of Uttam Chand	Do
220	1959-60	Kanshi Ram, son of Uttam Chand	Do
221	1959-60	Uttam Chand, son of Dila Ram	Do
222	1959-60	Hari Singh, son of Jogi Ram	Do

LOANS FOR PUMPING SETS/TUBE-WELLS GRANTED BY BLOCK SAMITI BARNALA, DISTRICT SANGRUR DURING 1963-64.

1512. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the names of cases in which loans were sanctioned by the Block Samiti, Barnala, district Sangrur for the purpose of installing pumping sets and Tube-wells in 1963-64.

(b) the criteria, if any, fixed by the above mentioned Samiti for granting the said loans ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Twelve cases of pumping sets and two cases of Tube-wells.

(b) Subject to the applications being complete, it was considered that the loan should be distributed in such a way that maximum number of villages are covered and subject to the limitation of funds as far as possible not more than one case be sanctioned in one village.

Wheat/Rice Purchased by Government

1513. Comrade Ram Chandra: Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the quantity of wheat and rice purchased by the Government during the year 1962-63 and 1963-64 along with the average rate of purchase prices;

(b) the quantity out of that referred to in para (a) above sold by Government during each of the said years and the price at which it was sold, in each case.

(c) the rate at which each of the said commodity was sold, month-wise from November 1963 to March, 1964·

Shri Mohan Lal :(a). (b) and (c) statement is enclosed.

Statement

Year	Commodity	Quantity purchased (figures in tonnes)	Variety		Rate of purchase price per quintal
1962-63	*Purchase on State Account.*				
					Rs. P
	(i) Imported wheat from Government of India.	10,488			37.51
	(ii) Rice purchased by State Government of India for distribution in Kulu area.	Begmi 324			48.23
	(iii) Purchase of rice on Government of India Account under Levy Scheme	1,56,636	Superior (Raw)		
			Basmati	..	77.12
			Basmati (Raw)	..	67.09
			Sela Basmati	..	64.41
			Begmi	..	48.34
			Sela Joshi	..	45.66
			Dara	..	44.32
			Parmal	..	59.72
1963-64	*Purchases on State Account.—*				
	(i) Country wheat	1,480		..	39.00 to 39.25
	(ii) Imported wheat	2,13,660		..	37.51
	(iii) Country wheat purchased on Government of India's Account under price support scheme.	*4,793	Superior	..	40.19
			Ordinary	..	37.51

*(This quantity was, however, repurchased by State Government at Rs. 43.99 and Rs 46.67 per quintal for ordinary and superior wheat from the Government of India.)

Year	Commodity	Quantity purchased (figures in tonnes)	Variety		Rate of purchase price per quintal
	(iv) Rice purchased by State Government from Government of India for distribution through Fair Price Shops.	Basmati 1,500		..	80.38
		Begmi 500		..	48.23
	(v) Rice purchased by the State Government on its own Account under Levy Scheme (upto 12th February, 1964)	Basmati 533		..	69.83
		Begmi		..	51.08
	(vi) Rice purchases on Government of India's account under Levy Scheme (upto 11th March, 1964)	1,59,734	Veriety		
			Superior (raw)		
			Basmati	..	79.86
			Basmati Raw	..	69.83
			Sela Basmati	..	67.15
			Parmal	..	62.46
			Begmi	..	51.08
			Sela Joshi	..	48.40
			Dara	..	47.06
	(vii) Rice purchased by State Government from Government of India for distribution in Kulu Sub-Division in Lahaul and Spiti District.		Begmi 476	..	48. 23

Year	Commodity	Quantity sold in tonnes		Sale rate per Quintal
				Rs. P
1962-63	Imported wheat	2,4895	(i) Government departments	40.76
			(ii) Chakkies ..	40.20
			(iii) Depot-holders	38.70
			(iv) Kulu Subsidized area	42.87
	(i) Rice purchased from Government of India for Distribution in Kulu area	324	Begmi 51.20 plus 50 per cent transport charges from Nagrota to respective places.	
	(ii) Rice purchased on behalf of Government of India under levy Scheme		These stocks were despatched to other States under Government of India's Instructions.	
1963-64	Country Wheat	895	This wheat was purchased for Jails/Hospitals and sold to them at purchase price plus departmental charges of Rs. 3.97 per quintal.	
	(ii) Country wheat purchased on behalf of Government of India under price support scheme and then repurchased from Government of India	4,513	Allocated Ordinary recently Superior to Co-operative consumers Stores/ Government Fair Price Shops and Stocks are being issued.	46.65 49.30
	(iii) Imported wheat	tonnes	(i) Roller Mills ...	37.67
			(ii) Chakkis ...	40.20
			(iii) Depot-holders	40.20
			(iv) Kulu subsidised area	44.48
			(v) Nagrota ...	40.46

Commodity	Quantity	From	To	Basmati	Begmi
(iv) Rice purchased from Government of India and sold through Government Fair Price Shops	Basmati 1,500	20-2-63	11-7-63	8.79	52.70
	Begmi 500	12-7-63	26-12-63	86.70	55.70
		27-12-63	on wards	86.50	55.50

Commodity	Quantity sold in tonnes	Sale rate per Quintal
(v) Rice purchased from Government of India and sold in Kulu Valley (Lahaul & Spiti area)	431 Begmi	Rs. 51.20 plus 50 per cent Transport charges from Nagrota to respective places.
(vi) Rice purchased on behalf of Government of India	1,62,868	The stocks are being despatched to other States under Government of India's instructions

month	Sale rate per quintal					
	Imported wheat		*Country wheat*		Price	
	To Chakkies	To Mills	Superior	Ordinary	Basmati	Begmi
	Rs. P	Rs. P	Rs. P	Rs. p	Rs. p	Rs. p
November, 1963 ..	40.20	37.67	..	..	86.70	55.70
December, 1963 ..	40.20	37.67	..	..	86.70	55.70
January, 1964 ..	40.20	37.67	..	..	86.50	55.50
Feburary, 1964 ..	40.20	37.67	49.30	46.65	86.50	55.50
March, 1964 ..	40.20	37.67	49.30	46.65	86.50	55 50

362 PVS—7-8-64— 386—C., P. & S., Pb., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

20th March, 1964

Vol. 1—No. 22

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 20th March, 1964

Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

Price Rs :4.80

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 22
Dated the 20th March, 1964.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Deputy Speaker	Deputy Speakar	(22)1	3
ਆਠ	ਆਢ	(22)1	6
relief	reilef	(22)15	10
उस	उन	(22)34	5
Sardar Lachhman Singh Gill	Sardar Lachman Singh Gill	(22)35	21
Appropriation	Appropration	(22)36	25
हीरो	हीऐ	(22)41	1
these	thtese	(22)50	30
jurists	iurists	(22)50	44&45
Separation	eparation	(22)52	last but one
jurisdiction	jurisdistion	(22)54	7
Ministers	Minsters	(22)54	10
themselves	thesmelves	(22)54	10
Courts	Conrts	(22)54	15
subject	sulject	(22)54	22
(22)61	(20)61	(22)61	top Heading
चेयरमैन	चेयरमन	(22)63	8 from below
प्रैज़ीडैंट	प्रैज़ीढैंट	(22)65	12
defence	defedce	(22)65	15
Transferred	Transfered	(22)66	9 & 10 from below
डिपार्टमैंट	डिपाटमट	(22)68	19
ग्रुप	ग्रुफ	(22)70	3
(22)73	(20)73	(22)73	top Heading
ਦਾਨਗੜ੍ਹ	ਦ ਨਗੜ੍ਹ	(22)81	9 from below
ਲੈਣ	ਲਣ	(22)81	3 from below
ਕਰਾਈ	ਕਰ ਈ	(22)81	Ditto
ਰਾਖੀ	ਰ ਖੀ	(22)84	13

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 20th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber Sector 1, Chandigarh at 9.00 a.m. of the Clock. Deputy Speakar (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

WALK-OUT

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਫ਼ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਇਥੇ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ......

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़, क्वेस्चन आवर में प्वायंट आफ् आर्डर रेज़ नहीं किया जा सकता । (Order please. Point of Order cannot be raised during the question hour.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ.....

उपाध्यक्षा : आप हाउस को हाउस समझें । मैं खड़ी हुई हूं और आप खड़े हो कर बोल रहे हैं । आप यह न समझें कि चेयर में कोई मिट्टी का बावा बैठा हुआ है । आप बैठ जाएं । (The hon. Member should bear this thing in mind that he is sitting in the House. I am on my legs but the hon. Member is continuing to speak. I cannot permit him to do so. He should not be under the impression that some dummy figure is in the Chair. He should resume his seat).

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Will the hon. Member take his seat ? Otherwise I will be compelled to adopt some other method.

(*Interruptions by Chaudhri Darshan Singh*).

Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ । (*At this stage Sardar Tara Singh Lyalpuri walked-out of the House.*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 4687

चौधरी नेत राम : क्या सिंचाई मन्त्री जी बतलाएंगे कि ज़िला हिसार में जहां जहाँ से बिजली की लाइनें गुज़रती हैं उन के ग्राध ग्राध मील की दूरी में कितने ऐसे गाँव हैं जिन को अभी तक बिजली नहीं मिली ? मिसाल के तौर पर अगरोहा, बडोपल और ढाँगड़ वगैरह कितने ऐसे गांव हैं जो उन बिजली की लाइनों से एक फरलाँग से लेकर आध मील के फासला पर की दूरी पर वाक्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : जहाँ तक हिसार ज़िले का ताल्लुक है वहां से कई किस्म की बिजली की लाइनें गुजरती हैं। वहां से 132 लाख के० वी० की लाइनें भी गुजरती हैं, 30 हजार के० वी० की लाइनें भी गुजरती हैं और अब 2 लाख 20 हजार के० वी० की लाइन गुज़ारने की कोशिश कर रहे हैं । पता नहीं कि माननीय सदस्य किस लाइन के बारे में पूछना चाहते हैं। इस के लिए वह अलग प्रश्न का नोटिस दें । जो वह पूछना चाहेंगे उसी के मुताबिक उन को जवाब दे दिया जाएगा । यह प्रश्न जो है यह तो पलवल तहसील के दो गाँव के बारे में पूछा गया है और जिला हिसार के साथ इस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हुन्ना मल : क्या वज़ीर साहब बताएंगे कि क्या ज़िला हिसार की तहसील भिवानी के कहत ज़दा इलाके को बिजली देने के लिए टाप प्रायर्टी दी जा रही है ?

मन्त्री : मैं ने कल भी बताया था कि दी गई है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਹੁਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਔਰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਪ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਫਰੇਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਗੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ?

---

*Note : Starred Question No. 4687 and reply thereto appear in Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I—No. 21 Dated the 19th March, 1964.

मन्त्री : इनस्ट्रक्शनज़ तो समय समय पर जाती ही रहती है । जब माननीय सदस्य किसी खास के बारे में पूछेंगे तो उस का जवाब उन्हें मिल जाएगा ।

श्री अमर सिंह : क्या सिचाई मंत्री जी बताएंगे कि क्या यह ठीक है कि तहसील हाँसी में कई ऐसे गांव हैं जिन में से बिजली की लाइनें हो कर गुज़रती हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं दी जाती ? अगर हैं तो उन को कब तक बिजली दी जाएगी ?

मन्त्री : अगर किसी गांव से 11 हजार के० वी० की लाईन गुज़रती हो तो माननीय सदस्य बताएं, उन्हें जल्दी से जल्दी बिजली दी जाएगी ।

श्री बनवारी लाल : कल मन्त्री महोदय ने बताया था कि जिन इलाकों में पानी नहीं मिलता वहां टयूब वैल लगाने के लिए बिजली जल्दी से जल्दी दी जाएगी । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिला महेन्दरगढ़ को बिजली सप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्पेशल एरेंजमेंट्स किए गए हैं ?

मन्त्री : मैंने इस का कल ज़िक्र किया था कि सरकार ने बोर्ड को हिदायात जारी कर दी हैं कि बोर्ड अपने मातहत अफसरों को सूचना दे दे कि जिन इलाकों में नहरों के पानी से आबपाशी नहीं हो सकती और जहां हर साल कहत पड़ जाता है और अगर वहाँ ज़मीन में मीठा पानी है तो वहां जल्दी से जल्दी बिजली देने का इंतज़ाम किया जाए ।

लैफटीनैंट भाग सिंघ: किउंकि चीफ मनिसटर ने ऐलान कीता होइआ है कि पैदावार दुगणी कीती जावेगी, की वज़ीर साहब दसणगे कि इस गॱल दे पेशेनज़र की डोमैसटिक यूज़ दी बनिसबत टीऊबवैलां नूं बिजली देण विच परफरैंस दिॱती जावेगी ?

मन्त्री : आने वाले साल के अन्दर 10 हज़ार कूओं को बिजली दी जाएगी जब कि आज तक कुल तकरीबन 19 हज़ार कूओं को दी जा सकी है । इस के पीछे भावना यह है कि खेती की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाये ।

चौधरी नेत राम : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह गवर्नमैंट की पालिसी है कि जहाँ से आधा आधा मील के फासले से लाइन गुज़रती है वहां बिजली दी जायगी ? अगर है तो यह कब तक दी जायगी ?

मंत्री : मैं ने कल अर्ज़ किया था कि जिन गांवों से आधा आधा मील के फासले से 11 हजार के० वी० ए० लाइन गुज़रती है अगर उन को बिजली नहीं मिली है तो अगर उन का कोई प्राजैक्ट सैंक्शन नहीं भी हुआ तो भी उन को प्राजैक्ट में शामिल कर लिया जायगा और उनको बिजली देने में प्रायरटी दी जा रही है और दी जायगी । इस के लिय सरकार और बोर्ड ने भी हिदायत कर दी है ।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN DISTRICT GURGAON

*4689. **Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) the names of the villages in Gurgaon District which have been electrified during the year 1963-64 (to-date).

(b) the names of the villages in the said district which are proposed to be electrified in 1964-65.

(c) whether it is a fact that electrification of village Mohna in Gurgaon District was sanctioned more than a year ago but it has not so far been electrified, if so, the reasons therefor and the approximate time by which it is likely to be electrified ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) The programme for 1964-65 has not yet been finalized.

(c) Yes. However, the electrification of the same could not be taken in hand due to paucity of funds. The electrification of the same will, however, be considered during the year 1964-65 subject to the availability of funds.

STATEMENT

The names of the villages in Gurgaon District which have been electrified during the year 1963-64 (to date) are detailed as under :—

(i) **Palwal Tehsil, District Gurgaon.**

Ram Garh, Likhi, Bhandoli, Kaundal, Kot, Atawar, Bisru, Tindou, Karna, Gurgaon, Famasra.

(ii) **Rewari Tehsil, District Gurgaon.**

Karanwas, Junawas, Balir Khurd and Rasgaon.

(iii) **Gurgaon Tehsil, District Gurgaon.**

Ujjina and Rampura.

श्री रूप लाल मेहता : इन्होंने पार्ट (सी) के जवाब में कहा है कि उस गांव को बिजली देने का फैसला हो चुका है मगर फंड नहीं है । तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां के लिये फंडज़ प्रोवाइड करने के रास्ते में क्या रुकावट है ?

मन्त्री : मैं ने सवाल के (सी) पार्ट के जवाब में यह मान लिया है कि पैसे की कमी की वजह से उस गांव को बिजली नहीं दी गई ।

Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Hon. Minister kindly state whether the Government had decided or not to reduce the electricity charges particularly with respect to energy used for irrigation purposes ?

Minister : It does not arise out of the question. I need a separate notice.

Comrade Shamsher Singh Josh : I have asked whether the Government had decided or not..........

Deputy Speaker : The hon. Member should obtain the permission of the Chair before putting a question.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਯੂਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

मन्त्री : इस सप्लीमैंट्री का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है । यह प्रश्न सिर्फ गुड़गांव के ज़िले के मुताल्लिक है । तो भी इन की जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि सरकार सरकारी ट्यूबवैल्ज़ पर जो 16 नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से पानी देती थी, उस के बारे में सरकार ने फैसला किया है कि इस रबी में और अगली फसल के अन्दर उन से वही आबयाना लिया जायगा जो नहरी पानी का लिया जाता है ।

श्री रूप लाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि पंजाब के और ज़िलों के मुकाबले में ज़िला गुड़गाँव को कम बिजली दी गई है ? From the statement you will find that a very meagre quantity of electricity has been supplied to my district.

मन्त्री : इस का जवाब तो आसान है कि बिजली तो पैदा होती है ज़िला कांगड़ा में और गुड़गांव सब से आखीर में है ।

श्री राम किशन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बजट में जो लाइफ इन्शोरैंस कार्पोरेशन से 12 करोड़ रुपया कर्ज़ के तौर पर लेने की बात लिखी गई है वह कर्ज मिल गया है या अभी नहीं ?

मन्त्री : इस बारे में पंजाब सरकार ने गारंटी दे दी है । जो कर्ज़ लिया जाता है उस की एक हद तक इस सदन की मन्ज़ूरी लेनी होती है । तो वह कागज़ आप की इजाजत से जल्दी ही सदन में आने वाले हैं बाकी बिजली बोर्ड और कार्पोरेशन के नुमायंदों की बातचीत हो रही है । उम्मीद है जल्दी ही फैसला हो जायगा ।

REFUND OF SUBSIDY GRANTED UNDER THE GROW MORE FOOD SCHEME

***4688 Shri Roop Lal Mehta** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government have recently received an attested affidavit of a Zamindar of Gurgaon district stating that he has been forced to refund the subsidy granted to him under the Grow More Food Scheme; if so, the action taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon :
First Part : No.
Second Part : Does not arise.

श्री रूप लाल मेहता : पंजाब सरकार ने 1948-49 में ग्रो मौर फूड के सिल-सिले में उन काश्तकारों को जो कूएं लगाएंगे सबसिडी देने की पालिसी बनाई । जिन लोगों ने बना लिये उन से हल्फिया बयान भी लिये गए । मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को वह रुपया वापस न करने की क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : मैं सारी पोज़ीशन एक ही दफा साफ कर दूं ताकि एक ही बार में सारी पोजीशन साफ हो जाए । 1948 में हिन्द सरकार ने स्टेट सरकार को लिखा कि लोगों को कुएं लगाने के लिये कर्ज़े के तौर पर 800 रुपया देंगे और जो लोग एक साल के अन्दर अन्दर कूएं लगा लेंगे उन का कर्ज़ सबसिडी मान लिया जाएगा । उस के मुताबिक ही स्टेट सरकार ने लोगों को कह दिया मगर एक साल के पहले ही हिन्द सरकार की चिट्ठी आ गई कि वह सबसिडी नहीं देंगे । मगर पंजाब सरकार तो कमिट कर चुकी थी इस लिये इस ने फैसला किया कि हम जो इकरार कर चुके हैं लोगों के साथ वह हम वापस नहीं लेंगे बल्कि यह पैसा हम अपने सूबे की तरफ से उन को देंगे । पंजाब सरकार ने यह वादा पूरा किया । फिर यह बात सामने आई कि लोगों को पता नहीं था । उन्हों ने अर्जियां नहीं दीं । इस पर हम ने मियाद 6 महीने और बढ़ा दी कि जो साबत कर देंगे कि उन्होंने कुआं लगा लिया है उन को मदद दे देंगे । मेरा ख्याल है कि वह मियाद भी बढ़ाई गई । गुड़गांव के 10-12 केस हैं जो रहते हैं उन के सम्बन्ध में मुझे याद नहीं आता कि क्या फैसला किया है । चूंकि रिपरेजैंटेशन नहीं आए इस लिये मुझे याद नहीं रह सकती । मगर पंजाब सरकार ने कोई कसर नहीं रखी सैंटर के बावजूद नो कहने के जिम्मेवारी ले ली ।

श्री रूप लाल मेहता : यह बड़ा ज़रूरी मामला है । रैविन्यू मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि ऐन्क्वायरी की जा रही है । यहां से हुक्म गया कि हल्फिया बयान लिये जाएं । Affidavits have been filed by the farmers and several representations have been sent by them to the Government. Inspite of that no action has been taken by the Government so far.

मुख्य मन्त्री : बात तो यह है कि पहले तो सरकार की ज़िम्मेवारी नहीं है । जब उन्हों ने आज से 12 साल पहले कूएं लगाए तो क्यों उस वक्त रिप्रेजैंटेशन नहीं किया । फिर भी 6-7 साल के बाद 6 महीने और दिये । फिर भी उन्हों ने अर्जि-याँ दाखिल नहीं कीं तो सरकार ने फिर मौका दिया तो अब पता नहीं कि उस के दौरान में कार्यवाही खत्म हो गई या नहीं ।

श्री रूप लाल मेहता : मैं पूछना चाहता हूं कि जो केस मुकम्मल हो गए हैं जैसे कि चौधरी स्मरण सिंह का केस है

I challenge the Chief Minister on this issue. There is the case of Shri Samran Singh of village Amarpur and there is a big file containing his representations.

Chief Minister : I refuse to accept this challenge from the hon. Member.

उपाध्यक्षा : सप्लीमेंट्री करने के टाईम पर चैलेंज नहीं करना चाहिये। आप इस लफज़ को वापस लें। (No challenges should be thrown during interpellations. The hon. Member may with-draw that word.)

श्री रूप लाल मेहता : मैंने चैलेंज नहीं किया; मैंने तो रिक्वेस्ट की है। I with-draw this word.

Chief Minister : If it is a request, it will be considered; but if it is a challenge, I am not going to accept it.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ? (How has Shri Tandon arisen ?)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜੀ। (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸਟੈਮੀਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। (The Chief Minister possesses a lot of stamina.) (Interruptions)

श्री मंगल सेन : चैलंज का क्या है आदमी बेशर्म होना चाहिये। (विघ्न)

Deputy Speaker : No, please.

HARIJAN LAMBARDARS IN THE STATE

***4823 Shri Amar Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total number of Harijan Lambardars at present in the State together with the number of those, if any, among them who receive Panchotra ?

Sardar Ajmer Singh : The total number of Harijan Lambardars in the State at present is 6,775 out of which 17 receive Pachotra.

श्री बनवारी लाल : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि 6,775 नम्बरदार हैं और उन में से केवल 17 पचौतरा ले रहे हैं तो उस का क्या क्राइटीरिया रखा गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜਿਹੜੇ 17 ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 19/ਬੀ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister for Revenue be pleased to state the reasons for discrimination between Lambardar and Lambardar ? 'Panchotra' is being paid to all the non-Harijan Lambardars but not to all the Harijan Lambardars.

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੇ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ certain set of landowners ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਟ ਅਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੋਤਰਾ ਮਿਲੇ । ਜਿਥੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ Government is committed to adjust them on Panchotra.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਨਾਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਕੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ । ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या रैविन्यू मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि बाकी जगहों पर हरिजन नम्बरदार कब एप्वायंट किए जाएँगे ? इन की दरखास्तें तीन साल से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं । और कई जगह तो आबादी छे छे हज़ार की भी है ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਹਿਲਾਂ remuneration ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੀਸਾਇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । The Government wanted to settle the question of remuneration before proceeding further.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister for Revenue be pleased to state whether the Government would also consider the advisability or feasibility to appoint Harijans as Zaildars and Sufedposhs ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫੈਦਪੋਸ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਚੋਤਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਹਾਸਾ) ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Revenue Minister the criteria for the appointment of Harijans as Lambardars when it was decided to appoint them as Lambardars ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ information ਨਹੀਂ । ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ।

Deputy Speaker : Next question please.

(*At this stage, some hon. Members rose to put supplementary questions.*)

Deputy Speaker : There should be no more supplementary questions. I have called upon the next hon. Member to put his question.

Voices : Madam, it is a very important question and we request that more supplementary questions may be allowed.

Deputy Speaker : I will not permit more supplementary questions. I have already called upon the next hon. Member to put his question.

COMPLAINT AGAINST SUB REGISTRAR OF FEROZEPUR DISTRICT

***5043. Shri Satya Dev** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether Government has received any complaints against any Sub-Registrar of Ferozepur district, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;
(b) whether any action has been taken or is proposed to be taken against the said Sub-Registrar, if so, the nature thereof;
(c) the name and full address of the person mentioned in part (a) above;
(d) whether the said person has since been removed from office if so, the reasons therefor ?

Sardar Ajmer Singh :

(a) Yes, three complaints were received against Shri Surjan Singh Honorary Sub-Registrar, Fazilka, copies thereof are laid on the Table of the House,
(b) Shri Surjan Singh, Honorary Sub-Registrar, Fazilka was first suspended and then removed from service.
(c) Shri Surjan Singh, ex-Honorary Sub-Registrar, Fazilka.
(d) Shri Surjan Singh was removed from the office of the Honorary Sub-Registrar, Fazilka for not enjoying good reputation for honesty.

Copies of Complaints

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਿਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈ ਨਾਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਕਨਾ ਨਥਆਨਾ ਅਲਾਦੀ ਨਾਲੋ ਵਾਲੀ ਤਹਸੀਲ ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਤਾਰੀਕ 20/2/64 ਬੈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 75 ਰੁਪਿਆ ਜਨਾਬ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ

[Revenue Minister]

ਲੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਧਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਅਜ ਤਕ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਲੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਲੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਝਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਲੋਗ ਸੇ ਕਾਫੀ ਰਕੂਮਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਹਕੀਕਾਤ ਹੋਨੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਫੀਆ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਲੁਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਅੰਗੂਠਾ
ਸੋਹਬਾ ਰਾਮ

ਸਪੁਤਰ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮ ਕਮਬੋਹ
ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਨ ਲਾਲੋਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

बखिदमत जनाब चीफ मिनिस्टर साहिब बहादुर-पंजाब चन्डीगढ़ ।

श्री मान जी, मैं ने व दीगरान ने शामिल होकर एक बैनामा रजिस्टरी ज़मीन मौज़ा ममुंखेड़ा, तहसील फाज़िलका, गंगा राम वलद दरबारी राम पोतरा जमतु राम वा श्रीमती राम बाई उर्फ राजबाई—राम किशन उर्फ राज किशन पुत्र दरबारी राम उर्फ हरदवारी राम मवरखा 27-1-63 को बीस हज़ार रुपये में बै ली थी । रजिस्ट्री होने के वक्त मुझ से 250 रुपये चन्दा डिफैंस फंड लिया गया था । मुझे कोई रसीद नहीं दी गई और न ही कोई चिट हवाले की गई । मेरे मांगने पर यही कहा गया कि मिल जावेगी । मगर आज तक बाबजूद मांगने के नहीं दी गई । और मुझे अज़हद झाड़ें दीं और बुरा सलूक किया और बाहर निकाल दिया । मैं आज तक दरियाफ्त करता रहा हूं मगर 250 रुपए का कोई पता नहीं दिया गया कि किस तरह इस्तेमाल किया गया है । लिहाज़ा दरखास्त है कि 250 रुपए की रसीद दिलाई जावे और अफसर रजिस्ट्रेशन से तहकीकात भी की जावे । और बुरे सलूक की बनिस्बत भी कार्रवाई की जावे और आनरेरी सब-रजिस्ट्रार का रवैया सख्त नामाकूल था । सबूत मौजूद है ।

अलमरकूम : 19-8-63

अंज़ी

फिदवी—*वल्द निहाल राम
ज़ात कम्बोह साकन ममुंखेड़ा,
तहसील फाज़लका ।
(निशान अंगुठा)

बहज़ूर जनाब सरदार प्रताप सिंह साहिब, प्राईम मिनिस्टर, चन्डीगढ़-पंजाब

दरखासत बरखिलाफ सरदार सुरजन सिंह आनरेरी सब-रजिस्ट्रार-फाज़िलका

जनाबे आली निवेदन है कि सायल ने मुवरखा 12-2-63 को एक बैनामा रजिस्टरी तहसील फाज़िलका में अराज़ी मौज़ा नुकेरियां, तहसील फाज़िलका जो मसमियान प्रेम प्रकाश, राम प्रकाश पिसरान हंस राज व श्रीमती गंगा देवी पत्नी हंस राज खरीद की थी । रजिस्टरी

*Note:—Not legible in Government reply.

कर दिया था। जिस पर सब-रजिस्टार साहिब मज़कूर ने सायल से मबलिग यकसद रुपया चन्दा जंग फंड वगैरह का लिया गया था । मगर इस चन्दा की कोई रसीद आज तक सायल को नहीं दिलवाई गई । कई बार सायल ने रसीद तलब की है । मगर कोई रसीद नहीं दी गई हालांकि इस रकम की आम शिकायत है कई लोगों से आमतौर पर चन्दा को रकम ली थी मगर रसीद नहीं देता ।इसके इलावा काफी शिकायत है लोगों को अपने तमा की खातिर बहुत तंग करता है जिसकी कोई शुनवाई नहीं होती । लिहाज़ा दरखास्त है कि बादगौर इस यकसद रुपया वसूली की निस्बत मुनासिब कार्रवाई फरमाई जावे । सबूत दे सकता हूं । अैन नवाज़िश होगी ।

मुवरखा : 19-8-63 अर्ज़ी

नत्था राम वल्द दाता राम कम्बोह सकना नौकरियां,
तहसील फाज़िलका
(निशान अंगुठा)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮਤਾਲਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।

Minister : That matter is under consideration please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ "ਗੁਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ" ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Minister for Revenue whether these allegations have been enquired into, if so, the results thereof ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।

(*Chaudhri Darshan Singh rose to speak*)

उपाध्यक्षा : आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप का ही हक नहीं और भी बहुत से बोलने वाले हैं । अभी मैं बात कर रही हूं आप फिर खड़े हो गये हैं । आप बैठ जायें । (The hon. Member is an old parliamentarian, he is not the only Member to speak. I am on my legs and he has again stood up. He should resume his seat please.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹੋ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ..

Deputy Speaker : This is no supplementary please.

श्री बलरामजी दास टन्डन : जब आप ने ही जवाब दे दिया है तो उन्हों ने क्या देना है।

उपाध्यक्षा : आप खामोश रहें । आखिर मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं । (Order please. After all I have also to perform my duties.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब सूबे में मुख्तलिफ रजिस्ट्रारों के खिलाफ यह आम शिकायत है तो क्या वह इस इन्स्टीट्यूशन को बन्द करने के लिए तैयार हैं और यह काम जैसे तहसीलदारों को पहले स्पुर्द था वैसे अब करने को कहेंगे ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । On the whole this institution is working satisfactorily and Government has no intention to abolish it.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ।

(*Interruptions*)

(*Some hon. Members rose to put supplementary questions*)

Deputy Speaker : Next question please.

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Madam. यह एक इतना अहम सवाल है और सब रजिस्ट्रारों के खिलाफ इतने संगीन चार्जिज़ गवर्नमैंट की तरफ से लगाये जा रहे हैं आप ने नैक्स्ट कवेस्चन काल कर लिया है । मैं कहूंगा कि हमें और सप्लीमैंट्रीज़ करने का आखिर मौका तो देना चाहिये ।

उपाध्यक्षा : सफीशैंट टाईम दिया गया है । (Sufficient time has been given please.)

श्री बलरामजी दास टंडन : आखिर हाउस की कोई ना कोई सेंस तो लेनी चाहिये ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਦਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਪਿਆ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

Deputy Speaker : Will you please resume your seat?

GRANT OF LOANS TO HARIJANS ETC. OF DISTRICT MOHINDERGARH FOR PURCHASE OF LAND VESTING IN CUSTODIAN.

***4540. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any amount was released by Government to Mohindergarh district for the grant of loans to Harijans and Ghair-Biswedars to enable them to purchase the land vesting in the Custodian, if so, on what date ?

Sardar Ajmer Singh : Yes, Loans for purchase of rural evacuee land are granted under the Agriculturists' Loans Act XII of 1884 to occupiers of land including Harijans. A sum of Rs. 4,00,000 was placed at the disposal of the Commissioner, Patiala Division for the Division and the Commissioner during the current financial year placed a sum of Rs. 10,000 at the disposal of Deputy Commissioner Mohindergarh under the above Act. Later on an additional sum of Rs. 53,500 was placed at the disposal of D. C. Mohindergarh for this purpose.

I may add, Madam, that recently the Government has placed 40 lakhs of rupees at the disposal of the Deputy Commissioners for advancing loans to Harijans to purchase evacuee property in auction and out of this amount, a share has again gone to Mohindergarh District.

श्री बनवारी लाल : इस साल मिनिस्टर साहिब ने 40 लाख रुपया देना बताया है । मगर पिछले साल का 50 हज़ार रुपया जो लैप्स होने जा रहा था फरवरी के लास्ट वीक में विडरा करवाया गया है । क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया इस साल यह सारे का सारा रुपया यूटीलाईज़ कर दिया जायेगा या कि नहीं ?

मंत्री : यह रुपया इसी साल के लिये दिया गया है हम इसे इसी साल खर्च करने की कोशिश करेंगे ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਭਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the hon. Revenue Minister the criteria about the genuineness of the demand of a particular Harijan and who will be the authority to decide it ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਜਾਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਫਿਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੇ that his is a fit case for taking loan, then he will take the responsibility on the spot. ਇਹ ਅੰਦਰਾਜ ਉਹ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏਗਾ and that will be transferred in his name. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

चौधरी अमर सिंह: डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के लिये वजीर साहिब का कितना लोन देने का विचार है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the hon. Minister if such landowners will be required to furnish some sort of security for such loans ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ; ਦੇਖ ਕੇ ਦਸਾਂਗਾ । Just to satisfy my friend, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾ ਤੇ ਇਵੈਕੂਈਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਭਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ: ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨ ਅਕੁਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ... ...

उपाध्यक्षा : आप गलत बयानी बंद कर दें (The hon. Member should not state incorrectly) । I am not Speaker. I am Deputy Speaker.

ਮੰਤਰੀ: I only pity his ignorance. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਤੀ ਹੈ ।

———

AREAS AFFECTED BY RECENT FAMINE AND SCARCITY OF WATER IN THE STATE

*4453. **Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the areas affected by the recent famine and scarcity of water and fodder in the State ;

(b) the details of steps, if any, taken to provide relief to the said areas ?

Sardar Ajmer Singh : (a) No area in the State is affected by famine. There is, however, scarcity of fodder and water in certain parts of Rohtak, Gurgaon, Hissar and Mohindergarh Districts as a result of drought. The number of affected villages is 624, district-wise details of which are given below:—

S. No.	Name of district	Name of Tehsil/Sub-Tehsil	No. of villages affected
1.	Mohindergarh	1. Dadri	136
		2. Mohindergarh.	154
		3. Narnaul	53
			343
2.	Hissar	Bhiwani	175
3.	Gurgaon	Rewari	41
4.	Rohtak	1. Nahar Sub-Tehsil 2. Some villages of Jhajjar Tehsil	65

(b) A note giving the details of steps taken to provide relief to the people in the areas affected by draught is laid down on the Table of the House.

NOTE GIVING DETAILS OF STEPS TAKEN TO PROVIDE RELIEF TO THE PEOPLE IN THE DRAUGHT AFFECTED AREAS

The Government has taken all necessary measures for alleviating the sufferings of the people. Relief works such as construction of roads, construction and deepening of village ponds, tanks and kunds have been sanctioned to provide gainful employment to people in the affected areas. The amounts so far sanctioned for this purpose and other relief measures taken are given below :—

1. Construction of Roads. 8

(a) Mohindergarh District:

(i)	Mohindergarh-Madhogarh-Satnali-Badhara-Jitpura Road	Rs	3,00,000
(ii)	Satnali-Laharu Road ..	Rs	2,00,000
(iii)	Village link roads (Rs 1 lakh per Block for 8 blocks)	Rs	8,00,000

(b) Hissar District:

(i)	Kairu-Bahal-Jhompa Road ...	Rs	1,50,000
(ii)	Tosham-Siwani Road ..	Rs	1,50,000
(iii)	Bahl-Tosham Road ..	Rs	4,00,000

(c) Gurgaon District:

(i)	Nangal Mandi to Gobindpuri Road ...	Rs	2,00,000
(ii)	Village link roads in Khol and Rewari Blocks (Rs 1 lakh per Block) ..	Rs	2,00,000
	Total ..	Rs	24,00,000

2.	Construction of kunds in Bhiwani Tehsil, district Hissar ..	Rs	2,00,000
3.	Deepening and improvement of existing village tanks in Gurgaon District ..	Rs	5,00,000
3.	Deepening of Village ponds in Nahar Sub-Tehsil of Rohtak District	Rs	50,000
5.	Soil Conservation Works (contour bunding) in Gurgaon, Hissar and Mohindergarh Districts ..	Rs	75,000
6.	Grant for the supply of fodder @ Rs 10 per cattle in Hissar District ..	Rs	3,00,000
7.	For subsidising cost of transportation of fodder in Mohindergarh District ..	Rs	3,00,000

(In the other areas also fodder on subsidised basis is to be made available. Requisite funds will be placed at Deputy Commissioners' disposal on receipt of their demand to meet fodder requirements till onset of Monsoons. Under this subsidised system, fodder should be made available at a price to be fixed by the Deputy Commissioner.)

8.	Taccavi loan for the purchase of fodder ...	Rs	47,50,000

[Minister for Revenue]

9. Remission of Land Revenue as follows—

(a) Where damage is more than 50 % Total remission

(b) Where damage is below 50% but more than 25% .. 75% remission

10. Additional works to provide employment in draught areas of following categories —

(i) Village tanks.

(ii) Village water works.

(iii) Contour Bunding and Soil Conservation Schemes. ..

(iv) Tree plantations. ..

Note—D. C.s have been asked to send their requirement of funds to undertake such works. ..

11. Priority to be given to rural electrification in these areas.

12. Division of blocks into Relief Circles and the opening of Fair Price Shops and Fodder Depots in each circle so that Villagers do not have to travel more than 3 to 5 miles to get fodder and other essential necessities. ..

Each such circle is also to have a programme of relief works. ..

13. Formation of Relief Committees at Block and District levels with non-official and official members to ensure better co-ordination between official and non-official agencies, to raise funds for relief and to enable non-official agencies to undertake relief measures. .

14. An amount of Rs 25,000 has been sanctioned by the Chief Minister, Punjab, out of his Relief Fund for distribution amongst the destitute families of the draught affected areas of Hissar District. ..

15. The Government of India, Ministry of Food and Agriculture has arranged for free supply of 1,000 maunds of hay from Himachal Pradesh, one wagon load of dockage from Bombay to the Deputy Commissioner of Mohindergarh and 100 tons of hay from Army stock at Alwar to the Deputy Commissioner, Gurgaon, for distribution in the draught affected area of these districts. In this connection, the Chairman, Indian People's Famine Trust has sanctioned a grant of Rs 61,000 from the Trust Fund to reimburse the expenditure initially incurred by the State Government in connection with the fodder so supplied by the Government of India. ..

I may add, madam, that after the reply to this question was prepared, the Government have taken a further decision to provide more funds to the areas to be spent even in the next year, on the roads, fodder, subsidy and such other things of relief.

पंडित मोहन लाल दत्त : वज़ीर साहिब ने अभी कुछ एरियाज़ के नाम बताए कि फलाँ-फलाँ जगह फैमिन है । मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर शीत से फसलें खराब हो गई और बरसात नहीं हुई वहां के लिए भी क्या कोई प्रबन्ध किया जाएगा ?

मन्त्री : अगर कोई सैपेरेट क्वैश्चन देंगे आप तो देख लूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਦਿਕੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਡਰ ਮੁਹਈਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਔਰ ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੰਬਰ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 343 ਥਾਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 175 ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। May I know from the Honourable Minister as to how much subsidy has been given to the district of Mohindergarh where the number of villages affected is 343 ?

Minister : The information given in the written reply is old. Whatever money was demanded by Mohindergarh District, was placed at their disposal.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know if any depot for fodder has been started in Rohtak District ?

Minister : I am not quite sure about it. If none has been started so far, the Deputy Commissioner, Rohtak will do so now.

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਫਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.. .. .. ..

श्री जगन्नाथ : माल मंत्री साहिब ने बताया है कि वहां पर फैमिन तो नहीं है लेकिन वह खुशकसाली वाला इलाका है इस लिए वहां पर स्केयरसिटी है । क्या वह स्केयरसिटी, ड्राट एरिया और फैमिन की डैफीनेशन बताएंगे ?

माल मंत्री : स्केयरसिटी और ड्राट तो मेरे ख्याल में डिफाइन नहीं किया हुआ लेकिन फैमिन का जहां तक ताल्लुक है वह डिफाइंड है । मगर फैमिन की कंडीशन वहां पर हैं नहीं । Scarcity conditions are there. We are pursuing the matter with great anxiety.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : Madam I want to supplement this information. ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਿਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ $\frac{1}{3}$ ਜਾਂ $\frac{1}{4}$ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਬਹੁਤ strict ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। I am prepared to take the responsibility of declaring it a famine area, but the responsibility for it would be that of the hon. Member.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

श्री बलरामजीदास टंडन : मुख्य मंत्री साहिब ने अभी बताया है कि फैमिन डिक्लेयर करने के बाद हम उतनी मदद नहीं कर सकेंगे जितनी कि अब कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे रूल्ज़ हैं जिन से सरकार पर पाबंदी आयद होती हो कि सरकार लोगों को ज्यादा मदद नहीं दे सकती ?

मुख्य मंत्री : फैमिन की जो कंडीशन्ज़ हैं उस में सेंटर से मदद आती है। उस के लिए उन्हों ने वही पुराना बोसीदा तरीका रखा हुआ है जिस से लोगों को पूरा फायदा नहीं पहुंचता। मगर हम चूंकि आपने सूबे के लोगों से ज़यादा प्यार रखते हैं इस लिए उन की ज़यादा से जयादा मदद करना चाहते हैं।

Deputy Speaker : Next question (4507) on the List for the 20th February, 1964, by Chaudhri Khurshed Ahmed, please.

(Interruptions)

Deputy Speaker : I have called the next Question.

(Interruptions)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Noise)

Shri Balramji Dass Tandon : On a point of order, Madam.

Deputy Speaker : No, please sit down. देखिए 1951 में इस आगस्ट हाउस में मुझे बतौर डिप्टी स्पीकर और बतौर स्पीकर भी काम करना पड़ा। बदकिस्मती से फिर वही ड्यूटी मुझे अदा करनी पड़ी है। मैं आप को याद दिलाना चाहती हूँ कि उस वक्त मुझे हर तरफ से तारें आई थीं कि जब आप Chair में बैठेंगी तो आप को House की dignity और decorum रखने में पूरी co-operation दी जाएगी। इस लिए मैं आप से request करती हूं कि आप House की dignity को कायम रखें।

(No, please sit down.) In the year 1951, I had to serve this August, House as Deputy Speaker and also had to officiate as Speaker. Unluckily now again I have been put to perform the same duty. I wish to mention here for the information of all the hon. Members that at that time I received telegrams from all parties to the effect that they would give me full co-operation in maintaining the dignity and decorum of the House. Therefore, I request you all to keep decorum of the House.

Deputy Speaker : I would again request the Hon'ble Members to maintain the dignity of the House.

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम आपको पूरी co-operation देंगे और देते रहे हैं। मगर मेरी इतनी humble submission है कि point of order raise करने से House की dignity कम होने का सवाल नहीं पैदा होता। और यह वैसे भी House के मेम्बरान का right बनता है।

Deputy Speaker : There must be some limit to everything.

श्री बलरामजीदास टंडन : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया है कि अगर famine declare कर दिया जाए तो Centre की तरफ से कुछ limitations से इमदाद मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन limitations का यह मतलब है कि State Government अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती ?

मुख्य मंत्री : हां जी, अगर हम Centre से इमदाद लेंगे तो restriction हो जाती है। इस लिए हम ने जो तरीका अख्तियार किया है वह ज़्यादा इमदाद देने का किया है।

चौधरी नेत राम : मैं जानना चाहता हूं कि खुशकसाली की वजह से और सीत हवा से जहां scarcity हुई है क्या वहां पर किसानों का नहरी और माली revenue मुआफ किया जाएगा ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ already remission ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।

चौधरी नेत राम : क्या Revenue Minister साहिब बताएंगे कि श्री फलैचर साहिब ने उस इलाके का दौरा करके यह report की थी कि वहां पशू भी मर रहे हैं और एक आदमी ने इस तकलीफ की वजह से कुएं में छलांग लगा कर खुदकशी की थी ?

(No reply)

कामरेड राम चन्द्र : Famine Act के तहत जो सहूलियात दी जाती है उस के इलावा और इमदाद देने के लिए क्या उस Act में कोई disabling clause है ?

मुख्य मंत्री : उस का क्या फायदा है।

श्री जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारी तहसील के साथ राजस्थान का border लगता है वहां पर लोगों को 15 रुपए मन गंदम दी जाती है लेकिन इधर 18 रुपए देते हैं । मैं कहता हूं कि Centre के जो 1913 और 1916 के rule हैं आप उन से कहें कि वह उन बोसीदा रूलों को बदलें । (*Noise*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਲ ਨੂੰ supplementaries ਹੋਣਗੇ ।

Deputy Speaker : No, please.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE FINANCIAL COMMISSIONER'S OFFICE.

1403. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Revenue be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Financial Commissioner's Office together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Ajmer Singh : A statement giving the requisite information is enclosed.

STATEMENT

No.	Name of the official	Designation	Date of appointment	Percentage of Scheduled Castes/Backward Classes in each category	Percentage of posts reserved for Scheduled Castes/Backward Classes in each category	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
SCHEDULED CASTES/BACKWARD CLASSES						
			Class I			
—	—	—	Nil	—	*For Scheduled Castes.*—20% of the posts filled by direct appointment. *For Backward Classes.*—2% of the posts filled by direct appointment	There is only one Class I post, which was filled by direct appointment
			Class II			
—	—	—	Nil	—	*For Scheduled Castes.*—9% of the posts filled in by promotion (with effect from 12th September, 1963) *For Backward Classes.*—1% of the posts filled in, by promotion (with effect from 12th September, 1963)	Recourse is not had to direct recuritment. No post to be filled, by promotion, has fallen vacant since 12th September, 1963.

No.	Name of the official		Designation	Date of appointment	Percentage of Scheduled Castes/Backward Classes in each category		Percentage of posts reserved for Scheduled Castes/Backward Classes		Remarks
					Direct appointment	By promotion	Direct appointment	By promotion	
1	2		3	4	5		6		7
				Class III					
20.	SCHEDULED CASTES				4.42%	about 2%	20%	9% (with effect from 12th September, 1963)	*At present working as B.D.P.O.
1.	Shri Gurbax Rai*	..	Assistant	18-11-1950					
2.	Shri Mani Ram	..	Do	19-8-1952					
3.	Shri Harblas Singh	..	Do	1-8-1955					
4.	Shri Munshi Ram	..	Do	31-10-1956					
5.	Shri Bharpur Singh	..	Do	11-3-1959					
6.	Shri Parshotam Ram	..	Do	10-2-1961					
7.	Shri Gurbachan Singh Virdi	..	Steno-typist	24-8-1963					
8.	Shri Kishan Chand	..	Clerk	17-8-1962					
9.	Shri Jai Lal	..	Do	7-10-1963					
10.	Shri Sansar Chand	..	Do	4-6-1958					

11.	Shri Om Parkash Pawaria	Stenotypist	28-12-1963				
12.	Shri Siri Ram	Do	24-7-1963				
13.	Shri Sukhdev Singh	Do	5-6-1958				
14.	Shri Dhani Ram Sandhu	Do	5-6-1958				
15.	Shri Bhajan Singh	Do	15-11-1960				
16.	Shri Charan Dass	Do	1-3-1960				
17.	Shri Shish Paul	Do	1-8-1963				
18.	Shri Mukhtiar Singh	Do	22-7-1963				
19.	Shri Sadhu Ram Garg	Do	12-2-1962				
20.	Shri Hari Singh	Restorer	16-5-1949				
11	BACKWARD CLASSES			3.47%	—	2%	1% (with effect from 12th September, 1963)
1.	Shri Gurmeet Singh	Steno-typist	29-9-1961				
2.	Shri Dhani Ram	Do	14-8-1963				
3.	Shri Harbans Singh	Do	19-3-1963				
4.	Shri Harbans Singh	Clerk	12-12-1961				
5,	Shri Surinder Singh	Do	18-9-1963				
6.	Shri Brij Lal	Do	16-11-1960				
7.	Shri Hari Chand	Do	14-11-1961				
8.	Shri Sucha Singh	Do	15-11-1961				
9.	Shri Mohan Singh	Do	17-8-1963				
10.	Shri Harmohinder Singh	Do	22-11-1963				
11.	Shri A. S. Gautam	Do	31-11-1957				

No.	Name of the official	Designation	Date of appointment	Percentage of Scheduled Castes/Backward Classes in each category		Percentage of posts reserved for Scheduled Castes/Backward Classes in each category		Remarks
				Direct appointment	By promotion	Direct appointment	By promotion	
1	2	3	4	5		6		7
			Class IV					
28	SCHEDULED CASTES			11.65%	about 2%	20%	9% (with effect from 12th September, 1963)	
1.	Shri Bakshi Ram	Daftri	6-8-1952					
2.	Shri Chhota Singh	Do	1-12-1960					
3.	Shri Pahari Ram	Do	24-3-1953					
4.	Shri Bal Kishan I	Do	10-10-1956					
5.	Shri Gurmukh Singh	Record Lifter	10-10-1958					
6.	Shri Balwant Singh	Do	8-1 1960					
7.	Shri Anazar Ram	Peon	7-9-1962					
8.	Shri Adhir Singh	Do	27-9-1962					
9.	Shri Kaka Singh	Do	26-9-1962					
10.	Shri Sant Singh	Do	27-9-1962					
11.	Shri Nasib Singh	Do	7-9-1962					

12.	Shri Ram Parkash	..	Peon	13-2-1958				
13.	Shri Ram Parkash II	..	Do	6-9-1962				
14.	Shri Om Parkash	..	Do	24-5-1960				
15.	Shri Bansi Lal	..	Do	21-6-1953				
16.	Shri Sadhu Ram	..	Do	4-9-1958				
17.	Shri Karta Ram	..	Do	15-7-1949				
18.	Shri Fatha Ram	..	Do	5-11-1956				
19.	Shri Bakhshish Singh	..	Do	22-11-1958				
20.	Shri Lachhman Singh	..	Do	9-11-1948				
21.	Shri Chanan Singh	..	Do	27-9-1962				
22.	Shri Jagir Singh	..	Do	9-9-1963				
23.	Shri Karm Singh	...	Do	9-8-1960				
24.	Shri Raghu Nath	..	Sweeper	1-9-1963				
25.	Shri Raunqi Ram	..	Do	21-9-1956				
26.	Shri Sham Lal	...	Do	27-1-1962				
27.	Shri Karm Singh	..	Farash	14-1-1961				
28.	Shri Sohan Lal	..	Khalasi	1-7-1950				
18	BACKWARD CLASSES				7.28%	1.47%	2%	1% (with effect from 12th September, 1963)
1.	Shri Madan Lal	..	Daftri	18-5-1949				
2.	Shri Chanan Singh	..	Jamadar	26-6-1944				

No.	Name of the official	Designation	Date of appointment	Percentage of Scheduled Castes/Backward Classes in each category		Percentage of posts reserved for Scheduled Castes/Backward Classes in each category		Remarks
				Direct appointment	By promotion	Direct appointment	By promotion	
1	2	3	4	5		6		7
3.	Shri Ohri Ram ..	Do	1-3-1939					
4.	Shri Mehar Singh ..	Peon	7-9-1962					
5.	Shri Dhiru Ram ..	Do	28-4-1962					
6.	Shri Megh Nath ..	Do	16-9-1956					
7.	Shri Roshan Lal ..	Do	7-6-1962					
8.	Shri Balbir Singh ..	Do	1-1-1949					
9.	Shri Baru Singh ..	Do	1-9-1948					
10.	Shri Raunaq Singh ..	Do	21-9-1956					
11.	Shri Charanjit Singh ..	Do	4-5-1957					
12.	Shri Lachman Das ..	Do	9-11-1948					
13.	Shri Puran Singh ..	Do	13-10-1943					
14.	Shri Sham Singh ..	Do	7-10-1948					
15.	Shri Amar Nath ..	Do	18-9-1963					
16.	Shri Abhey Ram ..	Do	1-8-1961					
17.	Shri Arjan Singh ..	Do	27-9-1962					
18.	Shri Tahal Singh ..	Do	15-3-1934					

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE DIRECTORATE OF ANIMAL HUSBANDRY.

1409. **Sardar Ajaib Singh Sandhu.** Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Directorate of Animal Husbandry together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category?

Sardar Gurbanta Singh :—

Class	No., names and dates of appointment in present rank of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working in the Directorate	Percentage of such employees in each category	Percentage of posts reserved in each category
Class I	Nil		
Class II	Nil		
Class III	1. Shri Roshan Lal—7-7-59 2. Shri Kishori Lal—25-4-60 3. Shri Dhani Ram—2-5-60 4. Shri Hans Raj—14-7-61 5. Shri Rajinder Parshad—14-7-61 6. Shri Fateh Singh—29-8-61 7. Shri Dhana Singh—25-9-63 8. Shri Mohinder Singh—25-9-63 9. Shri Buta Ram—12-2-63 10. Shri Kapoor Singh—17-1-64	12.3%	21% of the posts to be filled by direct recruitment and 10% of the posts vacant on or after 12th Septmber 1963 to be filled by promotion.
Class IV	1. Shri Amar Singh—6-2-61 2. Shri Surjit Singh—15-6-46 3. Shri Puran Chand—18-5-62 4. Shri Kishna Ram—2-11-53 5. Shri Kapoor Singh—29-9-55 6. Shri Sardara Singh—6-5-51 7. Shri Labh Singh—9-4-62	28%	21%

P.E.S. CLASS I AND CLASS II OFFICERS

1498. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) the number and names of P.E.S. Class I and Class II Officers (men and women separately) who were temporary as on 31st

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

January, 1964 and who have been in their respective grades for more than two years on that date together with the reasons, if any, for not confirming them;

(b) the approximate time by which all the unconfirmed officers in P.E.S. (I) and P.E.S. (II) Cadres whose confirmation is due are likely to be confirmed;

(c) the names of officers of the said Cadres at present working in Amritsar district together with the names of posts held by each.

Shri Mohan Lal; (a) Men 120

Women 35

A statement indicating the names of the officers is enclosed (Annexure I)

The reasons for not confirming these officers are the delay in the decision of the Government of India on the seniority appeals of the erstwhile Punjab and Pepsu States employees, non-availability of permanent posts and in some cases due to the non-completion of personal files.

(b) It is not possible to specify any time limit.

(c) The information is contained in the enclosed statement at annexure II.

ANNEXURE I

LIST OF OFFICERS OF P.E.S. I AND P.E.S. II WHO WERE TEMPORARY ON 31-1-1964.

P.E.S. Class I (Men's Branch)

	Sr. No.	*Name*	*Sr. No.*	*Name*
I	1.	Shri Inder Singh	15.	„ Apparapar Singh
	2.	„ R.S. Chaudhri	16.	„ Dr. V.B. Taneja
	3.	„ Dr. Kesar Singh	17.	„ B.S. Verma
	4.	„ Jagdish Raj	18.	„ S. Padamanabhan
	5.	„ Tara Singh	19.	„ Dr. A.C. Kapur
	6.	„ P. C. Joshi	20.	„ Jagdish Ram
	7.	„ S. S. Gupta	21.	„ R.G. Bajpai
	8.	„ Mohan Singh	22.	„ L.D. Gupta
	9.	„ V. R. Teneja	23.	„ R.N. Safaya
	10.	„ Dr. J.D. Verma		
	11.	„ H.V. Barputa		
	12.	„ B.L. Sharma		
	13.	„ H.K. Nijhawan		
	14.	„ Dr. N.L. Dosajh		

P.E.S. Class I (Women's Branch)

	Sr. No.	Name
II	1.	Miss S. Seoni
	2.	Miss V. Bhandari

Sr. No.		Name
	3.	Mrs. S. Anand
	4.	Miss S. Malhotra

P.E.S. Class II (Men's Branch)

Sr. No.		Name
III	1.	Shri Bhola Singh
	2.	Shri H.L. Dhingra
	3.	Shri Sohan Singh Bawa
	4.	Shri Prem Prakash
	5.	Shri Mohinder Singh
	6.	Shri Ujjal Didar Singh
	7.	Shri K.L. Zakir
	8.	Shri Peary Lal
	9.	Shri Teja Singh Baweja
	10.	Shri F.J. Hamid
	11.	Shri Ghulamjan Baz Gill
	12.	Shri Gurmukh Singh
	13.	Shri Kulwant Singh
	14.	Shri J. M. Dhand
	15.	Shri P.N. Sahai
	16.	Shri R.N. Sahai
	17.	Shri Harnam Singh
	18.	Shri K.N. Agnihotri
	19.	Shri Rup Dayal
	20.	Shri Bhagwan Singh
	21.	Shri S.S. Kishanpuri
	22.	Shri Sunder Lal
	23.	Shri Ram Behari Lal
	24.	Shri V.R. Jagpal
	25.	Shri Karan Singh
	26.	Shri Manmohan Singh
	27.	Shri Tara Singh Hundal
	28.	Shri Bir Singh Assi
	29.	Shri Durga Dutta
	30.	Shri Dewan Singh
	31.	Shri T.R. Sharma
	32.	Shri J P. Sunder Lal

P.E.S. Class II (Women's Branch)

Sr. No.		Name
IV	1.	Miss C.T. Chauhan
	2.	Mrs. S. Nair
	3.	Mrs. M. Kapoor
	4.	Mrs. K. V. Ghosh
	5.	Mrs. D. Pikk
	6.	Miss V. Prabhdayal
	7.	Mrs. S. Madhok
	8.	Mrs. P.J.R.D. Ahuja
	9.	Miss Lakhbir Kaur
	10.	Mrs. N. Ambar
	11.	Mrs. A. Das Gupta
	12.	Miss K. Dutta
	13.	Miss S. Singh
	14.	Smt. Raj Dulari
	15.	Miss D. Nathenial
	16.	Mrs. G.D. Chandra
	17.	Miss S. Dutta
	18.	Mrs Shakuntla Nayar
	19.	Mrs. P. Passy.
	20.	Miss S. Sethi
	21.	Mrs. N. Gaind
	22.	Mrs. Shanti Mehta
	23.	Miss Sushila Bhatia
	24.	Mrs. Vidya Khanna
	25.	Miss J. Mehtab Singh
	26.	Miss H. K. Monga
	27.	Miss K. Sehgal
	28.	Mrs. N.J. Gian Singh
	29.	Mrs. H.L. Deol

P.E.S. Class II (Women's Branch) College Cadre

Sr. No.		Name
V	1.	Mrs. Sanyogta Chadha Reason Record not satisfactory

P.E.S. Class II (Men's Branch) College Cadre

Sr. No.		Name
	1.	Shri Jagdeva Singh
	2.	Shri Satya Prakash

[Home Minister]

3. Shri Vidya Bhushan
4. Shri Sarup Chand
5. Shri O.P. Garg
6. Shri J. S. Jawanda
7. Shri B.S. Gill
8. Shri K.K. Verma
9. Shri S.N. Bhardwaj
10. Shri D. R. Ahluwalia
11. Shri N.K. Gupta
12. Shri Gurbux Singh
13. Shri J.R. Verma
14. Shri D.S. Maini
15. Shri Joginder Singh
16. Shri S.R. Sethi
17. Shri R.S. Ahluwalia
18. Shri R.N. Sarin
19. Shri B.S. Khanna
20. Shri N.C. Thakur
21. Shri R.L. Bhatia
22. Shri Ajit Singh
23. Shri K.C. Anand
24. Shri Rattan Chand Sharma
25. Shri K.S. Bhalla
26. Shri A. S. Bhatia
27. Shri Mohinder Singh
28. Shri Viopak Kishan
29. Shri K.C. Palta
30. Shri Dulare Singh
31. Shri Harcharan Singh
32. Shri Sohan Singh
33. Shri H.C. Batra
34. Shri S. N. Batra
35. Shri S.N. Kesri
36. Shri Sohan Lal
37. Shri H.C. Luthra
38. Shri Balraj Sharma
39. Shri C.L. Kapur
40. Shri K.L. Soni
41. Shri Hukam Chand
42. Shri Kartar Singh
43. Shri Khushi Ram
44. Shri H.R. Bhasin
45. Shri D.R. Vij
46. Shri S.S. Bhatia
47. Shri P.S. Chanana
48. Shri S.S. Sodhi
49. Shri D. R. Sachdeva
50. Shri Bela Ram
51. Shri R.S. Bawa
52. Shri Rajindra Singh
53. Shri Jagjit Singh
54. Shri J.M. Chopra
55. Shri Piara Singh
56. Shri H.R. Dhir
57. Shri P.L. Vohia
58. Shri H. K. Gupta
59. Shri M.S. Grewal
60. Shri P.P. Mehta
61. Shri Kishori Lal
62. Shri Bhag Singh Sidhu
63. Shri Hitwant Singh Sidhu
64. Shri G.S. Kooner
65. Shri J.S. Gandhi

ANNEXURE II

Names of the Confirmed PES II Officers working in Amritsar Distt.

(1) Shri J. P. Sunder Lal, P.E.S., II, Deputy Education Officer, Amritsar.
(2) Miss Rajwans Kaur, P.E.S. II Headmistress, Govt. Girls High School, the Mall, Amritsar.
(3) Mrs. V. Tandon Senior Lecturer P.E.S. II English
(4) Miss S. Rai ,, ,, ,, Botany
(5) Mrs. S. Chadha ,, ,, ,, Hindi
(6) Miss S. Vij ,, ,, ,, Chemistry

* ———

*Unstarred Question No. 1499 alongwith its answer appears in the Appendix to this Debate.

IMPLEMENTATION OF MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

1508. Comrade Gurbax Singh, Dhaliwal : Will the Home Minister be pleased to state whether the provisions of the Motor Transport Workers Act, 1961 are being implemented in the State, if so, the names of the establishments implementing them at present?

Shri Mohan Lal : Yes. A list of the establishments implementing them is laid on the Table of the House.

Name of Transport Companies who have implemented Motor Transport Act, 1961

1. Rohtak District Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar.
2. New Majha Transport Society Ltd., Amritsar.
3. District Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar.
4. New United Transport (P) Ltd., Amritsar.
5. Amritsar-Majha-Frontier Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar.
6. New Piyar Bus Service Ltd., Amritsar.
7. Sewak Bus and Transport Company (P) Ltd., Moga.
8. Malwa Bus Service (P)Ltd., Moga.
9. New Himlaya Transport (P) Ltd., Batala.
10. New Valley View Transport (P) Ltd., Pathankot.
11. Jublee Highway Transport (P) Ltd., Pathankot.
12. Punjab Roadways, Pathankot.
13. New Chiniot Transport Company (P) Ltd., Pathankot.
14. New Midh Bhara Transport (P) Ltd., Batala.
15. New Snow View Transport (P) Ltd., Pathankot.
16. New Bir Transport Company (P) Pathankot.
17. New Janta Bus Service (P) Ltd., Batala.
18. Hoshiarpur Doaba Transport Ltd., Hoshiarpur.
19. Onkar Bus Service Ltd., Jullundur.
20. Jullundur Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur.
21. Pritam Bus (P) Ltd., Jullundur.
22. New Sutlej Transport Company (P) Ltd., Jullundur.
23. National Transport and General Company (P) Ltd., Ludhiana,
24. Akal Transport Company (P) Ltd., Ludhiana.
25. Nankana Sahib Transport Company (P) Ltd., Ludhiana.
26. Ludhiana Transport Company (P) Ltd., Ludhiana.
27. Khalsa Nirbhai Transport (P) Ltd., Ludhiana.
28. Sheikhupura Transport Company (P) Ltd., Ludhiana.
29. The Jhajjar Motor Roadways (P) Ltd., Jhajjar.
30. Rohtak-Gohana Bus Service (P) Ltd., Rohtak.
31. Rohtak General Transport Company (P) Ltd., Rohtak.
32. Zamindar Bus and Transport Company Ltd., Rohtak.
33. Bhiwani Transport Company, Rohtak.
34. Rohtak-Delhi Transport Company (P) Ltd., Rohtak.
35. Satnam Transport Company (P) Ltd., Rohtak,
36. Rohtak-Hissar Transport Company (P) Ltd., Rohtak.
37. Rohtak-Hissar Transport Company, Rohtak.

[Home Minister]

38. Simla Hills Transport Service, Kalka.
39. Ambata Bus Syndicate, Rupar.
40. Punjab Roadways, Ambala.
41. Punjab Roadways, Chandigarh.
42. Sadhaura Transport Company (P) Ltd., Sahara.
43. India Motor Transport Ltd., Rupar.
44. New Chanab Co-operative Transport Society Ambala.
45. Rawalpindi Victory Transport Company (P) Ltd., Ambala.
46. Dabwali Transport Company (P) Ltd., Dabwali.
47. Karnal Co-operative Transport Society Ltd., Karnal.
48. Modern Co-operative Transport Society Ltd., Gurgaon.
49. Punjab Roadways, Gurgaon.
50. Hoshiarpur Azad Transport Company (P) Ltd., Hoshiarpur.
51. New Samundri Transport Company (P) Ltd., Ferozepore.
52. Doaba Roadways Ltd., Hoshiarpur.
53. Shivalik Transport Co-operative Ltd., Hoshiarpur.
54. New Suraj Transport Company (P) Ltd., Amritsar.
55. Hoshiarpur Express Transport Company Ltd., Hoshiarpur.
56. Hissar District Transport Company (P) Ltd., Hissar.
57. Paris Bus Service, B Group B. Sirsa.
58. Hissar District Transport Company Ltd., Hissar.
59. The Model Transport Society Ltd., Gurgaon.
60. Lahore Pindi Transport (P) Ltd., Rohtak.
61. Sodhi Transport Company (P) Ltd., Amritsar.
62. Punjab Roadways, Amritsar.
63. Punjab Trausport Co-operation Society Ltd., Amritsar.
64. Kisan Workers Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar.
65. The Suraj Transport Goods Company, Amritsar.
66. Nishat and Malwa Transport and Bus Service, Amritsar.
67. National Transport and Bus Service Company Ltd., Patiala.
68. The Patiala Bus Service (P) Ltd., Sirhind.
69. Fateh Garh Sahib Bus Service (P) Ltd., Sirhind.
70. Phul Bus Service Rampura Phul, district Bhatinda.
71. The People Bus Service, (P) Ltd., Faridkot.
72. The Patiala and Transport and General Engineering Bus, Rampura.
73. Milap Bus Service Regd., Mansa.
74. The Mansa Roadways (P) Ltd., Mansa.
75. The Punjab Bus Service, Mansa.
76. The Kotkapura Bus Service (P) Ltd., Kotkapura.
77. The Azad Nakodar Bus Service, Jullundur.
78. Haryana Co-operative Transport Ltd., Faridkot.
79. Hindi Transport Bhiwani stand, Rohtak.
80. The Hoshiarpur National Transport (P) Ltd., Hoshiarpur.
81. The Victory Transport Public Hill Motors Transport, Hoshiarpur.
82. Gurgaon District Ex-service Men Transport Co-operative Society, Gurgaon.
83. Parbhat Roadways Co-operative Transport Society Ltd., Hoshiarpnr.
84. Karnal Kaithal Co-operative Transport, Karnal.
85. The Punjab Roadways, Jullundur.

86. The Prem Bus Service Private Ltd., Sangrur.
87. Asiatic Transport Service (P) Ltd., Pathankot.
88. Universal Victory Bus Service (P) Ltd., Ambala.
89. Gondara Transport Company (P) Ltd., Faridkot.
90. Illaqa Bardha Co-operative Transport Society Ltd., Bardha.
91. Harsa Mansa Prabhat Co-operative Society Ltd., Harsamansa.
92. Kapur Bus Service, Hansi.
93. Randhawa Transport Company (P) Ltd., Amritsar.
94. Model Co-operative Transport Society, Ltd., Gurgaon.
95. Kalka Transport Service, Kalka
96. Pal Bus Service, Sangrur.
97. Himalaya Transport Syndicate (P) Ltd., Simla.
98. Baba Bus Service Regd., Patiala.
99. Kulu Transport Co-operative Society Ltd., Kulu.
100. Jullundur Mahaluxmi Co-operative Transport Society Ltd., Jullundur.
101. Malwa Transport Company (P) Ltd., Barnala.
102. New Phagwara Transport (P) Ltd., Phagwara.
103. Haryana Ex-servicemen Co-operative Transport Ltd. Charkhidadri.
104. Loharu Motor Transport Service (P) Ltd. Loharu.
105. Azad Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar.

* ———

PROMOTIONS OF CERTAIN OFFICALS IN P.W.D. ELECTRICITY BRANCH (NOW STATE ELECTRICITY BOARD)

1518. Shri Mangal Sein : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total number of Assistant Engineers directly recruited in 1950 in the Punjab P. W. D., Electricity Branch (now the Punjab Electricity Board), who have since been promoted as Executive Engineers ;

(b) the total number of Matriculates recruited as Tradesmen, Mates, in the said Branch in 1950 and the number of those among them who have been promoted as Line Superintendents ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) All the 11 Assistant Engineers, Class II, appointed in 1950 on the basis of the selections made in 1950 have been promoted as Executive Engineers.

(b) Time and labour involved in collecting the information is not commensurate with the purpose it is likely to serve.

———

PROMOTIONS OF FOUR YEARS DIPLOMA HOLDERS IN PUNJAB P.W.D. ELECTRICITY BRANCH (NOW STATE ELECTRICITY BOARD).

1519. Shri Mangal Sein : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of four year Diploma holders recruited in 1950 in the Punjab P. W. D. Electricity Branch (now the Punjab State Electricity Board) who have since been promoted as Assistant Engineers ?

Chaudhri Ranbir Singh : Nil. However, one person holding three years Diploma course has been promoted as Assistant Engineer.

———

*Unstarred Question No. 1517 alongwith its interim reply appears in the Appendix to this Debate.

POINT OF ORDER RE: SITTING OF THE SABHA ON THE 23rd SEPTEMBER, 1964

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, 23 तारीख को शहीदेआज़म भगत सिंह की बरसी है लेकिन उन दिन पंजाब विधान सभा ने अपनी सिटिंग रखी हुई है। मैं समझता हूं कि उस दिन छुट्टी होनी चाहिए और हाउस ऐडजर्न होना चाहिए ताकि सब लोग वहां जा सकें। This is my humble request.

10-00 a.m.

उपाध्यक्षा : आप बड़े पुराने मैम्बर हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहले ऐडजर्नमैंट मोशनज़ और दूसरी मोशनज़ टेक अप होनी हैं। यह बातें बाद में हो सकती हैं। (The hon. Member is a senior Member of this House. He should know that adjournment Motions and other motions are taken up first. These things could be taken up later on.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ?

Deputy Speaker : I have already said no. मैं ने कह दिया था कि यह लास्टसप्लीमैंट्री होगा। अब एक एडजर्नमैंट मोशन सरदार भान सिंह भौरा की है। मैं उन को उसे पढ़ने की इजाज़त देती हूं। (I had said that it would be the last supplementary. Now there is an adjournment motion given notice of by Sardar Bhan Singh Bhaura. I allow him to read out his motion.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬੁਢੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ.........ਸ਼ੋਰ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (I have allowed the hon, Member only to read out his motion and not to make a speech.)

ADJOURNMENT MOTIONS

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬੁਢੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਟ ਕੁਟ

ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ।............

उपाध्यक्षा : Order please. आप इस को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डीमांड पर बहस के वकत डिसकस कर लें । I disallow this motion. (Order please. The hon. Member may raise discussion on this matter while discussing the demand for grant in respect of General Administration I, therefore, disallow this motion,

ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

Deputy Speaker : No. Please. I have given my ruling.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਜਰਨ-ਮੇਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਲਈ ਫੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

Deputy Speaker : The hon. Member should please resume his seat. I am taking up all the pending items.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ......(ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker: The hon. Member should withdraw these words.

Sardar Lachman Singh Gill : What shall I withdraw? I have not said anything unparliamentary. I only said that you are taking the time of the House.

Deputy Speaker : Leader of the Opposition, you are please seeing what is going on. Sardar Lachhman Singh Gill may be asked not to interrupt unnecessarily.

Shri Balramji Das Tandon : Madam, I beg to ask for leave to make motion for the adjuornment of the business of the House to discuss.......

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਅਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ......

उपाध्यक्षा: मैं इस तरह आपको बोलने की इजाजत नहीं देती । आप बैठ जाएं । (I do not allow him to speak like this. He should resume his seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਏਜੰਡਾ ਵੇਖ ਲਉ ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Deputy Speaker: Mr. Tarsikka, will you please resume your seat.

Shri Balramji Das Tandon: Madam, I beg to ask for leave......

उपाध्यक्षा : टंडन साहिब अभी आप बैठें । तरसिक्का साहिब ने ठीक कहा है कि उनकी मोशन नं० 2 पर हैं । मैं सारी की सारी मोशनज़ को बारी बारी लूंगी । मैं जिसे काल अपोन करूं वही खड़ा हो । (The hon. Member Shri Tandon may resume his seat for the present. Shri Tarsikka has correctly stated that his motion stands at No. 2 on the Agenda. I will take up every motion serially and only that hon. Member should rise to state his motion whom I call upon to do so.) Now I take up his motion first.

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Madam, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of the urgent public importance, namely, the situation created by Gram Sewaks, in Jandiala areas, Amritsar District at the time of Panchayat Samiti Mela in village Chohan. The said batch of Gram Sewaks, while fully drunk, went to the village Primary School and due to their un-moral deeds forced the women teachers to lock the school and go home. There is much resentment in my area. Therefore, the matter must be discussed.

उपाध्यक्षा; आप इस को एप्रोप्रिएशन बिल पर डिसकस कर लेना । I disallow it. (The hon. Member may discuss this matter while the Appropration Bill is before the House. I disallow it.)

Comrade Shamsher Singh Josh : Madam, I want to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely the refusal of the Government to withdraw cases against several hundred cane growers under the 'Sugar Cane Supply Ordinance' which were registered indiscriminately when the Sugar Mills were working. Now when all the Sugar Mills are closed, situation demands that these cases against the cane growers be withdrawn.

उपाध्यक्षा : आप इसे एप्रोपरियेशन बिल पर या नो कन्फीडैंस मोशन के ऊपर होने वाली बहस के वक्त डिसकस कर लें। I disallow it. (The hon. Member may discuss this matter either at the time of discussion on the Appropriation Bill or on the No-Confidence Motion. I disallow it.)

Shri Balramji Das Tandon: Madam, I want to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the order of the Punjab Government for compulsory introduction of Urdu in primary classes.

Sardar Lachhman Singh Gill: It is a good language.

उपाध्यक्षा : आप इसको ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बहस के मौके पर डिस्कस कर लें। आप को इजाज़त होगी। I disallow it. (The hon. Member may discuss this matter at the time of discussion on the Appropriation Bill. He will be allowed to do so. I disallow this Motion.)

POINT OF ORDER RE-PRIVILEGE MOTION

डाकटर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Madam डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने एक प्रिविलेज मोशन दी थी और आप ने आज इस का फैसला देने के लिए कहा था।

उपाध्यक्षा : मैं इस के बारे में सोमवार को रूलिंग दूंगी। (I will give my ruling in this connection on Monday.)

Dr. Baldev Parkash : Thank you very much.

CALL ATTENTION NOTICES

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने कल काल अटेंशन मोशन इस बारे में दी थी कि 13 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहिब धमौली गए थे। पब्लिक रिलेशनज़ डिपार्टमैंट ने कांग्रेस वर्करों को अपनी वैन में बिठा कर ले गए और फिर धमौली से फगवाड़ा छोड़ गए। इस से उस इलाके में बहुत बेचैनी फैली हुई है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह डिपार्टमैंट तो कांग्रेस का प्रचार करने के लिये ही खोला गया है और इस डिपार्टमैंट को इस प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है——

उपाध्यक्षा : मैं ने आप को स्पीच करने के लिए काल अपौन नहीं किया। आप अपनी काल एटैंशन मोशन पढ़ दें। (I have not called upon to make the speech. The hon. Member may read his Call Attention Motion.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तरह से दुबारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि——

उपाध्यक्षा : नो प्लीज़ I disallow it. आप इस बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पर कह सकते हैं (No please. I disallow it. The Member can refer to it while discussing the Demand for General Administration.)

Comrade Makhan Singh Tarsikka: Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the condition of ten thousand Jail Department employees by not increasing their pay-scales and Dearness Allowances as required by the recommendation of the Police Commission. From 1929 onwards Jail employees were always treated at par with Police employees, but this time, they are being totally ignored. Their conditions are deteriorating and they are preparing to launch a protest. This matter must be discussed here.

Deputy Speaker: I disallow it. The hon. Member can discuss this matter during discussion on Demand for Grant relating to the Police Department.

The next Call Attention Notice stands in the name of Sardar Tara Singh Lyallpuri. The hon. Member may read his Call Attention Motion.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਨਟਸ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 9-3-64 ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 260 ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,000 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ . . .

Deputy Speaker: I disallow it. The hon. Member can discuss it during the discussion of General Administration Demand.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਇਸ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਣਾਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : मैं इस बारे में पहले ही रूलिंग दे चुकी हूं । (I have already given my ruling in this connection.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : Sardar Ajaib Singh Sandhu (इस वक्त कामरेड शमशेर सिंह जोश कुछ कहने के लिए उठे ।)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ।

(इस समय फिर कामरेड शमशेर सिहं जोश कुछ कहने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : कामरेड शमशेर सिंह जोश जब चीफ मिनिस्टर साहिब जवाब दे रहे हैं तो आप बीच में क्यों खड़े हो गए (Why has Comrade Shamsher Singh Josh risen when the hon. Chief Minister is still on his legs.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਟੇਗਾ । ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੀ ਹੈ........(ਹਾਸਾ)

उपाध्यक्षा : No insinuation please. आप बम्ब के गोले वाली बातें यहां न करें, ऐसी बातें बाहर ही करें (no insinuations please. Let the hon. Member talk about the bombs and bullets outside the Chamber.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਭੀ ਬਰਸਾਨੇ ਹਾਂ।

Deputy Speaker: What is your point of order?

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ । ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । I will submit to your orders.

उपाध्यक्षा: इस के बारे में अच्छा होता कि आप पहले बता देते, अब मैंने दूसरे को काल अपौन कर लिया है । उस के बाद आप को काल अपौन करूंगी । (It would have been better if the hon. Member had given this information earlier. I have already called upon another Member. Now I will call upon him after he has read his Call Attention Motion.)

Shri Balramji Das Tandon : Madam, through my call attention notice I want to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the Nephews of Pandit Mohan Lal, the Home Minister, have abused and called names to the Police Officers at Police Chauki Islamabad, P.S. D. Division, Amritsar City, and instead of taking action against the culprits for over-awing, insulting and even grappling with Police Officers, the Police Staff has immediately been transferred to the Police Line under pressure. This is a clear case of abuse of power and as such immediate action againt the culprits may be taken.

Deputy Speaker: I disallow it. The hon. Member can raise this point during discussion on the No-Confidence Motion.

Shri Balramji Tandon: Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the tickets of various kinds are being sold by Officers of the State Government. Recently the Shops Inspector has sold tickets at Chandigarh and many Officers and Court Magistrates have done likewise while selling M.C.C. Match tickets at Amritsar, in spite of the clear-cut assurance of the Chief Minister in the House that no Officer of the State Government will sell any ticket other than the Small Savings or Red Cross. This is a serious matter and as such the position of the State Government be explained and as immediate action is called for, an enquiry be made into the allegations because the assurance was given by the Chief Minister on the floor of the House.

Deputy Speaker : I disallow this motion. The hon. Member can discuss it during discussion on General Administration.

Shri Balramji Das Tandon: Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the City Magistrate along with Police Contingent sealed electricity store of the Amritsar Municipality. Will the Government explain the reasons and the action taken thereon, as it is reported that there is a great misuse of power by Store-keeper and other officers.

Deputy Speaker : I disallow it. The hon. Member can discuss this point during discussion on General Administration.

OBSERVATION BY THE DEPUTY SPEAKER RE. PRIVILEGE MOTIONS

Deputy Speaker: I have received certain notices of Privilege Motions. Since these have been received late, these will be taken up on the next meeting.

SITTING OF THE ASSEMBLY

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 23 तारीख को सरदार भगत सिंह का शहीदी दिन है.......

उपाध्यक्षा : बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग आज 11 बजे हो रही है इस बात का फैसला वहां किया जाएगा । (The meeting of the Business Advisory Committee is going to be held at 11 a.m. today. The decision on this matter will be taken there.)

श्री बलरामजी दास टंडन : यह बड़ा इम्पार्टेंट मामला है....

उपाध्यक्षा : बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी का फैसला हाउस में आएगा । (The decision taken by the Business Advisory Committee in this respect will be reported to the House.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरी सबमिशन है कि इस के बारे में 60,70 मैम्बरान ने लिख कर दिया है, चीफ मिनिस्टर साहिब के भी गोश गुज़ार किया है । चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी भी एग्री करते हैं । आगे प्रेसीडेंट भी है । वह पंजाब के बड़े हीरो थे उन का शहीदी दिन उस दिन है......

उपाध्यक्षा : बड़े दुख की बात है कि मुझे बताया जाता है कि भक्त सिंह बड़े हीऐ थे । अगर मुझे भी पता नहीं तो फिर किस को पता है । बिज़ीनैस एडवाईज़री कमेटी का फैसला हाउस में पेश किया जाएगा । (It pains me to observe that I am being told by the hon. Member that S. Bhagat Singh was a great hero. If this fact is not known to me then who else knows it. I have already told the House that the decision of the Business Advisory Committee will be placed before the House.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ (ਵਿਘਨ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਸਾਂ । No insinuations. ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਟ੍ਰੋਵਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੋ । (I was born long before the hon. Member was born. He should not make insinuations. The House should not indulge in controversy about the Shahidi day.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਜੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੇਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਛੁਟੀ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੀਟਿੰਗ ਅਜ ਹਣੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । (The meeting is going to be held today and not on Monday. Punjab will wither away if the Punjabis forget their heroes like Bhagat Singh.)

श्री बलरामजी दास टंडन : यह कन्ट्रोवर्शल सबजैक्ट नहीं है बात तो यह है कि जब सारा हाउस एग्री करता है तो फिर इस मामला को पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है ?

उपाध्यक्षा : 11 बजे मीटिंग होगी हाउस उस के फैसले से एग्री भी कर सकता है और इस को रीजेक्ट भी कर सकता है । The Committee will meet at 11 a.m. today. The House can accept or reject the decision taken by the Business Advisory Committee.)

श्री यश पाल : डिपटी स्पीकर साहिबा, इन को पता लग जाए तो इन को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि इन्हों ने जल्दी जाना है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह इनसिन्यूएशन है कि मैम्बरों ने चले जाना है या बस का टाईम हो गया है । This is in very bad taste.

बाबू बचन सिंह : On a point of order, Madam मेरा प्वांट आफ आर्डर यह है कि आज हफ्ते का आखरी दिन है । यह हकीकत है कि मैम्बरान ने घर जाना है, इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ के मैम्बरान ने घर जाना है । इस लिये इस बात का फैसला जल्दी होना चाहिये, देर से होने से मैम्बरान को इनकनवीनिएंस होगी उन को पता नहीं लगेगा कि सोमवार को होलीडे है या कि वर्किंग डे है । इस लिये आप रूलिंग दें कि इस बात का फैसला जल्दी होना चाहिये या बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी में जाना चाहिये ।

उपाध्यक्षा : देखिये इस हाउस का सैट अप डैमोक्रेटिक ढंग से किया गया है । जो काम मंडे को किया जाना है जब तक कमेटी उस के बारे में फैसला न कर ले I cannot say anything. इस में कोई फर्क नहीं पड़ता । यह जो कहा जाता है कि मैम्बरों ने जाना है । Members are supposed to be here for the whole day. (The set up of this House is democratic. About the business to be transacted on Monday, unless the matter is decided by the Business Advisory Committee, I cannot say anything. That will make no difference. About the desire of the Members to leave, I would say that the members are supposed to be here for the whole day.)

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं गवर्नमैंट की तरफ से अर्ज़ करूंगा कि हमें इतफाक है इस बात से कि आप 23 तारीख को ओफ डे कर लें । लेकिन यह अर्ज़ करूंगा कि उस दिन का जो काम है अगले हफ्ते में जिस दिन कमेटी कहे उस दिन डबल सिटिंग कर के या सैंटरडे को सिटिंग कर के 23 तारीख का काम एडजस्ट कर लें । हमें कोई एतराज नहीं होगा ।

Sardar Gurnam Singh : If the Government agrees, the House can have two sittings on Thursday.

गृह मन्त्री : हमें मंजूर है ।

उपाध्यक्षा : यह मामला तो सैटल हो गया । लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग ही नहीं होगी । यह तय कर लेंगे कि हम ने डबल सिटिंग किस दिन करनी है ।
(This matter has been settled but it does not mean that the Business Advisory Committee will not meet. The day on which the double sitting is to be held is, however, yet to be decided.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : सैटरडे को डबल सिटिंग न करें और किसी दिन कर लें ।

(Interruption)

उपाध्यक्षा : मैंम्बरान के आराम का ख्याल रखा जाएगा उन को तकलीफ नहीं दी जाएगी लेकिन they are supposed to be present for the whole day. (The convenience of the Members will be kept in mind. But they are supposed to be present for the whole day.) (विघ्न)

उपाध्यक्षा : थर्सडे को डबल सिटिंग होगी। (The House will meet twice on Thursday.)

आवाजें : ठीक है जी ।

DEMANDS FOR GRANTS

19—General Administration

23—Police

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Madam, I beg to move—

> That a sum not exceeding Rs. 3,67,94,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year. 1964-65, in respect of charges under head 19—GENERAL ADMINISTRATION.

I further beg to move—

> That a sum not exceeding Rs. 11,45,68,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1964-65, in respect of charges under head 23-Police.

Deputy Speaker : Motions moved—

> That a sum not exceeding Rs. 3,67,94,509 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 19—GENERAL ADMINISTRATION.

> That a sum not exceeding Rs. 11,45,68,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65 in respect of charges under head 23—Police.

All the remaining demands on the Agenda will be deemed to have been read and moved.

The cut motions received from the various Hon. Members on these demands will also be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main motions.

The hon. Members, may, however, indicate the demand on which they intend to speak.

Government Demands for Grants

DEMAND No. 1

> That a sum not exceeding Rs 2,48,05,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65 In respect of charges under head 9—LAND REVENUE.

[Deputy Speaker]

DEMAND No. 3

That a sum not exceeding Rs 8,02,920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 11—TAXES ON VEHICLES.

DEMAND No. 6

That a sum not exceeding Rs 6,50,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 14—STAMPS.

DEMAND No. 7

That a sum not exceeding Rs 3,24,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 15—REGISTRATION FEES.

DEMAND No. 8

That a sum not exceeding Rs 28,16,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 18—PARLIAMENT, STATE AND UNION TERRITORY LEGISLATURES.

DEMAND No. 10

That a sum not exceeding Rs 55,94,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 21—ADMINISTRATION OF JUSTICE.

DEMAND No. 11

That a sum not exceeding Rs 81,21,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65 in respect of charges under head 22—JAILS.

DEMAND No. 13

That a sum not exceeding Rs 4,03,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 25—SUPPLIES AND DISPOSALS.

DEMAND No. 14

That a sum not exceeding Rs 39,94,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year. 1964-65, in respect of charges under head 26—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS.

DEMAND No. 15

That a sum not exceeding Rs 2,74,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 27—SCIENTIFIC DEPARTMENTS.

DEMAND No. 17

That a sum not exceeding Rs 4,49,25,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 29—MEDICAL.

DEMAND No. 18

That a sum not exceeding Rs 2,38,55,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964,65 in respect of charges under head 30—PUBLIC HEALTH.

DEMAND No. 19

That a sum not exceeding Rs 4,73,14,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964,65, in respect of charges under head 31—AGRICULTURE.

DEMAND No. 20

That a sum not exceeding Rs 1,59,08,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 33—ANIMAL HUSBANDRY.

DEMAND NO. 21

That a sum not exceeding Rs 1,44,88,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 34—CO-OPERATION.

DEMAND NO. 23

That a sum not exceeding Rs 3,59,48,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 37—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS.

DEMAND NO. 24

That a sum not exceeding Rs 2,33,30,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 38—LABOUR AND EMPLOYMENT.

DEMAND NO. 25

That a sum not exceeding Rs 39,80,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 39—MISCELLANEOUS SOCIAL AND DEVELOPMENTAL ORGANISATIONS.

DEMAND NO. 26

That a sum not exceeding Rs 1,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the eourse of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 40—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DEMAND NO. 27

That a sum not exceeding Rs 6,54,07,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 42—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

DEMAND NO. 29

That a sum not exceeding Rs 2,59,35,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT.

DEMAND NO. 30

That a sum not exceeding Rs 3,34,47,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 50—PUBLIC WORKS.

DEMAND NO. 31

That a sum not exceeding Rs 2,44,69,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head CHARGES ON BUILDINGS AND ROADS ESTABLISHMENT.

DEMAND NO. 32

That a sum not exceeding Rs 1,82,10,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 52—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

DEMAND NO. 33

That a sum not exceeding Rs 4,40,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 56—AVIATION.

DEMAND NO. 35

That a sum not exceeding Rs 1,01,20,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 64—FAMINE RELIEF,

[Deputy Speaker]

DEMAND No. 36

That a sum not exceeding Rs 2,10,45,810 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 65—PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS.

DEMAND No. 37

That a sum not exceeding Rs 7,86,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 67—PRIVY PURSES AND ALLOWANCES OF INDIAN RULERS.

DEMAND No. 38

That a sum not exceeding Rs 1,59,90,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 68—STATIONERY AND PRINTING.

DEMAND No. 39

That a sum not exceeding Rs 2,16,92,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 70—FOREST.

DEMAND No. 40

That a sum not exceeding Rs 4,16,79,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of chagres under head 71—MISCELLANEOUS.

DEMAND No. 41

That a sum not exceeding 6,28,790 be granted to the Governor to defray the charges that wlll come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 76—OTHER MISCELLANEOUS CONTRIBUTION AND OTHER ASSIGNMENTS.

DEMAND No. 42

That a sum not exceeding Rs 4,30,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 78—PRE-PARTITION PAYMENTS.

DEMAND No. 43

That a sum not exceeding Rs 75,11,320 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65 in respect of charges under head 78-A—EXPENDITURE CONNECTED WITH NATIONAL EMERGENCY, 1962.

DEMAND No. 44

That a sum not exceeding Rs 29,85,410 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 95—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND RESEARCH.

DEMAND No. 45

That a sum not exceeding Rs 1,82,18,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 96—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT.

DEMAND No. 46

That a sum not exceeding Rs 18,50,82,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 98—CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

DEMAND NO. 47

That a sum not exceeding Rs 5,35,62,260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS.

DEMAND NO. 48

That a sum not exceeding Rs 8,91,68,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 103—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

DEMAND NO. 49

That a sum not exceeding Rs 2,47,43,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 105—CHANDIGARH CAPITAL OUTLAY.

DEMAND NO. 50

That a sum not exceeding Rs 4,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 109—CAPITAL OUTLAY ON OTHER WORKS.

DEMAND NO. 51

That a sum not exceeding Rs 7,10,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 112—CAPITAL OUTLAY ON AVIATION.

DEMAND NO. 52

That a sum not exceeding Rs 15,19,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 113—CAPITAL OUTLAY ON RAIL ROAD CO-ORDINATION SCHEMES.

DEMAND NO. 53

That a sum not exceeding Rs 1,14,70,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 114—CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES.

DEMAND NO. 54

That a sum not exceeding Rs 5,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 120—PAYMENTS OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS.

DEMAND NO. 55

That a sum not exceeding Rs 12,55,97,970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 124—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING.

DEMAND NO. 56

That a sum not exceeding Rs 26,94,24,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC. LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS.

DEMAND NO. 9

(19—General Administration)

1. **Comrade Jangir Singh Joga :**
2. **Comrade Hardit Singh Bhathal :**

That the demand be reduced by Rs. 1,000.

3. **Shri Babu Dayal Sharma :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

4. **Sardar Gurcharan Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

5. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be reduced by Re. 1.

6. **Shri Rup Singh Phul :**

That the demand be reduced by Re. 1.

7. **Chaudhri Ran Singh :**
8. **Sardar Pritam Singh Sahoke :**

That the demand be reduced by Re. 1.

DEMAND NO. 12

23—Police

1. **Comrade Jangir Singh Joga :**
2. **Comrade Hardit Singh Bhathal :**

That the demand be reduced by Rs. 1,000.

3. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be reduced by Re. 1.

DEMAND NO. 1

(9 Land Revenue)

1. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be redueed by Rs. 100.

DEMAND NO. 3

(11-Taxes on Vehicles)

1. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be reduced by Rs. 100.

DEMAND NO. 10

(21-Administration of Justice)

1. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**

That the demand be redueed by Rs. 100.

DEMAND NO. 17

(29—Medical)

1. **Shri Rup Lal Mehta :**
That the demand be reduced by Rs. 10.

DEMAND NO. 19

(31-Agriculture).

1. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :**
That the demand be reduced by Rs. 100.

2. **Shri Sagar Ram Gupta :**
That the demand be reduced by Rs 100.

DEMAND NO. 24

(38-Labour and Employment)

1. **Shri Sagar Ram Gupta -**
That the demand be reduced by Rs. 100.

DEMAND NO. 25

(39-Miscellaneous Social and Developmental Organisations).

1. **Shri Rup Lal Mehta:**
That the demand be reduced by Re. 1.

DEMAND NO. 30

(50-Public Works)

1. **Shri Rup Lal Mehta :**
That the demand be reduced by Rs. 100

DEMAND NO. 35

(64—Famine Relief)

1. **Shri Sagar Ram Gupta :**
That the demand be reduced by Rs. 100.

DEMAND NO. 56

(Loans to Local Funds—Private Parties, etc. Loans to Government Servants).

1. **Shri Rup Lal Mehta :**
That the demand be reduced by Re. 1.

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Madam, Deputy Speaker, I rise to speak on the judicial administration of this State. I claim wide experience on this subject both from the Bench and the Bar. I would request the hon. Members on both the sides to consider this question dispassionately, impartially and without any considerations of political

[Sardar Gurnam Singh]

affiliations because no democracy can satisfactorily function unless there is confidence of the people in the judiciary. I would, therefore, speak only on the subject of separation of judiciary from the executive. I know the Government can argue their case. Any case can be argued for sometime but a bad case cannot be dragged on for a long time. I would persuade the Government to accept and settle the matter once for all.

Madam, we have Article 50 which falls under the Directive Principles of the Constitution. This Article reads as follows—

"The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State".

This Article is the result of mature deliberations and also in persuance of solemn promises given by the Congress Party to the people of India during the struggle for national freedom. This country got Independence 17 years ago but this promise remains unredeemed. It is a pity. The Punjab Government, determined to maintain their arbitrary administrative hold on the citizens, have deliberately kept the magistracy at all levels under their tight grip.

Article 235 of the Constitution vests conrol over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service in the High Court. But the control over the executive Magistrates, who deal with criminal cases at all preliminary and first stages, in regard to posting, promotion, grant of leave and their other service prospects entirely is left with the executive Government. If they remain on the right side of the executive Government they get their due and if they don't, they suffer. Our Government has contemptuously flouted this Directive principle for 17 years. They have paid no heed. There are other Directive Principles like prohibition and other matters. But at the present moment I will deal only with judiciary. Nobody can deny that thtese principles are fundamental to the constitutional governance of this country and the State.

Madam, I was saying that the Magistrates, unless they remain on the right side of the executive Government, suffer. This predicament and consequently unjudicial proclivities of the Magistrates came into full play during the constitutional demand for the linguistic State. Every body knows it. I do not want to go back to that history. I am only illustrating the point. Madam, the people of Punjab are bewildered on the attitude of the Punjab Government. Highest amongst thosewho are responsible for the administration of justice including the hon. Chief justice of India and the law Commission appointed by the Government of India, have again and again suggested and pointed out that judiciary in this country should be separated from the executive. I will refer presetly to the Law Commission which consisted of eminent iurists of India like the Attorney General, Shri Setalwad, the then Chief Justice of Bombay High Court, Mr. Chagla, who is now occupying a cabinet post in the Governmeut of India. To save the time of the House, I will read out to you the Report of the Law Commission and the case

which was put before them by the Punjab Government. In para 10 at page 253 of the Report of the Law Commission of India (vol.II) it is stated—

> "The Chief Secretary of the Punjab Government who purported to represent the views of his Government stated that, "In the context of the situation that obtains in the Punjab, taking into consideration the incidence of crime and the nature of crime, the communal atmosphere, the constant law and order problem, Government are naturally keen to have as effective a machinery under their disposal as possible for dealing with different types of situations and that Government's view is that if there is complete separation,.... probably the Government's hands would not be as strong in dealing with crimes or dealing with law and order problem as they would be without separation."

The Chief Secretary of the Punjab Government said that the Government felt that they should have some sort of control over the proceedings in a criminal case right up to the end. This is the position of the Government. But now they are giving us different reasons. In that paragraph it is further stated—

> He stated that the Government felt that they should have some sort of control over the proceedings in a criminal case right to its end. "This officer had to concede that the local magistrate's view point is not "cent per cent judicial" and that he has always an eye on the law and order problem in his ilaqa. It was further said that, "the executive magistrates always look up to the Government for promotion and advancement in service and that the judicial magistrates would not do that and therefore they would not bother about the law and order situation".

This is the case which the Punjab Government put officially before the Law Commission consisting of eminent lawyers and jurists of India.

Now I will draw the attention of the House to para 12 of this Report. It reads :—

> "We have given our most anxious consideration to the view put forward on behalf of the Punjab Government as it was said to arise from factors peculiar to the Punjab. It is noticeable, however, that in the erstwhile State of PEPSU which now forms part of the Punjab, separation has been in force for a considerable time and it has not been suggested that the continuance of separation in that area has given rise to any special problems or that the crime situation in that part of the Punjab has been worse than in other parts of that state".

I will later on quote the figures to show that crime in the districts where judiciary has been separated from the executive has rather decreased than increased. These are the figures given by the Government.

Now I come to para 13 at page 855 of the Report. It reads—

> "On the other hand, we have before us the views of Inspectors-General of Police of all the states excepting the State of Kerala (where the Inspector-General did not give evidence) in which separation has been in force-in some of them for a considerable number of years and their unanimous view was that the introduction of separation had not had any adverse effect on the law and order situation in their States. Indeed, some high executive officers welcomed the change as it had relieved the executive of the responsibility of some judicial work".

[Sardar Gurnam Singh]

This is the view of the Inspectors-General of Police.

Then, a Punjab representative, an M. P., who appeared before the Law Commission, gave his view point like this :

> "If,the Punjab Government still thinks that they cannot control law and order situation with separation, all that I can say is that the Government is not taking a correct view of the situation. If there is any difficutly it has to be crossed over. The main thing is that the executive do not want to part with their power. * * * Do they mean that they can control law and order situation better if they can secure the punishment for the crimes as they want ? If they want to maintain law and order at that cost, then better abolish the judiciary".

Thereafter, the Law Commission came to the conclusions which are contained in para 22 at page 858 of the "Law Commission of India". They are :

> "The system of separation of the judiciary from the executive having been accepted as one of the directive principles of State policy, one would have thought it unnecessary to discuss the advantages of separation, and the arguments against it. We have dealt with these matters because we found, as stated above, a lurking oppositon to the principale of the scheme in various States based on considerations which are not well-founded. We are of the view that this is a matter on which legislation by Parliament is necessary. Such legislation will have the advantage of bringing into operation throughout the country a uniform system of separation and force the pace of its introduction in States which have delayed and fallen behind. The Bombay Separation of Judicial and Executive Functions Act (XXIII of 1951) would, we think, serve as a model for such legislation. We may, however, indicate that our preference is for leaving the actual trials even in cases under sections 108 to 110 of the Criminal Procedure Code to the judicial magistrates as in Madras, the executive magistrates, duties being confined in this respect to such immediate action as may be necessary. In order, however, to obviate delays which are bound to arise in enacting such legislation by the Union Parliament we would recommend that the States which have not so far introduced the scheme of separation should forthwith introduce it by executive action as has been done in Madras."

This, I submit, can be done by the Government, by a Notification—a very easy matter.

In this connection, I would like to refer to some crime figures of the districts which have been separated from the executive. I take ertswhile Pepsu State districts with regard to cases which were reported during the years 1958 to 1962. I have figures of all the districts, but I will illustrate my point by quoting only the figures of Patiala District. In this district, the cases reported were;

1958:	1730
1959:	1403
1960:	1304
1961:	1281
1962:	1482

Similar is the position regarding the districts of Sangrur, Bhatinda, Mahendergarh and Kapurthala. These are the figures of Pepsu where the judiciary has been separated for quite a considerable time. I do not consider the eparation in erstwhile Punjab genuine. This is a fake separation, because promotions, grant of leave and other things depend entirely

on the Executive Government even in districts where judiciary has been separated from the executive. It is interesting to note that in districts where the judiciary has been separated from the executive, the incidence of crime is not rising. It is rather falling. But, on the other hand, in districts like Amritsar where the judiciary has not been separated, the crime is rising. It is a very peculiar situation. It seems to me that people are discouraged to bring false cases before the judicial magistrates, on the other hand, but people are encouraged to bring false casse before the magistrates, who are under the executive. It is surprising that in spite of the recommendations of the Law Commission, made many years ago, the Punjab Government have not been able to make up their mind in regard to the separation of judiciary from the executive, under the pretence that they have not been able to consult their district officers which they even promised to do a couple of years ago. It is a fact that they have not been able to do so, and so I can say that you cannot find more inefficient Government than this any where else.

I submit, Madam, that our Constitution, on the whole, is working very well in this country in spite of the continual erosions and mutilations by the party in power. I, therefore, do not see any valid reason for postponing this question any longer—certainly not under the pretence of consulting the Deputy Commissioners. The Congress party has been ruling this country and this State without any serious opposition for the last seventeen years. So, where is the danger to them, for not separating the judiciary from the executive. A straightforward and honest Government should have no cause to be afraid of impartial judiciary. On the other hand, an independent judiciary can prove a great source of strength to a truly Constitutional Government, by administering justice without fear or favour, justice between a man and man, and between State and man. It will also discourage the tendency for seeking judicial favours, and will further remove the impression, by no means unfounded, that the executive continuously attempts to deflect judicial decisions. The quicker this impression is removed the better. Further, that the executive and judicial functions should over-lap, is, indeed, incompatible with the theory on which our Constitution is based.

I will further submit that an independent judiciary is absolutely essential in any democratic country for the main tenance of rule of law. What is meant by this 'rule of law'. I had an occasion to say when presiding over the "Save Judiciary Conference" in November, 1963, what rule of law means and I still maintain that. For the benefit of the House I would read that out.—

> "What is meant by this expression 'rule of law' is the supremacy of law as distinguished from mere arbitrariness, which is not law, in determining or disposing of the rights of individuals.
>
> The 'rule of law' contemplates that no one can lawfully be restrained or punished or condemned in damages except for violations of established law, to the satisfaction of a judge or jury or magistrate in proceedings regularly instituted in the ordinary course of justice.
>
> The right of personal liberty, freedom of speech, the liberty of the press and the right of public meetings, arise from the application of this fundamental principle. Every one, whatever his status ought to be governed by the ordinary law of the land, as he is personally liable for anything done by

[Sardar Gurnam Singh]

him contrary to that law and thus he is subject to the jurisdiction of the ordinary Courts of justice, civil and criminal. It will indeed be ruinous for all of us if this essential characteristic of our Constitution is curtailed or destroyed. In its absence there is neither true democracy nor any human dignity.

As at present, however there appears to be a tendency to exclude jurisdistion of Courts of of law and vest public officials with powers to decide question of judicial nature............"

Look at this tendency. Even the Minsters have vested thesmelves with executive powers to decide questions of judicial nature.

"..................This power is exercisable either by the Minister or other head of Government department itself, and it is frequently provided that his or its decision shall be final or conclusive. Such matters which are kept outside the control of conrts of law, lead to an exercise of arbitrary powers as the statute vests the executive and its servants with uncontrolled and unfettered discretion.

In the circumstances in which such a public servant is placed it is difficult to expect from him performance of judicial duties with any measure of impartiality. He cannot help bringing, what may be called, official or departmental mind which is different from judicial mind. Unfortunately, the position he finds himself in makes it probable that he should be suliject to political influence. It, therefore, follows that all disputes should be heard by ordinary Courts of justice and that for the enforcement of rule of law in all its ramifications, it is absolutely essential to separate Judiciary from the Executive. The liberties of our people are inextricably bound up with complete independence of judges. Existence of this independence is more vital today when the Courts of law are confronted with many obstacles while guarding and maintaining rights of individuals.

The concept of the rule of law, broadbased on justice for all and discrimination against none, is the highest water mark that the moral value of justice has reached in the conscience of mankind. The Roman law, the common law traditions of western jurisprudence and the basic maxims of Hindu Smritis have given this concept a precision of form and content that makes it today the common heritage of the civilised man.

Scrupulous efforts have been made by the framers of our Constitution to safeguard the 'rule of law', the greatest............"

This is note worthy—

"...................., the greatest and the most precious gift that we have received from the Britsh connection. Further to show our deep devotion for this highly spiritual concept and our earnest anxiety for its free prevalance, we elected to become hosts to the International Jurists Congress during the winter of 1958-59 at Delhi. Eminent jurists and judges and eminent lawyers of as many as 53 nations of the world came all the way to India to participate in these highly significant deliberations. And our own delegation that joined the deliberations consisted of men, who in rank and calibre were inferior to none.

As was only fitting, the principal subject that evoked the attention and aroused the passionate concern of all in these congressional deliberations, was an enquiry into the form and content of the concept of the 'rule of law'. As it should have been, there was no basic disagreement amongst the top ranking jurists of the world with regard to this. The Indian delegation also enthusiastically and solemnly subscribed to the general consensus of opinion and thus we made a solemn and moral commitment to the people of the world, that in our country, the 'rule of law', thus delineated, shall prevail.

In this background, it is tragic and also perfidious that the ruling party in the country in general, and in the Punjab in particular, is procrastinating in fulfiling the high promises of our Constitution, and our solemn world commitments, the most significant of which is the directive to separate the Judiciary from the Executive".

This is the situation which obtains in the country at this moment, What do we think of ourselves ? Are we really leading the country ? Are we leading other States ? I have here a list of the States where the Judiciary has been separated from the Executive and all the other States in the country have practically separated this Judiciary from the Executive. And I have, Madam, seen the report of the Law Commission where it is said that the Inspectors General of Police were duly satisfied with this reform. I deliberately mentioned Police because Police is intimately connected with the administration of justice. They are the people who investigate, arrest and send people to the Court of law for the determination of their rights or otherwise.

Madam, in this State, the Judiciary, and what I mean from the Judiciary is the Magistracy, which is under the Executive Government has considerably deteriorated. The purity of justice has been completely destroyed with bewildering success by this Government. If any congratulation is required, I am prepared to extend it to my hon. Friends sitting on the opposite Benches for this great success in this State. Citizens have lost complete faith in the decisions of Courts of law. They have lost the respect for law in this State. Large number of citizens in this State successfully went to the Supreme Court and got their cases transferred to outside this State. This is the only State, throughout India, which has the distinction before the Supreme Court of having their cases transferred to other States. This shows how much faith the citizens of this State have in the Courts of justice under this Executive Government. And, Madam, mind you, all cases which have been sent by the Supreme Court to other States have resulted adversely to the Punjab State. Does it not show that their fears were genuine and they did not expect any justice from the Courts of this State ? When this state of affairs came to the notice of the Punjab

11.00 a.m.

Government they changed their *modus operandi*. What is that ? Mr. Tur's case went to a court outside and it was withdrawn. Comrade Tarsikka's case went to a court outside and it was also withdrawn. Why ? To create peace and goodwill in the State. I have yet to see where a man accused of murder/or attempt to murder is released by the State Government.

Deputy Speaker : I did not want to interrupt the Leader of the Opposition.

Sardar Gurnam Singh: As soon as you lose interest, I will stop.

Deputy Speaker : I interrupted you only to inform the House about the change in time of the meeting of the Business Advisory Committee.

Sardar Gurnam Singh: I was saying that I have yet to see where a man accused of murder/attempt to murder has been released. I would, therefore, like the hon. Home Minister to cite a single instance where in any other case within this State has been withdrawn a case against a man accused of murder/attempt to murder to create goodwill and peace. It is a very curious way of looking at crimes. Crimes will flourish if the Government starts releasing people like that. But that is not the question. That is not the motive. The motive is that the Punjab Government was frightened to get adverse decision from the courts outside. I charge the Government with that motive. Let them explain what other motive could be there in releasing the people. I am not going into the history which has been often repeated inside and outside the House. I am not going to take up individual cases. But I say that the people of Punjab know them. The hon. Home Minister who is incharge of Law and Order knows adverse decisions were given by the U.P. Courts and after that whenever any case was transferred to U. P. it was withdrawn to create goodwill and peace in the State. I do no call it a policy. I call it *modus operandi*. I personally know a number of cases where the executive have interfered with the course of justice; where they have attempted and successfully attempted sometime to deflect the decision of the court. I do not wish to name those cases. I mentioned one case to the hon. Home Minister. I am prepared to talk to him in his Chamber about the other cases. I do not mention them here because my object is not to irritate the Government. I want to show them the right path and persuade them to see the light and follow that path. You have earned enough gratitude of the people of Punjab by doing injustice to them. Please change your course now. It is in your own interest. No Government which acts honestly, conscientiously and is really democratic, need be frightened of independent judiciary. I know they will have to change their habit. The people have to change their habits even in the matter of eating which is also a necessity. Therefore, I would request the Government and specially the Home Minister because law and order is under him and he is a lawyer by profession and understands the problem much better, to change their course. I have full faith that he will do it now and will not wait for the Deputy Commissioners' Conference. What are they going to tell you ? Are they going to divest themselves of executive powers which they play hell with the people ? Are they going to agree to your proposal ? I can take you incognito and show you how the Deputy Commissioners abuse their power ? You want to consult the Deputy Commissioners; on that matter after 17 years whether this is the proper time for the directive principle of the Constitution to be enforced. I have no words to thank you for this great consideration shown to the citizens of Punjab. They should be indebted to Punjab Government which is protecting them by keeping the magistrates under their thumb. What else can I say about this ? I therefore, say to the hon. Home Minister that coming events cast their shadows. Do not wait for those events. Do not let them cast their shadows. Hasten through the things without paying any further consideration to this matter.

Chaudhri Darshan Singh: They think that the shadows are favourable to them.

Sardar Gurnam Singh: I am not concerned with favourable or unfavourable shadows. I am concerned with the right attitude of the

Punjab Government. Madam, if you remember, in this House some supplementary questions were put to the hon. Home Minister about the separated judiciary and if I remember rightly and the Home Minister will bear me out that he stated that the separated judiciary was functioning satisfactorily. If this is the opinion of the Government which must be true because it came from the hon. Home Minister, I see no danger to withhold the separation of judiciary from the executive throughout the State, because the separated judiciary according to him is functioning to the satisfaction of the Punjab Government. I know various reasons have been given by the Punjab Government. I have submitted before you the reasons given by them before the Law Commission. Then later conflicting reasons were given in this House. First reason came from the Chief Minister. He said "Sardar Gurnam Singh has come on a communal ticket to this House and I, therefore, do not separate the judiciary from the Executive"—a very curious reason. I do not wish to say anything about it now. I told him there and then that if this was the only hitch in his way, I was prepared to step down. What is this argument ? Then the agrument came from him that the tenants of Pepsu were ousted by the judicial magistrates. Do they not want justice to be administered between tenant and landlord; between man and man and between man and State ? Judicial courts have to do justice between man and man and the man and State which is not possible when the Magistracy is under the thumb of the executive Government. I was thinking of suggesting to the Government to appoint a High Powered Commission to find out—

(i) what way magistracy and other tribunals under the executive have been functioning in giving decisions of judicial nature; and

(ii) to what extent their decisions have been deflected at the instance of the Executive ?

Let these questions be examined by a High Powered Commission and I think their report would be revealing. Then I thought otherwise. The Report of the Law Commission is there. The Constitution is there. The Directive Principles are there. But this Government is immune from all these directives. They would not do anything which is good. They would not 'lead' in any thing which is just. But they would lead in many things. It is a vast subject and I am not prepared to go into details. They are leading in wasting the resources of the State.

In wasting money of this State, I say, they are leading. Madam, I will take only five minutes more and then finish.

I now want to deal briefly with the Police Administration. We are spending a lot of money for the Police and that too rightly because they are the force which is responsible for the maintenance of law and order in the State. I should say that we are lucky to have a very competent and efficient Head of Police Force in the State. He was in Pepsu also when there was a dacoit menace. He was given a hand to deal with that menace, and I can say on the floor of this House that he successfully

[Sardar Gurnam Singh]

dealt with it. We may not agree with some methods adopted by his subordinates, but that is entirely a different matter. If we have the same police officer here as the Head of the Department, who, I feel, is one of the ablest police officer in India, why cannot we improve things in this State ? Why corruption is increasing, why inefficiency is increasing and why crime has a tendency to rise, when we have a very competent officer in the State? This is a question which I would expect the hon. Home Minister to answer. But, what I can find, at this stage, is that he is a helpless man, a helpless spectator looking at things as they go. Here, I would narrate an incident. While returning from a tour of the rural area, a man in plain clothes came to me and asked for a lift, in my car, which I gave. I asked him who he was ? He hesitated to tell, but, ultimately, he said that he was a police man. I further asked him as to how his police station was going on. He said. "Sardar Sahib, do not ask me this question". He, however, later said that the report of cases etc., was recorded afterwards, whereas the recommendations of the Ministers come first. I am just quoting him. I cannot vouchsafe for the veracity. I do not know whether it is right or wrong. There is, however, no doubt, that there is interference from above in the cases. I would, therefore, suggest to the hon. Chief Minister and the hon. Home Minister for their consideration to pick up some police station, as an experimental measure, where efficient and honest staff should be posted. They should be told to record true cases and not to send those cases for prosecution where innocent persons have been found to have been implicated, during the course of the investigation. I know on the basis of my experience, both as a judge and a lawyer, that if there are four true accused in a case, two innocent persons are involved, with the result that such cases fail in courts. I would, therefore, suggest to the Home Minister to issue instructions that cases, where innocent persons have been implicated, should not be challaned. The result of this would be that true cases would come before the police.

I say, madam, let us adopt such methods. After all, it is our own country; it is our own State. We are independent people. Let us not deceive ourselves. Let us not deceive our own people, otherwise we may not be able to save democracy. If democracy is lost, we do not know what will happen afterwards.

With these observations, Madam, I thank you very much for showing me the indulgence.

श्री चांद राम:–(ऐस. सी. सालावास) डिपटी स्पीकर साहिबा, अभी अभी मेरे मुहतरिम भाई सरदार गुरनाम सिंह जी ने इस हाउस में जूडीशरी और एग्ज़ैक्टिव की सैंपरेशन के बारे काफी कुछ कहा। यह ठीक है कि हमारे संविधान में पालिसी के तौर पर कहा गया है कि जूडीशरी को एग्जेकिटव से अलग किया जाये। इस में कोई शक नही, मैं यह बात मानता हूं। मगर हमारे संविधान में जहां यह बातें कही गई हैं वहां और भी बाते कही गई हैं जिन की इस से भी ज्यादा अहमीयत है। हाल ही में श्री गजेंद्र गडकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रैस में एक ब्यान शाया हुआ है (At this stage Shrimati Dr. Parkash Kaur occupied the Chair.) । मैं अपने मुहतरिम बज़ुर्ग

का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, पता नहीं किस नजरिये से उन्हों ने इस मामले में एक ही पक्ष को लिया है, यह ठीक है कि देखने के शीशे अलग अलग होते हैं किसी का कैसा होता है और किसी का कैसा, आप न जाने किस शीशा से देखते हैं कि किसी की तारीफ करते नहीं थकते और किसी की बुराई करते नहीं थकते । मैं आपका ध्यान, डिपटी स्पीकर साहिबा, इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा इस की इंटरप्रेटेशन यह किसी और तरीका से निकाल सकते हैं, मगर दर असल इस की इंटरप्रेटेशन जो निकाली जा सकती है वह यही हो सकती है । आज चंद लार्डज़ या अपर कलास के कुछ प्रसैंटेज के लोगों को छोड़ कर बाकी लोगों की जरूरियाते जिंदगी पूरी नहीं होती तो इन का डैमोक्रेसी पर विशवास नहीं रहेगा । एक तरफ तो तमाम जनता को रोटी कपड़ा देने का सवाल है और दूसरी तरफ कुछ अपर कलास के लोगों की लार्डशिप बरकरार रखने का सवाल है। एक तरफ लोगों की तकलीफें दूर करने की फिक्र में काम करने का सवाल है और दूसरी तरफ उन मुकद्मों में इनसाफ देने की बात है जो मुकद्मे अकसर जायदाद या इसके बटवारे के होते हैं । अब आप खुद ही देख लें कि लोगों की भूख, गरीबी, तंगदस्ती और लाचारी के मुकाबले में यह मुकद्में क्या चीज़ हैं । यह जो ज्यूडीशरी और एग्ज़ेकिटव की सैपेरेशन का नारा लगाया जाता है यह तो चंद अपर कलास के लोगों का मासिज़ को इगनोर करने का इक खिलौना है । आप तो एक रिटायर्ड जज हैं, अगर मैं उनको पंजाब की एक एक कोर्ट में ले जाऊं, आप देखें कि काम हो कैसे रहा है । जजिज़, शेश्न जजिज़ में किसी के मुताल्लिक यहां परसनल नहीं होना चाहता, मैं पूछता हूं कि आया जो कनसैशन्ज़ की बात है, आया वह सब को बराबर का मिलता है या नहीं, आप तो इलैक्टिड रीप्रिज़ैंटेटिव के दरमियान में भी काम करते हैं इस सारी बात को बखूबी समझते होंगे । यहां पर क्रिमिनल कोरट्स के बारे में कहा गया कि वह भी ज्यूडीशरी का एक पार्ट है । लेकिन मैं सिविल जजों के बारे में कहना चाहता हूं । आज भी सैकड़ों नहीं, हज़ारों मुकदमें 30,30 सालों से हाईकोर्ट में पैंडिंग हैं लेकिन उनके फैसले नहीं हो रहे । मेरा कहना तो यह है कि अगर यही हाल जस्टिस का रहे तो लोगों को फायदा नहीं हो सकता है । कहा भी है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाईड ।

इंडिया में हमारे यहां हाइकोर्ट्स में ब्रिटिश सिस्टम फालो किया जाता है और हमारे देश की कोर्टस, कोर्टस आफ जस्टिस नहीं बल्कि कोर्टस आफ ला हैं । लेजिस्लेचर जिस ला को बनाती है उसी को यह हाईकोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं । हमारे एक मुहतरिम दोस्त ने कहा कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स ने टेनेंट्स को बेदखल कर दिया । मैं नहीं समझता कि जहां गरीब किसानों को, हरिजनों को डिप्रैस्ड क्लासिज़ को हैवनाट्स को खत्म किया जाता हो वहां यह डेमोक्रेसी कैसे चल सकती है । मैं बतला देना चाहता हूं कि अगर डैमोक्रेसी नहीं रही तो यह जुडीशरीज़ और यह ऐग्जैक्टिवज़ कैसे चल सकते हैं । हमारे यह तो फिर भी इस गवर्नमैंट ने एक स्टैंडर्ड मेनटेन किया है और यहां डैमोक्रेसी सकसेसफुली चल रही है लेकिन दूसरे मुल्कों में जो अभी अभी अज़ाद हुए हैं अगर उनकी हालत देखी

[श्री चांद राम]

जाए तो पता चलेगा कि उनके यहां क्या क्या टैंडेंसीज़ चल रही हैं। धाना जो अभी अभी आज़ाद हुआ है वहां पर प्रेज़ीडैंट ने चीफ जस्टिस को डिसमिस कर दिया। यह आज वर्लड का ट्रेंड चल रहा है। तो यह जो यहां कहा जा रहा है कि हमारी जुडीशरी ऐक्ज़ैक्टिव की गुलाम है यह उस ओर इशारा है। अगर हम आपकी इस बात को तोलें तो यही मालूम होता है कि डैमोक्रेसी को खत्म करने का जो ट्रेंड है, उसकी बातें की जाती हैं। मैं किसी के ज़ाती पक्ष को ले कर कोई बात नहीं कहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुल्क की जुडीशरी और हाईकोर्ट्स क्या कानशैंस से काम करते हैं? अगर एक कमीशन बिठाया जाए तो उसका वरडिक्ट यही होगा कि यह अबव अप्रोच नहीं हैं। और वह अनकरप्टीबल नहीं है। जहां पर इंसाफ देने वालों के बारे में लोगों की यह राय हो वहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि जुडीशरी को ऐग्जैक्टिव से स्पीडीली सैपेरेट कर दें। और जो अपनी डैस्टनी के आप मालिक हैं वह कैसे कह सकते हैं कि इनको इंडैपैंडैंट कर दिया जाए। ताकि जुडीशरी पर कोई टीकाटिप्पणी न कर सके इस लिए मैं उनसे जो इस क्लास के रहे हैं और जज साहब, लीडर आफ दी आपोज़ीशन जो इस क्लैन के रहे हैं जो यह कहते हैं कि जुडीशरी को इंडैपैंडैंट कर दो, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह इनसे यह पूछेंगे कि जसटिस तेज़ी से दो और ऐसी जसटिस दो कि जिस पर हरफ न आए? चेयरमैन साहबा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जुडीशरी को इंडीपैंडैंट करने के बारे में जनता की राय पूछी जाए न कि चन्द ऐसे आदमी जो मजिस्ट्रेसी में रहे हैं उनका कहना माना जाए। (विघ्न) चेयरमैन साहबा, यहां यह कहा गया कि पंजाब से कुछ मुकदमे बाहर गए। लेकिन मैं पूछता हूं कि उनके ले जाने वाले कौन थे? वही जो यहां एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और जिन्होंने कानशैंस से काम नहीं किया। और जब गवर्नमैंट ने उनसे पूछा कि तुमने खराबी की है तो वह मुकदमें कोर्ट में ले गए। यहां पर इन मुकदमों की चर्चा करके कुछ पालिटिकली इंट्रैस्टिड लोग, और कुछ एम० एल० एज़० साहबान यह दिखाना चाहते हैं कि यहां तो उन लोगों को फैसला नहीं मिल सका लेकिन दूसरी स्टेट में जब कुछ मुकदमे गए तो उनको फैसला मिला। लेकिन यह बात कहकर वे इस सरकार के साथ न्याय नहीं करते। उन्हें चाहिए था कि सरकार के अच्छे काम को अच्छा कहते और जिन अफसरों ने सरकारी मशीनरी का पुर्ज़ा रह कर भी कानशैंस से काम नहीं किया उनको खराब कहते लेकिन उल्टा उन्होंने आरोप लगाया है। यह न्याय नहीं है। और अगर वह सच कहते तो उन्हें पता चलता कि पंजाब का ऐडमिनिस्ट्रेशन हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में निहायत अच्छा और शानदार है (प्रशंसा)। यह ठीक है कि कुछ अफसरों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और सोशलिस्ट निज़ाम के मुताबिक ढलने की ज़रूरत है लेकिन अधिकतर हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। मैं खुद उन आदमियों में से हूं जो यह चाहते हैं कि स्टेट का ऐडमिनिस्ट्रेशन और जितना अच्छा हो सके, किया जाए।

मुझे अपने कालेज के दिनों की बात याद आती है। जब हम किसी सोसाइटी में या क्लब में बोलते थे तो मैं कहता था कि यहां पर तो हम आदर्शवाद की बात

करते हैं लेकिन जब हमीं लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी में पहुंच जाते हैं तो वहां पर आदर्श याद नहीं रहता। इसलिए यह ज़रूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में रह कर भी आदर्शवादी बनना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि यहां पर कानून बनते हैं और हमारी सरकार सोशलिज़्म लाने के लिए बहुत ज़रूरी अहकाम जारी करती है लेकिन अफसोस होता है जब सिक्योरिटी आफ लैंड टेन्योर ऐक्ट में यह बात खोजी जाती है कि इसमें कहां कहां लूपहोल्ज़ हैं जिससे टैनेंट्स इजैक्ट हो सकें। और जो ला बनता है वह लूपहोल्ज़ के बिना तो होता नहीं। लूपहोल्ज़ सारे प्लग नहीं होते। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारे यहां के क़ोर्ट्स, कोर्ट्स आफ ला हैं कोर्ट्स आफ जस्टिस नहीं। वह दिन कब आएगा जब यह हमारे साबका जस्टिस गुरनाम सिंह यह कहेंगे कि वह कोर्ट्स आफ जस्टिस भी बनेंगी। जब वह कोर्ट्स आफ जस्टिस बन जाएंगी तब ज्यूडीशरी को एग्ज़ैक्टिव से अलहदा करने का फायदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो लोग आज जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह अपना यह ऐटीच्यूड न बनाएं कि लॉ में फ्ला कहां है, आजकल तो लॉ की इन्टरप्रेटेशन की जाती है इन्साफ जो नैचुरल जस्टिस होता है उस की तरफ कौन जाता है। चेयरमैन साहिबा, हम तो यह चाहते हैं कि इस मुल्क में जुरायम कम हों, मुकदमें बाज़ी कम हो, हम चाहते हैं कि वकीलों को अहमियत कम हो जाए और वह पेश न हो। हम डीसेंट्रेलाइज़ेशन चाहते हैं। इसे लिए हम ने पंचायती राज कायम किया है ताकि इन्साफ लोगों के दरवाज़े पर पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि वकील जो बारीकियां निकालते हैं उन को मौका ही न मिले ऐसा करने का और यह अदालतें ही न रहें। हम चाहते हैं कि बगैर ला की इन्टरप्रेटेशन के हमारी पंचायतें लोगों को नैचुरल जस्टिस दें। जब कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, हर आदमी का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होगा, जब लोग परेशान नहीं होंगे, जब लोग एग्रीवड नहीं होंगे तो फिर वह कोर्ट्स में जाएंग क्यों? कोर्ट्स में तब तक लोग जाते रहेंगे जब तक कुछ आदमी प्राप्टीं रखते हैं और कुछ आदमी गरीब हैं। ऐसी हालत में उन की एक दूसरे के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। लेकिन, चेयरमैन साहिबा, हमारी सरकार आज सोशलिज्म की तरफ जा रही है, यह चाहती है कि सब को बराबर के मौके मिलें, जायदाद की तकसीम हो। तो ऐसी हालत में जो हम ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं, उस में जब एक्सप्लौयटेशन नहीं होगी तो फिर कोर्ट्स की अहमियत क्या होगी। मैं समझता हूं कि हमें यहां पर हालात इस किस्म के पैदा करने चाहिएं कि हमारे सूबे में कोर्ट्स आफ ला न फैसला करें बल्कि लोगों की जमीर फैसला करे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। चेयरमैन साहिबा, जो क्रिमीनल केसिज को डील करते हैं उन में अगर किसी जगह बईमानी होती है, या बेकायदगी होती है तो सरकार का डंडा उन पर है जिस का उन को कुछ खयाल रहता है और वह कोशिश करती है कि वे ठीक तरह से काम करें।

बाबू बचन सिंह : हां डंडे की बात के साथ हम आप से सहमत हैं।

श्री चांद राम : डंडा मैं इस लिए कह रहा हूं कि वह ठीक से काम करें। यह ठीक है कि विधान में लिखा हुआ है कि ज्यूडीशरी को सैपेरेट किया जाए

[श्री चांद राम]

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस से भी ज्यादा ज़रूरी बातें जो विधान में हैं जिन का आदमी के रोज़ाना जीवन से ताल्लुक है क्या वह सब हम ने पूरी कर ली हैं। संविधान में यह लिखा है कि स्टेट्स में जो मीनज़ आफ प्रोडक्शन हैं उन को ऐसे ढंग से तकसीम किया जाए कि सब को बराबर बराबर मिलें। क्या यह हम पूरा कर पाए हैं? इसी तरह संविधान में है कि सब को एजुकेशन में और दूसरे जीवन स्तर को ऊचां करने वाले कामों में बराबर के मौके मिलें। क्या वह पूरा कर दिया है। इन बातों की तरफ इन का ध्यान नहीं जाता। इनको तो ज्यूडीशरी को सैपेरेट करने की ही चिंता लगी हुई है। यह समझते हैं कि ज्यूडीशरी को अलग करने से छू मंत्र से जायदाद भी तकसीम हो जाएगी, और सब सिलसिला ठीक हो जाएगा। चेयरमैन साहिबा, दरअसल इन को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यह जो अपर क्लास के लोग हैं यह लॉ का सहारा ले कर गरीबों को दबा कर रखना चाहते हैं। हमारी सरकार जो है इसे गरीबों के साथ हमदर्दी है और हम संविधान के मुताबिक गरीबों को ऊंचा उठाने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपोज़ीशन के भाइयों को कहना चाहता हूं कि जब हमारा नैशनल कैरैक्टर ऊंचा हो जाएगा, जब हमारी ज़मीर ऊंची हो जाएगी तब ज्यूडीशरी को एग्ज़ेक्टिव से अलग करने की स्टेज आएगी चेयरमैन साहिबा, अब मैं कुछ पुलिस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त ने ज़िक्र किया था कि कलानौर में पुलिस की कस्टोडी में एक हरिजन मारा गया। मैं हैरान हूं कि अगर कोई इंडीविजुअल मारा जाता है तो उस का नाम लेने से हरिजनों की कैसे खराबी होती है। इन लोगों ने तो हरिजनों को गाजर मूली समझ रखा है। यह समझते हैं कि हम हरिजन जो मारा गया है उस का यहां चर्चा कर के पंजाब के सारे हरिजनों के जज़बात को उभार कर अपना पुलिटीकल मतलब निकालेंगे। वरना इन को हरिजनों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, यह उन की गरीबी के साथ पुलिटीकल मज़ाक करते हैं। चेयरमैन साहिबा, पंजाब के हरिजन काफी सियाने हो चुके हैं। वह इन की चालों में नहीं आ सकते। वह हमेशा सरकार के साथ रहते हैं और यह सरकार हरिजनों की हमदर्द ही नहीं बल्कि दिल से उन को सहूलतें देना चाहती है और जमीनें देना चाहती है। पिछली दफा जब हरिजनों को मकान बना कर देने के लिए यहां पर टैम्परेरी टैक्स का बिल लाया गया तो इन लोगों ने उसे पास करने में रिज़ेंटमेंट ज़ाहिर की और वाक-आउट करके चले गए और बाहिर जल्सों में उस के खिलाफ बोले। भला क्या पहाड़ टूट पड़ा था अगर साल भर के लिए हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए थोड़ा सा टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन इन को मालूम होना चाहिए कि वह मुल्क भी हैं जो गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सरमाएदारों को गोली से उड़ाते हैं कहाँ वह मुल्क और कहां हम जो कानून के ज़रिए, रूल्ज़ के ज़रिए, peacefully and by persuasion यहां समाजवाद ला रहे हैं। इस पार्टी ने anti-touchability Act पास किया लेकिन क्या हम इन पार्टियों पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हरिजनों की भलाई कर सकती हैं जो मनुस्मृति में चार वर्ण

बनाए हैं उनको कहते हैं ठीक हैं और उनको कायम रखना चाहते हैं मैं ज्यादा न कहता हुआ यही अर्ज करूंगा कि यह जो हमारा पंजाब है इसमें आहिस्ता आहिस्ता यह सब कुछ हो जाएगा और separation of judiciary भी वक्त आने पर हो जाएगी । मैं यह नहीं कहता कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन परफैक्ट है इस में काफी गुंजायश है टोन अप करने की । हाउस चाहे जितनी मर्जी लैजिसलेशन पास करे और ग्रांट्स मन्जूर करे लेकिन इस सारी चीज की इम्पलीमेंटेशन तो सरकारी मशीनरी पुलिस ने और दूसरी ऐग्जैक्टिव मशीनरी ने करनी है । उनके ऐटीचयूड पर सारी चीज मुनहसर है । जुडीशरी की सैपेरेशन होगी और होनी चाहिए, इसे मैं मानता हूं लेकिन कब होगी? इसकी ऐसी स्टेज जब आएगी कि जब ऐसा करने की कलाईमेट पैदा होगी और लोग समझ लेंगे कि उनको अब जुडीशरी पर आस्था है, भरोसा है और अब वहां लाज़ की इंटरप्रेटेशन ही नहीं, social and economic justice मिलता है और लैजिस्लेचर की जैसी इन्टैंनशन है समाजवाद लाने के लिए है उसके मुताबिक इन्टरप्रेटेशन होती है । जब ऐसी स्टेज आ जाएगी यह सैपेरेशन हो ही जाएगी लेकिन पहले हम सबको अपना ऐटीच्यूड बदलना पड़ेगा ताकि यह सारी चीज़ें की जा सकें । इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी जगह लेता हूं ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : चेयरमैन साहिबा, मेरा बोलने का तो विचार नहीं था लेकिन मेरे भाई चांद रास ने जो ऐम. ए. एल. ऐल. बी. है और अगर मैं गलती नहीं करता तो उन्हों ने ऐडवोकेट का लाइसैंस भी लिया हुआ है हमारी लाइयरज़ की गैरत को उभारा है, वुकला को कहा है कि वह हेरा फेरी करते हैं ।

चेयरमैन : जिस सैंस में उन्हों ने ऐसा कहा है उसी सैंस में आप उसे लें । (The hon. Member should take it in the sense in which it has been said.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं आपकी विसातत से बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि only the wearer knows where the shoe pinches.

चेयरमन : वह खुद भी वकील हैं । अगर शु पिंच करेगा तो वह भी महसूस करेंगे ही ।(हंसी) (He is himself a lawyer. If the shoe pinches he will also feel that.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : भाई चाँद राम मेरे गाँव के हैं मेरे दोस्त हैं, साथी हैं और वकील हैं लेकिन आज तक जहाँ तक मैं जानता हूं उन्हों ने कभी अदालत में पेश हो कर किसी केस की पैरवी नहीं की है ।

श्री चांद राम : मैं सरविस तो करता हूं ।

आवाज़ें : सरदार प्रताप सिंह की ? (शोर)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मेरे दोस्त ऐक्स जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने इस डीबेट को ओपन करते हुए separation of judiciary from the executive के लिए कहा और उसके लिए बड़ी मुदल्लल दलायल दीं। इन्हों ने सरकार के पक्ष को डीफेंड करने की कोशिश की और इस चीज़ का विरोध किया। मैं नहीं समझ पाया कि वह किस किस्म की आरगूमैंट्स कहाँ से ले आए। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए हमारे विधान में डायरैक्टिव है। और वह विधान वह है जो हम अपोजीशन वालों ने नहीं बनाया, इसी सरकार ने बनाया है, नेहरू सरकार ने बनाया है और इसी कांग्रेस सरकार ने बनाया है जिस में यह ले डाउन किया है कि :

that judiciary should be saparated from the executive.

मैं तो कंस्टीच्यूएंट असैम्बली का मैम्बर नहीं था लेकिन यह भाई जो सामने बैठे हैं इनके नुमांयदे वहां थे। खैर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं मैं इस चीज को यहीं छोड़ता हूं। कि इस सैपरेशन आफ जुडीशीरी के लिए 1886 में पहली बार कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बात को किए आज 78 साल हो गए हैं। यह combination of judiciary and executive जो है यह हमें मुगल ज़माने की याद दिलाता है। मुगल जमाने के बाद ईस्ट इन्डिया कम्पनी आई उस वक्त भी यह बात चलती रही और 1947 तक अंग्रेज़ सरकार ने यह कम्बीनेशन चलाया। उस के बाद यह कांग्रेस सरकार जिस की पार्टी ने 1886 में यह प्रस्ताव पास किया था कि judiciary should be separated from the executive। आज तक इसी कम्बीनेशन को कायम रखे हुए है।

आवाजें : यह कांग्रेसी 1886 के थोड़े हैं 1947 के बाद के है (हंसी)।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : 1893 में जब कांग्रेस का अजलास लाहौर में हुआ तो वहाँ पर भी कहा गया :

> 'The Congress passed its first resolution condemning that system of combination of judicial and executive functions in 1886. The resolution was reaffirmed at the subsequent sessions and eventually came to be repeated year after year as an omnibus resolution. The ninth Congress session held at Lahore in 1893 described the evil as one of the greatest stigmas on the British rule in India and fraught with incalculable harm to all classes of the community throughout the country.'
>
> The Congress agitation was successful in bringing the question from more academic plane to the range of practical politics, and creating influential opinion, both official and non-official, in support of the proposed reform. The Viceroy, Lord Dufferin, described the proposed reform as a 'counsel of perfection to which the Government were ready to subscribe.'

यह कांग्रेस का प्रस्ताव है। इस के बाद मैं अर्ज़ करना चाहता हूं और कोट करता हूं :

> "Two of the former Secretaries of State, Lord Kimberley and Lord Cross, admitted that the combination of functions was 'contrary to the right principle', and separation was necessary in the interest of good administration.'

इस के अलावा चेयरमैन साहिबा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1903 में कांग्रेस के अजलास में अपने प्रेजीडैंशल एड्रैस में श्री लाल मोहन घोश ने कहा :

'Nothing is more calculated to create discontent and disaffection than the belief that justice is not evenly and impartially administered. It is equally unquestionable that it cannot be impartially administered if the functions of prosecutor and judge are combined in the same person. The present combination of these two incompatible functions has been condemned by almost everyone whose opinion is worth anything.'

As early as 1893 Sir Richard Garth declared that the anomalous position of the district magistrate was 'liable to tempt him to use his influence and power for good many improper purposes'.

चेयरमैन साहिबा, मैं ने इंस्टांसिज़ कोट की हैं । 1886 में प्रेज़ीडैंट के अड्रेस में कांग्रेस ने सब से पहले डिमांड की थी । इस के बावजूद कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पब्लिक के नुमाइंदों ने इस आगस्ट हाउस में जुडीशरी और एग्जैक्टिव को सैपेरेट करने के लिए अपना डिफैंस पेश किया । This defedce of theirs is not proper.

चेयरमैन साहिबा, एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि पंजाब में 10 ज़िलों के अन्दर जुडीशरी सैपेरेट है मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 7 स्टेटों में जुडीशरी एग्ज़ैक्टिव से सैपेरेट है । मुझे पता नहीं लगता कि यहां पर जुडीशरी को एग्ज़ैक्टिव से सैपरेट क्यों नहीं किया जा रहा है । पंजाब में आजकल एडमिनिस्टरेशन कैसी है इस के बारे में हर एक को पता है । यहां की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है ।

चेयरमैन साहिबा, आज पंजाब में क्या हो रहा है । मैं इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब से 16 केसिज़ दूसरी स्टेटों में तबदील किए गए । यह केस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस्फर किए हैं । उन केसिज़ का क्या हशर हुआ, यह बात इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है । इस में ज्यादा डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता हूं । चेयरमैन साहिबा, हमारे ज़िले में श्री हंस राज डिस्ट्रक्ट एन्ड सैशन जज थे । वह बहुत अच्छे आदमी थे । वहां पर श्री नत्था सिंह एस० एच० ओ० हुआ करते थे जो कि मर्डर्ज़ केसिज़ में पेश होते थे । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि श्री हंस राज बहुत अच्छे जज थे ।

Almost every case investigated by Shri Natha Singh led to acquittal in his Court.

चेयरमैन साहिबा, वह आलिम थे और वह अच्छा इन्साफ करते थे लेकिन यहां पर आजकल क्या हो रहा है । अब कोई आदमी सूप्रीम कोर्ट मे जाए । वहां पर एक लाइन लिखने की जरूरत है कि लार्डशिप पंजाब का मुख्य मन्त्री मेरे खिलाफ है । लार्डशिप उसी वक्त इजाज़त दे देता है कि केस ट्रांस्फर कर दिया जाए । चेयरमैन साहिबा, इन हालात के होते हुए मेरे काबिल दोस्त इस किस्म के आर्गूमैंट्स इस सदन में पेश करे कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रही है और इस बिना पर जूडीशरी

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

एग्जैक्टिव से सैपरेट नहीं होनी चाहिए । यह सुनकर बहुत मायूसी होती है । एक चीज़ उन की तरफ से डिमांड की गई है । हम उस का समर्थन करते हैं । लेकिन अब ऐसी बात हो गई है कि आपोज़ीशन की तरफ से जुडीशरी को सैपरेट करने के लिए मांग की जाती है तो उन की तरफ से माँग ठुकरायी जा रही है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की डिसाइडिड पालिसी है । अगर आपोज़ीशन वाले कहते हैं कि इस वक्त दिन है तो यह जरूर कहेंगे कि अभी रात है । यह कभी ठीक बात नहीं करेंगे । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जायज़ डिमांड है । अगर यह ठीक नहीं समझते तो हमें रीज़न से कनविंस कराएं । यहां पर इस बारे में अच्छे रीज़न नहीं दिए जाते हैं ।

The Government have admitted on the floor of the House that they intend separating judiciary from the executive, but they have not been able to do so simply because the Home Minister could not convene a meeting of the Deputy Commissioners. The principle has been accepted, but that is being opposed by an hon. Member, a very senior Member of the House.

चेयरमैन साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे में हमारे काबिल लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने अपनी स्पीच में काफ़ी मिसालें कोट कीं ।

He had the privilege of being a Judge of the High Court and as such had a better experience of the working of judiciary both as a judge and a lawyer.

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह बड़े आलिम हैं उन को इस बारे में काफी वाकफीयत है । उन्हों ने सदन में काफी मिसाले और अथारिटीज़ कोट की है ।

चेयरमैन साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ज़िला कपूरथला में जुडीशरी एग्जैक्टिव से अलैहदा है । फगवाड़ा ज़िला कपूरथला में है । वहां पर एक सब-जज ने आर्डर पास किए और उस के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि

"That the accused should not be produced for remand before the Judicial Magistrate, but before the S.D.O. (Civil)." This Sub-judge was transfered. The matter was referred to hon. Chief Justice, D. Falshaw. He asked who was the District Magistrate who passed this order, particularly when judiciary was separated there from the executive.

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या हक हासिल है कि यह केस एस. डी. ओ. सिविल के पास पेश किया जाए ? मुझे यह बात मेरे काबिल दोस्त पंडित ओम प्रकाश अग्निहोत्री ने सुनाई थी ? It is a matter of principle.

चेयरमैन साहिबा, मैं किसी पर ज़ाती हमला नहीं कर रहा हूं । यह बात हमारी सरकार भी मानती है कि केसों में डीले होती है । हम इस के बारे में सदन में बार २ रिपीट करते हैं लेकिन delay defeats equity.

चेयरमैन साहिबा, हम बार बार सरकार के नोटिस में लाते हैं। रिपीट करते हैं, मांग करते हैं और इस के बारे में हकूमत मानती भी है। फिर इस का सरकार क्यों विरोध कर रही है? बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं कि तजुर्बा किया जाएगा? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के बारे में तजुर्बे किए जा चुके हैं। हिन्दुस्तान की 7 स्टेट्स में जूडीशरी एग्ज़ैक्टिव से सैपेरेट हो चुकी है। ऐसी बातें यहां पर क्यों कही जा रही हैं? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि लोगों को यहाँ पर इन्साफ नहीं मिलता और मजबूर हो कर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को इन्साफ प्राप्त करने के लिए कब तक दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ेगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी हकूमत जुडीशरी को ऐग्ज़ैक्टिव से सैपेरेट नहीं करना चाहती। About this, a lot has been said and now less said the better.

Chairman : Kindly wind up.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: आज जिस ने डिमांड्ज़ पर डिस्कशन ओपन की है उस ने 50 मिनट लिए हैं।

Chairman : The hon. Member has taken 16 minutes.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: मैं ने अभी तक 11, 12 मिनट ही लिए हैं।

चेयरमैन: आप इस पर टाइम वेस्ट न करें। आप दो तीन मिनट में अपनी स्पीच वाइंड अप कीजिए। (The hon. Member may not waste his time. He should wind up his speech in two or three minutes.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: चेयरमैन साहिबा, मैं अपने इलाके के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं सोनीपत के लोगों की तकलीफ सदन के सामने रखना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहिब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरफ खास ध्यान दें। सोनीपत के अन्दर कोर्ट्स 1 और डेढ़ मील के अन्दर फैली हुई है। वहाँ के लोगों की हमेशा माँग रही है कि कोर्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। दो तीन बार उन कोर्ट्स को इकट्ठा करने के लिए ज़मीन भी एक्वायर हो चुकी है। नक्शे भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन किसी ज़मीन पर किसी का इंट्रैस्ट होता है और दूसरी ज़मीन पर दूसरे का इंट्रैस्ट होता है। इस का नतीजा यह होता है कि स्कीमें बनी बनायी ही रह जाती हैं और वहां पर अभी तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकी है। वहां के लोगों को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भागना पड़ता है। इस के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वकीलों को एक कोर्ट से भाग कर दूसरी कोर्ट में जाना पड़ता है क्योंकि उन के

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

केसिज डिफरैंट कोर्ट्स में लगे हुए होते हैं । उन को इतनी थकावट महसूस हो जाती है जितनी कि लोगों को जाखू की चढ़ायी चढ़ने से महसूस नहीं होती है । इस का नतीजा यह होता है कि लोगों के केसिज़ वक्त पर प्लीड नहीं किए जा सकते और इन हालात में केसिज़ सत्यानाश हो जाते हैं । सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है और उन को इम्पलीमैंट भी करती है । यह लोगों की जैनुयन डिमांड है । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सोनीपत के अन्दर जो कोर्ट्स स्कैटर्ड हैं उन को एक जगह पर कंसौलीडेट किया जाए ताकि लोगों की इनकंनवीनियेंस न हो ।

चेयरमैन साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज जेल डिपार्टमैंट के कर्मचारियों की तंखाह के बारे में एडजर्नमैंट मोशन और काल एटैंशन मोशन्ज़ इस सदन में पेश हुईं । इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पुलिस और जेल डिपार्टमैंट के कर्मचारियों की तंखाहों में डिस्पैरिटी बर्ती जा रही है ।

I was given to understand that the jail employees were at par with the police staff.

हमारी सरकार ने पुलिस कमीशन की रिपोर्ट को पुलिस कर्मचारियों तक ही लागू करने का फैसला किया है और जेल डिपार्टमैंट के कर्मचारी जो कि पहले पुलिस एंप्लाईज़ के बराबर ट्रीट किए जाते रहे हैं उन को इग्नोर किया जा रहा है । कई बार जेल डिपाटमैंट के कर्मचारी हमारे पास अपने ग्रीवैंसिज़ शो करते हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन की duties and responsibilities भी एक जैसी हैं । उन के साथ सौतीली मां जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दे और जेल डिपार्टमैंट के कर्मचारियों के ग्रीवैंसिज़ को दूर करने की कोशिश करे ।

चेयरमैन साहिबा, मैं पी. एस. आईज़. के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । पी. एस. आइज़. ला ग्रैज्युएट होते हैं । सब इंस्पैक्टर के मुकाबले में इन की ज़िम्मेदारियां ज्यादा होती हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि P. S. I. should be independent of the Police influence. उन की तंखाह 150 रुपए रखी है । वह ला ग्रैज्युएट होता है और उन्हों ने 16 साल कालिज में स्पैंड किए हैं और उस के बाद उस को 150 रुपए मिलते हैं । यह तंखाह उन की थोड़ी है । यह सरकार के लिए कोई शोभा देने वाली बात नहीं है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पी. एस. आइज़. पुलिस डिपार्टमैंट के अन्डर नहीं होने चाहिएं । उस के लिए एक अलैहदा डिपार्टमैंट होना चाहिए । वह लीगल रीमैम्बरैंसर के अधीन या किसी सैपरेट डायरैक्टर के अधीन होने चाहिए । In a sense they represent the prosecution. वह एक साइड को पेश करते हैं । लेकिन इन के ऊपर एस. पी. का डंडा होता है ।

अगर उन के ऊपर पुलिस का डंडा होगा तो वह डिस्पैंसेशन आफ जसटिस नहीं कर सकते इस लिए यह ज़रूरी है कि इन को पुलिस डिपार्टमैंट के अंडर नहीं रखना चाहिए । मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस को शीघ्र ही एल. आर. के या इन के लिए कोई अलैहदा डिपार्टमैंट स्थापित कर देना चाहिए ताकि वह पुलिस के इन्फुलैंस में न आ सकें ।

चेयरमैन साहिबा, अदालतों में इन्साफ बिकता है । मैं यह नहीं कहता कि मैजिस्ट्रेट पैसे लेते हैं । मैं कहता हूं कि रोज़ाना यह होता है कि नाज़िर और अहलमद कहते हैं कि दो दस्ते कागिज़ ले आओ । उन से पूछो कि भई तुम्हारे पास कंटिन्जैंसी के पैसे होते हैं । तो वे कहते हैं कि हमें कंटिन्जैंसी से मिलता ही कुछ नहीं है । आप लेजिस्लेटर्ज़ हैं हकूमत तक हमारी बात पहुंचाइये । हमें स्टेशनरी नहीं मिलती, कागज़ नहीं मिलता, पैंनसिल नहीं मिलती, कलम दवात नहीं मिलती । तब तक किसी को ज़मानत ही तय नहीं होती जब तक कि दो चार रुपये ले न लिये जाएं । कभी रैडक्रास है, कभी एन० डी० एफ़० है और कभी कुछ और कभी कुछ । इस लिये मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मुकदमात का ताल्लुक है, मोटेशन्ज़ का ताल्लुक है स्ट्रिक्ट आर्डर्ज़ जारी किये जाने चाहियें कि any Magistrate or Revenue Officer who encourages this practice will be severely dealt with. क्या यह कुरप्शन नहीं है ? रीडर कहते हैं कि क्या करें । मजबूरन मंगवाने पड़ते हैं ।

इस से आगे मैं बी० डी० ओज़० के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं जिस को डीवैल्पमैंट का महकमा कहते हैं । बीस बीस गांव का एक ब्लाक बना रखा है । इस को पंचायती राज कहा जाता है । वह कुछ नहीं करते, गांव में पार्टी बाज़ी पैदा करते हैं और सरपंचों को आपस में भिड़ाते हैं । यह लोग बैठे बातें घड़ते रहते हैं । यह सूबे के एक्सचैकर पर बहुत बड़ा बोझ है । यह तो अच्छा किया कि बी० डी० ओज़ से जीपें वापस ले ली गई हैं वरना रोज़ाना इन का कल्चरल प्रोग्राम चला करता था । जब डी० सी० का ओवर आल चार्ज है, डी०डी०पी०ओ० हैं तो फिर इन लोगों की क्या ज़रूरत है । इन को खत्म करना चाहिये । चूंकि समय थोड़ा है इस लिये मैं अपनी स्पीच को बंद करता हूं । शुक्रिया ।

12-00 noon

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : चेयरमैन साहिबा, वैसे तो वास्तव में मैं लेबर के नुमाइंदे के तौर पर इस हाउस का मेम्बर हूं । ज़यादा लेबर की डीमांड पर कहना चाहूंगा । फिलहाल पुलिस की और जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डीमांड ज़ेरे बहस है और आपोज़ीशन के मैम्बरान ने बहुत कुछ कहा है । उन के जवाब में एक दो शब्द कहना चाहूंगा । जहां तक जैनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है यह तो मैं मानता हूं कि कहीं कहीं पर

[श्री सागर राम गुप्ता]

कुछ कमज़ोरियां ज़रूर होती हैं । बहरहाल हमारा सूबा दो करोड़ की आबादी का है इस लिये सरकार की लिमीटेशन्ज़ होती हैं और खास तौर पर उस वक्त जब कि आप जानते हैं कि आपोज़ीशन में कुछ ऐसे ग्रुफ हैं जो जान बूझ कर इस स्टेट में ऐजीटेशन्ज़ क्रिएट करवाते रहते हैं । इन हालात में अगर कहीं कहीं जैनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है तो मैं ज्यादा मुनासिब नहीं समझता कि आपोज़ीशन वाले नुक्ता चीनी करें । इस की बजाए मैं उन से कहूंगा कि ज़रा वे भी अपने ग्रेबां में मुंह डाल कर देखें और सरकार के साथ कोआप्रेट करने की कोशिश करें । इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आप जानते हैं कि जगाधरी हमारे सूबे का एक बहुत इम्पार्टेंट लेबर सैंटर है और वहां पर एक बहुत बड़ी पेपर मिल है । कुछ पिछले दिनों हमारे इसी हाउस की एक पार्टी ने जिस का नम्बर इस हाउस में कंस पिकुअसली बहुत कम है वहां के मज़दूरों के पीसफुल एटमसफियर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की । हज़ारहा मज़दूर जो पिछले दस पन्द्रह साल से आई० एन० टी० यू० सी० को चाहते हैं उन को डीट्रेक्ट करने की कोशिश की गई और कई तरह के हथकंडे इस काम के लिये इस्तेमाल किये गए । मैं पंजाब के होम मिनिस्टर साहिब जो कि लेबर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं मुबारकबाद देता हूं कि जिन की हिम्मत के साथ उन की कोशिशों को नकारा बना दिया गया ।

इस के इलावा ज्यूडीशियरी को एग्ज़ैक्टिव से अलहदा करने की बात कही गई । मैं इस बारे ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं महसूस करता । दूसरे मैम्बर साहिबान ने काफी कुछ कहा है । लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि—

The very fact that the Constitution has included in the directive principles that judiciary should be separated from the executive, it is not at all necessary to do it immediately.

डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज़ बहुत से कॉंस्टीच्यूशन में दिये गए हैं । मैं कहूँगा कि हमारी सरकार डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज़ को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करे लेकिन साथ ही मैं आपोजीशन को यह सलाह दूंगा कि वे इस बात को न भुलाएं कि हमारी अज़ादी को आए अभी पन्द्रह सोल्ह साल ही हुए हैं । सरकार डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज़ को अचीव करने की कोशिश कर रही है । लेकिन जब तक हालात मुनासिब न हों जाएं उस वक्त तक यह नुक्ताचीनी करना कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज़ को अचीव क्यों नहीं किया गया, मुनासिब नहीं है । मेरा लेबर कोर्टस से काफी वास्ता पड़ता है । रोज़ाना मज़दूरों की नुमायंदगी करने के लिये हाज़िर होता हूं । मैं ने देखा है, आप यकीन मानिये कि लेबर कोर्ट्स एम्पलायर्ज़ के गैस्ट हाउस में जा कर अपनी कोर्ट होल्ड करती हैं । एम्पलायर्ज़ की होस्पिटैलिटी को एंटरटेन करती हैं । अभी मेरे नोटिस में आया कि एक लेबर कोर्ट के स्टेनो ने जो नोटस एक केस में गवाहान के लिये थे वह गुम कर दिए । ऐसी हालत में कहना कि कोर्ट्स पर एग्जेक्टिव का कोई कंट्रोल न रहे, यह देश की जनता के साथ पाप करने के बराबर होगा, बुराई होगी, अच्छाई न होगी । मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि उन का कैरेक्टर कैसा है लेकिन अभी हालात माफिक नहीं हुए ।

हमारा देश दो अढ़ाई सौ साल तक गुलाम रहा है अभी तक वही ज़हनियत चली आ रही है। वह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। अभी हालात ऐसे नहीं हुए कि फौरी तौर पर ज्यूडीशियरी को एग्जेक्टिव से अलग कर दिया जाए।

मैं लेबर, एग्रीकल्चर और फैमिन रीलीफ पर ही ज्यादा बोलना चाहता हूं। इस से पहले कि मैं कुछ सुजैशन्ज़ लेबर पालिसी के मुताल्लिक सरकार को दूं दो चार बातें ज़रूरी प्वायंट आउट करना चाहता हूं ताकि उन की तरफ वह ध्यान दे सके। पहली बात तो यह है कि जो स्टैटिस्टीकल एबस्ट्रेक्ट आफ पंजाब, 1963 दिया गया है इस के सफा 158 को आप देखेंगे तो इस में दिया है कि इनक्रीज़ इन फैक्टरीज़ कितनी हुई है और वर्कर्ज़ एम्पलायड कितने हुए। 1957 में कुल 2,285 फैक्टरीज़ रिजिस्टर्ड थीं लेकिन 1962 में उन का नम्बर 4405 हो गया। इस का मतलब यह हुआ कि रिजिस्टर्ड फैक्टरीज़ में 93 परसैंट इनक्रीज़ हुई है। लेकिन इस के बिलमुकाबिल वर्कर्ज़ की तादाद 1957 में 97,642 थी जो कि 1962 में 1,43,706 हो गई। गोया वर्कर्ज़ की तादाद में 47 परसेंट इनक्रीज़ हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में एम्पलायमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े इस के लिये इंडस्ट्रीयलाईज़ेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक इंडस्ट्रियलाईज़ेशन से लेबर एम्पलायमेंट को इनसैनटिव नहीं मिलेगा तब तक सही मकसद सरकार हासिल नहीं कर सकेगी। सरकार यह मानती है कि man is not for the machine but the machine is for the man. जहाँ फैक्टरीज़ की तादाद में 93, 94 परसेंट इज़ाफा हुआ है वहाँ वर्कर्ज़ की तादाद में कुल 47 परसेंट इज़ाफा हुआ है। क्या यह गलत होगा अगर मैं कहूं कि सरकार ऐसी फैक्टरीज़ लगा रही है जिस से कि लेबर इनसैंटिव नहीं मिलता जो कि ज्यादा एम्पलाएमैंट दिलाने वाली नहीं है स्टेट को इंडस्ट्रियलाईज़ करना है तो लाज़मी तौर पर हमें फैक्टरीज़ को बढ़ाना है। ठीक है। लेकिन इस के साथ साथ जिस बात की तरफ मैं आप के द्वारा गवर्नमैंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इन्डस्ट्रियल पालिसी को इस ढंग से फ्रेम किया जाये जिस से हम ऐम्पलाएमैंट अपरचूनिटीज़ ज़यादा से ज़यादा प्रोवाईड कर सकें।

दूसरी बात जिस का मैं यहां पर वर्णन करना चाहता हूं वह एक बहुत इम्पार्टैंट बात है जिसकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वह यह है कि पंजाब के अन्दर वर्कर की जो एवरेज अर्निंग है वह घटी है, बढ़ी नहीं। यहाँ पर मैं फिर स्टैटिस्टीकल ऐब्स्ट्रैक्ट आफ पंजाब, 1963 के सफा 182 का हवाला देना चाहता हूं जिस में वर्कर्ज़ के वेजिज़ और अर्निन्ग्ज़ का वर्णन करते हुए अदादोशुमार दिए गए हैं। आप इस का मुलाहिज़ा फरमाएं तो मालूम होगा कि ऐग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रीज़ के लिहाज से जहां सन् 1960 में एनुअल ऐवरेज अर्निन्ग 532 रुपये थी वहां सन् 1961 में यह घटकर 527 हो गई। फूड इन्डस्ट्रीज़ में जहां 1960 में यह 810 रुपये थी वहां 1961 में घटकर 619 तक चली गई.....अन्दाज़ा लगाइए कि इस में किस कदर कमी

[श्री सागर राम गुप्ता]

हुई है । लैदर इन्डस्ट्री में एक वर्कर की ऐनुअल ऐवरेज अर्निंग जहां सन् 1960 में 1993 रुपये थी वहाँ बजाए बढ़ने के यह 1961 में 1961 हो गई । इसी तरह वुड एंड कार्क इन्डस्टरी में आमदन 1960 में 1635 थी जो 1961 में कम होते होते 939 तक पहुंच गई । तो आप अन्दाज़ा लगाएं कि वर्करज़ की ऐनुअल ऐवरेज अर्निंग किस कदर डाऊन गई है । इसी तरह से दूसरी इन्डस्टरी में भी हुआ जब इस के मुकाबिले में, यह मेरे अपने कहने की बात नहीं, प्राईस इंडैक्स भी बहुत बड़ा है । जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि जब ऐवरेज अर्निंग कम होती जा रही है तो उस के मुकाबिले में, प्राईस इंडैक्स बढ़ता जा रहा है । तो सरकार को, मैं समझता हूं, इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये कि कैसे वर्करज़ की अर्निंग को बढाया जा सके । मैं मानता हूं कि सरकार ने अब तक पंजाब में 21 इन्डस्टरीज़ में मिनिमम वेजिज़ लागू कर दिए हुए हैं लेकिन जब मैं उन मिनिमम वेजिज़ को, जो सरकार ने ऐडवाइज़री कमेटीज़ की सिफारिशात पर लागू किए है, देखता हूं तो मैं खास तौर पर महसूस करता हूं कि जो मिनिमम वेजिज़ फिकस किए जा रहे हैं वह आज के हालात को देखते हुए बहुत कम फिक्स किए जा रहे हैं । आप देखेंगी, चेयरमैन साहिबा, कि किसी इन्डस्ट्री में 65 रुपये मिनिमम वेज है, किसी में 60 रुपए और किसी में इस से कुछ ज्यादा और अगर ज्यादा से ज्यादा हद करके किसी इन्डस्टरी में मिनिमम वेजिज़ फिक्स किए हैं तो वह 75 रुपये माहवार हैं । लेकिन आज अगर मिनिमम वेज की सोल्हवीं इंडियन लेबर कान्फ्रैंस ने जो एक फैमिली की मिनिमम रिक्वायरमैंट्स को देखते हुए जो नार्म तय किया है, उसके साथ मुकाबिला किया जाए तो वह बिल्कुल नैगलिजिबल है । इस सोल्हवीं इंडियन लेबर कान्फैन्स ने जो नार्म ले डाऊन किया है वह 125 रुपए है यानी 125 रुपये से कम में गुज़ारा हो ही नहीं सकता । यहां पर मैं एक और बात का भी ज़िक्र करना जरूरी समझता हूं । मैं नहीं कहता बल्कि हाईएस्ट कोर्ट आफ दी लैंड ने यह कहा है :

"The industry which cannot pay even the minimum wage to its workers has no right to exist on this land."

जिस इंडस्टरी में वर्करज को इस नार्म से भी कम मिनिमम वेज मिले उस सिलसिले में अगर मैं यह कह दूं तो बेजा न होगा कि अगर हालात इसी तरह से चलते रहे तो हमारे देश के अन्दर टी०बी० और इसी तरह की कई एक और बीमारियाँ ज्यादा बढ जाऐंगी जो मज़दूरों के बीवी बच्चों की जानें जल्दी ले लें । इस लिए मैं चाहूंगा कि इस तरफ फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए। जब हम देश में प्लैनिंग करना चाहते हैं, डिवैल्पमैंट करना चाहते हैं तो मैं पूछता हूं कि यह प्लैनिंग और डिवैल्पमैंट हम किस के लिए करते हैं ? उन दो करोड़ लोगों के लिए जो कि हमारे सूबे में बसते हैं । अगर यह दो करोड़ लोग भूखे रहें, नंगे रहें, इन के बच्चों को तिब्बी मदद न मिले, खाने को रोटी न मिले, पहनने को कपड़ा न मिले तो हमारी सारी प्लैनिंग और डिवैल्पमैंट राएगां हो सकती है । हम देखते हैं कि इस वक्त भी हमारे देश में एमरजैंसी चल रही है हम चाहते हैं कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, हम चाहते हैं

कि वर्करज़ ज्यादा हैल्दी हों, हम चाहते हैं कि उन में ऐफीशैंसी बढ़े । जब हम यह सब कुछ चाहते हैं तो सरकार का पहला फर्ज़ बन जाता है कि वह इस बात को एन्श्योर करे कि हर एक को मुनासिब वेज मिले, हरेक को मुनासिब पैसे मिलें........ चाहे वह सरकार के अपने मुलाज़िम हों और चाहे वह दूसरी इन्डस्टरीज़ में काम करते हों । उसका फर्ज़ है कि सब को मुनासिव पैसे दिलवाए जिस से उन का गुज़ारा आसानी से हो सके।

जहाँ तक सरकार की जनरल लेबर पालिसी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में वह सैटिस्फैक्टरली वर्क कर रही है। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की तरफ देखा जाए तो इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सरकार को इस बात की अब जरूरत नहीं होनी चाहिये कि वह मज़दूरों के हित में और ज्यादा कानून बनाए क्योंकि कानून तो आगे ही बहुत काफी बने हुए हैं । पार्लियामैंट ने भी बनाए हुए हैं और स्टेट असम्बली ने भी पास किए हुए हैं । लेकिन मैं इस मौके पर लेबर मनिस्टर साहिब से पुरज़ोर यह दरखासत जरूर करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में एक हाई पावर्ड कमेटी कान्स्टीच्यूट करें जो लेबर लाज़ को देखे, इन की इम्प्लीमैंनटेशन को देखे । इस वक्त देखने में आया है कि लेबर लाज़ की प्रापर एनफोर्समैंट नहीं हो रही, उन की ठीक तौर पर इम्प्लीमैंटेशन नहीं हो रही..... एवार्डस और सैटलमैंट्स के सिलसिले में ठीक प्रकार से उन को लागू नहीं किया जा रहा सरकार की यह कोशिश होती है कि इन्डस्ट्रियल वर्करज़ और मालिकान के झगड़ों को, जहां तक हो सके, नैगोशिएशंज़ से सुलझाना चाहिये । यह एक बहुत अच्छी बात है । नैगोशीएशंज़ से अगर नहीं सुलझते तो मीडीएशन से सुलझाया जाए । यह भी निहायत अच्छी बात है । उस से भी अगर झगड़ा न सुलझ पाए तो आर्बिटरेशन में जाए और आखिर में ही ऐडजूडीकेशन का सिलसिला शुरू हो । लेकिन अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि मुश्किल से दो परसैंट ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि नैगोशीएशन लैवल पर सैटल हुए, मुश्किल से दस बारह परसैंट ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे जो कन्सीलीएशन लैवल पर सैटल हुए या होते हैं । आर्बिटरेशन को तो सचमुच पंजाब के अन्दर कोई ऐम्पलायर मानता ही नहीं है हालांकि लेबर की तरफ से साफ तौर पर यह आफर दी जाती है कि बेशक आप अपने ही किसी भाई को आर्बिटरेटर मुकर्रर कर लें, चैम्बर आफ कामर्स के किसी मेम्बर को या किसी दूसरी फैक्टरी के मैनेजर को आर्बिटरेटर मुकर्रर कर लें लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मालिकान इस बात को तस्लीम ही नहीं करते । लेबर्ज़ के जो ऐम्पलायर्ज़ है वह आर्बिटरेशन को नहीं मानते। जरूरत है कि लेबर के साथ मालिकान का टरीटमैंट ठीक तरह से एन्श्योर करने के लिए.. .सज़ा तो नहीं कहूंगा....उन पर सरकार मुनासब लिमिटेशंज़ ज़रूर लगाए। आखिर सरकार उन को सैकड़ों किस्म का कोटा देती है, बिजली देती है और कई तरह से मदद करती है । इसलिए मैं पुरज़ोर दरखास्त करूंगा कि सरकार ऐम्पलायर्ज़ पर इस तरह से कुछ पाबन्दियां जरूर लगाए जिस से उन के लेबर के साथ जो झगड़े

[श्री सागर राम गुप्ता]

होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं वह आर्बिटरेशन तक ही तह हो जाएं और ऐडजूडीकेशन में न जाना पड़े । मैं समझता हूं कि सरकार के इंडस्टरीज़ डिपार्टमैंट और लेबर डिपार्टमैंट में इस बारे में ज़यादा से ज़यादा कोआर्डीनेशन होनी चाहिए । मैं मानता हूं कि ऐडजूडीकेशन में डिस्प्यूट्स हल हो जाते हैं, ज़यादा तादाद में हल हो जाते हैं लेकिन आई. ऐन. टी. यू. सी. या आम मज़दूर इस ऐडजूडीकेशन को पसन्द नहीं करते । वह क्यों ? वह इस लिए कि ऐडजूडीकेशन में बहुत ज़यादा टाईम लग जाता है । खास तौर पर लेबर को बहुत ट्रबल होती है । उसको निहायत परेशानी का सामना करना पड़ता है । साल साल, दो दो साल लग जाते हैं । केस पहिले लेबर ट्रिब्यूनल में जाता है । वहां से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में । इस तरह से उन की जान ही निकल जाती है । गरीब बेचारे की तो जान ही निकल जाती है और फिर नतीजा क्या होता है ? मज़दूर हार गया तो मालिक तालियां बजाता है, मज़दूरों को और दबाने की कोशिश करता है और अगर मालिक हार गया तो फिर मालिक यह सोचता है कि अब की दफा वह चोट मारूंगा कि ठहर न सके । मैं समझता हूं कि आर्बिटरेशन बिल्कुल नुमायां तरीका है इंडस्ट्रियल रीलेशंज़ में मज़दूरों को राहत दिलाने का । मेरी कंसिडर्ड ओपीनियन ही नहीं बल्कि आबज़रवेशन है कि मालिकान आम तौर पर आर्बिटरेशन को नहीं मानते । मैं तजवीज़ करूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई मज़बूत पालिसी बनाए कि जो मालिक आर्बिटरेशन को तस्लीम नहीं करता....इंडस्ट्रियल रीलेशंज़ को कायम रखने के लिए आर्बिटरेशन को नहीं मानता उसके खिलाफ कोई न कोई ऐक्शन लिया जाए ।

जहां तक लेबर लाज़ के मुताबिक मिनिमम वेजिज़ की एनफोर्समैंट का ताल्लुक है, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि प्राइवेट एंटरप्राईज़ तो एक तरफ, मिनिमम वेजिज़ की सैटलमैंट में ज़यादा उलंघना हमारी पब्लिक एंटरप्राईज़िज़ करती है । आप जानती हैं कि आज हमारी सरकार मिक्स्ड इकानोमी के असूल पर चल रही है । बहुत सी पब्लिक ऐंटरप्राज़िज़ जारी की गई हैं । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर मज़दूरों को और भी ज़यादा दबाया जाता है । हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार रुपया माहवार पाने वाले अफसर जहां तक लेबर लाज़ का सम्बन्ध है, कानून को समझते ही नहीं । पिछले रोज भी यहां पर ज़िक्र किया गया था कि यहां पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में, कैपीटल प्राजैक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमम वेजिज़ मुकर्रर हुए हुए चार साल हो गए हैं । मई सन् 1960 में मिनिमम वेजिज़ लागू होने थे लेकिन आज मई सन् 1964 आने वाला है लेकिन कैपीटल प्राजैक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में मिनिमम वेजिज़ अभी तक एम्पलाईज़ को देने स्वीकार नहीं किए । कई मीटिंग्ज़ हो चुकी हैं । आखिर हार कर यह फैसला करना पड़ा है कि कैपीटल ऐडमिनिस्ट्रेशन को सैक्शन 80 का नोटिस दिया जाए । या तो वह मिनिमम वेजिज़ लागू कर दें नहीं तो मजबूर हो कर सिवल कोर्ट में जाना पड़ेगा । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कानून में कछ कमी है इस बारे में मैं ने पहले भी कहा है कि ज़यादा कानून नहीं बनाए जाने

चाहिएं लेकिन जितने पहले बने हुए हैं उन की स्ट्रिक्ट इम्पलीमेंटेशन और एनफोर्समेंट होनी चाहिए (घंटी की आवाज़) चेयरमैन साहिबा, मुझे पांच दस मिनिट और दीजिए क्यों कि आप ने देखा है कि केवल मैं ही मैम्बर हूं जो लेबर के मुताल्लिक कह रहा हूं । मैं ने अभी कुछ ज़रूरी बातें कहनी है ।

Chairman : Please wind up now.

श्री सागर राम गुप्ता : मैं जल्दी कह लूंगा । मैं यह अर्ज़ करने लगा था कि लेबर के मुताल्लिक कुछ कानून बनाने का फैसला किया गया था लेकिन वह अभी तक बनाए नहीं गए । वे जल्दी बनाए जाएं खास तौर पर वह कानून जिस से मज़दूरों की छुट्टियों को स्टेंडर्डाइज़ करने का ख्याल है । सरकार को मालूम है कि जहां छुट्टी नहीं दी जाती वहीं मज़दूरों के झगड़े खड़े हो जाते हैं । यह एक मुनासिब सी बात है कि हालीडेज़ और लीवज़ को स्टेंडर्डाइज़ कर दिया जाए ।

इस के अलावा एक और निहायत ज़रूरी बात है कि मालिक मज़दूरों को निकाल देते हैं लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया जाता । और जब तक सबस्टांशल गिनती में मज़दूर न निकाले जाएं और किसी अकेले मज़दूर को निकाल दिया जाए तो वह रिलीफ कलेम नहीं कर सकता । इस लिए ऐसा कानून जल्दी बना देना चाहिए जिस के तहत वह रिलीफ क्लेम कर सके ।

एक बात मैं इंडस्ट्रियल बोनस के बारे में कहना चाहता हूं । हम देखते हैं कि हर साल मज़दूर मालिकों से बोनस की मांग करते हैं और हर साल मालिक बोनस देने से इनकार करते हैं और हर साल इस तरह के डिस्पयूट्स खड़े हो जाते है और फिर कई दफा तो यह झगड़े बढ़ जाते हैं । इन चीज़ों को देखते हुए सैंट्रल गवर्नमैंट ने एक बोनस कमिशन मुकर्रर किया हुआ है और उस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी हुई है और मुझे पता चला है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने उस रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमैंट की राय मांगी है । इस लिए मैं सरकार से अर्ज़ करता हूं कि वह जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को एपरूव कर के सेंट्रल गवर्नमैंट को वापस भेज दे ।

अब मैं ने एग्रीकलचर के बारे में एक अर्ज़ करनी है । जिस दिन वह डिमाण्ड टेक अप हुई थी मैं ने एक कट मोशन भी दे रखी थी लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया था । मैं ने इस बारे में सिर्फ अपनी भिवानी तहसील के बारे में ज़िक्र करना है । पेशतर इस के कि मैं उस बारे में कुछ अर्ज़ करूं मैं समझता हूं कि यह बड़ी अच्छी बात है कि जो गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन को डबल करना है । मेरी भिवानी तहसील में जहां कि इस वक्त कहत पड़ा हुआ है वहां अभी 6 लाख 20 हज़ार एकड़ टोटल एरिया ऐसा पड़ा है जिस में अभी तक पानी नहीं लगा क्योंकि वहां सिंचाई के साधन नहीं है । इस तरह से बहुत सारी लैण्ड फैलो पड़ी रहती हैं । उस तहसील में 208 गांव सारे है जिन में से सिर्फ 30 गांव को पानी मिला है और वह भी थोड़ा मिला है । पूरा पानी नहीं मिलता । जहां तक मुझे पता चला है वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गवर्नमैंट को लिखा है कि वहां पर सौयल कानज़र्वेशन आप्रेशन्ज़ जारी किए जाने चाहिएँ । वहां पर बड़े २ टीले हैं जिन पर पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता फिर गर्मियों के दिनों में जब

[श्री सागर राम गुप्ता]

वहां धुआंधार आंधियां चलती हैं तो वह एक जगह से उन टीलों को उड़ा कर दूसरी जगह पर लगा देती हैं इस तरह से जो सौयल पहले काबले काश्त होती है उस को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और जो ज़मीन उन टीलों के नीचे दब जाती हैं वह नाकारा हो जाती है। इस लिए मैं सरकार से अर्ज़ करूंगा कि वहां पर फोरी तौर पर सौयल कंनज़र्वेशन आप्रेशन्ज़ जारी कर देने चाहिएं।

गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में ज़िक्र किया है कि वहां लिफ्ट केनाल बना दी जाएगी। मैं कहता हूं वह भी ठीक है लेकिन उस में वक्त लगेगा इस लिए अभी वहां पर सौयल कनज़र्वेशन आप्रेशन्ज़ जल्दी शुरू कर देने चाहिएं। इस से एक तो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और दूसरा कहत ज़दा लोगों को रिलीफ भी मिल जाएगा। इस के अलावा मैं सरकार का ध्यान उस इलाके में वाटर कंनज़र्वेशन की अहमीयत की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। वहां क्योंकि पानी की बहुत कमी रहती है तो जब वहां बारिश होती है तो वहां जो टैंकस और कुण्ड होते हैं उन में पानी स्टोर करने के लिए पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह से वहां नालों में पानी ठीक तरह से रखने के लिए सरकार को जल्दी इंतज़ाम करना चाहिए।

जहां तक फेमिन रिलीफ का ताल्लुक है सरकार इस बारे में पूरी कोशिश कर रही है लेकिन जितना फेमिन रिलीफ दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा, और वहां के हालात को मदे नज़र रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वहां उतना रिलीफ वर्क हो नहीं रहा। वहां तीन चार साल से लगातार बारिश न होने की वजह से कोई फसल नहीं हो सकी, और इस साल भी फसल मारी गई है। सरकार ने कुछ पैसा रोडज़ के लिए वहां रिलीफ वर्क के लिए दिया है जो कि एक महीने के काम के बाद खत्म हो गया है। वहां कहतज़दा लोगों को इस से एक महीना तक तो रोज़गार मिल गया था लेकिन अब वे फिर बेकार हो गए हैं। और उन के खेतों में तो अब मई के महीने से काम शुरू होगा। इस लिए वे उस वक्त तक बेकार बैठे रहेंगे। इस लिए वहां पर फोरी तौर पर और कुछ रिलीफ देने का कोई तरीका निकाला जाए। इस से एक तो लोगों को रिलीफ मिलेगा और दूसरा वहां पर कुछ डिवेल्पमैंट का काम हो जाएगा।

एक बात और है जो मैं लेबर मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी सरकार की यह पालिसी है कि जिस जगह पर 300 या इस से ज़्यादा मज़दूर काम करते हों तो वहां कंज़्यूमर स्टोर्ज़ खोले जाएं लेकिन यह देखने की बात है कि जहां तक मुझे मालूम है हमारी स्टेट में कहीं भी कंज़्यूमर स्टोर काम नहीं कर रहा है हां यह बात अलग है कि नाम मात्र में तो खोले हुए हैं। जब कभी वहां लेबर कमिश्नर या कोई दूसरा अफसर चला जाता है तो वह कहीं पर साबन शाबन और तेल वगैरह कई खानों में उसे दिखा देते हैं कि स्टोर खोल रखा हुआ है और जब वह चला जाता है तो उस पर ताला लगा दिया जाता है। ऐसे स्टोरज़ से मज़दूरों को क्या फायदा पहुंच सकता है। आजकल इस महंगाई के ज़माने में मज़दूरों को सस्ती चीजें मिलनी चाहिएं। जहां मज़दूरों के लिए कंज़्युमर स्टोर खोलने ज़रूरी हैं वहां अमली तौर पर काम कराना भी ज़रूरी है।

चौधरी राम प्रकाश (मुलाना, एस० सी०) : चेयरमैन साहिबा, यह बात तो आप भी और देश के सब आदमी जानते हैं कि पंजाब की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम देश के सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी है और इस के लिए मैं मुख्य मंत्री साहिब को और होम मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं । चेयरमैन साहिबा, सरकार की तरफ से इंतहाई कोशिश की जाती है कि हरेक मज़लूम को इनसाफ मिले । इस के लिए सरकार की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता । लेकिन यहां सरकार पर इस बारे में बड़े हमले होते हैं आपोज़ीशन की तरफ से । मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है यहां पर जो बातें होती हैं उन में ज़यादा तर ज़ाती हमले ही होते हैं और मेम्बर साहिबान अपनी अपनी कानस्टीचूएंसी का जिक्र कम करते हैं जहां से वे इलेक्ट हो कर आते हैं । मैं उन आदमियों में से हूं जो तामीरी कामों में विश्वास रखते हैं और गालियाँ वालियां या कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं रखते । हम जिस मकसद से यहां इलेक्ट हो कर आते हैं वह यह है कि हमारी कानस्टीचूएंसी की जो डिवेल्पमेंट के लिए और तरक्की के लिए जो लोगों की डिमांडज़ हैं वह हम गवर्नमेंट के सामने पेश करें और गालियाँ देने या ज़ाती बातें करने के लिए नहीं आते । यह ठीक है कि हम सब धर्मात्मा नहीं हैं हम सब में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं क्योंकि कोई इनसान इस दुनियाँ में ऐसा नहीं जिस के अन्दर कोई न कोई कमज़ोरी न हो लेकिन मेम्बर साहिबान को यहां एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिस में हम जातियात में न पड़ कर अपनी कानस्टीचूएंसी की डिमांडज़ पेश कर सकें ।

चेयरमैन साहिबा, हमारे सूबे की 87 फीसदी देहात में बसती है और उन में से कमाबेश आदमियों का गुज़ारा जरायत पर है या खेतीबाड़ी पर है। तो उस में ज़यादा तादाद हरिजनों की है । सरकार ने सिक्योरिटी आफ टैन्योर्ज़ ऐक्ट बनाया। सरकार का मकसद यह था कि जो टैनेंट जमीन पर काश्त करते हैं उन की हिफाजत की जाए मगर अफसोस इस बात का है कि उन में से बहुत थोड़े लोगों को फायदा हुआ है । मैं यह बात पूरे वसूक के साथ कह सकता हूं कि इस ऐक्ट से न तो मुजारों को ही फायदा हुआ है और न ही ज़मींदारों को । दोनों ही रोते हैं । खैर इस बात को छोड़िये । सरकार के पास कुछ अपनी और कुछ कस्टोडियन की ज़मीन थी। जब यह यहाँ पर सोशलिस्ट नज़ाम कायम करना चाहते है तो इन का फर्ज़ बनता है कि सब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इन्तज़ाम करें । जब सरकार ने कस्टोडियन वाली जमीन सैंट्रल सरकार से ली थी तो चाहिये था कि यह उसे उन लोगों को दी जाती , जिन के पास जमीन नहीं थी ताकि उन को अपने गुज़र का ज़रिया मिल जाता । मगर अफसोस है कि सरकार ने यह भी नहीं किया । सरदार अजमेर सिंह के नोटिस में हम बाराहा यह बात लाए कि जब आप के पास जमीन है तो छोड़ो टैन्युर ऐक्ट वगैरह को इसे उन हरिजनों या लैंडलैस टेनैंटस को दे दो जिन के पास ज़मीन नहीं है । मगर इन्होंने शर्त रखी कि जो मुजारा सन 1960 से उस पर काबज हो वह खरीद सकता है । चेयरमैन साहिबा, आप को भी पता

[चौधरी राम प्रकाश]

होगा कि 1960 से बहुत से मुजारे जमीन पर काबज थे, लैसी भी रहे मगर पटवारियों ने दुशमनी और दीगर वजुहात की वजह से गिरदावरियों में गलत इन्दराज कर दिये। मैं एक मिसाल पेश करता हूं। तहसील जगाधरी में एक गाँव नैनेवाल में कुछ ज़मीन फारेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ लोगों के पास थी और वह वहाँ पर 1954 से लैसी हैं। मगर पटवारियों ने गलत इन्दराज कर दिया। बाप की ज़मीन बेटे के नाम और बेटे की जमीन बाप के नाम लिख दी नतीजा यह हुआ कि जितनी ज़मीन पर उन का कबज़ा था उस में से आधी जमीन खड़ी फसल समेत नीलाम कर दी गई। कितना ज़ुल्म है। यह एक टैस्ट केस है कि किस तरह से पटवारी गरीबों पर जुल्म करते हैं। यह कैसे उन को तबाह करते हैं, जिबह करते हैं। मैं फलाइंग स्कवैड के तहसीलदार को साथ लेकर मौके पर गया। सारी ऐवीडैंस उन के सामने रखी और यह बात साबत हो गई कि उन के सिवाए कोई और मुजारा नहीं, लैसी नहीं। वही लोग वहाँ पर 1954 से लेकर आज तक बैठे हैं कि वह ज़मीन उन के पास रहेगी। उन के वहाँ पर मकान हैं, बैल वगैरह सब कुछ है। गाँव वालों ने, पंचायत ने गवाही दी कि यही 1954 से वहाँ पर आबाद हैं अब रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है देखें क्या बनता है। तो मैं समझता हूं कि अगर पटवारी इमानदारी से काम करें तो पंजाब के 50 फीसदी झगड़े खत्म हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ इन्तजाम सरकार रूल्ज़ वगैरह बना कर कर सके तो बड़ा अच्छा हो।

दूसरी बात मुरब्बाबन्दी की है। जब हमारे मुख्य मन्त्री हमारे सूबे के डिवैल्पमेंट मिनिस्टर थे उस वक्त मुरबाबन्दी और ऐक्सटैंशन आफ आबादी के मुताल्लिक वाड़ाजात और प्लाटस के मुताल्लिक हिदायात जारी हुई थी कि जहाँ मुरबाबन्दी हो वहाँ पर हरिजनों के लिए बाड़ाजात और आबादी की ऐक्सटैंशन के लिए जगह दी जाए। आप जानते हैं कि देश की आबादी बढ़ रही है और साथ ही साथ हरिजनों की आबादी भी बढ़ रही है। उन के लिये और जयादा जमीन भी चाहिये। अब अगर उन के लिये ज़मीन निकाली जा सकती है तो वह मुरबाबन्दी के वक्त ही निकाली जा सकती है। आप जानती हैं कि कई गाँव में कुछ पुराने ख्यालात के ज़मींदार होते हैं जो यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि हरिजन किसी तरह से अपनी हालत सुधार सकें। वह यह देख कर कि हरिजन हमारे बराबर आ रहे हैं उन के दुशमन बन गए हैं। मुझे इस बात का तजरूबा है। मेरे इलाके में कई गांवों में मुरबाबन्दी हो रही है। अफसरान वहाँ जाते है और वहाँ के जमींदारों को कहते हैं कि देखो भाई अगर तुम हरिजनों को वाड़े देना चाहो तो दो वरना मत दो। आप की मर्जी पर मुनहसर है। तो वह जमींदार सोचते हैं कि अगर यह बात हम ने ही करनी है तो हम इन को बिना पैसे के बाड़े क्यों दें। ठीक ही बिना मुआवज़े के कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप उन को प्लाट वगैरह दिलाना चाहते हैं तो इस के लिये अफसरों को ठीक हिदायत दें। फिर कुछ शर्तें रखी हैं।

कोई जूती बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, लोहार है, कारपेंटर है। कुछ भी है, आखिर वह इसी देश में बसता है। उस ने भी रोटी खानी है। उस को भी ज़मीन की ज़रूरत है। तो ऐसी जो शर्तें रखी हुई हैं यह खत्म कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सरकार से कहूंगा कि अगर वह लोग बिना मुआवज़ा लिये बाड़ाजात देने पर रज़ामन्द न हों तो मैं तजवीज करूंगा कि जो रुपया सरकार ने टैक्सों के जरिये इकट्ठा किया है उस से उन ज़मीदारों को कम्पनसेट कर दिया जाए। इस तरह से यह मसला हल नहीं हो सकता है। सरकार ने साढ़े तीन करोड़ रुपया आर्ज़ी टैक्सों के जरिये से इकट्ठा किया है। यह ठीक है कि यह हरिजनों की ही बहबूदी के लिये रुपया खर्च किया जाना है और सरकार सोच रही है कि इसे किस तरह से खर्च किया जाए। यह जो हरिजनों के लिये पक्के मकान बनाने की तजवीज़ है मैं इस के सख्त खिलाफ हूं। मैं तो इस बात के हक में हूं कि अगर इस रुपये से गरीब आदमियों को रोज़गार मिल जाए तो वह लोग खुद ही कुछ अर्से में रुपया कमा कर अपने आप पक्का मकान बना लेंगे। अगर आप पक्का मकान उन को बना के दें दें मगर उन के पास खाने के लिये रोटी न हो तो क्या फायदा है। इस लिये मेरी यह तजबीज़ है कि आप हर एक ज़िले के ऐम० ऐल० एज़० को कनसल्ट करें कि यह जो रुपया है यह हरिजनों की बहबूदी के लिए कैसे खर्च किया जाए। मैं समझता हूं कि हर एक ज़िले में एक बड़ा कारखाना खोल दिया जाए। कुछ रुपया तो सरकार के पास है और बाकी जितना ज़रूरत हो वह सरकार फाइनैंशल कारपोरेशन से कर्ज़ ले लें। इस तरह से इन लोगों का मसला हल हो सकता है।

चेयरमैन साहिबा, इस में शक नहीं है कि यह सरकार हरिजनों का भला करना चाहती है। मैं इस के लिये इन के सामने एक तजवीज़ रखता हूं। आज कल बहुत से लैंडलार्ड्ज़ शहरों में जा कर बस गये हैं। कोई बम्बई में और कोई कलकता वगैरह में बैठे हुए हैं। खैर ऐसे लोग जिनके पास गाँव में ज़मीन है वह जानते हैं कि ज़मीन उन के पास रहने वाली नहीं है। वह बेचना चाहते हैं। इस को खरीदेंगे गरीब ही अमीर नहीं खरीदेंगे। इन गरीबों के लिए पंजाब में एक स्पैशल लैंड मोर्टगेज बैंक खोला जाए और जो मुस्तहिक आदमी ज़मीन खरीदना चाहे उन को यह बैंक रुपया दे और इस रुपये के लिए वही ज़मीन बैंक के पास रहन रख दी जाए। यह बड़ी शानदार तजवीज़ है और इस से लाखों आदमियों को फायदा होगा। मैं यकीन से कहता हूं कि लाखों आदमियों को इस बैंक से फायदा होगा।

दूसरी बात इंडस्ट्री के मुताल्लिक है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़मीन पर बहुत से लोग काम नहीं कर सकते। आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री की कई सकीमें हैं, जिनके ज़रीये से अपने मुलक के अन्दर, अपने देश के अन्दर सोशलिस्टिक नकशा ला सकते हैं। इस सबंध में मेरी यह तजवीज़ है कि शहरों के अन्दर सारे कारखाने हैं। पिछली दफ़ा, मुझे याद है कि सरकार का इरादा और मनशा

[चौधरी राम प्रकाश]

था कि देहात के अन्दर 50% कारखाने खोल दिये जाएं । अगर सरकार मुनासिब समझे तो इस बात की तरफ ध्यान दे और अगर 50% कारखाने देहात में लगाए तो देहात के बेरोज़गार लोग उस में काम कर सकते हैं । मैं सूबे के मुख्य मन्त्री और होम मिनिस्टर से अर्ज़ करूंगा कि जहां पर बड़े बड़े आदमियों ने कारखाने लगाए हुए हैं उन्हें सहूलतें दी गई हैं और यह करोड़ों रुपए कमाते हैं अगर आप पीतल, जस्त आदि का कोटा 50% हरिजनों को दे दें तो हरिजनों की हालत अच्छी हो सकती है, क्योंकि यह लोग वर्कर हैं और काम करने वाले हैं अगर इन्हें यह चीज़ें दी जाएं तो कुछ अर्सा के बाद सूबे से बेकारी भी दूर हो सकती है और आसानी से वह गुज़ारा भी कर सकते हैं । (घंटी)

पुलिस डीपार्टमेंट और रेविन्यू डीपार्टमेंट में सरकार की तरफ से हदायतें जारी हैं कि 50% कांस्टेबल और पटवारी हरिजन भर्ती किए जाएं । मैं मानता हूं कि सरकार के दिल में हमदर्दी है । इसमें शक नहीं, देश जाग रहा है पुराने ज़माने की बातें खत्म हो रही हैं लेकिन सरकार के मातहत अफसरों के दिमाग सदियों से पिसे हुए हैं और वह हरिजनों को उठता नहीं देखना चाहते और इन हदायतों पर अमल नहीं करते । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर अमल कराएं ताकि हरिजन भर्ती हो सकें । चेयरमैन साहिबा, आप जानती हैं कि इस वकत इनसाफ बड़ा महंगा है । मुकदमों में वकील इन बेचारों को लूटते हैं मैजिस्ट्रेटों के रीडर लूटते हैं और तहसीलदारों के रीडर लूटते हैं ।

[*Deputy Speaker in the Chair*)

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप ऐसी कमेटी बनाएं ऐसा कमिशन बनाए जो सर्वे करे कि इन अदालतों में जहां पर लूट खसूट मची हुई है । झूठ को सच किया जाता है । इसका सर्वे किया जाए कि देश के लाखों गरीब आदमियों को इनसाफ किस ढंग से मिल सकता है । मैं आप से डिपटी स्पीकर साहिबा, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे ।

एक महकमा हरिजन वैलफेयर का हमारी गवर्नमेन्ट ने कायम किया है । मैं समझता हूं कि यह महकमा बहुत अच्छा महकमा है मगर यह ठीक ढंग से काम करे तो हरिजनों का फायदा हो सकता है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह महकमा आर्जी है । टैम्परेरी होने के नाते कर्मचारी टैम्परेरी हैं । जहां पर यह टैम्परेरी की बात आ जाती है कर्मचारी समझते हैं कि पता नहीं रहना है या नहीं इस लिए काम ठीक नहीं चलता । ज़रूरत इस बात की है कि इस महकमे को मुस्तकिल किया जाए ताकि वह हरिजनों के साथ हमदर्दी का सलूक कर सकें ।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सन 1950 से बैनीफिशरीज़ के केसिज़ एड हाक कमेटी के पास गए थे उन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है । यह ठीक है कि सरकार ने इस स्कीम के मातहत ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी

है लेकिन लोग कामयाब नहीं हो सकते जब तक सरकार इस स्कीम पर अमल न करे । इस के बारे में एक जरिया यह है कि लैंड मार्गेज बैंक जो है वह टाइम पर कर्ज़ दे । क्योंकि इन्हें हमदर्दी करन वाला कोई आदमी नहीं मिलता । वह हैडक्वार्टर्ज़ पर जाते हैं चंडीगढ़ जाते हैं तो अगर इस महकमे के दफतर अच्छे ढंग से इमदाद करें तो इन हरिजनों को फायदा हो सकता है । आखिर में मैं होम मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री का मश्कूर हूं कि उन्हों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया है । बाहर के सूबे के लोग हमारी तारीफ करते हैं कि पंजाब की जो हकूमत है यह शानदार हकूमत है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ (ਸੰਗਰੂਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ **ਪੰਜਾਬ** ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 25 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਉਠਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਠਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵੀ ਚੁਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ., ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਕਰਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ' ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਕੀਆਂ ਉਠਾਣ ਦਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਡ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਇਸ ਚੌਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਟੈਕਸ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭੱਠਲ, ਕੱਟੂ, ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ 19 ਘਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਡ ਦਿੱਤੇ, ਭੱਠਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਘਰ ਛਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਟੂ ਵਿਚੋਂ 27 ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਡੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 8,500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਇਮ ਮੰਗਿਆ । ਉਥੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ । ਮੈਂ, ਜੋਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ]

ਨਮੂਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਦੂਸਰੇ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਜੱਸਾ ਦੀ ਦੱਸਾਂ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪੰਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਫਲ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਫਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ । ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਲੋਮਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 40 ਵਿਘੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਘੇ ਚਰ੍ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ, ਆਈ. ਜੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ।

ਫੇਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਦਾਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਿਆ । ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ, ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਵੀ D. S. P. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦਸਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁਛੀ । ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਕਢਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਨਵਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਧਰ ਘਟ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ

ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500/- ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ 100/- ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਪਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਅਮੀਰ ਦੁਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੁਫਤ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਫਤ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ 4,4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ 60/- ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਬਾਲ ਬਚੇ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁਕ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਜ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ 125/- ਤੋਂ ਘਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟਣਾ ਹੈ ਇਕ ਏਕੜ ਕਪਾਹ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ ਗੰਨੇ ਤੇ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਧੁਪਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਟੈਕਸ ਉਸ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕੁਟਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸਰ ਯਾਦ ਰਖੇ ਇਸਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈਸ਼ੇਕ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈਸ਼ੇਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਸਾ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਜ ਏਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹਨ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਨਮੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਇਹ

[ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ]

ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਡ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁਖ ਦੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ

1-00 P. M.

ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਕ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛਡ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਦਿਓ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ।

श्री लाल चन्द प्रार्थी (कुल्लू) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर अपने विचार——

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :-ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ । (There is no mention of any promise here but I have caught your point and I will give five minutes to Opposition.)

श्री लाल चंद प्रार्थी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहस हो रही है और उसमें हिस्सा लेने का मुझे भी मौका मिला है इसके लिए आपका धन्यवाद ।

देश को, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर जिस्म मान लिया जाए तो ऐडमिनिस्ट्रेशन उस की रूह होती है, उस की ज़िन्दगी होती है और वह शरीर एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे ही चलता है । इस लिए देश की तामीर और तरक्की का ताल्लुक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से है । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से 3,4 बातों का ताल्लुक है । कानून बनाना स्कीमें फ्रेम करना उस का एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा उन पर अमलदरामद कराने का है । जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी करती है अगर वह मशीनरी ठीक है तो कानून और स्कीमें ठीक ठीक लागू हो जाएंगे तो जनता खुशहाल हो सकती है ।

इंसाफ भी मिल सकता है और जुल्म भी नहीं होगा । इस लिए निहायत जरूरी है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह मशीनरी अच्छी हो । कई दफा ऐसा भी होता है कि मशीनरी अच्छी होती है मगर उस के पास तालीम और तरक्की के लिए पैसा खुला नहीं होता । तो मशीनरी क्या करे । इस लिए अच्छी मशीनरी के साथ साथ बजट अलाटमैंट भी अच्छी होनी चाहिये ।

मजमुई तौर पर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैं तो कुछ उस इलाके के मुताल्लिक ज़िक्र करना चाहता हूं जिस से मैं ताल्लुक रखता हूं । हमारी गवर्नमैंट ने कुल्लू को एक ज़िला करार दे दिया है इस के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं । और उस इलाके के जिस की सरहद चीन और तिब्बत से लगती है वह लोग भी इस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं । जब मैं अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात कहना चाहता हूं तो समझता हूं कि अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन वह होता है जो पस्मांदा एरिया को और बैकवर्ड एरिया को आगे बढ़ाने में मदद कर पाए । हमारा इलाका पस्मांदा पहाड़ी एरिया है जहां पर विशेष तवज्जुह देने की ज़रूरत है । जहां तक मैदानों का ताल्लुक है, यहाँ के लोग होशियार हैं उनके पास प्रैस है प्लेटफार्म है, और जब कभी भी उनके साथ जुल्म और बेइनसाफी हो वह प्रैस और प्लेटफार्म के ज़रिए हाहाकार मचाते हैं और अपनी ग्रीवेंसिज़ को रिड्रैस करा लेते हैं । लेकिन दूर बसने वाले पहाड़ी इलाकों के लोगों के पास यह साधन नहीं हैं उन के लिए अगर कोई चीज़ फाइदामंद है तो वह यही कि वहां की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छी हो । और अगर वह अच्छी होगी तो उन की हर बात सुनी जाएगी । जितनी अच्छी मशीनरी होगी और जितना इफैकिटवली कानून पर और स्कीमों पर अमल करती होगी उतना ही ज्यादा वह इलाका खुशहाल हो सकता है । इस लिए अगर हम जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की परख करना चाहते हैं तो हमें उस मशीनरी को पहाड़ी इलाकाजात कांगड़ा और कुल्लू की तरक्की की कसौटी पर पररवना होगा । क्योंकि "नशा पिला के गिराना तो सब को आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी" ।। तो जो हकूमत गिरे हुए लोगों को पिछड़े हुए पस्मादा लोगों को थाम ले, वही सरकार सब से अच्छी है । हमारा इलाका हिमाचल और कांगड़ा काश्मीर से घिरा हुआ है । तिब्बत भी साथ लगता है हम अगर कुल्लू और लाहौल सिपिती को जाएं तो हिमाचल के 80 मील के इलाके से गुज़र कर जाना पड़ता है । तो मैं देखता हूं कि जो इलाके हिमाचल के हैं उनका मौका व मुहौल ऐसा है कि जिस को देख कर हमारे इलाके के लोग मुकाबिला करते हैं । नाले के उस पार, दरिया के उस पार, सड़क के साथ दूसरी तरफ का इलाका खुशहाल है, फिजा ज्यादा अच्छी हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन ज़यादा अच्छा है, फैसिलिटीज़ ज़यादा दी गई हैं । लोग देखते हैं कि इस इलाके में एक चपरासी से डी० सी० तक, एक कांस्टेबल से आई० जी० तक क्लर्क से सैक्रटरी तक और एक फैक्टरी मजदूर से डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज तक उन के अपने आदमी लगे हुए हैं । अपने से मेरा मतलब वह अपनत्व है जिस से इनसान के अंदर

[श्री लाल चंद प्रार्थी]

कुदरती तौर पर मुहबत का जज़्बा जागता है । मैं ने पिछले दिनों सरमौर के इलाके का और नाहन का दौरा किया वहां मैं ने लोगों से पूछा, मज़दूरों और किसानों से हम मिले और तब हमें बताया गया कि हिमाचल में कोई corruption नहीं है । मामूली किसी छोटे level पर हो सकती है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं है । इसी तरह वहां खाने पीने की चीजों की किल्लत नहीं है दस्तकारी पनप रही है हर मैदान में तरक्की हो रही है, और जो लोग झौंपड़ियों में भी रहते हैं उन में भी एक तसल्ली है । एक इतमीनान का एसाहस है । मैं यह नहीं कहता कि पंजाब सरकार की हम पर कोई इनायत नहीं हैं लेकिन जब हम अपनी पड़ोसी state हिमाचल प्रदेश से मुकाबला करते हैं तो हमे कहना पड़ता है कि हम बहुत पीछे हैं ।

Deputy Speaker: Please wind up now.

श्री लाल चंद प्रार्थी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो बजट पर भी नहीं बोला था । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन बातों के इलावा जो सब से बदकिस्मती वाली बात है वह यह है कि हमारे इलाके में पंजाब से कोई मुलाज़म जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर उन्हें अपने बच्चों के लिए न मैडीकल फैसिलीटीज़ मिल सकती हैं और न ही तालीम का प्रबंध है । अंग्रेज के ज़माने की पुरानी रवायात चली आ रही है यानी जिस मुलाज़म को सज़ा देनी होती है उस को वहां पर भेजा जाता है मिसाल के तौर पर पिछले सालों में एक शखस ने secretariat के मुलाज़मों के हक में आवाज़ उठानी शुरू की कि उन का C. A/D. A वगैरा बढ़ाया जाए तो इस सरकार ने उस को सज़ा के तौर पर कुल्लू भेज दिया । जब लोगों को सज़ा के तौर पर वहां भेजा जाता है तो वह काम में कैसे दिलचसपी ले सकते हैं । वह उसे काले पानी की तरह समझते हैं और उस से आगे अगर उन को लाहौल सपिति में भेजा जाए तो उन की तनखाह और अलाऊंस डबल हो जाते हैं । इस लिए वे लोग महज वकत गुजारते हैं काम नहीं करते हैं । हमारे लोगों को तालीम में बैकवर्ड होने की वजह से सर्विसिज़ में वैसे ही नहीं लिया जाता और जो बाहिर से मुलाज़म भेजे जाते हैं उन को हमारे साथ हमदर्दी नहीं है । इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि यह हालत हमारे लिए न काबले बरदाश्त हो रही है ।

Deputy Speaker : I would request the hon. Member to resume his seat now. He will be accommodated at some other time.

श्री लाल चंद प्रार्थी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस का मतलब यह हुआ कि हम इस हाउस में भी पसमांदा ही रहें बाहिर तो हैं ही । आप के हुकम के मुताबिक मैं बैठ जाता हूं लेकिन अभी मैंने बहुत कुछ कहना था । मैं कहता हूं कि–

यह दस्तूरे जबां बन्दी है कैसी तेरी महिफल में ।
यहाँ तो बात करने को, तरसती है जबां अपनी ।।

———

PRESENTATION OF THE THIRD REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Deputy Speaker: Now I present the Third Report of the Business Advisory Committee.

The Committee met on the 20th March, 1964, at 11.30 a.m. The following attended the meeting—

1. Shrimati Shanno Devi, Deputy Speaker.
2. Pandit Mohan Lal, Home Minister.
3. Sardar Gulab Singh, Chief Parliamentary Secretary.
4. Chaudhri Devi Lal.
5. Sardar Gurnam Singh.
6. Dr. Baldev Parkash.
7. Shri Balramji Dass Tandon.
8. Comrade Jangir Singh Joga.
9. Chaudhri Hardwari Lal
10. Chaudhri Mukhtiar Singh Malik.
11. Comrade Shamsher Singh Josh.

(Nos. 6 to 11) By Special invitation.

The Committee, after some discussion, recommended that the business in the House be transacted as follows :—

Tuesday, the 24th March, 1964 (at 2.00 p. m.)	.. Resumption of discussion and voting of Demands for Grants fixed for Friday, the 20th March, 1964.
Wednesday, the 25th March, 1964.	.. The Punjab Appropriation Bill in respect of the Budget for the year 1964-65.
Thursday, the 26th March, 1964 (Ist sitting) (from 9.00 a.m. to 1.30 p. m.)	.. Non-official business.
Thursday, the 26th March, 1964 (2nd sitting from 3.00 p.m. to 6.30 p.m. no question hour)	.. (1) The Punjab Criminal Law (Amendment) Bill, 1964 along with the Resolution disapproving the Ordinance on the subject. (2) Resolution under Article 252 of the Constitution of India authorising the Parliament to regulate by law the storage of commodities other than those covered by the Warehousing Corporations Act, 1962.
Monday, the 30th March, 1964. Tuesday, the 31st March, 1964.	Resumption of discussion on the No-Confidence Motion against the Ministry as a whole.

The Committe decided to allot time for the disposal of pending business at its next meeting.

Home Minister (Shri Mohan Lal): Madam, I beg to move—

That this House agrees with the recommedations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker: Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker: Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS

(*Resumption of Discussion*) (*not concld.*)

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री चांद राम जी ने सोशलिस्टिक पैटर्न का haves and have nots का सवाल उठाया। उस के लिए मैं उन को मुबारकिबाद देता हूं लेकिन मैं एक फिकरा कहे बगैर नहीं रह सकता।

"An ounce of practice is better than a ton of theory."

उन्होंनें थियूरी ही कही है और प्रेक्टीकली वह कुछ नहीं करते। मेरे हलके में एक खेड़ी नाम का गांव है। जहां पर श्री चांद राम जी बतौर स्टेट मिनिस्टर के और श्री मोहन लाल जी भी बतौर मिनिस्टर गए थे। श्री मोहन लाल वहां पर पबलिक मीटिंग में एक हजार रुपया देने का वादा कर आए थे लेकिन वह बिल्कुल पूरा नहीं हुआ लेकिन मैंने और तरह से तीन हजार से ज्यादा रकम शैड्यूलड कास्ट कमिशनर से मंजूर करवाई है इस गवर्नमेंट को दो दफा लिख चुका हुं लेकिन अभी तक वह बात सिर नहीं चढ़ती। इस से साफ जाहिर हैं कि थ्योरी में यह सब कुछ कर देते हैं लेकिन प्रेक्टिस में कुछ नही करते। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सब ट्रैजरी बैंचिज वालों का contribution towards the poor जो है उसे ले कर मुकाबला कर के देख लिया जाए कि अगर वह मेरे अकेले के बराबर भी उतर आए तो मैं असेम्बली से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हुं। मैं चैलेंज करता हूं कि पंजाब से बाहिर का कोई कमिशनर मुकरर किया जाए और ट्रैज़री बैंचिज़ वाले अपना कंट्रीब्यूशन उस के सामने रखें और मैं अपना रखूंगा। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन उन सब से ज्यादा न हो तो मैं असतीफा दे दूंगा। मैंने इस हाउस में वादा किया था कि अगर मैं फस्ट चेयर को कुरप्ट साबत न कर सकूं तो मैं इस हाउस से रिज़ाइन कर दूंगा। मैं आज भी उसी वादे पर कायम हूं। यह एक चिठी है जो मुझे आज ही मिली है वह मैं हाउस में पढ़ना चाहता हूं।

"मुहतरिम कामरेड साहिब,

जय हिंद।

आज अदालत में चौधरी चंदन सिंह थानेदार और करतार सिंह, किरपाल सिंह, गुरदीप सिंह इकठे ही खड़े थे मैं भी अदालत में अपनी तारीख भुगतने के लिए खड़ा था। पहले तो इन कांग्रेसियों ने मुझे गालियां दीं फिर

थानेदार चौधरी चंदन सिंह ने मुझे धमका कर कहा कि मैं थानेदार ही नहीं मैं जाट भी हूं, तू छोकरा है तुझे पता नहीं मैं पैरों से मसल कर मार दूंगा और नाक रगड़वा दूंगा । आप ने कहा था कि थानेदार को समझा दिया है । आप को पता है कि यह हमला भी उसी की शह और साजश पर हुआ है अगर कोई इंतजाम न हुआ तो यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा मेरी हिफाजत का इन्तज़ाम किया जाय थानेदार के हाथ में तमाम बदमाश होते हैं । आप कहें तो मैं पुलीस कपतान को दरखास्त दे दूं" ।

चिट्ठी लिखने वाले का नाम है मनी राम, धोबियां मुहल्ला, करनाल । डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस आदमी ने पहले भी दरखास्त दी है कि इस गवर्नमेंट से और इस के पुर्जों से उस की जान को खतरा है । इस लिए यह बात मैं हाउस के नोटिस मे लाना चाहता हूं । इसी तरह यह एक और चिठी मुझे मिली है इस को भी और पहली चिठी को भी मैं हाउस की मेज़ पर रखता हूं।

एक भाई ने यहां कहा था कि अपने हल्के की बात करें और डीमांड रखें । मैं अर्ज करता हूं कि अगर हम अपने हलका की बात रखें और इस मिनिस्टरी को पता चल जाए तो किए हुए मन्जूरी के आर्डर कैंसल हो जाते हैं । मेरे हलका में एक जगह है जिसका नाम झूंडला है और वहां पर चौधरी रण सिंह की रिशतेदारी भी हो वहां पर मिडल स्कूल अपग्रेड हो गया था और मिनिस्टर के आर्डर भी हो गए थे (शोर) चौधरी रण सिंह ने वहां को चिठी भी लिख दी सारा गांव इस का गवाह है कि मन्जूरी हो गई है लेकिन जब चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने मन्जूरी कैंसल कर दी । यह है इनका कैरेक्टर । सैपेरेशन आफ जुडीशरी के बारे में हर साल हर सैशन में केस पलीड करते हैं कि हम क्यों चाहते है लेकिन यह नहीं करना चाहते । इस मामले में मैं और ज्यादा दलीलें देनी नहीं चाहता जो मेरी ज़ात से हों । मैं एक मिसाल ही देता हूं कयोंकि वक्त थोड़ा है । करनाल में एक शख्स मसदी लाल के खिलाफ इन पंडित जी की मेहरबानी से केस बनाया गया है । वह अब तक 13 पेशियां भुगत चुका है लेकिन शुरु नहीं होता है तारीखें ही पड़ रही हैं । करते क्या हैं कि जब चार बजते है तो कह देते है कि अब फलां तारीख को आओ । दूसरे हमारे एक लेडी मेम्बर बहन परसनी देवी जो हैं उनका भी एक केस एक साल से चल रहा है और वह 15 पेशीयां भुगत चुकी हैं ।

उपाध्यक्षा : किसी को तो छोड़ दें या सभी के नाम यहां लेने हैं ? (The hon. Member should spare at least some one. Does he want to refer to every one here ?)

कामरेड राम प्यारा : अच्छा जी मैं नाम नहीं लेता । मै अर्ज़ करता हूं कि उस केस का कुछ रिकार्ड अदालत ने सील किया था लेकिन वह सील अब टूट चुकी हुई है और इनको भी उस चीज का पता है मगर कोई एकशन नहीं लिया गया और

[कामरेड राम प्यारा]

लें भी कैसे खुद जो तुड़वाई । इसी लिए तो हम कहते है कि मैजिस्ट्रेटस इनके पंजे में रहते है और यही वजह है कि उनको पंजे में रखने के लिए जुडीशरी सैपेरेट नहीं करते । मैंनें डी. सी. करनाल के खिलाफ शिकायत की और मैनें इनके यहां लिखा कि चूंकि मैं शिकायत करने वाला हूं इस लिए मुझे इन चीजों के साबत करने का मौका दो और मैं साबत कर सकता हूं कि वह शराबी है, जुआरी है और ज़नाही हैं और न जाने क्या क्या हैं । लेकिन मुझे यह मौका नहीं देते । मैं हैरान हूं कि आखिर यह ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह लोगों को इन्साफ दे सकता है जिस का खुद यह हाल हो (घंटी) सिर्फ एक दो बातें करके बैठ जाता हूं । हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने एक जगह यह ऐफीडेवट दिया है that I have not dealt with this file लेकिन मैं ने उसी फाइल में इनके अपने किए हुए आर्डर साबत कर दिए हैं जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का यह कैरैकटर है उस स्टेट की तरक्की कैसे हो सकती है और उसमें कैसे इन्साफ मिल सकता है । अब आगे फिनांस मिनिस्टर साहिब आते हैं । उन को मैं ने लिखा हुआ है कि इस कैरों फैमली ने 2,31,250 रुपए अमरीका में ले लिए हैं और यहां उस अमरीकन कंपनी जो नैपको बैबल गियर कंपनी नाम की है उसको फरीदाबाद में कर्ज़ दे दिया है । उसको लिखे हुए दो महीने हो गए हैं और यहां हाउस में सवाल भी किया जो 19 या 20 फरवरी की लिस्ट पर था लेकिन आज तक उस का जवाब नहीं देते हैं कि क्या पुज़ीशन है । फिर आगे पंडित जी आ जाते हैं...

उपाध्यक्षा क्या आपने मिनिस्टर्ज़ को बारी बारी लेना है ? (हंसी) (Has the hon. Member decided to criticise every Minister in turn?

कामरेड राम प्यारा: हां जी (हंसी) । पंडित जी ने पिछले सैशन में हाउस को एशुरैंस दी थी कि करतार सिंह के खिलाफ ऐकशन लेंगे जिस के खिलाफ कि फर्टेलाईज़र सकैंडल का केस 1958 से पैंडिंग पड़ा है लेकिन ऐकशन तो इन्हों ने क्या लेना है वह पिछले दिनों इनको मिल कर गया है । वह बताएँ कि क्या वह इनको मिलकर नहीं गया है ? उसके ऊपर एक मामूली केस नहीं है बलिक उसने मारकिटिंग सुसायटी का 80 हज़ार रुपया देना था और महकमा ज़रायत का रुपया देना था । ऐसा होने के बावजूद अब भी उसके पास फर्टेलाइज़र ऐजैंसी मौजूद है और मैं कहता हुं कि आज अगर छापा मारा जाए तो वहां पर खाद पूरा नहीं निकलेगा । अब सरदार गुरबन्ता सिंह को ले लें... शोर..

आवाजें : सरदार दरबारा सिंह बीच में रह गए .. शोर

कामरेड राम प्यारा : चलो उनको छोड़ देता हुं । (हँसी) सरदार गुरबन्ता सिंह ने इसी हाउस में ढाणी के मुतालिक कहा था कि मीटिंग 12 जुलाइ को हुई थी लेकिन मैं ने उस वक्त कहा कि Minister has made a mis-statement । मीटिंग 17 जुलाई को हुई थी और अब यह बात साबत हो चुकी है कि मीटिंग 17 जुलाई को ही हुई थी और यह झूठे साबत हो चुके हैं । अब

आगे मितल साहिब बैठे हैं। मैं ने इनको दो चिट्ठियां लिखीं कि आपका महकमा सेलज़ टैक्स की बजाए चन्दे इकट्ठे करता है। इनका मुझे जवाब गया कि आपकी चिट्ठी महकमा को भेज दी गई है लेकिन अभी पांच सात दिनों में ज़िला करनाल में इनके महकमा ने चन्दे इकट्ठे किए हैं। मैं समझता हूं कि या तो इनको महकमा में कोई पूछता नहीं और इनकी चिट्ठियों का उन पर असर नहीं होता या यह यूं ही तसल्ली देने के लिए चिट्ठी लिख देते हैं और महकमा वालों को कह देते हैं कि हेरा फेरी जारी रखो। अब आगे चौधरी रणबीर सिंह जी बैठे हैं। उनको मैं ने जनवरी 1963 में चिट्ठी लिखी कि आपके महकमा के फलां आदमी ने इतनी कुरपशन की हुई है। मुझे इन्हों ने जनवरी में ही यह जवाब दिया कि यह केस ऐंटी कुरपशन महकमा के हवाले कर दिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आठ महीने बाद अगस्त के महीने में जब मैं हस्पताल से वापस आ गया या तो एंटी कुरपशन वालों का एक आदमी आता है कि कामरेड साहिब बताओ क्या बात है तहकीकात शुरू हो गई है। इनकी तहकीकात आठ महीने बाद शुरू होती है और अब भी पता नहीं कि उसका क्या बना है। मुझे पता है कि कुछ नहीं बना होगा क्योंकि वह आदमी इनकी प्रोटेक्टिड लिस्ट में है। इनके अगली सीट पर सरदार अजमेर सिंह जी बैठे हैं (घंटी) इन्हों ने एक स्टे आर्डर दिया था कि खेड़ी नरूरदी में जो इवैकुई ज़मीन है वह नीलाम न की जाए क्यों कि वह हरिजनों को दे दी जाएगी लेकिन अब महकमा वाले कहते हैं कि ज़मीन है ही नहीं है। यह है इनकी एफीशैंनसी का हाल। क्या वज़ीर साहिब बता सकते है कि जब रीहैबलीटेशन के महकमा वालों ने भी हरिजन वैलफेयर महकमा को लिख दिया था कि इतनी ज़मीन पड़ी है और उन्हों ने भी स्टे आर्डर कर दिए तो अब वह ज़मीन कहां गई है? अब पीछे सरदार गुलाब सिंह जी बैठे हैं (घंटी) बस जी अभी खत्म करता हूं............

आवाजें : इनको भी छोड़ दो।

कामरेड राम प्यारा : चलो इनको भी छोड़ देता हूं। मैं अर्ज़ करता हूं कि चंडीगढ़ बस स्टैंड पर जो लारकस होटल है उसके बारे में इस हाउस में काफी तफसील के साथ बताया जा चुका है इस लिए ज्यादा नहीं कहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट के महकमा के हर एक अफसर ने इस होटल को by negotiation देने की मुखालिफत की थी और फिनांस डीपार्टमेंट ने भी मुखालिफत की लेकिन उनका फायदा चूंकि कैरों फैमिली को होता था इस लिए डाक्टर गोपी चन्द ने उसके बावजूद दस्तखत कर दिए कि चलो इनको हो जाने दो (घंटी) एक बात और करके बैठ जाता हूं . . . .

उपाध्यक्षा : अब वक्त खत्म हो गया है। में हाउस एडजर्न करने वाली हूं। (The time is up, I am about to adjourn the House.)

कामरेड राम प्यारा : मैडम, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि "Truth is higher but still higher is truthful living" यह truthful living इनके किसी के दरमियान नहीं है । यह जो कांग्रेसी बैन्चों पर बैठे है इनके एक एक के बारे में चीफ मिनिस्टर साहिब ने फाइलें खोली हुई हैं । अगर इन में से पांच आदमी भी खड़े हो कर कह दें कि उनकी फाइलें नहीं बनी हैं तो मैं उनकी फाइलें निकाल दूंगा । आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम ने जो फाइलें देखी हैं उन से यह साबत हो गया है कि एक असिस्टैंट में तो बुराई को रिज़िस्ट करने की हिम्मत है और बुराई को बुराई कहने की जुरअत है लेकिन यह जो सामने वजीरों का टोला बैठा है यह तो एक असिस्टेंट से भी गया गुजरा है । इन में कोई हिम्मत नहीं और कोई जुरअत नहीं कि बुराई को बुराई कह सकें ।

उपाध्यक्षा : सदन सोमवार दो बजे के लिए एडर्जन होता है ।

(The House stands adjourned till 2.00 p. m. on Monday.)

1-30 p.m. | (the House, then, adjourned till Monday, the 23rd March, 1964.)

1144 PVS—386—20-6-64—C., P. & S., Pb., Patiala.

APPENDIX

To

P. V. S. Debates, Vol. I No. 22, dated the 20th March, 1964

STUDENTS IN DIFFERENT SCHOOLS, IN JANDIALA AND TARSIKKA BLOCKS, DISTRICT AMRITSAR

1499. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state —

(a) the total number of boys and girls, schoolwise, studying at present in each Government Primary School, Government Middle School and Government High and Higher Secondary School, situated in the Jandiala Block and in the Tarsikka Block in Amritsar District, separately;

(b) the number of Scheduled Caste students in each of the said schools;

(c) the names of the schools referred to above where free milk is being given to the students ;

(d) the total number of teachers at present in each of the said schools, giving the number of lady teachers separately;

(e) the names of the teachers referred to in part (d) above who have been punished due to poor results or otherwise since the reorganisation of the educational set-up (i.e., subordinate offices etc.) ?

Shri Mohan Lal : (a), (b), (d) & (e) Information is as follows.

(c) None.

BLOCK JANDIALA GURU

S. No.	Name of the School	Enrolment Boys and Girls combined	Scheduled Caste Students	Total No. of Teachers	
				Total	Women
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	2	3	4	5	6
	Government Primary School—				
1.	Amar Kot ..	68	42	2	1
2.	Ballia Manj Pur ..	155	32	3	1
3.	Bhangwan ..	147	28	4	—
4.	Bundala ..	565	72	15	8
5.	But ..	26	4	1	—
6.	Chapa Ram Singh ..	116	24	3	1
7.	Chohan ..	197	45	5	4
8.	Chinna ..	45	9	1	—
9.	Devi Daspura ..	185	36	5	1
10.	Dheer Kot ..	81	13	2	1

S. No.	Name of the School	Enrolment Boys & Girls combined	Scheduled Caste students	Total No. of Teachers	
				Total	Women
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	2	3	4	5	6
	Government Primary School—				
11.	Fatehpur Rajputan ..	200	37	5	4
12.	Gahli ..	109	22	3	—
13.	Ghanowal ..	89	21	2	—
14.	Gehri ..	346	101	8	6
15.	Jethuwal ..	84	6	2	1
16.	Janian ..	120	15	3	1
17.	Jandiala—1 ..	293	38	8	6
18.	Jandiala—2 ..	227	54	6	1
19.	Jandiala—3 ..	228	42	6	5
20.	Jandiala—1 (Girls) ..	401	12	10	10
21.	Jandiala—2 (Girls) ..	421	17	10	10
22.	Khalaria ..	23	5	1	—
23.	Kishan Pura ..	75	26	2	2
24.	Mallian ..	226	46	6	3
25.	Manawala Kalan ..	179	42	4	1
26.	Manawana Khurd ..	111	13	3	1
27.	Manian Khara ..	146	35	3	1
28.	Makhanwindi ..	190	39	4	2
29.	Nangal Dial Singh ..	142	23	3	1
30.	Nangal Guru ..	73	1	2	1
31.	Nawanpind ..	223	48	6	6
32.	Nijampura ..	223	36	5	5
33.	Kila Jiwan Singh ..	200	41	5	1
34.	Rana Kalan ..	72	9	2	—
35.	Rai Pur Kalan ..	140	19	4	2
36.	Sant Nagar ..	132	13	3	—
37.	Tara Garh ..	240	42	5	3
38.	Talwandi Togran ..	141	22	4	3
39.	Thatian ..	75	3	2	2
40.	Timowal ..	222	24	5	2
41.	Talwandi Dasunda Singh ..	227	40	5	2
42.	Wadala Joshal ..	215	37	5	2
43.	Wadali Dogran ..	80	14	2	1
44.	Galwali ..	158	30	4	1
45.	Vanchari ..	80	7	1	1
46.	Jagita Kalan ..	251	28	7	—
47.	Mehma ..	103	3	3	—
48.	Chati Wind ..	175	19	4	1
49.	Verpal ..	390	33	10	3
50.	Ibal Kalan ..	199	37	5	2
51.	Iban Khurd ..	70	19	2	

S. No.	Name of the School	Enrolment Boys & Girls combined	Scheduled Caste students	Total No. of Teachers	
				Total	Women
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	2	3	4	5	6
	Government Primary School—				
52.	Basarka Gillan ..	175	38	4	—
53.	Kotli Mian Khan ..	31	4	1	—
54.	Mandiala ..	35	7	1	1
55.	None ..	132	22	3	3
56.	Shafi Pur ..	86	6	2	1
57.	Government High School, Varpal	348	35	15	—
58.	Government High School, (Girls), Jandiala Guru	487	13	17	17
59.	Government Higher Secondary School, Jandiala Guru	1,275	137	39	—
60.	Government Middle School, Jethuwal	320	59	10	1
61.	Government Middle School, Chaba	404	39	11	4
62.	Government Middle School, Bhoru	263	28	8	—

TARSIKKA BLOCK

S.No.	Name of the School	Enrolment Boys & Girls combined	Scheduled Caste students	Total No. of Teachers	
				Total	Female
		(a)	(b)	(c)	(d)
1	2	3	4	5	6
	Government Primary School				
1.	Tarsikka ..	432	146	10	7
2.	Kot Khera ..	125	50	3	1
3.	Tarpura ..	71	31	2	1
4.	Rasulpur Khurd ..	104	10	2	1
5.	Serai Bulars ...	86	17	2	—
6.	Udo Nangal ..	177	50	4	1
7.	Suro Pudde ..	46	4	1	—
8.	Tenal ..	92	51	3	—
9.	Tenal Branch ..	73	28	2	1
10.	Ganshayampura ..	30	..	1	—
11.	Kohat Wind ..	83	41	2	1
12.	Sadhpur ..	77	29	2	—

S.No.	Name of the School		Enrolment Boys & Girls Combined (a)	Scheduled Caste students (b)	Total No. of Teacher Total (c)	Women (d)
1	2		3	4	5	6
	Government Primary School					
13.	Mehsampura	..	237	88	5	—
14.	Matewal	..	132	14	3	—
15.	Ram Dewali	..	229	100	3	—
16.	Kaler Bala Pai	..	74	16	2	—
17.	Khidowali	..	73	33	3	—
18.	Urgammanga	..	90	9	2	—
19.	Bholwali	..	61	4	1	—
20.	Udoke	..	354	—	8	—
21.	Sialke	..	122	39	8	—
22.	Bagga	..	99	35	2	—
23.	Batauchak	..	58	28	1	—
24.	Khera Bala Chak	..	97	19	2	—
25.	Mahodpura	..	45	23	1	—
26.	Mucahal	..	200	62	4	1
27.	Mucahal	..	126	30	3	3
28.	Tangra	..	190	71	4	3
29.	Banian and Ramanachak	..	107	13	4	1
30.	Kohal Akohat Wind	..	89	76	2	—
31.	Naraingarh	..	30	15	1	—
32.	Dehriwala	..	135	44	4	1
33.	Kot Heiat	..	39	6	1	—
34.	Jabbowal	..	258	—	5	—
35.	Jaspal	..	60	10	3	1
36.	Kalake	..	187	45	4	3
37.	Surja	..	50	23	1	—
38.	Jola Nagri	..	103	73	2	1
39.	Bhatike	..	172	58	4	1
40.	Bhorchi Rajputan	..	295	2	7	2
41.	Bhorchi Brahmna	..	129	43	4	1
42.	Thothian	..	151	28	3	2
43.	Rattan Garh	..	37	34	2	1
44.	Chajjalwadi	..	154	33	3	1
45.	Rasulpur Kalan	..	266	122	7	1
46.	Saido Lehal	..	224	183	6	1
47.	Lola	..	189	23	4	1
48.	G.H. Sec. School, Mehta Nangal	..	595	56	23	1
49.	G. H. S. Chhajjalwadi	..	440	67	15	—
50	G.G.M.S. Matewal	..	159	4	6	3
51.	G.G.M.S. Udho Nangal	..	226	39	8	8

[Home Minister]

S. No.	Name of the School	Enrolment Boys & Girls combined (a)	Scheduled Caste students (b)	Total No. of Teachers Total (c)	Total No. of Teachers Women (d)
1	2	3	4	5	6
	Government Primary School—				
52.	G.G.M.S. Chhajjalwadi ..	196	17	9	9
53.	G.M.S. Chananke ..	292	49	9	..
54.	G.M.S. Dhulka ..	411	69	2	2
55.	G.M.S. Maluwal ..	240	25	8	3
56.	G.M.S. Akal Garh Dhapian ..	313	63	9	2
57.	G.M.S. Tehli Sahib ..	295	62	10	..
58.	G.H.S. Ram Dewali ..	109	6	7	1
59.	Behni Badesha ..	79	79	1	1

STATEMENT SHOWING NAMES OF TEACHERS WHO HAVE BEEN PUNISHED DUE TO POOR RESULT OR OTHERWISE
(Part E)

BLOCK TARSIKKA

	Name of the School	*Name of the teacher*
	1	2
1.	Govt. Primary School, Udho Nangal ..	Shri Gurbax Singh
2.	Govt. Higher Secondary School, Mehta Nangal ..	Shri Nand Lal Shri Karam Jit Singh Shri Balbir Singh
3.	Govt. High School, Chhajjalwadi ..	Shri Sohan Singh
4.	Govt. Girls Middle School, Chhajjalwadi ..	Smt. Surjit Bindra
5.	Govt. Middle School, Akal Garh Dhapian ..	Shri Didar Singh
6.	Govt. Middle School, Tehli Sahib ..	Shri Jagan Nath
	BLOCK JANDIALA	
7.	Govt. Girls Primary School, Jandial I. ..	Sarvshrimati F. B. Santu Mal, Amarjit Kaur, Balwinder Kaur and Malka Devi
8.	Govt. Primary School, Makhan Windi ..	Shri Lal Singh
9.	Govt. Primary School, Sant Nagar ..	Shri Sant Singh
10.	Govt. High School, Varpal ..	Shri Bansi Lal H.M. Shri Brij Lal
11.	Govt. Hr. Secondary School, Jandiala Guru ..	Shri S. K. Kaul
12.	Govt. Middle School, Bhoru ..	Shri Jagdish Mitter

—

Seed Farms in the State

1517. Comrade Ram Chandra : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and location of the present seed farms in the State and the area of each;

(b) the total price paid for the land acquired for each of the said farms and the year of is purchase in each case;

(c) the total expenses incurred on each of the said farms, the quality and quantity of the seeds so far raised at each of the said farms, yearwise ?

Subject:—Unstarred Assembly Question No. 1517, regarding Seed Farms in the State.

The answer to Assembly Question No. 1517 appearing in the list of unstarred questions for the 20th March, 1964, in the name of Shri Ram Chandra, M.L.A., is not ready. The reply will be sent as soon as the relevant information is collected.

Sd/- PARTAP SINGH
Chief Minister, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.
U.O. No. 342(A.Q)-Agr.II(X)-64/722, dated Chandigarh, the 19th March, 1964.

1144—P. V. S. 10—8—64, 386—Copies, C. P. & S. Pb. Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

24th March, 1964

Vol. I—No. 23

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday the 24th March, 1964

Price : Rs. 4.90 Paise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 23,
DATED THE 24TH MARCH, 1964.

Read	*for*	*page*	*line*
NAUSHERA PANWAN	NAUSHERA ANWAN	(23)21	14
does	dqes	(23)44	4 from below
to	tc	(23)44	3 from below
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(23)45	9
exonerated	exoverated	(23)51	45 Col. (b)
गिलोटीन	गिलोटोन	(23)73	24
मिनिस्टर	निमिस्टर	(23)74	17
Administration	Adminisratio.1	(23)88	14 from below
Demands	Demads	(23)88	9 from below
under	uhder	(23)90	23
Ayes : 71	Eyes : 71	(23)91	21
Noes : 34	Notes : 34	(23)91	22
respect	respec	(23)92	4 from below
respect	respec	(23)93	15
defray	defrary	(23)93	5
course	xourse	(23)93	11 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 24th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock.

ABSENCE OF THE DEPUTY SPEAKER

Secretary : I have to inform the House that the Deputy Speaker is unavoidably absent. Sardar Gurnam Singh, a Member of the Panel of Chairmen, will, therefore, take the Chair.

(*At this stage Sardar Gurnam Singh occupied the Chair.*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Loans advanced under he Low-Income-Group and Middle-Income-Group Housing Scheme

***4822. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state the amount of loans advanced under the Low-Income-Group Housing Scheme and the Middle-Income-Group Housing Scheme in the State and in district Hissar, separately, during the period 1st January, 1961 to date together with the names of the loanees ?

Sardar Darbara Singh : A sum of Rs 87,96,270 including Rs 7,98,000 pertaining to district Hissar under Low-Income-Group Housing Scheme and Rs 1,60,99,920 including Rs 9,84,000 pertaining to district Hissar under Middle-Income-Group Housing Scheme (excluding district Lahaul and Spiti, information from which is still awaited) have been disbursed from 1st January, 1961 to 31st January, 1964.

A list indicating the names of loanees is *laid on the Table.

श्री अमर सिंह : मेरे पास जवाब की लिस्ट नहीं आई है और टेबल पर रखी है । क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जैसा कि सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत रुपया दिया गया है, क्या सरकार के पास कोई शिकायतें भी आई हैं कि इस स्कीम के लिए रुपया दिया गया है लेकिन हाउस नहीं बनाए गए हैं ?

विकास मन्त्री : माननीय सदस्य ने जो इन्फरमेशन मांगी थी वह दे दी गई है । यह इन्फरमेशन इतनी बड़ी है । यह इन्फरमेशन बहुत एग्जास्टव है । उन्होंने शायद यह इन्फरमेशन देखी नहीं है । माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस से यह सवाल एराइज नहीं होता है ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the Honourable Minister the maximum amount of loan admissible both under the Low-Income Group-Housing Scheme and the Middle-Income Group Housing Scheme, separately ?

---

*Note. Placed in the Library.

मन्त्री : लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्दर 8 हज़ार और मिडल इन्कम ग्रुप स्कीम के अन्दर 15 हजार रुपया दिया जाता है।

Chaudhri Darshan Singh : Is it a fact that in the case of the Middle-Income-Group Housing Scheme, the limit of loan advanced goes up to Rs 20,000 ?

Minister : Yes, in certain cases, it goes up to Rs 20,000.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the Honourable Minister whether it is a fact that the loan sanctioned by the Government under the Low-Income-Group Housing Scheme, is being disbursed at the fag end of the year, and it is not distributed during the course of the year ?

Minister : No, the Honourable Member is mistaken. Sometime however, some loan is distributed at the end of the year.

श्री राम किशन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि हाउसिंग लोन के सम्बन्ध में कई लोगों को लो इन्कम और मिडल इन्कम स्कीमज़ के अण्डर पिछले साल में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो रुपया अलाट हुआ था क्या वह रुपया किसी और मद में डाइवर्ट किया गया है ; अगर किया गया है तो इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : हो सकता है कि एडजस्टमैंट करने के लिए और मद में रुपया दिया गया हो। यह रुपया लोकल बाडीज को भी दिया गया है।

Chaudhri Darshan Singh : I presume that the scheme is meant for building residential houses. But, may I know whether the list of loanees includes certain institutions also, such as colleges, etc ?

Minister : Some of the funds were diverted to the local bodies, but there too, the loan was meant for setting up certain colonies.

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अण्डर सब जगह लोन मिलता है और लोगों की बहुत सी एप्लीकेशन्ज़ आई हैं। क्या सरकार इस स्कीम के अन्दर ज्यादा रुपया प्रोवाइड करेगी ।

मन्त्री : अभी तक कोई ऐसी तजवीज सरकार के ज़ेरेगौर नहीं है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

कामरेड राम चन्द्र : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जब लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए 12 हज़ार रुपया मुकर्रर किया है तो किन हालात के कारण 20 हज़ार रुपया इसी स्कीम के अन्दर लोगों को दिया गया है ?

मन्त्री : इस के बारे में तहकीकात की जाती है। और अगर उन को ज़रूरत हो तो ज्यादा रुपया दिया जाता है।

Starred Question No. *4393

Mr. Chairman : The next question (4393) is by Comrade Ram Piara. The Government have asked for its postponement, as the relevant files have been sent to the Das Commission.

श्री बलराम जी दास टण्डन : फाइलें सरकार के पास हैं। सरकार हाउस को गलत इन्फरमेशन दे रही है।

Home Minister : These files are at Delhi with Government officials in connection with the enquiry by the Das Commission.

Mr. Chairman : It means that they are not with the Das Commission. When will you get them back ?

Minister : The Capital Project Minister met me this morning and he told me that the files were at Delhi. As soon as they are received back, the requisite information will be given.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। गवर्नमेंट 15 दिन के अन्दर सवाल का जवाब मंगवा लेती है, चाहे यह इन्फरमेशन तहसील तरनतारन के छोटे से गांव से सम्बन्ध रखती हो। इस सवाल को दिए हुए काफी वक्त हो गया है। पहले इस सवाल को पोस्टपोन किया गया और अब फिर पोस्टपोन कर दिया गया है। सरकार को इस बारे में इन्फरमेशन देने में क्या दिक्कत है जबकि यह इन्फरमेशन इन के पास है?

Minister : The question is of getting back the files. Since arguments are going on at Delhi, the files are required there by Government officials. They will be asked to send back the files when no longer required by them.

Mr. Chairman : Will you please give the definite date by which you will be able to have the files back ?

Minister : I am sorry it is not possible for me to give any definite date in this connection. Unfortunately the Minister incharge is not present in the House today. He is, at present, attending the meeting of the Council. He just briefed me about the facts before going there at 2.00 p.m. I am, therefore, unable to give any definite date.

Mr. Chairman : It will be proper to postpone this Question. Let us first hear the Minister concerned.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इस के बारे में फाइल गवर्नमेंट के पास है। यह फाइल दास कमीशन के पास नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां पर मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इन्फरमेशन मांगी गई है वह वहां से आ सकती है। जैसा कि अमृतसर जिले से कोई इन्फरमेशन की जरूरत हो तो वहां पर सवाल भेज दिया जाता है और इन्फरमेशन यहां पर पहुंच जाती है। यहां पर कंसर्नड फाइल नहीं मंगवाई जाती है। सरकार ने कहा है कि फाइल यहां पर नहीं है तो सवाल वहां पर भेजा जा सकता है और वहां से सवाल का जवाब आ सकता है। फाइल मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है।

मन्त्री : माननीय सदस्य को इस बारे में ग़लत फहमी हो गई है। सवाल का जवाब कंसर्न्ड डिपार्टमैंट तैयार करता है। यह सवाल एक्साइज ऐंड टैक्सेशन और कैपीटल प्राजैक्ट डिपार्टमैंट से ताल्लुक रखता है। वह अपनी फाइल देख कर जवाब तैयार करते हैं। दूसरे डिपार्टमैंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन के रिप्रीजेंटेटिव वहां पर नहीं होते हैं। वहां से फाइल आएगी तो उस को देखकर जवाब तैयार किया जाएगा।

Mr. Chairman : This Question is postponed till tomorrow. Let the Minister concerned come.

Starred Question No . *4507

Mr. Chairman : The next question is by Chaudhri Khurshed Ahmed.

(*At this stage Comrade Makhan Singh Tarsikka rose in his seat.*)

Mr. Chairman : Have you got the authority to put the question ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Mr. Chairman : I am sorry, then I won't allow.

Setting up Industrial Estate at Hansi, district Hissar.

***4828. Shri Amar Singh** : Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 4013 included in the list of Starred Questions for 16th September, 1963 be pleased to state the progress so far made in the matter of establishing an Industrial Estate at Hansi, district Hissar ?

Sardar Partap Singh Kairon : The site originally selected had to be abondened due to disputed ownership and an alternative site for the purpose is being selected.

श्री अमर सिंह : पहली साइट को रीजैक्ट कर के दूसरी साइट का बंदोबस्त किया जा रहा था, यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताई थी। क्या अब वह मेहरबानी कर के बताएंगे कि कब तक दूसरी साइट का बंदोबस्त हो जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : साइट चुनने में दिक्कत होती है। कई लोगों के एतराज़ सुनने पड़ते हैं, उन को मनाना पड़ता है इस लिये आफ हैंड नहीं कह सकता कि कितनी देर लग जाएगी।

श्री अमर सिंह : लास्ट सेशन में चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि अक्तूबर, 1953 में इंडस्ट्रियल एस्टेट को शुरु कर रहे हैं लेकिन अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ। क्या मुख्य मन्त्री साहिब इस बात पर रौशनी डालेंगे कि कब तक इस का बंदोबस्त हो जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : इससे ज्यादा इत्तलाह मेरे पास नहीं है।

News print Factory at Nangal

*5045. **Shri Surrinder Nath Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the final selection of location for a Newsprint Factory at Nangal has been approved by the Government ;

(b) whether the technical and economic investigations in connection with the said Factory have been completed ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the time by which the said factory is expected to start functioning ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) No.

(c) Does not arise.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि न्यूज़प्रिंट फैक्टरी का फैसला करते वक्त उस जगह का ध्यान रखेंगे जहां पर कि हिमाचल प्रदेश, होशयारपुर और कांगड़ा की बांउन्डरीज़ आपस में मिलती हैं ?

मुख्य मन्त्री : यह प्राइवेट एंटरप्राइज़ है इस लिये सरकार किस तरह ध्यान रख सकती है। उन को अपनी मर्ज़ी है। उन का इकनौमिक वे आफ हैंडलिंग सारी चीज़ को करने का होता है।

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know whether it is a fact that the setting up of this newsprint factory is being delayed under pressure from Messrs Karam Chand Thapar and Sons, who are running a Paper Mill at Jagadhri ?

Chief Minister : That fact is also there. They will lose the money if the setting up of the Factory is delayed.

Chaudhri Darshan Singh : May I know whether this matter was considered by the Industrial Sub-Committee ?

Chief Minister : I do not recollect this. The Honourable Member may give a separate notice if he wants the information.

Grant to Village Panchayat, Sangatpura Sodhian, tehsil Sirhind, district Patiala

*5009. **Comrade Didar Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Panchayat of village Sangatpura Sodhian, tehsil Sirhind, district Patiala, was elected unopposed in 1957 ;

(b) whether the Grant of Rs 2,000 which Government decided to give to the Panchayats which were elected unopposed was given to the Panchayat mentioned in part (a) above; if not, the reasons therefor and the approximate time by which it is likely to be given ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

Newly Registered Voters for Panchayats Elections in Amritsar District

*4773. **Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of voters newly registered for the recent Panchayat elections in Amritsar District ;

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(b) the dates on which applications for registration of voters referred to in part (a) above were received, blockwise and villagewise and the dates on which they were received back in the district office after proper verification ;

(c) the dates on which the Electoral Officers or the Returning Officers concerned passed orders regarding the publication of lists of voters referred to in part (a) above, blockwise and villagewise ;

(d) the dates on which the said lists duly printed were received in the district office ;

(e) the dates on which the voters list referred to in part (d) above were received at Block Headquarters, villagewise, together with the date fixed for filling nomination papers in respect of each village ;

(f) the names and full addresses of the persons who purchased the newly printed supplementary voters lists in Amritsar District and the price paid by each of them ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 16,327.

(b) to (e) A sta tement giving this information is laid on the table of the House .

(f) No person purchased the said lists.

STATEMENT

Serial No.	Name of Village	Part (a) No. of newly registered voters	Part (b) date of receipt of application by E.R.O.	Part (b) Date on which verification report was received	Part (c) Date on which the E.R.O. passed orders for inclusion	Part (d) Date of receipt of printed list in District office	Part (e) Date of supply to Block Head-quarters	Part (e) Date of nomination papers
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JANDIALA BLOCK							
1	Jannian ..	104					24-12-63	3-1-64
2	Mehma ..	1					28-12-63	1-1-64
3	Vanchari	43					28-12-63	3-1-64
4	Verpal ..	62					24-12-63	28-12-63
5	Jhita Kalan ..	66					24-12-63	1-1-64
6	Bashambarpura ..	25					24-12-63	26-12-63
7	Nawan Kot ..	5					27-12-63	30-12-63
8	Bhagtupura ..	10	8-11-63 to 16-12-63	15-11-63 to 17-12-63	28-11-63 to 19-12-63	30-11-63 to 24-12-63	24-12-63	30-12-63
9	Jhita Khurd ..	5					27-12-63	28-12-63
10	Rakh Jhita ..	35					27-12-63	28-12-63
11	Thathi ..	6					27-12-63	26-12-63
12	Meharvanpura ..	6					28-12-63	3-1-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Talwandi Degran ..	67					28-12-63	21-12-63
14	Rakh Devidaspura ..	17					28-12-63	1-1-64
15	Vadala Johal ..	7					24-12-63	1-1-64
16	Nangal Dayal Singh ..	1					28-12-63	3-1-64
17	Malikpur ..	64					28-12-63	26-12-63
18	Meaka ..	12					28/27-12-63	30-12-63
19	Manawala ..	25					27-12-63	3-1-64
20	Wadali Dogran ..	61	8-11-63 to 16-12-63	15-11-63 to 17-12-63	28-11-63 to 19-12-63	30-11-63 to 24-12-63	27/29-12-63	30-12-63
21	Fatehpur Rajputana ..	88					24-12-63	30-12-63
22	Nizampura ..	85					28-12-63	1-1-64
23	Makhanwindi ..	6					28-12-63	3-1-64
24	Basarke ..	54					28-12-63	28-12-63
25	Nawanpind ..	44					28-12-63	28-12-63
26	Rana Kala ..	48					24-12-63	28-12-63
27	Mandiala ..	21					24-12-63	28-12-63
28	Ibban Khurd ..	23					24-12-63	26-12-63
29	Bhoru ..	5					28-12-63	1-1-64

No.	Village		Number						
30	Jathuwal	..	30					28-12-63	3-1-64
31	Dhilhala	..	18					24-12-63	26-12-63
32	Chatiwind	..	18					24-12-63	1-1-64
33	Raipur Kalan	..	4					24-12-63	26-12-63
	BLOCK AJNALA								
1	Doujowal	..	26					26-12-63	26-12-63
2	Shehzada	..	5					27-12-63	30-12-63
3	Malikpur	..	20					26-12-63	30-12-63
4	Daria Moosa	..	1					27-12-63	30-12-63
5	Dhurian	..	34					27-12-63	1-1-64
6	Kalo Mahl	..	21					29-12-63	3-12-63
7	Sultan Wali	..	11					27-12-63	3-1-64
8	Dhalal	..	3	25-10-63 to 6-12-63	12-11-63 to 24-12-63	20-11-63 to 31-12-63	23-11-63 to 2-1-64	27-12-63	28-12-63
9	Samrali	..	17					27-12-63	28-12-63
10	Anaitpura	..	3					27-12-63	1-1-64
11	Gagomahl	..	128					27-12-63	28-12-63
12	Ramdass	..	78					25-12-63	26-12-63
13	Bajwa	..	2					26-12-63	26-12-63
14	Bal-I-oi-Daria	..	10					30-12-63	3-1-64
15	Samrai	..	15					27-12-63	28-12-63

1	2		3	4	5	6	7	8	9
16	Singoke	...	26					26-12-63	28-12-63
17	Nisoke	...	14					26-12-63	28-12-63
18	Machiwala	...	4					2-1-64	3-1-64
19	Jatta	...	34					29-12-63	30-12-63
20	Passian	...	35					29-12-63	30-12-63
21	Kot Gurbax	...	23					30-12-63	3-1-64
22	Mehmad Mandranwala	...	9					30-12-63	30-12-63
23	Pandori	...	21					26-12-63	30-12-63
24	Katla	...	85					24-12-63	26-12-63
25	Awan	...	44					26-12-63	3-1-64
26	Perowal	...	9	25-10-63 to 6-12-63	12-11-63 to 24-12-63	20-4-63 to 31-12-63	23-11-63 to 2·1·64	25-12-63	26-12-63
27	Lukhuwal	...	2					27-12-63	28-12-63
28	Rurewal	...	1					30-12-63	1-1-64
29	Dhangai	...	4					25-12-63	3-1-64
30	Kotla Saddar	...	19					25-12-63	26-12-63
31	Abusaid	...	20					25-12-63	26-12-63
32	Vachoa	...	42					26-12-63	3-1-64
33	Kot Kesra Singh	...	24					26-12-63	28-12-63

34	Bal Bawa	..	27	28-12-63	28-12-63
35	Talwandi Nahar	..	1	30-12-63	30-12-63
36	Machhi Nangal	..	63	25-12-63	1-1-64
37	Kandowali	..	20	25-12-63	26-12-63
38	Ranewali	..	21	27-12-63	28-12-63
39	Sangatpur	..	45	3-1-64	3-1-64
40	Adliwala	..	2	28-12-63	3-1-64
41	Malhu Nangal	..	12	25-12-63	28-12-63
42	Bhala Pind	..	2	25-12-63	26-12-63
43	Bohlian	..	28	2-1-64	3-1-64
44	Kamir Pura	..	5	31-12-63	1-1-64
45	Vanjanwala	..	28	26-12-63	3-1-64
46	Kotli Koratana	..	3	26-12-63	28-12-63
47	Ajnala	..	291	25-12-63	26-12-63
48	Gujarpura	..	55	26-12-63	3-1-64
49	Ibrahimpura	..	63	29-12-63	1-1-64
50	Aliwal	..	21	29-12-63	30-12-63
51	Gorala	..	61		
52	Kotli Kazian	..	9	27-12-63	1-1-63
53	Bhoppa Tara Singh	..	17	25-12-63	26-12-63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			BLOCK AJNALA (*concld.*)					
54	Bhaka Hari Singh	13	25-10-63 to 6-12-63	12-11-63 to 24-12-63	20-4-63 to 32-12-63	23-11-63 to 2-1-64	31-12-63	3-1-64
55	Teri	45					30-12-63	30-12-63
56	Kotli Amb	32					29-12-63	3-1-64
57	Jagdey Khurd	59					26-12-63	26-12-63
58	Talwandi Rai Dadu	13					2-1-64	3-1-64
59	Chak Bala	27					26-12-63	26-12-63
60	Sarangdev	120					27-12-63	28-12-63
61	Fatewal	18					26-12-63	26-12-63
62	Jaffarkot	18					26-12-63	1-1-64
63	Dalla Rajpuran	6					29-12-63	1-1-64
64	Sahuwal	11					29-12-63	1-1-64
65	Isa Pur	3					29-12-63	30-12-63
66	Rai Pur Khurd	22					29-12-63	30-12-63
			BLOCK PATTI					
1	Pingari	43					29-12-63	30-12-63
2	Pangota	28					29-12-63	3-1-64
3	Nadohar	69					29-12-63	1-1-64

4	Raipur Balim	–	10					29-12-63	30-12-63
5	Chuslewar	–	7					25-12-63	28-12-63
6	Thakarpura	–	26					25-12-63	28-12-63
7	Bopa Rai	–	27					25-12-63	30-12-63
8	Shaheed	–	47					25-12-63	26-12-63
9	Barwala	–	22					25-12-63	28-12-63
10	Cheema	–	16					25-12-63	26-12-63
11	Ubke	–	35	5-11-63 to 16-12-63	15-11-63 to 31-12-63	18-12-63 to 21-12-63	21-12-63 to 26-12-63	26-12-63	28-12-63
12	Nabipur	–	31					25-12-63	1-1-64
13	Kirtowal	–	39					25-12-63	30-12-63
14	Burj Deva Singh	–	7					25-12-63	30-12-63
15	Narike	–	48					25-12-63	26-12-63
16	Jhariala	–	98					29-12-63	1-1-64
17	Kulla	–	57					26-12-63	28-12-63
18	Lhariwal	–	15					29-12-63	1-1-64
19	Sabarai	–	55					29-12-63	3-1-64
20	Tung	–	15					25-12-63	26-12-63
	BLOCK VALTOHA								
1	Amirke	–	43	4-11-63 to 17-12-63	17-12-63 to 31-12-63	20-12-63 to 26-12-63	21-12-63 to 26-12-63	25-12-63	30-12-63
2	Asal Uttar	..						25-12-63	30-12-63
3	Dhul Nau		14					25-12-63	28-12-63

2		3	4	5	6	7	8	9
4 Bhure Karimpura	—	70					25-12-63	30-12-63
5 Behrawal	—	30					25-12-63	26-12-63
6 Chak Bamba	—	10					28-12-63	30-12-63
7 Dasuwal	—	54					25-12-63	26-12-63
8 Dholan	—	37					25-12-63	28-12-63
9 Dhula Kohna	—	38					31-12-63	3-1-64
10 Dibipura		31	4-11-63 to 17-12-63	17-12-63 to 31-12-63	20-12-63 to 26-12-63	21-12-63 to 26-12-63	25-12-63	3-1-64
11 Kalas	—	14					25-12-63	26-12-63
12 Kalanjar Uttar		—					25-12-63	3-1-64
13 Mehmudpura	—	83					26-12-63	26-12-63
14 Masatgarh	—	32					25-12-63	28-12-63
	—	7					26-1-63	3-1-64
15 Poonian	—	7					25-12-63	3-1-64
16 Rajoke	—	16					25-12-63	1-1-64
17 Valtoha	—	13					25-12-63	1-1-64
18 Madar Mathra Bhagi	—	9					25-12-63	28-12-63
19 Manawan	—	104					31-12-63	1-1-64
BLOCK BHIKHIWIND								
1 Bua	—	50	15-11-63 to 16-12-63	15-11-63 to 31-12-63	20-12-63 to 26-12-63	23-12-63 to 26-12-63	30-12-63	3-1-64
2 Bhai Ladha	—	45					30-12-63	3-1-64

3	Bur Chand	...	28					26-12-63	28-12-63
4	Dyal Pura	...	35					26-12-63	3-1-64
5	Lakhna	...	30					25-12-63	3-1-64
6	Tapa	...	10					25-12-63	30-12-63
7	Bargari	..	7					25-12-63	28-12-63
8	Mari Nau Abad	...	1					25-12-63	3-1-64
9	Thung	...	39					31-12-63	26-12-63
10	Bholra	..	105					26-12-63	28-12-63
11	Bhikhiwind	...	85					25-12-63	3-1-64
12	Bhaini Masa Singh	...	104	5-11-63 to 16-12-63	15-11-63 to 31-12-63	20-12-63 to 26-12-63	23-12-63 to 26-12-63	25-12-63	1-1-64
13	Chela	...	80					25-12-63	1-1-64
14	Pahalwanke	...	3					25-12-63	26-12-63
15	Bhagwan Pura	...	26					25-12-63	28-12-63
16	Sur Singh	...	77					25-12-63	28-12-63
17	Narili	...	2					25-12-63	26-12-63
18	Viram	...	20					26-12-63	1-1-64
19	Mugal Chak	...	78					27-12-63	28-12-63
20	Dode	..	25					25-12-63	30-12-63
21	Gilpan	...	9					26-12-63	3-1-64
22	Mari Koloke	...	32					26-12-63	28-1-63
23	Basarke	...	64					26-12-63	30-12-63

1	2		3	4	5	6	7	8	9
						BLOCK TARN TARAN			
1	Panjewan	..	13					24-12-63	26-12-63
2	Jhubal	..	27					29-12-63	20-12-63
3	Pandori Sidhwan	..	81					30-12-63	26-12-63
4	Lalo Chuman	..	81					30-12-63	3-1-63
5	Pandori Takhat Mal	..	49					30-12-63	26-12-63
6	Bugga	..	96					29/30-12-63	3-1-64
7	Fala Saur	..	1					29-12-63	3-1-64
8	Tharu	..	18					28-12-63	30-12-63
9	Nurian	..	30					24-12-63	1-1-64
10	Kawael lal	..	36					24-12-63	3-1-64
11	Kazikot	..	98					25-12-63	1-11-64
12	Kaka Kariala	..	1					25-12-63	1-1-64
13	Fateh Chak	..	58					28-12-63	26-12-63
14	Muradpura	..	12					28-12-63	30-12-63
15	Mirpur	..	21					28-12-63	1-1-64
16	Aladin Pur	..	42					25-12-63	26-12-64
17	Bath Koth	..	61	28-10-63 to 6-12-63	15-11-63 to 24-12-63	20-11-63 to 31-12-63	25-11-63 to 2-1-64	29-12-63	1-1-64
18	Bhullar	..	37						

19	Jodhpur	..	55				24-12-63	26-12-63
20	Kotli	..	36				29-12-63	28-12-63
21	Naurangabad	..	110				29-12-63	30-12-63
21	Naurangabad	..	110				24-12-63	28-12-63
22	Pataul	..	25				3-1-64	3-1-64
23	Sanghe	..	58				27-12-63	30-12-63
25	Khara	..	100				29-12-63	1-1-64
26	Malia	..	69				3-1-64	3-1-64
27	Mugal Chak	..	28				30-12-63	3-1-64
28	Pandori Gola	..	31				26-12-63	28-12-63
29	Kamboj	..	33				28-12-63	3-1-64
30	Dublian	..	8				29-12-63	30-12-63
31	Musse	..	40				24-12-63	26-12-63
32	Padhri Kalan	..	40				24-12-63	26-12-63
33	Gil Warach	..	27				29-12-63	1-1-64
34	Bali pur	..	7				29-12-63	30-12-63
35	Kot Jaspat	..	6				24-12-63	26-12-63
36	Manochahal	..	13				29-12-63	1-1-64

BLOCK VERKA

1	Bharai Wal	..	55	28-10-63 to 16-12-63	8-11-63 to 18-12-63	29-11-63 to 31-12-63	6-12-63 to 26-12-63	4-12-63	3-1-64
2	Kot Khalsa	..	9					24-12-63	28-12-63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wadali Guru ..	1					28-12-63	30-12-63
4	Khapeer Kheri ..	3					24-12-63	3-1-64
5	Kulan Behram ..	1					1-1-64	3-1-64
6	Khasa ..	10					30-12-63	30-12-63
7	Hamidpura ..	13					3-1-64	3-1-64
8	Wadala Bhitewal ..	5					24-12-63	1-1-64
9	Dhaul Khurd ..	44					24-12-63	1-1-64
10	Kotla Dal Singh ..	53					24-12-63	30-12-63
11	Mahal ..	141					24-12-63	28-12-63
12	Dhaul Kalan ..	6					24-12-63	3-1-64
13	Kambo ..	9					28-12-63	30-12-63
14	Heir ..	1					30-12-63	21-1-64
15	Miran Kot Khurd ..	13					26-12-63	28-12-63
16	Miran Kot Kalan ..	49					26-12-63	30-12-63
17	Gumtala ..	2					24-12-63	26-12-63
18	Naushehra Nangli ..	2					24-12-63	3-1-64
19	Bhaini Gillan ..	39	28-10-63 to 16-12-63	8-11-63 to 18-12-63	29-11-63 to 31-12-63	6-12-63 to 26-12-63	24-12-63	1-1-64
20	Pandori Warach ..	8					24-12-63	3-1-64

21	Verka	..	75				28-12-63	1-1-64
22	Tungbala	..	187				26-12-63	28-12-63
23	Vijay Nagar	..	2				24-12-63	2[illegible]-12-63
24	Gopal Nagar	..	53				24-12-63	26-12-63
25	Abli Dhapai	..	5				24-12-63	26-12-63
26	Sultanwind	..	81				24-12-63	26-12-63
27	Kot Mit Singh	..	2				24-12-63	28-12-63
28	Makboolpura	..	22				24-12-63	26-12-63
29	Walla	..	174				28-12-63	30-12-63
30	Khankot	..	2				1-1-64	3-1-64
31	Fatehgarh Sukar Chak	..	22				24-12-63	3-1-64
32	Mohdal	..	49				24-12-63	30-12-63
33	Sohian Khurd	..	13				24-12-63	28-12-63
34	Loharka Khurd	..	18				25-12-63	3-1-64
35	Dal Khurd	..	22				25-12-63	26-12-63
	BLOCK TARSIKKA							
1	Udho Nangal	..	53				24-12-63	26-12-63
2	Sure Padda	..	48				24-12-63	30-12-63
3	Bhaini Badeshan	..	5	10-11-63 to 16-12-63	30-11-60 to 26-12-63	4-12-63 to 26-12-63	9-12-63 to 26-12-63	28-12-63	1-1-64
4	Thothian	..	1				27-12-63	30-12-63
5	Madopur	..	31				26-12-63	28-12-63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bhorchhi Brahmna ..	49					24-12-63	3-1-64
7	Argan Manga ..	55					27/24-12-63	26-12-63
8	Jaspal ..	6					24-12-63	3-1-64
9	Mohnian Brahmnan ..	20					25-12-63	3-1-64
10	Chogawan ..	28					24-12-63	26-12-63
11	Narunale ..	7					27-12-63	30-12-63
12	Silaka ..	75					24/25-12-63	30-12-63
13	Kehmoodpur ..	7					24-12-63	30-12-63
14	Kazikot ..	7					24-12-63	30-12-63
15	Panwan ..	18					28-12-63	30-12-63
16	Gado Rajada ..	21					24-12-63	28-12-63
17	Khidowali ..	39					24/28-12-63	30-12-63
18	Bibharwind ..	71					24/28-12-63	1-1-64
19	Matewal ..	67					24/25-12-63	26-12-63
20	Bhl[illegible] ..	1	10-11-63 to 16-12-63	30-11-63 to 26-12-63	4-12-63 to 26-12-63	9-12-63 to 26-12-63	24-12-63	3-1-64
21	Bhopa Rai ..	19					24-12-63	28-12-63
22	Bhatih ..	12					24-12-63	26-12-63
23	Jodha Nagri ..	16					24-12-63	1-1-64

No.	Village								
24	Raipur Khurd	..	21					24-12-63	1-1-64
25	Saido Lehl	..	161					24/26-12-63	26-12-63
26	Kohala	..	279					24-12-63	26-12-63
27	Kot Kher	..	56					24-12-63	28-12-63
28	Malowal	..	130					24-12-63	1-1-64
29	Shahpur Khurd	..	81					24-12-63	30-12-63
30	Sangrai Khurd	..	18					24-12-63	30-12-63
31	Rasulpur Khurd	..	25					24-12-63	30-12-63
32	Bathurgarh	..	16					24-12-63	26-12-63
33	Jabiwal	..	112					24-12-63	3-1-64
34	Romana Chak	..	30					26-12-63	28-12-63
35	Jharu Nangal	..	17					24-12-63	30-12-63
36	Mehsampur Khurd	..	24					24-12-63	30-12-63
	BLOCK NAUSHERA ANWAN								
1	Rasulpur	..	41	21- to 15-12-63	10-11-63 to 26-12-63	21-11-63 to 1-1-64	25-11-63 to 3-1-64	30-12-63	1-1-64
2	Mugal Chak	..	82					3-1-64	3-1-64
3	Sahagarpur	..	15					29-12-63	1-1-64
4	Sarhali Khurd	...	66					25-12-63	28-12-63
5	Sheran	..	44					29-12-62	1-1-64
6	halwan	..	42					31-12-63	2-1-64
7	Khehra	.	23					25-12-63	26-12-63
8	Khaba Rajputan	..	102					29-12-63	3-1-64
9	Kheda	..	16					30-12-63	30-12-63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Gorkha ..	26					25-12-63	28-12-63
11	Ghambel ...	31					31-12-63	3-1-64
12	Chaudhriwala ..	78					26-12-63	30-12-63
13	Jananda Kalan ..	21					1-1-64	3-1-64
14	Takhtu Chak ..	21					30-12-63	1-1-64
15	Dagga pur Garbi ..	51	21-10-63 to 15-12-63	10-11-63 to 26-12-63	21-11-63 to 1-1-64	25-11-56 to 3-1-64	30-12-63	1-1-64
16	Nandpur ..	14					31-12-63	3-1-64
17	Naushera Panwan ..	60					27-12-63	28-12-63
18	Dhotian ..	27					29-12-63	1-1-64
19	Dial Rajputan ..	100					25-12-63	26-12-63
20	Bhathal Bhieke ..	123					28-12-63	28-12-63
21	Lalpur ..	12					30-12-63	3-1-64

BLOCK GANDIWIND

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Damde ..	1					31-12-63	3-1-64
2	Nasheta ..	29					25-12-63	30-12-63
3	Bhala ..	128					31-12-63	3-1-64
4	Waushehra ..	182					3-1-64	1-1-64
5	Burj ..	100					25-12-63	30-12-63
6	Chahal ..	53					25-12-63	3-1-64

7	Jagat Pura	..	34	21-10-63 to 15-12-63	12-11-63 to 26-12-63	20-11-63 to 31-12-63	25-11-63 to 2-1-64	25-12-63	1-1-64
8	That garh	..	19					25-12-63	3-1-64
9	Dod	..	32					28-12-63	30-12-63
10	Illi Raja Teja Singh	..	11					25-12-63	3-1-64
11	Chhina Bidhi Chand	..	71					25-12-63	26-12-63
12	Sohal Thathi	..	66					28-12-63	3-1-64
								28-12-63	3-1-64
13	Thatha	..	9					25-12-63	30-12-63
14	Kher Dinke	..	72					28-12-63	26-12-63
				BLOCK CHOHLA SAHIB					
1	Wariah	..	32					20-12-63	30-12-63
2	Dadehar	..	38					25-12-63	1-1-64
3	Joneke	..	24					25-12-63	26-12-63
4	Behrampura	..	40					25-12-63	26-12-63
5	Lohar	..	93					25-12-63	1-1-64
6	Ghaika	..	66	21-10-63 to 15-12-63	12-11-63 to 26-12-63	20-11-63 to 31-12-63	25-11-63 to 2-1-64	25-12-63	30-12-63
7	Bheil Dhar Wala	..	7					26-12-63	3-1-64
8	Fatehabad	..	68					26-12-63	30-12-63
9	Gandiwind Dhatal	..	31					25-12-63	28-12-63
10	Jhandder	..	106					26-12-63	30-12-63
11	Khan Rajada	..	24					26-12-63	1-1-64
12	Manak Deke	..	11					26-12-63	28-12-63

[Chief Minister]

1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Bhindi Aulakh	..	35	BLOCK CHAUG AWAN				25-12-63	1-1-64
2	Tanana	..	3					23-12-63	30-12-63
3	Awan Rasau	..	13					25-12-63	30-12-63
4	Jai Ram Kote	..	7					25-12-63	28-12-63
5	Miadi Kalan	..	9					25-12-63	3-1-64
6	Shah Pur	..	9					25-12-63	28-12-63
7	Jasraur	..	36					25-12-63	26-12-63
8	Talle	..	42					25-12-63	3-1-64
9	Tute	..	30					31-12-63	3-1-64
10	Sadhian	..	15					26-12-63	26-12-63
11	Bhagupura	..	20					29-12-63	30-12-63
12	Awan Lakha Singh	..	32					30-12-63	1-1-64
13	Veroke	..	37					2-1-64	3-1-64
14	Pandori	..	69					25-12-63	26-12-63
15	Chogawan	..	16					25-12-63	26-12-63
16	Kakkar	..	14					25-12-63	1-1-64
7	Caggar Ma	..						25-12-63	26-12-63
18	Chak Allah Bakhsh	..	10					25-12-63	25-12-63

19	Makhan Pura	..	4	28-10-63 to 6-12-63	15-11-63 to 24-12-63	18-11-63 to 31-12-63	22-11-63 to 2-1-64	25-12-63	26-12-63
20	Bhagwan	..	61					2-1-64	3-1-64
21	Kanwan	..	15					31-12-63	1-1-64
22	Odhar	..	11					29-12-63	1-1-64
23	Madokey	..	83					29-12-63	1-1-64
24	Tarin	..	1					29-12-63	30-12-63
25	Lopoke	..	1					26-12-63	28-12-63
26	Joey Key	..	5					2-1-64	3-1-64
27	Odhar	..	45					31-12-63	1-1-64
28	Tapiala	..	40					29-12-63	30-12-63
29	Kohala	..	131					26-12-63	28-12-63
30	Bhullar	..	10					24-12-63	1-1-64
31	Mehmud Pura	..	22					26-12-63	28-12-63
32	Thathi	..	79					29-12-63	30-12-63
33	Kotla Doom	..	106					27-12-63	26-12-63
34	Kolowala	..	40					26-12-63	30-12-63
35	Cheleke	..	13					1-1-64	3-1-64
36	Chowinda Khurd	..	24					26-12-63	28-12-63
37	Kotli Aulakh	..	9					1-1-64	3-1-64
38	Rodala	..	22					..	30-12-63
								29-12-63	1-1-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Rajasansi ..	4	From 28-10-1963 to 6-12-1963	From 15-11-1963 to 24-12-1963	From 18-11-1963 to 31-12-1963	From 22-11-1963 to 2-1-1964	29-12-63	1-1-64
40	Dharamkot ..	21					29-12-63	30-12-63
41	Kot Sidhu ..	4					25-12-63	1-1-64
42	Kotli Sakka ..	34					25-12-63	26-12-63
43	Rakh Othian ..	11					25-12-63	26-12-63
44	Athian ..	85					29-12-63	30-12-63
45	Dadarpura ..	13					31-12-63	1-1-64
46	Jasterwal ..	44					25-12-63	26-12-63
47	Kamasla ..	36						
	BLOCK RAYYA							
1	Shoron Bagha ..	68	29-10-63 to 8-12-63	8-11-63 to 21-12-63	20-11-63 to 26-12-63	30-11-63 to 26-12-63	24-12-63	28-12-64
2	Budha Then ..	107					24/28-12-63	3-1-64
3	Bule Nangal ..	20					24/28-12-63	28-12-63
4	Matab Kot ..	32					24-12-63	30-12-63
5	Wazir Bhullar ..	49					28-12-63	1-1-64
6	Hasan Pura ..	65					24-12-63	26-12-63
7	Lidhar ..	25					24-12-63	28-2-63
8	Jalupur Khara ..	40					24-12-63	26-12-63
9	Bhag ..	35					24-12-63	30-12-63
10	Rayya ..	198					26/28-12-63	28-12-63
11	Niranjanpur Fatuwal ..	138					24-12-63	30-12-63

12	Bhinder	135					24/29-12-63	30-12-63
13	Lohgarh	63					24-12-63	30-12-63
14	Butari	62					24-12-63	1-1-64
15	Khalchian	96					24-12-63	1-1-64
16	Dhianpur	62					24-12-63	26-12-63
17	Sudhar	51					24-12-63	28-12-63
18	Lakhuwal	13					24-12-63	3-1-64
19	Bodadpur	18					24-12-63	28-12-63
20	Burala	1					24-12-63	26-12-63
21	Kartar Pur	20					27-12-63	26-12-63
22	Taka Pur	5					24-12-63 24-12-63	1-1-64 1-1-64
23	Saido Ke	1					27-12-63 24-12-63	30-12-63
24	Tapiala	1					24-12-63	26-12-63
25	Palla	26					24-12-63	1-1-64
26	Dunial	50					24-12-63	3-1-64
27	Vadala Khurd	141					27-12-63	28-12-63
28	Daud	30	29-10-1963 to 8-12-63	8-11-63 to 21-12-63	20-11-63 to 26-12-63	30-11-63 to 26-12-63	29-12-63 24-12-63	1-1-64
29	Dhardev	22					24-12-63	30-12-63
30	Rajdhan	30					24-12-63	26-12-63
31	Bhalai Pur	29					24-12-63	26-12-63
32	Jalal	50						

BLOCK KHADUR SAHIB

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bhadurpur ..	12					25-12-63	1-1-64
2	Khojkipur ..	58					25-12-63	30-12-63
3	Bhalepur ..	107					29-12-63	28-12-63
4	Jalalabad ..	28					29-12-63	3-1-64
5	Bhota ..	61					29-12-63	30-12-63
6	Chak Kare Khan ..	89					28-12-63	1-1-64
7	Bhutwind ..	36					2-1-64	3-1-64
8	Khadur Sahib ..	123					26-12-63	28-12-63
9	Maglani ..	34					29-12-63	30-12-63
10	Malah ..	65	28-10-63 to 16-12-63	4-11-63 to 8-1-64	20-11-63 to 31-12-63	21-11-63 to 31-12-63	28-12-63	30-12-63
11	Bhine Sidhwan ..	41					30-12-63	1-1-64
12	Mal Chak ..	20					29-12-63	1-1-64
13	Dinewal ..	41					25-12-63	3-1-64
14	Bharowal ..	50					25-12-63	28-12-63
15	Dara Pur ..	70					29-12-63	30-12-63
16	Kiri Shahi ..	44					25-12-63	26-12-63
17	Rakh Dinewal ..	32					25-12-63	26-12-63
18	Voin Poin ..	53					25-12-63	30-12-63
19	Verowal ..	95					25-12-63	26-12-63

BLOCK MAJITHA

No.	Village								
1	Dadian	6					24-12-63	26-12-63
2	Ludhar	43					25-12-63	28-12-63
3	Kaler Mangat	76					25-12-63	30-12-63
4	Dadopura	4					25-12-63	28-12-63
5	Galowali	8					25-12-63	30-12-63
6	Sohian Kalan	67					26-12-63	28-12-63
7	Anait Pura	19					26-12-63	28-12-63
8	Mantha	16					26-12-63	30-12-36
9	Taruwal	30					25-1-63	26-12-63 3-1-64
10	Kotla Maja Singh	28					2-1-64	3-12-63
11	Tar Pai	18					26-12-63	30-12-63
12	Hamza	8					26-12-63	26-12-63
13	Bhoma	2	21-10-63 to 6-12-63	11-11-63 to 26-12-63	22-11-63 to 31-12-63	25-11-63 to 2-1-64	26-12-63	28-12-63
14	Umar Pura	2					29-12-63	1-1-64
15	Mari Kalan	20					26-12-63	28-12-63
16	Jalalpur	65					26-12-63	26-12-63
17	Kotla Sultan Singh	8					1-1-64	3-1-64
18	Budha Teh	5					26-12-63	26-12-63
19	Burj Nau Abad	26					2-1-64	3-1-64
20	Chachowa li	21					28-12-63	28-12-63
21	Talwandi Ghuman	10					28-12-63	30-12-63

1	2		3	4	5	6	7	8	9
22	Jhande	..	45					28-12-63	30-12-63
23	Sehnewali	..	10					26-12-63	26-12-63
24	Ajaibwali	..	48	21-10-63 to 6-12-63	11-11-63 to 26-12-63	22-11-63 to 31-12-63	25-11-63 to 2-1-64	31-12-63	3-1-64
25	Kathunangal	..	61					25-12-63	26-12-63
26	Majwind	..	53					25-12-63	25-12-63
27	Gopal pura	..	70					25-12-63	26-12-63
28	Kotla Sydan	..	43					31-12-63	12-12-63
29	Chogawan	..	66					26-12-63	30-12-63
30	Chawinda Devi	..	76					24-12-63	28-12-63
31	Rupowali	..	7					31-12-63	3-1-63
32	Man	..	35					31-12-63	1-1-64

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 16,327 ਵੋਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ । ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਰੈਗੁਲੈਰੇਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

Chaudhri Darshan Singh : In a number of cases, applications for registration of voters were received on 16th December, 1963, their verification was done on 17th December, 1963, and orders for their registration as voters were passed by the competent authority on 19th December, 1963. May I know from the Chief Minister whether a seven days' clear notice is not required to verify any objections received from other voters?

Chief Minister : I do not know whether there was any violation of Rules. If the Honourable Member brings to my notice any such violation of Rules, I will certainly look into the matter.

श्री जगन्नाथ : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि पीछे जब पट्टी के इलैक्शन थे. . . . .

Mr. Chairman : What has that to do With the Panchayat Elections ?

श्री जगन्नाथ : जनाब, मैं पूछना चाहता हूं कि पीछे जब पट्टी में चुनाव हुए तो क्या सच नहीं है कि अमृतसर के हल्के से फर्ज़ी वोट बन कर पट्टी में पोलिंग हुई।

Mr. Chairman : No, no, please.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲਿਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰੀਹਨ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

Sardar Gurdial Singh Dhillon: I may inform the Honourable Chief Minister that even upto the date of the polling, the lists of voters continued coming to the Returning officers and there were a number of complaints to this effect. May I know whether the plea that petitions were pending, would debar any further action?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Comrade Shamsher Singh Josh: May I know from the Chief Minister whether, under the Rules, after a constituency has been called upon to elect panches etc., to a Gram Panchayat, no new voters can be registered by any authority excepting the Chief Electoral Officer?

Mr. Chairman : This is a question of law.

Comrade Shamsher Singh Josh : I want to know, Sir, whether, in this particular case, any voters had been registered by the Deputy Commissioner or the S.D.O., as the case may be, and not by the Chief Electoral officer, as the rules provide ?

Chief Minister : A written application to this effect may be made to have the required information.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਗਜ਼ੈਜਰੇਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼-ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੋਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਛੋਗੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 67 ਵੋਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਨੌਸ਼ਿਹਰਾ ਪੁਨੂਆਂ ਵਿਚ 30 ਵੋਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : 67 ਵੋਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ।

Mr. Chairman : How can he tell about it off hand ?

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ: ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿਆਲੇ ਵਿਚ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਰਸੀਦ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Loan Sanctioned To Panchayat Samiti, Palwal, District Gurgaon For Construction of Palwal-Chandat Road.

*5050. **Shri Rup Lal Mehta:** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government had received any request from the Panchayat Samiti, Palwal, district Gurgaon for the grant of an interest free loan of Rs 5 lakhs for the construction of Palwal-Chandat road and other link roads if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No, Sir. (b) Does not arise.

श्री रूप लाल मेहता: कर्जे की मांग का प्रस्ताव पिछले साल जिला परिषद की मार्फत गवर्नमैंट के पास आया हुआ है । क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उस पर ऐक्शन न लेने की क्या वजूहात हैं ?

मुख्य मन्त्री : पहली दफा यही जवाब मेरे पास आया था, मैं ने वह जवाब महकमा को फिर वापिस कर दिया और इसलिए वापिस कर दिया था कि हो नहीं सकता कि बगैर पता किए आनरेबल मैम्बर साहिब ने सवाल कर दिया हो लेकिन फिर महकमा की तरफ से यही जवाब आया कि वह हमारे पास नहीं आया ।

श्री रूप लाल मेहता : ठीक है कि मुख्य मंत्री महोदय की यही इत्तलाह होगी लेकिन मेरी इत्तलाह यह है क्योंकि मैं ने वहां पर जाकर मालूम किया है कि जिला परिषद् की मार्फत यह प्रस्ताव यहां पर आ चुका है । मैं मुख्य मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि वह इस की इन्क्वायरी कराएं कि इस डिले की क्या वजह है और अब तक केस यहां पर क्यों नहीं पहुंचा ।

मुख्य मन्त्री : अर्ज़ करूंगा कि मेम्बर साहिब मुझे मिल कर बताएं कि कब से वह कागज़ात यहां भेजे गए हैं । हो सकता है कि जिला परिषद् ने न भेजा हो, अपने पास रखा हुआ हो । अगर भेजें गे तो ज़रूर पता करूंगा ।

Palwal-Chandat Road.

*5051 **Shri Rup Lal Mehta:** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Whether the Superintending Engineer, Panchayati Raj, Public Works Circle, has submitted any estimate to Government for the construction of Palwal-Chandat Road in Gurgaon District.

(b) If the reply to part (a) above is in the affirmative, whether Government have accorded the necessary sanction for the construction of the said road, if not, the reasons thereof

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

श्री रूप लाल मेहता : क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गुज़श्ता दो साल से बैकवर्ड एरिया के लिए सड़क की मांग की जा रही है तो इसे सड़क न देने की क्या वजहात हैं ।

मुख्य मन्त्री : आप ने सवाल में यह नहीं पूछा था । आप ने सवाल में पूछा था कि क्या इस के लिए एस्टीमेटस दिए गए हैं और मैंने उसका जवाब देते हुए बताया है कि कोई एस्टीमेटस सबमिट नहीं किए ।

Supplies of Batteries for Punjab Roadways Vehicles

*5001. **Sardar Gurcharan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that batteries have not been supplied for the vehicles of the Punjab Roadways for the last one year and the vehicles are started by being pushed by the passengers, if so, the reasons for not supplying the batteries?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) **:** No. There has, however, been some delay in the supply of new batteries due to scarcity created by the National Emergency.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਸੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਅਲਗ ਅਲਗ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਗਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਜਿਥੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਸੀ ਉਥੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਹੋਈ । ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੱਸਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਤੋਂ ਦਸ ਸਕਣ ?

(ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਬੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਕੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੇਫਾ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ?

Mr. Chairman : Gold has nothing to do with batteries etc.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਮਾਂਡ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ।

श्रीमती सरला देवी : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब बताने की कृपा करेंगे कि प्राईवेट कम्पनियों को तो बैटरीज़ की पूरी सप्लाई होती रही लेकिन पंजाबरोड वेज़ को नहीं। क्या ऐमरजैंसी पंजाब रोडवेज के लिए ही थी और प्राइवेट कम्पनियों के लिए नहीं थी ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ—ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ—ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਹਾਸਾ)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. . . .

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : That is the practical side of the thing.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਅਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਨ............

Buses Owned By Pepsu Road Transport Corporation.

*4481. **Comrade Babu Singh Master:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of buses owned by the Pepsu Road Transport Corporation at present;

[Comrade Babu Singh Master]

(b) the number of the buses out of this fleet which suffered major and minor breakdowns during the year 1963 and the reasons therefor;

(c) the loss of running hours suffered by the Corporation due to the breakdowns referred to in part (b) above;

(d) the steps taken to get the buses referred to in part (b) above repaired together with the steps, if any , taken to prevent such major breakdowns in future?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary):

(a) 207

(b) Major-Nil
Minor-387
Reasons—
Diesel defect, Breakage of clutch and Bell Housing, Central Bearings& Engine Noise etc.

(c) 486.46 hours.
(i) Removable defects were set right on the Spot.. In other cases buses were detained for inspection and instant attention in the workshop.
(ii) Preventive maintenance has been geared up.

Rest House For the Punjab Roadways Drivers and Conductors.

*4446. **Comrade Bhan Singh Bhaura** (Put by Comrade Shamsher Singh Josh) Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the places in the State where the Punjab Roadways has constructed its own bus stands;

(b) the names of the places where Rest Houses for Drivers and Conductors have so far been constructed by the Punjab Roadways;

(c) the time by which the Rest Houses for Drivers and Conductors will be constructed at places where these have not so far been constructed?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary): (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.
(c) As early as possible.

STATEMENT

(a) Chandigarh, Gurgaon, Jullundur, Ludhiana, Hoshiarpur, Pathankot Ambala Cantt, Amirtsar, Ferozepur, Tarn Tarn

( ) Gurgaon, Jullundur, Ludhiana, Hoshiarpur, Ambala Cantt

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ? ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

Chaudhri Darshan Singh : When the Chandigarh Bus Stand is over-crowded, why did not the Government consider it proper to build the rest house here first ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ: ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਔਰ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਲਗ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਨਾ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਜਗਾਹ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

Bus Service From Jullundur to Raunt Via Parjian

4263. Chaudhri Darshan Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when the Regional Transport Authority, Jullundur, sanctioned the route for plying a bus service from Jullundur to Raunt via Parjian ;

(b) whether the Punjab Roadways, Jullundur undertook to ply a bus on the said route ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether a bus service has been started on the said route, if not, the reasons therefor ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : (a) 25th May, 1963.

(b) Yes.

(c) No, the route from Parjian to Raunt is not yet motorable.

Chuahdri Darshan Singh : When the Regional Transport Authortiy, Jullundur, sanctioned this route, did the Punjab Roadways, apply for the allotment of this route to them ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੂਟਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ।

Chuadhri Darshan Singh : Is the Government prepared to transfer this route to some other transport company to enable them to ply their buses on this route and provide necessary facilities to the public there ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ੂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। (when the Chief Parliamentary Secretary does not Know the actual position, then why is he promising ?)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਥੇ ਬੱਸ ਚਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵੇਗੀ।

Uniforms for Transport Workers Employed by Punjab Roadways

*4447. **Comrade Bhan Singh Bhaura** (put by **Comrade Babu Singh Master**) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the categories of employees of the Punjab Roadways, who are provided with winter and summer uniforms ;

(b) the categories of employees, if any of the said Roadways who are not entitled to these uniforms ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary): (a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The following categories of employees of Punjab Roadways, are provided with uniforms at the scales noted against each in accordance with the Uniform Rules for the employees of Government Transport Services :—

(i) *Operational Staff*

Chief Inspectors, Inspectors, Drivers, Conductors, Adda Conductors, Booking Clerks and Station Supervisors, Grade II.

(ii) *Workshop Staff*

Head Mechanics, Head Electricians, Incharge, Service Station, Instrument Mechanics, Mechanics, Electricians, Welders, Metal Workers, Machinist, Borers, Fitters, Radiator Repairers, Battery Attendants, Vulcanizers, Upholsters, Black-smiths, Black-cum-tin-smiths, Tyremen, Tyre and Tube Repairers, Carpenters, Turners, Painters, Assistant Painters, Store-keepers, Assistant Store-keepers, Chief Store Keepers, Assistant Welders, Assistant Fitters, Assistant Electricians, Assistant Upholsters, Assistant Repairers, Assistant Black-smiths, Assistant Carpenters, and Petrol/Diesel Pump Attendants.

(iii) *Class IV Employees*

Gate Keepers, Chowkidars, Sweepers, Helpers, Store-Boys, Cleaners and Water Carriers.

(b) The following categories are not entitled to the uniforms :—

(i) Supervisory staff.
(ii) Clerical Staff.
(iii) Welfare Inspectors.
(iv) Malies.

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਚਪਲ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਚਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਰਦੀਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਪੁਛੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Mr. Chairman : The hon. Member wants to know the articles of which this uniform consists of ?

Chief Parliamentary Secretary : They wanted to know the categories of employees of the Punjab Roadways, who are provided with winter and summer uniforms.

ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

चौधरी इन्दर सिंह : क्या चीफ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि इस की वजह क्या है कि कई जगहों पर सरकार ने अपने वर्करों (conductors and drivers) को युनीफार्म नहीं दी लेकिन इस पर भी उन के इसी वजह से चालान किए जा रहे हैं ? जब सरकार ने उन्हें युनीफार्म ही नहीं दी तो उन के इस कारण चालान करने की क्या वजह है ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : इस बारे में मेरे पास कोई इन्फर्मेशन नहीं आई, कि इस वजह से भी किसी के चालान हुए हैं ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : चीफ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने अभी बताया है कि गर्मियों के लिए वर्करों के अलग वर्दी दी जाती है और सर्दियों के लिए अलग दी जाती है । तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या इस के लिए कोई महीने मुकर्रर हैं कि इस महीने में गर्मियों के लिए वर्दी दी जाएगी और फलां महीने में सर्दियों के लिए दी जाएगी ? अगर मुकरर हैं तो वे कौन कौन से हैं ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦ ਵਰਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Mr. Chairman : Does the hon. Chief Parliamentary Secretary mean to say that both the uniforms, for summer and winter, are given and the period after which they are to be replaced or reissued is fixed ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਜੀ, ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਹਨ ।

Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Chief Parliamentary Secretary pleased state whether the State Government received any representation from the transport workers of the Punjab Roadways that instead of khadi made cloth, they should be given mill-made cloth for their uniforms ?

Chief Minister : The Government received such representations, but we are not going to change the cloth. The Government Will give Khadi cloth for these uniforms.

Mr. Chairman : I think there is no dispute between the Khadi cloth or mill-cloth. The dispute is about the durability of the cloth, i.e., the Khadi cloth gets worn out and torn earlier than the Mill cloth. So cannot Government reduce the period for which a uniform is given ?

Chief Minister : Yes, certainly, if we find out from experience that the khadi cloth does not last long, we will reduce the period after which a new uniform is issued.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I had asked if the Government received any representations in this regard and let the Government reply to that part of the question first ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਰੀਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਾਂ 20 ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋ ਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 31 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਖਦਰ ਦਾ ਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਦਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਗਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਪੜੇ ਲਈ 15 ਪਰਸੈਂਟ ਵਧ ਭਾ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : क्या चीफ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि इन वर्दियों के लिए खद्दर क्या महज़ खादी बोर्ड को मुनाफा दिलाने के लिए खरीद किया जा रहा है या इस की कोई और वजह भी है ?

मुख्य मन्त्री : यह काम उन्नत और गरीब तब्के को एम्पलाएमेंट दिलाने की गर्ज़ से किया जा रहा है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤੜੇ.....

Mr. Chairman : When there is a definite question on the agenda on this point, let the hon. Members ask such supplementaries after that question is answered.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਐਂਪਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰਖਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਰਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੁਰਾਨ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

श्रीमती सरला देवी : क्या चीफ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि आपने जो वर्दीयां सप्लाई करनी हैं तो क्या सर्दियों में गर्म वर्दियां सप्लाई की जाएंगी ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਥਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹਨ (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਿਓ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : इन्होंने पार्ट बी के जवाब में कहा है कि कुछ कैटेगरीज़, जैसे कि माली हैं उन को वर्दियां नहीं मिलतीं। क्या वजह है कि मालियों को वर्दियां नहीं दी जातीं।

मुख्य मन्त्री : उन्होंने मोटरें नहीं चलानी होतीं और उन की निशानी नहीं कायम करनी होती ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब यह बताएंगे कि ऐसा कोई मेमोरैंडम लैजिसलेटर्ज की तरफ से उन को दिया गया है कि जो खादी वर्दियां उन को दी जाती हैं वह ठीक नहीं हैं ?

Mr. Chairman : The next question is on this subject. The hon. Member should wait for that.

मुख्य मन्त्री : यह तो ठीक है, मगर मुझे नहीं ख्याल कि किसी ने वर्दियों के साईज़ पर नुक्ताचीनी की हो ।

श्री बलरामजी दास टंडन : हम ने खुद कपड़ा भेजा है और लैजिसलेटर्ज के दस्तखतों से मैमोरेंडम भी भेजा है ।

Mr. Chairman : If the hon. Member has patience for the next question, he will be satisfied.

श्री बलरामजी दास टण्डन: वह हाउस को मिसलीड कर रहे हैं ।

Chaudhri Darshan Singh : The hon. Chief Parliamentary Secretary has told the House about two categories, (i) those who are entitled and (ii) those who are not entitled to uniforms. Under the second category

[Chaudhri Darshan Singh]

they have mentioned the 'supervisory staff'. May I know the definition of the 'supervisory staff' ?

Chief Minister : Well, supervisory means 'supervisory'.

Chaudhri Darshan Singh : Will the hon. Chief Minister be pleased to state the duties of the supervisory staff ?

Chief Minister : I need a separate notice.

Mr. Chairman : They supervise.

Chaudhri Darshan Singh : Do they work in the field or in the office ?

Mr. Chairman : This is digression.

Representation regarding supply of Mill-made Cloth for certain Punjab Roadways Employees

*4560. **Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he recently received any representation signed by a number of Legislators regarding the supply of uniforms of mill-made cloth to Inspectors, Drivers, and Conductors of the Punjab Roadways; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. The matter is under the consideration of Government.

Comrade Shamsher Singh Josh : Why is the Government still considering the matter when the Khadi cloth is inferior to the mill cloth in quality ? The mill-cloth is also economical. Why is the Government in the larger interests of the State not deciding the matter ? I would like to know the reasons therefor ?

Home Minister : This policy does not relate to this department alone It is the national as well as the State policy to encourage khadi.

श्री बलरामजी दास टण्डन : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर। जब एक किस्म का कपड़ा खरीदने से लाखों रुपया ज्यादा खर्च होता है श्रौर वह वर्दी एक ही साल चलती है जब कि दूसरे कपड़े की पांच साल चलती है तो इस तरह सरकार का लाखों रुपया क्यों जाया किया जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री : इस में श्रगर पैसा ज्यादा भी खर्च होता हो तो भी इसे सबसिडी ही समझ लिया जाए गरीबों के लिये।

श्री जगन्नाथ : चीफ मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि खादी को ऐनकरेज करना चाहिए। इस बारे में पहले हमें श्रपने घर से चलना चाहिए। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या इन की फैमिलीज़ खादी का कपड़ा पहनती हैं ?

मुख्य मन्त्री : जो मेरे श्राइडियल्ज़ के हैं वह सभी पहनते हैं। (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। (ਵਿਘਨ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਦ ਇਕ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

Mr. Chairman : Is it a point of order

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਜ਼ ਫੌਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

If they have to wear uniform at Government expense, they will have to wear khadi uniform.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Then should I understand that these uniforms are being forced on them and it is not a question of ideals ?

Chief Minister : No doubt about it. After all if they take to Khadi they will be aligning themselves with the national policy.

Mr. Chairman : But the Indian mills are also Indian industries.

Chief Minister : We are trying to help the poor.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने मेन सवाल के जवाब में कहा है कि यह मामला अन्डर कन्सिड्रेशन है और चीफ मिनिस्टर साहिब ने कैटेगोरीकली कहा है कि डिसीजन कर लिया है।

Chief Minister : If the hon. Members insist, I can say that it will be decided for ever that only khadi uniforms will be supplied.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। एक तरफ चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि it is under consideration दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि काफी पहले हम डिसीयन ले चुके हैं। It means the decision is already there.

Mr. Chairman : There is that contradiction.

Chief Minister : Sir, no decision is final for ever.

लेकिन जब कोई बात यह सामने लाएं तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अगर आप कोई ऐसी दलील दे दें कि इस से यह नुक्सान होता है तो देख लेंगे whether the policy can be changed or not.

Shri Balramji Dass Tandon : The clarification is worse confounding. If the Government stands on the decision already taken then the question of its being under consideration does not arise.

Chief Minister : It is always open to the officers concerned to re-examine the matter. The Chief Parliamentary Secretary must have had reports from the officers that the matter needs consideration. But when the matter comes to me, I will say that the present Khadi policy be followed.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਜਦ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਦੀ ਨੀਟ, ਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Khaddar does not look neat on every body. It may look neat on you and me only.

Chief Minister : It gives very good look. It looks very good every where.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਇਡੀਅਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਇਡੀਅਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜ ਤਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ?

Mr. Chairman : The hon. Member should not be personal.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ: ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ?

Mr. Chairman : The hon. Member should seek the permission of the Chair putting a question.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ੨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ।

Mr. Chairman : It does not arise out of the question. If the hon. Chief Parliamentary Secretary wants to answer this question he can do so.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Mr. Chairman : If the hon. Chief Parliamentary Secretary wants he can tell you.

(*No reply*)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀ. ਐਮ. ਨੇ ਜਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ । ਖੱਦਰ ਝਟ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੇ ਮਹਿਨੇ ਵਿਚ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਲੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਲੀਸੀ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ?

Home Minister : Corporation is an autonomous body. They can have their own policy.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕਮਾਰ : ਕੀ ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

Mr. Chairman : I think we should Proceed to the next question. We have had enough of question.

Expenditure on Uniforms of Punjab Roadways Employees

***5000. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the amount being spent every year for supplying uniforms to the workers of the Punjab Roadways ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : The expenditure on uniforms varies from year to year. During the financial year, 1962-63, the expenditure was Rs 1,70,605.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਨ 1962-63 ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਹ ਰਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੇਨਸਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ; ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ।

Uniforms for Punjab Roadways Employees

***4999. Sardar Gurcharan Singh, M.L.A. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the workers of the Punjab Roadways have not been supplied uniforms since last year, if so, the reasons therefor ?

Sardar Gulab Singh (Chief Parliamentary Secretary) : No. The delay in the supply of uniforms has however, been occasioned by the fact that the question of supply of mill-made cloth instead of Khadi cloth for uniforms remained under consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਸੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਸਣਗੇਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ?

Mr. Chairman : That means that Government will give instruction to the persons concerned,

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या ट्रांस्पोर्ट कमेटी की तरफ से कोई सरकूलर जारी किया गया है कि स्टोर में वर्दियां नहीं हैं इस लिए बिना वर्दी के कण्डकटर ड्यूटी पर काम कर सकते हैं ?

Mr. Chairman: How can he know all these details.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : This is a supposed question.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪੈਂਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਚਾਲਾਨ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ that is entirely different ਅਗਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। We will ask them that these cases be withdrawn.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ ?

Mr. Chairman : They have given an assurance in this respect.

Chief Minister : Certainly we will give them.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Office of the Colonization Officer, Punjab.

1410. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, name and date of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the office of the Colonization Officer, Punjab, together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Gurbanta Singh : A statement giving the requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

Category	Name of the employee	Date of appointment	Scheduled Castes	Backward Classes	*Percentage prevailing*		*Percentage reserved*		REMARKS
					Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Class I ...				NIL					
Class II	1. Shri Ripujit Sen, P.C.S.	28-4-62	Scheduled Caste	...	100%	...	...	...	Appointed by transfer from the main cadre of P.C.S. The question of reservation in the Department does not arise.
Class III	1. Shri Amar Chand ...	6-5-57	Backward Classes	12%		29%	19%	2%	The S.S.S. Board was approached for Scheduled Castes candidates but due to their non-availability the Board recommended the candidates belonging to Backward Classes.
	2. Shri Sant Ram ...	2-2-59							
	3. Shri Karnail Singh ...	3-7-63							
	4. Shri Gurbachan Singh ...	29-11-61							
	5. Shri Phuman Singh ...	3-7-63							
	6. Shri Sawaran Singh ...	11-7-60	Scheduled Castes						
	7. Shri Jit Ram ...	28-5-63							
Class IV	1. Shri Charan Dass ...	29-10-57	Backward Classes	20%		40%	19%	2%	Preference was given to Scheduled Caste candidates at the time of recruitment but due to their non-availability the candidates belonging to Backward Classes were recruited.
	2. Shri Piara Lal ...	20-11-52							
	3. Shri Mehnga Singh ...	21-2-61							
	4. Shri Harbans Lal ...	21-6-60							
	5. Shri Surjan Singh ...	5-4-62	Scheduled Castes						
	6. Shri Ralla Singh ...	17-12-63							

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Directorate of Fisheries, Punjab

1411. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts, separately in the Directorate of Fisheries together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Gurbanta Singh :

Class	Names and dates of appointment of employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes, working in the Directorate	Percentage of such employees in each category	Percentage of posts reserved in each category
Class I	Nil		
Class II	Nil		
Class III	1. Shri Daulat Ram, 29-11-51 2. Shri Tarsem Lal, 23-12-61	20%	21 per cent of the posts to be filled by direct recruitment and 10 per cent of the posts vacant on or after 12-9-63 to be filled by promotion
Class IV	1. Shri Panna Lal, 10-3-60 2. Shri Mehar Singh, 19-2-64	50%	21%

Villages affected by Floods in Tehsil Amritsar, District Amritsar

1500. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages in tehsil Amritsar, district Amritsar, affected by floods every year since 1955 and provided with relief in the form of subsidy loans, wheat and any other help ;

(b) the names of villages referred to in part (a) above where the loss to crops was more than 25 per cent and 50 per cent, separately ?

Sardar Ajmer Singh : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Strictures passed by Courts against Police Officials of District Amritsar

1501. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether any strictures were passed by the courts against any police officials in Amritsar district from January, 1962 to 31st December, 1963, if so, the names of such Police officials together with names of the courts which passed the strictures and a summary of the strictures passed in each case be laid on the table of the House ;

(b) the action, if any, so far taken by Government against each of the officials mentioned in part (a) above ?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) Yes. The requisite information is as follows.

STATEMENT

Serial No.	Name of the Police official against whom strictures were passed by the court	(a) Name of the court and particulars of the case	Summary of Strictures	(b) Action taken against the Police Official
1	Officiating A.S.I. Darshan Singh, No. 293/ASR	Shri B.R. Kakkar, M.IC./TT in case FIR No.168/60 u/s 411 IPC and 19/11/78 A. Act, PS Bhikhiwind	The A.S.I. had given wrong description of the house from where the revolver was recovered from the accused. The trial Magistrate observed that the accused was falsely implicated in the case	The A.S.I. was dealt with departmentally DSP/T T who exonerated him on the ground that the recovery of the incriminating articles had in fact been made by ASI Sampuran Singh, who headed the raid party of which ASI Darshan Singh was only a member. The case was registered by ASI Sampuran Singh and therefore the question of false implication by A. S. I. Darshan Singh did not arise. The latter had appeared as a P W as A. S. I. Sampuran Singh had been murdered before the commencement of the trial. Secondly the spot was inspected by the court after a lapse of 17 months of the occurrence and the possibility of the change in the structure of the building could not be ruled out
2	Officiating A.S.I. Kartar Singh, No. 397/Z, Ferozepur	Additional Sessions Judge, Amritsar, in case FIR No. 218/61 u/s 302/148/149, 120/B, IPC, PS Beas	The trial judge observed that the prosecution story was not convincing and appeared to be improbable and the factum of recoveries of weapons of offence and blood stained clothes at the instance of the accused appeared to be sheer padding	The enquiry against the A.S.I. is being conducted by Shri Sant Singh, M.I.C., Amritsar
3.	Officiating A.S.I. Sajjan Singh, 40/B	Shri Sant Singh, M.I.C., ASR, in case F.I.R. No. 20, dated 11th August, 1962 u/s 9/1/78, Opium Act, P.S. Jandiala	The court while acquitting the accused observed that the Police had not been able to account for the number of injuries on the person of the accused	The departmental enquiry against the S.I. is pending with the D.S.P./ Lines, Amritsar

Serial No.	Name of the Police official against whom strictures were passed by the Court	Name of the court and particulars of the case	Summary of Stricture	Action taken against the Police Official
4	Officiating S.I. Harcharan Singh, No. 167/B	Addl. Sessions Judge, ASR, in case F.I.R. No. 23, dated 3rd March, 1963, u/s 380/457 I.P.C., P. S. Jhabal	The trial judge remarked in his judgment that the conduct of the investigating officer (S.I. Harcharan Singh) was extremely partial to the accused	Shri V.S. Chaudhary. M.I.C., Tarn Taren is conducting the enquiry against the S.I.
5	A.S.I. Kidar Nath, No. 366/LDH	Strictures were passed by the High Court in case F.I.R. No. 304/62, u/s 304 I.P.C., P.S. Sirhali	The High Court observed that the A.S.I. had not done his duty as an honest Police Officer and he deliberately tried to help the accused	DSP/City is conducting the departmental enquiry against the A.S.I.
6	Officiating A.S.I. Hazara Singh, No. 997/FZR	Shri Sant Singh, M.I.C., ASR, in case F.I.R. No. 262/62, u/s 61/1/14 E. Act. P.S. Beas	The A.S.I. is alleged to have planted a working still on one Amar Singh	The departmental enquiry is being conducted by D.S.P/Lines, Amritsar
7	A.S.I. Hari Chand, No. 388/FZR	Sessions Judge, ASR. in case F.I.R. No. 86/62, u/s 302/364, I.P.C., P.S. Sadar, Amritsar	The Sessions Judge, while acquitting the accused, had passed adverse remarks against the A.S.I. for preparing the inquest report in a negligent manner	The departmental enquiry against the A.S.I. is being conducted by D.S.P./City
8	A.S.I. Pritam Singh, No.2/GSP	Shri T.S. Ghuman, M.I.C./A.S.R. in case State *Vs* Jagjit Singh, u/s 61/1/14, Excise Act., P.S. Sadar, Amritsar	The Magistrate observed in his judgment that the recovery of illicit liquor from the accused seemed to be suspicious. The prosecution evidence was discrepant reg : description of the place of occurence	D.S.P./City is conducting departmental enquiry against the A.S.I.
9	S. I. Ram Kishan, No. 111/B	Addl. Sessions Judge, Amritsar, in case F.I.R. No. 185/62, u/s	The Sessions Judge, while accepting the appeal of the accused, observed	The departmental enquiry against S.I. Ram Kishan is being

		61/1/14, E. Act. 'B' Division, Amritsar	that the S.I. had not properly conducted the investigation in the case in so far as he made no effort to find out the real owner of the Bhang and only challaned the servant from whose possession Bhang had been recovered	conducted by Inspector, City
10.	S.I. Harbans Lal (Now Inspecter), Amritsar	Punjab High Court in case F.I.R. No. 237/61, u/s 302/34 I.P.C., P.S. Sirhali	The High Court, while accepting the appeal of the accused, remarked that there was delay in sending the special report promptly and the investigation was not straightforward	Magisterial enquiry against the S.I. is in progress

Expenditure of Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda

1515. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total quantity of Sugar cane purchased by the Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda, during the year 1963-64 ;

(b) the total expenditure incurred by the said Sugar Mills in respect of the said purchase, pay of the staff (seasonal and permanent) and the pruchase of Machinery during the above-mentioned period ;

(c) the total loss, if any, sustained by the said Sugar Mills during the above period ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 4,12,938.90 quintals.

(b) and (c) The Co-operative year ends on 30th June. It is not possible to supply figures of expenditure and loss, if any, for the crushing season at this stage.

Realisation of Share Money from Share-holders of Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda

1516. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the full share money has not been realised from the share-holders of the Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda, since 1957 todate, if so, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : *Part 1st.*—Yes. Out of the subscribed capital of Rs 50,65,800 a sum of Rs 1,98,700 remains to be realised.

Part 2nd.—According to the bye-laws of the Co-operative Sugar Mills, Morinda, value of a share is Rs 100 which is payable in full or by instalments as may be decided by the management. In the collection of share capital 50 per cent of the call money was realised at the time of buying shares and the remainder was allowed to be paid later. The Executive Committee is making every effort to realise the remainder and intends to take strict action, if the default continues.

Construction of Science Blocks in the High and Middle Schools

1520. Comrade Ram Chandra : Will the Home Minister be pleased to state the names of Government High and Middle Schools in the State, districtwise which, were sanctioned Rs 8,000 or so during the period from 1959-60 to 1963-64 for the construction of additional one or two rooms for the Science Blocks in their respective school buildings ?

Shri Mohan Lal : No Science rooms were sanctioned for High and Middle Schools during the period from 1959-60 to 1963-64. However, the scheme of providing one or two Science rooms in the Government High Schools has been drawn up and will be implemented during 1964-65 and 1965-66. Tentatively it is proposed to cover 25 high schools during these two years.

In the past only Science Blocks costing about Rs 53,200 per Block were provided to Higher Secondary Schools.

Recognition of Union of Chowkidars of Capital Project Administration

1521. Shri Sagar Ram Gupta : Will the Home Minister be pleased to state whether any union of Chowkidars employed in the Capital Project

Administration has applied for recognition under the Code of Discipline; if so, the name of the said Union and the action, if any, taken there on ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : An application from the General Secretary, Punjab Chowkidars Worker Union (Regd.), was received by Government and the same was passed on to the Chief Engineer, Capital Project, to recognise the Union. He has asked the General Secretary of the Union to supply certain information. On receipt of this information from the Union, the Chief Engineer, Capital, will take further action regarding recognition of the Union under Code of Discipline in Industry.

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Hospitality Organisation

1412. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Hospitality Organisation together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : The required information is given in the following statement.

STATEMENT

Serial No.	Name of the Unit	Total number of Employees belonging to Scheduled Castes and Backward classes working at present in				The names of the employees mentioned at (3)	Their dates of appointment in the Hospitality Organisation, Punjab	Their percentage in each category	Percentage of posts reserved in each category
		Class I	Class II	Class III	Class IV				
1	2	3				4	5	6	7
1	The State Guest House, Chandigarh	...	...	*1	14	*Shri Sohinder Singh	11-8-59	10 per cent	21 per cent
						1. Shri Amar Singh ..	1-11-56	61 per cent	
						2. Shri Ishar Singh ...	1-11-56		
						3. Shri Bachan Singh ...	1-11-56		
						4. Shri Inderjit Singh ...	1-11-56		
						5. Shri Chamel Singh ..	1-11-56		
						6. Shri Sarup Singh ...	1-11-56		
						7. Shri Rikhi Ram ..	9-5-60		
						8. Shri Baldev Singh ..	28-2-59		
						9. Shri Amar Singh ..	1-11-56		
						10. Shri Charanji Lal ...	1-11-56		
						11. Shri Didar Singh ..	1-11-56		
						12. Shri Jang Singh ...	2-1-64		
						13. Shri Harnam Singh ...	4-11-59		
						14. Shri Rattan ..	15-2-64		
2	M.L.A.s Hostel ...	...	...	...	1	1. Shri Kishan ..	1-1-64	25 per cent	..
3	Old Secretariat Cafeteria	...	...	...	3	1. Shri Lauti ..	1-11-63	20 per cent	..
						2. Shri Malka ..	1-1-63		
						3. Shri Prem ..	1-1-64		

4	Tourist Bungalow Canteen, Nangal	..	..	..	3	1. Shri Hukam Chand	..	1-11-61	33 per cent	..
						2. Shri Kishan Lal	..	1-10-62		
						3. Shri Sagli Ram	..	1-9-63		
5	Tourist Bungalow Canteen, Pathankot	..	..	..	3	1. Shri Pattu		1-10-63	100 per cent	..
						2. Shri Krishan Chand	..	1-12-63		
						3. Shri Faqir Chand	..	1-10-63		
6	New Secretariat Cafeteria, Chandigarh	..	..	..	13	1. Shri Jindu Ram	..	6-4-41	22 per cent	21 per cent
						2. Shri Sudama Ram	..	5-9-61		
						3. Shri Durgi	..	1-5-61		
						4. Shri Til Ram	..	7-11-63		
						5. Shri Rikhi Ram	..	24-2-61		
						6. Shri Punna Ram	..	9-12-60		
						7. Shri Romesh	..	1-8-63		
						8. Shri Piare Lal	..	1-8-63		
						9. Shri Bichha Ram	..	1-6-61		
						10. Shri Amar Singh	..	1-10-60		
						11. Shri Girdhari Lal	..	1-9-59		
						12. Shri Puran Chand	..	18-7-62		
						13. Shri Bachan Singh	..	1-7-59		

POINT OF ORDER

श्री जगन्नाथ : On a point of order, Mr. Chairman, मेरा प्वायंट आफ़ आर्डर यह है कि पंडित सत्य पाल शर्मा का परसों देहांत हो गया है और कल ही श्री ए. ऐन. कुमार, जो ट्रिब्यून अखबार के रिप्रैज़ेंटेटिव हैं, का देहांत हो गया है। इस हाउस की आज तक यहां प्रथा रही है कि जब भी इस हाउस के या बाहिर के किसी बड़े आदमी की मृत्यु हुई है तो इस हाउस में कुछ देर मोन खड़े हो श्रृद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस लिये मेरी दरखास्त है कि आज भी एक मिंट के लिये मोन खड़े हो कर इस हाउस को श्रृद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए।

3.00 p.m.

Mr. Chairman : This matter is not before the House at the moment. This is no point of Order.

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Chairman : There are six Adjournment Motions given notice of by various hon. Members of the House. Adjournment Motion No. 1 has been given notice of by Comrade Babu Singh Master.

Comrade Babu Singh Master : Sir, I have given notice of a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, discontentment prevailing in the villages due to scarcity and disparity of the Sugar quota as compared to that of cities and towns. Even no sugar is issued at the time of child birth in the villages which is most essential requirement at that juncture.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਭੈੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲੇ।

Mr. Chairman : I disallow it because the matter can be raised during the course of discussion on the motions in respect of Demands for Grants to-day.

*Adjournment Motions Nos. 2, 4, 5 and 6 are about the death of a University student Romesh Chander Bhalla.

*__Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.__ : to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the death of Mr. Romesh Bhalla (A student of third year class, Department of Chemical Engineering and Technology, Punjab University). On 19th April, 1964 his dead body was taken out of Sukhna Lake, Chandigarh, when it floated. After post-mortem doctor gave the finding that the death occurred due to drowning. This death in suspicious circumstances has enraged 6,000 University students and the whole Punjab is perturbed as no judicial enquiry has been ordered by the State Government up to this time. The situation is still deteriorating. Therefore, this matter must be discussed.

*__Sarvshri Babu Singh and Gurbakhsh Singh, M.L.A.s__ : to ask for leave to make a motion for the adjournment of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, death by suicide on 15th March, 1964 in Sukhna Lake, Chandigarh, of Shri Romesh Bhalla, a student of 3rd Year Class, Department of Chemical Engineering and Technology, by way of desperate vindictive and discriminatory attitude of the two Professors.

*__Shri Jagan Nath, M.L.A.__ : to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the suicide by Romesh Bhalla, a student of 3rd Year Class, Department of Chemical Engineering and Technology, Punjab University, Chandigarh drowning himself in the Sukhna Lake, Chandigarh, on 15th March, 1964 and found his dead body on 19th March, 1964. The responsibility goes direct to the concerned lecturers and the misuse of the internal assessment system of examination by the lecturers. The authority discriminated with him in the admission to the examination, because he was a poor student that is why he was being compelled to commit suicide. This was a great tragedy and there is too much excitement among the students of Chandigarh and the Students Union of Chandigarh passed a resolution for an enquiry and the students are assembling before the Vidhan Sabha today at 1.00 p.m. So there must be discussion in the House about the incident and the internal assessment system of examination. Because this system leads to favouritism, nepotism and even corruption. So this must be removed.

The Education Minister may make a statement in the House.

The resolution of the students Union, Chandigarh, is attached herewith.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the circumstances under which Shri Romesh Chander Bhalla, a student of 3rd year of the Department of Chemical Engineering and Technology of the Punjab University was compelled to commit suicide on 15th March, 1964.

(*Voices of Shame, Shame from the Opposition Benches*).

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਮੇਸ਼ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ .... (ਵਿਘਨ)

Shri Mangal Sein : The House should be adjourned to look over this matter. Mr. Chairman. आज की तमाम हाऊस की कार्रवाई खत्म करके इस मैटर पर विचार किया जाए और पंजाब युनीवर्सिटी की एडमनिस्ट्रेशन पर गौर किया जाए । It is a very serious matter.

Mr. Chairman : I know it. There are four adjournment motions on this sudject (*Interruptions and noise in the House*). There should not be noise and interruptions in the House. It is not a fish market. There should be decorum in the House.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਟਰਿਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਟ ਰਿਹਾ, ਐਫ. ਏ. ਵਿਚ ਫਸਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਮਤਹਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸਨ। ਪਰ ਪਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵਿਚ ਡੁਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। (ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ)

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਨਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਈਸਾਈਡ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(*Some hon. Members rose to speak.*)

Mr. Chairman : I am sorry, I cannot allow discussion in this manner.

Voices from the Opposition Benches : Sir, there should be discussion.

Mr. Chairman : But let me find out the position from the Government.

(*Interruptions and Noise in the House.*)

Mr. Chairman : It cannot be admitted technically. Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly reads—

"The right to move the adjournment of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely :—

(iv) the motion shall relate to a matter which falls within the responsibility of the Government ;......"

Voices from the Opposition Benches : Sir, it is purely the responsibility of the Government.

(*Noise and interruptions in the House*).

Mr. Chairman : I am on my legs. There should be no interruptions. The University is an autonomous body.

Home Minister : Sir, I would like to inform the House of certain aspects of the case. There are two reasons. There are two aspects........

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : On a point of order. ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Chairman : The hon. Member has not heard the point of view of the Government. Let the hon. Home Minister have his say.

Sardar Lachhman Singh Gill : Before the hon. Home Minister speaks, I request that the hon. Members of the House may be allowed to explain the case.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, you have been pleased to refer to the relevant Rule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. You have been pleased to observe that the University is an autonomous body and we cannot interfere with the internal administration of the University. I may bring to your notice that the matter sought to be raised through an adjournment motion does not concern the internal administration of the University. But it relates to the Law and Order position in the State. The student was forced to commit suicide and some officials of the University, as I am told, are so unsympathetic,

so callous and so cold, that the boy was not properly attended to. I do not know what were the motives, but from the answer papers read out by an hon. Member of the House, it appears that definite discrimination has been shown in his case. Not only discrimination has been shown to the boy but favours have been shown to some other students. Therefore, Sir, the matter does not concern the internal working of the University, but it concerns the Law and Order position of the State.

Mr. Chairman : May I request the hon. Home Minister......

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, you have said that the adjournment motion cannot be admitted under Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

Mr. Chairman : It seems to me, I have not given my ruling. I have got a statement here before me. This boy always got First Division. He got first division when he joined this Department. He again got first division in the University Examinations in the First and Second Years. In the Third Year, the boy was detained by the authorities. His financial resources were slender. He was getting loans from the Government and his detention affected those loans also. Evidently the boy had a brilliant career from the beginning to the end. The allegation is that he persuaded the University authorities to let him sit in the Examination. The boys who answered two out of nine questions and got Zero marks in the examinations were not detained and were sent up. So in the stress of those circumstances, it appears to me that a very brilliant career has been terminated. The boy has been forced to take his own life because of some sort of callous treatment of the university authorities. (Voices of shame, shame from the Opposition Benches. It is a matter which does not deal with the internal administration of the university but it deals with the Law and Order situation of the State. The Government also gives grant to the University. I would, therefore, request the hon. Home Minister to consider all these points.

Home Minister : Sir, I must state straightaway that I equally share the anxiety of the hon. Members of the House in so far as this incident is concerned. It is a pretty sad incident and it should cause concern both to the Government and the hon. Members of the House and also the University authorities. But the first important point is that the hon. Members should bear in mind that *primafacie* it is a case of suicide and inquest has to be held. Every aspect of the case shall have to be gone into by the inquest authorities. I would, therefore, plead for the patience of the hon. Members of the House. Let us first see the inquest report and thereafter whatever is necessary to be done in that case, that is the duty of the Government to do.

Voices from the Opposition Benches : Sir, there should be a judicial enquiry.

Mr. Chairman : Inquest is necessary in law. Let the Government have the report of inquest. Till then, the matter be kept pending. I hope the Government will expedite the matter and have the inquest done early. The result of the inquest will be placed before the House and then we will proceed in the matter.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : With your permission, Sir, I would like to request the hon. Home Minister to issue instructions to the enquiring staff to go into the particular fact of discrimination shown in the marking of papers. It is a case of refusal to one student and favour to the other. This should, I think, be the point on which particular and specific enquiry should be held.

Chief Minister : I think the hon. Member is a Member of the Syndicate. He should take up this matter there, if he feels that favour has been

[Chief Minister]

shown to some-body. We have two Members of this House and possibly two Members of the Upper House on the Syndicate.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : I would like to make one thing clear. So far as penal side of the case is concerned, that is entirely the responsibility of the hon. Home Minister. So far as departmental action against the teacher is concerned, we will take up the matter with the Senate and the Syndicate.

Home Minister : I would like to make one point clear. It is a case of suicide. The hon. Member must, therefore, try to understand this. I do not want to make any other observation. Indirectly, he may say whatever he wants to say.

Sardar Lachhman Singh Gill : But the boy was forced to commit suicide.

Mr. Chairman : Inquest is to be held whether it is a case of suicide or of murder. What led to the death of the boy has to be ascertained. All these circumstances will be enquired into by the Government. I defer my ruling on this matter till we hear from the Government in this connection.

Shri Balramji Das Tandon : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the failure of the Government to hold elections to many of the Municipal Committees already announced by the Government to be held in May, 1964.

Firstly elections to the Municipal Committees were announced to be held in January-February, 1964. Then these were postponed. Again the elections were announced to be held in May, 1964, for 88 Municipal Committees. Now suddenly the Government has changed its mind to withhold elections to the 48 Municipal Committees without any effective reasons for the benefit of its party alone. It is strange that the Government is putting the public of the State in suspense time and again.

यह गवर्नमैंट ऐसे कर रही है जैसे कांग्रेस की किसी बार्ड कमेटी का इलैक्शन हो।

Mr. Chairman : These elections are being postponed for the last ten years.

श्री बलरामजी दास टण्डन: यह गवर्नमैंट इतनी कैलस है कि यह कुछ नहीं देखती, सिर्फ अपनी कनविनीएंस देख कर काम करती है और जहां जो बात सूट करती है वैसा कर लेती है। जब मिनिस्टर साहिब ने यहां पर हाउस में यह कहा कि 88 म्युनिसिपल कमेटियों के इलैक्शन होने हैं, तो फिर अब इलैक्शन क्यों नहीं होते?

Mr. Chairman : The matter can be raised during the course of discussion on the motions in respect of Demands for Grants to-day.

Shri Prabodh Chandra : (*Cheers*) Mr. Chairman, Sir, I had absolutely no idea of taking part in to-day's debate. My only grouse is that the hon. Minister for Local Government and Welfare made a categorical statement on the floor of the House that elections to the Municipal Committees would be held. I pointed out to the hon. Minister at that time that he was making categorical assurance and he should not go back from that. It is about ten days back that he made this statement in the House. He said that election would be held. After that, the House was not taken into confidence and it was said that it would not be possible for the Government to hold those elections. I would, therefore, like to know from the hon. Minister concerned

the circumstances that made him say that the Government shall hold elections as also the extenuating circumstances for not holding those elections (*Cheers*).

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੇਰ ਹਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ.........

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ (*) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ......

Mr. Chairman: Order please. This is no point of order.

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 88 ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 88 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। (The objection raised by Shri Prabodh Chandra is that the Minister for Local Government and Welfare gave an assurance in the House that elections of all the Municipal Committees shall take place and I personally remember that the hon. Minister did say so although he was warned that he should consider this matter well before giving such an assurance.)

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਉ।

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਡਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Mr. Chairman : It is a matter of records. I direct the office to take out the records and put up the same before the Deputy Speaker when she comes.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : On a point of order, Sir ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।

Mr. Chairman : I have directed the office to take out that record and place it before the Deputy Speaker.

Note : Expunged as ordered by the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : on a point of order Sir, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ । ਉਥੇ ਕਦੋਂ ਮਿਉਂਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ?

Mr. Chairman : The office will place the record before the Deputy Speaker. The motion will come up again with the records.

* * * * * *

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

Mr. Chairman : All this will stand expunged.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਹੈ' । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਜੱਫਾ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ।

Mr. Chairman : Let us proceed further.

(*At this stage Sardar Lachhman Singh Gill rose in his seat.*)

Mr. Chairman : There are Government Demands for Grants before the House. The Opposition will be wasting their time if they do not resume discussion thereon. The guillotine will be applied at 5.00 p.m.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਖੌਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਰੀਅਸ ਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਲੈਜ਼ੰਟ ਗਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ ।(ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ ....

Mr. Chairman : Is there any spring in the seat of Sardar Tara Singh? He is rising up again and again.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री बलरामजी दास टण्डन : चेयरमैन साहिब, मेरी एक @प्रिविलज मोशन है। कुछ दिन हुए मिनिस्टर साहिब ने सदन में 88 म्युनिसिपल कमेटियों के इलैक्शनज के बारे में स्टेटमैंट दी थी। इस के बारे में एडजर्नमैंट मोशन थी । उस पर आप ने रिकार्ड देखने के लिए मंगवाया है इस लिए इस को भी उस वक्त तक पोस्टपोन किया जाए जब तक उस एडजर्नमैंट मोशन का फैसला नहीं होता।

---

*Expunged as ordered by the Chair

@**Shri Balramji Dass Tandon. M. L. A. :** has given notice of his intention to raise the following question of privilege ,—

"that the Minister for Local Government (Bodies) clearly assured and stated in the House that the elections to the 88 Municipal Committees will be held in the month of May, 1964, but suddenly he has gone back of his words, and now he has said that the elections will be held only in 40 Committees.

This is a clear case of the breach of the privilege of the House and as such the matter should be referred to the Privileges Committee of the House."

Mr. Chairman : This is about Raksha Dal.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरी प्रिविलिज मोशन पोस्टपोन की गई थी और कहा था कि सोमवार को फैसला दिया जाएगा।

Mr. Chairman : Let it be postponed for decision by the Deputy Speaker. I would not like to decide this, as myself raised the point about the illegality of the Raksha Dal.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो स्पीकरशिप के लिए देहली में भूख हड़ताल कर रही हैं.....

Mr. Chairman : Somebody else will take up the matter.

श्री बलरामजी दास टण्डन : चेयरमैन साहिब, वह तो भूख हड़ताल कर रही हैं, इस लिए कल भी आप को ही फैसला देना पड़ेगा..

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहिबा ने स्पीकरशिप के लिये कांग्रेस पार्लियामैंटरी बोर्ड के सामने भूख हड़ताल कर दी है। क्या यह सच बात है? मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है। मैं भी उन के काज़ के लिए भूख हड़ताल करूंगा।

Mr. Chairman : You also go ahead and fast before the Chief Minister's House.

श्री मंगल सैन : चेयरमैन साहिब, मैं चीफ मिनिस्टर की कोठी पर भूख हड़ताल क्यों करूं....... (विघ्न) (शोर)

Mr. Chairman : There is a privilege motion before me by Sardar Lachhman Singh Gill with a note by the Deputy Speaker requesting the Hon'ble Member to see her in her Chamber to convince her about the breach of privilege. The Honourable Member may, therefore, please see her in he Chamber about this matter.

Sardar Lachhman Singh Gill : I have got the relevant papers with me. Let me please read my motion.

Mr. Chairman : How can I allow you to read it? The Honourable Deputy Speaker wants you to see her in her Chamber.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿਉ।

Mr. Chairman : The question of moving it does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅਗਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : Please see the Deputy Speaker when she comes and convince her about the breach of privilege.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ......

Mr. Chairman : Not to-day. I won't allow this.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ । (The hon. member may read it),

Sardar Lachhman Singh Gill : Sir, I beg to move that the report of the 'Hind Samachar' of 20th March, 1964, of a part of the proceedings of the Vidhan Sabha, dated 19th March, 1964, should be referred to the Committee of Privileges for examination as being mis-representation of what Captain Rattan Singh, M.L.A., had said about the candidature of S. Uttam Singh Duggal. I am enclosing a copy of the Hind Samachar of 19th March, 1964 especially to show that the heading concerning Captain Rattan Singh's speech is highly misleading.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ......

Mr. Chairman : No Speech please. The motion will be taken up tomorrow . Please see the Deputy Speaker in her Chamber.

Sardar Gurcharan Singh : Sir, I have given notice of a privilege motion. It reads :

> That the Home Minister has given wrong and misleading information to the House in regard to the murder complaint connected with the death of Bant Singh, village Bughipura in Police Station, Tehsil Moga, District Ferozepur.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ....

Mr. Chairman : The facts are in dispute. It cannot be said which version is correct. But, at the same time the matter is very serious.

Sardar Gurcharan Singh : Let the matter be referred to the Privileges Committee.

Mr. Chairman : No, it cannot be referred at this stage. The facts have to be verified first. The matter is, no doubt, serious. What has the Honourable Home Minister to say in this connection ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਡੀਨੈਸ ਹੋਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ......

The man had developed certain symptoms.

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਗਿਡੀਨੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ *i.e.* something like giddiness.

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੌਂਗ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਸ. ਪੀ. ਯਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲਿਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਡਜ਼ਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਐਂਡ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ।

That is based on investigation and facts ascertained by the local Administration, including the Superintendent of Police himself. ਹਰ ਇਕ ਗਲ ਲਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

There will be no end to such like motions and we will always be involved in such matters, if the Opposition stick to their own versions and do not accept what the Government say.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। होम मिनिस्टर साहिब ने बहुत देर लगा कर समझाने की कोशिश की है। उन्हों ने बताया है कि उस आदमी को रिक्शा में ले जा रहे थे और वह रिक्शा में सम्भल नहीं सका। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि what is the post-mortem report and what is the cause of his death?

Home Minister : The Honourable Member has not read my statement. He should first read that statement.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस की मृत्यु किन कारणों से हुई है। क्या उस को रिक्शा में जाते हुए दिमाग में चोट आई थी? क्या उस के ब्रेन में हेमरेज हुई? इस की डिटेल्ज़ हाउस को बताई जानी चाहिए। After all he must say something. कुछ न कुछ तो उन को बताना ही पड़ेगा कि काज़ आफ डैथ क्या है।

गृह मन्त्री : मुश्किल तो यह है कि मैं ने कहा था कि स्टेटमैंट पढ़ने दो लेकिन इन को जल्दी थी। इस लिये इन्होंने नहीं पढ़ने दी। जो कापी स्टेटमैंट की हाउस की मेज़ पर रखी गई थी वह उन्हों ने पढ़ी नहीं है।

The matter is still under enquiry by a Magistrate, and this matter is still *sub-judice*. I have made mention of these facts in that statement.

Mr. Chairman : Copies of that statement were distributed to the Hon. Members and the hon. Home Minister was asked to lay a copy thereof on the Table of the House. Since the matter is under investigation, we can not proceed with it here.

Sardar Gian Singh Rarewala : Mr. Chairman I would like to say a few words about this matter.

Mr. Chairman : Well, the facts are under dispute. It is stated by the hon. Home Minister that the investigation is still going on. How can the House go into that matter in such circumstances ?

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : मुझे अर्ज़ करने का भी मौका दें। इन्होंने कहा है कि हम ने स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं है। हमने इसको बड़े गौर से पढ़ा है। इन्होंने बताया था कि अभी मैडीकल एग्ज़ामीनेशन नहीं हुआ। ग्यारह तारीख की स्टेटमेंट है। आज चौबीस तारीख हो गई है। 13 दिन हो गए हैं और आज भी होम मिनिस्टर साहिब इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि उसका काज़ आफ डैथ बता सकें। आप अगर इसे इम्पार्शल होकर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इतने ससपीशन सरकमस्टांसिज में उसकी डैथ हुई है कि जिस वक्त से वह पुलिस के कब्जे में आ जाता है उसी वक्त से रेशा पड़ जाता है, उसी वक्त से उसको गशी पड़ जाती है। This statement speaks for itself. There are very suspicious circumstance s I say, Mr. Chairman, you may read this statement.

Home Minister : Who is going to determine that ? Are you, the hon. Member, and I siting over here going to decide whether what is stated is correct ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Well, the Home Minister should inform the House about the result of that examination.

Mr. Chairman : Well some facts are stated, about which there is a dispute. The matter is still under investigation. So let the Police Agency complete their investigation before we say anything. If, however, the hon. Member wants to say anything, he will have ample opportunity to say that during discussion on the Appropriation Bill and the No-confidence Motion against the Ministry.

Home Minister : Sir, let me state one thing, i.e. the enquiry is being conducted by a Magistrate and not by the police agency.

Mr. Chairman : Will the hon. Home Minister be able to inform the House the result of the enquiry, when completed ?

Home Minister : Sir, I shall have the least hesitation in informing the House and as soon as the Enquiry Report is received, I will take the House into confidence.

श्री बलरामजी दास टण्डन : चेयरमैन साहिब, इस वक्त तो सब से बड़ी बात यह है कि उस की बाडी भी अब तक डिस्पोज़ आफ हो चुकी होगी, पोस्टमार्टिम हो चुका होगा। गवर्नमैंट को चाहिये था कि स्टेटमैंट में पोस्टमार्टिम का रीज़ल्ट ऐड कर देती ताकि हाउस को पता लग जाता कि जो मैडीकल एग्ज़ामीनेशन हुआ है उस का रीज़ल्ट क्या रहा...

Mr. Chairman : On what is the hon. Member speaking ? The hon. Home Minister has said that he will place the Enquiry Report in this case before the House when received. So let us wait for the Report. I am sorry I cannot give my consent to the moving of this motion.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੀਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਕਟਸ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : These are the points in dispute. One version of the position is that he was arrested from his house while the hon. Member says that he was produced in the Police Station, etc. Is this House in a position to judge which of the statements is correct ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਪ੍ਰਿਵੀਲਿਜਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

Mr. Chairman : But the point is, is this House going to investigate the case. I think the House is not in a position to do that.

There is another privilege motion given notice of by Shri Balramji Das Tandon.

श्री बलरामजी दास टण्डन : मैं ने पहले ही कहा है कि यह भी उस के साथ ही चलेगा ।

Mr. Chairman : Yes, it will come with the other.

Again there is a privilege motion given notice of by Sardar Trilochan Singh Riasti.

Sardar Trilochan Singh Riasti : Sir, I beg to seek the permission of the House to raise a question of privilege

> "That the Home Minister's statement made in the House on 19th March, 1964 in reply to my Call Attention Motion No. 4 dated 12th March, 1964 constitutes a breach of the privilege of the House, containing as it does gross misrepresentation of facts relating to what formed the subject matter of my call attention motion.
>
> For example, it is wrong that Jaitu Police, or the District Bhatinda Police ever raided the House of Jarnail Singh alias Zaila of village Chand Bhan who was in possesion of illicit fire arms.
>
> It is also wrong that Jarnail Singh alias Zaila was sent up by the Local Police under Security proceedings as being a bad character and of truculent disposition. It can be shown that the proceedings referred to by the Home Minister were initiated by the Police at the request of Zaila himself and indeed to oblige him.
>
> I would move that the matter might be referred to the Privileges Committee of the House for examination.

Chairman Sahib....

Mr. Chairman : No speech, please. The motion is self-explanatory. The position in this case is similar to the one as was in the case of privilege motion notice that was taken up earlier, i.e. how are we going to determine as to what is the correct position.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ–ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ । ਇਕ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

[ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ]

ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ, 1959 ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ...... .

Mr. Chairman : I think we need not go into all these facts.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਗਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

Mr. Chairman : Well, the Government does not agree with what is stated by the hon. Member.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ਼ਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Chairman : The hon. Member can go to a Court of law.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Mr. Chairman, you were pleased to observe that the hon. Member (Sardar Trilochan Singh Riasti) can go to a Court of Law . In this respect I would submit that this is not a matter between a citizen and a citizen of the State. It is a matter which concerns an hon. Member of this august House and a Member has got certain privileges, securities and certain amenities. Therefore, I think it is the duty of the Chair or the whole House to protect him safeguard his life and also to go into the statement made by the hon. Home Minister. I think Mr. Mohan Lal has not given any wrong information intentionally whereas the facts given by the hon. Member are quite different from what the Home Minister stated the other day. Therefore, I would request the hon. Home Minister to review the whole position.

Mr. Chairman : That is a different matter.

Home Minister : Mr. Chairman, I presume the hon. Members have read the statement which I made the other day. It is a very detailed statement . Now two points have been made by the hon. Member. The first point is as he says, that the house of Zaila was not raided—this is the word used by the hon. Member. I had stated on the basis of the information supplied to me by the district authorities that his (Zaila's) house was in fact searched and nothing in criminating was discovered therefrom. This is a fact which I stated and which forms part of the statement which I made the other day. It is quite possible that it may not be to his (Sardar Trilochan Singh Riasti) knowledge. He may not be present there at that time when the raid was conducted. But to say that it was not done is not very fair.

Chaudhri Darshan Singh : What about the illicit arms ?

Home Minister : The second point made out by the hon. Member is that procedings were initiated against Zaila just to oblige him (Zaila). I have not been able to appreciate as to what is the point here.

What I said was that he was proceeded with under Sections 107/151 of the I.P.C. in the Court of law.

Chaudhri Darshan Singh : What about the illicit fire-arms ?

Home Minister : I am still on my legs. I was submitting, Sir, that a case was registered against that person and he was actually sent to a Court of Law. Now, the hon. Member has said that it was done to oblige him (Zaila).......................

Mr. Chairman : Pandit Jee, you need not go into those details.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ । ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ । ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ । ਜ਼ੈਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ । ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ? ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਛੁਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਭੈੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mr. Chairman : It is quite possible that some facts are not correctly reported to the Government. In view of the fact that allegations have been made by the hon. Member concerned himself, I hope the Home Minister will depute some senior officer to go into this question and remove the threat to his life, genuine or otherwise. According to the hon. Member, there is a threat to his life and Government should look into this matter. After all we should see that hon. Members lives are not under any threat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : चेयरमैन साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केस प्रिविलेज कमेटी को भेजने के लिए फिट केस है। एक आनरेबल मेम्बर ने स्पैसिफिक ऐलीगेशन्ज़ लगाई है और वह इतना शुअर (sure) है कि वह इस को साबित करना चाहते हैं। आप उन का ऐफीडेविट ले लीजिए। उन की साफ तौर पर ऐलीगेशन्ज़ है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने खुद यह काम करवाया है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ से गलत रिपोर्ट ले कर उसको इस हाउस में पढ़ दिया है।

[Deputy Speaker in the Chair]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक तरफ मेम्बर साहिब ने यह अलज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट ने मर्डर करवाने के लिए एक कान्स्पीरेसी की और दूसरी तरफ जब हाउस में यह मामला आया तो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ से गलत स्टेटमेंट लिखवाकर हाउस में पढ़ दी। यह प्रिविलेज आफ दी हाउस से टक्कर खाने वाली बात है। यह गवर्नमेंट ने अपनी पावर्ज़ को असली मिसयूज़ किया है और यह मामला डैफिनेटली प्रिविलेजिज कमेटी को रैफर होना चाहिए।

उपाध्यक्षा : जो काल अटैंशन मोशन्ज़ हैं वह कल ले ली जाएंगी।

(Call Attention motions will be taken up tomorrow.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। (Mr. Chairman has already given his ruling on that.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਾਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ। I have been told by the Secretary that the Chairman has alrady given a ruling to this effect that the Home Minister should depute some senior officer to make enquiries. Then we will see to it . Had the Home Minister given a statement on the very first day things would have been clear to me as well as to all the Members of the House).

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ **ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ** : ਇਸ ਉਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਂ। (It is not desirable for me to reopen the matter on which Mr. Chairman has already given a decision.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਿਜ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ। (I am sorry to point out that the hon. Members should listen with attention the observations which are made from the Chair. The Chairman has given his ruling that the Home Minister should depute some senior officer to investigate into the matter.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਐਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। (The ruling from the Chair is before the House.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਲਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ? ਚੇਅਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਦਿਉ ? ਕੀ ਹਾਉਸ ਦੇ ਅਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। (Should he give it in writing? The ruling from the Chair is sufficient. We will see to it in case he does not work it out. Why should we ask them to make commitments (affix signatures)? Have the hon. Members of the House come here to simply affix their signatures ?)

CALL ATTENTION NOTICES

उपाध्यक्षा: जो काल अटेंशन मोशन्ज़ है वह कल ले ली जाएंगी ।
(The Call Attention Motion will be taken up tomorrow.)

DEMANDS FOR GRANTS

(Resumption of Discussion) (*concld.*)
*19—General Administration.
*23—Police

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਜੇ ਗਿਲੋਟੀਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਛਡ ਕੇ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਗਲ ਕਰੋ ।
(The House is aware of the fact that guillotine is to be applied at 5.00 p.m. Only one hour has been left for speeches. Therefore, I would like the hon. Members to leave aside other matters and confine themselves to the Demand under discussion.

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि नारमली मिनिस्टर को जवाब देने के लिए एक घंटे का वक्त दिया जाता है । वैसे आप जिस वक्त मुझे कहेंगे मैं उसी वक्त बोल लूंगा ।

उपाध्यक्षा : मुनासिब तो यही है कि एक घंटे का टाइम आप को मिले । लेकिन आप उसमें से पन्द्रह मिनट छोड़ दें । (It would have been appropriate if the hon. Home Minister was given an hour to make the reply but let him reduce it by fifteen minutes.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आप ने पांच बजे गिलीटीन एप्लाई करनी है क्योंकि आप का ख्याल है कि इधर से डिवीज़न डीमांड की जाएगी । अगर आप को हम यकीन दिलाएं कि अननेसेसरी डिवीज़न डीमांड नहीं की जाएगी तो आप गिलोटीन पीरियड से टाईम निकाल कर डिस्कशन का टाईम पांच बजे से आगे एक घंटा बढ़ा दें ताकि मेम्बर डिस्कशन में हिस्सा ले सकें । वैसे पंडित मोहन लाल जवाब किस चीज़ का देंगे जब कि डिस्कशन तो कोई खास हुई नहीं ।

गृह मन्त्री : उस दिन भी मेम्बर साहिबान बोलते रहे है । कुछ न कुछ तो जवाब दूंगा ही ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : अननेसेसरी डिवीज़न की डिमाण्ड नहीं करेंगे ।

4.00 p.m.

उपाध्यक्षा : आप 4 साल स्पीकर रहे हैं, आप को पता होना चाहिए कि रूल्ज़ में वहां शेल लिखा हुआ है । जितनी देर आप स्पीकर रहे है शायद उतनी देर कोई दूसरा न रहा हो और न ही रहेगा । (The hon. Member has himself been Speaker

---

*Note.— For previous discussion on the subject please see P. V. S. Debates Vol. I, No. 22, dated the 20th March, 1964 .

[उपाध्यक्षा]

for full eight years. He knows that in the Rules the word 'shall' is provided. I don't think that anyone else has ever been or in future, will be Speaker for such a long time as he has been.)

Sardar Gurdial Singh Dhillon: Madam, there are a number of instances when I, on the assurance of the members of the Opposition that they would not demand unnecessary division, dispensed with this provision.

उपाध्यक्षा : मैं अपने दफ्तर से पूछ रही हूं । अगर यह इस बात की एश्योरेंस देते हैं कि यह डिवीज़न नहीं मागेंगे और कोई ऐसी मिसाल पहले है तो मैं भी कर दूंगी । (I am consulting my office to find out whether there is some precedent in this regard. I will also allow, if there is some precedent.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : मेरे कहने का मतलब यह है कि अब चार बज चुके हैं और पांच बजे अगर आप गिलोटीन लागू कर दें और होम मिनिस्टर साहिब जवाब देने के लिए एक घंटा मांग रहे हैं तो इस डिमाण्ड पर डिस्कशन तो हो ही नहीं सकेगी । होम निमिस्टर को या तो आप थोड़ा टाइम दें या गिलोटीन का वक्त कम करें ।

उपाध्यक्षा : आप ने कहा है कि आप डिवीजन नहीं मागेंगे । आफिस से पूछ रही हूं । इतने तक मैं श्री बलदेव प्रकाश से कहती हूं कि वह अपनी स्पीच शुरू करें । (The hon. Member has assured me that his group will not press for division. I am consulting the office in this regard. In the meantime, I call upon Dr. Baldev Parkash to start his speech.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस सदन में जनरल एडमिनिस्ट्रशन पर बहस शुरु है और पिछले एक दिन बहुत सारे मैम्बर साहिबान ने अपने विचार इस बारे में हाउस के अन्दर रखे । और सब से ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि जुडीशरी को एगज़ैक्टिव से अलग किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, देखना यह है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या २ अच्छे बेसिज़ हो सकते है जिन से इस के अन्दर सुधार आए । मैं आप के द्वारा हाउस के अन्दर यह बात रखना चाहता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तभी ठीक हो सकती है जब कि यह किसी असूल पर कायम रहे और रूल आफ ला इस स्टेट के अन्दर आए । इस के लिए यह ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो कहती है और जो करती है इस में फर्क न हो यानी जो प्रिन्सीपल यह प्रीच करते है और जो यह उन पर प्रेक्टिस करते हैं उन के अन्दर कोई फर्क न रहे । यदि यह हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है । अगर इस असूल को मद्देनजर रख कर हम सूबा के अन्दर नज़र दोड़ाएं तो यह दिखाई देता है कि जब किसी पाटी को फायदा पहुंचाना होता है, किसी फैमिली के आदमी को फायदा पहुंचाना होता है या किसी दोस्त को फायदा पहुंचाना होता है तो सभी रूलज़ एण्ड रेगुलेशनज़ को यह सरकार वेव कर देती है, उस वक्त इस के लिए न कोई कानून रहता है, न कोई असूल रहता है । तब इस सरकार के सामने न कोई ट्रेडीशनज़ रहते हैं और न कोई कन्वेन्शनज़ ही रहते है । वैसे कहने को यह सब कुछ कहते है । अभी इस डिमांड पर बोलने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने एक घंटा मांगा है । मैं समझता हूं कि इन के लिए एक घंटा भी थोड़ा है और

अगर इन्हें आप चार या पांच घंटे भी दे दें तो यह चार पांच घंटे भी भाषण दे सकेंगे और कहेंगे कि स्टेट के अन्दर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए और ऐसी नहीं होनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के सामने फेक्ट्स एण्ड फिगर्ज़ रख कर आप के द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जब इन्हों ने अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाना होता है तो इन के लिए कोई कानून नहीं होता । दो साल की बात है जब अमृतसर में सिनेमा बना तो उस सिनेमा के बारे में पब्लिक की तरफ से कुछ शिकायतें सरकार के पास पहुंचाई गई । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक बड़ा स्पेसेफिक केस है । क्योंकि टाइम थोड़ा है, चाहे इस तरह के कई केस हैं जिन में इन्होंने रूल्ज़ एण्ड रेगूलेशन्ज़ की परवाह नहीं की, मैं सिर्फ इसी केस के बारे में कुछ कहूंगा । और आप के सामने इस बारे में कुछ फेक्ट्स रखूंगा जिन से पता चलता है कि किस तरह से हमारी सरकार चलती है । तो मैं बता रहा था कि सरकार के पास उस सिनेमा के बारे में शिकायत पहुंची कि वह सिनेमा गवर्नमैंट की नोटिफिकेशन के एगेंस्ट और रूल्ज़ को तोड़ कर एक जगह पर बनाया गया है और इस लिए इस को गिराना चाहिए । और इस के खिलाफ मुनासब कार्यवाही की जाए । यह शिकायत जब महकमा के अन्दर सेक्रेटरी लोकल बाडीज़ के पास पहुंची तो उस ने लीगल रीमेम्ब्रसर के पास उस की राए के लिए भेज दी । उस पर एल० आर० ने उस के ऊपर नोट लिखा कि वहां यह सिनेमा नहीं बनाना चाहिए था, इस लिए एकार्डिंग टू रूल्ज़ उस पार्टी के खिलाफ एकशन लेना चाहिए और पेनल्टी लगनी चाहिए । जब वह केस सेक्रेटरी लोकल बाडीज़ के पास आया तो उस ने यह लिख कर कि इन एकार्डेंस विद दी एल० आरज़० (व्यू कार्यवाही करने के लिए वह कागज मियूनिसिपल कमेटी अमृतसर के पास भेज दिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सिनेमा किस का है, इस बारे में मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि यह सब को पता है, तो जब यह पता लग गया कि इस तरह की कार्यवाही होने लगी है तो दौड़ धूप शुरू हुई और पंडित मोहन लाल जी ने वह कागज़ अपने पास मंगवाए और उस पर इन्हों ने यह नोट लिखा कि एल० आर० इस पर दोबारा ग़ौर कर के राए दे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता लगा कि इस बारे में यहां किस तरह से कार्यवाही चलती रही है । जब दास कमिशन के सामने कार्यवही की गई तो इन की फाईलों से पता चला कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है और किस तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रशन के नाम पर, रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ के नाम पर और कानुन के नाम पर क्या २ कहा जाता है और क्या क्या किया जाता है और किस तरह से धांदली मची हुई है । इस लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि उस पर होम मिनिस्टर ने लिखा कि एल0 आर० टू रिकंसिडर । एल०आर० को कहा गया कि आप उस केस पर दोबारा ग़ौर करें क्योंकि यह जो शिकायत आई है यह पोलिटिकल आदमियों की तरफ से आई है और आपोज़ीशन के आदमियों की तरफ से आई है, इस लिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है । इस चीज़ को ध्यान में रख कर आप इस पर गौर दोबारा करें और अपनी राए दें । यह लिख कर एल० आर० को वह केस दोबारा भेज दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से हमारी सरकार रूलज़ और रेगूलेशनज़ को नज़र अन्दाज़ करती है । एल0 आर० ने जब उस केस को रीकानसिडर कर के उस पर अपनी राए जो दी तो वह राए भी तकरीबन वही थी जो उस ने पहले दी थी । इस पर होम मिनिस्टर साहब ने उस केस पर नोट लिख कर एल० आर 0 को नोट भेजा कि वह उन से प्रस्नली मिल कर डिकस्स करें और फिर अपनी राए दें कि इस सिनेमा का अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा,

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

क्या यह रूल आफ ला है जो इस सूबे के अन्दर चल रहा है। क्या आप कहेंगे कि यह सरकार रूलज़ और रेगुलेशनज़ के मुताबिक चल रही है? कहने को तो इन की तरफ से बहुत सी बातें कही जाएंगी। हजारों ऐसी चीज़ों का हमें पता है जहां कुरप्शन हुई है और जहां इन का इनट्रेस्ट होता है और इनट्रेस्ट तो इन का हर जगह पर होता है, कहीं पार्टी का इनट्रेस्ट होता है, कहीं इन की फेमिली का इनट्रेस्ट होता है और कहीं इन के दोस्तों का इनट्रेस्ट होता है। और किस तरह से और किस ढंग से वहां चीजें की जाती हैं; यह सब आप के सामने है। जब सरकार इस तरह से चल रही हो तो कैसे सूबे की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो सकती है। इस के लिए मैं आप के सामने एक उदाहरण रखता हूं। पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एश्योरेंस दी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे कोई पोलीस अफसर हो, चाहे कोई मेजिस्ट्रेट हो, चाहे इन्सपेक्ट्रेट स्टाफ का आदमी हो या डिप्टी कमिशनर ही क्यों न हो उन में से कोई भी अपनी डयूटी के सिवा कोई काम नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस हाउस में केटेगारिकली यह स्टेटमेंट दी थी। यह एश्योरेंस उन्हों ने उस वक्त दी थी जब यहां पर बार बार शिकायत की गई थी कि इनसाफ की कुरसी पर बैठ कर अफसर लोग, जो उन से इनसाफ हासल करने आते है उन्हों यह दो दो रुपए के टिकट खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां केटेगारिकली यह एश्योरेंस दी थी लेकिन आज भी हम देखते है कि आज भी जो लोग अदालतों में इनसाफ लेने जाते हैं या अपनी रजिस्ट्रियां कराने जाते हैं उन को भंगड़ा की, कुश्तियों की या कोई फिल्म एक्ट्रेस का डांस होना हो या कोई क्रिकिट का मैच होना हो उस की टिकटें खरीदनें के लिए मजबूर किया जाता है और उन बेचारों को दस दस रुपए की टिकटें दी जाती हैं। जो बेचारे गरीब किसान होते हैं उन्होंने मैच वगैरह तो देखना नहीं होता इसलिए वे टिकटें, जो उन्होंने दस दस रुपए में खरीदी होती हैं, वही टिकटें वे बाहर आ कर दो दो रुपए में बेच देते हैं। आप बताएं कि इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कैटेगारीकली यह कहा था कि कोई अफसर ऐसा नहीं करेगा और वह खबर पंजाब में सारी अखबारों में छपी थी और उस को पंजाब के शहरियों ने पढ़ा था कि आगे पंजाब में कोई अफसर कोई ऐसा काम नहीं करेगा और वही आदमी जब एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर किसी अदालत में गए होंगे तो उन को टिकटें खरीदनें के लिए मजबूर किया गया होगा तो उन के मन पर इस बात का क्या असर पड़ा होगा? क्या वे यह नहीं सोचते होंगे कि हमारे मुख्य मन्त्री ने क्या यह बात सच्चे दिल के साथ हाउस में नहीं कही थी? जहां हालात इस तरह हों कि वह इस बात को दिल से रोकना चाहते ही नहीं तो यही समझा जा सकता है कि या तो यह चाहते हैं कि यहां गड़बड़ चलती रहे या वह यह चाहते हैं कि जो बात वह कहें उस पर सख्ती से अमल न हो। मैं अभी आप के सामने बताता हूं कि अमृतसर में क्रिकट का मैच हुआ। एस. ऐच. ओ. को दो सौ रुपये के टिकट आए कि बेचने हैं। इसी तरह की इन्स्ट्रक्शन्ज़ हर एक मैजिस्ट्रेट को भी हैं। मैं ने चीफ मिनिस्टर साहिब को तार या चिट्ठी भेजी, गवर्नर साहिब को लिखा मगर मैच के 15 दिन पहले से लेकर आखरी दिन तक पुलिस के अफसर, कोर्टों के अन्दर मैजिस्ट्रेट, इन्स्पैक्टर सेल्ज़ टैक्स और दूसरे भी सारे महकमें उस मैच के टिकट बेचते रहे। यह बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। हर मरतबा यह बात मिनिस्टर साहिबान तक पहुंचाई जाती है और हर मरतबा इन की तरफ से ऐश्योरेंस

दी जाती है मगर फिर भी यह बुराई रोकी नहीं जाती । ज़मानत कराने के लिये लोग जाते हैं और उन को टिकट लेने पड़ते हैं, किसी को दस रुपये का, किसी को बीस रुपये का । गांव से आए किसान मैच नहीं देखते । इस लिये बाहर आते ही वह उस को तीन रुपए में बेच जाते थे । जिस जगह पर टिकट मिलते हैं दस रुपए या पांच रुपये के, वहां से अमृतसर के लोगों ने नहीं खरीदे, कचहरी के बाहर से दो या तीन रुपये में खरीद कर लिये । जहां यह हालत हो, प्रीचिंग और प्रैक्टिस में इतना फर्क हो, सारी बात जानते हुए भी बुराई को रोकने की कोशिश न की जाए, तो कुरप्शन की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता । जिस ऐस. ऐच. ओ. को दो सौ रुपये के टिकट मिल जाएं वह उन को कैसे बेचेगा ? मैं बताता हूं वह क्या करेगा ।

उपाध्यक्षा : आप के पास तीन मिनट और हैं । (The hon. Member has three minutes more to speak.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरे बिल्कुल पास एक हलवाई की दुकान है । उस को वहां पर बुलाया गया कि तुम्हारे खिलाफ स्मगलिंग का केस है, दरखास्त आई है । उस बेचारे ने कहा कि मैं ने तो स्मगलिंग का कभी नाम भी नहीं सुना । तो उन्होंने कहा कि अच्छा पता करेंगे, बाहर बैठो । दो तीन घंटे वहां पर बैठने के बाद उस ने पूछा तो कहने लगे कि अच्छा इतनी जल्दी है तो चार टिकट ले लो । इस तरह से उस को 20 रुपये के चार टिकट दे दिये । इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है । और मैजिस्ट्रेट भी इनसाफ नहीं करते, टिकट बेचते हैं । पुलिस भी और दूसरे अफसर भी यही काम करते हैं । मैं यह बात ज़ोर देकर इस लिए कह रहा हूं कि इसी बात को मैं देख रहा हूं कि आठ साल से लगातार उठाया जा रहा है और सरकार की तरफ से ऐश्योरेंस आने के बावजूद यह गंदी प्रैक्टिस अभी जारी है और जारी रहेगी । पंडित जी जो चाहें जवाब दें ।

उपाध्यक्षा : सवाल करने वाले तो सुनने के लिये बैठे नहीं हैं । अब वाइंड अप करें । (The hon. Members, who discussed these Demands, are not present here to listen to the reply. The hon. Member may please wind up now.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी नियत साफ नहीं है । अभी चीफ मिनिस्टर साहिब ने चण्डीगढ़ के अन्दर एक ब्यान दिया । उन्होंने एक जरनलिस्ट के सवाल के जवाब में कहा कि अगर आंधरा में चीफ मिनिस्टर रीज़ाइन कर सकता है तो शायद मैं भी वहीं बात करता मगर चूंकि इस बारे में आपोज़ीशन ने बहुत हो हल्ला किया, दबाव डाला है, मुझे मजबूर करना चाहते हैं इस लिये दबाव में आकर नहीं झुकता । यह है उन के दिमाग की सही तसवीर । बात तो ठीक है कि आंधरा के चीफ मनिस्टर की तरह उन को भी करना चाहिये मगर चूंकि आपोज़ीशन वाले कहते हैं इस लिये उस काम को नहीं करेंगे । हमारी यही ऐलीगेशन है कि आपोज़ीशन की तरफ से जो ठीक बातें भी कही जाती हैं, चीफ मिनिस्टर की तरफ से उन पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि वह आपोज़ीशन की तरफ से आती हैं । यह कितना एंटी-डैमोक्रैटिक एटीच्यूड है, जनतन्त्र के विरुद्ध बात है । और नतीजा यह है कि एक ऐसा माहौल बन गया है जिस में लैगपुलिंग चल रही है, पार्टी पालिटिक्स का बोल बाला है और स्वार्थ ही सब कुछ है । सरदार दरबारा सिंह किसी की टांग खींच रहे हैं और दूसरा कोई इन की टांग खींच रहा है । (विघ्न) ऐसे ही बात के लिए यह कहा है । मतलब

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

सिर्फ यह है कि इन के दिमाग में हर वक्त पार्टी पालिटिक्स, इनट्रीग वगैरह ही रहती है और इसी के मुताबिक ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है । इन्होंने यहां एक बात कही कि टंडन जी यहां पर इस लिये ज्यादा शोर मचाते हैं क्यों कि वह डा० बलदेव प्रकाश की टांग खींचना चाहते हैं.....

उपाध्यक्षा : मेरे मुतअल्लिक भी यहां पर कहा गया कि मैं भूख हड़ताल करना चाहती हूँ । (विघ्न).... (It was stated about me also that I wanted to go on fast.) (*Interruptions*)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मुझे बिल्कुल पता नहीं । हाउस के अन्दर ऐसी बात आई थी ।

लैफटीनैंट भाग सिंघ : आन ए पुआइंट आफ आरडर, मैडम । की कोई मैंबर साहिब, कोई गॅल कहि के फट ही उस तों मुकर सकदे हन ?

डिपटी सपीकर : छडो जी, मैनूं तां उह गल याद आ गई सी, इस लई कहि दिती । (Leave it please. I just remembered the incident at the spur of the movment, so I referred to it.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : सारी चीज हाउस के रिकार्ड में है, मुकरने की बात नहीं है । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्रिंसीपल्ज़ पर खड़े रहना चाहिए । जो सरकार हो वह रूल्ज़ और कानून के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए । उन पर कायम रहने का करेज होना चाहिए । यह न हो कि हम गलत बात को भी स्पोर्ट करते जाएं । श्री चांद राम जी ने कहा कि जुडीशरी और ऐग्जैक्टिव ज़रूर सैपेरेट होने चाहिएं, मगर तब जब अदालतों के अन्दर इन्साफ मिले, वह कोर्टस आफ ला न हों वह कोर्टस आफ जस्टिस हों । जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने कहा था कि यह एक बीमारी है जिसे दूर करने के लिए जुडीशरी और ऐग्ज़ैक्टिव को अलग अलग करना चाहिए । चांद राम जी कहते हैं कि बीमारी तो है और इलाज भी करेंगे मगर पहले बीमारी दूर तो हो जाए । अब यह क्या बात है । हमे बताया गया है कि यह एम. ए. एल. एल. बी. हैं । तो ऐसी बातें क्यों करते हैं । अपनी लायलटी साबत करने के लिये । जब हम इस तरह से अपने प्रिंसीपल्ज़ को बेचेंगे कि हम कुछ बन जाएं तो ठीक ढंग से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी ।

(The Deputy Speaker called upon the Home Minister Shri Mohan Lal)

गृह मन्त्री : सरदार गुरमीत सिंह बोलना चाहते हैं, दस मिनट दे दें । इस वक्त बैंचिज़ तो सारे खाली पड़े हैं, ऐड्रैस क्या करूं ।

उपाध्यक्षा : मुझे खुशी है कि आप उन को टाइम देना चाहते हैं मगर आप ने कहा था कि आप एक घंटा चाहते हैं, मैं ने आप से उन के लिये 15 मिनट मांग लिये थे । (I am glad that the hon. Home Minister is willing to spare a few minutes out of his own time for the hon. Member. But he had asked for full one hour for replying the debate and out of that I am now taking away 15 minutes to accomodate the hon. Member)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਲੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੋ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੀਡ, ਸੀਫ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਜ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ **it is marred by the profiteering difference between the wholesale and retail prices.** ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐਂਡਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਮਗਰ ਇਹ ਰੀਟੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 25 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਰਾਪ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 74,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੈ। 1956-57 ਵਿਚ 6.8 ਪਰਸੈਂਟ, 1959-60 ਵਿਚ 2.4 ਪਰਸੈਂਟ ਅਤੇ 1962-63 ਵਿਚ 3.3 ਪਰਸੈਂਟ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ 1953-54 ਵਿਚ 12 ਫੀ ਸਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 1961-62 ਵਿਚ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਜਿਥੇ ਤਕ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੀਲਡ ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਯੀਲਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ 1953-54 ਵਿਚ 264 ਪੌਂਡ ਅਤੇ 1962-63 ਵਿਚ 251 ਪੌਂਡ ਅਤੇ 1963-64 ਵਿਚ 261 ਪੌਂਡ ਤਕ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਟ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਜਾਂ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਏਰੀਆ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਹੈ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਰਾਈਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ 1,300 ਜਾਂ 1,400 ਪੌਂਡ ਪਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਸ 2 ਜਾਂ $2\frac{1}{2}$ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ 3,600 ਪੌਂਡ ਪਰ ਏਕੜ ਰਾਈਸ ਦੀ ਯੀਲਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਯੀਲਡ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ **there is no judicious application of fertilisers and no judicious application of insecticides.** ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੇਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੇਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਧੇਰੇ ਯੀਲਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਪਰ ਪਲੋਇੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰ ਟਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਲਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਟਿਲਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰ-ਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਾਇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਕਤ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਆਈਟਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1959 ਵਿਚ ਮੁਦਕੀ ਮਾਈਨਰ

ਨੰ: 1 ਆਰ 78505 ਤੇ ਮੋਘੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਘੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਨ 1962 ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ 1964 ਤੱਕ ਮੋਘਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੇਡਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।

ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਾਂ-ਗੇ। ਹਾਲੇ ਬੇਸ਼ਕ ਮੀਟਰ ਕੇਵਲ ਸੂਏ ਜਾਂ ਕੱਸੀ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਬਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 16,505 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਰੀਐਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤਕ 4,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪ-ਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ 21,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਤਕ, ਖੂਹਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ Agriculture Development Bank ਬਣੇ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਸਟੇਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਹਿਨ ਛੁੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਛਡ ਕੇ ਸਰਸੋਂ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ 14, 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ $15\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ ਜੋ Board of Economic Inquiry ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ]

ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 17 ਰੁਪਏ ਮਣ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਰਾਈਸ ਦਾ ਭਾਊ ਸੁਹਣਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਈਸ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਮਣ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ 25, 26 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਟਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਣਕ। ਪਰ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਯਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਪਾਹ, ਦਾਲ ਆਦਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸੈੱਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਘੰਟੀ) ਤਾਂਕਿ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਵਾਕਫੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ।

ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(*The Deputy Speaker called upon the Home Minister.*)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : I have called upon the hon. Home Minister to speak.

(*Interruptions*)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਅਜੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਏਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ....

उपाध्यक्षा : भूख हड़ताल तो आप जैसे या श्री बलराम जी दास टंडन जैसे करें भला मैं क्यों करूं। Why should I be on a hunger-strike ? (The persons like the hon. Member or Shri Balramji Dass Tandon should go on such a strike.)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : अभी आप ने कहा था कि $5\frac{1}{2}$ बजे गिलोटीन एप्लाई होगा मगर आप ने तो होम मिनिस्टर को अभी से काल अपौन कर दिया है ।

उपाध्यक्षा : अब एक घंटे के लिये पंडित मोहन लाल जवाब देंगे। इस लिये इन को काल अपौन किया है । (Now the hon. Home Minister will reply the Debate for an hour that is why he has been called upon.)

(Interruptions)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : Please do not interrupt. when I have called upon the Home Minister.

(Interruptions)

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : आप मुझे बोलने का मौका तो दें अगर उन्हें कुछ जवाब ही देना है। (विघ्न)

(At this stage, the Home Minister rose to speak.)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : आप ने हमें बोलने का मौका तो दिया ही नहीं । आप ने फरमाया था कि......

Deputy Speaker : This is the discretion of the Chair. I won't allow any body to speak. Now the Home Minister will speak.

WALK OUT

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : आप के इस वतीरे पर मैं वाक आऊट करता हूं । आप कहने तो देती नहीं । हम आप को स्पीकर कैसे बना दें, वैसे ही हमारे से गुस्सा करती हैं ।

Deputy Speaker : Order please.

(At this stage, Chaudhri Inder Singh Malik staged a walk out.)

DEMANDS FOR GRANTS (RESUMPTION OF DISCUSSION)

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस की डीमांडज़ पर बहस जारी हुये दूसरा दिन है.... (विघ्न)

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : इस तरह हम भी चले जायेंगे, अगर दिल्ली से कोई विश्वास आपको मिल गया हो तो हम बैठ जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्षा : आप को चेयर का कुछ तो रिगार्ड होना चाहिये । (The hon. Member should have at least some regard for the dignity of the Chair.)

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं डीपली रीज़ेंट करता हूं, इस तरह जो तरीका मैंबर साहिबान ने चेयर को डायरेक्टली इन्सीन्यूएशन का निकाला है यह निहायत ही नामुनासिब है इन को चेयर की इज़्ज़त करनी चाहिये । इनको इस बात का पता होना चाहिए कि इज़्ज़त कैसे की जाती है ।

(कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का की ओर से विघ्न)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़ । तरसिक्का साहिब, आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं कि कोई सख्त रास्ता एडाप्ट करूं (विघ्न) (Order please. I would request the hon. Member Comrade Makhan Singh Tarsikka that he should not force me to adopt strict attitude towards him.)

श्री बलराम जी दास टण्डन : हम तो बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा । मगर जिस बात के लिये पंडित मोहन लाल जी ने उठकर रीज़ेंटमेंट भी कर दी, हम तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है कि वह प्रोमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं ?

उपाध्यक्षा : देखिये, इस तरह की बातें कह कर आप मेरी इन्सल्ट कर रहे हैं । (The hon. Members may please listen. By talking like this they are insulting me.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : अगर आप इसको अपनी इन्सलट समझती हैं तो हम बैठ जाते हैं ।

गृह मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनरल ऐडमनिस्ट्रेशन और पुलिस पर डिसकशन का आज यह दूसरा दिन है ।

कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का : देखो जी, पण्डित जी हंस रहे हैं ।

गृह मन्त्री : अच्छा जी, मैं इनकी तरफ देखता भी नहीं । जो थोड़ा सा समय मेरे पास है मैं इसी डीमांड पर मुख्तसिर तौर पर कहने की कोशिश करूंगा ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस साल यानी 1963 का जो साल गुज़रा है इसमें ला ऐंड आर्डर की पोज़ीशन निहायत अच्छी रही है, और इस पोज़ीशन में पहिले की निसबत काफी सुधार हुआ है । 1962 के मुकाबले में इस साल 51,723 केसिज़ रिकार्ड किये गये हैं जबकि 1962 में 46,711 केसिज़ रिकार्ड किये गये थे ; यानी 5,012 केसिज़ 1963 में ज्यादा रिपोरटिड हैं । इस की वजह यह है कि ऐकसाईज़ के, अफीम के गैंबलिंग के और मिसलेनियस जरायम जो हैं वह इस साल ज्यादा हुए हैं । मैंबर साहिबान अगर हकीकत को सामने रख कर आंकड़े देखें तो और भी ज़्यादा खुश होंगे । इस साल जो एक्साईज़ के केसिज़ रिपोर्ट हुए हैं वह 19,989 हैं । अगर इन का 1952 से मुकाबला करें तो यह महज़ 7,167 थे । इस तरह से पिछले साल के मुकाबला में 1963 में 3,534 केसिज़ ऐकसाईज़ के ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं । इन में 3,388 केसिज़ ऐसे हैं जिन की अहमियत थोड़ी है । (विघ्न)

Home Minister : The hon. Member should have decency not to interrupt in that manner.

उपाध्यक्षा : क्या कहा है उन्होंने ? (What has been said by the hon. Member.)

गृह मन्त्री : बचपन की बातें कर रहे हैं, मैडम, और कुछ नहीं । तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नाजायज़ शराब की कशीद और शराब का ज्यादा इस्तेमाल, आप जानते हैं कि यह दोनों आदतें जुरायम की मां हैं । इस बुरी आदत को चूंकि रोकना होता है इसलिये भी ज्यादा केसिज़ रजिस्टर हुए ।

मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि ला ऐंड आर्डर की पुज़ीशन का अन्दाज़ा एक खास किस्म के जरायम से लगाया जाता है और यह मर्डर, डैकायटीज़, राबरीज़ और बरगलरीज़ के होते हैं । अगर मैं आपके सामने इन केसिज़ के आंकड़े 1963 के रखूं तो मैं कह सकता हूं कि ला ऐंड आर्डर की पुज़ीशन पिछले साल के मुकाबला में ज्यादा अच्छी रही है । डैकायटीज़ के मुतअल्लिक आप सुन कर हैरान होंगे कि 1963 में इन की तादाद 5 थी जबकि 1952 में यह अदादोशुमार 49 थे । इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम हुई हैं । आप यह भी जानकर खुश होंगे कि एक भी गैंग पंजाब में डाकुओं का बनने नहीं दिया गया ; इस किस्म की कोई भी आर्गेनाईज़ेशन नहीं होने दी । तरक्किा साहिब हंस्ते हैं, मगर उनकी डकायती का कोई और तरीका है जिसका मैं यहां हवाला नहीं देना चाहता (हंसी) राबरीज़ के केसिज़ 1963 में 54 हुए हैं जहां 1952 में इन की तादाद 414 थी । 1963 में बरगलरीज़ के केसिज़ 3,060 हैं जहां 1952 में यह 5,963 हुए थे । (विघ्न)

स्री बलराम जी दास टंडन : On a point of order, Madam. मैं इह पुछणा चाहुंदा हां कि की उह इस तरां दे अंकड़े दॱस के आपणे तों पहिले वज़ीर नूं डिसक्रैडिट नहीं दे रहे ? की उह ऐसा कर सकदे हन ?

डिपटी सपीकर : इह पुआइंट आफ आरडर नहीं । तुसीं इनां दी तकरीर सुणो, इंटरप्ट ना करो । (This is no point of order. I would request the hon. Member to listen to the Home Minister instead of interrupting him.)

गृह मन्त्री : यही हालत चोरियों की है । 1952 में इन की तादाद थी 646 और अब इन की तादाद 1963 में 533 रह गई है । इस तरह अगर पिछले 10 साल के मैं मुख्तलिफ जरायम के आंकड़े लूं तो हर हालत में कमी ही हुई है । इसलिए मैं इन आंकड़ों में और ज्यादा पड़ना नहीं चाहता । यह मुनासिब न होगा । मैं तफसील में न जाते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटैलीजेंस ब्योरो की रिपोर्ट है वह रिव्यू के तौर पर छपी है, जिसमें सारी स्टेट्स की क्राइम्ज़ की फिगर्ज़ दी हुई हैं ; वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

[गृह मन्त्री]

इसमें देखने से पता चलता है कि जहां तक डैकायटी का, हाउस ब्रेकिंग का, रायटिंग का ताल्लुक है पंजाब की पोज़ीशन सब से लोयस्ट है और इसकी पंद्रहवीं पोज़ीशन है। (सरकारी बैंचों से थम्पिंग) यही नहीं, और जो क्राइम्ज़ की पोज़ीशन है, कत्ल के केसों की, मर्डर के केसों की उसमें भी तेरहवीं पोज़ीशन आती है। (प्रशंसा) इस तरह से हम अपने सूबे की ला एंड आर्डर की स्थिति पर मान कर सकते हैं। इसलिए जो दोस्त वाक्यात को नज़रअंदाज़ करके नुक्ताचीनी करते हैं और खासतौर से डेस्ट्रक्टिव नुक्ताचीनी करते हैं उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्ज़ को सामने रख कर बातें करनी चाहिएं।

इसके बाद मैं इंडो-पाक बार्डर के स्मगलिंग के बारे में सरकार ने जो किया है वह आपके द्वारा हाउस को बतलाना चाहता हूं कि इस साल में 19 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 21 स्मगलर्ज़ मारे गए और 457 स्मगलर्ज़ गिरफतार हुए और सात लाख सत्ताइस हज़ार दो सौ उनत्तीस रुपए का अफ़ीम वगैरह के सिलसिले में माल बरामद हुआ।

हमने साइंटीफिक मैथडज़ आफ इनवैस्टीगेशन पर काफी ध्यान दिया है और फोरेंज़िक लेबोरेटरी चण्डीगढ़ में कायम की है। जिनको देखना हो वह देख के आ सकते हैं। उसमें 7 सैक्शन्ज़ हैं। बालिस्टिक सैक्शन, बाइआलाजी सैक्शन, कैमेस्ट्री सेक्शन, फिज़िक्स सैक्शन, डाकुमैंट्स सैक्शन, फोटो ग्राफिक सैक्शन और मोबाइल वैन वगैरह वगैरह। 7,424 केसिज़ में से 688 केसिज़ इग्ज़ामिन किए गए और डाग स्क्वैड के ज़रिए 63 केसिज़ इग्ज़ामिन किए गए, जिनमें 28 केसिज़ में कामयाबी हासिल हुई।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इम्मौरल ट्रैफिक इन विमन के 172 केसिज़ पकड़े गए और 138 केस कोर्टस में डिसाइड हुए और 82 कन्विक्ट हुए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे पी. ए. पी. के जवान और पुलिस के जवान जिनकी संख्या दस हज़ार से भी ज़्यादा है वह आज जम्मू और काश्मीर की सरहद्दों पर बैठे हुए हैं और मुल्क की निगरानी कर रहे हैं। इस तरह से हमने पुलिस को बढ़ा कर हिफाज़त के काम में हिस्सा डाला है।

इसके बाद मैं हाउस की नालिज के लिए यह बतलाना चाहता हूं कि पुलिस में कुरप्शन और इनएफीशिएंसी को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और कम्पलसरी रिटायरमैंट का सिलसिला जारी किया है। अभी तक 143 केसिज़ में कम्पलसरी रिटायरमैंट के नोटिस दिए गए और 59 के खिलाफ अभी तक ऐक्शन लिया जा चुका है। 51 केसिज़ ऐसे हैं जिनके खिलाफ रिटायरमैंट के अलावा और तरीकों से ऐक्शन लिया गया और डिमोशन वगैरह की गई।

डिप्टी स्पीकर साहबा, पेश्तर इसके कि मैं जुडीशरी और ऐग्ज़ैक्टिव के मामले पर कुछ कहूं जिस पर कि मैम्बर साहबान ने बड़ी चर्चा की है, मैं कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का की बात का जवाब देने के लिए मजबूर हो गया हूं। उन्होंने यहां बहुत गिला किया कि उनको हमने पकड़ा और इतने अर्से तक उनको जेल में डिटेन किया। मैं जवाब देते हुए सख्त अल्फाज़ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यह कोई नई बात नहीं, मैं पुरानी बात ही बताऊंगा। लेकिन इतनी देर की बात उन को इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। मगर चूंकि उन्होंने कहा है इस

लिए मुझे मजबूरन यह बात हाउस के सामने रखनी पड़ेगी कि हम ने 69 कम्युनिस्ट दोस्त पकड़े थे जिन के मुतअल्लिक हमारे पास वाज़या सबूत था कि उनकी pro-China tendencies हैं। उन में श्री तरसिक्का साहिब भी थे और कुछ और लैजिस्लेटर्ज भी थे ।

(*Voices of shame, shame from the Treausry Benches*)

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ।

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਅਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतनी तेज़ आवाज़ से बातें कहीं लेकिन अब इन में हमारा जवाब सुनने का हौसला नहीं है । मुझे आज भी कहने में झिजक नहीं है कि अब भी pro-China lobby है। हिन्दुस्तान में और हमारी स्टेट में । इस लिए वह मुझे मजबूर न करें कि मैं ज्यादा बातें बतलाऊं । वह मुझे इंट्रप्ट न करें । नहीं तो मुझे ज्यादा बातें बतानी पड़ेंगी ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰਖਣ। ਅਗਰ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

गृह मंत्री : जो 69 हम ने कम्युनिस्ट दोस्त डिटेन किए थे इसी बिना पर किए थे। इस से ज्यादा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कहना चाहता सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस डिटेन्शन के खिलाफ तरसिक्का साहिब ने हाई कोर्ट में भी Habeas Corpus Petition file की थी (विघ्न) और वह रिजैक्ट हुई थी और उस के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इन की एप्लीकेशन रिजैक्ट हुई थी ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Deputy Speaker: When you level allegations against the Government you should also have the patience to hear them.

गृह मन्त्री : यह गलत गेम खेल रहे हैं । इन को हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए, नहीं तो सच्चाई की बातें बतानी पड़ेंगी ।

Comrade Shamsher Singh Josh : We challenge the statement of the Home Minister. I have already challenged him in this House that he should prove the charges against us in a court of law, otherwise he should resign ; rather the Government should resign.

गृह मन्त्री : मैं इन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । इसलिए इन को जोश में आ कर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं । अगर असलियत ब्यान की गई तो वह अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करेंगे ।

Comrade Shamsher Singh Josh : I again challenge the statement of the Home Minister. Let him prove the charges against us in a court of law, otherwise he should not say these words.

गृह मन्त्री : जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार ही मैं दोहरा कर कहूंगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं यह बात बिल्कुल सही है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਨਾ ਕੋਈ Pro-China ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਈ Pro-Russian ਹੈ ।

I may emphatically declaıe that we are Indians first and not pro-Chinese or pro-Russians. I again challenge the statement of the Home Minister.

Deputy Speaker: I wish every Indian should think like that. I would request the hon. Home Minister to avoid this controversy.

गृह मन्त्री : बहुत अच्छा जी । अब मैं एग्ज़ैक्टिव और जुडीशरी के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि leader of the opposition ने यह प्वायंट उठाया था । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट हाउस में जो बात कहती चली आ रही है अभी तक उस में तबदीली नहीं हुई और हमारे डी. सीज़. की और कमिश्नर्ज़ की कान्फ्रेंस होने वाली है । उस में यह मामला रखा जाएगा और उस के बाद फैसला करेंगे । मई, जून तक इन्तज़ार किया जाए । आप का शुक्रिया ।

Deputy Speaker : Now, I will apply guillotine. Is it the sense of the House that all the Demands be put together to the vote of the House ?

Voices from the Opposition : These should be put separately.

Deputy Speaker : All right .

Deputy Speaker : Question is –

That a sum not exceeding Rs. 3,67,94,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 19– General Adminisration.

The motion was declared carried.

उपाध्यक्षा : सारी डिमांड्ज 10, 15 मिनट में पास नहीं हो सकतीं । इस लिए अब बाकी सब डिमांड्ज पास करने के लिए पुट की जाएंगी । (शोर) (विघ्न) (All the Demands cannot be passed within 10 or 15 minutes so the remaining Demads will now be put together. (*Noise*) (*Interruptions*)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਵੋ । (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 37 ਉਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੋ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਤਸੁਕ ਹੈ । (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 37 ਉਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ) ਤਾਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । (ਸ਼ੋਰ) ।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़, आप शोर न मचाएं । आप की बात मान ली है, डिमांड 37 पर वोटिंग हो जाएगी । (Order please. The hon. Members should not make noise. I accede to their demand. The Demand No. 37 will be put to the vote of the House separately.)

5.00 p.m. **Deputy Speaker :** Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 11,45,68,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 23—POLICE.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 2,48,05,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 9—LAND REVENUE.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 8,02,920 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 11—TAXES ON VEHICLES.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 6,50,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 14—STAMPS.

That a sum not exceeding Rs. 3,24,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 15—REGISTRATION FEES.

That a sum not exceeding Rs. 28,16,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 18—PARLIAMENT, STATE AND UNION TERRITORY LEGISLATURES.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is :—

That a sum not exceeding Rs. 55,94,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 21—ADMINISTRATION OF JUSTICE.

That a sum not exceeding Rs. 81,21,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 22—JAILS.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 4,03,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 25— SUPPLIES AND DISPOSALS.

That a sum not exceeding Rs. 39,94,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 26— MISCELLANEOUS DEPARTMENTS.

That a sum not exceeding Rs. 2,74,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 27— SCIENTIFIC DEPARTMENTS.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 4,49,25,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 29— MEDICAL.

That a sum not exceeding Rs. 2,38,55,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 30—PUBLIC HEALTH.

That a sum not exceeding Rs. 4,73,14,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 31—AGRICULTURE.

That a sum not exceeding Rs. 1,59,08,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 33—ANIMAL HUSBANDRY.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 1,44,88,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 34— CO-OPERATION.

That a sum not exceeding Rs. 3,59,48,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come n the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 37—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 2,33,30,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges uhder head 38—LABOUR AND EMPLOYMENT.

That a sum not exceeding Rs. 39,80,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 39—MISCELLANEOUS SOCIAL AND DEVELOPMENTAL ORGANISATIONS.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 40—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT.

That a sum not exceeding Rs. 6,54,07,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 42—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 2,59,35,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT.

That a sum not exceeding Rs. 3,34,47,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 50—PUBLIC WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 2,44,69,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head CHARGES ON BUILDINGS AND ROADS ESTABLISHMENT.

That a sum not exceeding Rs. 1,82,10,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 52—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 4,40,000 be granted to the Governor to defray the charge that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 56—AVIATION.

The motions were carried.

Deputy Speaker : Question is:—

That a sum not exceeding Rs. 1,01,20,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 64—FAMINE RELIEF.

That a sum not exceeding Rs. 2,10,45,810 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 65—PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS.

The motions were carried.

67-PRIVY PURSES AND ALLOWANCES OF INDIAN RULERS.

Deputy Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 7,86,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 67—PRIVY PURSES AND ALLOWANCES OF INDIAN RULERS.

The House then divided :

Eyes : 71

Notes : 34

The motion was declared carried.

(*Voices from the Opposition : Shame, shame*)

AYES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan
2. Ajmer Singh, Sardar
3. Amar Nath, Shri
4. Amar Singh, Shri
5. Bal Krishan, Shri
6. Baloo Ram, Shri
7. Balwant Singh, Sardar
8. Banwari Lal, Shri
9. Benarsi Dass Gupta, Shri
10. Bhagirath Lal, Shri
11. Bhag Singh, Sardar
12. Brish Bhan, Shri
13. Chandi Ram, Shri
14. Dalip Singh, Sardar
15. Darshan Singh, Sardar
16. Dasondhi Ram, Shri
17. Fakiria, Shri
18. Gian Chand, Shri
19. Gulab Singh, Sardar
20. Gurmej Singh, Sardar (Gumanpura)
21. Guran Dass Hans, Bhagat
22. Gurbanta Singh, Sardar
23. Gurdarshan Singh, Sardar
24. Harbans Lal, Shri
25. Harchand Singh, Sardar
26. Harinder Singh, Sardar
27. Hari Ram, Shri
28. Hari Singh, Sardar
29. Har Kishan, Shri
30. Hira Lal, Shri
31. Jagat Ram, Shri
32. Jagjit Singh, Sardar (Naraingarh)
33. Jai Inder Singh, Sardar
34. Karam Singh 'Kirti', Sardar
35. Kesara Ram, Shri
36. Lakhi Singh, Chaudhri Sardar
37. Mehar Singh, Shri
38. Mohan Lal, Shri
39. Narain Singh, Sardar (Shahbazpuri)
40. Nihal Singh, Shri (Mahindergarh)
41. Narinjan Singh 'Talib', Sardar
42. Om Prabha Jain, Shrimati
43. Parkash Kaur, Shrimati
44. Partap Singh Kairon, Sardar
45. Partap Singh, Bakshi
46. Prabodh Chandra, Shri
47. Prem Singh 'Prem', Sardar
48. Pritam Singh Sahoke, Sardar
49. Rala Ram, Principal
50. Ram Dhari Gaur, Shri (Gohana)
51. Ram Dhari, Shri
52. Ram Kishan, Shri
53. Ram Pal Singh, Shri
54. Ram Partap Garg, Shri
55. Ram Parkash, Shri
56. Ram Rattan, Shri

[Deputy Speaker]

57. Ran Singh, Shri
58. Rattan Singh, Shri
59. Rizaq Ram, Shri
60. Roop Lal, Shri
61. Rulya Ram, Shri
62. Rup Singh 'Phul', Shri
63. Sagar Ram Gupta, Shri
64. Sarla Devi, Shrimati
65. Sita Ram, Shri
66. Sunder Singh, Chaudhri
67. Surinder Nath, Shri
68. Yash Paul, Shri
69. Yusuf Zaman Begum, Her Highness
70. Lal Chand Pararthi, Shri
71. Umrao Singh, Sardar

NOES

1. Ajaib Singh, Sardar
2. Babu Singh, Sardar
3. Bachan Singh, Babu
4. Baldev Parkash, Dr.
5. Balramji Dass Tandon, Shri
6. Chiranji Lal, Shri
7. Didar Singh, Sardar
8. Dev Raj Anand, Shri
9. Devi Lal, Chaudhri
10. Gurmej Singh, Sardar (Fatehgarh)
11. Gurbux Singh, Sardar (Dhurkot)
12. Gurbakhsh Singh, Sardar(Dhariwal)
13. Gurcharan Singh, Sardar
14. Gurdial Singh Dhillon, Sardar
15. Hardwari Lal, Shri
16. Hardit Singh, Sardar
17. Hardit Singh Bhathal, Sardar
18. Inder Singh, Shri
19. Jagan Nath, Shri
20. Jagir Singh, Sardar
21. Jagjit Singh, Sardar (Zira)
22. Kartar Singh, Sardar
23. Kulbir Singh, Shri
24. Makhan Singh, Sardar (Tarsikka)
25. Mangal Sein, Shri
26. Mukhtiar Singh, Shri
27. Net Ram, Shri
28. Om Parkash, Shri
29. Ram Chandra, Comrade
30. Sat Dev, Shri
31. Shamsher Singh, Sardar
32. Surjit Singh, Sardar
33. Tej Singh, Shri
34. Tek Ram Shri

(कांग्रेस बैंचों की तरफ से ज़ोर की थंपिंग)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह है यश जी का समाजवाद । (शोर) यह है इन का समाजवाद...... (सदन में बहुत शोर)

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम जी, आप को मालूम होना चाहिये कि जब गिलोटीन लागू हो जाए तो कोई बात नहीं हो सकती । आप जिस डीमांड पर कहते थे उस पर वोटिंग करवा दी है । (The hon. Member Chaudhri Net Ram should know that no discussion can take place after the application of the guillotine. The division has been allowed on a demand on which it was demanded by the hon. Members of the Opposition).

Deputy Speaker : Question is:—

> That a sum not exceeding Rs. 1,59,90,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 68—STATIONERY AND PRINTING.

> That sum not exceeding Rs. 2,16,92,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the Year, 1964-65, in respec of charges under head 70—FOREST.

> That a sum not exceeding Rs. 4,16,79,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 71—MISCELLANEOUS.

That a sum not exceeding Rs. 6,28,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 76—OTHER MISCELLANEOUS CONTRIBUTION AND OTHER ASSIGNMENTS.

That a sum not exceeding Rs. 4,30,000 be granted to the Governor to defrary the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 78—PRE-PARTITION PAYMENTS.

That a sum not exceeding Rs. 75,11,320 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 78-A—EXPENDITURE CONNECTED WITH NATIONAL EMERGENCY, 1962.

That a sum not exceeding Rs. 29,85,410 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respec of charges under head 95 CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND RESEARCH.

That a sum not exceeding Rs. 1,82,18,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 96—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT.

That a sum not exceeding Rs. 18,50,82,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 98—CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES.

That a sum not exceeding Rs. 5,35,62,260 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 8,91,68,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 103—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 2,47,43,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 105—CHANDIGARH CAPITAL OUTLAY.

That a sum not exceeding Rs. 4,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 109—CAPITAL OUTLAY ON OTHER WORKS.

That a sum not exceeding Rs. 7,10,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 112—CAPTIAL OUTLAY ON AVIATION.

That a sum not exceeding Rs. 15,19,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the xourse of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 113—CAPITAL OUTLAY ON RAIL ROAD CO- ORDINATION SCHEMES.

That a sum not exceeding Rs. 1,14,70,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 114—CAPITAL OUTLAY ON ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES.

That a sum not exceeding Rs. 5,350 be ganted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964-65, in respect of charges under head 120—PAYMENTS OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS.

[Deputy Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 12,55,97,970 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964—65, in respect of charges under head 124—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING.

That a sum not exceeding Rs. 26,94,24,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1964—65, in respect of charges under head LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC., LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS.

The motions were carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow.

5.22 p.m.

(*The Sabha then adjourned till* 9.00 *a.m. on Wednesday the 25th March,* 1964)

452 P.V.S.—386—26-11-64—C., P. & S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX

to

P. V. S. Debates Vol. I, No. 23 dated the 24th March 1964.

Quota of Iron and Iron Sheets given in Jandiala and Tarsikka Blocks, district Amritsar.

1502. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of individuals or of firms who were given quota of iron and of iron sheets for manufacturing agricultural implements in the Jandiala and Tarsikka Blocks separately (district Amritsar) in the years 1961-62 and 1962-63 together with the quantity of quota given to each of them ?

Sardar Partap Singh Kairon : The requisite information is as under :—

Name of the firm	Name of Block	G. P. Sheets in M. Tons		G. C, Sheets in M. Tons.		B. P. Sheets in M. Tons	
1	2	3		4		5	
		1961-62	1962-63	1961-62	1962-63	1961-62	1962-63
M/s United Iron Works, Village Gehri	Jandiala	6-3/4	8-1/4	7	5	6-1/2	10
M/s Azad Industries, Rasulpur.	Tarsikka.	2¼	6-3/4	½	6	1	4
M/s Dehati Rehat House, Tarsikka.	Tarsikka.	2	5	1¼	¼	2¼	8

452 P. V. S. —386— 26-11-64 C., P. and S.,P., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

Vol. I—No. 24

25*th* March, *1964*

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 25th March, 1964

Price : Rs. 4.20 Paise

ERRATA

to

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 24, DATED THE 25TH MARCH, 1964

Read	*For*	*Page*	*Line*
POSTPONED	POSTPONEDNE	(24)1	6
postponed	postpond	(24)1	7
ਜਿਹੜੀਆਂ	ਕਿਹੜੀਆਂ	(24)2	10
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ	ਪੈਨਸ਼ਨ	(24)5	2 from below
ਦੀ	ਦੇ	(24)6	11
for	yor	(24)6	26
Madam	Sir	(24)12	26
cigarettes	cigarttes	(24)17	14 from below
दंगे	ँगे	(24)26	9 from below
ਮਸਲਾ	ਮਸਲ	(24)29	19
देने	दे`	(24)30	3
एप्रोप्रिएशन	एप्रीप्रिएशन	(24)31	2 from below
ਸਿੰਘ	ਸਿਘ	(24)33	18
ਪਹਿਲੇ	ਪਹਿਲ	(24)34	9 from below
पार्टी	पाटी	(24)35	29
My	Mr.	(24)36	11
ਏ	ਨੈ	(24)36	25
ਰੂਲਿੰਗ	ਕੂਲਿੰਗ	(24)36	26
ਇਹ	ੲਹ	(24)36	27
and	an	(24)40	17
person	persond	(24)40	18

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਮੈਂਬਰਾਂ	ਮਂਬਰਾਂ	(24)43	2 from below
(Cheers)	(Cheeekers)	(24)44	22
(24)47	47	(24)47	Heading
right	rite	(24)47	17
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ	ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ	(24)48	14
ਦੇ	ਦੀ	(24)49	3
ਪ੍ਰੇਮਸਿੰਗ	ਪ੍ਮੇਸਿੰਗ	(24)54	2
ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ	ਲੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਰੈਵਨਿਊ	(24)54	3-4
ਲਈਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ	ਲਈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ	(24)59	8
बढ़ा	घटा	(24)60	24
की	को	(24)69	20
member	mmeber	viii	9

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 25th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector I, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

(STARRED QUESTION NO 4393 POSTPONEDNE)

Deputy Speaker : Starred question No. 4393 is postpond.

इसका जवाब तो इस वक्त आप ने कोई देना है या नहीं ? (Has the Government to say anything on this matter or not ?)

गृह मन्त्री : मित्तल साहिब ने जवाब देना था ।

ऐक्साइज, टैक्सेशन तथा राजधानी मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने जांच-पड़ताल की है। टैलीफोन पर देहली भी बात की है। वह फाईल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ।

कामरेड राम चन्द्र : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मित्तल साहिब को आज्ञा दी जाये कि वह हमें बतायें कि अगर दास कमिशन के पास वह फाईल नहीं है तो क्या वह गवर्नमैन्ट के पास है या नहीं। यह कहना कि file हमारे पास नहीं है क्या इस के कोई मायने हैं ? जब हर रोज़ देहली अफसर जाते हैं तो क्या वहां से file नहीं लाई जा सकती ?

मन्त्री : नहीं, हमारे हां नहीं है ।

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, चेयर उन को आर्डर नहीं कर सकती, हां रिक्वैस्ट कर सकती है (Comrade Sahib, the Chair cannot order but can just make a request to them).

डाक्टर बलदेव प्रकाश : सप्लीमैन्ट्री, मैडम ।

मन्त्री : सवाल ही जब कोई नहीं तो सप्लीमैन्ट्री कैसा ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो मिनिस्टर साहिब ने कहा कि फाईल दास कमिश्न के पास है, मैं यह कहना चाहता हूं कि फाईल के अलावा सवाल का जवाब ऐस्टेट आफिस में जो लैजर है, उस से इकट्ठा किया जा सकता है । सवाल यह पूछा गया है कि कितना रुपया मांगा गया और कितना रुपया जमा हुआ । इस का फाईल के साथ कोई संबंध नहीं है। यह ऐस्टेट आफिस से दरियाफत किया जा सकता है कि कितना रुपया ऐस्टेट आफिस में जमा हुआ है । वहां के लैजर तो दास कमीशन के पास नहीं चले गए । इस सम्बन्ध में मिनिस्टर साहिब का क्या जवाब है ?

मन्त्री : सप्लीमैन्ट्रीज़ के लिये तैयार होने के लिये हर एक केस के रिकार्ड का होना ज़रूरी है । एक बात मैं बता दूं कि जो कुछ रिकार्ड में है उस के बारे बताने में हम कोई भी

[ऐक्साइज, टैक्सेशन तथा राजधानी मंत्री]

एतराज नहीं है। रीकार्ड इन कई साहिबान ने इन्स्पैक्ट किया है। उस में छिपाने वाली कतई कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे अवसर दें कि पहले मैं पूरी तरह से सैटिस्फाई हो लूं और वह रिकार्ड चूंकि अवेलेबल नहीं है इस लिये डिफिकल्टी हो रही है वरना हमें विदहोल्ड करने की क्या जरूरत है।

कामरेड राम चन्द्र : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि आज से पांच दिन पहिले उन्होंने उसी फाईल पर यह नहीं लिखा था कि एपलाई फार ऐक्सटैंशन ?

मंत्री : नहीं, मैंने नहीं लिखा था।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲ੍ਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਪਾਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। (You should not put such questions now. There must be some hitch in obtaining the file.)

मन्त्री : यह सप्लीमैन्ट्री है या आर्गुमैन्ट्स है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है, अगर वैसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है ? सरकारी कामों के लिये तो देहली क्या विलायत भी जाना पड़ता है। अफसर जाते हैं। जिस जिस को सरकारी काम के लिए डिप्यूट किया जाता है वह जाता ही है। मैं समझता हूं कि जब रिकार्ड आ जाएगा तो जवाब आपके सामने रख देंगे।

कामरेड राम चन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। वजीर साहिब ने फरमाया है कि सरकारी काम के लिये तो आदमी विलायत भी चला जाता है। क्या वजीर साहिब असैम्बली को जवाब देह नहीं हैं। क्या यह सरकारी काम नहीं है कि इस इन्फरमेशन को लेने के लिये आप वहां पर आदमी भेजें ?

मन्त्री : बिल्कुल। सरकारी कामों में हर एक काम की एम्पार्टैंस होती है। हर एक आदमी रिकार्ड मांगने के लिये .....

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order Madam. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ।

उपाध्यक्षा : मैं ऐसा नहीं समझती कि आनरेबल मिनिस्टर कोई गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे। I shall have to see the record. (I do not think if the hon. Minister could possibly make any such irresponsible remarks. I shall have to see the record.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश डिप्टी स्पीकर साहिबा, मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि हर काम को एम्पार्टैन्स होती है। मेरा सप्लीमैन्ट्री यह है कि क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो इन्फरमेशन इस सवाल में पूछी गई है वह ऐस्टेट आफिस के अन्दर उन का जो लैजर और दूसरा रिकार्ड है, जो कि दास कमिशन के पास नहीं गया, उस में मौजूद नहीं है? यह मेरा डैफिनिट सवाल है।

गृह मन्त्री : सप्लीमैंट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मेन सवाल तो पूछा ही नहीं गया। सवाल तो यह आर्गू हो रहा था कि सवाल का जवाब क्यों नहीं तैयार हो सका। मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि अभी रिकार्ड देहली से आया नहीं और सप्लीमैंट्रीज का जवाब देने के लिये वह सारे रिकार्ड को देखना चाहते हैं। इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सप्लीमैंट्रीज का सवाल तो इस वक्त पैदा ही नहीं होता। वह कहते हैं कि जिस वक्त इन्फरमेशन अवेलेबल होगी हाऊस को दे दी जायेगी। इसलिये इस वक्त सप्लीमैन्ट्रीज का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देख लें कि किस तरह से एक जवाब को बार बार इवेड किया जा रहा है।

उपाध्यक्षा : अगर जवाब तैयार करने के लिये वह थोड़ा सा समय चाहते हैं तो उन को समय दे दीजिए। (If they want some time to prepare the reply, they should be given.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : गलत, यह बिलकुल गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल के जवाब में जो इन्फरमेशन पूछी गई है अगर वह ऐस्टेट आफिस के अन्दर है तो फाईल का बहाना बना कर हाऊस को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल गलत है।

उपाध्यक्षा : आप मेहरबानी करके 'धोखा' जैसे शब्द इस्तेमाल न करें। (The hon. Member should avoid the use of words like 'Dhokha' etc).

डाक्टर बलदेव प्रकाश : बहुत अच्छा जी, नहीं करता। आप के सामने एक बात रखी कि लैजर ऐस्टेट आफिस के अन्दर है। उससे पता किया जा सकता है कि कितनी रकम जमा हुई है, कितनी नहीं हुई। आप बताएं, अपनी रूलिंग दें कि क्या लैजर को कन्सल्ट करके जवाब दिया जा सकता है या नहीं। अब लैजर वहां पर मौजूद है तो गवर्नमैन्ट इस बात की आड़ लेकर कि फाईल दास कमिशन में गई हुई है, सवाल को टालना चाहती है? आप इस बात का फैसला दीजिए।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਈਵੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਈਵੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

उपाध्यक्षा: हाउस की इज़्ज़त का सब को ख्याल रखना चाहिए। और आप को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए (Every hon. Member should be very particular to maintain the dignity of the House and the hon. Member seeking my ruling on this point should be specially particular about it.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि इस काम के लिए किसी आदमी को दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इतना इम्पार्टेंट सवाल है तो इस का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी आदमी को दिल्ली भेज कर, रेलेवेंट फायल नहीं मगवाई गई ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਤੱਲਕਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ?

उपाध्यक्षा : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । (This is no point of order.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

उपाध्यक्षा : मैंने रूलिंग दे दी है । Next question please. (I have already given my ruling. Next question please.)

Proposed Increase in Dearness Allowance of Pensioners in the State

***4482. Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the rate of dearness allowance paid to the Punjab State Pensioners at present ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the rate of D.A. mentioned in part (a) above, if so, to what extent and from when ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) The rates of temporary increase (i.e. Dearness Allowance) paid to the Punjab State Pensioners at present are as under:

Amount of pension	Rate of temporary increase (i.e. Dearness Allowance)
(i) Pensions upto Rs 50 per mensem	A temporary increase of Rs 10 per mensem
(ii) Pensions above Rs 50 per mensem but not above Rs 100 per mensem	A temporary increase of Rs 12.50 per mensem

(iii) Pensions above Rs 100 per mensem — Such temporary increase as will bring the total pension to Rs 112.50 per mensem)

(b) Yes Sir. Since no final decision in the matter has been taken, the extent and the date cannot be specified.

Shri Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if the State Government have received any instructions from the Government of India for extending medical facilities to these pensioners ? If so, what action has been taken thereon ?

Minister : I have not got this information with me here. I will need a separate notice to answer this question.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the decision to increase the Dearness Allowance of the pensioners, if taken, be applicable with retrospective effect ?

Minister : I cannot say anything till a decision is taken .

Chaudhri Darshan Singh : Will the hon. Home Minister be pleased to state if a person getting a pension of Rs 113 per mensem is entitled to any Dearness Allowance ?

Minister : I have given three categories of pensioners and in the case of the last category a person will be entitled to get the amount of Dearness Allowance that will bring the total of his pension, including Dearness Allowance if any, to Rs 112.50 nP. and naturally a person drawing a pension of Rs 113 per mensem shall not be entitled to this dearness increase.

Shri Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if the State Government have received any representation from the pensioners' association in regard to the provision of medical facilities etc., if so, what action has been taken thereon ?

Minister : I am not very definite about it. But I think some representation has been received and the matter is under consideration.

Shri Ram Kishan : Can the hon. Home Minister give any specific date by which a final decision in this regard will be taken ?

Minister : No specific date can be given for this purpose.

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 'ਡੂਬ ਮੁਏ ਨਉਕਾ ਮਿਲੇ ਕਹੁ ਕਾਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ' ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਭੁਖਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅਜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਧਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ]

That is an act of considerable grace on behalf of the Government to the pensioners, if they are to get some Dearness Allowance. But they are already getting their pension quite all right.

Shri Ram Kishan : In view of the rise in prices, the Government of India have taken a quicker action. Will the State Government be taking prompt action in this regard ?

Minister : Even though we cannot fix a specific date when a final decision will be taken, I can state that all avoidable delay will be avoided.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਵਧਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ Government has also taken decision to check the rise in prices.

Funds diverted from Panchayats and Community Development Departments during the year 1963-64

***4986. Chaudhri Hardwari Lal** (Put by Chaudhri Darshan Singh) : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any funds were diverted during the year, 1963-64 from the Panchayats and Community Development Departments, if so, the total amount thus diverted ;

(b) the manner in which the funds thus diverted were re-allocated ?

Sardar Partap Singh Kairon (Chief Minister) : (a) No.

(b) Does not arise.

Representation yor Providing Additional Staff in Civil Hospital Ambala City

***4483. Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have recently received any representations from the Public/dental patients for providing additional staff in Civil Hospital (Dental Wing), Ambala City, if so, the action, if any taken thereon ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : No, Madam.

Opening of Rural Health Centres in the Patiala Division

***4526. Sardar Gian Singh Rarewala** (Put by Chaudhri Darshan Singh): Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of Health Centres/Rural Dispensaries opened in the Patiala Division since Ist November, 1956 ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : 34 Rural Primary Health Centres and one Allopathic Civil Dispensary have been opened in the Patiala Division since Ist November, 1956.

Re-organisation of Medical and Health Service at the District Level

***4277. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that the Medical and Health Services in the State at the district level have been re-organised, if so, the details and financial implications of the said re-organisation ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : No, Madam. A decision to this effect has, however, been taken. The necessary details and financial implications are being worked out.

Persons arrested for Eve Teasing

***4303. Sardar Gurdial Singh Dhillon** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the number of persons arrested in the State for eve-teasing since 1958 year-wise together with the number of those among them who were challaned, discharged and acquitted;

(b) the number of students and non-students among the persons referred to in part (a) above along with the age of each ;

(c) the details of steps, if any, taken by Government to check the increase in the cases of eve teasing ?

Shri Mohan Lal : (a) & (b) The requisite information is placed on the table of the House.

(c) With a view to eradicate this evil from the State, a vigorous and sustained drive is being carried out. Plain-clothed Police men are posted on the congested roads, gardens and near the girls schools and colleges particularly at the opening and closing hours of the institutions. Meetings with the heads of all local educational institutions are held at frequent intervals in order to assess the correct situation and devise ways and means to suppress this evil.

Information relating to parts (a) and (b)

	58	59	60	61	62	63
(a) No. of persons arrested	159	207	210	203	192	356
No. of persons challaned	159	206	202	184	181	326
No. of persons discharged	20	25	36	41	45	65
No. of persons acquitted	66	91	87	76	61	91
(b) No. of students arrested, and their ages	9 16 to 25 yrs.	6 18 to 25 yrs.	15 18 to 25 yrs.	21 18 to 25 yrs.	28 18 to 25 yrs.	49 13 to 25 yrs.
No. of non-students arrested and their ages.	150 18 to 50 yrs.	201 18 to 48 yrs.	195 17 to 40 yrs.	182 19 to 51 yrs.	164 16 to 50 yrs.	307 14 to 42 yrs

Note:—It is not possible to give age of each student and non-student, arrested during the years, in question for eve-teasing. However, the ages of students and non-students ranged between 16/25 years and 17/50 years, respectively.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Will the Hon. Home Minister be pleased to state the reasons that have led to the gradual increase in the number of cases of eve teasing because the number of such cases as given in the statement was—

1958	..	159
1959	..	207
1960	..	210
1961	..	203
1962	..	192
1963	..	356

During the year 1963, the number of such cases is almost double than 1958

Minister : The statement does not clearly indicate that there is an increase. The point is that now more attention is paid to it. It is possible that during the previous years there might have been more cases but those might not have been reported. But now we take precaution that every such case that occurs is taken notice of. So it is a question of more detection. I am, not therefore, definite about it whether there is any increase or not.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Do these figures include those cases also that are reported in the Press ?

Minister : These include all those cases which came to our notice and in which action was taken. If information in respect of any particular case is wanted, I require notice for that.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : This morning there is a news-item that some lady teacher was raped. So, will the hon. Minister be pleased to state the steps that have been taken to protect the women teachers in the rural areas?

Minister : So far as Government is concerned, we are taking all possible steps to eradicate this evil and as I have already stated wherever any such incident occurs or is likely to occur and in regard to girl students and lady teachers going to and coming from colleges, we post plain clothed police men to avoid such evil and take a very strict action against the persons who are found/reported guilty

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ)

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Home Minister if constables in plain clothes have been posted practically in all the towns of the State just near Government Girls Schools/Colleges or at those places from where there were complaints ?

Home Minister : I cannot say about every town positively. Precaution is taken wherever it is felt necessary and where such incidents take place or there is likelihood of their taking place. Unless I have verified, I cannot say positively whether it has been done in every town etc.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚਾਲਾਨ ਹੋਏ, ਇਤਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Minister whether thirty cases have been withdrawn because in the year 1963 the number of persons arrested for eve teasing was 356 out of which only 326 cases were challaned ?

Minister : Why should it be presumed like that ? There might be some cases in which the matter may not be fit for challan. That is a different thing altogether. It cannot be presumed that they were withdrawn.

Comrade Shamsher Singh Josh : The hon. Minister has told the House that in about 30 per cent cases conviction was done. What is the reason of low average of conviction cases of eve teasing ?

Minister : I have not stated about any percentage. As regards conviction it may be stated that the decision in a court of law depends upon the evidence in the first instance and then on other circumstances. Unfortunately it happens sometimes that the witnesses do not state the truth. They resile or there is some sort of understanding or compromise between the parties concerned. So there are so many factors which matter in the question of acquittals and convictions.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 18, 18, 18 ਤੇ ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਨ ਏਜਰਜ਼ ਦਾ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਐਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਬਜਾਏ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਛੱਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Instead of leaving the whole matter with the Home Minister, the hon. Members too should devote attention towards this increasing menace.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨ ਏਜਰਜ਼ ਦਾ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

खान अब्दुल गुफार खां : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । अभी अभी सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों के अखबारों के बारे में जिकर करने पर वजीर साहिब ने इस के जवाब में कहा है कि जब तक खास बातें रिकार्ड न की जायें या उनके बारे में उन की तरफ से शिकायत न हो तब तक यह कुछ नहीं करते । तो मैं उन से दरियाफत करना चाहता हूं कि अगर ऐसे सीरियस मामलात अखबारों में आते हैं तो क्या सरकार उन की तरफ बिल्कुल तवज्जोह नहीं देना चाहती या बिल्कुल ही जब पानी सर से गुज़र जाए तभी कुछ करना चाहती है ?

मन्त्री : खान साहिब ने मेरे जवाब को गलत समझा है । मैं ने ऐसा नहीं कहा था जैसा कि उन्हों ने समझा है, मैं ने यह नहीं कहा कि जो कुछ अखबारों में आता है सरकार उसका नोटिस नहीं लेती । हमारा एक अलहदा डिपार्टमैन्ट है जो हर ऐसी बात की तहकीकात करता है, वेरीफाई करता है । जो ढिल्लों साहिब ने सवाल किया था कि अखबार में कोई केस आया है तो मैं ने जवाब दिया था कि किस किस केस का सरकार पता करे । उन केसिज का मैं ने

[गृह मन्त्री]

जिक्र किया है इस लिये यह बताना मुश्किल है कि इन में वह केस भी शामिल हैं जो अखबारों में आते हैं। आप specific question करें तो जवाब दूं।

खान अब्दुल गुफार खां : मुझे इस बात की खुशी है कि मिनिस्टर साहिब इस तरफ तवज्जोह फरमाते हैं। जो अखबारों में आता है वह सीरियस बात होती है तो मैं यही जानना चाहता था। इस लिये मैं इन का शुक्रिया अदा करता हूं।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। (The hon. Member should bear this thing in mind that reference to such a serious matter should be couched in such a language that the matter may be considered dispassionately.)

श्री जगन्नाथ : आप ने कहा है कि यह लड़कियों का मामला है इस पर सोच विचार करना चाहिये। होम मिनिस्टर साहिब ने हम से को-आप्रेशन भी मांगा है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि हमारे पंजाब के अन्दर ईव टीज़िंग में एक्सपर्ट सरदार सुरेन्द्र सिंह कैरों हैं, क्या उनकी भी आप को-आप्रेशन चाहते हैं ?

Deputy Speaker: This is no supplementary. Do not be personal. Please withdraw these words

श्री जगन्नाथ : जनाब, मैं ने झूठ नहीं बोला; यह ठीक बात है।

उपाध्यक्षा : यह नाम वापिस ले लें। (The hon. Member should withdraw this name.)

श्री जगन्नाथ : सुरेन्द्र सिंह तो हज़ारों हैं जैसा कि सी. एम. कहा करते हैं।

उपाध्यक्षा : आप इन बातों में न जायें। और इस सीरियस बात को सोचें। आप इस नाम को वापिस ले लें। (The hon. Member should not enter into this controversy and consider this serious matter. He should withdraw this name.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਾਰੇਨਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਾਰੇਨਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਤਨਾ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਤਕ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

Cases against Shri R.P.Kapur, I.C.S., Former Commissioner, Patiala Division

***4305 Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases against Shri R.P. Kapur, I.C.S., former Commissioner of Patiala Division, which were transferred to courts in other States by the Supreme Court of India ;
(b) the number of the cases referred to in part (a) above which have so far been decided ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Two.
(b) Two.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ "ਦੋ" ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ।

Case Registered against Employees of Khadar Bhandar, Adampur

***4264. Chaudhri Darshan Singh:** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether any case of embezzlement or theft was registered at the Adampur Police Station against the employees of the Khadar Bhandar, Adampur ; if so, the names of the persons and the amount involved ;
(b) the date when the said case was registered ;
(c) whether it is a fact that investigation of the case referred to above has been stopped ; if so, the reasons therefor ; if not, the time by which the challan in respect of the said case is likely to be completed ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, against Shri Sohan Singh Attwal, Sohan Singh Phaguria, Abnash Chander, Karnash Chand and Balwant Singh. Rs 33,803.25 nP.

(b) 6th December, 1962.

(c) No. The case was challaned and is at present pending in court.

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the Hon. Minister whether the Government is considering to withdraw this case ?

Minister : It is not in my knowledge for the time being.

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Home Minister whether the Investigating officer in this case wrote to the Government that embezzlement of more money was involved and the Government in return wrote that the enquiry be hushed up ?

Minister : I do not accept the insinuation. I have positive information with me that the case is pending in a court of law and the amount alleged to be misappropriated has already been stated by me.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਨਵਾਲਵਡ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਸਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।

Deputy Speaker : Next question please.

Chaudhri Darshan Singh : Last supplementary question, Madam.

Deputy Speaker : I have called the next question—

Chaudhri Darshan Singh : Madam, I have to put a very important supplementary. I will put one supplementary less in the case of next question.

Deputy Speaker : No, please. Next question.

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Home Minister whether it is a fact that the Investigating Officer in this case has been suspended and an enquiry has been started against him ?

Deputy Speaker: I am sorry. I have already called the next question.

Chaudhri Darshan Singh : Madam, my supplementary question is not irrelevant. It is very much relevant to the main question.

Deputy Speaker : I am not challenging the relevancy of the question.

Chaudhri Darshan Singh : May I take it that the Government is siding with the culprit in this matter ?

Home Minister : The case is in the Court. I have already stated the amount that has been alleged to be misappropriated.

Chaudhri Darshan Singh : Sir, what I want to ask is whether it is a fact that the investigating officer in this case has been suspended and enquiry has been started against him ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂ। ਕੇਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 33,803.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਣ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਵਾਲਵਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਆਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : बाबू अजीत कुमार, आखिर सप्लीमैन्ट्रीज़ की कोई न कोई लिमिट होनी चाहिए। I cannot allow any more supplementary. (There must be some limit to the supplementaries. I cannot allow any more Supplementary).

बाबू अजीत कुमार : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मामूली मामूली सवालात पर आप 20-20 सप्लीमैंट्रीज़ अलाओ कर देते हैं मगर इस सवाल पर आप ने तीन सप्लीमेंट्री सवाल ही पुट करने दिये हैं जब कि इस में लाखों रुपये का ग़बन है।

Deputy Speaker : Babu Ajit Kumar, you are challanging the discretion of the Chair.

It is the discretion of the Chair to decide about the number of supplementary questions.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੀ ਹੋ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ ਲਫਜ਼ ਸ਼ੀਲਡ । (I would request the hon. Member to please withdraw the word shield.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਫਜ਼ 'ਸ਼ੀਲਡ' ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

Case registered under section 419/468 I.P.C., against a Municipal Commissioner of the Karnal Municipality in 1958

*4265. **Chaudhri Darshan Singh** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether any case under section 419/468 I.P.C., was registered against a Municipal Commissioner of the Karnal Municipality in 1959 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the challan in respect of the case referred to in part (a) above has been put up in the court, if so, when ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. A case F.I.R. No. 109, dated 15th May, 1958, u/s 419/420/468 I.P.C., P.S. Saddar Karnal.

(b) No. The case is still pending investigation.

Chaudhri Darshan Singh : The hon. Home Minister has been pleased to state that the case was registered in 1958. May I know from him the reasons for inordinate delay of the enquiry being still pending ?

Minister : There are two reasons :—

(1) Certain questioned documents have been sent for comparison to the Examiner of Question Documents, Simla, and his report has not yet been received. Those documents were got examined in the Forensic Science Laboratory but it was thought necessary to get them further examined.

(2) One of the accused Kishan Singh is still absconding and certain matters relating to investigation regarding him are necessary. He has not yet been arrested.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਉਂਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪੇਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਓ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਾਰਲ ਟਰਪੀਚਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

श्री फतेह चन्द विज : उसका नाम क्या है जिस के अगेन्स्ट यह केस रजिस्टर हुआ है ?

मन्त्री : करतार सिंह ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या यह शख्स कभी करनाल सिटी कांग्रेस कमेटी का प्रैजीडैंट भी था ?

(*No reply was given*)

Fertilizer cases pending in Karnal District

***4395. Comrade Ram Piara** (Put by Chaudhri Darshan Singh) :Will the Home Minister be pleased to state with reference to item No. I of Annexure B to the reply to Starred Question No. 3863 included in the list of question for 10th September, 1963.

(a) whether the opinion of the Hand Writing Expert has been procured in the case of Shri Kartar Singh, Municipal Commissioner Karnal, if so, when and the action so far taken in this respect ;

(b) whether the original accused have been traced out, if so, when togehter with their names and addresses ?

Shri Mohan Lal : (a) It has not been received as yet.

(b) Three accused, Sarvshri Kartar Singh, son of Ram Singh of Village Julmana, Kartar Singh, Municipal Commissioner, Karnal and Mohinder Singh, son of Bhagwan Singh of Village Alipore were arrested on 15th, 21st and 24th October 1959 respectively. The fourth accused, Shri Kishan Singh, son of Jagat Singh, resident of Village Samana Bahu has not been traced out as yet.

कामरेड राम चन्द्र: क्या होम मिनिस्टर साहिब यह बात बतायेंगे कि यह हैंड-राईटिंग एक्सपर्ट के पास किस वक्त कागज़ात भेजे गए थे और इन के वापस आने की कब तक उमीद है ?

मन्त्री : वापस करना तो उन का काम है लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से वापस कर दिये जायें ।

कामरेड राम चन्द्र : यह कब भेजे गए थे ?

Minister : These documents were sent to Simla on the 31st of January, 1964.

Chaudhri Darshan Singh : The case was registered in 1958. May I know from the hon. Home Minister as to why are the papers pending with the Government for six years ?

Minister : There are certain other persons involved. This was a case of mis-utilization of fertilizer by making wrong representations. Investigation was also to be made into certain allied matters. Certain documents, thumb impressions, etc., had also to be gone into. Therefore, it remained pending.

श्री जगन्नाथ : क्या यह बात पंडित जी के इल्म में है कि वह करतार सिंह कभी करनाल म्यूनिसिपल कमेटी का प्रैजीडैंट भी था ?

मंत्री : मैं इस के मुताल्लिक जवाब दे चुका हूं ।

Deputy Speaker : No repetition please.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, the hon. Home Minister has been pleased to give certain reasons for inordinate delay in putting up the challan. May I know from the hon. Home Minister why a separate challan could not be put up against those who have been absconding ? A separate challan could be put up against them. This inordinate delay of six years is quite unwarranted. **What are the reasons for this ?**

Minister : One of the reasons is that one of the accused was absconding. There is, however, no legal bar to putting up a challan of that person separately. As I have already stated that was a case of misappropriation and misutilization of fertilizer loan etc., by making a false application. So many aspects have been gone into and so many aspects had to be gone into. That is one of the reasons that one accused was absconding. Certain other matters relating to some documents, thumb impressions, had to be gone into. Therefore, it remained pending.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know whether there was slackness on the part of investigating agency ? Was somebody interested in the case ?.

Minister : Three of the accused were arrested, because there was a *prima facie* case against them. There is no question of showing any consideration to any individual. As I have already stated, certain other matters had to be gone into.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The hon. Home Minister has been pleased to state that certain other matters had to be gone into. May I know the number of applications that were in dispute ?

Minister : There was one complaint originally but during the course of investigation, certain other matters came to notice which had to be gone into.

Chaudhri Darshan Singh : The hon. Home Minister has been pleased to state that so many documents had to be gone into. The hon. Home Minister has also informed the House that there were four culprits, three out of them were arrested on the 15th, 21st and 24th October, 1959 respectively. The fourth culprit is absconding since 1959. May I know from the hon. Minister what proceedings have been taken against that absconder ?

Minister : Efforts have been made to arrest him.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the hon. Home Minister if there are other instances of such inordinate delays ; if so, the measures taken or proposed to be taken by the Government to put an end to this sad state of affairs prevailing in the State ?

Minister : There may be cases here and there. There may be cases which are still pending investigation and which we have not been able to trace out. Every case depends on its own merits. To say that delay occurs invariably in many cases is not correct. There are only a few isolated cases which have been delayed.

Cases registered under the Defence of India Rules during 1963

***4456. Comrade Jangir Singh Joga** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases district-wise, registered in the State under the Defence of India Rules during the year 1963 against black-marketeers and hoarders ;

(b) the total number of persons convicted in the cases be referred to in part (a) above ;

(c) the total number of cases referred to in part (a) above which could not succeed in the Courts of law and the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of District	(a) Total No. of cases registered district-wise in the State under D.O.I.R. during the year 1963 against black-marketeers and hoarders	(b) Total No. of persons convicted in the cases referred to in part (a)	(c) Total No. of cases referred to in part (a) which could not succeed in court of Law and the reasons therefor	
1	2	3	4	5
Hissar ..	19	4	3	In one case the accused was arrested for carrying 20 killos sugar before entering Rajasthan area. As he had not yet purchased ticket for destination, the Tribunal held that no case was made out against him. In two cases P.Ws. resiled from their statements.
Rohtak ..	31	2	..	
Gurgaon ..	44	10	..	
Karnal ..	16	14	..	
Ambala ..	34	2	4	Three cases pertain to the Ambala Cantt. area where the order in question was not applicable. In one case P.Ws resiled
Simla ..	2	3	..	
Kangra ..	..	..	..	
Hoshiarpur ..	4	3	..	

Name of District	(a) Total No. of cases registered district-wise in the State under D.O.I.R. during the year 1963 against black-marketeers and hoarders	(b) Total No. of persons convicted in the cases referred to in part (a)	(c) Total No. of cases referred to in part (a) which could not succeed in court of Law and the reasons therefor	
Jullundur ..	19	1	3	In one case the P.Ws made material contradictions. In second case provisions of Rule 3 of Punjab Commodities Price marketing and display order was not applicable to Cantt. area on the day of challan. In third case coca-cola was not included in the list of commodities for displaying.
Ludhiana ..	19	8	..	
Ferozepur ..	8	2	..	
Amritsar ..	77	16	1	There were discrepancies in the selection of P.Ws which made the prosecution case doubtful.
Gurdaspur ..	21	3	7	In five cases P.Ws resiled from their statements. In two cases the court held that the price displayed by the accused was correct and no offence was made out.
Patiala ..	8	1	..	
Sangrur ..	27	3	7	In 3 cases P.Ws resiled. In 2 cases of over-charging of prices no minimum price had been fixed by any competent authority and as such no offence was made out. In other two cases in which it had been alleged that the accused failed to display the prices of Embassy brand cigarettes and no stocks of the cigarttes was recovered in the business premises. Hence no offence was made out.
Bhatinda ...	14	7	4	There were material discrepancies in the statements of P.Ws.
Narnaul ...	31	12	1	The evidence of the witnesses was found discrepant by the court which made the prosecution doubtful and the accused was benefited by this
Kapurthala ...	5	1	...	
Total ...	379	92	30	

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਕੇਸਿਜ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 92 ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 267 ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ।

ਮੰਤਰੀ : ਕੁਛ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕਿਤਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ?

30 ਕੇਸਿਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । 92 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 379 ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਮਾ ਨਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਉ ।

Chaudhri Darshan Singh : It has been stated in the statement laid on the Table of the House by the hon. Home Minister that in respect of Amritsar District out of 77 cases registered against the Black-marketeers and Hoarders, one case could not succeed in the Court of Law. The reason given for this is that 'there was discrepancy in the selection of P.Ws which made the prosecution case doubtful'. May I know whether the P.Ws are selected by the Prosecution ?

Minister : P.Ws are always those who have knowledge about the facts. The word 'selection' has not been happily used here. It is a typographical mistake.

Cases of Kidnapping and Abduction in Hoshiarpur District

*4797. **Principal Rala Ram :** Will the Home Minister be pleased to state the number of cases of kidnapping and abduction registered in Hoshiarpur District, tehsil-wise during the years, 1962-63 and 1963-64 (to date) together with the number of cases in which the culprits were convicted ?

Shri Mohan Lal : The requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

Year	Tehsil		Total No. of cases registered	No. of cases in which culprits convicted
1962 ..	Hoshiarpur	..	7	1
	Dasuya	..	6	1
	Una	..	3	..
	Garhshanker	..	4	1
1963 ..	Hoshiarpur	..	4	1
	Dasuya	..	7	1
	Una	..	8	..
	Garhshanker	..	8	1
1st January, 1964 to 31st January, 1964				
	Hoshiarpur	..	..	..
	Dasuya	..	1	..
	Una	..	2	..
	Garhshanker	..	..	..

Steps to check Immoral Trafficking in Women

***4798. Principal Rala Ram :** Will the Home Minister be pleased to state —

(a) the steps so far taken to check immoral trafficking in women in the State and the number of gangs, if any, indulging in it which have been detected and liquidated ?

Shri Mohan Lal : The requisite information is placed on the Table of the House.

Statement regarding steps taken to check immoral trafficking in women

The State Government has taken the following steps for checking immoral traffic in women :—

(1) The State Government has created a Special Police Staff for checking immoral traffic in women and girls.

(2) 67 Non-official Advisory Committees of leading Social Welfare Workers, including women social workers, have been created in the State to advise the Special Staff, on question of general importance, regarding the working of the Supression of Immoral Traffic in Women and Girls Act.

(3) Special Magistrates have been appointed to deal with cases under the Act.

(4) Protective Homes and After-Care Shelters have been opened.

No gangs are at work in immoral traffic in women in the State, and as such the question of their detection and liquidation does not arise.

Salaries of Police Personnel

***5010. Comrade Didar Singh :** Will the Home Minister be pleased to state whether Police Constables, Head Constables and S. Is. are getting their salaries etc. in accordance with the revised grades early in the year 1963-64 ; if not, the reasons therefor and the details of the arrears payable to them on this account ?

Shri Mohan Lal : Yes. Arrears amounting to Rs 6,721 are yet payable to some Head Constables and Constables.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਏਰੀਅਰਜ਼ ਕਦ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਏਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

श्री अमर सिंह : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलायेंगे कि जो कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल हैं उनको सैलरीज में पे कमीशन की रिकमैंडेशन से भी कोई फायदा नहीं हुआ है इसलिए क्या सरकार कोई कदम उठाने के लिये तैयार है ?

मंत्री : यह सैपेरेट क्वैश्चन है, अलग से अगर आप नोटिस दें तो बतला दूंगा।

That is a fundamental question of principle which the hon. Member is asking.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ; ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਿਲਜ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ; ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਿਲਾਂ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਏਸ. ਆਈ., ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

(No reply.)

Deputy Speaker : Question Hour is over now.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Directorate of Technical Education

1415. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Directorate of Technical Education together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : The required information is given below :—

Name of Officer/Official	Backward/ Scheduled Castes	Date of appoint-ment	Percen-tage exist-ing	Percentage of posts reserved in each cate-gory
(1) Nil (Class I)	..	..	..	21 per cent
(2) Shri Sher Singh Accounts Officer (Class II)	Backward Class	1-4-63	100 per cent	21 per cent
(3) Shri Tarsem Lal Clerk (Class III)	Scheduled Caste	22-10-60	8½ per cent	21 per cent
(4) Shri Sukh Ram Sweeper-cum-Chowkidar (Class IV)	Scheduled Caste	1-3-61	6 per cent	21 per cent

Construction of Industrial Quarters at Patiala

1525. Comrade Babu Singh Master : Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state whether Government is considering any proposal to construct more quarters for industrial Labour at Patiala, if not, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh : (i) No.

(ii) In the year 1959-60, an effort was made to locate some site for construction of more quarters at Patiala but no site was available at the ceiling price fixed for land under the Subsidised Industrial Housing Scheme. As such, the scheme to construct more houses at Patiala did not mature.

Remodelling and Extension of Minor No. 4, Bhawani Garh Distributary I.B., Patiala Circle

1530. Sardar Pritam Singh Sahoke : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether Government received any letter/representation, dated 30th October, 1963, in connection with the remodelling and extension of Minor No. 4 Bhawanigarh distributary I.B., Patiala Circle if so; when and a copy thereof be laid on the table of the House;

(b) whether any final decision has been taken on the said representation, if so; the details thereof and the time by which it is likely to be implemented ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes. On 5th November, 1963. A copy is laid on the table of the House

(b) Final decision has not been taken.

Copy of the letter from S. Pritam Singh Sahoke, M.L.A. to the Chief Engineer, Irrigation Branch, Punjab, Chandigarh.

S. Pritam Singh Sahoke,
M.L.A.,
V. and P. O. Sahoke,
District Sangrur, Punjab.

The Chief Engineer (By name),
Irrigation Branch, Punjab,
Chandigarh.

Memo No. 118/Irrigation/63-64, dated 30th October, 1963.

Subject—Remodelling and extension of Minor No. 4, Bhawanigarh distributary, I.B. Circle, Patiala under the Reclamation Scheme.

Dear Sir,

I have the honour to draw your personal kind attention on the subject cited as above, as follows :—

(1) That village Kakra is on the tail of the said minor No. 4. Its land has become thur and on the recommendation of the reclamation department, Punjab, Amritsar, the village has been sanctioned to reclamation shoots at R.D. 17,000 and R.D. 18,000 respectively by the Superintending Engineer, Patiala, *vide* No. 29032/A, dated 13th August, 1962.

(2) That there is Naka system on the said minor, village Kaka being on the tail always complains about shortage of water. The supplies of Canal water is enhanced under the reclamation scheme. The conditions of the minor is such that it could not fold that enhanced supplies of water so the benefits of reclamation shoots cannot be availed of by the said village effectively, so in my opinion its remodelling is very necessary.

(3) That the reclamation shoots sanctioned for the said village cannot be fixed unless the present Naka system of the minor is dispensed with and the outlets are provided for the up stream villages on the minor.

[Irrigation and Power Minister]

(4) That the tail of Minor No. 4 now exists at R.D. 14,000, vide there is a water course uptil R.D. 17,000 and beyond that there is no minor upto R.D. 19,000 where a reclamation shoot is to be provided hence the extension of the tail up to R.D. 19,000 is also very necessary.

(5) That the said sanction reclamation shoots, have not been fixed during this current Kharif season inspite of the fact that I was given assurance in this respect by the Government on the floor of the House during the last budget session.

In view of the facts stated as above it is requested that the scheme of the said minor may kindly be sanctioned now and be executed at the earliest so that the sanctioned reclamation supplies could be made available to the village Kakra at the next Kharif crops in the proper time, i.e., 15th April, 1964.

I may also state in this respect, that the remodelling case of this minor is lingering on for the last many years and it is in the best of the interest of the growmore food campaign and the agriculturist that this scheme may be put into operation forthwith.

I shall be highly grateful for the acknowledgment of the action being proposed to be taken in this respect.

Thanking you.

Yours faithfully,
Pritam Singh,
M.L A.

A copy is forwarded to :—

(1) The Secretary, (By Name) Irrigation and Power, Punjab, Chandigarh regarding item No. 5 for favour of his kind information and necessary action please.

(2) A copy is forwarded to the Superintending Engineer, Patiala Circle, Irrigation Branch, Patiala for favour of his kind information and necessary action as regards to item 3 under his purview.

Pritam Singh,
M.L.A.

Dated the 30th October, 1963.

ADJOURNMENT MOTIONS

10 a.m.

उपाध्यक्षा : मेरे पास बहुत से एडजर्नमैंट मोशन और काल अटैनशन नोटिस आए हैं। लेकिन आज स्पीकर की इलैक्शन का काम जो अहम है पहले हो जाना चाहिए। इस के लिए मैं हाउस की इजाजत चाहूंगी।

(A large number of adjournment motions and call attention notices have been received. But the election of Speaker being an important matter should have precedence over these motions. However, for this purpose I seek the permission of the House.)

Comrade Shamsher Singh Josh : These are matters of urgent public importance, and, therefore, their consideration should not be postponed till tomorrow. They must be discussed today. This is my suggestion, Madam.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ; ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : आप को कैसे पता है कि मैं स्पीकर नहीं बन रही ? (How does the hon. Member know that I am not going to be elected as Speaker ?)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत सी मोशन्ज़ ऐसी हैं जो कई दिन पहले की आई हुई हैं और आप ने उन पर अपना माइंड एप्लाई किया हुआ है। अगर उन को पैंडिंग रखा गया तो नए स्पीकर जो आएंगे उन को फिर से इन को स्टडी करना पड़ेगा इस लिए आप इन को अभी डील कर लें।

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of Order, Madam. There is a stranger sitting in a corner of the Treasury Benches, with a blue turban on his head. I draw your attention to the fact that he is not a Member of the House, but he is sitting there.

(*Laughter in the House*)

Deputy Speaker : You know him very well. He is Giani Kartar Singh.

Sardar Lachhman Singh Gill : I know him for the last about twenty-five years, but, what I wish is that he should be well recognizable.

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज्ञानी करतार सिंह जी शर्म के मारे मुंह सिर लपेटे हुए हैं।

Deputy Speaker : No such remarks please.

Chaudhri Inder Singh Malik : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, that on 19th March, 1964 the Rabi crops in villages i.e., Memanabad, Khatla, Bhuslana Dadwada, Todi Kheri, Shanpur, Auta Tito, Karsindher, Kherra Khemawati, Dharamgarh, Paja Kala, Paju Khurd, Singhana, Aftabgarh, Rampura Singhpura, Ratta Khera, Kharkara, Bhadarpur, Barad, Basini and Safidon proper in Jind Tehsil have been totally destroyed by the heavy hailstorms. Earlier the Kharif crops were destroyed completely by the unprecedented floods. Now, the poor people have nothing to make both ends meet. The cattle will die for want of fodder, and the people of these villages of Safidon Block in district Sangrur will be forced to starve to death. Moreover, the floods had been ruining the crops and houses of this area since 1955 to date i.e. now.

So it is requested that these villages be declared as famine stricken, and immediate relief measures be taken in order to save the life of the people and that of the cattle and save development work i.e., work on Safidon-Jagsi Road or the work of digging some drains be taken immediately in hand in order to provide labour to the poor people of Safidon constituency.

Deputy Speaker : The hon. Member has read his lengthy motion. I will not allow him to speak.

(Noise)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की बात मानता हूं लेकिन रविन्यू मिनिस्टर साहिब को जवाब देना चाहिए।

Deputy Speaker : Order please.

Revenue Minister (Sardar Ajmer Singh) : We have received the information recently. The matter will be looked into and proper relief measures will be given to these people.

Chaudhri Inder Singh Malik : This must be declared a famine stricken area.

डिप्टी स्पीकर : सरदार अजमेर सिंह जी, आप ने इस पर कोई स्टेटमैंट देना है ?
Would the hon. Revenue Minister like to make a statement (on this matter ?)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : Madam, statement ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

श्री जगन्नाथ : On a point of order, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मलिक इन्दर सिंह के हलके में ओले पड़ गए जिस से बड़ा नुकसान हुआ। पंजाब की मिनिस्ट्री से जनता का नुकसान हो रहा है। उन के ऊपर कब ओले पड़ेंगे ?

Deputy Speaker: This is no point of order.

Chaudhri Inder Singh Malik : I beg to draw the attention of the Home Minister towards the fact that a false case under sections 25/54/59 of the Arms Act was registered on 8th March, 1964, against one Phula, son of Naki of village Morali Khera in police station Safidon in Jind tehsil, with the connivance of some other person of village Kalwa, but later on, Phula accused was discharged by the Police at the instance of high officials, but afterwards, again a false case was made out against an innocent person, leaving the real culprits. This is a great high-handedness of the Police. Therefore, it is requested that immediate action be taken against the real culprit who bribed the Police in making the false cases, after making a thorough enquiry, and the Police Officer found responsible for it, be taken to task soon.

Deputy Speaker : No speech please.

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, होम मिनिस्टर साहिब पड़ताल करें कि क्या कार्यवाही हुई है।

Deputy Speaker : Would the Home Minister like to say something in this connection ?

गृह मन्त्री : एक इंडीविजुअल केस के मुतािल्लक जो रजिस्टर हुआ हो, किसी की तफ्तीश हुई हो और फाईंडिंग्ज़ हुई हों उस के ऊपर अगर एडजर्नमैंट मोशन्ज़ आनी शुरू हो जाएं तो यह हज़ारों की तादाद में आ सकती हैं। इस लिए मैं समझता हूं कि एक इंडीविजुअल केस के मुतािल्लक ऐसी मोशन लाना और उसका एडमिट हो

जाना मुनासिब नहीं होगा। अगर किसी मेम्बर ने कोई इत्तलाह, वाकफियत लेनी या देनी हो तो मुझ से मिल कर बात कर लें।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : इंडीविजुअल को फांसी लगा दो फिर अगर उसकी बात नहीं सुननी है।

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Madam, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, that Shri Kulbir Singh, M.L.A., is under surveillance since 1962. A large number of Police staff is employed for this purpose. Two A.S.Is., and two Head Constables are always on surveillance duty in Ferozepur District. 12 persons, S.Is, A.S.Is. and Head Constables are on permanent duty in Delhi. One A.S.I. and two Constables are permanently on surveillance duty during the Session. This is to check the Honourable Member from performing his duties as a Legislator.

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...........

Deputy Speaker : No Speech please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ..............

Deputy Speaker : I will not allow you to make a speech. Does the hon. Home Minister want to say something ?

डा० बलदेव प्रकाश : इस के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं कि हमारी इस बारे में होम मिनिस्टर साहिब से पिछले साल भी और इस साल भी बात हुई थी......

उपाध्यक्षा : अगर मैं आप को इस तरह बोलने की इजाजत दे दूं तो मूवर को कैसे रोक सकती हूं? No speech please. (If I allow the hon. Member to speak then how can I refuse permission to the mover of this motion to speak ? No speech please.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आपने होम मिनिस्टर साहिब को कुछ कहने के लिए कहा है इस लिए उनके कहने से पहले अर्ज करना चाहता हूं कि उन से बात हुई थी लेकिन उनके पास कोई तसल्लीबख्श चीज़ बताने के लिए नहीं थी। उन्हों ने कहा था कि सारी बात को दरियाफत करके इस मामला को खत्म कर देंगे। एक साल हो गया है लेकिन अभी तक यह चीज़ वैसी की वैसी चल रही है और आनरेबल मेम्बर के साथ बड़ा शर्मनाक सलूक हो रहा है। आप इस का सीरियस नोटिस लें।

गृह मन्त्री : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के बारे में जो कुछ वाकियात होंगे आपके चैम्बर में रखूंगा क्योंकि यह बात एक मेम्बर साहिब को अफैक्ट करती है। कुछ बातें आपके सामने रखूंगा अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी और अगर आप कहेंगे तो ब्यान भी दे दूंगा।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह बातें पचास बार पंडित जी ने कही हैं; आप से भी कह लें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन यह बात जल्दी क्लीयर होनी चाहिए.....

उपाध्यक्षा : मुझे उनको सुन लेने दीजिए, मैं आपको भी बुला लूंगी। अगर मेरी और आपकी तसल्ली न हुई तो मैं रूलिंग दूंगी। (Let me first hear the hon. Home Minister and I will also call the hon. Member at that time. If I am not convinced and the hon. Member is not satisfied with what he says then I will give my ruling). (*Interruption*)

उपाध्यक्षा : तरसिक्का साहिब *आपकी मोशन लेट आई है। आप मेरे चैम्बर में आएं I want to have some clarification. (There is another motion given notice of by Shri Tarsikka. It has come late. He may see me in my chamber. I want to have some clarification).

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ; ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ...........

Deputy Speaker : No speech please. (ਸ਼ੋਰ, ਵਿਘਨ) ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਉਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। (No speech please. (*Noise, interruption*) The hon. member should remove this thing from his mind that he can browbeat me. I, can control the House):

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ...........(ਹਾਸਾ)

उपाध्यक्षा : कामरेड शमशेर सिंह जोश की मोशन भी लेट आई है। मैं ने इसे देखा नहीं है। यह कल टेक अप होगी। (The motion given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh has been received late. I have not seen it. It will be taken up to-morrow)

QUESTION OF PRIVILEGE

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरी भी एक प्रिविलेज मोशन† है। कल कहा गया था कि उसका फैसला आप आज ेगे।

उपाध्यक्षा : यह मेरे पास अभी आई है। इस को मैं ने देखा नहीं है। मुझे इसको देख लेने दो फिर मैं इस पर रूलिंग दूंगी। (This motion has come to me just now. I have not seen it yet. I will give my ruling on it after I have looked into it). (*Interruption*)

*Regarding a recent political murder of Com. Dharam Singh, village Sujjan, district Jullundur.

†*Note*: For previous reference on the subject please see PVS Debates, Vol. I, No. 21, dated the 19th, and Vol. I No. 23, dated 24th March, 1964.

उपाध्यक्षा : गिल साहिब, मुझे आप इस प्रिविलेज मोशन* पर ग़ौर कर लेने दें इस पर रूलिंग मैं बाद में दूंगी । (The hon. Member Shri Gill may please let me consider this motion. I will give my ruling later on.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਤਾਂ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਸਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ.................

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੀ । (Let me first consult the Press Gallery Committee and go through this news item. After considering all these things I will give my ruling.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ । ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਿੰਦ ਸਮਾਂਚਾਰ' ਹੈ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰੋਪਰਾਈਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈ, ਸਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

उपाध्यक्षा : इस के बारे में प्रैस में जो मैटर छपा है और मेरे आफिस की जो प्रोसीडिंगज़ हैं वह कुरैक्ट हैं । आप इस पर थोड़ा सा वक्त लगाएं। (The matter that has appeared in the Press in this connection as well as the proceedings recorded by my office are correct. The hon. Member should devote some time on it.)

CALL ATTENTION NOTICES

Shri Mangal Sein : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned to the fact that a student named Ramesh Chandra Bhalla felt grieved at the behaviour of the professors of the Chemical Engineering and Technology Department of the Panjab University and committed suicide by jumping into Sukhna Lake at Chandigarh on 19th March, 1964. The academic career of this student had all along been a good one. The professors stated that since this student did not come up to the mark in the internal assessment, his application for admission to the University, Examination could not be forwarded.

**Note* : The Privilege Motion by Sardar Lachhman Singh Gill appears in P.V.S. Debates, Vol. I No. 23, dated 24th March, 1964.

[Shri Mangal Sein]

Shri Romesh Chandra Bhalla came of a poor family and was, therefore, getting loan from the Punjab Government for pursuing his studies. He was shocked to learn that his admission form had been withheld and, therefore, he jumped into the lake. The inhuman behaviour of the Punjab University administration compelled a promising son of the Punjab to commit suicide. Therefore, this matter may be discussed for half anhour.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मामला कल हाउस में आया था...........

उपाध्यक्षा : आप पढ़ने तक महदूद रखें। स्पीच न करें। कल यह मामला हाउस में पेश हुआ था और पैंडिंग पड़ा हुआ है। इस के लिए टाइम चाहिए ताकि सही चीज का पता लग सके। (The hon. Member should confine himself to reading his motion. He should not make a speech. This matter was referred to in this House yesterday and has been kept pending. I need time to take stock of the correct position.)

श्री मंगल सेन : इस का जल्दी ही फैसला होना चाहिए। इस को मई-जून तक लटकाया न जाए। (विघ्न) (शोर)

Comrade Babu Singh Master : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned to the fact that since the fixation of price, Spirit is not available in the State for daily domestic use, medical purposes and furniture manufacturing and thus great unrest is prevailing in the State among various classes and sections.

उपाध्यक्षा : क्या माननीय राम सरण चन्द मित्तल इस बारे में कोई जवाब देना चाहते हैं ? (Would the hon. Minister for Excise, Taxation and Capital like to say something about it.)

गृह मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे पास अभी तक यह काल एटैन्शन मोशन नहीं आई है।

उपाध्यक्षा : मैं इस को पैंडिंग रखती हूं। मैं इस बारे में अपने आफिस से पता करूंगी। (I will enquire into it from my office. So I keep it pending.)

Comrade Babu Singh Master : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned to the fact that there is a great panic among the Teachers and Teachresses of Government High School, Jhunir, district Bhatinda, due to lawlessness by certain goondas and threat to their lives given by these 'goonda' elements on 16th March, 1964, while in a drunkard condition and during the working hours of the school.

उपाध्यक्षा : इस बारे में पुलिस से प्रोटैक्शन मांगें। (Please seek the protection of the police in this matter).

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਥੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ

उपाध्यक्षा : इस बारे में पुलिस की मदद ली जाए। I disallow it. (Please seek the help of the Police in this matter. I disallow it).

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the situation created by the management of Verka Milk Plant, Amritsar, by increasing the rates of milk powder highest in all the Country Plants of such like :—

1. It was Rs 2.85 nP per kilo.
2. It was Rs 3.30 nP per kilo
3. October, 1963, it was Rs 4.00 nP per kilo.
   Then after eight days it was Rs 4.50 nP per kilo, and
4. Now Rs 5.50 nP per kilo.

Amul Dairy Anand is still selling at Rs 3.30 nP per kilo.

This is a great loot of the people. Therefore, it must be discussed. If this situation goes on the plant will be forced to stop. This is a great loss to the State Exchequer.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ—

Deputy Speaker : No speech please.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ; ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : आप इंट्रप्ट कर रहे हैं इस लिए मैं डिसऐलाओ करती हूं (शोर) (विघ्न) (Since the hon. Member is interrupting I disallow this motion.) (*Noise*) (*Interruptions*)

मैं इस बारे में आप से कलैरीफिकेशन चाहती हूं। (I want your clarification in this matter).

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

उपाध्यक्षा : आप बाद में क्लैरीफिकेशन दे दें। (The hon. Member may give the clarification afterwards).

Shri Fateh Chand Vij : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the bad conditions created by the frost in Panipat Tehsil. Poor people are dying, as their harvests have been damaged to a great extent, as such immediate relief measures are required.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं.........

Deputy Speaker : No please.

श्री फतेह चन्द विज डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बारे में रैविन्यू मिनिस्टर साहिब स्टेटमैंट दे चुके हैं। वहां पर ओलों के पड़ने से फसले तबाह हो चुकी हैं लोगों का बहुत नुक्सान हुआ है। (शोर) (विघ्न)

चौधरी चूहड़ सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वाकई वहां पर फसलों को बहुत नुक्सान हुआ है। वहां पर कुछ दिन पहले वर्षा हुई है जिस से सारी फसलें तबाह हो गई हैं। इस लिए वहां पर रिलीफ देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि मवेशियों को चारा मिल सके और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। (शोर) (विघ्न)।

[Chaudhri Inder Singh Malik rose to speak]

उपाध्यक्षा : आनरेबल मिनिस्टर सरदार अजमेर सिंह बोलना चाहते हैं आप उन्हें सुनें। (The hon. Minister Sardar Ajmer Singh wants to say some thing. Please listen to him attentively.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਲੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ..............

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : रिलीफ देने के लिए कितना अर्सा लगेगा ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਫ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ। ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। After all the things have to be judged. ਇਸ ਵਿਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। The whole thing will be done satisfactorily.

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : अगर रिलीफ दो साल के बाद दिया गया तो लोगों को क्या लाभ होगा। (शोर) (विघ्न)।

उपाध्यक्षा : चौधरी देवी लाल जी, आप इन को कंट्रोल में रखें। (Addressing Chaudhri Devi Lal. (Please keep them under your control).

चौधरी देवी लाल : जहां तक कंट्रोल का ताल्लुक है वह चल ही रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने दो साल में डबल प्रोडक्शन करने की तसल्ली दी है। इसी वजह से ओले पड रहे हैं। फसलों को पानी नहीं दिया जा रहा है। (विघ्न) क्या इस तरह से डबल प्रोडक्शन होगी? मैं समझता हूं कि इन को खाहमुखाह शोर नहीं मचाना चाहिए। इन को आप का हुक्म मानना चाहिए।

Deputy Speaker : The Minister concerned had already made a statement in this regard. I disallow it.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Madam, I want to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that there is a great rush of mental and other patients in the Civil Hospital, Gobindgarh, district Patiala. It is increasing day by day. There is insufficient accommodation. There are no water supply and sanitary arrangements and medicines etc., The Government may kindly take immediate steps to provide more medicines, more beds, and make suitable arrangements to the water supply as the tube-well of this Hospital, which was installed at a great cost, is not working and there are flush lavatories but only one sweeper to clean those which is very difficult task for one man.

उपाध्यक्षा : आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना । I disallow it. (The hon. Member may have his say during the discussion on the Appropriation Bill. I disallow this motion).

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the order under Defence of India Rules prohibiting the cane-growers from making gur and khandsari and use of power crushers for the same within ten miles radius of the Sugar Mills. This has created great discontentment and hardship among the cane-growers, when all the sugar mills have stopped crushing sugarcane, this order should be withdrawn.

Deputy Speaker: I disallow this motion. The hon. Member can :..

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।......................

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। (The hon. Member Sardar Ajaib Singh Sandhu may refer to this matter during the discussion of the Appropriation Bill.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ..............

उपाध्यक्षा : अगर आप को इजाज़त दूं तो सब को इजाज़त देनी पड़ेगी । (If I permit the hon. Member to speak then I will have to permit the other hon. Members also.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਕਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Deputy Speaker : No please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਜਾਂ ਵਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ । This is a very important matter for the villagers. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Deputy Speaker : I cannot force the Government.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ D.I.R. ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा : क्या आप को यह प्रिवीलेज हासिल है कि जब चाहें बिना इजाज़त के खड़े हो जाएं । मैं ने कहा है कि एप्रीप्रिएशन बिल पर बोल लेना । अगर माकूल जवाब न मिलेगा तो फिर देखेंगे । (Has the hon. Member got this privilege to stand

[Deputy Speaker]

up at his own sweet will to speak without permission. I have already told him that he can have his say at the time of the discussion on the Appropriation Bill. If, however, he does not get a satisfactory reply then we will look into the matter.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਰਗੜੇ ਲਗਾ ਲਉ ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Deputy Speaker : No please.

पंडित मोहन लाल दत्त : श्रीमती जी, तहसील ऊना में पहले तो कुहरा फसलों को मार गया है, अब बारिश न होने की वजह से तमाम फसलें तबाह हो रही हैं। गो माताएं भूखी मर रही हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट को उस इलाके की तरफ ध्यान देना चाहिए।

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि बात करने का मज़ा तब होता है अगर उस में से फायदामंद नतीजा निकले। सरकार ने गन्ने पर से बंदिश इस लिये नहीं हटाई क्योंकि उस गन्ने की बीज के लिए ज़रूरत है। हम गन्ने को खराब नहीं होने देंगे। पहले बीजाई हो जाए तो बाद में उस को देख लेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ $\frac{1}{4}$ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨਾ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ $\frac{1}{4}$ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ?

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बैसाखी के बाद तो गुड़ बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लिए अब ज़मींदारों को इजाज़त मिल जानी चाहिये ताकि उन का गन्ना खराब न हो।

उपाध्यक्षा : उन्हों ने जवाब दे दिया है। (The Chief Minister has already given the reply.)

PRESENTATION OF REPORT OF THE SUBORDINATE LEGISLATION COMMITTEE

Sardar Gurmit Singh (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Madam, I beg to present the Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation, 1963-64.

PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Baboo Bachan Singh (Chairman, Committee on Government Assurances) : Madam, I beg to present the Ninth Report of the Committee on Government Assurances, 1963-64.

ELECTION OF SPEAKER

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : I beg to move —

> That Shri Harbans Lal, a Member of the Punjab Legislative Assembly, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Madam, I second the proposal made by the hon. Chief Minister.

Deputy Speaker : Motion moved —

That Shri Harbans Lal, a Member of the Punjab Legislative Assembly, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

बाबू बचन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं स्पीकरशिप के लिए पंडित मोहन लाल दत्त का नाम प्रोपोज करता हूं।

Dr. Baldev Parkash : Madam, I second the proposal made by Baboo Bachan Singh.

Deputy Speaker : Motion moved –

That Pandit Mohan Lal Datta, a Member of the Punjab Legislative Assembly, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ; ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੰਨੋ ਦੇਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਸ਼ੋਰ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ; ਦੇਖੋ, ਹਾਊਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ। (The proceedings cannot be conducted in this way.)

Is there any other proposal ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿਲ ; ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੰਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Deputy Speaker : I do not allow my name to be proposed.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਉ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

***Sardar Gurcharan Singh :** I second the proposal made by Sardar Lachhman Singh Gill.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ; ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੰਨੋ ਦੇਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਹੱਕ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ.........

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो मोशन हाउस में पुट हुई है इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्षा : अभी और मोशन आ रही हैं। सभी प्रोपोजल्ज खत्म हो लेने दीजिए। (More motions are comming in; let all the proposals be made first).

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ............

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ; ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੋ। (I would request Comrade Shamsher Singh Josh to only make his motion. He should not make any speech).

---

*Note: The motion was also seconded by Sarv Shri Ajit Kumar, Ajaib Singh Sandhu and Jagan Nath.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅੌਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ (Cheers from the Opposition)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅੌਰ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਉ । (*Noise*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਇਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਪਣੀ dignity ਹੈ। (I have to maintain the dignity of the Chair. I have brought this to the notice of the hon. Members a number of times. I also have some personal dignity as well.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ੰਜ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, चूंकि हरियाणा को अब फिर नज़र अन्दाज़ किया गया है, इसलिए मैं चौधरी रिज़क राम, एम.एल.ए. का नाम स्पीकर-शिप के लिए तजवीज़ करता हूं।

चौधरी देवी लाल : मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं। एक तो इस लिए कि इधर हरियाणे की कोई परवाह नहीं की जा रही और दूसरे इसलिए कि चौधरी रिज़क राम ने अपने राज़िक को खुश करने के लिए बड़ी कोशिश की लेकिन उसको रिज़क नहीं मिला। इसलिए मैं चौधरी इन्द्र सिंह वाले प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

Deputy Speaker : No speech please.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੀਕਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲ ਮੈਂਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ । (Let me first state the motion sponsored by Chaudhri Inder Singh)

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं भी आप की सेवा में एक नाम प्रोपोज़ करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : मैं ने पहिले ही अर्ज़ किया है कि आप के सामने जो प्रोपोज़ल पहिले आई हुई है उसको पुट कर लेने दें। प्रोपोजल यह है कि चौधरी इन्द्र सिंह ने चौधरी रिज़क राम का नाम पेश किया है और चौधरी देवी लाल ने उसको सैकंड किया है............

(I have already requested the House that the motions already before the House may first be allowed to be stated. In his motion, Chaudhri Inder Singh has proposed the name of Chaudhri Rizak Ram for speakership. It has been seconded by Chaudhri Devi Lal . . .)

Chaudhri Rizak Ram : Madam, I withdraw my name.

(*Voices of No. No. from the Opposition*)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक . इन्होंने अपना नाम विदड्रा करके हरियाणा को नुकसान पहुंचाया है। (शोर)

उपाध्यक्षा : देखिए! आप मैम्बर साहिबान को अपनी अपनी प्रोपोजल देने का हक है। लेकिन जिन का नाम प्रोपोज किया जा रहा हो अगर वह विदड्रा कर लें तो आप उन को रोक नहीं सकते। आप ने शोर में सुना नहीं; जब मेरा नाम प्रोपोज़ किया गया था तो मैं ने भी उसको शुक्रिया के साथ विदड्रा कर लिया था क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानती। चौधरी रिज़क राम अगर विदड्रा करना चाहते हैं तो उन्हें अपना नाम विदड्रा करने दीजिए। (Order please. The hon. Members are entitled to make their proposals. But they cannot prevent an hon. Member whose name is being proposed, to withdraw the same. Perhaps they did not listen to it in view of noise, I myself withdrew my name with thanks when it was proposed because I did not agree with it. In case Chaudhri Rizak Ram wants to withdraw his name, let him do so.)

श्री मंगल सेन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की बात की पूरी कदर करता हूं। लेकिन बात यह है कि आज आप एक बड़े अहम सवाल का फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी पार्टियों से आए हुए, तजरुबाकार आनरेबल मेम्बर, ज्ञानी करतार सिंह का नाम स्पीकरशिप के लिए पेश करता हूं।

सरदार त्रिलोचन सिंह रियास्ती : मैं इस मोशन की ताईद करता हूं।

Giani Kartar Singh : I withdraw my name.

Shri Balramji Dass Tandon : Not with the permission of the House. वह इतने तजरुबाकार आदमी हैं जो हर पार्टी में से होकर आए हैं। कभी इधर से धक्के खाए, कभी उधर से धक्के खाए।

Deputy Speaker : The hon. Member should not have used these words. He should withdraw them.

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं इन शब्दों को विदड्रा कर लेता हूं। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे मैं यह कहना चाहता था कि इन से ज्यादा ऐक्सपीरिएंस्ड आदमी और नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्षा : आनरेबल मेम्बर साहिबान को मेहरबानी करके ज़बान अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। यह तो वक्त की बात होती है। ज़बान से शब्द निकल जाते हैं लेकिन वह हमेशा के लिए रह जाते हैं, मिट नहीं पाते। (The hon. Member should please use better language. These are momentary things. The words once slipped from the tongue remain alive for ever. Their impressions remain indelible.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस हाउस के बहुत पुराने तजरुबाकार, आज़माए हुए बुज़ुर्ग मैम्बर, खान अब्दुल गफार खां का नाम पेश करता हूं।

कामरेड राम चन्द्र : मैं इस प्रोपोज़ल की ताईद करता हूं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਕ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ

खान अब्दुल गफ्फार खां : I withdraw my name. मैं यह बिलकुल नहीं समझता कि मैं अकेला हूं। मेरे साथ तमाम हिन्दोस्तान है, सारा पंजाब है। यह गलत बात है कि मैं अकेला हूं।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Madam. Mr. point of order is this. Several proposals have been made and it is just possible that more proposals may be there. Can there be such withdrawals unless all the proposals have been made? I want your ruling on this.

उपाध्यक्षा : देखिए, जब आप कोई प्रस्ताव पेश करते हैं कि फलां फलां जो कि हाउस में हाज़िर हैं, वह स्पीकर के तौर पर चेयर को ग्रहण करे तो जिस का नाम आप लेते हैं उसे अगर यह बात नहीं जचती तो वह अपना नाम वापिस ले सकता है। यह उसका राईट है। मैं ने भी अपना नाम विदड्रा कर लिया है। (Well, when some motion is made that such and such Member, who is present in the House, do take the Chair as Speaker and in case the proposal does not find favour with the person whose name has been proposed he is entitled to withdraw his name. This is right. Likewise I have also withdrawn my name.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲਜ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਸਿਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (*Interruptions*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ (I will be able to conduct the proceedings of the House well only with the co-operation of the Members.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ; ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ..................

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ । ਲੇਕਿਨ ਤਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ । Chaudhri Chand Ram is not present in the House. Therefore, I do not allow this motion. (I admit that the hon. Member is very intelligent but I would request him to first hear me carefully before saying anything. Chaudhri Chand Ram is not present in the House. Therefore, I do not allow this motion.)

Some Voices : He is present in the House

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। (When his name had been proposed, he was not present in the House).

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰੋਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री चान्द राम : मैं शुक्रिये के साथ विदड्रा करता हूं ।

Shri Dev Raj Anand : Madam, I propose the name of Shri Yash Paul a Member of the Punjab Legislative Assembly, who is present in the House, for the Speakership.

चौधरी मुख्तियार सिंह : मैं सैकिण्ड करता हूं । यह कोई यतीम थोड़े ही हैं ।

श्री यश पाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं इस मामले पर आप की रूलिंग चाहता हूं । यह ठीक है कि हरेक मेम्बर को यह हक हासिल है कि वह किसी दूसरे मेम्बर का नाम प्रोपोज़ करे । तो क्या यह जरूरी नहीं है कि प्रोपोज़ करने से पहले वह उस मेम्बर की भी, जिस का नाम वह प्रोपोज़ करता है कन्सेंट हासिल कर ले?

(Voices from the Opposition : No, no)

Comrade Ram Chandra : Under what rule ?

उपाध्यक्षा : मुनासिब यही है कि जिस आदमी का नाम प्रोपोज़ किया जाए, वह इस के लिए एग्री करता हो । लेकिन अगर प्रोपोज़ कर दिया गया है, और वह एग्री नहीं करता तो उस को हक हासिल है कि वह अपना नाम विदड्रा कर ले । (The proper thing is that the person whose name is proposed, must have agreed to that proposal. But, if a person's name has been proposed without his prior consent, the best course for him is to withdraw his name.)

Shri Yash Paul : Madam, I withdraw my name.

श्री बलरामजी दास टण्डन : वह कौन सा रूल है जिस के तहत वह विदाउट दी कन्सेंट आफ दी हाउस अपना नाम विदड्रा कर सकता है ? मेहरबानी कर के आप वह रूल बता दीजिए ।

उपाध्यक्षा : चेयर को चैलिंज न किया करें । (I would advise the hon. Member not to challenge the ruling of the Chair.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : मैं आप की रूलिंग को चैलिंज नहीं कर रहा लेकिन इनफर्मेशन हासिल करने के लिए जानना चाहता हूं कि किस रूल के तहत यह विदाऊट दी कन्सेंट आफ दी हाउस विदड्रा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : रूल भी मैं कन्सल्ट कर के आप को बता देती हूं । वैसे यह कामन् सेन्स का सवाल है कि अगर कोई एग्री न करे तो उस का नाम प्रोपोज़ न किया जाए । (After consulting the Office, I will quote the rule also. Even otherwise, the common sense demands that the name of any other Member should not be proposed unless he gives his consent.) (*Loud Noise*)

उपाध्यक्षा : जो कुछ आज यहां हो रहा है इस को देख कर पंजाब के लोग क्या कहेंगे ? (What will the people of the Punjab think about what is happening here today?)

श्री बलरामजी दास टण्डन : आप ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने यह नाम इतने दिन तक गुप्त रखा है ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

उपाध्यक्षा : कभी आप ने कांस्टीच्यूशन या रूल्ज और रैगुलेशनज भी पढ़े हैं ? अगर पढ़े होते तो आप को मालूम होता कि चीफ मिनिस्टर स्पीकर नहीं हो सकता । (Has the hon. Member read the Constitution or the Rules and Regulations on the subject ? Had he studied them he would have known that a Chief Minister cannot become a Speaker.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : इन्हों ने तो हरेक के साथ लड़ना है, यह स्पीकर कैसे हो सकते हैं ?

सरदार लछमन सिंह गिल : आप से तो इन्हें प्यार है । परमात्मा करे कि यह प्यार बना रहे ।

श्री मंगल सेन : मेरी सबमिशन है कि जिस तरह से आप ने कहा है कि इस वक्त सब को सीरियसली बात करनी चाहिए, मैं आप से सहमत हूं कि इस वक्त एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा है । इस लिए मैं ने भी स्पीकर के बारे में एक तजवीज़ हाउस के सामने रखनी है । मैं समझता हूं कि हमें इस बारे में किसी ऐसे आदमी का चुनाव करना चाहिए जिस से सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम हो । मैं तजवीज़ करता हूं कि कोई अनपढ़ स्पीकर होना चाहिए और इस के लिए मैं सरदार जय इन्दर सिंह का नाम प्रोपोज़ करता हूं । (हंसी)

Deputy Speaker : There must be some limit.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਪਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ solemn occasion ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਪਰਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ that does not reflect well on our House and the Members. I, therefore, request that we should stop here.

कामरेड राम चन्द्र : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार अजमेर सिंह ने यहां हाउस की डिगनिटी की बातें की हैं और अभी इस बात का ज़िक्र किया है कि इस तरह नाम प्रोपोज़ करने में हाउस की डिगनिटी नहीं है। लेकिन मैं इन से पूछना चाहता हूं कि हाउस की डिगनिटी उस वक्त कैसे मालूम हो गई थी जब इन्होंने डिप्टी स्पीकर को स्पीकर नहीं बनाया जब कि इन के सामने कनवेन्शन और ट्रेडीशीन्ज़ मौजूद हैं। सेंटर के अन्दर भी जब बीच में स्पीकर की कुर्सी खाली हुई थी तो वहां सरदार हुक्म सिंह को जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, स्पीकर बनाया गया था। और इसी तरह से यहां पंजाब में भी ढिल्लों साहिब डिप्टी स्पीकर से स्पीकर बनाए गए थे। You have thrown them to the winds (*hear, hear*) आज यह किस मुंह से हमें कहते हैं कि हाउस की ट्रेडीशन्ज़ का ख्याल रखना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि डिप्टी स्पीकर साहिबा ही स्पीकर बनें।

If her name is proposed for Speakership we will vote for her. I would ask my friends opposite to keep the traditions.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ........

उपाध्यक्षा : मैं मेम्बर साहिबान से दरखास्त करना चाहती हूं कि उन्हें ऐसे बीहेव करना चाहिए जिस से इस आगस्ट हाउस का नाम और डिगनिटी बढ़े। (I appeal to the hon. Members to behave here in this House in such a way so that the dignity of this August House is enhanced.)

Let me put the motions now to the vote of the House.

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। इस से पहले कि आप को एक रूल पढ़ कर सुनाऊं मैं यह कहना चाहता हूं कि सरदार अजमेर सिंह ने एक बात कही कि यह बड़ा अहम वक्त है, हमें इस समय सीरियस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात की ज़िम्मेदारी लीडर आफ दी हाउस पर थी। यह सारे हाउस का मामला था, किसी एक पार्टी का मामला नहीं था, उन्होंने जो नाम नौमीनेट करना था तो इस में लीडर आफ दी आपोज़ीशन

11.00 a.m.

[डा० बलदेव प्रकाश]

को भी कन्फीडैंस में ले कर करते । इन को ऐसी अच्छी ट्रैडीशन्ज़-सैट अप करनी चाहिएं । यह हमें न बताते और सीक्रिट रखते । हमें जानने की इच्छा भी नहीं थी मगर अच्छी ट्रैडीशन्ज़ तो सैट-अप करते । सारा हाउस इन के साथ होता । मगर जब ऐसा वक्त आता है तो कन्वैन्शन्ज़ और ट्रैडीशन्ज़ की दुहाई दी जाती है । मगर जब ट्रैडीशन्ज़ कायम करने का वक्त आता है तो उस तरफ कोई कदम नहीं उठाते ।

अब मैं सफा 6 पर जो रूल आठ है वह पढ़ कर सुनाता हूं । इस के मुताबिक जिस का नाम प्रोपोज़ किया गया हो वह विदड्रा नहीं कर सकता । वह रूल यह है :

"As soon as may be after a general election, the Assembly shall elect a Speaker after such members as are present have been sworn in.

Any member may propose another member then present in the Assembly and move that such member do take the Chair of the Assembly as Speaker.

If the motion is seconded and no other member is proposed, the person presiding shall without putting the question declare that member elected and call him to take the Chair.

If the names of other members be proposed and seconded the questions shall be put one by one in the order in which the motions have been moved an determined, if necessary by division. If any motion is carried the persond presiding shall, without putting later motions, delcare elected the member proposed in the motion which has been carried and call that member to take the Chair :

Provided that a member shall not propose his own name or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion."

इस में सिर्फ यही बात है कि जिस का नाम प्रोपोज़ किया गया हो वह विदड्रा नहीं कर सकता । जितने आएं उन पर आप को वोट लेने होंगे और जो इलैक्ट हो जाए वह चेयर सम्भाल लेगा । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप ज़रा रूल 120 पढ़ें, मैं सरदार जैइन्द्र सिंह का प्वायंट आफ आर्डर सुन लूं । (The hon. Member may please go through rule 120. In the meantime I may hear the point of order by Sardar Jai Inder Singh.)

ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਵਿਘਨ) (ਤਾਲੀਆਂ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । (One mistake does not correct the other.) (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੇ ਇਹ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੂੰਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

डा. बलदेव प्रकाश : मैं ने रूल 120 देख लिया है । इस में लिखा है :

"All matters not specifically provided in these Rules and all questions relating to the detailed working of these Rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

लेकिन जो रूल मैं ने पहले पढ़ कर सुनाया है उस में सारी बात इन डिटेल ले डाउन की गई है । उस में चेयर को डिस्क्रीशन नहीं छोड़ी गई । और मैं सरदार जै इन्द्र सिंह से कहूंगा कि वह अपना नाम विदड्रा न करें क्योंकि अमृतसर को बड़ी मुश्किल से चांस आ रहा है । (हंसी) (विघ्न)

(श्री जगन्नाथ और सरदार अजैब सिंह सन्धू प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : देखिये अब सीरियसली काम करने दीजिए । (विघ्न) चेयर की कुछ डिगनिटी होती है । (The hon. Members may now let me take up the work of the House seriously. (*interruption*) After all there should be some consideration for the dignity of the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਠ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। (ਵਿਘਨ)

(The hon. Members should not retaliate. I feel small to say as to what would the people sitting in the galleries and those outside would think of us when they would read the paper to-morrow.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ । ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : आप चेयर की डिगनिटी का ख्याल रखें । कुछ मेरी भी डिगनिटी है । बार बार मेरा नाम न लें । (विघ्न) (The hon. Members should maintain the dignity of the Chair. They should not bring in my name repeatedly as I also possess some dignity) (*Interruption*)

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । आप ने बजा फरमाया है कि हाउस की कार्यवाही चलने देनी चाहिए और कि लोग क्या कहेंगे, मारे शर्म के सिर झुक जाएगा । मैं आप से ऐग्री करता हूं । हमारा सिर शर्म से झुक रहा है कि ट्रैयरी बैंचिज़ वाले श्री प्रबोध चन्द्र जैसे स्पीकर को हटा कर श्री हरबंस को ले कर आए हैं । वाक्ई बड़ी शर्म की बात है । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : जो स्पीकर होने वाले हैं उन के बारे में ऐसा न कहें । (विघ्न) (He should avoid the use of such language about the prospective Speaker.)

Sardar Lachhman Singh Gill : Madam, how can the Chair say that he is going to be elected as Speaker ?

Deputy Speaker : I am sorry. I withdraw my remarks.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि आप ने जो यह कहा है कि वह स्पीकर होने वाले हैं.....

उपाध्यक्षा : वह मैं ने वापस ले लिया है । (I have withdrawn that remarks.)

चौधरी देवी लाल : क्या स्पीकर न्यूट्रैलिटी छोड़ कर किसी की मदद कर सकता है?

उपाध्यक्षा : मैं ने कहा है कि वह बात मेरे मुंह से निकल गई और मैं ने वापस ले ली है । (I have already said that that remark escaped my lips advertently and I have withdrawn it.)

चौधरी देवी लाल : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या कोई मैम्बर जो स्पीकर की रूलिंग को ऐक्सपंज करने के लिये मोशन मूव करे वह स्पीकर बन सकता है और अगर वह बन जाए तो क्या वह अगर उस के खिलाफ भी ऐसी ही मोशन मूव की जाए तो क्या वह अपने रिमार्क्स को ऐक्सपंज करने को तैयार हो सकता है ?

उपाध्यक्षा : आप एक लीडर हैं और इतने पुराने मैम्बर हैं । आप कैसी बातें करते हैं ? (The hon. Member is a Leader and a Member of such a long standing. What sort of points is he raising ?) (*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : मैं आप की रूलिंग चाहता हूं । मैं ने पहले तो यह बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी । मैं समझ रहा था कि वोटिंग होगी पता नहीं कौन स्पीकर बने । लेकिन अब चूंकि आप ने एक हिन्ट दिया है उस से शक हो रहा है । इस लिये रूलिंग चाहता हूं कि जो मैम्बर स्पीकर की रूलिंग के ऐक्सपंज कराने के लिये मोशन मूव करे वह स्पीकर होने के अहल है । और अगर वह बन जाए तो अगर उस के खिलाफ उस की रूलिंग को ऐक्सपंज करने के बारे में कोई मोशन आए तो क्या वह इजाज़त दे सकेगा? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : बड़ी समझ बूझ कर यह बात की गई है । इस वक्त जो नाम आए हैं उन पर वोट्स लूंगी । जिन्होंने अपने नाम विदड्रा कर लिये हैं उनपर वोटिंग नहीं होगी । (The Motion has been brought after due consideration.

For the present I will put all the names to the vote of the House. There will be no voting in respect of the names already withdrawn.)

चौधरी देवी लाल : आप इस पर अपनी रूलिंग दें । अगर यह ठीक प्वायंट नहीं है तो कह दें ।

उपाध्यक्षा : मेरी रूलिंग यह है कि this is not a point of order. स्पीकर की इलेक्शन के लिए नाम आए हैं और मैं एक एक करके उन्हें हाउस के सामने पुट करूंगी । (*Interruption*) (*noise*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਰੀਕੁਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਹ ਮੈਂਬਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ solemn occasion ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰੋਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਨਸਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਜਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਾਲੈਮਨਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨ-ਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री जगन्नाथ : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 1, 1-2 फुट का आदमी तो इस कुर्सी पर दिखेगा भी नहीं । इस कुर्सी के लिए सूटेबल कैंडीडेट बेगम साहिबा मालेरकोटला हैं । मैं उनका नाम प्रोपोज करता हूं ।

श्री टेक राम : मैं इस नाम की ताईद करता हूं ।

हर हाइनेस बेगम यूसफ जमान : मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं अपना नाम वापस लेती हूं । (*interruption*) (*noise*)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरे प्वायंट आफ आर्डर का जवाब नहीं आया । आप रूलिंग दे दीजिए ।

उपाध्यक्षा : आपने रूल 120 पढ़ लिया है । इस पर मेरा रूलिंग यह है कि जिस मेम्बर ने अपना नाम वापस ले लिया उसे वापस लेने दीजिए, बाकी पर वोटिंग होगी ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਹਣ ਬਾਕੀ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। (The hon. Member has started dictating me.)

श्री मंगल सैन : आपने बजा फरमाया है कि जब उमर बढ़ जाती है तो पढ़ने की जरूरत होती है ।

उपाध्यक्षा : डाक्टर मंगल सैन कभी आप सीरियस भी हुआ करें ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਉਸਤਾਦ ਐਮ. ਏ. ਪਾਸ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : अब हाउस के सामने सब से पहले चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो मोशन रखा है कि श्री हरबंस लाल को स्पीकर चुना जाए, है । (Now the first motion before the House is the one that has been moved by the Chief Minister that Shri Harbans Lal may be elected as Speaker.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਕਰੇਟ ਬੈਲਟ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Show of hands ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
(Voices : ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਕਰੇਟ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ।)

उपाध्यक्षा : ऐसा कोई कायदा नहीं । It makes no difference. (There is no such convention. It makes no difference.)
(*Interruptions*)

Deputy Speaker : Question is that Shri Harbans Lal a Member of the Legislative Assembly who is present in the House, do take the Chair as speaker of this Assembly.

The motion was carried. (*Cheekers*)

Deputy Speaker : I call upon Shri Harbans Lal to please take the Chair. (Cheers).

(At this stage, Shri Harbans Lal occupied the Chair. He was conducted by the Chief Parliamentary Secretary to the Speaker's throne). (Thumping by the Treasury Benches).

(*Voices from the Opposition benches, Shame shame.*)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ

ਵਕਤ ਕਈ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੇ । ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ । ਮੈਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : स्पीकर साहिब, शिष्टाचार के तौर पर मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं आपको वधाई दूं । मगर जिन हालात में आपको चुना गया है वह निहायत ही अफसोसनाक हैं । इस हाउस में बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किये गये और निहायत ही बुरी किस्म की पालेटिक्स खेली गई जिसका राह निहायत ही काबले एतराज़ था । इस से पहले जो स्पीकर साहिब थे वह निहायत अच्छी तरह से अपने फरायज़ अंजाम दे रहे थे । जैसी उन की पुज़ीशन थी वैसी उन के पीछे कुर्बानियां भी थीं । मगर दो साल के बाद उनको भी हटा दिया गया । (Shame, Shame by the Opposition) आज पंजाब में सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि कोई आदमी चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो निरपक्ष नहीं रह सकता और इन्साफ नहीं कर सकता । आप भी जब कि एक पार्टी से आये हैं, मैं कैसे कहूं कि निरपक्षता कायम रख सकेंगे । हम चाहते हैं कि जम्हूरियत की रवायात पर चलते हुए, इस गंदी सियासत से बालातर होकर इस हाउस की कार्रवाई चले यहां पर बड़ी इज़्ज़त से इस हाउस की कार्रवाई चले । मैं इस के मुताल्लिक एक मिसाल देना चाहता हूं और मैं यह कोई पुरानी बात नहीं कह रहा हूं और न ही यह किसी दूसरे देश की है । हमारे लोक सभा के महान् स्पीकर हुए हैं श्री वट्ठलभाई पटेल उन्होंने पार्लियामैंट्री रवायात को मद्देनजर रखते हुए पहले वह कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे मगर जब वह स्पीकर बने तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जब उन्हें इलेक्शन लड़नी पड़ी, स्पीकर होते हुए, तो उन्होंने बतौर एक आजाद उम्मीदवार के इलैक्शन लड़ी और आजाद उमीदवार के तौर पर कामयाब होकर स्पीकर की कुर्सी पर बिराजमान हुए और एक शानदार रवायत को बरकरार रखा । आज जम्हूरियत के नाम पर इस तरह के दाव-पेच खेले जाते हैं कि जिस की कोई मिसाल नहीं मिलती । पहले जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो रवायात के मुताबिक उन की तारीफ की गई, उन से पहले स्पीकर भी बहुत अच्छी तरह से अपने फरायज़ को अंजाम देते चले आ रहे थे, मगर इस पालेटिक्स में आकर उन को भी पीछे हटना पड़ा । मगर जब हटाया गया तो उन की सब पिछली कुर्बानियों को

[पंडित मोहन लाल दत्त]

नज़र अंदाज़ कर दिया गया । ऐसे हालात में मुझे शक है स्पीकर साहिब कि आप भी इस हाउस की कार्रवाई सही तौर पर ना चला सकेंगे । मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप शुद्ध हृदय से काम कर सकें ताकि इस हाउस की कार्रवाई चल सके । मगर अगर इसी तरह से कोई हुल्लड़ बाज़ी और शोर शराबा होता रहा तो हम कोई अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे ।

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI PRABODH CHANDRA

Shri Prabodh Chandra : On a point of Personal Explanation, Sir. My Honourable friend, Pandit Mohan Lal Datta, was pleased to say just now that somebody was instrumental in removing me from the office of the Speaker. I may say that I have not been removed from that office. I felt that I had to maintain the dignity of the House, even if a few Members of the House had expressed doubts about my impartiality. I thought it proper to resign, voluntarily but nobody forced me to do so. I would like this correction to be made in the records.

ELECTION OF SPEAKER (RESUMPTION)

Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) : Honourable Members, I am deeply grateful to you for the honour done to me by electing me to this Chair. As you all know this is the highest honour that the chosen representatives of the people can confer on anybody in this House and I accept it with all humility and pride.

Being a disciplined soldier of the great organisation, the Indian National Congress, wedded to the cult of "Democracy and Socialism it will be my primary duty to uphold and promote parliamentary democracy in our State and to maintain the dignity and decorum in the House and the prestige of the Chair. I need hardly assure you that from now on keeping in with the past traditions laid down by great Speakers of the calibre of Sarvshri Patel, Mavlankar and Dr. Satya Pal ....

(**Sardar Lachhman Singh Gill :** and Shri Prabodh Chandra also). I will be a no party man in this House. So long as I am to remain in this Chair I will hold the scales even between the Treasury and Opposition Benches, act without fear or favour to be guided sheerly by the Constitution and the Rules of Procedure of the House keeping in view the public good at large.

I had the proud privilege of working hand in hand with the Leader of the House during the past many years and thus know him from the closest possible quarters. His dynamic contribution in national reconstruction and the uplift of the State has been acknowledged all around and even echoed at the All India Presiding Officers Conference held at Chandigarh last year through the lips of my worthy predecessor. Standing here I only view him as a great Parliamentarian and a democrat. During the political repartees to which this House stands a witness, he has sat all along with all patience and humility and has been a cool, calm and composed picture in spite of the bitter provocations to which any man with normal faculties would have sharply reacted .

I also have had the good fortune to practise in the Courts in erstwhile Pepsu where the learned Leader of the Opposition adorned the Bench of the High Court and thus I know him as a great upholder of the Rule of Law and as a great judge.

As a member of the previous Assembly I still cherish very happy memories of my association with Sardar Gurdial Singh Dhillon, as Speaker of this House.

Chaudhri Devi Lal is an old comrade of mine having worked together in premier party of the country, whom, unfortunately, the passage of time has seated him on the benches to my left.

I also have had the privilege of working under the leadership and guidance of Joga Sahib, who hails from my own district, when he was the President of the Patiala State Praja Mandal, an organ of the Indian National Congress in the States those days.

I have also acquired intimacy with Sardar Lachhman Singh Gill, Dr. Baldev Parkash and Shri Tandon during my membership of this August House.

I am also lucky enough to have Shrimati Shanno Devi, as our Deputy Speaker, who has championed the cause of women folk in this State both in pre-independence and post-independence periods. Seated on my left, I am sure she will be always at my rite to help and assist me in the deliberations of this House.

Before I close I must share with you as a Member of this House the thought which is dominant in my mind that today while taking this Chair my heart goes out to those who have returned me here i.e, my constituents whose cause I will not be able to espouse from now on within the four walls of this House. I am confident that their interests will not be ignored for my sake and that they will be the responsibility of the House from now on.

Let this be a change, a change for the better and may our deliberations be not marred by any unruly scenes in this House and we may be able to do something positive for the public good as we are to be judged by our actions and not mere sermons.

I pray I may prove worthy of the trust reposed in me and come up to your expectations.

Thank you.

(Thumping of the Tables from the Treasury Benches).

BILL

THE PUNJAB APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1964.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1964.

Home Minister : Sir, I also beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਐਡਰਸ ਔਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਚਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਵਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਮਕਾਨ, ਖਾਨਾ, ਕਪੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੋਰਿਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਜੱਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਵਜੁੱਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਖੌਫ ਰਖ ਸਕਣ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ—ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲਜ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ—ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਂਟ ਬਣਾਇਆ

ਗਿਆ , ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਬੜੀ ਵੈਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋ-ਕਰੈਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ । ਕਿਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 20, 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਵੈਨਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ ਦਾ 6/7 ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਅਜ 30 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ । ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਏ । ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਕਢ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਫਾ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਉਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਜਣਾਂ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਕਡ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਲ ਤਵਜੋ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ । ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਲਭੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਗਿਰਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤਨ ਲਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ।

Mr. Speaker : Guillotine will be applied at 1.00 p. m. and the hon. Home Minister will get half an hour.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਗ਼ਫਲਤ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਜ ਵੀ ਨੇਫਾ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ

ਟੀਚਰ ਰਖ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਇਕ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਲੇਕਨ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਛਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਮੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਇਸ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਸੇਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਏ ਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਲਈ ਮਾਕੂਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੁਆਜ਼ਮਾਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ (ਘੰਟੀ) ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਲੇਕਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਅਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ]

ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਐਸੀ ਸਿਵੀਲਾਈਜ਼ਡ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਆਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਲੇ ਰਖੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੇਸ਼ਕ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ । ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ-ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰੋਡਜ਼, ਡਰੇਨੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵਲ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੁਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਲੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ 33/34 ਫੀਸਦੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਅਨਇਮਪਲਾਇਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਜ਼ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 18ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮਿਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੀ ਆਦਮੀ 10 ਔਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਔਂਸ ਫੀ ਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਕ ਦੀ ਦੁਗਣੀ, ਮੀਟ ਦੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ 18 ਗੁਣਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਢਾਈ ਲਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ । ਬੇਦਖਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨਅਲਾਟਿਡ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ ਵਿਚ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ 200 ਬਰਡਜ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਲਈ 10 ਮਿਲਚ ਕੈਟਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਿਗਰੀ ਲਈ 50 ਜਾਨਵਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਰਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ 1958 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹਾਦੁਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਲਖ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸ-ਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਹਦ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਲੇਕਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰੇਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ । 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਤੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਆਮ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਚਾਰੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟਿਲੱਰਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਕੇ ਇਥੇ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਡਜ਼ ਬਾਰੇ

12.00 noon

ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ । ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ ਛੇਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਰੋਡਾਂਵਾਲੀ, ਲਾਖੇਵਾਲੀ, ਲਾਧੂਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਟਰੀਫਾਈਡ

ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਉ ਘਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਰੇਵਨਿਊ, ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਤੀਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਿਜ 1951 ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਾਲਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਿਜ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਜ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਭੀ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਫਿਰ ਭੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਕਾਲਿਜ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਵਿਚ 14-15 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਭੀ ਉਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਿਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਫਾਹੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲਿਆ ਵਾਲੀ, ਸੱਕਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਂਗਟਕੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਕੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 5, 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁਲ ਰੇਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਆਬਿਆਨਾ ਭੀ ਪੂਰਾ ਦੇਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਣੇ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਫਰੋਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਿਆਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਦੋਂ ਤਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਖਾਦ ਦੇ ਜੂਡਿਸ਼ਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫਰਟੇਲਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਸੈਕਟੀ ਸਾਇਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਇਤ (Soil) ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਬਾਰੇਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਸ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ

ਇਮਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ 1/2 ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇਂ । ਖਾਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ (Retail) ਵਿਚ ਹੋਲ ਸੇਲ ਨਾਲੋਂ 225 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੋਲ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਦਾ ਫਰਕ 225 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਮਨਾਫਾ ਘਟਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ । Thank you.

पंडित भागीरथ लाल (पठानकोट) : स्पीकर साहिब, मुझे बहुत खुशी है कि आप ने मेरी बात सुन ली और मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए वक्त दिया । स्पीकर साहिब, इस बिल के अन्दर एक ढांचा बनाया गया है जिस पर सरकार खर्च करना चाहती है । उस के बारे में मैं सरकार के सामने दो चार बातें आप के द्वारा रखना चाहता हूं । इस में शक नहीं है कि गवर्नमैंट ने पंजाब की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए हैं और आगे भी उठा रही है । सरकार ने शिक्षा की तरफ बहुत कदम उठाए हैं । हस्पताल भी खोले हैं । इस से ज्यादा खुशी की बात यह है कि सरकार ने कुछ गरीब बूढ़ों के लिए 15 रुपए पेन्शन देने के लिए रुपया रखा है । इस के साथ हरिजनों की उन्नति के लिए भी कदम उठाए हैं । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार पंजाब को तरक्की की तरफ ले जा रही है ।

स्पीकर साहिब सब से बड़ा मसला एजुकेशन का है । यह ठीक है कि सरकार छोटे बच्चों को कम्पलसरी शिक्षा दे रही है । सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं समझता हूं कि प्राइवेट स्कूल्ज पंजाब के अन्दर शिक्षा का केन्द्र हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों ने जनता की जितनी सेवा की है उतनी सरकारी स्कूलों ने नहीं की है । जिस वक्त शिक्षा का नाम निशान नहीं के बराबर था तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों ने लोगों की सेवा की । लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों को इगनोर किया जा रहा है । उन को रुपया कम मिलता है । प्राइवेट स्कूलों को जितनी मदद देनी चाहिए उतनी सरकार नहीं दे रही है । इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन के सुधार के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए । इस के साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ तो गवर्नमैंट स्कूलों में बच्चों की फीसें मुआफ होती हैं लेकिन उस के मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों के अन्दर बच्चों की फीसें मुआफ नहीं हैं । यह डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए । अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों को बन्द कर दे और उन की जगह अपने स्कूल खोले । सरकार शिक्षा का सारा प्रबन्ध अपने ऊपर ले लें । मैं समझता हूं कि सरकार यह कदम नहीं उठा सकती । सरकार के जितने अपने स्कूल हैं वहां पर भी सरकार अच्छा प्रबन्ध नहीं कर सकी । सरकारी स्कूलों की दशा बड़ी शोचनीय है । बच्चों को बैठने के लिए तपपड़ नहीं हैं । उन को पढ़ाने के लिए जगह भी नहीं है । अगर एक मास्टर की बदली हो जाती है तो वहां पर 6 महीने से पहले मास्टर भी नियुक्त नहीं होता है । अगर सरकार अपने स्कूलों का अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं कर सकती तो सरकार प्राइवेट स्कूलों के निजाम को

[पंडित भागीरथ लाल]

कैसे अपने हाथ में लेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार नहीं कर सकती। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में सुधार करने की तरफ ध्यान दे। स्पीकर साहिब, आप भी पठानकोट गए होंगे और हमारे होम मिनिस्टर साहिब उसी ज़िले के रहने वाले हैं। उन को वहां के हालात का पूरा पता है। वहां पर 80 हज़ार की आबादी है। लेकिन वहां पर हायर स्कूल नहीं है। (घंटी) मुझे इस सैशन में वक्त नहीं मिला है। आप की कृपा से वक्त मिला है और मैं अपनी स्पीच चार पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

स्पीकर साहिब, मैं डिस्पैंसरियों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। वह इलाका हिल्ली है। वहां पर आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी खोली गई है। वहां पर दवाइयां नहीं हैं। लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। (विघ्न) वहां पर बहुत बुरी दशा है। पठानकोट की लगभग 80 हज़ार आबादी है लेकिन अभी तक वहां पर कोई हस्पताल नहीं है। मुझे पता चला है कि सरकार वहां पर हस्पताल बना रही है। उस के लिए सरकार शीघ्र इमारत तैयार करे ताकि वहां पर हस्पताल बने और लोग उस से लाभ उठा सकें। (घंटी)

स्पीकर साहिब, हमारा इलाका पहाड़ी है। वहां पर सड़कें बहुत कम हैं। वहां पर कुछ सड़कें मन्ज़ूर भी हुई थीं लेकिन एमर्जेंसी के कारण फंड न होने के कारण बन्द हो गई थीं। इस लिए अब मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि छोटी छोटी रोड्ज़, लिंक रोड्ज़ बनाई जाएं ताकि लोगों को आने जाने की सहूलतें मिल सकें।

स्पीकर साहिब, पशु पालन के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। सरकार इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। यह खुशी की बात है। सरकार ने दूध के प्लांट भी लगाए हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस के विपरीत जितना सरकार अंडों की तरफ ध्यान दे रही है वह अच्छी बात नहीं है। सरकार को कभी अंडे महंगे होने के कारण और कभी सस्ते होने के कारण सोचना पड़ता है अगर सरकार इस स्कीम को छोड़ दे तो अच्छा होगा। अंडे कभी डायरी में बिकते हैं। लेकिन दूध की तो हर जगह जरूरत है। अगर इस तरफ ध्यान दें तो लोगों को भी लाभ हो सके। सरकार को गाएं की देखभाल करनी चाहिए ताकि लोगों को दूध मिल सके। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। (घंटी) स्पीकर साहिब मैं दो मिनट में ही अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा।

स्पीकर साहिब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पठानकोट की आबादी 80 हज़ार के लगभग है। वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां पर इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनायी जाए। वहां पर एक टैक्नीकल इंस्टीच्यूट है। वह बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पर इंडस्ट्री लगायी जाए। स्पीकर साहिब आप दो बार वहां पर गए हैं। आप को पता है कि वह शहर बहुत अच्छा है।

वह बड़ा शहर है लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है। मैं एक बात आप के द्वारा सरकार से कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। उस पहाड़ी एरिया में कूल्हें चल सकती हैं और इस सम्बन्ध में कुछ स्कीमें भी बनाई गई हैं लेकिन उन पर अमल कुछ नहीं किया गया। मेरा सुझाव है सरकार को इस तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिये। स्पीकर साहिब, आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने मुझे अपने कुछ विचार हाउस के सामने रखने का अवसर दिया है।

मैं ना तो और भी चाहता था लेकिन समय न होने के कारण आप की आज्ञा मान कर बैठ जाहूँ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ (ਜੰਡਿਆਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਜ ਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਊਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਜੈਨਰਲ ਐਡਮਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ **monument of corruption, vouritism Nepotism and high handedness** ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਥੇ, ਵੁਹ ਤੋ ਰੁਖਸਤ ਹੁਏ,
ਅਬ ਮਜਾਵਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾ ਗੋਰ ਕੁਨ ।

ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੋਰ ਕੁਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਮੁਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਵਰਡਿਕਟ ਜਜ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰ ਗਾਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖ ਦਿਆ ਹੋਇਆਂ ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਐਥੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਹੈਂਡਿਡਨੈਸ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਰਪਟ ਹੈ । ਯਥਾ ਰਾਜਾ, ਤਥਾ ਪਰਜਾ । ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਹੈਂਡਿਡਨੈਸ ਦਾ ਮਾਨੂੰ ਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸ. ਓ. ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਡ ਰੀਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ **personal** ਰੀਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਡੀਮੌਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]

ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਨਮਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਨਮਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰ ਟਾਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ 6 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜੀਉਡੀਸ਼ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀਚੰਦ ਅਤੇ ਸਚਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 23 ਮਾਰਚ, 1959 ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ 17 ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਕਦਮਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਚੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੀ ਜੀਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ। ਉਹ ਜੀਪ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ 14,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤੁੜ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕਰਦਾਰ ਦਾਸ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਦੱਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜੀਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਜੀਪ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਡੀਮੋਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਾਇਨ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ

ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਰਾਜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰਿਆ ਨਾ । ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ । ਤੂੰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੀਂ । ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਜੋਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਜਿਏਟਲੀ ਜਿਉਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਜ਼ ਠੋਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਛਡੋ । ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲਗਾਓ । ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੋ (ਘੰਟੀ)।

Mr. Speaker : Please resume your seat now.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ।

Mr. Speaker : No please.

(*At this stage the Chair called upon Shri Babu Dayal Sharma to speak*)

पंडित लाल चन्द प्रार्थी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहिब मुझे 20 तारीख को कुछ मिनट बोलने के लिए मिले थे । उस वक्त मुझे बहुत जल्दी बैठा दिया गया था । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा ने, जो उस वक्त चेयर में थी, मुझे यकीन दिलाया था कि फिर मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा । उस मौके का जो आफीशल रिपोर्ट का रिकार्ड है उसमें से मैं आप को पढ़कर सुनाता हूं :

> "I would request the hon. Member to resume his seat now. He will be accommodated at some other time."

तो स्पीकर साहिब, अर्ज यह है कि बजट पर बोलने का तो आज आखिरी दिन है । जो यकीन मुझे डिप्टी स्पीकर साहिबा ने दिलाया था उसके मुताबिक कुछ समय मुझे बोलने को मिलना चाहिए !

Mr. Speaker : This discussion will close at 12.30 p. m. I will try to accommodate as many hon. Members as possible. I will try to accommodate such hon. Members who have not so far spoken on the Budget proposals.

Shri Lal Chand Prarthi : Thank you.

श्री बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : स्पीकर साहिब, मैं आप को बधाई देने के बाद इस गवर्नमैंट को बधाई देता हूं कि उसने यहां पर एक वैलफेयर स्टेट का सा बजट पेश किया। इस एप्रोप्रिएशन बिल के अनुसार जहां कुल खर्च 2, 25, 67,67,210 रुपये का होगा वहां बैनीफीसैंट महकमों पर 1,34,06,14,220 रुपए का खर्च होने जा रहा है । इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की, जनता की वैलफेयर के लिए यह गवर्नमैंट इस बजट का 80 फीसदी खर्च करेगी। निस्सन्देह यह बधाई की बात है और हमें अवश्य इस पर गवर्नमैंट की प्रशंसा करनी चाहिए ।

सरदार लच्छमन सिंह ने भी मुबारिकबाद दी है । उन्होंने भी इस बात का एहसास किया जिसको मैं हमेशा से महसूस करता था कि उन दोस्तों का ज्यादातर वक्त बजाए इस तरह जाया होने के स्टेट की बहबूदी की स्कीमो पर खर्च हो. . . .उन लोगों का जो वज़ीरों की मुखालिफत करने के लिए डंडा हाथ में लेकर उन के पीछे पड़े हुए हैं । स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा उन दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि हर शोअबे में वज़ीर साहिबान चाहे कितना कुछ सुधार करने की कोशिश क्यों न करें जब तक सारी की सारी मशीनरी, जनता उन को इस दिशा में पूर्ण सहयोग न देगी तब तक देश की भलाई और देश का निर्माण सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए मैं आशा करता हूं कि वह दोस्त भी जो कि हमेशा सरकार की निन्दा करते हैं, व्यर्थ में नुक्ताचीनी करने की बजाय सरकार का सहयोग दें ।

सब से ज्यादा खर्च, मिसाल के तौर पर, पुलिस के महकमे पर किया जा रहा है । इस के लिये 11,45,66,220 रुपये की व्यवस्था की गई है। अब कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल और पुलिस सब-इन्स्पैक्टरों की तन्खाह भी काफी घटा दी गई है। मैं यह मानता हूं कि मेरे जिले का ऐस० पी० एक बहुत अच्छा, ईमानदार और बेहद काम करने वाला आदमी है। मैं रूलिंग पार्टी का मैम्बर हूं। आज से करीब एक साल पहले जब मैं यहां मीटिंग अटैंड करने आ रहा था तो एक कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बस से नीचे गिरा दिया। मेरा अटैची भी ले गए। मैं ने पुलिस में टैलीफून किया कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करो। वापिस जाने पर जब मैं मालूम करता हूं तो मुझे पता लगा कि कोई ऐसा केस रजिस्टर नहीं हुआ था। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि वज़ीर या गवर्नमैन्ट केस रजिस्टर करना नहीं चाहती थी। मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं कि एस० पी० नहीं करना चाहता था। बात यह है कि जब तक ऊपर से नीचे तक सभी लोग अपना अपना फर्ज़ सही तरह से नहीं समझेंगे और जब तक उसको ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम देश का उद्धार नहीं कर सकते। इस लिये अब वक्त आ गया है कि हर एक आदमी को, हर एक कर्मचारी को अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से एहसास करते हुए काम करना चाहिये ताकि जनता को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका न मिले।

एक बात मेरे भाई पंडित भगीरथ लाल जी ने कही कि आज कल अंडों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। पोल्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि अंडों में कुछ सफात होंगे और अंडों को खाने वाले भी बहुत से लोग हैं (घंटी) मगर दूध की तरफ तवज्जोह नहीं दी जाती। दूध से कई ऐसी चीज़ें बनती हैं जो अंडों से नहीं बनती। दूध की अपनी सफात है और अंडों की अपनी सफात हैं। दूध से लस्सी बन सकती है मगर अंडों से लस्सी नहीं बन सकती . . . दूध से मक्खन बनता है परन्तु अंडों से मक्खन नहीं निकलता अंडों को सब लोग नहीं खाते परन्तु दूध को सब लोग पीते हैं! इस लिये दूध की वृद्धि की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्हों ने कह दिया है। टाइम थोड़ा है, कोई नई बात कहें। (He has already said about it. The time is short. The hon. Member should say something new.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : बहुत अच्छा जी, इसे मैं यहीं खत्म करता हूं। इस के अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राईवेट स्कूलों का भी ख्याल रखा जाये। उन को सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए या गवर्नमैंट को चाहिए कि उन सब को टेक-ओवर कर ले। जहां तक ऐजूकेशन का सवाल है इस बजट के ज़रिये 16 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इतनी बड़ी रकम और कोई नहीं है जितनी कि यह है लेकिन कुछ फैसले ऐसे किए हैं जो मेरे ख्याल में अभी देश को मुआफिक नहीं आते। जैसे, मिसाल के तौर पर, कोऐजूकेशन है। लोगों ने मुताल्बा किया। गुड़गांव के अन्दर विमैन कालेज खोला गया। लेकिन वहां पर भी को ऐजूकेशन कर दी गई है। इस का नतीजा यह हुआ कि लड़कियों की तादाद तो वहां पर 236 की 236 ही रही एक लड़की भी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन वहां 198 लड़के दाखिल हो गए। इस का ज़रूरी तौर पर बच्चों पर बुरा असर होता है। वहां पर एस० डी० कालेज पर भी इस का प्रभाव बुरा पड़ा। वहां पर भी विद्यार्थी कम हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें स्वतः स्पष्ट हैं उन को हमें, गवर्नमैन्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिये (घंटी)। स्पीकर साहिब, अगर आप हुकम करें तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन अपनी कांस्टीच्यूऐंसी के कुछ ग्रीवैंसिज़ आप के द्वारा गवर्नमैंट के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफली एक दो मिन्ट में खत्म कर दें। (Making out his points briefly, the hon. Member should wind up within a minute or two.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : बहुत अच्छा जी, जैसी आप की आज्ञा। तो मैं अपनी कान्स्टीच्यूऐंसी की बाबत अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर सड़कों की तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार दरखास्तें करने के बावजूद अभी तक होडल-नूह-ताओड़ू-पटौदी-पटौदा सड़क को पूरी तरह से कम्पलीट नहीं किया गया। उसका जो अनइम्पार्टैंट हिस्सा है उसको तो पूरा कर दिया गया है मगर जो निहायत ही इम्पार्टैंट हिस्सा है मिसाल के तौर पर नूह से ताऊडू का उसको नहीं किया। इस के बीच में एक पहाड़ी आती है। इधर पहाड़ी के पश्चिम का इलाका तहसील नूह में शामिल है। उसके लिए ट्रांस्पोर्ट का सन्तोषजनक

[श्री बाबू दयाल शर्मा]
इन्तज़ाम नहीं है क्योंकि जो बसें जाती हैं वह सीधी देहली को जाती हैं। ताग्रोड़ू से नूह को जाने के लिए पहले सोहना जाना पड़ता है ग्रौर फिर वहां से नूह। इस तरह से लोगों को कोई बाईस मील का फासला फज़ूल तह करना पड़ता है। यह जो ग्यारह मील का टुकड़ा है यह बहुत इम्पार्टेंट है इस की तरफ ग्रवश्य ध्यान दिया जाये। (घंटी)।

चौधरी रण सिंह (राडौर) : स्पीकर साहिब, ग्राज सरकार को इस बात की इजाज़त देने जा रहे हैं कि इस एप्रोपरिएशन बिल के ज़रिये मुख्तलिफ मदों के लिये जिस खर्च की मांग की गई है, उसे ग्राने वाले माली साल में खर्च करें। मुझे इस बात का भरोसा है कि ग्रगले साल जब बजट सैशन में हम यहां पर इक्ट्ठे होंगे तो सरकार को इस बात की बार बार बधाई दी जायेगी कि पिछले साल जो सोशलिस्टिक समाज लाने वाला बजट पास किया गया था उस के मुताबिक बहुत ही तबदीलियां स्टेट में ग्राई हैं ग्रौर स्टेट ने बहुत तरक्की की है।

इस वक्त स्पीकर साहिब, ग्राप की मारफत मैं ने दो तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है। सब से पहली बात जिस की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कई दफा सरकार बहुत ग्रच्छे ग्रच्छे ग्राडर्ज़ पास करती है ग्रौर वह ग्राडर सम्बन्धित महकमों में भेजे जाते हैं। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो ग्राडर पास होते हैं वह कैरी ग्राऊट नहीं होते बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि न मालूम कई महकमों के ग्रन्दर किस कदर निकम्मे ग्रफसर बैठ रहे हैं कि वह उन ग्राडर्ज़ को दबा कर बैठ जाते हैं, जनता को उन की बाबत पता ही नहीं लगने देते कि क्या ग्राडर्ज़ सरकार ने पास किए हैं। मिसाल के तौर पर सरकार हर साल सरप्लस इवैक्वी लैंड ग्राक्शन परचेज़ करती है उस मतलब के लिए रुपया रखा जाता है। मिनिस्टर इन्चार्ज के ग्राडर हैं कि ग्रगर कुछ हरिजन हाईएस्ट बिडर्ज़ हों तो तीन हज़ार रुपया पर बिडर इन्हें लोन दिया जाए ताकि वे हरिजन लोग ज़मीन खरीद सकें। लेकिन जो बात देखने में ग्राई है वह यह है कि इस बात का ग्रभी तक हरिजनों को पता ही नहीं दिया गया कि कोई ऐसे ग्राडर सरकार ने किए हुए हैं। परसों चौथे मैं कहीं गांव में गया था। वहां पर ऐसी ज़मीन की बोली हो रही थी। वहां तहसीलदार साहिब मुझे बता रहे थे कि हमारे पास कितना रुपया हरिजनों को देने के लिये पड़ा हुग्रा है लेकिन ग्रब वह लैप्स हो जायेगा। बड़े दुख की बात है कि ग्रब तक उनको मालूम नहीं था कि वह रुपया खर्च करना है। जब पूछा गया कि रुपया क्यों नहीं खर्च किया जा सका तो उसका कोई जवाब नहीं था। ग्रब वह रुपया लैप्स हो जायेगा ग्रौर गरीब लोगों को ग्रगर उसका कोई फायदा हो सकता था तो वह नहीं होगा। (घंटी)। स्पीकर साहिब, मैं ग्राऊट ग्राफ दी स्कोप कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ दो चार प्वायंट ग्राप की मारफत गवर्नमैंट के नोटिस में लाने जा रहा हूं। तो मैं बता रहा था कि वह रुपया इस तरह से लैप्स हो जायेगा लेकिन इस से गरीब हरि-जनों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। ग्राज जब हम यहां का सोशलिस्ट समाज लाने की बातें करते हैं ग्रौर जब हम चाहते हैं कि यहां सोशलिस्ट समाज लाया जाये तो यह बड़ा ज़रूरी है कि जो पैसे बजट में गरीब लोगों के लिये रखे जाते हैं उन में से एक पैसा भी लैप्स नहीं होने देना चाहिये।

इस के बाद मैं एक बात विलेज कामन लैन्ड्ज़ के बारे में ग्रर्ज़ करना चाहता हूं। सरकार ने ग्राडर किया था कि हरिजनों को विलेज कामन लैण्ड्ज़ में हिस्सा दिया जाए मगर मुझे यह

दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस आर्डर पर अमल नहीं किया गया। इस बारे में एक स्टार्ड क्वेस्चन हाऊस में पूछा गया था लेकिन वह क्वेस्चन पोस्टपोन करना पड़ा है। इस सवाल में पूछा गया था कि क्या उन पंचों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है जो उस आर्डर पर अमल नहीं कर रहे हैं। परन्तु आफीसर्ज़ की इनऐफीशैंसी देखिये कि चीफ मिनिस्टर साहिब स्वयं भी हाऊस में इस सवाल का उत्तर नहीं दे सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इस के साथ ही साथ मैं प्रोमोशनल पोस्ट्स के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने एक आर्डर पास किया है कि हरिजनों को प्रोमोशनल पोस्ट्स में रिज़र्वेशन दी जाए। सैक्रेटेरियेट में जो इस वक्त प्रोमोशन्ज़ होती हैं एसिस्टैंटस से डिप्टी सुपरिनटैन्डैन्ट और डिप्टी सुपरिनटैन्डैन्ट से सुपरिनटैंडैंट की उन में हरिजनों को परेफरेंस दी जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी हरिजन को इस तरह से प्रोमोट नहीं किया गया। आज जितनी ही पोस्टें भरी जा रही हैं वे तमाम की तमाम अदर दैन हरिजनों से फिल अप की जा रही हैं। इस बारे में बड़ी इर्रेगूलेरिटी चल रही है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा सरकार के नोटिस में एक ऐसा मसला लाना चाहता हूं जो आज तक शायद इस के नोटिस में आया ही नहीं। वह है सीरीं लोगों का मसला जो ज़मींदारों के लिये खेतों में काम करते हैं और जिन पर खेती की पैदावार बढ़ाने के काम का दारोमदार है। उन की तरफ सरकार ने आज तक कोई तवज्जोह नहीं दी। उन की तरफ तवज्जोह दी जानी चाहिये। वे बेचारे सारा साल खेतों में मेहनत करते रहते हैं लेकिन जब फसल उठाने का वक्त आता है तो ज़मींदार उन से बहुत बुरा वर्ताव करते हैं और उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है। आज हम ने देखा है कि उन्हें खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि गांव में अगर किसी की सब से बुरी हालत है तो वह इन सीरीं लोगों की है। आप जानते हैं कि हर साल के पिछले दिनों में जब उन के पास अनाज खत्म हो जाता है तो वह उधार ले लिया करते हैं। अगर वे एक मन किसी से उधार लेते हैं तो उन्हें फसल में उस के बदले डेढ़ मन देना पड़ता है लेकिन सब से ज्यादा दुख की बात यह है कि आज उन्हें डेवढ़े पर भी कोई उधार अनाज नहीं देता और उन लोगों के पास कैश तो होता ही नहीं जिस से वह बाज़ार से अनाज खरीद कर सकें।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा चन्द बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा इलाका ज्यादातर बारानी है और वहां फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और कमर्शियल क्राप्स सेस एक्ट के तहत कुछ क्राप्स पर टैक्स लगाया गया है। यह ठीक है कि सरकार ने फार ओन यूज़ के लिये किसानों को इस टैक्स से कुछ छूट दी हुई है। अगर दो कनाल से कम फसल बोई गई हो तो उस किसान को इस टैक्स से एग्ज़म्पशन दी गई है लेकिन यह अजीब बात है कि अगर दो कनाल से एक आध कनाल भी ज्यादा किसी किसान ने कमाद बोया हुआ हो तो उस को यह एग्ज़म्पशन बिल्कुल नहीं दी जाती। और उसके सारे खेत पर यह टैक्स लग जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतना ज़ुल्म किया जा रहा है। मैं ने यह चीज़ फाइनैंशल कमिश्नर रैविन्यू के नोटिस में भी

[पंडित मोहन लाल दत]

लाई थी। सब लोग जानते हैं कि इस साल कमाद की फसल को कीड़ा लग गया था, फिर बारिश नहीं हुई और कुछ फसल तो फ्रास्ट से तबाह हो गई थी फिर भी उन की फसल पर यह टैक्स लगाया जा रहा है। कम अज़ कम किसानों को अपने निजी इस्तेमाल के लिये जो फसल इन्होंने बो रखी हो उस पर तो इन्हें इस टैक्स से एग्ज़ैम्पशन देनी चाहिये।

फिर हमारे पहाड़ी इलाकों में टीन की चादरों की लोगों को सख्त जरूरत है लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही। उस इलाके के लोग बड़े गरीब हैं। उन के मकान कोई बड़े २ तो होते नहीं हैं। छोटे 2 मकान होते हैं जिन पर टीन की चादरें न मिलने के कारण उन्हें घास फूस की छत्तें उन पर डालनी पड़ती हैं जो हर साल गल जाती हैं। खास तौर पर गरीब हरिजनों के तो ऐसे ही मकान होतें हैं जिन की छत्तें हर साल गल जाती हैं। इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कम अज़ कम हरिजनों को तो जरूर टीन की चदरें दो जाएं क्योंकि वे अपने मकानों पर पक्की छत्तें नहीं डाल सकते। इस वक्त उन लोगों की हज़ारों अर्जियां पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें टीन की चादरें नहीं दी जा रहीं।

इस के अलावा मैं एक बात तालीम के सिलसिले में पंडित मोहन लाल जी से कहना चाहता हूं जो कि तालीम के महकमे के मन्त्री हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में जो कि बड़ा पिछड़ा हुआ है, प्राईवेट स्कूल बहुत हैं और सरकार ने अब जो कम आमदनी के आधार पर जिन लोगों की सालाना आमदनी एक हज़ार से कम है उन्हें इस सरकार ने "बैकवर्ड" करार दिया है, और हरिजनों के अलावा जो दूसरे गरीब लोग हैं जिन में ब्राह्मण और क्षत्री भी आ जाते हैं उन को भी फीस माफी का हक हासल है लेकिन उन्हें यह कंसैशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से फीस माफी की सहूलत मिलती है इसी तरह से इन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में भी मिलनी चाहिये। अगर सरकार सारे प्राइवेट स्कूलों में इस तरह से फीसें माफ नहीं कर सकती तो कम अज़ कम इसे पहाड़ी इलाके के स्कूलों में तो ज़रूर फीसें माफ कर देनी चाहिएं।

एक चीज़ मैं आप के द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज हम एक बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रहे हैं इस लिये ज़रूरी है कि हमें बचत की तरफ बहुत ज़ोर देना चाहिए। इस वक्त क्योंकि मेरे पास इस चीज़ की तफसील में जाने के लिये वक्त नहीं है जो मैं बता सकूं कि कहां २ बचत की जा सकती है। इस के लिए मैं तो कहता हूं कि हमें अपने राजनैतिक ढांचे को भी तबदील करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारी लैजिस्लेटिव कौंसल और यह रिजनल कमेटियां जो हैं यह भी बिल्कुल फज़ूल खर्ची के साधन हैं। इस वक्त इन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन के सिवाए डुप्लीकेशन आफ वर्क के और कोई काम नहीं हो सकता। आप सुन कर हैरान होंगे कि पिछले कुछ दिनों में 20 हज़ार रुपये इन रिजनल कमेटियों के मैम्बरों के टी० ए० और डी० ए० पर खर्च हुए हैं जब कि मामूली सी सिटिंग होती रही है और काम कुछ होता नहीं रहा, बार बार पोस्टपोन होती रही है। इसी तरह से हिल्ली एरियाज की एक डिवेलपमैंट कमेटी बनी हुई है। जिस पर हर साल तकरीबन 90 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। आप वहां की हालत देखिये कि किस तरह खर्च किया जा रहा है। यह ठीक है कि डिवैल्पमैन्ट कमिश्नर बड़े नेक आदमी हैं लेकिन दुख की बात यह है कि सारे का सारा रुपया

उस आर्गेनाइजेशन पर खर्च होता है। दूसरी बात देखने वाली यह है कि उस कमेटी का हैड-क्वार्टर शिमला में रखा हुआ है। आप अन्दाजा लगायें पंजाब का पहाड़ी इलाका तो ज़िला कांगड़ा का ही ज्यादातर इलाका है जो शिमला से कितना दूर है। यह हैडक्वार्टर यहां चंडीगढ़, या नंगल या पालमपुर में रखा जा सकता है जो कि सैंटरल पलेसिज हैं। अगर इस तरह कर दिया जाए तो एक तो लोगों को सहूलत होगी दूसरा खर्च में भी बचत हो सकेगी।

इसी तरह से सरकार ने एक और योजना बनाई है जिस के मुताबिक दो महीनों के लिये मिनिस्टर और उनके आफिसिज़ गर्मियों के दिनों में जाया करेंगे। मैं समझता हूं कि एयाशी के लिये यह योजना बनाई गई है। जब हम गरीब लोगों के मसले के लिये किसी काम पर खर्च करने के लिये कहते हैं तो यह कहते हैं कि सरकार के पास रुपया नहीं है लेकिन इन के पास इन फज़ूल खर्चों के लिये रुपया होता है। मैं इन से पूछता हूं कि क्या उन से यहां काम नहीं हो सकेगा, इन को यहां रहने में क्या तकलीफ होगी ?

इसी तरह इन के दौरों पर हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। मैं ने, स्पीकर साहिब, एक सवाल पूछा था कि चार महीनों में कितना रुपया मिनिस्टरों के दौरों पर खर्च किया गया है। तो उसके जवाब में मुझे बताया गया था कि तकरीबन सात सात या आठ आठ हज़ार रुपये फी मिनिस्टर का टी० ए० और डी० ए० का चार महीनों का खर्च आया है। सारे मिनिस्टरों में से सिर्फ एक सरदार दरबारा सिंह ऐसे मिनिस्टर हैं जिन का खर्च सिर्फ 770 रुपये आये थे। बाकी सब मिनिस्टरों के दौरा का खर्च सात सात हज़ार रुपये के करीब आया था। इस से, स्पीकर साहिब, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाकी मिनिस्टरों को इतने दौरे पड़ते हैं और सरदार दरबारा सिंह को कम दौरे पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि वज़ीरों का इतना महंगा इंतज़ाम है जिस में बड़ी फज़ूल खर्ची होती है।

इसी तरह से हम सब की भी ड्यूटी है कि हम किराए पर जितने पैसे खर्च करें उतने ही सरकार से लिया करें। सफर तो हम बसों में करते हैं लेकिन किराया हम फस्ट क्लास का लेते हैं, इस तरह से हम खर्च तो 10 या 20 रुपए करते हैं लेकिन हमें मिलता 70 या 80 रुपए है, यह प्रेक्टिस भी तब्दील होनी चाहिए। अगर यहीं हालत रही तो हम इस भूखे नंगे देश की हालत को कैसे सुधार सकेंगे। स्पीकर साहिब, जिन बुजुर्ग की वह सामने तसवीर लटक रही है और जिस की यह पूजा करते हैं उन्होंने बताया है कि कैसा राज बनना चाहिए। वह मैं पढ़ देता हूं।

> "A nation that runs its affairs smoothly and effectively without much State interference is truly democratic. Where such a conditon is absent the form of government is democratic only in name.
> I look upon an increase in the power of the State with the greatest fear, because, although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm by destroying individuality which lies at the roof of all progress."

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम कहते तो हैं कि हम ने पंचायती राज को कामयाब बनाना है मगर हम उस को ठीक ढंग से नहीं बना रहे हैं। वह तो एक स्टेट का ही एक छोटा सा यूनिट या हिस्सा बन कर रह गया है। यह पंचायती राज वैसा नहीं है जैसा कि बापू जी यहां पर लाना चाहते थे।

गृह मंत्री (पंडित मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि ऐपरोप्रियेशन पर बहस का स्कोप बड़ा महदूद होता है। इस लिए मैं सिर्फ उन्ही बातों का ज़िक्र करूंगा जिन का सम्बन्ध इम्पलीमैंटेशन से है। कुछ मैम्बर साहिबान ने ला ऐंड आर्डर का ज़िक्र किया और दूसरी भी ऐसी ही बातों का ज़िक्र किया जो इस वक्त बहुत रैलेवैंट बात नहीं थी। ला ऐंड आर्डर, पुलिस वग़ैरह की सारी डिमांड्ज़ पर बहस हो चुकी है। उस बहस में इन साहिबान ने हिस्सा लिया, सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया मगर फिर भी उन का ज़िक्र आज भी इस बहस में किया गया। मैं ने यहां पर आंकड़े देकर यह दावा किया था कि पंजाब सारे हिन्दुस्तान में बैस्ट ऐडमिनिस्टर्ड स्टेट्स में से एक स्टेट है। यहां वहां एक आध केस को लेकर बढ़ा चढ़ा कर ज़बानी बातें करने से फैक्ट्स ऐंड फिगर्ज़ को झुठलाया नहीं जा सकता। बहर सूरत मैं इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता।

मुझे इस बात के इकबाल करने में खुशी है कि आपोज़ीशन की तरफ से जिस मैम्बर साहिब ने बहस शुरू की थी उन्होंने जो चन्द एक बातें कहीं वह बहुत ज़रूरी और रैलेवैंट थीं। मुझे खुशी है कि जिस तरह से आपोज़ीशन की तरफ से ऐपरोपरिएशन बिल की बहस में होना चाहिए था वैसा हुआ। उन्होंने कहा कि यह जो हम इतनी बड़ी रकम को खर्च करने के मुताल्लिक इम्पलीमैंटेशन करने जा रहे हैं इस में सरकार और आपोज़ीशन को मिल कर इस की इम्पलीमैंटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो रकूम पास की जा रही हैं उन का इस्तेमाल लोक भलाई के लिए हो। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपोज़ीशन की तरफ से अभी जो मैम्बर साहिब बोल रहे थे उन्होंने भी एक सही बात का ज़िक्र किया कि हमें खर्च में मुनासिब कफायत शुआरी से काम लेना चाहिए। मैं मानता हूं इन दोनो बातों को एक पहलू से। हम पर जिन पर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को चलाने की इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है उन को खुशी होगी कि हम इस सम्बन्ध में आपोज़ीशन वालों से कोआपरेशन कर पाएं इस लिए जो उन्होंने आफर की थी उस को मैं वैलकम करता हूं। और खुले तौर पर उन से कहता हूं कि आपोज़ीशन का जो हक था नुक्ताचीनी करने का वह डिमांडज़ पर बहस के दौरान काफी हो गया है। अब हम इस बजट के ज़रिये पंजाब के लोगों की भलाई करने जा रहे हैं। इस लिए आपोज़ीशन और सरकार को मिलकर इस बात को देखना चाहिए कि जितना खर्च हो वह लोगों की भलाई के लिये हो और एक पाई भी ज़ाया न हो। मैम्बर साहिबान ने कहा था कि हमें तालीम, हैल्थ, ला ऐंड आर्डर की मदों पर काम के सिलसिले में मिल कर चलना चाहिए। मैं इस बात को वैलकम करता हूं। अभी अभी दत्त साहिब इकौनोमी के बारे में फरमा रहे थे। इस सिलसिले में मैं काफी कुछ कह सकता था कि हम इकौनोमी करने के लिये क्या कुछ कर रहे हैं मगर इस वक्त टाइम नहीं है। उन्होंने वज़ीरों के टूरज़ का ज़िक्र किया और कहा कि कुछ वज़ीरों ने सफर खर्च कम लिया है और कुछ ने ज़्यादा लिया है। ऐसा उन्होंने चर्चा किया। एक मिनिस्टर साहिब का ज़िक्र किया कि उन का खर्च कम था दूसरों का ज़्यादा था। तो यह कैसे हुआ यह मामूली बात है। वज़ीरों के पास दो

किस्म की कनवेयेंस है। एक तो वह है जिन के पास सरकारी कनवेयेंस है। मोटर कार सरकारी है। वह सिर्फ डेली अलाउंस ही लेते हैं। उन को ट्रैवलिंग या कोई और अलाउंस नहीं मिलता। कुछ वज़ीरों के पास अपनी कारें वगैरह हैं। उन को माइलेज मिलता है। यह है वजह जो फर्क इन को दिखाई देता है उस की जिन की अपनी कारें हैं वह सारा ट्रैवलिंग का खर्च अपने पास से करता है और माइलेज लेते हैं। फिर यह जो माइलेज है यह पार्टीशन के वक्त की मुकर्रर की हुई है हालांकि तब से लेकर अब तक पैटरोल वगैरा की कीमत ज्यादा हो गई है।

फिर उन्होंने रिजनल कमेटियों और लैजिसलेटिव कौंसल के मुताल्लिक भी फरमाया। यह एक बहुत बड़ा मसला है कि रिजनल कमेटियां कैसे बनीं, रिजनल फारमूला कैसे बना। यह एक लम्बी बात है। इस थोड़े समय में इस का सही जवाब नहीं दे सकता।

गिल साहिब ने कुछ सरकारी मुलाजमीन के मुताल्लिक भी कहा था। उन्होंने गिला किया था कि सरकारी अफसरान और लोगों में कुछ खलीज है। आप को पता है कि सरकार ने कोआर्डीनेशन कमेटियां बनाई थीं जो हर जिले में बनी हुई हैं इन की मीटिंगों में वज़ीर साहिबान भी जाया करते थे। वहां पर सारे सरकारी कर्मचारी इकट्ठे होते हैं और लोग खुल कर अपनी शिकायात उन के सामने रखा करते हैं। मकसद यह था कि इस खलीज को दूर किया जाए। लोग सीधे सरकारी कर्मचारी तक अपनी शिकायत पहुंचा सकें और जो ठीक फैसला हो वही कर दिया जाए। आज भी यह कमेटियां काम करती हैं जो अब वज़ीर सिवाए जब दौरे पर हों तो वहां जाते हैं वरना डिप्टी कमिशनर ही इन पर प्रीज़ाइड करते हैं। यह हर जिले में चलती हैं। सारे सरकारी कर्मचारी इकट्ठे होते हैं और लोगों को खुली दावत होती है कि वह अपनी शिकायतें सुनाएं। हां अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई ऐसी बात करता है कि जिस से उस में और लोगों में खलीज पैदा हो तो वह अपने फर्ज़ से कोताही करता है। कोई थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं ऐसी बात हो तो मगर आम तौर पर ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर की एक आध शिकायत हो सकती है। यह इसी लिए है कि सरकार तक लोगों की पहुंच हो सरकारी कर्मचारियों तक और लोगों की मांग को सुना जाता है. ध्यान दिया जाता है। और मुनासिब हद तक फैसला दिया जाता है मौके पर ही कर्मचारियों की मौजूदगी में।

इस बात का ज़िक्र किया गया कि तनखाहों में फर्क है बड़े कर्मचारियों में और छोटे कर्मचारियों में। जैसा कि आप जानते हैं स्पीकर साहिब इस सरकार की कांग्रेस सरकार की नीति यही है कि इन की तनखाहों में फर्क कम किया जाए। बड़े और छोटे कर्मचारियों की तनखाहों में और उनकी आमदन में न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों में हो बल्कि आम आदमी की आमदन में जो डिस्पैरिटी है उसे जहां तक हो सके दूर किया जाए। यह बड़ा काम है और सरकार इसे करना भी चाहती है लेकिन कई बातों में सरकार को मजबूर होना पड़ता है मिसाल के तौर पर आई. सी. एस.

[गृह मंत्री]

अफसरों की तनखाहें हैं उनका एक प्रिविलेज है जिस में हम दखल नहीं दे सकते। यह एक कांस्टीच्यूशनल बात है लेकिन फिर भी सरकार की यह नीति है कि कम से कम डिस्पैरिटी रहे और वह दिन आए जब सरकार छोटे से छोटे मुलाजम की तनखाह 100 रुपया माहवार कर सके। इस से कुदरती तौर पर ऊपर उठाना होगा। नीचे के मुलाजमों को। यह बड़ा काम है।

लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं। मैम्बर साहिबान को पता होगा कि बड़े बड़े कमयुनिस्ट देश हैं जिन के अन्दर भी इन्कम में डिस्पैरिटी कोई कम नहीं है। और उन की निस्बत 1 : 100 है और कहीं इस से भी ज्यादा है। एक मजदूर को 220---250 रुबलज़ मिलते हैं और कई वहां पर 20 हज़ार रुबलज से भी ज्यादा लेते हैं। (विघ्न) यह रूस की बात है। इस लिए डिस्पैरिटी को दूर करना आसान काम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता डिस्पैरिटी कम होती चली जाएगी।

कीमतों के बारे में जिक्र किया गया है कि फलोर प्राइस फिक्स होनी चाहिए और ग्रोअर को देनी चाहिए। मैं इस सुझाव को वैलकम करता हूं। इसके बारे में मैं अर्ज करूं कि व्हीट ज़ोन गवर्नमैंट आफ इंडिया ने मुकर्रर किए हैं। हमारे साथ दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कशमीर मिला दिया है वहां पर गंदम जा सकती है। मैं आपको विश्वाश दिलाता हूं कि जहां तक ग्रोअर का ताअलुक है हमारी बुनयादी पालीसी है और इस पर अमल होगा। इसी फसल से इस पर अमल होगा कि ग्रोअर को फेयर प्राइस मिले। फलोर प्राइस मिले। जिस का मकसद यह है कि जो कीमत सरकार फिक्स करे अगर उस से मण्डी में कीमत गिरे तो सरकार खुद खरीदार बन जाए। हम समझते हैं कि काशतकार इस सूबे के आर्थिक ढांचे की रीड़ की हड्डी हैं हमारे ख्याल में अगर उन्हें प्रोटेक्शन न मिले तो उपज नहीं बढ़ सकती। इसलिए इसी फसल से ऐसा किया जाएगा।

इसके बाद एक ज़िक्र स्कूलों की अपग्रेडिंग का किया गया। और गिला किया गया कि इस तर्फ ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह भी कहा गया कि सरकार ने जो शर्तें रखी हैं वह कड़ी हैं कि लोकल पापुलेशन की तर्फ से इतनी रकम दी जाए। मैं मानता हूं कि स्कूलों की अपग्रेडिंग के बारे में बड़ी मांग है। मैं ने जब से एजूकेशन का महकमा हाथ में लिया है यह महसूस किया है कि इस बात की बहुत मांग है। सरकार ने जो शर्तें रखी हैं वह इस लिए क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सिज इतने नहीं होते जिन से वह खुद स्कूलों को अपग्रेड कर दे। चाहती तो सरकार है कि उसके पास रिसोर्सिज इतने हों कि वह खुद स्कूलों को अपग्रेड कर दें। प्राइमरी से मिडल और फिर हाई और हायर सैकंडरी। इनकी मांग बहुत है दिहाती इलाके में। इस लिए जहां लोकल कंट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रखना चाहिए वहां सरकार खुद भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा तालीम देने की ओर कदम उठाए जाएं।

कुछ मैम्बरों ने कहा है कि स्कूल बिल्डिंगज की मुरम्मत नहीं की गई। इमारतें अच्छी नहीं। यह पैसे की बात है। अगर इतना पैसा हम इमारतो पर खर्च कर सकें लेकिन यह मुश्किल बात है। कोशिश तो हमारी रहती है (विघ्न)

स्पीकर साहिब, कुछ बातें मैम्बर साहिबान ने कही थीं लेकिन टाइम इतना कम है कि मैं शायद कम बातों का जिक्र कर सकूंगा।

सरदार गुरमीत सिंह ने कुछ जरूरी और मुनासिब बातें कहीं हैं और हाऊस का ध्यान दिलाया है कि डेयरी, पिगरी और पौलटरी और दूध के लिए लिब्रेली रुपया देना चाहिए। फिर इन्होंने पावर टिलर्ज़ का भी जिक्र किया, बैकवर्ड एरियाज और फलडज़ का भी जिक्र किया। इन सब बातों की तरफ सरकार पहले ही अपने रिसोर्सिज़ के मुताबिक ध्यान दे रही है। बजट स्पीच में इन बातों का हवाला दिया हुआ है।

और भी बहुत सी बातें हैं जिनका एक आध मिन्ट में जवाब देना मुश्किल है। एक आध बात का ही और जिक्र कर सकूंगा।

प्राईवेट स्कूलों को ग्रांट देने के बारे में कहा गया है यह ठीक है कि इन स्कूलों ने तालीम देने में सेवा की है और गवर्नमेंट ने भी आंकड़े रखे थे कि कितनी ग्रांट दी गई है। हम जो ग्रांट देते हैं वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा रही है। मैं इसका ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। संस्थाओं का मसला होता है जिस के मुताल्लिक सरकार को सोचना पड़ता है।

अब गिलोटीन का टाइम हो चुका है इस से ज्यादा वक्त लेने का हक मेरा नहीं है, इस लिए मैं आशा करूंगा कि दोनों तरफ के मैम्बर साहिबान आपोज़ीशन से भी और गवर्नमेंट बैन्चो से भी प्रार्थना करूंगा कि आज हम बहुत बड़ी रकम पंजाब की भलाई के लिए पास करने जा रहे हैं। इस लिए हमारा कर्तव्य है कि यह देखें कि इस रकम का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो और लोगों की भलाई में किसी किस्म को देरी न हो जैसा कि श्री रण सिंह ने कहा था कि हरिजनो की ग्रांट लैप्स हो गई है ऐसी बात न हो इस की तरफ हम सब को ध्यान देना चाहिए। और हम सब देखें कि जो जो स्कीमें जिस जिस इलाका और जिस जिस कांस्टीच्यूएंसी के लिए मन्जूर हुई हैं वह वक्त पर लागू हो सकें और लोगों की भलाई हो। जो इस डिबेट के दौरान गर्मी आ गई थी उसे भूल कर आपोज़ीशन और गवर्नमेंट बैन्चिज़ पर बैठे मैम्बर साहिबान की तरफ से इस बिल को मुतफिका तौर पर पास करना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the consideration of the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 2) Bill be passed

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9:00 a.m. tomorrow.

(*The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Thursday the 26th March, 1964.*)

453P.V.S.—386—26-10-64—C.P.&.S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX

To

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I—NO. 24, DATED THE 25TH MARCH, 1964.

Procedure to verify the representative character of a Union

1524. Comrade Babu Singh Master : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the details of the procedure being followed by the Labour Department to verify the representative character of a Union in an industrial dispute or demand notice;

(b) whether the said procedure is being followed in all the cases; if not, the nature of cases in which it is separate from and the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) Whenever a management challenges the representative character of a Union and the Conciliation Officer or any other Officer of the Department dealing with the cases is of the view that *prima facie* the contention of the management appears genuine, he makes a test check by enquiry from some workers on random-sampling basis. In cases, however, as a result of this enquiry or otherwise it is felt that a full enquiry is necessary to establish the representative character, that all the workers are interviewed by the Conciliation Officer separately to know their view point.

(b) Above mentioned procedure is followed in all cases.

Loans sanctioned for construction of Houses at Chandigarh.

1529. Sardar Pritam Singh Sahoke : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state—

(a) the number of applications received by Government Capital Project Administration, Chandigarh, for the grant of house building loans to construct houses in Chandigarh under the Middle Income-Group Housing Scheme during the period from 1st January, 1963 to 15th March, 1964 together with the names of the applicants and the amount of loan applied for and sanctioned in each case with criteria kept in view for giving such loans;

(b) whether any intimation was sent to those applicants who were not sanctioned any loan stating the reasons for the same ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) (i) 154. A list is laid on the Table.

(ii) The criteria for granting loan is first come first served. However, preference has been given in the following type of cases:—

(1) Army Personnel and their relatives.
(2) Houses to be completed by 31st March, 1964.
(3) Houses incomplete for want of funds.

(b) No.

Serial No.	Name of the loanee	Date of application	Amount of Loan applied for	Loan sanctioned	Criteria kept for giving loan
			Rs	Rs	
1	Shri Tara Chand ..	1st January, 1963	16,000	..	..
2	Shri A.P. Bedi ..	1st January, 1963	16,000	6,000	The house was incomplete for want of funds
3	Shri Kishori Lal ..	1st January, 1963	20,000	..	..
4	Shri Dharam Singh ..	8th January, 1963	20,000	..	..
5	Capt. S.M. Verma ..	18th January, 1963	20,000	..	..
6	Shri Ram Chand ..	18th January, 1963	16,000	..	The applicant was ineligible under this scheme. He had also applied for loan under L.I.G.H. Scheme and was granted loan of Rs. 8,000 in turn.
7	Major Piara Singh ..	21st January, 1963	20,000	..	..
8	Shri Banwari Lal Sharma ..	28th January, 1963	20,000	..	..
9	Shri Amrit Lal ..	29th January, 1963	20,000	..	..
10	Shri Jatinder Nath ..	30th January, 1963	20,000	..	..
11	Shri Harcharan Singh ..	31st January, 1963	20,000	..	..
12	Shri Gulzari Lal ..	13th February, 1963	20,000	..	..
13	Shri Baldev Raj Marwaha ..	6th March, 1963	20,000	..	..
14	Shri Gurdial Singh ..	6th March, 1963	16,000	12,000	Loan granted out of turn because house was incomplete for want of funds and was to be completed before 31st March, 1964
15	Shri Amrit Lal ..	6th March, 1963	20,000	..	

16	Shri Tirlok Singh	...	6th March, 1963	20,000	...	..
17	Shrimati Harbans Kaur	..	6th March, 1963	25,000	...	..
18	Shrimati Rajinder Kaur	..	6th March, 1963	20,000	...	..
19	Shri Ram Kishan Chaudhry	..	6th March, 1963	20,000	..	..
20	Shri Prem Chand Jain	..	7th March, 1963	20,000	12,000	Loan was granted out of turn as house was to be completed before 31st March, 1964
21	Shri Udey Singh	..	7th March, 1963	16,000	12,000	Loan was granted out of turn as the house was incomplete
22	Shri J.N. Bhatnagar	..	12th March, 1963	20,000	..	...
23	Lt. Col. J.S. Khurana	...	21st March, 1963	20,000	..	Loan of Rs 12,000 was granted under H.B.L. Scheme, the applicant being a Military Personnel
24	Shri Raghbir Singh Bali	..	22nd March, 1963	12,000	...	...
25	Shri Shanti Sarup Abbee	..	25th March, 1963	20.000	..	..
26	Shri Surjit Singh	...	25th March, 1963	30,000	..	...
27	Shri Babu Singh Gandhi	...	26th March, 1963	16,000	12,000	Loan was granted out of turn as the house was incomplete for want of funds
28	Shri Gurdial Singh	..	4th April, 1963	30,000	..	..
29	Shri Ajit Singh	...	4th April, 1963	20,000	...	...
30	Shri Gurdit Singh	..	8th April, 1963	20,000	..	...
31	Shri Mohinder Paul Mitra	..	8th April, 1963	20,000	..	..
32	Shri Bal Krishan Rawal	..	10th April, 1963	20,000	..	..
33	Shri Harkishan Lal Bakhsi	...	11th April, 1963	30,000	...	..
34	Shri Ran Singh	...	11th March, 1963	20,000	...	...

Serial No.	Name of the loanee	Date of application	Amount of loan applied for	Loan sanctioned	Criteria kept for giving loans
			Rs	Rs	
35	Prof. Krishan Chandra Sachdev	16th April, 1963	20,000	..	...
36	Shri Gurcharan Singh Pal ...	17th April, 1963	26,630	...	...
37	Shri Shyamji Shinghal ...	17th April, 1963	20,000	...	..
38	Shri Satish Chander Sibal ..	23rd April, 1963	10,000	10,000	Loan granted out of turn because the house was incomplete and was to be completed before 31st March, 1964
39	Dr. B.D. Narang ..	23rd April, 1963	16,000	..	...
40	Shri Nand Lal ...	23rd April, 1963	20,000	..	...
41	Major Ranjit Singh ...	23rd April, 1963	20,000	12,000	The applicant is a member of the Armed Forces
42	Shri Inderjit Sharma ...	9th May, 1963	16,000	...	...
43	Shri Ranjit Singh Virk ..	10th May, 1963	20,000	..	...
44	Major Gurcharan Singh ..	10th May, 1963	20,000	...	...
45	Shri K.C. Chib ..	17th May, 1963	20,000	..	..
46	Shri Chanan Singh ..	22nd May, 1963	20,000	..	..
47	Shri Gurbax Singh ...	27th May, 1963	20,000	..	..
48	Shrimati Harinder Kaur ..	30th May, 1963	12,000	..	..
49	Dr. Parkash Kaur ...	1st June, 1963	..	..	...
50	Shri Ram Nath ..	4th June, 1963	25,515	..	..
51	Shri Mohinder Singh ...	12th June, 1963	30,000	...	...

50	Shri Ram Nath	.. [illegible]	30,000	--	
51	Shri Mohinder Singh	.. 12th June, 1963			
52	Shri Ram Lal Anand	.. 14th June, 1963	14,000	..	..
53	Shri Des Raj	.. 17th June, 1963	42,000	..	..
54	Shri T.N. Kaul	.. 25th June, 1963	25,000	..	..
55	Shri Ram Dayal	.. 26th June, 1963	..	..	..
56	Shri B.R. Bhawara	.. 28th June. 1963	40,083	..	..
57	Shri Prem Singh	.. 1st July, 1963	27,000	..	..
58	Shri Chaman Lal Bhasin	.. 20th July, 1963	32,000	..	..
59	Shri Jagjit Singh Chadha	.. 26th July, 1963	15,000	..	..
60	Shri Mathura Dass	.. 30th July, 1963	10,000	..	The applicant was ineligible under M.I.G.H. Scheme. He had also applied under L.I.G.H. Scheme. He was, therefore, granted loan of Rs 8,000 under the said scheme in turn
61	Shri Partap Singh	.. 2nd August, 1963	30,000	..	..
62	Shri Sat Parkash	. 3rd August, 1963	..	..	..
63	Shri Tara Singh	.. 16th August, 1963	20,000	..	..
64	Shri Deva Singh	.. 17th August, 1963	20,000	1,60,000	Loan was granted out of turn as the time limit for the construction of house was about to expire and construction had started
65	Shri Avtar Singh	.. 21st August, 1963	20,000	..	..
66	Shri Harmel Singh	.. 22nd August, 1963	20,000	12,000	Loan was granted out of turn as the house was incomplete for want of funds
67	Shri Gurdit Singh	.. 27th August, 1963	25,000	..	..
68	Shri Kartar Singh	.. 27th August, 1963	20,000	..	..
69	Shri Som Nath	.. 27th August, 1963	16,000	..	..

Serial No.	Name of the loanee	Date of application	Amount of loan applied for	Loan sanctioned	Criteria kept for giving loans
			Rs	Rs	
70	Major Kishore Chand Kapoor	28th August, 1963	20,000	..	..
71	Shri Ganesh Dass ..	28th August, 1963	20,000	..	..
72	Shri Ram Lal Parbhakar ..	29th August, 1963	20,000	..	..
73	Shri Amar Nath Mela Ram ..	29th August, 1963	20,000	..	..
74	Shrimati Harbans Kaur ..	30th August, 1963	12,000	..	..
75	Shrimati Gurbinder Kaur ..	30th August, 1963	20,000	12,000	Loan was granted as the applicant was the sister of a member of Armed Forces
76	Shrimati Hari Rattan Kaur ..	2nd September, 1963	12,000	12,000	Loan was granted out of turn as son and other relatives are members of Armed Forces
77	Shri Ajit Singh ..	2nd September, 1963	23,000	..	..
78	Shri Gopal Dass Sardana ..	7th September, 1963	20,000	..	..
79	Shri Milkhi Ram ..	7th September, 1963	16,000	..	..
80	Shri Raghbir Singh ..	8th September, 1963	20,000	..	..
81	Shri Kirpal Singh ..	10th September, 1963	20,000	..	..
82	Shri Narinder Singh ..	16th September, 1963	20,000	..	..
83	Shrimati Harjeet Gill ..	17th September, 1962	20,000	12,000	Loan was granted out of turn being wife of Military Officer
84	Shri Mohan Singh Lali ..	18th September, 1963	12,000	..	..

85	Shri Nand Lal	.. 18th September, 1963	17,000	12,000	The applicant had also applied for loan under H.B.L. Scheme. He was granted loan under M.I.G.H. Scheme on the basis of his turn under H.B.L. Scheme
86	Mrs. Rita Handal	18th September, 1963	20,000	12,000	Loan was granted out of turn being wife of Military Officer
87	Shri Rajinder Singh	.. 21st September, 1963	20,000	..	..
88	Shri Budh Singh	.. 21st September, 1963	16,000	12,000	Loan was granted out of turn as the house was to be completed upto 31st March, 1964
89	Shri Ram Kishan	.. 25th September, 1963	16,000	12 ,000	Loan was granted out of turn as the house was lying incomplete for want of fund.
90	Shri Sunder Lal	.. 25th September, 1963	16,000	..	..
91	Shri G.C. Trehan	.. 30th September, 1963	15,000	..	..
92	Shri Bhagat Ram	.. 30th September, 1963	22,000	..	..
93	Shri Balbir Singh	.. 1st June, 1963	15,000	..	..
94	Shri Nirmal Singh	.. 5th October, 1963	16,000	..	..
95	Shri Hans Raj Chaudhry	.. 5th October, 1963	20,000		..
96	Shri Sohan Singh	.. 5th October, 1963	16,000		..
97	Shrimati Gurcharan Kaur	.. 9th October, 1963	12,000	..	..
98	Shri Des Raj Jain	.. 10th October, 1963	16,000	..	..
99	Shrimati Jatinder Kaur	.. 15th October, 1963	20,000	..	..
100	Shrimati Shakuntla Bansal	.. 18th October, 1963	20,000	12,000	Loan was sanctioned out of turn as house was to be completed before 31st March, 1964
101	Shri Harbans Lal	.. 22nd October, 1963	20,000	..	..

Serial No.	Name of the loanee	Date of application	Amount of loan applied for	Loan sanctioned	Criteria kept for giving loans
			Rs	Rs	
102	Shri Kartar Singh Chadha ..	30th October, 1963	20,000	..	..
103	Lt.-Genl. Gurdial Singh ..	30th October, 1963	25,000	..	..
104	Shri Bakhshi Singh Dhillon ..	4th November, 1963	15,000	..	..
105	Shrimati Dewan Kaur ..	6th November, 1963	12,000	..	..
106	Shri Bharat Lal ..	11th November, 1963	12,000	12,000	Loan was granted to applicant who is mmeber of Defence Services
107	Mrs. Krishna Bhagat ..	19th November, 1963	20,000	..	..
108	Shri Satish Chander ..	20th November, 1963	12,000	..	..
109	Shri Ganga Singh ..	23rd November, 1963	20,000	..	..
110	Shri S.R.K. Chopra ..	28th November, 1963	20,000	..	..
111	Shri Nand Lal Sharma ..	28th November, 1963	20,000	..	..
112	Shri Ram Lal ..	28th November, 1963	11,000	..	..
113	Shri Mohinder Singh (Major)	30th November, 1963	20,000	..	..
114	Major C.D. Dass ..	5th December, 1963	20,000	..	..
115	Shrimati Harbans Kaur ..	7th December, 1963	20,000	20,000	Loan was granted out of turn being the wife of a Military Officer
116	Shri Gopal Singh ..	11th December, 1963	12,000	..	..
117	Shrimati Harbans Kaur ..	13th December, 1963	20,000	..	..

118	Shri Tarlok Nath	..	21st December, 1963	20,000	..	—
119	Shri Anand Parkash	..	20th December. 1963	1,20,000	..	...
120	Shrimati Harwant Kaur	..	28th December, 1963	16,000	12,000	Loan was granted out of turn, the applicant being the mother of a Military Officer
121	Shrimati Harbhajan Kaur	..	30th December, 1963	20,000	..	..
122	Shri Gurcharan Singh	..	31st December, 1963	25,000	..	...
123	Mrs. Shakuntla Sharma	..	3rd January, 1964	16,000	...	...
124	Shri Ganesh Datt	..	6th January, 1964	16,000	...	...
125	Mrs. Niranjan Kaur	..	8th January, 1964	8,000	...	...
126	Shri Prithvi Chand	..	8th January, 1964	12,000	12,000	Loan was granted out of turn as house was to be completed before 31st March, 1964
127	Shri Parkash Nath Puri	..	13th January, 1964	18,000	..	...
128	Dr. Shakuntla Kapila	..	13th January, 1964	18,000	...	...
129	Shri Joginder Singh Sidhu	..	20th January, 1964	12,000	...	...
130	Shri Jaswant Singh	..	22nd January, 1964	20,000	..	...
131	Shrimati Gurdip Kaur	..	22nd January, 1964	20,000	...	...
132	Shrimati Manjit Kaur	..	22nd January, 1964	20,000	...	...
133	Shrimati Vimla Devi	...	23rd January, 1964	20,000	...	...
134	Shri Siri Krishan Sharma	..	31st January, 1964	15000	...	...
135	Capt. Amarjit Singh	..	3rd February, 1964	20,000	...	...
136	Shri Satinder Mohan Sapra	..	...	12,000	...	...
137	Shri Krishan Sharma	..	3rd February, 1964	20,000	...	...

Serial No.	Name of the loanee	Date of application	Amount of loan applied for	Loan sanctioned	Criteria kept for giving loans
			Rs	Rs.	
138	Shri Sewa Singh ..	4th February, 1964	..	..	...
139	Mrs. Satya Baldevi Anand ..	5th February, 1964	15,000	..	...
140	Shrimati Chander Rani Bedi ..	7th February, 1964	15,000	—	—
141	Shri Gurpartap Singh Brar ..	8th February, 1964	15,000	...	..
142	Dr. K.S. Thind ..	10th February, 1964	30,000	—	—
143	Shri Man Mohan Singh Gujral	17th February, 1964	15,000	..	...
144	Shri Devinder Singh Sidhu ..	25th February, 1964	20,000	...	—
145	Mrs. Indra Rani Dhingra ..	26th February, 1964	16,000	—	—
146	Shri Som Parkash Ishar ..	29th February, 1964	20,000	—	—
147	Shri Inder Singh ..	6th March, 1964	16,000	...	—
148	Shri Mehl Singh ..	9th March, 1964	12,000	...	—
149	Shri Som Parkash Issar	..	20,000	..	..
150	Shri Gian Chand ..	14th March, 1964	12,000	..	...
151	Shrimati Phollan ..	17th March, 1964	20,000	..	...
152	Mrs. Sarswati Dhind ..	18th March, 1964	16,000	..	...
153	Shri Radha Sharma ..	18th March, 1964	25,000	..	...
154	Shri Kartar Singh ..	19th March, 1964	16,000	..	...

453—PVS—386—24-11-64,—C. P. & S., Pb. Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

26th March, 1964
(Morning Sitting)

Vol. I—No. 25

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 26th March, 1964

Punjab Vidhan Sabha, Secretariat, Chandigarh

Price : Rs. 6.15 P.

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I—No. 25, dated the 26th March, 1964.

(Morning Sitting)

Read	*For*	*Page*	*Line*
Degree	Deree	(25)5	8
pleased	leased	(25)7	15
Government	Goernment	(25)7	15
ਸੈਂਕਸ਼ਨ	ਸੈਂਗਸ਼ਨ	(25)7	2 from below
श्री फतेह चन्द विज	श्री फतेह चन्द जित	(25)11	15
CASES	CLASES	(25)11	18
ਸੀ ਸਪੀਕਰ	ਸ੍ਰੀ ਸਮੀਕਰ	(25)18	4
Shri Amar Nath Sharma	Shri mar Nath Sharma	(25)24	4 from below
planning	pla	(25)24	4 from below
ਫਰਮਾਇਆ	ਫ਼ਰਮਾਗਿਆ	(25)30	4
श्री अध्यक्ष	श्री अध्वक्ष	(25)31	4
elicit	elicet	(25)31	9
Privilege	Privilage	(25)40	14 from below
Bentham	Bengham	(25)62	7
Starve must	Starv emust	(25)62	17
मैं	में	(25)71	16
कामरेड	क्रामरेड	(25)72	1
थे	थ	(25)73	6 from below
औरत	और	(25)73	Last
से	स	(25)75	11 from below
और	ओर	(25)76	7
प्राइवेट	प्राइवट	(25)76	14 from below
ਤੁਹਾਡੇ	ਤੁਹਾਡ	(25)80	10
holding	hold ng	(25)84	8 from below
धनपुर	घनपुर	(25)85	16, 17
PUNJAB	PUMJAB	(25)88	Heading
ASSETS	ASSESTS	(25)89	7 from below
दृष्टि	टष्टी	(14)90	3 from below
बढ़े	बढ़	(25)91	8 from below
जानती	जाननी	(25)92	14 from below
Sabha	Shaba	(25)93	Last

———

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 26th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 9-00 a. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONSTRUCTION OF HOUSES FOR TEACHRESSES IN RURAL AREAS.

***4278. Comrade Ram Chandra :** Will the Home Minister be pleased to state —

(a) whether Government have formulated any scheme to build houses for teachresses in the Rural Areas of the State; if so the details of the said scheme;

(b) the details of the amount, if any, allotted to each district under the said Scheme ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The construction of houses for lady teachers formed part of the following two schemes in the 2nd Five-Year Plan :—

(i) Expansion of Girls Education.

(ii) To relieve educated unemployment.

In the 3rd Five-Year Plan also, there is a scheme for the construction of quarters for lady teachers.

(b) A statement showing the details of amount allotted, district-wise, is placed on the Table of the House.

[Home Minister]

STATEMENT SHOWING THE ALLOCATION OF FUNDS FOR CONSTRUCTION OF LADY TEACHER QUARTERS

Name of the District		1958-61		1961-62
		Scheme regarding expansion of Girls Education	To relieve educated un-employ-ment	Construction of residential quarters for Women teachers
		Rs	Rs	Rs
Amritsar	..	50,625	25,000	5,000
Jullundur	..	50,625	30,000	2,500
Hoshiarpur	..	45,000	32,500	5,000
Ferozepur	..	50,625	35,000	2,500
Ludhiana	..	46,875	25,000	2,500
Gurdaspur	..	45,000	37,500	2,500
Kangra	..	78,750	37,500	10,000
Ambala	..	46,875	37,500	7,500
Gurgaon	..	65,625	40,000	10,000
Rohtak	..	54,375	25,000	7,500
Karnal	..	50,625	27,500	2,500
Hissar	..	61,875	42,500	7,500
Patiala	..	43,125	25,000	2,500
Bhatinda	..	52,500	25,000	5,000
Sangrur	..	55,375	25,000	7,500
Kapurthala	..	28,125	25,000	5,000
Mohindergarh	..	75,000	45,000	10,000
Simla	..	—	—	5,000
Total	..	9,00,000	5,40,000	1,00,000

Comrade Ram Chandra : Mr. Speaker, I have not received the copy of the statement that has been laid on the Table of the House. In the absence thereof, I am not in a position to put supplementaries and, therefore, suggest that these be postponed till I get a copy of the statement.

Minister : I think the hon. Member must have been supplied a copy of the statement by the Vidhan Sabha Secretariat.

Mr. Speaker : We have your signatures to the effect that you have received the statement.

BOOKS PURCHASED FOR SCHOOL LIBRARIES IN GURDASPUR DISTRICT

***4431. Sardar Kulbir Singh** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that certain officials of the Education Department, asked the Headmasters of Government Middle Schools to purchase from a certain publisher the maximum number of copies of a particular book out of the School Library Funds for the School Libraries in District Gurdaspur ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the number of Headmasters who purchased copies of the said book together with the total amount of price therefor paid by them;

(c) whether Government have received any representations for holding an enquiry into the said matter, if so, the details thereof, and the result of the enquiry, if any ?

Shri Mohan Lal : (a) and (b) The matter is being inquired into.

(c) Yes, but it will not be in the public interest to give details of the representations at this stage. The representations are yet being inquired into.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੰਤਰੀ : ਪ੍ਰਿਲੀਮੀਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

———

OFFICIALS SUSPECTED OF MAKING ANNONYMOUS AND PSEUDONYMOUS COMPLAINTS

***4595. Comrade Bhan Singh Bhaura** (Put by Comrade Gurbax Singh Dhaliwal) : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Director of Public Instruction issued a circular, dated 2nd September, 1963 to all District Education Officers asking them to make a secret list of the officials of the Department suspected of making annonymous and pseudonymous complaints and to transfer such officials to far-off places in next April;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the number of officials who have been included in the said secret list ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, a circular was issued on 9th September, 1963. It did not, however, authorise the District Education Officers to transfer persons suspected of sending annonymous complaints.

(b) No such list has so far been prepared.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੀ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟਸ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਪੜਤਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਐਨੋਨੀਮਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨੋਨੀਮਸ, ਸੈਡੋਨੀਮਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

Comrade Shamsher Singh Josh : In this circular it has also been stated that lists of those who are not teachers, but are in the habit of writing anony mous letters should also be prepared. I want to know wheth er it is a fact or not ?

ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਐਨੋਨੀਮਸ ਜਾਂ ਸਡੋਨੀਮਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : पहले जो एनानीमस कम्पलेण्ट एंटरटेन न करने का तरीका था वह क्या अब नहीं रहा ?

मन्त्री : आम तौर पर तो पालिसी वही है लेकिन कई प्राइमाफेसाई केस ऐसे होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है।

———

LAND ACQUIRED FOR DEGREE COLLEGE AT HANSI, DISTRICT HISSAR

***4827. Shri Amar Singh** : Will the Home Minister with reference to the reply to starred question No. 3827 incld ed in the list of questions for 10th September, 1963 be pleased to state—

(a) whether compensation for the land acquired by Government for the Degree College at Hansi has since been paid to the landowners concerned; if so, when;f not, the reasons therefor ;

(b) whether Government propose to start a De ree College at Hansi this year (1964); if not, the time by which it is likely to be opened ?

Shri Mohan Lal : (a) No., because the award has not yet been announced by the Collector.

(b) No. The question of fixing any time-limit could not, therefore, arise in the existing circumstances.

चौधरी अमर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि अवार्ड बिल्कुल तैयार रखा हुआ है और एक लाख सैंतालीस हज़ार रुपये देने का फैसला किया गया है । लेकिन जिस पार्टी ने पैसे देने का फैसला किया था, अब वह इन्कार कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वह पार्टी पैसे नहीं दे सकती तो क्या किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता ?

मन्त्री : उस पार्टी को फिर कहा गया है कि अगर वह पैसे डिपोज़िट करना चाहे तो करे। उसकी लास्ट डेट 26 तारीख थी । तो अब क्या किया जाएगा यह तो आज के बाद ही पता चलेगा ।

LAND ACQUIRED FOR PUNJABI UNIVERSITY AT PATIALA

***4608. Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total area of land acquired by Government for the Punjabi University at Patiala;

(b) the total amount of compensation paid on account of the said land ;

(c) whether the land owners concerned have been paid compensation in cash or have been allotted lands elsewhere, if latter, the place where lands have been allotted;

(d) whether compensation has been paid in toto, if not, the reasons therefor and the time by which it is expected to be paid off ?

Shri Mohan Lal : (a) 309 Acres 3 Kanals and 7 Marlas.

(b) Against the total assessed compensation amounting to Rs 5,04,574.67 nP., the sum of Rs 3,06,400.92 nP. has since been paid to the landowners.

[Home Minister]

(c) The landowners concerned have been paid compensation in cash.

(d) No. A sum of Rs 86,749.25 nP. payable in respect of Dera Phalauli and Shivala situated in village Karheri has been deposited in the Court of District Judge concerned in accordance with the provisions of section 31 of the Land Acquisition Act in view of the incompetence of the Managers thereof to alienate the land. A notice was issued to the landowners to obtain payment of their compensation by the 31st January, 1964, and as such the balance of compensation will be paid to the landowners concerned as and when they turn up.

UPGRADING CERTAIN SCHOOLS IN TEHSIL NUH, DISTRICT GURGAON

*5052. **Shri Rup Lal Mehta** : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether Government have recently received any representation for upgrading the Middle School, Dhatir, tehsil Palwal, district Gurgaon; if so, the action, if any, taken thereon ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to upgrade Middle School, Mandkola and Primary School, Gharrot in tehsil Nuh, district Gurgaon; if so, the time by which these are likely to be upgraded ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes. The school will be considered for upgrading on merits when funds are available.

(b) These Schools will be considered for upgrading on merits when funds are available and if they fulfil the conditions laid down for upgrading.

श्री रूपलाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय, बताएंगे कि जब हाजीपुर गांव में लोगों ने मिडल स्कूल के लिए बिल्डिंग बना दी है तो फिर उसे अपग्रेड करने में क्या मुश्किल है ?

मन्त्री : दरअसल अपग्रेड करने के लिए फंडज़ का सवाल पैदा होता है । जितने भी ऐसे स्कूल हैं उन सब को कंसिडर करके तजवीज़ करना पड़ता है । बिल्डिंग बनाने के इलावा कुछ और भी शरायत होती हैं जिनको देखना पड़ता है।

श्री रूपलाल मेहता : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि मिडल स्कूल मिटगोला जिसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर साहिब ने किया था उसे अपग्रेड करने में क्या मुश्किल पड़ रही है ?

मन्त्री : मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसमें फंडज़ का सवाल होता है। जिस वक्त अपग्रेडिंग के लिए दूसरे स्कूलों को हम कंसिडर करेंगे उस वक्त इसको भी मैरिटस पर कंसिडर किया जाएगा ।

श्री जगन्नाथ : क्या शिक्षा मन्त्री साहिब बताएंगे कि जब आप मिडल स्कूल को अपग्रेड करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है ?

मन्त्री : बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है । यह भी देखना पड़ता है कि वहां नजदीक कोई और स्कूल है कि नहीं, फिर बच्चों की कितनी तादाद है, बिल्डिंग कैसी है और कुछ और भी बातें हैं जिन को ध्यान में रखना पड़ता है ।

श्री रूपलाल मेहता : गरोड स्कूल के लिए डिस्ट्रिक्ट ऐजुकेशन अफसर ने रिपोर्ट भेजी है कि उसको अपग्रेड किया जाए । उसके बारे में आपने क्या आर्डर पास किया है ?

मन्त्री : सब रिपोर्टें इसी किस्म की हैं और अपग्रेडिंग की डीमांड बहुत ज्यादा है । लेकिन हमने सब को मैरिट्स पर देखना है । जिस वक्त सीलेक्शन की जाएगी उस वक्त जिन स्कूलों का आपने ज़िक्र किया है उनको भी अपग्रेडिंग के लिए मैरिट्स पर कांसिडर किया जाएगा ।

PURCHASE OF BLACK-BOARDS, MATS, ETC.. FOR SCHOOLS FROM THE RED CROSS FUND

***5068. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will theH ome Minister be leased to s tate whether it is a fact that recently Go ernment have sanctioned expenditure from the Red Cross Funds for the purchase of Black Boards, Mats, etc., for the Government Schools in the State; if so, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : No.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਪੜ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ :

„Will the Home Minister be pleased to state whether it is a fact that recently Government have sanctioned expenditure from the Red Cross Funds for the purchase of Black boards, Mats etc.................. "

ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰ ਲਉ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫੰਡਜ਼ ਸੈਂਗਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ । ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ— ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਗਸ਼ਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

PURCHASE OF ARTICLES BY BLOCK EDUCATION OFFICERS OF BATALA (PROPER) AND DISTRICT AMBALA OUT OF RED CROSS FUND

*5069. **Comrade Gurbakhsh Singh** : Will the Home Minister be pleased to state whether any amount out of the Red Cross Fund was spent by the Block Education Officers, Batala (Proper) and the Block Education Officers in Ambala District for the purchase of certain articles for the schools during the year 1963; if so, the details of the articles purchased by them ?

Shri Mohan Lal : Yes, for the purchase of Tats and Patras.

A statement showing the details of the articles so purchased is laid on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF ARTICLES PURCHASED OUT OF RED CROSS FUND BY THE BLOCK EDUCATION OFFICERS IN AMBALA DISTRICT AND BATALA (PROPER)

Serial No.	Name of the Block	Name of the school	Name of articles purchased during 1963	Price	Source of purchase
1	2	3	4	5	6
			Tats Yards	Rs nP.	
1.	B.E.O. Naraingarh II	Government Primary School, Boddi	35	59.50	Ashoka Co-operative Industrical Society, Ambala
2.	B. E. O. Chamkaur Sahib	Government Primary School, Bazidpur	43	60.80	Government Cottage Industries Emporium Chandigarh
3.	Ditto	Rafizabad	50	70.70	Ditto
4.	Ditto	Mehlot ..	43	60.80	Ditto
5.	Ditto	Behrampur ..	106	149.99	Ditto
6.	Ditto	Morinda ..	353	499.15	Ditto
7.	Ditto	Tajpura ..	28	39.60	Ditto
8.	Ditto	Chalaki ..	36	50.91	Ditto
9.	Ditto	Dattar Pur ..	43	60.80	Ditto
10.	Ditto	Sarhana ..	43	60.80	Ditto
11.	Ditto	Sidhupur Kala ..	43	60.80	Ditto
12.	Ditto	Khant ..	71	100.41	Ditto
13.	Ditto	Panjksho ..	36	50.90	Ditto
14.	Ditto	Doomehlin	49	100.00	Ditto
15.	Ditto	Manela ..	100	141.40	Ditto
16.	Ditto	Hardara Kalan ..	71	100.40	Ditto
17.	Ditto	Beli Boolash ..	43	60.80	Ditto
18.	Ditto	Amral ..	50	70.70	Ditto
19.	Ditto	Gaggarul ..	57	80.60	Ditto
20.	Ditto	Katlana ..	43	60.80	Ditto
21.	Ditto	Bhunee ..	53	74.95	Ditto
22.	Ditto	Sindhdar ..	53	74.95	Ditto
23.	Ditto	Ratton ..	71	100.40	Ditto
24.	Ditto	Chamkaur Sahib ..	106	149.89	Ditto
25.	B.E.O. Barara I	Adhoya ..	75	113.63	Ashoka Furniture Co-operative Society, Ambala Cantt.
26.	Ditto	Alipur ..	75	113.63	Ditto
27.	Ditto	Khanahmedpur ..	50	75.75	Ditto
28.	Ditto	Haldri ..	75	113.63	Ditto

1	2	3	4	5	6
	B. E. O Barara I		Yards	Rs.	
29.	Ditto	Satya ..	75	113.63	Ahoka Furniture Co-operative Society Ambala Cantt.
30.	Ditto	Nayla ..	50	75.75	Ditto
31.	Ditto	Chudiala ..	50	75.75	Ditto
32.	Ditto	Galad ..	75	113.63	Ditto
33.	Ditto	Adhoyee ..	50	75.75	Ditto
34.	Ditto	Barara Station ..	75	113.63	Ditto
35.	Ditto	Thumber ..	50	75.75	Ditto
36.	Ditto	Sewan Mazra ..	50	75.75	Ditto
37.	Ditto	Mann Mazra ..	50	75.75	Ditto
38.	Ditto	Decrasteempur ..	75	113.63	Ditto
39.	Ditto	Barara village ..	125	189.38	Ditto
40.	B.E.O. Barara II	Bihita ..	125	189.38	Ditto
41.	Ditto	Sohana ..	75	113.63	Ditto
42.	Ditto	Rajouli ..	125	189.38	Ditto
43.	Ditto	Rampur Chhapra ..	75	113.63	Ditto
44.	Ditto	Binjal Pur ..	60	90.90	Ditto
45.	Ditto	Dhurala ..	50	75.75	Ditto
46.	Ditto	Mahmoodpur ..	60	90.90	Ditto
47.	Ditto	Samal Hari ...	110	166.65	Ditto
48.	Ditto	Sambalkha ..	75	113.63	Ditto
49.	Ditto	Tepla ..	75	113.63	Ditto
50.	Ditto	Pilekhni ..	75	113.63	Ditto
51.	B.E.O. Kharar I	Gige Majra ..	60	96.96	Chandigarh supply and Marketing Co-operative Industrial Society Ltd., Sector 22/C Chandigarh.
52.	Ditto	Baqur Pur ..	63	101.80	Ditto
53.	Ditto	Barri ..	31	50.09	Ditto
54.	Ditto	Todar Majra ..	55	88.88	Ditto
55.	Ditto	Mataur ..	63	101.80	Ditto
56.	Ditto	Mauli Baidwan ..	16	25.85	Ditto
57.	Ditto	Moli Majra ..	50	80.80	Ditto
58.	Ditto	Bathlana ..	22	35.55	Ditto
59.	Ditto	Gurana ..	9	14.54	Ditto
60.	Ditto	Balomajra ..	93	150.28	Ditto
61.	Ditio	Lakhnawr ..	16	25.25	Ditto
62.	Ditto	Chodiala ..	16	25.25	Ditto
63.	Ditto	Kejheri ..	40	64.64	Ditto
64.	Ditto	Bhagi Majra ..	90	145.44	Ditto
65.	Ditto	Raipur Kalan ..	81	130.90	Ditto
66.	Ditto	Gobind garh ..	18	29.08	Ditto
67.	Ditto	Rai pur Khurd ..	12	19.39	Ditto
68.	Ditto	Sambhanlki ..	31	50.09	Ditto
69.	Ditto	Choo Majra ..	92	148.66	Ditto
70.	Ditto	Kurri	70	113.12	Ditto
71.	Ditto	Landran ..	156	252.09	Ditto
72.	Ditto	Dhurali ..	80	129.28	Ditto
73.	Ditto	Mubali ..	50	80.80	Ditto
74.	Ditto	Bodheri ..	150	242.40	Ditto
75.	Ditto	Kambala ..	20	32.32	Ditto
76.	Ditto	Kandala ..	60	96.96	Ditto
77.	Ditto	Tongari ..	25	45.24	Ditto
78.	Ditto	Kumbra ..	156	252.08	Ditto
79.	Ditto	Karsan ..	12	19.39	Ditto
80.	B.E.O. Batala I	Batala I ..	Wooden Pattras	397.80	Batala Co-operative Society, Batala
81.	Ditto	Batala II ..	Ditto	497.25	Ditto

[Home Minister]

1	2	3	4	5	6
82.	B. E. O. Batala 1	Batala III ..	Wooden Pattras	351.90	Batala co-operative Society Batala
83.	Ditto	Batala IV ..	Ditto	252.45	Ditto
84.	Ditto	Batala V ..	Ditto	298.35	Ditto
85.	Ditto	Batala VI ..	Ditto	397.80	Ditto
86.	Ditto	Purian Kalan ..	Ditto	84.15	Ditto
87.	Ditto	Dadiala ..	Ditto	153.00	Ditto
88.	Ditto	Dayal Garh ..	Ditto	153.00	Ditto
89.	Ditto	Jaito Suraja ..	Ditto	99.45	Ditto
90.	Ditto	Chas Kalan ..	Ditto	145.35	Ditto
91.	Ditto	Seikhwan ..	Ditto	99.45	Ditto
92.	Ditto	Chaudhriwala ..	Ditto	97.50	Ditto
93.	Ditto	Hassanpura	Ditto	97.50	Ditto
94.	B.E.O., Batala II	G.G.P.S. Batala I ..	Ditto	497.25	Ditto
95.	Ditto	G.G.P.S. Batala III	Ditto	500.00	Ditto

POSTAL PAYMENT OF SALARIES TO TEACHERS

***5071. Comrade Gurbakhs Singh Dhaliwal :** Will the Home Minister be pleased to state —

(a) the names of the districts, if any, where the system of postal payment of salaries to teachers has been introduced.

(b) whether any alternative system for payment of salaries has been suggested to Government by the Teachers Union; if so, the main points thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) Ambala, Patiala and Ludhiana.

(b) No.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਹਾਲੇ ਟਰਾਇਲ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਤ ਦਿਨ ਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 7/8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : You can give a separate notice for this question.

मंत्री : इस के लिए सेपरेट नोटिस दिया जाए ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਵਕਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਉ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4, 5 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 1963 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਰਵਰੀ 1964 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ !

Mr. Speaker : Is it a point of Order or a Supplementary question ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

Mr. Speaker : It does not arise.

श्री फतेह चन्दजित : सरकार ने टीचरों को तनखाहें देने का जो सिस्टम चालू किया है क्या उससे सरकार सैटिस्फाइड है ?

NO REPLY

CLASES ENQUIRED INTO BY THE ANTI-CORRUPTION DEPARTMENT DURING, 1963

*4455. **Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases enquired into by the Vigilance Department against Government officers/officials during the year 1963;

(b) the total number of Gazetted officers and non-Gazetted Staff respectively, involved in the said cases, and the details of the action, if any, taken against each ?

Shri Mohan Lal : (a) 1,277.

(b) Gazetted Officers 485
Non-Gazetted Officers 945

In 116 cases regular departmental action was recommended and in 580 action other than departmental was recommended and 207 cases are pending investigation and the rest were filed as allegations remained unsubstantiated.

[Home Minister.]

The time and labour involved in collecting the information in regard to the details of the action taken against each officer/official will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 207 ਕੇਸਿਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਾਰਨ ਹਨ । ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਐਵੀਡੈਨਸ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੀ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ।

RICE MILLS AND OTHER SUCH PROCESSING UNITS

***4718. Comrade Ram Kishan** : Will the Home Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to take over the operation of the rice mills and other such processing units in the State; if so, the details thereof and the time by which it is likely to be implemented ?

Shri Mohan Lal : There is no such proposal under consideration of the State Government for the time being.

Comrade Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if the State Government has received any fresh instructions from the Government of India about the policy to be laid down on this point ?

Minister : I do not know what the hon. Member means by 'any fresh instructions'. But if he wants to know about any communication that has passed between the Government of India and the State Government, I would request him to give a separate notice.

Comrade Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if any directive was given in Bhubaneswar Congress Resolution ?

Mr. Speaker : This is beside the point.

Minister : The State Government is not concerned with any directive given by any political organization.

Comrade Ram Kishan : May I know from the hon. Home Minister the policy about the nationalisation of these rice mills and pro cessing units ?

Mr. Speaker : The reply has already been given by the hon. Home Minister.

Minister : I have already stated that we are not taking over these mills for the time being.

Comrade Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if the Government has considered this position; if so, what action is being taken thereon ?

Minister : No such proposal is under the consideration of the Government for the time being.

WARDERS AND HEAD WARDERS IN JAILS

***4430. Sardar Kulbir Singh :** Will the Home Minister be pleased to state—

(a) the total number of posts of Warders and Head Warders sanctioned by Government for Jails in the State and the number of persons actually working against such posts ;

(b) the present pay-scales of the posts mentioned in part (a) above;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to revise the pay-scales of the said posts ;

(d) the number of posts of officers at the headquarters of the Jails Department created since 15th August, 1947 together with scales of pay and allowances attached to such posts ;

(e) the present pay-scales and allowances of posts of officers of various categories at the headquarters of the Jails Department together with their pay-scales and allowances as on 15th August, 1947 ?

Shri Mohan Lal : (a) to (e) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT INDICATING THE INFORMATION REGARDING WARDERS AND HEAD WARDERS IN JAILS

(a) (i) 1,251
(ii) 1,213

	Post	*Pay Scale*
(b)	Ordinary Grade Warders	.. Rs 45—1—60
	Selection Grade Warders	.. Rs 50—1—60/2—80
	Head Warders, Grade II	.. Rs 60—3—90
	Head Warders, Grade I	.. Rs 100

(c) No.

(d) *Post*	*Scale of pay and allowances*	*Remarks*
(1) Inspector-General of Prisons	Senior scale of I. A. S. Rs 900—50—1,000—60—1600—50—1,800 *plus* special pay of Rs 100 per month and Dearness Allowance, if admissible	

[Home Minister]

Post	Scale of Pay and allowances	Remarks
(2) Deputy Inspector-General of Prisons	Rs 600—40—800/40—920/ 40—1,000/50—1,200 *plus* dearness allowance, if admissible	This post was created by abolishing the post of Personal Assistant to the Inspector-General of Prisons, Punjab
(3) Assistant Inspector-General (General) Prisons.	Rs 350—25—600/25—800 for direct recruits and Rs 500—25—600/25—800 for departmentally promoted personnel, with Rs 50 per month as special pay and dearness allowance	This post was created by downgrading the post of the Deputy Inspector General of Prisons
(4) Assistant Inspector General (Jail Industries) Prisons	Rs 500—25—600 / 40—800/50—1,000 *plus* dearness allowance	
(5) Officer-on-Special-Duty (Agriculture), Prisons	Rs 350—25—600/25—800 for direct recruits and Rs 500—25—600/ 25—800 for departmentally promoted personnel *plus* dearness allowance	These posts are in the rank / cadre of Superintendent of Jails
(6) Chief Probation Officer	Ditto	
(7) Accounts Officer	Rs 500—30—800, *plus* dearness allowance	

(*e*) *The position as on 15th August*, 1947

(i) Inspector-General of Prisons, Punjab. (Rs 1,500—50—1,800)

(ii) Personal Assistant to the Inspector-General of Prisons, Punjab. (Rs 350—25—500 / 30—650) *plus* dearness allowance

The position as at present

(1) Inspector-General of Prisons, Punjab. Rs 900—50—1,000—60—1,600—50/1,800 *plus* special pay of Rs 100 per month and dearness allowance, if admissible.

(2) Assistant Inspector General of Prisons (General), Prisons. Rs 350—25—600/ 25—800 for direct recruits and Rs 500—25—600/25—800 for departmentally promoted personnel with spacial pay of Rs 50 per month and dearness allowance.

(3) Assistant Inspector General (Industries), Prisons. Rs 500—25—600/ 40—800/50—1,000 *plus* dearness allowance.

(4) Officer-on-Special-Duty (Agriculture) Prisons. Rs 350—25—600 /25—800 for direct recruits and Rs 500—25—600/ 25—800 for departmentaly promoted personnel, with dearness allowance.

(5) Chief Probation Officer. Rs 350—25—600/25—800 for direct recruits and Rs 500—25 – 600/25—800 for departmentally promoted personnel with dearness allowance.

(6) Accounts Officer. Rs 500—30—800 plus dearness allowance—

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਡ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਂਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਫਿਨੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਖੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ । ਪੁਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ 1929, 1934, ਅਤੇ 1941 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆ ਗਈਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕ ਬਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਖ ਵਖ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚੇਗੀ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ ।

Comrade Shamsher Singh Josh : Will the hon. Home Minister be pleased to state whether the Jail Warders have represented to the Government for increase in their pay scales ?

Minister : I am not very definite whether any written memorandum, in this connection has been received or not. But I know that they have represented to me otherwise also. Possibly, they have sent a memorandum.

कामरेड राम प्यारा : उन्हों ने फरमाया है कि पुलिस और जेल वालों की ड्यूटीज़ और फंकशन्ज़ अलग अलग होती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी फंकशन्ज़ अभी अभी अलग हुई हैं या कि शुरू से ही थीं ?

Mr. Speaker : This does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ, ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਨ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ] :

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਰੀਪਰੇਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਫ਼ਿਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਰੱਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ off hand ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ।

RECOMMENDATIONS MADE BY BONUS COMMISSION

***4871. Comrade Didar Singh** : Will the Home Minister be pleased to state whether the recommendations of the Bonus Commission have been implemented by Public Sector enterprises in the State; if not, the reasons therefor, and the time by which these are likely to be implemented ?

Shri Mohan Lal : A copy of the Report of the Bonus Commission was received on 13th February, 1964 from Government of India who have asked for State Government's views before final acceptance of the recommendations made therein. The Report is under examination. The question of implementation of these recommendations will arise only after they have been finally accepted by Government of India.

I may add, Sir, that we have examined the Report of the Bonus Commission and I presume that the views of the State Government have been sent to the Government of India.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੋਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ।

Mr. Speaker : It is a suggestion for action.

Comrade Ram Kishan : May I know from the hon. Home Minister the views or the recommendations of the State Government which have been sent to the Government of India in connection with the Report of the Bonus Commission ?

Minister : It is not in the public interest to disclose this information till the Government of India has considered the matter and taken a decision thereon.

Comrade Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state if the State Government is in favour of accepting the recommendation of the Bonus Commission in part or in toto ?

Minister : It is indirectly the same question which the hon. Member has already asked. It is not in the public interest to disclose the views of the State Government till the matter has been considered by the Government of India and a final decision has been arrived at.

Camrade Shamsher Singh Josh : Will the hon. Home Minister be pleased to state *whether* or not the statement by the hon. Chief Minister in this Houe while replying to the Debate in respect of Transport Demand for Grant to the effect that the recommendations of the Bonus Commission will not be applicable to the public sector undertakings is correct ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise out of the main question.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, the Chief Minister said that the Government is not bound to accept the recommendations of the Bonus Commission. Now the hon. Home Minister has stated that it is not in the public interest to disclose the views of the State Government that have been sent to the Government of India. I would like to know which of the two statements is correct ?

Mr. Speaker : This question is quite definite. It has been asked in this Question whether the recommendations of the Bonus Commission have been implemented or not by the Public Sector enterprises.

Comrade Ram Kishan : Will the hon'ble Home Minister be pleased to state whether the State Government kept in view the public undertakings in Punjab while sending their suggestions or recommendations to the Government of India.

Minister : Whatever indirect supplementary questions about the views of the State Government in respect of the Report of the Bonus Commission may be asked. I am clear in my mind that it will not be in the public interest to disclose that information at this stage because according to the normal practice, the information in such matters is not disclosed until and unless a final decision is arrived at. It will not be proper on the part of the State Government to disclose the information before a final decision is taken by the Government of India.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौनसी ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं बताई जा सकती ?

Mr. Speaker : That is the proper attitude of the Government.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : हाउस को बताने में क्या हर्ज है ?

Mr. Speaker : Unless a final decision is taken by the Government of India, the State Government cannot disclose the recommendations or suggestions sent to the Government of India.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]
ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟ੍ਰੇਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । (He has stated that the Government of India has not yet decided the case.)

(He has stated that the Government of India has not yet decided the case finally.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : This does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ । ਜਦੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਮੈਂ ਦਸਾਂਗਾ । I have nothing to conceal. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि अगर उन सिफारिशात को गवर्नमेंट आफ इंडिया पब्लिक सैक्टर पर लागू कर देती है तो क्या पंजाब गवर्नमेंट भी पंजाब में पब्लिक अंडरटेकिंग पर जैसे कि रोड ट्रांस्पोर्ट है, लागू कर देगी ?

Mr. Speaker : This supplementary question is too pre-mature.

श्री राम किशन : मैंने तो यह पूछा है कि अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया पब्लिक सैक्टर पर लागू कर देगी तो पंजाब गवर्नमेंट भी पंजाब में पब्लिक सैक्टर पर लागू करेगी या नहीं ?

Minister : Sir, it is a hypothetical question.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁਵਨੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ਿਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ । ਪਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਰੈਡੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇ ਜਲੀ ਫ਼ਫ਼ੇ ਕੁਟਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ।

———

ARRESTS OF WORKERS OF SHRI GOPAL PAPER MILLS, YAMUNA NAGAR, DISTRICT AMBALA

*4997. **Shri Mangal Sein** (Put by Sardar Kulbir Singh): Will the Home Minister be pleased to state whether any workers of Shri Gopal Paper Mills, Yamuna Nagar district Ambala have been arrested in connection with the movement launched by them, if so, their names and the nature of charges against them ?

Shri Mohan Lal : Yes. Requisite information is laid on the table of the House.

NAMES OF THE WORKERS OF SHRI GOPAL PAPER MILLS, YAMUNA NAGAR DISTRICT AMBALA ARRESTED FOR CHARGES AS NOTED AGAINST THEM.

Names	Charges
1. Bakheru Singh, son of Ramjas resident of Yamuna Nagar 2. Hari Krishan, son of Hari Chand resident of Model Town, Yamuna Nagar 3. Joginder Singh, son of Prem Singh resident of Yamuna Nagar 4. Ram Baran, son of Ram Bhadur Singh, resident of Yamuna Nagar 5. Ramji Dass, son of Bhagwan Singh Dass, resident of Yamuna Nagar 6. Ram Naresh, son of Alakh Dhari, resident of Yamuna Nagar 7. Avtar Singh, son of Kesar Singh resident of Yamuna Nagar 8. Durga Dass, son of Sohan Lal, resident of Yamuna Nagar	One Bakheru Singh had resorted to hunger strike. On 9th December, 1963 the persons mentioned from serial Number 2 to 8 who were present near him in the form of 'dharna' forcibly prevented other workers, by pushing, from working in the Mill. They were taken to the tent where Bakheru Singh was lying and advanced threats of dire consequences if they did not strike work. Case F. I. R. No. 270/63 under section 7 Criminal Law Amendment Act P.S. Yamuna Nagar was registered against them and investigated. They were arrested and challaned. The case is pending trial in the court.
9. Prem Anand Bhatia, son of Sohan Lal 10. Gursaran Dass, son of Ram Partap 11. Dina Nath, son of Tek Chand 12. Jagdish Chander, son of Deep Singh 13. Charan Singh, son of Bishan Singh 14. Ram Piarey, son of Ram Narain	On 16th December, 1963 Shri Jagdish Sarup Security Officer, Shri Gopal Paper Mill, Yamuna Nagar reported in writing to the Police Station that the accused persons had performed a 'Siapa' and were carrying effigy of Shri Tiagee before the Mill Gate which caused hindrance to the workers and also created ill feeling among the workers against the Mill management. The accused persons also persuaded the workers by slogans to keep away from attending the Mill work. Upon this the case was registered, investigated and challaned, which is under trial at prosecution stage. The case is registered vide F. I. R. No. 275 dated 16th December, 1963 under section 7 Criminal Law Amendment Act P. S. Yamuna Nagar.
15. Krishan Lal, son of Mayer Dass 16. Kundan Lal, son of Ram Chander 17. Shamsunder, son of Shiv Shankar 18. Ronki Ram, son of Moti Ram 19. Chandveka Parshad, son of Mahadev, resident of Yamuna Nagar	On 2nd January, 1964 at 2/30 a. m. Gurcharan Singh, an employee of Shri Gopal Paper Mill alongwith Gurbachan Singh, Babu Lal and Brij Mohan employees of Shri Gopal Paper Mill Yamunanagar reported in the Police Station that they were going to the Mill for duty commencing at 2 a.m. While on way at the main gate of the Mill where Shri Hukam Chand Kachhiw was sitting 'dharna' along with

[Home Minister]

10 to 19— *concld*	them, obstructed them from going to the mill for work. They were given pushes and turned out of the gate with a bid to persuade them for joining them in the strike. On their complaint case F.I.R. Number 2/64 P.S. Yamuna Nagar under section 7 Criminal Law Amendment Act was registered. After investigation, they were arrested and challaned which is pending trial in the court.
20. Durga Dass, son of Sohan Lal 21. Ram Naresh, son of Alakh Dhari	Both these persons mentioned at Serial Number 20 and 21 were P. Os' in case F. I. R. No. 270/63 mentioned above, alongwith one Harbhajan Singh who is still a P. O. These persons held a series of meetings with some local Bhartiya Jan Sangh Workers which were attended to by Tilak Dhari Hira Lal and Sunder Lal employees of the Paper Mill and members of Karamchari Union. They conspired to gether to murder Shri Bedi, the Factory Manager of the said Mill as he was considered by them to be acting against their interest. Tilak Dhari and his two companions later on defected and informed the police. Case F.I.R. Number 4/64 under section 120B/216 I.P.C. was registered against them and after investigation, they were arrested and challaned. The case is pending trial in the court.
22. Kailash Chander, son of Parmanand resident of Chhachhrali 23. Ratti Dev, son of Tirath Raj, Rajput 24. Raj Kumar, son of Jamna Singh 25. Maha Singh, son of Bishan Singh 26. Kameshwar Dass, son of Atam Narain 27. Bija Bahadur G.N. Rao 28. Sukh Raj, son of Kartar Singh 29. Bakhshi, son of Hans Raj 30. Nek Ram, son of Bhulade 31. Mangoo, son of Bulari Ram 32. Phulayaman, son of Mohar Muslim 33. Bikrim, son of Ram Kanwar 34. Jalim, son of Saij Lal 35. Ram Sat, son of Nageshwani 36. Ram Dev, son of Ram Baran 37. Joginder Paul, son of Nathu Ram 38. Som Parkash, son of Ram Chand 39. Basu Ram, son of Sadhu Ram 40. Shiam Singh, son of Bharat Singh 41. Surinder Kumar, son of Hari Parshad 42. Kidar Nath, son of Sant Ram 43. Raj Kumar, son of Daulat Ram 44. Om Parkash, son of Kirpa Ram 45. Chhedi Lal, son of Rampal Yadav 46. Ambica Parshad Misra, son of Mahasu Misra 47. Ved Parkash, son of Dwarka Dass	During the course of investigation of case F. I. R. No. 270/63 mentioned above, the persons mentioned from serial No. 22 , 47 turned violent towards the loyal workers and witnesses on 9th December, 1963. Apprehending immediate breach of peace they were arrested under section 107/151 Cr. P.C. for maintaining Law and Order. The proceedings are pending in court.
48. Jai Mangal, son of Ram Nath, resident of Sawaran Kalan P. S. Sikanderpur, district Baly (UP- Now Gopal Paper Mill	On 11th December, 1963 he tried to persuade an employee of the Paper Mill from attending work who did not agree. He started grappling with him in his bid to keep him from attending

	work and created breach of peace. The police on duty arrested him and thus avoided the imminent danger of breach of peace. The proceedings are pending in court.
49. Ram Kumar, son of Handa Ram, Hamida Colony, Yamuna Nagar 50. Tirlok Singh son of Karnail Singh resident of Hamida Colony Yamuna Nagar 51. Bhola, son of Ram Partap, resident of Paper Mill Colony, Yumuna Nagar	One Danesh, son of Jhagru an employee of Paper Mill Yamuna Nagar was approached by the accused persons to join their union but the former showed his undesirability upon which all the accused fell upon him. The local police finding immediate breach of peace arrested the accused to restore the peace, under section 107/ 151 Cr. P. C. on 13th December, 1963. The proceedings are pending in court.
52. Chander Bhan, son of Ladha Ram, resident of Paper Mill Colony Yamuna Nagar. 53. Ram Lubhaya, son of Ram Rakha, resident of Hamida Colony Yamuna Nagar 54. Surinder Dayal, son of Bishambar. resident of Yamuna Nagar 55. Murari Lal, son of Dwarka Dass 56. Sukhari, son of Udmi resident of Paper Mill Colony, Yamuna Nagar	On 22nd December, 1963 these persons harassed some loyal workers and thus tried to persuade them to join Karamchari Union by lea ving the INTUC Union. On refusal by them they quarrelled and despite intervention and persuasion by local police continued to be violent and in a mood to commit offences against the loyal workers. All efforts having failed, they were arrested under section 107/151, Cr. P. C., for maintaining law and order. The proceedings are pending in court.
57. Dharam Dev, son of Jagga, resident of Niwata, P.S. Sikanpur 58. Sharda Parshad, son of Jagat Pande, resident of Yamuna Nagar	On 2nd January, 1964, Dharam Dev mentioned at Serial No. 57, alongwith another B.J.S. worker turned violent against the witnesses who deposed against the accused in case F.I.R. No. 2/64, under section 7, Cr. L. A. Apprehending breach of peace, he was arrested under section 107/151, Cr. P. C. and is standing trial. The accused mentioned at serial number 58 turned aggressive toward a loyal worker of the paper mill when he refused to subscribe for the Karamchari Union and become its member. The local police intervened and tried to pacify him but he kept on his violent attitude. He was arrested under section 107/151, Cr. P. C., for maintaining law and order. This occurred on 7th January, 1964 and the proceedings are pending in court.
59. Gulshan Kumar, son of Gurditta Mal resident of Hamida Colony, Yamuna Nagar 60. Bhog Singh, son of Ram Singh resident of Hamida Colony, Yamuna Nagar	One Makhan, so of Ram Avtar an employee of Shri Gopal Paper Mill was asked by the accused person that either he alongwith his companion should become the member of Karamchari Union or he would be dealt with harshly upon which the complaintant lodged a freport in the police station. The acts were verified and the accused persons began to abuse the complainant and his followers in the presence of S.H.O. Yamuna Nagar. Finding immediate breach of peace from the accused they were

[Home Minister]

	arrested under section 107/151 Cr. P.C. on 5th January, 1964. The case is pending trial in court.
61. Gopal, son of Ram Adhar resident of Jethu, district Belya	While S. I. Jaswant Singh, S.H.O., Yamuna Nagar was returning from investigation he noticed that the accused with two more men was quarrelling with Lachhman Dass and pressing him to join Karamchari Union. The accused was in aggressive mood with loose temper. In spite of best efforts by S.I. Jaswant Singh to maintain peace the accused kept on assaulting the complainant. Finding no way to avert the breach of peace, the police took action under section 107/151 Cr. P. C. and effected the arrest. On 12th January, 1964. The case is pending trial in court.

Note.—Durga Dass and Ram Naresh were arrested in two cases for separate charges. The actual No of workers arrested, therefore, is 59.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 107/151 ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 49 ਸਨ apart from Mr. Kachhviaya.

Mr. Speaker : The hon. member does not appear to have read the statement.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਕੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 107/151 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 20 ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਹੈ । ਸਾਰੇ 47 ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ ।

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know the reasons for not releasing the persons when a settlement has been arrived at between the management and the workers ? Why are they still in the Jail ?

Minister : According to my knowledge, settlement has been arrived at between that part of the workers, who were agitating and the management. Just as a measure to bring about good atmosphere, we thought it proper, in the first instance, to release the persons arrested under section 107 Cr. P.C.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इन सभी वरकर्ज़ को मालिकान की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था या किसी और कम्पलेंट पर ? क्या 107/151 के अलावा डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ के तहत भी कुछ वरकर्ज़ को नज़रबन्द किया गया था ?

मन्त्री : नहीं, नज़रबन्दी की बाबत मेरे पास इत्तलाह नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया गालबन क्रिमिनल ला अमैंडमैंट ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ इश्खास की तरफ से शिकायत हुई थीं।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਗੁਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਔਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ?

ਮੰਤਰੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਣਾ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ : ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਖਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਖਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ (ਹਾਸਾ)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि 30 नवम्बर, 1962 के इंडस्ट्रियल टरवस के रैज़ोल्यूशन को मद्दनज़र रखते हुए, मालिकान और वर्करज़ के दरम्यान जो झगड़े पैदा होते हैं, उन्हें आर्बिटरेशन में देने की ज़रूरत नहीं थी ?

मन्त्री : चूंकि वह लेबर के साथ सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए मैम्बर साहिब को वाकफियत होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल पीस रैज़ोल्यूशन पर पाबन्दी, उस पर अमल करना हरेक के ऊपर है.....लेबर आर्गेनाईज़ेशंज़ पर, मालिकान पर और गवर्नमेंट पर। लेकिन उसका ज़ाबता है, रैकगनाईज़्ड है या अनरैकगनाईज़्ड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, यह सारी बातें देखनी होती हैं। इसकी तफसील लम्बी चौड़ी है लेकिन आर्बिटरेशन वालंटरी बात होती है और वह भी सर्टन स्टैंडर्ड आफ आर्गेनाइजेशंज़ पर जो रजिस्टर्ड हों, रैकग्नाईज्ड हों।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸੇ ਅਮਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : This is wrong.

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ insinuation ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੌਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7-8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ, ਜਮਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾ-ਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅੌਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੁਕਦਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਡਵਿਲ ਅੌਰ ਗੁਡ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 47—48 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਸਗੋਂ ਡੀਮਾਨਸਟਰੇਸ਼ੰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ, ਨਾਅਰੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗੁਡਵਿਲ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸੇਅਮਨ ਸੀ, ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਬਨਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੌਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ ।

CONSTRUCTION OF BUILDINGS OF DISPENSARIES IN CERTAIN VILLAGES IN KANGRA DISTRICT

*4650. **Shri mar Nath Sharma** : Will the Minister for pla and Public Works be pleased to state —

(a) whether the construction of buildings for dispensaries at Khudhian, tehsil Dehra Gopipur and Baroh, tehsil Kangra

have been taken in hand; if so, the time by which these are likely to be completed ; if not, the time by which these are likely to be taken in hand?

Shri Darbara Singh : (a) No, Sir.

The Health Department would consider feasibility of providing funds for these in the annual Plan for 1964-65.

DRINKING-WATER SUPPLY SCHEME IN RURAL AREAS

***4719. Comrade Ram Kishan :** Will the Minister for Planning and Public Works be pleased to state—

(a) whether Government have made any survey of the rural areas in regard to the supply of drinking-water in all the villages of the State; if so, the details of the data collected;

(b) the total number of villages, district-wise, where no drinking-water is available at present and the steps proposed to be taken in this regard ;

(c) whether Government has recently received any instructions from the Union Government to set up Special Investigation Division in the State for accelerating the progress of drinking-water supply schemes in the rural areas; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon by Government ?

Shri Mohan Lal (Home Minister) : (a) Recently a survey of the 12 sandy, hilly and other water scarcity areas of the State was made. This work was undertaken by the Development Department. The data collected by them is given in the attached statement. In addition, as would be explained in reply to part (c), last year a Special Investigation Division had been set up to carry out a specialised nature of survey.

(b) The total number of villages where there are no arrangements of water-supply is 1,289 as would appear from category (i) of the statement referred to in part (a) above and these will be given priority over other categories where there is shortage of water.

(c) On instructions from Government of India a Special Investigation Division in the State was set up in May, 1963 for surveying the problem of water-supply in rural areas. This Division is covering 200 villages in a month. They have so far covered 1,114 villages and have prepared 556 schemes costing Rs 976 lacs. The schemes prepared will be executed, by stages, subject to availability of funds as and when they are available.

[Home Minister]

DETAILS OF SURVEY

(i)	Villages without any drinking water-supply, and dependent on ponds or other such poor source of supply ..	1,289
(ii)	Villages with some sort of water-supply, but not adequate because the water in these villages is at a distance of one or two miles ..	977
(iii)	Villages where some sort of water-supply is available but needs to be strengthened ..	967
(iv)	Villages where water is available at accessible points, but is brackish ..	239
	Total ..	3,472

Serial Number	District		CATEGORY			
			I	II	III	IV
1.	Kangra	..	345	362	195	—
2.	Hoshiarpur	..	155	136	90	83
3.	Gurdaspur	..	16	3	—	—
4.	Simla	..	99	119	15	—
5.	Ambala	..	87	87	81	12
6.	Mohindergarh	..	46	77	51	42
7.	Rohtak	..	62	18	79	—
8.	Gurgaon	..	31	38	80	65
9.	Hissar	..	264	128	374	37
10.	Sangrur	..	18	—	—	—
11.	Ferozepur	..	145	9	2	—
12.	Karnal	..	21	—	—	—
	Total	..	1,289	977	967	239

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की हिदायात के मुताबिक जो स्पैशल इन्वैस्टीगेटिंग सैल ने सर्वे किया है और डेटा इकट्ठा किया है क्या उसको इम्पलीमैंट करने के सम्बन्ध में भी सरकार ने कोई प्रोग्राम बनाया है और अगर बनाया है तो वह क्या है ?

मन्त्री : जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है उन्होंने कुछ स्कीम्ज़ बनाई हैं। उस बारे प्लैन्ज़ बन रही हैं । उनको ऐग्ज़ीक्यूट करने के लिये जैसे जैसे फंड्ज अवेलेबल होंगे वैसे वैसे किया ज ायगा । वैसे उन्हें ऐग्ज़ीक्यूट करने के लिए स्कीम्ज़ बन रही हैं।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ੰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ਔਰ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ? ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ availability of funds ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਨਾਨਅਵੇਲੇਬਿ-ਲਿਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗੋਂ ਕੇਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ । ਜਿਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਘਟ-ਨਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ priorities fix ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਰਾਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 8500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ਔਰ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਕੁਝ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਭੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕਲਖਤ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ।

श्री जगन्नाथ : क्या होम मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह ठीक है कि कुछ हलके ऐसे हैं जहां वाटर सप्लाई स्कीमें लागू हैं लेकिन कई सालों से वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा । हमें यह पता नहीं कि क्या आप की यह करने की नीयत है कि नहीं । खैर मैं पूछना चाहता हूँ इन वाटर सप्लाई स्कीमों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च का कितना हिस्सा देना है, पंजाब गवर्नमेंट ने कितना हिस्सा देना है और लोकल बाडीज़ ने कितना देना होता है ?

Mr. Speaker : Supplementary does not arise out of this question.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब, इन स्कीमों के खर्च का कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना होता है............

Mr. Speaker : This question is not relevant. But, if the Hon'ble Home Minister wants to reply, he may.

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आव इण्डिया ने जो ग्रांट देनी है, उसके लिए क्या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्न-

मेंट श्राफ इण्डिया को कोई नोट गया है कि इसके लिए यह यह स्कीमें बनाई हैं इनके लिए रुपया दिया जाए ?

मन्त्री : मैंने बताया है कि स्कीमें बन रही हैं। रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट से मांगा गया है कि नहीं या इस संबंध में कौनसा कम्यूनीकेशन भेजा गया है, इस बारे में इस वक्त मेरे पास इतलाह नहीं है । इस के लिए आप अलग नोटिस दें।

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इन सारी स्कीमों पर अमल करने के सम्बन्ध में विलेज पंचायतों को, जिन्होंने कैश और लेबर की शक्ल में अपना हिस्सा देना है, लिखा गया है ? आया इस सम्बन्ध में पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों को कोई इनस्ट्रक्शन्ज़ जारी की गई हैं ?

गृह मन्त्री : इनस्ट्रक्शन्ज़ जारी की गई हैं कि नहीं, इस बारे में मैं इस वक्त नहीं बतला सकूंगा । इस के लिए आप अलग नोटिस दें।

चौधरी बालू राम : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह जो स्पैशल इनवैस्टीगेशन की गई है, इसमें क्या ज़िला होशियारपुर की इनवैस्टीगेशन हो चुकी है या अभी होनी बाकी है ?

मन्त्री : मैं इस बारे में इस वक्त यकीन के साथ नहीं कह सकूंगा कि होशियारपुर में यह हो चुकी है कि नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि होशियारपुर भी एक इम्पार्टेंट पाकिट है जहां पानी की कमी रहती है और किसी हद तक वहां इनवैस्टीगेशन हुई है कि नहीं यह आप एक अलग सवाल के ज़रिए पूछ लें ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ?

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आव आर्डर, सर । कामरेड राम किशन का जो हलका है वह वाटर स्केरसिटी एरिया नहीं है और स्केरसिटी एरिया तो तहसील भिवानी है या

मेरा हल्का है । फिर भी आप उन को ज्यादा सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत दे रहे हैं और हमें पूछने का मौका भी नहीं दे रहे हमें भी कुछ पूछने का मौका मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । मैंने आपका प्वायंट आव आर्डर समझ लिया है। मगर आपने तो अपने इलाके के बारे में सवाल नहीं किया । यह सवाल तो श्री राम किशन ने किया है । (He is entitled to put a number of supplementaries. The hon. Member should resume his seat. The difficulty is that the hon. Member has not asked any such question about his constituency. This question has been put by Shri Ram Kishan. He is entitled to put a number of supplementaries.)

श्री जगन्नाथ : उन्होंने तो..............

Mr. Speaker : If the mover wants to put supplementaries, I have to give him preference.

श्री राम किशन : क्या गृह मन्त्री जी बताएंगे कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की इनस्ट्रक्शन्ज़ के मुताबिक यह जो डैटा इकट्ठा किया गया है, जिसके मुताबिक पंजाब में 1289 गांव में डरिंकिग वाटर एवेलेबल नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक इन गांवों में पीने का पानी मुयस्सर कर दिया जाएगा ?

मन्त्री : मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि इन चीज़ों में कई फैक्टर्ज़ काऊंट करते हैं। इस लिए यह कहना कि फलां डेट तक या फलां महीने तक हो जायगा, यह मुमकिन नहीं है । लेकिन जैसा कि मैंने सवाल के जवाब में अर्ज़ किया है कि जैसे जैसे स्कीमें बन जायेंगी वैसे वैसे उनकी इम्पलीमेंटेशन के लिए जो हमारे रिसोर्सिज़ है एवेलेबल होते जाएंगे । गवर्नमेंट तो खुद रवहां है कि कोई जगह ऐसी न रहे जहाँ पीने का पानी न मिले ।

श्री हुन्ना मल : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि भिवानी तहसील के इलाका में सीवानी की जो वाटर सप्लाई स्कीम.........

Mr. Speaker : Supplementary does not arise out of the main question.

श्री जगन्नाथ : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पंजाब के अन्दर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहां गर्मियों के अन्दर पानी न मिलने की वजह से पशु तड़प तड़प कर मरते हैं और इस गवर्नमेंट को रो रो कर मरते हैं, क्या वहां जल्दी से जल्दी पानी सप्लाई करने की स्कीमों को गवर्नमेंट टाप परायर्टी देने के लिए तैयार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप कोई अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करके किसी खास पर्पज़ के लिये सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो मैं ऐसे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दूंगा । (If the hon. Member would try to get some information for some purpose by using unparliamentary expressions then. I will not allow such questions.)

श्री राम किशन : क्या होम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट आफ इण्डिया की मिनिस्ट्री आफ हैल्थ ने..........

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਛੇਗਾ ਤਾਂ you will not allow him to put that supplementary. ਮੈਂ ਪੁਛ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀ ਵੀ ਓਹ ਲਫਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछने का पर्पज़ होता है इनफर्मेशन लेना । अगर किसी मैम्बर ने गवर्नमेंट को कन्डैम करना हो तो उसके लिए और फोरम होता है, बजट पर जब डिस्कशन होती है या और मौके होते हैं लेकिन श्री जगन्नाथ ने कहा था कि गवर्नमेंट को रो रो कर मरते हैं। That was not a supplementary. The hon. Member could raise such matters during the course of discussion on the Budget No-Confidence Motion etc. (The main purpose of question is to get information from the Government. Question Hour is not the proper forum for condemning the Government. For this purpose there are so many other occasions like general discussion of the Budget. But Shri Jagan Nath had said they die after cursing the Government. That was not a supplementary. The Hon'ble Member could raise such matters during the course of discussion on the Budget, No Confidence Motion etc.)

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहब, मैं इस बात पर आपका रूलिंग चाहता हूँ जो आपने फर्माया है कि क्वेस्चन पूछने का मतलब है इनफर्मेशन हासल करना और किसी पर्पज़ के लिए यह पूछ कर गवर्नमेंट को कंडैम नहीं करना चाहिए । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर इनफर्मेशन देते समय गवर्नमेंट उस इनफर्मेशन से खुद ही कंडैम होती हो तो इसका क्या हल है ?

Mr. Speaker : That is for the Hon'ble Member to make the inferences, but he cannot criticise or condemn the Government while seeking information. After getting the information, however, he can use it for the purpose of criticising the Government in a proper manner.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने यह जो कहा है कि सप्लीमैंट्रीज़ के द्वारा गवर्नमेंट को कंडैम किया जाता है

तो क्या स्पीकर यहां गवर्नमेंट को कनडैमनेशन से बचाने के लिए होता है ? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या स्पीकर इसी मतलब के लिए होता है ?

Mr. Speaker : I have to follow the Rules of Business of the House.

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि सवालों का मकसद सिर्फ इनफर्मेशन लेने के लिए है और इन फर्मेशन लेने के बाद कोई इनफर्मेशन आए तो the hon. Member is free to criticise or condemn the policies of the Government. But the Question Hour is only to get information. (I have already stated that the purpose of asking question is to elicet information only. If some information may be forthcoming. Then Hon. Member is free to criticise or condemn the policies of the Government. But the Question Hour is only to get information.

Sardar Gurnam Singh : If the Government stand condemned inferentially, then who will answer ?

Mr. Speaker : So far as inferences and conclusions are concerned, it is for the Hon. Members to see.

The Question Hour is over now. Supplementaries on this Question will be put tomorrow.

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैंने मिस्टर जगन्नाथ का सवाल निहायत गौर से सुना है । उन्होंने कहा था कि जहां गर्मियों में हज़ारों पशु तड़प तड़प कर मर जाते हों क्या गवर्नमेंट उस इलाके को टाप प्रायर्टी देगी । इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिये आपने कह दिया मैं आपको आगे को वक्त नहीं दूंगा ?

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन आवर खत्म हो चुका है । कल को मैं रिकार्ड देख कर बात करूँगा । अब शार्ट नोटिस क्वैस्चन है। (The question hour is over now. I will say something tomorrow after looking into the record. Now we take up the Short Notice Question.)

श्री जगन्नाथ : जब आपको पता ही नहीं कि रिकार्ड में क्या है जबकि मैम्बर साहिबान को पता है तो आपने कैसे कह दिया कि आपको टाइम नहीं मिल सकता ?

Mr. Speaker: We will discuss this point tomorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE OFFICE OF THE EXAMINER, LOCAL FUND ACCOUNTS, PUNJAB.

1416. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Finance be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in class I, II, III and IV posts separately in the office of the Examiner, Local Fund Accounts, Punjab, together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Dr. Gopi Chand Bhargava :

Class	Number of employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present	Names	Date of appointment	Percentage in each category	Percentage o f posts reserved for Scheduled Castes and Backward Classes in each category
I	Nil	—	—	..	21 per cent
II	Nil	—	—	—	21 per cent
III	11	1. Shri Surjit Singh, Senior Auditor	.. 5th November, 1948	4.18 per cent	21 per cent
		2. Shri Hardyal Singh, Senior Auditor	.. 11th July, 1949		
		3. Shri Prem Singh, Junior Auditor (joined as Junior Auditor)	26th February, 1955		
		4. Shri Jagmohan Singh, Senior Auditor	.. 15th November, 1955		
		5. Shri Behari Lal, Clerk	.. 25th July, 1956		

		6.	Shri Ajmer Singh, Junior Auditor	.. 23rd September, 1957		
		7.	Shri Pyare Lal, Junior Auditor	23rd September, 1957		
		8.	Shri Jaswant Singh, Clerk	.. 7th December, 1955 (A.N.)		
		9.	Shri Puran Dass, Junior Auditor	.. 22nd June, 1959		
		10.	Shri Jarnail Singh, Junior Auditor	.. 3rd January, 1961 (A.N.)		
		11.	Shri Narinder Singh, Junior Auditor	.. 7th December, 1963		
IV	15	1.	Shri Gurbachan Singh, Peon	.. 24th May, 1951	23.44 per cent	21 per cent
		2.	Shri Ajit Singh, Peon	.. 9th December, 1955 (F.N.)		
		3.	Shri Ishar Singh, Peon	.. 30th June, 1962		
		4.	Shri Gurmukh Singh, Peon	.. 9th July, 1962		
		5.	Shri Jagir Singh, Peon	.. 10th December, 1962		
		6.	Shri Jalander Singh, Peon	.. 4th, February, 1963		
		7.	Shri Badri Parshad, Peon	.. 24th May, 1963		
		8.	Shri Jagar Ram, Sweeper-cum-Chowkidar	.. 27th July, 1963 (A.N.)		
		9.	Shri Chain Singh, Peon	.. 25th September, 1963		
		10.	Shri Padam Chand, Peon	.. 24th September, 1963		
		11.	Shri Harbans Singh, Peon	.. 25th September, 1963		
		12.	Shri Harbans Lal, Peon	.. 18th September, 1963 (F.N.)		
		13.	Shri Duli Chand	.. 19th June, 1963		
		14.	Shri Mohar Singh, Peon	.. 21st October, 1963		
		15.	Shri Pritam Singh, Peon	.. 24th August, 1963		

COMPLAINT AGAINST SHRI A. L. SONI, S. D. M. JHAJJAR/GOHANA

1522. **Comrade Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Government received any complaint in 1962 or 1963 against the then S.D.M. Jhajjar/Gohana and now Magistrate Karnal, if so, the details there of and action taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, Sir. The complaints received against the officer were looked into but the allegations were not substantiated. It is not in the public interest to disclose the contents of the complaints.

COMPLAINTS AGAINST HOTELS AT PATIALA

1526. **Comrade Babu Singh Master** : Will the Home Minister be pleased to state whether the field staff received any complaints against the Hotel owners at Patiala during the years 1962 and 1963, if so, the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : (a) Fourteen complaints against the managements of different hotels at Patiala under the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 were received during the years 1962 and 1963.

(b) Two seperate statements showing the action taken in each case are laid on the Table of the House.

Note— Unstarred Quesions Nos. 1417 and 1523 and replies thereto appear in Appendix to this Debate.

STATEMENT FOR THE YEAR 1962

Serial Number	Name of complainant	Name of the person against whom the complaint was made	Date of receipt of complaint	Subject of complaint	Action taken
1.	Shri Kishori Lal, Patiala ..	M/s Navelty Hotel, Patiala ..	5th April, 1962	Non-payment of wages	The worker was got paid Rs 10.84 nP. by the Shop Inspector
2.	Shri Mohammad Yaqub, Patiala ..	M/s Green Hotel, Patiala ..	5th April, 1962	Ditto	The employee was got paid Rs 22.00 by the Shop Inspector
3.	General Secretary Trade Employees Union, Patiala	M/s Regal Hotel Bus Stand, Patiala	18th July, 1962	Ditto	The employee was got paid by the Shop Inspector
4.	Shri Aya Singh, son of Pritam Rai, care of Gurdip Singh Hotel, Adda Samania Gate, Bahera Road, Patiala	M/s Dara Singh -Nanda Singh, Hotel, Bus Stand, Patiala	27th July, 1962	Ditto	The employee was got paid Rs 12.50 nP. by the Shop Inspector
5.	Shri Joginder Singh employee of Shri Jiwan Lal, Patiala	M/s Jiwan Lal Hotel, Sheranwala Gate, Patiala	28th July, 1962	Illegal removal and non-payment of wages	The employee was got paid Rs. 68.0 and settled by the Shop Inspector
6.	General Secretary Hotel Workers Union, Patiala	M/s Amrit Hotel, Patiala ..	14th November, 1962	Non-payment of wages to Dewan Chand	The employee was got paid Rs 15 by Shop Inspector
7.	Ditto	M/s Green Hotel, Patiala and M/s Standard Hotel and Restaurant, Patiala	3rd December, 1962	—	The serveral raids were made by the various officers of this department at Patiala and various violations were detected

STATEMENT FOR THE YEAR 1963

Serial Number	Name of complainant	Name of the person against whom the complaint was made	Date of receipt of complaint	Subject of complaint	Action taken
1.	General Secretary Hotel Workers Union, Patiala	M/s Green Hotel, Patiala M/s Standard Hotel, Patiala	14th February, 1963	Regarding violations of various provisions of the Shops Act	Several raids were made by the various officers of this department at Patiala and various violations were detected and the management prosecuted
2.	Ditto	Ditto	20th March, 1963	Ditto	
3.	Ditto	Ditto	27th May, 1963	Ditto	
4.	Ditto	Ditto	21st September, 1963	Ditto	
5.	Ditto	Ditto	20th November, 1963	Ditto	
6.	Shri Devi Dutt, son of Ramdev c/o Manmohan Hotel, Lahori Gate, Patiala	M/s Glaxy Hotel, Patiala	12th February, 1963	Non-payment of wages	The workman was got paid Rs 30 by Shop Inspector
7.	Shri Gurmel Singh s/o Mehar Singh, Patiala	M/s Inder Singh Hotel, Ragho Majra, Patiala	29th June, 1963	Ditto	The worker was got paid by the Shop Inspector on 29th June, 1963

NON RECOGNITION OF CERTAIN TRADE UNIONS OF PATIALA DISTRICT

1527—Comrade Babu Singh Master : Will the Home Minister be pleased to state whether the Labour Department Punjab received any complaints from the Trade Unions of Patiala District regarding their non-recognition by the employers during the last five years, if so the action taked in each case ?

Shri Mohan Lal : Yes, A Statement containing requisite information is enclosed.

STATEMENT

Serial Number	Name of Union	Name of concern	Date when complained/ applied for	Latest position disposal
1.	Factory Labour Union, Patiala	M/s Imperial Electric Industries, Patiala	16th September, 1959	Due to closure of factory in 1961, the question could not be pursued further
2.	Sewing Machines Workers Union, Bassi Pathana	M/s Ramji Dass-Harbans Lal Sewing Machine Co., Bassi Pathanan	10th September, 1959	Recognised
3.	ctory Labour Union, Patiala	Navyug Trading Corporation, Patiala	1960	The Union withdrew the case on 3rd June, 1961
4.	Ditto	M/s Hindustan Wire Products, Patiala	1960	For want of ratification of the Code by the management they could not be pressed to give recognition
5.	State Bank of Patiala Employees Union, Patiala	State Bank of Patiala	1st August, 1962	Since the Bank has its venue of business in more than one State, the Union was advised to approach Central Government for the purpose on 21st August, 1962
6.	Flour Mills Workers Union, Patiala	M/s Patiala Flour Mills, Patiala	29th December, 1962	As against No. 4 above. The Union was informed accordingly on 29th October, 1963
7.	B. T. C. Workers Union, Patiala	M/s Basal Tool Co., Patiala	16th September, 1963	The Union is not furnishing requisite information and due to lack of co-operation from the union the case is hanging fire. Labour Inspector Patiala has recommended the case to be dropped

[Home Minister]

8.	Engineering Workers Union, Patiala	M/s Beege Group of Industries, Patiala	—	The Union failed to get its membership verified. The management have recognised another Union by means of an agreement under Section 18 (i) of the Industrial disputes Act, 1964. No action is called for as the Union has been informed accordingly on 27th January, 1964
9.	Ditto	M/s Escorts Ltd., Bhadurgarh	16th September, 1963	The Union got its membership verified on 15th January, 1964. The management is not ready to grant recognition to the Union, because the Union is stated to have violated the Code in their sister concern i. e. M/s Goetze (P) Ltd., Bhadurgarh. Persuasive efforts are in progress.
10.	Milk Food Factory Workers Union, Nabha	M/s Hindustan Milk Food Manufacturings Ltd., Nabha	14th November, 1963	The matter is under investigation with the Labour Inspector, Patiala
11.	Municipal Employees Union, Patiala	M/s Municipal Committee, Patiala	17th August, 1963	Ditto
12.	Pepsu Road Transport Workers Union, Patiala	M/s Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	—	The management have imposed some condition with regard to recognition which is not acceptable to the Union. The matter is under consideraion with the Government
13.	Engineers Workers Union, Patiala	M/s Goetze (India) Ltd., Bahadurgarh	16th September, 1963	The management could not be made agreeable to recognise the Union because they violated the provisions of the Code i. e., the workers did not resume duty on 16th September, 1963 and for few days thereafter. The action of the Union was not in accordance with the provisions of the Code of discipline,

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

SALES TAX ON EDIBLE OILS IN THE STATE

*5814. **Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state —

10 a. m.

(a) Whether any order was passed by the Punjab High Court in the year 1962, regarding charging of sales tax on edible oils in the State, if so, the contents of the order so passed ;

(b) whether any representation seeking certain clarification about sales tax collection on edible oils was received by the District Sales Tax Authorities, Gurdaspur; if so, the clarification, if any, given by them, if none has been given, the reasons therefor ;

(c) whether any representation was received by the Excise and Taxation Commissioner, Punjab, in this respect; if so, the action taken thereon ;

(d) whether any deputation waited upon the Excise and Taxation Commissioner, in this respect , if so, the clarification, if any, given to the deputation ;

(e) the final decision of the Government in this behalf ?

Shri Ram Saran Chand Mittal : (a) The Punjab High Court in the Sales Tax Reference No. 4 of 1961-M/s Ganga Ram-Suraj Parkash Jullundur and in similar others has held on October 24, 1962 that the Punjab Government notification of August, 1954, by which the exemption on edible oil extracted from sarson, til and toria was withdrawn was *ultra vires* meaning thereby that the exemption of edible oils extracted from Sarson til and toria from the payment of sales tax continued as here-to-fore.

(b) The representatives of the dealers met the sales tax authorities Gurdaspur. Since the follow-up action subsequent to the Punjab High Court Rulings was not known to the district authorities, they were advised by them to approach the higher authorities in that behalf.

(c) Only the letters from the dealers at various places seeking clarification were received by the Excise and Taxation Commissioner and replies to them were given on the basis of (a) above.

(d) Traders in this respect did meet the Excise and Taxation Commissioner and were informed that the Department was bound to follow the High Court Rulings and Government might, after consideration issue a press note in this regard.

(e) After decision of the High Court in the case mentioned at (a) the State Government has gone in for appeal in the Supreme Court in similar cases. Pending final decision of the Supreme Court, the State Government has issued a Press Note to the effect that no sales tax is 'chargeable' on edible oils.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो नोटिस जारी किया गया कि नो सेल्ज़टेक्स इज़ चार्जेबल आन ऐडीबल आयल, यह कब इशू किया गया ?

Minister : Sir, the Minister-in-charge, who is in the other House at present, handed over these papers to me. But I do not find the Press Note in these papers. Therefore, I will inform the hon. Member later.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ऐडीबल आयल्ज़ पर से सेल्ज़ टैक्स विदड्रा किया गया है यह उस तारीख से होगा जो कि उसके अन्दर दी गई है या कि जिस तारीख को यह इशू किया गया ?

Minister : As a matter of fact that Press Note is not with me here. If the hon. Member agrees, supplementaries on this may be postponed to the next day of sitting so that the Minister, who is in a better position, could answer the supplementaries.

Mr. Speaker : All right, more supplementaries on this question will be allowed on Monday next.

(At this stage Comrade Ram Chandra rose to ask a supplementary question)

Mr. Speaker : We will take up this question on Monday next, when the honourable Member s can ask supplementaries on this question.

ADJOURNMENT MOTIONS

Next item on the agenda is an adjournment motion given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Shamsher Singh Josh : I beg to make a ....

POINT OF ORDER RE PRIVILAGE MOTION.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरी सबमिशन यह है कि मैंने गालबन 17 तारीख को एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस चीफ मिनिस्टर की मिसस्टेटमेंट के बारे में दिया था। उसके मुताल्लिक आप की रूलिंग नहीं आई और वह भेजी गई थी चीफ मिनिस्टर को..........

Mr. Speaker : The matter is still under consideration.

मैं कोशिश करूँगा कि मन्डे को जो भी इत्तलाह हो आपको दे दूं। (The matter is still under consideration. How ever I will give whatever information is available with me on Monday.)

ADJOURNMENT MOTIONS

Comrade Shamsher Singh Josh : I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House ....

Mr. Speaker : The hon. Member need not read his motio.n He may only give a gist of that.

Comrade Shamsher Singh Josh : All right, Sir. The gist of my adjournment motion is.

"namely, the allegation of the Home Minister made yesterday in the House that there exists a China lobby within the Communist party of India including the members of the Assembly belonging to the Communist party. These allegations are absolutely false, baseless and concocted and made to defame and dishonour the Communist party. This further affects the status and integrity as Member of this House. It is, therefore, demanded that the House be adjourned to discuss these allegations made by the Hon. Minister which either he should prove or resign or withdraw the allegations made against some Members of this House and the Communist party.

Mr. Speaker : This adjournment motion relates to certain remarks made the other day by the Home Minister about the activities of the Communist party and certain Members. This cannot form the basis of an adjournment motion. If the hon. Member wants to refute these allegations or make comments thereon, he can do so during discussion on the No Confidence Motion.

Comrade Shamsher Singh Josh : I refuted these allegations, repeatedly.

Home Minister : I repeated those allegations.

Comrade Shamsher Singh Josh : The Government has not accepted our challenge to prove these charges in the law courts constituted by this Government. Nor have they withdrawn those allegations.

Home Minister : The law courts have already given their verdict. Both the High Court and the Supreme Court have rejected their Habeas Corpu s petition.

Comrade Shamsher Singh Josh : They were not rejected on facts. They were rejected on technical ground that the Court cannot come in cases relating to Defence of India Rules.

Mr. Speaker : That is all right. But this motion is out of order.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫ਼ਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੱਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । (He did not refer to the hon. Member)

Chaudhri Devi Lal : Sir, I beg to ask leave for..........

श्री अध्यक्ष : आप मोशन पढ़ें न, जिस्ट दे दें । (The hon. Member may give the gist instead of reading his motion.)

चोधरी देवी लाल : बहुत अच्छा जी । आज कल गन्दम की फसल की पकाई का वक्त है और सरकार ने इस वक्त तक नहरों में पानी नहीं दिया है । जो पीछे सर्दी पड़ी थी उस से भी फसल तबाह हो गई थी । जब गन्दम बोई गई थी तो पानी ज्यादा से ज्यादा दिया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजाई हो सके । चीफ मिनिस्टर साहिब पैदावार डबल करना चाहते थे । लेकिन अब जब कि फसल पकने को है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं चल रही है । एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो रोटेशन से चल रही है । इसमें 5227 क्यूसेक्स भाखड़े के पानी की डिमांड है मगर सिर्फ 2,700 क्यूसैक्स चल

[चौधरी देवी लाल]

रहा है । वह भी बाई रोटेशन। यह बहुत ज़रुरी मसला है और इस पर फौरी तौर पर तवज्जुह दी जानी चाहिए। इस पर बहस के लिये हाउस को कुछ टाइम मिलना चाहिए ताकि लोगों की ग्रीवैंसिज़ सरकार के सामने रखी जा सकें। वरना सरकार जो फसल को डबल करना चाहती है यह निसफ भी नहीं रहेगी ।

पंडित चरंजीलाल शर्मा : फसलें सूख रही हैं, यह तो फौरी तवज्जुह देने का मसला है।

Mr. Speaker : This matter is not of a recent occurrence and cannot form the basis of an adjournment motion. Since it gives rise to an important matter, I would request the hon. Minister concerned to make some sort of a statement* about it.

पंडित जगन्नाथ : मिनिस्टर साहिब तो एवायड करने के लिए चले गए हैं।

Mr. Speaker : Other Ministers are there to represent the Government.

श्री जगन्नाथ : यह सम्बन्धित मिनिस्टर नहीं हैं।

Mr. Speaker: Will you please resume you seat ?

चौधरी देवी लाल : मैं अभी अभी 70 गांव से घूम कर आया हूँ भाकड़ा नहर जो जा रही है उसमें पूरा पानी नहीं और अगर इन तीन दिनों में पानी न दिया गया तो फसल नहीं होगी । चीफ मिनिस्टर जो डींगे मारते हैं कि फसल दुगनी होगी मैं समझता हूँ कि यह निसफ भी नहीं रहेगी । इस बारे में तो आज ही कदम उठाने ज़रूरी हैं ।

चौधरी इन्द्र सिह मलिक : कमाद की फसल तो बोई नहीं जा सकी और गंदम की फसल को पानी नहीं दिया जा रहा । तमाम नहरें बंद पड़ी हैं। इसके बारे में पूरा ध्यान देना चाहिए ।

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब अगर पानी न दिया गया तो करोड़ों मन फसल तबाह हो जाएगी । यहां तो वज़ीरों को फुरसत नहीं क्योंकि वे तो इलैक्शन के धन्दे में लगे हुए हैं। पानी न मिलने से फसल तबाह हो जाएगी। इस तरफ तो फौरी तवज्जुह की ज़रूरत है फौरन ध्यान दिलाना चाहिए ।

Home Minister : Sir, I would like to refute this insinuation. Hon'ble Members of this House should be aware that the other House is also sitting simultaneously. Today that House started its sitting from 9-30 a.m. We have always been pressing that there should be some sort of adjustment between the times of sitting of the two Houses so that the Ministers could

---

**Note*: The Statement by the Minister for Irrigation and Power re-Failure of the Administration to supply water to areas affected by frost and cold etc. appears at page (25) supra of this Debate.

attend sittings of both the Houses. But this could not be done. So some of us are there and some of us are here. So far as the election fever is concerned, it may be more to Chaudhri Devi Lal than to any of us.

Mr. Speaker : I hope the hon. Minister will make a statement on Monday.

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब इस किस्म की बहुत अहम एडजर्नमेंट मोशन पेश हो तो क्या यह मिनिस्टर इन्चार्ज की ड्यूटी न थी कि वह यहां पर मौजूद रहें ?

श्री अध्यक्ष : यह मोशन मेरे पास 7.45 पर आज सुबह आई और रूल्ज़ के मुताबिक 1-1/2 घंटा पहले इसे आना चाहिए था लेकिन इसकी नोइयत देख कर मैं यह चाहता था कि इसे हाउस के सामने रख दूं इसलिये इसको भेजने में जो देर हुई उसे नज़रअंदाज़ कर दिया है। That is why I have requested the Minister concerned to make a statement. (The notice of this motion was received at 7.45 this morning and according to rules it should have been received $1\frac{1}{2}$ hours before the commencement of the sitting. But considering the nature of the subject, I wanted it to come before the House and therefore. I waived the delay on the part of the Member in giving notice of the Motion. That is why I have requested the Minister concerned to make a statement.)

(*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : जनाब, मैंने तो 7.25 पर भेजी थी लेकिन वहां पर आपके स्टाफ का कोई आदमी नहीं था। तीन, दिन के अन्दर तो करोड़ों मन अनाज तबाह हो जाएगा, आपके ज़िला में भी बठिन्डा, हिसार, टोहाना और अपर रोहतक का इलाका मैं देख कर आया हूँ। हालत बहुत नाजुक है और आपने हुक्म दिया है कि सोमवार को स्टेटमेंट दी जायगी। यह तो फौरी तौर पर टैलीग्राफिकली पानी देना चाहिए। अगर पानी न दिया गया तो करोड़ों मन फसल तबाह हो जाएगी। यह मेरी दरखास्त है।

Mr. Speaker : No further discussion, please.

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, we are also having a sitting in the afternoon, i. e., a second sitting today and I think if the hon. Minister concerned makes a statement today during that sitting, instead of Monday, it will solve the problem.

Mr. Speaker : There may not be a second sitting today. I have received a request from certain hon. Members and I am given to understand that perhaps the whole House may agree that the second sitting scheduled for today may not be held.

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, it was as a result of the decision of the Business Advisory Committee and approved by the House unanimously that this second sitting was fixed. It will be very unfair to the House or it would not be very fair not to meet a second time today.

Mr. Speaker : I do not deny that the decision to hold a second sitting today was taken by the Business Advisory Committee and approved by this House, and if the House agrees unanimously that there should be no second sitting, only then that decision will be changed.

Shri Prabodh Chandra : I inform the Chair beforehand about my opinion that there should be a second sitting today as decided earlier and I do not agree with the proposal that there should be no second sitting.

Mr. Speaker : After disposing of the adjournment motions etc., I will put that matter to the House and if the hon. Members do not agree then, the previous decision will stand and there will be a second sitting today.

चौधरी राम सरूप : स्पीकर साहिब मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह से टाईम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। स्टेटमेंट आज देनी चाहिए। यह पानी का मामला है और जहां तक जमींदारी का ताल्लुक है शायद इस बारे में आपको समझ न हो। आप मुझे माफ करेंगे मैंने यह शब्द कहे क्योंकि शायद आप जमींदारों का प्वायंट न समझे हों। फसल आखिर दम तक आ गई है और अगर आप यह हुक्म दें कि तीन दिन के बाद यह स्टेटमेंट आए तो उसका क्या फायदा होगा। एक बीमार आज दम तोड़ रहा है और आप उसे यह कह दें कि तीन दिन के बाद डाक्टर आएगा तो इसका कोई फायदा नहीं। नहरों में पानी बंद है। आज ही इस का जवाब आना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या पोजीशन लेना चाहती है। गरीब ज़मींदारों के कम नुमाइन्दे हैं और आज ही ऐन मौके पर जब उनकी जान निकल रही हो, उनकी मदद करने की ज़रूरत है।

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : मैं इतना ही इस वक्त कहना चाहता हूँ कि जब किसी मिनिस्टर साहिब की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है तो यह जरूरी नहीं कि उस वक्त ही वह चीज सरकार के नोटिस में आती है। सरकार के नोटिस में यह चीज पहले भी थी और अब भी आई है और सरकार अपनी तरफ से ऐक्शन लेती है और ले रही है और यह सरकार का फर्ज भी है कि जब कोई ऐसी बात सामने आए तो ऐक्शन लिया जाए। अगर आज शाम को सिटिंग हुई तो I would request the Minister to inform the House even today.

(*Some Members rose to speak.*)

Mr. Speaker : The discussion should stop now.

There is an adjournment motion by Comrade Shamsher Singh Josh regarding further extension of service for five years to Dr. Tulsi Dass, Director of Medical Research and Health.

Whether a particular employee should be given extension in service or not is purely an administrative matter and thus cannot be the basis of an adjournment motion. I, therefore, disallow it.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ

ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚ ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਡਜ਼ੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਗੇ ਹੋ। (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : I have ruled it out of order. It relates purely to an administrative matter.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ; ਮੇਰੀ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਜੀ, ਕਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Comrade Makhan Singh Tarsikka might remember that the Deputy Speaker pointed out to him yesterday that his adjournment motion needed certain clarifications.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Mr. Speaker : Then that clarification will be examined and thereafter the motion will be taken up.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Mr. speaker : No discussion please

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ* ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੀਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸਬ—ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ.... .

Mr. Speaker : Let me take up the other motions first. Then I will find out.

QUESTIONS OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There is Privilege motion by Dr. Baldev Parkash "that the hon. Home Minister gave a wrong information while replying to supplementaries on the question of Gram Raksha Dal in the House ....'

I have gone into it. Whatever the reply was given by the hon. Home Minister, regarding Raksha Dal, it is in accordance with the rules

---

* Note.— The statement by the Home Minister Re-Surveillance on Sardar Kulbir Singh M.L. A. by police appears at page (25) 55 J supra of this Debate,

[Mr. Speaker]

which were made under the Home Guards Act of 1947. Therefore, the question of any wrong information is not involved at all. If the Honourable Member feels that the rules are not in accordance with the provisions of the Act, he can challenge them in the proper manner. But that cannot form the basis of a privilege motion.

Mr. Speaker : There is a privilege motion by Chaudhri Khurshed Ahmed and Shri Hira Lal. He may state the gist of his motion.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Sir, I beg to raise a question of privilege that Rao Birendar Singh, a dismissed Minister and Defence Advisor at present of the Punjab Government has committed high infringement of the privileges of this House and that his misdemeanour may be referred to the Privileges Committee for examination.

Rao Birendar Singh insulted and obstructed Shri Hira Lal, a Member of this House while the latter, on 25th March, 1964, was coming to attend the House. The incident took place in the legislature building and was witnessed by Shri K. L. Poswal and another member of this House.

Mr. Speaker : I had asked the Honourable Member to state a gist of the motion and not to read it out.

True facts are not known as yet and it is to be ascertained whether they are correct or not.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Sir, the facts have been mentioned in the motion. Moreover, the Honourable Member concerned is present in the House and he can be asked to explain them here.

Mr. Speaker : Let the facts be ascertained first.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Sir, the Honourable Member is here. He can be examined........

Mr. Speaker : No question of examination.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Sir, he is present in the House. He should be allowed to explain the position.

चौधरी टेक राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । पहले इस बात का विश्वास ले लिया जाये कि वह कोई गलत बयानी नहीं करेगा ।

Mr. Speaker : No insinuations please.

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आपने यह फरमाया है कि अभी आपने इसको एग्ज़ामिन करना है मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ामिन करेंगे तो जिन के खिलाफ चार्जिज़ हैं और जिन्होंने चार्जिज़ लगाये हैं क्या उन दोनों को बुलाया जायेगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी स्क्रूटिनी किस तरह से होगी ?

Mr. Speaker : I am not yet giving any decision on this privilege motion with regard to its admissibility. The office will go into the facts of the case and then I will give my ruling.

Sardar Gurnam Singh : Sir, if the facts are true then the matter clearly constitutes a breach of privilege. What is the method of finding out the facts ? The facts have been stated by one Honourable Member of the House in writing. The other Honourable Member who has made the allegation is also present in the House and he can be asked to explain the facts. There is a precedent also of this kind when Chaudhri Tek Ram was asked to make a statement right in the House. When the Honourable Member concerned is present in the House, we would expect you, Sir, to ask him to state the facts here so that no further pressure is exerted on him. This, I think, is the proper attitude which should be adopted.

Mr. Speaker : Before I give my ruling with regard to the admissibility of the motion, I will go into the question and, if necessary, I will request the Honourable Members concerned, the mover of the motion and the other Honourable Members concerned, to meet me so that I could know whether the facts are correct or not.

Chaudhri Khurshed Ahmed : Sir, the hon. Member is present in the House. He can be asked to explain the facts just now.

Mr. Speaker : There should be no discussion unless the motion is admitted.

Babu Ajit Kumar : It is a perfect case for being referred to the Privileges Committee.

Sardar Gurnam Singh : The Honourable Member is present in the House. He may be asked to state the facts here.

Mr. Speaker : Let the Honourable Member give to me in writing whatever he wants to say.

Chaudhri Khurshed Ahmed : The facts have been stated in the motion. Moreover, the Honourable Member is present in the House. He can be examined and can be asked to state the facts here.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ..

Mr. Speaker : What is the convention ? There is no convention.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਸੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਾ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸੇ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : How does this allegation arise out of it.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ there can be no discussion unless the motion is admitted. (What the hon. Member means to say is that this House is competent to discuss the privileges of the hon. Members but there can be no discussion unless the motion is admitted.)

Sardar Gurnam Singh : Sir, the Honourable Member is present in the House and we want to know the exact position right now.

श्री अध्यक्ष : अगर किसी मोशन को ऐडमिट करने से पहले ही आप अपनी राय देनी शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि यह मुनासिब बात न होगी । Without going into the merits of the case I may state that if the matter is published in the press, the whole mischief is done. It would not be proper for the hon. Member to express his opinion before an motion is admitted. Without going into the merits of the case I may state that if the matter is published in the press, the whole mischief is done.)

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, I think that that will be a wrong approach. I do not differ with your ruling. I have no right to differ. I will accept what you say. But I would say that this will be a wrong approach. It is the right of the Honourable Member to be believed. This is the minimum right of the Honourable Member. When an Honourable Member makes a statement in the House that he was badly treated that has to be taken as true. If, however, the Honourable Member proves unworthy or makes a wrong statement that matter too can be referred to the Committee of Privileges. But till that stage arises, if an Honourable Member makes a statement here that he was badly treated, you cannot invite him for cross examination etc. For the matter of accepting the priviliege motion, that is enough. Then it will be for the Privileges Committee to go into the matter in detail.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I never expected this at least from the Leader of the Opposition.

Sardar Gurnam Singh : I am only suggesting, Sir.

Mr. Speaker : I did not expect this at least from him.

Unless the Hon'ble Member meets me and I feel satisfied that this is a fit case for being referred to the Privileges Committee, I will not allow the statement to be made (*Interruptions*)

If however, he makes a statement it should not be published in the press unless the motion is admitted. If the House agrees that will not form part of the proceedings and will not be published in the Press, I will allow the hon. Member to make a statement.

Sardar Gurnam Singh : It should form part of the proceedings. But the House can say that it should not be published in the press.

Comrade Shamsher Singh Josh : Mr. Speaker, it is a clear case where the Chair should allow the hon. Member to state the facts. If the matter concerned a person, not Member of the House, then your suggestion/ruling would have met the end of justice. But in this case the hon. Member concerned is a member of this House and he has made certain allegations against an hon. Member of the other House. I would, therefore, suggest that you may kindly allow him to say a few words about the facts here. This will help you as well as the House in arriving at a conclusion whether there is *prima-facie* any case for reference to the Privileges Committee or not.

Mr. Speaker : The hon. Member may make a statement which will form part of the proceedings but will not be published in the press unless the question of its admissibility is decided.

Comrade Ram Piara: I rise on a point of Order. I want to know whether there is any precedent when the Hon'ble Member of this House has not been believed ? And for this purpose I want to draw your kind attention to my allegations that I, during the previous term, made against the Chief Parliamentary Secretary. My statement was believed and the matter was referred to the Privileges Committee.

Mr. Speaker : This is not a proper point of order. Let the hon. Member, Shri Hira Lal, make a statement.

श्री हीरा लाल : यह वाक्या सुबह का है। सुबह 8–55 पर मैं आज एम०एल० ए० होस्टल से हाउस में आ रहा था। मेरे पीछे बनवारी लाल थे। जिन्होंने अभी यह कहा कि खुरशीद अहमद ने फीस ली है या नहीं। तो मैं जब आ रहा था तभी राव वीरेन्द्र सिंह सामने से आए और गुस्से में भर कर उन्होंने मेरी छाती में मुक्का मारा और बनवारी लाल से कहा कि यह कहीं मिल जाय तो इसे ठोक दो।

[*Shri Banwari Lal rose to speak*]

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्री हीरा लाल : और कहा कि इसने ऊधम मचा रखा है, हमारे ग्रुप में शामिल क्यों नहीं होता है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रुप को नहीं जानता कि तुम्हारा ग्रुप क्या है। इतने में पोस्वाल साहब पहुंच गये और वे उनको नीचे ले गए और मैं ऊपर आ गया।

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

Mr. Speaker : Shri Banwari Lal.

Sardar Gurnam Singh : Under what rule are you hearing the hon. Member, Shri Banwari Lal ? Have you started recording evidence in the matter ?

Mr. Speaker : No.

Sardar Gurnam Singh : Sir, previously you were reluctant to ask the hon. Member concerned to state the facts. But now you have started recording evidence of another hon. Member. Is this the correct stage for that ?

Mr. Speaker : If the facts are to be ascertained before giving a ruling with regard to the admissibility or otherwise of the motion, I think, he should also explain his position because certain allegations have been levelled against him. Does the hon'ble Member, Sardar Gurnam Singh, want that he should not explain his position ?

Sardar Gurnam Singh : Sir, I thought that you were very reluctant to hear the hon. Member who was molested. But now you are also asking the other hon. Member to explain the position. It is your wish. You can have so if you think it relevant.

श्री बनवारी लाल : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो हीरालाल ने स्टेट-मेंट दी है......... (शोर)

Sardar Gurnam Singh : This is not a point of order. He should know what a point of order is ?

बाबू बचन सिंह : मिस्टर स्पीकर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मिस्टर हीरा लाल ने एक स्टेटमैंट इस हाउस में दिया है और उसमें उन्हों ने दो आनरेबल मैम्बर साहबान का ज़िक्र किया है जिनमें एक हैं मिस्टर बनवारी लाल, और दूसरे हैं श्री पोस्वाल । मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह सिलसिला शुरू हो गया तो क्या गवाहियों के लिये यह सिलसिला सारे मैम्बरान तक ले जाया जाएगा और हर एक को इसमें गवाही देनी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष : एक आनरेबल मैम्बर साहब का ब्यान इस हाउस में आ गया मैं समझता हूँ कि श्री बनवारी लाल या पोस्वाल कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं । (One hon. Member has given his statement in the House. I think that if Shri Banwari Lal or Shri Poswal wish to say something on this issue they can do so.)

श्री बनवारी लाल : मिस्टर हीरा लाल ने कहा कि मैं उधर से आ रहा था लेकिन मैं आपोज़िट साइड से आ रहा था और मैंने यह देखा कि जब राव बीरेन्द्र सिंह आए तो मिस्टर बनवारी लाल और वह एक दूसरे को देख कर हंसने लगे । मैं समझता हूँ कि वह कोई सीरियस मामला नहीं था मज़ाक की बात थी । इसलिये यह जो हीरा लाल है इसे ज़रा ब्राडमांइंडिड होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (Please resume your seat.)

Sardar Gurnam Singh : That is his own view. We are not concerned with it.

श्री कन्हैया लाल पोस्वाल : मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था। लेकिन मैंने यही बात सुनी जब कि चोंचें लड़ रही थीं और राव वीरेन्द्र सिंह कह रहे थे कि तुम क्या मेरे पैरों से ज़मीन निकालोगे"। हीरा लाल ने यह कहा कि "मैंने तो क्या निकालनी है, ईश्वर ने निकालनी है--" बस मैंने यह देखा तो मैं राव बीरेन्द्र सिंह को ऊपर ले गया और यह नीचे रह गए ।

Mr. Speaker : Then there is a call attention motion by Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Ram Chandra : Sir, what is your ruling on the previous motion ?

Mr. Speaker : I have deferred my decision on that.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, लाउंज में एक डिस्मिस्ड मिनिस्टर अगर इस हाउस के आनरेबल मैम्बर को मारते हैं........(Interruption)

Mr Speaker : please sit down.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहब आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ लेकिन यह बात ठीक नहीं है जो मुझे आप इतने जरूरी मसले पर बोलने की अजाज़त नहीं दे रहे।

Mr. Speaker: I have not given my ruling on this privilege motion.

Whether this privilege motion should be admitted or not or whether it should be referred to the Committee of Privileges or not, I will give my finding later. Before that finding comes, I would request the hon. Member Shri Mangal Sein as also other hon. Members of the House not to make comments this way or that way.

Chaudhri Khurshed Ahmad : On a point of Order, Sir. As far as the admissibility or otherwise of this motion is concerned, the decision may be postponed. But I would like to invite your Honour's attention to May's Parliamentary Practice which has often been quoted in this House during the current Session. Sir, this is a perfect case for being referred to the Privileges Committee. At page 124 of this book, I would refer to 'Molestation of Members on account of their conduct' ....

Mr. Speaker : It would be better if the Hon. Member may meet me in my Chamber.

Chaudhri Khurshed Ahmad : Sir, second paragraph.......

Mr. Speaker : I have already suggested that the hon. Member may meet me in my Chamber. He will have perfect liberty to explain the case to me. I will give a decision by Monday next.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : There are certain Call Attention Motion given notice of by various hon, Members of the House.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to draw the attention of the hon. Education Minister to the circular ....

Mr. Speaker : Your Call Attention Motion about Patwaris is at No. I.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I have not got a copy of that Call Attention Motion with me at the moment.

Mr. Speaker : If the hon. Member has not got a copy of the motion with him and if he is not ready with his first Call Attention Motion, how can I help him ?

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I can give a gist of that motion.

Mr. Speaker : All right.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to draw the attention of the hon. Revenue Minister to the great injustice and discrimination being done with the Canal Patwaris. There is a great difference in the pay scales of Revenue and Canal Patwaris. This discrimination affects 5,000 Canal Patwaris. Unfortunately, the hon. Revenue Minister is not here and I, therefore, request that some other Minister may take note of it.

Planning and Public Works Minister : Sir, the revision of the pay scales of Canal Patwaris is under the active consideration of the Government.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : स्पीकर साहिब, फगवाड़ा सब डिवीज़न में सीमेंट की किल्लत की वजह से सारी डिवैलपमैंट रुकी पड़ी है । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वहां का शहरी और देहाती सीमैंट का कोटा दुगना कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को सीमैंट सप्लाई किया जाए ।

Home Minister : Sir, I have taken note of the version put forward by the Hon. Member. I will look into it.

Mr. Speaker : The next Call Attention Motion has been given notice of by the Hon. Member Dr. Baldev Parkash. But he is not present in the House.

The next motion is again from Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, my Call Attention Motion relates to a circular letter issued by the Director of Public Instruction, Punjab, to all the District Education Officers asking them to prepare secret lists of teachers and persons suspected of annonymous complaints........"

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आज आपने सवाल किया था इसलिये काल अटैनशन नोटिस की क्या ज़रूरत है । (The hon. Member asked a question

about this matter today. Therefore, there was no necessity for bringing this call attention notice.)

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਆਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ।

Mr. Speaker : So far as this Call Attention Motion is concerned, its purpose has been achieved by putting a Question on the subject which has already been answered by the Government.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੇਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਐਨੋਨੀਮਸ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਚਕਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਐਨੋਨੀਮਸ ਲੈਟਰ ਨਾ ਭੇਜੇ । ਅਸੀਂ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨੋਨੀਮਸ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सर। होम मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि अगर उनको कोई शिकायत हो तो वह बाकायदा नाम लिख कर रिप्रैजेंट करे । मैंने पिछले चंद रोज़ हुए एक सवाल पूछा था जिस पर स्पीकर साहिब ने कहा था कि शार्ट नोटिस क्वैस्चन का नोटिस दे दो । लेकिन 15 दिन के बाद जवाब ग्रा गया कि चीफ मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि ऐसा शार्ट नोटिस क्वैस्चन नहीं एलाग्रो होना चाहिए ।

Mr. Speaker: This point of order has no relevancy with the present matter. The hon. Member can have his say at some other occasion.

SITTING OF THE ASSEMBLY

Mr. Speaker : I have received a letter from the Hon. Member Dr. Baldev Parkash requesting that there may be one sitting of the House to-day as all the Members are very busy in Elections to the Council of States and Punjab Legislative Council. He has said that non-official business may be postponed,

[Mr Speaker]

If the House is unanimously of this view then I have no objection to it. (*Interruptions*)

Then only a decision can be taken.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I will submit to the wishes of the majority. It will be setting a bad precedent if the decisions already arrived at unanimously in the House are upset. It has been requested to hold only one sitting to-day because some hon. Members want to go to their homes. I leave the matter to the House but it will be, as I have already submitted, setting a very bad precedent. I would, therefore, request the Chair not to change the earlier decision of the House.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, मैम्बरों के घर जाने का कोई सवाल नहीं है। माननीय सदस्य को गलत फहमी हो गई है आज 5 बजे काउंटिंग होनी है जो कैंडीडेट्स हैं उनके कई एम. एल. एज काउंटिंग एजंट हैं, पोलिंग एजंट हैं। जब इलेक्शन की गिनती होगी तो वह वहां पर मौजूद होंगे और हो सकता है कि 6, 7 बजे तक कांउटिंग हो। इसलिये एम.एल. एज वहां पर बिज़ी होंगे और सदन के अन्दर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसलिये मुनासिब यही होगा कि जो बिजनैस आज के लिए है वह अगले सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब अब घर जाने का वक्त निकल गया है। इसलिये यही अच्छा रहेगा कि आज दो सिटिंगज़ हो जाएं।

श्री अध्यक्ष : आज दो सिटिंगज़ होंगी। (There will be two sittings to-day.)

चौधरी राम सरूप : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब आज दो सिटिंगज हो रही हैं तो क्या इरीगेशन मिनिस्टर पानी न मिलने के कारण दूसरी सिटिंग में अपनी स्टेटमेंट देंगे।

Mr. Speaker : I would like to know from the Hon. Home Minister whether the Hon. Irrigation and Power Minister will make the statement to-day.

Home Minister : Sir, I will talk the matter over to the Hon. Minister for Irrigation and Power and I hope that he will take the House into confidence.

RESOLUTION* REGARDING ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY

(RESUMPTION OF DISCUSSION)

(*Not Concluded*)

Mr. Speaker : The hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill was on his legs when the House adjourned last time. He is not present in the House.

(*Some hon. Members rose to speak*)

Mr. Speaker : Sardar Gurnam Singh.

STATEMENT BY HOME MINISTER RE-SURVEILLANCE ON SARDAR KULBIR SINGH M.L.A. BY POLICE

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ On a point of Order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ....

Mr. Speaker : I will just find out.

Home Minister : Sir, it affects one of the hon. Members of the House. I am, therefore giving the information which I have obtained. The information is this that there is no substance whatsoever in the allegation in regard to the surveillance on the hon. Member Sardar Kulbir Singh, by the Police at any place outside or at Chandigarh. It is incorrect that the Police is exercising any such surveillance or check on the hon. Member from performing his duties as a legislator.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਥਾਨੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਸਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਸ ਦਿਓ। (The hon. Member may tell the name.)

Sardar Gurnam Singh : Then it is a question of privilege rather than adjournment motion.

Mr. Speaker : The hon. Member has given notice of an adjournment motion.

---

*Note.—For previous discussion on the resolution re. Establishment of Socialism in the Society, please see Vidhan Sabha Debates Vol. I—No. 3 dated the 20th February, 1964 and Vol. I—No. 16 dated the 12th March, 1964.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ he has entered into political conspiracy........

Mr. Speaker : But how can it be a subject matter of adjournment motion ?

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ .....

Mr. Speaker : It cannot become the basis of an Adjournment Motion.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡੀਨਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ।

गृह मन्त्री (पंडित मोहन लाल) : स्पीकर साहिब मैं इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहां तक इस हाउस के मैंबर का सम्बन्ध है उस पर काफी संजीदगी से विचार होना चाहिए। अगर सरदार कुलबीर सिंह या सरदार अजायब सिंह संधू के पास कोई ऐसी इन्फर्मेशन है तो वह मुझे लिख कर भेज दें। I will definitely enquire into the matter. I have given the information which is factual. मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जज़बात और सैंटीमैंट्स पर यह केस टेक अप नहीं करना चाहिए। मैंम्बरशिप की सैंक्टिटी को बरकरार रखना चाहिए।

If there is any incident involved in regard to the person of the Hon'ble Member and if that information is passed on to me, I will have it enquired into. I will also take the House into confidence. I will have it enquired into through a proper high authority.

Mr. Speaker : (Addressing Sardar Kulbir Singh) Is the Hon. Member satisfied now.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, It is a clear mis-statement......

Mr. Speaker : The hon. Member may pass on the information to the Home Minister. He will look into it,

Home Minister : I do not want to enter into any controversy with the hon. Member. He should not get excited. What I am stating is the actual position as it exists to-day.

Mr. Speaker : I would like to know from the hon. Minister for Irrigation and Power whether he will make the statement now ?

STATEMENT BY THE MINISTER FOR IRRIGATION AND POWER RE. FAILURE OF THE ADMINISTRATION TO SUPPLY WATER TO AREAS AFFECTED BY FROST & COLD ETC.

बिजली तथा सिंचाई मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : स्पीकर साहिब, मैं आप से क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस वक्त यहां पर मौजूद नहीं था जब यह मैटर एराइज हुआ था। मैं उस वक्त अपर हाउस में मौजूद था। जहां तक डिटेल्ज में बताने का सम्बन्ध है उसके लिए मुझे समय चाहिए । लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाखड़ा कैनाल का पानी चल रहा है। यह सही नहीं है कि पानी बन्द कर दिया गया है । भाखड़ा कैनाल में पानी चल रहा है और पिछले साल जितना चला था उस से ज्यादा चल रहा है। मैं मानता हूँ कि वर्षा नहीं हुई है । खेतों को पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा पानी की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब वर्षा नहीं हुई हो तो नदियों में भी पानी की मिकदार कम हो जाती है । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा पानी देने की हम कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे ।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । एक तरफ तो मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि यह डिटेल्ज की बात है । उसके लिए टाइम की ज़रूरत है । दूसरी तरफ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी है । जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है क्या वह उनका जवाब समझ लिया जाए। क्या मंत्री महोदय इस बारे में फिर जवाब देंगे । मुझे तो इस बारे में कोई समझ नहीं आया । (विघ्न) (गृह मंत्री द्वारा विघ्न)

मैं अर्ज कर रहा था कि जो मंत्री महोदय ने यहां पर स्टेटमेंट दी है क्या वही स्टेटमेंट समझी जाए । इसके बारे में आप से रूलिंग चाहता हूँ।

Mr. Speaker : I would request the hon. Minister for Irrigation and Power to make an attempt to obtain the information to-day. If he is able to get the information he may make the statement in the second sitting of the House because it relates to a serious matter. If, however, he is not able to get the proper data, then he may make the statement on Monday, the 30th March, 1964. Will the hon. Minister give a detailed statement on this matter ?

बिजली तथा सिंचाई मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : स्पीकर साहिब, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में भाखड़ा प्रोजैक्ट के जनरल मैनेजर से पता करना पड़ेगा कि इस वक्त गोबिन्द सागर में कितने क्यूसैक्स पानी है और पिछले साल कितने क्यूसैक्स पानी था । इस वक्त यह इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है और इस वक्त यह इन्फर्मेशन प्राप्त करनी आज मुमकिन नहीं होगा । पानी की मिकदार का पता करना होगा । यह इन्फर्मेशन एक दो घंटों में नहीं मिल सकती। इसलिए इसके लिए समय चाहिए ।

बाबू बचन सह : आप टेलीफोन पर इन्फर्मेशन मंगवा लें। (विघ्न)

मन्त्री : स्पीकर साहिब, माननीय सदस्य समझते हैं कि हम को एक ही काम है। जहां पर उपस्थित रहना होगा और अपर हाउस में भी हाजिर रहना होता है। इसलिये यह इन्फर्मेशन आज नहीं दी जा सकती। क्योंकि वक्त कम है। स्पीकर साहिब, मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप मुझे डिटेल्ज़ के साथ स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं तो मैं सोमवार को दे सकूंगा। इसके साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में जितनी जानकारी थी वह मैंने हाउस को दे दी है।

Mr. Speaker : The hon. Minister should go through the adjournment motion and in view of that adjournment motion, the hon. Minister may please make a statement which may satisfy the Members, or he may issue necessary instructions to undo things which are required to be undone.

11.00 a.m.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैंने यही निवेदन किया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। बात बिल्कुल साफ है कि खेतों में पैदावार के लिए पानी की ज़रूरत बारिश न होने की वजह से ज्यादा हो गई है और बारिश न होने की वजह से भाखड़े के अंदर भी स्टोरेज कम हो गया। वरना पानी तो हम वैसे ही छोड़ रहे हैं जैसे कि छोड़ना चाहिए।..........

चौधरी राम सरूप : स्पीकर साहिब, इनकी बात की समझ नहीं आई।

मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है कि मैं मैम्बर साहिब की तसल्ली करूँ उसी सिलसिले में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैम्बर साहिब के साथ हमदर्दी तो ज़ाहिर कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और इसलिये किसान की मुश्किलात को मैं जानता हूँ लेकिन कुदरत की तरफ से जो आफत आती है उसका इलाज मेरे पास नहीं है। जितना इलाज हम कर सकते हैं वह हम किसान को मदद देने की सूरत में कर रहे हैं।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON RESOLUTION RE-ESTABLISHMENT OF SOCIALISM IN THE SOCIETY (Not concld.)

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Sir, the resolution before the House is

"With a view to establish Socialism in the Society, this Assembly recommends Government to take immediate steps so as to provide—

(a) necessities of life at reasonable prices;

(b) free education up to the highest level;

(c) free medical aid;

(d) means of employment for all in the State ."

चौधरी राम सरूप : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं जानना चाहता हूँ कि सैकंड सिटिंग में मिनिस्टर साहिब की स्टेटमेंट होगी कि नहीं होगी ?

मन्त्री : मैंने निवेदन कर दिया है ....

चौधरी राम सरूप : यह निवेदन तो करते रहेंगे लेकिन डैफिनिट जवाब कोई नहीं देंगे ।

Mr. Speaker : I will request the Honourable Minister to make a detailed statement in this connection on Monday next.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं चौधरी राम सरन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि वे स्टेटमेंट भाखड़ा कैनाल के बारे में होगी। इनका ताल्लुक भाखड़ा कैनाल से नहीं है। लेकिन यमुना के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सूचना देने की कोशिश करूंगा ।

Sardar Gurnam Singh : So far as the resolution goes to provide certain necessities of life to the people of this State, I have no dispute. But, so far as it says that by the supply of these means, a socialistic State will be established, I have got serious dispute with this resolution. Sir, in the Western countries, socialism, as understood, is that the entire ownership of means of production vests in the State; secondly, there is absolute equality of income, wealth and economic power; and thirdly, there is adoption of policy that seeks to take away from those who can afford to give and to distribute to those who do not have it, i. e., take away from 'haves' and give it to 'have-nots'. As far as these three conditions are concerned, the resolution does not fulfil any one of them. The ruling party, in fact, has not followed in toto any one of these conceptions regarding socialism as understood in the countries, where socialism started, or was practised.

Let us now examine each concept of socialism. As far as the first concept is concerned, whereby entire means of production vest in the state, there is, no doubt, that it does not exist, because 80 per cent of the national income actually comes from private sector. But, I think, I am a bit conservative in this estimate, because it may be even more than that. Therefore, this conception of socialism is not there. Then, Sir, we have not even defined where a public sector starts and where it ends, and we have not specified any demarcation between public sector and private sector. So, as far as the first conception of socialism is concerned, it is totally missing. Now, let us go to the second concept as to the equality of income, wealth and concentration of economic power. Here, we have not been able to reduce the inequalities of income between different classes of people in this country. The Industrial Revolution in other countries made the poor rich, but, in our country, if there is any Industrial Revolution, this made the poor poorer. That is the position as it obtains in our country. As a matter of fact, Sir, in several respects, such as concentration of industries, congestion in living conditions and inequality in income, the

[**Sardar Gurnam Singh.**]

conditions to-day in this country are worse than before. I am not opposing the resolution. I say that in a Welfare State the provision of necessities of life to the people is a good thing; in fact, more such means should be made available. But, what I am objecting to is that by the mere supply of these facilities, the mover of the resolution, who, unfortunately, is not here to-day will not be able to establish socialism. I do not want to be uncharitable to him by saying that he has deliberately said this. But, I do feel that the Honourable mover has not the true concept of socialism in his mind, when he says that by giving education, shelter and food to the people, he will be able to establish a socialistic society. I would not agree with him. Then let us go to the third condition of adopting a policy that seeks to take away from each according to his capacity and distribute to each according to his needs. This is the real thing. But, we have not assured even the minimum standard of living to all the people of India. We are talking of socialism and so many other things here, but we have not even reduced in any significant way the ratio between minimum and maximum of income in this country. There is a good deal of gap in wealth between the lower and upper classes of people. No serious effort has been made by the ruling party, in spite of their professions, to reduce the gap. There is no minimum assured to every one; nor there is any maximum limit to the income of individuals. In the rural areas, the life of people is even worse than that of 4th class Government employees. Their life is full of poverty, squalor and disease. This is the condition of the people for whom they want to establish a socialistic pattern of society. Therefore, Sir, I was saying that the mover of this resolution, to my mind, does not have the least conception of what socialism is, as is understood in the socialistic countries. By all means, I am with those who want to establish true socialism in the State. Let us establish a Welfare State; let us do something good to the people; let us reduce the gap in income between the poor and the rich. I am one with those friends who talk of socialism and Welfare State in that sense. At present, 80 per cent of people in this State are living in poverty. Where is their socialism ? What have they done to bring that about ? By supplying only these four things, i. e., necessities of life at reasonable prices; free education up to the highest level; free medical aid and means of employment for all in the State, will they be able to establish socialism in the true sense of the word ? Unfortunately, Sir, I feel that the party in power actually do not practise what they profess. Even if a small percentage of their professions are put into practice, I think that that would go a long way in ameliorating the conditions of the people living in poverty.

Then, Sir, Sardar Darbara Singh, Planning and Public Works Minister, while participating in general discussion of the Budget the otherday had stated that they had specified six steps to establish socialism. They were provision of food, clothing, shelter, free education, free medical services and old age pension. I wish the Honourable Minister had understood the concept of socialism. I entirely agree with him if these amenities are provided to the people of the State. These are the amenities which are required or needed in every Welfare State. Let us honour what has been said. Let us not deceive ourselves; let us not deceive the people of this State; let us not deceive the Honourable Members of this House only by shouting at the top of our voice that we are establishing socialism.

This is not socialism. What they are doing is not socialism. **Then what is it ? Let them come out with what they are doing.**

Mr. Chairman, even countries like Russia have given up the old idea of socialism. Socialism can now come through inventions, through organisation, through capital investment and through fiscal policy of the Government. By this they can make the people of this country happy and when people of the State will be happy, there will be no class-distinction. The State as a whole will get rich and every inhabitant of the State will reap the fruits of this richness. It is only then that it will be a welfare State. Even Russia, which was a socialist country—a Communist country, has almost fallen back on the conception of a welfare State, rather on this conception of socialism as I stated in the very beginning.

Sir, I will not take much time of the House on this subject because I am one with the mover that whatever is needed for establishing a welfare State must be done and it should be done early because it is seventeen years ago when independence came to this country. For all these seventeen years this party, the Congress party is ruling over the destinies of the State and for all these years they have not been able to reduce the gap between the rich and the poor. What are we going to do ? Shall we go on believing that they will reduce this gap and establish this socialist Society? There is no truth in the professions/promises made while giving replies enormous times in the House and outside every day that they will reduce the gap in the economic inequalities of the people.

Mr. Chairman, the conditions which prevail in our country to-day prevailed in the Western countries when industrialisation started there. Those very conditions prevail in our country to-day. They were following the policy of economic freedom and that is the policy which should be suited to every developing economy. Many classical thinkers like Home, Adam Smith, Bentham, Ricordo and John Stuart Mill rejected socialism for a variety of reasons and recommended the theory of economic freedom which I am placing before you. That suited very well to the Western countries. They were in the same state of affairs as we are now and I should say that it will do more good if we follow this theory in a broad way in our country. Now I have got certain opinions with me here which I will place before you and you will know, Sir, that property is the main basis of social co-operation and that socialism implies total evaluation of private properties. This is what I was disputing with the mover of the resolution by saying, "Provide these amenities to the people." He says, "He is for the establishment of a socialistic pattern of society in this State and socialism does not accept ownership of private property." So, as I said in the beginning a large amount of property, which means industry, is owned by private sector and they produce 80 per cent of the National wealth in this country. Therefore, let us not deceive ourselves. Let us now change the concept and adopt this policy of braod base of economic freedom. Home while recommending the institution of private property, was also aware of the circumstances when it would be unnecessary. He said—

> " In condition of abundance it is not called for, in a state of siege it breaks down, in a State of Universal benevolence it would be superfluous."

These are the ideals of this socialism. Another writer, Bentham says, "what would happen if unfortunately the institution of property was overthrown " and this is what he says—

> " If violent causes, such as revolution in Government, a chism, a conquest, produce the over throw of property, it is a great calamity but it is only

[**Sardar Gurnam Singh**]

> transitory... ..but if property were overthrown with the direct intention of establishing equality of fortune the evil would be irreparable-no more security, no more **industry, no more abundance**, Society would lapse into savage stage from which it had arisen."

This is what Bentham's opinion about abolishing private property is and Mr. Chairman, please consider it what he has said from your own point of view. As to the state of equality Bengham thought it could only be preserved "by the same violence by which it was established. It would require an army of inquisitors and executioners," to maintain it.

Again, Mr. Chairman, Nassu Senior, expressing his view on socialism says—

> "Even plunder or confiscation is less fatal to obstinence than what is called **socialism** or communism. The first only incidently diminishes the motives to production, the second aims specifically at destroying them".

He further says—

> "If this system should ever be attempted to be adopted, it will be necessary to substitute fear and the socialist nations, unless it is to starv emu st be divided into slaves and slave drivers."

That is what the classical thinkers felt. What will happen if a socialistic pattern of society in that sense or of that concept which I said at the outset is brought about in this country ? So my submission, Mr. Chairman, is that we should have a welfare State broad based on economic freedom and certainly the mover has said much less whereas we require more to give to the poor people of this country. What he says is nothing and therefore, I cannot have any dispute with the mover in providing these amenities or these necessities of life to the poor people of this country. But I would go farther than that and ask them,"Forget these slogans because these slogans do not pay." They do not solve the problem. Stop these slogans which come from the treasury benches, from the hon. Members sitting on the treasury benches, repeatedly and continuously promising a socialistic pattern of society in this State. I say—I humbly say, Sir, that they have no conception of socialism and I feel confident that if they become conscious of what socialism actually is, probably they come back from that goal. What they mean I think is and I am one with them that we must establish a welfare State in this country that can bring prosperity and happiness to the people of this State.

Thank you, Sir.

श्री चांद राम (साल्हावास एस० सी०): चेयरमैन साहिब, सोशलिज्म इन्सान के लिए एक लाज़मी अमर बन गया है। हमारे मुल्क में इसकी चर्चा आज़ादी से पहले से है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इकनोमिक फरीडम के लिए लाज़मी है पोलिटीकल फरीडम आए। पोलिटीकल फरीडम तो देश में आ गई लेकिन इकनोमिक फरीडम के लिए लाज़मी है कि जितनी कुर्बानियां हमने पोलिटीकल फरीडम के लिए दी थीं शायद उससे भी ज्यादा कुर्बानियां हमें देनी पड़ें। इसके कांटेंट को बदल सकते हैं और इसके रास्ते को हम बदल सकते हैं। अभी अभी भुवनेश्वर में जो आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का सैशन हुआ जहां पर यह प्रस्ताव पास हुआ और जिसके द्वारा मुल्क

को आह्वान दिया गया और चैलेंज कबूल किया गया कि समाजवाद एक रास्ता है जिसके ज़रिये प्रजातंत्र इस मुल्क में देर तक कायम रह सकता है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी आल-इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने जयपुर में एक प्रस्ताव कबूल किया था और उससे पहले अवडी में किया था। आप मुलाहज़ा फरमाए कि 1955 में आवडी में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाने का नारा लगाया गया था और वह नारा भी हमारी जो रूलिंग पार्टी ने नारा लगाया था और अब इसी पार्टी ने सोशलिज्म का नारा लगाया है और यह फैसला भी इसी सरकारी पार्टी की तरफ से किया गया है कि यहां समाजवाद का ढांचा बने, केवल ढांचा ही नहीं बल्कि इस मुल्क के अन्दर कम्पलीट सोशलिज्म लाना चाहते हैं। यह हमारी कांग्रेस पार्टी का नस्बुलैन है जिस का फैसला हमने भुवनेश्वर में किया था, जब वहां पर हमारे देश के सब से बड़े-बड़े लीडर मौजूद थे जिन के हाथ में देश की हकूमत की बागडोर है। उन्होंने यहां सोशलिज्म लाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली। यह लीडर वही थे जो सैंटर में और स्टेट्स में भी वजीर हैं या हकूमत के दूसरे पुर्जे हैं। और जिन्होंने संविधान की कस्म खा रखी है। हमारे संविधान में भी यह कहा गया हुआ है कि हम देश में सोशलिज्म लायेंगे और इस के लिये जो हमारे ज़राए पैदावार हैं वह ऐसे ढंग से तकसीम किये गए हैं जिससे कौमन गुड पैदा हो। अब सवाल है कि कौमन गुड क्या चीज़ है? इसका मतलब यह है कि तमाम आदमियों के हाथ ताकत रहे और देश की वेल्थ रहे। क्योंकि वैल्थ से ही ताकत आती है। लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस मुल्क के अन्दर जो दौलत है उस का बेशतर हिस्सा सिर्फ चन्द आदमियों के हाथ में है। चार किस्म के प्रोडक्शन के साधन होते हैं यानी लैण्ड, लेबर, कैपिटल और आर्गेनाइज़ेशन। इनमें से तीन चीजें तो चन्द आदमियों के हाथ में हैं जिनका इन पर कब्ज़ा है और जो आम आदमियों की और जन-साधारण की एक्सप्लायटेशन करते हैं। जन-साधारण की जो इनकम पैट्रन में डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इकानोमिक सर्वे हुई है। इस सिलसिले में एक-दो कमेटियां कायम हुई हैं और इकनोमिस्ट्स ने इस बारे में चर्चा की है और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई हैं उनसे यही पता चलता है कि जो देश की दौलत है वह चन्द आदमियों के हाथ में है। मैं यह कोई ज़बानी बातों की बिना पर नहीं कर रहा या महज़ अखबारों में आई खबरों की बिना पर नहीं कर रहा बल्कि जो हकीकत है और जो आंकड़ों से जाना गया है वह बता रहा हूं। यहां जो गुरबत है वह पहले से बढ़ी है। यह हालत आज आज़ादी के 16 या 17 सालों के बाद है और रूलिंग पार्टी ने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि अब हम ने सोचना है कि सोशलिज्म मुल्क में लाई जाए। मैं समझता हूँ कि आज न सिर्फ पालेटीशन्ज़ का ही यह फर्ज़ है कि इस तरफ कदम बढ़ाएं बल्कि जो हमारे अफसरान हैं जिनके ज़रिये यहां हकूमत चल रही है, उनका भी यह फर्ज़ है कि यह जो राईटिंग आन दी वाल है इसको ध्यान में रख कर इस तरफ काम करें। आज हमने फ्रैंच रैवोल्यूशन से कोई फायदा नहीं उठाया। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और विचार शक्ति बढ़ेगी हम अपने आप इस तरफ चलेंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें यह सोचना चाहिए कि यहां कांस्टीच्यूशनल वे में और पीसफुल

[श्री चांद राम]

वे में हम कैसे यहां सोशलिज्म ला सकते हैं। हमने यह फैसला किया हुआ है कि यहां पर कांस्टीच्यूशनल वे में और पीसफुल वे में यहां सोशलिज्म लानी है । तो इसके लिये हमें पार्लियामेंट में और स्टेट असेम्बलीज़ में ऐसे कानून पास करने होंगे जिनके जरिये हमारे जो लोअर तबका के आदमी हैं उनको ऊपर उठा सकें, उनको फायदा पहुंचा सकें और जो हायर क्लास के आदमी हैं जिन के पास जायदाद है या दूसरे साधन हैं उसी तरह के साधन हम गरीब तबका के लोगों को भी दे सकें ताकि सब को ईक्वल आपरचूनिटीज़ मिल सकें । ईक्वल आपरचूनिटीज़ से मेरा मतलब सिर्फ पुलिटीकल आपरचूनिटीज़ ही नहीं कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब को एक जैसा अधिकार हमारी सरकार ने राए देने का दे रखा है । यह ठीक है कि इस हक के मिल जाने से बहुत फर्क पड़ा है । यह इसी का असर है कि जो राजे महाराजे कहीं से गुजरते थे तो उनकी शक्ल देखने के लिए गरीब लोग घरों से बाहर आ जाया करते थे कि राजा या महाराजा की सवारी जा रही है। वे यह देखने के उत्सुक होते थे कि राजे महाराजे किस तरह से घूमते फिरते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं। जब उन्हें यह पता चलता था कि आज राजे या महाराजे की स्वारी वहां से गुजरेगी तो उन के दिलों में उनको देखने की बड़ी चाह हुआ करती थी । लेकिन आज इस वोट देने के अधिकार से यह सब हालत बदल गई है। अब वही राजा लोग गरीबों के घरों में जा कर उनसे वोट की भीख मांगते हैं और वह भिखारियों के घरों पर खुद पहुंच जाते हैं । उनकी जो पहले पुलिटीकल तौर पर शान हुआ करती थी वह अब नहीं रही । लेकिन सिर्फ पुलिटीकल आपरचूनीटीज़ ही तमाम चीज नहीं है । जब गरीब आदमियों को याद आता है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, मैं तो कहता हूँ कि तालीम ही नहीं तालीम तो बाद में आती है जो पेट भरने की चीजें हैं उनमें रोटी सब से पहली चीज हैं। उनको यह नहीं पता होता कि अब तो रोटी मिल गई कल को मिलेगी कि नहीं। यहां पर बहस हुई उसमें सभी ने माना है, वैसे भी सारा देश और लीडर मानते हैं कि मुल्क में गरीबों की तादाद ज्यादा है । अगर आप इस मुल्क में कुल दौलत एक सौ रुपया मान लें तो इसमें से 95 रुपये सिर्फ 5 फी सदी लोगों के हाथों में हैं जबकि बाकी के 5 रुपए यहां की 95 फीसदी लोगों के पास हैं। यानी जो यहां के मेहनत कश लोग हैं उन सब के पास सौ में से सिर्फ पांच रुपये हैं। जिस देश में गुर्बत इतनी ज्यादा हो वहां पर कौन आदमी अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि यहां पर डैमोक्रेसी कितनी देर तक कायम रहेगी । अगर इसको कायम रखना है तो यह जो डिस्पैरिटीज हैं इनको दूर करना होगा । इस आसमान और धरती के फर्क को मिटाना है। युनाइटिड नेशन्ज में भी डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ देश जो राज करते हैं उनके हाथ में वहां भी पावर है । उनमें और दूसरी अभी अभी आज़ाद हुए देशों में डिस्पैरिटीज़ हैं। वह भी ऐक्सप्लायटेशन की चक्की में पिस रहे हैं। तो वहां पर जब झगड़ा चलता है तो वहां पर भी तादाद का जोर नहीं चलता । जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं वह दुनिया में अमन और शांति कायम करना चाहते हैं ताकि वह भी कुछ आगे बढ़ सकें । मगर जब इस बारे में चर्चा होती है तो उनकी राए भी फ्री नहीं होती

क्योंकि उन गरीबों को दूसरे पावरफुल देशों पर डिपैंड करना पड़ता है, उनके भरोसे रहना पड़ता है। उनके सहारे जीना पड़ता है । इस तरह से वहां भी चन्द ही ऐसे देश हैं जिनकी चलती है । इसी तरह से हमारे देश में भी मनॉपलिस्ट्स हैं, बिग बिज़नैस हैं। मैं जब भुवनेश्वर गया तो मुझे कलकत्ता देखने का मौका मिला। कलकत्ते के बारे में सुन तो रखा था और किताबों में पढ़ा भी था मगर देखा अभी । कोई नई बात नहीं थी, वही था जो कुछ पढ़ा था मगर देख कर हैरान हो गए कि कहां तो आसमान से बातें करने वाले महलात और उन्हीं के पड़ौस में झौंपड़े। यहां चंडीगढ़ में ही देख लो। ठीक है बड़ा शानदार शहर है हमारा भविष्य है, यह बताता है कि हम किधर जा रहे हैं मगर यहां भी जो मज़दूर राजस्थान या यू० पी० वगैरह से आए हुए हैं उनके लिये कोई जगह नहीं है । गरीब जनता को कोई स्थान नहीं है। यह हमारा सपना सच्चा हो रहा है मगर गरीबों के झौंपड़े दूर ही दूर होते जा रहे हैं। वह दूसरों के लिये शीशे के मकान बनाते हैं। वह शायद इसलिये शीशे के महलात बनाते हैं कि शायद इनमें से उनको गरीबों की गुरबत नजर आ जाए । कहीं पर नरसिंग होम्ज़ खुलते हैं मगर आपने मजदूर औरतों को भी काम करते हुए देखा होगा। पास ही मिट्टी में उनके छोटे-छोटे बच्चे नंगे भूखे पड़े रहते हैं। ऐसे हालात को देखते हुए इस बात की ज़रूरत है कि हम बातें ज्यादा न करें । रैज़ोल्यूशन बहुत पास हो चुके । सन् 1952 से प्लैनिंग कमिशन काम कर रहा है और हम इस बात को मान कर चले हैं कि हमने यहां पर डैमोक्रैटिक प्रौसेस से तरक्की करनी है । हम कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से चल रहे हैं कि गरीबों को कांस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर यकीन हो जाए, हमारे वादों पर विश्वास करने लग जाएं । मगर आखिर हर बात की कोई हद होती है। ऐसा न हो कि उनका सबर का पैमाना लिबरेज़ हो जाए। इससे नुक्सान होगा उनको जो आज मज़े उड़ाते हैं। उनका इसी बात में इन्टरैस्ट है कि कांस्टीट्यूशनल और पीसफुल मीन्ज से इस मुल्क के अन्दर सोशलिजम लाया जाए। यह कैसा निज़ाम है कि एक आदमी के कुत्ते भी हलवे खाएं और उसी के पड़ोस में गुरबत रो रही हो। आम तौर पर यह कहा जाता है कि पावर्टी इज़ ए ब्लैसिंग इन डिसगाइज़ । गरीबों को कई बार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि 'रूखी सूखी खाय के ठंडा पानी पी' कि भई जो किसी को मिलता है अपनी किस्मत का मिलता है, कुदरत देती है । इस तरह की बातें करके इस मुल्क के गरीबों को फेटलिस्ट बना दिया । किस्मत की बात समझ कर गरीबी को सहन करो और चुप रहो । अमीरों के खिलाफ आवाज़ न उठाओ । फिर अखबारों में भी सोशलिज्म की अगर कोई बात आयगी तो उस पर नुक्ताचीनी ही की आयगी कि ऐसा होगा तो प्राइवेट ऐंटरप्राइज़ खत्म हो जायगा, स्टेट ट्रेडिंग करोगे तो यह फेल होगी, बैंक नैश्नेलाइज़ करोगे तो कारखाने नहीं लगेंगे, अमरीका एड नहीं देगा। मनापलिस्टस इस तरह की बातें करते हैं। उनके हाथ में मनॉपली है। यहां पर राजे हुआ करते थे । उनका प्रजा के दिल में आदर था। उस वक्त एक कहावत चली कि 'यथा राजा तथा प्रजा' मगर अब तो बात दूसरी ही है । यथा प्रजा तथा राजा । आज प्रजा जागृत होती जा रही है, उनमें तालीम बढ़ती जा रही है । मनु स्मृति के वक्त में था कि अगर ग़रीब हरिजन पढ़ें तो इनके कान में पिगला हुआ सीसा डाल दो मगर आज

[श्री चांद राम]

उनको मौका मिलता है पढ़ने लिखने का जिस से सोचने की शक्ति बढ़ती है । तब इन लोगों की किस्मत का सबक पढ़ाया जाता था। मगर आज वह समझ गए हैं कि रोटी भी उनका हक है । चेयरमैन साहिब, अमैनिटीज़ और लगजरीज़ के बाद तीन चीज़ें नैसेसरीज़ आफ लाइफ में से ज़रूरी समझी जाती हैं। फूड, क्लोदिंग और शैल्टर। अब हमारे सामने यह मसला है कि हम लोगों को यह तीनों चीज़ें कब तक दे पाते हैं। कम्युनिटी प्राजैक्ट्स का यहां पर काफी चर्चा है कि इससे फायदा होगा, लोगों को ब्लाक लेवल पर काम मिलेगा । यहां पर एक कमेटी सरदार राजेन्द्र सिंह जी की चेयरमैनशिप में बनी उस की रिपोर्ट भी आई, एक सैंट्रल कमेटी पार्लियामेंट की तरफ से बनी और एक नान-आफीशयल कमेटी भी बनी । उनकी रिपोर्ट्स भी आईं कि वीकर सैक्शन्ज़ को ऊपर उठाना चाहिए । इस सैक्शन में आम तौर पर यही समझा जाता है कि हरिजन ही हैं। वैसे इसमें आते तो और भी हैं मगर हरिजन और गरीब का एक ही मतलब ले लिया जाए तो वह गलत न होगा । मगर कुछ लोग उनको ऐसे ज़िक्र करते हैं जैसे कि वह किसी फौरन कन्ट्री के रहने वाले हों। आखिर वह भी इसी देश के रहने वाले हैं। । गरीब हैं और हमारे ही भाई हैं । उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसे दूर करना भी हमारा ही फर्ज है । इस मुल्क में हुकूमत करने वाली पार्टी के ख्यालात शुरू से ही प्राग्रैसिव रहे हैं। मगर हमें देखना है यहां पर प्रोसीजर क्या है, मशीनरी काम कैसे करती है। कुछ दिन हुए बहिन चन्द्रावती जी ने कहा था कि यहां की सरकारी मशीनरी अनरिस्पौंसिव हो गई है, कहीं डिले और कहीं कुछ है । आप जानते हैं कि सिक्युरिटी आफ लैंड टैन्यूर्ज ऐक्ट सन 1953 में पास हुआ। उस वक्त सीलिंग लगने से 16 लाख एकड़ ज़मीन निकलनी थी मगर 9–10 साल के अन्दर अन्दर यह सिर्फ 4 लाख एकड़ रह गई तो क्या किया जाए । इन सालों में कितनी ही ट्रासफर्ज हुईं और बहुत कुछ किया गया ताकि सरप्लस न निकल सके । यह लैजिस्लेचर एक कानून पास कर देती है । इस मन्त्री मण्डल ने एक कानून पास कर दिया और सीलिंग फिक्स कर दी कि 30 स्टैण्डर्ड एकड़ और जो डिसप्लेस्ड हैं उनके लिए 50 एकड़ लेकिन आज क्या हालत है । कितनी ज़मीन लैंडलार्ड्ज़ के पास है। अगर कोई और देश होता तो इस तरह करने वाले को शूट कर दिया जाता । खत्म कर दिया जाता या फिर पर्ज हो जाता लेकिन हमारे मुल्क का ढांचा डैमोक्रैटिक है इस लिए हम ऐसा नहीं कर सकते । हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहती है कि वह ऐसे फैसलों पर अमल नहीं करती । एक कानून लैजिस्लेचर ने पास किया और इस मशीनरी ने यह देखना है कि इस को निभाया भी जा रहा है या नहीं । कांग्रेस के भुवनेश्वर सैशन में और जयपुर में भी इस बात पर जोर दिया गया कि इम्पलीमेंटेशन पर ज़ोर दिया जाए । जो अहम फैसले होते हैं वह इम्पलीमेंट नहीं किए जाते । मैं हैरान हो जाता हूं इस ऐडमनिस्ट्रेटिव मशीनरी को देख कर कि आदर से कहते हैं आइए, बैठिए लेकिन इम्पली–मेंटेशन की तरफ धयान नहीं, और भावनाओं को फालो नहीं किया जाता बल्कि

नज़रिया यह है कि so long as it is left to me to administer law, I do not care who makes it पिछले दिनों ज्यूडीशरी और एग्ज़ेकिटव के बारे में ज़िक्र किया गया। गवर्नमेंट यह कभी इरादा नहीं रखती कि ज्यूडीशरी एग्ज़ेक्टिव से अलग न हो न ही यह कांग्रेस पार्टी का मनशा है कि अलग न हो। हमें चाहिये कि हम सोशलिज़म की इन्टैंशन देखें। और इस एक्सपेरिमैंट पर ध्यान दें।

फिर सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर बिल पास हुआ। यह इस लिए तो नहीं था कि लैंडलार्डज़ को प्रोटैक्ट किया जाए और मुज़ारों को बेदखल किया जाए बल्कि यह सरकार की Land is the mother of all factors of production पालीसी के आधार पर हुआ।

खेती बाड़ी का चर्चा यहां पर हुआ, होना भी चाहिए। और यह लाज़मी है अगर पैदावार इस सूबे की न बढ़े तो सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। अर्बों रुपया का अनाज बाहर के देशों से आता है। यह गलत पालीसी का नतीजा है। बड़ी-बड़ी खेती थी उनको कम कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े लैंडलार्ड हैं उन्हें न तो खेती आती है न ज़मीदारी का पता है फसलों के नाम तक नहीं आते और एबसैंटी लैंडलाडर्ज हैं। उन के द्वारा आप कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है 'खेती खस्मा सेती'। इस के बिना पैदावार नहीं बढ़ सकती। बीच के आदमी की ज़रूरत नहीं। यह कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी फ़ार्म्ज नहीं हैं इस लिए फूडग्रेन की पैदावार नहीं बढ़ी। छोटे-छोटे फार्म हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आज जो बड़े-बड़े फार्म हैं उनमें बेशुमार एकड़ ज़मीन बेकार और नाकारा पड़ी है। पटवारी से मिल कर लिखवा लिया जाता है कि सारी ज़ेरे काश्त है। फसल दर्ज तो है लेकिन वहां पर फसल का नाम तक नहीं। इस लिए मैं समझता हूं कि आज वक्त की ज़रूरत है कि नारों और बातों को छोड़ कर अमल की तरफ तवज्जुह दें। और यह सारी इम्पली-मेंटेशन की ज़िम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की है। जिस के अफसरों पर जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा खर्च होता है।

इस मुलक के अन्दर वैलफेयर स्टेट कैसे बन सकती है ? यह तभी बन सकती है कि जब इन्सान की इन्सान एक्सप्लायटेशन न करे। लेकिन यहां पर इस तरह के साधनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। कभी कोई पुलिटीकल बात होती है कभी कोई सोशल बाईकाट होता है और कभी ऐसे कामों में कास्ट की रुकावट आ जाती है। आज आज़ादी प्राप्त किए 16-17 साल हो गए हैं लेकिन इस तरह की बात सोसाइटी में बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। हमारा यह फर्ज था कि इन्टरकास्ट इन्टर-स्टेट और इंटर-रिलिजन शादियों को एनकरेज किया जाता। नहीं तो यह सोशलिज्म का ढांचा धरे का धरा रह जाता। हमारी नेशन को एक बनाने की ज़रूरत है। हमारा नस्बुलएन क्या है ?

[श्री चाँद राम]

सोशलिज़म की डैफीनीशन तक लोगों को नहीं बताई गई तो सोशलिज़म क्या मज- बूत होगा । (घंटी) मैं एक दो मिन्ट में खत्म करता हूं ।

आज इस बात की ज़रूरत है कि जो भी एक्सप्लायटेशन किसी भी जगह पर इन्सान की इन्सान कर रहा है वह दूर हो । उसे रोका जाए । एक आदमी जो खुद काश्त नहीं करता उस से ज़मीन छीन लेनी चाहिऐ । जो आदमी हाथ से काश्त नहीं करता उस के पास ज़मीन है और साधन हैं, इंडस्ट्री है, नौकरी है, शेयर हैं और बीसियों किस्म की आमदनी है वह क्यों ज़मीन रखे । आज मांग है काम की और वह भी मैनुअल लेबर की लेकिन हमारे मुलक में वह भी नहीं मिलता । मुझे पता है कि किस तरह से ठेकेदार एक्सप्लायट करते हैं और मज़दूर की मज़दूरी पर भी छीना झपटी की जाती है । अगर सोशलिज़म लाने में कोई रूल्ज़ या किसी एक के प्रोवीज़न हावी हों तो उनके क्या मायने रह जाते हैं । ऐसे रूलज को जिन से एक्सप्लायटेशन होती है बदल देना चाहिए ।

जहां तक डिस्पैरिटी का ताल्लुक है मुझे पता है कि एक आदमी की तनखाह 4,000 माहवार है और उसी के चपड़ासी की तनखाह 100 रुपया भी माहवार नहीं । इन्कम के पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है जो कि 1 और 15 की रेशो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । और जब तनखाह फिक्स करनी हो तो यह भी देखा जाए कि उसके पास पहले कितने कोटे या लाइसेंस हैं और बाकी कुम्बे की आमदन क्या है । आमदनी की मैक्सीमम और मिनिमम हद मुकर्रर होनी ज़रूरी है । इस के बिना सोशलिज़म लाना मुश्किल है । मैं समझता हूं इस को इम्पलीमेंट करने की ज़रूरत है । यहां पर बहुत से कानून हैं लेकिन गरीब की तरक्की के लिए एक भी सही ढंग से इम्पलीमेंट नहीं किया जाता । हर स्टेट के अन्दर इम्पलीमेंटेशन बोर्ड है, लेकिन फिर भी अमल नहीं होता ।

जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है हुक्म जारी किए गए कि इनकी रैज़र्वेशन हो यह एक उपाए था । फिर यह किया गया कि इस तरह तो गरीब आदमी शैड्यूल्ड कास्ट्स का 100 साल तक भी आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि प्रोमोशन्ज़ में भी रैज़र्वेशन्ज़ न की जाए । इस लिए प्रोमोशन्ज़ में भी रैज़र्वेशन कर दी गई । लेकिन आज क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा इसे नल्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है जब कि यह देखते हैं कि चन्द हरिजन आगे आ रहे हैं । जब तक हम ईक्वल अपरचूनिटी हरेक को नहीं देंगे सोशलिज़म कैसे लाएंगे ।

हमारे देश की जो प्लैनिंग है उस में ज़रूरी तबदीली की ज़रूरत है । लातादाद एग्रीकलचरल लेबर है जिस के पास काम नहीं । सोशल सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है । अनस्टैबिलिटी यहां कहां भी है दूर होनी चाहिए । (घंटी) में वाइंड अप कर रहा हूं । जहां भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में सीरियस

वीकनेस है उसे दूर करने की ज़रूरत है । अगर हम ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से बौरो किया है तो भी देखने की ज़रूरत है कि हम कहां पर रूल्ज़ को बदलें जिस से मैंटल ऐटीच्यूड बदले और एप्रोच बदल जाए । अगर नहीं तो चन्द आदमी ही एक्सप्लायट करेंगे और इकनामिक फ्रीडम न होने के कारण आर्थिक आज़ादी न होने के कारण आदमी भूखे रहेंगे । इस लिए, चेयरमैन साहिब, मैं कहूंगा कि जो भी कोई शख्स चाहे वह किसी पुलिटीकल पार्टी से सम्बन्ध रकता हो चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध रखता हो लेकिन उसे इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं एजुकेशन के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं । वह यह कि हमारे मुल्क में इस बात की बड़ी चर्चा है कि यहां पर फ्री एजुकेशन दी जा रही है । मगर इस का फायदा गरीब लोगों को होना चाहिये । मैं उन आदमियों में से हूं जो इस बात के हक में हैं कि जिन लोगों की इन्कम थोड़ी हो उनके बच्चों की ही फीस माफ होनी चाहिये । मैं यह समझता हूं कि वीकर सैक्शन के लड़के लड़कियों की फीस माफ होनी चाहिये, इन के बचों की तालीम जारी रखने के लिय इनको वज़ीफे और अलाउंसिज़ दिये जाने चाहियें । इस के इलावा मैं यह भी कहूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग को और बढ़ावा दिया जाना चाहिये । बैंकों की नैशनलाइज़ेशन होनी चाहिये ताकि इस के जरिये से वह मनौपली जो चन्द अशखास की बनाई हुई है वह तोड़ी जा सके । स्टेट ट्रेडिंग के साथ साथ हमें फूड प्राइसिज़ पर भी कंट्रोल रखना चाहिये । टेक्सेशन की जो इनडायरेकट पालिसी एडाप्ट की गई है मैं कहूंगा कि इस के लिये हमें डायरेकट पालिसी अडाप्ट करनी चाहिये । इन अल्फाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

टिक्का जगजीत सिंह (नारायणगढ़) : चेयरमैन साहिब, मैं आपका बहुत मश्कूर हूं जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । आज जो रैज़ोल्यूशन इस हाउस में पेश किया गया है वह बहुत अच्छा रैज़ोल्यूशन है । इस के लिये इस में चार चीज़ें बताई गई हैं वह हैं नेसैसिटी आफ लाइफ एट रीज़नेबल प्राइसिज़, फ्री एजुकेशन और फ्री मैडीकल एड । अगर आप आल–इंडिया कांग्रेस कमेटी के भुवनेश्वर रैज़ोल्यूशन को देखें तो इस में भी वही बातें हैं कि लोगों को रोटी कपड़ा मिले और रोज़गार के सारे साधन मुहैया किये जायें (विघ्न) में अर्ज़ कर रहा था खाने पीने के इलावा और जो ज़रूरियाते जिंदगी हैं वह भी सभी पूरी हों, और यह हर छोटे बड़े की पूरी होनी चाहियें । यह भी एक ज़रूरी चीज है कि बूढ़ों को पैनशन मिले । आज हमें बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जब तक कोई खुद कमा सकते हैं तो ठीक है लेकिन बाद में उनकी कोई केयर नहीं की जाती, अब तो महज़ यह इम्पलीमेंटेशन की बात है (एक माननीय सदस्य : यह तो कांग्रेस सरकार को करनी चाहिये और किसी को कया जरूरत है) कांग्रेस ही करेगी, यह तो इम्पलीमैंटशन की बात है, जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है।

इस के बाद मैं यह भी कहूंगा कि जो नेशनेलाईज़ेशन आफ बैंक्स है यह भी होनी चाहिये इस से सरकार के घ्यान में सारा सरमाया रहेगा और इसकी तकसीम

[टिक्का जगजीत सिंह]

भी सरकार की निगरानी में होती रहेगी । आज हम अगर स्टेट बैंक का दूसरे बैंकों से मुकाबला करें तो हमें पता लगेगा कि इन में ज़मीन आसमान का फर्क है । स्टेट बैंक में आप जायें तो पता लगेगा कि चाहे पैसा जमा करवाना हो या निकलवाना हो आप को घंटे लगते है जहां दूसरे बैंकों में यह काम मिंटों में होते हैं । अगर किसी गरीब आदमी को वहां पर कोई जानता ही ना हो तो उसका काम हो ही नहीं सकता । इसी तरह से मैं कहुंगा कि ट्रांस्पोर्ट की भी नैश्नेलाइ-ज़ेशन होनी चाहिये, मगर इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि जो वर्कर्ज़ हैं इन का नैशनेलाइज़ेशन से कोई नुकसान नहीं होना चाहिये ।

एक बात मेरे एक भाई ने ब्लैक मनी की यहां पर की थी । यह मुमकिन है कि हमारे मुल्क में ब्लैक मनी हो, मगर जैसे पहले किया गया था इस का सब से आसान तरीका तो यही है कि 5—10 साल के बाद करंसी चेंज कर दी जाये । अगर इस तरह की ब्लैक मनी किसी के पास होगी वह आटोमैटीकली चेंज हो जायेगी । पिछली दफा जिन लोगों ने इस तरह से जो पैसा दबाया हुआ था वह सारे का सारा ज़ाया गया था । यही एक आसान तरीका है जिस से ब्लैक मनी निकाली जा सकती है । एक बात जो मैं कहनी चाहता हूं वह यह है कि अगर कोई स्कीम बनती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस का जो ओवर आल इफैक्ट पड़ता है वह हमें पहले देख लेना चाहिये । मिसाल के तौर पर अगर हम किसी की ज़मीन ऐक्वायर करते हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिये कि इस का दूसरे लोगों पर इफैक्ट क्या पड़ेगा । मेरे हल्के में सरकार ने एक रक्बे को जिस में कि 11,000 की पापुलेशन थी उजाड़ने का प्रोग्राम बनाया, मगर इस बात का कोई ख्याल नहीं किया गया कि आखिर इस का उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो मुद्दतों से यहां आबाद हैं । सरकार को चाहिये था कि पहले इन को आबाद करने का कोई इंतज़ाम करती । इस तरह के जो वाक्यात होते हैं हम चाहते हैं कि सरकार पहले कोई इंतज़ाम करे और फिर कोई प्रोग्राम बनाये । अगर हम चाहते हैं कि हम कोई सोशलिज़म आज ला रहे हैं तो हमें चाहिये कि पहले ऐसा कदम उठायें जो दस-बारह हज़ार की पापुलेशन पर बुरा असर न डाले । अगर हम कोई ऐसा कदम उठायें जो दस-बारह हज़ार की पापुलेशन पर असर दायक हो तो हम कैसे सोशलिज़म का दावा कर सकते हैं । हमारा फर्ज यह है कि पहले हम उन को आबाद करने का कोई, प्रबन्ध करें फिर जो मालिकों को ज़मीनों की कीमत दें वह भी मुनासिब मिलनी चाहियें । मेरे अपने हलके की बात है कि लोगों को 150—200 रुपए तक वसूल हुए जहां कि उन्होंने 500-500 रुपए में अपनी ज़मीनें रहन रखी हुई थीं । यह आम तौर पर देखा है कि लोगों को प्राइसिज़ पूरी नहीं मिलतीं । यही वजह है कि सरकार की इस तरह की पालिसी की वजह से हजारों लोगों को सफर करना पड़ता है । पहले जिस आदमी को उजाड़ा जाये, मैं कहूंगा कि पहले उस को आबाद करने का बन्दोबस्त ज़रूर किया जाना चाहिये । इस तरह जो लोग दर बदर

फिरते हैं वह सरकार को लानतें–मुलामतें देते हैं जिस से सरकार पर हरफ आता है
12.00 noon (विघ्न) मेरा ख्याल तो यह है कि किसी आदमी का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए बल्कि उसे इस योग्य रहने देने चाहिए कि वह अपने काम से प्रेम करे और इस तरह से उसको आगे बढ़ावे । अगर आप सीलिंग करते चले जाते हैं, तो यह ठीक न होगा । हां, अगर सीलिंग करना है तो इनकम पर कीजिए इस से स्टेट को भी फायदा होगा और टैक्स वगैरह भी ज्यादा मिलेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : चैयरमैन साहिब, राय तो ले लो इस वक्त यह कह रहे हैं लेकिन जब राय ली जाएगी तो यह कहीं बदल न जाएं।

Mr. Chairman : No interruption, please.

टिक्का जगजीत सिंह : जहां तक डिस्पैरिटी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसे कम करना चाहिए । और जो पे के ग्रेड्ज़ हैं वह अपग्रेड होने चाहिएं ताकि छोटे आदमियों को जिनको 50 रुपया ही मिलता है उनका गुजारा चल सके। वैसे यह ठीक है कि सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है और स्वीपर्स का ग्रेड 85 रुपया कर भी दिया है। आशा है कि निकट भविष्य में आहिस्ता आहिस्ता सभी का 100 रुपया हो जाएगा ।

अब एक बात में तालीम के बारे में कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि पंजाब ने इस क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जहां के लिए कोई ज्यादा ज़ोर न डाले या ज्यादा न बोले और न कहे तो उसे छोड़ दिया जाए । मैं चाहता हूं कि असूल के आधार पर हर जगह को देखा जाना चाहिए, और पिछड़े हुए इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए (विघ्न) । जहां तक हरिजनों का यहां एम० एल० एज़० व अफसर बनने का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि यह तालीम ही थी जो उनको यहां ले आई (घंटी)

एक बात और कह कर मैं खत्म ही कर दूंगा और वह यह कि जो कोआपरेटिव अदारे हैं उनको तरजीह देनी चाहिए । और जो आदमी मिल कर काम करें उनको ज्यादा तरक्की दी जाए । लेकिन अब क्या होता है? वह यह कि जब लोग मिल कर कोआपरेटिव बना भी लेते हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते और बैंक्स के मैम्बरशिप के मुताबिक पैसे नहीं दिये जाते हैं । और वह लोग बेचारे गालियां देते रह जाते हैं । (घंटी)

अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वह लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, इलाज और तालीम मुहैया करे । और जहां तक हो यह चीजें जैसे इलाज और तालीम, यह मुफ्त दी जाए।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहब, मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों, ज्यों दवा की। जैस जैसे सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का रेजोल्यूशन आता

[**कामरेड राम प्यारा**]
रहा और अब और भी तेज़ी से आने लगे वैसे वैसे ही सोसाइटी का ढांचा बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है ।

इस देश में सोशलिज्म तेजी से लाने की कोशिश की जा रही है और नतीजा यह होता जा रहा है कि वह तेज़ी से तो क्या आएगा सारी सोसाइटी ही वीक और खोखली होती जा रही है । और यहां पर जो टैनेंट्स की और लैंड की समस्या है, तो जब से आज़ादी आई है तब से आठ लाख गरीब टैनेंटस इजैक्ट हो गए हैं ।

दूसरी बात फैक्टरीज़ को इम्पोर्ट लाइसेंस देने की सरकार के सामने है जिस के ज़रिए शायद यह सोशलिज्म ला रही है उसका हाल सुन लीजिए । एक फर्म अमी चन्द प्यारे लाल को अकेले 21 इम्पोर्ट लाइसेंस दिए हैं । जनाब, 28 ग्रुप हैं इंडिया में जो सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ पर हावी हुए हैं । जब हम पाकिस्तान से आए थे तो 50 फीसदी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थीं जिन के पास टोटल वैल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती थी लेकिन आज यह हालत है कि 1 परसैंट फैक्ट्रीज़ के पास टोटल वैल्थ जमा होती जा रही है । आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह सोशलिज़म कहां जाएगा । जो एक परसैंट आदमी हैं उनके पास सिनेमा, कोल्ड स्टोरज और बड़ी–बड़ी फैक्टरीज़ हैं वही आज सोशलिज्म लाने का दम भरते हैं ।

Mr. Chairman: Please do not try to pass such remarks.

कामरेड राम प्यारा : अच्छा, अब मैं हाइ सैलरीड और लो-पेड एम्लाइज़ की बात करता हूं । अगर सरकार को यह कहा जाता है कि जो लो–पेड एम्लाइज़ हैं, उनकी तनखाहें बढ़ाइए तो कहा जाता है कि एमरजेंसी है ? लेकिन दूसरी तरफ 20 लाख रुपया शूगर मिल जगाधरी को दिया जा सकता है और एमरजेंसी की कहीं कोई बात ही नहीं आती । और इसी तरह से 1 लाख 22 हज़ार नेपको (कम्पनी) को दिया जा सकता है लेकिन कोई एमरजेंसी नहीं । बात यह है, जनाब, कि अमल से ज़िन्दगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी–––अगर देखा जाए कि जो वैल्थ एक्युमुलेट हो रही है, उन के पास हो रही है जो कि अथारिटी में हैं । चाहे वह आफीसर्ज़ का कुरप्ट तबका है, बिजनेसमैन में ब्लैकमार-कैटियर्ज़ हैं, यह वही आदमी हैं जो अथारिटी से वाबस्ता हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है, चेयरमैन साहब, अगर हम वैल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक कोरे रेजोल्यूशन पास करने से क्या होता है ? यह जो कुछ कर रहे हैं उस से वैल्थ चन्द हाथों में इक्टठी हो रही है । यह सब मिसचिफ, धोखा, और बददयानती पर मबनी है । देखना तो यह है कि जो गरीब जितनी रोटी पहले खाता था आया मंहगाई के वक्त में भी उसको उतनी चीज मिलती है या नहीं ? और उसके मुकाबले में जो अमीर थे वह बहुत अमीर और दो दो गुना अमीर होते जा रहे हैं तो क्यों होते जा रहे हैं ? जब कभी बात होती है तो हम मुकाबला

करते हैं कि 40 रुपया जिस को मिलता था उस को 60 रुपया दे दिया और जिस मज़दूर को डेढ़ रुपया मिलता था उस को ढाई रुपया दे दिया । यह कौम के साथ धोखा है, अन्याय है, और यह ज्यादा देर नहीं चल सकता। जो आनरेबल मैम्बर इस रैज़ोल्यूशन के पेश करने वाले और उस की ताईद करने वाले हैं मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम इस पर प्रैक्टीकली भी कुछ अमल करने के लिए तैयार हो । मैं कहता हूं कि अगर इस की 10 पर सैंट भी इम्प्लीमैंटेशन हो जाए तो हम गरीबों की हालत बदल सकते हैं। हम तो प्रैक्टीकल काम करने में विश्वास करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर यहां पर सोशलिज्म लाना है तो उस के प्रिंसीपल्ज़ पर चलें और अगर फायदा पहुंचाने की बात हो तो चन्द आदमियों के पेट ही न भरते जाओ बल्कि सब को थोड़ा थोड़ा बांट कर दो । इसी तरह अगर पर्मिट देने हैं या कोटे देने हैं तो उन्हीं को मत देते जाओ जिन के पास पहले हैं बल्कि उन को दो जिन को एक्चुअली जरूरत है । मैं कहता हूं कि अगर कोई टाइम आ गया और इन लूटने वालों के खिलाफ इन्क्वायरी हुई तो इन को फांसी से कम सजा नहीं दी जाएगी । मैं हैरान हूं कि यह सरकार कर क्या रही है । इन्हों ने तो यह बिजनेस बना रखा है कि पहले यह बड़े बड़े सरमाएदारों को पर्मिट या कोटा दे देते हैं फिर बाद में झोली पसार कर कहते हैं कि हम को चन्दा दो । मैं कहता हूं कि सरकार ऐसा क्यों करती है जब आप के पास सब रिसोर्सिज़ हैं तो फिर यह चंदे क्यों मांगते हैं । अंत में मैं यह कह कर बैठ जाता हूं कि अमली तौर पर सोशलिज्म लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

चौधरी राम सिंह (जींद) : चेयरमैन साहिब, श्री यश जी ने जो सोशलिज्म का रैज़ोल्यूशन रखा है इस के ऊपर जो एक दो दिन बहस की गई वह मैं ने सुनी है । मैं ने यह देखा है कि कुछ लोगों ने सोशलिज्म को एक्सप्लेन करने के बगैर ही इमोशनल स्पीचिज दीं और कुछ ने तो सोशलिज्म को यहां तक सीमित किया कि जमीनें छीन ली जाएं फिर सोशलिज्म आएगा या फैक्टरियां छीन ली जाएं तो सोशलिज्म आ जाएगा, इसी तरह तीसरा कहता है कि दुकानें या ट्रेड सरकार अपने हाथ में ले ले तो सोशलिज्म आ जाएगा ।

चेयरमैन साहिब, मुझे एक कहानी याद आ गई है जो मैं हाउस में सुनाना चाहता हूं । एक देहाती भाई थे उन्हों ने कभी शीशा नहीं देखा था । उन्हों ने साधुओं की तरह सिर पर खुले बाल रखे हुए थे और दाढ़ी भी रखी हुई थी । जब उस ने पहली दफा शीशा देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया । उसे खयाल हुआ कि उस शीशे के अंदर उसे किसी साधु के दर्शन हो गए हैं । वह उस शीशे को घर पर ले आया और उस की पूजा शुरू कर दी । जब कई दिन हो गए तो उस की पत्नी को खयाल आया कि मैं भी उस संत के दर्शन करूं जिस को मेरा पति पूजा करता है । उस ने जब शीशे में देखा तो उसे और

[**चौधरी राम सिंह**]

की शक्ल दिखाई दी तो उस ने शोर डाल दिया कि मेरा पति साधु की बजाए अंदर औरत रखता है । तो शोर सुन कर उस का लड़का आया उस ने शीशे में अपना चेहरा देखा । इसी तरह से, चेयरमैन साहिब, यह सोशलिज्म को देख रहे हैं । इन को किसी को भी मालूम नहीं कि यह है क्या ? इस के कंटेंट्स तो ठीक हैं लेकिन इस की एक्सीक्यूशन गलत है । अगर कोई यह कहे कि सारे हिन्दुस्तान को रोटी, कपड़ा, घर, दवाई और तालीम मिलेगी तो यह मानने की चीज है क्योंकि सब मुलकों में ऐसा होता है लेकिन यह कह देना कि अगर मुजारों को ज़मीन न दी तो सोशलिज्म नहीं आएगा यह चीज़ गलत है क्योंकि दुनिया में किसी जगह भी सोशलिज्म का ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ । दुनिया में दो किस्म के मुल्क हैं एक तो वह हैं जिन को कैपीटलिस्ट कहते हैं और दूसरे कम्युनिस्ट हैं । इस के बीच का रास्ता जो है वह किसी भी मुल्क ने आज तक तजुर्बा नहीं किया और न ही वह चलेगा । यहां पर तो सोशलिज्म कांग्रस ने वोट लेने के लिए एक नारा रखा हुआ है । जिस दिन से यहां पर सोशलिज्म का नारा लगाया गया । उस दिन से जो गैर ज़मीदार लोग थे उन्हों ने कहा कि ज़मीनें छीन लो, तो ज़मीनें छिननी शुरू हो गईं । और पैदावार कम हो गई । यह सोशलिज्म की गलत इन्टरप्रेटेशन है । सोशलिज्म का सही मतलब यह होता है कि पूरी ताकत से कौम ऊपर उठे और जोर से काम करे जो फैक्ट्री में है वह वहां काम करें और जो किसान है वह खेत में मेहनत करे । और जैसे पैदावार बढ़ेगी सोशलिज्म आप ही आ जाएगा । लेकिन इधर और ही मसला है, यह कहते हैं कि ज़मींदारों की ज़मीन छीन लो और फैकटरी वालों की फैकटरी छीन लो तो इस से पैदावार कम होगी । मुझे सिरीप्रकाश का एक आर्टीकल पढ़ने का मौका मिला । उन्हों ने लिखा कि एक बनिया अपने घर से अपने जेवर और मकान बेच कर आसाम की उन पहाड़ियों पर पहुचता है जहां पर कि लोगों को सूई धागा जैसी चीज़े नहीं मिलतीं । वह रिसक ले कर अपनी जान और पूंजी को खतरे में डाल कर उन लोगों को ज़रूरियाते जिन्दगी की चीज़ें बेच कर अगर दो पैसे कमा लेता है तो उस ने कौन सा गुनाह किया ? उस ने मेहनत कर के कमाई की है । मेरा कहने का मतलब यह है कि सोशलिज्म जो इधर प्रीच किया जाता है वह क्लास हेटरिड पैदा करता है । इस लिए यह कभी नहीं चल सकता । मसावात 'क्लास लव' पर बेस्ड होनी चाहिए । आज से कई सौ साल पहले मुहम्मद साहिब ने अरब में कहां था कि मुसलमान वह आदमी अच्छा समझा जाएगा जो अपने पास ज्यादा दौलत नहीं रखेगा । इसी तरह महात्मा बुद्ध ने हिन्दुओं को कहा कि वह अच्छा बुद्ध नहीं जो अपने पास सोना चांदी रखता है । इस लिए यह चीज़ें कोई नई नहीं हैं । हमारे धार्मिक नेता भी प्रीच करते आए हैं । लेकिन आप का सोशलिज्म जो है वह इम्मॉरैलिटी पर बेस्ड है । हमारे मज़हबी लीडरों ने जो मसावात का नारा दिया था वह हकीकत पर आधारित था । हमारे जन संघी भाई जो हैं उन्हों ने उपनिषदों पर आधारित समाजवाद का नारा

लगाया है। मैं कहता हूं कि यह आप जो नारा लगा रहे हैं इस को हिन्दुस्तान की जो सभ्यता है उस के साथ फिट नहीं किया जा सकता है । जब खेत आप के हाथ में आ जाएंगे, ट्रेड और कारखाने सरकार के हाथ में चले जाएंगे तो उस वक्त क्या कोई आदमी आज़ादी से अपना वोट डाल सकेगा? नहीं, जहां पर इन्स्पेक्टर या मैनेजर मज़दूरों और क्लर्कों को कहेगा वहां पर ही उन को अपना वोट देना पड़ेगा। ऐसे तो रूस में भी डैमोक्रेसी है। उस को आप क्यों कहते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप है इसी लिए डैमोक्रेसी और सोशिलिज्म साथ साथ नहीं चल सकते ।

चेयरमैन साहिब, वहां पर एक पार्टी का अपना राज होता है । वहां पर विहप इशू होता है कि फलां आदमी को पार्टी ने खड़ा किया है और उस को वोट दी जाए । अगर सरकार सोशलिज्म को कम्युनिस्टों की तरह बनाना चाहती है तो मैं मानता हूं कि सोशिलज्मि आएगा । मैं चीन की बात कहना चाहता हूं कि चीन के अन्दर 500 बीघे वाला बड़ा बिस्वेदार समझा जाता था और उस को कत्ल किया गया । उस के बाद 200 बीघे वाला बड़ा बिस्वेदार कहा गया और उस को भी कत्ल किया गया । लेकिन यहां पर 50 बीघे वाला बिस्वेदार माना गया है । जिन लोगों ने इस के विरुद्ध रजिस्टर किया तो उन को भी हरास किया गया । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस को लाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं । (विघ्न)

चेयरमैन साहिब, कांग्रेस सरकार जो कि रूलिंग पार्टी है उस ने नागपुर, जयपुर और भुवनेश्वर में रैज़ोल्यूशन पास किए जिस में कम्युनिस्टों ने भी साथ दिया है । मैं कई आदमियों को मिला लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस का सही तरजमा कर सके । मैंने कई बार पूछा कि इस को किस तरह से इम्पलीमेंट किया जायगा ? इस का कोई जवाब नहीं दे सका । इन का मतलब तो मुजारों और मज़दूरों तक ही सीमित है । यह कहते हैं कि ज़मीन उस को दी जाए जो कि काश्तकार हो । मैं सुझाव देता हूं कि फैक्टरीज़ उन को सौंप देनी चाहिएं जो उन में काम करते हैं क्योंकि वह अच्छी तरह स चला सकते हैं । उस का उतर दिया जाता है कि अगर इस तरह से हो गया तो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ कम हो जाएंगी और जो मालिक हैं वह मैनेजर बन जाएंगे। तो क्या यह बात ज़मींदारों पर लागू नहीं होती । ज़मींदार भी खेत के मैनेजर बन जाएंगे और अपनी देख रेख में अच्छी पैदावार करवाएंगे। अगर करना है तो मजदूरों की तनखाहें और मुजारों को अच्छी उजरत दिलवाई जाए ताकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके । (घंटी) मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक सरकार सही चीज पर ग़ौर नहीं करती उस वक्त तक सोशलिज्म हिन्दुस्तान के अन्दर कामयाब नहीं हो सकता है । हां, अगर सरकार इस का नाम कम्युनिस्टों का सोशलिज्म रखना चाहती है तो माना जा सकता है । सरकार कहती है कि सोशलिज्म आने से कास्टिज्म खत्म हो जाएगी और छुआछात दूर

[**चौधरी राम सिंह**]

दूर हो जाएगी । लोग आपस में शादियां शुरू कर देंगे । मैं हरिजन मेम्बरों से पूछना चाहता हूं कि, मेरे तजर्बे की बात है, हर एक के तजर्बे की बात है, एक चमार वालमीकी के घर का खाना नहीं खा सकता है (विघ्न) मैं अर्ज करना चाहता हूं कि घानक कम्युनिटी वाले चमारों के कुओं पर पानी नहीं ले सकते । वालमीकि उन को अपने कूएं से पानी नहीं देते । उस के बाद स्वर्ण जाति वालों को कहा। उन्हों ने भी उन को पानी भरने नहीं दिया । बड़ी दौड़ धूप के बाद उन्हों ने चमारों के कुएं के पास अपना कुआ खुदवाया और अब वहां से पानी भरते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह आपस में छुआछात को दूर नहीं कर सकते । जब वह आपस में छुआछात को दूर कर लेंगे तो हमें कहना । हम ने तो हरिजनों के साथ नफरत नहीं की और न करना ही चाहते हैं ।

चेयरमैन साहिब, इस सोशलिज्म में दिमाग, सोल और माइंड नहीं है, हमारी सरकार सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके । मैं समझता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है । गवर्नमैंट की एंटी कुरप्शन कमेटी ने इस साल 200 अफसरों की फिगर्ज दी हैं जो कि नौकरी से निकाले गए हैं । इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी फिगर्ज़ देती है कि इस साल कुरप्शन के कारण इतने अफसर निकाले गए हैं । मैं इन से पूछना चाहता हूं कि यह अफसर कहां से आए हैं । जब समाज ही भ्रष्टाचारी है तो काम कैसे चल सकता है । इस लिए आप कैसे कह सकते हैं कि सारी फैक्टरीज, सारी जमीन और दूसरे काम सरकार अपने हाथ में ले कर ठीक काम कर सकती है । अगर यह सारा काम सरकार के हाथ में आ कर कुछ आदमियों के हाथ में आ गया तो इन्तजाम अच्छी तरह से नहीं चलेगा । आप को पता ही है कि अफसर किस तरह से काम कर रहे हैं । अगर नैशनेलाइज़ेशन किया गया तो मैं समझता हूं कि प्राइवट सैक्टर में इजाफा नहीं होगा । वह लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुलक के लिए करेंगे । जब श्री बिरला ने एक करोड़ रुपया कमाया तो उस ने क्या 2–4 मन अनाज खाना शुरू कर दिया। जब उस ने और रुपया कमाया--दूसरी और तीसरी फैक्टरी स्थापित की । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तालीम के बारे में जितनी तरक्की प्राइवेट सैक्टर ने की है उतनी और किसी ने नहीं की । अगर सरकार के हाथ में तालीम होती तो मैं समझता हूं कि पंजाब में 5 प्रतिशत जनता पढ़ी हुई न होती । इस में सनातन धर्म, आर्य समाज, जैनियों और सिक्खों ने जगह जगह पर इस्टीच्यूशन खोलें और शिक्षा का विस्तार किया । अब सरकार इन को अपने कब्जे में लेना चाहती है और नेशनलाइज़ कर देना चाहती है । मैं नहीं कहता कि तालीम मुफत दी जाए अथवा न दी जाए । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इंग्लैंड में एजुकेशन का और मैडीसिन्ज़ का इन्तज़ाम प्राइवेट के हाथ में है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार का दवाइयों और तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए क्योंकि पुलिटीकल बेसिज पर विचार किया जाता है । जब सरकार बदलती है तो

उस की पालीसी भी साथ बदल जाती है । इस से इंस्टीच्यूशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और नुक्सान होता है (घंटी) चैयरमैन साहिब, मेरे मोहतरिम दोस्त चौधरी रणबीर सिंह मेरे सामने बैठे हुए हैं । वह मेरे हल्के में बिजली का उद्घाटन करने के लिए गए । मैं नहीं चाहता कि कोई भी वजीर जो कि सरकार का एक हज़ार रुपया प्रति महीना लेता है, वह उद्घाटन करने के लिए या बटन दबाने के लिए स्थान स्थान पर जाए ।

Mr. Chairman : What did honourable Member do when he was Minister ?

चौधरी राम सिंह : चेयरमैन साहिब, जब मैं मिनिस्टर था तो उस वक्त सैक्रेटेरियट के काम को तरजीह देता था और उद्घाटनों के फेर में नहीं रहता था ।

श्री सभापति : मिनिस्टर साहिब आप इन के हलके का उदघाटन इनसे कराएं । (हंसी) (I would request the hon. Minister to get the inauguration work in his constituency done by him.)

मन्त्री : अच्छा जी ।

चौधरी राम सिंह : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं चौधरी रणबीर सिंह ने कहीं कहा था कि जितना पिछले सौ साल में अंग्रेज़ों ने बिजली और नहरों पर रुपया खर्च किया उतना रुपया मैं ने 2 साल में खर्च किया है इस के बावजूद मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुझे असेम्बली में गधा कहते हैं । मैं इस का प्रोटेस्ट करता हूं । (घंटी) आपोजीशन वाले हकूमत को कोसते हैं और गद्दार कहते हैं । इसी तरह हकूमत वाले यह सोचते हैं कि यह गद्दार हैं । आपोज़ीशन वाले कहते है कि हकूमत वाले कुरप्ट हैं । ऐसी बातें चलती हैं । मैं समझता हूं कि न तो इधर के बैठने वाले और न उधर बैठने वाले ही सब कुरप्ट और गद्दार हैं । मैं समझता हूं कि यह बात दोनों तरफ में बैठने वालों को छोड़ देनी चाहिए । दोनों को प्रापर वे में सोचना चाहिए । (घंटी) चेयरमैन साहिब, मैं तो आज पहली ही बार बोला हूं और जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सोशलिज्म लाने से गुरबत दूर हो जाएगी ऐसी बात बिलकुल नामुमकिन है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गुरबत को अमरीका, इंग्लैंड और जापान भी दूर नहीं कर सके । इस के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पर भी गुरबत खत्म नहीं हो सकती । (घंटी) चैयरमैन साहिब, मैं चौधरी सुन्दर सिंह के लिए बैठ जाता हूं क्यों कि वह अपनी स्पीच करना चाहते हैं ।

Mr. Chairman : The Honourable Member, Chaudhri Ram Singh, has made room for Chaudhri Sunder Singh. So, let Chaudhri Sunder Singh speak now. He may take ten minutes at the most. I would request the Honourable Members to maintain perfect silence to hear him. His speech will be quite interesting,

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕ-ਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ... ..

Mr. Chairman : He has not given his seat but he has surrendered his time.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਵੀ ਸੁਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 1946 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਅਮੀਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਰੀਜਨ M.L.As. ਮੁਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ M.L.As. ਹਨ ਉਹ ਢਾਈ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਸਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—'No man can get his rights by requests, rights are wrested from unwilling hands.' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਕ ਹਥ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਲਤਜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, B. A. LL. B., ਅਤੇ M. A., LL. B. ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਕ ਹਕੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਸ਼ੈਡੋਡ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲੇ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਕੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਉਪਰ ਗੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸਾਈਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨੁਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'India was rich in spiritualism, but poor in materialism.' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰਿਅਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਂਦੀ ਹੈ :

> 'I do not want to be reborn. But, if I have to be born again, I should be born as an untouchable, so that I may share their sorrows, sufferings and affronts levelled on them, in order that I may endeavour to free myself and them out of their miserable conditions. I, therefore, pray that if I should be born again, I should do so not as Brahmana, Kashatria, Vaish or Shudra, but as an Attishudra'.

ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹਮ ਨੀਚ ਭਏ,
ਜਬ ਕੁਲ ਕੋ ਕੀਆ ਸਲਾਮ।
ਜਨਮ ਲੇਤੇ ਘਰ ਊਂਚ ਕੇ,
ਡੂਬ ਮਰਤੇ ਅਭਿਮਾਨ।

ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ you are serving the most. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕਢਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਕਢਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Opposition is a healthy sign......

Mr. Chairman The hon. Member has spoken for 10 minutes. He is, however, permitted, as a special case, to speak for 5 minutes more.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਭੁਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦੀ । ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

> "Where should you seek for God? Are not the poor, the miserable, the down-trodden Gods? Worship them first. I do not believe in a God or religion which cannot wipe out the tears from the widow's face and cannot bring a morsel of food to the orphan's mouth."

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਾਂਸੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ (cheers) । ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ । India was rich in spiritualism । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ਹਮਸਾਏ ਕੋਲ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਭੁਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ? ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । Swami Viveka Nand says : As long as millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who has been educated at their expense and pays not a heed to them.

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢੋ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 1952 ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਕਸੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰ ਸਰੇਇਕਤਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਜਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ । ਉਹ ਛਾਨ ਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਥੇ ਡੇਮਾਕਰੇਸੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਓ (cheers) । ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਓਵਰ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ । ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ । ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਦ ਤਕ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਗਰੀਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ । ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ । ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ । ਆਖਿਰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਸੀ ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਮੀਆਂ ਔਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ (Cheers from the Opposition). ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ । ਜੇ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (Cheers from the Opposition) ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।

Mr. Chairman : Chaudhri Sunder Singh, Members of the Opposition have not so far been able to follow what socialism is. I hope you will kindly define it.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ । ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤਦ ਆਇਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ । ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ 16 ਲਖ ਏਕੜ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਲਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਲਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੀ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲੈਸ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਥੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੇਹਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ । ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਧਰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ।

Mr. Chairman : The hon. Member has already taken 17 minutes. He should please wind up now.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਪਰਾਬਲਮ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਟਰਾਂਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ (Laughter) । ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਇਕਵਾਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਹੋਈ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ ਹੈ । ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਸਟਰਾਂਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰੇਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਪਉ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਉ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਨੂੰ । ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਲਈ ਔਰ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ । ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈਆਂ । ਪਰ ਗਲ ਇਥੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ।

"To be in good cheer, and believe that we are selected by the Lord to do great things. We will do them."

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ।

"Hold yourself in readiness, be pure and holy. Love for love's sake. Love the poor, the miserable, the down trodden and God will bless you ." (Cheers)

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : चेयरमैन साहिब, यह जो सोशलिज्म का जानवर है इसे पहिले तो इन्होंने भुवनेश्वर के कांग्रेस पार्टी के रैजोल्यू-शन से पकड़ा । खैर, वह आया । यश साहिब बड़े काबिल आदमी है, उन्होंने यहां इस हाऊस के अन्दर उसकी बाबत रैज़ोल्यूशन पेश किया और रैजोल्यूशन के अन्दर उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए । एक सुझाव, सोशलिज्म से ताल्लुक रखने वाला जो यश साहिब ने दिया वह यह था कि प्रिवि पर्सिज़ को खत्म किया जाए । चेयरमैन साहिब, जैनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जैनरल डिमांड्स पेश हुईं और उस खास डिमांड पर यहां आपोज़ीशन की तरफ से डिवीज़न डिमांड की गई । जिस वक्त यह डिवीज़न होने लगी तो सभी यश साहिब की तरफ देख रहे थे । आशा थी कि कम से कम वह तो इस के हक में राए देने के लिए इधर आएंगे । लेकिन क्या बताऊं, बड़ी मायूसी हुई । मेरे कहने का मतलब, चेयरमैन साहिब, यह है कि यह जो कांग्रेस वाले हैं, यह जो कांग्रेस पार्टी है यह लोगों को महज़ कनफ्यूज़न में डाल रहे हैं । हमें पता है कि इन्हें कहां कहां से कैसे उपदेश मिलते हैं और उन्हें वह यहां लाकर खड़ा कर

देते हैं । मतलब यह कि इन की इन्टैनशंज़ बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं हैं कि उस को इम्पलीमैंट किया जाए या उसको कोई प्रेक्टिकल शेप दी जाए।

श्री सभापति : जनसंघ तो इन को दिन में भी दीपक दिखा देता है ।

चोधरी मुख्तियार सिंह मलिक : मुआफ करें, आप वहां बैठे हैं, जवाब तो इसका भी दे सकता था । तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, चेयरमैन साहिब, कि जिस वक्त भुवनेश्वर में रैज़ोल्यूशन पास किया तो कांग्रेस के वरकर्ज़ देहात में फिर गए, कहने लगे, "सोशलिज्म आ रहा है, सोशलिज़्म आ रहा है"। हम भी गए वहां । लोग कहने लगे कि यह कहते हैं सोशलिज़्म आ रहा है, सोशलिज़्म आ रहा है। वह सोशलिज़्म क्या है उसकी डैफिनेशन यहां पर भी जो मैम्बर बोलते रहे उन्होंने अपने अपने ख्याल से कह दी । आप ने भी चौधरी राम सिंह से पूछा, उधर के मेम्बर साहिबान से भी पूछा कि आखिर सोशलिज़्म की डैफिनेशन क्या है । तो मैं बता रहा था कि वह लोग देहातों में गए । कहने लगे कि कांग्रेस सोशलिज़्म ला रही है । हम ने पूछा कौन कहता है? वह लोग कहने लगे कि कांग्रेस के वरकर्ज़ यहां पर फिरते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम सोशलिज़्म ला रहे हैं । वह पूछने लगे कि सोशलिज़्म कहां आ गया है । मैंने कहा कि अमृतसर के पास तक आ लिया, भुवनेश्वर से चलकर अमृतसर के पास आ लिया । वह कहने लगे कि फिर ? मैंने कहा कि वहाँ से आगे चला था और अब उस से निपट रहे हैं सरदार प्रताप सिंह कैरों और पंडित मोहन लाल। पंडित जी अपनी तरफ खैंचा लगा रहे हैं कि बटाले ले जाएंगे और प्रताप सिंह कैरों कहते हैं कि नहीं अमृतसर में कैरों गांव में ले जाना है । तो वह कहने लगे कि हमारे भी वहां चोधरी रणबीर सिंह बैठे हैं वह यहां भी ला छोड़ेंगे लेकिन उस के बाद? मैंने कहा कि उस के बाद वह देहली में ले जाएंगे । तो चेयरमैन साहिब, सोशलिज़्म की बाबत इनकी जो डैफिनेशन है उसकी बाबत मैंने काफी डिकशनरियां देखीं हैं, इन के भाषणों को भी पढ़ा है उन के मुताबिक तो सोशलिज़्म की इनकी जो डैफिनिशन है वह यही है कि भूखे को भूखे के साथ लड़ा दो । इस के अलावा शुरू से लेकर आखीर तक अगर आप देखें तो कांग्रेस की लुगात के अन्दर सोशलिज़्म की डैफिनेशन कोई दूसरी और नहीं मिलेगी । एक दिन चोधरी चांद राम, मैं और आप भी चयरमैन साहब बैठे थे, एक आदमी ने चोधरी चांद राम से सवाल कर दिया कि सोशलिज़्म क्या है तो उस वक्त मैं ने एक मिसाल दी वहां पर कि शुरू शुरू में जब ऊंट जानवर चला तो एक जाट और एक जाटनी जा रहे थे । जब जाटनी ने ऊंट को देखा तो वह जाट से कहने लगी कि यह क्या है । इस पर जाट हंसने लगा तो जाटनी ने पूछा कि तुम हंसते क्यों हो तो जाट ने कहा कि मैं हंसता इस लिए हूं कि जब मैं मर जाऊंगा तो फिर तुमें कौन बताएगा । इस पर जाटनी कहने लगी कि फिर तो ज़रूर बता दे । तो वह कहने लगा कि उस का उसे तो खुद पता नहीं है । यह तो मिसाल दी

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

है लेकिन सोशलिज़्म का इन को खुद पता नहीं है और इन के सोशलिज़्म की हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आती क्योंकि सोशलिज़्म और कुरप्शन जो हैं यह दोनो साथ साथ कैसे चल सकते हैं । यानी इस कांग्रेस हकूमत के वक्त के अन्दर कुरप्शन और सोशलिज़्म दोनों सिनानीमस हैं । इन की तरफ से कोई चीज़ मूव हो और कुरप्शन से खाली हो तो हम समझ सकते हैं कि शायद यह सोशलिज़्म ले आएं जिस का नाम यह बहुत लेते हैं । लेकिन हम देखते हैं कि यह नाम किसी चीज़ का बाद में लेते हैं लेकिन उस में कुरप्शन पहले चली आती है । अब चौधरी साहिब ने ज़िक्र किया है कि यह ज़मीन लेंगे और यह समझते हैं कि इस से इन की तरफ सोशलिज़्म आ जाएगी पर मैं कहता हूं कि इन की यह सोशलिज़्म तो 17 सालों से चली आ रही है । पहले शुरू में इन को कहा गया कि हम तुम्हें कूओं पर चढ़ाएंगे यानी हरिजन भाइयों को कहा गया कि हम आप को स्वर्ण जातियों के कूओं पर चढ़ाएंगे । असल में इन का मतलब इन को उन से लड़ाने का था लेकिन वे इस से भी नहीं लड़े । फिर इन्हों ने कहा कि हम तुम्हें मन्दिरों में जहां पत्थर की मूर्तियां पड़ी हैं वहां ले जाएंगे लेकिन इस से भी वे आपस में नहीं लड़े । इस के यह चार साल बाद उन से कहने लगे कि हम तुम्हें ज़मीन दिलाएंगे । चौधरी सुन्दर सिंह जो हैं उन को तो ज़मीन का.............

पंडित **भागीरथ लाल** : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । अभी चौधरी मुख्तियार सिंह ने कहा है कि मन्दिरों में पत्थर की मूर्तियां रखी हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हों ने यह कह कर हमारी संस्कृति और धर्म की हतक की है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम मन्दिरों में पत्थर की मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाते हम तो उस के अन्दर ईश्वर बैठा मान कर उस के आगे अपना सिर झुकाते हैं....

श्री सभापति : यह तो कानफिलिक्ट आफ आइडियालोजी है । आप एक चीज़ को कुछ समझते हों दूसरा उसी चीज़ को कुछ और समझ सकता है। He has a right to go his own way. this is no point of order. (This is a conflict of ideology if the Hon. Member holds a particular view about some thing the other may be holding a different view about that. He has a right to go his own way. This is no point of order)

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : चेयरमैन साहिब, मैं कोई नास्तक नहीं हूं । "जैसे मन्दिर इन के लिए हैं वैसे ही वह मन्दिर मेरे लिए हैं । यह पंडित हैं तो इस का मतलब यह नहीं हो जाता कि मन्दिरों पर इन की मनौपली हो गई है । इन की कोई मनौपली नहीं है ।

Mr. Chairman : Malik Sahib, please do not make it a matter of controversy. Otherwise you will be losing your own time.

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : चेयरमैन साहिब, इन को सेनीटोरियम भेजना चाहिए ।

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर इन्हों ने कहा कि उन्हें यह ज़मीन दिला देंगे । चौधरी सुन्दर सिंह जी तो लाबीज़ में बैठे बैठे कहते रहते हैं कि ज़मीन कब आयेगी । इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि यहां पर एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि पंजाब में किसी किसान के पास इतनी ज़मीन ही नहीं है जो इकनामिक होल्डिंग की डेफीनीशन में आ जाए लेकिन यहां यह ज़मीन का नाम ले ले कर हरिजनों को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं और किसान को तो इन्हों ने एक तरह से क्रिमिनल ट्राइब सा बना दिया है । वैसे जो क्रिमिनल ट्राइबज़ थीं उन को तो इन्हों ने छाती से लगा लिया है । अब तो किसानों को उन की ज़मीन के बारे में बार बार कह कर उन को टीज़ किया जाता है सवाए इस के और कुछ नहीं है । यह हमेशा चिढ़ाने की बातें करते हैं । अब कहते हैं कि यह इन्हीं होल्डिंगज़ से प्रोडक्शन दुगनी करेंगे और साथ कहते हैं कि सोशलिज़्म लाएंगे ; लेकिन हो सब इस के उल्ट रहा है । कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी पाला पड़ जाता है । कभी फ्लड्ज़ आ जाते हैं । पीछे सर्दी से फसल तबाह हो गई थी । अब घनपुर चल पड़ी है । चेयरमैन साहिब, इस साल पहले चने की फसल में अनाज नहीं था, खाली पत्ते पत्ते थे अब घनपुर चलने से वह पत्ते भी जल गए हैं जिस के कारण चारा भी नहीं रहेगा । चने की फसल चारे के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी । हमारे लिए यह सोशलिज़्म आई है । चेयरमैन साहिब, पता नहीं यह किस किस्म की सोशलिज़्म की बातें करते हैं । मैं समझता हूं कि सोशलिज़म का एक ही मतलब है कि देहात की तरफ देखो जहां हरिजन मज़दूर हैं और वहीं बैक्वर्ड कलासिज हैं । इन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिन के जिसम पर कपड़ा भी नहीं है । देहात के अन्दर एक बाल्मीकि औरत जो होती है उस के पास जो पोशाक होती है उसे बदलने के लिए तीन साल की ज़रूरत पड़ती है यानी वह जो कपड़े बनवा कर पहनती है वह तीन साल तक उन्हीं कपड़ों से काम चलाती है लेकिन इन की बेगम साहिबा जो हैं वह एक दिन के अन्दर तीन दफा अपने सूट बदलती हैं । अगर यह देहात के लोगों की हालत को सुधारने की तरफ ध्यान दें तो उस का नाम सोशलिज़म होगा । लेकिन जब हम यहां चण्डीगढ़ में होटलों के अन्दर, सिनेमाघरों के अन्दर और रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन की सोशलिज़म तो महज़ एक नारा ही नारा है । इस के सिवा और कुछ नहीं है । अगर इन की सोशलिज़म को देखना हो तो आप शिमला के होटलों में देखें, वहां के सिनेमा घरों के अन्दर देखें और वहां के रेस्टोरेंटस के अन्दर देखें और फिर देहात के लोगों की हालत को देखें । कितना फर्क है उन के रहन सहन में । देहात में एक कोठा बना होता है । उस में एक किसान के कुन्बे के पांच आदमी रहते हैं । उसी जगह पर किसान का जवान लड़का सोता है, उसी कमरे में उस के लड़के की औरत सोती है, उसी जगह पर

[**चौधरी मुख्तियार सिह मलिक**]

किसान की औरत सोती है और दरवाज़े के पास उस का बुस्किया हुआ ढूंढ बांधा हुआ होता है और उस के पावों की तरफ किसान की अपनी चारपाई होती है । क्या यही इन की सोशलिज्म है । हम तो कहते हैं क्यों लोगों को कनफ्यूज़न में डालना चाहते हो इस किस्म का समाजवाद लोगों को दे कर । कभी आप ने उन को यह कहा कि आप को कूओं पर ले जाएंगे, कभी आप ने उन से यह कहा कि आप को मन्दिरों में ले जाएंगे और कभी यह कहा कि आप उन को ज़मीन देंगे । वायदे ज़बानी सब तरह के करते हो लेकिन उन की डिमाण्ड कोई भी पूरी नहीं करते । अब कहने लगे हैं कि यह यहां सोशलिज़म लाएंगे । वैसे चेयरमैन साहिब, इन बातों में यह काबल बड़े हैं साथ ही यह कह रहे हैं कि इन के सोशलिज्म के रेज़ोल्यूशन की जो शेप होगी वह 1965 में जा कर ड्राफ्ट करनी पड़ेगी । चेयरमैन साहिब हम और आप जब खतम हो जाएंगे उस वक्त शायद इन का सोशलिज़्म यहां आ सके । यह चीज़ शायद 1965 तक या 2000 तक नहीं हो सकेगी और तब तक यह अमीर और गरीब का तफर्का चलता रहेगा । अब यह आमदनी की सीलिंग की बात करते हैं । अब यह लोगों की आमदनी पर सीलिंग लगाना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि यह इस बारे में यह लोगों की राए ले कर देख लें । अगर इन की तरफ एक भी राए आ जाए तो देख लेना । इस का तो एक ही तरीका है कि जो भी बात यह

1.00 p.m.

करते हैं उस में इन की इन्टैनशन क्या होती है, इन की असली राय क्या है । (घंटी) गरीब तो गुरबत की वजह से सिस्क सिस्क कर मर रहे हैं और यह अपनी रंग रलियां मना रहे हैं । साज़ बाज बजाते हैं, होटलों में ऐश करते हैं, ठंडी हवा खाते हैं । दूसरी तरफ सुबह से शाम तक गरीब किसान खेत में मरता है और मज़दूर कारखाने में मगर फिर भी उस के बच्चों को रोटी नहीं मिलती । यह लोग यहां हाउस के अन्दर या चण्डीगढ़ के अन्दर बैठ कर ही सोशलिज़्म की बात करना जानते हैं । मगर देहात जिन में हिन्दुस्तान की 85 फी सदी आबादी रहती है उस की तरफ नहीं देखते । चेयरमैन साहिब, जुलाई के महीने में पी० ए० सी० के साथ मैं सात आठ दिन के लिए शिमला चला गया । वहां पर हम एक होटल के अन्दर गए। मेरे साथ उस पार्टी के दूसरे मेम्बर साहिबान भी बैठे हुए थे । वहां पर यह बात देखने का मौका मिला कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर लड़के लड़कियां और लड़कियां लड़के बनने की कोशिश कर रहे हैं । (हंसी) मैं ने सोचा कि खूब सोशलिज़म बन रहा है और उधर चीन के साथ लड़ाई लगी हुई है, उस से मुकाबला है । हम ने माल रोड पर देखा कि लड़कों ने बड़े अजीब ढंग से बालों को बांधा हुआ है और लड़कियों न भी पीछे से यूं कर के बाल बांधे हुए थे । मैं तो हैरान था कि यह हिन्दुस्तान है या कि फ्रांस का पैरिस । मेरी बातों पर जब कुछ नौजवानों ने आंखें दिखाई तो कंवर रामपाल सिंह जी ने कहा कि चलो यहां से तुम पिटवाओ गे । मैं ने कहा

कि सचाई कहे बिना नहीं रह सकता। क्या बालों की इस बनावट से ही सोशजिज़म

[*Shrimati Dr. Parkash Kaur in the Chair.*]

आयगा या चीन का मुकाबला होगा। क्या क्या बताऊं। हमारे डिप्टी स्पीकर श्रीमती शन्नों देवी एक बार हमें एक सब कमेटी के साथ जगाधरी ले गए। वहां पर हम ने एक अमीर आदमी के कारखाने को देखा। वहां पर पता लगा कि गवर्नमेंट ने उस कारखाने के लिए बड़ी बड़ी ग्रांट्स दे रखी हैं। उस के बाद एक दूसरे कारखाने को देखने के लिए गए। यह एक मजदूरों की सोसाइटी का कारखाना है साढ़े तीन सौ मज़दूर उस सोसाइटी के मैम्बर हैं। और कई साल से वह सोसाइटी चलती आ रही है, कारखाने में बरतन बनते हैं। उन लोगों के पास पूरा रिकार्ड है कि कितना माल तैयार हुआ, कितनी सेल हुई और कोई नहीं कह सकता कि मज़दूरों के सिवाए उस सोसाइटी का कोई और भी मैम्बर है। वह सोसाइटी तीन साल से चली आ रही है मगर उस को सरकार ने एक आने की भी ग्रांट नहीं दी। ऐसा सोशलिज़म हम ने जगाधरी में देखा कि मज़दूर को देने के लिए एक पैसा नहीं मगर करोड़पतियों को लाखों की ग्रांट्स दी जाती हैं। आप के सामने ही 20, 20 लाख रुपये इस काम के लिए पास कराया जाता है। (*Interruption by Chaudhri Ram Singh*) चौधरी राम सिंह डो. डी. पुरी का क्यों नाम लेते हो, मुझे मरवाओगे। सोशलिज़्म की बातें यहां बैठ कर करते हैं उस की डैफीनेशन का इन को पता नहीं। मेरे साथ देहात में चलें इन को पेटे में चलाऊंगा—हमारी तरफ तो पेटा ही कहते हैं इधर पंजाब में पता नहीं क्या कहते हों एक एक महीना इन को बैलों के पीछे फिराऊंगा तब इन को पता चलेगा कि सोशलिज़म क्या होता है। किस जानवर या पक्षी का नाम है।

सभापति : चौधरी साहिब, यह सब भी देहात के रहने वाले हैं और इन्होंने यह सब कुछ कर रखा है। (The other Members too belong to the rural areas and have the practical experience of these things.)

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : नहीं किसी ने नहीं किया हुआ। यह सब हवाई बातें करते हैं। प्रैक्टीकल कुछ नहीं (विघ्न) इन्होंने गरीबों के नुक्तानिगाह से कभी इस बत को नहीं सोचा। पता तो गरीबों को चलता है। मुझे एक दिन बस में एक दोस्त मिल गया। मैं ने कहा शर्मा जी आओ चाय पियो। वह कहने लगा कि क्यों बुरी आदतें डालते हो। मुझे डेढ़ सौ रुपया तनखाह मिलती है दो बच्चों को पालना और पढ़ाना है अगर चाय पीने की आदत डाल लूंगा तो मुश्किल हो जायगी। मैं ने कहा कि ऐसी क्या बात है डेढ़ सौ रुपया तनखाह पाते हो दो बच्चे हैं सब कुछ ठीक है। वह सुनाने लगा कि एक दिन शाम को खाने पर बैठे तो एक बच्चे ने कहा कि डैडी क्या हम गरीब हैं। मैं ने कहा कि क्या बात है। वह कहने लगा कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास तो कुछ नहीं होता मगर दूसरे बच्चे कोई टाफी खाता है,कोई चाकलेट खाता है, किसी के पास आठ आने होते हैं और वह कुछ खरीद कर

[चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक]

खाता है । हमारे पास कुछ नहीं होता। मैं ने अपनी वाइफ से कहा कि इन को जाते वक्त पराठा बना कर दे दिया करो । अगर बच्चे अभी से यह महसूस करने लग जाएंगे कि हम गरीब हैं तो आगे को पता नहीं उन पर क्या असर होगा । ऐसी ऐसी बातें हैं कि सुन कर आंखों में पानी आता है । कहने को तो डेढ़ सौ तनखाह पाते हैं मगर हालत यह है कि बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं सकते । जब इस से भी बहुत बुरी हालत हो और दूसरी तरफ अमीर गुलछर्रे उड़ाएं तो सोशलिज्म कैसे आयगा । इन दोनों को एक सतह पर लाना होगा । इस वक्त सिर्फ चौधरी साहिब ही हैं जो वज़ीर यहां बैठे हैं ....

सभापति : नाबराबरी दूर करने के लिए कनक्रीट सजैशन्ज़ भी दें ।

(Kindly give concrete suggestions also for removing inequality.)

चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक : कनक्रीट सुजैशज़ तो यहां पर देते ही रहते हैं । और इस में ऐसी कौन सी बात है, अमीर गरीब को बराबर ही तो करना है । मुझे तीन महीने दो, मैं यह कर सकता हूं । अब भला कोई लिस्ट बना कर दूं कि यह ऐसा ऐसा करें। चीफ मिनिस्टर साहिब ने सन 1956 से लेकर असली नकशा दिखा दिया है कि कैसे एक आदमी पांच छे साल के अन्दर अन्दर डेढ़ दो करोड़ रुपए की जायदाद का मालिक बन सकता है । अगर मैं चाहूं कि मैं करोड़ पति बन जाऊं तो क्या यह मुमकिन है? सुझाव तो यहां रोजाना दिये जाते हैं वरना और क्या सब यहां पर बकवास करते हैं । पता नहीं उन के दिमाग में क्या है जो कहते रहते हैं कि कनक्रीट सुजैशन दो । यह वही लोग हैं जो एक ही सांस में सरकार की तारीफ के पुल बांधेंगे कि सरकार ने यह कर दिया और वह कर दिया। बड़े तमतराक से बातें करेंगे मगर दूसरे ही सांस अपने हलके का रोना रोएंगे कि साहिब मेरे हलके में तो कुछ नहीं किया गया (घंटी) बस जी मैं खत्म ही कर रहा हूं । वजीर साहिबान की आंखों की तरफ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अगर वज़ीर साहिब की तारीफ न की तो उन के ज़ाती काम कैसे निकलेंगे और अगर हलके का रोना नहीं रोएंगे तो हलके वाले मारेंगे। चेयरमन साहिबा, यहां तो हकूमत सिर्फ एक आदमी की निगाह की तरफ देख कर चलाई जाती है । मैम्बरों पर टूल मास्टर का डण्डा रहता है । सरकस में रिंग मास्टर यार्ड में जिस तरफ को आर्डर करता है शेर घूम जाता है इधर या उधर बैठ जाता है । उस में अपनी कोई ज़मीर नहीं रहती । यहां पर तो अपनी ज़मीर को इन लोगों ने छोड़ रखा है ।

मैं अर्ज़ करूं, चेयरमैन साहिबा, कि कहते हैं कि सुझाव दें ठोस बातें बताएं । हम तो बता ही रहे हैं इन्हें तो खुद सोशलिज्म की डैफीनेशन का ही नहीं पता कि क्या है, यह तो अंधेरे में लठ लिए फिरते हैं तो इस से यह कहां तक सोशलिज्म को आगे ले जा सकते हैं । बस मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता था।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : चेयरमैन साहिबा, आज जिस रैज़ोल्यूशन पर बहस चल रही है, इस बात में शक नहीं कि यह एक अहम रैज़ोल्यूशन है और इसका डैमोक्रेसी के साथ सम्बन्ध है । इस बात के असूलों पर तो एतराज़ नहीं हो सकता कि सोशलिज्म के साथ हमारे देश का फ्यूचर हमारे देश का भविष्य बनना है। श्री यश जी ने इस रैज़ोल्यूशन में सुझाव भी दिए हैं कि यह यह जीवन की सुविधाएं हरेक को फ्री मिलनी चाहिएं । उन्हों ने तजवीज़ किया है कि एक कमेटी बनाएं जो 31 मार्च, 1965 तक अपने सुझाव सरकार के सामने रखें । मैं यह समझती हूं कि यह एक कदम है जिस से आगे आने वालों का भविष्य बन सकता है । लेकिन चेयरमैन साहिबा, मैं मानती हूं कि इन चीज़ों को लाने के लिए, सोशलिज्म को लाने के लिए जो फंडामेंटल और बेसिक पालिसीज़ हैं, उन में चेंज करने की ज़रूरत है । हमारी प्लैनिंग में तबदीली लाने की ज़रूरत है हमारे टैक्स सिस्टम में तबदीली लाने की ज़रूरत है ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप में रैडीकल चेंज लाने की ज़रूरत है, इस रैज़ोल्यूशन का सोसाइटी से सम्बन्ध है इस लिए सरकार कोई भी कानून बनाए, टैक्स पालिसी को अडाप्ट करे जब तक लोगों की कुआप्रेशन न मिले, सोसाइटी में एवेकनिंग न हो, बड़े लोग छोटे लोगों के साथ मिल कर न चलें सोशलिज्म को नहीं लाया जा सकता । मैं तो यहां तक कहूंगी कि इस सोशलिज्म को लाने के लिए स्टेट की सरकार, राज्य सरकार ही जिम्मेवार नहीं हो सकती , सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी, उनकी टैक्सिज़ की पालिसी, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पालिसी या नैश्नेलाइज़ेशन की पालिसी पर भी मुनहसर है ।

यहां पर डिस्पैरिटी इन इन्कमज़ का ज़िक्र किया गया है । जिसका टैक्सेशन पालिसी के साथ गहरा सम्बन्ध है । जहां तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सिज़ का सवाल है हमारे पर सेल्ज़ टैक्स हैं, पैसेंजर टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्सिज़ हैं । इन तीनों टैक्सों को लागू करने में हम लोगों में डिफरेंनशियेट नहीं कर सकते । इन टैक्सों को किसी बड़े आदमी पर ज्यादा और छोटे पर कम नहीं लगा सकते । यह तो यूनिफार्म ही लगाया जा सकता है। अगर हम ने डिस्पैरिटी को कम करना है और सोशलिज़म को लाना है तो सेंट्रल सरकार के पास जो सब्जैक्टस हैं और जो सेंट्रल टैक्स हैं उन में चेंज की ज़रूरत है । जैसे कि इन्कम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स, डैथ ड्यूटी टैक्स Taxes on Assests or capital of Banks and big Industries हैं । इन में इस तरीके को एडाप्ट किया जा सकता है ताकि डिस्पैरिटी कम हो सके ।

इसी तरह फिनांशल कार्पोरेशन्ज़ हैं, इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन्ज़ हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी कम्पनियों को नैश्नेलाइज़ किया जा सकता है। बैंकों को नैश्नेलाइज़ किया जा सकता है । इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि यह ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं। यह ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर अधिक है । ऐसी पालिसी को देश के अन्दर

[श्री मती ओम प्रभा जैन]

लागू किया जा सकता है कि जिस से सोशलिज़्म लाया जा सके । हमारी सरकार का तो स्कोप ही लिमिटिड है ।

चेयरमैन साहिबा, इस से आगे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्ज़ हैं । जब तक हम इन्हें नैश्नेलाइज़ नहीं कर सकते हम सोशलिज्म नहीं ला सकते । इस सम्बन्ध में भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कोप लिमिटिड है और स्टेट सबजैक्टस लिमिटिड हैं । एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर और दूसरे लैंड रिफार्म्ज़, जो इस स्टेट ने अपनाए हैं वह कहां तक कामयाब हुए हैं । मैं इस बात में नहीं जाना चाहती । लोग इवेड करते हैं इस में अफसरान की भी कुछ ज़िम्मेदारी है । सरप्लस ज़मीन निकाली गई पर उस में काफी ज़मीन नकाबले काश्त थी । सरकार हरिजनों को फायदा पहुंचाना चाहती थी लेकिन ज़मीन अच्छी न निकाली गई । लैंड रिफार्म्ज़ बना कर पंजाब सरकार ने कोशिश की सोशलज़्म लाने की लेकिन कामयाबी कहां तक हुई है यह देखने की बात है। इस की सफलता इम्पलीमैंटेशन पर है । अगर लैंड रिफार्म्ज़ की इम्पलीमैंटेशन सीरियसली होगी तो कामयाबी होगी । स्टेट सरकार के पास तो एक लैंड का ही साधन था जिस की डिस्ट्रीब्यूशन वह कुछ रैश्नेलाइज़ कर सकती है । और दूसरे जितने Sources of Production and Distribution हैं वह केन्द्रीय सरकार के ही पास हैं । सोशलिज्म को लाने के लिए दूसरा तरीका है कि कोआप्रेटिव सैकटर को मजबूत किया जाए ।

इस सरकार ने इस सिलसल में बहुत सी काआप्रेटिव सोसायटीज़ बनाई हैं और कोआप्रेटिव मूवमेंट को एनकरेज किया है पंजाब सरकार की ओर से पांच कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज़ आज चल रही हैं पर गवर्नमेंट की कोशिश के साथ ही साथ कोआप्रेटिव सिस्टम को कामयाब बनाने की ज़िम्मेदारी सोसायटी पर है जहां तक कि मैं समझती हूं । यह कुआप्रेटिव मूवमेंट की बदकिस्मती है कि बावजूद गवर्नमेंट बड़ी फिनांशल हैल्प इस सिलसिले में दे रही है पर बहुत सी कोआप्रेटिव सोसायटीज़ ठीक से फंक्शन नहीं कर रहीं ।

जहां तक इंडस्ट्री का सम्बन्ध है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने से कामयाबी हो सकती है । इस के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया बड़ी इंडस्ट्रीज़ को नैश्नेलाइज़ करे तो देश के सामूहिक कोष को फायदा पहुंच सकता है । और सोशलिज्म के मुद्दे में हम कामयाब हो सकते हैं । क्योंकि इन में जो भारी नफा है वे सरकार को मिल सकेगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आम आदमी की भलाई के लिए हो सकती है । यह ठीक है कि यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुल रही है लेकिन जब तक इन्हें नैश्नेलाइज़ न किया जाए सोशलिज्म नहीं आ सकता । इस लिए मैं यह कहूंगी कि यह रैज़ोल्यूशन जो हाऊस के सामने है उस पर इस दृष्टी से विचार करना चाहिए ।

जहां तक पंजाब में सोशलिज़्म का ताल्लुक है बजट से इसकी झलक मिलती है । सोशलिज्म की फंडामैंटल चीज़ें इस में हैं हरिजनों को नौकरियों में इन्सेंटिव देना,

छोटी छोटी इंडस्ट्री को कायम करना । यह सब सोशल स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए है । हरिजनों को पिगरी, डायरी, पौलट्री में इन्सेंटिव देने की ज़रूरत है जिस के ज़रिए उन की ग्रामदन को बढ़ाया जा सके ।

लोगों के पास बिजली ले जाने का प्रोग्राम अच्छा बनाने की जरूरत है । इस से प्रोडक्शन बढ़ सकती है अगर हम देहात के अन्दर इलैक्ट्रीफिकेशन कर दें । यह हमारी ड्यूटी है ।

मैं यह भी यहां पर कह दूं कि इन सारी चीज़ों से काम पूरा होने वाला नहीं। इस लिए में सरकार से दरखास्त करूंगी कि हमारी प्लैनिंग में तब्दीली की ज़रूरत है । जो फिगर्ज दी जाती हैं वह कई बार गलत होती हैं । जो डिफरेंट डीपार्टमेंट्स हैं उन में सेक्रेटेरियेट में कोग्राडिनेशन नहीं है । जो टार्गेट्स हैं वह पूरा नहीं कर पाते । फिगर्ज़ जो तैयार किए जाते हैं वह सही नहीं होते । इसकी रिसर्च होनी चाहिए। अलग अलग महकमें अलग अलग काम करते हैं और उन में ग्रापस में ताल मेल नहीं होता । प्लैनिंग, फिनांस और टैक्सेशन के महकमों की अगर बेहतर कोग्राडिनेशन हो तो छोटे तबके को फायदा हो सकता है । और सोशलिज्म कोनज़दीक लाया जा सकता है ।

चेयरमैन साहिबा, यहां पर जो यह रैज़ोल्यूशन ग्राया है इस में चार बातों का ज़िक्र किया गया है । इस में यह भी दर्ज है कि ज़रूरियाते ज़िन्दगी वाजब कीमतों पर मिल सकें । इस में संदेह नहीं कि तीसरी पांच साला प्लान में कीमतों के भाव बढ़े हैं और पर—कैपिटा इन्कम दूसरे सूबों के मुकाबले में पिछले दो सालों में गिरी है । जहां पर यह कहा जाता है कि ग्रामदन बढ़ी है वहां पर पंजाब में ग्राबादी भी बढ़ी है और बाकी सूबों की निसबत ज़यादा बढ़ी है । इस का असर सूबे की इकानॉमी पर पड़ा है । और यही वजह है कि पर कैपिटा इन्कम गिर रही है । कीमतें बढ़ी हैं इस बात को सामने रखते हुए यह ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए । अगर हम इस तरफ ध्यान न देंगे तो सोशलिज़्म का एक नारा ही रह जाएगा । मैं इस बात के लिए चीफ मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद देना चाहती हूं जो उन्हों ने कहा है कि हम अपने सूबे की, प्रोडक्शन दुगनी कर देंगे। ग्राज हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं कि हमें चाहिए कि देहातों में ज्यादा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पहुंचायें ताकि उस की प्रोडक्शन बढ़, इन्कम बढ़े, जब तक उन की प्रोडकशन नहीं बढ़ेगी हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारी डिवेल्पमेंट भी नहीं हो सकती । मैं यहां पर यह भी कहना चाहती हूं कि ग्राज़ादी के बाद हमारी Social Values में बड़ी चेंज ग्राई है । ग्राज देहात में बेरोज़गारी है क्योंकि पुराने धन्धे खत्म हो गये । इस लिए हमें देहाती लोगों की इकानोमिक डिवलपमेंट का भी ध्यान रखना होगा। पहले देहाती लोगों में जुलाहे, तरखान और लोहार वगैरह होते थे जो अपने रोज़गार के लिए यह धंधे करते थे, मगर ग्राज वह सब लोग बेकार हैं हमारा फर्ज़ है कि हम अगर मुलक में सोशल और आर्थिक सुधार

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

लाना चाहते हैं तो इन लोगों को रोज़गार दें । इस के इलावा मैं यह भी कहूंगी कि जो लोग आज दो दो एकड़ ज़मीन पर बैठे हुये हैं, जो दूसरी जगहों से उजड़ कर आबाद किये गये हैं हमारा फर्ज़ है कि हम उन को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल फैसिलीटीज़ दें, उन को हम माडर्न इम्पलीमेंटस दें, फर्टिलाइज़र्ज़ और आला बीजों के इलावा जो भी फसिलिटीज़ हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिये । इस तरह हम इस मुलक की तरक्की कर सकते ह । खाली बातों से इस मुलक में सोशलिज्म नहीं आयेगा इस के लिए हमें प्रैक्टीकल काम करना होगा तभी हम इस मुल्क में सोशलिज्म ला पायेंगे (तालियां) जब तक देहातों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ ले जाने का हम कोई इंतज़ाम नहीं करते हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता । आज देहातों में लोगों की हालत बहुत ही खराब है । हमारा फर्ज़ है कि हम इन को जल्द से जल्द डिवैल्प करें । मगर मैं देखती हूं कि इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि इन को देना चाहिये थां । चेयरमैन साहिबा, आज देहातों की जो हालत है उस से मैम्बरान बखूबी वाकिफ हैं । मैं किसी खास मुकाम का ज़िक्र नहीं करती एक जरनल बात के तौर पर मैं आप का ध्यान उन बैकवर्ड इलाकों की तरफ दिलाना चाहती हूं जो पिछड़े हुए हैं जिन को फौरी इमदाद की ज़रूरत है । कोई भी इंडस्ट्री हो वह हम लुध्याना में या और बड़े बड़े शहरों में हमेशा ले जाने की कोशिश करते हैं । मैं कहूंगी जो भी इंडस्ट्री लगानी हो वह देहातों में लगाई जाये, इस की वजह यह है कि हमें जितना भी रा मैटीरियल मिलेगा वह शहरों में नहीं होगा । बल्कि देहातों में होगा । इस लिये ज़रूरी है कि छोटी मोटी इंडस्ट्री देहातों में ही लगानी चाहिये । इस से देहाती लोगों को रोज़गार मिलेगा और मुल्क की पैदावार में भी बढ़ावा होगा । इन लोगों को ज़रूरी है कि इस के साथ फ्री एजुकेशन और फ्री मैडीकल एड भी देनी चाहिये ताकि इस रैज़ोल्यूशन का जो मुद्दा है वह पूरा हो सके । हम इस की तभी सही मायनों में इम्पलीमेंटेशन कर पायेंगे । मैं यह बात जानती हूं कि जितना सोच विचार से आज काम लिया जा रहा है हम इस का उतना लाभ उठा नहीं सके हैं । आज जितनी पैदावार बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से हमारे मुल्क में आबादी भी बढ़ती जा रही है । इस लिये हमारा फर्ज़ है कि लोगों को साथ ही साथ अगर रोज़गार मिलता जायगा तो इस से मुल्क की आमदनी में भी इज़ाफा होगा और आबादी का भी मसला हल होता चला जायेगा । अभी तक सुजैशन तो बहुत से मैम्बर साहिबान देते ही रहते हैं मगर सवाल इन की इम्पलीमेंटेशन का है । इस का एक ही सब से अच्छा तरीका हो सकता है कि जो भी हम इंडस्ट्री लगायें वह महज़ देहातों में ही लगायें ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और वहां की पैदावार भी बढ़े । इस के लिए हमें अपनी प्लैनिंग को भी बदलना पड़ेगा, इस के साथ ही जो नैशनल डिवैल्पमेंट की हम ने अपनी पालिसी अपनाई है उस को भी बदलना पड़ेगा ।

इस रैज़ोल्यूशन में नैश्नेलाइज़ेशन की पालिसी को भी अपनाया गया है । मैं कहूंगी कि अगर पंजाब में नैश्नेलाइज़ेशन ही करनी है तो सब से पहले बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ की नैश्नेलाइज़ेशन की जाये । और सारे पंजाब में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़

हैं जो कि अभी पहली स्टेज पर हैं अभी इन को और फ्लरिश करने का मौका मिलना चाहिये ।

यहां पर एक मैम्बर ने यह भी जिक्र किया था कि हमारे मुल्क में ब्लैक मनी की भरमार है । उन का कहना था कि हमारे मुल्क में 300 करोड़ रुपया ब्लैक मनी का है जो कि बिज़नेस मैन की तरफ से ब्लैक मार्किट में लगा हुआ है जिसे वह ब्लैक में इस्तेमाल करते हैं और इस तरह सरकार का लाखों रुपये बतौर इन्कम टैक्स का गबन होता है । लोगों का बहुत सा रुपया चिट फंड या फाइनैंशल कार्पोरेशन्ज़ में जमा है वह यह रुपया वहां इनवैस्ट करते हैं जहां से कि लोगों को ज़्यादा इंटरैस्ट मिले । यह बात हमारे सामने है कि फल्लड कंट्रोल के सिलसिले में जब हमारी सरकार को ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने इन कम्पनियों की निसबत सरकार को बहुत कम पैसा दिया इस की वजह यह थी कि यह कम्पनियां 12 फी सदी इंटरैस्ट देती हैं जहां सरकार बड़ी मुश्किल से 6 या साढे 6 फी सदी इंटरेस्ट देती है । इस तरह यह कार्पोरेशन्ज़ ब्लैक मनी दिखाने की बजाये ब्लैक मनी को ज़्यादा इंटरैस्ट पर बखेरते भी रहते हैं । इस लिये मैं कहूंगी कि यह जितनी भी फिनांशल कार्पोरेशन्ज़ हैं इन को नैश–नेलाइज़ किया जाये । इस के लिए अगर हमें अपने कांस्टीच्यूशन में भी तब्दीली करनी पड़े तो इस में भी तबदीली की जानी चाहिए । एक बात चौधरी चान्द राम जी ने पब्लिक सैक्टर के मुताल्लिक कही है, यह तजवीज बहुत अच्छी तजवीज़ है । आज वह लोग आगे आते हैं जिन के पास मीन्ज़ हैं और रिसोर्सिज़ हैं । दूसरे लोगों का भी हमें कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिये ।

चौधरी बालू राम (आनंदपुर) : आज चेयरमन साहिबा, इस हाऊस में यह रज़ोल्यूशन लाकर आनरेबल मेम्बर ने हम सब को सोशलिज्म पर विचार रखने का मौका दिया है । मैं समझता हूं कि हम इस रैज़ोल्यूशन पर बोल सकें और इस के सिवाये इस रैज़ोल्यूशन का कोई मतलब हल नहीं होता । इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि यह सब चीज़ें हम नहीं चाहतें हैं । मगर सवाल तो यह है कि अगर आज बहस करके हम इसको पास कर देते हैं तो क्या इस से यह मकसद हल हो जायेगा ? मैं समझता हूं कि यहां पर तो सवाल इस की इम्पलीमैंटेशन का है । इस तरह का रैज़ोल्यूशन पिछले दो–तीन साल से आता रहा है और अब भी हो सकता है कि इसी पर ही नान–आफीशल दिनों में तमाम सैशन पर बहस चलती रहे अगर इस रैज़ोल्यूशन पर हम वोट लें तो कौन आदमी हो सकता है जो इस के खिलाफ वोट देगा । चाहे वह आपोज़ीशन का है चाहे वह ट्रेज़री बैंचिज़ का है वह तो यही कहेगा कि यह रैज़ोल्यूशन ज़रूर ही पास होना चाहिये । सवाल तो यह है चेयरमैन साहिबा कि आया हमारे कहने से यह सारी बात हो भी जायेगी । (contd.)

Chairman: The House stands adjourned till 3.00 p. m. today

1-30 P. M.

(The Shaba then adjourned till 3-00 p.m. for the Second Sitting.)

APPENDIX

EMPLOYEES BELONGING TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES IN THE CIVIL SECRETARIAT, PUNJAB

1417. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the Civil Secretariat Establishment under the control of Chief Secretary together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Sardar Partap Singh Kairon : The enclosed statement gives the requisite information.

STATEMENT

Class	Category	Number	Names of the employees belonging to Scheduled Castes/Tribes	Names of employees belonging to Backward Classes	Dates of appointments in the Civil Secretariat	Percentage in each category	Percentage of posts reserved
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	10%
II	Superintendent	1	Shri Vishnu Datt	—	17-10-38	1.25%	For Superintendents and all other posts below Superintendents.
III	Assistants	2	(1) Shri Bhale Ram	— ..	19-6-44	·42%	(i) *in case of new appointments.*—
			(2) Shri Satya Varat Shastri	— ..	28-11-49		20% for Scheduled Castes/Tribes.
	Special Assistant	1	Shri Bhag Singh	— ..	13-5-63	14·3%	2% for Backward Classes.
	Clerks	45	(1) Shri Daulat Ram	— ..	11-5-45		
			(2) Shri Bhagwat Ram	— ..	13-5-46		
			(3) Shri Surjit Ram	— ..	28-11-52	8·5%	(ii) *For posts to be filled by promotion.*—
			(4) Shri Surjit Ram	— ..	8-1-58		
			(5) Shri Tulsi Ram	— ..	10-1-58		9% for the members of Scheduled Castes/Tribes and 1% for the Backward Classes.
			(6) Shri Ram Sarup Ballo	— ..	25-4-58		
			(7) Shri Bhag Singh	— ..	15-9-58		
			(8) Shri Pritam Chand	— ..	15-9-58		
			(9) Shri Jagtar Singh	— ..	22-9-58		
			(10) Shri Ajai Pal	— ..	12-9-57		
			(11) Shri Surinder Singh	— ..	11-7-58		
			(12) Shri Ranjit Singh	— ..	4-12-58		
			(13) Shri Des Raj	— ..	4-12-58		
			(14) Shri Harnek Singh	— ..	8-7-59		
			(15) Shri Karnail Chand	— ..	8-7-59		

(16) Shri Santokh Singh	—	...	18-8-59		
(17) Shri Kulbhushan Mahender Singh	—	...	20-8-59		
(18) Shri Piara Singh	—	..	18-8-59		
(19) Shri Mahgga Ram	—	..	12-2-60		
(20) Shri Bishan Singh	—	...	12-2-60		
(21) Shri Chaman Lal	—	..	11-2-60		
(22) Shri Sawaran Singh	—	..	9-10-57		
(23) Shri Amar Nath	—	..	12-2-60		
(24) Shri Hari Si ngh	—	..	16-3-60		
(25) Shri Hardev Singh	—	..	7-3-60		
(26) Shri Jarnail Singh	—	...	1-3-60		
(27) Shri Mange Ram	—	..	1-4-60		
(28) Shri Kasturi Lal	—	..	11-4-60		
(29) Shri Vidya Nand	—	..	10-11-60		
(30) Shri Bagga Ram	—	..	12-12-60		
(31) Shri Sahuru Ram	—	..	3-2-61		
(32) Shri Bakshi Ram	—	..	8-7-57		
(33) Shri Parkash Ram	—	..	20-11-61		
(34) Shri Swaran Dass	—	..	18-11-61		
(35) Shri Sardari Lal	—	..	16-11-61		
(36) Shri Charan Singh	—	..	22-1-62		
(37) Shri Mangat Ram	—	...	7-5-62		
(38) Shri Piara Singh	—	..	18-4-62		
(39) Shri Chaman Lal	—	..	4-7-63		
(40) Shri Mohinder Singh	—	..	21-10-63		
(41) Shri Neki Ram	—	...	25-10-63		
(42) Shri Uttam Chand	—	...	25-10-63		
(43) Shri Sarwan Singh	—	..	9-11-61		
(44) Shri Girja Singh	—	...	8-12-64		
(45) Shri Devi Chand	—	..	31-1-64	6 %	Ditto

1	2	3	4	5	6	7	8
				(1) Shri Krishan Dev ..	20-6-57		(*ii*) *For posts to be filled by promotion;*— 9% for the members of Scheduled Castes/Tribes and 1% for the Backward Classes.
				(2) Shri Baldev Singh ..	19-12-57		
				(3) Shri Babu Ram ..	22-9-58		
				(4) Shri Om Parkash Khatta ..	19-9-58		
				(5) Shri Garib Singh ..	9-10-57		
				(6) Shri Sojal Parkash ..	8-11-58		
				(7) Shri Arjan Singh ..	8-12-58		
				(8) Shri Rawel Singh ..	8-12-58		
				(9) Shri Mangai Ram ..	15-2-60		
				(10) Shri Mohinder Singh ..	13-2-61		
				(11) Shri Baldev Singh ..	8-12-59		
				(12) Shri Pran Nath ..	15-11-61		
				(13) Shri Parduman Singh ..	30-11-61		
				(14) Shri Kallam Singh ..	27-1-62		
				(15) Shri Shiv Narain ..	29-1-62		
				(16) Shri Hakam Singh ..	31-1-62		
				(17) Shri Hans Raj ..	22-2-62		
				(18) Shri Khushab Singh ..	24-4-62		
				(19) Shri Ajit Singh ..	24-4-62		
				(20) Shri Bidhi Chand ..	17-10-62		
				(21) Shri Krishan Lal ..	6-7-63		
				(22) Shri Arjan Singh ..	26-8-63		
				(23) Shri Sohan Lal ..	29-10-63		
				(24) Shri Kishan Singh ..	6-11-61		
				(25) Shri Gian Singh Gandhi ..	9-9-58		
				(26) Shri Shamsher Singh ..	29-11-63		
				(27) Shri Mast Chand ..	29-11-63		

			(28) Shri Behari Lal	.. 29-11-63		
			(29) Shri Mohan Lal	.. 11-2-64		
			(30) Shri Ram Mehar	.. 31-1-64		
			(31) Shri Uttam Chand	.. 31-8-56		
Junior Translators	2		(1) Shri Amarjit Singh	.. 13-12-63	40 %	Ditto
			(2) Shri Amrit Lal	.. 21-11-63		
Steno Typist	1	(1) Shri Sagar Mal	—	.. 10-7-63	1.33 %	Ditto
Restorers	2	(1) Shri Gurnam Singh	—	.. 17-5-48	4 %	Ditto
(including one Record Supervisor).		(2) Shri Arjan Singh	—	.. 2-11-36		
	17					
			(1) Shri Ishar Singh Record Supervisor	.. 16-6-37	34 %	Ditto
			(2) Shri Ram Saran Das	.. 13-3-45		
			(3) Shri Gajjan Singh	.. 12-7-48		
			(4) Shri Sarju Parshad Singh	.. 7-2-61		
			(5) Shri Ram Singh	.. 18-5-63		
			(6) Shri Bihari Lal	.. 12-4-61		
			(7) Shri Narain Dass	.. 28-4-61		
			(8) Shri Ram Gopal	.. 12-4-62		
			(9) Shri Ram Parkash	.. 12-4-62		
			(10) Shri Ajit Singh	.. 4-4-61		
			(11) Shri Hakam Singh	.. 19-4-62		
			(12) Shri Narain Singh	.. 9-1-64		
			(13) Shri Bachu Lal	.. 26-12-50		
			(14) Shri Jacob Sukhi	.. 11-8-56		
			(15) Shri Ansuya Parshad	.. 17-11-54		
			(16) Shri Jagdish Chand	.. 5-7-63		
			(17) Shri Gurdip Singh	.. 7-4-63		

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Daftrees	30	Shri Pritam Singh	— ..	30-5-56	2.8%	(ii) *For posts to be filled by promotion* :— 9% for the members of Scheduled Castes Tribes and 1% for the Backward Classes
				(1) Shri Lal Chand ..	25-11-45		
				(2) Shri Karam Chand ..	20-548		
				(3) Shri Nikka Ram ..	13-4-47		
				(4) Shri Baru Ram ..	1-9-48		
				(5) Shri Suraj Ram ..	1-9-48		
				(6) Shri Goral Lal ..	1-9-48		
				(7) Shri Sadhu Singh ..	1-9-48		
				(8) Shri Gajja Singh ..	1-9-48		
				(9) Shri Arjan Dass ..	1-9-48		
				(10) Shri Sunder Dass ..	26-12-50		
				(11) Shri Sher Singh ..	1-10-54		
				(12) Shri Rama Nand ..	29-7-55		
				(13) Shri Radha Singh ...	9-7-56		
				(14) Shri Ram Singh ..	6-7-56		
				(15) Shri Tula Ram ..	11-8-56		
				(16) Shri Gumal Singh ..	11-9-60		
				(17) Shri Ishar Dass ..	24-3-48		
				(18) Shri Prem Dass ..	9-8-55		
				(19) Shri Chander Singh ..	3-9-5		
				(20) Shri Gurdas Ram ..	9-7-47		
				(21) Shri Prem Nath ..	8-11-47		
				(22) Shri Gurdial Singh ..	27-3-48		
				(23) Shri Om Chand ..	2-9-60		
				(24) Shri Rameshwar Dass ..	26-9-53		
				(25) Shri Jaswant Singh ..	22-12-55		

			(26) Shri Sadhu Ram ..	10-9-55		
			(27) Shri Vir Singh ..	9-4-56		
			(28) Shri Gurmukh Singh ..	14-5-56		
			(29) Shir Narain Dass ..	25-5-56		
			(30) Shri Braham Dutt ..	4-9-56		
Record lifters	1	Shri Sadhu Ram	— ..	10-9-55	5.6%	Ditto
	9		(1) Shri Pritam Singh Billasi..	12-9-56	46%	Ditto
			(2) Shri Bir Singh ..	9-4-56		
			(3) Shri Narain Dass ..	25-5-56		
			(4) Shri Rishi Ram ..	24-8-61		
			(5) Shri Ram Singh ..	3-4-62		
			(6) Shri Pritam Singh ..	18-4-52		
			(7) Shri Amar Singh ..	11-6-56		
			(8) Shri Gurmukh Singh ..	3-4-62		
			(9) Shri Mohan Singh ..	31-8-61		
Jamadars	2	(1) Shri Gurbax Singh	— ..	1-11-54	5%	Ditto
		(2) Shri Longu Ram	— ..	14-10-44		
	15		(1) Shri Amar Nath ..	5-12-23	40%	Ditto
			(2) Shri Nathu Ram ..	16-5-44		
			(3) Shri Ram Lal ..	17-4-52		
			(4) Shri Munshi Ram Sharma I	24-4-56		
			(5) Shri Shankar Singh ..	1-9-52		
			(6) Shri Bawa Dass ..	24-4-56		
			(7) Shri Ram Surat ..	25-5-56		
			(8) Shri Chhaju Singh ..	1-6-54		
			(9) Shri Bhagwati Parshad ..	1-2-43		
			(10) Shri Kartar Singh ..	13-1-30		
			(11) Shri Daulat Singh ..	20-10-31		
			(12) Shri Kirpa Ram ..	11-2-44		
			(13) Shri Inder Sain ..	17-7-44		

1	2	3	4	5	6	7	8
IV—*Contd*	Jamadars—*Concld*	15—	..	(14) Shri Ram Hirden	.. 20-11-44		
		Concld	..	(15) Shri Anant Ram	.. 29-11-44		
	Peons	24	(1) Shri Mansa Singh	—	.. 13-10-45		
			(2) Shri Sital Singh	—	.. 14-7-47		
			(3) Shri Amar Singh	—	.. 8-9-45		
			(4) Shri Nand Ram	—	25-10-45 (A.N.)		
			(5) Shri Dasaundi Ram	—	25-10-47 (A.N.)		
			(6) Shri Gurdasa Singh	—	.. 22-11-47		
			(7) Shri Asa Ram	—	.. 21-5-48		
			(8) Shri Sant Lal	—	.. 16-1-48		
			(9) Shri Sher Singh	—	.. 30-11-50		
			(10) Shri Sainu Ram	—	.. 23-4-52		
			(11) Shri Zulfi Ram	—	.. 18-4-52		
			(12) Shri Chint Ram	—	.. 18-4-52		
			(13) Shri Itpari Lal	—	.. 18-4-52		
			(14) Shrl Naurang Singh	—	.. 1-8-55		
			(15) Shri Sadhu Ram	—	.. 10-9-55		
			(16) Shri Jagir Singh	—	.. Aug., 55		
			(17) Shri Faqiria Ram	—	.. 3-7-61		
			(18) Shri Bansi Ram	—	.. 1-7-58		
			(19) Shri Mohinder Singh	—	.. 1-6-63		
			(20) Shri Sadhu Singh	—	.. 17-12-63		
			(21) Shri Onkar Singh	—	.. 17-12-63		
			(22) Shri Sat Pal	—	.. 17-12-63		
			(23) Shri Nasib Chand	—	.. 17-12-63		
			(24) Shri Naurang Singh	—	.. 17-12-63		

125	—	(1) Shri Bhikham Singh	.. 4-4-45	40 %	Ditto
	—	(2) Shri Dhani Ram	.. 4-10-45		
	—	(3) Shri Gulab Chand	.. 20-12-45		
	—	(4) Shri Pritam Singh	.. 20-6-47		
	—	(5) Shri Lachhi Ram	.. 22-9-47		
	—	(6) Shri Sahi Ram	.. 22-9-47		
	—	(7) Shri Gopal Singh	.. 29-9-47		
	—	(8) Shri Jai Karan	.. 15-11-47		
	—	(9) Shri Gurdial Singh	.. 15-8-46		
	—	(10) Shri Bachhan Singh	.. 17-1-48		
	—	(11) Shri Jagat Singh	.. 25-10-47		
	—	(12) Shri Parma Nand	.. 25-10-47		
	—	(13) Shri Chet Ram	.. 25-10-47		
	—	(14) Shri Inder Singh	..25-10-47(A.N.)		
	—	(15) Shri Gokal Singh	..25-10-47(A.N.)		
	—	(16) Shri Longu Ram	..8-11-47 (A.N.)		
	—	(17) Shri Lall Singh	.. 17-11-47		
	—	(18) Shri Bachan Singh	.. 8-12-47		
	—	(19) Shri Ranbir Singh	.. 14-12-47		
	—	(20) Shri Uttam Singh	.. 14-12-47		
	—	(21) Shri Karam Singh	.. 27-3-48		
	—	(22) Shri Chanan Singh	..29-3-48(A.N.)		
	—	(23) Shri Balwant Singh	.. 8-4-48		
	—	(24) Shri Kala Singh	.. 21-4-48		
	—	(25) Shri Munshi Ram	.. 20-5-48		
	—	(26) Shri Sunder Dass	.. 21-5-48		
	—	(27) Shri Ram Singh	.. 12-6-48		
	—	(28) Shri Jai Karan	.. 12-7-48		
	—	(29) Shri Ganesh Patti	.. 12-7-48		

1	2	3	4	5	6	7	8
IV—*Contd*	Peons—*Contd*	125—*Contd*	—	(30) Shri Raghbir Singh ..	15-8-44		
			—	(31) Shri Surjit Singh ..	28-10-44		
			—	(32) Shri Hazari Lal ..	11-4-45		
			—	(33) Shri Sham Lal ..	18-11-45		
			—	(34) Shri Sardar Singh ..	6-5-47		
			—	(35) Shri Mangat Ram ..	8-5-45		
			—	(36) Shri Kaka Singh ..	1-9-48		
			—	(37) Shri Babu Singh ..	24-5-47		
			—	(38) Shri Gulab Ram ..	7-12-48		
			—	(39) Shri Kirpal Singh ..	13-1-49		
			—	(40) Shri Rawail Singh ..	24-1-49		
			—	(41) Shri Mano Datt ..	27-1-49		
			—	(42) Shri Rajinder Singh ..	17-2-49		
			—	(43) Shr' Partap Singh ..	10-3-49		
			—	(44) Shri Babu Lal ..	29-3-49		
			—	(45) Shri Hazara Singh ..	6-5-50		
			—	(46) Shri Pritam Singh ..	6-7-50		
			—	(47) Shri Jagan Nath ..	1-9-50		
			—	(48) Shri Gurnam Singh ..	1-9-51		
			—	(49) Shri Puran Singh ..	1-11-51		
			—	(50) Shri Parshotam Lal ..	11-2-52		
			—	(51) Shri Anokhi Ram ..	18-4-52		
			—	(52) Shri Bakshi Ram ..	27-10-52		
			—	(53) Shri Kartara Singh ..	15-3-54		
			—	(54) Shri Maghar Singh ..	13-5-52		
			—	(55) Shri Amba Dutt ..	21-8-51		
			—	(56) Shri Ram Dass ..	15-2-54		

—	(57) Shri Hari Singh	4-8-54
—	(58) Shri Nand Lal	.. 1-9-54
—	(59) Shri Achhar Singh	.. 27-12-54
—	(60) Shri Kitab Singh	.. 10-1-55
—	(61) Shri Nathu Ram	.. 11-5-55
—	(62) Shri Chhote Singh	.. 12-9-54
—	(63) Shri Selig Ram	.. 2-4-55
—	(64) Shri Bant Singh	.. 1-6-54
—	(65) Shri Raiti Ram	.. 4-9-53
—	(66) Shri Naranjan Singh	.. 1-9-55
—	(67) Shri Banta Singh	.. 17-9-55
—	(68) Shri Shivram	.. 3-10-55
—	(69) Shri Jagram Singh	... 1-11-55
—	(70) Shri Narian Chand	.. 3-12-55
—	(71) Shri Bachan Singh	.. 4-5-54
—	(72) Shri Bhola Singh	.. 28-5-54
—	(73) Shri Mussadi Lal	.. 2-11-54
—	(74) Shri Balwant Singh	.. 1-11-55
—	(75) Shri Prem Chand	.. 1-11-55
—	(76) Shri Joginder Singh	.. 7-5-56
—	(77) Shri Balwant Singh	.. 14-5-56
—	(78) Shri Hari Chand	.. 14-5-56
—	(79) Shri Chet Ram	.. 13-6-56
—	(80) Shri Sher Singh	... 13-6-56
—	(81) Shri Avtar Singh	.. 14-6-56
—	(82) Shri Lekh Raj	.. 14-6-56
—	(83) Shri Nihal Chand	.. Aug., 56
—	(84) Shri Kartar Singh	... 26-3-35
—	(85) Shri Shankar Dass	.. Sept., 47
—	(86) Shri Babu Ram	.. 7-4-50

1	2	3	4	5	6	7	8
IV—*Concld*	Peons—*Concld*	125—*Concld*	—	(87) Shri Shiv Chand ..	15-11-50		
			—	(88) Shri Naurata Ram ..	March, 1955		
			—	(89) Shri Hans Ram ..	Aug., '56		
			—	(90) Shri Hazari Lal ..	11-10-58		
			—	(91) Shri Umed Singh ..	18-10-58		
			—	(92) Shri Tilbahdur Singh ..	22-10-58		
			—	(93) Shri Kashmira Singh ..	30-10-58 (A. N.)		
			—	(94) Shri Ram Narain ..	26-12-58		
			—	(95) Shri Lall Singh ..	4-2-59		
			—	(96) Shri Dhani Ram ..	4-2-59		
			—	(97) Shri Parkash Chand ..	5-3-59		
			—	(98) Shri Nanku Parshad ..	24-4-59		
			—	(99) Shri Man Dass ..	1-5-59		
			—	(100) Shri Naurang Singh ..	4-4-61		
			—	(101) Shri Gurnam Singh ..	7-4-61		
			—	(102) Shri Balak Ram ..	4-4-61		
			—	(103) Shri Avtar Krishen ..	24-8-61		
			—	(104) Shri Atma Ram ..	25-8-61		
			—	(105) Shri Chandan Singh ..	25-8-61		
			—	(106) Shri Nachhatar Singh ..	25-8-61		
			—	(107) Shri Babu Ram ..	25-8-61		
			—	(108) Shri Gian Chand ..	26-8-61		
			—	(109) Shri Sital Singh ..	1-11-61		
			—	(110) Shri Bhagwant Singh ..	21-11-61		
			—	(111) Shri Ram Dass ..	7-10-63		
			—	(112) Shri Attar Singh ..	20-1-54		
			—	(113) Shri Mohinder Singh ..	12-6-63		

		—	(114) Shri Mohd. Sadiq	.. 24-4-54		
		—	(115) Shri Mangal Singh	.. 30-12-59		
		—	(116) Shri Nand Ram	.. 24-2-36		
		—	(117) Shri Lachhman Singh	.. 12-7-48		
		—	(118) Shri Patti Ram	.. 7-5-53		
		—	(119) Shri Paras Ram	.. 1-1-59		
		—	(120) Shri Ram Miuan	... 7-4-61		
		—	(121) Shri Rameswar Dass	.. 21-6-51		
		—	(122) Shri Tirath Singh	.. 13-10-58		
		—	(123) Shri Vishwa Nath	.. 12-6-48		
		—	(124) Shri Sunder Dass	.. 4-2-42		
		—	(125) Shri Sat Parkash	.. 8-11-47		
Gate keeper	1	Shri Rachan Singh		.. 22-7-55	8. 33%	ditto
	1	—	Shri Udhe Singh	.. 25-5-56	8. 33%	ditto
Gate		(1) Shri Udho Ram		.. 1-7-50		
Messangers	3	(2) Shri Puran Singh		.. 10-8-55		
		(3) Shri Gurbachan Singh		.. 26-11-58 (A. N.)	82%	ditto
	18		(1) Shri Bachan Singh	... 8-12-47	82%	ditto
		—	(2) Shri Dev Dutt	... 17-4-52		
		—	(3) Shri Tara Chand	.. 11-6-51		
		—	(4) Shri Bhag Singh	.. 2.-44		
		—	(5) Shri Mahadeo Sen	.. Sept., '58		
		—	(6) Shri Nahar Singh	.. 15-12-49		
		—	(7) Shri Dhian Singh	.. 26-9-47		
		—	(8) Shri Nanak Singh	.. 11-10-46		
		—	(9) Shri Baldev Singh	.. 24-6-47		
		—	(10) Shri Jhonfi Ram	.. 21-5-48		
		—	(11) Shri Atma Singh	.. 26-9-46		
		—	(12) Shri Baboo Singh	.. 24-5-47		
		—	(13) Shri Ujagar Singh	.. 18-2-52		

1	2	3	4	5	6	7	8
IV—*Concld*	Gate-Messangers—*Concld*		—	(14) Shri Chet Ram	... 16-12-58		(*ii*) *For posts to be filled by promotion* :— 9% for the members of Scheduled Castes/Tribes and 1% for the Backward Classes.
			—	(15) Shri Sunder Lal	... 1-5-56		
			—	(16) Shri Dhani Ram	.. 3-6-49		
			—	(17) Shri Bohram Singh	.. 3-12-55		
			—	(18) Shri Dhara Singh	.. 20-5-48		
Chowkidars	1		Shri Sucha Singh		.. 6-3-64	4%	
	14			(1) Shri Narpat Singh	.. 1-4-53	50%	
			—	(2) Shri Chhanga Singh	.. 17-4-52		
			—	(3) Shri Ram Sanahi	.. July, 46		
			—	(4) Shri Babu Singh	.. 28-5-63		
			—	(5) Shri Ishar Singh	.. 8-6-62		
			—	(6) Shri Bhajan Singh	.. 3-8-61		
			—	(7) Shri Puran Singh	.. 14-6-63		
			—	(8) Shri Jawahar Singh	.. 24-6-63		
			—	(9) Shri Basta Singh	.. 24-6-63		
			—	(10) Shri Ram Lakhan	.. 1-4-53		
			—	(11) Shri Bjr Singh	.. 9-3-64		
			—	(12) Shri Kaka Singh	.. 6-3-64		
			—	(13) Shri Ranjit Singh	.. 6-3-64		
			—	(14) Shri Babu Singh	.. 6-3-64		

STANDING ORDERS FRAMED BY PEPSU ROAD TRANSPORT CORPORATION

....

1523. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Home Minister be pleased to state—

(a) whether the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, applies to the Pepsu Road Transport Corpora tion, Patiala;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the above referred to Corporation has framed the required Standing Orders: if not, the reasons therefor ?

Shri Mohan Lal : (a) No. The workmen employed in the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala, are being governed under the provisions of the C. S. R. and as such according to Section 13-B of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, the establishment is not required to frame Standing Orders.

(b) Does not arise.

.....

1117—14-7-64—386—C. P. & S. Pb.. Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th March, 1964

EVENING SITTING

Vol. I—No. 26

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 26th March, 1964

Price : Rs. 1.80 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I— No. 26,
DATED THE 26TH MARCH, 1964 (EVENING SITTING)

Read	*For*	*Page*	*Line*
warehouses	warehpuses	(26)2	6
manures	monures	(26)2	7
whereas	where as	(26)2	17
हैं	ह	(26)13	10
कोशिश	कोशश	(26)14	2
नहीं	वहीं	(26)16	19
क्योंकि	कियोंकि	(26)16	27

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 26th March, 1964

The Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 2.30. p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

CHANGE IN THE LIST OF BUSINESS

गृह मंत्री : स्पीकर साहिब, अगर इजाजत हो और आपोजीशन को कोई ऐतराज न हो तो मैं पहले यह रेजोल्यूशन जो नानकंट्रोवर्शल है, इसे मूव कर लूं ।

सरदार गुरनाम सिंह : कोई एतराज़ नहीं ।

Mr. Speaker : Since the House has unanimously agreed that the official resolution shown as item No. II in the list of Business be taken up first, the hon. Minister may move it.

OFFICIAL RESOLUTION UNDER ARTICLE 252 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move —

"Whereas the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) are empowered to run warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilisers, agricultural implements and any other notified commodity being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List III in the Seventh Schedule to the Constitution ;

AND whereas it is desirable that legislation should be undertaken to enable the said Corporations to store in their warehouses other Commodities also in addition to those mentioned in the aforesaid Central Act ;

AND whereas legislation for the purpose mentioned above is relatable to matters enumerated in entry 26 and entry 27 of List II of the Seventh Schedule with respect to which Parliament has no power to make a law for the States except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution :

AND whereas it appears to this Assembly to be desirable that such legislation should be undertaken by Parliament :

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (i) of Article 252 of the Constitution this Assembly hereby resolves that storage of commodities other than those covered by the warehousing Corporations Act, 1962 in the warehouses run by the Corporations established under that Act shall be regulated in this State by Parliament by law."

यह रैज़ोल्यूशन सैल्फ ऐक्सप्लेनेटरी है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसलिए किया गया कि वेअरहाउसिज़ को ज्यादा स्कोप मिल सके । मैं उम्मीद

[Home Minister]

करता हूं कि मेम्बर साहिबान इसको मुतफिक तौर से मंजूर करेंगे ।

Mr. Speaker : Motion moved—

"WHEREAS the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962,) are empowered to run warehpuses for the storage of agricultural produce, seeds manures fertilisers, agricultural implements and any other notified commodity being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List III in the Seventh Schedule to the Constitution :

AND Whereas it is desirable that legislation should be undertaken to enable the said Corporations to store in their warehouses other commodities also in addition to those mentioned in the aforesaid Central Act ;

AND whereas legislation for the purpose mentioned above is relatable to matters enumerated in entry 26 and entry 27 of List II of the Seventh Schedule with respect to which Parliament has no power to make a law for the State except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution :

AND where as it appears to this Assembly to be desirable that such legislation should be undertaken by Parliament ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (i) of Article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that storage of commodities other than those covered by the Warehousing Corporations Act, 1962 in the warehouses run by the Corporations established under that Act shall be regulated in this State by Parliament by law"

Mr. Speaker: Question is-

"WHEREAS the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962) are empowered to run warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilisers, agricultural implements and any other notified commodity being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List III in the Seventh Schedule to the Constitution ;

AND WHEREAS it is desirable that legislation should be undertaken to enable the said Corporations to store in their warehouses other commodities also in addition to those mentioned in the aforesaid Central Act ;

AND WHEREAS legislation for the purpose mentioned above is relatable to matters enumerated in entry 26 and entry 27 of List II of the Seventh Schedule with respect to which Parliament has no power to make a law for the States except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that such legislation should be undertaken by Parliament ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (i) of Article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that storage of commodities other than those covered by the Warehousing Corporations Act, 1962 in the warehouses run by the Corporations established under that Act shall be regulated in this State by Parliament by law."

The motion was carried.

NOMINATION OF THREE M.L.Cs. FOR ASSOCIATION WITH PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FOR THE YEAR 1964-65

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to Associate with the Public Accounts Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That this house recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Question is :—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

The motion was carried.

NOMINATION OF THREE M. L. Cs. FOR ASSOCIATION WITH COMMITTEE ON ESTIMATES FOR THE YEAR 1964-65

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That this House recommeds to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Estimates Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Estimates Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Question is :—

That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Estimates Committee of the Vidhan Sabha for the year 1964-65 and to Communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

The motion was carried.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1964., passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 25th March, 1964, and transmitted to the Punjab Legislative Council, has been agreed to by the said Council without any recommendations on the same day.

RESOLUTION UNDER CLAUSE 2 (a) OF ARTICLE 213 OF THE CONSTITUTION

Comrade Shamsher Singh Josh (Rupar) : Sir, I beg to move—

> That this House disapproves the Punjab Criminal Law Amendment Ordinance, 1963 (Punjab Ordinance No. 12 of 1963).

Mr. Speaker : If there be no objection let the resolution disapproving the Punjab Criminal Law Amendment Ordinance, 1963 and the Consideration motion of the Punjab Criminal Law Amendment Bill, 1964 be discussed together. This will save the time of the House.

Sardar Gurnam Singh : Yes, let the Resolution disapproving the Ordinance and the consideration motion of the Punjab Criminal Law Amendment Bill, 1964, be discussed together by the House.

THE PUNJAB CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL, 1964.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Criminal law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House disapproves the Punjab Criminal Law Amendment Ordinance, 1963 (Punjab Ordinance No. 12 of 1963).

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਮੇਈਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਬਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨ 1960 ਦੇ ਵਿਚ

ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 1925 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਮਲ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਹਿਰੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 50/60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1908 ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਕ ਦਿਤਾ । ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਨ 1908 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰਜ਼ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1932 ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਇਕ ਲਖ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਏ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਧਕੇਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਖਤਿਆਰ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1938 ਦੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ । ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਣ । ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੈਰਰਾਂਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1938 ਵਿਚ ਫੇਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ 1960 ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਜਾਬਰ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 144 ਦਫ਼ਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਰੈਸਿਵ ਗਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਨ 1960 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਧਬਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਮ ਮਨੀਸਟਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਖਤਿ-ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਰਟਲੈਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਸੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਹਰੀਕ ਦਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਤਹਿਰਿਕ ਨਹੀਂ ਦਬੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਹਿਰਿਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਦਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਬਲਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ੩ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕਢਣਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲੈਕੈਸਟ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪਰਸੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਅਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਦੀ ਟੈਂਡੇਨਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 1886, 1932, 1936 ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ;

It is considered that the threat to the peace and security of the State for combating which the parent Act was enacted has not yet diminished.

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 1960 ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਮਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ । ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਜਾਵੇ ।

ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਰਖੀ ਜਾਵੇ । ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਬਨਾਰਮਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਖ਼ੈਰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼ ਹਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਫੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਰੀਡਿਕੂਲਸ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ । 107 ਦਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਸ ਦੀ ਗੁਡ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸਿਲੀਅਰੀ ਦਫਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਉਫੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗਲ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਬਿਲਕਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਦੀ ਸੈਪੇਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਊਡੀਸ਼ਲ ਕੇਸਿਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ । ਜਿਹੜੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਾਵਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਉਪਰ ਅੱਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਊਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਖੇ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ; ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਕਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਾਨਸ਼ੈਂਸ਼ਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ 99 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਤਰੀਨ ਗਲ ਹੈ । ਇਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲੁਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਲ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁਖ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ

ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਨ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : आदरणीय स्पीकर साहिब, जो राए मेरे साथी सरदार शमशेर सिंह जोश ने इस क्रिमिनल एक्ट में संशोधन के बारे में दी है मैं उस की ताईद करता हूं। जब हमारे देश में अंग्रेज़ हकूमत करते थे और उन को निकालने के लिए इस देश की जनता एजीटेशन करती थी, तहरीक करती थी, तकरीरें करती थी और अखबारों में लेख लिखती थी तो उस समय अंग्रेज़ यहां पर टिके रहने के लिए इस किसम के हथकंडे अख्तियार किया करते थे ताकि किसी तरह से आज़ादी के चाहने वालों की आवाज़ बंद कर दी जाए, उनको कुचल दिया जाए। उस वक्त कांग्रेस नाम की जमायत जो कि लोगों की आज़ादी के लिये लड़ा करती थी वह उन का विरोध किया करती थी। अंग्रेज नज़रबंदी के कानून लाकर आजादी के चाहने वालों को जेल में ठोंसा करते थे और भी अधिकार सरकार के पास होते थे लेकिन ऐसे विशेषाधिकार लेकर बहुत ज़्यादा गल्त ढंग से अपने मुखालिफों को कुचलने के सिवाए और कोई मतलब नहीं होता था। आज सुबह जब कि यहां सदन में कांग्रेस बैंचों की तरफ से बड़ा अच्छा प्रस्ताव लाया गया था, उन की तरफ से दुहाई दी गई थी और कहा गया था कि हम शीघ्र ही देश में समाजवाद ला रहे हैं, और प्रजातंत्र समाजवाद का एक अंग है, ऐन उसी मौके पर गृह मंत्री ने हाउस में इस किस्म का संशोधन लाने का प्रयत्न किया है। पहले तीन साल के लिये नज़रबंदी की प्रोवीज़न थी अब यह छः साल करना चाहते हैं। इस का कारण यह है कि समाजवाद का ढोंग रचा कर सरकार जो धूल जनता की आंखों में झोंक रही है उस को छिपाने के लिये, जो स्मगलिंग हो रही है उसको छिपाने के लिए, जो देश में बलैक हो रही है उस को छिपाने के लिये, रिश्वतस्तानी हो रही है उस को छिपाने के लिये, पुलिस के मज़ालम को छिपाने के लिये और अमीरी ग़रीबी का जो फर्क दिन बदिन बढ़ता जा रहा है उस को छिपाने के लिये सरकार ऐसे हथकंडे अख्तियार कर रही है। आज एक तो मेहनत मज़दूरी करने वाले ग़रीब आदमी को तीन आने रोज़ से ज़्यादा मज़दूरी नहीं मिलती और दूसरी तरफ मुनाफाखोर लाखों रुपये लूट खसूट कर अपना घर भर रहे हैं। इन हालात में कांग्रेस सरकार चाहती है कि आपोजीशन किसी प्रकार की तहरीक न कर सके, उस के खिलाफ कोई तकरीर न कर सके। आपोज़ीशन के लोग किसी प्रकार की नुक्ताचीनी न कर सकें। इसी लिये यह ज़बर किया जा रहा है। इतना ज़बर और इतना अन्याय देश में किया जा रहा है जब कि देश में अपनी सरकार राज्य करती है, देश आज़ाद है। ऐसे देश में तो तहरीक और तकरीर की खुली छुट्टी होनी चाहिऐ। नुक्ताचीनी की खुली छूट होनी चाहिये। मैं पूछता

[चौधरी नेत राम]

हूं कि यहां पर कौनसी ऐसी ज़रूरत है, कौनसा कत्लेग्राम हो रहा है, कौनसी लूट खसूट जारी है जिस के कारण उन को ऐसा बिल लाने की ज़रूरत पड़ी है ? अगर लूट खसूट होगी भी तो उन के अपने ऐमाल के कारण होगी क्योंकि यह इस समय कहतज़दा हलकों को तसल्लीबख्श मदद नहीं दे रहे । किसानों की फसलें कुहरे की वजह से तबाह हो गई हैं लेकिन उन की कुछ भी सहायता नहीं की जा रही इतनी ज्यादा मंहगाई देश में हो गई है लेकिन छोटे मज़दूरों को रोज़गार देकर यह सरकार उन की रोटी का मसला नहीं हल कर सकी । एक तरफ इस तरह के हालात पैदा किये जा रहे हैं । दूसरी तरफ उसी तरह से जिस तरह कि अंग्रेज़ सही बात को दबाने के लिए नज़रबंदी के कानून बनाया करते थे, जनता को दबाने की कोशिश किया करते थे, यह सरकार इस प्रकार के ज़ुल्मोसितम कर रही है । लेकिन होम मिनिस्टर साहिब, इस बात को मत भूलिए कि जिस अंग्रेज़ के राज की बाबत यह कहा जाता था कि अंग्रेज़ों का राज यहां से खत्म नहीं हो सकता था, वह लोग भी यहां से चले गये । इस लिए वक्त है, सम्भल जाओ वरना इस ज़ुल्म से, इस जबर और इन हथकंडो से जनता नहीं दब सकेगी । जनता उठेगी, ज़रूर उठेगी । वह भूखे पेट हैं। उन को खाने की ज़रूरत है, प्यासे लोगों को पानी की ज़रूरत है। कहीं ऐसा न हो कि पंजाब की ग़रीब जनता की बढती हुई भूख धधकती हुई अग्नि की ज्वाला बन जाए जिसे आप किसी प्रकार के पानी से भी न बुझा सकें । वह धधकती हुई अग्नि आप के इस जबर से, ज़ुल्म से नहीं बुझ सकेगी और कहीं ऐसा न हो कि वह आप के निज़ाम को भी बिखेर दे और आप को सलियामेट कर दे। इसलिए मैं कहूंगा कि जनता को दबाने की कोशिश न करो । जनता का जो हक है, वह उस को दो। जनता को उस की मेहनत की कमाई दो, जनता के साथ इनसाफ करो और उसे इस किस्म के कानूनों के द्वारा दबाने की कोशिश न करो। अगर आप यह चाहते हैं कि जनता ठीक ढंग से रहे तो वह इस कानून से नहीं रह सकती। ज़रूरत इस बात की है कि आज भूख का मसला हल करो। गांव गांव में छोटी इंडस्ट्रीज़ चालू करो, वहां पर जो लोग बेरोज़गार पड़े हैं उन को रोजगार दो, जमीन का बटवारा दोबारा करो । कहतज़दा इलाकों में पानी का मसला हल करो ।

श्री अध्यक्ष : इस बिल पर भी कुछ बोलिए। (The hon. Member may say something on the Bill as well.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, इसी की बाबत मैं सुझाव दे रहा हूं । मैं यह बताने जा रहा हूं कि जनता को दबाने के लिए ही यह बिल लाया जा रहा है लेकिन क्या कह कर लाया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि देश के अन्दर ऐमरजैंसी है । ऐमरजैंसी का बहाना किया जा रहा है । स्पीकर साहिब, मैं आप से अर्ज़ करूं कि ऐमरजैंसी को इसलिए लगाया गया था ताकि आपोज़ीशन के लोग इन के कारनामों को न उखाड़ें। अगर ऐमरजैंसी लगानी ही थी तो उन लोगों पर लगाते जो मैदाने जंग में से ज़ुकाम का बहाना लगाकर भाग आए । उन लोगों पर तो ऐमरजैंसी लागू नहीं हुई । ऐमरजैंसी लागू किन पर हुई ? आम जनता पर आम जनता को ऐमरजैंसी के नाम पर दबाया गया, कहतज़दा इलाकों के लोगों को

इस नाम से दबाया गया, सर्दियों में जिन लोगों की फसलें तबाह हो गईं उन को इस नाम से दबाया गया, महंगाई की वजह से जो लोग भूखे मर रहे हैं उन को इस नाम से दबाया जा रहा है और इस के साथ ही साथ ऐमरजैंसी का बहाना करके आपोज़ीशन के लोगों को दबाना चाहते हैं और कारण यह बताया जाता है कि आपोज़ीशन इन की मुखालिफत करती है। स्पीकर साहिब, मैं आप को समझाता हूं कि इनकी मुखालिफत का क्या मतलब है। यह कहते हैं कि हम लोग इन के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं, सच्ची आवाज क्यों उठाते हैं। इन का साथ देने का मतलब यह है कि इन की बुराइयों को जाहिर न करें, इन की त्रुटियों को इन के सामने और जनता के सामने न रखें फिर तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम सच्ची बात कहते ह कि इस किस्म के गन्दे और जाबर कानून से क्या जनता दब जाएगी ? क्या आपोज़ीशन के लोग दब जाएंगे ? आप को याद होगा कि जब अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म किए तो जनता उठी थी और अंग्रेज़ की कड़ियों को तोड़ डाला था। जनता उठी और अंग्रेज़ों को सात समुद्र पार भगा दिया। यही हाल स्पीकर साहिब, इन का होगा। इस कानून से जनता हरगिज़ नहीं दबेगी। अगर आप चाहते हैं कि सोशलिज़्म को ज़िन्दा रखना है तो उस को ज़िन्दा रखने के यह तरीके नहीं हैं। अगर सोशलिज़म में प्रजातन्त्र को सही तौर पर लाना चाहते हों तो जरूरी है कि प्रजातन्त्र के साथ किसी तरह का कोई धक्का न हो और उस हालत में आप का फ़र्ज़ है कि इस किस्म के जाबर बिल मत पास करो कि बग़ैर अदालत में ले जाए जेल में डाल दिया जाए, जिस किसी को सज़ा देनी हो उसको जेल में डाल दिया जाए। अगर सैक्शन 302 के मुताबिक कोई कत्ल भी कर दे तो उसके खिलाफ अदालत में मुकद्दमा चलाया जाता है। अदालत के दरवाज़े उसके लिए बन्द नहीं होते। लेकिन इस तरह दबाने से लोग नहीं दबेंगे। यह नहीं होगा कि लोग समगलिंग के खिलाफ आवाज़ न उठाएं, यह नहीं होगा कि वह मंहगाई के खिलाफ आवाज न उठाएं, यह नहीं होगा कि लोग अनाज की ज़्यादा पैदावार के लिए आवाज़ न उठाएं। इस वक्त हो क्या रहा है? एक तरफ मेहनत से रोटी कमाने वाला आदमी भूखों मर रहा है और दूसरी तरफ मुफतखोर लोग ऐश कर रहे हैं। बावजूद चौबीस घंटों मिल में काम करने के एक मज़दूर के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, भरपेट रोटी नहीं खा सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, बीमार हो जाए तो मैडीकल एड का इन्तज़ाम नहीं। यही हाल किसान का है जो चौबीस घंटे खेत में काम करता है। दुसरी तरफ बड़े बड़े लोग अपनी तिजौरियों को भर रहे हैं। किस ढंग से, किस हेराफेरी के साथ वह लोग किसान को, मज़दूर को लूटते हैं ? तो मैं यह साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरकार के इस तरह के कानूनों से अब किसी तरह भी जनता नहीं दब सकेगी। जिस वक्त अंग्रेज इस तरह के कानून बनाते थे तो जनता उनका विरोध करती थी। आज कांग्रेस के अन्दर 95 फी सदी वही लोग हैं जो उस वक्त अंग्रेजों के साथी थे (घंटी) इसलिए आखिर में कहूंगा कि गलत कानून ला कर

[चौधरी नेत राम]

जनता को दबाने की कोशिश न करो। आपके द्वारा मैं गृह मन्त्री जी से दरखास्त करूंगा कि अगर वह अपने इस बिल को वापस ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, अभी अभी जो मैंबर साहिब बोल रहे थे मैं उनकी काबलियत की, उन की खूबियों की दाद देता हूं।

योजना तथा लोक कार्य मंत्री : किस तरह से?

गृह मन्त्री : उन की सारी बहस को सुन कर, मेरा अन्दाजा है कि उन्होंने यह तो समझने की कोशिश नहीं की कि कानून क्या है, बिल क्या है........

श्री जगन्नाथ : तो आप समझा दो।

गृह मन्त्री : और न ही उन को इस बात का पता है कि इस बिल को हाउस के सामने किस मकसद के लिए रखा गया है। चूंकि जोश साहिब कुछ पुरानी बातों का हवाला दे गए थे, पुरानी हिस्टरी का हवाला दे गए थे तो उन के भाषण में से चौधरी नेत राम ने अपनी स्पीच तैयार कर ली वरना ऐसा दिखाई देता है कि बिल क्या है, उसका मकसद क्या है, यह उन्होंने न तो पढ़ने की कोशिश की और न समझने की ही कोशिश की।

चौधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मेरी दरखास्त यह है कि मैं इस बिल को कैसे समझूं, कैसे जनता इस बिल को समझे क्योंकि बिल तो अंग्रेजी में बनाया है जब कि मेरी बोली हरियाना की है। अगर पंजाबी में हो या हिन्दी में हो तब तो समझ में आ सकता है। यह तो कसूर खुद गृह मंत्री साहिब का है कि अंग्रेजी में बिल्ज़ देते हैं। अगर हिन्दी और पंजाबी में भेजें तो मेहरबानी होगी। दूसरे मैंने जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं। इनका मतलब यह है कि सजा बढ़ा दी जाए। हम चाहते हैं कि सज़ा को न बढ़ाया जाए और इस बिल को कतअन वापिस ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिल की कापियां हिन्दी और पंजाबी में भी सर्कुलेट हुई हैं। (Copies of the Bill have been circulated in Hindi and Punjabi as well).

चौधरी नेत राम : बहुत अच्छी बात है।

गृह मन्त्री : मैं मानता हूं कि जैसा कि मैंबर साहिब ने कहा, मेरा ही कसूर होगा। मुझे अगर यह पता हो कि इन्होंने बोलना है जो बिना समझे बोलते हैं तो मुझे ज़रूर इन्हें समझाना चाहिए। इन्होंने नज़रबन्दी के लफज़ को बार बार दोहराया। वह समझते हैं कि हम कोई नज़रबन्दी का कानून ला रहे हैं। यह बात नहीं है। इसलिए मैं यह मुनासिब समझता हूं कि वह इस बात को समझें कि बिल का सिद्धांत क्या है, क्यों यह लाया गया है, इसका मकसद क्या है। यह मुख्तसिर तौर पर बयान करूं यह ज़रूरी मालूम होता है।

THE PUNJAB CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL, 1964

जैसा कि आप जानते हैं, इसी सभा में क्रिमिनल ला अमेंडमैंट ऐक्ट सन 1960 में पास हुआ। और मौजूदा शक्ल में जो बिल लाया गया है उसका मकसद यह है कि उसकी जिन्दगी को तीन साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। जो 1960 का ऐक्ट है उसमें एक शैड्यूल दिया हुआ है और उस शैड्यूल में कुछ दफात दर्ज हैं जिन पर यह लागू होता है। उस शडयूल में कौन कौन सी बातें हैं यह मैं आपके ज़रिए मेम्बर साहिबान को याद दिलाना चाहता हूं :—

"(1) Offence under section 153-A of the Indian Penal Code;

(2) Offence under section 174 of the Indian Penal Code, in so far as it relates to non-attendance at the specified time or specified place in obedience to a proclamation published under section 87 of the Code of Criminal Procedure, 1898;

(3) Offence under section 188 of the Indian Penal Code, in so far as it relates to contravention of an order issued under section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1898; and

(4) Offence under section 9 of the Punjab Security of the State Act, 1953."

स्पीकर साहिब, मैं जरूरी समझता हूं कि इन में से दो दफात की तरफ मैम्बर साहिबान का ध्यान दिलाया जाए। पहली दफा 153-A इण्डियन पीनल कोड की है और वह इस तरह की है :—

153-A. "Whoever by words, either spoken or written or by signs, or by visible representations, or otherwise, promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, language, caste or community, or on any other ground whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, races or any groups or castes or communities........"

and further

"does any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religions, races, groups, castes, communities which disturb or likely to disturb the public tranquility.........."

यह है सेक्शन 153-ए और इस के साथ ही साथ दूसरे सेक्शन का ज़िक्र किया गया है। वह है पंजाब सिक्योरिटी आफ स्टेट एकट का सेक्शन 9 जो 1953 में बना था। यह भी मैं पढ़ देना मुनासिब समझता हूं। वह इस तरह है :—

(9) "Whoever —

(a) makes any speech, or

(b) by words, whether spoken or written, or by signs or by visible or audible representations or otherwise publishes any statement, rumour or report.

shall, if such speech, statement, rumour or report undermines the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or amounts to contempt of Court, defamation or incitement to an offence prejudicial to the security of the State or the maintenance of public order, or tends to overthrow the State, be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both."

तो मैं ने यह इस लिए अर्ज़ किया है ताकि आपको बता सकूं कि इस बिल का जो मूल सिद्धांत है वह इन दो बातों का है यानी एक तो यह है कि हम सिक्योरिटी आफ स्टेट के लिए मुनासिब रोक थाम कर सके और इस के लिए मुनासिब है कि कम्यूनल डिस्टरबैंसिज़ न होने दें किसी भी ढंग से, कास्ट करीड की बिना पर एक

[गृह मन्त्री]
सैक्शन की दूसरे सैक्शन आफ़ कम्युनिटी से हेटरिड पैदा न होने दें । इन दो बातों को सामने रखते हुए हम ने इस बिल को रखा है । अब जो साहिब इस बिल की पास्ट हिस्टरी का हवाला दे रहे थे, उन्होंने अंग्रेज के जमाने की सारी हिस्टरी बताई यानी 1908 से लेकर आज तक की हिस्टरी ब्यान की । मुझे उन की इस बात पर अफसोस है जो उन्होंने इस बिल के मकासद का पुराने बिलों के मकासद से मुकाबला करना मुनासिब समझा । जिन मकासद से वह पुराने बिलज़ यहां पेश होते रहे थे उन का मकसद इस बिल के मकासद से बिलकुल अलग है और इन दो में कोई चीज़ मुकाबला करने की नहीं है । यह बिल तो इस लिए लाया गया है कि अगर सिक्योरिटी आफ़ स्टेट को कोई खतरा हो, उस के लिए यहां कम्युनल डिसटरबैंसिज़ क्रियेट करने का यत्न हो और यह यत्न डाइरेक्टली हो या इनडाइरेक्टली हो तो उसे रोका जा सके । मैं, स्पीकर साहिब, अर्ज़ करूंगा कि मैं इस चीज की तफसील में नहीं जाना चाहता और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां एक मैंबर साहब ने देश के हालात को देखते हुए कह दिया है कि आज इस बिल की ज़रूरत नहीं है । तो मैं उन से अर्ज़ करता हूं कि उन्हों ने आज ही देखा होगा कि सैंटर के होम मिनिस्टर साहिब को आज स्टेट्स की गवर्नमैंट्स को यह हदायात जारी करनी पड़ी हैं कि फायरिंग किस हद तक हो सकती है । आप जानते हैं कि हमारी यह खुशकिस्मती है और मुझे विश्वास है कि हमारी यह खुशकिस्मती बनी रहेगी और यहां कोई ऐसा वाक्या नहीं होगा और न ही हम होने ही देंगे क्योंकि पाकिस्तान के बार्डर होने की वजह से हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है । आज हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है उसे देख कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है क्योंकि माइनारिटि कम्युनिटी पर किसी भी कारण से चाहे वह फारन प्रोवोकेटीयर्ज़ की वजह से हो, किसी किस्म का अत्याचार हो तो हमारे लिए यह बड़े शर्म की बात है । आप ने कहा है कि पंजाब में इस वक्त कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है तो फिर क्यों यह बिल लाया गया है । मैं सरदार गुरनाम सिंह जी की बड़ी इज्ज़त करता हूं क्योंकि वह बड़े काबल और तजुरबाकार हैं । मैं उन की राए की भी बड़ी कदर करता हूं लेकिन मैं उन से गुज़ारिश करूंगा कि क्या हम उस वक्त की इन्तज़ार करें कि जब यहां कोई गड़बड़ हो जाए तो उस वक्त हम कोई ऐसा बिल ले आएं कोई भी सरकार हो वह समझदार नहीं समझी जा सकती अगर वह होने वाले वाक्यात का अन्दाज़ा पहले नहीं लगा सकती । जो यह समझे कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और उन का मुकाबला करने के लिये उस के पास हर वक्त हथियार तैयार रहने चाहिएं वही समझदार सरकार समझी जा सकती है । मैं मानता हूं कि इस ऐक्ट के अखत्यारात हम ने इस्तेमाल नहीं किये । यह हमारी खुशकिस्मती है कि यह हमें इस्तेमाल नहीं करने पड़े । इस से ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है । मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि हम यह बिलकुल नहीं चाहते कि कम्युनल लैवल पर या सिक्योरिटी आफ दी स्टेट के लैवल पर कोई ऐसा कानून लाएं । हमें इस में दुख होता है । यह कानून हम कोई खुशी से

नहीं ला रहे हैं । मैं खुद वकील हूं और मैं खुद ऐसे कानून पसंद नही करता । हमें ऐसा कानून लाने में बड़ा बोझ महसूस हो रहा है लेकिन हम मजबूर हैं। आज देश के हालात को देख कर यह करना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि हालात खराब हो जाएं और हमें उन का मुकाबला करने के लिए ऐसे कानून की जरुरत पड़ जाए । इस लिए हर वक्त ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के लिए हम अपने पास यह हथियार तैयार रखना चाहते हैं । लेकिन मुझे यह कहने में खुशी है कि पिछले कई सालों में हम ने इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया । कोई भी केस ऐसा नहीं जिस में हम ने इस को इस्तेमाल किया हो। जज साहिब मुनासिब तौर पर फर्मा रहे थे कि इस में 107 दफा भी रख ली गई है । मैं खुद वकील होने के नाते यह मानता हूं कि यह दफा इस में ठीक नहीं है लेकिन मैं अर्ज़ कर सकता हूं कि आज तक इस दफा का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया । हां उस वक्त ज़रूर किया गया था जब यहां ऐजीटेशन चल रही थी । लेकिन नार्मल हालात में कोई ऐसा केस मेरी नज़र में नहीं आता जिस में इस का इस्तेमाल किया गया हो । इसी तरह से इस में जो दूसरे दफात हैं उन का भी नाजायज़ तौर पर एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया । हां इन का इस्तेमाल हो सकता है जब कि इस के लिए हालात पैदा हों । मैं ने सिक्योरिटी आफ दी स्टेट का ज़िक्र किया है तो सरदार गुरनाम सिंह जी फर्मा रहे हैं कि इमीजियेटली आज कौन सी एमरजैन्सी की हालत है जिस के लिए यह अख्तियार हम मांग रहे हैं । मैं ने पहिले भी उन से कहा है कि वह देखे कि आज देश में हालात किस तरह के हैं । आज पाकिस्तान हमारी सरहदों पर किस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है, खास तौर पर जम्मू और काश्मीर की सरहदों पर क्या हालत बनी हुई है । सरहदों पर हालत अच्छी नहीं है और कोई वक्त भी हो सकता है जब यहां भी हालत बिगड़ जाए । तो यह कैसे कह सकते हैं कि हम ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए अपने पास अख्तियार न लें रखें । आप ने देखा है कि हमारे जो सब से ज़्यादा ज़िम्मेदार मिनिस्टर हैं इस मामले में मेरी मुराद है डिफेंस मिनिस्टर से, उन्हों ने हाल ही में कहा है कि चीन की तैयारी आज पिछले साल की निसबत ज़्यादा है । इस लिए इन दो बातों को सामने रख कर भी अगर हम ऐसे हालात के लिए तैयार न हों तो यह हमारी बड़ी सख्त गफलत और अनगहली होगी । मैं इन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि जब यहां ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम ऐसे कानून बनाने लगें और देखने लगें कि कैसे इस से कुछ निकल सकता है । मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझती हो वह ज़रूर ऐसे हालात में अपने पास ऐसे हथियार रखेगी ।

आप इल्ज़ाम लगाइये अगर हम ने इस का इस्तेमाल गलत तौर पर किया हो । इस बारे में मैं यहां पर आने से पहले अपनी तसल्ली कर के आया हूं । मैं ने अपने महकमे से कहा कि वह मुझे एक भी केस बताएं कि जहां किसी केस में इस

[गृह मन्त्री]
का उपयोग गलत किया गया हो या अदालत ने कोई ऐसी बात लिखी हो। मुझे बताया गया कि ऐसा एक भी इन्स्टांस नहीं है। इस लिये उम्मीद है कि मैम्बर साहिबान इस को पास करने में गुरेज़ नहीं करेंगे। फिर कामरेड जोश जी ने फरमाया कि जब आप के पास डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ के तहत इख्तियारात हैं फिर इसे क्यों ला रहे हैं। मेरी अर्ज़ है कि इस का मकसद उससे अलग है। वह काफी समझदार हैं और सारी बात को समझते भी हैं मगर बोलते वक्त अपनी रंगत दे डालते हैं। डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ को ऐसी छोटी मोटी बातों के लिये इस्तेमाल में लाना अच्छा नहीं लगता [चौधरी नेत राम की तरफ से विघ्न] अगर हम दफा 174 या 188 के लिये और दूसरी भी ऐसी ही बातों के लिये डिफैंस आफ इंडिया रूल्ज़ का प्रयोग करेंगे तो हमारे सब से बड़े नुक्ताचीं वही होंगे। और फिर डिफैंस रूल्ज़ तो कल को वापस हो सकते हैं। यह जो बिल है यह उन रूल्ज़ का बदल नहीं है और न बन सकता है।

फिर उन्होंने फरमाया कि यह जम्हूरियत पर भारी चोट है और इसी तरह के कुछ और भी सख्त अलफाज़ इस्तेमाल कर गए। अगर उन की जम्हूरियत का यही मतलब है कि सरकार कम्युनल डिस्टरबैंसिज़ के लिये इनसाइटमैंट करने की इजाजत दे दे, मज़हबी और फिरकादाराना जज़बात भड़काने की इजाजत दे दे तो हम बाज़ आए ऐसी जम्हूरियत से। हम समझते हैं कि जम्हूरियत का यह तकाज़ा है कि हम किसी को इजाज़त न दें कि वह मुख्तलिफ लोगों को उन के जज़बात भड़का कर एक दूसरे से लड़ा सकें। हम इस बात की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं दे सकते और मुझे यह कहने में रत्ती भर भी झिझक नहीं है कि जो भी कोई चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा उस को कानून की सख्ती से दबाना होगा वरना हालात किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। मुझे अफसोस है कि जोश साहिब ने नो कान्फीडेंस मोशन की बहस में हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम ने कम्युनलिज़्म को दबाने के लिये कुछ नहीं किया मगर जब हम कुछ करना चाहते हैं, इस बिल के ज़रिये दफा 153 की ऐक्सटैनशन मांगते हैं तो मुखालिफत करते हैं। ज़रा अन्दाज़ा लगाइये कि यह चाहते क्या हैं और कहते क्या हैं। अगर वह वाकई यह चाहते हैं कि यहां पर किसी किस्म के फसादात न हों तो उन को कहना चाहिए था कि सरकार को यह इख्तियार लेने चाहिएं मगर यह तो इस की मुखालिफत करते हैं। हम तो चाहते हैं कि पंजाब में फिरकादाराना तनाव न हो। यह हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा तनाव आज हमारे सूबे में नहीं है और अगर न हो तो यह और भी खुशकिस्मती की बात होगी मगर हमें अपने आप को तैयार रखना ही होगा क्योंकि अगर ऐसी हालत पैदा हो जाए तो उस का मुकाबला करने के लिये हमारे पास सारी ताकत हो। कामरेड जी ने मुखालिफत करने के लिये अपनी रंगत दे कर अपनी बात कह दी। वह अब मेरी बात सुन कर अपने दिल में पशेमान जरूर होंगे (विघन) ठीक है हम सब को परसुएड करना चाहते हैं। आखिर परसुएशन से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है खास तौर पर हमारे लिये जो कि लोगों के नुमाइंदे हैं और जिम्मेदार हैं। मगर कई बार हमारी

परसुएशन का असर नहीं होता । अगर जोश साहब इस बात को मान जाएं तो मैं लगातार कई दिन इन को परसुएड करने को तैयार हूं । मगर जब सरकार की बात नहीं मानी जाती तो सरकार को कानून की शरण लेनी पड़ती है । इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा ज़रूरी बिल है और उन हालात का मुकाबला करने के लिये लाया गया है जो कभी पैदा हो सकते हैं। तो भी मैं दोबारा यह अर्ज़ करूंगा कि इस का इस्तेमाल सही होगा और इस के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती । मैं आशा रखता हूं कि हाउस सारी बात को समझ कर इस को मुतफिक्का तौर पर पास करेगा ।

Mr. Speaker : Question is—

> That this House disapproves the Punjab Criminal Law Amendment Ordinance, 1963 (Punjab Ordinance No. 12 of 1963).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Criminal Law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

The motion was carried.

CLAUSE 2

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ 2 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਹੈ ਇਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਲ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਕੇ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਊਸ ਕਲਾਜ਼ 2 ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ । (The House is not considering the Bill as a whole but only its clause 2.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1960 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਲਏ ਜਾਣ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ੂਬੀ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥਲੇ ਦਬੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਜ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 153 (ੲ) ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 153 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਡੂਲ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕੀ ਇਹ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 9 ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਡਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਸਿਖ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਜ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਇਕਠੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦ

ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਫਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਮਿਊਨਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 1960 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਵਰਕ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 107/151 ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਆਪ ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਥੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ । ਅਜ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ (ਘੰਟੀ) ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 107/151 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 107/151 ਅਧੀਨ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਗਲ੍ਹ ਤੇ ਥਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਲ੍ਹ ਅਗੇ ਕਰ ਦਿਉ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਜੋ ਲੜਨ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਜਾ ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਉ । ਅਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਉ । ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ ਇਕ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦਬਾਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕੇ, ਭਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ

ਵਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Mr. Speaker, I wanted to oppose this Bill very stoutly for the reasons which I have already stated in my first speech. Apart from that the offences mentioned in the Schedule are all adequately punishable by the existing penal Laws. But in view of the statement of the hon. Home Minister that he will not make use of this Act unless extraordinary circumstances intervene in this State and he has illustrated it by saying that there is danger from the neighbouring countries to this country, I would not go further than this.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CALUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Criminal Law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Criminal Law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Criminal Law Amendment Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

The motion was carried.

4.25 p.m.

The Sabha then adjourned till 2.0 p.m. on Monday, the 30th March, 1964.

364 PVS —386—6-8-64— C.,P. and S. Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

30th March, 1964

Vol. I No.—27

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 30th March, 1964

Price : Rs. 6.30 P.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I—NO. 27, DATED THE 30TH MARCH, 1964.

Read	*for*	*page*	*line*
PROVISIONS	PROVSIONS	(27)14	8 from below
proper	propor	(27)19	2
address	asddress	(27)26	2
इन्स्ट्रक्शन्ज़	इंस्ट्रक्शशन्ज़	(27)58	14
श्री जगन्नाथ	श्री जगन्न नाथ	(27)64	4 from below
is	Is	(27)69	2
available	aviable	(27)69	31
The	T le	(27)70	19
Ravi	Rabi	(27)71	8
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ	ਚੰਗਾ	(27)84	17
चेयरमैन	स्पीकर	(27)99	4, 8, 14
ऐक्शन	ऐक्शय	(27)101	2
particularly	particulariy	(27)101	14 from below
कामरेड राम चन्द्र	कामरेड राम चन्द	(27)116	last
कैपिटा	कैप्टिा	(27)119	1
शूगर	शूग्र	(27)119	5 from below
शूगर	शूग्र	(27)120	4, 7
Names	Naines	ii	7 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 30th March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supplementaries to Starred Question No. *4719

Shri Ram Kishan : Will the hon. Home Minister be pleased to state the number of villages to be covered under the Rural Water-supply Schemes in the coming financial year and the amount earmarked for each scheme ?

Home Minister : As to the amount ear-marked, I would request the hon. Member to refer to the Budget provision itself in this connection. As regards the number of villages, I have already stated in the written reply that there is a special Investigation Division which has been set up for this purpose, and up till now they have surveyed 1,114 villages. The survey is going on, and it is likely to take a little more time. For the time being, they have prepared 556 schemes costing Rs 976 lacs. The schemes are likely to take more than three years to finalise.

Shri Ram Kishan : I have categorically asked as to how many villages will be covered in the coming financial year.

Minister : Let the hon. Member refer to the Budget documents in this connection.

Shri Ram Kishan : I do not understand, Sir, as to why the hon. Minister is hesitating to give this information on the floor of the House.

Mr. Speaker : If the information asked for is available in the Budget papers, the hon. Minister need not give the same on the floor of the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, the criterion for selecting the villages?

Minister : There are different categories of villages. For instance, there are villages where no water is available. Even the wells are not available and the people have to depend upon other sources of water. Then, there are villages where water is deficient, and the people have to go to distant places to fetch water. So priorities are fixed keeping in view the need and situation of the village.

Shri Ram Kishan: May I know, Sir, whether any of the villages surveyed so far will be supplied water in the next financial year ?

Minister : The hon. Member has asked the same question in different words. I would again suggest to the hon. Member to refer to the Budget documents for the requisite information.

---

*Note: Starred Question No. 4719 alongwith its answer appears in P.V.S. Debates Vol. I—No. 25 dated the 26th March, 1964 (First Sitting)

श्री जगन्नाथ : क्या होम मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि महेन्द्रगढ़, भिवानी आदि एरियाज़ में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी नहीं हैं और गवर्नमेंट ने उन जगहों को प्राइरटी दी हो ?

मन्त्री : मैंने डिटेल में बतला दिया है कि जहां जहां पर पानी नहीं है उन जगहों को फर्स्ट प्राइरटी दी जाएगी, और दी जा रही है, लेकिन पंजाब के लिए इस सारे प्रोग्राम को सर्वे कराने के लिए 3 साल से भी ज़्यादा समय लगेगा । मेरी इतलाह के मुताबिक 200 के करीब विलेजिज़ हैं जिनका हमारी इनवैस्टीगेशन पार्टी सर्वे कर रही और स्कीम्ज़ बनती जा रही हैं ।

श्री राम किशन : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि तीन साल सर्वे करने में लगेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन विलेजिज़ में सर्वे हो चुका है वहां पर कब तक पानी दे दिया जाएगा ?

मंत्री : मैंने पहले ही बतलाया है कि तीन, चार किस्म की केटेगरीज होती हैं । एक तो वह जहां पानी बिलकुल नहीं है और दूसरे जहां पानी 10, 10 मील से लाना पड़ता है । इन सब का सर्वे अभी मुकम्मल नहीं हुआ है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन सी जगहें कब इस स्कीम के तहत कवर होंगी ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਓ । ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

श्री सुरेन्द्रनाथ गौतम : फर्स्ट केटेगरीज़ में जो विलेजिज़ रखे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे है कि जो मेनटेनेंस चार्जिज़ देने के काबिल नहीं है । तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट मेनटेनेंस चार्जिज माफ करने के लिए तैयार है ?

मंत्री : मुझे याद है और चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि जो रूरल वाटर-सप्लाई स्कीम्ज़ हैं, उनमें मेनटेनेंस की कास्ट सरकार बेयर करेगी ।

खान अब्दुल गफार खां : होम मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जिन गांवों में बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है उनको प्रायरटी दी जाएगी और तीन साल बाद जब सर्वे खत्म होगी तो प्रायरटी मिलेगी । मैं बाअदब दरियाफ्त करना चाहता

हूं कि जिन गांवों की बाबत सरकार को पहले से ही वाकफियत है क्या सरकार उनके लिए पहले से कुछ बन्दोबस्त करने के लिए रुपया खर्च करने के लिए तैयार है या नहीं ?

मंत्री : मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि पहले कुच्छ गांव ऐसे हैं जहां पर नल वगैरह या कुओं वगैरह का साफ सुथरा पानी नहीं मिलता और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोग छप्पड़ों वगैरह का पानी पीते हैं । ऐसी जगहों पर गवर्नमैंट स्कीम्ज़ के मुताबिक पहली प्रायरटी में इंतज़ाम करेगी ।

Comrade Shamsher Singh Josh : We have been told by the hon. Minister that in about 1,289 villages, the residents are, at present getting water from ponds and other sources excepting wells. May I know from the Government as to what definite steps will be taken by them to ensure water-supply to such villages, in the next financial year ?

Minister : I am sorry, it is not possible to make any positive commitment or assurance in this connection. However, it is the first and primary duty of the Government to see that water is made available in villages where, at present, there is no source of water-supply, and priorities are fixed accordingly.

श्री जगन्नाथ : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जहां पर पानी नहीं है वहां पर स्कीम्ज़ के मुताबिक सर्वे करने के बाद प्रायरटी दी जाएगी——

Mr. Speaker : This is no point of order.

Shri Ram Kishan : I am sorry to say that I am not satisfied with the replies given by the hon. Home Minister in regard to this question. In view of the importance of the question, I would request the hon. Speaker to kindly fix Half-an-Hour discussion on this matter.

Mr. Speaker : The hon. Member may give a proper notice for it and I will think over it.

Shri Ram Kishan : All right. Thank you, Sir.

Withdrawal of House Tax by certain Municipal Committees

***4680. Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state—

(a) the names of the Municipal Committees in the State where the house tax was withdrawn with the permission of the Government during the last three years ;

(b) whether any Municipal Committees were refused permission to withdraw the House Tax during the said period, if so, their names and the reasons therefor ;

(c) the total revenue of the Committees referred to in parts (a) and (b) above during the year when they applied for the said permission ?

Sardar Gurbanta Singh : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The names of the Municipal Committees in the State where the house tax was withdrawn with the permission of Government during the last three years are given below —

1. Sangrur.
2. Sunam.
3. Patiala.

(b) The undermentioned Municipal Committees were refused permission to withdraw the House Tax during the last 3 years considering the fact that the proposals were contrary to the policy of the State Government according to which all the Municipal Committees in the State are required to impose house tax so that sufficient revenues are raised to run the civil administration efficiently and to undertake developmental activities in their jurisdiction for the welfare of their residents :—

1. Bhatinda.
2. Rampura Phul.
3. Jaitu.
4. Maur.
5. Jakhal.
6. Guruharsahai.
7. Garhidiwala.
8. Narwana.
9. Tapa.
10. Nalagarh.
11. Barnala.
12. Jind.
13. Amritsar.
14. Jullundur.

(c) The revenue of the Municipal Committees referred to in parts (a) and (b) during the year when they applied for the said permission, is indicated below :—

		Rs nP.
1.	Sangrur.	.. 2,35,496 .54
2.	Sunam	.. 2,65,059.23
3.	Patiala	.. 15,52,625.00
4.	Bhatinda	.. 9,97,000.00
5.	Rampura Phul	.. 1,84,565.00
6.	Jaitu	.. 2,14,743.65
7.	Maur	.. 1,18,200.94
8.	Jakhal	.. 76,230.00

		Rs. nP.
9. Guruharsahai	..	6,978.00
10 Gardhi Wala	..	22,831.00
11. Narwana	..	22,263.00
12. Tapa	..	56,182.94
13. Nalagarh	..	25,013.00
14. Barnala	..	2,71,014.02
15. Jind	..	3,63,984.82
16. Amritsar	..	1,51,60,765.00
17. Jullundur	..	36,13,279.00

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन म्यूनिसपल कमेटीज़ को हाउस टेक्स माफ करने की इजाज़त नहीं दी उसकी क्या वजह है ?

ਮੰਤਰੀ : ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਥੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜਾਜ਼ਤ ਮਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ । ਬਾਕੀ ਇਕ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ।

Pandit Chairanji Lal Sharma : May I know from the hon. Minister whether he would be prepared to consider the feasibility of abolishing the house-tax in view of the duplication of taxes ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ।

श्री बलरामजी दास टंडन : जिन म्यूनिसपल कमेटीज़ की माली हालत अच्छी थी उन्हें इजाज़त न देने की क्या वजह है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਥੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜਲੰਧਰ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਚੁੰਕਿ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ।

कामरेड राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि जालंधर के केस में डी.सी साहिब ने रिकमेंड किया था कि हाउस टेक्स न माफ किया जाए इस लिए हमने नहीं किया । मैं पूछना चाहता हूं कि आप आफीसर्ज़ की रिकमेंडेशन्ज़ को तरजीह देते हैं या म्यूनिसपल कमेटी के युनैनीमस रेज़ोल्यूशन को तरजीह देते हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : अमृतसर म्यूनिसपल कमेटी को House Tax abolish करने की इजाज़त न देने की क्या वजह है जब कि उन की फिनांशल हालत काफी अच्छी है ?

ਮੰਤਰੀ : ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨੀ ਉਥੇ ਫੰਡਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਤਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਮਿਉਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਉਨਿਸ਼ਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਕਾਇਮ ਰਖੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the hon. Minister the reasons of discrimination between a Committee and a Committee ? Would the Government adopt a uniform policy about it ?

ਮੰਤਰੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : पटियाले में चूंकि इलेक्शन होने थे इस लिए इन्होंने वहां पर माफ किया था वरना इसके इलावा और क्या वजह थी ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इसके ऊपर half-an-hour discussion करने की इजाज़त होनी चाहिए ।

Mr. Speaker : The hon. Minister has replied to the question, and has not agreed with the insinuation of the hon. Member.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਫਲਡਜ਼ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

श्री राम किशन : जालंधर की म्यूनिसपल कमेटी ने जब रैजोल्यूशन पास करके भेजा था तो उन्होंने साथ कहा था कि हमें जो घाटा होगा वह हम दूसरे रिसोर्सिज़ से पूरा कर लेंगे तो फिर उन्हें क्यों नहीं इजाज़त दी गई ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਡ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਫੱਲਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : This is a suggestion for action.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੱਲਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਫੱਲਡ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : Th's is a hypothetical question.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰੌਪਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. Can a supplementary question be changed into a point of Order as was done by Sardar Lachhman Singh Gill ? He put a supplementary question and then repeated it in the form of a point of Order.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ? ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮੁੱਤਲਕ ਉਥੇ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ?

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जालंधर की कमेटी अगर आपको इस सम्बन्ध में यूनैनीमस रिकमेंडेशन भेजे तो क्या आप उस पर हमदर्दाना ग़ौर करने के लिए तैयार हैं ?

मन्त्री : जिस वक्त ऐसी कोई बात मेरे पास आएगी तो देखेंगे ।

Election of Municipal Committees

***4681. Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state —

(a) the reasons for the recent postponement of Municipal Elections in the State ?

(b) whether any other date for holding the said elections has been fixed; if so, what and the names of the Committees where elections are proposed to be held together with the names

[Shri Balramji Dass Tandon]

of the Committees, if any, where the elections are not proposed to be held on that date and the reasons therefor ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(b) A list showing the names of Municipal Committees in the State, where elections are porposed to be held in May, 1964, is placed on the Table of the House.

Elections to Municipal Committees (i) Amristar and (ii) Una and Phagwara are not to be held till —

(i) the Punjab Municipal Corporations Bill, 1963, which was introduced in Vidhan Sabha on the 9th September, 1963, becomes law ; and

(ii) the limits of Municipal Committees Una and Phagwara have been re-defined.

Statement

Municipal elections were postponed on the following grounds.

(i) if the original time table of elections was adhered to, many persons would be deprived of their franchise and thus inconvenienced ;

(ii) municipal elections could not be held during the budget session as every Political Party would be busy with the Legislature session;

(iii) elections to 82 Market Committees were due and should be held after the next harvesting. This period would be utilised to hold these elections ; and

(iv) this four months delay would enable Government to hold elections to 93 Municipal Committees instead of 72 as previously scheduled.

List showing the names of Municipal Committees in the State where elections are proposed to be held in May, 1964

Name of District	Serial No.	Name of Municipal Committee
1. Amritsar	1	Tarn Taran
	2	Khem Karan
	3	Chheharta
	4	Patti
	5	Jandiala
	6	Majitha
	7	Ram Dass.
2. Gurdaspur	8	Qadian
	9	Dina Nagar
	10	Narotjaimal Singh
	11	Gurdaspur
	12	Sujanpur
	13	Fatehgarh Churian
	14	Dhariwal
	15	Derababa Nanak
	16	Pathankot

Name of District		Serial No.	Name of Municipal Committee
3. Jullundur	..	17	Nawanshahr
		18	Kartarpur
		19	Nurmahal
		20	Adampur
		21	Jullundur
		22	Alawalpur
		23	Nakodar
		24	Phillaur
		25	Rahon
4. Ludhiana	..	26	Samrala
		27	Khanna
		28	Ludhiana
5. Ferozepore..	..	29	Tankanwali
		30	Malout
		31	Fazilka
		32	Ferozepur
		33	Dharamkot
		34	Talwandibhai
		35	Guruharsahai
6. Hoshiarpur		36	Urmar Tanda
		37	Mukerian
		38	Garhshankar
		39	Garhdiwala
		40	Sham Chaurasi
		41	Anandpur Sahib
		42	Hariana
		43	Dasuya
7. Kangra	..	44	Nurpur
		45	Dharamsala
		46	Kangra
		47	Palampur
8. Kulu		48	Sultanpur Kulu
9. Karnal	..	49	Thanesar
		50	Gharaunda
		51	Radaur
		52	Pundri
		53	Shahabad
		54	Pehowa
10. Gurgaon	..	55	Faridabad
		56	Ferozepur Jhirka
		57	Sohana
		58	Ballabgarh
		59	Hodel
		60	Nuh
		61	Gurgaon
		62	Pataudi
		63	Farrukh Nagar
		64	Hailey Mandi
11. Rohtak		65	Bahadurgarh
		66	Jhajjar
		67	Beri

[Local Government and Welfare Minister]

Name of District		Serial No.	Name of Municipal Committee
12. Hissar	..	68	Hissar
		79	Dabwali
		70	Uklana Mandi
		71	Jakhal
		72	Hansi
		73	Sirsa
		74	Loharu
13. Ambala	..	75	Kalka
		76	Kurali
		77	Burta
		78	Chhachhrauli
		79	Ambala City
		80	Rupar
		81	Nalagarh
		82	Jagadhri
14. Bhatinda	..	83	Maur
		84	Mansa
		85	Goniana
		86	Bhucho Mandi
15. Kapurthala		87	Kapurthala
16. Sangrur	..	88	Barnala
		89	Sunam
		90	Malerkotla
		91	Ahemadgarh
		92	Jind (Elections held on 3rd September, 1961, but declared viod by the Punjab High Court).
17. Patiala		93	Samana
18. Mohindergarh	..	94	Narnaul

श्री बलराम जी दास टंडन : वज़ीर साहिब ने जो म्यूनिसिपल चुनाव पोस्टपोन किए थे उनकी वजह यह दी है कि असैम्बली का सैशन होने वाला था और दूसरे ज़रूरी काम थे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त यह चुनाव प्रोग्राम बनाया गया था क्या उस वक्त उनके ध्यान में अफसरों की तरफ से यह बात नहीं लाई गई थी कि उन दिनों यह सारी बातें होने वाली हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਹਰਟੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਹਰਟਟੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੋਣ ਡਿਊ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन कमेटियों के चुनाव हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हुए हैं उनको इस चुनाव प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं किया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਊਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਿਊ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਊਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਡੀਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

श्री बलरामजी दास टंडन : इस लिस्ट में ठीक है तीन कमेटियों के बारे कहा गया है कि चुनाव पोस्टपोन किए हैं और उसके कारण भी बताए हैं लेकिन मेरा स्पैसिफिक सवाल तो यह था कि जिन कमेटियों के चुनाव हुए तीन साल से ऊपर हो गए हैं, मिसाल के तौर पर पटियाला और सोनीपत की कमेटियां हैं जो इस लिस्ट में दर्ज नहीं की गई हैं उनके चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मेरी अर्ज़ यह है कि वज़ीर साहिब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं । उनको तैयार हो कर आना चाहिए था ।

Mr. Speaker : If the hon. Minister does not have the information about the specific question at this time, the hon. Member may give notice of a separate question.

श्री बलरामजी दास टंडन : मैंने पूछा था कि जिन कमेटियों के, जो इन तीन के अलावा और हैं जिनको इस लिस्ट में बताया गया है और जिन के चुनाव हुए तीन साल से ऊपर हो चुके हैं और चुनाव ड्यू हो चुके हैं उनके चुनाव न कराने की क्या वजह है ? इन्होंने सिर्फ तीन कमेटियों की बाबत ही बताया है, बाकी के बारे बता नहीं रहे हैं, उनको तैयार हो कर आना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उनके चुनाव पिछले दो तीन महीनों में due हुए होंगे। (The hon. Minister has replied that their elections might have become due during the last two or three months.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know the reasons for not holding Municipal Elections at one time all over the State like the General Elections in the country and Panchayat Elections all over the State ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 94 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਿਊ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਤੱਅਲਕ ਆਪਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

श्री अध्यक्ष : आप बता दें कौनसा जवाब नहीं आया है (The hon. Member may please tell me as to which part of the question has not been replied.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Mr. Speaker : The hon. Minister has already given an answer which is quite satisfactory.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It is not a question of my satisfaction, and if the hon. Member is not satisfied......

Sardar Lachhman Singh Gill : Sir, if you kindly go through the proceedings you will find that the answer given by the hon. Minister is not complete.

श्री अध्यक्ष : अगर ऐसा है तो आप प्वायंट आउट करें। (If it is so then the hon. Member may point it out.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : टंडन साहिब ने एक बड़ा स्पैसिफिक सवाल किया है कि जिन कमेटियों के चुनाव हुए तीन साल से ऊपर हो चुके हैं उनके जो चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं उनकी क्या वजह है और इन्होंने कहा है कि उनका टाइम दो तीन महीनों में पूरा हुआ होगा। मैं अर्ज़ करता हूं कि बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जिन के 3 साल पूरे हो चुके हैं। जब एक स्पैसिफिक सवाल किया गया है तो इनको स्पैसिफिक जवाब देना चाहिए कि कितनी कमेटियों के तीन साल पूरे हो गए हैं और उनके चुनाव क्यों नही कराए जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : तीन कमेटियों का तो उन्होंने ज़िक्र कर दिया है। अगर और हैं तो आप उनको बता दें।

(The hon. Minister has made a mention of three such committees. But if there are still others then the hon. Member may bring them to his notice.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. Mr. Speaker, my point of Order is that I just put a supplementary question to the hon. Minister as to why the Punjab Government do not consider the feasibility or advisibility of holding Municipal Elections all over the State at one time like the General Elections and the hon. Minister has not given answer to my question. He only stated the position in regard to individual municipal committees.

Mr. Speaker : The hon. Member is not seeking information. He is giving a suggestion. Moreover it is a question of policy whether or not to hold Municipal Elections in the State at one time.

Pandit Chiranji Lal Sharma : We are eliciting information through this supplementary and let the hon. Minister give a categorical answer.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ?

(The supplementary question put by the hon. Member is as to why the elections to the Municipal Committees are not held at one time like the General Elections.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਡਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। 94 ਮਿਉਨਿ-ਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਊ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : I am afraid, Sir, the hon. Minister has not caught my point.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਉ। (Let the hon. Member clarify it)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब पंचायतों और असेम्बली के इलैक्शनज़ एक बार हो जाते हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन एक बार क्यों नहीं किए जाते ?

Comrade Shamsher Singh Josh : The hon. Minister has been pleased to state that the Elections to the Municipal Committee, Amritsar, are not being held because the Corporation Bill is pending before the Legislature, through which this area has to be covered by a Corporation. May I know the reasons why elections to the Municipal Committee, Chhehrata are being held when that area is also proposed to be covered by that Corporation and what are the reasons for this discrimination ?

A Voice from the Opposition benches : Because the Communist Party is in power there.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਛਹਰਟੇ ਦੀ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ

[ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੋਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ... (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲੇ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। (It was not expected from the hon. Minister to say things like this. He should avoid such remarks.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि ऊना और फगवाड़ा म्यूनिसिपल कमेटियों की डीमारकेशन 4, 5 साल में क्यों नहीं की गई और डिमार्केशन कब तक हो जाएगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਊਨਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Suspension of Application of Provsions of Executive Officers Act to certain Municipal Committees

***4682. Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state whether any Municipal Committees in the State requested the Government to withdraw the application of the provisions of the Punjab Municipal (Executive Officers) Act, 1931, to them during the last 10 years; if so, their names together with the names of the Committees whose requests were accepted/rejected, separately ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes, Sir, . The names of such Municipal Committees are Jandiala, Tarn Taran and Moga. The request of Municipal Committee Moga was rejected; The request of Municipal Committee Jandiala was accepted and the request of Municipal Committee Tarn Taran is under consideration.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सरकार ने जंडियाला म्यूंनिसिपल कमेटी की रीक्वैस्ट किस बिना पर मजूंर की है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਰਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो रैज़ोल्यूशन सरकार को भेजा गया क्या वह म्यूंनिसिपल कमेटी के मैम्बरों ने पास किया था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੀਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਜ਼ ਸਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਇਹ ਚੀਜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

Mr. Speaker : No insinuation please.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਕੁਐਸਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

Sardar Gurnam Singh: Did the President of that Municipal Committee give that representation in writing to the Government ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਥੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਬਾਰਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2/3 ਮਜਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਾਰੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Will you please withdraw this word ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਜਾਰੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਜਾਰੇਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : The hon. Member at first should withdraw the word "Jhut".

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Mr. Speaker : The hon. Minister has given the information that is with him.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, the answer given by the hon. Minister is contradictory. In the first instance he said that the request of the Municipal Committtee Jandiala which was made on the basis of their resolution was accepted. But in reply to my supplementary question he said that they wanted the Executive Officer. The two replies are contradictory.

Home Minister : I will explain the position because I remember it somewhat. The question was so far as I remember, not about the appointment/removal of the Executive Officer. It was about the withdrawal of the Executive Officers' Act from the Municipal Committee, which had been made applicable to them. So far as I remember, the decision was that the Act which had been made applicable to them was withdrawn.

श्री बलरामजी दास टंडन . क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह बात सच्ची है कि प्रेज़ीडैंट साहिब के साथ मजारेटी न होने के कारण उन्होंने मुनासिब समझा कि पर्सनली एप्रोच कर के एग्ज़ैकिटव अफ़सर को हटवा दिया जाए क्योंकि रेज़ोल्यूशन पास नहीं हो सकता था ?

मन्त्री : यह बात गलत है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जैसे कि उन्होंने फरमाया कि मोगा म्यूनीसिपलटी ने रेज़ोल्यूशन पास किया लेकिन उनके फाईनैंसेज़ अच्छे थे इस लिये गवर्नमैंट ने उनको इजाज़त नहीं दी । आया गवर्नमेंट अपने ही प्वायंट आफ व्यू को सामने

रखती है या कि म्यूनिसिपल कमेटी की तकलीफ को सामने रखती है ? जब कमेटी ने जिम्मेदारी ली थी कि बिना एग्ज़ैक्टिव अफ़सर के भी काम चल सकता है तो गवर्नमेंट ने उन को हटाने की इजाज़त क्यों नहीं दी ?

स्थानीय शासन तथा कल्याण मन्त्री : उस रेज़ोल्यूशन में दरअसल कुछ और बात थी, इस लिए गवर्नमेंट नहीं मानी । मोगा म्यूनिसिपल कमेटी में एग्ज़ैक्टिव अफ़सर की ज़रूरत है । वह एक बड़ी कमेटी है, उनके फाईनैंसेज़ अच्छे हैं ।

कामरेड राम प्यारा : उन्होंने रेज़ोल्यूशन पास किया था कि हम उसके बिना ही गुज़ारा कर सकते हैं, फिर भी उनको इजाज़त क्यों नहीं दी गई ?

Mr. Speaker : If the hon. Member does not feel satisfied, I cannot help. But the reply has come.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਮਿਉਂਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੇਬਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਗਲ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ........ ...

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । क्या यहां पर कोई मेम्बर या वज़ीर साहिब ऐनक की आड़ लेकर बैंच का सहारा ले कर सो सकते हैं ? मैं इस विषय में आपकी रूलिंग चाहता हूं । श्री राम सरन चन्द मित्तल सोये हुए थे, अभी अभी मेरी आवाज़ सुन कर जाग पड़े हैं.........अगर उनको शराब के मन्त्री होने की वजह से नशा रहता है तो घर जा कर सोया करें ।

श्री अध्यक्ष : वह औरों को पिलाते हैं खुद नही पीते । (He offers drinks to others but does not drink himself.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जब सारी कमेटी का यह रेज़ोल्यूशन था कि एग्ज़ैक्टिव अफसर को हटाया जाए तो सरकार ने नहीं माना लेकिन सिर्फ प्रेज़ीडैंट के रेप्रेज़ेंटेशन पर उसकी बात मान ली, इस की क्या खास वजह थी ?

मन्त्री : मैंने अर्ज़ की कि पहले म्युनिसिपल कमेटी ने रेज़ोल्यूशन पास किया था लेकिन गवर्नमेंट ने नामंज़ूर किया । फिर कमेटी मान गई कि हम रेज़ोल्यूशन वापस लेते हैं । उसके बाद कमेटी की माली हालत खराब हो गई, इस लिये मेम्बरों ने रीप्रेज़ेंट किया और प्रेज़ीडेंट साहिब यहां पर खुद आए, सरकार से कहा कि ऐक्ट को वापस ले लो, कुछ हर्ज नहीं है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिस रेज़ोल्यूशन का वह जिक्र कर रहे हैं वह किस तारीख को पास हुआ था ?

मन्त्री : आप नोटिस दें तो बता दिया जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਔਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਸ ਪੁਛੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 1959 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

श्री बलरामजी दास टंडन : आप ही देखें।

Mr. Speaker : The hon. Member is free to draw his inferences. But the information has come.

श्री बलरामजी दास टंडन : आप देखिए कि जवाब देते हुए तो कहते हैं कि कोई रेफ्रैंस नहीं है। हाउस को मिसलीड करते हैं। अगर कोई प्रोब करने वाला न हो तो गलत इम्प्रेशन लेकर चला जाए.....

Mr. Speaker : He has not tried to withhold the information.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ: On a point of order, Sir, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1959 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 1960 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ.........

Mr. Speaker: What is your point of order ? Do not make a speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.........

Mr. Speaker: What is the wrong statement ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1959 ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1960 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1963-64 ਵਿਚ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : सवाल का जवाब देने से यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वह बिल्कुल इर्रैलेवैंट है। 1959 में म्यूनिसिपल कमेटी ने जो रेज़ोल्यूशन पास किया था वह और था, उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई.....

Mr. Speaker : The hon. Minister has given the information. What more does the hon. Member want ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : उन्होंने इत्तलाह भी तो गलत दी है। मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि चूंकि कमेटी ने रेज़ोल्यूशन पास किया था कि ऐक्ट लागू न किया जाए उसकी बेसिज़ पर वह कार्यवाही की गई थी। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि 159 में तो ऐक्ट को हटाने के लिये रेज़ोल्यूशन पास किया गया था। 1960 में इलैक्शन हो गए। दूसरी कमेटी ने फिर रेज़ोल्यूशन पास किया कि ऐक्ट को न हटाया जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने हटा लिया। यह कितनी रांग स्टेटमैंट है।

Mr. Speaker : Does the hon. Member want to discuss the reply given by the hon. Minister ? He should put a propor supplementary question.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इस सम्बन्ध में मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिब ने जो जवाब दिया है वह ठीक दिया है या कि गलत दिया है ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has given the reply. The hon. Member may put a supplementary in a proper form. I cannot put the question on his behalf.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, जब मिनिस्टर साहिबान जवाब देते हैं तो सप्लीमैंटरीज़ और इन्टरप्शंज इसलिए होती है ताकि गवर्नमेंट की पालिसी को ऐक्सपोज़ किया जाए और जो इनकंसिस्टैंसीज़ हों वह हाउस के नोटिस में लाई जाएं । अगर आप इस बात की इज़ाजत न दें तो बात कैसे चले ?

Mr. Speaker : I have never stood in the way of proper and relevant supplementary questions so far as they are intended to elcit information. But if the hon. Members give their own statements etc., that cannot be allowed. If the hon. Member puts a question in the proper form I will allow it.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੀਕੰਸਿਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ............

Dr. Baldev Parkash : Sir, he has got the resolution with him. He may read that out.

Mr. Speaker : Let the hon. Minister give the reply in the way he wants to.

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ. ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਥੇ ਆਇਆ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਏ ਔਰ

[ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ]

ਰੀਕੁਏਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ 1959 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ? ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਬਨ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

Sardar Gurnam Singh : May I ask from the hon. Minister whether he asked the President of the Municipal Committee concerned when he represented to the Government alone for the purpose to get a resolution passed by the Municipal Committee and sent the same to the Government ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Next question.

Dr. Baldev Parkash : I have to put a supplementary question, Sir. This question is very important.

Mr. Speaker : I have called the next question.

Dr. Baldev Parkash : This question is very important.

Mr. Speaker : All questions are important. I have given more time to this question than it is ordinarily due.

Dr. Baldev Parkash : I may be permitted to put a supplementary question, Sir.

Mr. Speaker : I have already called the next question. The hon. Member may please resume his seat.

Dr. Baldev Parkash : Then I will give notice for half-an hour discussion on this quesion.

Mr. Speaker : What ever the right of the hon. Member is, I do not stand in the way .

Area of Agha Khan Sarai etc., taken over by Improvement Trust, Amritsar

***4774. Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Improvement Trust, Amritsar, took over the area of the Agha Khan Sarai, etc., situated between the Kacheri Road and the Mall Road at Amritsar,

and after dividing it into plots sold it to some persons ; if so, the rates at which and the manner in which they were sold ;

(b) the names and full addresses of the persons who purchased the plots in the said area together with the price paid by each ;

(c) whether it is a fact that some plots were originally reserved for children's park, orchard or schools or some other common purposes ; if so, the dimensions thereof ;

(d) whether the plots referred to in part (c) above were later on sold to some persons ; if so, the manner in which it was done, together with the names and full addresses of persons to whom the said plots were sold and the price paid therefor by each ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) (i) Yes.

(ii) and (b) Statements containing the requisite information are laid on the Table of the House.

(c) (i) No.

(ii) and (d) Does not arise.

STATEMENT I

The area available for sale was divided into 89 residential and 10 commercial plots. Prices of residential plots were fixed as under in July, 1960 :—

	Per square yard
	Rs
(i) Plots abutting on Mall road ..	20
(ii) Plots available on Court and Albert roads ..	18
(iii) Plots in the interior ..	12

2. Applications from local displaced persons (i.e· persons whose lands had been acquired for the execution of the scheme), authorized claimants of allotable acquired evacuee property in the scheme and old occupants of the scheme area were invited.

3. 6 plots were allotted for sale to the local displaced persons and 8 to the old occupants. 33 plots abutting Mall, Albert and Court roads were offered for sale by public auction, but only 22 plots could be sold in that manner at rates ranging from Rs 18.25 to 25 per square yard. 37 plots were disposed of by inviting tenders at prices ranging from Rs 16.75 nP. to Rs 25.02 nP. per square yard. The remaining 16 plots were disposed of by accepting offers at rates not less than the reserve price.

4. Out of the 10 commercial plots, one was sold to a local displaced person @ Rs 20 per square yard and one to an old occupant @ Rs 25 square yard. The remaining 8 plots were disposed of by public auction at rates ranging from Rs 60.05 nP. to Rs 80.05 nP. per square yard.

5. Later, in mid 1962, 8 more plots were carved out of the area originally attached with Sarai Agha Khan. All these plots were sold to refugees. One plot No, 26 had been reserved for Hotel site but it could not be disposed of despite efforts. Subsequently this plot was divided into 7 residential plots and were sold to refugees at rate not less than*

6. 22 booth sites were sold by public auction in June, 1963, at Rs 210 .30 nP. for 12 booths and Rs 195 for the 10 booths, per square yard.

*Note—Printed as received from the Government.

[Local Government and Welfare Minister]

7. The detailed position regarding sale of plots to various categories of persons is given as under :

		No. of plots
1.	Local displaced persons	17
2.	Old occupants	8
3.	Refugees ..	15
4.	Others ..	86
5.	Unsold plots ..	3
	Total ..	129

STATEMENT II

Serial No.	Plot No.	Name and address of the purchaser	Rate per sq. yard
1	2	3	4
			Rs
1	1A	Shri Rikhi Ram Arora, son of Shri Tulsi Ram Arora, 19, Cooper Road, Amritsar ..	13.75
2	1B	Shri Ramesh Kumar Sachdev, son of Shri Tulsi Ram, 19, Cooper Road, Amritsar ..	13.75
3	2	Shri Khushi Ram, C/o M/s Ganga Ram Balmokand, Dhab Vasti Ram, Amritsar ..	20.00
4	3	Shri Chaman Lal Mehra, 51, The Mall, Amritsar ..	22.00
5	4	Shri Chaman Lal and Bhushan Lal, C/o Uttam Chand Harbans Lal, Katra Ahluwalia, Amritsar ..	22.50
6	5	Shri Kala Mal, Raj Krishan, Sham Lal and Shri Kewal Krishan, Opposite Hindu College, Dhab Khatikan, Amritsar ..	20.25
7	6	Shri Madan Lal and Shri Jagdish Lal, Gate Sudan, Katra Bhai Sant Singh, Amritsar ..	20.25
8	7	Shri Manohar Lal and Chaman Lal, Gate Sudan, Katra Bhai Sant Singh, Amritsar ..	21.50
9	8	Shri Lakshmi Narain, Plot No. 8, Mall Road, Amritsar ..	21.25
10	9	Shri Gurdial Singh Dhillon, 31, Race Course Road, Amritsar ..	22.25
11	10	Mrs. Janak Puri, 10, The Mall, Amritsar ..	25.00
12	11	Shri Joginder Singh and Shri Surinder Singh, C/o Sur and Co., Hall Bazar, Amritsar ..	24.12
13	12	Shri Ashok Kumar Mehra, Narain Nagar, Gol Bagh, Amritsar ..	20.25
14	13	Shri Hira Lal Mehra, Opposite Gol Bagh, Amritsar ..	20.25

Serial No.	Plot No.	Name and address of the purchaser	Rate per square yard
1	2	3	4
			Rs.
15	14	Shri Madan Lal Mehra, Opposite Gol Bagh, Amritsar ..	20.25
16	15	Shrimati Mohan Kaur, C/o S. Bahadur Singh, District Attorney, Ambala ..	20.25
17	16	Shrimati Amarjit Kaur, 13 R. B. Rattan Chand Road, Amritsar ..	22.25
18	17/1	Shri Ram Parkash and Harnam Dass, C/o Parkash Book Depot, Bazar Mai Sewan, Amritsar ..	80.05
19	17/2	Shri Jia Lal Mehra, C/o M/S Maharaj Mal, Hans Raj, Golden Temple, Amritsar ..	75.50
20	17/3	Shri Kewal Krishan Sehgal, Kt. Parja, Kucha Naian, I/S, Hathi Gate, Amritsar ..	74.30
21	17/4	Shri Achhraj Ram Thapper, 383/VII-2 Loha Mandi, Amritsar ..	78.00
22	17/5	Baba Jaswant Singh, Nirmal Takhat Talab Baba Budha Sahib, P.O. Ramdass, district Amritsar ..	76.00
23	17/6	Shri Harinder Singh and Thakar Singh, 7, Dayanand Nagar, Lawrance Road, Amritsar ..	60.05
24	17/7	Shri Balbir Singh, C/o Balbir Cycle Works, Court Road, Amritsar ..	67.50
25	17/8	Shri Hari Chand Kapur, C/o P.B. Kailash, Hall Bazar, Amritsar ..	73.50
26	17/9	Shri Kewal Krishan Sekhri, 50, The Mall, Amritsar ..	25.00
27	17/10	Shri R.C. Bhandari, Advocate, New Court Road, Amritsar ..	20.€0
28	18	Shri Radhe Shyam Mahajan, 8, Circular Road, Amritsar ..	20.50
29	19	Shri Sandesh Kumar and Surinder Kumar, C/o Hindustan Textile Mills, Outside Ram Bagh Gate, Amritsar ..	21.00
30	20	Shri Harbans Lal, C/o Uttam Chand, Harbans Lal, Katra Ahluwalia, Amritsar ..	21.75
31	21	Shri Baldev Dass, 60/16, Ramjas Road, Karol Bagh, P.O. Box No. 2529, New Delhi, Amritsar ..	18·75
32	22	Shri Ram Saran Dass, Sita Ram Street, Opposite Gol Bagh, Amritsar ..	19.00
33	23	Sodhi Darbara Singh, Opposite Bazar Dhobian, Katra Jallianwala, Amritsar ..	20.12
34	26	Shri Harbans Singh, V.P.O. Kala Ghanupur, district Amıitsar ..	22.00
35	26-A	Shri Kuldip Singh, 4, Friends Colony, Amritsar ..	22.00

[Local Government and Welfare Minister]

Serial No.	Plot No.	Name and address of the purchaser	Rate per sq. yard
1	2	3	4
			Rs
36	26-B	Shri Gulzar Singh, Central Corporation Bank, Amritsar ..	20.00
37	26-C	Shri Hari Singh Bhatt, 3662/9-10, Street No. 1, Bhagtanwala, Amritsar ..	17.00
38	26-D	Shri Faqir Chand, Sub-Registrar City, Amritsar ..	20.00
39	26-E	Shri Harbans Lal, 115, Cooper Road, Amritsar ..	20.00
40	26-F	Shri Haveli Ram, C/o Anant Industries, Inside Hall Gate , Amritsar ..	20.00
41	27	Shri Rajinder Lal Malick, C/o Malick Nursery, Court Road, Amritsar ..	18.00
42	28	Bakshi Hardev Singh, C/o The Amrit Bank Ltd., Amritsar ..	19.37
43	29	Shri Amir Singh, son of Mrs. Sharnagat, Quarter No. 3, Old Telegraph Compound, Fort, Road, Amritsar ..	18.75
44	30	S. Sarain Singh Sehbazpuri, village Sehbazpur, district Amritsar ..	18.50
45	31	Shri Salig Ram Kandhari, 630/8, Khandharian Street, Nimak Mandi, Amritsar ..	18.50
46	32	Shri Roshan Lal Behal and Shri Chaman Lal, Katra Parja, Amritsar ..	18.62
47	33	Shri Jagat Ram Jain, H. No. 2950/5, Gali Bhabarian, Amritsar ..	18.12
48	34	Shri Baikunth Lal, 115, Cooper Road, Amritsar ..	18.12
49	35	Shrimati Iqbal Kaur, C/o R.S. Walia, M.A., LL.B., Advocate, 42, Court Road, Amritsar ..	18.25
50	36	Shri Balbir Singh Randhawa, C/o Balbir Singh and Co., H 6/1, Contractor's Area, Jamshedpur, Bihar ..	20.00
51	37	Dr. Kartar Singh, Rayya, district Amritsar ..	20.00
52	38	Shrimati Durga Devi, C/o J.N. Singh and Co., Katra Sher Singh, Amritsar ..	19.40
53	39	Shrimati Avtar Kaur, 25, Cooper Road, Amritsar ..	18.25
54	39-A	Shri Gian Singh Sandhoo, D.S.P./R.T.C., Police Lines Gurdaspur, Amritsar ..	20.00
55	40-A	Shri Jagdish Raj, C/o Shri Gurdit Singh Aulakh, H. No. 3608/1, Ram Bagh Gate, Amritsar ..	22.00
56	40-B	Shri Ram Chand Khanna, 11, Tulsi Bagh, Srinagar, Amritsar ..	17.00

Serial No.	Plot No.	Name and address of the purchaser	Rate per sq. yard
1	2	3	4
			Rs
56-A	40-C	Shri Ram Ditta Mall, 43, The Mall, Amritsar ..	18.70
57	40-D	Shri Vir Singh, C/o S. Iqbal Singh, son of Santa Singh, Chhehrata, Amritsar ..	17.00
58	40-E	Shri Gulbadan Singh, Street No. 2, o/s Ram Bagh Gate, Amritasar ..	17.00
59	40-F	Shri Chaman Lal Bhasin, Office of Senior Superintendent of Police, Amritsar ..	17.00
60	40-G	Shri Pritam Singh, Inspector, C.I.A., Amritsar ..	17.00
61	41	Shri Banarsi Dass, Baldev Raj and Bodh Raj Mohindroo, C/o Saraswati Ice Factory, G.T. Road, Amritsar ..	20.00
62	42	Shri Bhola Nath, Plot No. 42, Court Road, Amritsar ..	18.25
63	43	Capt. D.S Chabba, Village Sohian Kalan, district Amritsar ..	18.02
64	44	Major Kartar Singh, village Sohian Kalan, district Amritsar ..	18.02
65	45	Shri Tirloshan Dass Mehta, The Mehta Textile and Finishing Mills, Hide Market, Amritsar ..	18.48
66	46	Shri Sansar Chand Bhandari, Court Road, Amritsar ..	13.20
67	47	Shri Puran Singh Arora, 776/6, Bazar Gandawala, Amritsar ..	19.20
68	48	Shri Mohinder Singh, Chartered Accountant, Katra Ahluwalia, Amritsar ..	19.24
69	49	Shri Fateh Chand Sachdev, 275, Samuel Street, Bombay-3 ..	19.25
70	50	Shri Sham Sunder Wadhwa, C/o Guranditta Mal Maharaj and Co., Majith Mandi, Amritsar ..	20.50
71	51	Shri Banarsi Dass Mohindroo, C/o The Saraswati Ice Factory, Hide Market, Amritsar ..	18.57
72	52	Shri Avtar Singh, C/o M/S Sham Singh Dula Singh, Katra Ahluwalia, Amritsar ..	25.02
73	53	Shri Joginder Singh, Accountant, The New Bank of India Limited, Amritsar ..	22.26
74	54	Shri Chiman Lal, Supervisor, The New Bank of India Limited, Amritsar ..	22.26
75	55	Shri Tarlochan Singh and Santosh Sodhi, C/o Bhall Hosiery Factory, Guru Nanak Wera, Near Khalsa College, Amritsar ..	19.05
76	56	M/S Santokh Singh Joginder Singh, Misri Bazar, Amritsar ..	22.51
77	57	Shrimati Bimla, Bazar Harcharan Dass, Amritsar ..	16.80

[Local Government and Welfare Minister]

Serial No.	Plot No.	Name and asddress of the purchaser	Rate per sq. yard
1	2	3	4
			Rs
78	58	Shri Sher Singh, C/o Plot No. 58, Court Road, Amritsar ..	19.00
79	59	Shri Santokh Singh, Plot No. 59, Mall Road, Amritsar..	19.00
80	60	Shri Charan Singh 59, Court Road, Amritsar ..	19.00
81	61	Shrimati Bishan Kaur, 59, Court Road, Amritsar ..	19.00
82	62	Shri Gurmej Singh, 51, The Mall, Amritsar ..	19.00
83	63	Shri Jaswant Singh, Hall Bazar, Amritsar ..	21.11
84	64	Shri Bhajan Singh, C/o Punjab Medical Store, Opposite V.J. Hospital, Amritsar ..	17.16
85	65	Shri Manohar Lal Khanna, C/o Lachhman Dass, Sat Pal, Guru Bazar, Amritsar ..	21.75
86	66	Shri Kazara Singh, son of S. Amrit Singh, village Jhallari, P. O. Bias, C/o Head Clerk Nirmal Singh, Gali Kamon, Amritsar ..	21.32
87	67	S. Karnail Singh, District Development & Panchayat Officer, Karnal ..	21.10
88	68	Shri Kewal Krishan Sekhri, The Mall, Amritsar ..	18.70
88A	69	Shri Gian Chand, The Mall, Amritsar ..	17.00
89	70	Shri Jasbir Singh, Singha Pur Cloth House, Atta Mandi, Amritsar ..	19.75
90	71	Shri Raghbir Singh, C/o M/S Sant Singh Mohan Singh, Moti Bazar, Katra Ahluwalia, Amritsar ...	20.90
91	72	Shri Darshan Singh H.No. 2672/7, Dhab Vasti Ram, Amritsar ..	22.51
92	73	Shri Pyare Lal Wahi, Chief Cashier, Bank of Baroda, Amritsar ..	19.62
93	74	Shri Ram Parkash Grover, 74, The Mall, Amritsar ..	16.80
94	75	Shrimati Jaswant Kaur, wife of Shri Mota Singh, Opposite Railway Station, Amritsar ..	17.05
95	76	Shri Tara Chand, Kucha Ardasian, Charasti Attari, Amritsar ..	20.14
95	77	Shri Sardari Lal, Kucha Ardasian, Charasti Attari, Amritsar ..	20.14
97	78	Shri Behari Lal Khanna, Kucha Ardasian, Charasti Attari, Amritsar ..	20.14
98	79	Shrimati Raj Mohini, wife of Shri Tirlok Chand, 228/2, Gali Upplan, Guru Bazar, Amritsar. ..	20.13
99	80	Shri Yog Raj Dev Raj, Gali Upplan, Guru Bazar, Amritsar ..	20.13

Serial No.	Plot No.	Name and address of the purchaser	Rate per sq. yard
1	2	3	4
			Rs
100	81	Shri Puran Chand Mehra, Katra Ahluwalia, Amritsar ..	18.26
101	82	Shri Inderjit Singh Hoon, Advocate 545 Rani Ka Bagh, Amritsar ..	12.00
102	83	Dr. Tej Pal Singh Chawla, Gagar Mal Road, Amritsar..	20.26
103	84	Shri Tarlok Singh, 204, Albert Road, Amritsar ..	20.76
104	85	Shrimati Krishna Wati, Chathrath Building, 12, Gagar Mal Road, Amritsar ..	17.60
105	86	Shri Jairam Singh Ahuja, Bazar Gandawala, Amritsar ..	16.80
106	87	Shri Gokal Chand, C/o M/S Gokal Chand-Gian Chand and Sons, Karmon Deori, Amritsar ..	17.03
107	88	Shri Pritam Singh, President, Mandal Congress Committee, Kherkaran, district Amritsar ..	20.10
108	89	Shri Madan Chand Kapoor, 223, Queens Road, Amritsar ..	23.75
109	90	Nihal Singh Arora, Income-Tax Practitioner, Bagh Jhanda Singh, Amritsar ..	19.10
110	91	Dr. Manohar Lal Chopra, 42-A, The Mall, Amritsar ..	16.80
111	92	Shri L.C. Beri and Mrs. L.C. Beri, C/o M/S. Ra j and Co., Jewellers, Cooper Road, Amritsar ..	18.30
112	93	Shri Gopal Dass, C/o L. Hans Raj Khanna, Bazar Sirki Banda, Amritsar ..	19.15
113	Booths 1 to 12	Shri Goverdhan Dass, C/o M/S Goverdhan Dass-Gopi Nath, Bazar Sabunian , Amritsar ..	210.30
114	13 to 22	Shri Radhe Shyam Mahajan and Yash Pal, 58, Circular Road, Amritsar ..	195.00

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ . ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ "ਸੀ" ਔਰ "ਡੀ" ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਹ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਠ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਜਗਾਹ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਕ ਜਗਾਹ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰੱਸਟ ਉਸ ਜਗਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ: ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਮਨ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦ

[ਕਾਮਰੇਡ ਮਖੱਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ]

ਵਿਚ ਅਠ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਬੋਲੀ ਨਾਲ 40, 40 ਔਰ 42, 42 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 18, 18, 20, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਾਹ ਕਾਮਨ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖੀ, ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਡੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह फैक्ट नहीं है, कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से जो पलाट बेचे जाते हैं उनकी पालिसी आक्शन करने की है ? क्या कारण है कि इस खास स्कीम के अन्दर जब बाकी के प्लाट आक्शन के द्वारा दिए गए यह खास पलाट नैगोशीएशन के जरिए क्यों बेचे गए ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੀਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਕਣ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ—ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन्हें नैगोशीएशन के द्वारा बेचने के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अमृतसर, ने कोई रैजोल्यूशन पास किया था; अगर रैजोल्यूशन पास किया था तो उसके अन्दर क्या क्राइटीरिया रखा गया था जिनके मुताबक ये पलाट लोगों को दिए जाएं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਿਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ, by sale, by tender or by auction ? ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

(*At this stage some hon. Members rose to put supplementary questions*)

Mr. Speaker : More supplementaries can be asked tomorrow.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in P.W.D., Irrigation Branch (Headquarters)

1532. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts, separately, in P.W.D., Irrigation Branch (Headquarters) together with their percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Chaudhri Ranbir Singh : A statement containing the information is as follows :

Statement

	No. of appointments	*Percentage*
Class I ..	Nil	Nil
Class II ..	Nil	Nil
Class III ..	100	10 per cent
Class IV ..	56	30 per cent

Percentage of posts reserved on new appointments is 19 per cent for Scheduled Castes and 2 per cent for Backward Classes.

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Class III		
	Sarvshri—		
1	Gurmukh Singh ..	Dy. Superintendent	30-10-42
2	Udham Singh ..	Do	6-11-45
3	Tara Singh ..	Assistant	22-11-46
4	Krishan Dutt ..	Dy. Superintendent	29-3-47
5	Sewa Singh ..	Assistant	15-4-47
6	Gurdial Singh ..	Do	14-6-45
7	Pritam Dass ..	Do	1-3-48
8	Puran Singh ..	Do	3-2-51
9	Sadhu Ram ..	Do	10-4-51
10	Pritam Singh Samplay ..	Do	15-2-52

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name		Designation	Date of appointment
	Sarvshri—			
11	Surjit Singh Bawa	..	Assistant	8-5-52
12	Pritam Singh Chander	..	Do	8-11-48
13	Dall Singh	..	Do	20-4-53
14	Bishan Singh	..	Do	26-7-54
15	Fauja Singh	..	Do	17-8-54
16	Vidya Parkash	..	Do	18-8-54
17	Ram Lal Taggar	..	Do	7-12-55
18	Ajit Singh	..	Do	29-5-56
19	Chanan Ram I	..	Clerk	29-4-52
20	Puran Singh II	..	Do	17-10-56
21	Dev Raj	..	Do	3-6-57
22	Mohinder Singh	..	Do	28-5-57
23	Shiv Ram (2)	..	Do	26-7-49
24	Shiv Ram (3)	..	Do	18-9-58
25	Ajaib Singh	..	Do	15-9-58
26	Raja Ram	..	Do	28-4-52
27	Pritam Nath	..	Do	18-12-52
28	Ram Parshad	..	Do	9-5-54
29	Prabh Dayal	..	Do	24-7-53
30	Chanan Ram Mahey	..	Do	27-8-53
31	Lala Ram	..	Do	7-1-57
32	Madan Lal	..	Do	5-1-57
33	Harbans Singh	..	Do	4-6-56
34	Amar Singh (3)	..	Do	12-1-57
35	Mota Singh	..	Do	8-5-57
36	Bachan Chand	..	Do	10-5-57
37	Sharam Singh	..	Do	28-5-57
38	Shiv Dutt Bhatti	..	Do	15-11-57
39	Bhagat Ram Rangara	..	Do	14-11-57 (A.N.)
40	Mukhtiar Singh	..	Do	13-11-57

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
41	Sadhu Singh Hamdard ..	Clerk	19-9-55
42	Gurdev Singh ..	Do	16-11-57
43	Garib Singh ..	Do	18-11-57
44	Chaman Lal ..	Do	11-11-57
45	Amar Nath ..	Do	15-9-58
46	Davinder Singh ..	Do	12-9-58
47	Prem Chand Bajwan ..	Do	10-10-58
48	Gurmit Singh ..	Do	9-10-58
49	Dalbagh Singh ..	Do	9-10-58
50	Chet Ram ..	Do	6-11-58
51	Ram Chander ..	Do	7-11-58
52	Sumitra Singh ..	Do	16-12-58
53	Budh Parkash ..	Do	13-12-58
54	Mansha Singh ..	Do	28-1-59
55	Surjit Lal ..	Do	6-6-59
56	Karam Chand ..	Do	9-5-59
57	Amrik Singh Naurath ..	Do	29-6-59
58	Tarsem Lal ..	Do	3-7-59
59	Rajeshwar Singh ..	Do	8-7-59
60	Dalbagh Rai ..	Do	9-7-59
61	Parkash Chand ..	Do	14-7-59
62	Naranjan Singh ..	Do	20-3-59
63	Ram Lal ..	Do	14-8-59
64	Ram Rattan ..	Do	1-10-59
65	Sukh Raj ..	Do	21-1-60
66	Hardev Singh ..	Do	19-1-60
67	Chuni Lal ..	Do	18-1-60
68	Gurmel Singh ..	Do	9-6-58
69	Daya Nand ..	Do	25-1-60
70	Chuni Lal ..	Do	22-4-60
71	Hari Singh ..	Do	22-4-60

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
72	Sarwan Ram Chopra ..	Clerk	22-4-60
73	Khazan Singh ..	Do	15-6-60
74	Narinjan Singh ..	Do	14-10-60
75	Mehar Chand ..	Do	24-11-60
76	Mohinder Pal ..	Do	21-11-60
77	Hem Raj ..	Do	21-11-60
78	Bakhshi Ram ..	Do	31-3-61
79	Mohan Lal ..	Do	30-3-61
80	Kirpal Singh ..	Do	7-4-61
81	Sukh Dayal ..	Do	28-3-61
82	Om Parkash ..	Do	29-3-61
83	Kartara ..	Do	27-3-61
84	Ram Kishan ..	Do	20-6-61
85	Ram Asra ..	Do	24-1-61
86	Charan Dass ..	Do	24-1-61
87	Raja Ram ..	Do	13-1-61
88	Rattan Ram ..	Do	16-2-61
89	Rattan Singh ..	Do	22-2-61
90	Gopi Ram ..	Do	13-1-61
91	Lekhbir Singh ..	Do	18-1-61
92	Mohinder Singh ..	Do	24-1-61
93	Chetan Dass ..	Steno	7-8-60
94	Sajjan Singh ..	D.H.D.	2-5-63
95	Teja Singh ..	Do	25-4-49
96	Bishan Singh Nagi ..	Draftsman	1-3-63
97	Surjan Singh ..	Do	26-12-62
98	Gurdev Singh ..	Tracer	23-7-60
99	Sawan Singh ..	Restorer	4-10-47
100	Prabh Dayal ..	Photedar	1-4-62

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Class IV		
	Sarvshri—		
101	Narinjan Singh	.. Daftri	10-12-48
102	Ram Dial	.. Do	10-10-30
103	Ram Tehal	.. Do	1-9-27
104	Chet Ram	.. Do	20-1-48
105	Onkar Singh	.. Do	59
106	Gurdev Singh	.. Do	16-4-59
107	Jagga Singh	.. Do	15-10-59
108	Ram Parshad	.. Peon	4-1-37
109	Durga Dass	.. Do	10-10-44
110	Udham Singh	.. Do	6-10-46
111	Devi Ram	.. Do	20-1-48
112	Nikra Ram	.. Do	20-1-48
113	Sant Ram (2)	.. Do	9-5-48
114	Dharam Singh (2)	.. Do	23-6-50
115	Jit Singh	.. Do	28-4-51
116	Pritam Singh	.. Do	1-11-56
117	Roshan Lal	.. Do	8-12-47
118	Retti Ram	.. Do	1-4-54
119	Nazir Singh	.. Do	17-12-51
120	Prabhu Ram	.. Do	28-5-57
121	Amru	.. Do	23-4-55
122	Banwari Lal	.. Do	16-8-56
123	Dalip Singh	.. Do	10-10-57
124	Tellu Ram	.. Do	20-11-58
125	Sukh Ram	.. Do	3-12-59
126	Lachhman Singh	.. Do	4-5-59
127	Joginder Singh	.. Do	16-7-59
128	Hazura Singh	.. Do	1-10-59
129	Nasib Chand II	.. Do	19-10-59
130	Dialu Ram	.. Do	4-2-59

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
131	Pritam Singh ..	Peon	1-7-53
132	Rulia Ram ..	Do	12-8-60
133	Santa Singh ..	Do	18-8-60
134	Joginder Singh ..	Do	12-9-60
135	Hansa ..	Do	12-9-60
136	Tellu Ram ..	Do	17-10-60
137	Dass Chand ..	Do	1-6-61
138	Harbhagwan Dass ..	Do	14-8-61
139	Ram Dass (2) ..	Do	1-11-61
140	Amrik Singh ..	Do	26-12-61
141	Des Raj ..	Do	2-4-632
142	Nasib Singh ..	Do	29-5-63
143	Kashmiri Lal ..	Chowkidar	25-3-58
144	Mastan Singh ..	Do	4-2-59
145	Barfi ..	Sweeper	31-8-48
146	Sanu Ram ..	Do	3-8-48
147	Masih Charan ..	Do	6-11-51
148	Lahori Lal ..	Do	5-5-51
149	Tulsi Ram ..	Do	5-5-51
150	Kali Charan ..	Do	8-3-51
151	Devia Ram ..	Do	1-9-48
152	Chhaju Ram ..	Do	1-2-57
153	Nank Chand ..	Do	1-2-57
154	Lachhman ..	Do	1-2-57
155	Darbara Singh I ..	Dak Messenger	1-3-64
156	Darbara Singh II ..	Do	11-3-64

Ejectment of tenants and their resettlement

1544. Pandit Mohan Lal Datta : Will the Minister for Revenue be

Note.—Unstarred Question No. 1533 and reply thereto appear in Appendix to this Debate.

pleased to state —

(a) the number of tenants ejected in each district in the state during the period from 1961 to 1963 together with the number of tenants against whom cases of ejectment are pending at present and the period for which they have been pending:

(b) the total area from which the tenants referred to in part (a) above were ejected and the total area on which they were re-settled during the said period ;

(c) the number and names of ejected tenants re-settled on surplus land in tehsil Una and the number of ejected tenants who have not so far been re-settled on surplus area;

(d) the total area of suplus land in Una tehsil alongwith the names of land owners owning the surplus land and the names of the villages where such land is situated ?

Sardar Ajmer Singh : (a), (b) & (c). The time and labour involved in collecting and compiling the information would not be commensurate with any possible benefit to be obtained from the reply.

Grant received by Education Department

1545. Comrade Ram Chandra : Will the Home Minister be pleased to state :—

(a) the details of different grants received by the Education Department yearwise from 1960 to 1964 from the Central Government together with the purposes for which these were received ;

(b) the amount of grants referred to in part(a) above which were utilized and surrendered respectively, district-wise ?

Shri Mohan Lal : (a) & (b) A statement showing the amount received from the Government of India during the years 1960-61 to 1963-64 by the Education Department and amounts utilized and surrendered out of the grants received is as follows.

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G.O.I.	Purpose for which sanctioned	*Amount utilized districtwise* Name of the District	Amount	Amount surrendered
1	2	3	4(a)	4(b)	5
	(Figures in thousands)	**PLAN SCHEMES 1960-61**	(Figures in thousands)		
1	1,22,63	For the implementation of the schemes included in the 2nd Five-Year Plan	State as a whole	1,22,37	26
2	3,00	For expansion of girls education Construction of Residential quarters	1. Gurgaon ..	20	
			2. Hissar ..	19	
			3. Karnal ..	17	
			4. Rohtak ..	20	
			5. Jullundur ..	15	
			6. Amritsar ..	15	
			7. Hoshiarpur	15	
			8. Ferozepur ..	15	
			9. Kangra ..	32	
			10. Gurdaspur ..	15	
			11. Ludhiana ..	15	
			12. Ambala ..	17	
			13. Mohindergarh	20	
			14. Kapurthala	9	
			15. Patiala ..	15	
			16. Sangrur ..	21	
			17. Bhatinda ..	19	
			Total ..	299	1

-	1,55	For expansion of girls education Construction of Hostel for Lady teachers	1. Rohtak ..	31	
			2. Ambala ..	38	
			3. Gurgaon ..	45	
			4. Amritsar ..	41	
			Total ..	155	..
		1961-62			
4	88,86	For the implementation of the schemes included in the 3rd Five-Year Plan	State as a whole..	74,39	14,47
5	11	Financial assistance to the Voluntary Educational Organizations	Ludhiana ..	3	..
			Kapurthala	3	
			Gurgaon	5	
			Total ..	11	
		1962-63			
6	112,77	For the implementation of schemes included in the Third Five Year Plan	State as a whole	111,29	1,48
7	41	Financial assistance to the Voluntary Educational Organizations	1. Kapurthala ..	2	
			2. Gurgaon ..	10	
			3. Ambala ..	20	
			4. Ferozepur ..	3	
			5. Rohtak ..	6	
				41	
		1963-64			
8	Not yet sanctioned	For the implementation of Schemes included in the Third-Five-Year Plan	Amount still being spent	..	Not yet known
9	5	Financial assistance to the voluntary Educational organizations	Ambala ..	5	..

Note.—The Central assistance in respect of schemes included in the 2nd and 3rd Five-Year Plans (mentioned at Serial Nos. 1, 4, 6, 8,) for the years 1960-61 to 1963-64 were sanctioned for the development head as a whole and not scheme-wise/district-wise. It is, therefore, not possible to give district-wise break-up of the amount utilised and surrendered in respect of the 2nd and 3rd Five-Year Plan Schemes.

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G.O.I.	Purpose for which sanctioned	*Amount utilised districtwise* Name of the District	Amount	Amount surrendered
1	2	3	4(a)	4(b)	5
	(Figures in thousands)		(Figures in thousands)		
		NON-PLAN/CENTRALLY SPONSORED SCHEMES (OTHER THAN STATE PLAN SCHEMES)			
		1960-61			
1	17,86	Government of India Post matric scholarships for Scheduled Castes/Tribes and other Backward Classes students	State as a whole	17,86	As the scheme is unbreakable and the scholarships are awarded to eligible students belonging to the Punjab State and studying in any Post throughout India, the district-wise break up of the amount utilized cannot be worked out
2	69	Campus Works Project ..	1. Ferozepur ..	14	
			2. Bhatinda ..	10	
			3. Hoshiarpur	9	
			4. Patiala ..	20	
			5. Jullundur ..	6	10 Rohtak
			Total ..	59	
3	31	Tour Grants ..	1. Amritsar ..	1 1	
			2. Karnal ..	3 ..	
			3. Ludhiana ..	6 ..	
			4. Patiala ..	4 ..	
			5. Gurgaon ..	1 ..	
			6. Rohtak ..	2 ..	

			7. Hoshiarpur	1	..	
			8. Ferozepur ..	..	1	
			9. Ambala ..	4	1	
			10. Hissar ..	2	..	
			11. Jullundur ..	1	1	
			12. Bhatinda ..	1	1	
			Total ..	26	5	
4	5	Labour and Social Service Camps ..	State as a whole	5	..	
5	151	Purchase of play-fields ..	1. Sangrur ..	14	..	The amounts in the form of R. T. Rs were sent to the Heads of the various Educational institutions for the purchase of play-fields. Due to high prices/non-availability of land most of the institutions have not yet purchased the play fields
			2. Mahendergarh	9		
			3. Bhatinda ..	19		
			4. Patiala ..	4		
			5. Ambala ..	8		
			6. Karnal ..	13		
			7. Rohtak ..	19		
			8. Hissar ..	17		
			9. Gurgaon ..	19		
			10. Ludhiana ..	11		
			11. Hoshiarpur	1		
			12. Amritsar ..	7		
			13. Gurdaspur ..	5		
			14. Kangra ..	5		
			Total ..	151		
6	9	For the purchase of Sport equipments ..	1. Ambala/Gurgaon	2	..	Out of this a sum of Rs 7,000 has been utilized and the information in respect of the utilization of the balance amount of Rs 2,000 is still awaited from the Heads of the Institutions of Karnal, Patiala Simla
			2 Jullundur/ Hoshiarpur	1		
			3. Kapurthala/ Kangra	1		
			4. Sangrur/ Mohindergarh	1		
			5. Ferozepur	2		
			6. Patiala	1		
			7. Simla/Karnal	1		
			Total ..	9		

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G.O I	Purpose for which sanctioned	*Amount utilized district-wise*		Amount surrendered
			Name of the District	Amount	
1	2	3	4(a)	4(b)	5
	(Figures in thousands)		(Figures in thousands)		
7	11	Setting up of Science Clubs in High/Higher Secondary Schools at the rate of Rs 1,200 per school in the following schools :— 1. Government Higher Secondary Multipurpose School, Patiala 2. Government High School, Jagadhri, district Ambala 3. Government High School, Kapurthala 4. Government Raj High School, Sangrur 5. Dev Samaj Higher Secondary School, Moga (Ferozepur) 6. B. H. R. D. D. Higher Secondary School, Shankar (Jullundur) 7. S. G. A. D. Khalsa High School, Dhariwal (Gurdaspur) 8. S. D. High School, Tarn Taran, district Amritsar 9. Government Girls High School, Makhur Bazar, Simla	As in column 3 except Government Raj High School Sangrur	10	1. Sangrur
		1961-62			
1	15,86	Government of India Post-Matric Scholarships for Scheduled Castes/Tribes and other Backward Classes Students	State as a whole	15,86	As mentioned against Serial No. 1 of Non-Plan Schemes for 1960-61
2	1	Award of Government of India Merit Scholarships in the Residential Schools-TA	Ditto	1	..

3	83	Campus Works Projects ..	1. Ludhiana	16	..
			2. Ferozepur	15	..
			3. Bhatinda	21	..
			4. Amritsar	3	..
			5. Hoshiarpur	18	2
			6. Sangrur	..	8
			Total ..	73	10
4	3	National Physical efficiency drive ..	State as a whole	1	2
5	1	VII Prize competition for Children literature ..	State as a whole	1	..
6	1	Seminar on women's education ..	Ditto	1	..
7	1,23	Orientation of school teachers in Community Development for—	1. Gurdaspur	6	..
		(i) the development of selected primary schools in the neighbourhood of training institutions	2. Jullundur	13	..
		(ii) purchase of books on community developments	3. Hoshiarpur	7	..
		(iii) financial assistance	4. Kangra	8	..
			5. Ferozepur	11	..
			6. Ludhiana	6	..
			7. Amritsar	6	..
			8. Ambala	11	..
			9. Karnal	7	..
			10. Rohtak	8	..
			11. Gurgaon	7	..
			12. Hissar	6	..
			13. Kapurthala	5	..
			14. Patiala	5	..
			15. Bhatinda	6	..
			16. Mohindergarh	4	..
			17. Sangrur	7	..
			Total ..	123	
8	92	National Scholarship Scheme ..	State as a whole	64	28
9	11	Merit Scholarship for the children of Primary and Secondary School teachers	State as a whole	11	..

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G.O.I.	Purpose for which sanctioned	Amount utilized districtwise		Amount surrendered
			Name of the District	Amount	
1	2	3	4(a)	4(b)	5
				(Figures in thousands)	
10	19	Setting up of science clubs in High/Higher Secondary schools in the following 16 schools @Rs 1,200 per school:—			
		1. S.M.B. Gita High School, Kurukshetra ..	As shown in column 3	19	..
		2. Government Girls Higher Secondary School, Sector 18, Chandigarh			
		3. B. D. High School, Ambala Cantt			
		4. Government Senior Secondary School, Chandigarh			
		5. D. A. V. Higher Secondary School, Simla			
		6. D. A. V. Higher Secondary School, Chandigarh			
		7. Khalsa Higher Secondary School, Pajjodeetasoos (Hoshiarpur)			
		8. Hindu Sabha Higher Secondary School, Amritsar			
		9. Government Girls Higher Secondary School, Mahan Singh Gate, Amritsar			
		10. Government Girls Higher Secondary School, Bhiwani			
		11. S. D. Higher Secondary School, Barnala			
		12. M. G. M. N. Normal and High School, Amedgarh (Sangrur)			
		13. Khalsa High School, Bhatinda			

14. State High School, Nabha

15. Arya Higher Secondary School, Narwana

16. Government High School, Malerkotla

11	2	Experimental projects in the Secondary Schools, i. e.,— 1. L. R. Doaba Higher Secondary School, Jullundur City 2. Dev Samaj Girls Higher Secondary School, Ferozepur City 3. Hindu Sabha Higher Secondary School, Amritsar	As shown in column 3	2		
		1962-63				
1	17,86	Government of India Post-Matric Scholarships for Scheduled Castes/Tribes and other Backward Classes Students	State as a whole	17,86		As mentioned against Serial No. 1 of Non-Plan Schemes for 1960-61
2	1	Award of Government of India Merit Scholarships in the Residential Schools	Ditto	1	..	
3	5	National Physical Efficiency Drive ..	Ditto	3	2	
4	49	Campus Works Projects ..	1. Ferozepur 2. Bhatinda 3. Patiala 4. Jullundur	20 9 12 8	..	
			Total ..	49		
5	39	Organization of A. C. C. Labour and Social Camps ..	..	39		Camps could not be held by the N. C. C. Directorate due to National Emergency
6	2	VIII—Prize Competition for Children literature ..	State as a whole	2	..	
7	10	Organization of literary workshop in Punjabi for the encouragement of literature on Neo-literates (Adults and children) at Government Training College, Jullundur	Jullundur	4	6	
8	184	National Scholarship Scheme ..	State as a whole	156	28	

Serial No	Amount allocated sanctioned by G. O. I.	Purpose for which sanctioned	Amount utilized district-wise		Amount surrendered
			Name of the District	Amount	
1	2	3	4(a)	4(b)	5
				(Figures in thousands)	
9	25	Merit Scholarships for the Children of Primary and Secondary School Teachers	State as a whole	22	3
10	36	Grant-in-aid to V. V. R. Institute, Hoshiarpur ..	Hoshiarpur	20	16 The amount of Rs 16,000 could not be reimbursed to the Institution due to non-receipt of audited account statements and utilization certificate from the Institution
11	1	Experimental projects in Secondary Schools i. e., L. R. Doaba Higher Secondary School, Jullundur 2. Dev Samaj Girls High School, Ferozepur City 3. Hindu Sabha Higher Secondary School, Amritsar	As in column 3	1	The amount was sent to the institutions direct by the Government of India
12	20	Educational and Vocational Guidance ..	State as a whole	16	4 The Government of India have accorded sanction to the utilization of the amount of Rs 16,000 during the year 1963-64 out of the grant of Rs 20,000 sanctioned during the year 1962-63
13	10	Establishment of Science Clubs in the following schools:— 1. Ashok Higher Secondary School, Sirhind (Patiala)	As in column 3	..	10 The payment was made direct to the institutions by the Government of India

2. Sian Das A. S. Higher Secondary School, Jullundur City

3. S. G. A. D. Khalsa Higher Secondary School, Tarn Taran, Amritsar

4. Government Junior Model School, Jullundur City

5. A. S. Higher Secondary School, Ambala City

6. S. D. S. E. Hr. School, Patiala

7. S. D. P. H. S., School, Ludhiana

8. Arya Higher Secondary School, Ludhiana

1963-64

1	18,16	Government of India Post Matric Scholarships for Scheduled Castes/Tribes and other Backward Classes Students	State as a whole	18.16	As mentioned against Serial No. I of N. P. Schemes for 1960-61
2	6	Award of Scholarships to the students of High and Higher Secondary Schools studying sanskrit	State as a whole	6	..
3	1	Award of Government of India Merit Scholarships in the Residential Schools-TA	Ditto	1	..
4	23	Campus Works Project ..	1. Bhatinda	5	..
			2. Ferozepur	2	..
			3. Patiala	9	..
			4. Jullundur	7	..
5	10	National Discipline and Physical Education ..	State as a whole	19	The amount is proposed to be utilized during 1964-65 as the sanction of the G. O. I. has been received in the last quarter of the year. The eligibility of the teachers for the payment of allowance has yet to be determined by the Department

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G.O.I.	Purpose for which sanctioned	Amount utilized district-wise		Amount surrendered
			Name of the District	Amount	
1	2	3	4(a)	4(b)	5
6	11	National Physical Efficiency Drive	State as a whole	6 3 likely to be spent	2
7	65	Organization of A. C.C. Labour and Social Service Camps	Ditto	35 being utilized	30
8	..	IX Prize Competition for Children literature ..	Ditto	6	The amount has been spent in the first instance from the resources of the State and is likely to be claimed from the G.O.I.
9	..	Publication of 15,000 copies of pamphlet 'School and Community' in Punjabi for distribution amongst the primary schools in the State	State as a whole	2	The amount has been spent in the first instance from the resources of the State and is later on to be claimed from the G.O.I.
10	22	Orientation of school teachers in Community Development of some primary schools in the neighbourhood of Training institutions	1. Gurdaspur	2	..
			2. Kapurthala	1	
			3. Amritsar	2	
			4. Rohtak	2	
			5. Mohindergarh	1	
			6. Jullundur	3	
			7. Kangra	2	
			8. Ludhiana	1	
			9. Ambala	2	
			10. Karnal	2	

			11. Ferozepur	1	
			12. Hoshiarpur	3	
			Total	22	
11	406	National Scholarship Scheme ..	State as a whole	259	147
12	44	Merit Scholarship for the children of Primary and Secondary school teachers	Ditto	83	11
13	..	Taking over of Vijnan Mandir, Nilokheri ..	The State Government has taken over this institution with effect from 1st April, 1963. The entire recurring expenditure on pay and allowances of the staff against the existing posts and on recurring contingent expenditure will be borne by the G.O.I. The non-recurring expenditure will be met by the State Government and adjusted against the grant -in-aid to be paid by the Central Government.		
14	10	Setting up of science clubs in High/ Higher Secondary Schools in the following 8 schools at the rate of Rs 1,200 per school :—	As in column	3	..

1. Government Higher Secondary School, Gurgaon
2. Government Model Higher Secondary School, Jullundur City
3. Government Model Higher Secondary School, Kurukshetra
4. Government Model Higher Secondary School, Subathu (Simla Hills)
5. Government Model Higher Secondary School, Sector 19, Chandigarh
6. Government High School, Dastpur (Gurdaspur)
7. Government High School, Bhawan garh (Sangrur)
8. Government High School, Jandiala Guru (Amritsar)

Note.—The Government of India also reimburse the amount on the following schemes :—

1. Development of education in the Scheduled Areas of Lahaul and Spiti.
2. Welfare of denotified Tribes (Vimukat Jatis— Award stipends)

Serial No.	Amount allocated sanctioned by G. O. I.	Purpose for which sanctioned	*Amount utilized district-wise* Name of the District	Amount	Amount surrendered
1	2	3	4(a)	4(b)	5
		3. Promotion of Education amongst educational Backward Classes —Award of Scholarships.			
		The amount reimbursed by the G.O.I. is credited into the Treasury in favour of the Welfare Department and not to the Education Department though the expenditure on these schemes is incurred by the Education Department in the first instance.			
		Non-Plan/Centrally-sponsored Schemes (other than State Plan Schemes)—1960-61			
1	17, 86	Government of India Post-matric Scholarships for Scheduled Castes/Tribes and Other Backward Classes students	State as a whole	17,86	As the scheme is unbreakable and the scholarships are awarded to eligible students belonging to the Punjab State and studying in any Post-matric Institution throughout India the district-wise break-up of the amount utilized cannot be worked out
2	69	Campus Works Project ..	1. Ferozepur	14	
			2. Bhatinda	10	
			3. Hoshiarpur	9	
			4. Patiala	20	
			5. Jullundur	6	
				59	10 Rohtak

Removal of Sarpanch of Village Urdan, tehsil Rajpura, district Patiala

1546. Comrade Ram Chandra : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is fact that Government have removed Shri Gobind Ram, Sarpanch of village Urdan, tehsil Rajpura, district Patiala ;

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the grounds and the date of the removal of the said Sarpanch ;

(c) whether the said Sarpanch has handed over charge of the record and cash to the New Sarpanch, if not, the action taken by the Government in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) (i) Tampering with the file Shama Ram *versus* Devi Dayal.

(ii) Alleged misappropriation of Panchayat funds.

(iii) Use of Panchayat Radio at his house.

(iv) 18th December, 1963.

(c) Yes.

Reclamation of Uncultivable Area

1547. Chaudhri Ran Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the area rendered unfit by excessive rains and floods in the State together with the area reclaimed by the Government and made fit for cultivation in the State district-wise ;

(b) the total area which is not fit for cultivation at present district-wise ;

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to reclaim the area referred to in part (b) above ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) The information is not readily available.

(b) The area affected by Thur and Sem district-wise is as below:—

Serial No.	Name of District		Area in acres	
			Thur	Sem
1	Amritsar	..	61,585	2,291
2	Ferozepore	..	23,859	657
3	Gurdaspur	..	12,410	5,990
4	Jullundur	..	2,836	773
5	Ludhiana	..	1,633	2,945
6	Hoshiarpur	..	..	126
7	Kapurthala	..	3,098	812
8	Karnal	..	94,277	2,215
9	Rohtak	..	33,012	821
10	Hissar	..	6,850	878
11	Ambala	..	203	1,372
12	Gurgaon	..	31,817	1,101
13	Sangrur	..	17,338	18,467
14	Patiala	..	7,390	2,812
15	Bhatinda	..	53	531
	Total	..	288,388	41,791

[Irrigation and Power Minister]

(c) Drains and embankments are being constructed to reclaim the area rendered unfit for cultivation as a first step.

Electric Connections for Tube-wells in Malerkotla and Dhuri, District Sangrur

1548. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number and names of applicants, village-wise, whose applications for electric connections for tube-wells for agricultural purposes are pending for more than six months in the offices of S.D.O. (Elecy.) in Malerkotla and Dhuri in district Sangrur ?

Chaudhri Ranbir Singh : The requisite information is given at Appendix 'A'.

APPENDIX "A"

Serial No.	Name of the applicant	Village
	MALERKOTLA SUB-DIVISION	
1	Shri Jaswant Singh	.. Changli
2	Shri Onqar Sain	.. Do
3	Shri Parmjit Singh	.. Do
4	Shri Om Parkash	.. Katron
5	Shri Chand Singh	.. Sherpur
6	Shri Naranjan Singh	.. Do
7	Shri Narain Singh	.. Bhaini
8	Shri Harnaik Singh	.. Bagrian
9	Shri Gurbachan Singh	.. Do
10	Shri Narain Singh	.. Langrian
11	Shri Bachan Singh	.. Langrian Gagu Majra
12	Shri Virk Singh	.. Ditto
13	Shri Ravinder Singh	.. Ditto
14	Shri Baldev Singh	.. Ditto
15	Shri Gurnam Singh	.. Ditto
16	Shri Hari Singh	.. Ditto
17	Shri Sawarn Singh	.. Ditto

Serial No.	Name of the applicant	Village
	SUB-DIVISION MALERKOTLA	
18	Shri Hari Singh	.. Langrian Gagu Majra
19	Shri Arjan Singh	.. Ditto
20	Shri Rattan Singh	.. Jhull
21	Shri Mohinder Singh	.. Chanuda
22	Shri Harbans Singh	.. Do
23	Shri Sucha Singh	.. Do
24	Shri Sardara Singh	.. Do
25	Shri Parkash Nand	.. Do
26	Shri Naranjan Singh	.. Jalalgarh
27	Shri Bachan Singh	.. Do
28	Shri Jagjit Singh	.. Do
29	Shri Gurdial Singh	.. Do
30	Shri Harnam Singh	.. Do
31	Shri Kartar Singh	.. Do
32	Shri Lal Singh	.. Do
33	Shri Teja Singh	.. Do
34	Shri Sucha Singh	.. Bhamri
35	Shri Pirthi Singh	.. Do
36	Shri Mehr Singh	.. Do
37	Shri Gian Singh	.. Do
38	Shri Amar Singh	.. Do
39	Shri Rur Singh	.. Do
40	Shri Ajaib Singh	.. Do
41	Shri Prem Singh	.. Thakar Kalan
42	Shri Harnam Singh	.. Ditto
43	Shri Nachhatar Singh	.. Ditto
44	Pandit Kishan Ram	.. Ditto
45	Shri Dala Singh	.. Ditto
46	Shri Tarlok Singh	.. Ditto
47	Shri Sohan Singh	.. Ahmdabad
48	Shri Mal Singh	.. Do
49	Shri Gian Chand	.. Do

[Irrigation and Power Minister]

Serial No.	Name of the Applicant	Village
50	Shri Gujar Singh	.. Mohamadpur
51	Shri Randhir Singh	.. Adamwal
52	Shri Mukand Singh	.. Uppal Kheri
53	Shri Joginder Singh	.. Do
54	Shri Kinder Singh	.. Bheni
55	Shri Santa Singh	.. Hintana
56	Shri Gulzar Singh	.. Hathan
57	Shri Kartar Singh	.. Do
58	Shri Shamsher Singh	.. Mohaurana
59	Shri Balvinder Singh	.. Rur Garh
60	Shri Sukhdev Singh	.. Do
61	Shri Ujjagar Singh	.. Issapur
62	Shri Sobha Singh	.. Do
63	Shri Ganda Singh	.. Bamal
64	Shri Ganda Singh	.. Do
65	Shri Gurdial Singh	.. Do
66	Shri Nagahia Singh	.. Do
67	Shri Labh Singh	.. Kaleran
68	Shri Bachan Singh	.. Do
69	Shri Teja Singh	.. Dalil Garh
70	Shri Bhan Singh	.. Pharwahi
71	Shri Narain Singh	.. Do
72	Shri Lal Singh	.. Do
73	Shri Dalip Singh	.. Do
74	Shri Chanan Singh	.. Do
75	Shri Mohinder Singh	.. Sangala
76	Shri Dalip Singh	.. Do
77	Shri Surjan Singh	.. Do
78	Shri Mukand Singh	.. Do
79	Shri Bachan Singh	.. Do
80	Shri Achhar Singh	.. Gawaran
81	Shri Chand Singh	.. Bamboran

Serial No.	Name of the applicant	Village
	SUB-DIVISION DHURI	
1	Shri Daulat Ram	.. Pedni
2	Shri Gurdev Singh	.. Do
3	Shri Kehar Singh	.. Do
4	Shri Kartar Singh	.. Do
5	Shri Jang Singh	.. Do
6	Giani Nand Singh	.. Bhasur
7	Shri Amrik Singh	.. Do
8	Factory Panchayat Khalsa Diwan	.. Do
9	Shri Niranjan Singh	.. Changal
10	Shri Gurdial Singh	.. Do
11	Shri Khazan Singh	.. Do
12	Shri Bhagwan Singh	.. Benra
13	Shri Besheshar Dass	.. Do

Harijans Benefited by the Land Purchase Scheme in 1963-64 in District Sangrur

1549. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Local Government and Welfare be pleased to state the names of the Harijans in district Sangrur who were benefited during the year 1963-64 by the Land Purchase Scheme of the Government ?

Sardar Gurbanta Singh : The information is as follows:—

List of persons who were settled on land during 1963-64 in Sangrur District

1. Shri Kirpal Singh.
2. Shri Gurdial Singh.
3. Shri Naranjan Singh.
4. Shri Hazura Singh.
5. Shri Sher Singh.
6. Shri Hari Singh.
7. Shri Dalip Singh.
8. Shri Arjan Singh.
9. Shri Uttam Singh.
10. Shri Nand Singh
11. Shri Bachan Singh.
12. Shri Teja Singh.
13. Shri Lakhmi.
14. Shri Darshan Singh.
15. Shri Bhagwan Singh.
16. Shri Piara Singh.
17. Shri Uttam Singh.
18. Shri Jagir Singh.
19. Shri Puran Singh.
20. Shri Moola Ram.
21. Shri Surjan Singh.
22. Shri Arjan Singh.
23. Shri Gajjan Singh.

[Local Government and Welfare Minister]

24. Shri Bhagat Singh.
25. Shri Mohinder Singh.
26. Shri Inder Singh.
27. Shri Bhag Singh.
28. Shri Sadhu Singh.
29. Shri Jit Singh.
30. Shri Harnek Singh.
31. Shri Surjan Singh.
32. Shri Bhajan Singh.
33. Shri Harnek Singh.
34. Shri Kishna.
35. Shri Kesar Singh.
36. Shri Ujagar Singh.
37. Shri Pritam Singh.
38. Shri Sadhu Singh.
39. Shri Budh Singh.
40. Shri Gurdial Singh.
41. Shri Kaka Singh
42. Shri Pritam Singh.
43. Shri Jagir Singh.
44. Shri Chanan Singh.
45. Shri Jarnail Singh.
46. Shri Amar Singh.

Complaint from the Engineering Workers Union, Patiala

1552. Comrade Babu Singh Master : Will the Home Minister be pleased to state whether the Assistant Director, Health Services (Social Insurance), received complaints from the Engineering Workers Union, Patiala, against the Beegee Group of Industries, Patiala, in 1964 if so, the details of the action taken thereon ?

Shri Mohan Lal : Yes. 352 declaration forms were received by the Regional Director from the Beegee Group of Industries, Patiala in 1964 and 334 Identity Cards were sent to the employer in respect of the insured persons. Identity Cards in respect of 18 declaration forms received in February, 1964 will be sent by the end of April, 1964 as the Identity Cards are to be issued after completion of 13 weeks of continuous service.

Amount spent by Village Panchayat Saloh, Thana Una, on a Contempt Petition

1553. Thakur Mehar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total amount spent by the Panchayat of village Saloh, thana Una, district Hoshiarpur, in the contempt of court petititon filed by the proprietors of that village in the High Court against it, on:—
  (i) the fee of the counsel ;
  (ii) copying charges ;
  (iii) T.A. of the Sarpanch, two Panches and the Secretary of the Panchayat ;
  (iv) any other charges ;
(b) whether this amount was paid out of the Panchayat funds, if so, the reasons therefor and the action, if any, proposed to be taken against the said Panchayat ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Rs 555.00 only.

(i) Rs 363.00.
(ii) Nil.
(iii) Rs 192.00.
(iv) Nil.

(b) Yes. The case was Proprietors *Versus* Gram Panchayat. The Sarpanch, two Panches and the Secretary attended Punjab High Court thrice, as per summons by the High Court, in the capacity of respondents. The expenditure being valid charge no action is proposed to be taken.

Articles purchased by Village Panchayat, Saloh, Tehsil Una, for use of Police Officials stationed there

1554. Thakur Mehar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Panchayat of village Saloh, thana Una, district Hoshiarpur, purchased charpais, bedsheets, cloth and cotton for quilts, pitchers and tea spoons out of the Panchayat funds in October, 1963 for the use of Police Head Constable and three Constables stationed in that village between October, 1963 and December, 1963 ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the total amount paid for the said articles, the transport charges for charpais, bus fare paid to the person who brought these articles from Hoshiarpur or elsewhere to the said village and the charges for getting the quilts prepared and for white-washing the sarai and carrying out repairs for making the sarai fit for use of the police officials;

(c) whether the expenditure referred to in part (a) above was met out of the Panchayat funds, if so, the reasons therefor and the action, if any, proposed to be taken against the said Panchayat ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No. The Gram Panchayat, Saloh in pursuance of a resolution passed by it on Ist June, 1963 purchased the following articles on 17th September, 1963 when there was no police in that village :

(i) Charpais	..	5
(ii) Complete bed with sheets and pillow covers		5
(iii) Quilt	..	1

(b) No. The cost of above-mentioned articles is given below:

(i) Rs 60.00 nP.

(ii) Rs 61.41 nP.

(iii) Rs 14.00 nP.

(iv) Freight charges from Hoshiarpur to Saloh .. Rs 7.98 nP.

(v) No amount was spent by the Gram Panchayat for the repair of Sarai for the use of Police.

(c) The amount was spent from the Gram Panchayat funds for the use of visitors etc.

Trade Union functioning in Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda

1555. Comrade Babu Singh Master : Will the Chief Minister be pleased to state whether any trade union is functioning in the Morinda Co-operative Sugar Mills Ltd., Morinda, if so, a list of its members and office-bearers be laid on the Table of the House ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes. A list of the office-bearers of the Chini Mills Mazdoor Union, Morinda, according to the application for registration is as follows :

Designation		*Name*
1. President	..	Shri Sagli Ram Khanna
2. Vice-President	..	Shri Dhanna Singh
3. General Secretary	..	Shri Tejendar Singh

[Chief Minister]

	Designation		*Name*
4.	Joint Secretary	..	Shri Ram Dass Shri Joginder Singh
5.	Propaganda Secretary	..	Shri Rawnaq Singh
6.	Cashier	..	Shri Jagdish Chander Sharma
7.	Office Secretary	..	Shri Ujjagar Singh

The list of the members is not available.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER
SUPPLEMENTARIES TO SHORT NOTICE QUESTION No. *5814

3.00 P.M.

Mr. Speaker : Now the hon. Members can put supplementaries to Short Notice Question No. *5814.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सरकार ने ऐडीबल आयल्ज़ पर सेलज़ टैक्स वापस लिया था उसके बारे में यह डिसीज़न कैसे लिया गया है ?

एक्साइज़, टेक्सेशन तथा राजधानी मन्त्री : सरकार ने यह वैसे ही वापस नहीं ले लिया था। हाई कोर्ट ने जो इस बारे में फैसला दिया उसके तहत, जो पहले नोटीफिकेशन हुई थी वह उस के साथ इल्लीगल डिक्लेयर हो गई थी। इसके साथ आटोमैटीकली ऐडीबल आयल्ज़ पर सेल्ज़ टैक्स एग्ज़ेम्प्ट हो गया है ?

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिस वक्त लोगों ने डीपार्टमेंट के अफ़सरान के पास डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और कमिश्नर लैवल पर रीप्रीजेंटेशन दी और उन से क्लैरीफिकेशन मांगी तो सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कलैरीफिकेशन नहीं दी कि आया वे इन तेलों पर टैक्स इकट्ठा करें या न करें। तो अगर उन्होंने इकट्ठा किया है तो उसके बारे में सरकार का डिसीज़न क्या है ?

मन्त्री : जब हाई कोर्ट का यह फैसला मेरे नोटिस में आया तो मैंने उसी वक्त प्रेस नोट इशू कर दिया था कि सरसों, तोरिए और तिलों के तेल पर जो सेल्ज़ टैक्स लगा हुआ है, वह व्यापारी लोग वसूल न करें और गवर्नमेंट भी उन से वसूल नहीं करेगी।

Shri Ram Kishen : Will the Minister for Excise, Taxation and Capital be pleased to state if the assessees have been making repeated requests to the Commissioner and the Financial Commissioner to refer this point of law to the High Court so that a decision could be made on a permanent basis ?

Minister : They took some proceedings in the High Court. The High Court wanted a statement to be made and a statement was made. Thereupon a ruling had come.

**Note.*—Short Notice Question No. 5814 along with its reply appears in P.V.S. Debates, Vol. I, No. 25, dated the 25th April, 1964 (Morning sitting.)

Shri Ram Kishan : May I know from the Excise-Taxation and Capital Minister if the Financial Commissioner refused to refer this point of law to the High Court and then the assessees went to the High Court whereafter the decision was made. What is the loss incurred by the Government after that decision ?

Minister : I need notice.

Shri Ram Kishan : Will the Excise-Taxation and Capital Minister be pleased to state if the Government have issued any instructions to repay the revenues which have been collected from the dealers ?

Minister : No instructions have been issued except that the judgement should be observed.

Pandit Ch ranji Lal Sharma : May I know from the Minister for Excise-Taxation and Capital if the Government should refer the point of law to the Legal Remembrancer, Advocate-General or the High Court?

Minister : The hon. Member should refer to the Sales Tax Act provisions. References are made under those provisions.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ? ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

मंत्री : अगर वह एप्लीकेशन्ज़ दे देंगे तो उन के केसिज़ के मैरिट्स को देख कर फैसला कर दिया जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੇਰਾ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ?

मंत्री : इस के लिये मैं कमिट नहीं कर सकता क्योंकि हरेक केस का मैरिट्स पर डिसीज़न होता है। मान लें कि कोई रिफंड के लिये अपनी एप्लीकेशन देता है तो उस लिये देखना होता है कि जो फार्मैलिटीज़ उस ने पूरी करनी थीं वह उस में की हुई हैं या नहीं की हुईं । उस को देख कर ही फैसला किया जाता है। They will be considered.

Shri Ram Kishan : This case is under consideration. May I know if the High Court has refused to give special leave to the Government for appeal ? What action is being taken by the Government in view of this refusal ?

Minister : Action regarding what ?

Shri Ram Kishan : Action regarding the payment of arrears.

Minister : I have already stated that the judgment of the High Court is binding on us. We will comply with that.

Shri Ram Kishan : May I know from the Excise-Taxation and Capital Minister if the Excise and Taxation Commissioner has issued any instructions to his subordinates that no tax be repaid ? What is the position of the Government ?

Minister : I need notice. I do not know at this moment whether the Excise and Taxation Commissioner has issued any instructions or not.

श्री बलरामजी दास टंडन : अभी मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि उन्होंने इनस्ट्रक्शन्ज़ दे दी हैं कि एडीबल आयल्ज़ पर सेल्ज़ टैक्स इकट्ठा न किया जाए लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की जजमैंट इन पर बाईंडिंग है। इन का फैसला यह था कि एडीबल आयल्ज़ सेल्ज़ टैक्स से ऐग्जैम्ट नहीं होने चाहिए लेकिन जो हाईकोर्ट की जजमैंट है उस में यह लिखा हुआ है:—

> "The Punjab High Court in the Sales Tax Reference No. 4 of 1961—M/s Ganga Ram Suraj Prakash, Jullundur and in similar others has held on October 24, 1962, that the Punjab Government notification of August, 1954, by which the exemption on edible oil extracted from sarson, til and toria was withdrawn was *ultra vires* meaning thereby that the exemption of edible oils extracted from sarson, til and toria from the payment of sales tax continued as heretofore."

तो इस के लिये मैं मनिस्टिर साहिब से इस बात की क्लैरीफिकेशन चाहता हूं कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शशन्ज डिपार्टमेंट को दी हैं क्या वह यहीं हैं कि सेल्ज़ टैक्स चार्ज न किया जाए ?

मंत्री : पहले जो नोटिफिकेशन थी उस का असर तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गया था। इसलिये बाद में यह नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि इन तेलों पर सेल्ज़ टैक्स चार्ज न किया जाये।

ADJOURNMENT MOTIONS, ETC.

Mr. Speaker : Now we pass on to adjournment motions, etc.

Sardar Gurnam Singh : May I suggest that these adjournment motions, etc., given notice of by various hon. Members be postponed for two days. We may straightaway proceed with the discussion of the No-Confidence Motion against the Ministry as a whole.

Mr. Speaker : Personally, I feel that the adjournment motions, call attention notice, etc., can even be discussed during the course of discussion on the No-Confidence Motion. I suggested this to Comrade Shamsher Singh Josh when he met me in my Chamber and if the House agrees, these motions can be discussed during the course of discussion on the No-Confidence Motion.

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरी एक प्रिविलिज मोशन है आप उस को अब ले लें और जो बाकी की मोशन्ज़ है उन को आप पोस्टपोन कर दें। मेरी मोशन यह है :

Sir, I want to raise the following question of privilege..........

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, if our viewpoint is to be taken into consideration, either these motions should be deferred till tomorrow, otherwise they must be taken up to-day. We will take the shortest possible time of the House.

Mr. Speaker : Either they will be deemed to have been considered to-day because they can be discussed during the course of discussion on the No-Confidence Motion or they will be dealt with to-day.

Comrade Shamsher Singh Josh : These may be dealt with to-day.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely 'the failure of the Punjab Government to hold inquiry and take action against Dr. Gulati, Assistant Professor,

Neuro Surgery, Medical Research Institute, Chandigarh, who had as a result of unsuccessful brain operation rendered blind Mrs. Surjit Kaur, a young lady belonging to village Boothgarh in Rupar Constituency and also rendered blind and unconscious another young lady, Raminder Kaur, wife of a Civil Secretariat employee whom also he operated upon. She is lying blind and unconscious even now in the General Hospital, Chandigarh.

These two and many other such cases at the hands of this doctor have brought the Medical Research Institute in great disrepute and grave misapprehensions about treatment in the Medical Institute have been created in the minds of patients undergoing treatment in the Institute.

Instead of taking any action against the above doctor, his pay has been increased to Rs 1,700 per mensem instead of Rs 1,300 per mensem.

No compensation has been paid to the victims of his medical inexperience and inefficiency.

श्री अध्यक्ष : सरदार शमशेर सिंह जी, आप ने एक डाक्टर के एक ओपरेशन के बारे में कहा है लेकिन यह मालूम नहीं कि कितने ओपरेशन उस डाक्टर ने किये हैं और उन में से कितने कामयाब हुए हैं। It is not a matter of recent occurrence. If we are going to consider the conduct of each officer, then I think it is not the proper forum. (The hon. Member Comrade Shamsher Singh has quoted only one case. He has not mentioned as to how many operations have been performed by that Doctor and in how many cases his operations have proved successful. It is not a matter of recent occurrence. If we are going to consider the conduct of each officer, then I think it is not the proper forum.)

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I agree with this but Mrs. Surjit Kaur is the wife of a Military man.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, सर। चीफ मिनिसटर साहिब की मिसस्टेटमेंट के बारे में एक प्रिविलेज मोशन थी. . . .

श्री अध्यक्ष : वह आयगी। (It will come before the House.)

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, my second adjournment motion relates to the decision taken by the Punjab University Senate in not holding an enquiry into the death of Romesh Bhalla. I have drawn the attention of the Government and the Education Minister that serious situation has been created because the student has committed suicide and the Senate is not even prepared to hold an enquiry. Sir, I request that the Punjab Government should come in the picture to do justice with the students.

Mr. Speaker : Let the hon. Home Minister try to find out if the inquest report has been completed and also whether the Senate has taken any decision without waiting for the inquest report.

Home Minister : The hon. Member, Sardar Gurdial Singh Dhillon, may be in a better position to explain this. I have read the proceedings of the meeting of the Senate in the Press only. But the hon. Member Sardar Gurdial Singh Dhillon was there in the meeting of the Senate and he can take the House into confidence. He may have more information with him. We shall look into the matter whether intervention of the Government in

[Home Minister]

the proceedings of the meeting of the Punjab University Senate is legal, justified, etc. I have not received any report about the completion of the inquest in regard to the death of the boy.

Sardar Gurnam Singh : Let us wait for that.

Mr. Speaker : This adjournment motion and the other adjournment motion on this very subject are kept pending till the inquest report comes. Let the hon. Home Minister find out whether the inquest report has been completed or not.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਣ. . . .

Mr. Speaker : The hon. Member cannot bind the Officer who is enquiring into the matter.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

Home Minister : Sir, he acts as a Court. The Government can issue no instructions to the Court. All I wish is that it should be expedited. No instructions on the subject can be issued.

Mr. Speaker : The next adjournment motion has been given notice of by Comrade Babu Singh Master.

Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, acute crises faced by the Foundry Industry in Punjab due to the shortage of m lasses and great difficulty in getting adequate supplies of pig iron.

Mr. Speaker : It is disallowed. ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਅਕਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (It is disallowed. This matter has already been raised in the House in the form of an Adjournment Motion. It is not of recent occurrence also.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਗਲ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : I know it. The matter has been pending for a very long time. It has been the subject-matter of a previous adjournment motion also. A statement has come.

The next adjournment motion (No. 4) has been given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I do not press it in view of the discussion that is going to take place on the No-Confidence Motion to-day.

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the situation created by the Municipal authorities of Jandiala Guru and Amritsar, Tarn Taran, Patti, etc., by not obeying the orders of the State to increase the pays of their sweepers up to Rs 85 as ordered by the State Government. This i

their clear disobedience. Therefore, the above-mentioned Municipalities be suspended with immediate effect and Government should take direct steps to increase the pay of the sweepers.

Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may like to find out the facts. What are the directions of the Government ? The Minister has already made a statement about this matter.

What the Government's directive in this motter?

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਪਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਰੀਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Mr. Speaker : So, it is disallowed.

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਮਿਉਂਨਿਸਪਲ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ. . . . .

Mr. Speaker : This is no point of order.

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ: ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ . .

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

(The hon. Member must have heard the hon. Minister's reply that the Government cannot issue a directive.)

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the implications on our State of the open clash of U.P. Vidhan Sabha and the U.P. High Court regarding the issue of 7 days conviction of Shri Keshav Singh, M.L.A. (Socialist), by the U.P. Vidhan Sabha and then there is interference in the House's business by the U.P. High Court. This is a historic clash due to open contempt of the House. This issue have implications on us also, therefore, must be discussed.

Mr. Speaker : So far as the sentiments contained in this motion are concerned, the whole House may agree with this. I share these sentiments too. But I think we are not competent to discuss the issue. It is a matter between the U.P. Vidhan Sabha and U.P. Judiciary. This issue relates to the privileges of the House and does not form the subject-matter of an adjournment motion. In view of the fact that the President of India has referred the matter to the Supreme Court, it should not be discussed.

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ * ਤਹਿਰੀਕ ਇਲਤਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜਗਤਜੀਤ ਮਿਲ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈ ਬੈਜ ਨਾਥ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਕਰਕੇ ਹੋਈ (ਵਿਘਨ)।

---

*Shri Om Parkash Agnihotri, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the death of Shri Baij Nath Sharma Switch Board Attendant, Electrical Branch of Jagtjit Sugar Mill, Phagwara, due to the negligence of management and Electricity Department. Punjab. The leakage of wires reported to be from the last two months. His death through electric shock is due to the negligence of management etc. There is much resentment among workers, therefore, must be discussed.

Mr. Speaker : There should be no discussion. The hon. Member should please give the facts only.

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਉਸ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। (ਵਿਘਨ) ਵਾਇਰਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. . . . ।

Mr. Speaker : There should be no speech.

This matter does not directly relate to the Government. Therefore, it cannot form the basis of the adjournment motion. If there is any negligence on the part of the management, there are remedies available to the person(s) affected.

The next adjournment motion has been given notice of by Comrade Makhan Singh Tarsikka.

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the naked interference by the ruling party in the affairs of Municipal elections, Chheharta, which is going to be held in May, 1964.

The voters list is finalised in March, 1964, and there are eleven wards (two double and nine single).

(I) Single Ward 9 has 1194 votes and Single Ward 3 has 276 votes.

(II) Single Ward 10 has 286 votes and Single Ward 11 has 444 votes.

The above-mentioned demarcation of wards is a clear interference in the affairs of Communist controlled Municipal Committee. The President of the Municipal Committee drew the attention of the Director, Local Bodies, but up to this, nothing has been done. Elections are coming in the next month. Therefore, must be discussed.

Mr. Speaker : The hon. Minister concerned may like to verify the facts.

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਜ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਬਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, 7-8 ਤਰੀਕ ਤਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਵਿਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ।

Mr. Speaker : It is ruled out of order.

Adjournment Motion at serial No. 9 has been given notice of by Comrade Bhan Singh Bhaura. It was received at 1.30 P.M. Therefore, it cannot be taken up to-day. Moreover, the hon. Member Comrade Bhan Singh Bhaura is not present in his seat.

The Adjournment Motion at Serial No. 10 has been given notice of by Shri Mangal Sein.

Shri Mangal Sein : Sir, I beg to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, Shri Nanak Chand Nagpal, a Journahalist of Sunam, district Sangrur, has been threatened by the murderer of hi

(Shri Nanak Chand's) wife and child that he should not make efforts to get the murderers of his wife arrested otherwise he will also be murdered. The culprit's brother is also a party in giving this threat. This is a recent occurrence and is a proof of the laxity on the part of the administration in Sangrur district. The law and order situation there is deteriorating and, therefore, it is a matter of general public importance.

स्पीकर साहिब, मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता । इतना ही अर्ज करूंगा कि 10 महीने पहले कत्ल कर दिया गया इनकी बीवी और बच्चों को और अब इस को धमकियां दी जा रही हैं । और गवर्नमेंट कोई ऐक्शन नहीं लेना चाहती । होम मिनिस्टर को इस बारे में स्टेटमेंट देनी चाहिए और इस मामले को हाऊस में डिस्कस करना चाहिये ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह बहुत संगीन मामला है । इस पर विचार होना चाहिये । आई. जी. को भी कहा गया कि उसे धमकी दी जा रही है कि तुम्हें कतल कर देंगे और कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गई ।

Mr. Speaker : No discussion or speech please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ; ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ।

श्री मंगल सेन: किसी का सरे आम कतल हो गया और खुले आम धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें कतल कर देंगे और यह कुछ ऐक्शन नहीं लेना चाहते ।

Mr. Speaker : The hon. Member may please resume his seat. I will not allow any discussion on it. The hon. Member should realize that the matter is *sub judice*.

श्री मंगल सेन : जनाब, यह तो इन्क्वायरी नहीं करवा रहे और यह केस सब जुडिस नहीं है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह संगीन मामला है, कतल किये गये और केस रजिस्टर नहीं किया गया । टेप रिकार्ड की कापी भी आई. जी. को भेजी गई है । इस को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए ।

Mr. Speaker : No speech please. The hon. Member may discuss it while speaking on the No-Confidence Motion.

श्री बलरामजी दास टंडन : यह मामला सीरियस है और इसे डिस्कस करना चाहिये ।

Mr. Speaker : The hon. Member may please resume his seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : जनाब, इस बात को No-confidence motion में कैसे लाया जा सकता है ? यह तो Breach of law and order है । इस मोशन के अन्दर तो जनरल बातें नहीं आ सकतीं । इस नो-कन्फीडेंस में तो मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चार्जिज ही बेस बन सकते हैं डिस्कशन के और यह मामला तो ला एंड आर्डर का है ।

Mr. Speaker : No, no, please. Next motion please.

श्री मंगल सेन : On a Point of Order, Sir. मैं आपका रूलिंग चाहता हूं यहां पर Rules of Procedure में है कि अगर कोई बात रीसेंट आकरेंस की हो तो मेम्बरों को हक है कि एडजर्नमेंट मोशन के जरिये से हाऊस के नार्मल बिजनेस को सस्पैंड करने और उस मामले को डिस्कस करने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर यह मेरी motion in order है तो आप इस के हक में वोट ले लें; अगर 25 मैम्बर खड़े हो जायें तो इस के लिये दो घंटे का समय निश्चित कर दीजिये। कोई कारण नहीं जिस से आप मुझे रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो मोशन है इस के बारे में मैं ने रूलिंग दे दिया है, वैसे मैं ने एडजर्नमेंट मोशन्ज़ के बारे में सरदार हुकम सिंह, स्पीकर, लोक सभा से बात की थी तो उन्हों ने बताया था कि लोक सभा में कोई ऐसा तरीका नहीं कि एडजर्नमेंट मोशन को पढ़ा जाय। यह उनके चेम्बर में पहले डिस्कस होती है। तो मैं यह चाहता हूं कि आपोजीशन के लीडर भी इस कन्वेनशन को फालो करें। I do not want to take an abrupt decision in this connection. I would like to discuss the matter with the Leader of Opposition, other Leaders of Groups and the Government side. I would like to follow the precedents and conventions of the Lok Sabha. This is a matter which can be taken up during the discussion on the No-Confidence Motion. So, I am dis-allowing it. (I have already given the Ruling on this motion. I, however, consulted Sardar Hukam Singh, the Speaker, Lok Sabha, about the procedure of adjournment motions. He told me that there is no such procedure in the Lok Sabha to allow the hon. Members to read their adjournment motions ; these are discussed in the Chamber of the Speaker in the first instance. Now I wish that the Leader of the Opposition may also follow the procedure of the Lok Sabha I do not want to take an abrupt decision in this connection. I would like to discuss the matter with the Leader of Opposition, other Leaders of Groups and the Government side. I would like to follow the precedents and conventions of the Lok Sabha. This is a matter which can be taken up during the dicussion on the No-Confidence Motion. So, I am dis-allowing it.)

श्री मंगल सेन : यह बात मन्त्रि मण्डल के विरुद्ध नहीं है। यह तो महकमें के विरुद्ध है। महकमा की नेग्लीजेंस की बात है। मामला तो यह है और यह नो कान्फीडेंस मोशन में कैसे आ सकता है ? यह वाजब बात है कि होम मिनिस्टर इसके बारे में हाउस को बताएं।

Mr. Speaker : Please sit down. I have disallowed the motion.

श्री मंगल सेन : मैं आप का रूलिंग चाहता हूं। (विघ्न)

Mr. Speaker : The hon. Member is not following the correct procedure. He should resume his seat, otherwise I will have to name him.

श्री जगन्न नाथ : On a point of order, Sir. आपने रूलिंग दिया है कि लोक सभा की कन्वेनशन्ज को मानना चाहिए। तो मैं यह पूछता हूं कि डिप्टी स्पीकर को स्पीकर बनाने की जो कन्वेनशन है उसे क्यों नहीं माना गया ?

Mr. Speaker : Please sit down. This is no point of Order.

QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Balramji Das Tandon : Sir, I beg to move the privilege motion that in spite of repeated statements of Chief Minister in the House that no tickets of any entertainment will be sold through the Government officers in the State except that of Red Cross or Small Savings; this statement of the Chief Minister is a wrong statement as nothing has been done in this direction to stop it. As this House has been misinformed by the Chief Minister many times and as such the privileges of the House have been seriously affected, hence the motion be referred to Privileges Committee.

Mr. Speaker : I will not allow discussion on the motion, unless it is admitted by the House.

Shri Balramji Das Tandon : I am putting the case before you, Sir, in support of my motion.

Mr. Speaker : That is a discussion on the motion which I will not allow.

Shri Balramji Das Tandon : The Chief Minister made a certain policy statement that officers will not make any collections or sell tickets for entertainment purposes, except for Red Cross or Small Savings purposes. The officers are not following that policy. So the Chief Minister made a wrong statement in this connection.

Mr. Speaker : There is no question of any wrong statement having been made by the Chief Minister. If the officers are, however, not following that policy, you may bring that fact to the notice of the Government so that proper action is taken thereon.

श्री बलरामजी दास टंडन : * * * *

Mr. Speaker : If the hon. Member feels that a certain policy of the Government is not being implemented, he can refer to that during the course of discussion on the No-Confidence Motion.

Shri Balramji Das Tandon : Sir, a wrong information has been given to the House.

Mr. Speaker : It is not a question of giving wrong information. The Government made a policy statement on the floor of the House.

श्री बलरामजी दास टंडन : * * * *

Mr. Speaker : I would again advise the hon. Member to discuss the matter while speaking on the No-Confidence Motion.

श्री बलरामजी दास टंडन : * * * *

Mr. Speaker : The hon. Member should resume his seat.

श्री बलरामजी दास टंडन : * * * *

Mr. Speaker : The hon. Member has read his privilege motion and I have already given my finding thereon. I repeat the same. If a policy statement made by the Chief Minister is not followed by his officers, then there are two courses open. The first is to censure the conduct of Government, as is being done during the course of discussion on the No-Confidence Motion. There is no other method. Secondly, instances can be brought to the notice of the Government, where officers are not following such a policy statement. There is no question of any wrong statement having been made by the Chief Minister. The hon. Members are free to criticise the Government for not implementing any policy decision announced by the Ministers.

श्री बलरामजी दास टंडन : * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : Motion को पढ़ने के इलावा जो कुछ श्री टंडन ने कहा है that will not form part of the records. (Whatever has been said by Shri Balramji Dass Tandon, except the reading of the motion, will not form part of the records.)

**Note.*—Expunged as ordered by the Chair.

श्री बलरामजी दास टंडन : That is wrong. इस तरह की बातें नहीं चल सकतीं । मैं ने तो जो कुछ कहा है उसका मतलब यह नहीं है कि जैसी मर्जी हो, यह करें । आपने मुझे इजाजत दी है और मैं ने मोशन पढ़ दी है ।

Dr. Baldev Parkash : That is, Sir, definitely a mis-statement and a clear breach of privilege. I want your ruling thereon.

Mr. Speaker : I would like to go through the statement of the Chief Minister to see whether he has stated that necessary instructions in this connection have been issued.

Dr. Baldev Parkash : It means, Sir, that you are not giving your final decision in the matter.

Mr. Speaker : I shall discuss the matter with the mover.

Dr. Baldev Parkash : I want to know, Sir, whether you have given your ruling or not.

Mr. Speaker : So far as this privilege motion is concerned I have already said that I have disallowed it.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. आप ने अभी कहा है कि गवर्नमेंट ने जो इन्सट्रक्शन्ज़ इशू कर दीं तो इससे कोई गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । मैं कहता हूं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जब ऐसी इन्सट्रक्शन्ज़ दीं ही नहीं तो यह रौंग स्टेटमैंट है ।

श्री अध्यक्ष : यह रौंग स्टेटमेंट कैसे है ? (How can it be a wrong statement?)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टिर ने हाउस के अन्दर यह स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की हिदायात के मुताबिक यह इन्सट्रक्शन्ज़ इशू की गईं कि कोर्ट्स की हदूद के अन्दर कोई भी रैडक्रास के टिकट या और कोई फंड्ज़ के टिकट नहीं बेचे जायेंगे । यह कहते हैं इन्सट्रक्शन्ज़ इशू हुईं । मैं कहता हूं कि इन्सट्रक्शन्ज़ इशू ही नहीं की गईं । मैं यह कहता हूं कि आया यह रौंग स्टेटमेंट नहीं तो और क्या है ?

Mr. Speaker : The hon. Member can discuss this matter with me in my office.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जब डिसीज़न दे दिया तो मेम्बर कंसर्न्ड को आफ़िस में काल करने का मतलब क्या हो सकता है ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਖ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

Mr. Speaker : The hon. Member may please read the privilege motion.

Home Minister : Sir, I may explain the position. . . .

Sardar Lachhman Singh Gill : I have not asked the Home Minister to explain. It is now for the hon. Speaker to give his ruling.

Mr. Speaker : The hon. Member has not to dictate.

Sardar Lachhman Singh Gill : Sir, I said that it is not for the Home Minister to reply. It is for the Speaker to give his ruling.

Mr. Speaker : I will look into the statement of the Chief Minister.

गृह मन्त्री : मैं अपना आनसर तो देना नहीं चाहता । मैं पुज़ीशन क्लीयर करनी चाहता हूं कि जिन मैम्बर साहिब ने प्रिविलिज मोशन दी है उनको इतनी वाकफियत नहीं है । वैसे मैं अपनी याददाश्त की बिना पर कह सकता हूं कि इन्सट्रकशन्ज़ इशू हुई हैं । आप की वाकफियत के लिये उसकी कापी भी हाउस में दे दी जायेगी ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (I have disallowed this Privilege Motion as the Government has said that the instructions had been issued and that is a sufficient ground.) (*Interruptions*)

Mr. Speaker : That is not the basis of the privilege motion. The hon. Member should read the wording of the privilege motion. It is stated :

> "That in spite of repeated statements of Chief Minister in the House that no tickets of any entertainment will be sold through the Government Officers in the State except that of Red Cross or Small Savings. . ."

(*Interruption*)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇੰਪਲੀਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ; that is why I am disallowing it. (In this case the question involved was the issue of instructions and it had no concern with the implementation thereof, that is why I am disallowing.)

Dr. Baldev Parkash : The statement of the Chief Minister is wrong and nothing has been done about it.

Mr. Speaker : Did he make any statement that he will send the instructions ? If the Chief Minister made any statement that instructions would be sent and they were actually not sent, then the hon. Member may bring another privilege motion.

Dr. Baldev Parkash : Sir, the position is quite clear and there is no doubt about it.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Without going into the merits or demerits of the motion, I would like to know whether after a policy statement has been made on the floor of the House by a Minister, will it be taken for granted that that policy decision will be implemented by the officers and instructions issued by the Government ?

Mr. Speaker : If there is any such policy statement made by a Minister, that has to be implemented. Issue of instructions can be one of the methods to implement the same.

Home Minister : There is, Sir, another forum to implement such decisions. There is the Assurances Committee for that purpose.

Mr. Speaker : That is why, there is no question of raising a privilege motion on this matter.

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Sir. मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो भी कोई पालिसी स्टेटमेंट किसी मिनिस्टर या चीफ

[श्री बलरामजी दास टंडन]

मिनिस्टर की तरफ से दिया गया हो और अगर उसको इम्पलीमैंट नहीं किया जाता तो क्या यह गलती नहीं है ?

Mr. Speaker : It is not a case of wrong information having been given to the House. It is a case of non-implementation of certain policy of the Government which has been announced on the floor of the House.

Comrade Ram Piara : Sir, I beg to give notice of my intention to raise the following question of privilege :

"That the Home Minister in reply to part (a) of Starred Question No. 3694....

Mr. Speaker : I have just received it and have not been able to go through it. We will take it up tomorrow.

Call Attention Notices

Mr. Speaker : There are a number of Call Attention Notices. Is it the sense of the House that they be taken up today or may be postponed to some other date ?

Voices : These may be postponed, Sir.

Mr Speaker : All right. These are postponed till day after tomorrow.

Statement by the Irrigation and Power Minister (Laid on the Table of the House)

Irrigation and Power Minister : Sir, I have to make a statement on the "River supplies available and its deliveries to the Punjab Channels during Rabi, 1963-64 as compared with those Rabi, 1962-63". This is a lengthy one and I would like to place it on the Table of the House.

चौधरी देवी लाल : यह जो स्टेटमेंट है यह बहुत ज़रूरी है । हमारा रोहतक का इलाका सोखे की वजह से मर रहा है ; इसे हाउस में पढ़ देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आप इसे पढ़ दें (I would request the hon. Minister to read it please)

चौधरी देवी लाल : वैसे अगर लम्बा स्टेटमेंट है तो इसे पढ़ने के लिये बहुत वक्त लगेगा इसे परसों तक पोस्टपोन कर दें ।

श्री अध्यक्ष : यह पोस्टपोन नहीं हो सकता ; इसे पढ़ा लें या वह हाउस की टेबल पर रख दें (It cannot be postponed ; either it should be read out or placed on the Table of the House.)

चौधरी देवी लाल : पढ़ें न ; let it be laid on the Table of the House.

Mr. Speaker : Let it be laid on the Table of the House.

Irrigation and Power Minister : Sir, I lay it on the Table of the House.

STATEMENT

On the river supplies available and the deliveries to the Punjab Channels during Rabi 1963-64 and compared with those Rabi, 1962-63.

The rivers of Punjab which form the source of water for the entire canal system of the State are to varing degrees show-fed and rise in the glaciers of the Himalayas. They vary greatly in size. Their flow characteristics are, however, similar. The minimum discharge occurs in December or January. During February and March, the river flow

increase sowing to the spring rains. If there are no spring rains, draught prevails. April, May, and June are the months of generally negligible rainfall but there is a very marked rise in the discharge of the rivers due to the melting of the snow. This is not so in the case of river Jumna because it is not snow-fed. In the river Jumna, the rise begins with summer rains from July.

With the break of Monsoons, the rivers swell up rising to about 12 times of the minimum flow, apart from flood peaks. With the cessation of the Monsoons in the middle of September, rivers fall to their minimum by December.

In the context of the above, natural behaviour of the Punjab rivers in general, the condition prevailing on particular rivers and canal systems is given below :—

River Sutlej.—The river Sutlej has been fully harnessed with the construction of the Bhakra Dam. The full reservoir level is 1690. The dead storage level is 1,462.0 which is to be kept to provide adequate head across the turbines. The live storage is 6 M.A.F. and the dead storage is 1.98 M.A.F.

Apart from fulfilling the additional requirements of the Sirhind Canal on full storage, the Bhakra reservoir is capable to meet the requirements of the Bhakra Canal system also for the whole year. Average yearly inflow of the river is about 13.M.A.F. which is fully utilised on the Bhakra Canal and Sirhind Canal System. However, for some 12 years out of 20, the reservoir might not get filled to the full and the shortage has to be borne, because, too large an area has been taken in the Project to forestall the famine conditions. The mean discharge during winter is about 4,000 Cs and during summer, it is about 50,000 Cs. apart from flood peaks. The river free flow is more than the irrigation requirements of the Sirhind (8,350 Cs.) and the Bhakra Canals (12,000 Cs.) Bist Doab Canal (1,200 Cs.) and Sirhind Feeder 4,300 Cs. from 21st May to 20th SeptemberCo. for the period from 21st September, to 20th May, i.e., in winter, the river flow is only 50 per cent of the requirements of the Sirhind Canal. The Canals have to draw wholly on the Bhakra Storage.

During Kharif, 1963.—The Bhakra Board of Consultants restricted the filling of the Bhakra reservoir up to R. L 1645 only on safety considerations. This limit was later brought down to R.L. 1640. With reservoir level of 1640, the live storage available is only 4 M.A.F. This is only 2/3rd of the full reservoir conditions. The avialable storage, therefore, was very inadequate. During kharif, 1963, the free flow of the river was quite statisfactory. The indents of all the main canals were met within full at the heads and the balance supply was stored at Bhakra up to 4.M.A.F. Supplies surplus to the stipulated storage had to be escaped down which was as much as 1.624 M.A.F. The reservoir touched the maximum level of 1,639.4 on 17th September 1963.

Rabi 1963-64.—After 17th September, 1963, the free flow of the river was short of the canal requirements and, therefore, the depletion of the storage started. A detailed and comprehensive programme based on the actual storage available and the mean free flow anticipated, was prepared for the depletion of the reservoir so that equitable supplies could be delivered to the canals during the winter according to the anticipated demand such that the reservoir level came down to R.L. 1,462 by 20th May, 1964 by which date it was expected that the free flow would be enough to meet the canal requirements. Unlike 1962-63 due to the failure of late summer rains, the demand for Rabi sowing was very acute and in the interest of crop, the canals were run to full up to 20th October, 1963. Against hopes, during Rabi, 1963-64, the free flow of the river was slightly below than that of the mean year. The releases from Bhakra , therefore, had to be kept strictly according to the supply available which was about 60 per cent of the projected requirements. Not only the winter rains failed us completely but also during Rabi growing period, severe frost visited the State and threatened the winter crops to the extent of wholesale destruction. The failure of the rains could not be helped in order to lessen its severities. I advised the department to increase the releases from Bhakra first from 10 thousand Cusecs to 14 thousaud Cusecs from 28th January, 1964 to 11th February, 1964, which were further increased to 19 thousand Cusecs from 12th February, 1964 to 28th February, 1964.

These overdrawals from Bhakra were made up by 10th of March. In the Rabi of 1962-63, there was very good rainfall in the Sutlej catchment during the second week of March, 1963 which not only lowered the demand in the field but also contributed some 40,000 Cs.days to the Bhakra reservoir. This year, the rains have totally failed and therefore, the canals were forced to be fed from the reservoir alone and had thus to run to about 50 per cent of the indents during the months of February and March, 1964,

[Irrigation and Power Minister]

The releases have been again increased by two thousands for Bhakra Canal areas from 27th March, 1964 to relieve the scarcity condition of Hissar and other areas and help maturity of wheat crops on the representation of Sarvshri Sita Ram Bagla and others Chaudhri Man Phul Singh and Huna Ram, M.L.A. representing the areas to the Chief Minister and Irrigation Minister.

Unlike the last year, this year there had been no contribution from the river Beas for the running of Sirhind Feeder which was available in plentiful, i.e. 3.26 lac Cs. days up to 25th March, 1963 in Rabi 1962-63.

The supply in the river has been indentical to that of the average mean flow, but this year, due to total failure of winter rains, no help from river Beas and severe cold waves, the draught conditions in the field were extraordinary and the demand was very keen from the very beginning i.e. from 21st September, 1963 to date. Last year, the depletion from storage started on 4th November, 1962 after the floods of September, 1962 as free flow of the river was very good in the beginning of the Rabi although the reservoir was filled up to R. L.. 1,610 only. This year the level on 4th November, 1963 was lower than that on 4th November, 1962 despite the fact that filling of the reservoir was up to R.L. 1,640.

The river supply available and the deliveries to the canals from October II to March 26 compare as below for the year, 1962-63 and 1963-64. The figures are in lacs of Cs. days :—

		1962-63	1963-64
Storage at Bhakra	..	15.88	20.0
River free flow	..	10.18	9.72
Releases below Bhakra	..	21.68	25.36
Bhakra Main Line at Head	..	10.64	11.66
Sirhind Canal	..	7.74	8:90
Bist Doab Canal	..	0.82	1.10
Sirhind Feeder	..	*4.57	4.55

*Out of this Beas component was 3.26 lac Cs., only the remaining was taken from Sutlej.

The ten—daily mean figure canal-wise are enclosed as statement-I for detailed reference.

River Rabi.—The mean supply of this river varies from 2,000 Cs. to 3,000 Cs. during the months of November, December and January. During the months of October and March, it rises to about 5,000 Cs. The summer average is 30,000 Cs. to 35,000 Cs. apart from the peak floods. The Upper Bari Doab Canal takes off from it at Madhopur. Under the Indus Water Treaty, 41 per cent of the supply available up-stream Madhopur has to be delivered to Pakistan Channels at border from 11th April to 20th September and the balance is utilised in our own channels. During Rabi, the river can not meet the requirements of the Upper Bari Doab Canal amounting to 5,770 Cs. and only 50 per cent of its requirements can be met. The position of supplies during Rabi 1962-63 were as below.

During September, October and up to third week of November, 50 per cent of its requirements were met with. Later on, due to some rain in the catchment, the river improved and full indent was made during the last week of November. During December, January and February 50 per cent of the indent of the Upper Bari Doab Canal was met. The Upper Bari Doab Canal was closed for annual repairs from 21st February, 1963 to 12th March, 1963. There was a very good rain on 10th March and apart from meeting the demand of the Upper Bari Doab Canal, there was something surplus even to divert to Beas from Madhopur Beas Link. Total supply available up-stream Madhopur from 11th October, 1962 to 31st March, 1963 was 7—5 lac Cs. days and out of that 5.34 lac Cs. days was supplied to Upper Bari Doab Canal.

During Rabi, 1963-64.—The supply available up-stream Madhopur from 11th October, 1963 to 31st March, 1964 was 6.01 lac Cs. days. Out of this, 6.34 lac Cs. days was supplied to Upper Bari Doab Canal very low up to the end of December, 1963 and even 50 per cent of the indent was not met. Due to total failure of winter rains and frost and cold wave, demand was very keen. Annual closure was also abandoned. Supply in the river started to improve in the beginning of January and has continued to improve. Up-to-date no appreciable supply is diverted to Beas. The supplies avaiable and deli-

veries to Upper Bari Doab Canal during Rabi 1963-64 compare as below with Rabi, 1962-63 from 11th October to 26th March :—

	1962-63	1963-64
River Supply	7.53	6.61
Utilisation in U. B. D. C.	5.34	6. 34

Statement-2 gives the figures by 10 day periods for sake of comparison. The Upper Bari Doab Canal will continue to face the acute shortage of supply in winter till the construction of storage on River Rabi.

River Jumna.—River Jumna is not a snow-fed river. Its winter discharge varies from 3,000 Cs. to 4,000 Cs. After meeting the share of Eastern Jumna Canal, what is left for Western Jumna Canal varies from 2,000 Cs. to 3 000 Cs. during winter, which is about one-third of the actual requirements of the Western Jumna (5,900 Cs.) tract. Its discharge during summer reaches the requirements in July only. Kharif sowing is usually affected by draught condition. The kharif maturing and Rabi sowing is usually good. Two canals, Eastern Jumna and Western Jumna off take at Tajewala on left and right bank respectively.

During Rabi, 1962-63 from 11th October, 1962 to 31st March, 1963, supply available at Tajewala was 8.2 lac Cs. days. During Rabi, 1963-64, also it has been 8.2 lac Cs. days. Western Jumna Canal has a claim on Jumna water upto 2/3rd supply available at Tajewala. During the Rabi of 1962-63 as well as of 1963-64, the river has been very low and even the indent of one branch could not be met by it. During *Rabi, 1962-63*, the Western Jumna Canal was supplied 5—8 lac Cs. days up to 31st March, 1963 and 5.6 lac Cs. days during Rabi, 1963-64 up to 28th March, 1964. The entire area of the Sirsa Branch was transferred to Bhakra Canal system in November, 1962 and this has given considerable relief to the Western Jumna Canal areas otherwise very distress conditions would have occurred there. Besides the rivers 28,000 Cs days were delivered to the Western Jumna Canal by tubewells. Due to total failure of winter rain and cold wave, demand was very keen. From December to date 40 per cent of indent was met. Unless a storage is constructed on river Jumna, supply will not improve during winter. Statement-3 gives the 10 daily discharge figures by periods and months.

River Beas.—The river Beas has a mean annual run off of 12—65 million acre feet. The pre-partition utilisations on it on account of the Eastern Canal and Bikaner Canal is 1.61 M.A.F. The balance unutilised is 11.64 M.A.F. The river has an average discharge of 5,000 Cs. to 6,000 Cs. from November to March during October, it is about 14,000 Cs. During summer, its average mean varies from 50,000 Cs. to 55,000 Cs. Its discharge during April and May is generally on the lower side than the requirements (India and Pakistan combined). The run-off of river Rabi is better in these months. With the help of the Madhopur Beas Link, the surplus supplies of Rabi are transferred to river Beas and are very usefully utilised on Indian areas particularly during these months.

This year from 11th October, 1963 to end of March, 1964 the inflow of the river has been 10.66 lac Cs. days against 12.82 lac Cs. days during the year, 1962-63. This supply was just sufficient for the S. V. Canals of Pakistan and Bikaner Canal. There was nothing surplus to the above requirements for utilisation in the Sirhind Feeder. Therefore, the Sirhind Feeder had also to be fed from the Bhakra reservoir this year whereas last year, it got a relief of about 3.26 lac Cs. days from the river Beas thereby helping the Bhakra Canals by lesser withdrawals for it from Bhakra.

In the nut-shell, it would appear that in the Rabi, 1963-64 whatever was available in the rivers was diverted in full to feed the channels. The available water was not enough to run the channels to full supply and, therefore, rotational running of the channels had to be adopted. The winter rains had failed totally resulting in(a) acute demand in the field and (b) lesser supply available in the river. On the top of it, the severe frost during the Rabi growing period affected the crops very much. This could not be helped in the case of Upper Bari Doab Canal and the Western Jumna Canal. But in the case of the Sirhind Canal and the Bhakra Canals, on account of the presence of Bhakra reservoir, the deliveries from storage were almost doubled besides the free flow to minimise the ill-effects of the frost although the only remedy for it was good winter rainfall just after the days of frost. In the Western Jumna Canal tract, the position would have been still worse, had not (a) Sirsa Branch been switched on the Bhakra Canals and (b) the Jagadhri Tube-wells worked to the full. All that which was humanly possible was done and no supply was wasted down into the river below Madhopur, Ferozepur, Rupar or the Tajewala. Every drop was diverted to the fields. It is hoped that with the raising of the filling of Bhakra reservoir to 1,680, there will not be trouble on the Sirhind and Bhakra Canal Systems. The trouble on the Upper Bari Doab Canal and Western Jumna Canal will persist as there are no storage works on these Canals.

[Irrigation and Power Minister]

STATEMENT OF THE 10 DAILY DISCHARGES OF THE SUPPLY AVAILABLE IN YEAR 1962-63

Period		Sutlej U/S Bhakra				
		Mean Average in Cs.	*In Cs. days*		*Discharges in cusecs Average Daily*	
			1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
1		2	3	4	5	6
October, 11th to 20th	..	8,821	96,812	85,069	9,681	8,507
October, 21st to 31st	..	7,307	86,555	89,624	7,869	8,148
November, 1st to 10th	..	6,329	70,370	70,044	7,037	7,004
November, 11th to 20th	..	5,642	69,155	60,156	6,916	6,016
November, 21st to 30th	..	5,133	65,777	48,538	6,578	4,854
December, 1st to 10th	..	4,909	52,914	58,009	5,291	5,801
December, 11th to 20th	..	4,552	64,719	57,601	6,472	5,760
December, 21st to 31st	..	4,335	55,775	50,708	5,070	4,610
January, 1st to 10th	..	4,320	46,050	48,527	4,605	4,853
January, 11th to 20th	..	4,268	45,836	53,715	4,584	5,372
January, 21st to 31st	..	4,098	46,193	54,225	4,199	4,930
February, 1st to 10th	..	4,335	43,178	44,189	4,318	4,419
February, 11th to 20th	..	4,258	46,270	49,866	4,627	4,887
February, 21st to 28/29th	..	4,358	36,902	40,444	4,613	4,494
March, 1st to 10th	..	4,428	59,169	47,774	5,917	4,777
March, 11th to 20th	..	4,355	66,300	52,600	66,309	5,261
March, 21st to 31st	..	5,023	61,050	61,369	5,550	5,579
Total	..		1,013,025	972,466		
April, 1st to 10th	..	5,788	66,800		6,680	..
April, 11th to 20th	..	6,322	100,310	..	10,034	..
April, 21st to 30th	..	8,056	102,980	..	10,298	..
May, 1st to 10th	..	10,375	150,530	..	15,053	..
May, 11th to 20th	..	13,854	136,750	..	13,675	..

RIVER SUTLEJ AND DELIVERIES TO CANAL SYSTEM AT HEAD FOR THE
AND 1963-64

Releases D/S Bhakra				B.N.L. at head			
Discharge in Cusecs		*Discharge in cusecs Average daily*		*Discharge in Cusecs*		*Discharge in cusecs Average daily*	
1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
7	8	9	10	11	12	13	14
101,930	273,416	10,193	27,342	32,736	95,436	3,273	9,544
1,143,342	13,896	10,394	19,445	43,636	93,462	3,966	8,587
1,442,361	84,990	13,324	18,499	64,727	100,995	6,473	10,094
167,288	181,929	16,729	18,193	80,730	92,059	8,073	9,206
153,369	167,879	15,337	16,788	88,187	80,438	8,819	8,049
156,152	116,619	15,615	11,622	93,735	71,297	9,374	7,130
165,974	98,629	16,597	9,863	90,795	47,517	9,080	11,752
109,695	136,276	10,970	12,389	68,150	96,041	6,190	8,731
89,420	105,271	8,942	10,527	13,015	5,186	1,301	519
96,826	97,073	9,683	9,707	..	..	..	..
106,061	121,887	9,642	11,080	25,903	88,645	2,355	8,060
134,128	135,694	13,413	13,569	87,030	82,274	8,703	8,227
164,689	178,665	16,469	17,866	100,094	87,666	1,009	8,767
130,268	130,175	16,283	14,452	83,302	57,007	10,413	6,334
130,478	121,020	13,048	12,102	74,239	50,396	7,424	5,040
94,170	123,224	9,417	12,322	75,760	53,615	7,576	5,362
119,823	149,204	10,893	13,564	42,207	62,612	3,837	5,692
2,167,841	2535,848	..	..	1,064,246	1,165,646	..	..
136,250	..	13,625	..	64,490	..	6,449	..
183,620	..	18,362	..	83,350	..	8,335	..
195,560	..	19,556	..	92,300	..	9,230	..
202,340	..	20,234	..	98,840	..	9,884	..
205,840	..	20,584	..	87,480	..	8,748	..

[Irrigation and Power Minister]

Period		Sirhind Canal at head			
		Discharge in Cs. days		Discharge in cusecs Average daily	
		1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
1		15	16	17	18
October, 11th to 20th	..	25,957	86,453	2,596	8,645
October, 22nd to 31st	..	57,647	85,082	5,241	7,735
November, 1st to 10th	..	56,370	71,711	5,737	7,171
November, 11th to 20th	..	54,616	68,947	5,462	6,825
November, 21st to 30th	..	39,249	55,570	3,925	5,572
December, 1st to 10th	..	39,758	34,519	3,976	3,452
December, 11th to 20th	..	51,990	46,780	5,199	4,678
December, 21st to 31st	..	39,430	31,324	3,585	2,848
January, 1st to 10th	..	61,135	57,461	6,114	5,746
January, 11th to 20th	..	64,505	78,558	6,451	7,856
January, 21st to 31st	..	67,036	19,001	6,094	1,728
February, 1st to 10th	..	27,516	29,236	2,752	2,924
February, 11th to 20th	..	42,797	49,066	4,280	4,907
February, 21st to 28/29th	..	39,914	44,349	4,989	4,928
March, 1st to 10th	..	50,044	42,794	5,004	4,279
March, 11th to 20th	..	Nil.	41,367	..	4,137
March, 21st to 30th	..	55,110	47,322	5,010	4,302
Total	..	774,074	889,550	..	..
April, 1st to 10th	..	64,450		6,445	
April, 11th to 20th	..	78,605		7,865	
April, 21st to 30th	..	81,860		8,186	
May, 1st to 10th	..	8,503		8,503	
May, 11th to 20th	..	93,670		9,367	

Bist Doab Canal				Sirhind Feeder			
Discharge in Cs. days		Discharge in cusecs Average daily		Discharge in Cs. days		Discharge in cusecs Average daily	
1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
19	20	21	22	23	24	25	26
6,691	10,845	669	1,085	17,525	41,080	1,753	40,108
7,879	11,603	788	1,160	42,500	42,320	4,250	4,232
4,523	9,034	452	903	37,061	39,100	3,706	3,910
5,642	7,465	564	746	3,1800	31,800	3,180	3,180
3,088	5,066	309	507	35,600	27,400	3,560	2,740
4,938	3,242	494	324	29,825	17,840	2,933	1,784
5,990	5,065	599	507	29,950	15,350	2.995	1,535
1,272	400	116	36	1,275	12,700	116	1,155
4,639	9,390	464	939	14,600	20,300	1,460	2,030
7,986	11,134	799	1,113	22,250	34,000	2,250	3,400
7,289	2,546	663	231	26,750	3,600	2,432	327
5,915	6,992	592	699	13,700	26,700	1,370	2,670
447	6,594	45	659	20,650	34,600	2,065	3,460
1,000	4,497	125	500	19,400	28,700	2,425	3,189
6,683	4,794	668	479	32,850	22,000	3,285	2,200
..	5,382	..	538	35,600	21,900	3,560	2,190
80,148	5,500	741	500	46,250	35,750	4,205	3,250
82,630	1,09549	..	..	457,586	455,140	..	..
7,745		775		46,200		4,620	
7,313		731		47,000		4,700	
7,669		767		38,689		3,869	
8,921		892		45,,389		4,539	
10,120		1,012		47,620		4,762	

STATEMENT OF THE 10 DAILY DISCHARGES OF THE SUPPLY AVAILABLE IN RIVER RAVI FOR THE YEAR 1962-63 AND 1963-64
No. II

Period		U/S Madhopur					U.B.D.C. at Head			
		Mean Average in Cs.	Discharge in Cs. days		Discharge in Cs. Average daily		Discharge in Cs. days		Discharge in Cs. Average daily	
			1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
October, 11th to 20th	..	3,790	54,093	29,896	5,409	2,990	53,643	29,896	5,364	2,990
October, 21st to 31st	..	3,100	46,406	30,280	4,219	2,753	46,406	30,280	4,219	2,753
November, 1st to 10th	..	2,670	34,062	25,053	3,406	2,505	34,062	25,053	3,406	2,505
November, 11th to 20th	..	2,360	31,638	23,332	3,164	2,333	31,638	23,332	3,164	2,333
November, 21st to 30th	..	2,090	37,692	29,257	3,769	2,926	37,692	29,257	3,769	2,926
December. 1st to 10th	..	2,010	27,814	23,132	2,781	2,313	27,814	23,132	2,781	2,313
December, 11th to 20th	..	3,190	27,659	31,079	2,766	3,108	27,659	31,079	2,766	3,108
December, 21st to 31st	..	2,080	32,296	23,934	2.936	2,176	32,296	23,934	2,936	2,176
January, 1st to 10th	..	2,490	27,313	49,617	2,731	4,962	27,313	36,155	2,731	3,616
January, 11th to 20th	..	2,550	24,690	56,004	2,469	5,600	24,690	46,519	2,469	4,652
January, 21st to 31st	..	2,760	25,253	52,580	2,296	4,780	25,193	49,912	2,290	4,531

February, 1st to 10th	..	3,210	20,939	35,956	2,094	3,596	20,859	35,956	2,086	3,596
February, 11th to 20th	..	3,650	26,549	44,203	2,655	4,420	26,459	44,203	2,646	4,420
February, 21st to 28/29th	..	4,390	28,543	39,169	3,567	4,352	..	39,169	..	4,352
March, 1st to 10th	..	5,240	84,434	42,284	8,443	4,228	..	42,284	..	4,228
March, 11th to 20th	..	5,520	107,510	54,416	10,751	5,442	50,470	53,318	5,047	5,332
March, 21st to 31st	..	6,620	116,171	70,773	10,561	6,443	68,178	70,773	6,198	6,443
Total	..		7,53,062	660,965			534,372	634,252		
April, 1st to 10th	..	Nil	68,080		6,808		60,960		6,096	
April, 11th to 20th	..		106,910		10,691		58,680		5,868	
April, 21st to 30th	..		90,020		9,002		61,010		6,101	
May, 1st to 10th	..		1,15,110		11,511		79,870		7,987	
May, 11th to 20th	..		104,870		10,487		77,290		7,729	

STATEMENT OF THE 10 DAILY DISCHARGES OF THE SUPPLY AVAILABLE IN RIVER JUMNA

No. III

Period Mean Average	Jumna U/S Tajewala				W.J.C. at head			
	Discharge in Cs. days		Discharge in Cs. Average daily		Discharge in Cs. days		Discharge in Cs. Average daily	
	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64
1	2	3	4	5	6	7	8	9
October, 11th to 20th ..	104,636	85,003	10,464	8,500	64,052	74,671	6,405	7,576
October, 21st to 31st ..	77,460	73,291	7,041	6,663	72,285	68,143	6,571	6,195
November, 1st to 10th ..	60,791	52,447	6,079	5,245	44,258	43,889	4,426	4,390
November, 11th to 20th ..	54.051	46,585	5,405	4,659	36,689	35,494	3,669	3,549
November, 21st to 30th ..	55,316	43,098	5,532	4,310	40,860	33,099	4,086	3,310
December, 1st to 10th ..	52,107	41,792	5,211	4,179	38,358	29,062	3,836	2,906
December, 11th to 20th ..	47,250	50,923	4,725	5,092	32,304	33,615	3,230	3,362
December, 21st to 30th ..	49,658	46,703	4,514	4,246	34,799	30,615	3,164	2,783
January, 1st to 10th ..	36,458	41,365	3,646	4,137	28,680	28,132	2,868	2,813
January, 11th to 20th ..	33,467	46,619	3,447	4,662	22,173	30,113	2,217	3,071

January, 21st to 30th	..	30,594	44,669	2,781	4,060	21,895	Nil	1,990	Nil
February, 1st to 10th	..	29,503	37,158	2,950	3,716	19,187	16,620	1,919	1,662
February, 11th to 20th	..	30,051	40,998	3,005	4,100	19,544	26,861	1,954	2,686
February, 21st to 29th	..	23,331	36,528	2,916	4,059	13,360	23,918	1,670	2,658
March, 1st to 10th	..	40,266	30,917	4,027	33,892	28,814	25,475	2,881	2,548
March, 11th to 20th	..	50,630	39,764	5,063	3,976	33,260	26,004	3,326	2,600
March, 21st to 30th	..	44,627	52,217	4,057	4,747	29,469	34,650	2,679	3,150
Total	..	820,196	818,077			579,987	560,971		
April, 1st to 10th	..	39,400		3,940		27,060		2,706	
April, 11th to 20th	..	39,960		3,996		26,230		2,623	
April, 21st to 30th	..	35,300		3,530		21,030		2,103	
May, 1st to 10th	..	38,910		3,891		15,000		1,500	
May, 11th to 20th	..	47,700		4,770		14,460		1,446	

[Irrigation and power Minister]

No. III

TUBEWELLS 1963-64

Discharge in Cs. Days Dadupur Division		Discharge in Cs. days Karnal Division		Average	
No. of Tubewells working	Discharge	No. of Tubewells working	Discharge	Average No. of Tubewells working 1963-64	Average discharge
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
395	712.90	..	..	40	71
699	1,282.74	..	..	70	128
778	1,485.82	1,204	2,202.76	198	369
787	1,500.23	1,163	2,060.41	195	356
805	1,522.85	1,013	1,727.91	182	325
907	1,708.60	1,344	2,445.45	205	378
840	1,599.34	1,321	2,400.30	216	39 6
691	1,335.69	1,192	2,166.14	188	350
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
569	1,075.01	726	1,317.42	130	239
829	1,541.77	1,298	2,361.54	213	390
768	1,451.12	1,188	2,162.70	217	402
860	1,617.87	1,320	2,403.00	218	402
853	1,612.48	1,214	2,227.08	207	384
	18,446.42		23,475.00		

No. IV

STATEMENT OF THE 10-DAILY DISCHARGES OF THE SUPPLY AVAILABLE IN RIVER BEAS

Year 1962-63 and 1963-64

Month and period	Beas (at mandi plain) Discharge in Cs. days		Discharge in Cs. Average daily		Mean Average
—	1962-63	1963-64	1962-63	1963-64	—
1	2	3	4	5	6
October, 11th to 20th ..	145,064	78,984	14,506	7,898	10,240
October, 21st to 31st ..	116,638	75,857	10,603	6,896	8,030
November, 1st to 10th ..	74,683	65,304	7,468	6,53 0	6,480
November, 11th to 20th ..	60,214	63,042	6,021	6,304	5,660
November, 21st to 30th ..	90,218	54,368	9,022	5,437	5,22 0
December, 1st to 10th ..	66,809	53,880	6,681	5,388	4,800
December, 11th to 20th ..	59,513	59,676	5,951	5,968	5, CC0
December, 21st to 30th ..	64,232	57,304	5,839	5,209	4.980
January, 1st to 10th ..	53,900	50,584	5,390	5,058	4,980
January, 11th to 20th ..	58,510	94,522	5,851	9,452	5,410
January, 21st to 31st ..	50,239	68,104	4,567	6,200	5,220
February, 1st to 10th ..	42,364	50,776	4,236	5,078	5,670
February, 11th to 20th ..	45,258	49,750	4,526	4,975	5,640
February, 21st to 28/29th ..	50,946	55,674	6,368	6,186	5,090
March, 1st to 10th ..	55,773	54,640	5,577	5,464	6,530
March, 11th to 20th ..	152,880	54,074	15,288	5,407	6,050
March, 21st to 31st ..	95,183	79,926	8,653	7,266	6,850
Total ..	1,282,424	1,066,465			
April, 1st to 10th ..	75,720	..	7,572		
April, 11th to 20th ..	103,870	..	10,387		
April, 21st to 30th ..	85,620	..	8,562		
May, 1st to 10th ..	113,650	..	11,365		
May, 11th to 20th ..	123,800	..	12,380		

*NO-CONFIDENCE MOTION AGAINST THE MINISTRY (RESUMPTION OF DISCUSSION)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇ-ਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ.........(ਵਿਘਨ) ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਲਉ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ—ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ You are irking against the dictum of public.

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਇਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖੋ ਵਖ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇਕ ਗਰੁਪ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਖਿਆਲਾਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਚੌਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੀਦਾ ਦਾਨਿਸਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਦ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? (ਵਿਘਨ)

---

*For previous discussion on the subject please refer to P.V.S. Debates Vol. I No. 21, dated the 19th March, 1964.

ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧੁਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ?

ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅਜ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬੀਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ $1\frac{1}{2}$ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਇਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਖਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੋਰਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ, ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਵਖੋ ਵਖ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਨੇ ਗਰੁਪਸ ਵਾਲਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਠ ਨੌਂ ਗਰੁਪਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉ, ਦੂਸਰਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਏਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ : ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਡੰਤਰ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੁੜਕੇ ਏਧਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿਤਰ ਬਿਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੂਜ਼ੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਧਰੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛਤੜੀ ਤੇ ਦੋ ਪਰਿੰਦੇ ਬਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਗੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸਿਜ਼ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। **They do not contribute anything to the good of the State.** ਕੰਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਮਾਤਮੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਕੇਆਸ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਟਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਐਂਟੀ-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ। ਉਥੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਈਅਰਜ਼ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ

ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀਰ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਨ 1949-50 ਦੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨੇਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਨਪਰੋਪਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਪਰੋਪਰਾਇਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਸਵਾਏ ਇਕ ਖਾਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਪੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ East Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights and Abolition of Ala Malkiat) Act. ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 6 ਲਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 740 ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਟੈਨੇਂਟਸ ਨੂੰ 18 ਲਖ, 50 ਹਜ਼ਾਰ, 449 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਜਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਵਿਘਨ)।

4.00 p.m.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਉਗੇ ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ।
(How much more time will the hon. Minister take ? He should please wind up now.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੇਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਲਿਜਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਆਫ ਟੈਨਿਉਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ—ਇਕ, ਜੋ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਲੈਂਡਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨੇਂਸੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਿਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਢ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਿਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 412.061 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 1,08,567

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 56,746 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1958 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿਤੇ ਹਨ ? 72,986 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 18,149 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰਰਜ਼ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 1,08,567 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦ-ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 30,435 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਐਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਕੋਈ 1,400 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨਿਉਰ ਪਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੇ 'ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿਖਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਢਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮਹਕੂਮ ਰਹੇ ।ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਉ, ਪੂਰਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਮੋਰੈਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

You may differ, criticise and oppose us. But this should be done in some measure and in some particular way and not to oppose in season and out of season for nothing and ignore the ultimate objective of ours which is to build the Punjab, to serve the people and to serve the State and not to allow the independence of this State and the country to be put into jeopardy.

ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ they should exercise their influence on their own party. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ......।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਖੋਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਜਜ਼ ਲਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। So, we should utilise the time for some other better purposes. This is my submission. We should keep everything in the proper place. This no-confidence motion, I think, is waste of energy, waste of time, waste of money and is not actuated by good motives.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਭਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਬੈਠਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਲਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਖ ਪਟਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾਸਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਝੰਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਲ ਸਕੀਏ, ਝੰਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤਾਕਿ ਉਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਨੇਸਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਫੇਥ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। Sardar Partap Singh has lost that faith, prestige and self-respect. ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ (ਵਿਘਨ)। ਤੁਹਾਨੂੰ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਯਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਦ ਭੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ-ਮੈਂਟ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸਟਿਜ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਅਲਾਈਟ ਸਿਨਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੀਲਮ ਸਿਨਮਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਰੱਕੀ ਘਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜਤੀ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ)।

ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਖ ਅਤੇ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਢਿਲੋਂ ਗੋਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਕੈਰੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)। ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰੱਪਟ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਵਿਖ ਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਝੂਮ-ਝਾਮ ਕੇ ਅਤੇ ਤਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉੜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਭੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗ ਹੀਣ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਹੀਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅੰਗ ਹੀਣ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀਣ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਾਪ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਤੌਨਸਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਤੇ ਕਥਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਲਿੱਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਅਜੇ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ, 1963 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀਨਤਾ (ਇਨਡਿਸਿਪਲਨ) ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ।

ਇਥੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਸ਼ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਘਰ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਲਤ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭੀ ਦਖਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਖਣਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਗਰੁਪ ਦਾ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਟਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਭੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਸਿੰਗ ਕਰ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਹਾਦ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਲਨ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਲ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ 26 ਮਾਰਚ, 1964 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀ ਫੁਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦ 26 ਮਾਰਚ, 1964 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 101 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਭੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰ-ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਦਿਤਾ। ਗੱਲ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਾਮਬਾਯ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਕਰਦੀ।

(Sardar Gurnam Singh, a member of the Panel of Chairmen, in the the Chair.)

ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੇਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ। ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਇਤਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਪਛਾਣਿਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕੰਨਡੈਮ ਕੀਤਾ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਰੁਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਸੰਤ ਗਰੁਪ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾਇਆ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਉਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਾ ਵੜੇ । ਸ਼ਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਗੇ ਹੀ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਹੀ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਉਹ ਸੁਭਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸ਼ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਘਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੁਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ) ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਲਿਸੀ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ? ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ.. .. .. । ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ.. .. .. । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)। ਤੁਸੀਂ 101 ਤੇ ਅਸੀਂ 50, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। 154 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 64 ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ 90 ਵਿਚੋਂ 16 ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘਟ ਗਏ। ਯਾਨੀ 73 ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ—90 ਤੋਂ 73 ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਤੇ ਫਕੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਨਸੰਘੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਉਪਰ ਫਖ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਧਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਯਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਮਹਾਰਾਣੀ—32, ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ—32 ਅਤੇ 34 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 21 ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਮੁਰਗੀ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਡੇ ਏਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਈ। (ਹਾਸਾ) ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਏਧਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਸਵਾਦੀ ਦਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਦੇ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਦਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Mr. Chairman : Please continue your speech.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1950 ਵਿਚ ਆਈਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਅਸੂਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਪੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ

ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲੇ ਆਕੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਲੇਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹ੍ਰਿਦੇ ਨਾਥ ਕੁੰਜ਼ਰੂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਪੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ, ਓ. ਪੀ, ਕਹੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਜਨ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਪ੍ਰੋ: ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ। ਕੁੰਜ਼ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਡੀ-ਵਿਜੁਅਲ ਲਿਬਰਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਸ਼ਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 1950 ਦੀ ਟ੍ਰੀਬਿਯੂਨ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਜਿਸਟਰਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਲ਼ਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਰੀਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

It is stated in the Tribune dated 1st December, 1950—

> "The Punjab Congress Leader and the State Chief Minister Dr. Gopi Chand Bhargava held one hour conference with Sardar Vallabhbhai Patel today in an attempt to resolve their differences over certain policies of the Punjab Government. The views of the State Congress Working Committee were represented by the State Congress President Sardar Partap Singh Kairon and two General Secretaries L. Jagat Narain and Comrade Ram Kishan. The most important issues over a large section of the Congressmen and the Government are that Zaildari agency, etc............"

ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈਂ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਰਾਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪੂਲੈਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ-ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਕਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੌਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਨਰੇਰੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਕਾਂਟੈਕਟ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਡੇ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੀਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ–ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਰ-ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 60—65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਡਤ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ? ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਏ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ — "ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ" ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Mr. Chairman : How long will the hon. Member take ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : A few minutes more, Sir.

ਕੀ ਆਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਗਿਰਦਾਵਰ, ਡੀ. ਸੀ., ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਉਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਫੈਂਸ ਤੇ 1,07,690 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰਖ਼ਣ ਲਈ 1,06,217 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੀ.ਏ. ਉਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ?

ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਚਲਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ S.D.O. ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੇਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਦਾ ਬਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ: ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹੇ ਨੂੰ ਦਿਨ

ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਿਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਨ 1958 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਕ ਸਮਗਲਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ—ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੌਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੁੱਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜਿਸਟੀਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੌਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਜਜਾਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਲ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ? ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਐਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਈਸ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਗਲ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਾਂਧਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਢੌਂਗ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗਿਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ "ਮਤੀ ਦਾਸ" ਵਰਗੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤੀਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ : ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਪੰਡਿਤ ਗੋਰਖ ਨਾਥ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ]

ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜੈਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਕ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜੈਨਰਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ? ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਖਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕਿਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ? ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਲ. ਆਰ. ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ——ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਔਰ ਡੀਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਤੀ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਔਰ ਡੀਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਅਰ ਵਰਗੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਛਬੀਲ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਕਰਜੀ ਔਰ ਠਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਛੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡਿਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕਾਮਨਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਾਰਮਜ਼, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ? ਉਥੇ ਕੀ ਐਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਣ ਤੋਂ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੈਲੈਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਸਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦਖਾਉ।

Mr. Chairman : Has the hon. Member finished his speech ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਰ ਕੈਪਿਟਾ ਇਨਕਮ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਐਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਦ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਲਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਉ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੈਣੀਆ। (The hon. Member may please say the important points first and the remaining ones later on.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਜਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਪਰੈਸਟੀਜ਼, ਆਨੈਸਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਊਜ਼ ਔਰ ਮਾਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੌਂਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਟਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਪਿਟਵਾਇਆ ਔਰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸੁਟਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਕਸੇ ਚੁਕਵਾਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਆਈ. ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਾਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਤੌਰ ਇਕ ਸਿਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ।

ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪੱਟੀ ਦੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਅਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

श्री भगवत दयाल (झज्जर) : चेयरमैन साहब, नो कान्फीडेंस की मोशन जिस आपोज़ीशन के बैंचिज़ की तरफ से हुई उस आपोज़ीशन के अन्दर मुख्तलिफ पार्टियां शामल हैं। उसके अन्दर एक पार्टी प्रजातंत्र है जिसके बारे में अभी अभी मेरे मेहरबान दोस्त ढिल्लों साहब ने काफी चर्चा की है। जहां तक प्रजातंत्र पार्टी का ताल्लुक है उस के बारे में चौधरी हरद्वारी लाल और ढिल्लों साहब से जो बाहर हमारी बातें होती रहती हैं वह मैं तमाम नहीं बताऊंगा, अगर वे कहेंगे तो बता दूंगा ––

चौधरी हरद्वारी लाल : जो आप कहते रहते हैं मैं आप की भी बतला दूं ? (विघ्न)

श्री भगवत दयाल : आप जब बोलते रहे हैं तो हमने आप को बीच में इन्ट्रप्ट नहीं किया, इस लिए आप भी इस तरह से मुझे टोके नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यह जो प्रजातंत्र पार्टी है यह तो ज़बरदस्ती बन गई है। असल बात यह थी कि इस पार्टी में जो मेम्बर हैं वे नखरे करते रहे, कुछ नखरे जन्त्र मन्त्र में करते रहे क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि कुछ निकल आयेगा लेकिन निकलने विकलने की कुछ बात नहीं आई। यह सोचते थे कि कांग्रेस आर्गनाइज़ेशन में क्योंकि वैष्णव भावना बहुत होती है इस लिए कुछ मान जाएंगे और कुछ रूठते हुए और कुछ मानते हुए सौदा चुक जाएगा। लेकिन हम क्योंकि सीरियस तबीयत के आदमी थे इस लिए कुछ न हुआ। अब देखने की बात है कि ढिल्लों साहब ने स्मगलिंग का भी ज़िक्र किया है और 26 तारीख का भी ज़िक्र किया है कि पंजाब में स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यह भी बतलाया कि यह ज़मीर कुचल देते हैं, यह भी कहा कि यह डाकू हैं और यह चोर हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस से ज़्यादा स्मगलिंग और क्या हो सकती है जो 17 एम. एल. एज. को स्मगल करवा लिया जाता है और

[श्री भगवत दयाल]

उनकी ज़मीर कुचली जाती है । क्या वह इस पर फख्र कर सकते हैं जो यहां मजाक में कह देते हैं कि यहां स्मगलिंग होती है और आप दिन दिहाड़े इन्सान उठा कर ले जाते हैं ? मैं, स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी से पूछता हूं कि उन्होंने जो 26 तारीख का ज़िक्र किया कि नगाहना और काहनौर में जो डंगर उठवा लिए गए और जिन का आज तक पता नहीं चला कि उन्हें उठा कर किस नौहरे में बन्धवा दिया है क्या वह स्मगलिंग नहीं है ? (विघ्न) बाबू बचन सिंह तो लो लेवल की बात करते हैं क्योंकि वह अपना स्टेण्डर्ड पीलीभीत में छोड़ आए थे । स्पीकर साहब, यहां ऐसे स्टेण्डर्ड की बातें चलती हैं । अगर विरोधी दल वाले हमारे सामने इस तरह का स्टेण्डर्ड रखते हैं तो इसे क्या समझा जा सकता है ।

यहां पर पंजाब के अन्दर जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति है उसका बहुत ज़िक्र किया गया है । मैं इस बारे में आप से अर्ज़ करता हूं कि अगर आप इस बारे में स्टेटिस्टिक्स को देखें तो आप को मालूम हो जाएगा कि हिन्दुस्तान की बाकी सब स्टेट्स से हमारी स्टेट में ला एण्ड आर्डर की हालत बेहतर है । (विघ्न) मैं यहां के क्राइम की बात कर रहा हूं और बता रहा हूं कि यहां जो क्रायम्ज़ की संख्या है वह दूसरी स्टेट्स से लोएस्ट है । अगर, स्पीकर साहब, पंजाब में ला एण्ड आर्डर बेहतर न होता तो हमारी स्टेट में इतना शानदार विकास न होता, यहां की इण्डसटरी में इतना शानदार विकास न हो सकता । अगर यहां ला एंड आर्डर की स्थिति अच्छी न होती तो हमारी एजूकेशन के अन्दर इतना विकास न हो सकता । आबपाशी के अन्दर, बिजली के अन्दर कोआप्रेशन के अन्दर, और बाकी हर पहलू में इतना विकास नहीं हो सकता था । इस के जवाब में आपोज़ीशन की तरफ से कहा जाता है कि पंजाब के नागरिक खुद उद्योगशील हैं और वे जानते हैं कि किस तरह से हम अपना विकास कर सकते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हीं उद्योगशील आदमियों ने ही विवेक के साथ इस मिनिस्टरी को और सरदार प्रताप सिंह को नहीं चुना था ? और यह उन पंजाबी नागरिको के वोट से यहां बैठे हैं । यह ठीक है कि हर पंजाबी का मन विकासशील है लेकिन उस विकास शक्ति को इन लीडर्ज़ ने चेनेलाईज़ किया -- (विघ्न)

(At this stage Mr Speaker occupied the Chair)

यह ठीक है कि चीफ मिनिस्टर साहब 34 वोटों से जीते थे लेकिन बावजूद इसके और इन तमाम पार्टियों की मुखालिफत के पट्टी की इलेक्शन में इन तमाम पार्टियों ने शिकस्त खाई है, चाहे इन की प्रजातंत्र पार्टी हो और चाहे इनका युनाइटिड फ्रंट हो, इनके कैंडीडेट की ज़मानत भी ज़बत करा दी गई है । आप चाहे इससे इन्कार करते रहें लेकिन जनता ने अपना फैसला पट्टी की इलेक्शन में दे दिया है । आज यह दूसरे ही कलमे पढ़ने लगे हैं । एक बार इन्होंने मेरे से कहा कि मेरे को देखो मुझे बीस साल का दोस्त बताते हैं, बीस साल से हमारा व्यवहार रहा मगर फिर भी हमारे साथ कैरों ने क्या कर दिया । मैंने जवाब दिया कि मैं आप की अक्ल पर भरोसा नहीं कर सकता कि आपको यह बातें आज बीस साल के बाद सूझीं, जबकि बीस साल का तजरुबा था । आज कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं । यह सन् 1962 में स्पीकर थे, उस वक्त क्यों नहीं बात की ? (विघ्न) देवी लाल जी की बात मैं समझता हूं क्योंकि इनके कैरों साहब के साथ बहुत बढ़िया सम्बन्ध रहे हैं, इनके उनके साथ बहुत ताल्लुकात थे । (विघ्न) जिस से बदला लेना होगा उसके बच्चे को इधर उधर करना

होगा । (विघ्न) इसके साथ यह पट्टी का पाठ दोहराते हैं । यह जो कोल्ड स्टोरेज और सिनेमाज़ की बातें करते हैं यह दास कमीशन के सामने हैं और सबजुडिस होने के कारण मैं इन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता । (विघ्न) इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप इनको एक एक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन की तह में परसनल ग्राऊजिज़ हैं, रागद्वेश है ।

पंजाब ने जितनी तरक्की की है कांग्रेस के तहत उसका हमें फख्र है और इनको भी फख्र होना चाहिए । इनको इधर से गए हुए एक हफ्ता हुआ है लेकिन इन्होंने इस वक्त ऐसा किया जब कि दुशमन सिर पर दनदना रहा था । मगर फिर जब मौका आया तो कांग्रेस पार्टी फिर से जनता के सामने तोलने के लिये आई और अगर कहीं यह ताकत में होते तो यह फासिस्ट सबको कुचल कर रख देते, हर इन्सान को मसल देते, किसी को कोई बात करने की स्वतन्त्रता न देते । स्पीकर साहिब, पंजाब ने जो डिवैल्पमैंट कांग्रेस के तहत की है वह सब जानते हैं । इस सिलसिले में मैं आई.एल.ओ. के रिसर्च इन्स्टीच्यूट के एक लेख का हवाला देना चाहता हूं । यह जो किताब है यह जनेवा में छपी है । मैं यह हवाला इस लिये दे रहा हूं कि इन आपोज़ीशन के दोस्तों को पता लग जाए कि असलियत क्या है । ठीक है हम में दोष हैं, हजारों दोष होंगे, मैं यह नहीं कहता कि यहां पर सभी देवता बैठे हैं मगर क्या इन में एक भी खूबी नहीं है ? क्या यह बात ठीक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस कटे छटे सूबे को ऊपर उठाया है अपने परिश्रम से और इस को ऐसा बनाया है कि आज इस सूबे की धाक सारे हिन्दुस्तान में है ? यह आर्टीकल मैं इस लिए आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो लोग सूबे की तरक्की को भूल कर सिर्फ बुराइयों का ही ज़िक्र करते हैं वह प्रांत के वफादार नहीं हैं । आप देखें गे कि एक एम. एल. ए. का क्या फर्ज़ होता है । उसे इस बात का ज़िक्र करना चाहिए कि उन को स्कूल की जरूरत है, सड़क की जरूरत है या अपनी कन्स्टीचूयैंसी की डिवैल्पमैंट की और बातें करें मगर वह ऐसी कोई बात नहीं करते । वापस जा कर यही कहते हैं कि हमने यह यह गालियां दीं, यह यह बातें कीं । मगर यह पब्लिक के प्रति ज़िम्मेदारी की बातें नहीं हैं । यह जो आर्टीकल है यह (विघ्न) आइ. ऐल. ओ. के रिसर्च इन्स्टीच्यूट के इन्टरनेशनल लेबर रिव्यू जो जनेवा से छपा है (विघ्न).... तेरा इससे क्या वास्ता है यह पढ़े लिखों की बात है, तू आराम से बैठ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ । (It is a matter of mutual relationship.)

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । आज पंडित जी खड़े हुए । दूसरों से ही मुझे तो पता चला है कि यह पंडित जी हैं । वरना यह तो 7 महीने के बाद कब्र से निकल कर आज आए हैं......

Mr. Speaker : This is in bad taste. The hon. Member should resume his seat.

श्री भागीरथ लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । जिस ढंग से यह शब्द कहे जा रहे हैं कि कब्र से निकल कर ग्रा रहे हैं, क्या यह ग्रच्छे लगते हैं, ग्रापको ऐक्शन लेना चाहिए । (विघ्न) यह कैसी बात है ?

Mr. Speaker : I have already stated that this expression is in bad taste.

श्री भगवत दयाल : तो मैं कह रहा था कि यहां पर ग्राइ. ऐल. ग्रो. के रिसर्च स्कालर्ज ग्राए, उन्होंने सारे पंजाब का भ्रमण किया ग्रौर उन्होंने जो रिपोर्ट की वह पढ़ कर हमारा सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है ग्रौर मैं कह सकता हूं कि उसके लिये हमारा इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमैंट, जिस ने यह शानदार काम किया है उसके लिये वह बधाई का पात्र है ।

कामरेड राम प्यारा : न्यू इंडिया स्पिनिंग मिल्ज़ जो चोरी से बना ली है ।

श्री भगवत दयाल : हम ने यूं भी कुछ टाकिंग टाएज़ ऐक्स्पोर्ट किये हैं । देखो न क्या पार्ट ग्रदा कर रहे हैं । (विघ्न)

गृह मन्त्री : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । स्पीकर साहिब, मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि सरदार गुरदियाल सिंह जी ने काफी पंजैंट बातें कीं ग्रौर हम खामोशी के साथ सुनते रहे । ग्रब हमारा एक जिम्मेदार मैम्बर बोल रहा है, जो कि प्रदेश कांग्रेस का प्रैजीडैंट है ; इस में इस तरह से इन्टरफीरैंस करना मुनासब नहीं है । (विघ्न) ऐसी बातों का रीऐक्शन ग्रच्छा नहीं होता । (विघ्न)

Mr Speaker : No interruptions please.

Shri Bhagwat Dayal : In the Report, it is stated :

"A recent study published by the International Labour Office has shown how small-scale industry in every country gives employment to a substantial population of the industrial labour force and at the same time plays a strategic role in the economic development of the less industrialised countries........

The State is divided into 18 districts of which are Ambala, Amritsar, Gurdaspur, etc. The main occupation of the inhabitants of Punjab is agriculture. Since 1947, however, the State has made notable progress in the field of industrialization particularly in the small-scale sector. At present, the total number of small-scale industrial units amounts to roughly 25,000 employing over 1.2 million workers, and the varied production pattern which this sector has developed, includes not only consumers articles, e.g., bicycles, sewing machines, hosiery and brass utensils, but also specialised and precision goods, such as machine tools, scientific instruments, and components and spares for machinery employed in textile and certain other industries.........

A striking feature of the industrial progress of Punjab is the development of small-scale engineering industries in which the State leads as far as this progress in the small-scale sector is concerned. It is for this reason that a study of these industries in Punjab was undertaken, the findings of which are summarized in this article."

5.00 p.m.

It is a big thesis.

[Shri Bhagwat Dayal]

इस के अन्दर स्पीकर साहिब, यह चीज बतलाई गई है:—

> The Department of Industries, Punjab, carried out between 1949 and 1957 industrial surveys in various districts.

उसके अन्दर आगे चल कर automobiles और sanitary fittings के बारे में जिक्र है :—

> बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें hundred times तक विकास हुआ है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यह भाई विकास की तरफ नहीं देखते ।

उसने इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि. . . the rapid increase in the internal demand for consumer goods in the post-war period (especially since the commencement of the First Five-Year Plan), the rise in income levels..... इस में औद्योगिक विकास हुआ है । इसका मुख्य कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी income per capita बढ़ी है and there has been general spurt in the industrialisation at all levels.

इस लिए मैं अर्ज करूंगा कि इसके साथ साथ जहां पर हम इंडस्ट्रीज़ का इस पंजाब के अन्दर विकास देखते हैं वहां पर उद्योग धन्दों के मज़दूरों का भी विकास देखते हैं । जहां पर इंडस्ट्रीयल पीस को डिस्टरब करने की कोशिश इनकी तरफ से की गई लेकिन इस सम्बन्ध में भी हमारी स्टेट की हालत दूसरी स्टेटों की निसबत बहुत बेहतर है । हमारी efficiency in production बेहतर है और पंजाब आगे बढ़ता चला जा रहा है । जहां तक No-Confidence Motion का सम्बन्ध है मेरे दोस्तों ने, जिन्होंने इसे पेश किया है खुद फरमाया है कि यह पास तो होनी नहीं क्योंकि मैजारिटी इनके साथ नहीं लेकिन इन्हें तो गाली निकालने का मौका मिलना चाहिए । इन्हें महसूस करना चाहिएं कि हाउस का टाईम किन्हीं रचनात्मक कामों में लगाया जा सकता था । गाली देने से कुछ निकलने वाला नहीं । इन्हें गवर्नमैंट को कन्स्ट्रक्टिव सुजैशन्ज़ देनी चाहिए । बजाए अपने इलाके की तकलीफों को दूर करवाने के वही वक्त गाली देने में लगा दिया और यही मनोर्थ अच्छा नहीं । मैं तो चाहूंगा कि पंजाब के विकास के अन्दर आप भी सांझीदार बन सकते हैं अगर आप इस तरह के काम करने छोड़ दें ।

फिर कहा गया कि हमारी तरफ से अफ़सरों को टैरोराईज़ किया जाता है, विक्टेमाईज़ किया जाता है । ठीक है, ऐसा होता है उन अफ़सरान के साथ जो इनके हाथो में खेलते हैं । इनको लिख लिख कर नोट भेजते हैं और जो पबलिक इंट्रेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं । जो पालिटिक्स में अपनी टांग फंसाते हैं उन्हें रगड़ा तो लगेगा (विघ्न) (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : He can give his opinion about the Government's policy.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਗੜਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਗੜਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : The hon. Member should not interrupt it literally.

श्री भगवत दयाल : मैं एक दो मिनट में खत्म करता हूं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो हमारे कम्यूनिस्ट भाई हैं यह सुलझे हुए हैं। इन्होंने जो पिछली दफा नो-कानफीडेंस मोशन पेश करते समय मसौदा दिया था उसमें इन्होंने कुछ अच्छी बातों का ज़िक्र किया था-स्टेट ट्रेडिंग का, काम्मुनलिजम की फोर्सिज ताकत पर हैं और इसी तरह की कई एक बातें इंटेलैक्चुअल तौर पर लिखी हैं। यह बातें इन्होंने दीं, लेकिन 26 तारीख के जशन में यह शामिल हुए तो मैं क्या इनसे पूछ लूं कि उत्तम सिंह दुगल कहां के प्राग्रैसिव थे या वह कहां के पोलोतारियन लीडर थे जो आप इन दूसरी पार्टियों के साथ मिल गए। (विघ्न) अगर यह बात है तो आप में और हममें क्या फर्क रह जाता है। आप अकाली पार्टी के साथ समझौता कर गए। अकाली पार्टी तो नेशनालिस्ट है और आत्मा प्रमात्मा पर विश्वास रखने वाले हैं। उनकी तो गुरुओं की यह भूमि है परन्तु आप की मातृ भूमि कहीं और धर्म भूमि कहीं और। और आप ही हैं who can celebrate the defeats as victories.

आज देश के अन्दर के हालात आप देखें तो आपको पता लगेगा। इनके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि गुरु इन्हें सद्बुद्धि दें लेकिन आप को इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। कम्यूनिस्टों का डायलेक्ट और मदर इंटरनेशनल है। इनका इंटरनेशनल थीसिज़ है। मैं आप से अपील करूंगा कि आप इन के चक्कर में कैसे आ गए जो सूबे के टुकड़े करना चाहते थे। भाषा का झगड़ा इन्होंने खड़ा किया। इनकी विचारधारा और है। आप जनसंघ और अकालियों से कैसे मिल गए ? यह तो पंजाब की स्वतन्त्रता और देश के प्रजातन्त्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस लिए मैं इन सब भाइयों से अपील करूंगा कि आप में सद्भावना आए। आज हमारी सीमाएं खतरे में हैं और सब को अपनी शक्ति लगा कर देश का और पंजाब का निर्माण करना चाहिए।

Mr. Speaker : Pandit Amar Nath Sharma.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਕੀ ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਿਛਲੇ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ 43 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਲਈ Party strength has to be

[ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

kept in view ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੈਂਗਥ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂ । (On the last day when the No-Confidence Motion was discussed the Opposition took one hour and 43 minutes whereas the Treasury Benches took one hour and nine minutes. Therefore the Party strength has to be kept in view and the time should be allotted accordingly. It is true that the mover of the Motion should be given more time and I will bear this in mind. (*Interruption*) I will try to adjust the time accordingly.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੀਫੈਂਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਅਮਰ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਗਥ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ $\frac{2}{3}$ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ $\frac{2}{3}$ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਕਦਾਰ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ ਰੈਂਗਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । (I agree that the Opposition should be given more time than is due according to their strength. But only two hon. Members from the Treasury Benches spoke on the previous day of discussion on the No-Confidence Motion whereas four hon. Members from the Opposition took part in that discussion on that day. Therefore the fact of allotment of time will be kept in view.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕਦੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

PERSONAL EXPLANATION BY CHAUDHRI DEVI LAL

चौधरी देवी लाल : On a point of personal explanation, Sir. मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंडित भगवत दयाल ने मेरे लिये कानौर का रांघड़ के शब्द इस्तेमाल किये हैं मगर मैं हाउस की इतलाह के लिये यह बता देना चाहता हूं कि यह ज़िक्र 26 तारीख को चला जब अपोज़ीशन को सरकारी पार्टी की तरफ से 17 ऐम. ऐल. एज़. ने वोट डाले । हमारे इलाका में बीधड़ एक गांव है जहां का एक रांघड़ था जो चोरी का माल मोड़ाई लेकर वापस करता था । मैं ने उस का हवाला देते हुए कहा है, प्रताप सिंह रांघड़ ने हमारे 17 मेम्बर चोरी किये जो हम ने मुड़बाई लेकर लिये । मेरा मतलब और किसी से नहीं था । प्रताप सिंह कैरों से था ।

NO-CONFIDENCE MOTION AGAINST THE MINISTRY (RESUMPTION OF DISCUSSION)

श्री अमर नाथ शर्मा (कांगड़ा) : अपोज़ीशन वालों ने 5-6 नो-कानफीडेंस मोशनज़ पेश किये हैं । इन पर बोलते हुए कामरेड राम चन्द्र ने इस प्रस्ताव की परोढ़ता में कुछ कहा है । मैं हाउस की इत्तलाह के लिये आज से दो साल पहले जो कुछ इन्होंने 30 मार्च, 1962 को कहा, वह अर्ज़ करना चाहता हूं । आज जब कि यह इस भानमती के कुनबे में शामल हो गये हैं इनके विचार बिल्कुल ही बदल गये हैं ।

मैं अर्ज़ करूं कि जब यह कांग्रेस सरकार के साथ शामिल थे तो उस वक्त इन्होंने तीन नारे लगाये थे कि यह सरकार ऐंटीसोशलिस्ट है, यह सरकार एंटी-सोशल है और यह सरकार एंटीडैमोक्रेटिक है । मैं, स्पीकर साहिब, इनकी 30 मार्च, 1962 की स्पीच का कुछ हिस्सा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं । यह वही सरकार है जिसे यह पहले कहा करते थे कि आज हमारी कुरबानियां रंग ला रही हैं । इन कुरबानियों की वजह से हमने आज़ादी हासिल की और इसकी बदौलत ही आज शनै शनैः तरक्की कर रहे हैं, डिवैल्पमैंट कर रहे हैं । हमारे भाई शायद यह भी भूले न होंगे कि जब इन्सान असलियत को छोड़ जाता है तो वह इन्सान, इन्सान नहीं रहता, कुछ और हो जाता है ।

[*Deputy Speaker in the Chair.*]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं 30 मार्च, 1962 के इनके इलफाज़ कहता हूं "श्री राम चन्द्रा ने कहा कि मुझे खुशी होती है कि उन शहीदों की की हुई कुर्बानियां जो उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये कीं फल फूल रही हैं । मुझे खुशी प्राप्त होती है कि जिस काज़ के लिये हमने कुरबानियां कीं वह आज हम शनैः शनैः उनके कामको पूरा कर रहे हैं । अगर हम इस

[श्री अमर नाथ शर्मा]
सरकार के द्वारा किये हुये डिवैल्पमेंट के कामों की सराहना न करें, खुशी न मनायें तो हम अपने फ़र्ज़ से कोताही करेंगे"।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब कामरेड जी कहते हैं कि हमारी सरकार एंटीसोशलिस्ट है। शायद वह सोशलिज्म के हामी हैं। सोशलिस्ट सरकार का काम है कि किसी मुलक के ज़राये आमदन बढ़ाये, लोगों को शिक्षा दे, लोगों की आमदन बढ़ाए और सूबे की डिवैलपमैंट का काम करे। मैं आपकी मार्फत यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की सरकार के वक्त कितनी आमदन बढ़ी। मैं नहीं कहता, यह स्टैटिस्टीकल रीकार्ड ही बताता है कि हमारे कंटरी की 1950-51 में एक फैमीली की इन्कम 1320 रुपए थी और पर हैड यह 264 रुपए थी। 1960-61 में यह 1650 रुपए और फी कस 330 रुपए हो गई। 1962-63 में यह 1365 रुपए और फी कस 325 रुपए तक चली गई। (कामरेड राम प्यारा की ओर से विघ्न)।

उपाध्यक्षा : (addressing Comrade Ram Piara.) आप अपनी टरन पर बोलें अब इंटरप्ट न करें। (Let the hon. Member Comrade Ram Piara speak on his own turn and not interrupt now.)

कामरेड राम प्यारा : मैं तो जनाब, कैरों फैमली की आमदन पूछना चाहता हूं।

श्री अमर नाथ शर्मा : मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसके बाद दूसरे नम्बर पर आता है तालीम का सवाल जो जम्हूरियत से ताल्लुक रखता है (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ।

Deputy Speaker : This is no point of order. मैं पंडित जी को कहूंगी कि वह बार बार सरदार प्रताप सिंह कैरों का ज़िक्र खुद क्यों करते हैं। (This is no point of order. I would ask the hon. member Shri Amar Nath Sharma not to refer to the name of Sardar Partap Singh Kairon time and again.)

श्री अमर नाथ शर्मा : मैं अपनी सरकार के लीडर का नाम ले रहा था और मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं अर्ज़ करूं कि जो भाई यह कहते हैं कि हम तालीम में नहीं बढ़े, सोशलिजम में तरक्की नहीं की और न ही और किसी तरह की हमारी डिवैलपमैंट हुई है, मैं कहूंगा कि ऐसा कहने वालों का दिल भी गंदा है, मुंह भी गंदा है और मन भी गंदा है, मैं अर्ज़ करूं कि इसी तरह से हम तालीम के आंकड़ों को लें। 1950-51 में 1,848,978 तुलबा मुख्तलिफ प्राइमरी एजुकेशन ले कर हायर एजुकेशन ले रहे थे। 1961-62 में यह 2,760,595 हो गए। आज हम देखते हैं कि लाखों बच्चे हैं जो इस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम के बाद आती है हैल्थ। 1950-51 में

एवरेज़ उमर 32 साल की थी और 1962-63 में यह 47 साल हो गई। आज हमें मलेरिये, पलेग और हर तरह की नागहानी बीमारियों का नाम तक नहीं मिलता। आप यह समझ गये होंगे कि जो सरकार लोगों की आमदन बढ़ाये, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेहत का ख्याल रखे तो उस सरकार को एंटी-सोशलिस्ट कहना कोई मुनासिब बात न होगी। वही भाई इस को एंटी-सोशलिस्ट कहेंगे जिन के दिल में कोई और बात हो। जो भाई उधर गए वह तो इसलिए गए थे कि अखबारों में यह बात फैलेगी कि अब सरकार कमज़ोर हो गई है और जो लोग अन्दर ही अन्दर सरकार के खिलाफ हैं वह भी आकर उन के साथ मिल जाएंगे और अन्त में उनको गवर्नमैंट मिल जाएगी। यह श्री राम चन्द्र जी के विचार थे जो उन्होंने प्रकट किए थे। मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपने दोस्त की सन् 1962 की एक तकरीर का हवाला देना चाहता हूं कि उस वक्त क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। यह 20 मार्च, 1962 की डिबेट है जिसका सफा 10 (50) है यह कहते हैं—"कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि ला एंड आर्डर ठीक है और विजीलैंस डिपार्टमैंट ने करप्शन और दूसरी बुराइयों को बुरी तरह कुचल डाला है"। और इन्होंने ही यह कहा हमें फख्र है कि विजीलैंस डिपार्टमैंट का डायरैक्टर एक पबलिक मैन है और एक इंटैग्रेटी वाला इंसान है जिस के अन्दर देश भक्ति का मादा है। मैं आज अपने साथी को चौकस करना चाहता हूं कि यह न कहें यह सरकार एंटी-सोशल है। यह कहते हैं कि लेडी टीचर को कत्ल किया गया इसलिए ला एंड आर्डर खराब हैं लेकिन यह लेडी टीचर का केस 1957-58 का है! और यह इस को अटैच करते हैं सन् 1962 की कुरीतियां, बता कर के। उस वक्त भी और आज भी, जनाब, इस सरकार ने विजीलैंस डिपार्टमैंट को बहुत आगे बढ़ाया है और कई स्कवाड्ज़ बनाए हैं। इस सरकार ने ऐकसचैकर का लाखों रुपया रिकवर किया है जो कई लाख की तादाद तक पहुंचता है। आप ही बताएं कि जो सरकार बुराइयों को दूर करती हो और लाखों रुपया एकसचेकर का बचाती हो वह एंटी-सोशल हो सकती है? मैं समझता हूं कि यह कहना कामरेड साहिब को ज़ेब नहीं देता। अब पता नहीं कि उनको क्या हो गया। मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी कुरबानियां हैं। लेकिन आज वह अलग हो गए और कहते हैं एंटी डैमाक्रैटिक सरकार है। जहां बोलने की पूर्ण आजादी हो, लिखने की और चुनाओं की पूर्ण आजादी हो तो क्या ऐसी सरकार एंटी डैमाक्रेटिक हो सकती है? यह सरकार कामरेड रामचन्द्रा के लफज़ों में 1962 में डैमाक्रेटिक थी, वैधानिक थी, सोशलिजम को लाने वाली थी लेकिन दो साल में ही उलटी हो गई? हैरानी होती है यह बात सुन कर। मैं कम्युनिस्ट दोस्तों को उनके लफज़ सुनाना चाहता हूं कि "मेरी सरकार कम्युनल लोगों को कुचलने वाली है" यह मैं नहीं कहता उनके साथी कामरेड साहिब कह रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि सरकार उन सारी शक्तियों को जो देश को डिसइंटेगरेट करना चाहती हैं वह अमन को भंग करना चाहती हैं उनको कुचलने के लिए प्रयत्न शील हैं। और वस्तुत: इन ताकतों को सरकार ने पूरे तौर पर पीस डाला है। और उन्होने ही यह कहा है कि हमारी सरकार ने इलैक्शनों को वैधानिक तौर पर कंडक्ट करवाया है। यह सब कामरेड रामचन्द्रा जी का अपना सर्टिफिकेट दिया हुआ है इस सरकार को।

सरदार लछमन सिंह गिल : वह झूठा है।

श्री अमर नाथ शर्मा : यह आप समझ लीजिए। मेरे दोस्त जोश साहब यह कहते हैं कि इस सरकार ने ऐग्रेरियन रिफार्म नहीं किया, बैंक नेशनालाईज़ेशन नहीं किये लेकिन जोश साहिब को यह पता नहीं कि संत फतह सिंह ग्रुप, मास्टर तारा सिंह ग्रुप तो यह नहीं चाहता। आप जोश साहिब, समझ लीजिए कि किस बल पर आप समझते हैं कि आप एक हैं। यह तो चाहते हैं रजवाड़ाशाही दुबारा आए। जोश साहिब इतने प्राग्रेसिव विचार रखते हुए भी उनके साथ आज खड़े हो गए हैं और जो सरकार प्रोग्रेसिव है और सोशलिज़म लाने का पूरा प्रयत्न कर रही है उस के खिलाफ हैं।

[*Mr. Speaker in the Chair*]

अब मैं एक बात यह कहता हूं कि पिछले साल यह हल्ला हुआ था कि जन संघ और स्वतंत्र एक ही पलेटफार्म पर आना चाहते हैं लेकिन वह किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन फिर भी आज इस प्रस्ताव के साथ सब एक हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि यह भानुमति का पिटारा है और कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ा गया है। और यह है चूं चूं का मुरब्बा। कुछ इधर से लिया गया और कुछ उधर से लिया गया है।

स्वतंत्र पार्टी का मेनीफैस्टो अगर पढ़िए तो यह कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो पबलिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं और कांग्रेस ट्रेड को कंट्रोल करना चाहती है लेकिन स्वतंत्र पार्टी कोई भी पबलिक सैक्टर नहीं बनाना चाहती। मैं नहीं समझता इन की क्या समझ है जो कांग्रेस पार्टी सोशलिज़्म को लाना चाहती हो, छोटे बड़े को बराबर करना चाहती हो, भूख को मिटाना चाहती हो, और मकानहीनों को मकान देना चाहती हो, वह कैसे एंटी-सोशल और एंटी डैमोक्रेटिक है। स्पीकर साहिब, आप मुझे यह कहने की इज़ाजत दें कि आज छः महीने बाद फिर दुबारा यह मोशन क्यों लाए हैं। इस लिए कि यह पुलिटीकल एडलट्रेशन के ज़रिए पंजाब की भोली भाली जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पुलिटीकल एडल्ट्रेशन मैं इसलिए कहता हूं कि इन दोस्तों की जो सामने बैठे हैं, न कोई एक पालिसी है, न एक विचार है और यह अपोज़ीशन ऐसी किस्म की नहीं है जैसी कि दूसरे डैमोक्रेटिक देशों में होती है, जिसके पास जनता के सामने पेश करने के लिए कोई प्रोग्राम होता है कि जिस को बता कर वह कहें कि हम इस सरकार को तबदील करके इस पालिसी पर अपनी सरकार बना कर चलना चाहते हैं। यहां तो यह ज़ातियात की बातें करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। (घंटी) मैं दो मिनट में बात खत्म करके बैठ जाता हूं। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जन संघ वालों ने अपने मैनीफैस्टो में लिखा कि कांग्रेस सरकार भी फ्री ट्रेड पर एन्क्रोचमैंट करना चाहती है लेकिन कम्युनिस्ट भाई यह शोर मचाते हैं कि यह सरकार स्टेट ट्रेडिंग नहीं करती, इस लिए बुरी है और निकालनी चाहिए। इस अपोज़ीशन का एक कम्युनिस्टों का धड़ा कहता है कि स्टेट ट्रेडिंग हो, सीलिंग आन लैंड हो, बैंक्स नेशनालाइज़ हों लेकिन दूसरा धड़ा जो अकाली भाइयों का है वह कुछ और कहता है। ढिल्लों साहिब ने तो यह कह दिया कि पंजाबी सूबा वालों ने पंजाबी सूबा मांगना छोड़ दिया है लेकिन अगर आप संत फतह सिंह के अखबार को उठा कर देखें तो वह कहते हैं कि हम लिंगुइस्टिक बेसिज़ पर पंजाबी सूबा की डिमारकेशन करवा कर छोड़ेंगे। कहां छोड़ा है उन्होंने ?

सरदार लछमन सिंह गिल : न छोड़ा है, न छोड़ेंगे।

श्री अमर नाथ शर्मा : पहले उन्होंने पंजाबी सूबा के नाम पर गिरफतारियां दीं, फिर उन्होंने हिन्दी भाषा के नाम पर गिरफतारियां दीं और आज वह कहने लगे कि रिजनल कमेटियां तोड़ी जाएं। मैं कहता हूं कि रिजनल कमेटियां बनाने वाले तो आप लोग हैं, चाहे जनसंघी हैं, चाहे अकाली हैं जिन्होंने कि सूबा को भाषा के नाम पर बांटा। हमारा यह सारा सूबा दो भाषाई है लेकिन यह दोस्त ऐसी बातें करके हमारे इस प्रांत को नुक्सान पहुंचा रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। इनके ऐसा करने में एक चाल है और वह यह कि एक सरकार जो अच्छे काम कर रही है, गरीबों के हित के काम कर रही है, गरीबी को दूर करने में लगी हुई है उसके इस काम में रुकावट डाली जाए। मैं इन्कार नहीं करता कि जब कोई काम करता है तो कोई न कोई गल्ती ज़रूर हो जाती है और फरिश्तों से भी गल्तियां हो जाती हैं लेकिन डैमाक्रेसी यह नहीं कहती कि इंडीविजुअल तौर पर गलतियां बतला २ कर एक सारी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाए। डैमोक्रेसी कहती है कि अगर नो-कान्फीडैंस मोशन लाते हो तो एलान कर दो कि सरकार की फलां फलां पालिसी ठीक नहीं और हम फलां फलां पालिसी के बेसिज़ पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अगर यह ऐसी बातें करते और अपनी कोई बेहतर पालिसी बताते तो हम भी उसका जबाब देते और अपनी पालिसी को सही बताते लेकिन यहां हो क्या रहा है? गालियां निकाली जा रही हैं। अमर नाथ बुरा है, फलां अच्छा है और फलां बुरा है। क्या इन बातों से डैमोक्रेसी चलती है? (घंटी) मैं अब खत्म करने लगा हूं.......

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵੀ ਪਿਟੋ। (ਹਾਸਾ)

श्री अमर नाथ शर्मा : आपका सिर भी तोड़ेंगे आप क्यों घबराते हैं (हंसी)। डैमोक्रेसी में जो अपोज़ीशन होती है उसका एक असूल होता है, एक विचार होता है और उस असूल पर चलते हुए वह लोगों को बताती है कि अगर इस हकूमत को, कांग्रेस सरकार को गद्दी से उतारा जाए तो हम यह यह काम करेंगे लेकिन बदकिस्मती यह है कि इनका न एक असूल है, न एक विचारधारा है, इनकी न आर्थिक, न सामाजिक और न राजनैतिक नीति एक है और न आपस में कोई बात इनकी मिलती है। यह भानुमति का कुम्बा जो है उस पार्टी को गालियां निकालता है, जिस पार्टी की अपनी एक तारीख है, बैकग्राउंड है, जिसने कुरबानियां की हैं, फांसी के तख्ते चूमे हैं और देश के लिए आजादी ली और अब उस देश को बनाने चली है (घंटी)। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि यह लोग भोली भाली जनता को गलत फहमी में डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और सिर्फ अखबारों के वर्क काले करने के लिए ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, फिर साथ में कहते हैं कि हम पंजाब का भला चाहते हैं। खाक भला चाहते हैं जबकि तरक्की के कामों में सरकार की मदद करने की बजाए रुकावटें डालते हैं और वक्त और रुपया फजूल बातों में ज़ाया करते हैं! (घंटी) आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हाउस पर एक दिन में 10 हज़ार रुपया खर्च होता है और तीन दिन तक इस फज़ूल मोशन पर बहस होगी। इस का मतलब है कि 30 हज़ार रुपया जनता का ज़ाया किया जा रहा है। इनको जनता के रुपये का तो कोई दर्द नहीं जो ज़ाया हो रहा है इनकी ऐसी बातों से, लेकिन जो पार्टी जनता का दर्द महसूस करती है उसे बदनाम

[श्री अमर नाथ शर्मा]
करते हैं। इस बात को यह भी जानते हैं कि यह मोशन फेल हो जाएगी लेकिन लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई को ज़ाया करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं।

(Mr. Speaker called upon Babu Bachan Singh to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। (I am following the list supplied to me in this behalf.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਾਲ ਅਪੋਂਨ ਕਰੋ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੋਂਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੋਂਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। (ਸ਼ੋਰ, ਵਿਘਨ) (I am following the list. I call upon that hon. Member from the list who rises first. Now I have called upon Baboo Bachan Singh) (Noise, interruption)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ(ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋ-ਕੰਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਲਟਰੇਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ........

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਟਰੈਂਗਥ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ.. .. .. .. (ਸ਼ੋਰ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ 64 ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਆਦਮੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 100, 100, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢ ਕੇ ਕਾਮ-ਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕੰਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸ਼ਕਸਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਸ਼ੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਇਦਾ ਮੁਕਰੱਰ ਹੋਇਆ.. ..

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ

ਪਾਰਟੀ ਰੀਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਇਟੀਰਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਈ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ। (I am calling upon the hon. Members according to the list supplied by them. I call upon that hon. Member who catches my eye. I will carry out whatever decision by the hon. Members take in this behalf.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आप ने बाबू बचन सिंह को काल अपौन कर दिया है ठीक है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੇ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਯਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕੈਚ ਕਰੇ ਯਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਉ। (The hon. Members may please decide amongst themselves as to whether the hon. Member who catches the eye of the Chair or the one whose name appears next on the list is to be called upon.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। (ਸ਼ੋਰ) ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? (Is Baboo Bachan Singh not a member of the Opposition ?)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਖਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

गृह मंत्री : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर सर, इन की वाकफीयत के लिए मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इन की पार्टी की तरफ से इस मोशन पर सरदार गुरचरण सिंह बोल चुके हैं । (विघन) (शोर)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਈ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਜਾਰੀ ਰਖੋ। (I will call upon that hon. Member from the list, supplied to me who catches my eye. Baboo Bachan Singh may please continue his speech.)

WALK-OUT

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। (ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ)

Mr. Speaker : The stand taken by the hon. Member, Sardar Lachhman Singh Gill is untenable. He has taken an unwarranted position.

NO-CONFIDENCE MOTION AGAINST THE MINISTRY. (RESUMPTION OF DISCUSSION)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਪੁਰ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਵੇ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਗੈਰ ਮੁਤੱਲਿਕਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈ ਪੁਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ (* * * * *) ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

गृह मंत्री : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। माननीय मैम्बर ने मैम्बरों के बारे में जो इल्फाज इस्तेमाल किए हैं वह अनपार्लियामेंटरी हैं, वह वापस लिए जाने चाहिएं।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ। (I would request the hon. Member to withdraw these words.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 1919 ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 1920 ਵਿਚ

*Expunged as ordered by the Chair.

ਨਾਨ-ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ (ਵਿਘਨ) ਅੱਜ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚੈਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ-ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁੜ 1 ਰੁਪਿਆ 10 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ 1 ਰੁਪਿਆ 20 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ, ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾਉ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁੜ ਖਾਉ। ਖੰਡ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਭਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਗੁੜ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ $1\frac{1}{4}$ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਫੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਫੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਨਾਸ ਦੇ ਭਾ ਵਧੇ ਹਨ, 75 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਕਣਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਅਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 1958-59 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੋ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ 63 ਲਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 56 ਲਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। 40 ਲਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਡ੍ਰੇਨ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਕੱਢੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਪੁਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1962 ਵਿਚ ਫਲੱਡਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ 37 ਲਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ 1,95 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੇਖ ਲਉ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 3½ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Please wind up.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਅਛਾ ਜੀ, ਇਥੇ ਇਕ ਬੂਝ ਬੁਝੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਐਨੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Home Minister : I rise on a Point of Order Sir. Till the hon. member had not named any hon. Member, I had not raised this point of order. The expression '*Boojh Bhujakkar*" used by the hon. Member for another hon. Member of this House is not proper. It is unparliamentary and undignified. I would, therefore, request the hon. Member to withdraw it.

Sardar Gurnam Singh : It is not unparliamentary.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਉ।

(I would request the hon. Member please to withdraw this word.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਉ। **(The hon. Member should please explain the meaning of this word).**

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Sardar Gurnam Singh : The question is whether the word is unparliamentary or not. In my view, it is not.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਸ ਲਫਜ਼ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(I feel that the word which is objected to by the hon. Member should be withdrawn.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ।

(Had the hon. Member raised any objection those particular words could have been asked to be withdrawn.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : 1961 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ 3 ਲਖ ਹੈ। 71 ਲਖ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1½ ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲਖ ਆਦਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਐਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 1948-49 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਜਨਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬੜੇ ਤਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਙਣੀਆਂ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

6.00 P.M.

ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਇਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦਾ ਕੀ ਭਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇਬਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। (ਘੰਟੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ **ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ** ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਇਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਵਿਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

गृह मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, इस मोशन पर आज बहस का दूसरा दिन खत्म हो रहा है। आपोजीशन पार्टीज़ और ग्रुप्स की तरफ से हर एक ग्रुप के नुमाइन्दों ने इस में हिस्सा लिया है। अब तक आपोजीशन के छः मेम्बर साहिबान बोल चुके हैं और मैं ने उन छः मेम्बर साहिबान को यहां पर बैठ कर गौर से और सन्जीदगी के साथ सुना है। लेकिन इस बात पर मैं पंडित अमर नाथ जी के साथ इत्तफाक करता हूं कि इस मोशन पर कोई भी नई चीज़ इन दोनों दिनों में हाउस के सामने नहीं आई।

बाबू बचन सिंह : मैंने सारी बातें पिछली मोशन के बाद की कही हैं।

गृह मन्त्री : अभी अभी बाबू बचन सिंह जी बोल रहे थे। मैं ने उन को सुना। उन्होंने वही गुड़ शक्कर और आटे की बातों को दुहराया है।

बाबू बचन सिंह : यही तो इस वक्त सब से ज़रूरी चीज़ें हैं।

गृह मंत्री : वही मंहगाई की बात, वही सरकार की लापरवाही की बात, वही ला एण्ड आर्डर की बातें। यह कोई नई बातें नहीं। वही बातें कही गईं जो यहां पर कई दिनों से दोहराई जा रही हैं। कई दिनों से ही नहीं, इस सेशन में ही नहीं, पिछले सैशन में भी वही बातें कही गईं। डीमांड्ज़ पर भी वही बातें हुईं। वही रक्षा दल की बातें, वही पार्टी पर पुराने हमले, वही पार्टी के लीडर पर जाती हमले, मिनिस्टरों पर जाती हमले, गर्ज़े कि उन में कोई भी नई बात नहीं थी। मैं समझ सकता हूं इस बात को कि अल्फाज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए लेकिन वही पुराने चार्जिज, वही पुराने ख्यालात और वही बातें। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक अर्ज़ करूंगा कि पंडित अमर नाथ जी ने जो कुछ कहा था उसके साथ मैं पूरी तरह से इत्तफाक करता हूं कि यह नो-कन्फीडैंन्स का जो मोशन लाया गया हमें अफसोस है कि इस से हाउस के टाईम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस का सही इस्तेमाल है अगर जो बातें यहां पर रखी जा चुकी थीं, जिन पर बहस हो चुकी थी और उस में जो पोजीशन गवर्नमैंट की तरफ से आई उस पर मैम्बर साहिबान की तरफ से कोई नुक्ताचीनी की गई होती। मिसाल के तौर पर मैं कहूं जो कि ला एंड आर्डर का चर्चा बार बार किया गया। बहुत से मैम्बरों की तरफ से किया गया। कामरेड राम चन्द्रा जी यहां पर बैठे हुए हैं। उन्हों ने इस बहस का आगाज़ किया इसलिए उन की तकरीर हमारे सामने बहुत अहमियत रखती है। वह हमारे पुराने बजुर्ग हैं, काबले इज्ज़त हैं। हम उन की दिल से इज्ज़त करते हैं......रास्ते अलग हो गए, यह एक इलहदा बात है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां की हैं। उन्हें कौन भूल सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि कामरेड राम चन्द जी ने अपनी स्पीच में बिलकुल नाइन्साफी की है,

अन्याय किया है। ला एण्ड आर्डर का चर्चा किया गया। आप को याद होगा कि मैं ने इसी सैशन में इस सम्बन्ध में आंकड़े दिए थे यह ज़ाहिर करने के लिए कि ला एण्ड आर्डर की पोजीशन पंजाब में क्या है। मैं ने दावा किया था कि जहां तक ए क्लास स्टेट्स का सम्बन्ध है सारे हिन्दुस्तान में डकेतियों के लिहाज़ से हमारा नम्बर लोएस्ट है। मैंने इन्टेलीजैंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दे कर फिगर्ज़ को कोट किया था। मैं ने अर्ज़ की थी कि हाउस ब्रेकिंग में सारे हिन्दुस्तान भर में हमारी लोएस्ट फिगर्ज़ हैं, रायटिंग में हमारी लोएस्ट फिगर्ज़ हैं। मैं ने यह भी बताया था कि कागनीज़ेबल क्राइम्ज़ के लिहाज़ से पंजाब की हिन्दुस्तान में तेरहवीं लोएस्ट पोज़ीशन है। थेफट्स में भी ऐसी ही है। मैं आशा रखता था कि जो मैम्बर साहिबान कहते हैं कि पंजाब में ला एण्ड आर्डर की हालत खराब है, वह मेरे द्वारा दिए गए उन आंकड़ों को झुठलाएं गे। वह बताएं गे कि जो कुछ मैं ने कहा था वह सही नहीं था। मैं उम्मीद करता था कि वह यह कहें गे कि जो रिपोर्ट मैं ने पढ़ी थी वह सही नहीं और फलां रिपोर्ट सही है। मैं ने दावा किया था और उस दावे को फिर दोहराता हूं कि जहां तक ला एण्ड आर्डर का सम्बन्ध है पंजाब हिन्दुस्तान भर में बेस्ट ऐडमिनिस्टर्ड स्टेट्स में से एक है। (ट्रेज़री बैंचों की तरफ से प्रशंसा) मैं दूसरे देशों के आंकड़ों के साथ मुकाबिला नहीं करना चाहता क्योंकि यह कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैं यह भी दावा नहीं करता कि पंजाब में सारे जुर्म बिल्कुल खत्म हो गए हैं, मर्डर खत्म हो गए हैं, चोरियां खत्म हो गई हैं, डाके खत्म हो गए हैं और दूसरे जराइम खत्म हो गए हैं। ऐसा दावा मैं ने कभी नहीं किया; लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा ज़रूर किया कि ला एण्ड आर्डर की हालत काबू में है, जरायम बहुत कम हो गए हैं।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,000 ਵਧ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਹੋਏ। ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। (This is no point of order. The hon. Member can refer to it during the course of his speech)

Chaudhri Darshan Singh : Sir, the hon. Home Minister is making a wrong statement. I challenge this.

Comrade Ram Chandra : Let the hon. Home Minister clarify it.

Chaudhri Darshan Singh : There is increase of 5,000 cases as compared to the last year.

गृह मंत्री : मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जब ला एण्ड आर्डर की डीमांड पर बहस हुई थी उस वक्त गाल्बन मेम्बर साहिब हाउस में थे नहीं या उन्होंने मेरी स्पीच को सुना नहीं होगा और अगर सुना तो ध्यान नहीं दिया होगा। मैं ने अपने जवाब में कारण दिए थे, रीज़ंज़ दिए थे और बताया था कि वह पांच हज़ार की बढ़ोतरी ऐक्साइज़ केसिज़, प्रिवैंटिव केसिज़, मिसलेनियस केसिज़ की है।

Chaudhri Darshan Singh : On a point of Information, Sir.

Home Minister : I am not giving way.

Chaudhri Darshan Singh : Sir, the hon. Home Minister is again giving a wrong information.

Mr. Speaker : This is not the proper way.

गृह मंत्री : मैं कामरेड राम चन्द्र जी से कहूंगा कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं उन्हें गिले के तौर पर यह बात कहूंगा कि नामालूम जोश में आ कर या उसके मायनी क्या निकलते हैं इसको सामने न रखते हुए यह फरमाया था कि हिन्दुस्तान में जितनी महंगाई है उस की जिम्मेदार पंजाब सरकार है.... पंजाब सरकार। मुझे अफसोस है कि कामरेड रामचन्द्र जी जैसे सुलझे हुए मेम्बर, हमारे बहुत पुराने साथी ऐसी बात कहें जो कि वाकयात के बिल्कुल बरखिलाफ हो और बेबुनियाद हो। और यह भी कोई नई बात नहीं है। कामरेड साहिब खुद जानते हैं कि इस का भी पहले चर्चा हुआ था। इस सम्बन्ध में मैं ने एक ब्यान पड़ा था महंगाई के सिलसिले में और प्राइसिज़ के सिलसिले में जिस की प्रिंटिड कापीज़ आप को दी गई थीं। उस में भी मैं ने आंकड़े दिए थे। चूंकि आज यह बात फिर कही गई है इसलिए आप की वाकफियत के लिए फिर अर्ज़ कर देता हूं कि मैं ने उस वक्त यह दावा किया था कि यहां तक पंजाब का सवाल है, सन् 1962-63 की फिगर्ज़ कोट करते हुए बताया था कि कन्ज्यूमर गुड्ज़ का जो प्राइस इंडैक्स है वह आल इंडिया फिगर्ज़ के मुकाबले में 19 प्वायंट कम है। आल इंडिया की 131 है और मैं ने अपने आकड़े कोट कर के बताया था कि पंजाब की 112 है। इस पर भी इन्होंने फरमाया है कि पंजाब गवर्नमैंट सारे हिन्दुतान की महंगाई के लिए जिम्मेवार है। आप मुलाहज़ा फरमाइए कि मैसूर में प्राइस इण्डैक्स जबकि 154 है तो हमारे पंजाब में यह 112 है। मैसूर सारे हिन्दुस्तान में सब से ज़्यादा तरक्की याफता स्टेट समझी जाती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जब कि यह 145 है तो पंजाब में 112 है। यहीं पर बस नहीं, मैं ने यह आंकड़े सतम्बर, 1963 के पहले के आंकड़े रखे हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि उस के बाद भी बदस्तूर यह 19 का फर्क जारी रहा है। उस के बाद यहां आल इंडिया इण्डेक्स 137 है तो हमारे पंजाब का यह 118 है और इस के मुकाबिला में मद्रास का 152 है, बम्बई का 148 है...

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। बात यह है कि महंगाई हुई है सितम्बर के महीने के बाद और होम मिनिस्टर साहिब फिगर्ज़ कोट कर रहे हैं सितम्बर तक की या उस से भी पुरानी फिगर्ज़ कोट कर रहे हैं। यह कैसे कर रहे हैं ?

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं तो खुद हैरान था कि बाबू बचन सिंह ने इस सारे सैशन में क्यों कम प्वायंट आफ आर्डर उठाए हैं क्योंकि उन की तो यह पुरानी आदत है प्वायंट आफ आर्डर उठाने की।

तो, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि कामरेड जी ने दो तीन और बातें कहीं थीं। एक तो उन्होंने कहा था कि यह स्टेट कंगाल हो गई है। जो लफज़ इन्हों ने कोट किए वही मैं ने लिख लिए थे लेकिन इन के मुकाबिला में हम ने यहां आंकड़े कोट किए। अच्छा होता कि बजाए इस तरह की बातें करने के यह हमारे आंकड़ों को झुठलाते, उन को चैलेंज तो करते और अपनी बातों की कोई बुनियाद तो रखते। लेकिन कामरेड जी ने कह

दिया कि सूबा कंगाल हो गया है हालांकि मैं ने, हमारी जो पर कैप्टिा इनकम है उन की फिगर्ज़ कोट की थीं जो यह साबत करती थीं कि पंजाब की पर कैप्टिा इनकम बाकी सब स्टेटस से ज़्यादा है जो कि 401 रुपए के करीब है।

इसी तरह से रक्षा दल और चीफ मिनिस्टर साहिब के मुतअल्लिक बहुत बातें कही गई हैं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ दो तीन बातों का जवाब दूंगा जो मूवर साहिब ने रखी हैं। मूवर साहिब जो कि बड़े सूल्झे हुए आदमी हैं, पता नहीं कि क्यों इतनी मुबालगा आमेज़ बातें कह गए हैं जिन का कोई आधार नहीं और कोई बुनियाद नहीं। आखर उन की कुछ बातें हैं जिन का जिक्र मैं अगर न करूं तो इस से गल्तफैमी पैदा हो सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कामरेड जी ने मुझ पर भी कुछ ज़ाती हमले किए और कुछ ज़ाती बातें कीं। हालांकि मुझे ज़ाती बातों में पड़ने की हमेशा झिझक होती है लेकिन अगर इन चीजों का जवाब न दूं तो ज़रूरी है कि इन से गल्तफहमी बनी रहेगी। इस के इलावा एक और भद्र पुरुष है, डाक्टर मंगल सैन जी, जो इस वक्त हाउस में नहीं बैठे। एक बात उन्होंने भी कही थी। इस लिए मैं चाहूंगा कि उन की बातें आप के सामने रखूं। कामरेड साहिब ने फर्माया है कि सरकार ने मेरे भतीजा को शूगर सिंडीकेट का प्रेज़ीडेंट बना दिया है और उस की एक हज़ार रुपए तनखाह मुकर्रर कर दी है। अगर मैं ज़बान नहीं निकालता तो समझा जाता कि शायद गल्ती हो गई है। श्री मंगल सैन ने भी यही बात दोहराई है पर मैं कहता हूं कि इस से ज़्यादा गल्त बात और बेबुनियाद बात और कोई नहीं हो सकती जिस का कोई आधार नहीं है। मैं कामरेड जी से कहता हूं कि आप को इतना इल्म है और मंगल सैन की तो बात ही दूसरी है कि सिंडीकेट जो बनती है उसे सरकार नहीं बनाती। वह चुनाव के ज़रिए बनती है और उस के प्रेज़ीडेंट और सैक्रेटरी भी चुनाव से मुकर्रर होते हैं। उन्हें सिंडीकेट खुद चुनाव करके जिस को चाहे बनाती है और उस में किसी किस्म का सरकार का कोई हाथ नहीं होता। इस के बावजूद भी मैंने यह रिपोर्ट मंगवाई है। इस में वह प्रोसीडिंगज़ दी हुई हैं जिस में सिंडीकेट ने अपने ओहदेदारों का चुनाव किया था। यह 10 मई, 1963 की है। जिस दिन उस सिंडीकेट की मीटिंग हुई थी जिस के 15 मेम्बर हैं, उस मीटिंग में उन मेम्बरों ने अपने एक मेम्बर श्री नन्द लाल को अपना प्रेज़ीडेंट चुना था और यह ओहदेदारों के चुनाव की जो कार्यवाही हुई थी वह उन्हों ने वहां के फूड कन्ट्रोलर के पास 8 मई को भेजी और उस में उन्हों-ने कहा —

> "…. that Pt. Basant Lal is elected President, Shri Kishan Chand elected Vice President, L. Walaiti Ram Aggarwal, Cashier and Shri Jugal Kishore is elected the Secretary of the Sugar Syndicate, Batala."

यह है वह बाकायदा इतलाह जो शूग्र सिंडीकेट की तरफ से हमें आई और यह जिस दिन वह मीटिंग हुई थी उस के दो दिन बाद भेजी गई थी।

कामरेड राम चन्द्र : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं पंडित जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस से पहले क्या पंडित बसन्त लाल तम्बाकू नहीं बेचा करते थे या खाण्ड भी बेचा करते थे ?

गृह मन्त्री : मैं इन सारी बातों का जवाब दूंगा । कामरेड जी एक पुराने श्रौर सुलझे हुए श्रादमी हैं ।

Sardar Gurnam Singh : Is this a private body.

गृह मन्त्री : मैं श्रर्ज करता हूं कि शुग्र सिंडीकेट उन लोगों से बनती है जिन के शुग्र डीलर्ज़ के लाइसैंस हों श्रौर वे श्रपने श्रोहदेदार खुद चुनाव कर के मुकर्रर करते हैं । तो, स्पीकर साहिब, मैं श्रर्ज कर रहा था कि श्राप ज़रा मुलाहजा कीजिए कि किस तरह से वरगलाया जाता है कि गवर्नमैंट ने मेरे भतीजे को शुग्र सिंडीकेट का प्रेजीडेंट मुकर्रर कर दिया श्रौर एक हज़ार तनखाह लगा दी (विघ्न) जहां तक तनखाह वगैरह का सवाल है, मैं, स्पीकर साहिब, श्रर्ज़ करता हूं कि सिंडीकेट के सारे श्राफिस होल्डर्ज श्रानरेरी हैं श्रौर किसी को कोई तन्खाह नहीं मिलती । (विघ्न) श्रब कमिशन का ज़िक्र कर रहे हैं । उस के बारे में भी सुन लीजिए । उस बारे में भी मैं ने रिपोर्ट मंगा रखी है । मैं श्राप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि उस सिंडीकेट के 15 मेम्बर्ज़ हैं श्रौर हर मैम्बर ने दस दस हज़ार के शेश्रर्ज़ रेज़ कर रखे हैं श्रौर जितना उस का मुनाफा होता है यह तमाम मैम्बर्ज़ में डिस्ट्री-ब्यूट होता है । श्रौर जो उन का खर्चा होता है उस को शामिल कर के उन का शेयर 208 रुपए माहवार बनता है । मुझे श्रफसोस है कि कामरेड राम चन्द्र जैसे सुलझे हुए इनसान भी ऐसी गलती कर सकते हैं श्रौर मुबालगा श्रामेज श्रौर गलत ब्यानी कर सकते हैं तो इस से ज़्यादा श्रौर श्रन्याय क्या हो सकता है ? दूसरे मेम्बर साहिब यहां पर नहीं हैं । मुझे श्रफसोस इस बात का है कि मुझे ऐसी बात कहनी पड़ती है जिस के कहने में मुझे बड़ी झिझक होती है । श्रभी २ कामरेड साहिब फर्मा रहे थे कि जिस का नाम इन्होंने लिया है वह मेरा भतीजा है, बसन्त लाल उस का नाम है । मैं श्रर्ज़ करूं कि हम सारे भाई 25 साल से श्रलग २ हैं श्रौर मेरा उन के साथ कुछ मुशतर्का नहीं है । (विघ्न) मैं इन की बातों का नोटिस नहीं लूंगा, यह तो जिम्मेदारी से कोई बात करने के श्रादी नहीं हैं । मैं इन के मुतल्लिक कुछ कहना पसन्द भी नहीं करता । तो मैं श्रर्ज़ कर रहा था कि मेरा उन से कुछ मुशतर्का नहीं है । मैं उन की वकालत नहीं करता श्रौर न करने को तैयार हूं, मगर कामरेड साहिब से संजीदगी श्रौर नम्रता से श्रर्ज़ करना चाहता हूं कि श्रगर श्राप को कभी मौका मिले तो चले जाइये वह बटाला में रहते हैं । मैं फतेहगढ़ चूड़ियां का रहने वाला हूं । वहां पर ही उन का काम है । उस के बाद इस हाउस को कान्फीडैंस में ले लीजिये कि जिस शख्स का श्राप ने मज़ाक उड़ाया है उस के बारे में वह सूचना सही है या नहीं । मैं श्राप को बता दूं कि वह वहां का इलैक्टिड मयुनिसिपल कमिश्नर ही नहीं बल्कि प्रैजीडैंट भी है ईलैकटिड । यह उन की हैसियत है, मगर मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि वह क्या हैं, क्या उन का काम है, कैसी उन की हालत है । जो कुछ भी है, वह चले जाएं श्रौर जा कर पता कर लें । मैं भला क्यों कहूं, श्राप खुद जा कर तसल्ली कर लें । मैं उन की सफाई क्यों दूं । मैं इस बात में कतई तौर पर नहीं जाना चाहता । मगर श्राप से इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि श्राप ने एक ऐसे श्रादमी के साथ हद दर्जे का श्रन्याय किया है, जो हाउस में नहीं है, उस का मज़ाक उड़ा कर के । मुझे यकीन है कि श्रगर श्राप उन से मिलें या देखें तो श्राप ज़रूर ही कुछ श्रौर ही राए रखेंगे ।

पेशतर मैं किसी और बात में जाऊं मैं उस ऐडजर्नमैंट मोशन का जिक्र करता हूं जो यहां पर श्री बलरामजी दास टंडन ने पेश की थी। मेरे मुताल्लिक दूसरे चौथे दिन मोशन आ जाए तो ऐसी बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक ऐडजर्नमैंट मोशन 19 तारीख को पेश की थी और उस में भी मेरे ही एक भतीजे का जिक्र किया था। उस में कहा गया था कि उन्होंने बहुत ज्यादती की थी, चौकी इसलामाबाद अमृतसर सिटी में जा के उन को धमकाया डराया और ज्यादती की। ऐसी ऐलीगेशन लगा कर वह ऐडजर्नमैंट मोशन दी गई थी। जब वह ऐडजर्नमैंट मोशन मेरे पास आई तो मैं ने उस के मुताल्लिक जांच पड़ताल की थी। मैंने जो उस वक्त नोट लिख कर आई. जी. पी. को भेजा था वह यह था:

> "I want to have the true facts immediately. I would like to record in clear terms that no consideration be shown to anybody, even if he is related to me, and the case must be dealt with on pure merits. Law must have its course regardless of personalities".

यह नोट मैं ने आई.जी. को लिख कर भेजा था। मुझे अफसोस है कि वह दोनों साहिबान इस वक्त यहां पर बैठे हुए नहीं हैं। श्री टंडन जी और श्री बलदेव प्रकाश जी। मैम्बर साहिबान उन से पूछ लें। टंडन जी मेरे पास आए और कहने लगे कि जो ऐडजर्नमैंट मोशन मैं ने दी थी वह गलत थी इस लिये इस का मुझे अफसोस है, वह बेबुनयाद थी। (तालियां) बाद में डा० बलदेव प्रकाश जी आए। उन्होंने कहा कि मैं ने आप के पास टंडन जी को भेजा था रीग्रेट शो करने के लिये चूंकि वह बात बेबुन्याद थी, गलत थी। (तालियां) मैं ने उस बारे में मुकम्मल रिपोर्ट मांगी थी और अगर कोई मैम्बर साहिब इस में दिलचस्पी रखते हों तो वह इस को पढ़ सकते हैं। जैसे टंडन जी ने मुझ से कहा था कि मैं ने तो यूं ही अखबार पढ़ कर अडर्जनमैंट मोशन का नोटिस दे दिया था मगर जब जांच पड़ताल की तो इस नतीजा पर पहुंचा कि यह बात बिल्कुल गलत है, आप से नाइनसाफी की है इस लिये माफी मांगता हूं। इसी तरह से अगर कामरेड साहिब भी वहां जा कर पता करेंगे तो यह भी असलियत से वाकिफ हो जाएंगे। मुझे वाकफियत है कि यह इन को कहां से गलत सूचना मिली। मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि ऐसे हैं मेरे चन्द मेहरबान जिन्होंने यह बातें उन तक और मंगल सैन जी तक पहुंचाई हैं। मगर मैं कामरेड साहिब से कहता हूं कि सिर्फ सुन कर ही किसी बात पर एतबार कर लेना एक बहुत ही खतरनाक बात है। अभी आप जाइये और तहकीकात करें। मुझे यकीन है कि आप भी श्री टंडन जी और श्री बलदेव प्रकाश की तरह मुझ से माफी मांगेंगे। फिर, स्पीकर साहिब, मेरे लड़के का यहां पर जिक्र किया गया। (The hon. Minister was still in possession of the House)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a.m., tomorrow, the 31st March, 1964.

6.30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9.00 a.m. on Tuesday, the 31st March, 1964.)

664PVS—386—1-9-64— C.,P.&S., Pb., Chandigarh

APPENDIX

[*See page* (27) 34 *of the Debate*]

Employees Belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the Office (s) under Chief Engineer, Drainage Irrigation Works, Punjab

1533. **Sardar Ajaib Singh Sandhu** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number, names and dates of appointment of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I, II, III and IV posts separately in the office (s) under the Chief Engineer, Drainage, Irrigation Works, Punjab, together with there percentage in each category and the percentage of posts reserved for them in each category ?

Chaudhri Ranbir Singh ; The requisite information is given in the statement attached.

The number, names and dates of appointments of the employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes working at present in Class I and II Services in Irrigation Branch are given below :—

No.	Name of officer	Date of appointment	Remarks
	A. Scheduled Castes Officers holding Class I Posts		
	Sarvshri—		
3	1. Rattan Singh, P.S.E.(II) (Officiating XEN)	21-7-51	Under suspension
	2. Om Parkash (II), T.E. (Officiating XEN)	7-11-56	
	3. Surjit Singh, T.E. (Officiating XEN) ..	3-11-55	
	B. Backward Classes Officers holding Class I Posts		
1	1. Shri S. R. Shah, P.S.E.(II) (Deputy Director)	17-8-52	
	C. Scheduled Castes Officers holding Class II Posts		
9	1. Om Parkash (15), T.E. ..	1-5-58	
	2. Puran Singh Passi,T.E. ..	6-2-62	
	3. Ram Chand, T.E. ..	13-4-62	
	4. Gian Chand Banga, T.E. ..	12-2-62	On studies abroad Since 5th January, 1963
	5. Kartar Chand, T.E. ..	9-2-62	

No.	Name of officer		Date of appointment	Remarks
	6. Sunil Kumar Bali, T.E.	..	8-2-62	
	7. Jai Krishan, T.E.	..	8-3-63	
	8. Ram Chand, T.E.	..	28-2-63	
	9. Ujala Singh, O.E.S. (Officiating S.D.O.)		3-1-52 1-7-63	As Sectional Officer As Officiating S.D.O.

D. Backward Classes Officers holding Class II Posts

No.	Name of officer		Date of appointment	Remarks
	Sarvshri—			
16	1. Om Parkash (14) T.E.	..	9-4-57	
	2. Sohan Singh, T.E.	..	11-4-57	
	3. Sukhdev Singh, T.E.	..	4-3-59	
	4. Romesh Chandra, T.E.	..	30-1-61	
	5. Kirpal Singh, T.E.	..	30-6-61	
	6. Satya Parkash, T.E.	..	23-[illegible]-61	
	7. Sher Singh, Officiating A.D.E.	..	18-[illegible]-37 8-1[illegible]-61	As Draftsman
	8. Sardar Singh Labana, T.E.	..	2-2-62	
	9. Rajinder Singh, T.E.	..	5-2-62	
	10. Harbhajan Singh Agroia, T.E.	..	12-2-62	
	11. Sat Pall, T.E.	..	12-2-62	
	12. K.L. Logani, T.E.	..	1-3-62	
	13. Bhagwan Dass, O.E.S. (Officiating S.D.O.)		12-8-48 21-9-62	As Sectional Officer As Officiating S.D.O.
	14. Sohan Singh Ghali, T.E.	..	25-2-63	
	15. Atma Ram Kumar, T.E.	..	28-2-63	
	16. Gurdial Singh Premi, T.E.	..	28-3-63	

The cadre of class I and II posts in I. B. is compact and it is not divided with units under various Chief Engineers the posts in class I and II are, therefore, reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for I. B. as whole and not separately under each C.E

Name of Class	*No.*	*Names of Employees*	*Date of appointment*
Class III	119	..	As per list attached.

percentage of Scheduled Castes 15 per cent Backward Class 8 per cent

Class IV	198	..	As per list attached.

percentage of Scheduled/Backward Classes 90 per cent approximately.

Reserved percentage for various classes of Employees (I, II, III and IV).

Scheduled Castes 20 per cent Backward Classes 2 per cent.

FEROZEPORE DRAINAGE CIRCLE

Name of Employees belonging to Scheduled Caste and Backward Classes Class III Establishment

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
1	Baldev Singh ..	Sectional Officer	21-11-52
2	Joginder Lal ..	Ditto	16-3-56 to 31-10-56 (as Draftsman) 1-11-56 (as S.O)
3	Gurdian Singh ..	Ditto	2-6-52
4	Manmohan Singh Sagoo ..	Ditto	14-1-53
5	Prithvi Singh Verma ..	Ditto	7-3-61
6	Mohinder Singh ..	Draftsman	23-3-63
7	Sant Singh ..	Do	6-7-51 (as Tracer) 1-7-59 (as Draftsman)
8	Surjit Singh ..	Do	18-10-61 (Tracer) 6-8-62 (Draftsman)
9	Gian Sngh ..	Do	7-7-52 / 19-9-60
10	Devi Chand ..	Tracer	3-7-61
11	Darshan Singh ..	Do	2-11-61
12	Jagmel Singh ..	Do	1-12-62
13	Inder Singh ..	Stenotypist	1-12-62
14	Jagdish Singh ..	Clerk	13-4-61
15	Om Parkash ..	Do	8-3-61
16	Ram Sarup ..	Do	27-10-59
17	Ram Parkash ..	Do	4-5-60
18	Jagdish Rai ..	Do	6-8-60
19	Bhal Singh ..	Do	2-9-60
20	Sardar Singh ..	Do	21-11-61
21	Hukan Singh ..	I. B. C.	14-10-44
22	Kulwant Singh ..	I. B. C.	1-2-63

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
23	Piara Singh	.. Reader	1-8-63
24	Gurbux Singh	.. Kanungo	17-2-64
25	Ram Kishan	.. S. D. C.	27-4-57
26	Chandi Ram	.. Patwari	18-6-63
27	Parkash Chand	.. Do	4-6-63
28	Siri Ram	.. Do	17-5-63
29	Kirpal Singh	.. Do	3-6-63
30	Kishan Chand	.. Head Clerk	24-8-63
31	Hardwari Lal	.. Clerk	12-12-63 (FN)
32	Raj Kumar	.. Do	13-12-64 (FN)
33	Jai Ram	.. Do	17-3-64 (FN)
34	Dass Ram	.. Do	19-11-63
35	Hardarshan Singh	.. Draftsman	10-8-63

LUDHIANA DRAINAGE CIRCLE

Sarvshri—

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
36	Harmohinder Singh	.. Accounts Clerk	30-12-43
37	Sita Ram	.. S. D. C.	28-9-53
38	Arjan Singh	.. Do	4-5-54
39	Gurbux Singh	.. Do	20-9-55
40	Maghi Ram	.. Do	13-8-57
41	Amar Singh	.. Do	17-3-49
42	Malkiat Singh	.. Do	25-3-58
43	Achhar Chand	.. Clerk	29-1-52
44	Bakshi Ram	.. Do	25-12-57
45	Amarjit Singh	.. Do	22-1-60
46	Gurbux Lal	.. Do	8-12-58
47	Randhir Singh	.. Do	19-9-60
48	Amar Nath	.. Do	4-9-63

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
49	Babu Singh ..	Clerk	2-6-61
50	Jagdish Kumar ..	Do	10-2-61
51	Malkiat Singh ..	Sectional Officer	26-6-57
52	Gurcharan Singh ..	Draftsman	12-1-52
53	Surjit Singh ..	Do	4-9-61
54	Lachhman Singh ..	Tracer	3-7-53
55	Hari Singh ..	Do	30-3-62
56	Harnek Singh ..	Do	11-1-62
57	Inderjit Singh ..	Naib-Tehsildar	Not known
58	Bakhshish Singh ..	Patwari	15-2-55
59	Sardara Singh ..	Do	1-10-60
60	Gurdev Singh ..	I. B. C.	15-9-56
61	Hans Raj ..	Do	21-12-63
62	Amar Singh ..	Do	12-6-62
63	Mukhtiar Singh ..	Do	26-6-63
	PATIALA DRAINAGE CIRCLE		
64	Hem Ran Gandhi ..	Sectional Officer	14-1-59
65	Gurdian Singh ..	Ditto	20-10-60
66	Jagdish Singh ..	Ditto	10-6-54
67	Banarsi Dass ..	Sub-Divisional Clerk	20-10-54
68	Raj Singh ..	Clerk	21-10-58
69	Satnam Singh ..	Do	26-12-61
70	Gurnam Singh ..	Do	20-9-52
71	Joginder Singh ..	Do	20-2-58
72	Devi Dyal ..	Do	13-11-62
73	Shamsher Singh ..	Do	4-7-60
74	Surjan Singh ..	Do	14-3-61
75	Ram Singh ..	Patwari	5-3-59
76	Om Parkash ..	Do	5-7-61
77	Banarsi Dass ..	Do	23-10-63
78	Sohan Lal ..	..	3-6-60

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
79	Gian Chand	.. ..	16-11-61
80	Gurmail Ram	.. ..	2-11-63
81	Bharat Singh	.. ..	16-1-64
82	Dalip Singh	.. Draftsman	28-4-61 (AN)
83	Lekh Raj	.. Signaller	26-9-63
84	Bakhshi Ram	.. Accounts Clerk	22-7-52
85	Arjan Singh	.. Sub-Divisional Clerk	16-7-55
86	Bakshi Ram Ratta	.. Clerk	5-11-63
87	Daulat Ram	.. Do	7-11-63
88	Sadhu Ram	.. Clerk (on three months basis)	14-3-64
89	Resham Lal	.. Tracer	12-12-63
90	Prem Nath Lakhanpal	.. Clerk	23-12-57
91	Telu Ram	.. Do	29-5-63
92	Ram Chand	.. Do	29-10-63
	PROJECT DRAINAGE CIRCLE		
93	Mangal Singh	.. Accounts Clerk	10-12-51
94	Harblas	.. Clerk	4-7-60
95	Ajmer Sihgh	.. Sub-Divisional Clerk	17-10-56
96	Tarsem Lal	.. Clerk	5-5-60
97	Mohinder Singh	.. Accounts Clerk	11-4-45
98	Dharam Pal	.. Clerk	20-6-60
99	Karnail Singh	.. Sectional Officer	1-2-57
100	Harcharan Singh	.. Ditto	28-9-61
101	Avtar Krishan	.. Ditto	16-9-59
102	Amrit Singh	.. Draftsman	23-8-58
103	Ram Krishan	.. Sub-Divisional Clerk	16-12-59
104	Ganga Ram	.. Clerk	14-6-60
105	Sham Lal	.. Do	25-1-60
106	Hans Raj Clerk	.. Do	15-12-60

Serial No.	Name		Designation	Date of appointment
	Sarvsh i—			
107	Hem Raj Dhanjal	..	Sectional Officer	11-12-60
108	Bhagga Ram	..	Divisional Draftsman	13-10-48
109	Shiv Dyal	..	Tracer	14-12-61
110	Bakshi Ram	..	Sub-Divisional Clerk	23-7-54
111	Surat Singh	..	Ditto	20-1-60
112	Piara Lal	..	Ditto	6-1-59
113	Kartar Singh	..	Clerk	26-5-61
114	Pritam Singh	..	Do	13-12-61
115	Munshi Ram	..	Do	16-1-62
116	Kidar Nath	..	Do	28-2-62
117	Manohar Lal	..	Do	10-1-61
118	Mian Singh	..	Do	6-11-63
119	Chander Singh	..	Do	9-8-60

FEROZEPORE DRAINAGE CIRCLE

Names of Employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes Class, IV Establishment

Serial No.	Name		Designation	Date of appointment
	Sarvshri—			
1	Imati Ram Rakhi	..	Sweeper	4-1-63
2	Nanno Ram	..	Peon	23-1-60
3	Krishan Kumar	..	Do	1-7-63
4	Kaur Chand	..	Do	29-11-63
5	Rattan Lal		Do	20-1-60
6	Lakha	..	Sweeper-cum-Chowkidar	28-1-63
7	Hari Ram	..	Ditto	26-12-63
8	Sohan Lal	..	Ditto	1-1-64

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
9	Pritam Singh ..	Barkandaz	18-2-63
10	Gulzara Singh ..	Daffadar	18-5-59
11	Sardara ..	Barkandaz	28-12-63
12	Nawal ..	Cycle Swar	8-1-63
13	Baby Lal ..	Sweeper-cum-Chowkidar	20-7-63
14	Ram Kumar ..	Ditto	15-3-63
15	Ajmer Singh ..	Peon	5-2-63
16	Sukhu Ram ..	Do	1-8-45
17	Nathi Singh ..	Do	21-7-57
18	Ranjit Singh ..	Do	2-11-63
19	Gujar Singh ..	Do	22-9-51
20	Shankar Dass ..	Do	1-8-57
21	Jagir Singh ..	Telephone Attendent	9-63
22	Om Parkash ..	Peon	13-12-63
23	Ujagar Singh ..	Do	3-1-64
24	Bakkar Singh ..	Do	26-11-63
25	Ram Singh ..	Do	1-10-61
26	Asa Singh ..	Do	17-12-63
27	Chhote Lal ..	Sweeper-cum-Chowkidar	21-5-63
28	Ram Dass ..	Do	1-6-63
29	Banwari Lal ..	Do	1-6-63
30	Mirja ..	Do	9-12-63
31	Jaggoo ..	Sweeper	..
32	Kishan Lal ..	Do	..
33	Kartar Singh ..	Daffadar	21-11-52
34	Bhagat Singh ..	Peon	2-11-57
35	Khachara ..	Sweeper	1-1-63
36	Inder Singh ..	Sweeper-cum-Chowkidar	3-1-63
37	Tej Bir ..	Ditto	25-1-63

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
38	Siri Ram	.. Peon	13-1-57
39	Mala Singh	.. Do	1-8-62
	LUDHIANA DRAINAGE CIRCLE		
40	Banta Singh	.. Peon	3-4-54
41	Basant Ram	.. Do	3-1-64
42	Babu Ram	.. Do	3-1-64
43	Santokh Singh	.. Do	22-12-60
44	Bir Chand	.. Do	20-2-62
45	Sadhu Singh	.. Do	4-10-61
46	Sita Singh	.. Do	16-6-60
47	Paushara Singh	.. Do	21-9-61
48	Wishwa Nath	.. Do	1-4-53
49	Ujjagar Singh	.. Do	Not known
50	Mohinder Singh	.. Do	Ditto
51	Harchand Singh	.. Daffadar ..	13-2-53
52	Balwant Singh	.. Do	7-7-59
53	Banta Singh	.. Do	6-1-64
54	Kapur Singh	.. Do	9-6-60
55	Kartar Singh	.. Barkandaz	26-6-63
56	Kartar Singh	.. Do	1-2-61
57	Deva Singh	.. Do	16-3-61
58	Joginder Singh	.. Do	15-10-60
59	Gulzara Singh	.. Do	27-9-61
60	Banta Singh	.. Do	25-10-63
61	Dharam Paul	.. Sweeper	21-2-63
62	Must Ram	.. Do	27-[illegible]-60
63	Khushi Ram	.. Do	1-4-53
64	Chander Bhan	.. Do	15-3-56
65	Ram Kishan	.. Sweeper-cum-Chowkidar	28-2-63
66	Kanwa Ram	.. Ditto	6-12-63

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
67	Bala Ram	.. Sweeper-cum-Chowkidar	17-12-63
68	Amir Lal	.. Doitto	18-12-63
69	Lakshri Ram	.. Ditto	21-2-64
70	Hari Singh	.. Ditto	28-11-60
71	Badla	.. Ditto	10-2-61
72	Ajit Singh	.. Ditto	15-5-63
73	Krishan Lal	.. Ditto	16-1-64
74	Amir Lal	.. Ditto	30-10-62
	PATIALA DRAINAGE CIRCLE		
75	Hardeva	.. Sweeper-cum-Chowkidar	12-10-54
76	Basu Ram	.. Ditto	6-3-61
77	Puran Singh	Ditto	1-12-62
78	Bachan Singh	.. Ditto	1-12-62
79	Sher Singh	.. Chowkidar	17-4-63
80	Ginoo	.. Sweeperess	8-6-62
81	Mangat Ram	.. Sweeper	31-10-61
82	Shiv Charan Dass	.. Chowkidar	20-12-63
83	Phaggu Ram	.. Peon	17-11-60
84	Harphool	.. Sweeper-cum-Chowkidar	18-10-64
85	Rikhi Ram	.. Sweeper	4-3-60
86	Mangtu Ram	.. Peon	6-5-61
87	Karta Ram	.. Sweeper-cum-Chowkidar	1-7-58
88	Raghvi Ram	.. Ditto	12-3-63
89	Piara Lal	.. Ditto	16-5-60
90	Ram Lal	.. Sweeper	29-1-60
91	Mela Singh	.. Barkandaz	30-12-52
92	Sondhi Ram	.. Sweeper-cum-Chowkidar	21-1-63
93	Som Nath	.. Sweeper	21-1-63
94	Babu Ram	.. Sweeper- cum-Chowkidar	1-6-53

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	SIRSA DRAINAGE CIRCLE		
	Sarvshri—		
95	Jage Ram ..	Peon	21-11-59
96	Hari Chand ..	Do	27-10-61
97	Hari Lal ..	Do	19-1-62
98	Binda Parshad ..	Do	8-8-63
99	Jagir Singh ..	Barkandaz	5-62
100	Melu Ram ..	Do	18-7-62
101	Kartar Singh ..	Do	18-5-63
102	Mukand Singh ..	Do	14-8-63
103	Puran Singh ..	Daffadar	7-1-64
104	Chand Singh ..	Do	14-6-62
105	Surat Ram ..	Sweeper	5-3-63
106	Arjan ..	Do	24-4-63
107	Banarsi Dass ..	Do	20-5-63
108	Lilu Ram ..	Do	17-9-63
109	Puran Chand ..	Chokidar-cum-Sweeper	15-2-61
110	Medi Ram ..	Ditto	6-3-63
111	Hari Chand ..	Ditto	28-6-62
112	Sher Singh ..	Ditto	16-2-63
113	Bishamber ..	Ditto	14-3-63
114	Ram Bir Singh ..	Ditto	1-10-63
115	Bhartu Dass ..	Ditto	25-10-63
116	Ram Kanwar ..	Ditto	20-12-63
	CENTRAL MECHANICAL CIRCLE		
117	Tarsem Lal ..	Sweeper	14-5-63
118	Rulia Singh ..	Barkandaz	16-9-63
119	Pritam Chand ..	Peon	22-10-56
120	Gulzari Lal ..	Do	1-11-54
121	Giasi Ram ...	Sweeper-cum-Chokidar	25-4-63
122	Kartar Singh ..	Daftri	25-2-63
123	Mela Singh ..	Daffadar	30-10-59

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
Sarvshri—			
	PROJECT DRAINAGE CIRCLE		
124	Shiv Ram	.. Peon	20-9-60
125	Santa Singh	.. Chokidar	20-9-58
126	Krishan Lal	.. Sweeper	1-7-58
127	Atma Singh	.. Barkandaz	12-11-54
128	Paras Ram	.. Dak Runner	5-6-59
129	Kharak Singh	.. Chowkidar	15-1-60
130	Shukar	.. Sweeper-cum-Chokidar	22-3-63
131	Mam Chand	.. Sweeper	16-10-61
132	Gian Chand	.. Peon	3-12-58
133	Sital Singh	.. Dak Runner	14-12-59
134	Labha Singh	.. Trade Mate	1-6-63
135	Bakhtawar Singh	.. Sweeper	20-11-59
136	Kartara	.. Sweeper	1-12-58
137	Chandgi Ram	.. Sweeper-cum-Chowkidar	4-3-59
138	Karma	.. Ditto	12-8-61
139	Om Parkash	.. Chowkidar	6-2-59
140	Roshan Lal	.. Sweeper-cum-Chowkidar	17-2-63
141	Babu Lal	.. Ditto	13-6-63
142	Sohan Lal	.. Peon	6-11-59
143	Gurmakh Singh	.. Do	1-6-54
144	Dayal Singh	.. Barkandaz	11-2-60
145	Saroop Singh	Daffadar	26-11-59
146	Bir Singh	.. Do	24-7-62
147	Tara Singh	.. Barkandaz	18-5-62
148	Sarwan Singh	Do	9-10-62
149	Karm Singh	.. Do	5-7-63
150	Nand Lal	.. Chowkidar	19-4-61
151	Asa Ram	.. Sweeper	28-12-61

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
152	Sardha ..	Sweeper-cum-Chowkidar	5-12-62
153	Baru Ram ..	Ditto	1-8-63
154	Tikshan Lal ..	Peon	25-11-54
155	Som Raj ..	Do	20-6-59
156	Kalwant Singh ..	Do	27-5-60
157	Babu Ram ..	Sweeper	18-6-61
158	Hardewa ..	Do	22-1-58
159	Puni Ram ..	Do	15-10-58
160	Munshi Ram ..	Do	4-10-61
161	Sadhu Ram ..	Do	17-8-62
162	Maman ..	Do	15-7-63
163	Hari Singh ..	Do	13-12-60
164	Jhandu ..	Do	31-8-63
165	Jagdish ..	Do	12-4-61
166	Banwari ..	Do	12-4-61
167	Daya Chand ..	Do	12-4-61
168	Hari Singh ..	Do	12-4-61
169	Kishan Singh ..	Do	12-4-61
170	Phool Chand ..	Do	12-12-61
171	Chatru ..	Do	25-8-60
172	Juman Singh ..	Do	7-6-61
173	Nathu Ram ..	Peon	3-2-55
174	Bhalle Ram ..	Do	20-2-56
175	Gordhan Singh ..	Do	1-12-59
176	Munshi Ram ..	Do	..
177	Avtar Singh ..	Do	..
178	Telu Ram ..	Do	27-7-61
179	Run Singh ..	Do	27-7-61
180	Om Parkah ..	Do	14-12-61
181	Hoshiar Singh ..	Do	1-3-62

Serial No.	Name	Designation	Date of appointment
	Sarvshri—		
182	Dewat Ram	.. Peon	2-3-57
183	Sadhu Singh	.. Daffadar	4-5-61
184	Balwant Singh	.. Do	..
185	Chhota Singh	.. Do	..
186	Rati Ram	.. Do	17-9-59
187	Ram Rattan	.. Barkandaz	24-1-61
188	Pritam Singh	.. Do	24-10-61
189	Jagir Singh	.. Do	14-5-59
190	Kishan Lal	.. Do	Not known
191	Kartar Singh	.. Do	Ditto
192	Chander Bhan	.. Do	2-4-62
193	Sawan Singh	.. Do	3-8-61
194	Gurdian Singh	.. Do	5-11-63
195	Dalipa	.. Sweeper-cum-Chowkidar	22-6-62
196	Pritam Singh	.. Ditto	1-6-62
197	Chandhu	.. Ditto	23-1-64
198	Mamon	.. Ditto	24-10-63

664 P.V.S.—386—2-9-64—C., P. —S., Pb, Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

31st March, 1964

Vol 1—No. 28

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 31st March, 1964

Punjab Vidhan Sabha, Secretariat. Chandigarh

Price : Rs. 4.25 P.

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I—No. 28, dated the 31st March, 1964

Read	*For*	*Page*	*line*
Privileges	Privilages	Title	10
object to	object	(28)6	2
डेढ़	डैड़	(28)22	19
give	given	(28)24	4
Member	Mcmber	(28)25	15
रिपब्लीकन	रिपबलीकन	(28)29	16
आइडियालोजीज़	आइडियो लोजीज़	(28)29	5 from below
आइडियालोजी	आइडियोलिजी	(28)30	5
SARDAR NARAIN SINGH	SARDARNARAIN SINGH	(28)36	4
ਮੈਂ	ਮਂ	(28)43	22
Add the word 'I' 'request'	before the word	(28)44	8 from below
हाउस	ह उस	(28)47	8
ਜੇਕਰ	ਜਕਰ	(28)48	3 from below
ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ	ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੇਂ	(28)49	17
कि	क	(28)58	5 from below
किया	कया	(28)59	3
कहा	गहा	(28)59	3
ठीक	ीक	(28)59	20
विद्युत	विद्युत	(28)63	4
चौधरी	चौधरौ	(28)63	10
ਸਿੰਘ	ਸਿਘ	(28)64	11
the	tne	(28)66	Last
ਕੈਰੀਡ	ਕੇਰੀਡ	(28)73	2
ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਦ ਸਿੰਘ .ਗਿੱਲ	(28)77	16
ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ	ਡੈਮੇਕਰੇਸੀ	(28)79	11 from below

———

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 31st March, 1964

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, *Chandigarh, at* 9-00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Shri Harbans Lal*) *in the Chair.*

QUESTION HOUR

(*Dispensed with*)

Sardar Gurnam Singh : May I suggest, Sir, that the Question Hour be dispensed with to-day ?

Mr. Speaker : Is it the sense of the House ?

Sardar Gurnam Singh : Sir, it was agreed yesterday in the meeting of the Business Advisory Committee. The leaders of the various Groups were present in that meeting.

Mr. Speaker : Question Hour is dispensed with.

FOURTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I present the Fourth Report of the Business Advisory Committee of the Punjab Vidhan Sabha.

The Committee met at 6-30 p.m. on Monday, the 30th March, 1964.

The following were present :—

1. Shri Harbans Lal ... *Speaker*
2. Pandit Mohan Lal ... *Home Minister*
3. Sardar Gulab Singh ... *Chief Parliamentary Secretary*
4. Chaudhri Devi Lal
5. Sardar Gurnam Singh
6. Sardar Gurmit Singh
7. Chaudhri Hardwari Lal
8. Comrade Jangir Singh Joga
9. Sardar Lachhman Singh Gill
10. Comrade Shamsher Singh Josh

(Nos. 6–10) } *By special invitation*

The Committee recommended that on Wednesday, the 1st April, 1964, the following legislative business be taken up by the House :—

1. The P njab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Amendment) Bill, 1964;

[Mr. Speaker]

2. The Punjab Homeopathic Practitioners Bill, 1964;
3. The East Punjab Molasses (Control) Amendment Bill, 1964;
4. The Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Bill, 1964;
5. The Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment Bill, 1964;
6. The Punjab Maternity Benefit (Repealing) Bill, 1964 (As passed by the Punjab Legislative Council); and
7. The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1964. (As passed by the Punjab Legislative Council).

The Committee decided to hold their next meeting at 11 a.m. on Wednesday, the 1st April, 1964, to allocate time for the remaining business.

Home Minister (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

REPORTS OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Chairman, Privileges Committee) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges relating to the publication of editorial comments in the issue of the Daily 'Pradeep', Jullundur, dated the 10th April, 1963.

Chairman (Committee of Privileges) : Sir, I beg to move—

That the date for making the final Report on the question of privileges relating to the publication of editorial comments in the issue of the Daily 'Pradeep' Jullundur, dated the 10th April, 1963, be extended up to 8th April, 1964.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the date for making the final Report on the question of privileges relating to the publication of editorial comments in the issue of the Daily 'Pradeep', Jullundur, dated the 10th April, 1963, be extended up to 8th April, 1964.

Mr. Speaker : Question is—

That the date for making the final Report on the question of privileges relating to the publication of editorial comments in the issue of the Daily 'Pradeep', Jullundur, dated the 10th April, 1964, be extended up to 8th April, 1964.

The motion was carried.

Shrimati Dr. Parkash Kaur : (Chairman, Privileges Committee) : Sir, I beg to move—

> That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the presence of a large number of C. I. D. personnel in the precincts of the Legislature Building, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Report of the Committee of Privileges on the question of privilege regarding the presence of a large number of C- I. D. personnel in the precints of the Legislature Building, be taken into consideration.

Sardar Gurnam Singh : Sir, is this for extension of time ?

Mr. Speaker : No.

Sardar Gurnam Singh : Sir, I have given a dissenting note. I would suggest that the Report be discussed on some other day.

Shri Prabodh Chandra : We have not got the Report before us.

Mr. Speaker : It was circulated.

Shri Prabodh Chandra : No, Sir. We have not yet seen the Report and you want us to say 'yes' or 'no' on that.

Sardar Gurnam Singh : Let us not go into the technicalities of the matter. The question relates to the privileges of the Members. No question of privilege or breach of privilege should be rushed through in this manner. Apart from that I have given a dissenting note. It was not printed. It was said that it would be printed later. During the course of the proceedings of the meetings of the Committee, I had dictated the dissenting note and it is contained in the proceedings. Then I wrote a letter to the hon. Speaker pointing out these things to him. He ordered that the dissenting note should be circulated to the Members. It has not been circulated so far. Therefore, Sir, let us discuss the Report at some other time. I was under the impression that the motion for extension of time has been put to the vote of the House. Under the circumstances, I humbly request that it may be postponed and the House may be given an opportunity to discuss this matter.

Mr. Speaker : So far as the circulation of the Report is concerned, I am given to understand that it was laid on the Table of the House on the 13th March, 1964. Perhaps some of the hon. Members may not have looked at it. But it was circulated to the Members. Since it relates to the privileges of the House.............

Shri Prabodh Chandra : Sir, there is a world of difference between the words 'placed on the Table of the House' and 'circulated to the Members'.

Mr. Speaker : It was circulated on the 13th. But as it relates to the privileges of the House, I think, it is proper if it is discussed on some other day.

———

NO. CONFIDENCE MOTION

Against the Ministry

(*Resumption of Discussion*)

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the No-*Confidence Motion. The hon. Home Minister, who was in possession of the House when it adjourned yesterday, may resume his speech.

गृह मन्त्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, मैं कल ज़िक्र कर रहा था कि आपोज़ीशन की तरफ से कुछ मेम्बर साहिबान सुनी सुनाई बातों के आधार पर कुछ बातें कह जाते हैं जो यकीनी तौर पर ग़लत और बेबुनियाद होती हैं और ज़ाती अल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। दो एक बातों का मैंने ज़िक्र किया था। कुछ एक बातें जो डाक्टर मंगल सेन जी ने कही थी मैं उनका मुख्तसिर तौर पर ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा ।

(*Interruption*)

चौधरी देवी लाल : समझोगे, या समझते हो ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ? (ਹਾਸਾ)

चौधरी देवी लाल : तुसीं पढ़ाते रहे हो ग्रामर इन्हें ।

गृह मन्त्री : चौधरी देवी लाल ने तो पी. एच. डी. की डिग्री ली हुई है या डाक्टर आफ लिट्रेचर की, लेकिन मैंने कोई डिग्री नहीं ली हुई । मैं तो साधारण ज़बान में बोलता हूँ ।

मैंने कल कुछ बातों का ज़िक्र किया था। यहां पर डाक्टर मंगल सेन और कामरेड राम चन्द्र की तरफ से मेरे भतीजे के मुताल्लिक कुछ कहा गया था। वह यह, कि मेरे एक भतीजे को लिकर का कांट्रैक्ट दे दिया गया है । यह बात उन्होंने 19 तारीख को कही थी । स्पीकर साहिब, 11 मार्च को मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कंट्रैक्ट के मुताल्लिक इसने कोई आफर दी है । उसी दिन 11 मार्च को मैंने अपने कोलीग एक्साइज़ ऐंड टैक्सेशन मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी जो मैं मेम्बर साहिबान् की वाक्फीयत के लिए यहां पढ़ देना चाहता हूँ, वह यह है :—

> "I have come to know today that one of my nephews Beant Lal has tendered for liquor contract at Batala, district Gurdaspur or some other place. The acceptance of his tender has not been made so far by the Government or E. T. C. as the case may be. I would request E. T. C. M. to reject his offer and not to accept it for evident reasons. Even though he and his father are separate from me for over 25 years, nevertheless it will invite unnecessary criticism and political capital may be made out of it. In the interest of expediency, he should not be allowed to go in for this business. I have been told that the papers, perhaps, have been forwarded to E. T. C. at Patiala. E. T. C. M. may please have immediate action taken to get his offer refused."

Sardar Prem Singh 'Prem' : What right has the hon. Home Minister to write this letter ?

**Note*—For previous discussions please refer to P. V. S. debates Vol. I Nos. 21 and 27, dated 19th March and 30th March, 1964 respectively.

Shri Prabodh Chandra : On a point of Order, Sir. Does that not show the interference of the hon. Home Minister in the normal working of the Government ?

Mr. Speaker : No.

Shri Prabodh Chandra : Did you, Sir, hear my point of Order ?

Mr. Speaker : What for am I here ?

Shri Prabodh Chandra : I thought you did not hear my point of Order. Had the hon. Home Minister not written a letter, his nephew would have got the contract. The Home Minister has stated that he wrote to E.T.C.M. not to give the contract to his nephew. Is it not interference in the working of the Administration ?

Mr. Speaker : So far as I understand, he wrote to his colleague. The matter related to his own nephew. Therefore, the hon. Home Minister did not make any interference.

Shri Prabodh Chandra : Would you please listen? His writing to his colleague is all the more reprehensible when charges are made that Ministers are interfering in the Administration. I want your specific ruling on this point.

गृह मन्त्री : यह एक राईट को चलेंज करने की यहां पर बात नहीं है...(विघ्न)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I want your ruling on the point of order raised by me before the hon. Minister is allowed to speak.

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर दूं कि आपका रूलिंग काल अपौन किया है जैसे मैंने अभी अभी बतायाँ............(विघ्न)

श्री प्रबोध चन्द्र : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या किसी ऐसी बात के बारे में जो मिनिस्टर के भतीजे, बेटे या भानजे के सिलसिले में हो, has the Minister any right to say so ?

Mr. Speaker : Please ....

Shri Prabodh Chandra : Sir, we may be heard here. Is it for the Minister to decide about the sphere of duties of the Speaker or it is for the Speaker himself to do this ? Can a Minister write to his colleague to accept the offer or not to accept the offer which in the normal process is likely to be accepted or rejected. It is not for the Minister concerned to advise or direct the Chair.

Mr. Speaker : (*Addressing Shri Prabodh Chandra*) : What I understand of the duties of the Speaker is that it is not for the Speaker to decide whether or not the Minister should interfere in the Administration. If the hon. Member thinks that he is unduly interfering in the Administration; it is for him to raise the matter as permissible under the Rules. The discussion on the No-Confidence Motion against the Ministry is already on. This is no point of Order.

Shri Prabodh Chandra : Would you please listen to me?

Chief Minister : Sir, I object the way in which the hon. Member is speaking.

Mr. Speaker : I have given my finding. It is not for me to decide or give a verdict that a Minister should or should not write to his colleague.

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक मिनिस्टर दूसरे को लिखता है, क्या यह इंटरफीयरेंस नहीं है ? आज जो इनक्वायरी हो रही है, तो कानफीडेंस मोशन चल रही है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने बेटे के लिये यह गल्त किया वह गल्त किया । I want to have your ruling.

Mr. Speaker : This has no relevance with the matter under discussion.

Comrade Ram Piara : Sir, I have raised a point of order. I am entitled to raise a point of order. My point of order is whether at any time.......................

Mr. Speaker : I am not here to answer any irrelevant points of orders.

Comrade Ram Piara : Sir, do you hold that my point of Order is irrelevant ?

Mr. Speaker : Yes. Your point of order has nothing to do with his speech.

Comrade Ram Piara : I want your ruling on the point whether my point of order is irrelevant.

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. My finding is that it is not a proper point of Order.

Comrade Ram Piara : Is it irrelevant or it can be raised at some other time ?

Mr. Speaker : I have given my finding. The hon. Member should please resume his seat. He should not please obstruct the proceedings of the House.

Comrade Ram Piara : I would like to know whether I may be allowed to raise this point of order at some other time ?

Mr. Speaker : Please ....

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था.........(विघ्न)

कामरेड राम प्यारा : मैं, स्पीकर साहिब, यह ज़रूर कहूँगा कि जैसे आज मिनिस्टर साहिबान अपने भाइयों के लिये, लड़कों के लिए या और रिश्तेदारों के लिए कहते हैं, आज इन बातों को हम सभी जानते हैं, तो क्या यह इंटरफीयेंस नहीं है ?

Mr. Speaker : You may speak any thing when your chance comes. Do not interrupt now.

गृह मन्त्री : मैं तो यही अर्ज़ कर रहा था कि काश यह बात पब्लिक लाईफ में भी आजाये की आखर बहुत से ऐसे मुआमलात होते हैं, जिनकी वजह से हमें अपने फरायज़ पर मजबूरन ही नहीं बल्कि एक फर्ज़ के तौर पर आगे आना होता है। उस दिन इन्होंने जो बात कही थी मैंने इस बात का दिलासा दिया था कि कोई लिकर का ठेका मैंने अपने भतीजे को दिलाने का इरादा नहीं किया। बहुत सारे मुआमलात कंट्राडिक्ट होते हैं। अगर उसको ठेका मिल भी जाता, तो मुझे मालूम था कि एतराज़ फिर भी होना है। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रख कर, जब भी यह बात मेरे नोटिस में आई मैंने अपने कोलीग को रिक्वैस्ट किया। मैं यह जानता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वह बातें ज़रूर होंगी जो डाक्टर मंगल सैन जी ने कहीं। इस बात को ऐंटीसीपेट करते हुए मैं कहने में हक बजानव भी था। हालात के मुताबिक जो आज हमारी स्टेट में हैं, इस मुआमले में इंटरफीयरेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब भी, स्पीकर साहिब,......(विघ्न)

मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम आज जो पुलिटीकल लाइफ में अच्छाई या बुराई है उसको समझ जायें तो इसका बड़ा फायदा हो सकता है। इन अच्छाइयों की या बुराइयों की आखिर हम पर ज़िम्मेवारी है। अगर यह बात हमारी समझ में आ जाये तो पोलिटीकल लाइफ फायदेमंद हो सकती है। मगर अनफारचुनेटली यह बात हर शख्स के पेशेनजर नहीं होती और बदकिस्मती से यह बात इस हाउस में भी नहीं है। मुझे अफसोस है कि ऐसी बातों की चर्चा इस हाउस में होती है जिनका उरिजिनैलेटी से दूर का भी वास्ता नहीं होता। मेरे भतीजे की चर्चा के साथ साथ मेरे लड़के का भी यहां पर ज़िक्र हुआ और यह भी उसी मैंबर, डाक्टर मंगल सैन जी ने किया था। मेरा एक लड़का सरकारी मुलाज़म है, जिसका ज़िक्र इन्होंने किया कि वह पी०सी०एस० हो चुका है। मगर इस बात का शक उनको क्यों हुआ जब कि वह पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से आया है।.........(विघ्न)

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ: ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ? (ਹਾਸਾ)

गृह मन्त्री : अगर पब्लिक सर्विस कमिशन के ज़रिया से कोई पी. सी. एस. का इम्तहान कम्पीट करके आता है तो आप रोक नहीं सकते। जिस मैम्बर का डाक्टर साहिब ने जिकर किया उसको वहां से हटे दो साल हो गए हैं। 9 साल हो गए हैं जब कि इसके मुताल्लिक लिखा गया था, मैं उस वक्त मिनिस्टर भी नहीं था। उसने दो पोस्टों के लिये सबारडीनेट सर्वसज़ सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमिशन के ज़रिए लिए गए एग्ज़ामिनेशन्ज़ में कम्पीट किया और वह अपने मैरिट के बेसिज़ पर सिलैक्ट हुआ। उसने, जो पोस्ट उसको पसन्द आई, वह ज्वाइन की। और इस बात को आज दो वर्ष से भी ज्यादा हो गया है। तो उसने अपने मैरिट पर तरक्की की है........

चौधरी देवी लाल : जैसे आपने अपने मैरिट पर तरक्की की है।

गृह मन्त्री : आपकी कारगुज़ारियों को कौन नहीं जानता। सारा पंजाब जानता है और पंजाब के कोने कोने को इस बात का पता है कि आप क्या कुछ करते रहे हैं। मैं इस वक्त, स्पीकर साहिब, ज़ातियात में नहीं जाना चाहता। मैं मैम्बर साहिब के ज़रिये दो मुतज़ाद बातें जो पेश की गई थीं उनकी बाबत ही कहना चाहता हूँ और यह पूरे ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि मैं या मेरे कुलीग यह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके लड़के, भतीजे या उनके रिश्तेदारों को किसी सर्विस में इसलिये तरजीह दी जाए क्योंकि वह उनके साथ सम्बन्ध रखते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी को इस बेसिज़ पर तरजीह देता है तो वह अपनी ज़िम्मेदारी पर ऐसा करता है। इसमें किसी मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी इनवाल्वड नहीं।

मैं अब दूसरे पहलू को भी सामने रखना चाहता हूँ। और वह यह कि अगर कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार है या लड़का है, या भतीजा या और कोई सम्बन्धी है तो वह इसलिये मुजरिम करार दे दिया जाए कि वह चूंकि मिनिस्टर का लड़का या रिश्तेदार है इसलिए उसको वह सहूलियात नहीं मिल सकतीं या वह उनसे महरूम रखा जाए जो और पब्लिक के लोगों को मिलती हैं। इस बात को आपोज़ीशन के मैम्बर साहिबान खुद तस्लीम करेंगे कि उस पर इन बेसिज़ पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बेबुनियाद और सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई बात की जाए तो उससे पब्लिक लाइफ ऊंची नहीं उठती।

यहां बगैर किसी आधार के या बगैर तस्दीक किए हुए रोज़ रोज़ यह बातें कही जाती हैं और मैं इस वक्त खास तौर पर बड़ी संजीदगी के साथ आपोज़ीशन के एक आनरेबल मैम्बर, डाक्टर मंगलसेन से प्रार्थना करूँगा कि वह इल्ज़ाम लगाने से पहले उन सुनी सुनाई बातों की तस्दीक कर लिया करें। मैंने कल एक बात का ज़िक्र किया था और मैं उसके मानने के लिए श्री बलरामजीदास टंडन को और डाक्टर बलदेव प्रकाश को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह तस्लीम किया कि उन्होंने जो कुछ सुना था वह ग़लत था। मैं आज डाक्टर मंगल सैन को भी यही कहूँगा कि आपकी दूसरी टर्म जा रही है अब तक आपको ज़िम्मेवारी का अहसास होना चाहिए। इसलिए आप जब बात करें तो कम से कम कहने से पहले उसे तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। और जैसा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों को आधार बनाया अगर मैं चाहूँ तो मैं उनके सोर्सिज भी बतला सकता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਨਸੀਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਰਕਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗਲਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਦਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹ

ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?

गृह मन्त्री : मैं ज्यादा बदमज़गी पैदा करना नहीं चाहता । इस लिए कोई कंट्रोवर्शल बात यहां नहीं कहना चाहता । लेकिन मैं डाक्टर मंगल सैन साहिब को यह कहना चाहता हूँ कि एक बात जो उन्होंने मेरे भतीजे के लाइसेंस के बारे में कही और अभी उसको मिला ही नहीं कि 11 तारीख को उन्होंने यह बात कही, यह ऐसी बात है जो साफ ज़ाहिर करती है कि वह सुनी सुनाई बात पर अमल करते हैं और खुद तस्दीक नहीं करते । मैं यह कहूँगा कि कुदरत ने उनको एक बहुत बड़ा सर दिया है, सोचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, उसको वह इस्तेमाल कर लिया करें लेकिन बदकिस्मती उनकी यह भी है कि सर के साथ साथ उनको कुदरत ने पेट भी बहुत बड़ा दे दिया है जिससे सर से सोचने की बात भूल कर वह पेट का बहुत ख्याल रखते हैं....

श्री मंगलसैन : स्पीकर साहब , उन्होंने जो यह कहा कि मंगलसैन को पेट भी दिया हुआ है, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि इनको भी एक ऐसा सिर दिया हुआ है जो * * * *बिल्कुल गधे की तरह है।

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं यह उम्मीद नहीं करता था। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने चार्जिज़ लगाए और बेबुनियाद लगाए तो अब कुछ बातें मज़ाक में भी सुनने का हौसला करें । मैं, जनाब, अगर इनकी बातें बतलाऊं तो इनको खुद पता लगेगा कि वह बेसलैस होती हैं। इन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन यहां पर दे दिया। एक शख्स अभागे श्री राम निवास के मुताल्लिक वह एडजर्नमेंट मोशन लाए कि जब वह पुलिस की कस्टडी में था तो पुलिस ने उस पर तशद्दद करके उसे मार दिया। उसमें कलानौर थाने का नाम था जो कि चौधरी रणबीर सिंह की कन्स्टीचुएन्सी में है। इसलिये डाक्टर मंगल सेन जी ने मोशन दे दिया । मैंने सारी जांच पड़ताल करवा के रिपोर्ट मंगाई है। यह पुलिस की रिपोर्ट है। जो कुछ उसमें से निकला वह इस तरह से है । एक शख्स नेकीराम के घर कपड़ों वगैरा की चोरी हो गई थी। उसने श्री राम निवास पर शक किया । श्री कांशीराम पंच ने उसे बुला कर दरियाफ्त किया। इसके रूबरू श्री राम निवास ने तस्लीम किया कि मैंने चोरी की है और उसके पास से एक दो कपड़े भी निकले । इतफाक से वहां पर एक डिटैक्टिव कांस्टेबल गया हुआ था जिसके सुपुर्द राम निवास को किया गया । रास्ते में आते आते उसकी हालत खराब हो गई । उस आदमी ने डाक्टर के पास खुद यह बयान दिया था कि पुलिस की कस्टडी में आने से पहले तीन गोलियां ज़हर की खा ली थीं। इसके अलावा उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ?

**Note*—Expunged as ordered by the Chair.

गृह मन्त्री : इस में क्रैडिट की क्या बात है ? मैं तो पुलिस का जो वर्शन है वह यहां पर बता रहा हूँ।

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Sir. The Home Minister has referred to the Police Report. May I know whether he takes the responsibility of the Police or not ? हम क्या समझें कि यह मिनिस्टर का स्टेटमेंट है या पुलिस का स्टेटमेंट है। अगर हमने इसे गलत साबत कर दिया तो फिर वह कहेंगे कि यह पुलिस का वर्शन था। (विघ्न) गृह मन्त्री साहिब को झूठ बोलने की आदत है। पहले भी इन्होंने झूठ बोला था मेरे पास टेप रिकार्ड मौजूद है।

गृह मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेम्बर साहिब को कहें कि वह अपने आप पर कन्ट्रोल रखें। अभी मैंने अपनी सारी बात खत्म नहीं की। यह है जो वर्शन मेरे पास पुलिस का आया है लेकिन उसकी मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी कर रहा है। उस इन्क्वायरी का जो नतीजा होगा वह मैं आपके सामने रखूंगा।

Sardar Gurnam Singh : The matter is *sub-judice*. As is the convention of the House, it should not be referred to on the floor of the House. In fact, the Home Minister should have been the last person to refer to it.

गृह मन्त्री : इसी लिए तो मैंने कहा है कि यह मेरे पास पुलिस का वर्शन आया है लेकिन फाईनल बात वह होगी जो इनक्वैस्ट रिपोर्ट के बाद में आवेगी।

श्री बलरामजी दास टन्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर, साहिब जब अभी तक मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि केस सब-जुडिस है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मिनिस्टर साहिब पहले ही अपनी राए देकर उस इन्क्वायरी को इनफलुएंस कर सकते हैं ?

Mr. Speaker : So far as I could understand, the Home Minister has categorically stated that this is the Police version so far.

श्री बलरामजी दास टन्डन : स्पीकर साहिब, जब गृह मन्त्री साहिब ने कहा है कि अभी इन्क्वायरी हो रही है, तो मैं जानता चाहता हूँ कि कि क्या उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने से पहले ही इनको अपनी राय देने का हक हासिल है ? क्या उसका इन्क्वायरी पर असर नहीं पड़ता ?

गृह मन्त्री : डाक्टर मंगल सेन ने जब एडजर्नमेंट मोशन दी थी तो क्या उसका असर नहीं पड़ता था ? अब अगर मैं डिफैण्ड करने लगा हूँ तो उसका असर कैसे पड़ सकता है ?

Sardar Gurnam Singh : The object of the hon. Home Minister is to show to the House that the Adjournment Motion by Dr. Mangal Sein was not correct. That is the object with which he has started and he wants

to gain that object by citing Police report when, according to himself, the case is under magisterial enquiry. He cannot falsify the Adjournment Motion by giving the Police report when the case is sub-judice.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਹ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The honourable Home Minister has already stated that this was the version of the Police, and that the case was yet to be decided by the court.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਸਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ।

Mr. Speaker: I would request the hon. Home Minister not to discuss this matter further.

Comrade Ram Chandra : On a point of Order, Sir. May I know whether the honourable Minister can rebut the argument of the honourable Member by referring to the Police Report, particularly when he himself does not stand by the Police Statement.

Mr. Speaker : This is not a question of rebutting the argument. The honourable Minister has only stated that this was the version of the Police. He has also said that the case will go to the court.

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, आपने अभी फरमाया है कि वज़ीर साहिब सिर्फ यह कह रहे थे कि पुलिस का यह वर्णन है। मैं गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि डाक्टर मंगल सैन जी की एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बोलते हुए वज़ीर साहिब ने हाउस को यह इम्प्रैशन दिया है कि वह बिल्कुल ग़लत थी और जो वर्णन उनको पुलिस ने दिया है वह बिल्कुल ठीक है । उन्होंने मैम्बर को आऊट राईट गलत ठहराया है जबकि अभी इन्क्वायरी हो रही है और उस की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई । आप इस पर रूलिंग दें कि क्या उनका ढंग ठीक था।

Mr. Speaker : It is not a question of findings. The point is that so long as an honourable Member is relevant, he is free to say any thing.

डा० बलदेव प्रकाश : मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि वह पुलीस वर्णन दे रहे हैं और यह कह कर बात खत्म कर दी कि मैम्बर साहिब ने ग़लत मोशन दी है । वह एक ज़िम्मेदार मिनिस्टर हैं । उनको ऐसी बात करनी शोभा नहीं देती.....................

Mr. Speaker : That may be the opinion of the honourable Member about that subject. But an honourable Member and also an honourable Minister is free to speak in the manner he likes so long as he is relevant.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, the point is that it is a *sub-judice* matter ?

Mr. Speaker : When the adjournment motion was brought in the House, the honourable Member by way of that adjournment motion gave some story and so the honourable Minister wants to say that the Police has made an enquiry according to which the story is like that. The honourable Minister has also taken the trouble of saying that the matter is under judicial enquiry and the final decision will come.

Sardar Gurnam Singh : But, Mr. Speaker, did you admit that adjournment motion ?

Mr. Speaker : But that adjournment motion was read out here and some sort of statement was made by Shri Mangal Sein.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, legally the adjournment motion does not exist. The case is *sub-judice.* But the honourable Minister wants to falsify the facts stated in the adjournment motion, which legally does not exist, and which is not before the House, by producing the Police Report when the Police is an accused in the case.............

Mr. Speaker : But the fact is that the contents of the adjournment motion were brought to the notice of the House.

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर । मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि ग्रगर कोई केस सब-जुडिस हो तो क्या कोई मिनिस्टर उस बारे में हाउस के बाहर या ग्रन्दर कोई ब्यान जारी कर सकता है ?

श्री ग्रध्यक्ष : सब-जुडिस केस को न किसी मैम्बर को ऐडजर्नमेंट मोशन के ज़रिए ग्रौर न किसी मिनिस्टर को किसी स्टेटमेंट के ज़रिए ग्रण्डर डिस्कशन लाना चाहिए। लेकिन ग्रब जब एक तरफ से कुछ फैक्टस ग्राए हैं तो दूसरी तरफ से भी कुछ फैक्ट्स ग्राए हैं। He has also said that it is subject to decision by the Court (No discussion should be raised on a *sub-judice* matter either by a Member by giving notice of an adjournment motion or by a Minister by giving a statement. But when some facts have been stated by one side the other side has also brought forward certain facts. He has also said that it is subject to the decision of the Court.)

कामरेड राम प्यारा : नहीं, जनाब, मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर तो यह था कि क्या कोई मिनिस्टर वैदर इनसाइड ग्रौर ग्राउटसाइड दी हाउस किसी सब-जुडिस केस के ऊपर कोई कमैंण्टस या क्रिटिसिज्म कर सकता है या नहीं ?

Mr. Speaker : No *sub-judice* matter can be the subject of discussion in the House in any manner.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि पहले जब यह एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई थी तो न उस वक्त होम मिनिस्टर साहिब ने बताया और न ही यह केस सब-जुडिस था इसलिए उस वक्त उनकी ऐडजर्नमैंट मोशन...............

Mr. Speaker : When an F. I. R. of a case is registered it becomes *sub-judice*.

श्री बलरामजी दास टण्डन : इसमें एफ० आई० आर० का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आया इन्क्वैस्ट हो रही है या नहीं। मेरी अर्ज़ है कि जिस वक्त मोशन दी गई थी उस वक्त यह केस सब-जुडिस नहीं था । अब होम मिनिस्टर साहिब भी जानते हैं कि यह सब-जुडिस है ....

Mr. Speaker : I do not agree with the hon. Member. The matter was sub-judice even at that stage.

Shri Balramji Dass Tandon : How is it ?

Sardar Gurnam Singh : When the report is lodged with the Police, the case becomes under investigation and it is considered to be a *sub-judice* matter. That is the reason why I objected to the hon. Minister's dilating in detail on the case which is under enquiry by a Magistrate.

Mr. Speaker : Now I would request the hon. Home Minister to please pass over to the next point.

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, the established convention in this House and at other places is that the Government cannot make a statement and defend themselves in this way, and the hon. Minister is not entitled to make a statement in regard to the subject-matter of an adjournment motion which has been rejected.

Mr. Speaker : So far as I know, and I am following the practice left by the hon. Member, that even with regard to certain adjournment motions which were disallowed, sometime Government did make statement on that subject.

Shri Prabodh Chandra : Mr. Speaker, you are casting insinuation against your predecessor. I would request you to kindly point out even a single instance when an hon. Minister or the Government was permitted to make a statement after an adjournment motion was rejected.

Mr. Speaker : I mean the Treasury Benches were also allowed to express their opinion while giving a decision about the admissibility or otherwise of an adjournment motion.

Shri Prabodh Chandra : But an hon Minister cannot make a statement after ten days of its rejection.

Mr. Speaker : The hon. Minister is not making a statement.

Shri Prabodh Chandra : The hon. Minister has quoted the police versio n to rebut the adjournment motion. The case, as stated by the hon. Minister, is under enquiry against the Police authorities and the Minister comes in the House to make a statement about what the police says. Let the hon. Minister, the Sub-Judge, the Judge or the Magistrate in-charge make the enquiry and then give a verified statement. It would be very unfair to this House and unfair to the hon. Member who gave notice of that adjournment motion if the hon. Minister is allowed to make a statement or give the version of the accused persons themselves here.

Mr. Speaker : In future no adjournment motion where the F.I.R. has been lodged with the Police, will be allowed to be read on the floor of the House so that there may be no further complications in contradicting or making a statement here in any manner. Now I will request Pandit Jee to carry on

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ । ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : As the adjournment motion given notice of in this connection is also on record, the hon. Minister had a right to say on that subject. With regard to what Pandit Jee has said, he has also clarified that the matter will be finally decided by the Court. Therefore it need not be expunged.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਆਪਨੇ ਇਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਅਲਾਉ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ......

Mr. Speaker: I did not say so. You have not fully heard me.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ.. ..

Mr. Speaker: No, I did not say so.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਉ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I did not say that. What I said is that it has been the practice that while deciding about the admissibility or otherwise of an adjournment motion, Government was allowed to explain their point of view, or the exact position.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਅਲਾਊ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : The hon. Minister has only referred to certain stage of the investigation in that case and so far as the story goes, he has made it quite clear that it is an interim position and that it is for the Court or the Judicial Magistrate to take a final decision.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ.......

Mr. Speaker : The hon. Minister has already clarified that this is an interim story.

गृह मन्त्री : मैं, स्पीकर साहिब, अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । और भी कुछ मैम्बर साहिबान ने कुछ बातें कही थीं अगर वक्त होता तो मैं उनका भी जवाब देता लेकिन अब जल्दी खत्म करता हूँ । मुझे अफसोस है कि इस बात में कुछ मैंबर साहिबान ने सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा । एक मैंबर साहिब ने यह कह दिया कि एक डिवीज़न के कमिश्नर साहिब के भाई को भट्ठा मिल गया है और नाजायज़ तौर पर मिला है क्योंकि वह उनके भाई थे । जैसा कि कुदरती था इस बात का अखबारों में भी चर्चा हुआ अब उस कमिश्नर साहिब ने मेरे पास एक चिट्ठी लिख कर भेजी है और साथ में पैप्सू के दो इम्पार्टेंट सरकारी कर्मचारियों को दो पुरानी चिट्ठियों की नकल भी भेजी है जिनमें इस बात को तस्लीम किया गया था कि उनके बाप का वहां पर एक भट्ठा बाकायदा तौर पर चलता था और कोयला मिलता था । यह एक चिट्ठी उस वक्त के वहां के डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ ग़ालबन श्री बुधीराजा की है और दूसरी श्री तेजा सिंह मलिक की है जिनमें कहा गया है कि उस वक्त भी इन कमिश्नर साहिब के बाप का वहां पैप्सू में भट्ठा बाकायदा तौर पर चलता था और उसके लिए कोयला वग़ैरा मिलता था............

Sardar Lachhman Singh Gill : I challenge this statement of the hon. Home Minister which is absolutely incorrect. There was no kiln of that family at that place.

Mr. Speaker : While making his speech, the hon. Member can rebut this thing.

गृह मंत्री : आनरेबल मेंबर ने मेरी बात समझी नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ।

गृह मंत्री : मैं ने बाघा पुराना की बात कहाँ की है ? मैं तो पैप्सू की ही बात इस वक्त कर रहा हूं । मैं तो जब पैप्सू कायम था उस वक्त की दो चिट्ठियों का, जिन

[गृह मंत्री]

की मुझे कापियाँ भेजी गई हैं, जिकर कर रहा हूं । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने बाघे पुराने का नाम नहीं लिया है। (शोर) (विघ्न)

सरदार लछमण सिंह गिल : स्पीकर साहिब, झगड़ा तो बाघे पुराने का है। (शोर) (विघ्न)

गृह मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे पता नहीं चला कि इसमें कौन सा अन्याय हो गया है (विघ्न) (शोर) मुझे अफसोस इस बात का है कि यह सरकारी कर्मचारियों को भी बीच में घसीट लाए हैं। उन पर लांछन लगाए हैं। उनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने पब्लिक लाइफ की कोई अच्छी मिसाल पेश नहीं की है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे आपोज़ीशन के कुछ मैम्बर साहिबान जो कि हमारे पब्लिक और पोलिटीकल लाइफ की ईथिक्स के मुताल्लिक मशवरा देते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, मैं उनको नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूँगा कि पब्लिक लाइफ की ईथिक्स, जो दूसरों को प्लीड करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि वह खुद उसको अपनाएं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त कम है । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मैंबर आपोज़ीशन की तरफ बैठे हुये हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं और आज भी इज्ज़त करते हैं। (विघ्न) (शोर) (कामरेड राम प्यारा द्वारा विघ्न) हां जी, आपकी सारी दुनिया इज्जत करती है। आपने न अपनी इज्ज़त की परवाह की और न किसी की इज्ज़त रहने दी है । आपको अपनी इज्ज़त का क्यों फिकर पड़ गया है ? (विघ्न)

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Sir. The hon. Minister has made an insinuation against me..........

श्री अध्यक्ष : जब आप कोई रिमार्क्स देते हैं और आपको उसका जवाब मिले तो आप क्यों टची होते ? (When the hon. Member makes some remarks he should not feel touchy if something is said by way of reply to those remarks.)

कामरेड राम प्यारा : वह झूठ कहते हैं। मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। I challenge the Minister to quote any instance.

Mr. Speaker : Please take your seat : क्या आपने झूठ का लफज कहा है ? (Please take your seat. Has the hon. Member used the word 'Jhooth' ?

कामरेड राम प्यारा : मैंने कहा है।

Mr. Speaker : The hon. Member should withdraw this word.

Comrade Ram Piara : Sir, I will obey your orders.

Mr. Speaker : This word is unparliamentary. Therefore the hon. Member should first withdraw this word.

Comrade Ram Piara : All right, Sir, I replace this word by "ghalat Biani." (*Interruption by Sardar Ajaib Singh Sandhu*)

श्री अध्यक्ष : आप अपना वक्त जाया कर रहे हो। आप आबस्ट्रक्ट न करें। (The hon. Member should not waste his time. He should not obstruct the proceedings.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੇਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ; ਸੱਚ ਦਾ ਉਲਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

गृह मन्त्री : मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपोजीशन की तरफ बैठे हुए मैंबर मौरेल और ईथिक्स का मशवरा देते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। जो मौरेल की बात प्लीड करते हैं वह उनको शोभा नहीं देती। खास तौर पर वह सदस्य जो इधर से उठ कर उधर चले गए हैं उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। (विघ्न) (शोर) मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वैसी इनके ऊपर भी आयद होती है। उनका फर्ज़ भी लोक राज को सुदृढ़ करने का है। जब तक आपोज़ीशन और गवर्नमैंट एक दूसरे के साथ मिल कर काम न करें उस वक्त तक ईथिक्स का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता। कोई भी लोक राज अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। इसलिये मैं आपोज़ीशन वालों को प्रार्थना करूँगा कि जैसे लोक राज को अच्छा बनाने की हमारी ज़िम्मेदारी है वैसे उन्हें भी उस को ऊपर उठाना चाहिए। बार बार ज़ाती बातें और ज़ाती हमले नहीं करने चाहिएं। मुझे पता नहीं लगा कि वोट आफ नो कंफीडेंस की मोशन लाने से क्या लाभ हुआ है, इसका क्या नतीजा निकला है जबकि कोई नई बात हमारे सामने इन्होंने पेश नहीं की है। वही पुरानी बातें यहां पर रिपोट की गई हैं, वही पुरानी बातों की चर्चा होती रही है। पुराने किस्सों को बार बार लाया गया है। इसके साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बजट सैशन में माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के लिए काफी मौका मिल गया था। मैं फिर आपोज़ीशन से प्रार्थना करूँगा कि आजकल के हालात के मुताबिक सूबे की तरक्की का काम और मुल्क के हालात को देखते हुए और कौमी इंटेग्रेशन को देखते हुए सब इकट्ठे होकर काम करें। इन्हें ज़ाती नुक्ताचीनी छोड़ कर ऊपर उठना चाहिए ताकि देश की हालत सुधर सके। मुझे यकीन नहीं कि मेरी प्रार्थना का इनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा लेकिन मैं अपने फर्ज़ की अदायगी करना ज़रूरी समझता हूँ। स्पीकर साहिब, आप का धन्यवाद करता हूँ।

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR LACHHMAN SINGH GILL, M.L.A.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਦੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਭੱਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਭੱਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਜ਼ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਭੱਠੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। (The hon. Member may express his views in his speech).

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO-CONFIDENCE MOTION

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जो वोट आफ नो-कन्फीडेंस इस सरकार के विरुद्ध सदन में पेश हुई है मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंडित मोहनलाल ने अभी अभी अपनी तकरीर खत्म करते हुए कहा है कि यह मोशन देकर आपोज़ीशन वालों ने हाउस का टाइम ज़ाया करने की कोशिश की है, इस मोशन को बारम्बार देने की क्या ज़रूरत थी। स्पीकर साहिब, वोट आफ़ नो कन्फीडेंस की मोशन देने का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी आंखों के आगे शीशा पेश किया जाए ताकि उसकी उसमें अपनी शक्ल अच्छी तरह से दिखाई दे सके, वह क्या कर रहे हैं, उसका क्या फ़र्ज़ है और हालात के मुताबिक क्या करना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि दुनिया के अन्दर जो कहावत कहते हैं, वह कहावत तो यह है कि—

अक्लमन्दां रा इशारा काफी अस्त।

अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी है। जिनको बारम्बार लाठी लेकर हांकना पड़ता है और फिर भी उनको कुछ समझ न आए, उनको चाहे कितनी बार समझाने की कोशिश की जाए तब भी उनकी समझ में न आए तो इसके सिवाए क्या चारा रह जाता है। पिछली बार यहां पर यह मोशन आई थी तो उस वक्त हिन्दुस्तान की हिस्टरी में अजीब बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके बरखिलाफ वर्डिक्ट दिया था लेकिन बदकिस्मती इस सूबे की है जहां प्रजातन्त्र के नाम का यह नारा लगाते हैं, उसके

सब से बड़े हामी बनते हैं, उनके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की । उन्होंने अपनी ज़मीर की परवाह नहीं की । उन्होंने लोगों की आवाज़ को नहीं सुना । उसके बाद यह समझते हैं कि कांग्रेस के बड़े लायल सिपाही हैं, कांग्रेस की काफी सेवा की है और अभी तक कुर्सी पर डटे हुए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आंध्र के चीफ मिनिस्टर जोकि २–३ साल आल-इंडिया कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं उन के बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया । उन्होंने हिन्दुस्तान में एक मिसाल पैदा की। लेकिन चाहिए तो इनको था कि हिन्दुस्तान में एक मिसाल पैदा करते क्योंकि इनके बरखिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने अपनी ग़लती का अहसास किया और

10 a. m.

उन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया । इनको इस बात को तो सोचना चाहिए था कि अगर पहली बार इस बात का ख्याल नहीं किया तो अब तो करें। जो लोग अपने आप को लायल सिपाही कहते हैं उनको सोचना चाहिए था कि पंजाब की जनता के सामने डैमोक्रेसी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का तकाज़ा क्या है। उनको किस हद तक मजबूर करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है ऐसा मालूम होता है कि वे इस बात को सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं। यह हकूमत रोज़ाना पचास गलतियां करती है लेकिन अगर किसी म्युनिसिपल कमेटी में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ताकत में हों तो उनके नाम कुछ न कुछ लगा कर उनको हटा देती है। कहीं पर जनसंघ के मैम्बर ताकत में हों तो उनको सस्पैंड कर देते हैं, किसी चेयरमैन को हटा देते हैं और कहीं पर कमेटी को ही सस्पैंड कर देते हैं। हकूमत के हाथ में ताकत है, इसलिए कभी किसी एग्ज़ैक्टिव अफसर को उड़ा देते हैं । जिन लोगों के साथ में ताकत है व इस बात को सहन नहीं कर सकते कि किसी भी म्युनिसिपल कमेटी में किसी और पार्टी के मैम्बर ताकत में आजाएं । उनको यह बात एक नज़र भी भाती नहीं है । वे लोग अपने ग्रेबां में मुंह डाल कर नहीं देखते, अपने अमाल को देखने की कोशिश नहीं करते और हमें कहते हैं कि यहां पर ज़ोर से क्यों बोलते हो। हमें उपदेश देते हैं कि हाउस के डेकोरम का ख्याल रखो । मैं पूछता हूँ कि अगर हम भी उनकी ग़लत बातों की प्रशंसा करें तो क्या हासउ का डैकोरम तभी ठीक रह सकता है। बुढलाडा म्युनिसि-पल कमेटी के दो मैम्बरों को पहले हटा दिया गया और बाद में प्रैज़ीडेंट को भी हटा दिया गया । इनके कारनामों को पंजाब के सब लोग जानते हैं। यहां पर चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अमृतसर में कारपोरेशन बनाई जाएगी और उसमें छेहरटा भी शामिल होगा । लेकिन छेहरटा में इसलिये चुनाव करवाने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़ोर है और अमृतसर में इसलिये चुनाव नहीं करवा रहे क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी को ताकत हासिल है। पटियाला कमेटी में तीन मेम्बर अकाली पार्टी के थे इसलिये उनको हटा दिया गया । वजह यह दी कि वह किसी देश के सिल-सिले में अदालत में पेश हुए । अमृतसर कमेटी के कांग्रेस के मैम्बर अदालतों में कई बार पेश होते रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। हकूमत अपने इशारे से प्रेज़ीडैंट और वाइस-प्रैज़ीडेंट को आपस में लड़ाती रही है। दोनों धड़े आपस में लड़ते रहे (विघ्न) रिपोर्ट को हाउस के सामने पेश नहीं किया गया। जो

[श्री बलरामजी दास टंडन]

गवर्नमेंट इतनी पार्टीज़न स्पिरिट में काम करती हो कि अगर किसी कमेटी में किसी दूसरी पार्टी के मैम्बरों के हाथ में पावर हो तो उसको टालरेट न कर सके और अपनी पावर का मिसयूज़ करे उस गवर्नमेंट के खिलाफ हम नो-कन्फीडेंस मोशन न लाएं तो और क्या करें । क्या हम उनकी सोई हुई ज़मीर को न जगाएं ? यह हमारा हक है और विधान ने हमें दिया है कि हम ऐसी सरकार के सामने शीशा रखें ताकि वह देख सके कि उनके राज में क्या बन रहा है।

नो कान्फीडेंस मोशन पर बहस करते हुए पट्टी के चुनाव का जिक्र किया गया । यह कहा गया कि आपोजीशन को शिकस्त हुई है। हम तस्लीम करते हैं कि यह हमारी बदकिस्मती है कि आपोज़ीशन एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकी । हकीकत यह है कि कुछ इन्सान ऐसे हैं, जनता के लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनको कांग्रेस ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उनको वे मजबूर कर सकते हैं कि वे किसी की बात न मानें । यह हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अभी अभी राज्य सभा का इलैक्शन हुआ और उसका रिज़ल्ट सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के 101 मैम्बर और आपोजीशन के 51, उनको अपने ग्रेबां में मुंह डाल कर देखना चाहिए कि इसके बावजूद भी नतीजा क्या निकला है। उनको 85 वोट मिले हैं, 16 वोट नहीं मिले । लीडर ने खुद हाई कमांड के भेजे हुए आदमी को शतरंज की चाल चल कर हरा दिया है। जहां पर हाई कमांड में तो लीडर का ईमान न हो, विश्वास न हो और नीचे वाले मैम्बरों का लीडर में विश्वास न हो, ईमां न हो, वहां पर ऐसे लोगों का क्या हक है कि वे हमें ताना दें । लीडर खुद हाई कमांड के कहने में ईमां नहीं रखता और नीचे वाले उस पर ईमां नहीं रखते तो ऐसी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा जा सकता है । गवर्नमेंट की कुछ ज़िम्मेदारी है, उसको कुछ सोचना होगा । डैमोक्रेसी में सब से पहली बात यह है कि देश की जनता सरकार की सोई हुई ज़मीर को जगाने की कोशिश करे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग चाहे कुछ कहें लीडर इस तरफ ध्यान ही नहीं देता । उनके मैम्बर उनको छोड़ कर इधर आ गए, उनमें कमी आ गई, कमज़ोरी हो गई। लेकिन जो आदमी हज़ार गालियां प्राइम मिनिस्टर को निकाल कर आए हों, हजारों गालियां लीडर को खुद निकाल कर आए हों, उन की पार्टी को छोड़ कर इधर आ गए जब उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपना रैज़िगनेश्न वापस लेते हैं और पार्टी लीडर भी कहता है कि हम उनको वापस एकसेप्ट करते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है । जब किसी रूलिंग पार्टी की ज़मीर इतनी गिर चुकी हो तो उसकी हकूमत का क्या बनेगा । जिस पार्टी पर लोगों का कैरेक्टर बनाने की जिम्मेदारी हो अगर उसका अपना कैरेक्टर ही इतना गिर गया हो तो वह पार्टी लोगों का कैरेक्टर क्या बनाएगी ? जहां पर मैम्बर बिकते हों वहां पर लोगों का कैरेक्टर क्या बनेगा ? जहां पर मैंबरों के चरित्र को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती हो। [X X X] क्या वहां गवर्नमेंट पर कुछ ज़िम्मेदारी नहीं आती ?

Note.— Expunged as ordered by the Chair.

ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਡੀਸੈਂਟ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टन्डन : मैं आपसे यह दरखास्त कर रहा था कि राज्य सभा के चुनाव में जो कुछ हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है......(विघ्न) फिर दो चार घंटे प्रेम और प्यार की पींघें चढ़ाते रहे और चीफ मिनिस्टर के लड़के भी किस ढंग से काम करते रहे यह सब पर अयां है। यह बात परदा डालने से किसी से छिप नहीं सकती। खुद हाई कमांड पर लीडर का और मैंबरों का लीडर पर एतबार न हो तो उनको किसी को कुछ कहने का हक नहीं बनता। यहां पर खड़े होकर मैंबर साहिबान की तरफ से और भी बहुत सी बातें कही गई। मेरी अर्ज़ है कि जो लोग ज़मीर बेच कर काम करते हैं, जो लोग खुद किसी न किसी बात में एंटैंगल होते हों उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हम लीडर की गलत बात में भी हां न कहेंगे तो चूंकि उसके हाथ में ताकत है वह किसी न किसी ढंग से हम को जेल की सिलाखों के पीछे धकेल देगा।

इसका क्या नतीजा होता है? एक मैम्बर साहिब जो कांगड़ा ज़िला से आए हैं, कांग्रेस की वोटों से आए हैं और वहां पर सनातन धर्म स्कूल के मैनेजर हैं उन्होंने सन् 1948 में पांच हजार रुपया गवर्नमेंट से रीहैबीलीटेशन ग्रांट के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि मैं वहां उस स्कूल का मैनेजर हूँ, हमने तीन महीने की तन्खाह पहले ही अध्यापकों को दे दी हुई है, ग्रांट ले ली। हालांकि कहा यह गया था कि हम पहले ही उनको तनखाह दे चुके हैं लेकिन स्टाफ के मैंबर अभी तक मारे मारे फिर रहे हैं, कहते हैं कि हमें तनखाह नहीं मिली। वह रो रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। क्या इस मामला में कोई एनक्वायरी हुई है? न रुपया उस मतलब के लिए इस्तेमाल किय गया और न ही कोई पूछने वाला है। स्पीकर साहिब, मैं आपको क्या बताऊं और क्या न बताऊं................

पंडित अमरनाथ शर्मा : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सप्लेनेशन सर।

श्री अध्यक्ष : आप अपना परसनल ऐक्सप्लेनेशन इनकी स्पीच खत्म होने के बाद दे देना। (The hon. Member may give his personal explanation after the hon. Member in possession of the House has concluded his speech.)

गृह मन्त्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहता हूँ कि यह नो कान्फीडेंस की मोशन गवर्नमेंट और मिनिस्टरी के ख़िलाफ है। क्या इसके दौरान इस हाउस के दूसरे आनरेबल मैम्बर साहिबान पर, जिनको कि जवाब देने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई ज़ाती इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं?

[गृह मन्त्री]

मेरी नाकस राए यह है कि इस तरह से ज़ाती इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते और मैंबर साहिब को इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए । उन्हें ये अल्फाज़ वापिस लेने चाहिएं ।

श्री अध्यक्ष : श्री टंडन ।

श्री बलरामजी दास टंडन—इसी तरह से यहां पर और मैम्बर भी हैं, जो कि कांग्रेस बैंचों पर बैठते हैं। जो मैम्बर साहिब कांग्रेस की तरफ से बड़े ज़ोरोशोर के साथ बोले हैं, क्या हम नहीं जानते कि इन्हें सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी एडवर्टिजमेंट्स मिलती हैं ? स्पीकर साहिब, जहां पर यह हालात हों, जहां पर सरकार ने खुद ऐसे हालात पैदा किए हों कि अपने आदमियों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नाजायज़ पग उठाए गए हों वहां हम इनका भांडा फोड़ न करें तो क्या करें। एक तरफ जुडीशरी को कत्ल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उसे ऐग्ज़ैक्टिव से अलग करने की कोई बात ही नहीं सोची जाती । सुप्रीम कोर्ट हर रोज़ हमारे मुंह पर चपत लगाती है—चीफ मिनिस्टर के ऊपर, सूबे की सारी की सारी मशीनरी के ऊपर चपत लगाती है लेकिन उसके बरअक्स यहां पर सारी की सारी मशीनरी को किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है। यहां पर रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार बनाए गए । मैं हैरान होता हूँ। कुरप्शन को कुचलने की बातें कहते हैं लेकिन सब-रजिस्ट्रार , वह आदमी जिनकी बाबत सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से इनकी पार्टी का काम करते हैं, उनको किसी न किसी ढंग से पैसा देने के लिये पहिले डैढ़ सौ रुपया दिया फिर बढ़ा कर एक एक व्यक्ति को चार–चार पांच–पांच सौ रुपया माहवार दिया जा रहा है। जहां पहले एक एक आदमी काम करता था अब चार–चार आदमी लगाए हुए हैं। यह कुरप्शन वही लोग करते हैं जो जनता की ज़मीर को ऊंचा करने का नारा लगाए हुए हैं। किस तरह से वह कुरप्शन करते हैं, कैसे हज़ारों रुपया उनकी जेबों में जाता है, इस सम्बन्ध में बाकायदा रिपोर्टस हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं । क्या अंग्रेज़ों के वक्त भी कुरप्शन का यह हाल था ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज़ों के दिलदादा थे, अंग्रेज़ों की हकूमत को यहां पर जारी रखना चाहते थे, उनके बारे में भी अगर कुरप्शन का चार्ज लगाया जाता था तो क्या होता था। अमृतसर में तीन आदमी सब-रजिस्ट्रार थे। एक राए साहिब थे, एक सरदार साहिब थे और एक खान बहादुर थे। उनके खिलाफ अल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने फलां फलां काम किया । सब लोग जानते हैं कि राए बहादुर, राए साहिब, खान बहादुर वगैरा ऐसे आदमी हुआ करते थे जोकि अंग्रेज़ों के वफादार थे, अंग्रेज़ों की हकूमत को चलाने वाले थे । उनके खिलाफ भी केस चला। एक आदमी का तो उसी वक्त हार्ट फेल हो गया । एक आदमी का फैसला होने के बाद ही हार्ट फेल हो गया और तीसरे का छ: महीने के बाद हार्ट फेल हो गया। इस तरह से अंग्रेज के जमाना में भी कुरप्शन को जगह नहीं थी लेकिन यहां पर हर रोज़ इस तरह की बातें होती हैं। स्टेट का रुपया बुरी तरह से ज़ाया किया जा रहा है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप वाइंड अप करें। (The hon. Member, may please wind up now).

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, दो तीन मिनट में खत्म करता हूँ, जहां तक अटानोमस बोर्डज़ का ताल्लुक है वह पवित्र विधान के अनुसार बनाए जाते हैं। इनके बनाने का मतलब यह होता है कि सरकारी नौकरियों में वह आदमी लाए जाएं जो मैन आफ कैरेक्टर हों, मैन आफ इंटैलीजैंस हों, खास कुआलिटीज़ रखने वाले लोग हों जो कि सूबा की एडमिनिस्ट्रेशन में आएं। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है आपने इस सूबा में पब्लिक सर्विस कमीशन और सबार्डीनेट सर्विसिज़ सिलेक्शन बोर्ड को मज़ाक बना कर रख दिया है। सरदार भाग सिंह, जिसके चरित्र के बारे में आप जानते हैं, जिसके चरित्र के बारे में जनता जानती है, जिसके खिलाफ केस बना उसे सबार्डीनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड का मैम्बर बनाया गया। दूसरे भी जो मैम्बर हैं उनकी बाबत भी आप जानते हैं कि किस तरह से रिश्वत देकर रखा गया, कैसी कुआलीफिकेशन के आदमी हैं यह भी आप जानते हैं। दूसरा जो कमीशन है उसमें भी आप जानते हैं कि किन किन आदमियों को लगाया गया। एक मैट्रिक पास को वहां अपर हाउस से लेकर लगाया गया। एक डिप्टी मिनिस्टर को जिसे जनता ने भी नामंजूर कर दिया उसे भी यहां पर लगा दिया। आप अन्दाज़ा लगाएं कि इस कैलीबर के लोग सर्विसिज़ के साथ क्या इन्साफ कर सकते हैं? तो मैं यह कहूँगा कि जिस सरकार ने कान्स्टीच्यूशन की इस तरह से मिट्टी प्लीद की हो, जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह के अल्ज़ामात लगाए गए हों, जिस सरकार ने पंजाब के अन्दर इस तरह से मैंबरों की भी मिट्टी पलीद की हो, असूलों की मिट्टी पलीद की हो उसे इससे ज्यादा क्या कहा जाए। ज़ातियात में आकर हर कदम पर जिस सरकार ने ताकत का मिसयूज़ किया हो उस पर तो रीटायर्ड जज साहिब उन बातों का फतवा देंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब के अन्दर इस सरकार ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, मैं नहीं समझता कि पंजाब का कोई भी इन्सान सिर ऊंचा उठा कर बाहर जा सकता हो। और किसी की क्या बात करूँ, मुझे खुद अपने आपको मैंबर असैम्बली कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। जब पंजाब में इस किस्म के हालत बने हुए हैं कि जिसमें मैंबर असेम्बली को भी लोगों में जाते हुए शर्म आए, अगर ऐसे हालात पैदा करने के लिये इस सूबे का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? इसलिये मैं कहूँगा कि इस सरकार ने इस सूबे को बरबाद किया है, इस सरकार ने सूबे के मौरेल को गिराया है, इस सरकार ने अपना और सूबे का कैरेक्टर कम किया है। इन हालात के अन्दर इस बात की ज़रूरत है कि यह सरकार बदली जाए। इसलिये मैं इस नो–कान्फीडेंस मोशन की हिमायत करता हूँ।

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI AMAR NATH SHARMA, M.L.A

श्री अमरनाथ शर्मा : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सप्लेनेशन, सर। स्पीकर साहिब, मेरा ख्याल था कि श्री बलरामजी दास टंडन जिस गरोह या जिस ग्रुप से ताल्लुक

[श्री अमर नाथ शर्मा]

रखते हैं जिन्होंने नारा लगाया हुआ है कि हम पुरानी संस्कृति को कायम रखेंगे........

श्री अध्यक्ष : आप अपना परसनल ऐक्सप्लेनेशन दें। इन बातों में न जाएं। (The hon. Member should given his personal explanation. He should not go into these things.)

श्री अमर नाथ शर्मा : मैं परसनल ऐक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ। उन्होंने नारा लगाया हुआ है कि हम पुरानी संस्कृति को कायम रखेंगे, हिन्दुओं की रक्षा करने वाले हैं। (विघ्न) मिशन हाई स्कूल पालमपुर में हर क्लास में दो सैक्शन्ज़ थे । 1948 में हर क्लास में से एक एक सैक्शन बन्द कर दिया। लड़के इधर उधर घूमने लगे। सरकार कोई इन्तज़ाम न कर पाई थी। जिस तरह सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब ने कई और जगहों पर डिसरप्टिड स्कूल खोले उसी तरह से पालमपुर में श्री कृष्ण हाई स्कूल कुंजा खोला गया और सभा के रेज़ोल्यूशन के मुताबिक खोला गया । 1948 में वह स्कूल खुला (विघ्न) बात सुनिए, क्यों घबराते हैं ? दर असल बात यह थी कि उसकी लोकल मैनेजमेंट एक साल पहले प्री-पार्टीशन सभा को लिख कर दे चुकी थी कि यह स्कूल सभा सम्भाले । लेकिन बद बख्ती यह थी कि पार्टीशन के वक्त सभा के सारे के सारे कागज़ात वहां लाहौर में रह गए और प्रावीडेंट फंड की पास बुक्स जो थीं वह पुराने मैनेजर के पास रह गईं। इससे पहले सरकार को कहा जा चुका था कि पालमपुर में कोई स्कूल खोलो। 1949 में 5,000 रुपए की रीहैबिलीटेशन ग्रांट मिली। इस सम्बन्ध में डी. पी. आई. के दफ्तर में बाकायदा फाइलें मौजूद हैं । वह केस चला। पुरान मैनेजर ने कहा कि सभा को हमने यह स्कूल मुकम्मल तौर पर नहीं दिया था। उस पर स्वर्गीय सरदार गुरचरन सिंह, डिप्टी डाइरैक्टर ने फैसला दिया कि जब तक सभा असली कागज़ात पेश न करे, यह स्कूल पुरानी कमेटी को दिया जाता है । चूंकि पुरानी कमेटी ने पालमपुर से वह स्कूल बन्द करके समालखा, जिला करनाल में खोला इसलिये वह ग्रांट जो मिल चुकी थी वह एक साल पहले 1948 में खर्च हो चुकी थी। इसी सम्बन्ध में पुराने स्टाफ के दो टीचरों के कुछ क्लेम्ज़ थे । यह कहना कि मैंने बतौर मैनेजर यह कहा कि खुदा रा ग्रांट दी जाए, मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी झूठ बोले हैं यह भी झूठ ही बोला गया है ।

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, आप, झूठ का लफ्ज़ वापिस लें। (The hon. Member should withdraw the word 'Jhooth')

श्री अमरनाथ शर्मा : बहुत बेहतर जनाब, मैं आपके हुक्म के मुताबिक यह 'झूठ' का लफ्ज़ वापस लेता हूँ। मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि यह गलत बातें हैं जो कि इनकी तरफ से कही गई हैं। हर सेवा की बात को हर असूल की बात को गलत कहना ठीक नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि वह रुपया 1948 में सारे स्टाफ पर खर्च हुआ। उस वक्त विद्यार्थियों की संख्या कम थी और स्टाफ ज्यादा था। उसके बाद दो टीचर मैदान में आ

गए। उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि उनका ड्यू है। हमने माना हुआ है कि हम देंगे । यह कहना कि हमने रुपया ऐम्बैजल किया है, गलत है और इसमें कोई सचाई नहीं।

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं आपकी इस बारे में रूलिंग चाहता हूँ कि क्या इस बारे में हमारे रूलज़ में कोई ऐसी प्रोवीज़न है कि जब किसी मैंबर के बारे में कोई बात कही जाए तो वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन का फायदा उठाते हुए किसी दूसरे मैम्बर की बात को रिबट करने लगे । इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या वह ऐसे कर सकता है? यहां पर कहा गया कि पांच हजार रुपए यह खा गए । इन्होंने इस बारे में तो कोई अपनी सफाई दी नहीं बल्कि दूसरे मैंबर की बात को रिबट करने की कोशिश की है लेकिन....

श्री अध्यक्ष : प्वायंट आफ एक्सप्लैनेशन तो इनका था और इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। इसमें इनकी यह ज़िम्मेदारी नहीं कि आप को सैटिसफाई कराएं। आप अपनी राए इस बारे में जो आप की मर्ज़ी आए रख सकते हैं । (Shri Amar Nath Sharma had stood up on a point of personal explanation and he has explained his position. He is not bound to satisfy the hon. Mcmber. The hon. Member is free to hold what ever opinion he may like.)

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO--CONFIDENCE MOTION

चौधरी रिज़क राम (राए):स्पीकर साहिब, इस रैज़ोल्यूशन पर तीन दिनों से..

Sardar Gurnam Singh : I request that time may be fixed now.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ —

श्री अध्यक्ष : आप ज़रा एक मिनट के लिये बैठ जाएं।

मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि पिछले दो दिनों में जब इस नो–कन्फीडैंस मोशन पर बहस होती रही है तो इस बहस में कांग्रेस बैंचिज़ के मैम्बर 170 मिनट बोले हैं और आपोज़ीशन के बैंचिज ने 168 मिनट लिये हैं हालांकि पार्टी स्ट्रेंगथ के मुताबिक दो–तिहाई वक्त ट्रेज़री बैंचिज़ को मिलना चाहिए था और एक–तिहाई आपोज़ीशन वालों को मिलना चाहिए था । आज साढ़े चार घंटे टाइम है । अगर मैं पार्टी स्ट्रेंग्थ के मुताबिक चलूं तो गवर्नमेंट बैंचिज़ को 170 मिनट दिये जायेंगे और 34 मिनट बाकी के मैम्बरों को दिए जाने चाहिएं क्योंकि आध घंटा तो दूसरी चीज़ों में चला गया है । लेकिन मैंने यह ठीक समझा है कि बजाए 170 मिनट और 34 मिनट देने के गवर्नमेंट चिज़ को अढ़ाई घंटे दिये जाएं और डेढ़ घंटा आपोज़ीशन वालों को दिया जाय। मैं यह प्रोपोरशन रखूंगा ।

[श्री अध्यक्ष]

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र पार्टी के मैंबर अब तक 75 मिनट बोल चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के 21 मिनट, अकाली पार्टी के 25 मिनट और टण्डन जी को छोड़ कर जनसंघ पार्टी वाले 22 मिनट बोल चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास चौधरी हरद्वारी लाल और सरदार त्रिलोचन सिंह रियास्ती की भी चिटें आई हैं। वह आपस में कोई अरेंजमेंट कर लें और एक दूसरे को ही एकामोडेट कर लें। एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को एकामोडेट करना चाहेगी तो मुझे इसमें कोई एतराज़ न होगा। इस तरह से जो पार्टी दूसरी पार्टी को इस तरह से टाइम देगी तो उतना टाइम उसमें से निकाल लिया जाएगा। That seemes to be all right.

(I request the hon. Member to resume his seat for a minute I would like to inform the House that during the two days' discussion on this No-Confidence Motion, the Congress Benches took 170 minutes while the Opposition parties took 168 minutes, though according to their party strength 2/3rd time was to be allotted to the Treasury Benches and 1/3rd time to the rest. Today the House will discuss this motion for $4\frac{1}{2}$ hours and according to the party strength,the Treasury Benches are eligible for 170 minutes and the Opposition for 34 minutes. I have excluded half-an-hour time that has been spent on other things. Instead of giving 170 minutes to Treasury Benches and 34 minutes to Opposition, I think it would be more proper to allot $2\frac{1}{2}$ hours to the Treasury Benches and $1\frac{1}{2}$ hours to the Opposition.

Besides this, I also want to inform the House that uptil-now the Prajatantar Party has taken 75 minutes, the Communist Party 21 minutes, the Akali Party 25 minutes and the Jan Sang Party (excluding the time taken by Shri Balramji Dass Tandon) 22 minutes. I have received chits from Chaudhri Hardwari Lal and Sardar Trilochan Singh Riasti also. I would request the hon. Members to aocommodate each other. I will have no ojection if a party gives its time to some Members of another party. Of course, the time given in this way will be deducted from that party's time. That seems' to be alright.)

चौधरी देवी लाल : पी. आई. पी. की तरफ से चौधरी हरद्वारीलाल को टाइम दिया जाय।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहिब, इस अदम एतमाद की मोशन पर आज तीन दिनों से बहस जारी है और अभी अभी मेरे साथी श्री बलरामजी दास टंडन जी इस पर बोले हैं और उन्होंने फरमाया कि अविश्वास के मते का यहां मुद्दा यह था कि गवर्नमेंट को सही तसवीर दिखाई जाए जिससे इस को पता चल सके कि इसका तरज़े-अमल ग़लत रहा है। मैं समझता हूँ कि जब से यह बजट सैशन शुरू हुआ है तब से 15 या 20 दिन का वक्त तो केवल इन्हीं बातों में गया है। आपोज़ीशन की तरफ से हर मौके पर यानी गवर्नर ऐड्रैस पर, जनरल डिस्कशन आफ दी बजट पर, एप्रोप्रिएशन बिल पर और दूसरी डिमांड्ज़ पर यही कहा जाता रहा है कि इस हकूमत का तरज़ेअमल गलत रहा

है और इसी लिये यह इस मोशन को ले आए हैं। मैं समझता हूँ इस मोशन के दो मतलब होते हैं, एक तो यह कि आपोज़ीशन यह ख्याल करती हो कि उन की ताकत ट्रैजरी बैंचिज़ से ज्यादा है और वह इस मते पर उसे डिफीट दे सकती है और दूसरा यह कि जो प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने इलैक्शन के वक्त पब्लिक को दिये उनको पूरा करने में यह सरकार नाकामयाब रही हो या मौजूदा हालात में इनका कोई प्रोग्राम हो और उसमें यह सरकार नाकामयाब रही हो और उसके लिये अगर यह बताते कि अगर उसके लिये यह ज़रिया इस्तेमाल करती या यह नुस्खा इस्तेमाल करती तो यह कामयाब हो जाती लेकिन अफसोस है कि ज्यादातर इन बातों में वक्त लगाने की बजाए ज़ाती हमलों में इन्होंने वक्त गुज़ारा है। स्पीकर साहिब, मैं इसके मुताल्लिक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। जहां तक बुनियादी प्रोग्राम का सवाल है मैं समझता हूँ कि यह आपोज़ीशन वाले इस सूबे के अन्दर तीन आम चुनाव हार चुके हैं और उनमें कांग्रेस कामयाब होती रही है और जो लोग इस वक्त ट्रैजरी बैंचिज़ पर बैठे हैं इन्हें जनता ने कामयाब करके यहां राज्य चलाने के लिये भेजा है। जहां तक विरोधी पार्टियों का ताल्लुक है उन्होंने इलैक्शन के वक्त अपने जो जो मैनीफैस्टो रखे उन्हें जनता ने नहीं माना। अभी कोई ज्यादा अर्सा नहीं गुज़रा, अभी सिर्फ दो साल ही हुए हैं जब आम चुनाव हुए थे। उस में भी गवर्नमेंट पार्टी ने अपने प्रोग्राम पब्लिक के सामने रखे और आपोज़ीशन की पार्टियों ने भी अपने प्रोग्राम रखे और उस पर चुनौती हुई थी और पब्लिक ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसे यह जो पांच साला प्लेन का प्रोग्राम दिया था जिससे यह सूबे की तामीर को चलाना चाहती है, उसके हक में अपना फैसला दिया है। इससे मैं समझता हूँ कि विरोधी दलों को तीन हारें हुई हैं। इसके बाद पंजाब की पालिटिक्स में एक मोड़ आया है, एक तब्दीली आई है और एक ज़बरदस्त तग़य्यर आया है और एक बड़ी हलचल मची हुई है और यह हलचल सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में है। अगर आप नज़र मार कर देखें तो आपको पता लगेगा कि अब आपोज़ीशन पार्टियों को यह विश्वास हो गया है कि मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो तामीरी प्रोग्राम जनता के सामने रखे हुए हैं उनका मुकाबला इनके प्रोग्राम नहीं कर सकते और यह उनके सामने ठहर भी नहीं सकते। तो इसका नतीजा यह हुआ है कि इन विरोधी पार्टियों ने मिनिस्टरों के खिलाफ और गवर्नमेंट पार्टी के दूसरे मैम्बरों के खिलाफ कैरेक्टर एसेसीनेशन यानी इलज़ाम तराशी करनी शुरु कर दी है। अब यह तरह तरह के इलज़ाम लगाने लगे हैं। यह चीज़ सिर्फ पंजाब में ही शुरू नहीं हुई बल्कि यह सारे हिन्दुस्तान में शुरू हो गई है, यहां तक कि अब तो प्राइम मिनिस्टर साहिब के खिलाफ इलज़ाम तराश किए जाते हैं। जो जनसंघ के मैंबर अभी बोल रहे थे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि बाकी सभी पार्टियों के रुकनों से पूछना चाहता हूँ कि वह अपने सीना पर हाथ रख कर कहें कि जो कमियां वह कांग्रेस की हकूमत में देखते हैं क्या वही कमियां उनमें अपने में नहीं हैं। जो उन्हें कांग्रेस में दिखाई देती हैं, वही इनमें भी हैं, मिल सकती हैं लेकिन फिर भी सियासी कुरप्शन के इलज़ाम बार बार इस गवर्नमेंट पर लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि सियासी तरज़ेअमल में बेकायदगियां होती हैं। यही कहा जाता है कि गलतियां कांग्रेस वाले करते हैं। करते होंगे, मैं इस बात की बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी आपोज़ीशन पार्टी की तरफ

[चौधरी रिज़क राम]

से पंडित मोहनलाल जी पर इलज़ाम लगाया गया था लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि कांग्रेस की जो जमात है वह इलैक्शन के लिये उम्मीदवार चुनते वक्त एक स्टैंडर्ड को अपने सामने रखती है। एक यार्डस्टिक का इस्तेमाल करती है। मगर दूसरी तरफ मैं मिसाल के तौर पर चौधरी देवीलाल जी का केस लेता हूँ। यह 1957 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तब कांग्रेस हाई कमांड ने इनसे कहा कि कुछ समय प्रायश्चित के लिये लो। यह उनको सलाह दी और उनको टिकट न दी। मगर वही आज आपोजीशन की युनाइटिड फ्रंट के प्रैजीडेंट हैं। इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के सामने अपने कैंडीडेट चुनते वक्त एक स्टैंडर्ड होता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस आदमी का कैरियर कैसा रहा है, बतौर मैम्बर के उसका चलन कैसा रहा है। मगर आपोज़ीशन वालों के सामने कोई असूल नहीं है। फिर कहते यह हैं कि कांग्रेस वाले ग़लत हैं। अभी ढिल्लों साहिब और टंडन जी ने भी कहा कि जो राज्य सभा की अभी इलैक्शन हुई उसमें इनके मैम्बर इधर से उधर हो गए, या उन्होंने यह किया या वह किया। मगर ढिल्लों साहिब या टंडन साहिब भी किसी हार या जीत के लिये डींग नहीं मार सकते, फख्र नहीं कर सकते। मैंबर साहिबान का जो तर्जअमल है वह तो एक आईना है, मगर और भी बातें हैं। वह चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछली दफा भी राज्य सभा के इलैक्शन हुए थे और अथवाल साहिब मैंबर थे। इस बार दुग्गल साहिब थे। यह दोनों ही अमीर आदमी हैं। मुझे नहीं पता कि यह अफसोस की बात है या खुशी की कि यह दोनों अमीर आदमी असैम्बली के मैम्बरों की राये से कामयाब हुए हैं। आप इस बात से कुछ अन्दाज़ा लगा सकते हैं और मुझे जनसंघ के एक ज़िम्मेदार मैम्बर ने बताया है कि पिछली दफा जनसंघ के मैम्बरों ने अपनी 5 राएं देने के लिये 30,000 रुपया लिया। अगर इनमें हिम्मत हो तो कन्ट्राडिक्ट करें। मगर यह कहते नहीं थकते कि कांग्रेस वाले उधर चले गए। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस वाले सारे ही अच्छे हैं, हम में खराब भी हैं मगर यह कहना कि आपोजीशन वाले सारे ही अच्छे हैं यह कोई बेकायदगी नहीं करते, गलत बात है। पट्टी के इलैक्शन में अकाली पार्टी को राज्य सभा के उम्मीदवार ने कितना रूपया दिया, महलकलां के लिये कम्युनिस्ट मैम्बर को कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना रुपया दिया है? (तालियां) यह कोई अच्छी दलील नहीं है कि अकाली पार्टी वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले और जन संघ वाले तो सारे ही अच्छे हैं मगर कांग्रेस वाले सारे ही खराब हैं। यह जो ऐसी बातें होती हैं यह अफसोस का मकाम हैं। सोचने वाली बातें हैं, आपोजीशन वाले भी अपने फर्ज को पहचानें। यहां पर आ कर गंद उछाल देना ठीक नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो एलान करे कि उनके ग्रुप ने पैसा नहीं लिया है। जन संघ वाले बताएं जिन्होंने 30,000 रुपया बतौर एक ग्रुप की वोटें देने के लिये लिया, अकाली बताएं या दूसरे बताएं। कहीं कोई एक आध मैम्बर ऐसी बात करे तो कोई बात नहीं है मगर जब एक पार्टी के तौर पर राए देने के लिये पैसे लिए जाएं तो यह पुलिटीकल कुरप्शन है और फिर वही दूसरों पर इलज़ाम लगाएं तो बड़ी अजीब बात है, हां अगर कोई इतना ही ढीठ हो कि चोर की तरह कोतवाल को डांटे तो उसका जवाब नहीं हो सकता। फिर सियासी कुरप्शन जिसका

इतना शोर मचाया जाता है इस बारे यह देखने की बात है कि बाकी जगह पर क्या हाल है। मुझे दिल्ली में एक बहुत बड़े आदमी से बात करने का इत्तफाक हुआ। उसने मुझे बताया कि बिहार से राज्य सभा के लिए वहां का रहने वाला एक ऐसा आदमी कामयाब होकर आया जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पैसे वाला है। यह है मियार जो सारे देश में चल रहा है। मगर क्या इस सब के लिये सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही है? अभी टंडन जी ने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट का हर मैम्बर रिश्वत लेकर आया है। मगर जब टंडन साहिब की पार्टी 30 हज़ार रुपया रिश्वत का लेती है तो उसके लिए सरदार प्रताप सिंह कैसे जवाब देह है? फिर यह जो हालत है यह सिर्फ इसी देश में हो ऐसी बात भी नहीं है। आप ज़रा अमरीका की तारीख पढ़ें। 1920 में वहां पर भी हालत ऐसी ही थी। बड़े जोरों से सियासी कुरप्शन चलती थी। वाशिंगटन ने लिखा है कि कोई अफसर बिना रिश्वत के काम नहीं कर सकता और उसको रिश्वत दे देनी चाहिए। और अगर कोई एतराज़ करता है तो वह गलती करता है। एक प्रैज़ीडेंसी के उम्मीदवार श्री हल ने लिखा है कि अगर पुलिटीकल पावर हासिल करने के लिये रुपया दिया जाता है तो वह जायज़ है। ऐसे हालात अमरीका और बरतानिया में भी रहे हैं। (विघ्न) मैं आपके मुताल्लिक नहीं कहता। फिर बाद में तबदीली आई। वहां पर जो पुलिटीकल पार्टीज़ थीं वह नैशनल पार्टीज़ बनी। वहां पर रिपबलीकन और डैमोक्रैटिक दो पार्टियां हैं। दोनों का एक दूसरे पर दबाव है जिसकी वजह से दोनों का चलन सुधरता है क्योंकि जो भी पार्टी इन पावर होती है उसे डर होता है कि दूसरी पार्टी हमें सैट एसाइड कर देगी। मगर पंजाब में क्या हालत है? एक दर्जन ग्रुप्स हैं, जिनका बिल्कुल अलग अलग प्रोग्राम है, कोई भी निश्चित नीति नहीं है, समान प्रोग्राम नहीं है। (विघ्न) ज़रा सुनिये। अगर हम सही तौर पर सोचते हैं तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अगर आज कुछ खराबी देश में नज़र आती है, सियासी तौर पर या दूसरी किस्म की, तो वह इस वजह से है कि यहां पर एक ज़िम्मेदार और एक मुनज्ज़म किस्म की एक खास प्रोग्राम वाली आपोज़ीशन पार्टी नहीं है। (तालियां)। यह जो आपोजीशन के ग्रुप्स हैं यह लोगों के सामने आज तक कोई कामन प्रोग्राम नहीं रख सके। आपोज़ीशन एक चैक के तौर पर काम करती है और एक बैलेंस लाती है। यहां पर इस इलैक्शन के बाद एक ऐसा बैलेंस पैदा करने की कोशिश की गई। यह एक दूसरा मोड़ था। एक तो था कैरेक्टर असैसीनेशन का और दूसरा यह था कि यहां पर सियासी ग्रुप्स ने गठजोड़ कर लिया। (घंटी) बस जी, दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं पूछता हूँ कि यह जो गठजोड़ हुआ है यह किसी असूल को मद्देनज़र रख कर किया गया है? क्या इससे पंजाब का कुछ भला हो सकता है? क्या यह नेकनीयती पर मबनी है? नहीं; इस का मकसद सिर्फ किसी तरह से ताकत हासिल करना है। इसको तो ग्रुप इंट्रैस्ट्स की रीमैरेज कहना चाहिए। यह जुदा जुदा ग्रुप्स हैं जिनकी आइडियोलोजीज़ अलग अलग हैं, ख्याल मुख्तलिफ हैं। यह तो पुलिटीकल कुरप्शन है, पुलिटीकल हिपोक्रिसी है बल्कि अगर इसे पुलिटीकल प्रास्टीट्यूशन कहा जाए तो बेहतर होगा। आप जरा देखें कि अगर यह गठजोड़ ताकत लेने के लिये नहीं किया गया तो किस लिये किया गया है। एक इनमें अकाली पार्टी है जोकि पंजाबी सूबे की मांग करती है और चाहती है कि उसके लिये सूबाई इख्तियार

[चौधरी रिज़क राम]

ज्यादा हों। इसके बिल्मुकावल जन संघ पार्टी है जो चाहती है कि पंजाबी सूबा ना बनाया जाए और साथ ही यह भी कहती है कि मुल्क में यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट हो, यानी सूबाई सरकारों को खत्म किया जाए । इस तरह से उनके मुत्जाद प्रोग्राम हैं, मुत्जाद आइडियोलिजी है। दोनों मुतजाद हैं। और आज अगर ये दोनों मिले हैं तो यह सब लोग जानते हैं । गवर्नमेंट को फाल करने में यकीन रखते हैं और इन्होंने गठजोड़ किया है। इसे पुलिटिकल फ्राड कहा जाता है और लोग भी इस फ्राड को समझते हैं। इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह कम्युनिस्ट और संत ग्रुप की हालत है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता । श्री भगवत दयाल जी ने कल कहा था।

मुझे इनके गठजोड़ करने पर एक बात याद आ गई। एक आदमी एक टट्टू पर बैठा जा रहा था कि रास्ते में खाल आ गया, नाला आ गया और उसे पार करने से पहले टट्टू खाल पर अटक गया । सवार ने सोचा कि यह बहुत बेइज्ज़ती की बात है और लोग ख्याल करेंगे कि इसका टट्टू खराब है जो खाल पर आकर रुक गया है। उसने एक तरकीब निकाली कि अपनी जेब से एक खत निकाल कर पढ़ने लगा । इतने में एक घुड़सवार भी उधर से आ गया । घोड़ा भी खाल पर अटक गया। उस घुड़सवार ने सोचा कि मेरी बेइज्जती होगी और वह टट्टू वाले के खत को झुक कर पढ़ने लगा । टट्टू वाले ने कहा कि यह क्या करते हो दूसरों का खत पढ़ते हो। घोड़े वाले ने कहा फिक्र मत करो, दोनों का मज़मून एक ही है, दोनों के घोड़े अटक गए हैं। इसी तरह संत ग्रुप का गठजोड़ है, जन संघ और अकालियों का गठजोड़ है। मज़मून एक ही है। यह ताकत हासिल करने के लिये, एक नापाक रिश्ता आप इसे कह लें या पुर्नविवाह कह लें, बनाया है। और यह इलज़ाम लगाते हैं कांग्रेस के खिलाफ। (विघ्न)

मैं एक बात कह कर खत्म करता हूँ । स्पीकर साहिब, अफसरान के मुताल्लिक आपोज़ीशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाये गए कि गवर्नमेंट अफसरान में से कुरप्शन को खत्म नहीं कर सकी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या कभी इस काम में आपोज़ीशन ने भी मदद की है, या कभी कोशिश की है मदद करने की ?

इनकी तरफ से जो मदद की जाती है उसकी मिसाल आपको दूं। डी. आई. जी. साहिब हमारे इलाका में सोनीपत में स्मगलिंग के बारे में तहकीकात करने गए। सोनीपत के लोग उन्हें मिले । वहां की कम्युनिस्ट पार्टी वाले गांव गांव में फिर कर लोगों को ठेले में बिठा कर यह कहने के लिए लाए कि वह थानेदार बहुत ईमानदार है । और स्पीकर साहिब, उसकी ईमानदारी का यह हाल है कि लाखों रुपए उसने रिश्वत लेकर इकट्ठे किए हैं । यह वह लोग हैं जो कुरप्शन के बारे में यहां पर ज़िक्र करते हैं (घंटी) एक बात और कह कर खत्म करता हूँ । यहां हाउस में ग्रेवाल केस और डाक्टर प्रताप सिंह के केस का ज़िक्र किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंज़ हैं इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता । एक बात कहना चाहूँगा कि डाक्टर प्रताप सिंह अच्छा आदमी नहीं था। ग्रेवाल केस के बारे में भी यह कह दूं कि वह केस किस तरह

का था। मैं भी जानता हूँ और दूसरे मैंबर साहिबान भी जानते हैं। असेम्बली के मैम्बरों ने फिर भी एफिडैविट दिये हैं कि धक्का हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करता लेकिन अगर आप इन आपोज़ीशन के भाइयों से अलग अलग पूछो तो यह बताएंगे कि डा० प्रताप सिंह का इखलाक क्या है। अगर इसके बावजूद भी यह ऐसे आदमियों की मदद करना चाहते हैं तो इससे और क्या तवक्को हो सकती है। (विघ्न) करनाल से आए हुए मैम्बर एतराज़ करते हैं क्योंकि यह जैलस हैं, इनके दिल में भी जो कुछ है वह पता है। यह कुरप्शन के खिलाफ क्या करेंगे ? मैं तो यह कहूँगा कि जो अच्छा काम हो उसकी दाद दो और जो बुरा हो उसकी बुराई करनी चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਜ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਆਨੇਸਟਲੀ ਅਤੇ ਇਰਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਲਫਜ਼ "ਝੂਠ" ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ। (The word "Jhooth" is unparliamentary. It should be withdrawn.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਲਫਜ਼ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਉ। (This word is unparliamentary. It should be withdrawn.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 'ਝੂਠ' ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਮਜੀਠਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ........(ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇੰਨਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ।

श्री जगन्नाथ : पहले लाइसेंस ले लो ....(विघ्न)

ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ?

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਜ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਗਰੁਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੋਹਣੇ ਮਤੇ ਲਿਆਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖ ਲਉ ਜਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਉ, ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ । ਗ਼ਲਤ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਦਾ । ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛਡ ਵੀ ਦਿਉ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

ਅਜ ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਓਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਐਟਮਾਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਐਵੇਂ ਗਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਧੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ । (Regarding the first point it can be said that it is her personal opinion. The Lady Member may elucidate the second point if there is anything in her knowledge about it)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਥੇ ਇਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਜ ਅਨਾਜ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਘਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਖਾਦ ਵੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੇ-ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਲਈ ਵੇਚੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ

(ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ)

ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਾਂ । ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਤਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪਾਸ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

Comrade Ram Piara : On a Point of Order, Sir. This issue is before the Das Commission, and, I think, it should not be discussed on the floor of the House. An affidavit about this land has been filed before the Das Commission.

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । (I would request the Hon'ble Lady Member not to discuss this matter as it is before the Dass Commission.)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ।

श्री जगन्नाथ : मैं ने यह मुआमला दास कमिशन में दिया है इस लिए मैं कहूंगा कि बीबी जी इस तरफ ज़रूर ध्यान रखेंगी ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਜੇ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । (I would request the Lady Member to touch this point in a general manner only.)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਏਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵਰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ । ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਲ-ਪੌਕਸ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ

ਸੀ । ਬੀਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ । ਇਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 20 ਮੀਲ ਹੈ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਕੀ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 8, 9 ਕੁਨਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ "ਝੂਠ" ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ । (I would request the hon'ble Lady Member to with draw the word "Jhooth".

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । (I would again request the Lady Member to kindly take up another point.)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਇਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ । ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 19-3-64 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । (The time allotted to the hon. Lady Member is over.)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ।

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR NARAIN SINGH SHAHBAZPURI M.L.A.

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ਪੁਰੀ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ, ਸਰ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਲ ਏਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਲਟੋਹਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ । ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀ-ਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (It cannot be mentioned here if the case is Sub-judice.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ

11-00 A. M.

ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ । ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ । ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 3700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਤ ਜਾਂਦੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 3700 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੁਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ । 3,700 ਨਹੀਂ 2,700 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਿਆ ਹੈ ।

Sardar Narain Singh Shahbazpuri : Sorry.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO CONFIDENCE MOTION

चौधरी नेत राम : आपने बतलाया था कि लिस्ट के अनुसार सभी पार्टियों को टाईम दिया है और देंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि सोशलिस्ट ग्रुप का भी ध्यान रखिएगा ।

श्री अध्यक्ष : मेरी कोशिश होगी कि मेन स्पीकर के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम हर एक को दिया जाए । (I will try to give a few minutes time to every one after the main speaker)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੇਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਇਤਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਉਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ (ਬਾਈ-ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਦੇ । ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਧਾਂਧਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,700 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਂ ਔਰ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । क्या जोश साहिब संत फतेह सिंह पर बोल रहे हैं ?

Mr. Speaker : This is no point of order.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੁਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੀ ਜਨ ਸੰਘ, ਅਕਾਲੀ, ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਵਰਡਿਕਟਸ ਔਰ ਸਿਟਰਿਕਚਰਸ ਕੈਰੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਟਰਿਕਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਵਿਊ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਜਯ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਤੜਪ ਉਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗਿਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੁੰਘਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਨੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਉ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਨ 1960-61 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 8 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ

ਲਾਏ । ਔਰ ਸਨ 1964-65 ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 11 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ 1960-61 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਔਰ 1964-65 ਵਿਚ 39 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ ਉਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਫੇਰ ਮੁੜਕੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ । ਇਕ ਇਥੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਨ । I was not Chairman of that committee but Josh Sahib.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰ-ਵਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਲਾਸ IV ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਏ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ III ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਰਪਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਸਵਾਂ ਸੁਪਰ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ । ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਟੈਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਮਗਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਚੁਨਾਚੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇਹੜੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰੇ । ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਛਡ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ । ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR GURDIAL SINGH DHILLON.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ । ਮੇਰੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ । ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਲਟੋਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਸਮਗਲਰ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇਨਕੁਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ

ਹੈ । ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਛਡ ਦਿਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ । ਬਾਕੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ । ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਦੇ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਢੂੰਡ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO—CONFIDENCE MOTION.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ! ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਿਆਏ ਹਨ । ਕਿਉਂ ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਆਖਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਿਲ ਸਾਹਬ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ....(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ....(ਸ਼ੋਰ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ . 1956 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲ਼ੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਬੜੀ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਲਿਆਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਿਯਮ ਖੂੰਟੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨਾਇਟਡ ਫਰੰਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਪੰਜਾਬ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ .. ..(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ ਦਿਲ ਨੇ ਛਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ....(ਸ਼ੋਰ)

(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ? ਅਜ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ? ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਮਹਾਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਿਆਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਜੋ ਅਜ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ....(ਸ਼ੋਰ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਲਗਣ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।......(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਹੋ ।....(ਸ਼ੋਰ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ।....(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।....(ਸ਼ੋਰ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ । ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਭੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ (*X X X X) ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਇਆ ।....(ਸ਼ੋਰ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁਛੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । (*Addressing Sardar Lachhman Singh Gill* : Is it proper that the hon. Members should address each other directly in the House ? I cannot allow such a thing.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਖ਼ੌਫ਼ੇ ਤਰਦੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਅਲਜ਼ਾਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ....(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ..(ਸ਼ੋਰ)...ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ 'ਬਕਵਾਸ' ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ....(ਸ਼ੋਰ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਬਕਵਾਸ' ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ । (*Addressing Giani Zail Singh* : The hon. Member should withdraw the word 'Bakwas').

**Note*—Expunged as orderd by the Chair.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ......

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । 'ਬਕਵਾਸ' ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ?

(ਹਾਸਾ)

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair*)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ....(ਵਿਘਨ)(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।....(ਵਿਘਨ)....(ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please. No interruption please.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਕਿੱਲੇ ਘੜਦੇ' ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਨਪਾਰਲੀ-ਮੈਂਟਰੀ ਹਨ । ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਉ । (*Addressing S. Lachhman Singh Gill* : The hon, Member should withdraw these words.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰ-ਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇਰੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਉ । (request the hon. Member to withdraw these words.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ....(ਸ਼ੋਰ)(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੇ ਲਏ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਉ । (Sardar Lachhman Singh Gill has withdrawn the words. The hon. Member should leave this point now.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਨਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ....(ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਦੇ ਹਨ ।....(ਸ਼ੋਰ)(ਵਿਘਨ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਟੁਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।..(ਸ਼ੋਰ)..(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ।....(ਵਿਘਨ)....(ਸ਼ੋਰ)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰਾਜ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮਿਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ । ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਉਹ ਛਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰੱਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ।
(ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ)
ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਪੀਨੀਅਨ ਸੀ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।..(ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

(Interruptions by Sardar Lachhman Singh Gill)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਨਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਇਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । (The hon. Member should not interrupt. He is wasting the time of the House.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤੱਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸੈਂਤੀ ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 29 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠੱਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ । 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੋਟ ਉਤੇ ਕਿਨੇਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹਨ ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ; ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਉ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 8 ਲੱਖ ਟੰਨ ਵਧਾਈ ਹੈ । 1951 ਵਿਚ 1,164, 3,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1,86,04,000 ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੂਈ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਬੇਲਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਘਟ ਸਨ । 1954 ਵਿਚ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ 40 ਲੜਕੇ ਸਨ ਹੁਣ 870 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਨ, ਹੁਣ 400 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 1951 ਵਿਚ 36,239 ਮੀਲ ਪਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 64,700 ਮੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 53 ਕਮਿਊਨਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 228 ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕਸ ਹਨ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ .ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ । ਜਨਸੰਘੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ । ਤਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3,000 ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ....

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ।

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR LACHHMAN SINGH GILL

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸਨ । ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ......

Mr. Speaker : The hon. Member should not level any allegations while Speaking on a point of personal explanation.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡਮੀਨਜ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ।

ਇਹ ਕਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, ज्ञानी ज़ैल सिंह कहते थे कि सरदार लछमन सिंह और सरदार प्रताप सिंह मिले हुए हैं । अब यह तीनों हाउस में बैठे हुए हैं, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए ताकि हउस को भी पता चल जाए ।

PERSONAL EXPLANATION
By Giani Zail Singh M.L.A.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਏਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਜਿਹੜਾ ਦਗ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਵੇਗਾ' ਜੋ 'ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON
No—Confidence Motion

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਇ ਕੋਟ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੇਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜਿਉਂ, ਖਬਿਉਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ—ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਸੱਜੇ ਖਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਧੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਐਨਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ । ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਐਕਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖੇ, ਮੈਲ ਐਡਮਨਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਖੇ, ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਜਾਰੀ ਰਖੇ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਜਾਰੀ ਰਖੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨ-ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਮੈਜਾਰਿਟੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਅਤੇ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੇ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਈਏ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਸ਼ੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਕਾਂਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਨਿਸਟਰ ਅਜ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ .ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਫੇਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਮਨਿਟੀਜ਼ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਯੱਸ਼ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੀਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਭੱਜ ਗਈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਆਫ ਆਫਿਸ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਯਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਂਗੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਪਾਲ : ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਤ ਲੈਣਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ "ਮਿਲਾਪ" ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਇਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ 17 ਵੋਟਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਪਈਆ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਪਬਲਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੁਰਪਟ ਕਰ

ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਏ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਏ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਸੈਟ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾ ਕਰਾਵਾਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨੋਕਾਨਫ਼ੀਡੈਨਸ ਮੋਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਤਰ, ਮੰਤਰ, ਤੰਤਰ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ । ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਫੇਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲੇ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਉਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ੰਜ਼ ਲੱਗਣ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਗੋਪੀਚੰਦ-ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਆਈ. ਜੀ. ਵੀ ਸਨ ; ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਾਂ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਮਝਣ । ਠੀਕ ਹੈ । ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ । ਇਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ? ਜਾਂ ਇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ।

श्री मंगल सेन : कभी नहीं कह सकते ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ — ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਦਦਿਆਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਉਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਧੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊ ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਫਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਣਾ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ (Thumping of tables by the Opposition.) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨਸਟੀਚਿਉਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਵੇ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਛਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਈ । ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ, ਤੁਫਾਨ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ! ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ? ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਨੇਸਟ ਹੈ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੈਨ ਆਫ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ, ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ । ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ । ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਢਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਦ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹਨ । ਚੂੰਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਕੁਰਪਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਰਸ ਕੁਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਲੇਰ ਹੋਕੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸੋਰਸ ਕੁਰਪਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲਾ ਅਜੇ

ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਏਬਲੈਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸ-ਟਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ? ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਹੈ । ਬਸ ਇਹੋ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਤੀਜੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਰੱਪਟ ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ । ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਅਗਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਪਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਖਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਪਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ । ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼, ਪਬਲਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਡੈਮੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਡੇਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ—ਇਨਐਸਕੇਪੇਬਲ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਫ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠ ਕੇ ਇਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਛਣ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਕਨਸਰਨਡ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਗਾਏ ਔਰ ਜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਲਉ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਲਉ । ਸਾਡੇ ਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ—ਸ਼ਰੀਫ ਮਨਿਸਟਰ–ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ

12-00 Noon

ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਔਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ । ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸ ਜਾਣਗੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਈਏਸਟ ਬਿਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਗੇ । ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰੋਹਿਬੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਗੇ ਨੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 37 ਹੈ ਉਹ ਰੀਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿੱਗਰਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਾਈਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿੱਗਰਜ਼ ਦੀ ਸਟਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਰਿਸਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਲਾ ਬੁਕਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਵਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ—

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿਨਸ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਗਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ that I have a bad case so far as the separation of judiciary from the executive is concerned. ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਲਿਸਿਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਡਲਟ-ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਾਈਡਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਲਲਿਸਿਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸ਼ਲ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਐਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨਾਪਲੀ ਕਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਜ਼ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 952 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਣ । ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਤਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੀ ਲਿਕਰ ਬਾਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹਨ । ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ, ਇਕ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਲਿਕਰ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਨ ਲਿਕਰ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਪਲੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੰਨਤੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ......

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗਲਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੀਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਲ ਸੇਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਰੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਡ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰੁਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਲਜ਼ ਬਰੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰੇ । ਸਿਰਫ ਗਰਾਂਟ ਆਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਂ । ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੈਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਇਆਂ ਨੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ......

श्री अध्यक्ष : आप और कितना टाईम लेंगे ? (How much more time will the hon'ble Member require to finish his speech ?

Sardar Gurnam Singh : I will try to go through this quickly.

Mr. Speaker : Will you please try to be brief ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੀ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਬਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਲਏ ਹਨ । ਇਹ ਆਰਡਰ

ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰੇਨ ਲਿਕਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਗੇ । ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਲਿਸਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਨੰ. 514 ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਮੈਨੂਅਲ, ਵਾਲਿਊਮ II ਦੀ ਕੰਨਟਰਾਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫਰਿੰਜਮੈਂਟ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $\frac{1}{6}$ ਸਟਿਲਹੈਡ ਡਿਊਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ $\frac{1}{4}$ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ । $\frac{1}{4}$ ਦੀ ਥਾਂ $\frac{1}{6}$ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟਸ ਨੂੰ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ । ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ । ਭਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾ ਰਖ ਲੈਣ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਮੁਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਿਟਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਬਣੇਗਾ । ਕੰਟਰੀ ਲਿਕਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਫੀ ਬੋਤਲ 70 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੇਲ 60 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 100 ਲੱਖ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਦੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ । ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਬੋਤਲਾਂ ਰਖ ਕੇ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਨਾਈ ਕਰਨ । ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਣੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 94 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਇਨਫੂਲਐਨਸ਼ਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ । (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ)

Mr. Speaker : Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ । ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ । (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਸਣ ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁਖੇ ਮਰਨ ? ਜੇ ਇਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਚੁਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ ਦੋ ਮਿਨਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਜਨ, ਰੀਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਨਐਫੀਸੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

I feel that the honourable Speaker has lost interest in my speech.

Mr. Speaker : No, not that. As the time is short, it is to be distributed among the Members.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਛੋਟੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਾਈਸਿਜ਼ ਰਾਂਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਚੱਟੀਏ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। (ਘੰਟੀ) ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ! ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੇਨਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ । (ਘੰਟੀ) ਤੁਸੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਘੰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਜਾਉ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਦਿਵਾਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੈ ਗਏ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ । ਅਗਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਗਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਏ । ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਛੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕਿਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਸਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੀ. ਐਮ. ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਚਿਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਤਾ (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ) ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ । ਦਬੀ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਚਲੋ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही डाक्टर मंगलसेन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी दयानतदारी पर शक किया है। अगर यह मेरी दयानतदारी पर शक न करते तो मुझे कब आज मौका मिलता कि मैं इस सदन के सामने अपना केस रख सकता । चौधरी रामसिंह जी ने पिछली दफा जब यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था तो मुझ पर इलजाम लगाया था। 10 हज़ार रुपए का इलजाम था। अब इस बार वह तो खुद कह गए कि उन्हें मेरी इमानदारी पर शक नहीं । इसलिये मुझे उस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं । जहां तक डाक्टर मंगल सेन का संबंध है इनका और मेरा हल्का साथ साथ है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਲਕਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : यह तो सदन के मैंबर 7 साल के अर्से से हैं परन्तु मैं पिछले 17 साल से मैंबर चला आ रहा हूँ। डाक्टर मंगलसेन का हलका रोहतक है। इन्हें कोई शिकायत मेरे खिलाफ ऐसी नहीं जो रोहतक के आस पास की हो। यह मैं मानता हूँ कि मैं इस सदन का और लोक सभा का मैंबर रहा हूँ और मेरे बारे में इन्हें 7 साल के अन्दर कोई शिकायत नहीं मिली। इन्होंने मेरे खिलाफ जो अलज़ाम लगाया है वह चौधरी मुख्तयार सिंह की तरफ से लगाए गए अलज़ाम को बेस बना कर लगाम है। सोनीपत की बात है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी मुख्तयार सिंह ने मुझ पर शक नहीं किया लेकिन डाक्टर मंगलसेन शायद आधा घण्टा या 15–20 मिन्ट बोले हैं उन्होंने आरम्भ में शकायत मेरे स्पेशल पी०ए० के खिलाफ की और आखिर मेरी दयानतदारी पर शक किया। कौन सी बिजली गिर गई थी जो इन्होंने अपनी बात को बदल दिया? स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं दो दफा लोक सभा का मैम्बर रहा हूँ। और मेरे खलाफ हर बार चौधरी राम स्वरूप के छोटे भाई इलैक्शन लड़ते रहे। चौधरी हरिराम इनका नाम है और यह "भारत टेक" अखबार भी निकालते हैं, चौधरी मुख्तयार सिंह ने ज़िक्र किया था कि चौधरी रामस्वरूप के भाई के घर में गोली चली उन्होंने यह भी कहा कि मेरे भाई का दफा 302 के अधीन चालान हुआ। मैं मानता हूँ कि 302 का मुकदमा बना। चौधरी हरिराम की कोठी में गोली चली और दो आदमी मारे गए। यह भी सही है। इसके साथ ही साथ इन्होंने मेरे साथ चुनाव में मुकाबला किया और हार गए। चौधरी रामस्वरूप का और मेरा गांव पास पास हैं। उनके गांव का नाम खडवाली है और मेरे गांव का नाम सांगी है। और अगर कोई भाई गांव के बारे में पूछे तो सांगी खडवाली कहा जाता है और इस तरह से हम दोनों के गांव एक तरह से सांगी खडवाली एक ही हैं। और इस रिश्ते से यह मेरे भाई हैं। इन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं चौधरी साहिब के भाई चौधरी हरिराम ने अपने अखबार "भारत टेक" में मेरे मुताल्लिक क्या लिखा है। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ आप इसे देखें तो आपको पता लगेगा कि उनकी राए मेरे बारे में क्या है। वह लिखते हैं: "चौधरी रणवीर सिंह, वजीर पंजाब, के खानदान और मेरे एक लंबे अर्से से कशीदा ताल्लुकात चले आते हैं यहां तक हुआ कि मेरी कोठी के डब्वल कतल में चौधरी रणवीर सिंह के बड़े सगे भाई डाक्टर बलवीर सिंह का चालान हुआ।" (विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖ ਦਿਉ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं चाहता था क इसे पढ़ कर हाउस को सुना दूं। लेकिन अगर हाऊस के वक्त का ख्याल रखना है तो मैं इसे *मेज़ पर रखता हूँ यह प्रोसीडिंग्ज़ में आ जाना चाहिए।

(At this stage the copy of 'Bharat Tek' dated 21-7-63 was placed at the table of the House.)

**Note.*— The copy of the 'Bharat Tek' has been kept in the Library.

डाक्टर मंगलसेन ने तकरीर की कि मेरी इमानदारी शक से ऊपर नहीं है। मैं इन्हें इतना ही नवेदन कर दूं कि मैं ऊपर से आया और वज़ीर बना था । सरदार प्रताप सिंह ने नौमीनेट कया और लोगों ने चुना । फिर गहा गया जस्टिस गुरनाम सिंह की ओर से कि कैरों साहिब अस्तीफा दे दें और अगर यहां पर यह नहीं हो सकता तो गवर्नर का राज्य कायम हो और फिर दोबारा चुनाव जीत कर आएं, तो, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करूँगा जस्टिस गुरनामसिंह को कि सरदार प्रतापसिंह एक ही ऐसे मैंबर हैं जो छे दफा चुनाव जीत कर आए हैं। इन्होंने चुनाव लड़े हैं (प्रशंसा) और एक दफा तो 27,000 वोट से भी अधिक लेकर अपने मुखालफ को हराया था। इस सदन में कोई भी दूसरा मैंबर नहीं है जो छे बार चुनाव जीत कर आया हो और छे बार इलैक्शन लड़ा हो यह एक वाहद इनसान हैं जो इतनी बार जीत कर आए हैं। यह सरदार प्रताप सिंह कैरों ही हैं जो मुख्य मन्त्री हैं। मैं चार बार चुनाव जीत कर आया हूँ । हिन्दी रीजन के अन्दर कोई ऐसा सदस्य नहीं जो 1947 से चुनाव लड़ता आया हो और चुनाव में जीतता आया हो और अगर कोई है तो वह-रणवीर सिंह हैं । । अध्यक्ष महोदय, मुझे कांग्रेस टिकट दिया गया और पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ा । आप को पता ही है कि 28 हजार से अधिक राए लेकर चुनाव जीता हूँ। और मेरे ऊपर अब यह अविश-वास प्रक्ट करना चाहते हैं। 1947–1952 और 1957 के चुनाव के बाद 1962 में विधान सभा का चुनाव लड़ा है और इससे पहले भी मैं लोक सभा का मैम्बर था। ऐसे कोई अन्य सदस्य हों तो उनकी तादाद यह बता दें । (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, सरदार प्रताप सिंह कैरों जो हमारे लीडर हैं उन्हें यह मुलज़िम बताते हैं । कि है वह मुलज़िम हैं इस बात के लिए कि सारे देश के अन्दर लैंड रैवेन्यु कम से कम पंजाब के किसानों को देना पड़ता है। यह इस लिए मुलज़िम हैं कि सारे देश में आबीयाना पंजाब के किसान को कम देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह मुलज़िम हैं इस बात के कि (विघ्न) पंजाब का बजट पहले सन् 1961–62 में 67 करोड़ 33 लाख का था और अब वर्ष 1964–65 में पंजाब की डिवैल्पमेंट पर 112 करोड़ 91 लाख खर्च करने का इरादा है। अध्यक्ष महोदय, आज सरदार प्रतापसिंह कैरों इस बात का मुलज़िम है कि उसने पिछले सात-आठ साल के अंदर पंजाब के बाढ़ों से तबाह शुदा देहाती लोगों को 26 करोड़ रुपया के करीब बांटा है। वह इस बात के भी मुलज़िम हैं कि जिस तरह से मेरे मानयोग सदस्य बाबू बचन सिंह जी ने भी कहा था कि फ्लड्ज़ से तबाही हुई, जो रीक्लेमशुदा ज़मीन थी वह ख़राब हो गई, कुछ फसल कोहरा की वजह से मारी गई। क्या मानयोग सदस्य इसमें भी इसी सरकार को कसूरवार ठहराते हैं? अध्यक्ष महोदय, सरदार प्रतापसिंह और इसकी सरकार ने पिछले 7–8 साल से तबाह शुदा इलाकों को कोई 26 करोड़ रुपया बांटा है। जिस भाई का भी नुकसान हुआ उसके दिल को सहारा देने की इस सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। मेरे मानयोग सदस्य सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों हंसते हुए दिखाई देते हैं.... (विघ्न)

श्री फतेह चंद विज : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आई. पी. एम. साहिब पर जब चौधरी मुख्तियार सिंह ने सितम्बर, 1963 में इल्ज़ाम

[श्री फतेह चंद विज]

लगाये थे उस वक्त तो कोई जवाब न दिया, हालांकि उस वक्त भी चौधरी साहिब वुज़ारत में थे, मगर आज क्यों जवाब दिया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : इस सिलसिले में मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि वह पहले चौधरी मुख्तियार सिंह की तकरीर को पढ़ें। यह मैंने भी पढ़ी है। उनकी अपनी तकरीर ही मेरा जवाब है। यह तकरीर मैंने नहीं लिखी, इन रिपोरटर्ज़ की लिखी हुई है।

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो ऐलीगेशन्ज़ इस सरकार पर लगाये थे कि 5,000 रुपया बतौर रिश्वत के लिया गया। उसमें से 2,800 रुपया वापस हो गया और 2,200 अब भी बाकी है। मैं कहूँगा कि this is a very serious allegation and the hon. Minister has said nothing in this regard.

Mr. Speaker : This is no point of Order.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਥਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसने मेरी उंगली मरोड़ी थी। मगर वह एस.डी.ओ. आज भी अच्छी जगह लगा हुआ है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜੀਆਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ? (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਮਰੋੜੀ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਡੀਨਾਈਡ ਇਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ।

Mr. Speaker : This is no point of Order.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : यह बिल्कुल गलत है। अगर माननीय मैम्बरान इस बात का कोई सबूत दें देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ....

श्री जगन्नाथ : लोगों से जो 18 हजार रुपया लेकर आप हजम कर गये हैं उसका भी तो जवाब दें।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मानयोग सदस्य भी बहादरों में शामिल होना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि मानयोग सदस्य ने इलज़ाम लगाया था कि एक 1,800 रुपया लेकर पट्टी की इलैक्शन में दे दिया जिसका अर्थ है कि पट्टी की लड़ाई मेरे दम पर ही तो लड़ी गई थी। यह तो मेरी बड़ाई हुई न कि अवगुण, लेकिन यह गलत है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि तालीम और साइंटीफिक एजुकेशन के ऊपर 1961–62 के अंदर इस सरकार ने 12,75,000 रु० खर्च किया था मगर आज 1964 –65 में हम इस पर 18,86,000 रु० खर्च करने जा रहे हैं। इसी तरह से सोशल सर्विस और डिवैल्पमेंट के कामों पर हम ने 1961–62 साल में 26 करोड़ 44 लाख रुपया खर्च किया। 3 साल के बाद अब हम 1964–65 में इस पर 39,60,000 रु० खर्च करने जा रहे हैं। अगर आज तक हम इस प्रदेश की जनता की तरक्की नहीं कर पाये हैं या हमने मौका पर लोगों की इमदाद नहीं की है तो हमें यहां इस कैबिनिट में रहने का कोई हक नहीं है। मैं मानयोग सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वह हमारे साथ मिल कर पंजाब को आगे बढ़ाने के यत्न में शामिल हों।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायेंट आफ आर्डर, सर ! मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि मिनिस्टर साहिब अब बोल रहे हैं। मैंने कुछ डैफिनिट चार्जिज़ लगाये थे कि 5 हज़ार रुपये रिश्वत में लिये गये। मैं चाहूँगा कि आप उनके मुताल्लिक जवाब दें।

Mr. Speaker : This is no point of Order.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं क्या कहूँ, अध्यक्ष महोदय, इसके मुताल्लिक उनकी अपनी तकरीर इसका जवाब है। एक बात और अर्ज़ करूँ कि मुझे इस हाऊस में सरदार गुरदियालसिंह ढिल्लों इस हाउस में पत्नीसिंह कह कर याद करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब तक रणबीर सिंह नाम का आदमी इस हाऊस में नहीं आया था तब तक तो यह इधर बैठे रहे, स्पीकर भी बने रहे लेकिन जब मैं आ गया तो उधर जा बैठे। रणबीर शब्द से प्यार का यह इनका हाल है। मैं नहीं समझ पाया कि घर पर इनका क्या हाल होता होगा (हंसी) मैं अर्ज़ करूँ कि सिंचाई को बढ़ाने पर हमारी सरकार कितना बजट खर्च कर रही है पिछले 15–20 साल में अंग्रेज़ राज के समय में नहरों पर केवल 11 करोड़ रुपया खर्च किया गया मगर अब 1962–63 तक 185 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है जिस में 11 करोड़ रुपया पहला भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बिल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में पास किया था जिसके ज़रिए ज्यादा इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई जिसका असर बड़े-बड़े आदमियों पर और खास तौर पर उन पर पड़ता था जो गरीबों के दिलों को अधिक लट्टू जला कर जलाने वाले हैं। लेकिन उस बिल के खिलाफ एक ही सियासी पार्टी है जिसने प्रस्ताव पास किया और उसका नाम साम्यवादी पार्टी है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो पार्टी गरीबों का दम भरती हो वह इस तरह की खिलाफित करे तो उसे क्या कहा जा सकता है।

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

आपके जरिए, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्तों को यह कहना चाहता हूँ कि सन् 1947 में पंजाब प्रदेश की केवल 11 करोड़ की आमदनी थी लेकिन इस साल सिर्फ 25 करोड़ तो तालीम के ऊपर ही खर्च किया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह सरकार सोशलिज्म को तरक्की देने वाली सरकार है या कि पीछे ले जाने वाली सरकार ?

सरदार लछमण सिंह गिल : स्पीकर साहिब, जो बजट की कापी मुझे सप्लाई की गई उसमें सिर्फ 14–15 करोड़ रुपया ऐजुकेशन पर रखा गया है लेकिन यह यहां इतनी ज्यादा फिगर बतला रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : आप वित्त मंत्री की स्पीच पढ़ लीजिये। मुझे इस ढंग से आदत नहीं है बात करने की जैसे कि वह करते हैं। तो इसी तरह हमने 174 करोड़ नहरों के ऊपर अधिक खर्च किया, 125 करोड़ बिजली के ऊपर अधिक खर्च किया, कम्युनिस्ट दोस्त ज़रा ध्यान दें कि इतना रुपया किस साहूकार को तरक्की देने के लिए खर्च किया ? अध्यक्ष महोदय, बिजली का 5 साला प्लैन हमने तैयार किया था जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्ज़ के अन्दर साढ़े चौदह करोड़ रुपया खर्च करना था जिसमें तीन साल के अन्दर 16 करोड़ रुपया खर्च किया गया और जो कनैक्शन 5 साल में देने थे वह तीन साल के अन्दर दे दिए। इसी तरह से 15 करोड़ रुपया हमें बाढ़ों को रोकने के लिये और फसलों को तबाही से बचाने के लिये सैंटर से पांच साल के लिये मिला था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अब से पहले जो रुपया खर्च किया है वह 18 करोड़ है जो 3 कराड़ ज्यादा है। अगर यह सरदार प्रताप सिंह कैरों का जुर्म है तो मैं नहीं समझता कि फिर यह गुण किसको कहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, जो मेरे लायक दोस्त गिला करते हैं ...(घंटी) —

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए अब। (The hon. Minister may please take his seat now.)

Comrade Shamsher Singh Josh: Mr. Speaker, I would like the honourable Minister, Chaudhri Sahib, to throw some light on my point regarding Siswan Super Passage..............

Mr. Speaker : It is no point of Order. I am asking the Honourable Minister to wind up.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : जब सरदार प्रताप सिंह .....(घंटी) स्पीकर साहिब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कि जब ट्रांस्पोर्ट के मिनिस्टर बने थे उससे पहले यह बुरी बात हो सकती थी लेकिन सत्य है कि परमिटों में कुछ हेर फेर होता था और उनके ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर बनने से पहले ट्रक के परमिट की कीमत 20 हजार रुपया थी लेकिन जब यह मिनिस्टर बने तो परमिट की कीमत गिरती गिरती सिफर हो गई हालांकि कई हजार इन्होंने परमिट दिये मगर आज तक किसी कमिशन के सामने किसी

ने यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इन्होंने कोई परमिट अपने सगे सम्बन्धी को दिया और ऐसी कोई बात की..

सरदार लछमण सिंह गिल : आप चाहते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : सरदार प्रताप सिंह ने कभी कोई परमिट अपने रिश्तेदार को नहीं दिया..

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों (चौधरी रणवीर सिंह की तरफ इशारा करके) : मैं जनाब, अपनी पत्नी को मैके में छोड़ आया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि किसी अफसर ने इस तरह से उसकी उंगली मरोड़ी । अब मैं समझता हूँ कि उसे अपनी तरफ लाना ही पड़ेगा (हंसी)

(मुख्य मन्त्री खड़े हुए तो ट्रेज़री बैंचिज़ की तरफ से थम्पिंग हो ही रही थी कि)

चौधरी नेतराम : स्पीकर साहिब, मुझे सोशलिस्ट पार्टी के ग्रुप के विचार रखने का मौका नहीं दिया गया । यह मेरे साथ आपने अन्याय किया है ।

श्री मंगल सेन : प्वायंट आफ आर्डर जनाब, मैंने पहले भी आपकी सेवा में अर्ज़ की है कि जब किसी मिनिस्टर पर मैं चार्ज लगाता हूँ और वह रिबट नहीं करता तो क्या मैं यह समझ लूं कि वह चार्ज ठीक है। इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूँ ।

Mr. Speaker : It is no point of Order.

Shri Mangal Sein : I, Sir, want your ruling on my point of Order.

Mr. Speaker : If any allegation is levelled against an honourable Minister, it is for the honourable Minister concerned to reply to that in the way he likes.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : जनाब, इनके इल्ज़ाम में कोई सत्यता नहीं है। और यह बिलकुल भी सचाई पर मबनी नहीं है। और मैं इसको पूरे ज़ोर से इन्कार करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेतराम जी, जो टाइम था उसको एपोरशन करके मैंने दे दिया था । (*Addressing Chaudhri Net Ram* : I have already apportioned the entire time at my disposal).

चौधरी नेत राम : मैंने पहले भी अर्ज़दाश्त की थी कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मेरे ग्रुप सोशलिस्ट पार्टी के डैफिनिट व्यूज़ जो मुझे रखने के लिये इजाज़त मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने मेरे साथ अन्याय किया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। अब चीफ मिनिस्टर साहिब अपनी तकरीर करेंगे। (The honourable Member may please resume his seat.

Mr. Speaker
(The Chief Minister may please make his speech.)

WALK-OUT

चौधरी नेतराम : आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं और मैं इस अन्याय के खिलाफ वाक आउट करता हूँ। (इस समय चौधरी नेतराम वाक आउट कर गए।)

* * * * * *

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO-CONFIDENCE MOTION

Comrade Ram Chandra: I would like to know whether I, the mover of the motion would get time to reply to the debate ?

Mr. Speaker : Yes, the honourable Member will get time.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਜ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ ! ਇਸ ਨੋਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਘਟੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ : ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੀਚਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਕੇ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਚੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਿਲਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਲਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਿਨੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਕੁਰਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਸ਼ੋਰ) । ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਿਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਅਰਾ : [*× × × × × ×] ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Please sit down.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : [* × × × ×]

Mr. Speaker : I shall have to name the honourable Member.

कामरेड राम प्यारा : यह साबत करें कहां से पैसे लिए हैं [×

× × ×

× × ×

× ×] He should tell the name.

Mr. Speaker : Will the honourable Member, Comrade Ram Piara please withdraw his words ?

Comrade Ram Piara : Mr. Speaker, he should name the persons concerned.

Mr. Speaker : Whatever has been said by the honourable Member, Comrade Ram Piara, will not form part of the proceedings of the House.

Comrade Ram Piara : He should tell the names of the persons concerned or he should withdraw his remarks.

Mr. Speaker : I shall have to name the honourable Member. He should resume his seat. I will not allow these obstructive tactics.

कामरेड राम प्यारा : वह नाम बताएं [* × ×

× × ×

× × ×

× × ×]

**Note* :—Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker: Will the honourable Member, Comrade Ram Piara, withdraw from the House ?

Comrade Ram Piara: The Chief Minister should either tell the names of the persons from whom I have been alleged to have taken money or he should withdraw his remarks.

Mr. Speaker : Does the honourable Member refuse to obey the Chair ? He should withdraw from the House.

Comrade Ram Piara : I will not go.

Mr. Speaker : I would again request the honourable Member to withdraw from the House.

कामरेड राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब नाम बताएं। [* × × × × × × × × ×) मैं इन्क्वायरी फेस करने के लिये तैयार हूँ। इनकी हिम्मत नहीं कि इस तरह से एलीगेशन लगाएं। उनको अपने लफ्ज़ विदड्रा करने चाहिएं।

Mr. Speaker : Will the honourable Member please withdraw from the House or should I request the Marshal ?

Comrade Ram Piara : The Chief Minister must withdraw those remarks or he should name the persons concerned.

Mr. Speaker : I would again request the honourable Member to withdraw from the House.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, मुख्य मंत्री साहिब ने हाउस में कामरेड राम प्यारा पर ऐलीगेशन लगाया है और कामरेड साहिब ने कहा है कि उसे वह साबत करें। जब चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस किसम का ऐलीगेशन लगाया है तो उस का रीएक्शन होना लाज़मी था। उसकी वजह से ऐसे हालात अराईज़ हुए हैं कि आपको मार्शल तक कहने की ज़रूरत पड़ी। इस लिय मैं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिब को पहले अपने वर्डज़ विदड्रा करने चाहिएं।

Mr. Speaker : The honourable Member may please take his seat.

I would again request the honourable Member, Comrade Ram Piara to please take all his words back and assure me that he will behave properly.

Comrade Ram Piara : I will obey you. But I would request you to ask the Chief Minister to withdraw those remarks or he should name the persons concerned.

**Note* :—Expunged as ordered by tne Chair.

Mr. Speaker : The honourable Member should assure that he will behave properly otherwise I will have to request the Marshal. I am sorry, I will have to take this course.

Comrade Ram Piara : The Chief Minister should first withdraw his remarks.

Mr. Speaker : I know how the things started. The honourable member was not allowing the Chief Minister to speak.

Comrade Ram Piara : That is wrong.

Mr. Speaker : Will the honourable Member please assure that he will behave properly ?

Comrade Ram Piara : Either the Chief Minister should withdraw his remarks or he should name the persons from whom I have been alleged to have taken money. I would say that he is * × × × ×

Mr. Speaker : Will the honourable Member please take his seat. If the Chief Minister made certain allegations, the honourable Member could refute them by rising on a point of personal explanation. There have been such occasions when allegations have been levelled against members etc. and those have been refuted by personal explanations. The honourable Member has a right to make allegations against any Minister/ Member and the latter has a right to refute them by way of personal explanation ....(*Noise*)

Comrade Ram Piara : He should have the courage to name the persons concerned. I challenge him. I have said against him outside the House also that he is * × × × ×

Home Minister : May I request you to enforce your order in view of the attitude being adopted by the honourable Member to defy the Chair ?

Mr. Speaker : Will the honourable Member, Comrade Ram Piara, withdraw his words and assure that he will behave properly ? Other-wise I will have to proceed against him.

Comrade Ram Piara : Unless the Chief Minister withdraws his remarks, I am not prepared to withdraw. He is * × × × ×

Mr. Speaker : Then my orders stand that the honourable Member may please withdraw from the House.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : On a point of Order, Sir. The position is very unfortunate. The Chief Minister has made certain offensive remarks and the reaction is quite evident. You have been pleased to ask the honourable Member (Comrade Ram Piara) to withdraw from the House. You have named him. The procedure is that when a certain Member is named by the Chair, it has to be brought to the notice of the House. The sense of the House has to be taken.

**Note*—Expunged as ordered by the Chair.*

Mr. Speaker : Without entering into controversy, I request the honourable Member—Comrade Ram Piara—to assure me that he will behave properly and not obstruct the proceedings of the House, otherwise I will have to proceed according to the Rules. When the Leader of the House rises to speak, such tactics are adopted. Any honourable Member has a right to make allegations against any other honourable Member and the hon. Member against whom allegations have been made has the right to rise on a point of personal explanation. This is the proper method and it has been followed. Then there are also other remedies available.

Chaudhri Hardwari Lal : On a point of Order, Sir. I suppose you are quite right in saying that anybody is free to make allegation and also to rise on a point of personal explanation. But, Sir, the allegations should be concrete.

Mr. Speaker : May be anything.

Sardar Lachhman Singh Gill : What is meant by "may be anything"?

Sardar Gurnam Singh : I submit that there is a little difference. The No-Confidence Motion is against the Ministry as a whole and not against the Opposition. But you were good enough to say that no such things....

Mr. Speaker : Even during the course of the proceedings of the House to-day, there have been allegations and counter-allegations by different honourable Members of the House and the honourable Members have been rising on points of personal explanation. A different procedure cannot be adopted in this case. I would, therefore, request the Leader of the Opposition to kindly ask the honourable Member—Comrade Ram Piara—to give an assurance or I will have to proceed according to the Rules. I am requesting the Leader of the Opposition and the honourable Member Sardar Gurdial Singh Dhillon to ask Comrade Ram Piara to give me an assurance. I do not wish that the proceedings of the House should be marred like this. I am very much reluctant to take that step.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, why don't you request the honourable Chief Minister also. It should be bi-lateral and not unilateral.

Mr. Speaker : Let the honourable Member, Comrade Ram Piara, give me the assurance first.

Comrade Ram Piara : The Chief Minister should withdraw his remarks first.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਈਮਲਟੈਨੀਅਸਲੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ......

Mr. Speaker : I am again requesting the honourable Member Comrade Ram Piara..............

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ।

Mr. Speaker : No. I cannot,

Shri Dev Raj Anand : Sir, the Chief Minister may be asked to withdraw his remarks first.

Mr. Speaker : If the honourable Member feels that the allegations are ill-founded (*Interruptions and Noise*) he can rise on a point of personal explanation. I would request the honourable Member Comrade Ram Piara to give me an assurance.

Comrade Ram Piara : No. I am behaving nicely. The Chief Minister has made insinuations. He may be asked to withdraw those. He is corrupt.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, the allegations should be made in a concrete form by the Chief Minister so that I may ask the honouable Member.................

Mr. Speaker : If the honourable Chief Minister so desires, he may make concrete allegations.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉਥੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ .. ...(ਸ਼ੋਰ)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ....(ਸ਼ੋਰ)........ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸਣ........ (ਸ਼ੋਰ)....... ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ .....,.(ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : (*Addressing Sardar Gurdial Singh Dhillon*) : The honourable Chief Minister has made concrete allegation.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ......,.(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ । ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖੇਲਣ ਖਿਲਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਮੀਨਲਜ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੀਅਰਜ਼)

Mr. Speaker : This is no point of Order. I now give final opportunity to Comrade Ram Piara (*Interruptions and noise in the House*). Either he has to give me assurance or I shall have to proceed.

Comrade Ram Piara : On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : He can rise on a point of personal explanation after the Chief Minister's speech.

Comrade Ram Piara : I again rise on a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : After the Chief Minister has finished his speech.

I would once again request the honourable Member, Comrade Ram Piara to give me an assurance. He should please withdraw his words. As desired by the honourable Member Sardar Gurdial Singh, I requested the honourable Chief Minister and he has made concrete allegations. If the honourable Member Comrade Ram Piara has to offer any explanation, he will be given an opportunity after the Chief Minister has finished his speech.

Sardar Piara Singh : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : The honourable Member should please resume his seat.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Not to speak of Comrade Ram Piara's own satisfaction, personally I feel that this allegation has been invented on the spot. It is concocted and absolutely untrue.

Mr. Speaker : I never expected this from the honourable Member Sardar Gurdial Singh Dhillon.

Will the honourable Member Comrade Ram Piara please withdraw ?

Comrade Ram Piara : The honourable Chief Minister got many enquiries conducted against me.

Mr. Speaker : Will Comrade Ram Piara please give me an assurance ?

Chaudhri Devi Lal : On a point of Order, Sir............

Sardar Piara Singh : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : The honourable Member should please resume his seat. He may raise his point of Order after Chaudhri Devi Lal.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब ने कोई कन्करीट ऐलीगेशन नहीं लगाया है, सिर्फ वेग ऐलीगेशन लगाया है, कि जितने वहां जुआ खेलने वाले हैं उनकी शिकायत है। आखिर वह जुआ खेलने वाले कौन हैं? कामरेड साहिब के विदड्रा करने का सवाल तब पैदा होता है जब कि वह कोई स्पैसिफिक ऐलीगेशन लगाएं । इन्होंने इतनी मिसस्टेटमेंट आगे ही की हुई है कि मैंने एक के बारे में अपनी प्रिविलेज मोशन भी दी हुई है जिसका फ़ैसला अभी आपने नहीं किया है। उसी तरह से यह अब इस बात में भी गलत बयानी कर रहे हैं। बताएं तो सही वह कौन आदमी है। अगर यह कोई स्पैसिफिक ऐसलीगेशन लगाएं तो हम उनको रिक्वैस्ट करने की पोज़ीशन में होंगे कि वह विदड्रा करें। यह वेग ऐलीगेशन है (शोर)

Mr. Speaker : The honourable Member Comrade Ram Piara is not giving me an assurance in spite of my requesting him several times. I may inform the House that I have received a notice of motion from the Leader of the House regarding the suspension of a certain Rule. I give final opportunity to Comrade Ram Piara. Either he should please give me an assurance or I will allow the motion to be moved.

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸੀ।)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : This is a motion given notice of by the Leader of the House.

सरदार प्यारा सिंह : आन ए-प्वायंट आफ आर्डर, सर जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहिब ने हाउस में श्री राम प्यारा के बारे में बताया है वह ठीक है। अगर यह ग़लत कहते हैं तो बताएं कि इनका सोर्स आफ इन्कम क्या है! यह कहां से कमाते और खाते हैं ? (शोर) (विघ्न)

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Sir ....

Mr. Speaker : The honourable Member should please give an assurance.

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, यही बात यह बताएं कि सरदार प्यारा सिंह ने गृह मंत्री श्री मोहन लाल पर $1\frac{1}{2}$ लाख रुपए का इलजाम लगाया था क्या वह रुपए वापस हो गए हैं ?

दूसरा इलजाम यह है कि......

Mr. Speaker : There should be no insinuations please. Either Comrade Ram Piara should please give me an assurance or I will allow the motion given notice of by the Leader of the House to be moved.

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੈਸਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : (*Addressing Comrade Ram Piara*) : Will you please give me an assurance, or I will allow the motion to be moved.

(*Interruptions and noise in the House.*)

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मेरे पास टेप रिकार्ड हैं जिसमें मुख्य मंत्री के बरखिलाफ कुरप्शन के चार्जिज़ हैं। इस लिये यह घबरा रहा है यह झूठा है..... (शोर) (विघ्न)

Mr. Speaker : The honourable Member should please resume his seat.

Chief Minister : Sir, I beg to move—

(Voices of no, no from the Opposition Benches)

That Rule 104 of the Rules for the conduct of Business of the House in the Vidhan Sabha be suspended.

(*Interruptions and noise, loud noise in the House*).

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules for the conduct of the Business of the House in the Punjab Vidhan Sabha be suspended.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules for the conduct of business of the House in the Punjab Vidhan Sabha be suspended.

The motion was carried.

Sardar Lachhman Singh Gill and voices from the Opposition Benches) : Division please.

Mr. Speaker : I have already given the decision.

Chief Minister : (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That Comrade Ram Piara be suspended from the service of the House for the remainder of the Session.

(*Interruptions, noise loud noise in the House*).

Mr. Speaker : Motion moved—

That Comrade Ram Piara be suspended from the service of the House for the r emainder of the Session.

Mr. Speaker : Question is—

That Comrade Ram Piara be suspended from the service of the House for the remainder of the Session .

The motion was carried.

(*Noise and interruptions in the House*).

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵੋਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੇਰੀਡ ਡੀਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ । It is not fair on the part of the Speaker. The Speaker should not be the 'Yesman' of one party.

Chief Minister : Sir, I protest against these words. If the honourable Member does not withdraw these words, I will move another motion.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मैं प्रोसीज़र के बारे में पूछना चाहता हूँ। थोड़े से अर्से में यहां पर दो चीज़ें हुई हैं। आपने प्रीज़ाइडिंग अफसर की हैसीयत से या चेयर की हैसीयत से श्री राम प्यारा को विदेड्रा करने के लिये कहा और वह आपके आर्डर पैंडिग हैं। वह आर्डर अभी तक इम्पलीमैंट नहीं हो सके हैं। आपने वह आर्डर वापिस नहीं लिये हैं। अगर आप वापिस ले लेते तो दूसरी मोशन आ सकती है लेकिन उससे पहले ही दूसरी मोशन आ गई है। इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूँ (शोर) (विघ्न)

Mr. Speaker : No, no. It is not necessary.

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, जब किसी के बरखिलाफ कोई मोशन पेश की जाती है तो उसके बरखिलाफ और हक में बोलने की इजाज़त होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आया इस मोशन पर किसी को बोलने का हक है या कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा लेकिन इस मोशन पर बोलने के लिए कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ। Now the motion has been carried. I would request Comrade Ram Piara to withdraw from the House. (I found that no member rose to speak on this motion. Now the motion has been carried. I would request Comrade Ram Piara to withdraw from the House.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪੀਨੀਅਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ........ਸ਼ੋਰ (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : I have announced the decision. I declared that 'Ayes' have it. The motion was declared carried. I now request the honourable Member Comrade Ram Piara to withdraw from the House.

Voices from the Opposition : No, no.

Dr. Baldev Parkash : We challenge the opinion. We said 'Noes have it'. There should have been division.

Mr. Speaker : Before the opinion was challenged, I had given the decision. I declared that the motion was carried.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਰਾਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ I have seen that with my own eyes.

Mr. Speaker : It is wrong. Comrade Ram Piara should please withdraw from the House.

Sardar Lachhman Singh Gill : This letter should be placed on the Table of the House. It was written by the Secretary. We have seen with our own eyes. We have fears that your office will change the letter.

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara should please withdraw from the House.

(At this stage, the Marshal was sent and he came to the seat of the honourable Member Comrade Ram Piara.)

Voices from the Opposition Benches : Shame, Shame.

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara should please withdraw from the House.

Comrade Ram Piara : Sir, I request that the portion may be kept on record.

Sardar Gurnam Singh : On a point of Order, Sir. The Secretary sent the letter to the Chief Minister through Shri Krishan Swaroop, for signatures. May I know whether you instructed the Secretary to write that letter and sent it to the Chief Minister for signatures, or did he send it himself ? I want to be satisfied on this point.

(*At this stage the honourable Speaker consulted the Secretary*)

Mr. Speaker : I have enquired about it from the Secretary. He has refuted the allegation. He did not draft that letter; nor did he send it to the Chief Minister.

Sardar Gurnam Singh : My allegation is that the Chief Minister has not written the letter himself. I know this for certain. The House cannot be hoodwinked like this. I would like to know whether the Chief Minister's papers come to him through the Speaker or the Secretary of the Vidhan Sabha, or direct, or through Chief Parliamentary Secretary.

Mr. Speaker : It is true that the Chief Minister has not written the letter himself. Chief Minister's papers are generally sent to him direct. But, if his papers are sent to the Secretary, he has just to forward them to the Chief Minister.

Sardar Lachhman Singh Gill : Who wrote this letter ?

Mr. Speaker : So far as the Secretary of the Assembly is concerned, he has not drafted it; he has not written it. In fact, he has nothing to do with it.

Sardar Gurnam Singh : This letter should be laid on the table of the House.

Mr. Speaker : It is in the office.

(*At this stage the letter was sent for and shown to the Leader of Opposition Sardar Gurnam Singh*)

Sardar Gurnam Singh : I have seen the letter with your goodness. It is a typed one but did come through Secretary Vidhan Sabha..........

(*Interruptions and noise*)

Some Voices from the Treasury Benches : Shame, Shame.

Sardar Gurnam Singh : Where is the question of shouting 'Shame, Shame' ? Have they no sense about themselve ? Why has this illiterate Minister (*referring to ShriGurbanta Singh*), said 'Shames, Shame' ? There is no occasion for it at all. Does he know the meaning of 'shame' ? 'Shame' for what ?

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara should withdraw from the House please.

(*Interruptions*)

श्री जगन्नाथ : आप को इसी लिये वहां भेजा गया है।

Mr. Speaker: Comrade Ram Piara should please withdraw.

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara should withdraw from the House first. It is the decision of the House.

Sardar Lachhman Singh Gill : Where was this letter typed and who sent it in your Secretariat ?

Mr. Speaker : I will make enquiries into this matter.

Sardar Gurnam Singh : We want to know whether this letter was typed in your Secretariat, because we have a suspicion that it has come from your Secretariat ?

Mr. Speaker : I shall look into the matter and thereafter take the House into confidence.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, the usual practice is that the papers come to the Chief Minister through the Chief Parliamentary Secretary.

Mr. Speaker : Comrade Ram Piara should withdraw from the House. I give him two minutes for this purpose.

(Comrade Ram Piara did not withdraw from the House and at this stage the Marshal was sent to him by the hon. Speaker.)

(Interruptions and noise in the House)

EXTENSION OF TIME

Mr. Speaker : The sitting of the Sabha is extended till the voting on the No-Confidence Motion takes place.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਕੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿਉ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON NO-CONFIDENCE MOTION

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਐਥੇ ਬੈਠੇ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ !

श्री बलराम जी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज तक वोट लिये बिना कभी कोई मोशन कैरीड डीक्लेयर नहीं की गई । आएज़ और नोज़ की साएमलटेनियसली आवाज़ें आई हैं । आपने किस तरह से यह फैसला कर लिया है ?

कामरेड रामचन्द्र : स्पीकर साहिब, हमने डिवीज़न मांगी थी, उसका कोई फैसला नहीं हुआ ।

Mr. Speaker : I have already given my decision that the motion has been carried. Comrade Ram Piara must withdraw from the House.

(At this stage the Marshal went back to seek fresh instructions from the hon. Speaker.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਨੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵੀ ਜਿਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਉ ।

Mr. Speaker : No, please. The hon. Member should also know that I have already extended the sitting till voting on the No-Confidence Motion takes place.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This is an extraordinary situation. I again give an opportunity to Comrade Ram Piara to withdraw from the House within two minutes, otherwise my order is that the Marshal will take proper steps.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕਢ ਰਹੇ ਹੋ ?

Mr. Speaker : This is being done on the basis of the motion duly carried in the House.

Voices from the Opposition : No, no. It was not carried.

Mr. Speaker : I have already given my decision that the motion was carried. Now, the Marshal should take necessary steps.

Voices from the Opposition : Shame, shame.

कामरेड रामचन्द्र : स्पीकर साहिब, पहले डिवीज़न करवा लेते तो फिर जो मर्ज़ी फैसला कर लेते ।

(इस समय श्री देवराज आनन्द ने कामरेड राम प्यारा को मज़बूती से पकड़ लिया)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਾਂ ।

(*At this stage the Marshal caught hold of the hon. Member Comrade Ram Piara and took him out of the House.*)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आदमी किसी पार्टी से कहीं जाता है तो कुछ दिनों के लिये पार्टी का असर उस पर जरूर रहता है । यह कुदरती बात है । आप कांग्रेस से थोड़े दिन ही पहले उस कुर्सी पर गए हैं इसी लिये आपने पक्षपात किया है ।

Mr. Speaker : This is no point of order.

(*Noise in the House.*)

श्री जगन्नाथ : क्योंकि आपने कामरेड राम प्यारा को कहा कि वह आपको विश्वास दिलाएं कि आगे से हाउस के अन्दर ऐसी बात नहीं करेंगे तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हाउस को इस बात का विश्वास दिलाएं कि आप आपोजीशन और रूलिंग पार्टी का एक तरह से ध्यान करेंगे । आपसे हम विश्वास चाहते हैं कि आप रूलिंग पार्टी के साथ पक्षपात करेंगे या नहीं क्योंकि आज आपने जो कुछ यहां पर किया

[श्री जगन्नाथ]

उससे साफ जाहिर होता है कि आपने रूलिंग पार्टी का पक्षपात किया है (विघ्न) इसी लिये आपको इस पार्टी ने यहां पर बैठाया था। आपके ऊपर अभी तक उनकी सत्संगति का असर है, उनकी चिकनाहट है, वह चिकनाहट अभी तक नहीं गई। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Jagan Nath, please take your seat.

(*Noise*)

श्री जगन्नाथ : हम आज आपसे इस बात का फैसला लेना चाहते हैं (विघ्न) श्रीमान् जी, हम पांच साल के लिये जा सकते हैं, इससे ज्यादा मैंबर भी हाउस से बाहर निकाले जा सकते हैं लेकिन हम आज आपसे इस बात का फैसला कराना चाहते हैं... (शोर)

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। (The hon. Member should take his seat.) (शोर)

श्री जगन्नाथ : जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं कैसे बैठ सकता हूँ। (शोर) आप रूलिंग पार्टी के साथ पक्षपात करते हैं। इसीलिये ही आप वहां पर गए थे। आपको इस बात का फैसला करना होगा कि आप पक्षपात करेंगे या आपोज़ीशन की भी सुनेंगे। हम अधूरे के अधूरे जाने के लिये तैयार नहीं। हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। (शोर)

Mr. Speaker : I would request Shri Jagan Nath to take his seat. There should be no interruptions.

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, आपको इस चीज़ का फैसला करना होगा। आप पक्षपात करते हैं (शोर)

Mr. Speaker : Question is—

That this House expresses its want of confidence in the Ministry as a whole.

Some voices : The Chief Minister has yet to speak.

(*Noise*)

Comrade Ram Chandra : I have also the right to reply to the debate.

Sardar Lachhman Singh Gill : The mover has the right to reply to the debate. Democracy should not be killed in this way.

(*Interruptions*)

Sardar Gurcharan Singh : On a point of order, Sir.........

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕਿਧਰੇ ਭਲਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਢਣਾ ਪਵੇ। (ਸ਼ੋਰ)

Sardar Gurnam Singh : The Chief Minister has threatened the hon. Member, S. Gurcharan Singh, in these terms :

"ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ"

Chief Minister : No, no. I have not said this.

Sardar Gurnam Singh : What has he said then ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਭਲਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਢਣਾ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ।

Sardar Gurnam Singh : The Chief Minister has threatened the Member.

Comrade Ram Chandra : I should be given time to reply to the debate.

(*At this stage, the hon. Speaker was seen consulting the Secretary.*)

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of order. Sir. The Speaker is not listening to me. He should better change his seat with the Secretary.

Mr. Speaker : The hon. Member is going too far.

Sardar Lachhman Singh Gill : I have my own rights and privileges, Sir.

Mr. Speaker : I have the right to consult my Secretary at any time. I hope the hon. Member will observe some decency and will not make insinuations like this.

Sardar Lachhman Singh Gill : I have to fight for my rights. I want to raise another point of order.

Mr. Speaker : What is your point of order ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਉਚਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਮੂਵਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

Mr. Speaker: Would you like to reply to the debate, Sardar Partap Singh Ji ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ....

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर..

Mr. Speaker : I will not allow Shri Jagan Nath to raise any more point of order. Let the Chief Minister continue his speech.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

Mr. Speaker : Order. please.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ).

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जैसे ही कामरेड राम प्यारा को बाहर निकालने की मोशन आई थी उस वक्त "Ayes" और 'Noes" का डिसीज़न लिया तो हमने उसे चैलेंज किया था कि "Noes have it."

Mr. Speaker : I have given the decision which cannot be challenged.

डा० बलदेव प्रकाश : जब हमने कहा कि हम आपके डिसीज़न को चैलेंज करते हैं तो उसी वक्त आपने कहा कि "मैंने डिसीज़न दे दिया है।" इस सम्बन्ध में रूल्ज़ बिल्कुल क्लियर हैं कि जब आप का एक दफा डिसीज़न चैलेंज हो जाए तो तब तक आप रूलिंग दे ही नहीं सकते जब तक कि मेम्बर साहिबान को खड़ा करके वोट न ले लें। मैं वह रूल यहां पर कोट करके सुनाता हूँ।

The Rule 94 (3) is —

> "If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may, if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and on a count being taken, he may declare the determination of the Assembly."

अगर आपको यह भी ख्याल हो कि अन-नैसेसरी डिवीज़न क्लेम की जा रही है फिर भी आप मैम्बरों को सीट्स पर खड़ा किए बगैर कोई रूलिंग या डिसीज़न नहीं दे सकते। मैं रूल को फिर पढ़ देता हूँ।

> "If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may, if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the members who are for 'Aye'and those for 'No' respectively to rise in their places and on a count being taken, he may declare the determination of the Assembly. In such a case, the names of the voters shall not be recorded."

मैम्बरों को पूछे बगैर, उनको खड़ा किये बगैर आप रूलिंग नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : मुझे यह सब कुछ मालूम है (I know all this.)

डा० बलदेव प्रकाश : जब आपका वह डिसीज़न चैलेंज हुआ है और जब यह रूल्ज़ आप के सामने हैं तो कम-अज़-कम मैंबरों को खड़ा करके उनकी राए तो ले लेतें। मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहता हूँ (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही रूलिंग दे दी है। चीफ मिनिस्टर साहिब, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं ? (I have already given my ruling. Does the hon. Chief Minister want to speak ?)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : The hon. Members had the right to challenge it before I gave my decision that the motion was declared carried, but nobody challenged it.

Voices from the Opposition : It was challenged.

डा० बलदेव प्रकाश : हमने चैलेंज किया था। आप बेशक रिकार्ड देख लें। (शोर)

Mr. Speaker : Would the hon. Chief Minister like to say anything more in reply to the debate ?

Chief Minister : I want to say something more, but I am being interrupted.

Mr. Speaker : I will give five minutes to Comrade Ram Chandra to reply to the debate.

Chief Minister : Mr. Speaker, since they do not allow me to speak, you may kindly put the motion to the vote of the House.

Mr. Speaker : Comrade Ram Chandra, you may reply to the debate for five minutes.

कामरेड रामचन्द्र : पांच मिनट में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। यह कोई डीसेण्ट टाईम नहीं है।

Sardar Lachhman Singh Gill : Mr. Speaker, there must be some rules to guide our proceedings. We are not to be ruled in this manner.

कामरेड रामचन्द्र : स्पीकर साहिब, मुझे बड़ा अफसोस है जो आपने कामरेड राम प्यारा को बाहर निकाल कर फ़िज़ा बड़ी खराब कर दी है और आप मुझे जवाब देने के लिये सिर्फ पांच मिनट दे रहे हैं..........

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर .....

Mr. Speaker : Would you, Comrade Ram Chandra, like to speak ?

कामरेड राम चन्द्र : श्री जगन्नाथ जब प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो गए हैं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ,.......

Mr. Speaker : It is for the Chair whether or not to allow any hon. Member to raise his point of order. Would you, Comrade Ram Chandra, like to reply to the debate ?

Comrade Ram Chandra : Well, Mr. Speaker, I cannot rise to speak when another hon. Member is rising on a point of order.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, after putting the question to the House, you are asking the hon. Member, Comrade Ram Chandra to reply to the debate. Will it be proper ?

Mr. Speaker : I have allowed Comrade Ram Chandra to reply to the debate, because an objection was taken that the hon. Member, who moved the resolution on the no-confidence motion was not allowed to speak while closing the debate. I think it was a reasonable request and, therefore, I have allowed him to speak.

Comrade Ram Chandra : Could you Mr. Speaker consider that a reply to this debate can be given within five minutes ?

Mr. Speaker : Let the hon. Member take seven or eight minutes.

Comrade Ram Chandra : Give me an hour to reply to the debate.

Mr. Speaker : No, please. The hon. Member may at the most take ten minues, if he so likes.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਜਾਂ ਡੀਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਹ ਹਾਊਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਨੋ-ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ । Now I put the motion to the vote of the House, if Comrade Ram Chandra does not want to reply. (Time limit had been imposed on all the hon. Members who spoke on the No-Confidence Motion. Now I put the motion to the vote of the House, if Comrade Ram Chandra does not want to reply.)

Comrade Ram Chandra : I want to reply.

Mr. Speaker : If the hon. Member wants to reply, he may take ten minutes for the purpose.

Comrade Ram Chandra : I am sorry, I cannot accept this limit of ten minutes.

Shri Jagan Nath : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : I would not allow any point of order. Since the hon. Member Comrade Ram Chandra is not speaking, I will put the motion to the House.

Question is—

> That this House expresses its want of confidence in the Ministry as a whole.

The House then divided—

Ayes : 41

Noes : 89

The motion was declared lost.

AYES

(1) Ajaib Singh, Sardar
(2) Babu Singh, Sardar
(3) Bachan Singh, Babu
(4) Baldev Parkash, Dr.
(5) Balramji Das Tandon, Shri
(6) Bhan Singh, Comrade
(7) Darshan Singh, Sardar
(8) Dev Raj Anand, Shri
(9) Devi Lal, Chaudhri
(10) Fateh Chand, Shri
(11) Gian Singh Rarewala, Sardar
(12) Gurmej Singh, Sardar (Fatehgarh)
(13) Gurbax Singh Comrade (Dhurkot)
(14) Gurbakhsh Singh, Sardar (Dhariwal)
(15) Gurbakhshish Singh, Sardar
(16) Gurcharan Singh, Sardar
(17) Gurdial Singh Dhillon, Sardar
(18) Gurnam Singh, Sardar
(19) Hardwari Lal, Shri
(20) Hardit Singh, Sardar
(21) Hardit Singh Bhathal, Sardar
(22) Inder Singh, Shri
(23) Jagan Nath, Shri
(24) Jagir Singh, Sardar
(25) Jagjit Singh, Sardar (Zira)
(26) Kulbir Singh, Shri
(27) Lachhman Singh, Sardar
(28) Makhan Singh, Comrade (Tarsikka)
(29) Makhan Singh, Sardar (Haruwal)
(30) Mangal Sein, Shri
(31) Mukhtiar Singh, Shri
(32) Net Ram, Shri
(33) Om Parkash, Shri
(34) Ram Chandra, Comrade
(35) Ram Sarup, Shri
(36) Ram Singh, Shri
(37) Sat Dev, Shri
(38) Shamsher Singh, Sardar
(39) Surjit Singh, Sardar
(40) Tirlochan Singh, Sardar
(41) Tej Singh, Shri

NOES

(1) Abdul Ghaffar Khan, Khan
(2) Ajmer Singh, Sardar
(3) Amar Nath, Shri
(4) Amar Singh, Shri

(5) Babu Dayal, Shri
(6) Bal Krishan, Shri
(7) Baloo Ram, Shri
(8) Balwant Singh, Sardar
(9) Banwari Lal, Shri
(10) Benarsi Das Gupta, Shri
(11) Bhagirath Lal, Shri
(12) Bhag Singh, Sardar
(13) Bhagwat Dayal, Shri
(14) Brish Bhan, Shri
(15) Chandi Ram, Shri
(16) Chand Ram, Shri
(17) Chandrawati, Shrimati
(18) Chuhar Singh, Shri
(19) Dalip Singh, Sardar
(20) Darbara Singh, Sardar
(21) Dina Nath, Shri
(22) Fakiria, Shri
(23) Gian Chand, Shri
(24) Gulab Singh, Sardar
(25) Gurmej Singh Sardar (Gumanpura)
(26) Guran Dass Hans, Bhagat
(27) Gurbanta Singh, Sardar
(28) Gurdarshan Singh, Sardar
(29) Gurmail, Shri
(30) Harcharan Singh, Sardar
(31) Harchand Singh, Sardar
(32) Harinder Singh, Sardar
(33) Hari Ram, Shri
(34) Hari Singh, Sardar
(35) Hira Lal, Shri
(36) Jagat Ram, Shri
(37) Jagir Singh, Sardar
(38) Jagjit Singh, Sardar (Naraingarh)
(39) Jai Inder Singh, Sardar
(40) Jasdev Singh Sandhu, Sardar
(41) Jaswant Singh, Sardar
(42) Karam Singh 'Kirti', Sardar
(43) Kartar Singh, Gyani, Sardar
(44) Kesara Ram, Shri
(45) Khurshed Ahmed, Shri
(46) Lakhi Singh, Sardar
(47) Mehar Singh, Shri
(48) Mohan Lal, Shri
(49) Multan Singh, Shri
(50) Narain Singh, Sardar (Shahbazpuri)
(51) Nihal Singh, Shri (Mohindergarh)
(52) Nihal Singh, Shri
(53) Narinjan Singh 'Talib', Sardar
(54) Om Prabha Jain, Shrimati
(55) Parkash Kaur, Shrimati
(56) Parsani Devi, Shrimati
(57) Partap Singh Kairon, Sardar
(58) Partap Singh, Bakshi
(59) Piara Singh, Shri
(60) Prem Singh 'Prem', Sardar
(61) Pritam Singh Sahoke, Sardar
(62) Rala Ram, Principal
(63) Ram Dhari Gaur, Shri (Gohana)
(64) Ram Dhari, Shri
(65) Ram Kishan, Shri
(66) Ram Pal Singh, Shri
(67) Ram Partap Garg, Shri
(68) Ram Parkash, Shri
(69) Ram Rattan, Shri
(70) Ram Saran Chand Mittal, Shri
(71) Ranbir Singh, Shri
(72) Ran Singh, Shri
(73) Rattan Singh, Shri
(74) Rizaq Ram, Shri

(75) Roop Lal, Shri
(76) Rulya Ram, Shri
(77) Rup Singh 'Phul' Shri
(78) Sagar Ram, Shri
(79) Satnam Singh, Sardar
(80) Shanno Devi, Shrimati
(81) Sita Ram, Shri
(82) Sumitra Devi, Rajkumari
(83) Sunder Singh, Chaudhri
(84) Surinder Nath, Shri
(85) Tayyub Hussain Khan, Shri
(86) Yash Paul, Shri
(87) Zail Singh, Sardar
(88) Umrao Singh, Sardar
(89) Lal Chand Prarthi, Shri

1.55 p.m.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9-00 a.m. tomorrow.

(*The Assembly then adjourned till 9.00 a.m. on Wednesday, the 1st April, 1964.*)

1120—14-7-64—387 C, P. &. S,, Pb., Patiala.

ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ 'A', 'B' or 'C' proceedings in which the file was recorded and its retention period	
ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਖਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ whether note regarding case has been kept in the Branch/Sectional Note Book or not	
ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ Initials of the concerned Assistant	
ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ Initials of the Recorder	

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References